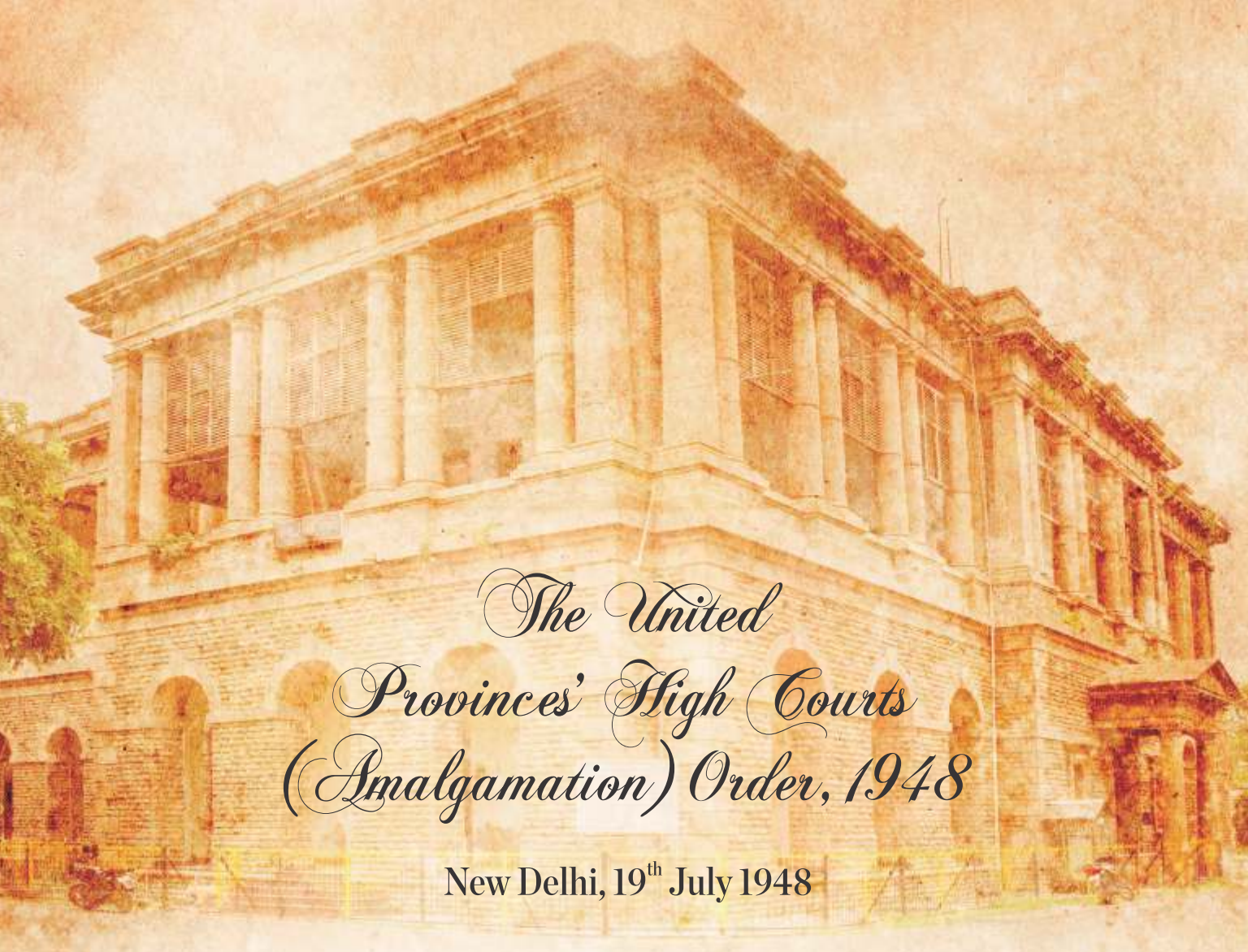
Bennett & Coleman
THE TIMES OF INDIA

न्यूज़लैटर

2024-2025



इलाहाबाद उच्च न्यायालय



The United Provinces' High Courts (Amalgamation) Order, 1948

New Delhi, 19th July 1948

For United Provinces now read Uttar Pradesh.

Whereas both Chambers of the Legislature of the United Provinces have presented addresses to the Governor of that Province to amalgamate the High Court in Allahabad and the Chief Court in Oudh, and the said addresses have been submitted to the Governor-General;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by Section 229 of the Government of India Act, 1935, and of all other powers enabling him in that behalf, the Governor-General is pleased to make the following Order :

1. *(1) This Order may be cited as the United Provinces High Courts (Amalgamation) Order, 1948.*
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India.
2. *(1) In this Order,-*
   "the Act" means the Government of India Act, 1935, as for the time being in force in the Dominion of India;
   "appointed day" means the twenty sixth day of July, 1948; and
   "existing high Courts" means the High Courts referred to in Section 219 of the Act as the High Court in Allahabad and the Chief Court in Oudh.
   (2) The Interpretation Act, 1889, applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
3. *As from the appointed day, the High Court in Allahabad and the Chief Court in Oudh shall be amalgamated and shall constitute one High Court by the name of the High Court of Judicature at Allahabad (hereinafter referred to as "the new High Court").*

Bennett & Coleman
THE TIMES OF INDIA

न्यूज़लैटर

2024-25

इलाहाबाद उच्च न्यायालय



संपादकीय मंडल

अध्यक्ष

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

सदस्य

न्यायमूर्ति अब्दुल मुईन

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

कॉपीराइट © इलाहाबाद उच्च न्यायालय

सभी अधिकार सुरक्षितः इस प्रकाशन के किसी भी भाग को कॉपीराइट धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से (चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, फोटोकॉपी हो, रिकॉर्डिंग हो या अन्यथा) पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता, किसी पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता, या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

"अस्वीकरणः यह हिंदी संस्करण मूल अंग्रेजी न्यूज़लैटर का अनुवादित रूप है और केवल पाठकों की सुविधा के लिए प्रदान किया गया है। यद्यपि इसकी शुद्धता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है, तथापि किसी भी प्रकार की विसंगति, अस्पष्टता, असंगति अथवा व्याख्या में अंतर की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही मान्य, अंतिम एवं प्रामाणिक माना जाएगा।"



Bennett & Coleman
THE TIMES OF INDIA

न्यूज़लैटर टीम – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
श्री पवन कुमार शर्मा–1
रजिस्ट्रार (जे) (कंप्यूटर)
डॉ. (श्रीमती) शबीना फारूक
डिप्टी रजिस्ट्रार
श्री पवन कुमार सिंह
अनुभाग अधिकारी
श्री आशीष कुमार
समीक्षा अधिकारी
श्री दीपेन्द्र सिंह चौहान
समीक्षा अधिकारी
श्री अतुल वर्मा
समीक्षा अधिकारी
श्री घिर्राऊलाल वर्मा

द टाइम्स ऑफ इंडिया
रिस्पॉन्स टीम
रोहित शर्मा
धनुष वीर सिंह
अभिषेक श्रीवास्तव
अनिल कुमार सिंह
गोपाल श्रीवास्तव

एडिटोरियल टीम
सना फहीम
नेहा अरोड़ा
कंबर अली



अनुक्रमणिका

1.	माननीय मुख्य न्यायमूर्ति का संदेश	6
2.	न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का संदेश	7
3.	न्यायमूर्ति श्री राजन राय, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, लखनऊ का संदेश	8
4.	श्री अजय कुमार मिश्रा, महाधिवक्ता का संदेश	9
5.	अध्यक्ष, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, प्रयागराज का संदेश	10
6.	अध्यक्ष, एडवोकेट्स एसोसिएशन, प्रयागराज का संदेश	11
7.	अध्यक्ष, अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ का संदेश	12
8.	संपादकों की कलम से	13
9.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास	15
10.	न्यायमूर्तियों की शपथ	21
11.	न्यायालय की संरचना	27



अनुक्रमणिका

12. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निस्तारण डेटा 39

13. उच्च न्यायालय की समितियाँ 67

14. उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय 92

15. न्यायमूर्तियों की विदाई 272

16. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री 276

17. उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालय 279

18. न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान 563

19. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 595





Arun Bhansali
Chief Justice
High Court of Judicature at Allahabad

April 29, 2026

MESSAGE

I am pleased to learn that the Committee for Publications is bringing out the Allahabad High Court Newsletter covering the years 2024 and 2025.

The publication captures the significant activities, initiatives, and achievements of the High Court of Judicature at Allahabad and the District Judiciary of Uttar Pradesh. It reflects the continuing commitment of the justice delivery system to strengthen the rule of law while adapting to evolving needs.

During this period, sustained efforts have been made to enhance judicial efficiency through improved case management, expansion of digital services, and strengthened institutional monitoring. Initiatives such as e-filing, digitization of records, hybrid hearings, and streamlining cause-list management have improved transparency, accessibility, and overall court functioning to a great extent.

This Newsletter presents a comprehensive account of key initiatives, administrative measures, district court performance, infrastructure development, training programmes, and legal services activities.

I commend the Committee for Publications and the Editorial Panel under the Chairmanship of Brother Justice Saumitra Dayal Singh, along with Justice Abdul Moin, Justice Saurabh Srivastava, and Justice Arun Kumar Singh Deshwal, for their efforts in bringing out this publication.

I also appreciate the contributions of the District Judiciary, the Registry, and all those involved in this endeavour. I am confident that this Newsletter will serve as a valuable record of institutional progress and a guide for future initiatives.

(Arun Bhansali)

1, Lal Bahadur Shastri Marg, Prayagraj - 211 001. Telephone : 0532 2421730, E-mail: cj@allahabadhighcourt.in



JUDGE HIGH COURT AT ALLAHABAD

05th May, 2026

Excellence in judicial functioning remains a perennial endeavour, anchored in integrity, responsibility, and fidelity to enduring principles, while exhibiting responsiveness to evolving societal exigencies. Meaningful institutional advancement is invariably the product of sustained endeavour and calibrated reform. In this continuum, the preceding year has signified a phase of substantive transformation at the Allahabad High Court, evincing a resolute commitment towards modernization and enhanced institutional efficacy.

The year 2024–2025 distinctly emerges as a period of dynamic progression, characterised by a deliberate pivot towards efficiency, accessibility, and systemic refinement in the justice delivery mechanism. A principal area of emphasis has been the augmentation of judicial infrastructure. The financial sanction of ₹1700 crore for the establishment of integrated court complexes across seven districts of Uttar Pradesh constitutes a seminal investment in the future architecture of judicial administration, aimed at optimising functionality and litigant convenience. This initiative has been further complemented by the inauguration of a new advocate chamber and parking facility in May 2025, thereby fortifying the institutional ecosystem for the Bar.

Equally significant has been the Court's expansive digitization initiative. The establishment of a dedicated Centre for Information Technology has facilitated the digitization of over 37 lakh files, encompassing more than 23 crore pages, marking a decisive transition towards a streamlined, paper-light adjudicatory framework.

Technological assimilation has been a defining hallmark of the year. The installation of Wi-Fi networks, CCTV surveillance, and digital display systems has modernized court premises. The implementation of "Digital Courts 2.1" has enabled AI-driven translation and transcription, while a restructured e-filing system now accommodates all categories of cases. The integration of e-stamping and e-payment mechanisms has rationalized procedural formalities, and the expansion of virtual hearings has substantially enhanced access to justice, reinforcing transparency and user-centric innovation.

On the judicial plane, the Court has rendered notable pronouncements reinforcing constitutional morality and procedural clarity. The decriminalization of consensual live-in relationships between adults, affirmation of investigative authority in digital offences, and the facilitation of a seamless transition to new criminal laws underscore a judicious equilibrium. Safeguards of privacy in sensitive trials, curbs on the misuse of matrimonial litigation, and progressive interpretations in family and service law, particularly with respect to maintenance rights and juvenility further exemplify a jurisprudence grounded in equity and fairness.

Collectively, these developments epitomize a balanced and purposive evolution wherein infrastructure, technology, and jurisprudence coalesce, reaffirming the Court's steadfast commitment to excellence, innovation, and its enduring institutional legacy.

(Justice Mahesh Chandra Tripathi)

Justice Rajan Roy
Senior Judge

High Court
Lucknow



MESSAGE

It is with great pride that I reflect upon the past year's journey of the Allahabad High Court. Endowed with a rich legacy, the Court remains one of the oldest functional constitutional Courts in the country. Its significance continues to be defined by its perseverance and readiness to address contemporary challenges.

This publication is not merely a record of the year's work, but a reaffirmation of our unwavering duty to deliver accessible, timely, fair, and transparent justice. This volume serves as an insight for readers to better understand the functioning and the vital work performed by the Court.

The journal details the significant strides made in furthering our digital transformation through the expansion of e-filing systems, virtual court facilities, and the strengthening of e-Sewa Kendras at the grassroots level. There has also been a growing focus on Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, encouraging amicable settlements and reducing the adversarial burden on the system.

The Judicial Training and Research Institute (JTRI) has remained actively engaged in organising interdisciplinary training programs, capacity-building initiatives, and platforms for meaningful academic and institutional exchange. The developments of the year reflect a sustained commitment toward upholding constitutional values and fostering progressive legal thought, ensuring that the administration of justice remains steadfast in its independence and integrity.

I convey my sincere regards to the Bar, the Bench, and all stakeholders for their continued dedication and participation. I also extend my gratitude to the Members of the Editorial Panel for their diligent efforts in bringing out the 2024-25 edition of the Allahabad High Court Newsletter.

Rajan Roy.

(Rajan Roy)

Ajay Kumar Misra
Advocate General, U.P.
Senior Advocate
Chairman, U.P. Advocate Welfare Fund Trustees Committee
Ex Officio Member, Bar Council of Uttar Pradesh - 211 017

HIGH COURT, ALLAHABAD
(0532) 2423543 (O), (0532) 2622412
HIGH COURT, LUCKNOW BENCH
(0522) 2722711, (0522) 2722700
Mob. : 09654006423, 9118833660 (O)
E-mail : advocategeneralup@gmail.com

No. 21/PSAGUP(A)/2026
Dated: 01/05/2026

MESSAGE

It is a profound privilege, to witness the release of the newsletter of the High Court of Judicature at Allahabad for the years 2024-2025, chronicling the significant strides made. This publication encapsulates a transformative era of institutional evolution, characterized by a deliberate refinement of the Court systems, to better address the dynamic challenges of contemporary jurisprudence.

The High Court's operational trajectory, during this period, reflects an unwavering resolve to enhance coherence, bolster administrative efficiency, and widen the horizons of accessible justice. This progress, is an enduring tribute to the untiring spirit, of the Hon'ble Judges and the devoted Court establishment, whose collective efforts ensure, that the hallowed traditions of this historic institution remain ever vibrant.

Furthermore, the robust relation fostered between the Bench and the Bar has proven indispensable, enriching the professional ecosystem and facilitating the seamless dispensation of justice.

The entire office of the Advocate General, forever remains dedicated to collaborating with all stakeholders, to fortify this institutional framework, with integrity and heightened professional diligence. I extend my heartiest commendations on this publication, which aptly the shared journey, towards progressive institutional excellence.

(Ajay Kumar Misra)
Advocate General, U.P.

OFFICE

Lucknow : 1, Kalidas Marg, (0522) 2237671, (0522) 2239161
Secretariat Room No. 104, (0522) 2238075

Prayagraj : Camp Office of Advocate General, Drummond Road, Civil Lines, Prayagraj (0532) 2424688, 2622367

Prayagraj : Ambedkar Bhawan High Court, Allahabad-211017

Lucknow : Advocate General's Office High Court (Lucknow Bench) Lucknow-226001

HIGH COURT BAR ASSOCIATION, ALLAHABAD

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President
RAKESH PANDE 9415305760

Hony. Secretary
AKHILESH KUMAR SHARMA 8299195968

Ref. No. H:C:B:A 127/2026

Dated : 02.05.2026

It is a pleasure to learn that the Newsletter covering activities for the year 2024-25 is to be published soon. The members of the HCBA would be enriched by the said Newsletter covering macro and micro activities, initiatives and achievements of the High Court at Allahabad.

We hope that the Newsletter will be a successful periodic publication to keep all stakeholders aware of activities, initiatives and achievements.

Thanking you.

(Rakesh Pande)
Senior Advocate
President

Rakesh Pande
Senior Advocate
President
High Court Bar Association
Allahabad

Website : www.hcbaallahabad2018.in | Email : highcourtbaralld@gmail.com
Phone : 0532-2402404 | Fax : 0532-2420404

ADVOCATES' ASSOCIATION
HIGH COURT, ALLAHABAD

☎ **Office** : 0532-2420618
Email : adv.association.aahc@gmail.com
adv.association@rediffmail.com
website.www.aaahc.in
facebook : Advocates Asso HC

Date :- 05.05.2026

THE JUSTICE DELIVERY SYSTEM

The justice delivery system is the backbone of the rule of law in India. Its effectiveness determines to the extent, which laws are respected, rights are protected, and justice must seems. Strengthening this system through reforms, transparency, and inclusively is essential to buildup a fair and orderly society. Where the rule of law prevails. The Allahabad High Court has played a transformative role in strengthening the rule of law in India. Through landmark judgments ranging from electoral accountability to protection of fundamental rights and prevention of abuse of process. It has upheld constitutional values and ensured that justice is not merely theoretical but practical and enforceable. The functioning of the Allahabad High Court demonstrates that the Indian judiciary is not merely an adjudicatory body but a **dynamic institution shaping governance and society**. Through landmark judgments, progressive initiatives, and continuous reforms, the justice delivery system plays a pivotal role in ensuring the **rule of law prevails over arbitrariness.** Thereby sustaining democracy and protecting constitutional rights of the citizens. Its evolving jurisprudence reflects a judiciary that is responsive to societal needs. While firmly rooted in constitutional principles.

Saghir Ahmad

(Saghir Ahmad)
Senior Advocate
President

Oudh Bar Association

High Court, Lucknow

Estd: 1901

Dated : 15-05-2026

President	General Secretary
Pt. S. Chandra	**Lalit Kishore Tiwari**
Mob.: 9415457883	Mob.: 9415545281,7080470009

MESSAGE

It is a matter of great privilege for me as a President of Oudh Bar Association to quote a message for publication of News Letter under Chairmanship of Hon'ble Mr.Justice Saumitra Dayal Singh, which aims at giving an overview upon some details of the progress made in the High Court of Judicature at Allahabad during the past year.

This edition of news letter reflects our confirm view regarding judicial administration, case management and latest digitalization of the system. We praise the dedication of judicial officers and advocates for upgrading the system.

The various events to increase the transparency in judicial system have been organized by High Court. The digitalization of judicial system is an important step and the learned advocates should take the benefit of same.

The Advocates are the back bone of judicial system. This news letter has been prepared and being published to strength the dialogues between Bar and Bench.

I am confident that the "News Letter" will keep adding new pages to the glorious history of the High Court and fulfill the commitments of the legal fraternity in the present scenario.

I congratulate and extend my best wishes for the publication and success of the "News Letter"

15/5/2026

(Pt.S. Chandra)
President
Oudh Bar Association
High Court, Luckow.



संपादकों की कलम से

विश्वास व संतोष की भावना के साथ, हम वर्ष 2024–2025 का न्यूज़लैटर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश की जिला न्यायपालिका की महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक प्रगति को दर्शाया गया है।

किसी भी न्यायिक संस्था की शक्ति न केवल उसकी संवैधानिक भूमिका में निहित होती है, बल्कि बदलते समय के अनुसार ढलने की उसकी क्षमता में भी होती है–साथ ही वह न्याय, निष्पक्षता और सुलभता के मूल मूल्यों को भी अक्षुण्ण रखती है। वर्ष 2024–2025 के दौरान, उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों ने वाद प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं और संस्थागत निगरानी में सुधारों के माध्यम से न्यायिक दक्षता को लगातार बढ़ाया है।

प्रौद्योगिकी का बढ़ता समावेश पारदर्शिता और वादियों के लिए पहुँच की सुलभता को बेहतर बना रहा है। ई–फाइलिंग, अभिलेखों का डिजिटलीकरण, हाइब्रिड सुनवाई की सुविधाएँ और बेहतर कॉज–लिस्ट प्रबंधन जैसी पहलों ने कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू बनाने और जन–संपर्क को बेहतर बनाने में सहायता की है, साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) ने केसों के लंबित होने की स्थिति, निस्तारण दरों और श्रेणी–वार वितरण के वास्तविक समय (real-time) मूल्यांकन को संभव बनाकर, साक्ष्य–आधारित निगरानी को सुदृढ़ किया है। इस वर्ष के लिए NJDG के संकेतक निस्तारण के प्रदर्शन में क्रमिक सुधार और पुराने लंबित केसों को कम करने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

इस न्यूज़लैटर में गतिविधियों और उपलब्धियों का एक व्यापक संकलन शामिल है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:

- उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियाँ
- जिला न्यायालयों का प्रदर्शन
- NJDG–आधारित डेटा और रुझान
- बुनियादी ढाँचे और न्यायालय सुविधाओं में सुधार
- प्रशिक्षण, JTRI कार्यक्रम और कुशलता निर्माण
- विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियाँ और नागरिक संपर्क कार्यक्रम

हम इस प्रकाशन को मूर्त रूप देने में उनके अमूल्य सहयोग के लिए सभी योगदानकर्ताओं, जिला न्यायपालिका, रजिस्ट्री अधिकारियों और संपादकीय टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

उम्मीद है कि यह न्यूज़लैटर संस्थागत प्रगति के एक सच्चे प्रतिबिंब के रूप में और भविष्य की पहलों के लिए एक संदर्भ स्रोत के रूप में कार्य करेगा।



इलाहाबाद उच्च न्यायालयः न्याय, संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक बदलाव की एक विरासत

औपनिवेशिक अपील मंचों से लेकर संवैधानिक संरक्षक तक, कोर्ट का विकास भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दर्शाता है।

भारत, यानी इंडिया, की न्यायिक विरासत बहुत पुरानी है। यह दुनिया की सबसे पुरानी विरासतों में से एक है–जो इसकी सभ्यतागत मूल्य 'धर्म' में गहराई से निहित है। 'धर्म' एक आध्यात्मिक, नैतिक और कानूनी व्यवस्था है, जिसने आधुनिक संवैधानिक कानूनों के लिखित रूप में आने से सदियों पहले ही धर्म को सामाजिक व्यवस्था, शासन और व्यक्तिगत आचरण के केंद्र में रखा था। प्राचीन भारतीय विधि–वेत्ताओं जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन और बृहस्पति, और बाद के टीकाकारों जैसे वाचस्पति मिश्र ने न्याय–निर्णय, प्रक्रिया, साक्ष्य और न्यायाधीशों की जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विस्तार से समझाया था। न्याय को केवल एक प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा जाता था–जो सामाजिक सद्भाव, समानता और वैधता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य था।

हालाँकि, न्यायपालिका–एक संस्था के रूप में, जो कार्यपालिका से अलग है (जैसा कि आज इसे मान्यता प्राप्त है)–संरचित अदालतों, न्यायाधीशों, लिखित कानूनों और अपीलों की एक व्यवस्थित पदानुक्रम के साथ, औपनिवेशिक काल के दौरान ही संस्थागत रूप ले पाई।

औपनिवेशिक नींवः संरचित अदालतों का उदय

बक्सर की लड़ाई (1764) के बाद एक निर्णायक मोड़ आया, जिसके बाद सम्राट शाह आलम–II और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि (1765) हुई; इस संधि के माध्यम से कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। राजस्व प्रशासन के लिए लागू करने योग्य कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी, और शासन के लिए अदालतें अनिवार्य हो गईं।

प्रेसिडेंसी शहरों में, 1726 के चार्टर के तहत मेयर कोर्ट स्थापित किए गए, जो ब्रिटिश नागरिकों पर अंग्रेजी कानून लागू करते थे। बंगाल में, वॉरेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना (1772) ने सदर दीवानी अदालत (दीवानी मामले) और सदर निजामत अदालत (फौजदारी मामले) का गठन किया, जिससे एक संरचित अपील प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे–जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया, पूरे उत्तरी भारत में इसी तरह की संस्थाएँ विकसित हुईं।

पश्चिमी प्रांतों में–जिनमें उस समय बनारस और इलाहाबाद शामिल थे। न्यायिक संस्थाओं का विकास धीरे–धीरे और तेज होता गया। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक, इस क्षेत्र में ऊँची अपीलीय अदालतों का एकीकरण देखने को मिला, और 1831 में, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों का मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया, जिससे यह शहर उत्तरी भारत की अपीलीय न्याय व्यवस्था का केंद्र बन गया।

न्यायिक राजधानी के रूप में इलाहाबादः उच्च न्यायालय युग की शुरुआत

1858 के बाद इलाहाबाद का प्रशासनिक और न्यायिक महत्व और बढ़ गया, जब लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर–पश्चिमी प्रांतों की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी। इस निर्णय ने नगर को शासन और कानून के केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया।

भारत की न्यायिक संरचना में निर्णायक बदलाव 'भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861' के साथ आया, जिसने पुरानी सदर अदालतों और सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार 'क्राउन' (ब्रिटिश राजसत्ता) को दे दिया। इस अधिनियम के लागू होने पर, 1866 में 'लेटर्स पेटेंट' (शाही आदेश) द्वारा आगरा में उत्तर–पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे। तीन साल के भीतर, 1869 में, उच्च न्यायालय को इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया–यह एक ऐसी घटना थी जिसने इस शहर को उत्तरी भारत के लिए न्याय के मुख्य केंद्र के रूप में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। 1919 में, 'पूरक लेटर्स पेटेंट' के माध्यम से, न्यायालय का आधिकारिक नाम बदलकर 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' (High Court of Judicature at Allahabad) कर दिया गया, जो इसकी परिपक्व संस्थागत पहचान को दर्शाता था।

अवध प्रणाली और स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण

इलाहाबाद प्रणाली के समानांतर, अवध ने 1856 में अपने विलय के बाद भी एक अलग न्यायिक ढाँचा बनाए रखा। 'अवध मुख्य न्यायालय' (Chief Court of Oudh) की स्थापना 1925 में की गई थी, जिसमें शुरू में पाँच न्यायाधीश शामिल थे। यह दोहरी प्रणाली स्वतंत्रता मिलने तक जारी रही।

1947 के बाद, लोकतांत्रिक शासन के लिए एक एकीकृत न्यायिक संरचना आवश्यक हो गई। परिणामस्वरूप, 'यू.पी. उच्च न्यायालय (विलय) आदेश, 1948' के तहत अवध मुख्य न्यायालय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। तब से, उच्च न्यायालय दो स्थायी पीठों के साथ कार्य कर रहा है:

- इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में मुख्य पीठ
- लखनऊ पीठ, जो पूर्ववर्ती अवध क्षेत्र की सेवा करती है

यह अनूठी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के न्यायिक प्रशासन की एक विशिष्ट विशेषता बनी हुई है।

क्षेत्रीय विस्तार और पुनर्गठन

स्वतंत्रता के बाद के काल में, न्यायालय का क्षेत्राधिकार और विस्तृत हुआ। राज्यों के विलय के आदेशों (1949) के तहत कई पूर्व रियासतें–जिनमें रामपुर, बनारस और टिहरी–गढ़वाल शामिल थे–उत्तर प्रदेश में मिला दी गईं; इससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और विस्तृत हो गया।

वर्ष 2000 में अधिकार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब 'उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम' के माध्यम से एक नए राज्य–उत्तरांचल (जो अब उत्तराखंड कहलाता है)–का गठन किया गया और नैनीताल में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यद्यपि इस घटनाक्रम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय विस्तार कुछ सीमित हुआ, तथापि यह न्यायालय आज भी उत्तर प्रदेश के पचहत्तर जिलों पर अपना अधिकार क्षेत्र बनाए हुए है और दुनिया के सबसे विशाल न्यायालय–तंत्रों में से एक का पर्यवेक्षण करता है।

160 जजों की स्वीकृत संख्या के साथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट को भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट और एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट में से एक माना जाता है, चाहे वह अधिकार क्षेत्र के पैमाने पर हो या संस्थागत कार्यभार के मामले में।

संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक भूमिका

अन्य सभी हाई कोर्ट की तरह, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अपना अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त करता है, और एक अपीलीय तथा संवैधानिक अदालत के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 226 के तहत इसके रिट अधिकार क्षेत्र ने अदालत को नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासन का एक शक्तिशाली रक्षक बनाए रखा है।

दशकों से, अदालत ने निम्नलिखित क्षेत्रों में न्यायशास्त्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निवारक हिरासत
- संवैधानिक शासन और चुनावी निष्ठा
- सार्वजनिक रोजगार और प्रशासनिक निष्पक्षता
- अल्पसंख्यक अधिकार और सामाजिक न्याय
- शिक्षा, पर्यावरण और जनहित याचिका

ऐतिहासिक फैसले और राष्ट्रीय प्रभाव

यह अदालत ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णयों का उद्गम स्थल रही है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक 1975 का न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा का फैसला

था, जो 'इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण' (AIR 1975 All 273) मामले में आया था; इस फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव को चुनावी कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था। इसके बाद हुए राजनीतिक और संवैधानिक घटनाक्रमों—जिनमें आपातकाल की घोषणा भी शामिल है—ने इस फैसले को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक युगांतरकारी क्षण बना दिया।

इस चर्चित मामले के अलावा, अदालत ने लगातार ऐसे प्रभावशाली फैसले दिए हैं जिन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), प्रशासनिक विवेक, संवैधानिक उपचार और न्यायिक समीक्षा जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यायशास्त्र को आकार दिया है।

इस प्रकार, यह अदालत भारत में कानूनी नेतृत्व और संवैधानिक व्याख्या को विकसित करने वाली एक प्रमुख संस्था बनी रही है।

आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और न्याय का भविष्य

हाल के दशकों में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे तकनीकी और संस्थागत सुधारों को अपनाया है जिनका उद्देश्य न्याय तक पहुंच और न्यायिक दक्षता में सुधार करना है। 'ई—कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट' के तहत, अभिलेखों का डिजिटलीकरण, केस सूचना प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक कॉज लिस्ट ने पारदर्शिता और प्रबंधन को सुदृढ़ किया है।

कोविड—19 महामारी के दौरान, अदालत ने वर्चुअल सुनवाई को अपनाया, जो आज भी हाइब्रिड (मिश्रित) रूप में जारी है। यह संस्था इन दिशाओं में भी आगे बढ़ रही है:

- कागज—रहित अदालतें (Paperless Court) और ई—फाइलिंग
- रिकॉर्ड रूम और अभिलेखागार का डिजिटलीकरण
- मुकदमों के वर्गीकरण और कानूनी शोध के लिए AI—सहायता प्राप्त उपकरणों का विकास और उन्हें अपनाना
- मजबूत मध्यस्थता और ADR (वैकल्पिक विवाद समाधान) बुनियादी ढाँचा

लखनऊ पीठ में आधुनिक बुनियादी ढाँचे का जबरदस्त विकास हुआ है, जिसमें एक अत्याधुनिक, नई अदालत भवन शामिल है। इसमें ऐसे कोर्टरूम और

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विकास में प्रमुख मील के पत्थर

1726	शाही चार्टर के तहत प्रेसीडेंसी शहरों में मेयर न्यायालयों की स्थापना।
1765	इलाहाबाद की संधि; ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त हुए।
1772	वॉरेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना के तहत सदर दीवानी अदालत (दीवानी मामले) और सदर निजामत अदालत (फौजदारी मामले) का गठन।
1831	सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थानांतरित।
1858	उत्तर—पश्चिमी प्रांतों की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित।
1861	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारितय भारत में उच्च न्यायालयों की नींव रखी गई।
1866	लेटर्स पेटेंट द्वारा आगरा में उत्तर—पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
1869	उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया।
1919	पूरक लेटर्स पेटेंट द्वारा आधिकारिक नाम बदलकर "High Court of Judicature at Allahabad" कर दिया गया।
1925	अवध के मुख्य न्यायालय (Chief Court of Oudh) की स्थापना की गई।
1948	U.P. उच्च न्यायालय (विलय) आदेश के तहत अवध के मुख्य न्यायालय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया।

1949	राज्यों के विलय आदेशों के तहत रामपुर, बनारस और टिहरी–गढ़वाल सहित रियासतों तक अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया।
2000	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया।
उत्तराखंड	नैनीताल में अलग हाई कोर्ट की स्थापना।
2020 के	वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई शुरू।
बाद से	डिजिटलीकरण में तेजी आई।
2025	**160 जजों** की स्वीकृत संख्या के साथ, यह कोर्ट भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट के रूप में बना हुआ है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट - एक नजर में

आधिकारिक नाम:

"High Court of Judicature at Allahabad"

स्थापना:

1866 (आगरा में) | 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित

मुख्य पीठ:

प्रयागराज (इलाहाबाद)

स्थायी पीठ:

लखनऊ पीठ

अधिकार क्षेत्र:

उत्तर प्रदेश राज्य (75 जिले)

स्वीकृत संख्या:

160 जज (भारतीय हाई कोर्ट्स में सबसे अधिक)

सहायक सुविधाएँ हैं जो समकालीन न्यायिक जरूरतों के अनुरूप हैं।

नेतृत्व की निरंतरता

1866 में अपनी स्थापना के बाद से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नेतृत्व इक्यावन मुख्य न्यायाधीशों ने किया है, जिनमें से प्रत्येक ने न्यायालय के संस्थागत विकास में योगदान दिया है। वर्ष 2025 से, न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री अरुण भंसाली हैं। वे समृद्ध न्यायिक नेतृत्व की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी जड़ें संवैधानिक मूल्यों, प्रशासनिक सुधार और न्याय की खोज में गहरी जमी हुई हैं।

प्राचीन आदर्शों से लेकर आधुनिक गणराज्य के संवैधानिक जनादेश तक, इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय निरंतरता और परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्नीसवीं सदी में एक औपनिवेशिक संस्था के रूप में स्थापित यह न्यायालय, अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक न्यायालयों में से एक के रूप में परिपक्व हो चुका है–एक ऐसी संस्था जो परंपरा और नवाचार, अधिकार और जवाबदेही, तथा कानून और न्याय के बीच संतुलन बनाती है।



अपने विशाल अधिकार क्षेत्र, न्यायिक परिदृश्य में अपनी ऐतिहासिक भूमिका, और प्रौद्योगिकी तथा पहुँच के क्षेत्र में चल रहे सुधारों के साथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की प्राचीन कानूनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में और भारत के सुदृढ़ संवैधानिक ढाँचे के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में निरंतर खड़ा है।

अधिकार क्षेत्र की प्रकृतिः

- दीवानी और आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र
- अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक अधिकार क्षेत्र
- अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र
- अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण

संस्थागत महत्वः

- भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक
- एशिया के सबसे बड़े न्यायिक संस्थानों में से एक
- प्रख्यात जजों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की न्यायशास्त्र में प्रमुख योगदानकर्ता

उल्लेखनीय ऐतिहासिक फैसलाः

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (AIR 1975 All 273)

(तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अमान्य घोषित करने वाला फैसला, जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास को आकार दिया)

आधुनिकीकरण की मुख्य बातेंः

- ई–कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट
- ई–फाइलिंग और डिजिटल कॉज लिस्ट
- वर्चुअल / हाइब्रिड सुनवाई
- रिकॉर्ड रूम और अभिलेखागार का डिजिटलीकरण
- SUVAS / ई–रिपोर्टिंग के माध्यम से अनुवाद की पहल



संदर्भ

1. एम.पी. जैन, आउटलाइन्स ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, LexisNexis (नवीनतम संस्करण)।
2. इलाहाबाद की संधि, 1765 (ईस्ट इंडिया कंपनी – मुगल साम्राज्य)।
3. मेयर कोर्ट्स की स्थापना का चार्टर, 1726।
4. वॉरेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना, 1772 के नियम।
5. 1831 का नियम VI (उत्तर–पश्चिमी प्रांतों का न्यायिक प्रशासन)।
6. लॉर्ड कैनिंग की घोषणा/प्रशासनिक पुनर्गठन (1858)।
7. इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, 1861।
8. नॉर्थ–वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए हाई कोर्ट बनाने वाला लेटर्स पेटेंट (1866)।
9. हाई कोर्ट का आगरा से इलाहाबाद में ट्रांसफर (1869)।
10. सप्लीमेंट्री लेटर्स पेटेंट (1919) – आधिकारिक नाम में बदलाव।
11. अवध कोर्ट्स एक्ट, 1925 – अवध के चीफ कोर्ट की स्थापना।
12. U.P. हाई कोर्ट (अमलगमेशन) ऑर्डर, 1948।
13. स्टेट्स मर्जर ऑर्डर्स, 1949।
14. उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2000 – उत्तराखंड का गठन और अलग हाई कोर्ट।
15. भारत सरकार / न्याय विभाग – स्वीकृत संख्या और हाई कोर्ट के आँकड़े.
16. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, AIR 1975 All 273।
17. इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधिकारिक इतिहास पेज और पुरालेख रिकॉर्ड।
18. भारत का सुप्रीम कोर्ट – इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए चीफ जस्टिस / पूर्व जजों की जीवनियाँ।
19. eCourts मिशन मोड प्रोजेक्ट – चरण रिपोर्ट और eCommittee के प्रकाशन.
20. इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक सूचनाएँ (Covid–19 और हाइब्रिड सुनवाई)।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की शपथ



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायधीश

माननीय न्यायमूर्तियों की शपथ



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा



माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन



माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र धारी सिंह



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि



माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा



माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार–X



माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन



माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश सक्सेना



माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन पाल सिंह



माननीय न्यायमूर्ति श्री हरवीर सिंह



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव



माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद



माननीय न्यायमूर्ति श्री संतोष राय



माननीय न्यायमूर्ति श्री तेज प्रताप तिवारी



माननीय न्यायमूर्ति श्री जफीर अहमद



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार



माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ कुमार राय



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ला



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद



माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान



माननीय न्यायमूर्ति श्री अबधेश कुमार चौधरी



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी



माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नन्दन



माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह



माननीय न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत शुक्ला



माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह



माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 अजय कुमार–II



माननीय न्यायमूर्ति श्री चवन प्रकाश



माननीय न्यायमूर्ति श्री दिवेश चंद्र सामंत



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा–I



माननीय न्यायमूर्ति श्री तरूण सक्सेना



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती



माननीय न्यायमूर्ति श्री पद्म नारायन मिश्र



माननीय न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मीकान्त शुक्ल



माननीय न्यायमूर्ति श्री जय प्रकाश तिवारी



माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह–I



माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल



माननीय न्यायमूर्ति श्री अचल सचदेव



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी



माननीय न्यायमूर्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्ति का नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली (मुख्य न्यायमूर्ति)*	**05/02/2024**

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता	12/04/2013
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र	12/04/2013
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी	27/09/2013
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला	03/02/2014
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी	03/02/2014
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा	03/02/2014
7.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय	03/02/2014
8.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा	15/11/2016
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा	15/11/2016
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी	20/02/2017
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह	20/02/2017
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ**	17/11/2023
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय	22/09/2017
14.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत बनर्जी	22/09/2017
15.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान	22/09/2017
16.	माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली	22/09/2017
17.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव	22/09/2017
18.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. जे. मुनीर	22/09/2017
19.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता	22/09/2017
20.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ	22/09/2017
21.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार	22/09/2017

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
22.	माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार	22/09/2017
23.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन	22/09/2017
24.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र	22/09/2017
25.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट	22/09/2017
26.	माननीय न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी	22/09/2017
27.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज***	24/07/2023
28.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया	22/11/2018
29.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर	22/11/2018
30.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया	22/11/2018
31.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया	22/11/2018
32.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा	22/11/2018
33.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह	22/11/2018
34.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल	22/11/2018
35.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी	22/11/2018
36.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह	22/11/2018
37.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह	22/11/2018
38.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान	22/11/2018
39.	माननीय न्यायमूर्ति श्री करूणेश सिंह पवार	22/11/2018
40.	माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	22/11/2018
41.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर	22/11/2018
42.	माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल	22/11/2018
43.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मु० फैज आलम खाँ	22/11/2018
44.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजबीर सिंह	22/11/2018
45.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन चन्द्र दीक्षित	12/12/2019
46.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव	12/12/2019
47.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा	12/12/2019
48.	माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 गौतम चौधरी	12/12/2019
49.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक	12/12/2019
50.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार	12/12/2019
51.	माननीय न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल	12/12/2019
52.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश****	24/07/2023
53.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी	16/09/2020

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
54.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	16/09/2020
55.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–I	25/03/2021
56.	माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय	13/10/2021
57.	माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल	13/10/2021
58.	माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन	13/10/2021
59.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव	13/10/2021
60.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी	13/10/2021
61.	माननीय न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह	13/10/2021
62.	माननीय न्यायमूर्ति श्री श्रीप्रकाश सिंह	13/10/2021
63.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार	13/10/2021
64.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान	27/10/2021
65.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव	03/08/2022
66.	माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला	03/08/2022
67.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद अजहर हुसेन इदरीसी	15/08/2022
68.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र	15/08/2022
69.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह–I	15/08/2022
70.	माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव	15/08/2022
71.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सैय्यद कमर हसन रिजवी	07/02/2023
72.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार निगम	07/02/2023
73.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता	07/02/2023
74.	माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला	07/02/2023
75.	माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र	07/02/2023
76.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर	07/02/2023
77.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार	27/02/2023
78.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल	27/02/2023
79.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार सिंह देशवाल	27/02/2023

* माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली ने 05/02/2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया।

** माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ ने 21/09/2017 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 17/11/2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

*** माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज ने 29/10/2018 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 24/07/2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

**** माननीय न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश ने 13/01/2020 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 24/07/2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की, और 17/10/2025 को उनका पुनः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्ति का नाम	मूल उच्च न्यायालय	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति की तिथि
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली (मुख्य न्यायमूर्ति)	राजस्थान	05/02/2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिन्हें 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर पदोन्नत किया गया

01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी भी माननीय न्यायमूर्ति को किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त नहीं किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिनकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नई नियुक्ति 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान हुई

01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किसी भी माननीय न्यायमूर्ति की कोई नवीन नियुक्ति नहीं हुई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिन्हें 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया गया

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्ति का नाम	जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुआ है, उसका नाम	अन्य उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण की तिथि
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शमीम अहमद	मद्रास उच्च न्यायालय	30/09/2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिन्होंने 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान (सेवानिवृत्ति के कारण) अपना पद छोड़ा

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह सांगवान	22/12/2024
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राहुल चतुर्वेदी	29/06/2024
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी	19/10/2024
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर)	15/05/2024
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी	13/04/2024
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रेणु अग्रवाल	21/06/2024

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
7.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती ज्योत्सना शर्मा	16/05/2024
8.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन	03/11/2024
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव शंकर प्रसाद	14/07/2024
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र कुमार	05/05/2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्ति का नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
1.	**माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली (मुख्य न्यायमूर्ति)***	**05/02/2024**

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता	12/04/2013
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी	27/09/2013
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा**	07/04/2025
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय	03/02/2014
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवन्त वर्मा	13/10/2014
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन***	11/11/2025
7.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा	15/11/2016
8.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा	15/11/2016
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह	20/02/2017
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ #	17/11/2023
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय	22/09/2017
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान	22/09/2017
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली	22/09/2017
14.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव	22/09/2017
15.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. जे. मुनीर	22/09/2017
16.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता	22/09/2017
17.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ	22/09/2017
18.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार	22/09/2017
19.	माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार	22/09/2017

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
20.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन	22/09/2017
21.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र	22/09/2017
22.	माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र धारी सिंह	22/09/2017
23.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट	22/09/2017
24.	माननीय न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी	22/09/2017
25.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज ##	24/07/2023
26.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया	22/11/2018
27.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर	22/11/2018
28.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया	22/11/2018
29.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया	22/11/2018
30.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा	22/11/2018
31.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल	22/11/2018
32.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी	22/11/2018
33.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह	22/11/2018
34.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह	22/11/2018
35.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान	22/11/2018
36.	माननीय न्यायमूर्ति श्री करूणेश सिंह पवार	22/11/2018
37.	माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	22/11/2018
38.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर	22/11/2018
39.	माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल	22/11/2018
40.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजबीर सिंह	22/11/2018
41.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव	12/12/2019
42.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा	12/12/2019
43.	माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 गौतम चौधरी	12/12/2019
44.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक	12/12/2019
45.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार	12/12/2019
46.	माननीय न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल	12/12/2019
47.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी	16/09/2020
48.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	16/09/2020
49.	माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय	13/10/2021
50.	माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल	13/10/2021
51.	माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन	13/10/2021

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
52.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव	13/10/2021
53.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी	13/10/2021
54.	माननीय न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह	13/10/2021
55.	माननीय न्यायमूर्ति श्री श्रीप्रकाश सिंह	13/10/2021
56.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार	13/10/2021
57.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान	27/10/2021
58.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव	03/08/2022
59.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र	15/08/2022
60.	माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव	15/08/2022
61.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सैय्यद कमर हसन रिजवी	07/02/2023
62.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार निगम	07/02/2023
63.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता	07/02/2023
64.	माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला	07/02/2023
65.	माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र	07/02/2023
66.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर	07/02/2023
67.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार	27/02/2023
68.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल	27/02/2023
69.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार सिंह देशवाल	27/02/2023
70.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि	27/01/2025
71.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	18/04/2025
72.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार–X	18/04/2025
73.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन	18/04/2025
74.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश सक्सेना	18/04/2025
75.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन पाल सिंह	18/04/2025
76.	माननीय न्यायमूर्ति श्री हरवीर सिंह	18/04/2025
77.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	07/08/2025
78.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद	07/08/2025
79.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संतोष राय	07/08/2025
80.	माननीय न्यायमूर्ति श्री तेज प्रताप तिवारी	07/08/2025
81.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जफीर अहमद	07/08/2025
82.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार	03/09/2025
83.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ कुमार राय	08/09/2025
84.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ला	08/09/2025

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
85.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन	27/09/2025
86.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह	27/09/2025
87.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद	27/09/2025
88.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान	27/09/2025
89.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अबधेश कुमार चौधरी	27/09/2025
90.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी	27/09/2025
91.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नन्दन	27/09/2025
92.	माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह	27/09/2025
93.	माननीय न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत शुक्ला	27/09/2025
94.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह	27/09/2025
95.	माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 अजय कुमार–II	27/09/2025
96.	माननीय न्यायमूर्ति श्री चवन प्रकाश	27/09/2025
97.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दिवेश चंद्र सामंत	27/09/2025
98.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा–I	27/09/2025
99.	माननीय न्यायमूर्ति श्री तरूण सक्सेना	27/09/2025
100.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती	27/09/2025
101.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पद्म नारायन मिश्र	27/09/2025
102.	माननीय न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ल	27/09/2025
103.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जय प्रकाश तिवारी	27/09/2025
104.	माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह–I	27/09/2025
105.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार	27/09/2025
106.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल	27/09/2025
107.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अचल सचदेव	27/09/2025
108.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी	27/09/2025
109.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी	17/10/2025

* माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली ने 05/02/2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया।

** माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा ने 30/10/2013 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 07/04/2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

*** माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन ने 07/04/2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 11/11/2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ ने 21/09/2017 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 17/11/2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज ने 29/10/2018 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर शपथ ग्रहण किया। स्थानांतरण के उपरांत, माननीय न्यायमूर्ति ने 24/07/2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जो 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान अन्य उच्च न्यायालयों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शामिल हुए

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	मूल उच्च न्यायालय / यहाँ से स्थानांतरित	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा	कलकत्ता	07/04/2025
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवन्त वर्मा*	इलाहाबाद / दिल्ली	05/04/2025
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन	मध्य प्रदेश	11/11/2025
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र धारी सिंह**	इलाहाबाद / दिल्ली	07/04/2025

* माननीय न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा ने प्रारम्भ में 13/10/2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के पश्चात, उन्होंने 11/10/2021 से 04/04/2025 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात, पुनः स्थानांतरण होने पर, माननीय न्यायमूर्ति ने 05/04/2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

** माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह ने प्रारम्भ में 22/09/2017 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के पश्चात, उन्होंने 11/10/2021 से 06/04/2025 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात, पुनः स्थानांतरण होने पर, माननीय न्यायमूर्ति ने 07/04/2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिन्हें 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान अन्य उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया

01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किसी भी माननीय न्यायमूर्ति की कोई नवीन नियुक्ति नहीं हुई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिनकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नई नियुक्ति दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान हुई

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि	27/01/2025
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	18/04/2025
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार–X	18/04/2025
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन	18/04/2025
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश सक्सेना	18/04/2025

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन पाल सिंह	18/04/2025
7.	माननीय न्यायमूर्ति श्री हरवीर सिंह	18/04/2025
8.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	07/08/2025
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद	07/08/2025
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संतोष राय	07/08/2025
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री तेज प्रताप तिवारी	07/08/2025
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जफीर अहमद	07/08/2025
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार	03/09/2025
14.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ कुमार राय	08/09/2025
15.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ला	08/09/2025
16.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन	27/09/2025
17.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह	27/09/2025
18.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद	27/09/2025
19.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान	27/09/2025
20.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अबधेश कुमार चौधरी	27/09/2025
21.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी	27/09/2025
22.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नन्दन	27/09/2025
23.	माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह	27/09/2025
24.	माननीय न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत शुक्ला	27/09/2025
25.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह	27/09/2025
26.	माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 अजय कुमार–II	27/09/2025
27.	माननीय न्यायमूर्ति श्री चवन प्रकाश	27/09/2025
28.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दिवेश चंद्र सामंत	27/09/2025
29.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा–I	27/09/2025
30.	माननीय न्यायमूर्ति श्री तरूण सक्सेना	27/09/2025
31.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती	27/09/2025
32.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पद्म नारायन मिश्र	27/09/2025
33.	माननीय न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ल	27/09/2025
34.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जय प्रकाश तिवारी	27/09/2025
35.	माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह–I	27/09/2025
36.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार	27/09/2025

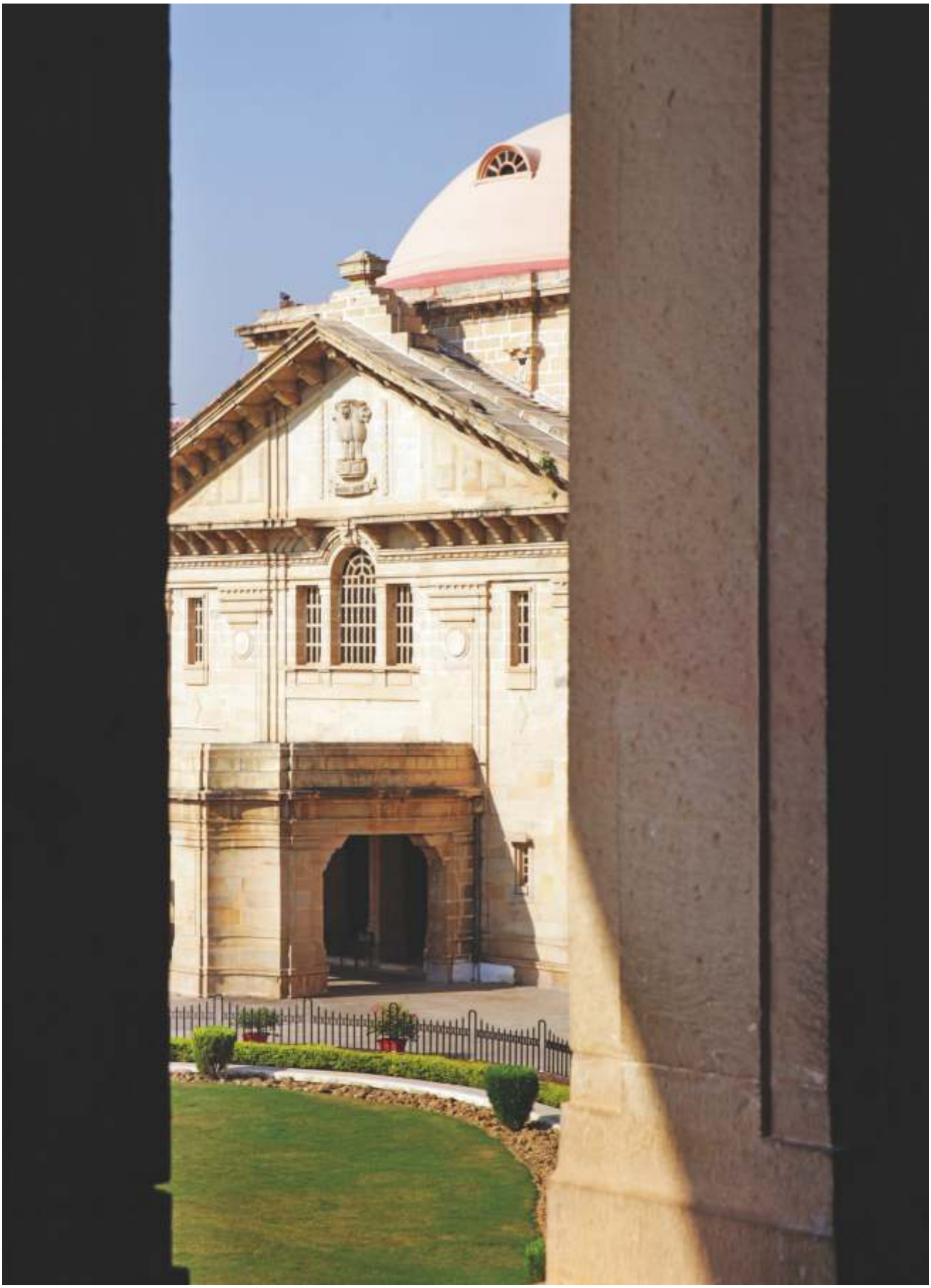
क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
37.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल	27/09/2025
38.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अचल सचदेव	27/09/2025
39.	माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी	27/09/2025
40.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी	17/10/2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिनका स्थानांतरण 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान अन्य उच्च न्यायालयों में किया गया

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुआ है, उसका नाम	अन्य उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण की तिथि
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	21/07/2025
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी	दिल्ली उच्च न्यायालय	21/07/2025
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत बनर्जी	कर्नाटक उच्च न्यायालय	19/07/2025
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह	पटना उच्च न्यायालय	30/10/2025
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	17/10/2025
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला	दिल्ली उच्च न्यायालय	21/07/2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों की सूची, जिन्होंने 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान (सेवानिवृत्ति के कारण) अपना पद छोड़ा

क्रम संख्या	माननीय न्यायमूर्तियों के नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि (वरिष्ठता क्रम में)
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र	16/05/2025
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला	17/09/2025
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी	02/08/2025
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मु० फैज आलम खाँ	25/01/2025
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन चन्द्र दीक्षित	30/06/2025
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–I	31/05/2025
7.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद अजहर हुसेन इदरीसी	29/06/2025
8.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह–I	06/01/2025



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज के वर्ष 2024 के समस्त सिविल मामलों का निस्तारण

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
1.	ए227	मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	सिविल	13299	165	13464
2.	एआरबीटी	सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लिकेशन	सिविल	11		11
3.	एआरसीओ	आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलि. एप्लि. यू/स 11(4)	सिविल	52		52
4.	एआरपीएल	अपील अन्डर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलीऐशन ऐक्ट 1996	सिविल	90	8	98
5.	एआरपीएलडी	अपील अन्डर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलीऐशन ऐक्ट 1996 डिफेक्टिव	सिविल	112	1	113
6.	सीएपीएल	कंटेम्प्ट एप्लिकेशन (सिविल)	सिविल	4833	219	5052
7.	सीईआरई	सेंट्रल एक्साइज रेफरेंस	सिविल		1	1
8.	सीईएक्सए	सेंट्रल एक्साइज अपील	सिविल	7	59	66
9.	सीईएक्सएडी	सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	सिविल	4	8	12
10.	सीएलआरई	सिविल रीविजन	सिविल	65	27	92
11.	सीएलआरईडी	सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	17	2	19
12.	सीएमआरए	सिविल मिस. रिव्यू एप्लिकेशन	सिविल	352		352
13.	सीओएमए	कंपनी अपील	सिविल	1	1	2
14.	सीओएनए	कंटेम्प्ट अपील	सिविल	7	2	9
15.	सीओएनएडी	कंटेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	1		1
16.	सीओपीपी	कंपनी पिटीशन	सिविल		15	15
17.	सीयूएसए	कस्टम्स अपील	सिविल	14	2	16
18.	ईएलईपी	इलेक्शन पिटीशन	सिविल	8		8
19.	एफएएफओ	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	सिविल	296	1301	1597
20.	एफएएफओडी	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	सिविल	73	116	189
21.	एफएपीएल	फर्स्ट अपील	सिविल	328	718	1046
22.	एफएपीएलडी	फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	129	26	155
23.	आईएपीएल	इनकम टैक्स अपील	सिविल	42	58	100
24.	आईएपीएलडी	इनकम टैक्स अपील डिफेक्टिव	सिविल	5		5
25.	रेरा	रेरा अपील	सिविल	3		3
26.	आरईआरएडी	रेरा अपील डिफेक्टिव	सिविल	2	1	3
27.	एसएएमसी	सेकंड अपील मिस. केसेस	सिविल	1		1
28.	एसएपीएल	सेकंड अपील	सिविल	159	240	399

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
29.	एसएपीएलडी	सेकंड अपील डिफेक्टिव	सिविल	23	16	39
30.	एससीसीआर	एस.सी.सी. रिवीजन	सिविल	117	22	139
31.	एससीसीआरडी	एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	11	6	17
32.	एसपीएलए	स्पेशल अपील	सिविल	730	34	764
33.	एसपीएलएडी	स्पेशल अपील डिफेक्टिव	सिविल	250	4	254
34.	एसटीआरई	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	सिविल	46	38	84
35.	एसटीआरईडी	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	2		2
36.	टीएसीएल	ट्रांसफर एप्लिकेशन (सिविल)	सिविल	199		199
37.	टेस्ट	टेस्टामेंटरी केस	सिविल	39	1	40
38.	डब्ल्यूपीआईएल	रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	सिविल	2695	34	2729
39.	डब्ल्यूआरआईए	रिट – ए	सिविल	11377	1328	12705
40.	डब्ल्यूआरआईबी	रिट – बी	सिविल	2450	508	2958
41.	डब्ल्यूआरआईसी	रिट – सी	सिविल	31344	1466	32810
42.	डब्ल्यूटैक्स	रिट टैक्स	सिविल	1615	43	1658
		टोटल सिविल		**70809**	**6470**	**77279**



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज के वर्ष 2024 के समस्त क्रिमिनल मामलों का निस्तारण

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
1.	ए340	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 340 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	4		4
2.	ए372	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 372	क्रिमिनल		3	3
3.	ए378	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378	क्रिमिनल	30	3	33
4.	ए378डी	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	क्रिमिनल	8	1	9
5.	ए389	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 389(2)	क्रिमिनल	2		2
6.	ए482	एप्लिकेशन यू/एस 482	क्रिमिनल	24493	2623	27116
7.	ए483	एप्लिकेशन यू/एस 483	क्रिमिनल	2358		2358
8.	एबेल	क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन यू/एस 438 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	11862	92	11954
9.	एबेलसी	एबेलसी	क्रिमिनल	54		54
10.	बेल	क्रिमिनल मिस. बेल एप्लिकेशन	क्रिमिनल	48996	115	49111
11.	बेलसी	क्रिमिनल मिस. बेल कैंसिलेशन एप्लिकेशन	क्रिमिनल	481	78	559
12.	सी372	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	99	8	107
13.	सी372डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पी.सी. डिफेक्टिव	क्रिमिनल	3		3
14.	सी378	क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	2	1	3
15.	कैप्ट	कैपिटल केसेस	क्रिमिनल	13		13
16.	सीआरसीएल	कंटेम्प्ट एप्लिकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	11		11
17.	सीआरएलए	क्रिमिनल अपील	क्रिमिनल	3349	874	4223
18.	सीआरएलएडी	क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	13		13
19.	सीआरएलपी	क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	क्रिमिनल	16321	47	16368
20.	सीआरएलआर	क्रिमिनल रिवीजन	क्रिमिनल	2254	144	2398
21.	सीआरएलआरडी	क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	क्रिमिनल	310	12	322
22.	सीआरपीआईएल	क्रिमिनल रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	क्रिमिनल	5		5
23.	सीआरआरए	क्रिमिनल मिस. रिव्यू एप्लिकेशन	क्रिमिनल	12		12
24.	जीओवीए	गवर्नमेंट अपील	क्रिमिनल	205	130	335
25.	जीओवीएडी	गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	3	35	38
26.	एचएबीसी	हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	क्रिमिनल	912	6	918
27.	जीएपीएल	जेल अपील	क्रिमिनल	9	10	19
28.	जीएपीएलडी	जेल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	11		11
29.	एनए528	एप्लिकेशन यू/एस 528 बीएनएसएस	क्रिमिनल	142		142

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
30.	एनए529	एप्लिकेशन यू/एस 529 बीएनएसएस	क्रिमिनल	48		48
31.	एनएबेल	क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	क्रिमिनल	625		625
32.	टीएसीआर	ट्रांसफर एप्लिकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	460	1	461
		टोटल क्रिमिनल		**113095**	**4183**	**117278**
		ग्रैंड टोटल (सिविल + क्रिमिनल)		**183904**	**10653**	**194557**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज के वर्ष 2025 के समस्त सिविल मामलों का निस्तारण

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
1.	ए227	मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	सिविल	12469	213	12682
2.	एआरबीटी	सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन	सिविल	10		10
3.	एआरसीओ	आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एप्लीकेशन यू/एस 11(4)	सिविल	200	1	201
4.	एआरपीएल	अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996	सिविल	50	4	54
5.	एआरपीएलडी	अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डिफेक्टिव	सिविल	53		53
6.	सीएपीएल	कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल)	सिविल	4262	117	4379
7.	सीईएक्सए	सेंट्रल एक्साइज अपील	सिविल	8	6	14
8.	सीईएक्सएडी	सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	सिविल	1	4	5
9.	सीएलआरई	सिविल रिवीजन	सिविल	40	13	53
10.	सीएलआरईडी	सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	18	1	19
11.	सीएमआरए	सिविल मिस. रिव्यू एप्लीकेशन	सिविल	268	1	269
12.	सीएलआरएडी	सिविल मिस. रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव	सिविल	63		63
13.	सीओएमए	कंपनी अपील	सिविल	1		1
14.	सीओएमएडी	कंपनी अपील डिफेक्टिव	सिविल	1		1
15.	सीओएमपी	कंपनी एप्लीकेशन	सिविल		1	1
16.	सीओएनए	कॉन्टेम्प्ट अपील	सिविल	1	5	6
17.	सीओएनएडी	कॉन्टेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	2		2
18.	सीओपीएल	कमर्शियल अपील	सिविल	19		19
19.	सीओपीएलडी	कमर्शियल अपील डिफेक्टिव	सिविल	4		4
20.	सीओपीपी	कंपनी पिटीशन	सिविल		1	1
21.	सीआरओबी	क्रॉस ऑब्जेक्शन	सिविल	4		4

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
22.	सीयूएसए	कस्टम्स अपील	सिविल	1	3	4
23.	ईएलईपी	इलेक्शन पिटीशन	सिविल	5		5
24.	एफएएफओ	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	सिविल	416	1441	1857
25.	एफएएफओडी	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	सिविल	117	153	270
26.	एफएपीएल	फर्स्ट अपील	सिविल	166	740	906
27.	एफएपीएलडी	फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	112	29	141
28.	आईएपीएल	इनकम टैक्स अपील	सिविल	21	24	45
29.	आईएपीएलडी	इनकम टैक्स अपील डिफेक्टिव	सिविल	16		16
30.	रेरा	रेरा अपील	सिविल	2		2
31.	एसएपीएल	सेकंड अपील	सिविल	87	2322	2409
32.	एसएपीएलडी	सेकंड अपील डिफेक्टिव	सिविल	5	2	7
33.	एससीसीआर	एस.सी.सी. रिवीजन	सिविल	80	30	110
34.	एससीसीआरडी	एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	11	8	19
35.	एसपीएलए	स्पेशल अपील	सिविल	884	525	1409
36.	एसपीएलएडी	स्पेशल अपील डिफेक्टिव	सिविल	190	160	350
37.	एसटीआरई	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	सिविल	194	175	369
38.	एसटीआरईडी	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	10	2	12
39.	टीएसीएल	ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	सिविल	417	1	418
40.	टेस्ट	टेस्टामेंटरी केस	सिविल	39	1	40
41.	टीईएसयू	टेस्टामेंटरी सूट	सिविल		2	2
42.	डब्ल्यूपीआईएल	रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	सिविल	1388	336	1724
43.	डब्ल्यूक्यूपीएल	वक्फ अपील	सिविल	3		3
44.	डब्ल्यूक्यूपीएलडी	वक्फ अपील डिफेक्टिव	सिविल	1		1
45.	डब्ल्यूआरआईए	रिट – ए	सिविल	14927	2579	17506
46.	डब्ल्यूआरआईबी	रिट – बी	सिविल	2094	1295	3389
47.	डब्ल्यूआरआईसी	रिट – सी	सिविल	39587	5249	44836
48.	डब्ल्यूटैक्स	रिट टैक्स	सिविल	5978	29	6007
		टोटल सिविल		**84225**	**15473**	**99698**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज के वर्ष 2025 के समस्त क्रिमिनल मामलों का निस्तारण

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
1.	ए340	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 340 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	1		1
2.	ए372	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 372	क्रिमिनल		2	2
3.	ए378	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378	क्रिमिनल	14		14
4.	ए378डी	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	क्रिमिनल	7		7
5.	ए389	क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 389(2)	क्रिमिनल	1		1
6.	ए482	एप्लिकेशन यू/एस 482	क्रिमिनल	11915	3621	15536
7.	ए483	एप्लिकेशन यू/एस 483	क्रिमिनल	386		386
8.	एबेल	क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन यू/एस 438 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	3034	8	3042
9.	एबेलसी	एबेलसी	क्रिमिनल	145		145
10.	बेल	क्रिमिनल मिस. बेल एप्लिकेशन	क्रिमिनल	46065	46	46111
11.	बेलसी	क्रिमिनल मिस. बेल कैंसलेशन एप्ली.	क्रिमिनल	388	19	407
12.	सी14ए1	अपील अगेंस्ट एक्विटल इन एससी/एसटी एक्ट	क्रिमिनल	6		6
13.	सी14ए1डी	अपील अगेंस्ट एक्विटल इन एससी/एसटी एक्ट डिफेक्टिव	क्रिमिनल	1		1
14.	सी372	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी.	क्रिमिनल	34	6	40
15.	सी372डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी डिफेक्टिव	क्रिमिनल	3		3
16.	सी378	क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पीसी.	क्रिमिनल	1	1	2
17.	सीएपीटी	कैपिटल केसेस	क्रिमिनल	5	2	7
18.	सीआरसीएल	कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	8	1	9
19.	सीआरएलए	क्रिमिनल अपील	क्रिमिनल	3052	1747	4799
20.	सीआरएलएडी	क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	21		21
21.	सीआरएलपी	क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	क्रिमिनल	18362	36	18398
22.	सीआरएलआर	क्रिमिनल रिवीजन	क्रिमिनल	5606	250	5856
23.	सीआरएलआरडी	क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	क्रिमिनल	439	10	449
24.	सीआरपीआईएल	क्रिमिनल रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	क्रिमिनल	5	1	6
25.	सीआरआरए	क्रिमिनल मिस. रिव्यू एप्लीकेशन	क्रिमिनल	9		9
26.	सीआरआरएडी	क्रिमिनल मिस. रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव	क्रिमिनल	5		5
27.	जीओवीए	गवर्नमेंट अपील	क्रिमिनल	112	72	184
28.	जीओवीएडी	गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	9	32	41
29.	एचएबीसी	हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	क्रिमिनल	1226	3	1229

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	ग्रैंड टोटल
30.	जेएपीएल	जेल अपील	क्रिमिनल	25	10	35
31.	जेएपीएलडी	जेल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	19		19
32.	एनए379	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 379 बीएनएसएस	क्रिमिनल	6		6
33.	एनए419	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस	क्रिमिनल	28		28
34.	एनए419डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस डिफेक्टिव	क्रिमिनल	5		5
35.	एनए430	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 430(2) बीएनएसएस	क्रिमिनल	5		5
36.	एनए528	एप्लीकेशन यू/एस 528 बीएनएसएस	क्रिमिनल	18220		18220
37.	एनए529	एप्लीकेशन यू/एस 529 बीएनएसएस	क्रिमिनल	4315		4315
38.	एनएबेल	क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	क्रिमिनल	9134		9134
39.	एनसी413	क्रिमिनल अपील यू/एस 413 बीएनएसएस	क्रिमिनल	71		71
40.	एनसी413डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 413 बीएनएसएस डिफेक्टिव	क्रिमिनल	5		5
41.	टीएसीआर	ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	961	5	966
		टोटल क्रिमिनल		123654	5872	129526
		ग्रैंड टोटल (सिविल, क्रिमिनल)		**207879**	**21345**	**229224**

लखनऊ खंडपीठ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के वर्ष 2024 के समस्त मामलों का निस्तारण

टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	टोटल डिस्पोजल
ए227–मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	6172	161	6333
ए378–सीआरएल. मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378	14	66	80
ए378डी–सीआरएल. मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	11	3	14
ए482–एप्लीकेशन यू/एस 482	9190	1966	11156
ए483–एप्लीकेशन यू/एस 483	897		897
एबेल–एंटिसिपेटरी बेल	2854		2854
एबेलसी–क्रिमिनल मिस एंटिसिपेटरी बेल कैंसलेशन एप्लीकेशन	2		2
एआरबीटी–सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन	63		63
एआरसीओ–आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एप्ली. यू/एस 11(4)	3		3
एआरपीएल–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट	25		25
एआरपीएलडी–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डिफेक्टिव	4		4
बेल–क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन	15850	1	15851
बेलसी–क्रिमिनल मिस. बेल कैंसलेशन एप्ली.	130	2	132
सी372–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी.	19		19
सी372डी–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी. डिफेक्टिव	5		5
सी378– क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पीसी.		1	1
सीएपीएल–कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल)	4654	1735	6389
सीएपीटी–कैपिटल केसेस	1		1
सीईएक्सए–सेंट्रल एक्साइज अपील	3	3	6
सीईएक्सएडी–सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	12	6	18
सीएलआरई–सिविल रिवीजन	54	38	92
सीएलआरईडी–सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	3	3	6
सीएमआरए–सिविल मिस रिव्यू एप्लीकेशन	129		129
सीएमआरएडी–सिविल मिस रिव्यू एप्ली. डिफेक्टिव	158		158
सीओएमएडी–कंपनी अपील डिफेक्टिव		1	1
सीओएमपी–कंपनी एप्लीकेशन		1	1
सीओएनए–कॉन्टेम्प्ट अपील	7	1	8
सीओएनएडी–कॉन्टेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	1		1
सीओपीपी–कंपनी पिटीशन		1	1
सीआरसीएल–कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	3	22	25

टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	टोटल डिस्पोजल
सीआरएलए–क्रिमिनल अपील	1689	1536	3225
सीआरएलएडी–क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	21	3	24
सीआरएलपी–क्रिमिनल मिस. रिट पेटिशन	11080	1018	12098
सीआरएलआर–क्रिमिनल रिवीजन	677	89	766
सीआरएलआरडी–क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	130	10	140
सीआरओबी–क्रॉस ऑब्जेक्शन	2	7	9
सीआरपीआईएल–क्रिमिनल रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	4	6	10
सीआरआरए–क्रिमिनल रिव्यू एप्लीकेशन	10		10
सीआरआरएडी–क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्ली. डिफेक्टिव	6		6
ईएलईपी–इलेक्शन पिटीशन	6		6
एफएएफओ–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	118	456	574
एफएएफओडी–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	30	101	131
एफएपीएल–फर्स्ट अपील	93	139	232
एफएपीएलडी–फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	27	69	96
जीओवीए–गवर्नमेंट अपील	6	71	77
जीओवीएडी–गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	5	1	6
एचएबीसी–हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	442	13	455
आईएपीएल–इनकम टैक्स अपील		3	3
जेएपीएल–जेल अपील4	3	7	
जेएपीएलडी–जेल अपील डिफेक्टिव	4		4
एनए528–एप्लीकेशन यू/एस 528 बीएनएसएस	99		99
एनए529–एप्लीकेशन यू/एस 529 बीएनएसएस	8		8
एनएबेल–क्रिमिनल मिस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	145		145
रेरा–रेरा अपील 23	7	30	
रेराडी–रेरा अपील डिफेक्टिव	20	4	24
एसएपीएल–सेकंड अपील	67	442	509
एसएपीएलडी–सेकंड अपील डिफेक्टिव	22	29	51
एससीसीआर–एस.सी.सी. रिवीजन	19	17	36
एससीसीआरडी–एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	5	3	8
एसपीएलए–स्पेशल अपील	258	95	353
एसपीएलएडी–स्पेशल अपील डिफेक्टिव	363	33	396
एसटीआरई–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	32	67	99
एसटीआरईडी–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	14	6	20
टीएसीएल–ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	508		508
टीएसीआर–ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	83		83

टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	टोटल डिस्पोजल
टेस्ट–टेस्टामेंटरी केस 1		1	
डब्ल्यूपीआईएल–रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	961	116	1077
डब्ल्यूआरआईए–रिट – ए	8120	2037	10157
डब्ल्यूआरआईबी–रिट – बी	566	718	1284
डब्ल्यूआरआईसी–रिट – सी	8224	2118	10342
डब्ल्यूटैक्स–रिट टैक्स 211	1	212	
टोटल	**74367**	**13229**	**87596**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के वर्ष 2024 के समस्त मामलों का निस्तारण

टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	टोटल डिस्पोजल
ए227–मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	7309	318	7627
ए378–सीआरएल. मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378	11	13	24
ए378डी–सीआरएल. मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	20	4	24
ए482–एप्लीकेशन यू/एस 482	8100	2409	10509
ए483–एप्लीकेशन यू/एस 483	1176		1176
एबेल–एंटिसिपेटरी बेल	1607		1607
एबेलसी–क्रिमिनल मिस एंटिसिपेटरी बेल कैंसलेशन एप्लीकेशन	18		18
एआरबीटी–सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन	131	2	133
एआरसीओ–आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एप्ली. यू/एस 11(4)	10		10
एआरपीएल–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट	34	5	39
एआरपीएलडी–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डिफेक्टिव	5		5
बेल–क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन	13569	2	13571
बेलसी–क्रिमिनल मिस. बेल कैंसलेशन एप्ली.	200	7	207
सी372–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी.	19		19
सी372डी–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी. डिफेक्टिव	5		5
सीएपीएल–कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल)	3219	168	3387
सीएपीटी–कैपिटल केसेस	1		1
सीएलआरई–सिविल रिवीजन	86	67	153
सीएलआरईडी–सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	7	6	13
सीएमआरए–सिविल मिस रिव्यू एप्लीकेशन	124		124
सीएमआरएडी–सिविल मिस रिव्यू एप्ली. डिफेक्टिव	154		154

टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	टोटल डिस्पोजल
सीओएमए–कंपनी अपील		5	5
सीओएनए–कॉन्टेम्प्ट अपील	4	1	5
सीओएनएडी–कॉन्टेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	1		1
सीओपीपी–कंपनी पिटीशन		4	4
सीआरसीएल–कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	7	5	12
सीआरईएफ–क्रिमिनल रिफरेंस	1		1
सीआरएलए–क्रिमिनल अपील	1104	445	1549
सीआरएलएडी–क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	12	5	17
सीआरएलपी–क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	10293	116	10409
सीआरएलआर–क्रिमिनल रिवीजन	715	88	803
सीआरएलआरडी–क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	160	4	164
सीआरओबी–क्रॉस ऑब्जेक्शन		6	6
सीआरपीआईएल–क्रिमिनल रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	3	3	6
सीआरआरए–क्रिमिनल रिव्यू एप्लीकेशन	10		10
सीआरआरएडी–क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्ली. डिफेक्टिव	4		4
सीयूएसए–कस्टम्स अपील	4		4
ईएलईपी–इलेक्शन पिटीशन	1		1
एफएएफओ–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	123	715	838
एफएएफओडी–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	31	240	271
एफएपीएल–फर्स्ट अपील	102	33	135
एफएपीएलडी–फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	87	17	104
जीओवीए–गवर्नमेंट अपील	4	19	23
जीओवीएडी–गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	2		2
एचएबीसी–हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	429	16	445
आईएपीएल–इनकम टैक्स अपील	1	3	4
जेएपीएल–जेल अपील1		1	
जेएपीएलडी–जेल अपील डिफेक्टिव	1		1
एनए528–एप्लीकेशन यूध्एस 528 बीएनएसएस	1387		1387
एनए529–एप्लीकेशन यूध्एस 529 बीएनएसएस	96		96
एनएबेल–क्रिमिनल मिस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	1732		1732
पीआरएससी–प्रोबेट केस	1		1
रेरा–रेरा अपील	297	1	298
रेराडी–रेरा अपील डिफेक्टिव	25		25
एसएपीएल–सेकंड अपील	64	555	619

टाइप	अपटू 5 इयर्स	मोर दैन 5 इयर्स	टोटल डिस्पोजल
एसएपीएलडी–सेकंड अपील डिफेक्टिव	10	101	111
एससीसीआर–एस.सी.सी. रिवीजन	48	27	75
एससीसीआरडी–एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	30	2	32
एसपीएलए–स्पेशल अपील	403	99	502
एसपीएलएडी–स्पेशल अपील डिफेक्टिव	358	68	426
एसटीआरई–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	4	29	33
एसटीआरईडी–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	2	2	4
टीएसीएल–ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	312	2	314
टीएसीआर–ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	151	10	161
डब्ल्यूपीआईएल–रिट – पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	992	95	1087
डब्ल्यूआरआईए–रिट – ए	12926	3296	16222
डब्ल्यूआरआईबी–रिट – बी	612	418	1030
डब्ल्यूआरआईसी–रिट – सी	9783	1057	10840
डब्ल्यूटैक्स–रिट टैक्स	1301		1301
टोटल	**79439**	**10488**	**89927**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज में मामलों का निस्तारण

वर्ष 2024 के सभी सिविल मामलों की सारांश रिपोर्ट

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
1.	ए227	मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	सिविल	18274	16358	13464	21168
2.	ए228	मैटर्स अंडर आर्टिकल 228	सिविल	1	0	0	1
3.	एआरबीटी	सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन	सिविल	26	13	11	28
4.	एआरसीओ	आर्बिट्रेशन एण्ड कंसिलिएशन एप्ली. यू/स 11(4)	सिविल	239	193	52	380
5.	एआरपीएल	अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एण्ड कंसिलिएशन एक्ट 1996	सिविल	1540	486	98	1928
6.	एआरपीएलडी	अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डिफेक्टिव	सिविल	390	241	113	518
7.	सीएपीएल	कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल)	सिविल	18001	8014	5052	20963
8.	सीईआरई	सेंट्रल एक्साइज रेफरेंस	सिविल	3	0	1	2
9.	सीईएक्सए	सेंट्रल एक्साइज अपील	सिविल	352	20	66	306

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
10.	सीईएक्सएडी	सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	सिविल	111	3	12	102
11.	सीएलआरई	सिविल रिवीजन	सिविल	1386	219	92	1513
12.	सीएलआरईडी	सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	240	77	19	298
13.	सीएमआरए	सिविल मिस रिव्यू एप्लीकेशन	सिविल	710	573	352	931
14.	सीओएमए	कंपनी अपील	सिविल	8	2	2	8
15.	सीओएमएडी	कंपनी अपील डिफेक्टिव	सिविल	2	1	0	3
16.	सीओएमपी	कंपनी एप्लीकेशन	सिविल	15	0	0	15
17.	सीओएनए	कॉन्टेम्प्ट अपील	सिविल	10	8	9	9
18.	सीओएनएडी	कॉन्टेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	1	1	1	1
19.	सीओपीपी	कंपनी पिटीशन	सिविल	76	0	15	61
20.	सीओएसयू	कंपनी ओरिजिनल सूट	सिविल	3	0	0	3
21.	सीआरओबी	क्रॉस ऑब्जेक्शन	सिविल	623	83	0	706
22.	सीयूएसए	कस्टम्स अपील	सिविल	80	9	16	73
23.	सीयूएसएडी	कस्टम अपील डिफेक्टिव	सिविल	2	0	0	2
24.	ईएलईपी	इलेक्शन पिटीशन	सिविल	21	12	8	25
25.	एफएएफओ	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	सिविल	48490	2804	1597	49697
26.	एफएएफओडी	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	सिविल	10932	786	189	11529
27.	एफएपीएल	फर्स्ट अपील	सिविल	7290	1297	1046	7541
28.	एफएपीएलडी	फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	1315	412	155	1572
29.	एफईएक्सए	फॉरेन एक्सचेंज अपील	सिविल	1	0	0	1
30.	आईएपीएल	इनकम टैक्स अपील	सिविल	629	95	100	624
31.	आईएपीएलडी	इनकम टैक्स अपील डिफेक्टिव	सिविल	68	20	5	83
32.	आईटीआरई	इनकम टैक्स रेफरेंस	सिविल	2	0	0	2
33.	एमसीओए	मिस. कंपनी एप्लीकेशन	सिविल	7	0	0	7
34.	ओएसयूटी	ओरिजिनल सूट	सिविल	18	0	0	18
35.	आरईएफसी	रेफरेंस अगेंस्ट मिस. एक्ट्स	सिविल	2	1	0	3
36.	रेरा	रेरा अपील	सिविल	112	46	3	155
37.	आरईआरएडी	रेरा अपील डिफेक्टिव	सिविल	15	16	3	28
38.	एसएएफओ	सेकंड अपील फ्रॉम ऑर्डर	सिविल	3	0	0	3
39.	एसएएमसी	सेकंड अपील मिस. केसस	सिविल	5	0	1	4
40.	एसएपीएल	सेकंड अपील	सिविल	41478	1132	399	42211
41.	एसएपीएलडी	सेकंड अपील डिफेक्टिव	सिविल	2817	234	39	3012
42.	एससीसीआर	एस.सी.सी. रिवीजन	सिविल	802	192	139	855
43.	एससीसीआरडी	एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	407	49	17	439
44.	एसपीएलए	स्पेशल अपील	सिविल	2908	1127	764	3271

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
45.	एसपीएलएडी	स्पेशल अपील डिफेक्टिव	सिविल	1645	351	254	1742
46.	एसटीआरई	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	सिविल	2186	161	84	2263
47.	एसटीआरईडी	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	62	16	2	76
48.	टीएसीएल	ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	सिविल	1755	1038	199	2594
49.	टेस्ट	टेस्टामेंट्री केस	सिविल	280	74	40	314
50.	टीईएसयू	टेस्टामेंट्री सूट	सिविल	53	2	0	55
51.	डब्ल्यूपीआईएल	रिट– पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	सिविल	4118	2405	2729	3794
52.	डब्ल्यूआरआईए	रिट–ए	सिविल	97766	20842	12705	105903
53.	डब्ल्यूआरआईबी	रिट–बी	सिविल	54024	4982	2958	56048
54.	डब्ल्यूआरआईसी	रिट–सी	सिविल	117377	43663	32810	128230
55.	डब्ल्यू टैक्स	रिट टैक्स	सिविल	3020	2511	1658	3873
		टोटल सिविल		**441701**	**110569**	**77279**	**474991**

वर्ष 2024 के सभी क्रिमिनल मामलों की सारांश रिपोर्ट

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
1.	ए340	सीआरएल. मिस. एप्लीकेशन यू/एस 340 सीआर.पी.सी	क्रिमिनल	16	10	4	22
2.	ए372	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 372	क्रिमिनल	417	1	3	415
3.	ए372डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 372 डिफेक्टिव	क्रिमिनल	70	0	0	70
4.	ए378	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378	क्रिमिनल	686	272	33	925
5.	ए378डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	क्रिमिनल	243	36	9	270
6.	ए389	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 389(2)	क्रिमिनल	4	6	2	8
7.	ए482	एप्लीकेशन यू/एस 482	क्रिमिनल	161484	43894	27116	178262
8.	ए483	एप्लीकेशन यू/एस 483	क्रिमिनल	253	2427	2358	322

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
9.	एबेल	क्रिमिनल मिस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 438 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	3332	11297	11954	2675
10.	एबेलसी	एबेलसी	क्रिमिनल	0	196	54	142
11.	बेल	क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन	क्रिमिनल	13668	47612	49111	12169
12.	बेलसी	क्रिमिनल मिस. बेल कैंसिलेशन एप्ली.	क्रिमिनल	1158	593	559	1192
13.	सी14ए1	अपील अगेंस्ट एक्विटल इन एससी/एसटी एक्ट	क्रिमिनल	0	37	0	37
14.	सी372	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	4174	702	107	4769
15.	सी372डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पी.सी. डिफेक्टिव	क्रिमिनल	335	89	3	421
16.	सी378	क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	324	47	3	368
17.	सी378डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 378 डिफेक्टिव सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	6	0	0	6
18.	सीएपीटी	कैपिटल केसेस	क्रिमिनल	64	22	13	73
19.	सीआरसीएल	कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	32	20	11	41
20.	सीआरएलए	क्रिमिनल अपील	क्रिमिनल	149552	12917	4223	158246
21.	सीआरएलएडी	क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	549	107	13	643
22.	सीआरएलपी	क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	क्रिमिनल	21319	23986	16368	28937
23.	सीआरएलआर	क्रिमिनल रिवीजन	क्रिमिनल	35194	7524	2398	40320
24.	सीआरएल आरडी	क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	क्रिमिनल	5766	727	322	6171
25.	सीआरपीआई एल	क्रिमिनल रिट– पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	क्रिमिनल	102	9	5	106
26.	सीआरआरए	क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्लीकेशन	क्रिमिनल	18	21	12	27
27.	जीओवीए	गवर्नमेंट अपील	क्रिमिनल	13252	743	335	13660
28.	जीओवीएडी	गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	470	58	38	490
29.	एचएबीसी	हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	क्रिमिनल	1014	1043	918	1139
30.	जेएपीएल	जेल अपील	क्रिमिनल	2006	612	19	2599
31.	जेएपीएलडी	जेल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	26	36	11	51
32.	एनए379	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 379 बीएनएसएस		क्रिमिनल	0	1	0 1
33.	एनए413	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 413 बीएनएसएस		क्रिमिनल	0	1	0 1



क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
34.	एनए419	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	5	0	5
35.	एन419डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस डिफेक्टिव	क्रिमिनल	0	1	0	1
36.	एनए528	एप्लीकेशन यू/एस 528 बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	1003	142	861
37.	एनए529	एप्लीकेशन यू/एस 529 बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	69	48	21
38.	एनएबेल	क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	1107	625	482
39.	एनसी413	क्रिमिनल अपील यू/एस 413 बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	17	0	17
40.	एनसी419	क्रिमिनल अपील यू/एस 419 बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	11	0	11
41.	टीएसीआर	ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	1015	792	461	1346
		टोटल क्रिमिनल		**416549**	**158051**	**117278**	**457322**
		ग्रैंड टोटल (सिविल + क्रिमिनल)		**858250**	**268620**	**194557**	**932313**

वर्ष 2025 के सभी सिविल मामलों की सारांश रिपोर्ट

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
1.	ए227	मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	सिविल	21168	16431	12682	24917
2.	एआरबीटी	सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन	सिविल	28	13	10	31
3.	एआरसीओ	आर्बिट्रेशन एण्ड कंसिलिएशन एप्ली. यू/स 11(4)	सिविल	380	254	201	433
4.	एआरपीएल	अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एण्ड कंसिलिएशन एक्ट 1996	सिविल	1928	344	54	2218
5.	एआरपीएलडी	अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डिफेक्टिव	सिविल	518	157	53	622
6.	सीएपीएल	कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल)	सिविल	20963	7682	4379	24266
7.	सीईआरई	सेंट्रल एक्साइज रेफरेंस	सिविल	2	0	0	2
8.	सीईएक्सए	सेंट्रल एक्साइज अपील	सिविल	306	61	14	353
9.	सीईएक्सएडी	सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	सिविल	102	8	5	105
10.	सीएलआरई	सिविल रिवीजन	सिविल	1513	205	53	1665
11.	सीएलआरईडी	सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	298	109	19	388
12.	सीएमआरए	सिविल मिस रिव्यू एप्लीकेशन	सिविल	931	334	269	996
13.	सीएमआरएडी	सिविल मिस रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव	सिविल	0	224	63	161
14.	सीओएमए	कंपनी अपील	सिविल	8	0	1	7
15.	सीओएमएडी	कंपनी अपील डिफेक्टिव	सिविल	3	0	1	2
16.	सीओएमपी	कंपनी एप्लीकेशन	सिविल	15	0	1	14
17.	सीओएनए	कॉन्टेम्प्ट अपील	सिविल	9	1	6	4
18.	सीओएनएडी	कॉन्टेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	1	4	2	3
19.	सीओपीएल	कमर्शियल अपील	सिविल	0	34	19	15
20.	सीओपीएलडी	कमर्शियल अपील डिफेक्टिव	सिविल	0	8	4	4
21.	सीओपीपी	कंपनी पिटीशन	सिविल	61	0	1	60
22.	सीओएसयू	कंपनी ओरिजिनल सूट	सिविल	3	0	0	3
23.	सीआरओबी	क्रॉस ऑब्जेक्शन	सिविल	706	80	4	782
24.	सीयूएसए	कस्टम्स अपील	सिविल	73	10	4	79
25.	सीयूएसएडी	कस्टम अपील डिफेक्टिव	सिविल	2	5	0	7
26.	ईएलईपी	इलेक्शन पिटीशन	सिविल	25	2	5	22
27.	एफएएफओ	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	सिविल	49697	2854	1857	50694

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
28.	एफएएफओडी	फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	सिविल	11529	1282	270	12541
29.	एफएपीएल	फर्स्ट अपील	सिविल	7541	984	906	7619
30.	एफएपीएलडी	फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	सिविल	1572	1060	141	2491
31.	एफईएक्सए	फॉरेन एक्सचेंज अपील	सिविल	1	0	0	1
32.	आईएपीएल	इनकम टैक्स अपील	सिविल	624	172	45	751
33.	आईएपीएलडी	इनकम टैक्स अपील डिफेक्टिव	सिविल	83	61	16	128
34.	आईटीआरई	इनकम टैक्स रेफरेंस	सिविल	2	0	0	2
35.	एमसीओए	मिस. कंपनी एप्लीकेशन	सिविल	7	0	0	7
36.	ओएसयूटी	ओरिजिनल सूट	सिविल	18	1	0	19
37.	आरईएफसी	रेफरेंस अगेंस्ट मिस. एक्ट्स	सिविल	3	0	0	3
38.	रेरा	रेरा अपील	सिविल	155	9	2	162
39.	आरईआरएडी	रेरा अपील डिफेक्टिव	सिविल	28	10	0	38
40.	एसएएफओ	सेकंड अपील फ्रॉम ऑर्डर	सिविल	3	0	0	3
41.	एसएएमसी	सेकंड अपील मिस. केसस	सिविल	4	0	0	4
42.	एसएपीएल	सेकंड अपील	सिविल	42211	986	2409	40788
43.	एसएपीएलडी	सेकंड अपील डिफेक्टिव	सिविल	3012	268	7	3273
44.	एससीसीआर	एस.सी.सी. रिवीजन	सिविल	855	149	110	894
45.	एससीसी आरडी	एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	439	71	19	491
46.	एसपीएलए	स्पेशल अपील	सिविल	3271	1154	1409	3016
47.	एसपीएलएडी	स्पेशल अपील डिफेक्टिव	सिविल	1742	711	350	2103
48.	एसटीआरई	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	सिविल	2263	263	369	2157
49.	एसटीआरईडी	सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	सिविल	76	36	12	100
50.	टीएसीएल	ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	सिविल	2594	1064	418	3240
51.	टीईएपी	टेस्टामेंट्री एप्लीकेशन	सिविल	0	1	0	1
52.	टेस्ट	टेस्टामेंट्री केस	सिविल	314	60	40	334
53.	टीईएसयू	टेस्टामेंट्री सूट	सिविल	55	0	2	53
54.	डब्ल्यूपीआई एल	रिट– पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	सिविल	3794	4050	1724	6120
55.	डब्ल्यूक्यूपीएल	वक्फ अपील	सिविल	0	9	3	6
56.	डब्ल्यूक्यूपी एलडी	वक्फ अपील डिफेक्टिव	सिविल	0	2	1	1

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
57.	डब्ल्यूआरए आई	रिट–ए	सिविल	105903	19756	17506	108153
58.	डब्ल्यूआर आईबी	रिट–बी	सिविल	56048	5430	3389	58089
59.	डब्ल्यूआर आईसी	रिट–सी	सिविल	128230	46106	44836	129500
60.	डब्ल्यू टैक्स	रिट टैक्स	सिविल	3873	8802	6007	6668
		टोटल सिविल		**474990**	**121317**	**99698**	**496609**

वर्ष 2025 के सभी क्रिमिनल मामलों की सारांश रिपोर्ट

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
1.	ए340	सीआरएल. मिस. एप्लीकेशन यू/एस 340 सीआर.पी.सी	क्रिमिनल	22	2	1	23
2.	ए372	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 372	क्रिमिनल	415	0	2	413
3.	ए372डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 372 डिफेक्टिव	क्रिमिनल	70	0	0	70
4.	ए378	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378	क्रिमिनल	925	24	14	935
5.	ए378डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	क्रिमिनल	270	8	7	271
6.	ए389	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 389(2)	क्रिमिनल	8	1	1	8
7.	ए482	एप्लीकेशन यू/एस 482	क्रिमिनल	178262	3580	15536	166306
8.	ए483	एप्लीकेशन यू/एस 483	क्रिमिनल	322	197	386	133
9.	एबेल	क्रिमिनल मिस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 438 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	2675	657	3042	290
10.	एबेलसी	एबेलसी	क्रिमिनल	142	157	145	154
11.	बेल	क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन	क्रिमिनल	12169	46177	46111	12235
12.	बेलसी	क्रिमिनल मिस. बेल कैंसिलेशन एप्ली.	क्रिमिनल	1192	554	407	1339

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
13.	सी14ए1	अपील अगेंस्ट एक्विटल इन एससी/एसटी एक्ट	क्रिमिनल	37	125	6	156
14.	सी14ए1डी	अपील अगेंस्ट एक्विटल इन एससी/एसटी एक्ट डिफेक्टिव	क्रिमिनल	0	3	1	2
15.	सी372	क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	4769	73	40	4802
16.	सी372डी	क्रिमिनल अपील यू/एस डिफेक्टिव 372 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	421	20	3	438
17.	सी378	क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पी.सी.	क्रिमिनल	368	0	2	366
18.	सी378डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पी.सी. डिफेक्टिव	क्रिमिनल	6	0	0	6
19.	सीएपीटी	कैपिटल केसेस	क्रिमिनल	73	21	7	87
20.	सीआरसीएल	कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	41	16	9	48
21.	सीआरएलए	क्रिमिनल अपील	क्रिमिनल	158246	12112	4799	165559
22.	सीआरएलएडी	क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	643	280	21	902
23.	सीआरएलपी	क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	क्रिमिनल	28937	30291	18398	40830
24.	सीआरएलआर	क्रिमिनल रिवीजन	क्रिमिनल	40320	8318	5856	42782
25.	सीआरएल आरडी	क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	क्रिमिनल	6171	990	449	6712
26.	सीआरपीआई एल	क्रिमिनल रिट– पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	क्रिमिनल	106	16	6	116
27.	सीआरआरए	क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्लीकेशन	क्रिमिनल	27	8	9	26
28.	सीआरआरएडी	क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव	क्रिमिनल	0	6	5	1
29.	जीओवीए	गवर्नमेंट अपील	क्रिमिनल	13660	276	184	13752
30.	जीओवीएडी	गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	490	368	41	817
31.	एचएबीसी	हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	क्रिमिनल	1139	1182	1229	1092
32.	जेएपीएल	जेल अपील	क्रिमिनल	2599	360	35	2924
33.	जेएपीएलडी	जेल अपील डिफेक्टिव	क्रिमिनल	51	126	19	158
34.	एनए379	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 379 बीएनएसएस	क्रिमिनल	1	28	6	23
35.	एनए413	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 413 बीएनएसएस	क्रिमिनल	1	0	0	1

क्र. सं.	केस टाइप	डिस्क्रिप्शन	टाइप	ओपनिंग	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग
36.	एनए419	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस	क्रिमिनल	5	209	28	186
37.	एन419डी	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस डिफेक्टिव	क्रिमिनल	1	94	5	90
38.	एनए430	क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 430(2) बीएनएसएस	क्रिमिनल	0	10	5	5
39.	एनए528	एप्लीकेशन यू/एस 528 बीएनएसएस	क्रिमिनल	861	48604	18220	31245
40.	एनए529	एप्लीकेशन यू/एस 529 बीएनएसएस	क्रिमिनल	21	4921	4315	627
41.	एनएबेल	क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	क्रिमिनल	482	10425	9134	1773
42.	एनसी413	क्रिमिनल अपील यू/एस 413 बीएनएसएस	क्रिमिनल	17	654	71	600
43.	एनसी413डी	क्रिमिनल अपील यू/एस 413 बीएनएसएस डिफेक्टिव	क्रिमिनल	0	145	5	140
44.	एनसी419	क्रिमिनल अपील यू/एस 419 बीएनएसएस	क्रिमिनल	11	26	0	37
45.	टीएसीआर	ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	क्रिमिनल	1346	689	966	1069
		टोटल क्रिमिनल		**457322**	**171753**	**129526**	**499549**
		ग्रैंड टोटल (सिविल + क्रिमिनल)		**932312**	**293070**	**229224**	**996158**

लखनऊ खंडपीठ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के सभी मामलों का निस्तारण वर्ष 2024 के सभी मामलों की सारांश रिपोर्ट

टाइप	ओपनिंग बैलेंस	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग बैलेंस
ए227–मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	3322	6537	6333	3526
ए340–एप्लिकेशन यू/एस 340	87	0	0	87
ए372–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 372	4	0	0	4
ए378–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378	789	196	80	905
ए378ड–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	256	145	14	387
ए389–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 389(2)	0	1	0	1
ए482–एप्लिकेशन यू/एस 482	15536	12053	11156	16433
ए483–एप्लिकेशन यू/एस 483	68	955	897	126
अबेल–एंटिसिपेट्री बेल	559	2843	2854	548
अबेलसी–क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेट्री बेल कैंसलेशन एप्लिकेशन	0	10	2	8
एआरबीटी– सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लिकेशन	75	114	63	126
एआरसीओ–आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एप्लिकेशन यू/एस 11(4)	9	6	3	12
एआरपीएल–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट	173	71	25	219
एआरपीएलडी–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट डिफेक्टिव	76	114	4	186
बेल–क्रिमिनल मिस. बेल एप्लिकेशन	5220	13368	15851	2737
बेलसी–क्रिमिनल मिस. बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन	333	175	132	376
सी372–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी.	336	183	19	500
सी372डी–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी. डिफेक्टिव	34	20	5	49
स378–क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पीसी.	40	3	1	42
स378डी–क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पीसी. डिफेक्टिव	2	0	0	2
सीएपीएल–कंटेम्प्ट एप्लिकेशन (सिविल)	7447	4891	6389	5949
सीएपीटी–कैपिटल केसेस	18	3	1	20
सीईआरई–सेंट्रल एक्साइज रेफरेंस	4	0	0	4
सीईएक्सए–सेंट्रल एक्साइज अपील	26	7	6	27
सीईएक्सएडी–सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	39	0	18	21
सीएलआरई–सिविल रिवीजन	229	71	92	208
सीएलआरईडी–सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	34	13	6	41
सीएमआरए–सिविल मिस. रिव्यू एप्लिकेशन	214	137	129	222

टाइप	ओपनिंग बैलेंस	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग बैलेंस
सीएमआरएडी–सिविल मिस. रिव्यू एप्लिकेशन–डिफेक्टिव	317	224	158	383
सीओएमए–कंपनी अपील	5	0	0	5
सीओएमएडी–कंपनी अपील डिफेक्टिव	2	0	1	1
सीओएमपी–कंपनी एप्लिकेशन	1	0	1	0
सीओएनए–कन्टेम्प्ट अपील		6	7	8 5
सीओएनएडी– कंटेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	0	1	1	0
सीओपीएलडी–कमर्शियल अपील डिफेक्टिव	0	0	0	0
सीओपीपी–कंपनी पिटीशन	6	0	1	5
सीआरसीएल–कंटेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	58	4	25	37
सीआरईएफ–क्रिमिनल रेफरेंस	0	1	0	1
सीआरएलए–क्रिमिनल अपील	42923	4097	3225	43795
सीआरएलएडी–क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	292	64	24	332
सीआरएलपी–क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	5312	10064	12098	3278
सीआरएलआर–क्रिमिनल रिवीजन	5993	1556	766	6783
सीआरएलआरडी–क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	1431	479	140	1770
सीआरओबी–क्रॉस ऑब्जेक्शन	251	5	9	247
सीआरपीआईएल–क्रिमिनल रिट–पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	14	2	10	6
सीआरआरए–क्रिमिनल रिव्यू एप्लीकेशन	10	9	10	9
सीआरआरएडी–क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव	9	10	6	13
सीयूएसए–कस्टम्स अपील	9	3	0	12
सीयूएसएडी–कस्टम अपील डिफेक्टिव	0	0	0	0
ईसीएएसई–एग्जीक्यूशन केस	1	0	0	1
ईएलईपी–इलेक्शन पिटीशन	10	3	6	7
एफएएफओ–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	7464	394	574	7284
एफएएफओडी–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	2392	153	131	2414
एफएपीएल–फर्स्ट अपील	1013	228	232	1009
एफएपीएलडी–फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	261	162	96	327
जीओवीए–गवर्नमेंट अपील	3784	39	77	3746
जीओवीएडी–गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	103	9	6	106
एचएबीसी–हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	358	400	455	303
आईएपीएल–इनकम टैक्स अपील	126	0	3	123
आईएपीएलडी–इनकम टैक्स अपील डिफेक्टिव	103	4	0	107
आईटीएपीडी–इनकम टैक्स एप्लीकेशन डिफेक्टिव	0	1	0	1
आईटीआरई–इनकम टैक्स रेफरेंस	0	0	0	0
जेएपीएल–जेल अपील	568	86	7	647

टाइप	ओपनिंग बैलेंस	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग बैलेंस
जेएपीएलडी–जेल अपील डिफेक्टिव	21	45	4	62
एमटीएएल–मैट्रिमोनियल	1	0	0	1
एनए419डी–क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस डिफेक्टिव	0	1	0	1
एनए528–एप्लीकेशन यू/एस 528 बीएनएसएस	0	141	99	42
एनए529–एप्लीकेशन यू/एस 529 बीएनएसएस	0	10	8	2
एनएबेल– क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेट्ररी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	0	275	145	130
ओएसयूटी–ओरिजिनल सूट	1	0	0	1
पीआरसीएस–प्रोबेट केस	0	0	0	0
रेरा–रेरा अपील	340	73	30	383
रेराडी–रेरा अपील डिफेक्टिव	89	39	24	104
एसएपीएल– सेकंड अपील	7455	217	509	7163
एसएपीएलडी–सेकंड अपील डिफेक्टिव	1086	95	51	1130
एससीसीआर–एस.सी.सी. रिवीजन	81	24	36	69
एससीसीआरडी–एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	21	7	8	20
एसपीएलए– स्पेशल अपील	1921	275	353	1843
एसपीएलएडी–स्पेशल अपील डिफेक्टिव	1478	554	396	1636
एसटीआरई–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	406	23	99	330
एसटीआरईडी–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	116	20	20	116
टीएसीएल–ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	370	301	508	163
टीएसीआर–ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	203	131	83	251
टेस्ट–टेस्टामेंट्ररी केस	13	2	1	14
डब्ल्यूपीआईएल–रिट–पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	1218	1145	1077	1286
डब्ल्यूक्यूपीएल–वक्फ अपील	0	0	0	0
डब्ल्यूआरआईए–रिट–ए	43531	12921	10157	46295
डब्ल्यूआरआईबी–रिट–बी	15331	1337	1284	15384
डब्ल्यूआरआईसी–रिट–सी	29078	11415	10342	30151
डब्ल्यूटीएपी–वेल्थ टैक्स एप्लीकेशन	0	0	0	0
डब्ल्यूटैक्स–रिट टैक्स	238	381	212	407
टोटल	**210750**	**89353**	**87596**	**212507**

वर्ष 2025 के सभी मामलों की सारांश रिपोर्ट

टाइप	ओपनिंग बैलेंस	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग बैलेंस
ए227–मैटर्स अंडर आर्टिकल 227	3526	7546	7627	3445
ए340–एप्लिकेशन यू/एस 340	87	0	0	87
ए372–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 372	4	0	0	4
ए378–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378	905	62	24	943
ए378ड–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 378 डिफेक्टिव	387	162	24	525
ए389–क्रिमिनल मिस. एप्लिकेशन यू/एस 389(2)	1	0	0	1
ए482–एप्लिकेशन यू/एस 482	16433	11082	10509	17006
ए483–एप्लिकेशन यू/एस 483	126	1122	1176	72
अबेल–एंटिसिपेट्री बेल	548	1433	1607	374
अबेलसी–क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेट्री बेल कैंसलेशन एप्लिकेशन	8	35	18	25
एआरबीटी– सिविल मिस. आर्बिट्रेशन एप्लिकेशन	126	126	133	119
एआरसीओ–आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एप्लिकेशन यू/एस 11(4)	12	3	10	5
एआरपीएल–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट	219	48	39	228
एआरपीएलडी–अपील यू/एस 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट डिफेक्टिव	186	25	5	206
बेल–क्रिमिनल मिस. बेल एप्लिकेशन	2737	13195	13571	2361
बेलसी–क्रिमिनल मिस. बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन	376	128	207	297
सी372–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी.	500	163	19	644
सी372डी–क्रिमिनल अपील यू/एस 372 सीआर.पीसी. डिफेक्टिव	49	23	5	67
स378–क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पीसी.	42	3	0	45
स378डी–क्रिमिनल अपील यू/एस 378 सीआर.पीसी. डिफेक्टिव	2	1	0	3
सीएपीएल–कंटेम्प्ट एप्लिकेशन (सिविल)	5949	4355	3387	6917
सीएपीटी–कैपिटल केसेस	20	4	1	23
सीईआरई–सेंट्रल एक्साइज रेफरेंस	4	0	0	4
सीईएक्सए–सेंट्रल एक्साइज अपील	27	4	0	31
सीईएक्सएडी–सेंट्रल एक्साइज अपील डिफेक्टिव	21	6	0	27
सीएलआरई–सिविल रिवीजन	208	59	153	114
सीएलआरईडी–सिविल रिवीजन डिफेक्टिव	41	12	13	40
सीएमआरए–सिविल मिस. रिव्यू एप्लिकेशन	222	147	124	245
सीएमआरएडी–सिविल मिस. रिव्यू एप्लिकेशन–डिफेक्टिव	383	201	154	430
सीओएमए–कंपनी अपील	5	1	5	1
सीओएमएडी–कंपनी अपील डिफेक्टिव	1	0	0	1
सीओएमपी–कंपनी एप्लिकेशन	0	0	0	0
सीओएनए–कन्टेम्प्ट अपील	5	6	5	6
सीओएनएडी– कंटेम्प्ट अपील डिफेक्टिव	0	2	1	1

टाइप	ओपनिंग बैलेंस	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग बैलेंस
सीओपीएलडी–कमर्शियल अपील डिफेक्टिव	0	1	0	1
सीओपीपी–कंपनी पिटीशन	5	0	4	1
सीआरसीएल–कंटेम्प्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	37	4	12	29
सीआरईएफ–क्रिमिनल रेफरेंस	1	0	1	0
सीआरएलए–क्रिमिनल अपील	43795	4173	1549	46419
सीआरएलएडी–क्रिमिनल अपील डिफेक्टिव	332	97	17	412
सीआरएलपी–क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन	3278	12362	10409	5231
सीआरएलआर–क्रिमिनल रिवीजन	6783	1490	803	7470
सीआरएलआरडी–क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव	1770	596	164	2202
सीआरओबी–क्रॉस ऑब्जेक्शन	247	8	6	249
सीआरपीआईएल–क्रिमिनल रिट–पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	6	4	6	4
सीआरआरए–क्रिमिनल रिव्यू एप्लीकेशन	9	10	10	9
सीआरआरएडी–क्रिमिनल मिस रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव	13	8	4	17
सीयूएसए–कस्टम्स अपील	12	21	4	29
सीयूएसएडी–कस्टम अपील डिफेक्टिव	0	1	0	1
ईसीएएसई–एग्जीक्यूशन केस	1	1	0	2
ईएलईपी–इलेक्शन पिटीशन	7	0	1	6
एफएएफओ–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर	7284	513	838	6959
एफएएफओडी–फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिव	2414	277	271	2420
एफएपीएल–फर्स्ट अपील	1009	206	135	1080
एफएपीएलडी–फर्स्ट अपील डिफेक्टिव	327	223	104	446
जीओवीए–गवर्नमेंट अपील	3746	28	23	3751
जीओवीएडी–गवर्नमेंट अपील डिफेक्टिव	106	9	2	113
एचएबीसी–हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन	303	476	445	334
आईएपीएल–इनकम टैक्स अपील	123	19	4	138
आईएपीएलडी–इनकम टैक्स अपील डिफेक्टिव	107	9	0	116
आईटीएपीडी–इनकम टैक्स एप्लीकेशन डिफेक्टिव	1	0	0	1
आईटीआरई–इनकम टैक्स रेफरेंस	0	0	0	0
जेएपीएल–जेल अपील	647	79	1	725
जेएपीएलडी–जेल अपील डिफेक्टिव	62	34	1	95
एमटीएएल–मैट्रिमोनियल	1	0	0	1
एनए419डी–क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन यू/एस 419 बीएनएसएस डिफेक्टिव	1	0	0	1
एनए528–एप्लीकेशन यूधएस 528 बीएनएसएस	42	2326	1387	981
एनए529–एप्लीकेशन यूधएस 529 बीएनएसएस	2	106	96	12
एनएबेल– क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेट्री बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बीएनएसएस	130	2124	1732	522
ओएसयूटी–ओरिजिनल सूट	1	0	0	1

टाइप	ओपनिंग बैलेंस	इंस्टीट्यूशन	डिस्पोजल	क्लोजिंग बैलेंस
पीआरसीएस–प्रोबेट केस	0	1	1	0
रेरा–रेरा अपील	383	246	298	331
रेराडी–रेरा अपील डिफेक्टिव	104	113	25	192
एसएपीएल– सेकंड अपील	7163	229	619	6773
एसएपीएलडी–सेकंड अपील डिफेक्टिव	1130	100	111	1119
एससीसीआर–एस.सी.सी. रिवीजन	69	22	75	16
एससीसीआरडी–एस.सी.सी. रिवीजन डिफेक्टिव	20	20	32	8
एसपीएलए– स्पेशल अपील	1843	375	502	1716
एसपीएलएडी–स्पेशल अपील डिफेक्टिव	1636	443	426	1653
एसटीआरई–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन	330	53	33	350
एसटीआरईडी–सेल्स/ट्रेड टैक्स रिवीजन डिफेक्टिव	116	67	4	179
टीएसीएल–ट्रांसफर एप्लीकेशन (सिविल)	163	325	314	174
टीएसीआर–ट्रांसफर एप्लीकेशन (क्रिमिनल)	251	126	161	216
टेस्ट–टेस्टामेंट्री केस	14	1	0	15
डब्ल्यूपीआईएल–रिट–पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	1286	1303	1087	1502
डब्ल्यूक्यूपीएल–वक्फ अपील	0	4	0	4
डब्ल्यूआरआईए–रिट–ए	46295	15267	16222	45340
डब्ल्यूआरआईबी–रिट–बी	15384	1274	1030	15628
डब्ल्यूआरआईसी–रिट–सी	30151	12777	10840	32088
डब्ल्यूटीएपी–वेल्थ टैक्स एप्लीकेशन	0	0	0	0
डब्ल्यूटैक्स–रिट टैक्स	407	1761	1301	867
टोटल	**212507**	**99666**	**89927**	**222246**





वर्ष 2024 में समितियाँ

1. एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी

(माननीय) मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी, न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ

2. कमेटी फॉर डिजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स

(माननीय) मुख्य न्यायमूर्ति, सीनियर जज (जे–1), सेकंड सीनियर जज (जे–2), एडवोकेट जनरल, श्री वी पी श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट

नोटः इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय XXIV के नियम 3 (2) के अंतर्गत गठित समिति।

3. रूल्स कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

सब कमेटी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा हेतु, 1952, सामान्य नियम (आपराधिक), 1977 और सामान्य नियम (सिविल), 1957 भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रकाश में:

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, श्री हिमांशु दयाल श्रीवास्तव, एच.जे.एस., श्री औशिम लूथरा, अधिवक्ता

4. लीगल सर्विसेज

A. चेयरमैन, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र

B. लीगल सर्विसेज सब कमेटी, लखनऊ

माननीय न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी

नोटः "लीगल सर्विसेज" समिति, जिसमें "हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज समिति, इलाहाबाद" और "लीगल सर्विसेज उप–समिति, लखनऊ" शामिल हैं, अब से 'एमिकस क्यूरी' की नियुक्ति और उन्हें फीस के भुगतान से जुड़े मामलों को भी देखेगी।

5. कमेटी टू सुपरवाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द ज्यूडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट रिलेटिंग टू करिकुलम, कोर्स कंटेंट एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह

6. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / कंप्यूटराइजेशन कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर, न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

समिति निम्नलिखित मामलों की भी देखरेख करेगीरू

i. कंप्यूटरीकरण

ii. ई–कोर्ट परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए दिशानिर्देश / ई–कोर्ट परियोजनाओं का पर्यवेक्षण

iii. उच्च न्यायालय में CCTV कैमरों की खरीद और स्थापना, तथा उच्च न्यायालय परिसर और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य न्यायालयों में Wi-Fi सुविधाएँ उपलब्ध कराना

iv. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

अपनाकर न्यायालय की कार्यवाही की व्यवहार्यता की जाँच करना

v. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 27 जुलाई, 2020 को जारी पत्र के अनुसरण में कदम उठानाय यह पत्र भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समिति के उस निर्देश के संबंध में है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को शुरू करने, उसकी अवधारणा तैयार करने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने हेतु एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति गठित करने पर विचार करने को कहा गया है।

vi. समिति नए मामलों से संबंधित उन मामलों को भी देखेगी जो सूचीबद्ध किए जाने (listing) के चरण तक पहुँच चुके हैं।

vii. समिति ई–भुगतानों (e-payments) के माध्यम से विविध जमा राशियों के प्रबंधन हेतु नियम भी बनाएगी।

viii. जनपद न्यायालयों में CCTV कैमरों की खरीद/स्थापना से संबंधित मामलों को भी समिति ही देखेगी।

ix. विशेष अधिकारी (सतर्कता) के कार्यालय के अभिलेखों की स्कैनिंग से संबंधित मामलों को समिति द्वारा देखा जाएगा।

7. कमेटी फॉर डिजिटाइजेशन एंड वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स (फॉर इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, एंड कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

8. रूल्स कमेटी अंडर सेक्शन 123 ऑफ सीपीसी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी, श्री अशोक मेहता, सीनियर एडवोकेट, श्री मनीष गोयल, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, प्रयागराज

9. कमेटी टू मॉनिटर द प्रिपरेशन / एडिशन / मॉडिफिकेशन / अपडेटेशन ऑफ रोल ऑफ एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट

A. फॉर इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला

B. फॉर लखनऊ

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार

10. कमेटी फॉर टैक्सिंग जज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट, 1870

A. इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

B. लखनऊ बेंच

माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया

11. कमेटी टू कंसिडर द मैटर्स विद रिगार्ड टू इंट्रा–डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ जूरिस्डिक्शन्स विदिन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऐज अंडरः

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री जे. जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन, न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार

नोटः समिति उत्तर प्रदेश के जनपदों में न्यायालयों की स्थापना से संबंधित मामलों पर भी विचार करेगी।

12. कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ मैटर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद पेंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंटः

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी

13. कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ "एक्शन प्लान फॉर एरियर्स रिडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी (एपीएएआर–डीजे)" (इवॉल्व्ड बाय द कमेटी फॉर मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स फॉर ट्रायल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट अपीलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड टू सजेस्ट अ प्लान फॉर रिडक्शन ऑफ

एरियर्स इन द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द माननीय सर्वोच्च न्यायालय):

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

सब कमेटीज

A. टू मॉनिटर एंड सजेस्ट स्टेप्स फॉर एक्सपीडिशस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद एंड मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स (इंक्लूडिंग असाइनमेंट ऑफ केसेस टू मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स) थ्रूआउट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री विपिन चन्द्र दीक्षित, न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

B. फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2000 एंड द केसेस पर्टेनिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट, 2012 (पॉक्सो एक्ट)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

नोटः यह समिति भ्प्ट अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के तरीके तैयार करने हेतु एकत्रित जानकारी पर विचार–विमर्श भी करेगी।

C. टू सजेस्ट सॉल्यूशन्स फॉर एंश्योरिंग एक्सपीडिशस डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक बाउंसिंग केसेस)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

D. टू मॉनिटर एक्सपीडिशस डिस्पोजल ऑफ एग्जीक्यूशन पिटीशन्स/एप्लिकेशन्स यू/एस 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

E. टू मॉनिटर द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी एंड मैजिस्ट्रेट ट्रायल्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह

F. एंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 05.09.2024 के आदेश द्वारा गठित, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विविध आवेदन संख्या 2034/2022 (MA 1849/2021 के अंतर्गत, SLP (Crl) संख्या 5191/2021 में, जिसका शीर्षक 'सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य' है) में दिनांक 06.08.2024 को पारित आदेश के अनुसरण में है)

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 20.09.2024 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र, न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन

14. कमेटी फॉर कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया इन रिट पिटीशन (सिविल) नं. 349 ऑफ 2006 – वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, फॉर पीरियॉडिकली ओवरसी द प्रोग्रेस ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू श्द प्री–कन्सेप्शन एंड प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट, 1994

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला

15. ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी टू मॉनिटर द डिस्पोजल/डिस्ट्रक्शन ऑफ सीज्ड ड्रग्स इन द लाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया, इन

क्रिमिनल अपील नं. 652 ऑफ 2012 टाइटल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहन लाल एंड अनदर

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

16. (A) एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी एंड ई–लॉ रिपोर्ट कमेटी फॉर हाई कोर्ट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

नोटः उपर्युक्त समिति, AI–सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद कार्य के अलावा, 'डिजिटल लॉ रिपोर्ट' के प्रकाशन का कार्य भी देखेगी। इस रिपोर्ट में उच्च न्यायालय के निर्णय (01.04.2024 से AFR निर्णयों को छोड़कर)–जिनमें उनके अनुवादित संस्करण भी शामिल होंगे–तथा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय और उनके अनुवाद शामिल होंगे, और इसमें खोज (search) की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

17. ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 03.05.2023 के आदेश द्वारा गठित, जो SLP(C) संख्या 5440/2020 में M.A. 859/2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.04.2023 के आदेश के अनुसरण में है)

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, (माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ, एडवोकेट जनरल, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

18. एक्सेसिबिलिटी कमेटी फॉर हाई कोर्ट

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 04.01.2024 के आदेश द्वारा, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 06.11.2023 के पत्र के अनुसरण में गठित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

19. कमेटी फॉर सर्विस कंडीशन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 12.01.2024 के आदेश द्वारा गठित, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 643/2015 पर पारित दिनांक 04.01.2024 के आदेश के अनुसरण में)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, चेयरपर्सन, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एलआर, रजिस्ट्रार जनरल, एक्स–ऑफिशियो सेक्रेटरी, श्री अनूप कुमार गोयल, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज

20. कमेटी फॉर वर्क्स रिलेटिंग टू जी.पी.एफ. एंड पेंशन पेपर्स ऑफ माननीय सिटिंग जजेस

माननीय सीनियर जज (जे–1)

21. कमेटी फॉर मेडिकल रीइम्बर्समेंट ऑफ फॉर्मर जजेस

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट

22. कमेटी फॉर वर्क्स रिलेटेड टू मेडिकल रीइम्बर्समेंट ऑफ माननीय सिटिंग जजेस

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी

23. लाइब्रेरी कमेटी फॉर इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

लाइब्रेरी कमेटी फॉर लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर, न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी

नोटः उपर्युक्त समितियाँ उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान में मौजूदा पुस्तकालय के विस्तार पर भी विचार करेंगी, ताकि उस स्थान का सदुपयोग किया जा सके; साथ ही, वे नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रस्तावों की अनुशंसा भी करेंगी।

24. कमेटी फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

25. कमेटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर नॉमिनेटिंग ऐज न्याय बंधु एंड टू लुक इंटू द मैटर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड सुपरविजन ऑफ ग्राम न्यायालयाज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

26. प्रोटोकॉल कमेटी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री विपिन चन्द्र दीक्षित, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार, न्यायमूर्ति श्री श्रीप्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला

नोटः समिति उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सेमिनारों, समारोहों तथा अन्य कार्यक्रमों की निगरानी और पर्यवेक्षण भी करेगी।

27. A. इंटरनल कम्प्लेंट्स कमेटी टू इन्क्वायर इंटू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 'द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वूमेन एट वर्क प्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013'

B. कमेटी टू डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू श्सेंसिटाइजेशन ऑफ फैमिली कोर्ट मैटर्सश इन द लाइट ऑफ लेटर डेटेड 09.06.2016 ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर

नोटः

1. समिति (A.) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को भी देखेगी।
2. समिति (B.) पारिवारिक न्यायालयों के कामकाज की निगरानी भी करेगी और उनकी संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान देगी।
3. समिति (B.) गोद लेने से संबंधित मामलों की निगरानी भी करेगी।

सब कमेटी

महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी त्रैमासिक विवरण के संबंध में (जनपद न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा

*प्रो. सुमित्रा परमार (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक, महिला अध्ययन केंद्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, समिति (A.) की सदस्य होंगी–किंतु केवल आंतरिक शिकायतों से संबंधित मामलों के निपटान हेतु।

28. सिक्योरिटी कमेटी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार

29. A. पीआईएल सेल, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

B. पीआईएल सेल, लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ

30. म्यूजियम एंड आर्काइव्स कमेटी

A. सुपरवाइजरी कमेटी फॉर लॉ म्यूजियम एंड आर्काइव्स, इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री जयंत बनर्जी, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

B. सुपरवाइजरी कमेटी फॉर हाई कोर्ट म्यूजियम एंड आर्काइव्स, लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार

31. लिटिगेशन कमेटी (ज्यूडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार

32. कमेटी फॉर मेडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री सैय्यद कमर हसन रिजवी, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला

B. लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला

नोटः उपर्युक्त समितियाँ, क्रमशः अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के मध्यस्थता संबंधी मामलों की भी जाँच करेंगी।

33. कमेटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर एट इलाहाबाद एंड लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार निगम

34. कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई कोर्ट डिस्पेंसरी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–I

35. A. कमेटी फॉर पब्लिकेशन्स इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज लेटर

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री जयंत बनर्जी, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

B. कमेटी फॉर पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ इंडियन लॉ रिपोर्टर इंक्लूडिंग इट्स ऑनलाइन वर्जन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एएफआर जजमेंट्स डब्ल्यू.ई.एफ. 01.04.2024

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री जयंत बनर्जी, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

36. कमेटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ रोबस्ट एंड फेल सेफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमैटिक लिस्टिंग ऑफ केसेसः

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी

37. स्टाफ कार कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद अजहर हुसेन इदरीसी

38. कमेटी डीलिंग विद ट्रांसलेशन अदर दैन दैट ऑफ कमेटी नंबर्स 16 एंड 35

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

39. कमेटी फॉर सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन्स इन परमानेंट लोक अदालत

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह सांगवान, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल

40. कमेटी फॉर सेलेक्शन ऑफ प्रेसीडिंग ऑफिसर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स / लेबर कोर्ट्स, यू.पी. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4–ई(1)(अ) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह

41. कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट्स / स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

42. कमेटी टू एग्जामिन द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी टू एंशोर कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ हानरेबल एपेक्स कोर्ट एंड दिस हानरेबल कोर्ट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

सह–योजित सदस्यः

चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एल.आर., गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस), गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (पी.डब्ल्यू.डी.), गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंजीनियर–इन–चीफ (पी.डब्ल्यू.डी.)

43. कमेटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ लॉयर्स' चैंबर्स

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार, न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह

44. कमेटी टू मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हानरेबल जजेज बंगलो एट 19, क्लाइव रोड, प्रयागराज एंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर क्लास–I एंड क्लास–II ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट एट देवघाट, झलवा, प्रयागराज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

45. वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ, न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश, न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह–I

46. A. कमेटी फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग गेस्ट हाउसेस ऑफ हाई कोर्ट एट इलाहाबाद ऑर एनी अदर प्लेस विदिन द स्टेट, एक्सेप्ट लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

B. कमेटी फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग गेस्ट हाउसेस ऑफ हाई कोर्ट एट लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार, न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला

47. कमेटी टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर क्लास–III एंड क्लास–IV एम्प्लॉइज ऑफ हानरेबल हाई कोर्ट एट लीडर रोड, प्रयागराज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

48. बिल्डिंग कमेटी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री

अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

नोटः

1. इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट के परिसर और बगीचों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण का काम भी यह समिति ही करेगी।
2. यह समिति हाई कोर्ट में खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल न्यायिक और प्रशासनिक विभागों को फिर से आवंटित करने की संभावनाओं की जांच करेगी।
3. यह समिति इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए आवासीय आवासों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी भी करेगी।

49. कमेटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंशन सेंटर, म्यूजियम एंड आर्बिट्रेशन सेंटर एट इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री विपिन चन्द्र दीक्षित

50. कमेटी फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान ऑन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर दिस हानरेबल कोर्ट एंड इट्स बेंच एट लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति श्री शमीम अहमद, न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर

51. कमेटी टू प्लान एंड मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी–लेवल पार्किंग, एडवोकेट्स' चौंबर्स एंड रिकॉर्ड रूम्स, इन प्लेस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट बंग्लोज ऐज पर प्लान अप्रूव्ड

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

नोटः

1. समिति नई इमारत में अधिवक्ताओं के चौंबरों सहित स्थान के आवंटन के लिए योजना तैयार करेगी और उसे लागू करेगीय तथा उसके प्रबंधन को विनियमित करेगी।
2. समिति नजूल प्लॉट 58, सिविल स्टेशन, प्रयागराज में नए पावर सब–स्टेशन के निर्माण से संबंधित मामलों की निगरानी भी करेगी।

52. हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी

(गोमती नगर, लखनऊ में नए उच्च न्यायालय भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की निरंतर निगरानी हेतु गठित) {कार्यालय ज्ञापन संख्या 2272 / सात–न्याय– के परिप्रेक्ष्य में}

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एल.आर., रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, लखनऊ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस), प्रिंसिपल सेक्रेटरी (पीडब्लूडी), चीफ इंजीनियर (पीडब्लूडी), चीफ आर्किटेक्ट (पीडब्लूडी), स्पेशल सेक्रेटरी (लॉ)

53. एक्सपेंडिचर कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

नोटः इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर भी विचार किया जाएगाः

1. जनपद न्यायपालिका के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के उपयोग हेतु फोटोकॉपी मशीनें, फैक्स मशीनें, जनरेटर, कूलर और सरकारी वाहन खरीदना।
2. अनुपयोगी कारों, वस्तुओं, साज–सज्जा के सामान आदि का निपटान।

54. फाइनेंस एंड बजट कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला

नोटः समिति उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालयों के बजट आवंटन की भी देखरेख करेगी।

55. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग एंड एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसिस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

56. A. 'अरियर्स कमेटी' फॉर एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ सिविल केसिस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट

B. "डिस्पोजल रिव्यू कमेटी" टू मॉनिटर द इंस्टिट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड केसिस ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड टू मेक सजेशन्स फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन व्यू ऑफ लेटर डेटेड 11 जून, 2018 ऑफ हानरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–I, न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह

57. स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटीज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

58. कमेटी टू कंसिडर द ट्रांसफर ऑफ स्टाफ फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ एंड वाइस वर्सा

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी, न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ

नोटः समिति जनपद न्यायपालिका के कर्मचारियों के अंतर–जनपद स्थानांतरण पर भी विचार करेगी, जो मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन के अधीन होगा।

59. कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट (इंक्लूडिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड कन्फर्मेशन) ऑफ ऑल गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट, एक्सेप्ट ऑफिसर्स ऑफ हायर ज्यूडिशियल सर्विस ऑन डेप्युटेशन।

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

नोटः यह समिति उच्च न्यायालय के राजपत्रित अधिकारियों को ACP प्रदान करने तथा वरिष्ठता निर्धारण के मामले को भी देखेगी।

60. कमेटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन ऑफ क्लास–III एंड क्लास–IV एम्प्लॉइज अप टू द ग्रेड ऑफ रिव्यू ऑफिसर्स इन द हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट अंडर डाइंग इन हार्नेस रूल्स, 1974

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह

61. A. जज इन–चार्ज पीएस / एपीएस सेक्शन, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी

B. जज इन–चार्ज बीएस सेक्शन, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला

C. जज इन–चार्ज पीएस / एपीएस एंड बीएस सेक्शन, लखनऊ

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय

62. अलॉटमेंट कमेटी

A. अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंसेज टू एम्प्लॉइज ऑफ द हाई कोर्ट, इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल

B. हाउस अलॉटमेंट फॉर एम्प्लॉइज एट लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी, न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार जौहरी

63. लीव एनकैशमेंट, जी.पी.एफ. एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटर कार एडवांस, जी.पी.एफ., आदि ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

64. कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रेग्युलराइजेशन ऑफ डेली वेज / कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड को–टर्मिनस सेवक्स ऑन ग्रुप 'डी' पोस्ट्सः

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

65. कमेटी फॉर डीलिंग विथ फॉलोइंग मैटर्सः

1. एप्लीकेशन रिलेटेड टू पेंशन/ग्रेच्युटी मैटर्स ऑफ ऑल रिटायरिंगधरिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स।
2. एप्लीकेशन रिलेटेड टू फैमिली पेंशन/डेथ ग्रेच्युटी केसेस ऑफ ऑल डिसीज्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स।
3. मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल एड फ्रॉम यू.पी. बेनेवोलेंट फंड।
4. रिजिग्नेशन ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम यू. पी. न्यायिक सेवा/यूपीएचजेएस।
5. मैटर्स रिलेटेड टू सर्विस ऑफ समन्स अपॉन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम यूपीएचजेएस।
6. ग्रांट ऑफ परमिशन टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स टू राइट/गेट पब्लिश बुक्स, आर्टिकल्स आदि।
7. ग्रांट ऑफ परमिशन टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स टू विजिट अब्रॉड।
8. ग्रांट ऑफ परमिशन टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स टू पर्स्यू एकेडमिक कोर्सेस।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र

66. कमेटी टू डील विथ फॉलोइंग मैटर्सः

A. एचजेएस सेलेक्शन्स एंड अपॉइंटमेंट्स

B. कमेटी ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द यू.पी. ज्यूडिशियल ऑफिसर्स रूल्स, 2001

C. एग्जामिन द मैटर ऑफ इंटर–से सीनियरिटी ऑफ द एचजेएस ऑफिसर्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

67. कमेटी टू रिव्यू एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पोस्टेड ऑन डेप्युटेशन टू अदर ऑर्गनाइजेशन्स ऑर स्टेट गवर्नमेंट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा

68. कमेटी टू डील विथ द रिप्रेजेंटेशन्स ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

नोटः जनपद न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की ACR में दर्ज टिप्पणियों के उन्नयन से संबंधित मामलों पर भी उपर्युक्त समिति द्वारा ही विचार किया जाएगा।

69. कमेटी टू डील विथ फॉलोइंग मैटर्सः

A. ग्रांट ऑफ सुपर टाइम्स स्केल्स टू द ऑफिसर्स इन एचजेएस कैडर

B. ग्रांट ऑफ सेलेक्शन ग्रेड टू द ऑफिसर्स इन एचजेएस कैडर

C. ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग एडवांस इंक्रीमेंट्स टू ऑफिसर्स विथ एन एलएलएम डिग्री, ग्रांट ऑफ एसीपी स्केल्स एंड ग्रांट ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट

D. विजिलेंस

E. टू डेजिग्नेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस ऐज डिस्ट्रिक्ट जजेस

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन

नोटः न्यायिक अधिकारियों की पिछली सेवा की गणना, वेतन निर्धारण और वेतन समानीकरण से संबंधित मामलों पर भी उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

70. जज इन–चार्ज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनुअल

कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स ऑफ द ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, वेयर नीदर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी/डिस्ट्रिक्ट जज नॉर द रिव्यूइंग अथॉरिटी/एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, आई.ई. एडमिनिस्ट्रेटिव जज, हू हैज सीन द वर्क ऑफ द ज्यूडिशियल ऑफिसर फॉर थ्री मंथ्स ऑर मोर, इज अवेलेबल।

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ

71. कमेटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास–III एंड क्लास–IV एम्प्लॉइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री मु0 फैज आलम खाँ, न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–I

नोटः

1. समिति हाई कोर्ट से संबंधित उन मामलों पर भी विचार करेगी जो सरकार के पास लंबित हैंय साथ ही, वह कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर विचार करेगी और उनकी शिकायतों की जाँच करेगी।
2. समिति हाई कोर्ट के अधिकारियोंध्कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में दर्ज टिप्पणियों को बेहतर बनाने (अपग्रेड करने) से संबंधित अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी।
3. समिति, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन आने वाले न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'सेवाकाल में मृत्यु नियम' (Dying in Harness Rules) के तहत नियुक्ति के अनुरोधों पर भी विचार करेगी।
4. समिति, जनपद न्यायालयों में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता की जाँच से संबंधित मामलों पर भी विचार करेगी।

72. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स/एनक्वायरीज पेंडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

73. कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 02.07.2024 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

74. कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीपीआईओ, सीएपीआईओ एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इन एमएसीटीस, एलएआरआरएज एंड कमर्शियल कोर्ट्स

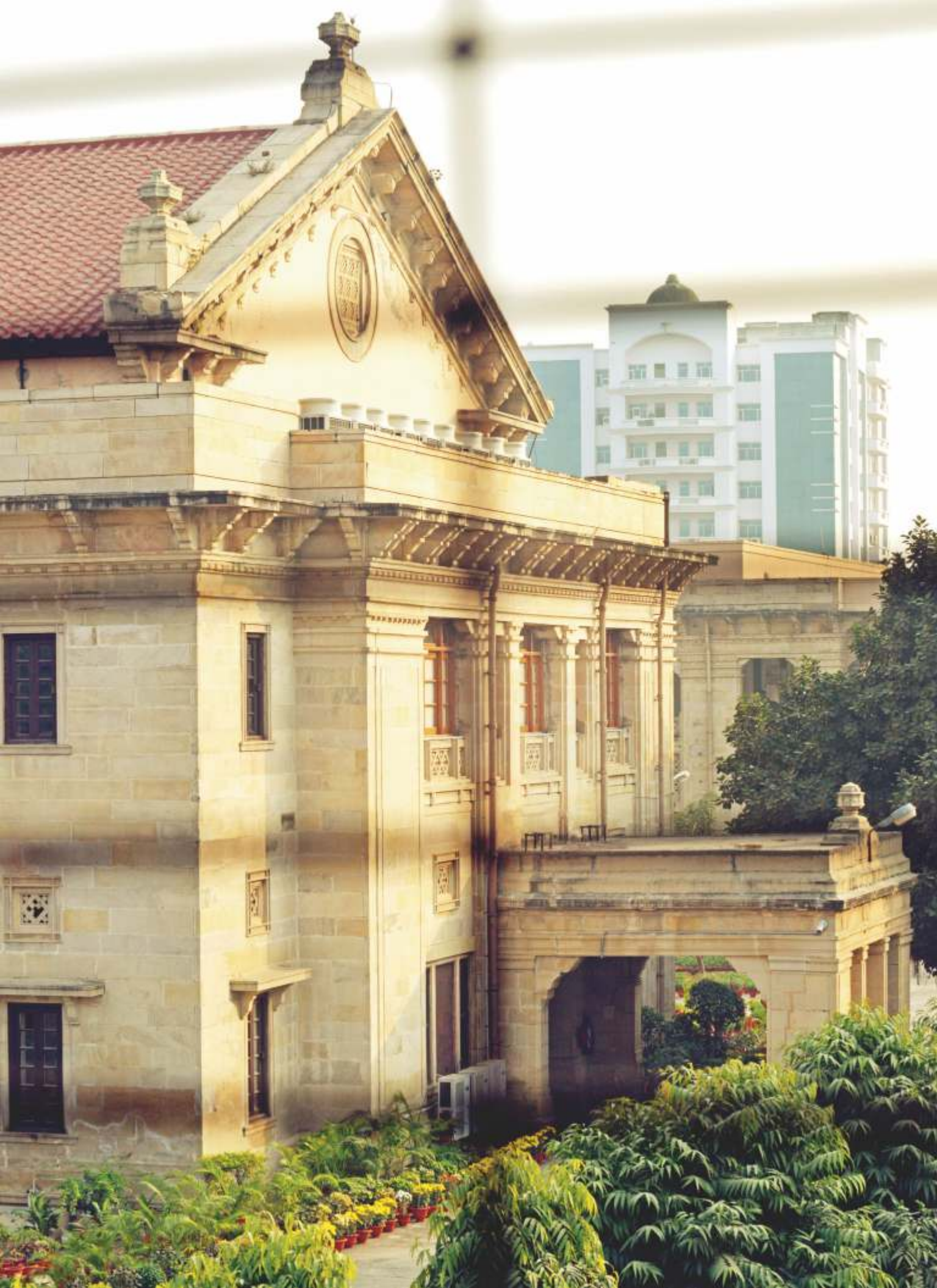
(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 02.09.2024 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह

75. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 08.11.2024 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर



वर्ष 2025 में समितियाँ

1. एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 03.08.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, (माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह

*(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 13.11.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, (माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह

2. कमेटी फॉर डिजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, (माननीय) सीनियर जज (जे–1), सेकंड सीनियर जज (जे–2), एडवोकेट जनरल, श्री वी पी श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट

नोटः इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय XXIV के नियम 3 (2) के अंतर्गत गठित समिति।

3. रूल्स कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

सब कमेटी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा हेतु, 1952, सामान्य नियम (आपराधिक), 1977 और सामान्य नियम (सिविल), 1957 भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रकाश में:

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल, श्री हिमांशु दयाल श्रीवास्तव, एचजेएस, श्री औशिम लूथरा, एडवोकेट

4. लीगल सर्विसेज

A. चेयरमैन, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी

B. लीगल सर्विसेज सब कमेटी, लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय

नोटः "लीगल सर्विसेज" समिति, जिसमें "हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज समिति, इलाहाबाद" और "लीगल सर्विसेज उप–समिति, लखनऊ" शामिल हैं, अब से एमिकस क्यूरी की नियुक्ति और उन्हें फीस के भुगतान से जुड़े मामलों को भी देखेगी।

5. कमेटी टू सुपरवाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द ज्यूडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट रिलेटिंग टू करिकुलम, कोर्स कंटेंट एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह

6. (A) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / कम्प्यूटराईजेशन कमेटी

(B) कमेटी फॉर डिजिटाइजेशन एंड वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स (फॉर इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, एंड कोर्ट्स सबोर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

समिति 6(A) निम्नलिखित मामलों की भी देखरेख करेगी:

i. कंप्यूटरीकरण

ii. ई–कोर्ट परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए दिशानिर्देश / ई–कोर्ट परियोजनाओं का पर्यवेक्षण

iii. उच्च न्यायालय में CCTV कैमरों की खरीद और स्थापना, तथा उच्च न्यायालय परिसर और U.P. राज्य के अन्य न्यायालयों में Wi-Fi सुविधाएँ उपलब्ध कराना

iv. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अपनाकर न्यायालय की कार्यवाही की व्यवहार्यता की जाँच करना

v. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई, 2020 को जारी पत्र के अनुसरण में कदम उठानाय यह पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समिति के उस निर्देश के संबंध में है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को शुरू करने, उसकी अवधारणा तैयार करने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति गठित करने पर विचार करने को कहा गया है।

vi. समिति नए मामलों से संबंधित उन मामलों को भी देखेगी जो सूचीबद्ध होने (listing) के चरण तक पहुँच चुके हैं।

vii. समिति ई–भुगतानों (e-payments) के माध्यम से विविध जमा राशियों के प्रबंधन के लिए नियम भी बनाएगी।

viii जनपद न्यायालयों में CCTV कैमरों की खरीद / स्थापना से संबंधित मामलों को भी समिति ही देखेगी।

ix. विशेष अधिकारी (सतर्कता) के कार्यालय के अभिलेखों की स्कैनिंग से संबंधित मामलों को समिति द्वारा देखा जाएगा।

7. रूल्स कमेटी अंडर सेक्शन 123 ऑफ सीपीसी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी, श्री अशोक मेहता, सीनियर एडवोकेट, श्री मनीष गोयल, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, प्रयागराज

*(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 17.09.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी, न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र, श्री अशोक मेहता, सीनियर एडवोकेट, श्री मनीष गोयल, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, प्रयागराज

8. कमेटी टू मॉनिटर द प्रिपरेशन / एडिशन / मॉडिफिकेशन / अपडेटेशन ऑफ रोल ऑफ एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट

A. इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

B. लखनऊ

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार

9. कमेटी फॉर टैक्सिंग जज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट, 1870

A. इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

B. लखनऊ बेंच

माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया

10. कमेटी टू कंसिडर द मैटर्स विथ रिगार्ड टू इंट्रा–डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ जूरिस्डिक्शन्स विदिन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऐज अंडरः

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री जे. जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

नोटः समिति उत्तर प्रदेश के जनपदों में न्यायालयों की स्थापना से संबंधित मामलों पर भी विचार करेगी।

11. कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ मैटर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स सबआर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद पेंडिंग विथ द स्टेट गवर्नमेंटः

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजन राय

12. कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ "एक्शन प्लान फॉर एरियर्स रिडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी (APAaR-DJ)" (इवॉल्व्ड बाय द कमेटी फॉर मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स फॉर ट्रायल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट अपीलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड टू सजेस्ट अ प्लान फॉर रिडक्शन ऑफ एरियर्स इन द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द हानरेबल सुप्रीम कोर्ट):

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

सब कमेटीज

A. टू मॉनिटर एंड सजेस्ट स्टेप्स फॉर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद एंड मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स (इंक्लूडिंग असाइनमेंट ऑफ केसेस टू मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स) थ्रूआउट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

B. फॉर मॉनिटरिंग द केसेस पर्टेनिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेज एक्ट, 2012 (पोक्सो एक्ट)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

नोटः यह समिति HIV अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के तरीके तैयार करने हेतु एकत्रित जानकारी पर विचार–विमर्श भी करेगी।

C. टू सजेस्ट सॉल्यूशन्स फॉर एंश्योरिंग एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक बाउंसिंग केसेस)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

D. टू मॉनिटर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ एक्जीक्यूशन पिटीशन्स/एप्लीकेशन्स यू/एस 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ, न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

E. टू मॉनिटर द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CrPC एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार

F. एंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 05.09.2024 के आदेश द्वारा गठितय जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विविध आवेदन संख्या 2034/2022 (MA 1849/2021 के अंतर्गत) में, SLP (Crl) संख्या 5191/2021 – जिसका शीर्षक 'सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य' है – के संबंध में दिनांक 06.08.2024 को पारित आदेश के अनुसरण में है)

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 20.09.2024 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 21.02.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र, न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल

G. टू मॉनिटर द केसेस रिलेटेड टू पेटी ऑफेन्सेज (इंक्लूसिव चालान अंडर मोटर व्हीकल एक्ट)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

13. कमेटी फॉर कम्प्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ हानरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रिट पिटीशन (सिविल) नं. 349 ऑफ 2006– वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब टे. यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स, फॉर पीरियॉडिकली ओवरसी द प्रोग्रेस ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू 'द प्री–कन्सेप्शन एंड प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स

(प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट, 1994

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला

14. ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी टू मॉनिटर द डिस्पोजल/डिस्ट्रक्शन ऑफ सीज्ड ड्रग्स इन द लाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ होनश्बल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन क्रिमिनल अपील नं. 652 ऑफ 2012 टाइटल यूनियन ऑफ इंडिया टे. मोहन लाल एण्ड अनदर

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

15. (A) एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी एंड ई–लॉ रिपोर्ट कमेटी फॉर हाई कोर्ट

(B) कमेटी फॉर पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ इंडियन लॉ रिपोर्टर इंक्लूडिंग इट्स ऑनलाइन वर्जन।

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा

नोटः उपर्युक्त समिति, AI–सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद कार्य के अतिरिक्त, 'डिजिटल लॉ रिपोर्ट' के प्रकाशन का कार्य भी देखेगी; जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय (उनके अनुवादित संस्करणों सहित), उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय और उनके अनुवाद शामिल होंगे, तथा इसमें खोज (search) की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

16. ग्रिवांस रेड्रेसल कमेटी

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 03.05.2023 के आदेश द्वारा गठित, जो SLP (C) संख्या 5440/2020 में M.A. 859/2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.04.2023 के आदेश के अनुसरण में है)

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, (माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, एडवोकेट जनरल, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

17. एक्सेसिबिलिटी कमेटी फॉर हाई कोर्ट

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 04.01.2024 के आदेश द्वारा, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 06.11.2023 के पत्र के अनुसरण में गठित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

18. कमेटी फॉर सर्विस कंडीशन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 12.01.2024 के आदेश द्वारा गठित, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 643/2015 पर पारित दिनांक 04.01.2024 के आदेश के अनुसरण में)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, चेयरपर्सन, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एल.आर., रजिस्ट्रार जनरल, एक्स–ऑफिशियो सेक्रेटरी, श्री अनूप कुमार गोयल, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज

19. कमेटी फॉर वर्क्स रिलेटिंग टू जी.पी.एफ. एंड पेंशन पेपर्स ऑफ हानरेबल सिटिंग जजेस

माननीय सीनियर जज (जे–1)

20. कमेटी फॉर मेडिकल रीइम्बर्समेंट ऑफ फॉर्मर जजेस

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

21. कमेटी फॉर वर्क्स रिलेटेड टू मेडिकल रीइम्बर्समेंट ऑफ हानरेबल सिटिंग जजेस

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी

22. लाइब्रेरी कमेटी फॉर इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार, न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर

लाइब्रेरी कमेटी फॉर लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर, न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति श्री मंजीव

शुक्ल

नोटः उपर्युक्त समितियाँ उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान में मौजूदा पुस्तकालय के विस्तार पर भी विचार करेंगी, ताकि उस स्थान का सदुपयोग किया जा सकेय साथ ही, वे नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रस्तावों की अनुशंसा भी करेंगी।

23. कमेटी फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

24. कमेटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर नॉमिनेटिंग ऐज न्याय बंधु एंड टू लुक इंटू द मैटर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड सुपरविजन ऑफ ग्राम न्यायालयास

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

25. प्रोटोकॉल कमेटी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार, न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल

नोटः उपर्युक्त समितियाँ उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान में मौजूदा पुस्तकालय के विस्तार पर भी विचार करेंगी, ताकि उस स्थान का सदुपयोग किया जा सके; साथ ही, वे नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रस्तावों की अनुशंसा भी करेंगी।

26. A. इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी टू इन्क्वायर इंटू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 'द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहीबिशन एंड रेड्रेसल) एक्ट, 2013'

B. कमेटी टू डील विथ मैटर्स रिलेटिंग टू 'सेंसिटाइजेशन ऑफ फैमिली कोर्ट मैटर्स' इन द लाइट ऑफ लेटर डेटेड 09.06.2016 ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर

नोटः

1. समिति (A.) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को भी देखेगी।
2. समिति (B.) पारिवारिक न्यायालयों के कामकाज की निगरानी भी करेगी और उनकी संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान देगी।
3. समिति (B.) गोद लेने से संबंधित मामलों की निगरानी भी करेगी।

सब कमेटी

महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी त्रैमासिक विवरण के संबंध में (जनपद न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा

प्रो. सुमित्रा परमार (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक, महिला अध्ययन केंद्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, समिति (A.) की सदस्य होंगी–किंतु केवल आंतरिक शिकायतों से संबंधित मामलों के निपटान हेतु।

27. सिक्योरिटी कमेटी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार

28. A. पी.आई.एल सेल, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

B. पी.आई.एल सेल, लखनऊ बेंच

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा

29. म्यूजियम एंड आर्काइव्स कमेटी

A. सुपरवाइजरी कमेटी फॉर लॉ म्यूजियम एंड आर्काइव्स, इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार, न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

B. सुपरवाइजरी कमेटी फॉर हाई कोर्ट म्यूजियम एंड आर्काइव्स, लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार, न्यायमूर्ति श्री सैय्यद कमर हसन रिजवी

30. लिटिगेशन कमेटी (ज्यूडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार

31. कमेटी फॉर मेडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर

A. इलाहाबाद

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 22.07.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला

B. लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर

नोटः उपर्युक्त समितियाँ, क्रमशः अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के मध्यस्थता संबंधी मामलों की भी जाँच करेंगी।

32. कमेटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर एट इलाहाबाद एंड लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार निगम

33. कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई कोर्ट डिस्पेंसरी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह

34. कमेटी फॉर पब्लिकेशन्स इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज लेटर

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

35. कमेटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ रोबस्ट एंड फेल सेफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमैटिक लिस्टिंग ऑफ केसेजरू

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

36. स्टाफ कार कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

37. कमेटी डीलिंग विथ ट्रांसलेशन अदर दैन दैट ऑफ कमेटी नंबर 15

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

*(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 13.11.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार

38. कमेटी फॉर सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन्स इन परमानेंट लोक अदालत

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल

39. कमेटी फॉर सेलेक्शन ऑफ प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स / लेबर कोर्ट्स, यू.पी. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4–ई(1)(ए) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह

40. कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट्स / स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज, न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

41. कमेटी टू एग्जामिन द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी टू एंशुअर कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन्स ऑफ हानरेबल एपेक्स कोर्ट एंड दिस हानरेबल कोर्ट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

सह–योजित सदस्यः

चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एल.आर., गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस), गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (पी.डब्ल्यू.डी.), गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंजीनियर–इन–चीफ (पी.डब्ल्यू.डी.)

42. कमेटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ लॉयर्स चौंबर्स

A. इलाहाबाद (ओल्ड बार बिल्डिंग)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार, न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह

43. कमेटी टू मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हानरेबल जजेस' बंगला एट 19, क्लाइव रोड, प्रयागराज एंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर क्लास–I एंड क्लास–II ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट एट देवघाट, झलवा, प्रयागराज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

44. वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर, न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश, न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र

45. A. कमेटी फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग गेस्ट हाउसेस ऑफ हाई कोर्ट एट इलाहाबाद ऑर एनी अदर प्लेस विदिन द स्टेट, एक्सेप्ट लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

B. कमेटी फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग गेस्ट हाउसेस ऑफ हाई कोर्ट एट लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार

46. कमेटी टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर क्लास–III एंड क्लास–IV एम्प्लॉइज

ऑफ हानरेबल हाई कोर्ट एट लीडर रोड, प्रयागराज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

*(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 18.08.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

47. बिल्डिंग कमेटी

A. इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

B. लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

नोटः

1. इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट के परिसर और बगीचों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण का काम भी यह समिति ही करेगी।
2. समिति हाई कोर्ट में खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल न्यायिक और प्रशासनिक विभागों को फिर से आवंटित करने की संभावना पर विचार करेगी।
3. समिति इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए आवासीय आवासों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी भी करेगी।
4. माननीय मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 27.08.2025 के आदेश के अनुसार, समिति माननीय न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सरकारी बंगलों के रखरखाव/नवीनीकरण की निगरानी भी करेगी।

48. कमेटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंशन सेंटर, म्यूजियम एंड आर्बिट्रेशन सेंटर एट इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

49. कमेटी फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान ऑन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर दिस ऑनएब्ल कोर्ट एंड इट्स बेंच एट लखनऊ

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह, न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर

50. कमेटी टू प्लान एंड मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी–लेवल पार्किंग, एडवोकेट्स चौंबर्स एंड रिकॉर्ड रूम्स, इन प्लेस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट बंगलेज ऐज पर प्लान अप्रूव्ड

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

नोटः

1. समिति नई इमारत में वकीलों के चौंबर सहित जगह के आवंटन के लिए योजना बनाएगी और उसे लागू करेगी, तथा उसके प्रबंधन को भी विनियमित करेगी।
2. समिति 12वीं मंजिल पर स्थित हॉल के उपयोग और आवंटन के लिए दिशानिर्देश बनाएगी।
3. समिति नजूल प्लॉट 58, सिविल स्टेशन, प्रयागराज में नए पावर सब–स्टेशन के निर्माण/रखरखाव से संबंधित मामलों की निगरानी भी करेगी।

51. हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी

(गोमती नगर, लखनऊ में नए उच्च न्यायालय भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की निरंतर निगरानी हेतु गठित) {कार्यालय ज्ञापन संख्या 2272 / सात–न्याय– के परिप्रेक्ष्य में}

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एल.आर., रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच,

लखनऊ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस), प्रिंसिपल सेक्रेटरी (पीडब्ल्यूडी), चीफ इंजीनियर (पीडब्ल्यूडी), चीफ आर्किटेक्ट (पीडब्ल्यूडी), स्पेशल सेक्रेटरी (लॉ)

52. एक्सपेंडिचर कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

नोटः इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर भी विचार किया जाएगाः

1. जिला न्यायपालिका के अधीन न्यायालयों के उपयोग हेतु फोटोकॉपी मशीनें, फैक्स मशीनें, जनरेटर, कूलर और सरकारी वाहन खरीदना।
2. अनुपयोगी कारों, वस्तुओं, साज–सज्जा के सामान आदि का निपटान।

53. फाइनेंस एंड बजट कमेटी

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला

नोटः समिति उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालयों के बजट आवंटन की भी देखरेख करेगी।

54. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग एंड एक्सपीडिशस डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल, न्यायमूर्ति श्री अवनीश सक्सेना

55. A. 'एरियर्स कमेटी' फॉर एक्सपीडिशस डिस्पोजल ऑफ सिविल केसेज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट

B. "डिस्पोजल रिव्यू कमेटी" टू मॉनिटर द इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड केसेज ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड टू मेक सजेशन्स फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन व्यू ऑफ लेटर डेटेड 11 जून, 2018 ऑफ हानरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह

56. स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटीज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

57. कमेटी टू कंसिडर द ट्रांसफर ऑफ स्टाफ फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ एंड वाइस वर्सा

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ

नोटः समिति जनपद न्यायपालिका के कर्मचारियों के अंतर–जनपद स्थानांतरण पर भी विचार करेगी, जो मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन के अधीन होगा।

58. कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट (इंक्लूडिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड कन्फर्मेशन) ऑफ ऑल गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट, एक्सेप्ट ऑफिसर्स ऑफ हायर ज्यूडिशियल सर्विस ऑन डेपुटेशन

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

नोटः

यह समिति उच्च न्यायालय के राजपत्रित अधिकारियों को ACP प्रदान करने तथा वरिष्ठता निर्धारण के मामले को भी देखेगी।

59. कमेटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन ऑफ क्लास–III एंड क्लास–IV एम्प्लॉइज अप टू द ग्रेड ऑफ रिव्यू ऑफिसर्स इन द हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट अंडर डाइंग इन हार्नेस रूल्स, 1974

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर

60. A. जज इन–चार्ज पीएस / एपीएस सेक्शन, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी

B. जज इन–चार्ज बीएस सेक्शन, इलाहाबाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला

*(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 26.09.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

C. जज इन–चार्ज पीएस / एपीएस एंड बीएस सेक्शन, लखनऊ

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय

61. अलॉटमेंट कमेटी

A. अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंसेज टू एम्प्लॉइज ऑफ द हाई कोर्ट, इलाहाबाद

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री जे.जे. मुनीर, न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल

B. हाउस अलॉटमेंट फॉर एम्प्लॉइज एट लखनऊ बेंच

(माननीय) न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, न्यायमूर्ति श्री मनीश कुमार

62. लीव एन्कैशमेंट, जी.पी.एफ. एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटर कार एडवांस, जी.पी.एफ., आदि ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

63. कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रेग्युलराइजेशन ऑफ डेली वेज / कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड को–टर्मिनस सेवकस ऑन ग्रुप 'डी' पोस्ट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

64. कमेटी फॉर डीलिंग विथ फॉलोइंग मैटर्सः

1. एप्लीकेशन रिलेटेड टू पेंशनग्रेच्युटी मैटर्स ऑफ ऑल रिटायरिंगधरिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स
2. एप्लीकेशन रिलेटेड टू फैमिली पेंशन/डेथ ग्रेच्युटी केसेज ऑफ ऑल डिकीज्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स
3. मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल एड फ्रॉम यू.पी. बेनेवोलेंट फंड
4. रेजिग्नेशन ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम यू.पी. न्यायिक सेवा/यूपीएचजेएस
5. मैटर्स रिलेटेड टू सर्विस ऑफ समन्स अपॉन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम यूपीएचजेएस
6. ग्रांट ऑफ परमिशन टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स टू राइट/गेट पब्लिश बुक्स, आर्टिकल्स आदि
7. ग्रांट ऑफ परमिशन टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स टू विजिट अब्रॉड
8. ग्रांट ऑफ परमिशन टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स टू पर्स्यू अकादमिक कोर्सेज

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 20.05.2025 के आदेश द्वारा पुनर्गठित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी

65. कमेटी टू डील विथ फॉलोइंग मैटर्सः

A. एचजेएस सेलेक्शन्स एंड अपॉइंटमेंट्स

B. कमेटी ऑफ जजेज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द यू.पी. जुडिशियल ऑफिसर्स' रूल्स, 2001

C. एक्सामिन द मैटर ऑफ इंटरसे सीनियरिटी ऑफ द एचजेएस ऑफिसर्स

(आदेश दिनांक 15.07.2025 द्वारा पुनर्गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

66. कमेटी टू रिव्यू एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पोस्टेड ऑन डेपुटेशन टू अदर ऑर्गनाइजेशन्स ऑर स्टेट गवर्नमेंट

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री

सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा

67. कमेटी टू डील विथ द रिप्रेजेंटेशन्स ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

नोटः जनपद न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की ACR में दर्ज टिप्पणियों के उन्नयन से संबंधित मामलों पर भी उपर्युक्त समिति द्वारा ही विचार किया जाएगा।

68. कमेटी टू डील विथ फॉलोइंग मैटर्सः

A. ग्रांट ऑफ सुपर टाइम्स स्केल्स टू द ऑफिसर्स इन एचजेएस कैडर

B. ग्रांट ऑफ सेलेक्शन ग्रेड टू द ऑफिसर्स इन एचजेएस कैडर

C. ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग एडवांस इन्क्रीमेंट्स टू ऑफिसर्स विथ एन एलएलएम डिग्री, ग्रांट ऑफ एसीपी स्केल्स एंड ग्रांट ऑफ फर्स्ट इन्क्रीमेंट

D. विजिलेंस

E. टू डिजिग्नेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज ऐज डिस्ट्रिक्ट जजेज

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह

नोटः न्यायिक अधिकारियों की पिछली सेवा की गणना, वेतन निर्धारण और वेतन समानीकरण से संबंधित मामलों पर भी उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

69. जज इन–चार्ज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स ऑफ द ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, वेयर नाइदर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी/डिस्ट्रिक्ट जज नॉर द रिव्यूइंग अथॉरिटी/अक्सेप्टिंग अथॉरिटी, आई.ई. एडमिनिस्ट्रेटिव जज, हू हैज सीन द वर्क ऑफ द ज्यूडिशियल ऑफिसर फॉर थ्री मंथ्स ऑर मोर, इज अवेलेबल

माननीय न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह

70. कमेटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास–III एंड क्लास–IV एम्प्लॉइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार–X, न्यायमूर्ति श्री मदन पाल सिंह

नोटः

1. समिति, सरकार के पास लंबित उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों पर भी विचार करेगी; न्यायालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर विचार करेगी; और उनकी शिकायतों की जाँच करेगी।
2. समिति, उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की 'वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट' (ACR) में दर्ज टिप्पणियों के उन्नयन (अपग्रेडेशन) से संबंधित अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी।
3. समिति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'सेवाकाल में मृत्यु नियम' (Dying in Harness Rules) के तहत नियुक्ति के अनुरोधों पर भी विचार करेगी।
4. समिति, जनपद न्यायालयों में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता की जाँच से संबंधित मामलों पर भी विचार करेगी।

71. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग्स/इन्क्वायरीज पेंडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

72. कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 02.07.2024 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह,

न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

73. कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीपीआईओ, कैपिओ एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इन एमएसीटीएस, एलएआरआरएएस एंड कॉमर्शियल कोर्ट्स

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 02.09.2024 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

74. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 08.11.2024 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर, न्यायमूर्ति श्री हरवीर सिंह

75. कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑफ स्ट्राइक/एब्स्टेनेशन फ्रॉम ज्यूडिशियल वर्क बाय लर्नेड एडवोकेट्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 06.01.2025 के आदेश द्वारा गठित (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19804–19805/2024 – फैजाबाद बार एसोसिएशन बनाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित दिनांक 20.12.2024 के आदेश के पैरा 09 के आलोक में))

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

76. कमेटी फॉर एंश्योरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर मेल्स, फीमेल्स, पीडब्लूडी एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन कोर्ट प्रिमाइसेज एंड ट्रिब्यूनल्स

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 06.02.2025 के आदेश द्वारा, रिट याचिका (सिविल) संख्या 538 / 2023, जिसका शीर्षक 'राजीब कलिता बनाम भारत संघ और अन्य' है, में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित)

माननीय सीनियर जज, हाई कोर्ट, इलाहाबाद (प्रिंसिपल सीट), प्रिंसिपल सेक्रेटरी (लॉ) एंड एल.आर. (माननीय मुख्य न्यायमूर्ति का आदेश, दिनांकरू 27.02.2025), चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ यू.पी., फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ यू.पी., पी.डब्ल्यू.डी. सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ यू.पी., रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) (इन्फ्रास्ट्रक्चर – हाई कोर्ट), रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) (इन्फ्रास्ट्रक्चर – डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स), सेक्रेटरी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

77. कमेटी टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन प्री–मैच्योर रिलीज ऑफ द कंविक्ट्स, विथ रिगार्ड टू रिमिशन/सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ अ कंविक्ट अंडर सेक्शन 432(2) सीआर.पी.सी (सेक्शन 473(2) बी.एन.एस.एस.)

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 17.04.2025 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

78. कमेटी फॉर कंसिडरिंग द मैटर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स इन यू.पी. न्यायिक सेवा

(रजिस्ट्रार (जे) (गोपनीय) के कार्यालय नोट पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 23.07.2025 के आदेश द्वारा गठित)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी

79. कमेटी फॉर डीलिंग विथ इश्यूज पर्टेनिंग टू परमिशन टू लॉ स्टूडेंट्स टू अंडरगो इंटर्नशिप अंडर हानरेबल जजेज

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 18.08.2025 के आदेश के अनुसार)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री चन्द्र धारी सिंह

80. कमेटी टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड डेट रिकवरी

अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ द स्टेट (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 617–618/2013 (जो S.L.P.(C) संख्या 22808–22809/2010 से उत्पन्न हुई है) – यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम ऋण वसूली अधिकरण बार एसोसिएशन व अन्य – में दिए गए निर्देशों के आलोक में, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 01.12.2025 के आदेश द्वारा पुनर्जीवित/गठित।)

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद

81. कमेटी फॉर 'कंसिडरिंग द सर्कुलेशन ऑफ जजमेंट्स टू द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी'

(माननीय) न्यायमूर्ति श्री राजन राय, न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

उच्च न्यायालय के
महत्वपूर्ण निर्णय







माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

(i) भारत संघ और 4 अन्य बनाम नमो नारायण प्रसाद

केस नंबर : WRIT - A No. - 19109 of 2023
फ़ैसले की तारीख़ : 09.09.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:145955-DB

डाक विभाग द्वारा दायर रिट याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ पीठ द्वारा मूल आवेदन संख्या 541 वर्ष 2022 में दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश के अंतर्गत अधिकरण ने मूल आवेदक पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (कम्पलसरी रिटायरमेंट) लागू करने वाले दिनांक 30.09.2022 के पुनरीक्षणीय आदेश को निरस्त कर दिया था तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2017 को पारित दंडादेश को यथावत् बनाए रखा था।

इस दंडादेश के अनुसार, मूल आवेदक को उप डाकपाल (सब पोस्ट मास्टर) के पद से पाँच वर्ष की अवधि के लिए डाक सहायक (डाक असिस्टेंट) के पद पर पदावनत (रिवर्जन) किया गया था। साथ ही, उसकी वेतन निर्धारण पाँच वर्ष के लिए डाक सहायक के वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर किया गया, भविष्य की वेतनवृद्धियों पर रोक लगाई गई, ₹3,88,060/– की वसूली निर्धारित की गई तथा उक्त अवधि को केवल सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणनीय माना गया।

मूल आवेदक, जो दिनांक 07.08.2012 से 26.06.2014 तक सिकंदरपुर बस स्टैंड में उप डाकपाल के रूप में कार्यरत था, को 26.06.2014 को निलंबित कर दिया गया था। इसके उपरांत, दिनांक 15.09.2014 को एक प्रमुख दंड (मेजर पेनल्टी) संबंधी आरोप–पत्र जारी किया गया, जिसमें ₹3,88,060/– की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के साथ दो आरोप लेख (आर्टिकल्स ऑफ चार्ज) सम्मिलित थे।

विभागीय जांच की गई, जिसमें आरोप सिद्ध पाए गए। कारण बताओ नोटिस तथा उत्तर प्राप्त होने के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी ने उपर्युक्त दंडादेश पारित किया। दिनांक 13.04.2018 को अपील निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दंड को बढ़ाने के आशय से सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 29(1)(vi) के अंतर्गत दिनांक 30.06.2022 को नोटिस जारी किया और उत्तर पर विचार करने के बाद दिनांक 30.09.2022 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया।

अधिकरण ने पुनरीक्षण आदेश को निरस्त करते हुए मूल दंड को यथावत् रखा तथा बिना बकाया वेतन (केवल सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अवधि की गणना करते हुए) बहाली का निर्देश दिया।

डाक विभाग का तर्क था कि आरोप गंभीर प्रकृति के थे, पुनरीक्षण प्राधिकारी दंड बढ़ाने के लिए सक्षम था, कथित जाली वाउचर जांच का अभिन्न हिस्सा थे तथा प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं थी। दूसरी ओर, मूल आवेदक का कहना था कि पाँच वर्ष के उपरांत दंड में वृद्धि करना अनुचित है, जाली वाउचर आरोप–पत्र का भाग नहीं थे तथा पूरी प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी।

न्यायालय ने विधिक प्रावधानों, अधिसूचनाओं तथा संपूर्ण विभागीय अभिलेख का परीक्षण किया।

(ii) मेसर्स रीजेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ इसके निदेशक राहुल सिंह और अन्य बनाम मेसर्स सियोगी एंटरप्राइजेज थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य

केस नंबर : आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 37 के तहत अपील नंबर - 75 ऑफ़ 2024
निर्णय की तिथि : 12.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:83328-DB

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, लखनऊ द्वारा मध्यस्थता वाद संख्या 35/2019 में दिनांक 06.11.2024 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं की धारा 34 के अंतर्गत दायर याचिका निरस्त कर दी गई थी तथा एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांक 31.12.2018 को पारित मध्यस्थीय निर्णय (अवार्ड) को यथावत् बनाए रखा गया था।

अपीलकर्ता, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वीवो मोबाइल हैंडसेट एवं सहायक उपकरणों के अनन्य वितरक थे, ने दिनांक 01.08.2016 को प्रतिवादियों (विज्ञापन एजेंसी) के साथ विज्ञापन एवं विपणन सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक अनुबंध किया। उक्त अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान निहित था तथा इसकी सीमा लखनऊ नगर में किए जाने वाले विज्ञापन कार्यों तक निर्धारित थी।

अनुबंध के अंतर्गत कार्यादेश जारी किए गए और निष्पादित किए गए। इनमें से कुछ कार्यादेश लखनऊ के बाहर स्थित जनपदों से संबंधित थे, यद्यपि वे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर ही थे। अवैतनिक चालानों के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों ने मध्यस्थता की कार्यवाही आरंभ की।

एकमात्र मध्यस्थ ने लंबित बिलों (जिसमें लखनऊ के बाहर किए गए कार्य भी सम्मिलित थे) के संबंध में ₹4,22,82,216/– की मूल राशि, ₹1,11,36,586/– का ब्याज, ₹3,14,915/– का टीडीएस तथा ₹18,06,275/– का व्यय, इस प्रकार कुल ₹5,55,39,992/– की राशि प्रदान करते हुए अवार्ड पारित किया।

अपीलकर्ताओं का तर्क था कि लखनऊ के बाहर किए गए कार्यों से संबंधित दावे मध्यस्थता उपबंध एवं मूल अनुबंध के दायरे से बाहर थे। तथापि, वाणिज्यिक न्यायालय ने यह कहते हुए आपत्तियों को निरस्त कर दिया कि पक्षकारों ने अपने आचरण द्वारा अनुबंध के दायरे का विस्तार कर लिया था।

अपीलकर्ताओं ने यह भी प्रतिपादित किया कि मध्यस्थ तथा वाणिज्यिक न्यायालय, दोनों ने ऐसे विवादों का निस्तारण करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, जो मध्यस्थता समझौते के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, अतः अवार्ड पूर्णतः अवैध है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों का कहना था कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं लखनऊ के बाहर के कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किए, उन कार्यों को स्वीकार किया, आंशिक भुगतान किया, और इस प्रकार अपने आचरण से अनुबंध की सीमा का विस्तार किया। अनुबंध में संशोधन की संभावना का भी प्रावधान था तथा मध्यस्थ ने पक्षकारों के व्यवहार के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला।

न्यायालय ने धारा 34 एवं 37 के अंतर्गत हस्तक्षेप के सीमित क्षेत्राधिकार, मध्यस्थता उपबंध, अनुबंध की शर्तों तथा पक्षकारों के आचरण का सम्यक् परीक्षण किया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता

(i) पंकज कुमार और 11 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

केस नंबर : स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 570 ऑफ़ 2025
फ़ैसले की तारीख़ : 21.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:143147-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्य

अपीलकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2016 में सहायक अध्यापक के रूप में की गई थी। सितम्बर 2023 में उनकी सेवाएँ इस आधार पर समाप्त कर दी गईं कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक उनके पास बी.टी.सी. प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था। इस आदेश को उन्होंने रिट–ए संख्या 15776 तथा 16010 सन् 2023 के माध्यम से चुनौती दी, जिन्हें दिनांक 29.01.2024 को स्वीकार कर लिया गया।

विद्वान एकल न्यायमूर्ति श्रीने सेवा–समापन आदेश को निरस्त करते हुए तीन सप्ताह के भीतर अपीलकर्ताओं को पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया। उक्त अवधि को सेवा की निरंतरता हेतु काल्पनिक (नोटIONAL) माना गया, परन्तु 'कार्य नहीं, वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर वेतन देने से इनकार किया गया।

प्रतिवादियों द्वारा उक्त निर्णय को अंतः–न्यायालय अपील में चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 24.04.2024 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 23.08.2024 को अस्वीकार कर दिया गया। किसी भी स्तर पर स्थगनादेश (स्टे) प्राप्त न होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने अपीलकर्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। विशेष अनुमति याचिका के निरस्त होने के पश्चात् ही अपीलकर्ताओं को दिनांक 14.10.2024 को कार्यभार ग्रहण करने दिया गया। उन्हें वेतन केवल 01.01.2025 से प्रदान किया गया।

अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ की गई, परन्तु अवमानना न्यायालय ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना का कोई मामला न पाते हुए (क्योंकि प्रतिवादी उपाय तलाश रहे थे) याचिका का निस्तारण कर दिया, जिससे वेतन का दावा पृथक कार्यवाही हेतु खुला रहा। इसके पश्चात् अपीलकर्ताओं ने रिट–ए संख्या 4160/2025 प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 20.02.2024 (29.01.2024 के निर्णय के तीन सप्ताह पश्चात) से 31.12.2024 तक के वेतन का दावा किया गया।

विद्वान एकल न्यायमूर्ति श्रीने केवल वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (15.10.2024) से वेतन देने की अनुमति दी तथा उससे पूर्व की अवधि (20.02.2024 से 15.10.2024) के लिए 'कार्य नहीं, वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर वेतन से इनकार कर दिया। वर्तमान अंतः–न्यायालय अपील इसी अस्वीकृति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

खंडपीठ का विचार

खंडपीठ ने कहा कि दिनांक 29.01.2024 के निर्णय का पालन प्रतिवादियों द्वारा तीन सप्ताह के भीतर किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि किसी भी अपीलीय या उच्चतर न्यायालय द्वारा कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया था। विधिक उपायों का सहारा लेने मात्र से राज्य को बाध्यकारी न्यायिक आदेश के पालन से मुक्त नहीं किया जा सकता।

'कार्य नहीं, वेतन नहीं' का सिद्धांत पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है और इसे उस स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता जब नियोक्ता स्वयं कर्मचारी को कार्य करने से वंचित रखे।

अपीलकर्ता कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्पर थे, किन्तु प्रतिवादियों द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका गया। अवमानना न्यायालय द्वारा जानबूझकर अवहेलना न पाए जाने का निष्कर्ष केवल अवमानना कार्यवाही तक सीमित था तथा वेतन के अधिकार पर कोई अंतिम निर्णय नहीं था।

जब रिट न्यायालय पूर्व में ही पुनःस्थापन का आदेश दे चुका था, तब वेतन से इनकार करना कठोर एवं अनुचित होगा।

इस संदर्भ में रतूड़ी बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के निर्णय का उल्लेख किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यदि नियोक्ता की त्रुटि के कारण कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, तो 'कार्य नहीं, वेतन नहीं' के आधार पर वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश

विशेष अपील स्वीकार की जाती है। रिट–ए संख्या 4160/2025 में विद्वान एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा दिनांक 11.04.2025 को पारित आदेश को उस सीमा तक निरस्त किया जाता है, जिसमें दिनांक 20.02.2024 से 15.10.2024 की अवधि के लिए वेतन देने से इनकार किया गया था।

प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलकर्ताओं को दिनांक 20.02.2024 (अर्थात् 29.01.2024 के निर्णय के तीन सप्ताह की अवधि समाप्त होने की तिथि) से वेतन का भुगतान करें। अपील दायर करने में 85 दिनों की विलंबता को क्षम्य किया गया। **अपील स्वीकृत; विवादित अवधि हेतु वेतन भुगतान का निर्देश**

(ii) मोहम्मद शाहिद और 2 अन्य बनाम भारत संघ और 4 अन्य

केस नंबर : रिट-सी नंबर 16025 ऑफ़ 2024
फ़ैसले की तारीख़ : 04.07.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:108580-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्य

याचिकाकर्ताओं की भूमि (गाटा संख्या 156, क्षेत्रफल 0.6053 हेक्टेयर, ग्राम सरनिया, तहसील एवं जनपद बरेली) का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया। धारा 3–ए के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 28.01.2022 को जारी की गई तथा धारा 3–डी के अंतर्गत घोषणा दिनांक 13.09.2022 को प्रकाशित की गई, जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि समस्त अवरोधों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्रीय सरकार में निहित हो गई।

सक्षम प्राधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 06.07.2023 को पुरस्कार (अवार्ड) पारित किया गया, जिसमें भूमि हेतु ₹3,02,65,000/– तथा अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर) हेतु ₹2,95,64,257/– का मुआवज़ा, साथ ही सोलातियम एवं अन्य विधिक लाभ सहित कुल ₹12,48,72,386/– निर्धारित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 17.07.2023 को एनएचएआई के परियोजना निदेशक से उक्त धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। परियोजना निदेशक ने उच्चाधिकारियों

से वित्तीय स्वीकृति मांगी, किन्तु एनएचएआई ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 23.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए धनराशि जारी करने से इंकार कर दिया, जिसमें भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नई देनदारियों के सृजन पर रोक लगाई गई थी। परियोजना (चरण–I) को संशोधित सीसीईए स्वीकृति तक स्थगित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की शरण लेकर ब्याज सहित निर्धारित मुआवज़े के भुगतान हेतु निर्देश की प्रार्थना की।

उच्च न्यायालय का विचार

माननीय खंडपीठ ने यह प्रतिपादित किया कि धारा 3–डी(1) के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात भूमि पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। सरकार को धारा 3–एफ के अंतर्गत भूमि में प्रवेश कर राजमार्ग निर्माण का कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

धारा 3–एच(1) के अंतर्गत भूमि पर कब्ज़ा लेने से पूर्व मुआवज़े की राशि जमा करने का प्रावधान भूमि स्वामियों के लिए एक सुरक्षा उपाय है, जिसका उपयोग अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा भुगतान में विलंब या उसे रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय राजमार्ग (राशि जमा करने की विधि आदि) नियम, 2019 के नियम 3 के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी (एनएचएआई) को मांग प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक धनराशि सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होती है, ताकि भूमि स्वामियों को भुगतान किया जा सके।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दिनांक 23.11.2023 का कार्यालय ज्ञापन केवल नए कार्यों, अनुबंधों एवं नई देनदारियों पर लागू होता है; यह पहले से अधिग्रहित भूमि, जो सरकार में निहित हो चुकी है, के संबंध में पारित अवार्ड के अंतर्गत देय मुआवज़े पर लागू नहीं होता। अतः एनएचएआई द्वारा भुगतान से इंकार करना विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल तथा अवैध है।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश

रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। एनएचएआई को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सूचना प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर दिनांक 06.07.2023 के अवार्ड के अनुसार संपूर्ण मुआवज़े की राशि सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराए, ताकि याचिकाकर्ताओं एवं अन्य प्रभावित व्यक्तियों को विधि के अनुसार भुगतान किया जा सके। व्यय (कॉस्ट) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। (रिट याचिका स्वीकृत; एनएचएआई को चार सप्ताह के भीतर मुआवज़ा जारी करने का निर्देश।)



माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा

(i) प्रबंधन समिति गृह लक्ष्मी सहकारी आवास समिति लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः रिट - सी संख्या 24279 सन् 2024
निर्णय दिनांक : 22-08-2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:134604-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्य

याचिकाकर्ताकृगृह लक्ष्मी सहकारी आवास समिति लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर की प्रबंधन समिति, उसके अध्यक्ष (याचिकाकर्ता संख्या 2) तथा सचिव (याचिकाकर्ता संख्या 3)– ने अतिरिक्त निबंधक/अपर आवास आयुक्त द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती दी।

पहला आदेश दिनांक 30.05.2024, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 की धारा 38(1) के अंतर्गत पारित हुआ, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव को एक माह के भीतर पद से हटाने का निर्देश दिया गया।

दूसरा आदेश दिनांक 04.07.2024, जो धारा 38(2) के अंतर्गत पारित हुआ, जिसमें उन्हें पदच्युति अथवा अयोग्यता से पूर्व सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

विवाद फ्लैट संख्या एच–207, जो श्रीमती कुंता देवी (प्रतिवादी संख्या 4) को आवंटित था, से संबंधित था। आरोप था कि पूर्व सचिव ने सोसायटी के खाते में धनराशि जमा किए बिना उक्त फ्लैट उनके नाम पंजीकृत कर दिया।

श्रीमती कुंता देवी ने अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु निबंधक से संपर्क किया, जिसके फलस्वरूप 27.05.2024 को एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया। यह कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि धारा 38 के अंतर्गत की गई कार्यवाही पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे, मनमानी तथा अवैध है। फ्लैट संबंधी विवाद पहले से ही मध्यस्थ के समक्ष लंबित है। निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने जैसे कठोर निर्णय हेतु कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

जांच एकपक्षीय थी तथा संबंधित पक्षों की शिकायतों पर आधारित थी। आदेश पारित करते समय लंबित मध्यस्थता कार्यवाही तथा इस तथ्य की उपेक्षा की गई कि पूर्व सचिव ने अभिलेखों का प्रभार हस्तांतरित नहीं किया था।

अतिरिक्त निबंधक ने मूल अभिलेख प्रस्तुत किए। श्रीमती कुंता देवी एवं अन्य सदस्यों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं। धारा 66 के अंतर्गत दो सदस्यीय जांच समितियाँ गठित की गईं।

जांच रिपोर्ट में वर्तमान समिति के असहयोग, संदिग्ध आचरण तथा कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। इन रिपोर्टों के आधार पर धारा 38 के अंतर्गत कार्यवाही की संस्तुति की गई और विवादित आदेश पारित हुए।

खंडपीठ ने मूल अभिलेखों का अवलोकन कर पाया कि फ्लैट एच–207 के स्वामित्व एवं भुगतान संबंधी मूल विवाद पहले ही धारा 70 के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु भेजा जा चुका था और विचाराधीन था।

जांच रिपोर्टें एकपक्षीय थीं तथा याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण पर समुचित विचार नहीं किया गया था। वे अत्यधिक रूप से शिकायतकर्ताओं से प्रभावित थीं।

न्यायालय ने कहा कि धारा 38(1) एवं 38(2) के अंतर्गत प्रदत्त कठोर शक्तियों का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जब वही विषय मध्यस्थ के समक्ष लंबित हो। आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव में तथा बिना समुचित विचार के पारित किए गए थे।

दिनांक 30.05.2024 एवं 04.07.2024 के आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव तथा मनमाने होने के कारण निरस्त कर दिए गए।

प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के प्रबंधन कार्य में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया गया।

रिट याचिका व्यय सहित स्वीकार की गई।

(ii) विकास कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः रिट - सी संख्या 33495 सन् 2024
निर्णय दिनांक : 10.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:5205-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्य

याचिकाकर्ता–क्षेत्र पंचायत दुदही, जनपद कुशीनगर के निर्वाचित सदस्यकृने प्रतिवादी संख्या 4 (खंड प्रमुख) के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति को चुनौती दी। दिनांक 12.08.2024 को 139 निर्वाचित सदस्यों में से 101 सदस्यों ने विधिवत शपथपत्र सहित निर्धारित प्रारूप में धारा 15(2), उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जिलाधिकारी को लिखित सूचना दी। कार्रवाई न होने पर रिट याचिका दायर की गई।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने दिनांक 17.08.2024 की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 21.08.2024 को सूचना अस्वीकृत कर दी, जिसमें 48 हस्ताक्षरों को जाली बताया गया। रिट लंबित रहने के दौरान जिलाधिकारी ने 12.11.2024 को उक्त अस्वीकृति की पुष्टि की।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशि नंदन ने तर्क दिया कि जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचना अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 15 के अंतर्गत केवल जिलाधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी है। जिलाधिकारी किसी समिति को हस्ताक्षरों की सत्यता के परीक्षण का कार्य नहीं सौंप सकते। यदि सूचना पर आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, तो 15 दिन की सूचना देकर 30 दिनों के भीतर बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। कथित जालसाजी की जांच धारा 15 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

प्रतिवादियों ने कहा कि 48 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अस्वीकार करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत किए थे।

जिलाधिकारी को प्रारंभिक संतुष्टि हेतु समिति गठित करने का अधिकार है। खंड प्रमुख को पक्षकार न बनाए जाने के कारण याचिका दोषपूर्ण बताई गई।

खंडपीठ ने कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी को धारा 15 के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं है। केवल जिलाधिकारी (या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी) ही कार्रवाई कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने समिति गठित कर तथा अधिकारी को आदेश पारित करने की अनुमति देकर अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि–

- जिलाधिकारी को केवल अभिलेखों के आधार पर प्रथम दृष्टया संतुष्टि करनी होती है कि सूचना पर आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर हैं या नहीं।
- जालसाजी या धोखाधड़ी की विस्तृत जांच इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है।

12.11.2024 का आदेश बिना पर्याप्त विचार एवं न्यायालय की टिप्पणियों के पश्चात शीघ्रता में पारित किया गया था। खंड प्रमुख को पक्षकार न बनाना एक सुधार योग्य त्रुटि मानी गई।

दिनांक 21.08.2024 एवं 12.11.2024 के आदेश निरस्त कर दिए गए। दिनांक 17.08.2024 की जांच रिपोर्ट भी निरस्त की गई। रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा ₹50,000/– व्यय राज्य पर अधिरोपित किया गया (जिसकी वसूली संबंधित जिलाधिकारी से की जा सकती है)।

जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि–

- वे स्वयं अभिलेखों के आधार पर सूचना की जांच करें,
- प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर,
- 15 दिन की पूर्व सूचना देकर 30 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु बैठक आयोजित करें।



माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी

(i) ऋषि कुमार जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्या : रिट-सी संख्या 21150/2014
निर्णय दिनांक : 18.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:166896-DB

याचिकाकर्तागण, जो स्वर्गीय राज नारायण जैन के पुत्र हैं, द्वारा राज्य सरकार के दिनांक 06 फरवरी 2012 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके माध्यम से उनकी भूमि के समायोजन अथवा अधिसूचना निरस्तीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था तथा दिनांक 11 मार्च 2003 के पूर्ववर्ती शासकीय आदेश को निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आगरा स्थित सिकंदरा गृह स्थान एवं सड़क योजना हेतु, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धाराओं 28 एवं 32 के अंतर्गत प्रारंभ की गई समस्त भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। विवादित भूमि में आगरा जनपद के ककरेथा क्षेत्र के खसरा प्लॉट संख्याएँ 898, 899, 901, 902, 905, 906 एवं 909 सम्मिलित हैं, जो योजना के सेक्टर–10 में स्थित हैं। वर्ष 1970 एवं 1980 में अधिसूचनाएँ निर्गत की गईं तथा वर्ष 1981 में आपातकालीन उपबंध लागू किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत भी याचिकाकर्ताओं एवं उनके पिता द्वारा अधिग्रहण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अनेक दीवानी वाद एवं रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। प्रारंभ में अस्थायी निषेधाज्ञाएँ प्रदान की गईं, परंतु पश्चात् सभी मामलों में उन्हें निरस्त कर दिया गया। दिनांक 27 दिसंबर 1999 को राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया तथा 28 दिसंबर 1999 को इसे परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की भूमि सहित क्षेत्र को डॉ. वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट को विद्यालय स्थापना हेतु आवंटित किया गया। दिनांक 30 दिसंबर 2000 को लीज़ डीड निष्पादित हुई, कब्जा हस्तांतरित किया गया, भवन योजना स्वीकृत हुई तथा विद्यालय का निर्माण एवं अभिलेखों में प्रविष्टि कर दी गई। परिषद द्वारा वर्ष 1999 में ही विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष प्रतिकर राशि जमा कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा निरंतर वाद प्रस्तुत करने से प्रक्रिया में विलंब हुआ।

खंडपीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया कि भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2), अधिनियम, 1965 के अंतर्गत अधिग्रहण पर लागू नहीं होती। 2013 अधिनियम का उद्देश्य केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करना था, जबकि 1965 अधिनियम एक स्वतंत्र विधि के रूप में प्रभावी है। यह विधिक स्थिति पूर्ववर्ती खंडपीठीय निर्णयों द्वारा स्थापित हो चुकी है। यद्यपि धारा 24(2) को लागू मान भी लिया जाए, तथापि कोई त्रुटि नहीं पाई गई क्योंकि वर्ष 1999 में कब्जा ग्रहण कर लिया गया था तथा प्रतिकर जमा कर दिया गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण प्रकरण में संविधान पीठ के निर्णय के उपरांत धारा 24(2) में प्रयुक्त "या" शब्द का अर्थ "न तो" अथवा "और" के रूप में किया गया है।

अत्यधिक विलंब एवं लापरवाही के कारण रिट याचिका भी बाधित पाई गई। सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी थी तथा भूमि पर विद्यालय संचालित हो रहा था। अतः न्यायालय द्वारा रिट याचिका पूर्णतः निरस्त कर दी गई तथा अधिग्रहण को वैध ठहराया गया। कब्जा अथवा नवीन प्रतिकर के संबंध में कोई राहत प्रदान नहीं की गई।

(ii) वेद प्रकाश सैनी एवं 45 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्यारू रिट-सी संख्या 35876/2022 (प्रमुख वाद)
निर्णय दिनांक : 23.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:169573-DB

मुख्य रिट याचिका में याचिकाकर्ता, जो भूमि स्वामी हैं, द्वारा कृषि उत्पादन मंडी समिति, मुरादाबाद को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28–A के अंतर्गत विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के दिनांक 17 फरवरी 2022 के आदेश के अनुपालन हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की गई। उक्त आदेश के माध्यम से दिनांक 30 अप्रैल 1977 की अधिसूचना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के लिए प्रतिकर का पुनर्निर्धारण किया गया था। संबंधित रिट याचिकाएँ मंडी समिति द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गईं।

मझोला ग्राम, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद में स्थित 47.98 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1977 में किया गया था। वर्ष 1982 में ₹15.75 प्रति वर्ग गज की दर से प्रतिकर निर्धारित किया गया। कुछ भूमि स्वामियों द्वारा धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ प्रस्तुत किए गए। पुनर्विचार, पुनर्वापसी एवं अपील की विभिन्न कार्यवाहियों के उपरांत, संदर्भ न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में ₹108 प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़ा हुआ प्रतिकर निर्धारित किया गया, जिसे उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया।

जिन भूमि स्वामियों ने धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ प्रस्तुत नहीं किए थे, उन्होंने वर्ष 2016 के निर्णय के आधार पर धारा 28–A के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2022 को आवेदन स्वीकार करते हुए ₹108 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर का पुनर्निर्धारण किया गया। मंडी समिति ने इस आदेश को परिसीमा (limitation) के आधार पर चुनौती दी, जबकि भूमि स्वामियों ने इसके अनुपालन की मांग की।

खंडपीठ ने अभिमत दिया कि धारा 28–A एक लाभकारी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य समान अधिसूचना के अंतर्गत समान परिस्थितियों वाले भूमि स्वामियों के मध्य प्रतिकर में असमानता को समाप्त करना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनवारी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय दिया गया कि तीन माह की अवधि उस विशिष्ट निर्णय की तिथि से प्रारंभ होगी, जिस पर पुनर्निर्धारण हेतु निर्भर किया गया है, न कि किसी पूर्ववर्ती निरस्त निर्णय से। वर्ष 2016 में प्रस्तुत आवेदन, उसी वर्ष के निर्णय के संदर्भ में समयबद्ध पाए गए। पूर्ववर्ती वर्ष 1990 का निर्णय निरस्त हो चुका था, अतः उसे परिसीमा का आधार नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह भी पाया कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा आपत्तियों को सुनने के पश्चात विधि का समुचित अनुप्रयोग किया गया। मंडी समिति द्वारा उठाई गई परिसीमा एवं ग्राह्यता संबंधी आपत्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित लाभकारी व्याख्या के विपरीत होने के कारण निरस्त कर दी गईं। विलंब के संबंध में प्रस्तुत तर्क भी अस्वीकृत कर दिए गए, क्योंकि यह विलंब स्वयं मंडी समिति द्वारा आरंभ की गई दीर्घकालीन वाद प्रक्रिया का परिणाम था।

फलस्वरूप, भूमि स्वामियों की रिट याचिका स्वीकार की गई तथा मंडी समिति की संबंधित रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी का दिनांक 17 फरवरी 2022 का आदेश यथावत रखा गया तथा मंडी समिति को आदेश के अनुपालन सहित भूमि स्वामियों को विधिसम्मत लाभों सहित बढ़ा हुआ प्रतिकर अदा करने का निर्देश दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा

(i) राजधारी एवं अन्य बनाम साधना देवी

वाद संख्या : प्रथम अपील संख्या 493/2025
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:213837-DB

अपीलकर्ता, जो एक सैनिक अधिकारी के माता–पिता हैं, जिनकी 14 जनवरी 2008 को कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु हो गई थी, ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2025 को पारित निर्णय को चुनौती दी। उक्त निर्णय में प्रतिवादी साधना देवी को उनके पुत्र की विधिवत विवाहित पत्नी (विधवा) घोषित किया गया था। कथित विवाह 12 मई 2007 को जनपद आजमगढ़ में सम्पन्न हुआ था।

अपीलकर्ताओं का कथन था कि उक्त तिथि को केवल सगाई सम्पन्न हुई थी तथा वास्तविक विवाह 24 अप्रैल 2008 को प्रस्तावित था, जो कभी सम्पन्न नहीं हुआ।

खंडपीठ ने यह अवलोकन किया कि मृतक की माता ने पूर्व में गुजरात उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने 12 मई 2007 को अपने पुत्र का साधना देवी से विवाह स्वीकार किया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत्योपरांत लाभ एवं सम्मान हेतु उनका दावा अस्वीकार कर दिया था। दिनांक 19 अप्रैल 2009 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में साधना देवी को मृतक की विधवा के रूप में मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया गया। तत्पश्चात गुजरात उच्च न्यायालय में हुई कार्यवाहियाँ भी इसी आधार पर संचालित हुईं कि वे विधवा थीं।

पारिवारिक न्यायालय द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विवाह निमंत्रण पत्र पर पिता की हस्तलिपि पाई गई। विवाह में सम्मिलित गवाहों के मौखिक साक्ष्य सुसंगत एवं अपरिवर्तित रहे। दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ कि मृतक ने विवाह हेतु अवकाश के लिए आवेदन किया था तथा वधूपक्ष द्वारा एक मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप प्रदान की गई थी। विवाह सम्पन्न न होने अथवा "विदाई" न होने का तर्क निराधार पाया गया।

न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विवाह विधिवत सम्पन्न हुआ था। अतः अपील निरस्त कर दी गई तथा विवादित निर्णय की पुष्टि की गई। साधना देवी को मृतक सैनिक अधिकारी की विधिवत विवाहित विधवा माना गया।

(ii) राजीव कुमार माहेश्वरी बनाम श्रीमती कल्पना माहेश्वरी

वाद संख्याः प्रथम अपील संख्या 152/2025
निर्णय दिनांक : 25.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:173454-DB

पति द्वारा पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर कर यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया कि पत्नी के नाम पर क्रय की गई संपत्ति बेनामी लेन–देन नहीं है, जो बेनामी संपत्ति लेन–देन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2016) के अंतर्गत आता है।

पति–पत्नी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे। पत्नी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वाद की ग्राह्यता पर प्रश्न उठाया। पारिवारिक न्यायालय ने यह कहते हुए वाद निरस्त कर दिया कि यह वाद पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(1)(ब) के अंतर्गत आता है तथा बेनामी अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित है।

खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि पति–पत्नी के मध्य संपत्ति के स्वामित्व संबंधी विवाद पूर्णतः पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, न्यायालय ने यह भी माना कि पारिवारिक न्यायालय ने ग्राह्यता के प्रश्न का उचित निर्धारण किए बिना तथा साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किए बिना वाद को गुण–दोष के आधार पर निरस्त कर त्रुटि की।

अतः विवादित निर्णय को निरस्त कर वाद को पुनः विचारार्थ पारिवारिक न्यायालय को प्रेषित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि वाद का शीघ्र निस्तारण किया जाए। अपील स्वीकार कर ली गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिड़ला

(i) सर्वनारायण तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या 328 सन् 1986
निर्णय दिनांक : 30.05.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:93335-DB

दोनों आपराधिक अपीलों में अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, बलिया द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 249/1984 में दिनांक 10.12.1985 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 तथा 201/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः आजीवन कारावास एवं तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था। शुभ नारायण तिवारी एवं सीताराम तिवारी की अपील निरस्त कर दी गई। शेष अपीलकर्ताओं में मुख्य अपील में सर्वनारायण तिवारी (मृतका के पति) तथा संबद्ध अपील में श्रीमती सरस्वती देवी उर्फ सुरसतिया (मृतका की विवाहित ननद) सम्मिलित हैं।

अभियोजन पक्ष का कथन था कि दिनांक 06.09.1984 को अपराह्न में समस्त अभियुक्तों ने मृतका सुनैना देवी को उनके घर के बाहर निर्ममता से पीटा। तत्पश्चात उन्हें घर के भीतर घसीट कर ले जाया गया, जहाँ उनके मुख पर धारदार हथियार से प्रहार कर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उनके शव को अग्नि के हवाले कर दिया गया। पड़ोसी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों (PW–1 श्री राम तिवारी, PW–2 व्यास तिवारी एवं PW–3 श्यामलाल तिवारी) ने मारपीट देखी, मृतका की चीखें सुनीं, घर से धुआँ निकलते देखा तथा बाद में कक्ष के भीतर उनका जला हुआ शव पाया। उसी दिन तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पोस्टमार्टम से यह सिद्ध हुआ कि मृत्यु का कारण चेहरे पर पूर्व–घातक (एंटे–मॉर्टम) चोट, गला घोंटना तथा शरीर पर चतुर्थ श्रेणी के दग्ध घाव थे। घटनास्थल से जली हुई मिट्टी एवं बाल बरामद किए गए।

अपीलकर्ताओं का तर्क था कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, जिसमें साक्ष्य श्रृंखला अपूर्ण है; तीनों प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों में सुधार हुआ है; प्राथमिकी में जीवित अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई आरोप नहीं था; प्रयुक्त हथियार की बरामदगी नहीं हुई; तथा कथित उद्देश्य (मृतका का फूलन देव तिवारी से अवैध संबंध) सिद्ध नहीं हुआ। जोस उर्फ पप्पाचन बनाम पुलिस उपनिरीक्षक (2016) 10 SCC 519 पर निर्भर करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है तथा संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

राज्य की ओर से प्रतिवाद किया गया कि यह घर के भीतर घटित मारपीट, हत्या एवं शव दहन का प्रत्यक्ष प्रमाणित मामला है। घटना अभियुक्तों के गृह के भीतर एकांत में घटित हुई, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देना अभियुक्तों का दायित्व था। गवाहों के कथन संगत हैं, प्राथमिकी तत्काल दर्ज हुई तथा चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन के कथन की पूर्ण पुष्टि करते हैं।

डिवीजन बेंच ने साक्ष्यों, प्रकरण डायरी एवं धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित बयानों का सूक्ष्म परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि तीनों स्वतंत्र पड़ोसी गवाहों के कथनों में कोई महत्वपूर्ण सुधार या विरोधाभास नहीं है। उनके कथन प्रारंभ से ही सुसंगत रहे। स्थल योजना तथा कक्ष के मध्य से जली हुई मिट्टी एवं बालों की बरामदगी ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि की। यदि इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में भी देखा जाए तो साक्ष्य श्रृंखला पूर्ण पाई गई। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अधीन अभियुक्तों पर दायित्व था, जिसे वे संतोषजनक रूप से निर्वहन नहीं कर सके। प्रतिरक्षा साक्ष्य अविश्वसनीय पाया गया। जब घटनाक्रम का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, तब हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं है।

अतः दोनों अपीलें निरस्त की जाती हैं। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। शेष अपीलकर्ताओं के जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उन्हें तत्काल अभिरक्षा में लेकर दण्ड भोग हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया को आदेश के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु एक माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया जाता है।

(ii) रक्षपाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या 2806 सन् 1983
निर्णय दिनांक : 13.02.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:20258-DB

इस आपराधिक अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, एटा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 242/1983 में दिनांक 15.11.1983 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 एवं 397 के अंतर्गत सात वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 460 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था, जो साथ–साथ चलने थे। अपीलकर्ता संख्या 2 जगदीश की अपील उसकी मृत्यु के कारण समाप्त हो गई। सह–अभियुक्त रामेश्वर की संबद्ध अपील को दिनांक 28.03.2024 को समन्वय पीठ द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसकी सजा को भोगी गई अवधि तक सीमित कर दिया गया, जबकि दोषसिद्धि यथावत रखी गई। शेष अपील केवल रक्षपाल द्वारा प्रस्तुत है।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 25/26.07.1982 की मध्यरात्रि के समय सशस्त्र अभियुक्त–रामेश्वर (एस.बी.बी.एल. बंदूक सहित), मेहंदी (लाठी सहित), जगदीश एवं रक्षपाल (दोनों पिस्तौल सहित)–छत के माध्यम से ग्राम नगला हिम्मत स्थित शिकायतकर्ता शिवराज सिंह के घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने परिवारजनों को घेर लिया, गृह–सामग्री की लूट की, शिकायतकर्ता के भाई जोहरी पर गोली चलाई जिससे उसके पैर में गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई, तथा शिकायतकर्ता के पिता रामचंद्र पर लाठी से प्रहार किया। घटना को शिकायतकर्ता, उसके भतीजों एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों ने जलती लालटेन एवं गवाहों की टॉर्च की रोशनी में देखा। उसी रात्रि प्रातः 5:30 बजे तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई।

PW–1 शिवराज सिंह (शिकायतकर्ता), PW–2 रामनाथ एवं PW–3 रामचंद्र (घायल) ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत किया। पोस्टमार्टम एवं चोट प्रतिवेदन सहित चिकित्सकीय साक्ष्यों ने प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि की। लालटेन, टॉर्च, रक्तरंजित मिट्टी, रिक्त कारतूस तथा स्थल योजना सहित अन्य भौतिक साक्ष्य सिद्ध किए गए। विचारण न्यायालय ने समस्त अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया।

अमिकस क्यूरी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गवाह पक्षपाती एवं संबंधी हैं; विवेचना में त्रुटियाँ हैं; स्थल योजना गोली चलने की दिशा से मेल नहीं खाती; रक्षपाल को मृत्यु हेतु कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई; तथा धारा 460 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित नहीं किया गया। अतः दोषमुक्ति की प्रार्थना की गई।

राज्य की ओर से प्रत्युत्तर दिया गया कि प्राथमिकी तत्काल दर्ज की गई; गवाह स्वाभाविक एवं घटनास्थल पर उपस्थित थे; विवेचना की लघु त्रुटियाँ अभियोजन को प्रभावित नहीं करतीं; अपीलकर्ता पिस्तौल से सुसज्जित था एवं रात्रि में घर में घुसकर सामूहिक आपराधिक कृत्य में सहभागी था; तथा धारा 222 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आलोक में धारा 460 भारतीय दण्ड संहिता का अनुप्रयोग विधिसम्मत है। यह भी इंगित किया गया कि समन्वय पीठ द्वारा सह–अभियुक्त रामेश्वर के संबंध में समान साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि यथावत रखी जा चुकी है।

डिवीजन बेंच ने समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर तथा विभिन्न उच्चतम न्यायालयीय निर्णयों (कृष्णा मोची, मसाल्टी, दरिया सिंह, अप्पाभाई, पुलिचेरला नागराजू, सतबीर सिंह, जयबालन, धरणीधर, बबन शंकर दफल, शाहजा आदि) का संदर्भ देते हुए यह प्रतिपादित किया कि संबंधी अथवा घायल गवाहों के साक्ष्य को मात्र संबंध के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे गवाह स्वाभाविक होते हैं, जिनकी उपस्थिति घटना की प्रकृति से ही सिद्ध होती है। जब उनका कथन सुसंगत हो, चिकित्सकीय एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो तथा शत्रुता या मिथ्या आरोप का कोई प्रमाण न हो, तब वह विश्वसनीय होता है। लघु विसंगतियाँ या तुच्छ भिन्नताएँ विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करतीं। स्थल योजना एवं बरामदगी ने अभियोजन के कथन का पूर्ण समर्थन किया।

अतः अपील में कोई सार न पाते हुए इसे निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता रक्षपाल की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उसे तत्काल अभिरक्षा में लेकर दण्ड भोग हेतु प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल प्रत्यावर्तित करने का निर्देश दिया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अत्ताउ रहमान मसूदी

(i) उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, इसके प्रबंध निदेशक, लखनऊ एवं अन्य बनाम तरुण कुमार शर्मा एवं अन्य

वाद संख्याः विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 280 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 16.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:40537-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत प्रस्तुत इस अंतःन्यायालयीय अपील में रिट–ए संख्या 4204 सन् 2025 में दिनांक 18.04.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश द्वारा एकल न्यायमूर्ति श्रीने रिट–ए संख्या 2000284 सन् 2014 (मोहम्मद असलम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 13.02.2023 के निर्णय के आलोक में प्रतिवादी–याचिकाकर्ताओं के ₹7,09,032/– के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावे के निस्तारण का निर्देश दिया था।

प्रतिवादी–याचिकाकर्ता स्वर्गीय शिव कुमार शर्मा के पुत्र हैं, जो वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश जल निगम से प्रभागीय अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जून–जुलाई 2015 में उनकी माता गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गईं। उन्हें दिनांक 18.06.2015 से 19.06.2015 तक सेंट जोसेफ अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ में भर्ती कराया गया, तत्पश्चात मिडलैंड हेल्थकेयर एवं अनुसंधान केंद्र, महानगर, लखनऊ में स्थानांतरित किया गया, जहाँ वे 19.06.2015 से 06.07.2015 तक भर्ती रहीं। 07.07.2015 को उन्हें अवकाश प्रदान किया गया तथा उसी दिन उनका निधन हो गया।

उनके पिता द्वारा दिनांक 09.09.2015 को चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा दिनांक 06.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर 21.11.2015 को निरस्त कर दिया गया। पश्चात् 09.01.2025 को उनका भी निधन हो गया। पूर्व में दायर रिट याचिका (संख्या 3641 सन् 2025) दिनांक 10.04.2025 को यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि उस पर प्रभावी रूप से पैरवी नहीं की गई थी, किन्तु निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तत्पश्चात पुनः रिट याचिका दायर की गई, जिसे एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा मोहम्मद असलम के निर्णय के अनुरूप त्वरित निस्तारण के निर्देश सहित स्वीकार कर लिया गया।

खंडपीठ ने विधिक ढाँचे का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 37 के अनुसार, स्थानीय स्वशासन अभियंत्रण विभाग से स्थानांतरित कर्मचारियों की सेवा शर्तों का संरक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम सेवा (अभियंता – लोक स्वास्थ्य शाखा) विनियमावली, 1978 के विनियम 31 के अनुसार जहाँ कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है, वहाँ शासकीय सेवकों पर लागू नियम लागू होंगे।

अतः चिकित्सीय प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा उपस्थिति) नियमावली, 2011 (संशोधित 2014) के अंतर्गत आती है। नियम 11 निजी अस्पतालों में आपातकालीन उपचार हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/एम्स दरों अथवा अधिकृत अस्पतालों हेतु सीजीएचएस दरों पर प्रतिपूर्ति की अनुमति देता है।

दिनांक 06.06.2013 का कार्यालय ज्ञापन, जो निगम बोर्ड की 160वीं बैठक के प्रस्ताव पर आधारित था, प्रतिपूर्ति पर प्रतिबंध लगाता था तथा इसे केवल सरकारी अस्पतालों में कैंसर/मस्तिष्क ट्यूमर के मामलों में 50% तक सीमित करता था। तथापि, अधिनियम, 1975 की धारा 97(1) के अनुसार ऐसे किसी विनियम हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी, जो इस प्रकरण में प्राप्त नहीं की गई। अतः उक्त ज्ञापन विधिसम्मत नहीं है तथा यह धारा 37, 97 या विनियम 31 के अंतर्गत प्रदत्त विधिक संरक्षण का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

21.11.2015 का निरस्तीकरण आदेश केवल इस अवैध कार्यालय ज्ञापन पर आधारित था, अतः वह विधिक दृष्टि से शून्य (नॉन–एस्ट) है। न्यायालय में जाने में हुई देरी को उचित माना गया तथा इससे याचिकाकर्ताओं के वैध अधिकारों का हनन नहीं हुआ।

विशेष अपील निरस्त की जाती है। एकल न्यायमूर्ति श्रीका दिनांक 18.04.2025 का आदेश पुष्टि किया जाता है। दिनांक 21.11.2015 का निरस्तीकरण आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 09.09.2015 को प्रस्तुत चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावे का विधि अनुसार निस्तारण करें तथा आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर स्वीकृत धनराशि का भुगतान करें। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(ii) मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह), लखनऊ एवं अन्य

वाद संख्याः रिट-ए संख्या 2359 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 26.03.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:17249-DB

याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक थे, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी अधीनस्थ श्रेणी (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(1) के अंतर्गत दिनांक 28.11.2013 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कथन था कि उक्त बर्खास्तगी आदेश उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 2016 में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने नियम 25 के अंतर्गत राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 25.04.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। पूर्व दावा याचिका संख्या 1511 सन् 2016 का निस्तारण दिनांक 10.08.2016 को दो माह के भीतर अभ्यावेदन के निस्तारण के निर्देश सहित किया गया। तत्पश्चात उन्होंने राज्य लोक सेवा अधिकरण में दावा याचिका संख्या 355/2018 दायर की, जिसे 12.07.2022 को अत्यधिक विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया गया तथा सीमा अवधि की गणना मूल बर्खास्तगी आदेश दिनांक 28.11.2013 से की गई।

खंडपीठ ने पाया कि अधिकरण द्वारा विधि में स्पष्ट त्रुटि की गई है। नियम 25 एक स्वतंत्र वैधानिक उपाय है, जो अन्य नियमों के अतिरिक्त उपलब्ध रहता है। जब याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर दिनांक 05.06.2017 को गुण–दोष के आधार पर विस्तृत निर्णय दिया गया, तब 'विलय का सिद्धांत' लागू हुआ। मूल बर्खास्तगी आदेश अभ्यावेदन निरस्तीकरण आदेश में विलीन हो गया और सीमा अवधि की गणना 05.06.2017 से की जानी चाहिए थी, न कि 28.11.2013 से।

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि बर्खास्तगी आदेश की सेवा नहीं हुई थी और उन्हें 2016 में जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने तत्पश्चात त्वरित कार्यवाही की। अतः विलंब उचित था। अधिकरण ने नियम 25 के महत्व तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की उपेक्षा की।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है। राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 12.07.2022 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण को पुनः अधिकरण को प्रेषित किया जाता है, ताकि वह आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर गुण–दोष के आधार पर पुनर्निर्णय करे। पक्षकारों को कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा

(i) शेर सिंह एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या 4508 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 11.11.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:176654-DB

इस अपील में प्रकरण अपराध संख्या 297 वर्ष 2012, थाना टूंडला, जनपद फिरोजाबाद से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 300669 वर्ष 2013 में सत्र न्यायमूर्ति, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 30.03.2024 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थीगण–शेर सिंह, अर्जुन सिंह तथा संजू–को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ₹10,000 के अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास (अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास) तथा धारा 364 के अंतर्गत ₹10,000 के अर्थदण्ड सहित दस वर्ष के कठोर कारावास (अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया गया। समस्त सजाएँ साथ–साथ चलने का आदेश दिया गया।

मृतक अमर पाल उर्फ रिंकू (आयु 25 वर्ष), सूचक चरण सिंह का पुत्र, वैष्णव धाम तीर्थ के समीप खिलौनों की दुकान संचालित करता था तथा वहीं निवास करता था। दिनांक 29.04.2012 को सायं लगभग 7:00 बजे भोजन उपरांत वह दुकान पर गया, किंतु वापस नहीं लौटा। अगले दिन प्रातः उसका क्षत–विक्षत शव ग्राम कुशायनी में राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर किशन ढाबे के निकट प्राप्त हुआ, जिस पर चाकू के अनेक घाव थे। दिनांक 30.04.2012 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की

गई। तत्पश्चात दिनांक 17.05.2012 को सूचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलार्थियों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें पूर्व वैमनस्य का उल्लेख किया गया था।

दिनांक 30.04.2012 को शव परीक्षण कराया गया, जिसमें चार प्रमुख चोटें पाई गईं–माथे एवं गाल पर कटे घाव तथा शरीर के अन्य भागों पर खरोंचें। दिनांक 16.08.2012 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया तथा धारा 364 एवं 302/34 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। अभियोजन द्वारा कुल दस साक्षियों का परीक्षण किया गया। बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है। 'अंतिम बार साथ देखे जाने' संबंधी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास पाए गए तथा कथित उद्देश्य (मोटिव) का भी समयोचित उल्लेख नहीं किया गया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि 'अंतिम बार देखे जाने' का सिद्धांत तभी लागू होगा जब परिस्थितियों की शृंखला पूर्ण एवं अखंड हो। साथ ही, जिन परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष विधिवत प्रस्तुत नहीं किया गया, उन पर दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने पाया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला अपूर्ण है, साक्ष्य अविश्वसनीय हैं तथा उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त कर उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा अन्य किसी प्रकरण में वांछित न होने की स्थिति में तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया।

(ii) बैंक ऑफ इंडिया एवं 3 अन्य बनाम सहजानंद राय एवं अन्य

प्रकरण संख्याः विशेष अपील संख्या 1 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 05.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:19692-DB

यह अंतः–न्यायालय अपील रिट–ए संख्या 53237/2014 में एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा दिनांक 22.03.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें याचिका स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी–याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभों का अधिकारी घोषित किया गया।

प्रत्यर्थी बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर–सह–क्लर्क के पद पर कार्यरत था। विभागीय कार्यवाही के उपरांत उसे दिनांक 19.09.2002 को सेवा से पृथक कर दिया गया।

बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 22 के अनुसार सेवा से पृथक्करण पर पेंशन हेतु अयोग्यता निर्धारित थी, किंतु वर्ष 2002 के समझौते के खंड 6(ब) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान था।

न्यायालय ने यह माना कि वर्ष 2002 का समझौता विशेष प्रकृति का है तथा यह सामान्य विनियमों पर वरीयता रखता है। अतः प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति लाभों का अधिकारी माना गया। वर्ष 2010 के समझौते के अंतर्गत पेंशन विकल्प से उसे वंचित करना अनुचित एवं मनमाना पाया गया।

अपील में कोई बल न पाते हुए उसे निरस्त कर दिया गया तथा एकल न्यायमूर्ति श्रीका आदेश यथावत रखा गया। बैंक को निर्देशित किया गया कि प्रत्यर्थी को पेंशन विकल्प का लाभ प्रदान करे तथा अवकाश नगदीकरण का भुगतान भी करे।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय

(i) श्री कॉलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक एवं अन्य के माध्यम से बनाम आभा गुप्ता

मामला संख्याः विशेष अपील संख्या - 394 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 16.12.2025
Neutral Citation No. - 2024:LKO: 84193-DB

अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 09.10.2025 को एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा निष्पादन वाद संख्या 1 वर्ष 2025 में पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36

के अंतर्गत डिक्रीधारक द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रार्थना–पत्र को उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष विचारणीय माना गया था। अपीलकर्ताओं का तर्क था कि यद्यपि विवादित पंचाट निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में पारित हुआ था, तथापि उसका स्थान (सीट) दिल्ली होने के कारण वह एक घरेलू पंचाट निर्णय है, अतः उसका निष्पादन जिला वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष किया जाना अपेक्षित है, न कि उच्च न्यायालय के समक्ष। यह भी प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1996 की धारा 36 को सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पढ़े जाने पर, निष्पादन डिक्री के रूप में जिला न्यायालय में ही किया जाना चाहिए तथा अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2016 द्वारा धारा 47 (स्पष्टीकरण) में किए गए संशोधन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल विदेशी पंचाट निर्णयों तक सीमित है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल समद (AIR 2018 SC 965) तथा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 10 का भी अवलंब लिया गया।

प्रतिवादियों की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(e)(ii) स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामलों में "न्यायालय" को उच्च न्यायालय के रूप में परिभाषित करती है, चाहे उसके पास मूल दीवानी क्षेत्राधिकार हो अथवा नहीं। खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील को विचारणीय माना, क्योंकि विवादित आदेश वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन मूल क्षेत्राधिकार में पारित किया गया था, जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के साथ समवेत रूप से पढ़ा जाना चाहिए तथा यह बहिष्करण उपबंध के अंतर्गत नहीं आता है।

वस्तुतः, खंडपीठ ने यह प्रतिपादित किया कि जब एक बार मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(f) के अर्थ में कोई विवाद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की श्रेणी में आ जाता है, तब धारा 36 के अंतर्गत उसके प्रवर्तन हेतु "न्यायालय" वही होगा जो धारा 2(1)(e)(ii) में निर्दिष्ट है, अर्थात् उच्च न्यायालय, भले ही पंचाट निर्णय घरेलू प्रकृति का क्यों न हो। अपीलकर्ताओं द्वारा स्थान–आधारित एवं पक्षकार–आधारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मध्य किया गया विभेदन अस्वीकार कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायमूर्ति श्रीके विवादित आदेश को यथावत् बनाए रखा गया तथा विशेष अपील निरस्त कर दी गई।

(ii) संजय शर्मा बनाम भारत संघ, मंत्रालय के कार्मिक सचिव एवं अन्य के माध्यम से

मामला संख्याः जनहित याचिका संख्या - 10701 वर्ष 2017
निर्णय दिनांक : 16.12.2025
Neutral Citation No. - 2024:LKO: 8419-DB

याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2017 में प्रस्तुत जनहित याचिका में यह प्रार्थना की गई थी कि दिनांक 19.03.2017 को विपक्षी पक्ष संख्या 5 एवं 6 की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्तियों को अवैध घोषित किया जाए, उनके विरुद्ध 'क्वो वारंटो' की रिट निर्गत की जाए, उनकी लोकसभा सदस्यता को रिक्त घोषित किया जाए तथा संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3(क) को असंवैधानिक घोषित किया जाए। यह प्रतिपादित किया गया कि विपक्षी पक्ष संख्या 5 एवं 6, संसद के वर्तमान सदस्य होते हुए, एक साथ मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं रह सकते, क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, निहित संवैधानिक निषेधों तथा एक व्यक्ति द्वारा एकाधिक संवैधानिक पद धारण करने के विरुद्ध संवैधानिक योजना का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 63, 64, 69, 70, 158 एवं 101, समवर्ती सदस्यता निषेध नियम, 1950 तथा संवैधानिक नैतिकता की संकल्पना का भी उल्लेख किया गया।

आगे यह भी अभिकथित किया गया कि राज्यपाल ने शपथ दिलाने से पूर्व संसद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता का निर्देश न देकर अनुच्छेद 164 के अधीन मनमाने ढंग से कार्य किया। यह भी अभिव्यक्त किया गया कि प्रार्थनाएँ (ii) एवं (iii) निरर्थक हो गईं, क्योंकि विपक्षी पक्षों ने वर्ष 2020 में अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया तथा तत्पश्चात नवीन निर्वाचन संपन्न हो गए। राज्य की ओर से प्रतिवाद किया गया कि संसद के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर कोई संवैधानिक निषेध नहीं है तथा 1959 के अधिनियम की धारा 3(क) वैध है।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि संविधान में ऐसी नियुक्ति पर कोई निषेधात्मक प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 191(1)(क) के अंतर्गत "सरकार के अधीन लाभ का पद" धारण करने वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है, परंतु संसद की सदस्यता सरकार के अधीन लाभ का पद न होकर एक निर्वाचित पद है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (अयोग्यता निवारण)

अधिनियम, 1971 का भी उल्लेख किया गया। अधिनियम, 1959 की धारा 3(क) को चुनौती इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई कि किसी विशिष्ट संवैधानिक उपबंध के उल्लंघन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं किया गया। परिणामतः, रिट याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

(i) सीता पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 19828 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:218906-DB

याचिकाकर्त्री, जो एक ठेकेदार हैं, ने अपने पति के माध्यम से यह रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की कि प्रखंड विकास अधिकारी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों को आपूर्ति किए गए निर्माण सामग्री के संबंध में 58,36,423 रुपये का भुगतान जारी करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्त्री के पति ग्राम रोजगार सेवक हैं। प्रासंगिक बिल प्रस्तुत कर अग्रेषित किए जा चुके थे, तथापि भुगतान इस आधार पर रोका गया कि दिनांक 21.03.2022, 25.04.2025 तथा 30.04.2025 के शासकीय आदेशों के अनुसार ग्राम रोजगार सेवक के निकट संबंधियों को हितों के टकराव के कारण मनरेगा पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किए जाने पर प्रतिबंध है।

खंडपीठ ने यह माना कि दिनांक 21.03.2022 का शासकीय आदेश स्पष्ट रूप से ग्राम रोजगार सेवक की पत्नी को विक्रेता के रूप में पंजीकरण से निषिद्ध करता है। यह भी माना गया कि याचिकाकर्त्री को उक्त प्रतिबंध की जानकारी थी, क्योंकि वह व्यापार में संलग्न एक ठेकेदार है और आपूर्ति आदेशों के पश्चात् अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के मध्य आपूर्ति की गई थी। यह तर्क कि उसे प्रतिबंध की जानकारी नहीं दी गई थी, अस्वीकार कर दिया गया। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि संपूर्ण याचिका एवं शपथपत्र उसके पति, जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिससे यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि याचिकाकर्त्री मात्र औपचारिक आवरण थी और वास्तविक लाभार्थी उसका पति ही था। यह स्थिति स्पष्ट रूप से हितों के गंभीर टकराव तथा प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रदर्शित करती है।

अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) शंकर शाही (स्वर्गीय) एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 25891 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 21.11.2025

याचिकाकर्तागण, जो मूल आवंटी के विधिक उत्तराधिकारी हैं, ने दिनांक 11.06.2021 के उस आदेश के प्रवर्तन की प्रार्थना की, जो रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था, जिसमें विकासकर्ता को प्रयागराज स्थित तुलसियानी स्क्वायर फेज़–II में स्थित फ्लैट संख्या 401 का कब्ज़ा विलंबित सुपुर्दगी के लिए ब्याज सहित प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। मूल आवंटी ने दिनांक 20.06.2013 के एक अनुबंध के अंतर्गत पर्याप्त राशि का भुगतान किया था। उक्त आदेश तथा तत्संबंधी निष्पादन कार्यवाही में पारित पश्चातवर्ती निर्देशों के बावजूद उनका पालन नहीं किया गया। निष्पादन आवेदन दिनांक 13.10.2022 को एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया तथा पुनःस्थापन आवेदन दिनांक 28.12.2024 को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्राधिकरण के पास पुनर्विचार का अधिकार नहीं है।

खंडपीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया कि याचिकाकर्ताओं के पास रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 44 के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील का समान रूप से प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जो प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच कर सकता है। याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ प्रदर्शित करने में असफल रहे। यह तर्क कि प्राधिकरण के पास पुनर्विचार का अधिकार नहीं है, अपीलीय अधिकरण को आदेश की शुद्धता की

जांच करने से वंचित नहीं करता।

अतः रिट याचिका पर विचार नहीं किया गया। तथापि यह निर्देश दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता आदेश की तिथि से 40 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हैं, तो अधिकरण उस अपील पर गुण–दोष के आधार पर विचार करे तथा उस अवधि की विलंबता को क्षम्य माने, जिसके दौरान याचिकाकर्ताओं ने सद्भावना में रिट याचिका का अनुगमन किया। उसी के अनुरूप याचिका का निस्तारण कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

(i) रवीन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील संख्याः 319 वर्ष 1984
निर्णय दिनांक : 12.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:162439-DB

अपीलकर्ता रवीन्द्र, ऋषिपाल, सतेंद्र तथा बृज भूषण ने विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 257/1981 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को चुनौती दी थी। उन्हें दिनांक 26 फरवरी 1981 को हरेंद्र कुमार की हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया था। अपील लंबित रहने के दौरान ऋषिपाल, सतेंद्र एवं बृज भूषण का निधन हो गया, फलतः उनकी अपील निरस्त हो गई तथा केवल रवीन्द्र की अपील शेष रही।

अभियोजन का कथन था कि दिनांक 26 फरवरी 1981 की संध्या को मृतक साइकिल से बाज़ार गया था और वापस नहीं लौटा। अगले दिन प्रातः उसकी मृतदेह कचहरी डाकघर के समीप पाई गई। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने यह कथित किया कि प्रत्यक्षदर्शी सतेन्द्र पाल एवं अनिल कुमार ने चारों अपीलकर्ताओं तथा दो अन्य व्यक्तियों को मृतक को किराये के एक कक्ष में ले जाते हुए देखा, जहाँ उन्होंने अप्राकृतिक दुष्कर्म के उद्देश्य से उस पर चाकुओं एवं डंडों से आक्रमण किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, किन्तु उन्हें धमकाकर समीपवर्ती कक्ष में बंद कर दिया गया। तत्पश्चात अभियुक्तगण कथित रूप से मृतदेह को रजाई में लपेटकर ले गए। अपीलकर्ताओं से चाकू तथा मृतक की साइकिल की बरामदगी दर्शाई गई।

खंडपीठ ने पाया कि दोनों प्रत्यक्षदर्शियों के कथन विश्वसनीय नहीं थे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिए गए उनके बयान तथा न्यायालय में दिए गए उनके साक्ष्य में अभियुक्तों की संख्या, कक्ष में प्रवेश की विधि, प्रयुक्त हथियारों तथा घटनाक्रम के संबंध में गंभीर विरोधाभास थे। गवाहों का आचरण भी अस्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने घटना देखने के बावजूद तत्काल कोई शोर–शराबा नहीं किया और न ही इसकी सूचना दी। वे अगले दिन बिना किसी को बताए अपने ग्राम चले गए तथा पुलिस के बुलाने पर ही लौटे। जिस कक्ष में घटना घटित होना बताया गया, वहाँ रक्त के चिह्न नहीं पाए गए। शव परीक्षण में भी अप्राकृतिक दुष्कर्म से संबंधित कोई चोट नहीं पाई गई। बरामदगी भी संदेहास्पद पाई गई, क्योंकि स्वतंत्र गवाहों का समर्थन नहीं था तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्तों के कथनों का विधिवत अभिलेखन नहीं किया गया था।

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अपना प्रकरण संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। रवीन्द्र की अपील स्वीकार की गई। उसे समस्त आरोपों से दोषमुक्त करते हुए, यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक न हो, तो तत्काल मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया।

(ii) नवनीत सचान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्याः 16946 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 26.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:174622-DB

याचिकाकर्ता नवनीत सचान तथा तीन अन्य ने दिनांक 31 अगस्त 2024 को थाना कर्वी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी को

चुनौती दी।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि उक्त प्राथमिकी विधि–विरुद्ध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 5 के अधीन अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पूर्व एक विधिवत गैंग चार्ट तैयार किया जाना चाहिए तथा पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक में समुचित विचार–विमर्श के उपरांत ही अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दिनांक 29 अगस्त 2024 को संपन्न संयुक्त बैठक मात्र औपचारिकता थी, जिसमें उपनिरीक्षक की दिनांक 25 अगस्त 2024 की प्रतिवेदन को बिना किसी स्वतंत्र विचार या प्रथमदृष्टया यह परीक्षण किए कि याचिकाकर्ता एवं कथित गिरोह सरगना अब्बास अंसारी लोक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे अथवा अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे थे, यथावत स्वीकार कर लिया गया।

खंडपीठ ने नियम 5(3)(क) का परीक्षण करते हुए कहा कि "समुचित विचार–विमर्श" का अर्थ यह है कि लोक व्यवस्था में व्यवधान तथा अवैध लाभ प्राप्ति की द्विविध आवश्यकताओं पर वास्तविक एवं विचारपूर्ण मंथन परिलक्षित होना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि दिनांक 29 अगस्त 2024 की संयुक्त बैठक में ऐसा कोई प्रथमदृष्टया निष्कर्ष अभिलेखित नहीं था तथा वह केवल औपचारिक स्वीकृति मात्र थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि पूर्व में दिनांक 15 मई 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा इसी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी निरस्त किए जाने के पश्चात 15 मई 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध निरंतर आपराधिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाला कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः रिट याचिका स्वीकार की गई तथा दिनांक 31 अगस्त 2024 की प्राथमिकी निरस्त कर दी गई। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम एवं नियमावली, 2021 के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करते हुए राज्य विधि के अनुसार पुनः कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा

(i) राकेश कुमार शुक्ला बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष, लखनऊ एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या- 4177 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 09.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:LKO:81966-DB

याची राकेश कुमार शुक्ला द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 को चुनौती दी गई, जिसके माध्यम से प्लॉट संख्या 1/205, विनीत खंड, गोमती नगर, लखनऊ को निजी प्रतिवादी विमल चंद केशरी, पुत्र स्वर्गीय वी.डी. केशरी, को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें वर्ष 1999 में पूर्ण भुगतान के उपरांत उक्त भूखंड आवंटित किया गया था। याची का कथन था कि उनके पिता कौशल किशोर शुक्ला, जो भूतपूर्व सैनिक (हवलदार) थे, को ग्राम सभा खरगापुर द्वारा दो पट्टे प्रदान किए गए थे। यह भी कहा गया कि हुसारिया द्वारा दिनांक 21.12.1973 एवं 02.09.1981 को खसरा संख्या 88 में 8 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रविष्टियाँ की गईं, जिस पर वर्ष 1980 में आवास निर्मित किया गया तथा पश्चात् नगर निगम द्वारा उसे मकान संख्या 1/205 के रूप में अभिलेखित कर वर्ष 2002 से गृहकर का भुगतान किया जा रहा है।

याची ने 51 वर्षों के निरंतर कब्जे, वर्ष 1998 के बोर्ड प्रस्ताव के अंतर्गत समान स्थिति वाले पट्टाधारकों के समायोजन तथा निजी प्रतिवादी को आवंटन को नियमों के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी। न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 122–ग के अंतर्गत प्रावधानों (जिसके अनुसार दिनांक 22.08.1971 से पूर्व सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है), नियम 115–एल से 115–ओ तथा ग्राम सभा मैनुअल का परीक्षण किया।

न्यायालय ने पाया कि कोई वैध पट्टा कभी प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, प्रपत्र 49–एफ में कोई आवंटन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा याची द्वारा केवल मौखिक कथनों एवं विधिक आधारविहीन अप्रमाणित रसीदों पर निर्भर किया गया। न्यायालय ने याची के दावे को कपोलकल्पित एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा

स्थापित करने का प्रयास माना तथा यह घोषित किया कि याची मात्र अनधिकृत कब्जाधारी है, जिसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

अभिलेखों एवं पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को छिपाने एवं मिथ्या प्रस्तुति के कारण भी याची के दावे को अस्वीकार किया गया। अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यवाही को विधिसम्मत एवं उचित ठहराया गया।

(ii) सूर्य लाल उर्फ शिव लाल एवं चनकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील संख्या-1201 वर्ष 2014 सहपठित आपराधिक
निर्णय दिनांक : 11.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:54711-DB

अपीलकर्ताओं सूर्य लाल उर्फ शिव लाल एवं चनकाऊ द्वारा अपर सत्र न्यायमूर्ति, बहराइच द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 49/2002 (अपराध संख्या 69/2001) में दिनांक 07.08.2014 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को चुनौती दी गई। अभियोजन के अनुसार दिनांक 05/06.08.2001 की रात्रि में कतर्नियाघाट रेंज, बहराइच में वन रक्षक जितेन्द्र सिंह श्रीवास्तव एवं वॉचर कल्लू की हत्या धारा 302/34, 353 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई थी।

अभियोजन का कथन था कि मृतकों द्वारा दिनांक 04.08.2001 को अपीलकर्ताओं को पूर्व में फटकार लगाए जाने के कारण, अपीलकर्ताओं ने किशोर हरिचंदा के साथ मिलकर पीड़ितों एवं सूचक नानमून को मार्ग में रोक लिया, उन्हें बांध दिया, वस्त्र उतार दिए तथा जितेन्द्र एवं कल्लू की चाकुओं से हत्या कर दी, जबकि नानमून को जाने दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.08.2001 को दर्ज की गई, परंतु अभियुक्तों के नाम दिनांक 13/14.09.2001 को अवैध कटान के प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात् ही सम्मिलित किए गए।

नेत्रसाक्ष्य, चिकित्सीय एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक् परीक्षण के उपरांत खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन का प्रकरण अनेक गंभीर त्रुटियों से युक्त है, जैसे अभियुक्तों के नाम बताने में अत्यधिक विलंब, अंधकार में बिना प्रकाश स्रोत के संदिग्ध पहचान, शासकीय साक्षियों के परस्पर विरोधी बयान, कथित बरामद चाकुओं से घावों का असंगत होना, एक माह पश्चात् साइकिल एवं वस्त्रों का रक्तरंजित अवस्था में संदिग्ध बरामद होना, त्रुटिपूर्ण अन्वेषण तथा स्वतंत्र पुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव। साथ ही, अभियोजन उद्देश्य अथवा अंतिम बार साथ देखे जाने की कड़ी को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा।

न्यायालय ने यह भी अभिलक्षित किया कि विचारण न्यायालय ने अनुमानों एवं कल्पनाओं के आधार पर अभियोजन की कमियों की पूर्ति की, जो विधि सम्मत साक्ष्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता। संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

फलतः अपीलें स्वीकार की गईं, दिनांक 07.08.2014 का निर्णय एवं आदेश निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं, जो कारागार में निरुद्ध थे, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (अब भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप धारा 481) के अंतर्गत 30 दिवस के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष निजी मुचलका एवं ₹25,000/– के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी

(i) राजू साहू एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, लखनऊ एवं अन्य

वाद संख्या : रिट-सी संख्या 1372 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 19.03.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:24227-DB

यह आवेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत एक स्पष्टीकरण प्रार्थना–पत्र (सी.एम. आवेदन संख्या IA/4/2024) है, जिसके माध्यम से प्रधान वाद में माननीय द्वैधपीठ द्वारा दिनांक 06.03.2024 को पारित निर्णय एवं आदेश में संशोधन एवं स्पष्टीकरण की प्रार्थना की गई है।

न्यायालय ने सर्वप्रथम पूर्व आदेश के अनुच्छेद 19 में विद्यमान मुद्रण त्रुटि का संशोधन करते हुए लागत राशि "4.18 लाख रुपये" के स्थान पर "4.79 लाख रुपये" निर्धारित की।

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व कार्यवाही में क्रमांक 13, 15, 16, 23, 27, 31 एवं 40 पर उल्लिखित व्यक्तियों की कुछ संपत्तियाँ वस्तुतः वाणिज्यिक प्रकृति की हैं, न कि आवासीय। उक्त संपत्तियाँ त्रुटिवश आवासीय परिसरों से संबंधित याचिकाओं के समूह में सम्मिलित हो गई थीं। आवेदन के साथ संलग्न छायाचित्रों से संरचनाओं का वाणिज्यिक स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिनांक 06.03.2024 का निर्णय केवल अकबर नगर क्षेत्र की आवासीय परिसंपत्तियों के संदर्भ में है। वाणिज्यिक परिसंपत्तियाँ दिनांक 27.02.2024 को रिट–सी संख्या 11383 वर्ष 2023 (मुख्य वाद) में पारित पृथक निर्णय से नियंत्रित होती हैं, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.02.2024 को अनुमोदित किया गया था। तथापि, दोनों निर्णय समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को संबंधित योजना के अंतर्गत पुनर्वास हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

न्यायालय ने निर्देशित किया कि जिन व्यक्तियों की संपत्तियाँ वाणिज्यिक हैं, उन्हें दिनांक 27.02.2024 के वाणिज्यिक परिसंपत्तियों संबंधी निर्णय के अधीन माना जाएगा, न कि दिनांक 06.03.2024 के आवासीय निर्णय के अधीन। ऐसे व्यक्तियों को दिनांक 20.03.2024 तक संबंधित योजना के अंतर्गत पुनर्वास हेतु आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदन प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त होने पर उन्हें अकबर नगर क्षेत्र स्थित अपनी वाणिज्यिक परिसंपत्तियों को तत्काल रिक्त कर समर्पित करना होगा। यदि वे आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें दिनांक 20.03.2024 की मध्यरात्रि तक परिसर रिक्त कर प्राधिकृत अधिकारियों को कब्जा सौंपना होगा, अन्यथा तत्पश्चात प्रतिवादी अधिकारी उक्त संरचनाओं के विध्वंस हेतु स्वतंत्र होंगे।

न्यायालय ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि आवासीय निर्णय के अंतर्गत आने वाले शेष सभी व्यक्ति भी नियत अवधि के भीतर पुनर्वास हेतु आवेदन करेंगे तथा परिसर रिक्त कर देंगे, जिससे अकबर नगर क्षेत्र को शीघ्रतापूर्वक रिक्त कराया जा सके। उक्तानुसार स्पष्टीकरण आवेदन का निस्तारण कर दिया गया।

(ii) सैयद हमीदुल बारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य/प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

वाद संख्या : रिट-सी संख्या 11383 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 27.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:16888-DB

चौबीस रिट याचिकाओं (जिनमें 25 याचिकाकर्ता सम्मिलित थे) के इस समूह को लखनऊ स्थित अकबर नगर (I) एवं (II) के वास्तविक झुग्गी–झोपड़ी निवासियों से संबंधित मुख्य वाद–समूह से पृथक किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं को झुग्गी–झोपड़ी निवासी बताते हुए संरक्षण की मांग की तथा प्राधिकरणों को उनके निर्माणों के विध्वंस से रोके जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने पाया कि संबंधित निर्माण मुख्य लखनऊ–फैजाबाद मार्ग के किनारे अथवा उसके समीपवर्ती प्रथम पंक्ति में स्थित बड़े वाणिज्यिक फर्नीचर शोरूम/कार्यशालाएँ हैं, जो शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित हैं।

अभिलेख पर प्रस्तुत जी.एस.टी. विवरणी, आयकर अभिलेख, कब्जे का क्षेत्रफल (400 वर्ग फुट से 8400 वर्ग फुट तक के बहुमंजिला निर्माण) तथा याचिकाकर्ताओं की अन्य संपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अधिकांश याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से संपन्न हैं, पर्याप्त कर का भुगतान करते हैं, लखनऊ की विकसित अथवा समृद्ध कॉलोनियों में निवास करते हैं तथा उनके पास अतिरिक्त संपत्तियाँ भी उपलब्ध हैं। कुछ याचिकाएँ पति–पत्नी अथवा भ्रातृ–समूह द्वारा परस्पर संबद्ध अथवा संलग्न वाणिज्यिक परिसरों के संबंध में पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत की गई थीं।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि सामान्य प्रचलित एवं शब्दकोशीय अर्थ में "झुग्गी–झोपड़ी" अथवा "झुग्गी–निवासी" ऐसे क्षेत्र को इंगित करता है जहाँ निर्धन व्यक्ति अस्वच्छ एवं दयनीय परिस्थितियों में निवास करते हैं। याचिकाकर्ता इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। केवल यह तथ्य कि उनका पता अकबर नगर अंकित है, उनके वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र का अंग नहीं बनाता। वास्तविक झुग्गी क्षेत्र इन प्रतिष्ठानों के पश्च भाग में स्थित है। याचिकाकर्ता उक्त क्षेत्र की परिधि पर स्थित हैं तथा वास्तविक झुग्गी–निवासियों जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करते।

शब्दकोशीय परिभाषाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादनों पर आधारित होकर न्यायालय ने निर्णय दिया कि शासकीय भूमि पर निर्मित ऐसे अवैध बहुमंजिला वाणिज्यिक निर्माणों को संरक्षण प्रदान करना भूमिअधिग्रहण/भूमि–अपहरण करने वालों को प्रोत्साहित करने के समान होगा। उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत की गई कार्यवाही विधिसम्मत पाई गई। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, क्योंकि तथ्य निर्विवाद थे तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतरिम आदेश प्राप्त करते समय आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

समस्त रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं। रिट–सी संख्या 642 वर्ष 2024 केवल याचिकाकर्ता संख्या 1 एवं 5 के संबंध में निरस्त की गई तथा रिट–सी संख्या 527 वर्ष 2024 केवल याचिकाकर्ता संख्या 6 के संबंध में निरस्त की गई। इन याचिकाकर्ताओं को वास्तविक झुग्गी–निवासियों के मुख्य वाद–समूह (प्रधान वाद रिट–सी संख्या 1372 वर्ष 2024) के साथ सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया। यदि कोई अंतरिम आदेश प्रभावी थे, तो वे निरस्त कर दिए गए तथा सक्षम प्राधिकारी को विधि के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

(i) श्रीमती बचानी देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील संख्या-299 सन् 2018
निर्णय दिनांक : 24.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:122201-DB

यह अपील अपर सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 1, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 139/2015 में दिनांक 08.12.2017 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ता श्रीमती बचानी देवी एवं दीपू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक को ₹10,000 के अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास तथा तीन–तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया था।

अभियोजन का कथन था कि दिनांक 08.12.2014 को अपराह्न लगभग 3:00 बजे अपीलकर्ताओं ने सह–अभियुक्त महेश के साथ मिलकर मृतका गुंजन (प्रथम सूचना दाता की पुत्री एवं दीपू की पत्नी) पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, क्योंकि दहेज में चार पहिया वाहन की मांग पूरी नहीं की गई थी। मृतका का मृत्यु–पूर्व कथन, जिसे तत्कालीन एसीजेएम, आगरा द्वारा दिनांक 09.12.2014 को प्रातः 4:15 बजे अभिलिखित किया गया, उसमें दहेज की मांग, क्रूरता तथा तीनों अभियुक्तों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख था।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। अपील के चरण में अभियोजन के समस्त साक्षी शत्रुतापूर्ण घोषित हो गए तथा दहेज की मांग एवं अभियुक्तों की संलिप्तता से इंकार किया गया। न्यायालय ने यह पाया कि मृत्यु–पूर्व कथन के अतिरिक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। मृत्यु–पूर्व कथन विश्वसनीय पाया गया तथा मृतका की मानसिक स्थिति भी संतोषजनक पाई गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि दीपू ने अपनी माता बचानी देवी के साथ मिलकर दहेज की मांग की तथा मृतका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई।

तथापि, धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु पूर्व नियोजित योजना या विशेष परिस्थितियाँ सिद्ध नहीं हुईं। अतः यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–बी के अंतर्गत आच्छादित पाया गया। फलस्वरूप दोषसिद्धि को धारा 304–बी में परिवर्तित किया गया। अभिरक्षा की अवधि (श्रीमती बचानी देवी – 8 वर्ष 1 माह एवं दीपू – 10 वर्ष 4 माह) तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने मृतका को अस्पताल पहुँचाया था और कोई अन्य गंभीर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं थी, दण्ड को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया गया, साथ ही प्रत्येक पर ₹10,000 का अर्थदण्ड एवं डिफॉल्ट में तीन माह का कारावास यथावत रखा गया।

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की गई। श्रीमती बचानी देवी जमानत पर थीं, अतः उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं रही। दीपू को निर्देशित किया गया कि यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए। दोनों अपीलकर्ताओं को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के अंतर्गत जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(ii) रमनदीप कौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः कैपिटल केस संख्या-18 सन् 2023
निर्णय दिनांक : 26.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:175186-DB

यह अपील तथा आपराधिक संदर्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 10, शाहजहांपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 48/2017 में दिनांक 05.10.2023 (दोषसिद्धि) एवं 07.10.2023 (दण्डादेश) के अंतर्गत पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुए हैं। उक्त निर्णय द्वारा रमनदीप कौर को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए ₹5,00,000 के अर्थदण्ड सहित मृत्युदण्ड एवं पाँच वर्ष का अतिरिक्त कारावास प्रदान किया गया। गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को भी धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर ₹3,00,000 के अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास एवं पाँच वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया गया, तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत ₹10,000 के अर्थदण्ड सहित पाँच वर्ष का कारावास भी आरोपित किया गया।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 01/02.09.2016 की रात्रि में शाहजहांपुर के बसंतपुर में वंश कौर (PW–1) के निवास पर अपीलकर्ताओं ने सुखजीत सिंह (ब्रिटिश नागरिक, रमनदीप कौर के पति एवं वंश कौर के पुत्र) की हत्या कर दी। मृतक अपने परिवार सहित छत पर सो रहा था, तभी उसके सिर एवं गर्दन पर हथौड़े एवं चाकू से प्रहार किए गए। प्रारम्भ में वंश कौर ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई, परन्तु पश्चात् उसे अपनी पुत्रवधू रमनदीप कौर पर संदेह हुआ।

बाल साक्षी 'ए' (PW–5), जो घटना के समय लगभग 10 वर्ष का था, ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य देते हुए कहा कि उसने अपनी माता रमनदीप कौर एवं गुरुप्रीत सिंह को अपने पिता पर प्रहार करते देखा। उसका साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय पाया गया। यद्यपि मृत्यु–पूर्व कथन उपलब्ध नहीं था, तथापि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य, तीन पूर्व–मृत्य चोटों, गुरुप्रीत सिंह की निशानदेही पर रक्तरंजित हथौड़ा एवं चाकू की बरामदगी, मोबाइल कॉल विवरण अभिलेख (CDR), पड़ोसी साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से हुई।

झूठे आरोप में फँसाए जाने का प्रतिरक्षा पक्ष का कथन असिद्ध रहा। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। तथापि, यह प्रकरण "अत्यंत विरलतम" श्रेणी का नहीं पाया गया। यद्यपि अपराध में क्रूरता थी, परन्तु मृत्युदण्ड के समर्थन में विचारित अन्य आधार मनगढंत एवं विधिसम्मत नहीं पाए गए।

अतः रमनदीप कौर को प्रदत्त मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दण्ड यथावत रखे गए, परन्तु धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि एवं दण्ड संदेह का लाभ देते हुए निरस्त कर दिए गए। आपराधिक संदर्भ का निस्तारण भी इसी प्रकार करते हुए मृत्युदण्ड की पुष्टि से इंकार किया गया।

दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकृत की गईं तथा दोनों अपीलकर्ताओं को शेष दण्डावधि भोगने का निर्देश दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह सांगवान

(i) सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील संख्या 4593 सन् 2019
निर्णय दिनांक : 17.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:9700-DB

पृष्ठभूमि एवं अभियोजन पक्ष का कथनः इस अपील में अपर जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति/फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या 1, हापुड़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 145/2017 में दिनांक 04.06.2019 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई थी, जो केस अपराध संख्या 498/2016, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ से उद्भूत था। अपीलकर्ता सलीम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था तथा धारा 302 के अंतर्गत 5,000/– रुपये के अर्थदंड (अदायगी न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास)

सहित आजीवन कारावास तथा धारा 201 के अंतर्गत 2,000/– रुपये के अर्थदंड (अदायगी न करने पर छह माह का साधारण कारावास) सहित तीन वर्ष का साधारण कारावास दिया गया था। सह–अभियुक्ता श्रीमती संजू (मृतक की पत्नी) को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन का कथन था कि मृतक कुलदीप (सूचनाकर्ता सोराज सिंह का पुत्र) का विवाह वर्ष 2002 में संजू से हुआ था तथा अपीलकर्ता सलीम के संजू के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। दिनांक 26.11.2016 को लगभग दोपहर 2:00 बजे सूचनाकर्ता एवं पीडब्ल्यू–2 तिलकराम ने मृतक को सलीम के साथ जाते हुए देखा। मृतक वापस नहीं लौटा। उसका शव 26/27.11.2016 की रात्रि में राही होटल के पीछे रेलवे लाइन के निकट पाया गया। दिनांक 02.12.2016 को सलीम एवं संजू के विरुद्ध हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियोजन का आधार अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य, अवैध संबंध का कथित उद्देश्य तथा अपीलकर्ता की निशानदेही पर बांस की लाठी एवं चप्पल की बरामदगी था।

जांच एवं विचारण की कार्यवाही: दिनांक 27.11.2016 को पंचनामा एवं शव परीक्षण कराया गया। शव परीक्षण में खोपड़ी एवं बायीं भुजा पर अनेक चोटों के चिन्ह पाए गए तथा कोमा के कारण मृत्यु होना बताया गया। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल से रक्तरंजित पत्थर एवं मिट्टी बरामद की। दिनांक 10.12.2016 को अपीलकर्ता की निशानदेही पर रक्तरंजित मिट्टी सहित एक बांस की लाठी एवं हरी चप्पल बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने कुल आठ साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत आरोपों से इंकार किया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया, परंतु साजिश सिद्ध न होने के कारण संजू को दोषमुक्त कर दिया।

उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विश्लेषण: खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन का कथन विरोधाभासों से युक्त है। अवैध संबंध का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ; 14 वर्ष के वैवाहिक जीवन में कोई शिकायत नहीं की गई थी। पीडब्ल्यू–2 की अंतिम बार साथ देखे जाने की गवाही विश्वसनीय नहीं पाई गई। घटना के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट में इसे संभावित रेल दुर्घटना बताया गया था। शरीर पर चोटों का स्वरूप दुर्घटना अथवा आत्महत्या की संभावना को इंगित करता था। प्रतिरक्षा साक्षी (मृतक का पुत्र) ने किसी अवैध संबंध से स्पष्ट इंकार किया। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपूर्ण थी तथा अन्य संभावनाओं को समाप्त नहीं करती थी।

लागू विधिक सिद्धांत: न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर निर्भर करते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के स्थापित सिद्धांतों को दोहराया कि संपूर्ण साक्ष्य श्रृंखला अभेद्य होनी चाहिए तथा केवल अभियुक्त के अपराध की ओर ही संकेत करना चाहिए; मात्र संदेह पर्याप्त नहीं है।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश: दिनांक 04.06.2019 का निर्णय त्रुटिपूर्ण पाया गया। अपील स्वीकृत की गई। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त कर उसे समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक न हो तो तत्काल रिहा किया जाए।

(ii) प्रदीप कुमार पांडे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 8560 सन् 2022
निर्णय दिनांक : 04.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:3943-DB

पृष्ठभूमि एवं अभियोजन पक्ष का कथन: तीन अपीलकर्ताओं–प्रदीप कुमार पांडे, कार्तिकेय पांडे एवं अमरेन्द्र कुमार पांडे–को विशेष न्यायमूर्ति श्री(एससी/एसटी)/अपर सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 2, भदोही द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 108/2016 में दोषसिद्ध किया गया था। उन्हें धारा 272 भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन सहित) के अंतर्गत प्रत्येक को 5,000/– रुपये के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास तथा आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 500/– रुपये के अर्थदंड सहित एक वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया था। दिनांक 11.07.2015 को रात्रि लगभग 9:00 बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे दो युवक भाग गए। वाहन से दो जेरिकेन बरामद हुए, जिनमें से एक में लगभग 40 लीटर मिलावटी शराब पाई गई। नमूना लेकर शेष सामग्री सील कर दी गई। वाहन जब्त किया गया तथा प्राथमिकी दर्ज की गई। अन्वेषण में वाहन अपीलकर्ता प्रदीप कुमार पांडे के नाम पंजीकृत पाया गया तथा तीनों को गिरफ्तार कर आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन साक्ष्यः चार साक्षियों का परीक्षण किया गया तथा विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा तथा अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति का उल्लेख था, परंतु उसे मानव उपभोग हेतु हानिकारक सिद्ध नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय का विश्लेषणः न्यायालय ने पाया कि अभियोजन अनेक त्रुटियों से ग्रस्त है। यह सिद्ध नहीं किया गया कि बरामद पदार्थ मानव उपभोग हेतु हानिकारक था। वाहन के विवरण में विरोधाभास था तथा उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्तों की पहचान सिद्ध नहीं हुई। कोई पहचान परेड नहीं कराई गई। बरामद सामग्री एवं अभिरक्षा श्रृंखला का समुचित प्रमाण नहीं था।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः अभियोजन आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। अपील स्वीकृत की गई। विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर तीनों अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त किया गया तथा निर्देश दिया गया कि यदि अन्य किसी प्रकरण में आवश्यक न हो तो विधिक औपचारिकताओं के उपरांत तत्काल रिहा किया जाए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ

(i) उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड बनाम भारत संघ, वित्त मंत्रलय, राजस्व विभाग के माध्यम से सचिव एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - सी संख्या - 16125 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 08.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:61984-DB

याचिकाकर्ता, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80पी के अंतर्गत छूट प्राप्त एक सहकारी समिति है, ने आयकर अधिनियम की धारा 226(3) के अंतर्गत दिनांक 05.12.2017 को जारी नोटिस को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसके बैंक को उसके खाते से 3.50 करोड़ रुपये की राशि अदा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, याचिकाकर्ता ने आकलन वर्ष 2009–10 से 2012–13 तथा 2015–16 के लिए कटे हुए स्रोत पर कर (टीडीएस) का समायोजन करने तथा पूर्व में वसूल की गई 1.50 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का भी अनुरोध किया। यह निवेदित किया गया कि प्रपत्र 16ए (टीडीएस प्रमाणपत्र) सहित अनेक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद विभाग ने इस आधार पर धनवापसी से इंकार कर दिया कि उक्त राशि प्रपत्र 26एएस में परिलक्षित नहीं है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी.डी. चोपड़ा तथा राजस्व की ओर से अधिवक्ता को सुनने के उपरांत, दिल्ली उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से लिए गए वाद (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2659/2012, निर्णय दिनांक 14.03.2013) तथा इस न्यायालय के राकेश कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ (सिविल विविध रिट याचिका (कर) संख्या 657/2013, निर्णय दिनांक 06.05.2014) में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों पर भरोसा किया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई करदाता वैध प्रपत्र 16ए प्रस्तुत करता है, तो मूल्यांकन अधिकारी टीडीएस के भुगतान का सत्यापन कर समुचित समायोजन/धनवापसी प्रदान करने के लिए बाध्य है, भले ही वह राशि प्रपत्र 26एएस में प्रदर्शित न हो।

न्यायालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश संख्या 05/2013, दिनांक 08.07.2013 का भी उल्लेख किया, जिसमें यह अपेक्षित किया गया है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापन किया जाए। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह दिनांक 28.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित हो। मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह प्रपत्र 16ए प्रमाणपत्रों पर विचार करते हुए चार सप्ताह के भीतर विधि अनुसार कारणयुक्त आदेश पारित करे तथा यथोचित समायोजन/धनवापसी प्रदान करे। उपर्युक्त निर्देशों के साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता उक्त निर्णयों एवं परिपत्र का सहारा ले सकता है, और इसी के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

(ii) मेसर्स सोराजा रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

मामला संख्याः रिट कर संख्या - 4630 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 22.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:170051-DB

याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.07.2025 को प्रपत्र डीआरसी–22 में पारित अस्थायी कुर्की आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसके दो बैंक खातों (केनरा बैंक खाता संख्या 120033996329 तथा इंडियन ओवरसीज बैंक खाता संख्या 25430200000000263) को संलग्न किया गया था, तथा दिनांक 28.07.2025 के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 के अधीन उसके 1,95,57,339/– रुपये के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे को अवरुद्ध कर दिया गया था। यह प्रतिपादित किया गया कि धारा 74 के अंतर्गत कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था तथा कुर्की आदेश में कोई ठोस कारण अंकित नहीं था, केवल यह उल्लेख था कि धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

राजस्व की ओर से यह निवेदित किया गया कि तलाशी ली गई थी तथा जाँच प्रचलित है। खंडपीठ ने धारा 83 का अवलोकन करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय के राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2021) 6 एससीसी 771 तथा इस न्यायालय के आरडी एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ (2024: एएचसीः 149247–डीबी) में दिए गए निर्णयों पर व्यापक रूप से निर्भर करते हुए कहा कि अस्थायी कुर्की एक कठोर शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए ठोस साक्ष्यों के आधार पर संतोषजनक एवं विचारपूर्वक मत बनाया गया हो।

विवादित कुर्की आदेशों में केवल इतना उल्लेख था कि धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है, बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा साक्ष्य के, जिससे यह प्रदर्शित हो कि याचिकाकर्ता कर देयता से बच सकता है। वस्तुतः धारा 74 के अंतर्गत कोई विधिवत कार्यवाही प्रारंभ भी नहीं की गई थी। अतः ऐसे आदेशों को अवैध, मनमाना तथा विधिक सुरक्षा उपायों के उल्लंघनकारी माना गया। दोनों अस्थायी कुर्की आदेश निरस्त कर दिए गए तथा निर्देश दिया गया कि 48 घंटे के भीतर बैंक खाते मुक्त किए जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखा अवरोध के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करें, व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करें तथा दो सप्ताह के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करें। उपर्युक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राहुल चतुर्वेदी

(i) डॉ. इफ़राक उर्फ़ मोहम्मद इफ़राक हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 9294 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 24.05.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:103227

आवेदक डॉ. इफ़राक उर्फ़ मोहम्मद इफ़राक हुसैन, जो एक चिकित्सक हैं, ने दिनांक 12.11.2013 को मुस्लिम रीति–रिवाजों के अनुसार श्रीमती शाज़िया परवीन से विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से दो पुत्रियों, कुमारी अलीना एवं कुमारी अदीबा का जन्म हुआ। पत्नी ने पति एवं ससुराल पक्ष पर निरंतर दहेज की मांग तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके कारण उसे वर्ष 2017 में अपनी नाबालिग पुत्रियों सहित वैवाहिक गृह छोड़ना पड़ा। दिनांक 09.07.2019 को उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपने तथा दोनों पुत्रियों के भरण–पोषण हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रारंभ में दिनांक 04.12.2019 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसे बाद में धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर, लागत जमा करने की शर्त पर, निरस्त कर दिया गया। आवेदक ने यह भी दावा किया कि वह एक पुत्री का जैविक पिता नहीं है तथा उसने दिनांक 15.10.2018 की डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो हैदराबाद स्थित डीएनए लैब्स इंडिया से प्राप्त की गई थी। यह नमूना पत्नी एवं पुत्रियों की जानकारी अथवा सहमति के बिना गुप्त रूप से एकत्रित किया गया था। रिपोर्ट में उसे कुमारी अलीना का जैविक पिता नहीं दर्शाया गया तथा पितृत्व

की संभावना से इंकार किया गया।

पटियाली, कासगंज स्थित ग्राम न्यायालय ने दिनांक 02.03.2022 के आदेश द्वारा अभिलेख पर ली गई डीएनए रिपोर्ट सहित समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत दिनांक 07.04.2022 के आदेश द्वारा भरण–पोषण निर्धारित किया–पत्नी को आवेदन की तिथि से प्रति माह ₹4000 तथा आदेश की तिथि से ₹10000; तथा प्रत्येक पुत्री को आवेदन की तिथि से प्रति माह ₹3000 तथा आदेश की तिथि से ₹5000। पति ने आपराधिक अपील संख्या 19/2022 के साथ धारा 391 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त डीएनए परीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। कासगंज के तृतीय अपर सत्र न्यायमूर्ति श्रीने दिनांक 30.01.2023 के विस्तृत आदेश द्वारा अपील तथा अतिरिक्त साक्ष्य हेतु आवेदन दोनों को निरस्त कर दिया।

तत्पश्चात आवेदक ने धारा 482 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 20.01.2023 के अपीलीय आदेश को निरस्त करने तथा पुनः डीएनए परीक्षण कराने की प्रार्थना की, साथ ही दिनांक 07.04.2022 के परीक्षण न्यायालय के आदेश तथा दिनांक 30.01.2023 के अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1090/2023 भी प्रस्तुत किया। दोनों वादों की संयुक्त रूप से सुनवाई की गई।

न्यायालय ने विचारोपरांत यह प्रतिपादित किया कि बिना किसी विधिक आदेश अथवा सहमति के गुप्त रूप से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार वैध विवाह के दौरान अथवा उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर जन्मे बालक के संबंध में वैधता का सशक्त अनुमान स्थापित होता है, जब तक कि पति–पत्नी के मध्य अभिगमन का अभाव पूर्णतः सिद्ध न हो जाए। आवेदक वर्ष 2013 से 2017 के मध्य किसी भी प्रकार का अभिगमन–अभाव सिद्ध करने में असफल रहा। केवल व्यभिचार के आरोप इस अनुमान को खंडित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने नंदलाल वासुदेव बडवाइक बनाम लता नंदलाल बडवाइक (2014) 2 SCC 576, गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1993) 1 SCC 229, अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया (2023) SCC ऑनलाइन SC 161 तथा अशोक कुमार बनाम राज गुप्ता (2022) 1 SCC 20 में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा किया तथा यह बल दिया कि डीएनए परीक्षण का आदेश सामान्यतः नहीं दिया जा सकता, विशेषकर जब इससे नाबालिग बालकों की वैधता पर प्रश्नचिह्न लग सकता हो तथा उन्हें गंभीर मानसिक आघात पहुँच सकता हो। ऐसा आदेश देना माता एवं बालकों के निजता एवं गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा तथा मात्र भरण–पोषण दायित्व से बचने हेतु इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अतः धारा 482 के अंतर्गत आवेदन तथा आपराधिक पुनरीक्षण दोनों निरस्त कर दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए भरण–पोषण आदेश को यथावत रखा गया। आवेदक को एक माह के भीतर समस्त बकाया भरण–पोषण राशि का भुगतान करने तथा दिनांक 01.07.2024 से प्रत्येक माह के प्रथम दो सप्ताह के भीतर नियमित भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

(आवेदन निरस्त; भरण–पोषण आदेश यथावत; नवीन डीएनए परीक्षण से इंकार।)

(i) हरिओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील संख्या 9185 वर्ष 2022
निर्णय दिनांक : 09.01.2024

ये तीनों सम्बद्ध अपीलें अपर सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 2, बरेली द्वारा दिनांक 31.10.2022/03.11.2022 को सत्र परीक्षण संख्या 599 से 603/2016 में पारित साझा निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई हैं। उक्त निर्णय के अंतर्गत अपीलकर्ताओं को दिनांक 22.04.2016 की रात्रि में शहनाई बारातघर, बरेली में राजीव उर्फ़ राजू की हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया। अभियोजन के अनुसार नगर निगम, बरेली में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति को लेकर शत्रुता के कारण अपीलकर्ता संजीव एवं हरिओम ने विवाह स्थल के बाहर मृतक पर गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट आई। मृतक के भीतर भागने पर अपीलकर्ता मनोज, कपिल, अंशु आर्य एवं रंजीत ने उसे पकड़ लिया, तत्पश्चात संजीव ने घातक गोली चलाई। मृतक को बचाने के प्रयास में सूचक राज करण एवं उसके पिता किशन लाल भी घायल हो गए। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 147, 148, 149, 307, 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए। परीक्षण के दौरान अभियुक्त कपिल की मृत्यु हो गई तथा अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्त

मनोज का भी दिनांक 13.01.2023 को निधन हो गया। परीक्षण न्यायालय ने सभी अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अपील लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं ने धारा 389(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दण्ड स्थगन एवं जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों–ओम प्रकाश साहनी बनाम जय शंकर चौधरी (2023) 6 SCC 123, आस मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह (2012) 9 SCC 446, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ़ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2008) 5 SCC 230–के आलोक में धारा 389(1) के प्रयोग के मानदंडों का परीक्षण किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि के पश्चात निर्दोषता का अनुमान समाप्त हो जाता है तथा दण्ड स्थगन कोई अधिकार नहीं है। इस स्तर पर साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या अपील का अंतिम निर्णय नहीं किया जाता; केवल प्रथम दृष्टया गंभीर त्रुटियों का परीक्षण किया जाता है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता अंशु आर्य एवं रंजीत की भूमिका केवल मृतक को पकड़ने तक सीमित थी तथा गोली चलाने में उनकी सक्रिय भूमिका सिद्ध नहीं हुई। अतः इन दोनों की सजा स्थगित कर उन्हें व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो–दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया। तथापि अपीलकर्ता हरिओम एवं संजीव, जो मुख्य रूप से गोली चलाने वाले थे, के संबंध में न्यायालय ने दण्ड स्थगन का कोई आधार नहीं पाया। साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली को अभियुक्त मनोज की मृत्यु के तथ्य का सत्यापन कर छह सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। शेष अपीलकर्ताओं की जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी गई।

अंशु आर्य एवं रंजीत की दण्ड स्थगन याचिका स्वीकृत; अन्य अपीलकर्ताओं की याचिका अस्वीकृत; अपील को उपयुक्त समय पर अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

(i) भोला बनाम राज्य

मामला संख्यारू आपराधिक अपील संख्या 1529 वर्ष 1989
निर्णय दिनांक : 05.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:218407-DB

अपीलकर्ता भोला ने दिनांक 10 जुलाई 1989 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, ज्ञानपुर, वाराणसी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 37/1982 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि एवं आजीवन कारावास की दंडादेश को चुनौती दी थी। यह दंडादेश अपराध संख्या 52/1981, थाना ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी से संबंधित था। विचारण न्यायालय ने सह–अभियुक्त ब्रह्म शंकर, विजय शंकर निरहू तथा अवध नारायण को दोषमुक्त कर दिया था। राज्य द्वारा उनके दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 26/27 मई 1981 की रात्रि लगभग 12:15 बजे नामजद अभियुक्त ब्रह्म शंकर एवं विजय शंकर ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचक लालमणि दुबे के आवास पर आक्रमण किया तथा देसी पिस्तौल से उनके भतीजे राकेश कुमार पर, जो खाट पर सो रहा था, गोली चलाई। राकेश कुमार की चिकित्सालय ले जाते समय मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल ब्रह्म शंकर एवं विजय शंकर का नाम अंकित था तथा उनके साथ पूर्व शत्रुता का उल्लेख किया गया था। अपीलकर्ता भोला का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। उसे संदेह के आधार पर तथा सह–अभियुक्त अवध नारायण से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 3 जुलाई 1981 को गिरफ्तार किया गया। दो माह से अधिक की अवधि उपरांत, दिनांक 7 सितम्बर 1981 को उसकी पहचान परेड संपन्न कराई गई, जिसमें सूचक तथा एक अन्य साक्षी द्वारा उसकी पहचान की गई। विचारण न्यायालय ने इसी पहचान साक्ष्य के आधार पर भोला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया।

खंडपीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया कि भोला के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा साक्ष्यों में कोई उद्देश्य, शत्रुता अथवा कारण न तो उल्लिखित किया गया है और न ही सिद्ध किया गया है। जिन अभियुक्तों के साथ शत्रुता का आरोप था, वे दोषमुक्त कर दिए गए। भोला को मात्र संदेह के आधार पर अभियोजन में सम्मिलित किया गया। बिना किसी उचित कारण के लगभग दो माह की अत्यधिक विलंब से पहचान परेड कराई गई। साक्षीगण

भोला को पूर्व से ही जानते थे, क्योंकि उनके ग्राम परस्पर समीप थे तथा सूचक की कृषि भूमि भगवास ग्राम में स्थित थी, जहाँ भोला निवास करता था। अतः यह सिद्ध होता है कि सरकारी साक्षी घटना से पूर्व ही भोला को जानते थे, जिससे पहचान परेड की प्रक्रिया निष्प्रभावी हो गई।

न्यायालय ने हरिनाथ एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1988) 1 एससीसी 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर विश्वास व्यक्त किया, जिसमें समान तथ्य एवं परिस्थितियाँ थीं। अपील स्वीकार की गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त कर दिए गए। अपीलकर्ता भोला को समस्त आरोपों से दोषमुक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

(i) श्रीमती रोहिणी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

मामला संख्याः बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 572 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 05.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC: 218626-DB

याचिकाकर्ता श्रीमती रोहिणी तथा उनके पति द्वारा यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें रोहिणी को राजकीय बालिका गृह, स्वरूप नगर, कानपुर नगर से मुक्त कराने की प्रार्थना की गई, जहाँ उसे बाल कल्याण समिति के दिनांक 30 जुलाई 2025 के आदेश के अनुपालन में निरुद्ध किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि रोहिणी की जन्मतिथि 1 जनवरी 2005 है, जैसा कि उसकी अंकपत्रिका, परिवार रजिस्टर तथा आधार कार्ड में अंकित है, तथा उसने वर्ष 2023 में हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार अपनी इच्छा से अपने पति के साथ विवाह किया। रोहिणी की माता द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2024 को अपहरण का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा यह दावा किया गया कि विद्यालय अभिलेख के अनुसार उसकी जन्मतिथि 11 मई 2008 है। रोहिणी को अनेक बार बरामद किया गया। दिनांक 13 मार्च 2024 को उसके चिकित्सीय परीक्षण तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित कथन में उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक दर्शाई गई तथा उसने यह भी कहा कि उसने स्वेच्छा से विवाह किया है। विवेचक द्वारा विशेष न्यायमूर्ति, पॉक्सो के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि रोहिणी चार बार घर से जा चुकी है। विशेष न्यायमूर्ति श्रीद्वारा प्रकरण को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। समिति ने प्रारंभ में उसे पालक देखरेख में रखा तथा तत्पश्चात दिनांक 30 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा उसे राजकीय बालिका गृह, स्वरूप नगर, कानपुर नगर में इस आधार पर रखने का निर्देश दिया कि विद्यालय अभिलेख में उसकी जन्मतिथि 11 मई 2008 अंकित है और अतः वह अवयस्क है।

खंडपीठ ने यह माना कि बाल कल्याण समिति न्यायालय के समान कार्य करती है, तथापि यदि उसका आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव से ग्रस्त हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। प्रस्तुत आदेश यांत्रिक ढंग से पारित किया गया है तथा पूर्णतः विधि–विरुद्ध है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अंतर्गत समिति को सर्वप्रथम विद्यालय से जन्मतिथि प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था। मात्र स्थानांतरण प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय प्रवेश पंजिका में अंकित प्रविष्टि को जन्मतिथि का प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता और न ही उसे आयु के अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। समिति ने धारा 94 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किए बिना, चिकित्सीय प्रतिवेदन पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना तथा रोहिणी के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन पर विचार किए बिना, और इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं उसके स्वयं के कथन के अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी, केवल विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर विश्वास करते हुए यांत्रिक रूप से निरुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया। अतः बाल कल्याण समिति का दिनांक 30 जुलाई 2025 का आदेश अधिकार क्षेत्र से परे एवं पूर्णतः अवैध पाया गया।

रिट याचिका स्वीकृत की गई। बाल कल्याण समिति का दिनांक 30 जुलाई 2025 का आदेश निरस्त किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करते हुए निर्देश दिया गया कि रोहिणी को राजकीय बालिका गृह, स्वरूप नगर, कानपुर नगर से तत्काल मुक्त किया जाए। उसे अपने पति के साथ जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा राज्य को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत बनर्जी

(i) विकास कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 33495 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 10.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:5205-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः याचिकाकर्ता, जो क्षेत्र पंचायत (खंड विकास परिषद), विकास खंड दुदही, जनपद कुशीनगर के निर्वाचित सदस्य हैं, ने अन्य 99 सदस्यों के साथ दिनांक 12.08.2024 को क्षेत्र पंचायत प्रमुख (प्रतिवादी संख्या 4) के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त सूचना, जो विधिवत शपथपत्रों द्वारा समर्थित थी, पर कुल 139 निर्वाचित सदस्यों में से 101 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने रिट–सी संख्या 29128 वर्ष 2024 के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली। दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय को सूचित किया गया कि जिलाधिकारी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.2024 को उक्त सूचना अस्वीकृत कर दी गई थी।

उक्त आदेश दिनांक 21.08.2024 को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई। याचिका लंबित रहने के दौरान जिलाधिकारी ने समान आधारों पर दिनांक 12. 11.2024 को एक नवीन आदेश पारित किया, जिसे संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई। जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित था कि 48 सदस्यों ने शपथपत्र प्रस्तुत कर यह दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर उनके हस्ताक्षर जाली थे। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल 53 हस्ताक्षर वास्तविक थे, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से भी कम थे, तथा सूचना भी निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। फलस्वरूप दोनों आदेशों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया।

उच्च न्यायालय का विचारः खंडपीठ ने यह प्रतिपादित किया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करने एवं उस पर कार्यवाही करने का अधिकार केवल जिलाधिकारी (या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अपर जिलाधिकारी) को है। जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचना अस्वीकृत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों–शीला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) (पूर्णपीठ), उत्तमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) (खंडपीठ), तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित कविता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018)–पर भरोसा करते हुए यह स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी का दायित्व केवल प्रथम दृष्टया यह सत्यापित करना है कि सूचना पर कम से कम आधे निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर विद्यमान हैं या नहीं। उन्हें सिविल न्यायालय की भांति कार्य करते हुए जालसाजी अथवा धोखाधड़ी के आरोपों की विस्तृत साक्ष्यपरक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जांच धारा 15 के परिधि से बाहर है तथा 30 दिवस की वैधानिक समयसीमा को बाधित करती है।

त्रिसदस्यीय जांच समिति का गठन करना तथा उसकी रिपोर्ट पर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्भर रहना पूर्णतः अवैध तथा वैधानिक दायित्व से विमुख होने के समान है। दिनांक 12.11.2024 का आदेश भी न्यायालय की मौखिक टिप्पणियों के पश्चात यथोचित विचार के बिना पारित किया गया था तथा उसी दोष से ग्रस्त था। न्यायालय ने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के मामलों में समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परंतु जिलाधिकारी विधि के अनुरूप अपेक्षित त्वरित कार्यवाही करने में असफल रहे। यदि प्रस्ताव लाने का आशय स्पष्ट हो तो सूचना के प्रारूप में त्रुटि को घातक नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 21.08.2024 (जिला पंचायत राज अधिकारी) तथा दिनांक 12.11.2024 (जिलाधिकारी) के आदेशों एवं दिनांक 17.08.2024 की जांच रिपोर्ट को निरस्त किया जाता है। प्रकरण को पुनः जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्रेषित किया जाता है, जिन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र पंचायत अभिलेखों के आधार पर हस्ताक्षरों की सत्यता का स्वयं परीक्षण करें तथा संतुष्ट होने पर आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर, निर्वाचित सदस्यों को न्यूनतम 15 दिवस का नोटिस प्रदान कर, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु बैठक आहूत करें।

राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को ₹50,000/– व्यय के

रूप में अदा करे, जिसकी वसूली संबंधित जिलाधिकारी से की जाएगी। अन्य व्ययों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

(रिट याचिका स्वीकृत; निरस्तीकरण आदेश एवं जांच प्रतिवेदन निर्देशों सहित निरस्त)

(ii) मेसर्स शुद्धम एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 39170 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 26.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:33786-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा जारी ई–निविदा–सह–ई–नीलामी सूचना संख्या 344/खनिज–30 दिनांक 11.09.2023 में भाग लिया था। यह सूचना गाटा संख्या 62 एवं 63/1 (कुल क्षेत्रफल 42 एकड़), ग्राम खपटिहा कला, तहसील पैलानी, जनपद बांदा हेतु अल्पकालिक खनन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए जारी की गई थी। कुल चार निविदाकारों ने भाग लिया। प्रतिवादी संख्या 6, मेसर्स जीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ₹231 प्रति इकाई की सर्वाधिक बोली प्रस्तुत की, जबकि याचिकाकर्ता की ₹205 प्रति इकाई की बोली द्वितीय सर्वाधिक थी।

याचिकाकर्ता ने आपत्ति की कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित (Self-attested) नहीं थे, जो निविदा की शर्त संख्या 6 का उल्लंघन था। मुख्य कोषाधिकारी, बांदा ने दिनांक 21.10.2023 के पत्र द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सूचित किया कि तकनीकी बोली के चरण में इस त्रुटि की अनदेखी की गई तथा वित्तीय बोलियां त्रुटिपूर्वक खोली गईं, अतः संपूर्ण ई–नीलामी को निरस्त किया जाना चाहिए। तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 28.10.2023 को नवीन ई–नीलामी सूचना (विज्ञापन संख्या 784/खनिज–30) जारी की, जिसे उक्त पत्र सहित चुनौती दी गई।

उच्च न्यायालय का विचाररू खंडपीठ ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बोली प्रक्रिया हेतु गठित समिति अभिलेखों का समुचित परीक्षण करने में असफल रही तथा स्वप्रमाणन की अनिवार्यता का स्पष्ट उल्लंघन होने के बावजूद त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 6 की वित्तीय बोली खोल दी गई।

मुख्य कोषाधिकारी, बांदा को निविदा प्रक्रिया में कोई वैधानिक भूमिका या अधिकार प्राप्त नहीं था तथा वे समिति के सदस्य भी नहीं थे। अतः संपूर्ण निविदा निरस्त करने की उनकी अनुशंसा उनके अधिकार क्षेत्र से परे थी।

याचिकाकर्ता की बोली वैध, पूर्ण एवं आरक्षित मूल्य से अधिक थी तथा सभी वैध बोलियों में सर्वाधिक थी। निविदा निरस्त कर पुनः सूचना जारी करना, अधिकारियों एवं समिति की त्रुटि एवं लापरवाही का दुष्परिणाम याचिकाकर्ता पर थोपने के समान था, जो मनमाना एवं विधि–विरुद्ध था।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मुख्य कोषाधिकारी, बांदा द्वारा पारित दिनांक 21.10.2023 का पत्र/आदेश तथा जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा जारी दिनांक 28.10.2023 का विज्ञापन संख्या 784/खनिज–30 निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की बोली को स्वीकार करें, क्योंकि वह सर्वाधिक वैध एवं पूर्ण बोली है तथा आरक्षित मूल्य से अधिक है। व्ययों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता। (रिट याचिका स्वीकृत; विवादित निरस्तीकरण पत्र एवं नवीन निविदा सूचना निरस्त; याचिकाकर्ता की बोली स्वीकार करने का निर्देश)



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान

(i) राजेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4791 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 18.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:85430-DB

याचिकाकर्ता, जो स्वर्गीय अजीत सिंह के चाचा हैं, द्वारा दो प्राथमिकी की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित किए जाने हेतु परमादेश की रिट प्रार्थित करते हुए याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। प्रथम प्राथमिकी दिनांक 07.01.2021, अपराध संख्या 15/2021, धारा 120–बी, 302, 307 तथा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत थाना विभूति खंड, जनपद लखनऊ में पंजीकृत है, जो दिनांक 06.01.2021 को अजीत सिंह की हत्या से संबंधित है। द्वितीय प्राथमिकी अपराध संख्या 445/2020, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5(2) के अंतर्गत गोपनीय एसटीएफ अभिलेखों के कथित प्रकटीकरण से संबंधित है।

याचिकाकर्ता न तो सूचक है, न पीड़ित और न ही किसी भी प्रकरण में अभियुक्त है। हत्या संबंधी प्राथमिकी का सूचक मृतक का मित्र मोहर सिंह है। पूर्व में दायर रिट याचिका संख्या 25544/2021, जिसमें एक पूर्व सांसद के कथित प्रभाव के आधार पर प्रकरण को सीबीआई को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचारार्थ प्रेषित किए जाने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2025 को प्रत्याहृत मानते हुए निरस्त कर दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा उनमें क्रियान्वयन प्रार्थनाएँ भी प्रस्तुत की गई थीं, जिन्हें निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का आश्रय लिया, जहाँ से उन्हें इस न्यायालय के समक्ष नवीन याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

पीठ द्वारा लोकस स्टैंडी के आधार पर ग्राह्यता का परीक्षण किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(वा) में "पीड़ित" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए "सर्वाधिक निकट वैधानिक उत्तराधिकारी परीक्षण" लागू किया गया तथा यह प्रतिपादित किया गया कि विधवा, जो निकटतम वैधानिक उत्तराधिकारी है, पूर्व में सीबीआई जाँच की प्रार्थना संबंधी अपनी याचिका वापस ले चुकी है। चाचा, जो दूरस्थ संबंधी हैं, विधवा की अनुमति अथवा अनापत्ति के अभाव में उसी प्रकार का अधिकार दावा नहीं कर सकते। अतः याचिका को लोकस स्टैंडी के अभाव में अयोग्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली

(i) राम यज्ञ बनाम अपर आयुक्त, फैजाबाद एवं अन्य 3

मामला संख्याः रिट - सी संख्या 3000129 वर्ष 2002
निर्णय दिनांक : 17.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:84836

याचिकाकर्ता द्वारा ग्राम रामपुर पुवारी, परगना अमसिन, तहसील एवं जनपद फैजाबाद (वर्तमान अयोध्या) स्थित गाटा संख्या 613 (क्षेत्रफल 19 बिस्वा 5 बिस्वांसी) के संबंध में सीलिंग कार्यवाही में विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2002 तथा अपर आयुक्त फैजाबाद द्वारा दिनांक 28.10.2002 को पारित आदेशों को चुनौती दी गई।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात उक्त भूमि मूलतः स्वर्गीय शंकर सिंह के नाम अभिलिखित थी। याचिकाकर्ता के पिता सीता राम वर्ष 1953 से कृषियोग्य कब्जे में थे तथा उनका नाम सतत कब्जे के आधार पर वर्ग–9 के अंतर्गत खसरा एवं खतौनी भाग–II में अभिलिखित था। श्रीमती दुखराजी द्वारा धारा 209, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर किया गया, जो निरस्त हो गया। तत्पश्चात सीता राम ने धारा 229–बी के अंतर्गत दिनांक 03.01.1978 को घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कर स्वयं को भूमिधर घोषित कराया।

सीलिंग कार्यवाही में गाटा संख्या 613 को प्रारंभ में अधिशेष भूमि घोषित किया गया। सीता राम द्वारा संशोधन प्रार्थना प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 17.04.1979 को स्वीकृत करते हुए गाटा संख्या 615 को अधिशेष घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.07.1997 को उत्तर प्रदेश भूमि धारणा पर सीमा अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें 1978 की डिक्री, 1953 से निरंतर कब्जा तथा अभिलेखों में द्वितीय प्रविष्टि के आधार पर गाटा संख्या 613 को अधिशेष घोषित किए जाने को त्रुटिपूर्ण बताया गया।

विहित प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त, दोनों ने यह कहते हुए आपत्ति निरस्त कर दी कि 1978 की डिक्री कट–ऑफ तिथि 24.01.1971 के पश्चात पारित हुई तथा तथ्यों को गोपित कर संशोधन आदेश प्राप्त किया गया। न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों एवं उद्धृत निर्णयों पर विचारोपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि सीलिंग प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं हैं। अतः रिट याचिका स्वीकार की गई, विवादित आदेश निरस्त किए गए तथा प्रकरण को पुनः गुण–दोष के आधार पर निर्णय हेतु विहित प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया।

(ii) केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान एवं अन्य बनाम श्री ऋषि देव मिश्रा एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - सी संख्या 1005010/2006 एवं सम्बद्ध याचिकाएँ
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:79913

याचिकाकर्ता, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की एक इकाई) तथा अन्य सीएसआईआर संस्थानों द्वारा औद्योगिक विवादों के समूह में केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय, कानपुर द्वारा दिनांक 15.09.2005 को पारित सामान्य पुरस्कार को चुनौती दी गई, जिसमें संस्थान को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(जे) के अंतर्गत "उद्योग" माना गया था।

विवाद श्रमिकों की कथित सेवामुक्ति से उत्पन्न हुए थे। याचिकाकर्ताओं का कथन था कि संस्थान पूर्णतः अनुसंधान संस्थाएँ हैं, जो राष्ट्रीय हित एवं लोककल्याण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न हैं, किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं हैं तथा पूर्णतः भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदानों से वित्तपोषित हैं। वे केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14(2) के अंतर्गत अधिसूचित हैं।

न्यायालय ने संस्थानों की प्रकृति एवं कार्यों का परीक्षण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि उक्त संस्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(जे) के अंतर्गत "उद्योग" की परिभाषा में नहीं आते। फलतः श्रमिकों द्वारा दायर संबंधित रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव

(i) सुरेश कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम मेसर्स खन्ना ऑटोमोबाइल्स एवं अन्य

मामला संख्याः सिविल पुनरीक्षण संख्या 205 वर्ष 2009
निर्णय दिनांक : 08.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:3355

यह पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला न्यायमूर्ति, लघु वाद न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 08.04.2009 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसके द्वारा बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु दायर उनका एस.सी.सी. वाद संख्या 63/2008 निरस्त कर दिया गया था। विवाद अंबेडकर रोड, गाजियाबाद स्थित दुकान संख्या 3 से संबंधित था, जो कथित रूप से याचिकाकर्ताओं की पूर्व अधिवक्ता स्वर्गीय बिमला देवी के अधीन प्रतिवादियों की किरायेदारी में थी।

वादियों का कथन था कि उनकी माता का दिनांक 24.05.2008 को निधन हो जाने के पश्चात वे संपत्ति के स्वामी बन गए और प्रतिवादियों को बेदखल करने के अधिकारी हैं। यह भी कहा गया कि पूर्व में वाद संख्या

33/2003 में हुए समझौते के अनुसार किराया 4200/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया था तथा चूँकि किराया 2000/– रुपये से अधिक था, अतः उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 के प्रावधान लागू नहीं होते। इस कारण किरायेदारी इच्छानुसार समाप्त की जा सकती थी तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर दी गई थी।

प्रतिवादियों ने वाद का विरोध करते हुए कहा कि दिनांक 25.09.2007 का पूर्व समझौता डिक्री (दिनांक 20.01.2008 को सत्यापित) ही किरायेदारी को नियंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत किराया 4000/– रुपये निर्धारित किया गया था, जिसे समय–समय पर बढ़ाया जाता रहा तथा 3,50,000/– रुपये की सुरक्षा राशि भी निर्धारित थी। यह विशेष रूप से कहा गया कि उक्त समझौते के अनुसार किरायेदारी किरायेदार की इच्छा पर जारी रह सकती है, बशर्ते किराया अदा किया जाए, तथा वादी, विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण, इन शर्तों से बंधे हैं और उन्हें एकतरफा बेदखली का अधिकार नहीं है।

विचारण न्यायालय ने तीन मुद्दे निर्धारित किए– (i) क्या समझौता डिक्री का पंजीकरण आवश्यक है, (ii) पट्टे का स्वरूप, तथा (iii) क्या नोटिस का परित्याग हुआ है। न्यायालय ने यह माना कि समझौता डिक्री के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल पूर्व विद्यमान मकान–मालिक एवं किरायेदार संबंध को मान्यता प्रदान करती है तथा कोई नवीन अधिकार उत्पन्न नहीं करती। पट्टे के स्वरूप के संबंध में न्यायालय ने माना कि यह न तो इच्छानुसार समाप्त होने वाली किरायेदारी है और न ही स्थायी पट्टा, अपितु यह जीवनपर्यंत पट्टा है जो समझौते की शर्तों द्वारा नियंत्रित है, अतः इसे मकान–मालिक की इच्छा से समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि किराया स्वीकार करना नोटिस का परित्याग नहीं है।

उच्च न्यायालय के समक्ष वादियों ने तर्क दिया कि समझौते से एक वर्ष से अधिक अवधि का पट्टा उत्पन्न होता है, अतः पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(क) तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107 के अनुसार पंजीकरण आवश्यक है। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने इसे जीवनपर्यंत पट्टा मानने में त्रुटि की है।

उच्च न्यायालय ने समझौते के आदेश की प्रकृति एवं प्रभाव का परीक्षण किया तथा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की। यह माना गया कि समझौते से कोई नवीन अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि केवल विद्यमान किरायेदारी की शर्तों का विनियमन हुआ है, अतः पंजीकरण आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि समझौते की शर्तों से स्पष्ट है कि किरायेदारी मकान–मालिक की इच्छा से समाप्त नहीं की जा सकती, बल्कि पक्षकारों के मध्य निर्धारित शर्तों, विशेषकर किराया अदा करने पर, किरायेदार की इच्छा पर निर्भर करती है।

न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि यह पट्टा धारा 107 के अंतर्गत आता है, तथा कहा कि समझौते से उत्पन्न किरायेदारी की तुलना पंजीकरण योग्य निश्चित अवधि के पट्टे से नहीं की जा सकती। यह भी कहा गया कि नोटिस के उपरांत किराया स्वीकार करना, विधि के अंतर्गत नोटिस का परित्याग नहीं माना जाएगा।

अतः उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई गई। सिविल पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई तथा बेदखली वाद की अस्वीकृति का आदेश यथावत रखा गया।

(ii) श्री मंजीत चावला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 20970 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:229198-DB

याचिकाकर्ता ने जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.) हेतु अंशदान की मांग को चुनौती दी थी, जो दिनांक 04.05.2018 के आशय पत्र तथा दिनांक 01.06.2018 के आदेश के माध्यम से की गई थी, जिसमें रॉयल्टी का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश था। यह विवाद जनपद सोनभद्र स्थित ओबरा 'सी' विद्युत परियोजना के विस्तार के दौरान निकाले गए चूना पत्थर के निस्तारण हेतु ई–निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।

याचिकाकर्ता, जो कुछ खंडों के लिए उच्चतम बोलीदाता था, ने कहा कि निविदा में "रॉयल्टी" के रूप में उल्लिखित राशि वास्तव में खनिज की विक्रय मूल्य है, न कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत देय रॉयल्टी। यह भी तर्क दिया गया कि वह न तो खनन पट्टाधारी है और न ही खनन कार्य में संलग्न है, बल्कि केवल पूर्व में निकाले गए खनिज को उठाने का अधिकार रखता है, अतः धारा 9–बी के

अंतर्गत डी.एम.एफ. अंशदान लागू नहीं होता।

राज्य ने प्रत्युत्तर में कहा कि याचिकाकर्ता ने निविदा की शर्तों, विशेषकर धारा 16, की पूर्ण जानकारी के साथ भाग लिया था, जिसमें डी.एम.एफ. भुगतान अनिवार्य था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता का कार्य "खनन क्रिया" की परिभाषा में आता है, क्योंकि इसमें खनिज का निष्कर्षण एवं संरक्षण सम्मिलित है।

न्यायालय ने अधिनियम की योजना, विशेषकर धाराओं 3(ड), 4 एवं 9–बी का परीक्षण किया तथा यह विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता की गतिविधि "खनन क्रिया" के अंतर्गत आती है। न्यायालय ने कहा कि "खनन क्रिया" का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाना चाहिए और इसमें खनिज प्राप्त करने अथवा सुरक्षित करने से संबंधित सभी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

न्यायालय ने यह भी कहा कि निविदा की शब्दावली विधिक प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकती। चूँकि खनिज राज्य के अधिकार के अंतर्गत निकाला गया था, अतः डी.एम.एफ. अंशदान वैध है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता निविदा में भाग लेकर एवं सफल बोलीदाता बनने के पश्चात उसकी शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता।

अतः न्यायालय ने डी.एम.एफ. अंशदान की मांग को वैध ठहराते हुए रिट याचिका निरस्त कर दी।



माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. जे. मुनीर

(i) आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 4769 वर्ष 2022
निर्णय दिनांक : 24.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:12214

यह याचिका याचिकाकर्ता की माता, श्रीमती आशा, जो नगर पंचायत खागा, जनपद फतेहपुर में सफाई कर्मचारी थीं, की कोविड–19 महामारी के दौरान दिनांक 27.04.2021 को हुई मृत्यु से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति एवं 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मांग की।

अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के पिता पहले से ही उसी नगर पंचायत में कार्यरत थे, जिससे नियम 5(1), 1974 के अंतर्गत अयोग्यता उत्पन्न होती है। न्यायालय ने इस अस्वीकृति को सही माना।

मुख्य प्रश्न 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का था। न्यायालय ने कहा कि यह राज्य की नीति का विषय है, परंतु एक बार नीति बन जाने पर उसका पालन निष्पक्ष एवं संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की माता कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न थीं तथा उनकी मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई। अधिकारियों द्वारा बिना उचित विचार के दावा अस्वीकार किया गया था।

अतः न्यायालय ने आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रकरण पर पुनर्विचार का निर्देश दिया।

(ii) गोपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 9166 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 10.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:5791

याचिकाकर्ता, जो सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता हैं, ने दिनांक 24.05.2024 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उन्हें निंदा की लघु दंड दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने दिनांक 16.03.2023 को एक आदेश पारित किया तथा विभागीय प्रतिवेदन में उचित उत्तर नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार कार्य किया तथा कोई दुराचार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि केवल उच्च आदेश का पालन करना दुराचार नहीं है। दूसरे आरोप के संबंध में भी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः न्यायालय ने पाया कि दंडादेश विधिसंगत नहीं है और उसे निरस्त कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

(i) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कल्लन एवं तीन अन्य

मामला संख्याः सरकारी अपील संख्या 1178 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 27.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:12161-DB

राज्य द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, मुरादाबाद के दिनांक 13.03.2024 के निर्णय, जो सत्र परीक्षण संख्या 952/2018 (अपराध संख्या 39/2018) से संबंधित है, के विरुद्ध यह सरकारी अपील प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अभियुक्तगण कल्लन, हनीफ, शाहिद तथा वहीद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 506 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। अभियोजन के अनुसार, दिनांक 12.06.2018 की रात्रि लगभग 1:30 बजे अभियुक्तगण छत पर पहुँचे, जहाँ गुलफाम (सूचक इकबाल का भाई) अपने परिवार सहित सो रहा था, और उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। अभियोजन का यह भी कथन था कि गुलफाम के भाई सलमान ने लगभग चार वर्ष पूर्व अभियुक्त कल्लन की पुत्री सन्नो को जबरन ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया था।

विचारण न्यायालय ने समस्त अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथित उद्देश्य अत्यंत अविश्वसनीय था, क्योंकि विवाह चार वर्ष पूर्व हुआ था, दंपत्ति दिल्ली में शांतिपूर्वक रह रहे थे तथा इस अवधि में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। प्रमुख साक्षी पीडब्ल्यू–3 शबनम (मृतक की पत्नी), जो स्वाभाविक साक्षी थी, जिरह के दौरान अपने कथन से मुकर गई। उसने स्पष्ट कहा कि घटना पूर्ण अंधकार में हुई, प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, उसने किसी भी अभियुक्त को नहीं देखा, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चेहरा ढककर हत्या की गई, तथा उस पर अभियुक्तों का नाम लेने हेतु दबाव एवं धमकी दी गई थी। पीडब्ल्यू–1 (इकबाल) तथा पीडब्ल्यू–2 (अस्मा) के कथनों में भी गंभीर विरोधाभास पाए गए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, जिनमें दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के सीमित हस्तक्षेप के मापदंड सम्मिलित हैं, के आलोक में पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विधिसम्मत था, अभियुक्तों के पक्ष में निर्दोषता का द्वैध अनुमान विद्यमान था तथा अभियोजन संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा। फलस्वरूप, सरकारी अपील निरस्त कर दी गई। (सूचक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत पूर्व में दायर अपील पहले ही निरस्त होकर अंतिम रूप ले चुकी थी।)

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनीष कुमार एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील संख्या 254/2023,
निर्णय दिनांक : 21.02.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:25475-DB

राज्य तथा सूचक (मृतका के पिता) द्वारा सत्र न्यायमूर्ति, औरैया के दिनांक 02.03.2023 के निर्णय, जो सत्र परीक्षण संख्या 174/2018 (अपराध संख्या 75/2018) से संबंधित है, के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अभियुक्त मनीष कुमार (पति) एवं राजेश्वरी (सास) को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी, 302 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

अभियोजन का कथन था कि विवाह दिनांक 29.01.2016 के उपरांत अभियुक्तों द्वारा निरंतर दहेज स्वरूप एक चार पहिया वाहन एवं ₹1,00,000/– की मांग की जाती रही, मृतका नीता को प्रताड़ित किया गया, तथा अंततः दिनांक 19.03.2018 को उसे विष देकर उसकी हत्या कर दी गई। पीडब्ल्यू–1 (पिता), पीडब्ल्यू–2 (चाचा) तथा पीडब्ल्यू–3 (मामी की ननद) ने दहेज मांग तथा पूर्व में दर्ज प्राथमिकी एवं समझौते के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया।

परंतु, प्रतिरक्षा साक्षी डी डब्ल्यू–1 (सुधीर कुमार) ने यह कथन किया कि मृतका ने ज्वर की औषधि समझकर भूलवश कीटनाशक की गोलियाँ खा ली थीं। अभियुक्त उसे तत्काल अस्पताल ले गया तथा उसके मायके वालों को सूचित किया। मृतका के ससुर का विचारण के

दौरान ही देहांत हो गया था।

पीठ ने दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील से संबंधित विधिक सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख किया, जिनमें निर्दोषता का द्वैध अनुमान, हस्तक्षेप हेतु स्पष्ट त्रुटि अथवा विकृति की आवश्यकता, तथा यह सावधानी सम्मिलित है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के युक्तिसंगत दृष्टिकोण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह पाते हुए कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विधिसम्मत था तथा विष के आकस्मिक सेवन संबंधी प्रतिरक्षा कथन को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने हेतु कोई ठोस अथवा पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप, सरकारी अपील तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत सूचक की अपील, दोनों निरस्त कर दी गईं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ

(i) शोभित नेहरा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 7464 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 10.07.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:111984-DB

उक्त वाद में, याचिकाकर्ताओं ने थाना मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद (ग्रामीण) में धारा 436, 450, 392 एवं 120–बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध संख्या 0274/2024 के रूप में दिनांक 23.04.2024 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने तथा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना की।

खंडपीठ ने यह अवलोकन किया कि वर्तमान समय में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रायः किसी विधिक विशेषज्ञ अथवा थाने के लिपिक द्वारा प्रारूपित कराई जाती है। आरोपित अपराध के तत्वों को अत्यंत सूक्ष्मता से सम्मिलित किया जाता है, जिससे न्यायालय केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही निर्णय स्थगित कर सकता है। न्यायालय के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट इतनी सटीकता एवं पूर्णता के साथ लिखी जाती हैं कि वे न्यायालय द्वारा निर्धारित सामान्य मानकों में सहज ही समाहित हो जाती हैं। परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें केवल इस आधार पर राहत से इंकार किया जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का औपचारिक उद्घाटन हो रहा है।

तथापि, न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी कि जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फँसाने की संभावना है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, अपितु उन्हें कृत्रिम रूप से आरोपित किया गया है, वहाँ आरोपों की गंभीरता की परवाह किए बिना न्यायालय को अभियुक्त/याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु हस्तक्षेप करना चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, जैसे पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती विवाद अथवा शत्रुता, पर सम्यक् विचार किया जाना आवश्यक है। भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का उल्लेख हो, तथापि स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हेतु संरक्षण अपेक्षित हो सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि अत्यधिक विस्तृत एवं पूर्ण प्रतीत होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रायः विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं, अतः ऐसी "पूर्णतापूर्ण" प्रतीत होने वाली रिपोर्टों के प्रति न्यायालय को सावधान रहना चाहिए। वास्तविक जीवन में मानवीय कृत्य अपूर्ण होते हैं और वास्तविक प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्य पूर्णतः सुसंगत रूप से उपलब्ध नहीं होते। अतः अन्वेषण लंबित रहने की अवधि में अभियुक्त/याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की रक्षा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सुविधा संबंधी कोई भी नियम, विधि या प्रक्रिया की सूक्ष्मताएँ संवैधानिक आदेश को अधिरोहित नहीं कर सकतीं।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य की व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विचार किया। अंकित भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020 SCC OnLine All 1949) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से अग्रिम जमानत पर विचार नहीं कर सकता तथा अभियुक्त को पूर्व में सत्र न्यायालय का आश्रय लेना होता है। खंडपीठ ने यह इंगित किया कि विलंब, बार–बार याचिकाओं का निरस्तीकरण तथा लंबित वादों की अधिक संख्या के कारण अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में सीमित संरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो

सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि याचिका निरस्त होने के उपरांत अन्य न्यायालय में उपाय अपनाने की अवधि के दौरान पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है तथा तत्काल संरक्षण से इंकार भ्रष्टाचार का स्रोत बन सकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने के उपरांत अभियुक्त को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपाय अपनाने हेतु बाध्य करना अनावश्यक उत्पीड़न के समतुल्य है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए बिना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत गिरफ्तारी से सीमित संरक्षण प्रदान करने से अनावश्यक वाद–विवाद में कमी लाई जा सकती है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है।

अंततः, न्यायालय ने नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 SCC 401 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकार किया, जिसमें वास्तविक शिकायतकर्ताओं के अधिकारों एवं अन्वेषण के विधिक कर्तव्य के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यायालय ने पुनः दोहराया कि यदि तथ्य स्पष्ट नहीं हैं तथा अन्वेषण प्रारंभिक अवस्था में है, तो उच्च न्यायालय सावधानीपूर्वक कार्य करेगा एवं अन्वेषण को आगे बढ़ने देगा। आपराधिक न्याय प्रणाली में त्वरित अन्वेषण अत्यंत आवश्यक है।

(ii) फिरोज मलिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 4818 वर्ष 2022
निर्णय दिनांक : 21.01.2025
Neutral Citation No. 2025:AHC:9549-DB

उक्त वाद में, खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों, विशेषतः विनियम 228 से 234 एवं 240 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने एवं उसे जारी रखने की वैधता पर विचार किया। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को मनमाना, कलंककारी तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि मात्र आपराधिक वाद दर्ज होने या संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को "हिस्ट्रीशीटर" घोषित करना उचित नहीं है। ऐसी कार्रवाई से उसकी प्रतिष्ठा, निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह भी कहा गया कि पुलिस का विवेकाधिकार विधिक मानकों के अनुरूप ही प्रयोग किया जाना चाहिए तथा यह यांत्रिक अथवा दंडात्मक नहीं होना चाहिए।

राज्य की ओर से विनियम 240 के अंतर्गत हिस्ट्रीशीट खोलने को उचित ठहराया गया, जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति से संदेह के आधार पर अथवा दोषसिद्धि/निर्दोषता के पश्चात भी हिस्ट्रीशीट खोली जा सकती है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता अनेक आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहा है तथा विनियम 228 से 231 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित विचार के उपरांत ही निगरानी की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य ने यह भी प्रतिपादित किया कि हिस्ट्रीशीट का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम करना है।

खंडपीठ ने पुलिस विनियमों की योजना का विस्तृत परीक्षण किया। न्यायालय ने विनियम 228 के अंतर्गत हिस्ट्रीशीट का वर्गीकरण, विनियम 230 के अंतर्गत "स्टारिंग" की अवधारणा तथा विनियम 231 के अंतर्गत न्यूनतम निगरानी अवधि पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि हिस्ट्रीशीट का उद्देश्य प्रभावी पुलिसिंग एवं लोक सुरक्षा के लिए आदतन अथवा संभावित अपराधियों का गोपनीय अभिलेख बनाए रखना है।

न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया कि निगरानी अत्यधिक, हस्तक्षेपकारी अथवा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हिस्ट्रीशीट खोलना दंड नहीं, बल्कि एक विनियामक एवं निवारक उपाय है। तथापि, यह आवश्यक है कि ऐसी कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर आधारित हो तथा मनमानी न हो।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि निगरानी निर्धारित सीमाओं के भीतर ही रहनी चाहिए तथा इसका परिणाम उत्पीड़न, गृह में अनावश्यक हस्तक्षेप अथवा सार्वजनिक अपमान के रूप में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार लागू होता है, यद्यपि यह पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है और अपराध–निवारण के हित में उचित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है।

अतः न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध खोली गई हिस्ट्रीशीट को निरस्त कर दिया तथा उनकी निगरानी तत्काल समाप्त

करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इसके लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए कि ऐसी कार्रवाई से पूर्व संबंधित व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, हिस्ट्रीशीट की वार्षिक समीक्षा हेतु प्रणाली विकसित करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे निर्दोष अथवा विमुक्त व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट समाप्त की जा सके और अनावश्यक पुलिस निगरानी से उनकी जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित हो सके।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार

(i) रजत मौर्य एवं 41 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

वाद संख्याः रिट - ए संख्या 8788 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 25.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:174511

तीन संबद्ध रिट याचिकाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 26.05.2025 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को समान रूप से चुनौती दी गई। उक्त परिणाम 609 पदों (सहायक अभियंता सिविल/यांत्रिक, जिला उद्यान अधिकारी/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी तथा विभिन्न शाखाओं में वरिष्ठ तकनीकी सहायक) पर भर्ती हेतु था। याचिकाकर्ताओं का कथन था कि आयोग ने दिनांक 17.12.2024 के विज्ञापन के खंड 11(8) के अनुसार आवश्यक रिक्तियों (9,135) के पंद्रह गुना के स्थान पर केवल 7,358 अभ्यर्थियों को ही अर्ह घोषित किया।

न्यायालय ने खंड 11(8) (मुख्य परीक्षा हेतु पंद्रह गुना), खंड 11(13) (न्यूनतम अर्हता अंकः सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 35%), खंड 11(14) (आरक्षित अभ्यर्थियों का अनारक्षित वर्ग में समायोजन केवल तभी जब कोई रियायत प्राप्त न की गई हो), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा नियमावली, 1986 (नियम 2(viii), 3(1) से 3(6)) तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) अधिनियम, 1994 (धारा 3) का परीक्षण किया। आयोग द्वारा न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत श्रेणीवार विवरण प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि पंद्रह गुना अनुपात प्रत्येक श्रेणी (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि) तथा प्रत्येक समूह (सिविल, यांत्रिक, कृषि आदि) के लिए पृथक रूप से कठोरता से लागू किया गया। जिन श्रेणियों में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, वहाँ वास्तविक उपलब्ध संख्या को ही स्वीकार किया गया। न्यायालय ने माना कि प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक छनन (स्क्रीनिंग) परीक्षा है तथा नियमावली, 1986 एवं विज्ञापन श्रेणीवार संक्षिप्तीकरण की अनुमति प्रदान करते हैं। संपूर्ण अनारक्षित सूची तैयार करना अथवा प्रारंभिक स्तर पर समायोजन करना आवश्यक नहीं है। अनेक समूहों/पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनुपात की गणना के उद्देश्य से केवल एक बार ही गिना जाएगा। आयोग की कार्यवाही पूर्णतः विज्ञापन एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप पाई गई।

अतः तीनों रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं।

(ii) श्रीमती मीना रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

वाद संख्याः रिट - ए संख्या 12483 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 24.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:173428

याचिकाकर्त्री, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, ने दिनांक 12.06.2025 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उनकी वरिष्ठता में संशोधन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष 2018 की वरिष्ठता सूची में त्रुटिवश उनकी जन्मतिथि 01.01.1967 (वास्तविक 01.01.1987 के स्थान पर) तथा नियुक्ति तिथि 02.04.2008 (वास्तविक 04.02.2008 के स्थान पर) अंकित हो गई थी। यह त्रुटि वर्ष 2023 में उस समय प्रकाश में आई जब उनसे कनिष्ठ दो व्यक्तियों को सहायक विकास अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल सेवा अभिलेख में सही प्रविष्टियाँ प्रमाणित हुईं। याचिकाकर्त्री को उक्त त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि न तो आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं और न ही सूची की सूचना दी गई। जानकारी प्राप्त होते ही उन्होंने संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने माना कि वरिष्ठता सूची के निर्माण में विभागीय त्रुटि को निरंतर बनाए नहीं रखा जा सकता। अजय कुमार शुक्ला बनाम अरविंद राय (2022) 12 SCC 579 के निर्णय पर आधारित होकर यह प्रतिपादित किया गया कि जब प्रभावित कर्मचारी को सूची की जानकारी न हो तथा त्रुटि अभिलेखों से स्पष्ट हो, तब विलंब घातक नहीं होता। प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत के.आर. मुद्गल एवं एच.एस. वंकानी के निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं पाए गए।

अतः रिट याचिका स्वीकृत की गई। दिनांक 12.06.2025 का विवादित आदेश निरस्त किया गया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वरिष्ठता सूची में संशोधन कर याचिकाकर्त्री को उचित स्थान प्रदान करें, उसे उसके कनिष्ठों की पदोन्नति तिथि से सहायक विकास अधिकारी पद पर पदोन्नत करें तथा एक माह के भीतर समस्त देय लाभ एवं बकाया वेतन का भुगतान करें।



माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार

(i) फूल चन्द्र एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या 1701 वर्ष 2004
निर्णय दिनांक : 12.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:83329-DB

अपीलकर्ताओं ने सत्र परीक्षण संख्या 21/2000 में जनपद अंबेडकर नगर के सत्र न्यायमूर्ति श्रीद्वारा पारित दिनांक 03.08.2004 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी, जिसके अंतर्गत उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर प्रत्येक को दस हजार रुपये के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास तथा अर्थदंड न देने की दशा में छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया, जबकि धारा 504 के आरोप से मुक्त किया गया।

घटना दिनांक 09.12.1999 की है, जब अपीलकर्ता समीपस्थ खेत में कार्यरत थे तथा फूल चन्द्र ने वादी के खेत के उत्तरी मेड़ को काटना प्रारंभ किया, जहाँ गेहूँ की बुआई हो रही थी। मृतक अजय कुमार द्वारा रोकने पर राम बदन ने उकसाया और तीनों अभियुक्तों ने कुदाल से आक्रमण कर मृतक के सिर पर घातक प्रहार किया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने आठ साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW–1 एवं PW–2 सम्मिलित थे, जिनके कथनों की पुष्टि PW–4 तथा चिकित्सीय साक्ष्य से हुई। घटनास्थल का मानचित्र, रक्तरंजित मिट्टी एवं प्रयुक्त हथियार भी सिद्ध किया गया। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे सिद्ध पाते हुए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया। अपील लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता संख्या 3 राम बदन का निधन हो जाने से उसके विरुद्ध अपील समाप्त हो गई। खंडपीठ ने अभिलेखों का परीक्षण कर यह पाया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है। अतः अपील निरस्त कर दी गई।

(ii) राजू बाथम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या 1434 वर्ष 2016
निर्णय दिनांक : 24.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:76710-DB

अपीलकर्ता ने सत्र परीक्षण संख्या 330/2015 में अपर सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 9, उन्नाव द्वारा पारित दिनांक 30.07.2016 के निर्णय को चुनौती दी, जिसके अंतर्गत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दस हजार रुपये के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास तथा अर्थदंड न देने की दशा में छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। घटना दिनांक 07/08.07.2015 की मध्यरात्रि की है, जब अपीलकर्ता ने अपनी सत्रह वर्षीय पुत्री शिवानी का अपने आवास, चम्पा पुरवा, गंगा घाट, उन्नाव में वस्त्र की

डोरी से गला घोंटकर वध कर दिया, क्योंकि वह मोहल्ले के एक युवक के साथ जाने पर आग्रह कर रही थी। अपीलकर्ता की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी कश्यप ने घटना देखी तथा 08.07.2015 को प्रातः 06:05 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, प्राथमिकी लेखक, लिखित प्रतिवेदन लेखक, अन्वेषण अधिकारी एवं पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक सहित दस साक्षियों का परीक्षण किया। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन से मृत्यु का कारण गला घोंटना सिद्ध हुआ, जिसमें गर्दन पर लिगेचर चिन्ह पाया गया। अन्वेषण अधिकारी ने अपीलकर्ता की निशानदेही पर कपड़े की डोरी की बरामदगी सिद्ध की। यद्यपि पारिवारिक साक्षी मुकर गए, तथापि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, त्वरित प्राथमिकी, चिकित्सीय प्रमाण एवं हथियार की बरामदगी से अपराध संदेह से परे सिद्ध हुआ। खंडपीठ ने समस्त साक्ष्यों का परीक्षण कर यह पाया कि परिस्थितियाँ अपीलकर्ता के अपराध की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं, तथा वह अपने ही घर में हुई पुत्री की मृत्यु का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा। अतः अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मोईन

(i) सौरभा श्रीवास्तव एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव राजस्व विभाग, लखनऊ के माध्यम से एवं 4 अन्य

मामला संख्याः रिट - सी संख्या - 12 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 09.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:1995

याचिकाकर्ताओं द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47–ए के अंतर्गत कलेक्टर, गोंडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2022 तथा अपर आयुक्त (प्रशासनिक–II), देवीपाटन मंडल, गोंडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 को निरस्त किए जाने एवं उनके क्रियान्वयन पर स्थगनादेश प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 04.02.2021 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से ग्राम दुर्गागंज, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा स्थित गाटा संख्या 1842, क्षेत्रफल 0.7280 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी। यद्यपि उक्त भूमि अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी, तथापि याचिकाकर्ताओं ने 18.20 लाख रुपये के सर्किल दर मूल्य के सापेक्ष 90 लाख रुपये का विक्रय प्रतिफल अदा किया।

दिनांक 15.03.2021 को उप–पंजीयक, तरबगंज द्वारा निरीक्षण किए जाने पर यह पाया गया कि भूखंडों का विभाजन किया जा रहा है, 25 फीट चौड़ी सड़क निर्मित की गई है तथा विद्युत खंभे स्थापित किए गए हैं। परिणामस्वरूप धारा 47–ए के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। सूचना दिए जाने के उपरांत भी याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए, फलतः कलेक्टर द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियम 1997 के अंतर्गत बाजार मूल्य 3900 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, दण्ड एवं पंजीकरण शुल्क की मांग की गई। धारा 56(1–ए) के अंतर्गत दायर अपील निरस्त कर दी गई।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अतिरिक्त प्रतिफल पूर्व में ही दिया जा चुका है, मूल्यांकन संभावित उपयोग के आधार पर किया गया है जो अनुचित है, आवासीय दर 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी तथा निरीक्षण पश्चात किया गया। न्यायालय ने श्रीमती पुष्पा सरीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 3 ADJ 136 में प्रदत्त पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि कलेक्टर को अनिश्चित भविष्य के उपयोग के आधार पर अनुमान लगाने की अनुमति नहीं है, किन्तु विलेख के निष्पादन के समय अथवा उसके समीपवर्ती अवधि में भूमि की क्षमता पर विचार किया जा सकता है। अतः यह अभिमत व्यक्त किया गया कि नियम 1997 के अंतर्गत निर्धारित बाजार मूल्य वैध है तथा सर्किल दर से आबद्ध नहीं है, जैसा कि ज्ञान प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपादित किया गया। श्रीमती ओमवती बनाम आयुक्त मेरठ (2008) 3 ADJ 182 के निर्णय को तथ्यों के आधार पर अनुप्रयुक्त नहीं माना गया। हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं पाया गया। रिट याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) अविनाश शर्मा बनाम सोभरन लाल एवं अन्य

मामला संख्याः आदेश संख्या - 12 वर्ष 2011 से प्रथम अपील
निर्णय दिनांक : 26.03.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:18094

तीन संबद्ध अपीलें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखीमपुर खीरी द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 74/2007, 75/2007 तथा 73/2007 में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उत्पन्न हुईं। दुर्घटना दिनांक 28 दिसम्बर 2006 को घटित हुई। दावेदारों द्वारा प्राप्त चोटों के लिए प्रतिकर की मांग करते हुए याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। एकमात्र विवादित प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता अविनाश शर्मा के वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था।

अधिकरण द्वारा यह मुद्दा निर्धारित किया गया कि क्या चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहन के सभी अभिलेख वैध एवं प्रभावी थे। स्वामी द्वारा दस्तावेजों की सूची के साथ 'सिराजू' नामक व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की गई, किन्तु लिखित बयान में चालक का नाम अंकित नहीं किया गया और न ही वह अथवा कोई साक्षी इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत हुआ कि दुर्घटना के समय सिराजू ही वाहन चला रहा था।

अपीलकर्ता का तर्क था कि अधिकरण ने आरोप–पत्र पर भरोसा कर त्रुटि की है, क्योंकि वह ठोस साक्ष्य नहीं है, तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम जय देव सिंह 2010 (28) LCD 499 पर निर्भर किया गया। प्रतिवादियों का कहना था कि स्वामी ने लिखित बयान में चालक का नाम छिपाया तथा यह सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि सिराजू चालक था।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि वाहन कौन चला रहा था, इसकी जानकारी केवल स्वामी को थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराएँ 102, 105 एवं 106 के अंतर्गत यह सिद्ध करने का भार स्वामी पर था कि चालक के पास वैध लाइसेंस था। सिराजू के ड्राइविंग लाइसेंस को प्रमाणित करने अथवा यह स्थापित करने हेतु कि वही वाहन चला रहा था, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ग) के अनुसार, जो पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने से विरत रहता है, उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जाता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ज्ञान चंद (1997) 7 SCC 558 पर भरोसा करते हुए यह कहा गया कि जब स्वामी स्वयं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं होता, तो यह प्रतिकूल अनुमान लगाया जाता है कि वाहन बिना वैध लाइसेंस वाले चालक द्वारा चलाया गया था। जय देव सिंह प्रकरण में निर्णय भिन्न था, क्योंकि उस प्रकरण में स्वामी द्वारा अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर चालक का नाम स्पष्ट रूप से बताया गया था। वर्तमान प्रकरण में लिखित बयान में चालक का नाम जानबूझकर गोपित रखा गया तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया गया। समस्त अपीलें निरस्त कर दी गईं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्रा

(i) भूपराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील (धारा 413 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) संख्या 638 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 11.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-230719-DB

सूचक–अपीलकर्ता, जो मृतक मूलचंद के पिता हैं, ने अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, पीलीभीत द्वारा दिनांक 26.09.2025 को सत्र वाद संख्या 46/2021 (अपराध संख्या 257/2020) में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 364, 302, 201 तथा 120–बी के अंतर्गत अभियुक्त राहुल, लाल सिंह, वीरपाल उर्फ कल्लू एवं पंचमलाल को आरोपमुक्त किए जाने के निर्णय को चुनौती दी।

अभियोजन का कथन था कि मृतक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, जो कि मृतक एवं गुड़िया (अभियुक्त लाल सिंह की पुत्री) के मध्य प्रेम संबंध के कारण रची गई साजिश का परिणाम था। "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत को अभियोजन साक्षी–5 (माया सागर) एवं साक्षी–8 (नरेश) के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने यह कथन किया

कि उन्होंने दिनांक 15.07.2020 को मृतक को पंचमलाल के साथ जाते हुए देखा था। वीरपाल की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद किया जाना तथा पंचमलाल एवं मृतक के मध्य हुई वार्ताओं के कॉल विवरण अभिलेख (सीडीआर) पर भी विश्वास किया गया।

विचारण न्यायालय ने समस्त अभियुक्तों को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया कि "अंतिम बार साथ देखे जाने" का साक्ष्य अविश्वसनीय एवं मनगढ़ंत था, गवाह विश्वसनीय नहीं थे, कोई आपराधिक साजिश सिद्ध नहीं हुई (अभियुक्तों के मध्य आपसी कॉल अथवा लोकेशन संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था), तथा मोबाइल की बरामदगी संदिग्ध थी। साक्ष्यों के परीक्षण तथा आरोपमुक्ति के विरुद्ध अपील के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायपीठ ने यह माना कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विधि सम्मत था। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला पूर्ण नहीं थी, "अंतिम बार साथ देखे जाने" का सिद्धांत संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ, तथा अभियोजन अपना आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। परिणामतः अपील निरस्त कर दी गई।

(ii) मेवाती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील (धारा 413 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) संख्या 560 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:216540-DB

सूचक–अपीलकर्ता, जो मृतक की विधवा हैं, ने नौ अभियुक्तों को आरोपमुक्त किए जाने के निर्णय को चुनौती दी, जिनमें अभियुक्त विजई यादव के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत भी आरोप था। यह निर्णय सत्र न्यायमूर्ति, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2025 को अपराध संख्या 376/2011 से उत्पन्न सत्र परीक्षण (धारा 302/149, 147 भारतीय दण्ड संहिता) तथा अपराध संख्या 515/2011 (धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम) से संबंधित वादों में पारित किया गया था।

अभियोजन का आरोप था कि दिनांक 02.08.2011 को लगभग दोपहर 12 बजे अभियुक्तों ने भूमि विवाद के कारण मृतक का पीछा किया, उसे गिराकर बोलेरो वाहन से कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। अभियोजन साक्षी–1 (विधवा) एवं साक्षी–2 (पुत्र) ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया।

विचारण न्यायालय ने समस्त अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण संदिग्ध एवं विलंबित था, साक्षी–1 एवं साक्षी–2 की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध थी, उनकी गवाहियाँ परस्पर विरोधी थीं तथा चिकित्सीय साक्ष्यों से उनका समर्थन नहीं होता था (यद्यपि कथित रूप से वाहन कई बार शरीर पर चढ़ाया गया, तथापि अपेक्षित चोटें नहीं पाई गईं)। अतः अभियोजन अपना आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा।

न्यायपीठ ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए तथा आरोपमुक्ति के विरुद्ध अपील के संबंध में स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय का निर्णय न तो त्रुटिपूर्ण था और न ही साक्ष्यों के गलत आकलन पर आधारित था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भिन्न मत संभव थे, और विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण एक संभावित एवं युक्तिसंगत दृष्टिकोण था। फलतः अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र धारी सिंह

(i) पारुल बुधराजा एवं 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः आपराधिक रिट याचिका संख्या 3996 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 30.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:190339-DB

याचिकाकर्ताओं ने ऋषभ अग्निहोत्री द्वारा दर्ज कराई गई भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0230/2024 (थाना लिंक रोड, गाजियाबाद) को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। मुख्य आधार यह था कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर परिवादी के भाई शुभम अग्निहोत्री को वर्ष 2019 में क्यूनेट व्यवसाय योजना में ₹7,50,000 निवेश करने हेतु प्रेरित किया था

तथा शुभम द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2021 दर्ज कराने के पश्चात पूर्व प्रकरण में अन्वेषण एजेंसी को भ्रमित करने के उद्देश्य से वीरेंद्र सिंह, अधिवक्ता एवं नोटरी के कूटकृत हस्ताक्षर एवं जाली नोटरी मुहरयुक्त एक "घोषणापत्र" तथा "वितरक आवेदन प्रपत्र" तैयार किया गया।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि विवादित प्राथमिकी समान तथ्यों पर आधारित द्वितीय प्राथमिकी है, जो टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य तथा अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार निषिद्ध है। उनका यह भी कथन था कि दोनों प्राथमिकी एक ही लेन–देन, एक ही पक्षकारों, एक ही अभिलेख तथा एक ही कारण से संबंधित हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 20 एवं 21 का उल्लंघन है।

खंडपीठ ने "समानता परीक्षण" का विश्लेषण करते हुए तथा अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह राठौर पर निर्भर करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि वर्तमान प्राथमिकी में प्राथमिकी संख्या 38/2021 के पंजीकरण के उपरांत किए गए कूटरचना एवं मिथ्या अभिलेखों के पृथक कृत्यों का उद्घाटन हुआ है। जहाँ पूर्व प्राथमिकी वर्ष 2019 के निवेश में प्रलोभन एवं छल से संबंधित थी, वहीं वर्तमान प्राथमिकी न्यायिक/अन्वेषण कार्यवाही में जाली अभिलेखों के उपयोग से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत नवीन अपराधों से संबंधित है। अतः दोनों प्राथमिकी एक ही लेन–देन से संबद्ध नहीं हैं; द्वितीय प्राथमिकी पर निषेध लागू नहीं होता। उक्त प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत पारित न्यायिक आदेश के अनुपालन में विधिवत पंजीकृत की गई थी।

अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई। अन्वेषण, निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, जारी रहेगा।

(ii) सतिंदर सिंह भसीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (संबद्ध याचिका - क्विंसी भसीन के साथ)

मामला संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 9232 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 18.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:228033-DB

याचिकाकर्ता, जो मेसर्स भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक हैं, तथा उनकी पत्नी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत ईसीआईआर/एलकेजेडओ/14/2021 को चुनौती दी। यह प्राथमिकी संख्या 353/2015 (थाना कासना, गौतम बुद्ध नगर – "ग्रैंड वेनिस मॉल" परियोजना) पर आधारित है तथा 10–12.04.2025 को की गई तलाशी एवं जब्ती सहित सभी अनुवर्ती कार्यवाहियों तथा विशेष न्यायमूर्ति, भ्रष्टाचार निवारण, सीबीआई, गाजियाबाद द्वारा 11.04.2025 को जारी अनिश्चितकालीन गैर–जमानती वारंट को भी चुनौती दी गई।

मुख्य तर्क यह था कि मूल प्राथमिकी संख्या 353/2015 में 17.02.2019 की पूरक आरोपपत्र द्वारा धारा 420 भारतीय दंड संहिता को हटा दिया गया तथा केवल धारा 406 शेष रही, जो अनुसूचित अपराध नहीं है। इस न्यायालय ने 27.04.2023 के आदेश द्वारा मूल वाद की कार्यवाही पर स्थगनादेश पारित किया है। अतः कोई भी अनुसूचित अपराध शेष न रहने से ईसीआईआर एवं समस्त धन शोधन कार्यवाहियाँ अधिकार क्षेत्र से परे हो जाती हैं। इस संदर्भ में विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, पार्वती कोल्लूर बनाम राज्य, पवना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय तथा सागर मारुति सूर्यवंशी बनाम प्रवर्तन निदेशालय पर निर्भरता व्यक्त की गई।

यह भी कहा गया कि गैर–जमानती वारंट धारा 41ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 50 धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत नवीन समन जारी किए बिना यांत्रिक रूप से निर्गत किए गए, जो इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तराखंड राज्य के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूर्ण सहयोग (अनेक बार उपस्थिति एवं अभिलेख प्रस्तुत करना) का उल्लेख किया तथा यह भी कहा कि तलाशी एवं जब्ती धारा 17 के अंतर्गत आवश्यक "विश्वास करने का कारण" अभिलिखित किए बिना की गई। खंडपीठ इस प्रकरण पर विचाराधीन है। (टिप्पणीरू उपलब्ध निर्णय अंश केवल प्रस्तुतियों तक सीमित है; अंतिम आदेश मूल अभिलेख के शेष भाग में निहित है।)



माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट

(i) अनीस अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 21349 वर्ष 2019
निर्णय दिनांक : 03.04.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:46581

याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.03.2017 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा ₹1,12,281.28 की वसूली का निर्देश दिया गया था, तथा दिनांक 06.03.2019 के अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी। एक गोदाम में भंडारण हानि के आरोप में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। जाँच अधिकारी ने केवल इस आधार पर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया कि वह कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सका, और उत्तर न देना ही दोष मान लिया गया। अनुशासनिक एवं अपीलीय प्राधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन पर निर्भरता व्यक्त की।

न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि जाँच अधिकारी, एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी होने के कारण, विभागीय साक्ष्यों का स्वतंत्र परीक्षण करने तथा विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित करने हेतु बाध्य है, भले ही आरोपित कर्मचारी अपना प्रतिरक्षण प्रस्तुत न करे। उत्तर न देने से जाँच अधिकारी इस दायित्व से मुक्त नहीं होता। जाँच प्रतिवेदन संक्षिप्त एवं अस्पष्ट था, जिसमें साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन तथा विशिष्ट निष्कर्षों का अभाव था, अतः वह दोषपूर्ण है। अनुशासनिक एवं अपीलीय दोनों आदेश निरस्त कर दिए गए।

रिट याचिका स्वीकार की गई। प्रकरण को प्रतिवादियों के पास पुनः प्रेषित किया गया, ताकि वे विधि के अनुसार नवीन कार्यवाही करें, जिसे आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर पूर्ण किया जाना होगा।

(ii) चंचल सोनकर बनाम अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एवं 5 अन्य

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 1680 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 02.04.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:50709

याचिकाकर्त्री, जो एक दिवंगत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी की विधवा हैं, जिनका निधन 17.11.2022 को हुआ तथा जिनका अंतिम सकल वेतन ₹1,18,800.14 था, ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रार्थना की। उक्त दावा दिनांक 24.07.2023 के आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय, बैंक की अनुकंपा नियुक्ति/अनुग्रह राहत योजना, 2022 के खंड 5 के अनुसार, मृतक के अंतिम सकल वेतन के 75% से अधिक है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के अंतर्गत खुली, पारदर्शी एवं योग्यता–आधारित भर्ती की संवैधानिक व्यवस्था का एक अपवाद है। इसका उद्देश्य केवल तत्काल आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना है तथा यह कोई अर्जित अधिकार नहीं है। बैंक द्वारा योजना 2022 के खंड 5.1 का विधिसम्मत अनुप्रयोग किया गया। परिवार की कुल मासिक आय (निधि पर अनुमानित ब्याज एवं पारिवारिक पेंशन सहित) ₹99,555.71 आंकी गई, जो अंतिम वेतन के 75% से अधिक है। अतः परिवार आर्थिक संकट की उस स्थिति में नहीं है, जिसके लिए अनुकंपा नियुक्ति आवश्यक हो।

रिट याचिका निरस्त कर दी गई तथा दिनांक 24.07.2023 का विवादित आदेश यथावत् रखा गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी

(i) राज कुमार चतुर्वेदी बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद एवं 11 अन्य

मामला संख्याः अनुच्छेद 227 के अंतर्गत संख्या 8117 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 05.03.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:32996 A.F.R.

याचिकाकर्ता ने सिविल अपील संख्या 40/2010 में अपर जिला न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 10, मथुरा द्वारा पारित दिनांक 17.05.2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संशोधन प्रार्थना–पत्र 114 क को निरस्त कर दिया गया था तथा दिनांक 20.07.2018, 02.02.2019 एवं 27.01.2019 के पूर्ववर्ती आदेशों को निरस्त करने की भी प्रार्थना की गई थी। यह विवाद भूमि अर्जन की कार्यवाही से संबंधित था, जिसे दिनांक 07.07.2005 की अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु बाद में दिनांक 25.04.2008 की अधिसूचना द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1988 का वाद संख्या 16 तथा वर्ष 2009 की रिट याचिका संख्या 529 दायर की थी, जिसे दिनांक 31.08.2010 को स्वीकार किया गया था। उक्त निर्णय के आधार पर पूर्व के संशोधन प्रार्थना–पत्र 65 क एवं 67 ख को दिनांक 20.07.2018 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया था कि अपील के अंतिम निर्णय के समय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जाएगा। इस न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनर्विचार एवं पुनर्स्मरण याचिकाएँ भी निरस्त कर दी गई थीं।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि वर्तमान संशोधन प्रार्थना–पत्र में उन्हीं तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें पूर्व में सम्मिलित करने का प्रयास कर निरस्त किया जा चुका है। अतः 'न्यायनिर्णीत विषय' (Res Judicata) का सिद्धांत लागू होता है तथा याचिकाकर्ता को बार–बार संशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उसी विषय को पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलीय न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करते समय अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने तथा समस्त तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार है। विवादित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई गई। याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) राज किशोर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 6716 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 28.03.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:17496 A.F.R.

याचिकाकर्ता, जो एक सेवानिवृत्त कारागार अधीक्षक हैं, ने दिनांक 21.06.2023 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा पर्यवेक्षण में शिथिलता के आरोप में उनकी पेंशन में तीन वर्षों के लिए 10% की कटौती कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जिला कारागार, इटावा से दो बंदी फरार हो गए थे। पूर्व में उन्हें 15% कटौती का दंड दिया गया था, जिसे निरस्त कर 'सुरेंद्र पांडे (2007) 2 ADJ 531' के निर्णय के आलोक में प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कारागार की जर्जर स्थिति, सुरक्षा कर्मियों की कमी तथा सीसीटीवी कैमरों के कार्य न करने के संबंध में उच्च अधिकारियों को बार–बार अवगत कराया था, किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। याचिकाकर्ता के साथ एक कारागार अधीक्षक तथा दो उपकारागार अधीक्षकों को भी आरोप–पत्रित किया गया था, परंतु उन्हें केवल चेतावनी अथवा प्रविष्टि दंड दिया गया। उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल के अनुसार कारागार अधीक्षक की भूमिका पर्यवेक्षणात्मक होती है, जबकि अधीनस्थ अधिकारी प्रत्यक्ष सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण का आरोप सिविल सेवा विनियम के विनियम 351–क के अंतर्गत 'गंभीर कदाचार' की श्रेणी में नहीं आता। 'सुरेंद्र पांडे' के निर्णय के अनुसार कार्यकुशलता में कमी, दूरदर्शिता का अभाव अथवा निर्णय लेने में त्रुटि को ऐसा कदाचार नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर पेंशन में कटौती की जाए। यह आदेश भेदभावपूर्ण भी था।

रिट याचिका स्वीकार की गई। दिनांक 21.06.2023 का

विवादित आदेश निरस्त कर दिया गया। पेंशन से की गई समस्त कटौती की राशि, देय तिथि से वास्तविक भुगतान तक 9: वार्षिक ब्याज सहित याचिकाकर्ता को प्रदान की जाएगी। याचिकाकर्ता को समयमान वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान एवं बकाया भुगतान हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिस पर प्रतिवादीगण आठ सप्ताह के भीतर निर्णय करेंगे।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज बजाज

(i) डॉ. राजेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
(संबद्ध याचिका- सच्चिदानंद राय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के साथ)

मामला संख्याः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 724 वर्ष 2012
(तथा धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 2966 वर्ष 2017)
निर्णय दिनांक : 08.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:1325

मेसर्स सावेन कंसल्टेंसी सर्विसेज (पक्ष संख्या–I) तथा मेसर्स इको वाटर सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (पक्ष संख्या–II) के मध्य पूर्णतः वाणिज्यिक विवाद के कारण दो पारस्परिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत हुए। यह विवाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु दिनांक 23.06.2008 एवं 04.07.2008 को निर्गत कार्यादेशों से संबंधित था, जिनकी कुल लागत ₹67,00,000 थी। भुगतान विवाद उत्पन्न होने पर दोनों पक्षों ने थाना गाज़ीपुर, लखनऊ में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराए। गुणकेश राय (पक्ष संख्या–II) की शिकायत पर अपराध संख्या 241/2010, धारा 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज हुआ, जबकि डॉ. राजेश कुमार सिंह (पक्ष संख्या–I) की शिकायत पर अपराध संख्या 241।/2010, धारा 147, 148, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। आरोपपत्र प्रस्तुत किए गए तथा संज्ञान ग्रहण किया गया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि विवाद पूर्णतः दीवानी प्रकृति का था। दोनों पक्ष लेखा–जोखा वापसी तथा धन–वसूली हेतु पूर्व से ही दीवानी न्यायालय में वाद लंबित रखे हुए थे। दोनों प्रथम सूचना प्रतिवेदनों में आरोप अस्पष्ट थे तथा किसी संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व परिलक्षित नहीं होते थे। धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने हेतु आवश्यक आपराधिक न्यासभंग या बेईमानीपूर्ण दुरुपयोग का अभाव था। कथित धमकियाँ एवं दुर्व्यवहार भी इतने गंभीर नहीं थे कि धारा 504/506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध स्थापित किया जा सके। आपराधिक कार्यवाही वस्तुतः लंबित दीवानी विवाद में प्रतिपक्ष पर दबाव बनाने हेतु विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र थी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दोनों आवेदन स्वीकार किए गए। दिनांक 11.05.2010 एवं 14.07.2014 के आरोपपत्र, दिनांक 24.06.2010 एवं 04.09.2014 के संज्ञान आदेश तथा समस्त अनुवर्ती कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

(ii) संजय गौड़, अधिवक्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 33495 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 07.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:1021

अधिवक्ता राकेश कुमार गुप्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 419, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप था कि सावित्री देवी ने दिनांक 11.03.1996 को चार क्रेताओं (शिकायतकर्ता सहित) के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया, जिसमें तीन सह–क्रेताओं के नाम कपटपूर्वक जोड़े गए, तथा तत्पश्चात दिनांक 20.07.2007 को संजय गौड़ (आवेदक संख्यादृ1) के पक्ष में जाली हस्ताक्षरों से एक अन्य विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। आवेदकों (संजय गौड़ तथा द्वितीय विक्रय विलेख के साक्षीगण) के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत कर संज्ञान लिया गया।

न्यायालय ने अवलोकन किया कि समस्त विवाद दो पंजीकृत विक्रय विलेखों के शीर्षक एवं वैधता के इर्द–गिर्द केंद्रित था। शिकायतकर्ता पूर्व में ही दीवानी वाद संख्या 132/2004 प्रस्तुत कर चुका था, जिसमें प्रथम विक्रय विलेख के घोषणा एवं संशोधन की प्रार्थना की गई थी। एकपक्षीय डिक्री पारित हुई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया, तथा वाद अब भी लंबित था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आरोप वस्तुतः पूर्णतः दीवानी विवाद को आपराधिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास मात्र थे। आवेदकों के विरुद्ध जालसाजी अथवा धोखाधड़ी का प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण स्थापित नहीं होता था। शिकायत अत्यधिक विलंब से तथा दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती थी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किया गया। दिनांक 24.03.2012 का आरोपपत्र, दिनांक 30.07.2012 का संज्ञान आदेश तथा आपराधिक वाद संख्या 2618/2011 की समस्त कार्यवाही निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

(i) कर्मेश कुमार श्रीवास्तव, प्रोप्राइटर, वीनस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम नगर विकास सचिव एवं 5 अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 15336 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 17.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:186447-DB

याची द्वारा परमादेश (मैंडमस) की रिट की प्रार्थना की गई, जिसमें प्रतिवादियों को दिनांक 23.12.2011 के कार्यादेश के अंतर्गत ओवरहेड टैंक, सी.सी. मार्ग तथा सीवर लाइन निर्माण कार्य के शेष भुगतान निर्गत करने का निर्देश देने का निवेदन किया गया। यह दावा किया गया कि आंशिक भुगतान तो कर दिया गया, किन्तु कार्य पूर्ण होने के बावजूद शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया।

प्रतिवादियों ने प्रत्युत्तर में दावा अस्वीकार करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत भुगतान पूर्व में ही नकद वाउचर संख्या 1412 दिनांक 04.02.2012 तथा चेक संख्या 754959 दिनांक 04.02.2012 द्वारा ₹3,53,750 की राशि के रूप में किया जा चुका है। कोई भी स्वीकृत राशि अवशिष्ट नहीं थी तथा याची द्वारा ऐसी कोई अभिलेखीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई जिससे देयता सिद्ध हो सके।

खंडपीठ ने माना कि विवाद पूर्णतः संविदात्मक तथा तथ्यात्मक विवाद से संबंधित है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादियों ने किसी विशिष्ट राशि को स्वीकार किया है। संविदा संबंधी विवाद, जिनमें तथ्यगत विवाद सम्मिलित हों, रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय नहीं होते, अपितु उपयुक्त दीवानी न्यायालय अथवा मध्यस्थता मंच के समक्ष निस्तारित किए जाने चाहिए।

रिट याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) गणेश त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 7655 वर्ष 2019
निर्णय दिनांक : 28.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:188516-DB

(याची संख्या–1 की याचिका दिनांक 29.05.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई थी। प्रकरण की सुनवाई केवल याची संख्या–2, डॉ. रानी द्विवेदी, के संबंध में की गई।)

याची द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही को चुनौती दी गई, जिसके अंतर्गत सहायक प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) के पद हेतु विज्ञापन संख्या 2 वर्ष 2016 के अंतर्गत चल रही चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। याची संख्यादृ2 ने आवेदन किया था, दिनांक 25.10.2017 को साक्षात्कार में सम्मिलित हुई तथा चयनित भी हुई, किन्तु विवादित आदेश के कारण परिणाम घोषित नहीं किया गया। कुलपति के दिनांक 03.11.2017 के आदेश को भी चुनौती दी गई।

खंडपीठ ने पाया कि कुलाधिपति का निर्णय मनमाना एवं

त्रुटिपूर्ण तथ्यों पर आधारित था। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) के अंतर्गत निर्गत दिनांक 08.04.2017 के शासनादेश द्वारा लंबित विज्ञापनों को संरक्षित किया गया था तथा यह निर्देश दिया गया था कि प्रचलित चयन प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 में किए गए संशोधनों से प्रभावित नहीं होंगी। इन संशोधनों से उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बैठक की कार्यवाही में लंबित रिट याचिका तथा विज्ञापन की समयावधि के संबंध में तथ्यात्मक त्रुटियाँ अंकित थीं। चयन प्रक्रिया लगभग 13 माह से लंबित थी, न कि दो वर्ष से, जैसा कि उल्लेखित किया गया।

न्यायालय ने शंकरसन दाश बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47 के संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें प्रतिपादित किया गया कि नियोक्ता को विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार है, किन्तु ऐसा निर्णय न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त कारणों पर आधारित होना चाहिए। संभावित अभ्यर्थी मनमाने निर्णय को चुनौती दे सकता है।

रिट याचिका स्वीकार की गई। दिनांक 27.10.2017 की बैठक की विवादित कार्यवाही तथा दिनांक 03.11.2017 के परिणाम संबंधी आदेश निरस्त किए गए। कुलपति को 30 दिनों के भीतर आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर याची संख्या–2 को सहायक प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। पश्चातवर्ती विज्ञापनों को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर

(i) मोहम्मद जुनेद खान बनाम अपर आयुक्त, प्रशासन द्वितीय, देवी पाटन मंडल, गोंडा एवं अन्य

वाद संख्याः रिट - सी संख्या 10403 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 12.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:72051

याचिकाकर्ता, जो स्वयं को अलाल खैर कब्रिस्तान समिति, सराय जरगर, परगना, तहसील एवं जनपद गोंडा का मुतवल्ली होने का दावा करता है, ने उप–जिलाधिकारी सदर, गोंडा के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त (प्रशासन–द्वितीय), देवी पाटन मंडल, गोंडा द्वारा दिनांक 23.04.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का घोषणा वाद निरस्त कर दिया गया था। यह अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता उक्त कब्रिस्तान का मुतवल्ली है तथा गाटा संख्या 316, कुल रकबा 0.41 डेसिमल (वर्तमान गाटा संख्या 151) पर समिति का अध्यक्ष है, जो ग्राम सराय जरगर, परगना, तहसील एवं जनपद गोंडा में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में फसली वर्ष 1356 से 1359 तक कब्रिस्तान के रूप में अंकित थी, किन्तु पश्चात् त्रुटिवश 0.39 डेसिमल भूमि तालाब के रूप में दर्ज हो गई।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33/39 के अंतर्गत अभिलेख सुधार हेतु वर्ष 2010 में उप–जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु याचिकाकर्ता उक्त कार्यवाही में सफल नहीं हुआ। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने विवादित भूमि के संबंध में घोषणा डिक्री हेतु वाद संस्थित किया, जिसमें यह निवेदन किया गया कि उक्त भूमि को कब्रिस्तान घोषित किया जाए तथा तालाब के रूप में दर्ज प्रविष्टि को निरस्त कर कब्रिस्तान के रूप में अभिलेखित किया जाए। उप–जिलाधिकारी ने दिनांक 25.02.2010 के आदेश द्वारा यह अभिलिखित करते हुए वाद निरस्त कर दिया कि चकबंदी कार्यवाही के दौरान 0.39 डेसिमल भूमि तालाब के रूप में अंकित की गई है।

उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, किन्तु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने भी दिनांक 23.04.2025 के आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत् बनाए रखा।

राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता द्वारा याचिका का प्रबल विरोध किया गया। यह कहा गया कि वाद की कार्यवाही में गंभीर दोष है, क्योंकि इसे याचिकाकर्ता ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से संस्थित किया, न कि समिति की ओर से। वाद के शीर्षक से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत अधिकारों की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया कि वाद उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 49 के प्रतिबंध से आच्छादित है।

दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने पाया कि वाद के शीर्षक एवं प्रार्थना–पत्र में गंभीर त्रुटियाँ हैं तथा

व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। न्यायालय ने राम राखी देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2002) के निर्णय पर भरोसा किया। साथ ही अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा सीता राम बनाम छोटा भोंडे एवं अन्य के निर्णयों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वाद की कार्यवाही धारा 49 के प्रतिबंध के अंतर्गत आती है।

न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता पूर्व में धारा 33/39 के अंतर्गत अभिलेख सुधार हेतु कार्यवाही कर चुका है, जिसमें वह असफल रहा तथा धोखाधड़ी का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः न्यायालय ने यह माना कि वाद ग्राह्य नहीं है तथा धारा 49 का प्रतिबंध स्पष्ट रूप से लागू होता है। फलस्वरूप याचिका निरस्त कर दी गई। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यदि धारा 33/39 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध है, तो याचिकाकर्ता उसे अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

याचिकाकर्ता द्वारा वक्फ कब्रिस्तान समिति के माध्यम से विपक्षी पक्षकार को वाद में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र भी निरस्त कर दिया गया।

(ii) अनुपम कुमार मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), लखनऊ एवं अन्य

वाद संख्याः रिट - सी संख्या 10995 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 15.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:73776

याचिकाकर्ता ने लेखपाल, तहसील करनैलगंज, जनपद गोंडा द्वारा दिनांक 29.10.2025 को जारी नोटिस को चुनौती दी, जिसमें गाटा संख्या 360/0.0200 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 361/0.0770 हेक्टेयर भूमि, जो नवीन परती एवं बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को पाँच दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, अन्यथा विधि अनुसार बलपूर्वक बेदखली की चेतावनी दी गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि याचिकाकर्ता गाटा संख्या 360 पर 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज है, किन्तु इसके समर्थन में कोई राजस्व अभिलेख अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67–क के अंतर्गत कब्जे को याचिकाकर्ता के पक्ष में नियमित किया जा सकता है, परंतु याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इसका कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया।

न्यायालय ने अवलोकन किया कि संबंधित भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज है तथा याचिकाकर्ता उसका अभिलेखीय काश्तकार नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व प्राधिकारी, जो ग्राम सभा भूमि के संरक्षण हेतु उत्तरदायी हैं, अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से विधि अनुसार कार्रवाई का उल्लेख है, अतः इसमें कोई अवैधता अथवा मनमानी परिलक्षित नहीं होती। इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने कब्जे को विधिसम्मत सिद्ध करने में असफल रहा है तथा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। अतः याचिका निरस्त की जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि विवादित भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो राजस्व प्राधिकारी सभी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे।



माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया

(i) आभा गुप्ता बनाम श्री कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ एवं अन्य

मामला संख्याः निष्पादन वाद संख्या - 1 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 09.10.2025

डिक्री धारक (एक संयुक्त राज्य अमेरिका निवासी) ने दिल्ली में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री ए.पी. शाह द्वारा दिनांक 06.04.2018 को पारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पंचाट पुरस्कार के निष्पादन की प्रार्थना की। निर्णय देनदार ने आई.ए. संख्या 1 वर्ष 2025 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि निष्पादन प्रार्थना–पत्र इस आधार पर निरस्त किया जाए कि उक्त पुरस्कार एक "विदेशी पुरस्कार" है, जो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के भाग–II द्वारा नियंत्रित होता है, अतः यह न्यायालय के समक्ष निष्पादनीय नहीं है। डिक्री धारक ने उक्त

आवेदन का विरोध करते हुए आई.ए. संख्या 2 वर्ष 2025 प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि उक्त पुरस्कार अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत परिभाषित "विदेशी पुरस्कार" नहीं है। चूँकि मध्यस्थता का स्थान दिल्ली (भारत) था, अतः यह पुरस्कार अधिनियम के भाग–I के अधीन "घरेलू पुरस्कार" है, यद्यपि यह अधिनियम की धारा 2(1)(f) के अर्थ में "अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" से संबंधित है (क्योंकि एक पक्ष विदेशी नागरिक है)। न्यायालय ने भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 SCC 552 तथा पासल विंड सॉल्यूशंस प्रा. लि. बनाम जी.ई. पावर कन्वर्ज़न इंडिया प्रा. लि. (2021) 7 SCC 1 के निर्णयों पर आश्रय लेते हुए कहा कि अधिनियम के भाग–I एवं भाग–II पृथक–पृथक क्षेत्रों में क्रियाशील हैं और भारत में पारित पुरस्कार, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में ही क्यों न दिया गया हो, घरेलू पुरस्कार ही माना जाएगा।

धारा 47 के साथ पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आपत्तियाँ निरस्त कर दी गईं। आई.ए. संख्या 1 वर्ष 2025 को अस्वीकृत तथा आई.ए. संख्या 2 वर्ष 2025 को स्वीकृत किया गया। परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण एवं लेखापरीक्षित बैलेंस शीट प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.07.2025 से पूर्व दिए गए निर्देशों की पुनः पुष्टि की गई। निष्पादन प्रार्थना–पत्र को ग्राह्य मानते हुए आगे की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

(ii) रतन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनिल कुमार एवं संबंधित रेरा अपीलें

मामला संख्याः रेरा अपील संख्या - 72 वर्ष 2025 तथा 19 संबद्ध अपीलें
निर्णय दिनांक : 04.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:53050

ये रेरा अपीलें (तथा कुछ त्रुटिपूर्ण अपीलें, जिनमें विलंब का परिहार किया गया था) उत्तर प्रदेश अचल संपत्ति अपीलीय अधिकरण के दिनांक 14.05.2025 के सामूहिक निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। उक्त निर्णय प्रवर्तक द्वारा विभिन्न आवंटियों को प्रतिकर/ब्याज प्रदान करने के लिए निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों पर दिया गया था। प्रवर्तक ने निर्णायक अधिकारी के ब्याज/प्रतिकर प्रदान करने के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी (न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 18 SCC 1 पर आश्रित रहते हुए) तथा 'अपरिहार्य परिस्थिति' (कोविड–19), ब्याज से छूट एवं यह तर्क प्रस्तुत किया कि समय अनुबंध का अनिवार्य तत्व नहीं था।

आवंटियों ने प्रतिकर न दिए जाने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। अधिकरण ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 44(6) एवं 53(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिकर को निरस्त कर दिया, परंतु दिनांक 01.01.2020 से 13.10.2022 तक (कोविड–19 के कारण छह माह की अपरिहार्य परिस्थिति अवधि को छोड़कर) एम.सी.एल.आर. + 1% की दर से विलंबित अवधि हेतु ब्याज प्रदान किया तथा पूर्व में जमा धनराशि के विमोचन का निर्देश दिया।

प्रवर्तक ने इस आधार पर ब्याज प्रदान करने का विरोध किया कि अधिकरण द्वारा मुद्दों का निर्धारण नहीं किया गया, समुचित परीक्षण नहीं किया गया तथा विलंब के संबंध में निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं। आवंटी ने रेरा अपील संख्या 70 वर्ष 2025 में प्रतिकर से इंकार को चुनौती दी। पक्षकारों को विस्तार से सुनने तथा बिल्डर–क्रेता अनुबंध, दिनांक 16.09.2022 के पूर्णता प्रमाणपत्र एवं दिनांक 13.10.2022 के कब्जा प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय ने विलंब एवं अपरिहार्य परिस्थिति अवधि के संबंध में अधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि की। प्रवर्तक की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की गई, जिसमें ब्याज की दर एवं अवधि में संशोधन (अनुबंध एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप) सम्मिलित था। आवंटी की अपील निरस्त कर दी गई। पूर्व जमा राशि के विमोचन का निर्देश इस शर्त के साथ यथावत रखा गया कि कोई निष्पादन कार्यवाही लंबित न हो। सभी संबद्ध अपीलों का तदनुसार निस्तारण कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया

(i) दीपक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 491 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 13.06.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:35433

इस प्रकरण में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत परीक्षण न्यायमूर्ति श्रीद्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आपत्ति इस आधार पर उठाई गई कि यदि उसी प्रावधान के अंतर्गत पूर्व में प्रस्तुत आवेदन को वापस ले लिया गया हो अथवा नये आवेदन की अनुमति प्राप्त किए बिना उसे आगे नहीं बढ़ाया गया हो, तो धारा 319 के अंतर्गत पुनः प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य नहीं होगा। इस तर्क के समर्थन में आपराधिक अपील संख्या 6502 वर्ष 2018, बच्चा लाल उर्फ विजय सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश के निर्णय का अवलंब लिया गया।

पक्षकारों की दलीलों तथा अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय ने निम्न प्रश्न निर्धारित किया–

क्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, विशेषतः दिनांक 09.02.2023 के विवादित आदेश, जो घायल साक्षियों राजाराम (PW–1) तथा महेंद्र प्रताप सिंह/शिकायतकर्ता (PW–2) के कथनों पर आधारित है, में न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि धारा 319 के अंतर्गत द्वितीय आवेदन बिना नये आवेदन की अनुमति प्राप्त किए प्रस्तुत किया गया था, अतः वह ग्राह्य नहीं है?

न्यायालय ने यह माना कि बच्चा लाल उर्फ विजय सिंह प्रकरण में दिया गया निर्णय per incuriam (विधि की उपेक्षा में दिया गया) है, अतः उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

अपने निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु न्यायालय ने धारा 319 के क्षेत्र, उद्देश्य एवं प्रयोजन की व्याख्या करने वाले विभिन्न निर्णयों पर विचार किया। यह प्रावधान न्यायालय को परीक्षण के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसे व्यक्ति को भी अभियुक्त के रूप में तलब करने का अधिकार देता है, जिसने अपराध किया हो। न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'लोक नीति' (Public Policy) के सिद्धांत तथा निम्नलिखित विधिक सूक्तियों पर भी विचार किया–

- अपराध से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु दूषित हो जाती है।
- कोई व्यक्ति अपने ही कृत्य से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
- राज्य का हित इस बात में है कि अपराध दण्ड से मुक्त न रहें।
- दण्ड से मुक्ति अपराध को प्रोत्साहित करती है।
- कुछ व्यक्तियों को दण्डित करने से समस्त समाज में भय उत्पन्न होता है।
- दण्डहीनता अपराध के लिए निरंतर प्रलोभन उत्पन्न करती है।
- जहाँ अपराध है, वहाँ दण्ड अवश्य होना चाहिए।
- अपराधी को उसके अपराध के लिए दण्डित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विधिसम्मत है। पूर्व आवेदन का वापस लिया जाना अथवा उस पर बल न देना, बिना पुनः आवेदन की अनुमति प्राप्त किए, स्वतः ही बाद के आवेदन को निषिद्ध नहीं करता, यदि परीक्षण के दौरान पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

अतः न्यायालय ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया तथा बच्चा लाल उर्फ विजय सिंह के निर्णय को विधि के अनुरूप मानने से अस्वीकार किया।

(ii) तारावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-बी संख्या 42 वर्ष 2015
निर्णय दिनांक : 10.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:70594

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सेठ गुलाब चंद नामक व्यक्ति, जो 'सरदार' थे, ने संपूर्ण भूमि भूदान यज्ञ

उपसमिति को दान कर दी थी। तत्पश्चात विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 26.03.1958 को भूदान उपहार–पत्र के माध्यम से उक्त भूमि याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं 1359 फसली (ईस्वी सन् 1952) की राजस्व अभिलेख प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

राज्य द्वारा इस याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि 1359 फसली की खतौनी में सेठ गुलाब चंद के नाम की प्रविष्टि किसी सक्षम राजस्व प्राधिकारी के आदेश के बिना की गई थी, अतः उसका कोई विधिक आधार नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे कि भूदान अधिनियम के अंतर्गत कोई वैध दान अथवा उपहार हुआ था, अतः उनके पक्ष की राजस्व प्रविष्टियाँ विधिसम्मत नहीं हैं।

विवेचना के उपरांत न्यायालय ने पाया कि अधिनियम एवं नियम भूमिहीन कृषक मजदूरों को ही भूमि प्रदान करने की अनुमति देते हैं। अतः–

1. किसी नाबालिग को 'भूमिहीन कृषक मजदूर' नहीं माना जा सकता।
2. नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा ऐसा उपहार स्वीकार करना विधिसम्मत नहीं है।
3. खतौनी की प्रविष्टि वास्तविक होने पर भी यदि विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो उससे कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
4. राजस्व अभिलेखों में कपटपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण अथवा मनगढ़ंत प्रविष्टियाँ विधि–विरुद्ध हैं और उनसे कोई प्रवर्तनीय अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

न्यायालय ने यह भी पाया कि इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि दाता ने विधि के अनुसार भूमि को समिति को हस्तांतरित किया हो या आवश्यक घोषणाएँ प्रस्तुत की हों।

चकबंदी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित विधिक सूक्तियों का उल्लेख कियाकृ

1. "Nemo dat quod non habet" — कोई व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है।
2. "Sublato fundamento cadit opus" — आधार समाप्त होने पर संपूर्ण संरचना स्वतः गिर जाती है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

(i) पवन कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 438
दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या - 5147 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 12.05.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:79495

आवेदक ने परिवाद वाद संख्या 5685/2021 में धारा 147, 323, 392, 504, 506, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत अग्रिम जमानत की प्रार्थना की। विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब परिवादी की बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरकता अनुबंध निरस्त कर दिया गया तथा आवेदक को नवीन वितरक नियुक्त कर दिया गया। परिवाद कथित घटना के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा गया कि दोनों पक्ष व्यापारिक लेन–देन में संलग्न थे तथा परिवाद में उल्लिखित पता त्रुटिपूर्ण था। तथापि, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया निर्गत कर दी गई।

आवेदक का कथन था कि यह विवाद पूर्णतः वाणिज्यिक प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रूप प्रदान किया गया है; लूट अथवा आक्रमण का कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेखित कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दिनांक 22.05.2024 को समन्वय पीठ द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी, जिसका आवेदक द्वारा समुचित पालन किया गयाकृउसने बंधपत्र प्रस्तुत किया, नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचक के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का विरोध किया गया, किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि आरोप सिविल प्रकृति के हैं, इस स्तर पर आवेदक को आरोपित अपराधों

से जोड़ने हेतु कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह अंतरिम आदेश का अनुपालन कर रहा है तथा उसकी स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आधार नहीं है। गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया गया।

निर्देश दिया गया कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को विचारण लंबित रहने तक ₹50,000/– के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा सममूल्य के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करे तथा किसी को भयभीत अथवा प्रभावित न करे। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया गया।

(ii) राजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या - 4932 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 02.05.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:70272

आवेदक ने धारा 323, 504, 452, 467, 468, 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी के अंतर्गत परिवाद वाद संख्या 80315/2023 में अग्रिम जमानत की प्रार्थना की। विवाद मूलतः स्वामित्व एवं संपत्ति के कब्जे से संबंधित सिविल प्रकृति का था। पक्षकारों के मध्य स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अतिरिक्त सिविल न्यायमूर्ति श्री(वरिष्ठ प्रभाग), वाराणसी के समक्ष वाद संख्या 4/2018 पूर्व से लंबित था।

परिवादी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अभिलेखों की कूटरचना का आरोप लगाया, किन्तु आवेदक का कथन था कि उसका विवादित संपत्ति से कोई संबंध नहीं है तथा उसने वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 01.02.2023 की कथित घटना में परिवादी को कोई चोट नहीं आई तथा परिवाद के साथ कोई चिकित्सीय प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया। परिवाद तथा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेखित कथनों में आवेदक की भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गईं।

दिनांक 16.05.2024 को समन्वय पीठ द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई, जिसका आवेदक ने पूर्ण पालन किया–उसने बंधपत्र प्रस्तुत किया, नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। परिवादी द्वारा प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या–2 के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया, किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का समुचित खंडन नहीं किया जा सका।

न्यायालय ने पाया कि विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है; इस स्तर पर आवेदक के विरुद्ध धोखाधड़ी अथवा कूटरचना का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है; वह अंतरिम आदेश का पालन कर रहा है तथा उसकी स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आधार नहीं है। गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया गया।

निर्देश दिया गया कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को विचारण लंबित रहने तक ₹50,000/– के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा सममूल्य के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त के साथ कि वह न्यायालय में उपस्थित होगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा किसी को भयभीत या प्रभावित नहीं करेगा। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह

(i) मेसर्स असम ट्रैक्सिम प्राइवेट लिमिटेड एवं 2 अन्य बनाम भारत संघ एवं 3 अन्य

मामला संख्याः आवेदन धारा 528 बीएनएसएस संख्या 3242 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 07.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:105517

आवेदक–मेसर्स एएसएम ट्रैक्सिम प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित एक कंपनी) तथा इसके पूर्व निदेशक हिमांशु गर्ग एवं विपुल अग्रवाल–ने दंड प्रक्रिया संहिता के समकक्ष प्रावधान धारा 528

बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय का आश्रय ग्रहण करते हुए दिनांक 31.01.2024 की अनुपूरक आरोप–पत्र संख्या 3, दिनांक 19.11.2024 के संज्ञान/समन आदेश तथा विविध आपराधिक वाद संख्या 5/2024 में लंबित समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियों को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। उक्त वाद अतिरिक्त विशेष न्यायमूर्ति, सीबीआई, न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद के समक्ष लंबित था। यह प्रकरण सीबीआई, एसीबी, देहरादून द्वारा पंजीकृत प्राथमिकी संख्या RC0072020।007 दिनांक 18.11.2020 से उत्पन्न हुआ, जो भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 120–बी सहपठित 420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के अंतर्गत पंजीकृत थी।

मुख्य आरोप यह था कि आवेदकों ने उधारकर्ता मेसर्स गोविंदा इंटरनेशनल (जिसका स्वामित्व केशव जोशी के पास था तथा जिसका नियंत्रण पवन कुमार शर्मा के हाथों में था) के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर, उधारकर्ता के कारोबार (टर्नओवर) को कृत्रिम रूप से बढ़ाया, जिससे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मिड कॉर्पोरेट शाखा, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत ₹15 करोड़ की नगद साख सीमा (तथा ₹3.75 करोड़ की तदर्थ सीमा) के अंतर्गत आहरण शक्ति को उचित ठहराया जा सके। वर्ष 2018 में उक्त खाता अनुत्पादक आस्ति (एनपीए) घोषित हो गया तथा इस पर ₹19 करोड़ से अधिक की देयता शेष थी।

जांच के दौरान, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पाया कि आवेदकों ने कृत्रिम कारोबार दर्शाने हेतु अपनी लेखा–पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियाँ (एकोमोडेटिव एंट्रीज़) अंकित की थीं। तथापि, मूल उधारकर्ता मेसर्स गोविंदा इंटरनेशनल एवं उससे संबद्ध संस्थाओं ने बैंक के साथ ₹43 करोड़ (सहित विधिक व्यय एवं ब्याज) का एकमुश्त निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) कर लिया। समस्त निपटान राशि किस्तों में अदा की गई, जिसे बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया; ऋण खाता बंद कर दिया गया तथा ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष लंबित वसूली कार्यवाहियाँ भी निपटित मान ली गईं। बैंक द्वारा "कोई बकाया नहीं" (नो ड्यूज़) का प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया गया तथा सीबीआई द्वारा जब्त गिरवी संपत्तियों को मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदकों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि समस्त लेन–देन वास्तविक थे, ₹1.99 करोड़ का जीएसटी/वैट अदा किया गया था, विवाद मूलतः उधारकर्ता एवं ऋणदाता के मध्य एक दीवानी प्रकृति का था, जो पूर्णतः सुलझ चुका है; अतः आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि–प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उन्होंने के. भारती देवी बनाम तेलंगाना राज्य (2024) 10 SCC 384, तरीना सेन बनाम भारत संघ (2024 SCC ऑनलाइन SC 2696) तथा एन.एस. ज्ञानेश्वरन बनाम पुलिस निरीक्षक (2025 SCC ऑनलाइन SC 1257) के निर्णयों पर विश्वास किया, जिनमें उच्चतम न्यायालय ने एकमुश्त निपटान के उपरांत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त किया था कि विवाद मुख्यतः दीवानी स्वरूप का था, दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण थी तथा कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण होगा।

इसके विपरीत, सीबीआई एवं परिवादी ने आवेदन का विरोध करते हुए यह कहा कि एकमुश्त निपटान के पश्चात भी आवेदक कृत्रिम कारोबार प्रदर्शित करने की आपराधिक साजिश के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं। उन्होंने अनिल भवरलाल जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024 SCC OnLine SC 3823) के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कोष को हुए नुकसान से संबंधित आर्थिक अपराध में कार्यवाही निरस्त करने से इंकार किया था।

न्यायालय ने प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों तथा केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के आलोक में समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रस्तुत वाद के तथ्य के. भारती देवी, तरीना सेन तथा तत्पश्चात दिए गए एन.एस. ज्ञानेश्वरन के निर्णयों के परिधि में आते हैं। आवेदक न तो उधारकर्ता थे और न ही प्रत्याभू (गारंटर); पूर्ण निपटान के उपरांत बैंक को कोई आपत्ति शेष नहीं थी; विवाद विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का था, जिसमें कोई लोकहित संलग्न नहीं था; दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत न्यून थी; तथा कार्यवाही जारी रखना अन्याय एवं दुरुपयोग को बढ़ावा देता। अनिल भवरलाल जैन के प्रकरण को तथ्यों के भिन्न होने के कारण पृथक माना गया, क्योंकि वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध मुख्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं थे।

अतएव, न्यायालय ने न्याय के हित में धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन स्वीकार किया। दिनांक 31.01.2024 की अनुपूरक आरोप–पत्र, दिनांक 19.11.2024 का संज्ञान/समन आदेश तथा मेसर्स एएसएम ट्रैक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, हिमांशु गर्ग एवं विपुल अग्रवाल के विरुद्ध विविध आपराधिक वाद संख्या 5/2024 में लंबित समस्त आपराधिक कार्यवाहियाँ निरस्त की जाती हैं।(अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही यथावत् जारी रहेगी।)



माननीय न्यायमूर्ति श्री पियूष अग्रवाल

(i) मेसर्स किंग्सवुड होटल प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

केस संख्याः रिट - सी संख्या 28403 सन् 2024
निर्णय दिनांक : 09.12.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:192062

विधिक अभिलेखों की संरचना में प्रत्येक दस्तावेज़ नवीन सृजन नहीं होता–कुछ केवल पूर्ववर्ती अपूर्णताओं का परिमार्जन करते हैं। विधि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सृजन एवं संशोधन, वस्तु एवं उसकी प्रतिछाया के मध्य स्थित इस सूक्ष्म किंतु अत्यावश्यक भेद को स्वीकार करती है। इसी सीमित क्षेत्र में यह न्यायालय, उक्त वाद में, एक ऐसा निर्णय प्रदान करता है जो न केवल विधिसम्मत है अपितु सिद्धांतपरक भी हैकृयह सुनिश्चित करते हुए कि करारोपण की शक्ति को किसी लेन–देन की वास्तविक प्रकृति से पृथक नहीं किया जा सकता।

विवाद का उद्गम भूमि आवंटन के अंतर्गत निष्पादित एक पट्टा विलेख से हुआ। मूल अभिलेख में अनवधानवश उत्पन्न त्रुटियों के परिलक्षित होने पर, उन दोषों के निवारण तथा दस्तावेज़ को पक्षकारों की मूल अभिप्राय के अनुरूप बनाने के सीमित उद्देश्य से एक संशोधन विलेख निष्पादित किया गया। तथापि, मुद्रांक प्राधिकारियों ने अत्यधिक औपचारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संशोधन विलेख को एक स्वतंत्र हस्तांतरण के रूप में मान्यता प्रदान की और परिणामस्वरूप अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आरोपित करने का प्रयास किया।

प्रकरण का केंद्रीय विधिक प्रश्न यह था कि क्या ऐसा दस्तावेज़, जो केवल विद्यमान अभिलेख का संशोधन करता है, उसे नवीन लेन–देन का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया तथा अधिकार सृजन अथवा अंतरण करने वाले मूल अभिलेखों एवं केवल स्पष्टीकरण अथवा संशोधन करने वाले सहायक अभिलेखों के मध्य स्पष्ट रेखांकन किया। न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि संशोधन विलेख स्वभावतः उपचारात्मक एवं व्याख्यात्मक होता हैकृयह न तो नवीन अधिकार उत्पन्न करता है और न ही विद्यमान अधिकारों का लोप करता है। यह केवल मूल लेन–देन की अभिव्यक्ति को परिशुद्ध करता है।

इस प्रकार न्यायालय ने पुनः स्थापित किया कि मुद्रांक शुल्क का निर्धारण दस्तावेज़ के नामकरण पर नहीं, अपितु उसकी वास्तविक प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। किसी अभिलेख पर उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर करारोपण नहीं किया जा सकता; उसका मूल्यांकन उसके वास्तविक प्रभाव के अनुसार किया जाना चाहिए। बिना किसी अधिकार अंतरण के, संशोधन विलेख को हस्तांतरण मानना अनावश्यक वित्तीय भार आरोपित करना होगा, जो न तो विधिसम्मत है और न ही न्यायोचित।

यह निर्णय प्रशासनिक समन्वय के महत्व को भी रेखांकित करता है। आवंटन प्राधिकारी ने स्वयं मूल पट्टा विलेख में त्रुटियों को स्वीकार किया तथा संशोधन विलेख के निष्पादन में सहभागिता की। ऐसे में, राज्य के अन्य अंग–मुद्रांक प्राधिकारी–द्वारा भिन्न दृष्टिकोण अपनाना अनुचित ठहराया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य "द्विविध वक्तव्य" नहीं दे सकता। ऐसी विसंगति न केवल संस्थागत विश्वसनीयता को आहत करती है, बल्कि न्यायसंगत शासन के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है।

वर्तमान विवाद से परे, यह निर्णय राजस्व विधि पर व्यापक प्रभाव डालता है। यह पुनः उद्घोषित करता है कि कराधान संबंधी विधियों की व्याख्या कठोरता से की जानी चाहिए। करारोपण की शक्ति विधि द्वारा निर्धारित स्पष्ट सीमाओं तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका विस्तार मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। जहाँ कोई विशिष्ट करयोग्य घटना विद्यमान नहीं है, वहाँ करारोपण उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अतः, यह निर्णय केवल मुद्रांक शुल्क संबंधी विवाद का निस्तारण नहीं है, बल्कि यह उस विधिक सिद्धांत की पुनः पुष्टि है कि वास्तविकता के समक्ष औपचारिकता को स्थान नहीं दिया जा सकता, और संशोधन को सृजन का विकल्प नहीं माना जा सकता।

(ii) सोमांश प्रकाश एवं 8 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

केस संख्यारू रिट - सी संख्या 5229 सन् 2021
निर्णय दिनांक : 20.09.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:153200

संपत्ति विधि के शांत परिवेश में, जहाँ पारिवारिक संबंध प्रायः लिखित शब्दों की अपेक्षा विश्वास पर आधारित होते हैं, वर्तमान निर्णय यह स्मरण कराता है कि विधि को औपचारिकताओं के स्थान पर वास्तविकता का सम्मान करना चाहिए। इस वाद में प्रदत्त निर्णय केवल मुद्रांक शुल्क का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सिद्ध करता है कि वास्तविकता को औपचारिकता पर वरीयता दी जानी चाहिए तथा विधि पारिवारिक व्यवहार की वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर सकती।

विवाद उस दस्तावेज़ पर मुद्रांक शुल्क एवं दंड आरोपण से उत्पन्न हुआ, जिसे राजस्व प्राधिकारियों ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत "विभाजन विलेख" के रूप में वर्गीकृत किया था। याचिकाकर्ताओं, जो एक ही परिवार के सदस्य थे, का कथन था कि उनकी संयुक्त संपत्ति का विभाजन वर्ष 2011 में मौखिक रूप से संपन्न हो चुका था, जिसके पश्चात वे अपने–अपने हिस्सों पर पृथक कब्जा एवं उपयोग कर रहे थे। तत्पश्चात, वर्ष 2012 में एक लिखित दस्तावेज़ तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य विभाजन करना नहीं, बल्कि पूर्व में संपन्न व्यवस्था का अभिलेखीकरण करना था।

किन्तु, प्राधिकारियों ने उक्त दस्तावेज़ को विभाजन का साधन मानते हुए उस पर मुद्रांक शुल्क एवं दंड आरोपित किया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का आश्रय लिया और विवादित आदेश की वैधता को चुनौती दी।

न्यायालय ने प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए दस्तावेज़ के स्वरूप एवं प्रभाव का विश्लेषण किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक ऐसा दस्तावेज़ जो विभाजन को उत्पन्न करता है और एक ऐसा दस्तावेज़ जो पूर्व में संपन्न विभाजन का केवल अभिलेख है–इन दोनों के मध्य मूलभूत अंतर है। यह अंतर सूक्ष्म होते हुए भी विधिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि हिंदू संयुक्त परिवार में विभाजन मौखिक रूप से भी वैध रूप से किया जा सकता है, और एक बार जब ऐसा विभाजन क्रियान्वित हो जाता है–जिसका प्रमाण पृथक कब्जा एवं उपयोग है–तो विधिक रूप से पृथक्करण पूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात निर्मित कोई भी दस्तावेज़ यदि केवल उस पूर्ववर्ती विभाजन का अभिलेख है, तो वह विभाजन का साधन नहीं माना जाएगा, अपितु मात्र उसका अभिलेखीकरण होगा। अतः ऐसे दस्तावेज़ पर विभाजन के रूप में मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षण का वास्तविक आधार पक्षकारों की अभिप्राय एवं दस्तावेज़ का प्रभाव है। यदि दस्तावेज़ स्वयं अधिकारों का सृजन करता है, तो वह करयोग्य होगा; अन्यथा, यदि वह केवल पूर्ववर्ती व्यवस्था का उल्लेख करता है, तो वह करयोग्य नहीं होगा।

इन सिद्धांतों को वर्तमान तथ्यों पर लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्राधिकारियों ने पूर्व में हुए मौखिक विभाजन की उपेक्षा करते हुए विधि का गलत अनुप्रयोग किया। अभिलेख से स्पष्ट था कि लिखित दस्तावेज़ के पूर्व ही विभाजन प्रभावी रूप से संपन्न हो चुका था। अतः विवादित आदेश तथ्य एवं विधि दोनों में त्रुटिपूर्ण थे।

फलतः न्यायालय ने मुद्रांक शुल्क एवं दंड आरोपण संबंधी आदेशों को निरस्त कर याचिका स्वीकार कर ली। यह निर्णय पुनः स्थापित करता है कि राजस्व विधियों का कठोर अनुप्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिससे लेन–देन की वास्तविक प्रकृति की उपेक्षा हो।

वास्तव में, यह निर्णय विधिक कठोरता एवं व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के मध्य संतुलन स्थापित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जहाँ कोई वास्तविक करयोग्य घटना घटित नहीं हुई है, वहाँ विधि द्वारा कोई अनावश्यक भार आरोपित न किया जाए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी

(i) मोहम्मद साजिद खान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

वाद संख्या : रिट - ए संख्या 7665 वर्ष 2022
निर्णय दिनांक : 30.10.2025
Neutral Citation No. - 2024:AHC:190332

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति मदरसा कुरानिया, गोपालपुर शहरी, जनपद जौनपुर में शिक्षक के रूप में की गई थी तथा वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई थी। मदरसे की प्रबंधन समिति को लेकर विवाद इस न्यायालय में लंबित था। दिनांक 20.01.2017 से 24.02.2018 के मध्य किसी विधिवत निर्वाचित प्रबंधन समिति का अस्तित्व नहीं था। इस अवधि में तत्कालीन प्रबंधक अफजल अहमद के पास नियुक्ति करने अथवा वित्तीय स्वीकृति हेतु अभिलेख अग्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं था। विस्तृत जांच के उपरांत दिनांक 20.04.2022 के विवादित आदेश द्वारा यह कहते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई कि नियुक्तियां बिना विधिवत प्रबंधन समिति के की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि विवादित आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा मदरसा बोर्ड की पूर्व जांच में इन नियुक्तियों को वैध पाया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब प्रबंधन समिति को पश्चात् मान्यता प्राप्त हो गई, तो मध्यावधि में किए गए कार्यों को भी वैध माना जाना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि प्रबंधन समिति की वैधता का विवाद अन्य समितियों एवं मदरसा बोर्ड के मध्य था। याचिकाकर्ता, जो नियुक्त व्यक्ति थे, उन्हें निरस्तीकरण को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि विवाद उनकी योग्यता से संबंधित न होकर उस अवधि में प्रबंधक के नियुक्ति करने के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था, जब कोई वैध समिति अस्तित्व में नहीं थी। न्यायालय के पूर्व आदेशों से यह स्पष्ट था कि उक्त अवधि में कोई वैध प्रबंधन समिति नहीं थी। वर्ष 2018 में प्राप्त मान्यता का पूर्व प्रभाव नहीं था। अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

(ii) अमित कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं अन्य

वाद संख्या : रिट - ए संख्या 12309 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 07.10.2025
Neutral Citation No. - 2024:AHC:176716

याचिकाकर्ता, जो चौराहा शाखा में कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत था, पर लगभग 40 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया। बड़ौदा यूपी बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2020 के अंतर्गत विस्तृत विभागीय जांच संपन्न की गई। आरोपों में बैंक धन का गबन, बैंकिंग नियमों का गंभीर उल्लंघन तथा बैंक हित के प्रतिकूल आचरण सम्मिलित थे। याचिकाकर्ता ने वीडियो में यह स्वीकार किया कि उसने अजय कुमार नामक व्यक्ति को 20–20 लाख रुपये दिए थे। उसे सुनवाई, अभिलेखों के निरीक्षण, जिरह एवं व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। जांच अधिकारी ने सभी आरोप सिद्ध पाए। अनुशासनिक प्राधिकारी ने 17.12.2024 को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने 29.07.2025 को युक्तिसंगत आदेश द्वारा निरस्त कर दिया।

याचिकाकर्ता का कथन था कि स्वीकारोक्ति दबाव में ली गई, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई, अजय कुमार का पता नहीं चला तथा वह एक सचेतक (व्हिसल–ब्लोअर) था जिसे झूठा फंसाया गया।

न्यायालय ने पाया कि विभागीय कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संपन्न हुई। याचिकाकर्ता को सभी आवश्यक अवसर प्रदान किए गए। उसकी स्वीकारोक्ति स्वेच्छिक थी तथा अन्य साक्ष्यों से भी पुष्ट हुई। नकदी के प्रभारी होने के बावजूद वह राशि के अभाव का स्पष्टीकरण देने में असफल रहा। नकली

रसीदें जारी करने एवं नियमों के विरुद्ध नकदी एकल अभिरक्षा में रखने के आरोप भी अभिलेखीय साक्ष्यों से सिद्ध हुए। अतः बर्खास्तगी की दंडात्मक कार्यवाही उचित पाई गई। रिट याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह

(i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अपने परियोजना निदेशक के माध्यम से बनाम ओम प्रकाश सिंह एवं 2 अन्य

वाद संख्याः मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत अपील संख्या 42 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 25.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:77429

अपीलकर्ता ने दिनांक 08.08.2025 को पारित अतिरिक्त जिला न्यायमूर्ति–I, अम्बेडकर नगर के निर्णय को चुनौती दी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की धारा 34 के अंतर्गत याचिका स्वीकार कर मध्यस्थता निर्णय (अवार्ड) निरस्त कर दिया गया तथा पुनर्विचार हेतु मामला वापस भेजा गया। अपीलकर्ता का तर्क था कि न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया तथा धारा 34(4) की उपेक्षा की।

प्रतिवादी का कथन था कि न्यायालय ने केवल समीपवर्ती भूमि स्वामियों को दिए गए प्रतिकर में असमानता पर ध्यान दिया, न कि स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन किया।

न्यायालय ने विधिक प्रावधानों एवं पूर्व निर्णयों पर विचार कर यह कहा कि समीपवर्ती मामलों के अवार्ड का संदर्भ लेना पुनर्मूल्यांकन नहीं है। धारा 34(4) के प्रयोग हेतु आवश्यक शर्तें पूर्ण नहीं थीं। अतः अपील निरस्त कर दी गई तथा अपीलकर्ता को विधि अनुसार नई मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। व्यय सरल किया गया।

(ii) मेसर्स रीजेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, इसके निदेशक राहुल सिंह एवं अन्य बनाम मेसर्स सियोगी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक एवं अन्य

वाद संख्या : मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत अपील संख्या 75 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 12.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:83328-DB

अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, लखनऊ के आदेश दिनांक 06.11.2024 को चुनौती दी, जिसके द्वारा धारा 34 के अंतर्गत याचिका निरस्त कर दी गई तथा एकल मध्यस्थ द्वारा 31.12.2018 को पारित अवार्ड को यथावत रखा गया। विवाद दिनांक 01.08.2016 के एक समझौते से उत्पन्न हुआ, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी अपीलकर्ताओं के लिए विज्ञापन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हुआ था।

प्रतिवादी ने लखनऊ सहित अन्य जनपदों में किए गए कार्य हेतु ₹4,22,82,216/– के अवैतनिक बिलों का दावा किया। अपीलकर्ताओं का कथन था कि समझौता केवल लखनऊ तक सीमित था।

न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों ने अपने आचरण द्वारा समझौते का क्षेत्र विस्तारित कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश तक लागू कर दिया था। अतः मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड उचित था। किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अवैधता नहीं पाई गई। धारा 37 के सीमित अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था। अतः अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह

(i) प्रतीक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य के माध्यम से

वाद संख्याः धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 10390 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 26.11.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:78272

आवेदक ने सत्र न्यायमूर्ति, सीतापुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या शून्य/2024 (सीआईएसएस संख्या 187/2024) में दिनांक 08.11.2024 को पारित आदेश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा दिनांक 15.10.2024 को पारित आदेश को चुनौती दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की प्रतिवाद याचिका को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 210 के अंतर्गत परिवाद के रूप में स्वीकार किया तथा शिकायतकर्ता एवं साक्षियों के शपथ पर कथन अभिलिखित किए बिना ही धारा 223 के प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त/आवेदक को नोटिस निर्गत कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय, आपराधिक याचिका संख्या 7526/2024 (श्री बसनगौड़ा आर. पाटिल बनाम श्री शिवानंद एस. पाटिल) पर आश्रित होकर आवेदक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट को सर्वप्रथम शिकायतकर्ता एवं साक्षियों के कथन शपथ पर अभिलिखित करने चाहिए तथा तत्पश्चात ही परिवाद एवं कथनों के साथ अभियुक्त को नोटिस निर्गत करना आवश्यक है, जिससे संज्ञान ग्रहण करने से पूर्व अभियुक्त को समुचित सुनवाई का अवसर प्राप्त हो सके। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने धारा 223 के विधिक प्रावधान पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि शिकायतकर्ता एवं साक्षियों के शपथ पर कथन अभिलिखित किए बिना तथा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना संज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः दिनांक 15.10.2024 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा 223 के अनुसार शिकायतकर्ता एवं साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के उपरांत नवीन आदेश पारित करें। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

(ii) कृष्ण चंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं अन्य के माध्यम से

वाद संख्याः धारा 483 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 453 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 25.07.2024
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:4893

लगभग 51 वर्ष आयु के आवेदक ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, बहराइच को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 132 वर्ष 2010 (रामेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम जय राज सिंह एवं अन्य), जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही से संबंधित है, का निर्णय निर्धारित समयावधि में करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की। अभिलेख से ज्ञात हुआ कि उक्त पुनरीक्षण का निर्णय दिनांक 23.07.2024 को ही पारित किया जा चुका है। अतः आवेदन निष्प्रभावी हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है। तथापि, यह दृष्टिगत रखते हुए कि पुनरीक्षण लगभग 14 वर्षों से लंबित था, न्यायालय ने दिनांक 08.07.2024 एवं 25.07.2024 को विस्तृत आदेश पारित किए, जिनमें वादों के अत्यधिक लंबित रहने की समस्या तथा समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की संवैधानिक बाध्यता पर बल दिया गया। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव तथा विधि/विधिक स्मृति विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें All India Judges Association v. Union of India (2002) 4 SCC 247 तथा Imtiyaz Ahmad v. State of Uttar Pradesh (Criminal Appeal Nos. 254-262 of 2012, Misc. Application Nos. 2362-2370 of 2019) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन हेतु उठाए गए कदमों का विवरण दिया जाए। ये निर्देश

न्यायाधीशों की आवश्यक संख्या के वैज्ञानिक आकलन तथा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना से संबंधित थे। अनुपालन में प्रमुख सचिव (विधि), मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत किए गए। शपथपत्र में अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा 9,149 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 22.04.2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रथम चरण में 2,693 न्यायालय/पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उच्च न्यायिक सेवा के पदों को 1,690 से बढ़ाकर 3,380 करना तथा सिविल न्यायमूर्ति श्री(वरिष्ठ प्रभाग) एवं सिविल न्यायमूर्ति श्री(कनिष्ठ प्रभाग) के पदों में 50 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है। दिनांक 15.10.2024 को इस संबंध में आगे विचार–विमर्श किया गया। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों के संचालन हेतु क्रमिक रूप से कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय ने उक्त शपथपत्रों को अभिलेख पर ग्रहण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि राज्य सरकार जनपदीय न्यायपालिका को सुदृढ़ करने हेतु संवैधानिक दायित्वों के पालन की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

(i) उर्मिला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः रिट ए संख्या- 5545 वर्ष 2021
निर्णय दिनांक : 24.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:121667

यह वाद उर्मिला सिंह द्वारा दिनांक 21.09.2020 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, मिर्जापुर द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु उनका दावा अस्वीकृत कर दिया गया था। याचिकाकर्त्री के पति बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। वे 31.03.2016 को सेवानिवृत्त हुए तथा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे थे। दिनांक 29.11.2019 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात याचिकाकर्त्री ने पत्नी के रूप में पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन किया, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।

प्राधिकारियों का कहना था कि सेवानिवृत्ति के समय प्रस्तुत पेंशन प्रपत्रों में "परिवार का विवरण" स्तंभ में याचिकाकर्त्री का नाम अंकित नहीं था, अपितु उनके पुत्र का नाम दर्ज था तथा पेंशन अभिलेखों में उनका छायाचित्र भी संलग्न नहीं था। इस आधार पर उन्हें पारिवारिक पेंशन से वंचित किया गया।

याचिकाकर्त्री ने प्रतिपादित किया कि वह दिवंगत कर्मचारी की विधिवत् विवाहित पत्नी है। उन्होंने ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र तथा मिर्जापुर के पारिवारिक न्यायालय द्वारा धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उनके पति द्वारा उन्हें प्रतिमाह ₹8,000 भरण–पोषण प्रदान किया जाता था। उनका कथन था कि प्राधिकारियों ने इन महत्वपूर्ण अभिलेखों की उपेक्षा करते हुए बिना समुचित परीक्षण के दावा अस्वीकार कर दिया।

प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया कि चूँकि पेंशन प्रपत्रों में उनका नाम अंकित नहीं था तथा पुत्र को नामित किया गया था, अतः वे पारिवारिक पेंशन की अधिकारी नहीं हैं।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों का परीक्षण किया और पाया कि मृतक पुरुष कर्मचारी की पत्नी "परिवार" की परिभाषा में सम्मिलित है तथा पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक पेंशन सर्वप्रथम विधवा को देय होती है। यह भी प्रतिपादित किया गया कि नामांकन (नॉमिनेशन) वैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

यह निर्विवाद था कि याचिकाकर्त्री मृतक कर्मचारी की विधिवत् विवाहित पत्नी थी। न्यायालय ने यह भी अभिलक्षित किया कि पेंशन प्रपत्रों में उल्लिखित पुत्र मृत्यु के समय लगभग 34 वर्ष का था, अतः वह पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं था। नियमों के अनुसार विधवा को वयस्क पुत्रों पर वरीयता प्राप्त है।

न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि पारिवारिक पेंशन विधिवत् विवाहित जीवनसाथी का वैधानिक अधिकार है, न कि कोई अनुदान या व्यक्तिगत लाभ जिसे कर्मचारी अपनी इच्छानुसार प्रदान अथवा निरस्त कर सके। केवल इस आधार पर कि पति ने प्रपत्र में उनका नाम अंकित नहीं किया, उनके अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्त्री की आयु लगभग 62 वर्ष होने तथा पति की मृत्यु के पश्चात कोई अन्य आय का स्रोत न होने के दृष्टिगत, न्यायालय ने अस्वीकृति आदेश को अवैध ठहराया।

अतः दिनांक 21.09.2020 का आदेश निरस्त करते हुए संबंधित प्राधिकरण को तत्काल पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया गया। रिट याचिका स्वीकार की गई तथा कोई व्ययादेश नहीं दिया गया।

(ii) श्रीमती संगीता मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 24871 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 30.08.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:139828

इस वाद में न्यायालय ने यह विधिक सिद्धांत स्थापित किया कि एक ही घटना के संबंध में द्वितीय प्राथमिकी (FIR) पंजीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि साक्ष्यों का स्वरूप एवं तथ्यात्मक संस्करण भिन्न हो।

प्रकरण के तथ्य यह हैं कि एक जली हुई लाश प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात आवेदिका ने शव की पहचान की। मृतक एवं उसके परिवारजनों के मध्य पूर्व से संपत्ति विवाद विद्यमान था। विवाद के समाधान हेतु वह अपने भाई के साथ गया, परंतु वापस नहीं लौटा। आवेदिका द्वारा खोजबीन करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला।

जब आवेदिका ने पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया, यद्यपि पूर्व दर्ज प्रकरण की जांच जारी रही। आवेदिका के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत कर उन्हें कारागार भेज दिया गया।

कारागार से मुक्त होने के उपरांत उन्होंने सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया।

इस आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि घटना के संबंध में पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। पुनरीक्षण याचिका भी निरस्त कर दी गई। तत्पश्चात आवेदिका ने उच्च न्यायालय का आश्रय लिया।

आवेदिका के अधिवक्ता ने द्वितीय प्राथमिकी के संबंध में "समानता परीक्षण" (Test of Sameness) का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाबू भाई बनाम गुजरात राज्य (2010) 12 SCC 254 पर निर्भरता व्यक्त की।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि यदि एक ही घटना के संबंध में भिन्न–भिन्न तथ्यात्मक संस्करण एवं नवीन साक्ष्य उपलब्ध हों, तो द्वितीय प्राथमिकी विधिसंगत हो सकती है। ऐसे मामलों में दोनों प्राथमिकी एक ही अन्वेषण एजेंसी द्वारा विवेचित की जा सकती हैं।

अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 6 SCC 384 के निर्णय में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि एकाधिक प्राथमिकी की वैधता का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसमें समानता परीक्षण का अनुप्रयोग आवश्यक है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विधि के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में आवेदिका के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए था। अतः विवादित आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रेषित किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार

(i) प्रज्ञेश मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः रिट ए संख्या 12025/2024
निर्णय दिनांक : 16.09.2025
Neutral Citation No. - 2025: AHC-LKO:56343

उत्तर प्रदेश शासन के नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत सरकारी पायलट, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं का निस्तारण एक संयुक्त निर्णय द्वारा किया गया। प्रथम याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध प्रारंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित दिनांक 14.06.2024 की आरोप–पत्र तथा 15.10.2024 की जांच प्रतिवेदन को चुनौती दी थी। द्वितीय याचिका में उसने उड़ान दायित्वों के निर्वहन तथा अपने

पायलट अनुज्ञप्ति की वैधता बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश की मांग की थी।

विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व में दिनांक 07.02.2024 के दंडादेश के साथ समाप्त हुई थी, जिसे न्यायालय ने दिनांक 02.04.2024 को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि आरोप–पत्र को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। तथापि, प्राधिकारियों को विधि के अनुरूप पुनः कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उक्त स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी ने पुनः कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 14.06.2024 को नवीन आरोप–पत्र निर्गत किया।

याचिकाकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि द्वितीय आरोप–पत्र भी विधिवत स्वीकृति के अभाव में अवैध है। साथ ही यह भी कहा गया कि जांच प्रतिवेदन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए तैयार किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, उसके द्वारा प्रस्तावित साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कोई व्यक्तिगत अथवा मौखिक सुनवाई नहीं की गई। राज्य द्वारा इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि आरोप–पत्र विधिपूर्वक स्वीकृत था तथा याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग नहीं किया।

अभिलेखों के परीक्षण पर न्यायालय ने पाया कि सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत टिप्पण–पत्र में केवल हस्ताक्षर विद्यमान थे, परंतु आरोप–पत्र की पृथक स्वीकृति का कोई संकेत नहीं था। सनी अब्राहम बनाम भारत संघ तथा भारत संघ बनाम बी.वी. गोपीनाथ में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर निर्भर करते हुए न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि आरोप–पत्र की स्वीकृति हेतु विचारशील प्रक्रिया आवश्यक है और ऐसी स्वीकृति के अभाव में निर्गत आरोप–पत्र विधि विरुद्ध होता है। अतः दिनांक 14.06.2024 का आरोप–पत्र निरस्त किया गया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच की कार्यवाही नियमावली, 1999 के नियम 7 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की गई, क्योंकि न तो मौखिक साक्ष्य संकलित किए गए, न ही याचिकाकर्ता को अपेक्षित अभिलेख प्रदान किए गए और न ही साक्षियों से परीक्षण किया गया। फलतः दिनांक 15.10.2024 का जांच प्रतिवेदन भी अस्थिर पाया गया। इस प्रकार संपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही निरस्त कर दी गई तथा प्रतिवादियों को विधि के अनुसार पुनः कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

द्वितीय रिट याचिका के संबंध में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को जून, 2023 से बिना किसी औपचारिक आदेश के उड़ान दायित्वों से वंचित रखा गया था। न्यायालय ने कहा कि नागरिक उड्डयन के वैधानिक ढांचे के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की वैधता बनाए रखने हेतु पायलटों को समय–समय पर प्रशिक्षण एवं उड़ान अभ्यास आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं बाध्यकारी हैं, न्यायालय ने प्राधिकारियों को इन आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्देश दिया, जिससे याचिकाकर्ता आवश्यक प्रशिक्षण एवं अर्हताएं बनाए रख सके।

(ii) राजीव कुमार बंसल उर्फ राजू बंसल, एआरटीओ लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव, गृह, शासन सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य

केस संख्याः क्रिमिनल मिस. अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 1956/2025
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:86445

न्यायालय ने अपराध संख्या 660/2025 के संदर्भ में आवेदक, जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी है, की अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विचार किया। यह प्रकरण एक कथित संगठित तंत्र से संबंधित है, जो बिना वैध परमिट के रेत एवं बजरी से लदे अतिभारित वाहनों के अवैध संचालन को सुगम बनाता है, जिससे राज्य को राजस्व हानि होती है।

अभियोजन के अनुसार, विशेष कार्य बल द्वारा परिवहन अधिकारियों एवं बिचौलियों से संबद्ध एक नेटवर्क का अनावरण किया गया, जो कथित रूप से वाहन स्वामियों एवं चालकों से अतिभारित वाहनों को बिना विधिवत जांच के पारित कराने के बदले अवैध धन प्राप्त करता था। जांच के दौरान कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से मोबाइल फोन एवं वाहनों,

चालकों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों से युक्त अभिलेख बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक, अभिनव पांडेय ने कथित रूप से यह स्वीकार किया कि वह परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर अतिभारित वाहनों को अवैध रूप से पारित कराने में सहायक था। उसके कथन के आधार पर एक अतिभारित वाहन को रोका गया, जिसके चालक ने कथित रूप से यह कहा कि वाहन को पारित कराने हेतु परिवहन अधिकारियों को बिचौलियों के माध्यम से पूर्व में ही भुगतान कर दिया गया था।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यांत्रिक ढंग से दर्ज की गई है तथा उसमें आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं है। यह भी कहा गया कि आरोप मुख्यतः सह–अभियुक्त के कथन पर आधारित हैं तथा कोई स्वतंत्र साक्ष्य आवेदक को अपराध से संबद्ध नहीं करता। साथ ही, सह–अभियुक्त से प्राप्त अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों से भी आवेदक का संबंध सिद्ध नहीं होता। यह भी रेखांकित किया गया कि आवेदक घटना से मात्र चार माह पूर्व ही संबंधित स्थान पर पदस्थापित हुआ था तथा उसका सेवा अभिलेख निष्कलंक है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, के प्रयोग को भी चुनौती दी गई, यह कहते हुए कि समान प्रकृति के अन्य मामलों में अधिकतम सात वर्ष के दंडनीय अपराध ही आरोपित किए गए हैं।

राज्य द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि एक संगठित गिरोह अतिभारित वाहनों के अवैध संचालन में संलिप्त है। अभियोजन ने एक स्वतंत्र साक्षी के कथन तथा सह–अभियुक्त के मोबाइल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भरोसा किया, जिनमें अतिभारित वाहनों के संचालन से संबंधित वार्तालाप के स्क्रीनशॉट सम्मिलित थे, जिन्हें विधिवैज्ञानिक परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि आवेदक एवं सह–अभियुक्तों के मध्य बार–बार दूरभाष संपर्क हुआ था। यह भी आरोपित किया गया कि आवेदक ने जांच में सहयोग नहीं किया तथा भ्रामक निवास–पता प्रदान किया।

अभिलेखों के अवलोकन उपरांत न्यायालय ने पाया कि आरोप एक लोक सेवक द्वारा गंभीर कदाचार से संबंधित हैं तथा इस स्तर पर धारा 316(5) भारतीय न्याय संहिता का प्रयोग अनुचित नहीं कहा जा सकता। देविंदर कुमार बंसल बनाम पंजाब राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पुनः दोहराया कि भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में अग्रिम जमानत केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रदान की जानी चाहिए। आरोपों की गंभीरता एवं जांच में संकलित सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने पाया कि अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है, अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया।

टिप्पणी: उक्त आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति से अपील (आपराधिक) संख्या 235/2026 में दिनांक 08.01.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव

(i) श्रीमती मंजू राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

मामला संख्याः रिट - सी संख्या 38488 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 09.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:5041-DB

याचिकाकर्ता, अर्थात् गृह–क्रेताओं को मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित परियोजना "नाइट्स कोर्ट" दृ जेपी ग्रीन्स विश टाउन, सेक्टर–128, नोएडा में आवासीय इकाइयाँ आवंटित की गई थीं। निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब से व्यथित होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने दिनांक 06.05.2019 तथा 27.07.2021 के आदेशों द्वारा निर्माणकर्ता को 45 दिवस के भीतर कब्जा प्रदान करने अथवा जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया। उक्त आदेशों का अनुपालन न होने पर वसूली प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

परियोजना की पूर्णता हेतु निर्माणकर्ता एवं गृह–क्रेताओं के संघ के मध्य दिनांक 22.01.2021 को एक समझौता संपादित किया गया। रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 8 के अंतर्गत पुनर्वास आदेश पारित किया गया। गृह–क्रेताओं की सहमति से वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

तत्पश्चात निर्माणकर्ता के विरुद्ध दिवालियापन कार्यवाही प्रारम्भ की गई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा एक संकल्प पेशेवर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत अपने दावे प्रस्तुत किए तथा धनवापसी के स्थान पर कब्जा प्रदान किए जाने की मांग की। गृह–क्रेताओं के अधिकृत प्रतिनिधि ने उनके दावों को ऋणदाताओं की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण के आदेश को उस सीमा तक निरस्त करने की प्रार्थना की, जिसमें धनवापसी का निर्देश दिया गया था (जिसे उन्होंने कभी न माँगा जाना बताया) तथा संकल्प पेशेवर को तत्काल कब्जा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।

खंडपीठ ने अभिमत व्यक्त किया कि इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण के आदेश स्वयं याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर पारित हुए थे तथा उनके हित में थे। धनवापसी के निर्देश को पश्चात चुनौती दी गई, जो विलम्ब तथा अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक अपीलीय उपाय उपलब्ध होने के कारण ग्राह्य नहीं थी। एक बार याचिकाकर्ताओं द्वारा समझौते एवं पुनर्वास आदेश को स्वीकार कर लेने के पश्चात वे इस अवस्था में उससे विमुख नहीं हो सकते।

ऋणदाताओं की समिति के दिनांक 30.08.2024, 27.09.2024 तथा 25.10.2024 के निर्णय विचाराधीन अवस्था में थे तथा संकल्प योजना का अंतिम अनुमोदन निर्णायक प्राधिकारी द्वारा किया जाना शेष था। वित्तीय ऋणदाता के रूप में याचिकाकर्ता पूर्व में ही अपने दावे संकल्प पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत कर चुके थे तथा उनका प्रतिनिधित्व अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा था।

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा प्रचलित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की विधिक संरचना का उल्लंघन होगा, जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। न्यायालय ने मोहम्मद एंटरप्राइजेज (तंजानिया) लिमिटेड बनाम फारूक अली खान (2025 SCC ऑनलाइन SC 23) तथा केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2024 SCC ऑनलाइन SC 4013) पर अवलम्बन किया।

अतएव, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया तथा याचिकाकर्ताओं को विधि के अनुसार उपयुक्त उपाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) अनिल पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

मामला संख्याः रिट - सी संख्या 2228 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 21.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:9933-DB

याचिकाकर्ता, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिवादी–बैंक द्वारा दिनांक 23.10.2024 को आयोजित ई–नीलामी में सर्वाधिक बोलीदाता के रूप में सफल घोषित हुए। यह नीलामी गृह संख्या 24, आवास विकास कॉलोनी, बेतियाहाता, गोरखपुर की बिक्री के लिए आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने बोली राशि का 25 प्रतिशत (₹55,93,750/–) नियत समय में जमा कर दिया। शेष 75 प्रतिशत राशि हेतु उन्होंने उसी बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया, जो अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात शेष राशि जमा करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई। बैंक द्वारा अंतिम अवसर के रूप में दिनांक 23.01.2025 तक का समय पूर्व में ही प्रदान किया जा चुका था। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका प्रस्तुत कर तीन माह का अतिरिक्त समय अथवा जमा 25 प्रतिशत राशि की वापसी की प्रार्थना की।

खंडपीठ ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (संशोधित) के नियम 9(4) का परीक्षण किया। इसके अनुसार शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय की पुष्टि के 15 दिवस के भीतर अथवा खरीदार एवं सुरक्षित ऋणदाता के मध्य लिखित रूप से सहमति से बढ़ाई गई अवधि के भीतर, किन्तु किसी भी दशा में तीन माह से अधिक नहीं, जमा की जानी आवश्यक है।

न्यायालय ने पाया कि बैंक द्वारा अधिकतम अनुमेय विस्तार पहले ही प्रदान किया जा चुका था। नीलामी विक्रय एक समयबद्ध वैधानिक प्रक्रिया है। चूक होने की दशा में जमा राशि जब्त कर ली जाती है तथा संपत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है। विधिक सीमा से परे अतिरिक्त समय प्रदान करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं पाई गई।

फलतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

(i) मोहर सिंह कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - ए संख्या 15202 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:86266

याची, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, ने दिनांक 17.12.2025 के आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया था। इससे पूर्व, मथुरा में तैनाती के दौरान उन्हें 16.10.2025 को निलंबित कर दिया गया था। उक्त निलंबन आदेश को रिट–ए संख्या 13092/2025 में चुनौती दी गई, जिस पर 19.11.2025 को स्थगन (स्टे) प्रदान कर दिया गया।

याची को उनकी मूल तैनाती स्थल पर पुनः स्थापित करने के स्थान पर अधिकारियों द्वारा विवादित संबद्धता आदेश पारित कर दिया गया। यह प्रतिपादित किया गया कि निलंबन आदेश पर स्थगन मिल जाने के उपरांत याची मथुरा में बने रहने का अधिकारी था, विशेषकर जब आगरा मंडल में जांच लंबित थी तथा लखनऊ में कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

राज्य पक्ष के अधिवक्ता द्वारा लिखित निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिनमें कहा गया कि उक्त संबद्धता से याची को कोई क्षति नहीं हुई तथा उसके विरुद्ध गंभीर आरोप थे। न्यायालय ने पाया कि निलंबन एवं स्थगन आदेश के तथ्य निर्विवाद हैं। एक बार निलंबन आदेश दिनांक 16.10.2025 पर पूर्णतः स्थगन प्रदान हो जाने के पश्चात अधिकारियों का कर्तव्य था कि याची को उसके निलंबन–पूर्व तैनाती स्थल (मथुरा) पर पुनः पदस्थापित करें।

इसके विपरीत, अधिकारियों ने बहाली के आड़ में उसे लखनऊ से संबद्ध कर दिया, जो सेवा विधि (Service Jurisprudence) के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निहित प्रतिपूर्ति (Restitution) का सिद्धांत, जिसे सिटीबैंक एन.ए. बनाम हितेन पी. दलाल में प्रतिपादित किया गया है, न्याय, समता एवं निष्पक्षता के सिद्धांत के रूप में रिट क्षेत्राधिकार में भी लागू होता है।

अतः दिनांक 17.12.2025 का विवादित आदेश सर्टियोरारी रिट जारी कर निरस्त कर दिया गया। विपक्षी संख्या–2 (आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि याची को उसके निलंबन–पूर्व तैनाती स्थल पर पुनः पदस्थापित किया जाए। याचिका को प्रवेश स्तर पर ही स्वीकार कर लिया गया तथा पक्षकारों को अपना–अपना व्यय वहन करने का निर्देश दिया गया।

(ii) कुलदीप (कॉन्स्टेबल) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - ए संख्या 11401 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 10.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:62607

याची, जो एक आरक्षी (कॉन्स्टेबल) है, ने दिनांक 10.09.2025 के आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसे यूपी–112 बुलंदशहर से झांसी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे पूर्व याची ने रिट–ए संख्या 2729/2025 प्रस्तुत कर डायल–112 से अपने मूल विभाग सिविल पुलिस में वापसी की मांग की थी। उक्त याचिका का निस्तारण 10.03.2025 को कर सक्षम प्राधिकारी को उसके अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने दिनांक 06.08.2025 को आदेश पारित कर याची को सिविल पुलिस में पदस्थापित कर दिया। इसके बाद विवादित स्थानांतरण आदेश पारित किया गया। याची का कथन था कि एक बार उसे मूल विभाग में वापस भेज दिया गया, तो पुनः स्थानांतरण आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी।

राज्य पक्ष ने लिखित निर्देश प्रस्तुत कर यह कहा कि दिनांक 06.08.2025 का आदेश अधिकार क्षेत्र से परे था, क्योंकि ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार केवल स्थापना बोर्ड को था, और विवादित आदेश के माध्यम से त्रुटि का संशोधन कर दिया गया।

न्यायालय ने पाया कि याची की मूल विभाग में वापसी की मांग पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। यदि याची झांसी क्षेत्र में तैनाती से असंतुष्ट है और बुलंदशहर में ही रहना चाहता है, तो उसे उप पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

यदि ऐसा अभ्यावेदन आदेश की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को चार सप्ताह के भीतर कारणयुक्त एवं वक्तव्ययुक्त (speaking) आदेश पारित कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल

(i) अशोक राघव बनाम श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान

मामला संख्याः अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या 11338 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 17.11.2025
Neutral Citation No. – 2025:AHC:204010

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत तीन संबद्ध याचिकाओं में, श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान द्वारा अपने किरायेदारों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही में पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी संस्था एक सार्वजनिक परोपकारी संस्था है, जिसे उत्तर प्रदेश शहरी भवन (विनियमन, किराया एवं बेदखली) अधिनियम, 1972 से छूट प्राप्त है।

यह संस्था वर्ष 1958 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे वर्ष 1951 में जुगल किशोर बिड़ला ने मदन मोहन मालवीय की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्मारक निर्माण की अभिलाषा को साकार करने हेतु स्थापित किया था।

न्यास विलेख एवं संस्था के उपविधियों से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य बिना किसी जाति, संप्रदाय या धर्म के भेदभाव के समस्त हिन्दू समाज तथा समस्त मानवता के कल्याण हेतु कार्य करना है।

न्यायालय ने यह घोषित किया कि उक्त संस्था अधिनियम, 1972 की धारा 2(बीबी) के अंतर्गत एक सार्वजनिक परोपकारी संस्था है, अतः उसे अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। संस्था की ओर से वाद प्रस्तुत करने वाले सचिव कपिल शर्मा के अधिकार को भी वैध माना गया।

निचली न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित बेदखली संबंधी आदेशों को विधिसम्मत पाया गया। परिणामस्वरूप, सभी याचिकाएं निरस्त कर दी गईं। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) केनरा बैंक शाखा कार्यालय एवं एक अन्य बनाम श्री अशोक कुमार उर्फ हीरा सिंह

प्रकरण संख्याः अनुच्छेद 227 संख्या 626/2024
निर्णय दिनांक : 16.12.2025
Neutral Citation No. – 2025:AHC:225540

छः संबद्ध वादों (जिनमें पाँच अनुच्छेद 227 के अंतर्गत तथा एक एस.सी.सी. पुनरीक्षण के अंतर्गत था) में एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के अंतर्गत स्थापित किराया प्राधिकरण को ऐसे मामलों में आवेदन पर विचार करने का अधिकार है, जहाँ कोई लिखित किरायेदारी अनुबंध नहीं किया गया हो तथा उसकी सूचना किराया प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत न की गई हो।

न्यायालय ने वर्ष 1947 के अधिनियम से लेकर 1972 तथा 2021 के अधिनियम तक के किराया नियंत्रण विधानों के विधिक इतिहास का परीक्षण किया। यह अभिमत व्यक्त किया गया कि वर्ष 2021 का अधिनियम, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा निर्मित मॉडल टेनेंसी अधिनियम, 2021 के आधार पर अधिनियमित किया गया है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात कोई भी व्यक्ति बिना लिखित अनुबंध के किसी परिसर को किराये पर न देगा और न ही लेगा, तथा ऐसे अनुबंध की सूचना मकान–मालिक एवं किरायेदार द्वारा संयुक्त रूप से दो माह के भीतर किराया प्राधिकरण को दी जाएगी।

अतः, ऐसे अनुबंध के अभाव में अथवा सूचना प्रस्तुत न किए जाने की दशा में किराया प्राधिकरण को किसी भी आवेदन पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किराया न्यायालय का अधिकार–क्षेत्र केवल विधिवत प्रस्तुत किरायेदारी अनुबंधों तक ही सीमित है।

फलतः, रिट याचिकाएँ एवं पुनरीक्षण स्वीकार किए गए तथा किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिए गए। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान

(i) पुंडरीक कुमार पांडे उर्फ पुंडरीक पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 8151/2024
निर्णय दिनांक : 25.10.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:72485-DB

यह प्रकरण जनपद बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) से उत्पन्न हुआ, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 191(2), 191(3), 3(5), 109(1), 324(2), 351(3), 352 एवं 125 आरोपित की गई थीं।

प्रथम याचिका में याचिकाकर्ताओं ने यह प्रतिपादित किया कि सूचना देने वाले विधायक से शत्रुता के कारण उन्हें मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है तथा निजी द्वेषवश एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। याचिकाकर्ता पुंडरीक कुमार पांडे, जो एक सरकारी शिक्षक हैं, अपने चचेरे साले राम गोपाल मिश्र के शव के साथ मेडिकल कॉलेज के समीप धरना स्थल पर उपस्थित हुए थे, जहाँ लगभग 5000 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे।

याचिकाकर्ताओं का यह भी कथन था कि विवादित एफ. आई.आर. उसी घटना के संबंध में द्वितीय एफ.आई.आर. है, क्योंकि पुलिस द्वारा पूर्व में दिनांक 15.10.2024 को घटना दिनांक 13.10.2024 के संबंध में समान धाराओं में एफ.आई.आर. संख्या 0346/2024 दर्ज की जा चुकी थी।

न्यायालय ने द्वितीय एफ.आई.आर. के विधिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयकृ बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य (2010) 12 SCC 254 तथा टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 SCC 181– सहित अन्य निर्णयों का परीक्षण किया।

न्यायालय ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि एक ही संज्ञेय अपराध अथवा एक ही घटना के लिए द्वितीय एफ. आई.आर. का पंजीकरण विधि–विरुद्ध है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। तथापि, प्रतिकूल संस्करण एवं इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे कि दोनों एफ.आई.आर. पूर्णतः समान हैं अथवा द्वितीय एफ.आई. आर. बिना किसी नवीन सामग्री के केवल प्रत्युत्तर स्वरूप दर्ज की गई है, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस चरण पर निरस्तीकरण का कोई औचित्य नहीं बनता।

अतः, जाँच अथवा विचारण की कार्यवाही में हस्तक्षेप किए बिना याचिकाओं का निस्तारण विधि अनुसार कर दिया गया।

(ii) अन्नू खटीक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्यारू आपराधिक अपील संख्या 351/2005
निर्णय दिनांक : 22.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:4074

यह आपराधिक अपील दोषसिद्ध अपीलकर्ताओं–अन्नू खटीक, मुन्ना खटीक, चुन्नीलाल, राजकुमार यादव एवं संजय यादव–द्वारा विशेष न्यायमूर्ति श्री (अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम), फैजाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 400/1996 में पारित दिनांक 18.02. 2005 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 147, 452 तथा 302 सहपठित धारा 149 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया, जबकि धारा 504 एवं 506 के अंतर्गत उन्हें दोषमुक्त किया गया।

अपीलकर्ताओं को धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास, धारा 452 के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 147 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 25.11.1991 को सायं लगभग 6 बजे अभियुक्तगण सूचक निर्मला के घर आए और उसके पुत्र राजू को बाहर खींचकर लाठी, हॉकी एवं बोतलों से प्रहार किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

अभियोजन ने सूचक (पी.डब्ल्यू.–1 निर्मला) एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (पी.डब्ल्यू.–2 पुत्ती लाल) सहित कुल छह साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनमें विवेचक अधिकारी तथा चिकित्सक सम्मिलित थे, जिन्होंने घायलों का परीक्षण एवं शव परीक्षण किया।

न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, उद्देश्यमूलक तथ्य, स्थल योजना तथा विवेचना एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन सहित अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परीक्षण कर यह पाया कि अभियोजन ने अपीलकर्ताओं का अपराध संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।

फलतः, अपील निरस्त कर दी गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश यथावत् बनाए रखे गए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जोहरी

(i) देवेन्द्र प्रताप यादव, अपने पिता एवं पैरोकार अर्जुन प्रसाद के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः हैबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 131/2023
निर्णय दिनांक : 05.01.2024
Neutral Citation No.- 2024:AHC-LKO:1120-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

याचिकाकर्ता देवेन्द्र प्रताप यादव ने अपने साथियों के साथ दिनांक 29.01.2023 को प्रातः लगभग 9:00 बजे लखनऊ के सेक्टर–9, आवास विकास कार्यालय के समीप पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियाँ फाड़ीं, उन्हें पैरों तले रौंदा तथा सार्वजनिक स्थल पर अग्नि के हवाले कर दिया। वे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारे लगा रहे थे तथा उक्त ग्रंथ एवं उसके अनुयायियों के विरुद्ध आपत्तिजनक वक्तव्य दे रहे थे। इस घटना का वीडियो बनाकर सामाजिक माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे क्षेत्र में अत्यधिक आक्रोश, तनाव एवं साम्प्रदायिक अशांति उत्पन्न हुई।

थाना पीजीआई, लखनऊ में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 120–बी, 142, 143, 153–ए, 295, 295–ए, 298, 504, 505(2) एवं 506 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 75/2023 पंजीकृत की गई। याचिकाकर्ता एवं सह–अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रतिवेदन में लोक–व्यवस्था में व्यापक विघटन की आशंका, अतिरिक्त बल की तैनाती तथा याचिकाकर्ता द्वारा जमानत प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने पुलिस प्रतिवेदन, बरामदगी मेमो, केस डायरी एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को निरोध आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध करने का निर्देश दिया गया, ताकि वह लोक–व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य न कर सके। उक्त आदेश को राज्य सरकार द्वारा 14.02.2023 को अनुमोदित किया गया, याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन निरस्त कर दिया गया, परामर्शदात्री बोर्ड ने अपनी राय प्रदान की तथा निरोध अवधि को नौ माह तक विस्तारित कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की दलीलेंः

निरोध आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निरोध प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का अभाव है, यह मात्र विधि–व्यवस्था का विषय है न कि लोक–व्यवस्था का, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय का विचारः

खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 तथा "विधि–व्यवस्था" एवं "लोक–व्यवस्था" के मध्य अंतर का परीक्षण किया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एससीसी 98

सहित अन्य निर्णयों में प्रतिपादित है। न्यायालय ने पाया कि सार्वजनिक रूप से पवित्र ग्रंथ का दहन एवं उसका वीडियो प्रसारण समुदाय के सामान्य जीवन की गति को बाधित करने तथा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने में सक्षम था, जिससे लोक–व्यवस्था प्रभावित होती है।

निरोध प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थीकृपुलिस प्रतिवेदन, बरामदगी, केस डायरी एवं जमानत पर रिहाई की स्थिति में पुनरावृत्ति की संभावना। अधिनियम की समस्त प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं –समयबद्ध अनुमोदन, प्रतिवेदन पर विचार, परामर्शदात्री बोर्ड की राय एवं विस्तार–का विधिवत पालन किया गया। न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि प्रतिषेधात्मक निरोध एक निवारक उपाय है तथा निरोध प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

निष्कर्ष एवं आदेशः

हैबियस कॉर्पस रिट याचिका निरस्त की जाती है। दिनांक 08.02.2023 का निरोध आदेश एवं उससे सम्बद्ध समस्त आदेश विधिसम्मत एवं वैध घोषित किए जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(याचिका निरस्त; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध यथावत।)

(ii) संदीप यादव, अपने भाई प्रदीप यादव के माध्यम से बनाम भारत संघ एवं अन्य

वाद संख्याः हैबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 211/2023
निर्णय दिनांक : 05.04.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:28176-DB

पृष्ठभूमि एवं अभियोजन प्रकरणः

याचिकाकर्ता संदीप यादव को जिला मजिस्ट्रेट, गोंडा द्वारा दिनांक 17.05.2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरुद्ध किया गया। प्रकरण की उत्पत्ति प्राथमिकी संख्या 008/2023 दिनांक 29.01.2023, थाना नगर, गोंडा में धारा 452, 302, 379 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीकृत हुई।

सूचक राम केवल यादव के अनुसार, दिनांक 28.01.2023 को सायं लगभग 7रू35 बजे उनका पुत्र कृष्ण कुमार यादव (अध्यापक) अपने किराए के कक्ष में था, तभी याचिकाकर्ता अपने साथी के साथ वहाँ घुस आया, धन की मांग की तथा मना करने पर उसके सिर को दीवार पर बार–बार पटककर उसकी हत्या कर दी। धन लूटकर अभियुक्त फरार हो गए।

जांच के दौरान याचिकाकर्ता एवं सह–अभियुक्त जग्गा उर्फ जवाहर मिश्रा को 30.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। बाद में धाराएँ 449, 380, 411, 201 भा.दं.सं. तथा 3/25 आयुध अधिनियम जोड़ी गईं तथा 27.04.2023 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन एवं निरोध का आधारः

दिनांक 12.05.2023 को थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुई नृशंस हत्या से व्यापक भय एवं आतंक फैलने, दुकानों के बंद होने, निवासियों के घरों में दुबकने, शिक्षक संघ के विरोध प्रदर्शन तथा व्यापक मीडिया कवरेज का उल्लेख किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी किरायेदार ने याचिकाकर्ता को मृतक का गला घोंटते हुए देखा।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख था कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई 18.05.2023 को निर्धारित थी तथा जमानत मिलने की प्रबल संभावना थी। रिहाई की स्थिति में उसके पुनः अपराध करने, साक्ष्यों को प्रभावित करने एवं लोक–व्यवस्था को और अधिक बाधित करने की आशंका व्यक्त की गई।

निरोध आदेश एवं अनुपालनः

जिला मजिस्ट्रेट ने अभिलेखों का परीक्षण कर संतुष्टि व्यक्त की कि याचिकाकर्ता का आचरण लोक–व्यवस्था के लिए हानिकारक है, और दिनांक 17.05.2023 को निरोध आदेश पारित किया। आदेश एवं आधार याचिकाकर्ता को उसी दिन उपलब्ध कराए गए। राज्य सरकार ने 25.05.2023 को अनुमोदन किया।

याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन को जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार एवं भारत संघ द्वारा क्रमशः निरस्त किया गया। परामर्शदात्री बोर्ड ने 28.06.2023 को निरोध को उचित ठहराया तथा निरोध अवधि विधि अनुसार बढ़ाई गई।

उच्च न्यायालय का विचारः

खंडपीठ ने "विधि–व्यवस्था" एवं "लोक–व्यवस्था" के अंतर का परीक्षण करते हुए पाया कि यद्यपि घटना एक कक्ष में हुई, तथापि उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यापक भय, सामाजिक जीवन का ठहराव, व्यापारिक गतिविधियों का अवरोध एवं जनसामान्य में आतंक स्पष्टतः लोक–व्यवस्था के विघटन को दर्शाता है।

निष्कर्ष एवं आदेशः

हैबियस कॉर्पस रिट याचिका निरस्त की जाती है। दिनांक 17.05.2023 का निरोध आदेश एवं समस्त परिणामी आदेश विधिसम्मत एवं वैध घोषित किए जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(याचिका निरस्त; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध यथावत।)



माननीय न्यायमूर्ति श्री राज बीर सिंह

(i) लखन उर्फ लखन वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः धारा 482 दं.प्र.सं. आवेदन संख्या 30454/2024
निर्णय दिनांक : 25.10.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:171511

आवेदक ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 1072/2023 (अफसाना बेगम बनाम लखन / लखन वर्मा), धारा 354, 323, 504, 427 भा.दं.सं. के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें दिनांक 16.02.2024 का समन आदेश भी सम्मिलित है, निरस्त करने का अनुरोध किया।

वाद–विवाद के दौरान आवेदक के अधिवक्ता ने कार्यवाही निरस्तीकरण की प्रार्थना पर आग्रह नहीं किया, अपितु यह निवेदन किया कि आवेदक को विचारण न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से दोषमुक्ति (डिस्चार्ज) हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए तथा उसके निस्तारण तक अंतरिम संरक्षण दिया जाए।

न्यायालय ने निर्देशित किया कि यदि आवेदक चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय में दोषमुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विधि के अनुसार शीघ्र विचार कर निर्णय लिया जाए। इस अवधि में तथा आवेदन लंबित रहने तक आवेदक के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही न की जाए, बशर्ते वह कार्यवाही में सहयोग करे।

धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन उपर्युक्त निर्देशों सहित निस्तारित किया गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(ii) बेबी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक मिश्रित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 9895/2024
निर्णय दिनांक : 20.03.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:50794

आवेदिका बेबी ने अपराध संख्या 405/2023, धारा 302, 201, 120–बी भा.दं.सं., थाना बिछवां, जनपद मैनपुरी में जमानत की प्रार्थना की। अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता की पुत्री 30.10.2023 को लापता हुई तथा अगले दिन उसका शव प्राप्त हुआ।

जांच में तथाकथित सम्मान–हत्या (ऑनर किलिंग) का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतका के पिता किशनपाल सिंह उर्फ के.पी., माता सुधा उर्फ गुड्डी देवी तथा आवेदिका (बहन) की संलिप्तता का संदेह व्यक्त किया गया। सह–अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया तथा यह भी कहा कि आवेदिका एवं अन्य सह–अभियुक्तों ने घटना को छिपाने में सहयोग किया।

आवेदिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है, कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, वह महिला है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह 28.01.2024 से निरुद्ध है।

न्यायालय ने प्रकरण के समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं निरोध अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत प्रदान करना उचित पाया।

आदेशः

जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया जाता है। आवेदिका को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, सामान्य शर्तों के अधीन रिहा किया जाए। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन चंद्र दीक्षित

(i) प्रभु नारायण सिंह एवं 11 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

प्रकरण संख्यारू अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका संख्या 4852/2022
निर्णय दिनांक : 13.12.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:195700

यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपर सत्र न्यायमूर्ति/विशेष न्यायमूर्ति श्री(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), वाराणसी द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 257/2018 में दिनांक 04.05.2022 को पारित आदेश तथा उप–जिलाधिकारी, पिंडरा, वाराणसी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत दिनांक 29.09.2018 को पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी।

विवादित भूमि, आराजी संख्या 726, ग्राम जाठी, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी, क्षेत्रफल 1.77 एकड़, को निजी प्रतिवादियों के पक्ष में मुक्त कर दिया गया था।

प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की माता, श्रीमती लीलावती देवी ने दिनांक 24.04.2000 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से उक्त भूमि सभाजीत सिंह से क्रय की थी। उनका नाम दिनांक 08.09.2005 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। इस नामांतरण आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की अपील दिनांक 10.06.2008 को निरस्त कर दी गई। उनके निधन के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम भी अभिलेखों में दर्ज कर दिए गए।

याचिकाकर्ता, जो पूर्व स्वामी के भतीजे हैं, ने दिनांक 07.01.2000 के कथित अनुबंध एवं कुछ पुलिस तथा अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्टों के आधार पर कब्जे का दावा किया। तथापि, विक्रय विलेख निरस्तीकरण हेतु दायर वाद दिनांक 17.02.2001 को निरस्त हो गया तथा अपील भी असफल रही। धारा 229–बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत उनका वाद अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया। उप–जिलाधिकारी तथा पुनरीक्षण न्यायालय, दोनों ने अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि श्रीमती लीलावती देवी वास्तविक क्रेता थीं तथा उन्हें विधिवत कब्जा प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ताओं का भूमि पर कोई वैध अधिकार या स्वामित्व नहीं था। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार का पंजीकृत स्वामित्व सिद्ध करने में असफल रहे। पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि मात्र विक्रय अनुबंध के आधार पर वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

अतः याचिका निरस्त कर दी गई तथा यदि कोई अंतरिम आदेश प्रभावी था, तो उसे समाप्त कर दिया गया।

(ii) कृष्ण मोहन सिंह एवं 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 3420/2022
निर्णय दिनांक : 13.12.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:195756

यह आपराधिक पुनरीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अंतर्गत, न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या 147428/2021 में दिनांक 07.06.2022 को पारित समन आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। प्रकरण की पृष्ठभूमि एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से संबंधित है। परिवादी के पिता द्वारा दिनांक 09.12.2014 को वसीयत बनाई गई थी। इस वसीयत को चुनौती देते हुए दीवानी वाद दायर किया गया तथा यथास्थिति आदेश प्राप्त किया गया।

इसके उपरांत, परिवादी ने निजी परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि पुनरीक्षणकर्ताओं ने उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास एवं लूट का अपराध किया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश बिना समुचित न्यायिक विचार के, यांत्रिक ढंग से पारित किया गया है। आदेश में प्रथम दृष्टया संतुष्टि का अभाव था तथा साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया।

अतः पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए समन आदेश निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण पुनः विचार हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

(i) अब्दुल रसीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या 4122/2025
निर्णय दिनांक : 13.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:137999

यह अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14–ए(2) के अंतर्गत दायर की गई थी, जिसमें निचली अदालत द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने के आदेशों को चुनौती दी गई थी।

अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर पीड़िता के साथ आपत्तिजनक कृत्य किया।

न्यायालय ने समस्त परिस्थितियों, साक्ष्यों एवं अभियुक्त की भूमिका का परीक्षण करने के उपरांत पाया कि अपीलकर्ता जमानत का अधिकारी है तथा निचली अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को उपयुक्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की गई।

(ii) विनोद कुमार जालौन बनाम कैलाश जायसवाल

प्रकरण संख्यारू प्रथम अपील संख्या 237/2006
निर्णय दिनांक : 07.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:134227

यह अपील दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत, सिविल न्यायमूर्ति श्री(सीनियर डिवीजन), गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दायर की गई थी।

वाद में यह तथ्य स्थापित हुआ कि विक्रय विलेख एक शर्त पर आधारित था कि यदि चेक का भुगतान न हो, तो विलेख स्वतः निरस्त हो जाएगा। चेक के बार–बार अनादृत होने के कारण विक्रय विलेख अप्रभावी हो गया। उच्च न्यायालय ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान एक पूर्व शर्त थी, जिसके अभाव में स्वामित्व हस्तांतरित नहीं हुआ।

अतः ट्रायल कोर्ट का निर्णय सही ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

(i) जीवन उर्फ रामजीवन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या 11837 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 05.04.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:59376

आवेदकों द्वारा परिवाद वाद संख्या 19/2021, अपराध धारा 323, 504, 506, 452, 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना टोडी फतनपुर, जनपद झांसी के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदकों के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्हें द्वेषवश मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्रारम्भ में एक असंज्ञेय रिपोर्ट (NCR) पंजीकृत की गई थी; तत्पश्चात पीड़ित के धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के उपरान्त आवेदकों को तलब किया गया। उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदकों को शीघ्र गिरफ्तारी की आशंका है तथा यदि उन्हें जमानत प्रदान की जाती है, तो वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे एवं विवेचना में सहयोग करेंगे।

शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोप चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन तथा पीड़ित के धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता

के अंतर्गत दिए गए कथनों से सिद्ध होते हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक घायलों पर आक्रमण में संलिप्त हैं।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग आरोपों की प्रकृति एवं गम्भीरता, अभियुक्त की भूमिका तथा अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक हित के मध्य संतुलन स्थापित कर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। प्रकरण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना तथा प्रस्तुत तर्कों एवं आरोपों की प्रकृति व गम्भीरता पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु कोई उपयुक्त आधार नहीं प्राप्त हुआ।

अतएव, अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है। तथापि, यदि आवेदक आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर विधि अनुसार शीघ्र विचार किया जाएगा, जिसमें सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(ii) संजीव कटारिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या 11870 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 14.05.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:86226

आवेदक द्वारा अपराध संख्या 0040/2022, धारा 323, 324, 308, 354–क, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना पल्लवपुरम, जनपद मेरठ के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक विपक्षी संख्या 2 का पति है, जबकि सह–अभियुक्त गौरव कटारिया उसका देवर है। आवेदक का पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को निरस्त किया जा चुका है। सह–अभियुक्त का प्रकरण मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया गया था, परंतु कोई समझौता नहीं हो सका। आवेदक विवेचना में सहयोग कर रहा है तथा प्रथमदृष्टया कोई अपराध स्थापित नहीं होता। उसे गिरफ्तारी की आशंका है और वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, संज्ञान लिया जा चुका है तथा आवेदक के विरुद्ध जमानती एवं गैर–जमानती वारंट निर्गत किए जा चुके हैं। आवेदक द्वारा पूर्व में भी आपराधिक विविध आवेदन संख्या 28342/2023 प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 16.10.2023 को गुण–दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है।

न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरान्त, यह पाते हुए कि आवेदक के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा पर्याप्त साक्ष्य संकलित हैं, और प्रकरण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, आरोपों की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु कोई उपयुक्त आधार नहीं पाया।

अतएव, अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है। तथापि, यदि आवेदक तीन सप्ताह के भीतर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विधि अनुसार विचार एवं निस्तारण किया जाएगा, जिसमें सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ब्ठप्) में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा। आज से तीन सप्ताह की अवधि तक आवेदक के विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

(i) मयंक परासरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील संख्या 8466 सन् 2022
निर्णय दिनांक : 06.02.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:23769-DB

अपीलकर्ता को विशेष न्यायमूर्ति श्री(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), रामपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 84/2011 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 452 के अंतर्गत (आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड सहित) तथा सत्र परीक्षण संख्या 85/2011 में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत (तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड सहित) दोषसिद्ध किया गया था।

अभियोजन का कथनः दिनांक 21.08.2010 को सायं लगभग 6:00 बजे, अपीलकर्ता (जो मृतक की पत्नी का संबंधी था) देशी पिस्तौल लेकर घर में प्रविष्ट हुआ, पूर्व में हुए दो विवादों का उल्लेख किया तथा मृतक नवदुर्गेश मिश्रा को दाहिने कान के ऊपर अत्यंत निकट दूरी (प्वाइंट–ब्लैंक) से गोली मार दी। मृतक की माता (PW–1) एवं पत्नी (PW–2) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन का समर्थन किया। अपीलकर्ता के कब्जे से पिस्तौल एवं खाली कारतूस बरामद किए गए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोपपत्र में नामित एकमात्र स्वतंत्र साक्षी भूरे सिंह दिवाकर (जो घर के बाहर बैठा बटाईदार था) को अभियोजन द्वारा त्याग दिया गया तथा उसे प्रतिरक्षा साक्षी (DW–1) के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि मृतक मद्यपायी था, उसने आत्महत्या की तथा अपीलकर्ता को घटना स्थल पर कभी नहीं देखा गया। अभियोजन के समर्थन में उसके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए पूर्व कथन का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन उससे सामना नहीं कराया गया। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि अभियोजन यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि सूचीबद्ध प्रत्यक्षदर्शी को प्रतिरक्षा साक्षी में क्यों परिवर्तित किया गया तथा उसके पूर्व कथन का उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध क्यों नहीं किया गया। मृतक की स्थिति एवं गोली चलने की दूरी के संबंध में PW–1 एवं PW–2 की प्रत्यक्षदर्शी गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए, साथ ही घटना स्थल से गोली का न मिलना संदेह उत्पन्न करता है। उद्देश्य (मोटिव) भी अत्यंत दुर्बल पाया गया।

फलतः अपील स्वीकार की गई। दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त कर दिए गए। अपीलकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

(ii) श्रीमती शाहजहाँ एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (कासिम की कारागार अपील सहित संबद्ध अपीलें)

मामला संख्यारू आपराधिक अपील संख्या 5017 सन् 2009
निर्णय दिनांक : 21.11.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:181692-DB

अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, बिजनौर द्वारा सत्र वाद संख्या 622/2005 में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 363, 366, 368 एवं 376(ग) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था। प्रीतम, कासिम एवं अन्य को धारा 376(ग) के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 16 वर्षीया बालिका के अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म के लिए पृथक–पृथक दण्ड प्रदान किए गए थे।

अभियोजन का कथनरू अल्पवयस्क पीड़िता को दिनांक 17.06.2004 को कासिम एवं प्रीतम द्वारा प्रलोभन देकर विभिन्न स्थानों (अमरोहा, दिल्ली, पानीपत) पर ले जाया गया, जहाँ प्रीतम एवं कासिम ने उसके साथ बार–बार दुष्कर्म किया, तथा एक नाबालिग बालक का अपहरण कर उसे दिल्ली में बेच दिया गया। पीड़िता को दिनांक 08.08.2004 को बरामद किया गया।

उच्च न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि अल्पवयस्क होने का एकमात्र आधार कथनकर्ता का मौखिक बयान था। चिकित्सकीय प्रतिवेदन (PW–4) एवं रेडियोलॉजिकल परीक्षणों से स्पष्ट हुआ कि पीड़िता 18 वर्ष से अधिक (संभवतः 20 वर्ष से भी अधिक) आयु की थी। उसके शरीर पर कोई बाह्य अथवा आन्तरिक चोट नहीं पाई गई; कौमार्य झिल्ली पूर्व में फटी हुई थी एवं भर चुकी थी; शुक्राणु भी नहीं पाए गए। पीड़िता कई सप्ताह तक बिना किसी शोर–शराबे अथवा शिकायत के सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करती रही। वह दिल्ली में

एक पृथक अपहरण प्रकरण में भी संलिप्त पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में एक माह से अधिक की विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि घटना की तिथि पर पीड़िता अल्पवयस्क थी। यदि पीड़िता वयस्क हो, तो उसकी सहमति का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अभियोजन की संपूर्ण कथा अविश्वसनीय एवं असंभाव्य पाई गई। अतः सभी अपीलें स्वीकार की गईं। समस्त अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त कर दिए गए तथा उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री शमीम अहमद

(i) सुश्री सपना उर्फ़ सपना चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 2713/2024

निर्णय दिनांक : 08.04.2024

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:28406

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 29, लखनऊ द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में आवेदिका द्वारा पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि विचारण न्यायालय को ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

आवेदिका, सुश्री सपना उर्फ़ सपना चौधरी, के विरुद्ध अपराध संख्या 621/2018 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवं 420 के अंतर्गत थाना आशियाना, जनपद लखनऊ में आपराधिक वाद विचाराधीन है। वाद लंबित रहने के दौरान उनका पासपोर्ट समाप्त हो गया था, जिसके पश्चात उन्होंने विचारण न्यायालय से दस वर्षों के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। तथापि, न्यायालय ने आवश्यक विधिक प्रावधानों पर विचार किए बिना आवेदन अस्वीकार कर दिया।

आवेदिका ने प्रस्तुत किया कि वह एक कलाकार/अभिनेत्री हैं और अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु प्रायः विदेश यात्रा करती रहती हैं। पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने तथा न्यायालय द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण वह अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने में असमर्थ रहीं, जिससे उनके व्यवसायिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

यह भी तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.08.1993 को जारी अधिसूचना पर विचार नहीं किया। उक्त अधिसूचना के अनुसार, यदि संबंधित न्यायालय विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करता है, तो आपराधिक वाद का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत संघ द्वारा विदेश मंत्रालय के दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन का भी उल्लेख किया गया, जिसमें लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति में पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का वर्णन है।

उच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है।

न्यायालय ने कहा कि यद्यपि आवेदिका के विरुद्ध आपराधिक वाद लंबित है, तथापि पासपोर्ट के नवीनीकरण अथवा निर्गमन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय उपयुक्त शर्तों के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान कर सकता है, जिससे अभियुक्त की विचारण में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

यह पाया गया कि विचारण न्यायालय ने विधिक अधिसूचनाओं एवं दिशानिर्देशों पर विचार किए बिना केवल अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर आवेदन अस्वीकार कर त्रुटि की।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.12.2023 के आदेश को विधिसम्मत न मानते हुए निरस्त कर दिया तथा धारा 482 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार कर लिया।

आवेदिका को निर्देश दिया गया कि वह बीस दिनों के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के साथ नवीन आवेदन प्रस्तुत करें। पासपोर्ट प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह विधि के अनुसार यथाशीघ्र,

अधिमानतः एक माह के भीतर निर्णय ले।

साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि आवेदिका को विदेश यात्रा से पूर्व विचारण न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा विचाराधीन आपराधिक वाद में निर्धारित प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(ii) श्यामजी त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्या : आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 6409/2024
निर्णय दिनांक : 02.09.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:60164

यह आपराधिक विविध रिट याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई, जिसमें जनपद अम्बेडकर नगर के जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति श्रीद्वारा वाद संख्या 174/2011 में दिनांक 08.09.2011 को पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। उक्त आदेश के अंतर्गत विपक्षी पक्ष संख्या 2 को जनपद में निवास के दौरान पुलिस संरक्षण प्रदान किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को उसे प्रताड़ित करने तथा उसके विरुद्ध अनावश्यक आपराधिक प्रकरण दर्ज करने से रोकने हेतु भी निर्देश देने की प्रार्थना की।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले लंबित हैं, अतः उसे पुलिस संरक्षण प्रदान करना अनुचित है।

राज्य की ओर से प्रस्तुत शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिका लगभग तेरह वर्ष की अत्यधिक विलंब के पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा इस विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।

यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्वयं कई आपराधिक मामले लंबित हैं। साथ ही, याचिकाकर्ता विवादित आदेश से संबंधित पूर्ण अभिलेख एवं वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने में भी असफल रहा।

न्यायालय ने विलंब एवं लापरवाही से संबंधित सिद्धांतों पर बल देते हुए कहा कि विधिक उपचार समयबद्ध रूप से अपनाया जाना चाहिए। अनावश्यक विलंब होने पर राहत का अधिकार समाप्त हो सकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि परिसीमा (Limitation) के नियम सार्वजनिक नीति पर आधारित होते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में अंतिमता सुनिश्चित करते हैं।

न्यायालय ने पाया कि विवादित आदेश वर्ष 2011 में पारित हुआ था, जबकि याचिका वर्ष 2024 में दायर की गई। इस अत्यधिक विलंब का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता स्वयं अनेक आपराधिक मामलों में संलिप्त है तथा यह सिद्ध नहीं कर सका कि विपक्षी पक्ष को दिया गया पुलिस संरक्षण अभी भी प्रभावी है।

न्यायालय ने माना कि अत्यधिक विलंब एवं लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः याचिका को विलंब एवं लापरवाही के आधार पर निरस्त कर दिया गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

(i) कमलेश मीणा एवं दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य

वाद संख्याः धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या 25348 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 05.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:123424

आवेदकों (संभावित अभियुक्तों) ने विशेष न्यायमूर्ति श्री(अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम) / अपर सत्र न्यायमूर्ति, आगरा द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 3140/2025 में दिनांक 05.07.2025 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आदेश द्वारा थाना प्रभारी, एत्माउद्दौला, आगरा को प्रतिवादी संख्या 2 (अनुसूचित जाति से संबंधित सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक)

की शिकायत पर धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया गया था। शिकायत में आवेदकों (बैंक अधिकारियों) पर आपराधिक षड्यंत्र, कूटकरण, धोखाधड़ी, मानहानि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। यह भी आरोप था कि उन्होंने रमेश चंद के नाम से मिथ्या शिकायत दर्ज कराई तथा उसे झूठा फँसाने के उद्देश्य से कूटकृत यात्रा बिलों का सत्यापन कराने के लिए बाध्य किया।

आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 173 एवं 175 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तथा यह आवेदन प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। यह भी कहा गया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रारंभ में ही ग्राह्यता (मेंटेनेबिलिटी) पर आपत्ति उठाई और कहा कि संभावित अभियुक्त को प्राथमिकी पंजीकरण तथा संज्ञान या प्रक्रिया जारी होने से पूर्व मात्र जांच के निर्देश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने फादर थॉमस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011 (1) ए.डी.जे. 333) में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया।

न्यायालय ने यह माना कि प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच के आदेश के विरुद्ध संभावित अभियुक्त द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन ग्राह्य नहीं है। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई, पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा आदेश पारित करने से पूर्व बैंक अधिकारी के उत्तर पर विचार किया गया। आवेदकों के विरुद्ध कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। फादर थॉमस के पूर्ण पीठ का निर्णय पूर्णतः लागू होता है तथा उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस स्तर पर संभावित अभियुक्त के अधिकार से संबंधित नहीं हैं।

अतः आवेदन निरस्त किया गया। आवेदकों को जांच में सहयोग करने तथा अपने समस्त प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

(ii) दया शंकर मिश्रा उर्फ दयालु मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 19617 सन् 2013
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:214255

आवेदक ने धारा 171–सी भारतीय दण्ड संहिता तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)(क) के अंतर्गत अपराध संख्या 14/2012 से उत्पन्न वाद संख्या 2715/2012 की कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु गश्त ड्यूटी पर रहते समय पुलिस ने आवेदक (वाराणसी नगर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी) का एक बड़ा चुनावी होर्डिंग देखा, जो लोहे के तारों से विद्युत खंभे से बंधा हुआ था। उक्त होर्डिंग को जब्त किया गया तथा उसकी वीडियोग्राफी की गई। तत्पश्चात आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग, नगर निगम या विद्युत विभाग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई; किसी स्वतंत्र सरकारी साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया; कोई जब्ती पंचनामा तैयार नहीं किया गया; तथा किसी सामग्री से खंभे को कोई वास्तविक क्षति या प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ। केवल अल्प समय के लिए होर्डिंग लगाना अपराध नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह पाया कि धारा 171–सी भा.दं.सं. (निर्वाचन में अनुचित प्रभाव डालना) तथा अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)(क) (सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाना) के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अभिलेख पर न तो किसी निर्वाचन अधिकार में अवैध हस्तक्षेप का प्रमाण है और न ही किसी वास्तविक क्षति का। मात्र चुनावी होर्डिंग लगाना, बिना अन्य परिस्थितियों के, अनुचित प्रभाव या अपराध नहीं माना जा सकता। प्राथमिकी एवं आरोपपत्र से किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण नहीं होता।

अतः कार्यवाही निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार

(i) श्रीमती अनुपमा द्विवेदी एवं अन्य बनाम भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एवं अन्य के माध्यम से

केस नंबरः आर्टिकल 227 नंबर- 4420 ऑफ 2020 के तहत मामले

यह वाद भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जीवन बीमा दावे को अस्वीकार किए जाने के उपरांत उत्पन्न हुआ। यह वाद उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्रारंभ हुआ, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 का पति तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 एवं 3 का पिता था। न्याय की प्राप्ति हेतु याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2022 के प्रारंभ में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (DCDRC) के समक्ष औपचारिक परिवाद प्रस्तुत किया। इस परिवाद के संबंध में 1 अप्रैल, 2022 को विधिवत नोटिस निर्गत किए गए, जो 2 अप्रैल, 2022 को प्रतिवादी संख्या 4 तथा 5 अप्रैल, 2022 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 को समुचित रूप से तामील हुए।

प्रथम सुनवाई की तिथि 13 मई, 2022 निर्धारित की गई, जिस दिन प्रतिवादियों के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वकालतनामा प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने न तो कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया और न ही नोटिस की तामील के संबंध में कोई आपत्ति उठाई। अगली तिथि 23 जून, 2022 को प्रतिवादी अनुपस्थित रहे तथा उन्होंने अब तक अपना लिखित कथन भी प्रस्तुत नहीं किया था। फलस्वरूप, क्ब्क्त्ब ने आदेश पारित कर लिखित कथन दाखिल करने का अवसर समाप्त कर दिया तथा अगली तिथि 15 अक्टूबर, 2022 नियत की।

किन्तु 15 अक्टूबर, 2022 को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने लिखित कथन सहित पुनर्विचार (रिकॉल) आवेदन प्रस्तुत किया। DCDRC ने उसी दिन उक्त आवेदन स्वीकार कर 23 जून, 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया तथा लिखित कथन अभिलेख पर स्वीकार कर लिया। यह आदेश याचिकाकर्ताओं को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना पारित किया गया, जबकि उनके अधिवक्ता ने यह अवगत कराया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(2)(क) के अंतर्गत निर्धारित 45 दिवस की समय–सीमा समाप्त हो चुकी है।

क्ब्क्त्ब द्वारा विलंबित लिखित कथन स्वीकार किए जाने से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ताओं ने धारा 47(1)(ख) के अंतर्गत राज्य आयोग (UPSCDRC) के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि 45 दिवस के पश्चात लिखित कथन स्वीकार करने का अधिकार DCDRC को नहीं है तथा उन्होंने 1986 के अधिनियम की धारा 13(1)(क) एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। तथापि, राज्य आयोग ने 20 अक्टूबर, 2022 के आदेश द्वारा याचिका निरस्त कर दी और मुख्य विधिक प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि केवल इस आधार पर याचिका खारिज की कि DCDRC ने लागत आरोपित कर पुनर्विचार आवेदन स्वीकार कर लिया था।

इसके पश्चात याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता का आह्वान करते हुए रिट याचिका दायर की तथा 15 अक्टूबर, 2022 (DCDRC) एवं 21 अक्टूबर, 2022 (UPSCDRC) के आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की। प्रतिवादियों की प्रारंभिक आपत्तियों में यह कहा गया कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के कारण रिट याचिका ग्राह्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब आदेश अधिकार क्षेत्र से परे हो अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, तब वैकल्पिक उपाय बाधक नहीं होता। चूंकि याचिकाकर्ताओं को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया था, अतः प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ।

विधिक विश्लेषण में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 38(2)(क) के अनुसार प्रतिवादी को 30 दिवस के भीतर तथा अधिकतम 15 दिवस के विस्तार सहित कुल 45 दिवस के भीतर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस समय–सीमा का विस्तार नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में लिखित कथन अत्यधिक विलंब (150 से अधिक दिवस) के पश्चात प्रस्तुत किया गया, जो विधि विरुद्ध है।

अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि क्ब्क्त्ब द्वारा लिखित कथन स्वीकार करना अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण एवं विधि का स्पष्ट उल्लंघन था। परिणामस्वरूप रिट याचिका स्वीकार करते हुए दोनों आदेश निरस्त कर दिए गए तथा जिला आयोग को निर्देशित किया गया कि वह बिना लिखित कथन पर

(ii) देवांग पांडे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

Writ A No.- 12066 of 2015

यह वाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत संविदात्मक नियुक्तियों से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 5 सितंबर, 2012 को मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (पुरुष) के रूप में तीन वर्ष की निश्चित अवधि हेतु की गई थी। बाद में 22 नवंबर, 2013 के संप्रेषण द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वित्तीय स्वीकृति केवल 31 मार्च, 2014 तक ही उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति अवधि व्यावहारिक रूप से घटा दी गई।

याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि तीन वर्ष की अवधि उनकी नियुक्ति की मूल शर्त थी, जिसे मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि यद्यपि नियुक्ति संविदात्मक थी, तथापि राज्य बिना वैध कारण के उसकी शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि वित्तीय कठिनाई संविदात्मक दायित्वों से बचने का आधार नहीं हो सकती। राज्य, अनुबंध करने के पश्चात उसकी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है।

अंततः न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवाओं के लिए देय पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया कि बिना पारिश्रमिक के कार्य लेना "बेगार" है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 21 का उल्लंघन है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

(i) गौरू / गौरव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 682 सन् 2020
निर्णय दिनांक : 27.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:213522

अपीलकर्ता को विशेष न्यायमूर्ति श्री(पॉक्सो अधिनियम), आगरा द्वारा विशेष वाद संख्या 190/2018 (अपराध संख्या 318/2017, थाना लोहामंडी, आगरा) में धारा 376(2)(i) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000 अर्थदण्ड (अदायगी न होने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास) तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹25,000 अर्थदण्ड (अदायगी न होने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास) से दंडित किया गया था। दंडादेश में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार समवर्ती संचालन एवं समायोजन (सेट–ऑफ) का निर्देश दिया गया तथा अर्थदण्ड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया गया।

अभियोजन कथनः

दिनांक 17.10.2017 को लगभग दोपहर 1:30 बजे 7 वर्षीय पीड़िता "x" को समीप की दुकान पर भेजा गया। अपीलकर्ता उसे बहला–फुसलाकर अपने घर (जो पीड़िता के घर के सामने स्थित था) ले गया, उसका पायजामा उतारा, उसे अपने ऊपर बैठाया और उसके साथ बलात्कार किया। माता (PW–1) एवं पिता (PW–3) ने रोने की आवाज सुनकर घर में प्रवेश किया, अपीलकर्ता (जो केवल तौलिया पहने हुए था) को पकड़ लिया और बालिका को बचाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन सायं 4:20 बजे दर्ज की गई।

साक्ष्यः

PW–1 (माता) ने मुख्य परीक्षण में प्राथमिकी का समर्थन किया, किन्तु जिरह में स्वीकार किया कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी, उसे पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई थी, उसने घटना स्वयं नहीं देखी तथा अपीलकर्ता को स्थानीय लोगों ने पकड़ा था। PW–2 (पीड़िता) को साक्ष्य देने योग्य माना गया, किन्तु उसने किसी भी प्रकार की अनहोनी अथवा अपीलकर्ता द्वारा उसे ले जाने या उसके वस्त्र उतारने से स्पष्ट इंकार किया। PW–3 (पिता) शत्रुतापूर्ण (hostile) घोषित हुए और अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

चिकित्सकीय साक्ष्य (PW–4) में योनिपटल (हाइमन) फटा एवं लाल पाया गया, किन्तु सक्रिय रक्तस्राव नहीं था; यौन आक्रमण की कोई निश्चित पुष्टि नहीं हुई, प्रवेश (penetration) के संकेत नहीं मिले तथा शुक्राणु अनुपस्थित थे। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में भी किसी वस्तु पर शुक्राणु नहीं पाए गए। किसी स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया। स्थल योजना तथा बरामद वस्तुएँ सिद्ध हुईं, किन्तु निर्णायक

महत्व की नहीं थीं।

न्यायालय का निर्णयः

न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा। प्रमुख साक्षियों (माता एवं पीड़िता) के कथनों में विरोधाभास था। चिकित्सकीय एवं फोरेंसिक साक्ष्य नकारात्मक थे तथा कोई पुष्टिकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अतः अपीलकर्ता को संदेह का लाभ प्रदान किया गया।

परिणामः

अपील स्वीकृत की जाती है। दिनांक 10.01.2020 का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य वाद में अपेक्षित न हो तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(ii) राज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः जेल अपील संख्या दृ 60 सन् 2020
निर्णय दिनांक : 10.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:222079-DB

अपीलकर्ता को सत्र न्यायमूर्ति, गाजियाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 273/2017 (अपराध संख्या 90/2017, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद) में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10,000 अर्थदण्ड (अदायगी न होने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास) से दंडित किया गया, जिसमें धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का लाभ दिया गया।

अभियोजन कथनः

अपीलकर्ता ने अपनी प्रथम पत्नी (जिससे उसके दो बच्चे थे) के अस्तित्व को छिपाकर दिनांक 25.04.2016 को मृतका पूजा से विवाह किया। वह प्रायः पूजा के साथ मारपीट करता था। दिनांक 18.01.2017 को सायं लगभग 7:00 बजे उसने ट्रोनिका सिटी स्थित अपने किराए के कमरे में पूजा के सिर पर लगभग 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की माता (PW–1) ने उसी रात्रि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

साक्ष्यः

PW–1 (माता) ने प्राथमिकी एवं उद्देश्यमूलक कारण (द्विविवाह एवं निरंतर मारपीट) सिद्ध किया। PW–2 (मकान स्वामी) ने घटनास्थल की पुष्टि की। PW–3 (प्रथम पत्नी) ने द्विविवाह एवं पूर्व की मारपीट को सिद्ध किया। चिकित्सकीय साक्ष्य (PW–5) में मृत्यु का कारण सिर पर गंभीर चोट, खोपड़ी की हड्डियों का फ्रैक्चर तथा कोमा बताया गया।

बरामदगी में अपीलकर्ता के कथन पर रक्तरंजित गैस सिलेंडर तथा उसके वस्त्र प्राप्त हुए। फोरेंसिक रिपोर्ट में विभिन्न वस्तुओं पर मानव रक्त की पुष्टि हुई। जांच एवं स्थल योजना विधिवत सिद्ध हुई। अपीलकर्ता को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय का निर्णयः

न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अपीलकर्ता का स्पष्ट उद्देश्य था (द्विविवाह एवं निरंतर विवाद)। घटना स्थल पर केवल अपीलकर्ता एवं मृतका उपस्थित थे। अपराध का उपकरण अपीलकर्ता के कथन पर बरामद हुआ तथा उस पर मानव रक्त पाया गया। अपीलकर्ता का अलिबी एवं झूठे आरोप का बचाव असत्य एवं मनगढ़ंत पाया गया। प्रत्यक्ष, चिकित्सकीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य परस्पर संगत थे।

परिणामः

अपील निरस्त की जाती है। दोषसिद्धि एवं दण्डादेश यथावत् बनाए रखे जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री डोनाडी रमेश

(i) कर्नल मनोज कुमार गुप्ता बनाम संगीता

वाद संख्याः प्रथम अपील संख्या 819 सन् 2019
निर्णय दिनांक : 29.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:37116-DB

पृष्ठभूमि एवं तथ्य

अपीलकर्ता, जो एक सेवानिवृत्त कर्नल तथा चिकित्सक हैं और जिन्होंने भारतीय सेना में लगभग 30 वर्षों तक सेवा की है, ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) एवं (i-b) के अंतर्गत, प्रधान न्यायमूर्ति, परिवार न्यायालय, मुरादाबाद के समक्ष (वाद संख्या 492/2015) क्रूरता एवं परित्याग के आधार पर विवाह–विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की।

अपीलकर्ता का प्रथम विवाह वर्ष 1989 में हुआ था, जो दिनांक 31.05.2007 के आदेश द्वारा विच्छेदित हो गया। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी, जो एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं विधवा थीं तथा अपने प्रथम विवाह से दो संतानों की माता थीं, से दिनांक 21.11.2007 को द्वितीय विवाह किया। अपीलकर्ता की दत्तक पुत्री आस्था (जिसे उनकी प्रथम पत्नी ने गोद लिया था) उनके साथ निवास करती थी।

अपीलकर्ता ने प्रतिवादी पर मानसिक क्रूरता एवं परित्याग के आरोप लगाए। याचिका दायर करने से पूर्व, प्रतिवादी लगभग छह वर्षों से अधिक समय से मुरादाबाद में पृथक निवास कर रही थी। दांपत्य संबंधों का अभाव था। प्रतिवादी द्वारा निरंतर चरित्र–हनन, झूठे आरोप, अपमानजनक व्यवहार तथा दत्तक पुत्री के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए गए।

प्रतिवादी ने सभी आरोपों का खंडन किया तथा कहा कि संबंध सामान्य थे और पारिवारिक आयोजनों में सहभागिता रही। परिवार न्यायालय ने दिनांक 18.10.2019 को याचिका निरस्त कर दी, यह कहते हुए कि न तो क्रूरता सिद्ध हुई और न ही परित्याग।

उच्च न्यायालय का विचार

उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया कि परिवार न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। दीर्घकालीन पृथक निवास, वैवाहिक संबंधों का अभाव तथा वैवाहिक जीवन का वास्तविक रूप से समाप्त हो जाना, मानसिक क्रूरता का द्योतक है।

न्यायालय ने विभिन्न उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया, जिनमें नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006), समर घोष बनाम जया घोष (2007), सुखेंदु दास बनाम रीता मुखर्जी (2017) आदि सम्मिलित हैं, जिनमें यह स्थापित किया गया है कि दीर्घकालीन पृथक्करण, जिसमें पुनर्मिलन की कोई संभावना न हो, वैवाहिक संबंध के अपूरणीय विघटन का संकेत है।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश

अपील स्वीकार की जाती है। परिवार न्यायालय, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 18.10.2019 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) एवं (i-b) के अंतर्गत अपीलकर्ता के पक्ष में विवाह–विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है।

न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि "अपूरणीय विघटन" को विवाह–विच्छेद का पृथक आधार बनाया जाना चाहिए।

व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) रविन्द्र कुमार बनाम अनुशासनात्मक प्राधिकारी/सहायक महाप्रबंधक (ओएडी) एवं अन्य

वाद संख्याः रिट-ए संख्या 4080 सन् 2022
निर्णय दिनांक : 01.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:17756

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

याचिकाकर्ता, जो एक स्नातक है, ने वर्ष 2009 की भर्ती अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक पद हेतु आवेदन किया। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार में सफलता प्राप्त की तथा दिनांक 16.12.2010 को नियुक्ति ग्रहण की।

वर्ष 2015 में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में प्रतिरूपण (Impersonation)

किया, क्योंकि हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान भिन्न पाए गए। पूर्व जांच के आधार पर वर्ष 2016 में उसे सेवा से पृथक कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर बर्खास्तगी निरस्त कर पुनः जांच का निर्देश दिया। पुनः जांच में भी मुख्यतः एक निजी हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय पर निर्भरता रखी गई।

उच्च न्यायालय का विचार

न्यायालय ने पाया कि जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में केवल विशेषज्ञ की राय पर आधारित निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है। आवश्यक दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच नहीं कराई गई तथा अन्य साक्ष्य संकलित नहीं किए गए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय स्वतंत्र एवं निर्णायक साक्ष्य नहीं मानी जा सकती, जब तक कि अन्य साक्ष्यों से उसका समर्थन न हो।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश

रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। दिनांक 29.11.2021 एवं 27.01.2022 के आदेश निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण पुनः सक्षम प्राधिकारी को नवीन जांच हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसमें समस्त साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण किया जाएगा।

व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार पचौरी

(i) आराम ख़ान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील संख्या - 2384 वर्ष 1986
निर्णय दिनांक : 31.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:195336

प्रथम अपर सत्र न्यायमूर्ति, रामपुर द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास से दंडित किया गया, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप अंकित था कि अपीलकर्ता ने सात–आठ अज्ञात डकैतों के साथ मिलकर सूचक श्यामलाल के घर पर डकैती की, उसकी वैध लाइसेंसी बंदूक छीन ली तथा फायरिंग की। सह–अभियुक्त शहादत ख़ान को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता को नौ दिन पश्चात् गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से बंदूक, कारतूस, बेल्ट, कंबल एवं घड़ी सहित कुछ वस्तुएँ बरामद की गईं। उसकी निशानदेही पर उसके निवास से एक शॉल, धोती एवं साड़ी भी बरामद की गई। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को डकैती के आरोप से दोषमुक्त करते हुए केवल बरामदगी के आधार पर धारा 412 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया।

उच्च न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। बरामदगी के संबंध में किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया था। कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई। यह सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि अपीलकर्ता को यह ज्ञान था कि बरामद वस्तुएँ डकैती से प्राप्त संपत्ति हैं। जब अपीलकर्ता अथवा किसी अन्य पहचाने गए व्यक्ति के विरुद्ध डकैती का अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के अंतर्गत दोषसिद्धि संभव नहीं है। परिणामतः अपील स्वीकृत की जाती है। दिनांक 30.08.1986 का निर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को धारा 412 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है, अतः उसके बंधपत्र एवं जमानतदारों को विमुक्त किया जाता है। विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाए जाने का निर्देश दिया जाता है।

(ii) निज़ामुद्दीन / भिंडी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील संख्या - 2105 वर्ष 1986
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:217436

अपीलकर्ता को विशेष न्यायमूर्ति, मथुरा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर सात वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 26.11.1985 को जब घायल मोहम्मद शारिक एवं सूचक, कार्यपालक अभियंता (लोक निर्माण विभाग) के आवास से लौट रहे थे, तब उनके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया। सरकारी जीप चला रहे अपीलकर्ता ने घायल को रोका और तत्पश्चात कहासुनी होने पर पीछे से उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी पीठ में चोट आई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू–2 (घायल) की गवाही महत्वपूर्ण विरोधाभासों के कारण पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में उसके कथन इस विषय में भिन्न थे कि क्या वह कार्यपालक अभियंता के घर पहुँचा था, घटना का वास्तविक स्थान एवं क्रम क्या था, तथा क्या पूरा स्कूटर या केवल पहिया मरम्मत हेतु ले जाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथन एवं घायल की गवाही घटना के प्रारंभ एवं स्थान के संबंध में परस्पर संगत नहीं थे। रक्तरंजित वस्त्र एवं मिट्टी जब्त किए जाने के बावजूद उनका रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया। किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया। मात्र घायल की एकल गवाही के आधार पर अभियोजन का प्रकरण संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता।

अतः अपील स्वीकृत की जाती है। दिनांक 05.08.1986 का निर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चंद्र शर्मा

(i) शाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः कैपिटल केस संख्या-1 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 30.05.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:93618-DB

अपीलकर्ता शाहिद को विशेष न्यायमूर्ति श्री(POCSO अधिनियम), फर्रुखाबाद द्वारा विशेष सत्र वाद संख्या 921/2023 में चार वर्षीय बालिका के बलात्कार एवं हत्या के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 302, 201, 376DB तथा POCSO अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत दिनांक 12.09.2023 को दोषसिद्ध किया गया। उसे धारा 302 IPC एवं धारा 5/6 POCSO अधिनियम के अंतर्गत मृत्युदंड एवं अर्थदंड, तथा धारा 201 IPC के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि हेतु संदर्भ भी प्रेषित किया गया।

अभियोजन का कथन था कि पीड़िता दिनांक 12.09.2023 को प्रातः लगभग 9 बजे अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। सायं लगभग 6 बजे एक साक्षी ने परिजनों को सूचित किया कि उसने पीड़िता को अपीलकर्ता एवं सह–अभियुक्त डेरेन के पीछे–पीछे अपीलकर्ता के पोल्ट्री फार्म की ओर जाते हुए देखा था। तत्पश्चात मृतका का शव समीप ही अत्यंत क्षत–विक्षत अवस्था में प्राप्त हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.09.2023 को प्रातः 1:01 बजे दर्ज की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे एवं गर्दन पर पशुओं द्वारा काटे जाने के चिन्ह, जननांगों एवं शरीर के अन्य भागों पर खरोंच एवं चोट के चिह्न जैसी पूर्व–मृत्युकालीन चोटें पाई गईं। मृत्यु का कारण इन चोटों के परिणामस्वरूप श्वासावरोध (दम घुटना) बताया गया।

अपील एवं संदर्भ की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने दो महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदुओं की जांच की, जो निष्पक्ष विचारण की मूलभूतता से संबंधित थे। प्रथम, मृतका के अंतःवस्त्र का उल्लेख न तो पंचनामा रिपोर्ट में था और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तथा उन चरणों पर उसे कब्जे में भी नहीं लिया गया था, तथापि वह एफएसएल रिपोर्ट में परीक्षण की गई सामग्री के रूप में प्रदर्शित हुआ। अंतःवस्त्र की बरामदगी का पंचनामा संबंधित अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। द्वितीय, दिनांक 16.12.

2023 की एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में उस समय प्रस्तुत की गई जब अपीलकर्ता को दिनांक 13.12.2023 को ही दोषसिद्ध किया जा चुका था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.12.2023 को मृत्युदंड सुनाते समय उक्त रिपोर्ट पर भरोसा किया, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलकर्ता के समक्ष उसके तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया। रिपोर्ट को सिद्ध करने हेतु किसी फोरेंसिक विशेषज्ञ का परीक्षण नहीं किया गया तथा बचाव पक्ष द्वारा उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की गई। समस्त विचारण आवश्यक साक्षियों के परीक्षण एवं महत्वपूर्ण कड़ियों को स्थापित किए बिना अत्यंत शीघ्रता में, दो माह से भी कम अवधि में पूर्ण कर लिया गया।

न्यायालय ने यह माना कि उक्त त्रुटियों के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निष्पक्ष विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहा, जिससे संबंधित अधिकारी एवं फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता था। एफएसएल रिपोर्ट, एक साक्ष्य होने के नाते, उस पर निर्भर होने से पूर्व अपीलकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी।

अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (AIR 2020 SC 232) के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्रक्रिया में अवैधता एवं अत्यधिक जल्दबाजी के कारण विचारण दूषित हो गया था। परिणामस्वरूप दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त कर दिए गए। दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा विधि के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट सहित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को आरोप निर्धारण की अवस्था से पुनः विचारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। अपीलकर्ता को पुनः विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया। मृत्युदंड की पुष्टि हेतु संदर्भ का निस्तारण भी तदनुसार किया गया।

(ii) श्रीमती मिली नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-6331 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 28.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:188137

पुनरीक्षणकर्ता (सूचनाकर्ता) द्वारा सत्र न्यायमूर्ति, गौतम बुद्ध नगर के दिनांक 17.05.2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जो सत्र वाद संख्या 57/2024 में पारित हुआ था। उक्त आदेश द्वारा विपक्षी संख्या–2 डॉ. राहुल को सात वर्षीय अनिका कुमार की हत्या के प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 452, 354, 354–ए (i), 354–ए (ii) एवं 354 (डी) के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था तथा उन्हें केवल धाराएँ 302 एवं 201 IPC के अंतर्गत विचारण का सामना करने का निर्देश दिया गया था।

दिनांक 01.11.2022 को प्च्ब् की धाराएँ 285/338 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि 24.10.2022 को बालक विपक्षी संख्या–2 एवं उसके भाई के घर में खेलते समय जल गया था। बाद में कैलिफोर्निया में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु होने पर प्रकरण को IPC की धाराएँ 302/201 में परिवर्तित कर दिया गया। जांच के दौरान मृतक की माता श्रीमती गरिमा रानी ने धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पाँच बयान दिए। प्रथम चार बयानों में किसी प्रकार के छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया गया। केवल दिनांक 22.03.2023 को दिए गए पाँचवें बयान में यह आरोप लगाया गया कि विपक्षी संख्या–2 ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे उनकी पुत्री ने देख लिया था, तथा बालक को इस कारण जला दिया गया क्योंकि उसने घटना का खुलासा करने की धमकी दी थी। धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उनका बयान भी इसी आधार पर अभिलिखित किया गया। इसी पाँचवें बयान के आधार पर यौन अपराध संबंधी धाराएँ जोड़ी गईं एवं आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के पश्चात विपक्षी संख्या–2 को यौन अपराधों के आरोपों से मुक्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक चार निरंतर बयानों के पश्चात पाँचवें बयान में विलंब से किया गया आरोप तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे आरोप का अभाव, इन धाराओं के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने हेतु प्रथम दृष्टया कोई मामला या गंभीर संदेह उत्पन्न नहीं करता।

उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम पुनरीक्षण की ग्राह्यता के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया। यह पाया गया कि पुनरीक्षण मृतक की माता द्वारा, विदेश में निवास कर रहे सूचनाकर्ता के नाम से प्रस्तुत किया गया था तथा शपथपत्र भी माता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात सूचनाकर्ता ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी

निष्पादित कर प्रस्तुतिकरण की पुष्टि की। न्यायालय ने यह माना कि पुनरीक्षण दं.प्र.सं. की धाराएँ 397/401 के अंतर्गत ग्राह्य है। प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से पीड़ित के वास्तविक अधिकार का हनन नहीं होता तथा न्यायालय न्यायहित में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षणीय अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

गुण–दोष के आधार पर न्यायालय ने कहा कि आरोप निर्धारण के चरण में न्यायालय का कर्तव्य यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला या गंभीर संदेह विद्यमान है। वह केवल डाकघर की भांति कार्य नहीं कर सकता और न ही इस स्तर पर लघु परीक्षण कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में मृतक की माता ने धारा 161 दं.प्र. सं. के अंतर्गत प्रारंभिक चार बयानों में छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया था, जबकि एक बयान लिखित रूप में भी उपलब्ध था। आरोप दीर्घ अंतराल के पश्चात पाँचवें बयान में सामने आया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट इस संबंध में मौन थी। जिन व्हाट्सएप संदेशों पर भरोसा किया गया, उनमें किसी प्रकार की अश्लीलता या आपराधिक अभिप्राय का संकेत नहीं मिला। अतः विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यौन अपराधों की धाराओं के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है, विधिसम्मत पाया गया।

तदनुसार, आरोपमुक्ति आदेश को यथावत रखा गया तथा पुनरीक्षण को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया गया कि यदि विचारण के दौरान कोई नवीन साक्ष्य प्राप्त होता है, तो निर्णय से पूर्व दं.प्र.सं. की धारा 216 के अंतर्गत आरोपों में संशोधन किया जा सकता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर)

(i) अशोक सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1016 / 2024
निर्णय दिनांक : 05.03.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:41579

आवेदकों द्वारा विशेष न्यायमूर्ति श्री(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), बलिया द्वारा एस.एस.टी. संख्या 209/2010 (राज्य बनाम अशोक सिंह एवं अन्य) में पारित दिनांक 22.07.2023 के गैर–जमानती वारंट तथा तत्पश्चात पारित आदेशों (धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही एवं जमानतदारों को नोटिस) को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। उक्त वाद, अपराध संख्या 171/2009, धारा 147, 341, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना रेवती, जनपद बलिया से उत्पन्न हुआ है।

आवेदकों के अधिवक्ता का कथन था कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि–सम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना, अर्थात् पहले समन जारी करने, तत्पश्चात सेवा की संतुष्टि अभिलिखित करने, उसके उपरान्त जमानती वारंट तथा अंततः अभियुक्तों की अनुपस्थिति की दशा में गैर–जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया अपनाए बिना, सीधे गैर–जमानती वारंट निर्गत कर दिया गया। इस संदर्भ में समन के प्रारंभिक चरण में पारित समन्वय पीठ (Coordinate Bench) के आदेशों पर निर्भरता व्यक्त की गई।

राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना का विरोध किया गया।

न्यायालय ने अवलोकन किया कि यह प्रकरण प्रथम बार समन के पश्चात उपस्थिति का नहीं, अपितु जमानत का उल्लंघन (बेल जंप) का है। आवेदक पूर्व में जमानत पर थे। आरोप निर्धारित होने के उपरान्त वाद साक्ष्य हेतु नियत किया गया। दिनांक 08.07.2011 से 22.10.2013 तक केवल पी.डब्ल्यू.–1 एवं पी.डब्ल्यू.–2 के कथन ही अभिलिखित हो सके। तत्पश्चात 03.01.2019 तक कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 03.01.2019 से ही गैर–जमानती वारंट निर्गत किए जाते रहे तथा दिनांक 04.04.2023 से बारम्बार गैर–जमानती वारंट, धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही तथा जमानतदारों को नोटिस जारी किए जाते रहे।

अतः दिनांक 22.07.2023 का आदेश प्रथम आदेश नहीं है। यदि उक्त आदेश निरस्त भी कर दिया जाए, तो भी दिनांक 04.04.2023 से 12.07.2023 तक के पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेंगे। यह प्रकरण धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम सहित संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों से संबंधित है। अतः जमानत का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण

न्यायालय द्वारा सीधे गैर–जमानती वारंट जारी किया जाना विधिसम्मत है।

जिन समन्वय पीठ के आदेशों पर निर्भरता व्यक्त की गई, वे प्रारंभिक समन चरण में पारित हुए थे, जो वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते।

अतः आवेदन में कोई बल न पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है।

(ii) आदित्य मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या - 185 / 2024
निर्णय दिनांक : 13.03.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:44734

आवेदक द्वारा आपराधिक वाद संख्या 50/2014 की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई, जो अपराध संख्या 1189/2014, धारा 353, 352, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर से संबंधित है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम सूचक (एम्बुलेंस चालक) ई.एम.आई. सुमन तिवारी के साथ जिला चिकित्सालय, खलीलाबाद जा रहा था, तभी लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने उसे रोका, वाहन से टक्कर का आरोप लगाते हुए दुर्व्यवहार किया, ईंट–पत्थर फेंके तथा एम्बुलेंस का पुलिस लाइन तक पीछा किया। उसी दिन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

दिनांक 25.08.2014 को, अर्थात् लगभग ढाई माह पश्चात, प्रथम सूचक द्वारा क्षेत्राधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक एवं सह–अभियुक्त का नाम उल्लिखित किया गया।

आवेदक के अधिवक्ता का तर्क था कि इस विलंब का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रथम सूचक को इतनी देर से आवेदक का नाम किस प्रकार ज्ञात हुआ तथा यह भी नहीं बताया गया कि पहचान कराने में किस व्यक्ति ने सहायता की।

राज्य की ओर से उक्त प्रार्थना का विरोध किया गया।

न्यायालय ने अवलोकन किया कि घटना आकस्मिक होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई, क्योंकि उस समय प्रथम सूचक अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सका। दिनांक 25.08.2014 के प्रार्थना–पत्र तथा अतिरिक्त कथन में प्रथम सूचक ने स्पष्ट रूप से कहा कि पर्याप्त प्रयासों के उपरान्त वह अभियुक्तों के नाम ज्ञात कर सका। उसने कहीं यह नहीं कहा कि किसी अन्य व्यक्ति ने नाम बताने में सहायता की।

अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त अभियुक्तों की पहचान करना पीड़ित का दायित्व होता है। प्रथम सूचक द्वारा प्रयास किए गए और नाम ज्ञात किए गए। आवेदक का नाम सही रूप से अभिलिखित है या नहीं, इसका परीक्षण साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान अवस्था में कार्यवाही निरस्त किए जाने का कोई आधार नहीं बनता।

अतः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सैयद आफ़ताब हुसैन रिज़वी

(i) फजलुर रहमान एवं 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्यारू धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 26271 वर्ष 2021
निर्णय दिनांक : 28.03.2022
Neutral Citation No. - 2022:AHC:42685

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दो संबंधित आवेदन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें अपर सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 6, गोरखपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 385/2019 एवं 386/2019 में दिनांक 18.01.2020 को पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। उक्त वाद अपराध संख्या

609/2001, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर से संबंधित था, जिसमें अभियुक्तों के विमोचन (डिस्चार्ज) आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।

दिनांक 15.09.2001 को दिए गए कथित उत्तेजक भाषणों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 153–ए, 153–बी, 124–ए, 298, 505 तथा 120–बी के अंतर्गत दिनांक 21.09.2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। वर्ष 2002 में दो आरोप–पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें अभियोजन स्वीकृति (धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता) प्राप्त किए बिना संज्ञान ग्रहण कर लिया गया था।

इस न्यायालय ने क्रिमिनल मिस. आवेदन संख्या 2524/2003 में दिनांक 08.05.2003 के आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट को यह परीक्षण करने का निर्देश दिया था कि क्या संज्ञान ग्रहण करने हेतु आवश्यक पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी अथवा नहीं, तथा एक माह के भीतर निर्णय देने का आदेश दिया था। तथापि मजिस्ट्रेट ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया और दिनांक 27.07.2006 को वाद सत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया।

धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विमोचन आवेदन पर सत्र न्यायालय ने दिनांक 29.09.2007 को वाद पुनः मजिस्ट्रेट को लौटाया, परंतु मजिस्ट्रेट ने लगभग 17 वर्षों तक वाद लंबित रखा। अंततः अभियोजन स्वीकृति दिनांक 19.11.2018 एवं 16.11.2019 को प्राप्त हुई। इसके उपरांत भी मजिस्ट्रेट ने पूर्व निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए बिना दिनांक 02.09.2019 को वाद पुनः सत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया। अभियुक्तों द्वारा पुनः प्रस्तुत विमोचन आवेदन को दिनांक 18.01.2020 को निरस्त कर दिया गया।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि संपूर्ण कार्यवाही मूलतः दोषपूर्ण थी, क्योंकि संज्ञान आवश्यक स्वीकृति के अभाव में ग्रहण किया गया था। दीर्घकालीन विलंब के पश्चात प्राप्त स्वीकृति इस अवैधता को समाप्त नहीं कर सकती। अभियोजन एवं मजिस्ट्रेट की त्रुटियों के कारण हुए विलंब का दुष्परिणाम अभियुक्तों पर आरोपित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।

अतः दिनांक 18.01.2020 का आदेश निरस्त किया गया तथा आवेदकों को 15 दिनों के भीतर नवीन आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सत्र न्यायालय को निर्देशित किया गया कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(ii) लाल मणि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

वाद संख्याः विशेष अपील संख्या 681 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 15.12.2023
Neutral Citation No. - 2023:AHC:237906-DB

यह अंतर–न्यायालय अपील, रिट–ए संख्या 10696/2023 में एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 25.08.2023 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता जीत लाल सरोज की याचिका स्वीकार करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज के आदेश दिनांक 14.05.2023 को निरस्त कर दिया गया था।

अपीलकर्ता लाल मणि की नियुक्ति दिनांक 05.10.2006 को शारीरिक शिक्षा (एल.टी. ग्रेड) सहायक अध्यापक के रूप में हुई तथा उनका स्थानांतरण सरस्वती शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, मैरौन, हंडिया, प्रयागराज में हुआ, जहाँ उन्होंने दिनांक 01.02.2016 को कार्यभार ग्रहण किया।

प्रतिवादी जीत लाल सरोज की नियुक्ति चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 1/2009 के अंतर्गत दिनांक 08.12.2010 को प्रवक्ता के रूप में हुई तथा उन्होंने स्थानांतरण के पश्चात दिनांक 04.07.2019 को उसी संस्थान में कार्यभार ग्रहण किया।

प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर अपीलकर्ता ने शासनादेश दिनांक 28.02.1990 एवं 25.10.2000 के आधार पर यह दावा किया कि एल.टी. ग्रेड में दस वर्ष पूर्ण करने पर वह दिनांक 05.10.2016 से प्रवक्ता पद एवं वेतनमान के अधिकारी हो गए थे। प्रारंभ में यह दावा अस्वीकृत हुआ, किंतु राज्य अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात दिनांक 14.05.2023 को स्वीकार कर लिया गया तथा उन्हें वरिष्ठ मानते हुए प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंप दिया गया।

खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी। न्यायालय ने कहा कि उक्त शासनादेश केवल व्यक्तिगत लाभ प्रदान करते हैं, न कि वास्तविक पदोन्नति अथवा नियमित नियुक्ति। इस प्रकार का लाभ वरिष्ठता प्रदान नहीं करता।

प्रवक्ता पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति पूर्णतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के अधीन नियंत्रित है। इस अधिनियम के विपरीत किया गया कोई भी नियुक्ति अथवा पदोन्नति अवैध है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय डॉ. रश्मि श्रीवास्तव बनाम विक्रम विश्वविद्यालय (1995) 3 SCC 653 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत पदोन्नति को नियमित संवर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलकर्ता का वरिष्ठता का दावा अस्वीकार्य है।

अतः दिनांक 14.05.2023 का आदेश विधि विरुद्ध पाया गया तथा विशेष अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-I

(i) मैकू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या 18 वर्ष 1992
निर्णय दिनांक : 10.04.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:29115-DB

राज्य ने अभियुक्त मैकू एवं मंजूर उर्फ मंसूर को सत्र परीक्षण संख्या 171/1990 में धारा 377, 302, 201 एवं 404 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया था। मैकू को आजीवन कारावास तथा अन्य दंड दिए गए।

अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। मृतक का शव कुएँ में प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण डूबने से श्वासावरोध पाया गया। अभियोजन ने आठ साक्षियों का परीक्षण किया।

उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पाया कि अभियोजन के कथन में गंभीर विरोधाभास हैं। "अंतिम बार देखे जाने" का सिद्धांत, अपुष्ट न्यायेतर स्वीकारोक्ति तथा आंशिक बरामदगी पर्याप्त नहीं थे।

न्यायालय ने शरद बिर्धिचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न निर्णयों के सिद्धांतों पर विचार करते हुए कहा कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

अतः अपील स्वीकार की गई, दोषसिद्धि एवं दंड निरस्त किए गए तथा अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

(ii) राजवीर सिंह बनाम प्रबंध निदेशक, यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड एवं अन्य

वाद संख्याः विशेष अपील संख्या 161 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 02.05.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:25403-DB

अपीलकर्ता ने रिट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसमें आरोप–पत्र एवं निलंबन आदेश के विरुद्ध याचिका निरस्त कर दी गई थी।

न्यायालय ने नियम 5(3) एवं नियम 18(1), (2) का परीक्षण करते हुए पाया कि अपीलकर्ता द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप prima facie सिद्ध होता है।

अपीलकर्ता आरोपों का खंडन करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही विधिसम्मत है तथा इसे पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

अतः विशेष अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र कुमार राय

(i) जेबी मोटर्स बनाम श्रीमती हेमलता कपूर एवं 2 अन्य

केस संख्याः अनुच्छेद 227 के अंतर्गत संख्या 7409 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 04.09.2025
Neutral Citation No:-2025:AHC:156575

याचिकाकर्ता जेबी मोटर्स, वाद संख्या 3/2016 (लघुवाद न्यायालय) में प्रतिवादी है। यह वाद प्रतिवादी–वादी द्वारा दायर किया गया था, जो स्वयं को 189, सिविल लाइन्स, बरेली स्थित संपत्ति का स्वामी बताते हैं। याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.09.2011 को दराब शाह एवं अन्य द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर स्वामित्व का दावा किया है।

वाद में वादियों द्वारा आदेश 15 नियम 5 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर, कथित किराया जमा न करने के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रतिरक्षा को निरस्त करने का निवेदन किया गया। याचिकाकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की तथा प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 23 के अंतर्गत आवेदन देकर वाद को नियमित वाद में परिवर्तित करने का अनुरोध किया।

लघुवाद न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीने दिनांक 19.04.2023 के आदेश द्वारा आदेश 15 नियम 5 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता संपत्ति का स्वामी है, अतः उसे किराया देने का दायित्व नहीं है। उक्त आदेश को वादी द्वारा संशोधन संख्या 28/2023 में चुनौती दी गई। संशोधन न्यायालय ने दिनांक 01.05.2025 के आदेश द्वारा लघुवाद न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण को पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया।

याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत कर संशोधन आदेश को निरस्त करने तथा धारा 23 के आवेदन पर पहले निर्णय करने का निर्देश देने का निवेदन किया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि आदेश 15 नियम 5 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रतिरक्षा निरस्तीकरण की शक्ति विवेकाधीन है और सावधानीपूर्वक प्रयोग की जानी चाहिए। संशोधन न्यायालय द्वारा आदेश निरस्त कर पुनर्विचार हेतु प्रकरण वापस भेजना विधिसंगत पाया गया। अतः याचिका निरस्त की गई तथा लघुवाद न्यायालय को पुनः विधि अनुसार निर्णय करने का निर्देश दिया गया।

(ii) विवेक सिंघल बनाम श्रीमती विजया रानी सिंघल

केस संख्याः प्रथम अपील संख्या 279/2011
निर्णय दिनांक : 22.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:169551

अपीलकर्ता ने प्रोबेट वाद संख्या 50/2007 प्रस्तुत कर दिनांक 11.12.1974 की वसीयत के प्रमाण–पत्र की मांग की। संबंधित वसीयत राजस्थान स्थित अचल संपत्ति से संबंधित थी। प्रतिवादी (वसीयतकर्ता की विधवा) ने कोई आपत्ति नहीं की तथा वसीयत का विधिवत प्रमाण प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा यह कहते हुए वाद निरस्त किया गया कि वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 57(ग) के अंतर्गत आती है।

अपील में यह प्रतिपादित किया गया कि उक्त व्याख्या त्रुटिपूर्ण है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 57(ग) के अंतर्गत आने पर भी विधिवत प्रमाणित वसीयत पर प्रोबेट दिया जा सकता है। अतः पूर्व आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु प्रेषित किया गया तथा अपील स्वीकार की गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

(i) पुत्तन / सुंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

केस संख्याः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26188/2024
निर्णय दिनांक : 31.07.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:122862

आवेदक धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत जमानत का अभ्यर्थी है। अभियोजन के अनुसार, आवेदक ने एक नाबालिग को बहला–फुसलाकर अपहरण किया।

आवेदक ने आरोपों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा कोई आपराधिक इतिहास न होने का उल्लेख किया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि दोष सिद्ध होने तक अभियुक्त निर्दोष माना जाता है तथा जमानत नियम और कारावास अपवाद है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित है।

तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत स्वीकृत की गई, निम्न शर्तों सहित–

1. साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त की जा सकेगी।

(ii) सर्वजीत पांडे उर्फ पपलू पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20827/2024
निर्णय दिनांक : 06.08.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:126882

आवेदक पर धारा 376, 452, 504, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप हैं। अभियोजन के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता के घर में प्रवेश कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

आवेदक ने आरोपों को असत्य बताते हुए विलंबित प्राथमिकी, विरोधाभासी कथन एवं पारिवारिक विवाद का हवाला दिया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जमानत अस्वीकार की जाए।

तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर जमानत स्वीकृत की गई, उपर्युक्त समान शर्तों के अधीन।

यह भी स्पष्ट किया गया कि जमानत आदेश में की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायालय को प्रभावित नहीं करेंगी।



माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

(i) रामनारायण राम दरोगा एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 6391 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 16.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:165520

पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1697/2011 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 को चुनौती दी गई, जिसके अंतर्गत उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अधीन भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 504, 506 एवं 427 के अपराधों में विचारण हेतु तलब किया गया था।

प्रकरण में दिनांक 12.02.2011 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप था कि पुनरीक्षणकर्ताओं सहित छह अन्य व्यक्तियों ने दिनांक

12.11.2010 को विपक्षी पक्ष संख्या 2 की पत्नी एवं उसके दो पुत्रों पर आक्रमण किया। अन्वेषण के दौरान पुनरीक्षणकर्ताओं की संलिप्तता नहीं पाई गई तथा उनके विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, विचारण के दौरान पीडब्ल्यू–1 (विपक्षी पक्ष संख्या 2), पीडब्ल्यू–2 एवं पीडब्ल्यू–3 के कथनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने उन्हें धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन तलब कर लिया।

पुनरीक्षणकर्ताओं का कथन था कि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया जिससे यह प्रदर्शित हो कि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित होता है, जबकि धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोग से पूर्व ऐसा निष्कर्ष आवश्यक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में अत्यधिक विलंब हुआ था तथा साक्षियों के कथन सामान्य एवं अविश्वसनीय थे। धारा 319 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति असाधारण है, जिसका प्रयोग केवल प्रबल एवं ठोस साक्ष्य की उपलब्धता में ही किया जाना चाहिए।

राज्य तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 एवं पीडब्ल्यू–3 के कथनों में पुनरीक्षणकर्ताओं के नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित होता है। यह भी कहा गया कि पीडब्ल्यू–2 एवं पीडब्ल्यू–3 घायल साक्षी हैं, अतः उनके कथनों पर विश्वास किया जाना चाहिए तथा विचारण न्यायालय को केवल अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर ही विचार करना था, न कि अन्वेषण के दौरान संकलित सामग्री पर।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति विवेकाधीन एवं असाधारण है, जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं विरल परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92 में संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार न्यायालय को यह संतोष अभिलिखित करना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया सशक्त प्रकरण स्थापित होता है। वर्तमान वाद में विचारण न्यायालय ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करने में विफल रहा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में विलंब के प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया। पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 एवं पीडब्ल्यू–3 के कथन सामान्य प्रकृति के थे एवं इतने प्रबल नहीं थे कि उनके आधार पर पुनरीक्षणकर्ताओं को तलब किया जा सके।

अतएव, विवादित आदेश बिना समुचित विश्लेषण के पारित किया गया पाया गया। दिनांक 30.10.2023 का आदेश निरस्त किया गया तथा पुनरीक्षण स्वीकृत किया गया।

(ii) विजय कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या- 1334 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 16.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:187324

अपीलकर्ता को विशेष न्यायमूर्ति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बरेली द्वारा विशेष वाद संख्या 432/2023 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर चार वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया था।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 15.12.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें आरोप था कि अपीलकर्ता, जो खाद्य सुरक्षा विभाग में नामित अधिकारी है, ने परिवादी कयूम (पीडब्ल्यू–5) से मांस विक्रय अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए ₹12,000 की रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात एक जाल (ट्रैप) की कार्यवाही की गई तथा अपीलकर्ता को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

अपीलकर्ता का तर्क था कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। परिवादी (पीडब्ल्यू–5) द्वारा मांस अनुज्ञप्ति हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। मांग के आरोप में स्पष्टता का अभाव था तथा कोई निश्चित तिथि भी निर्दिष्ट नहीं की गई। ट्रैप उपरांत की कार्यवाही के स्थान के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। स्वतंत्र साक्षी विनोद कुमार (पीडब्ल्यू–3) ने कहा कि समस्त औपचारिकताएं घटना स्थल पर न होकर मार्ग में एवं सतर्कता थाना पर पूर्ण की गईं। किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं की गई। प्रतिरक्षा साक्षी राकेश चंद्रा (डीडब्ल्यू–1) ने भी प्रतिरक्षा का समर्थन किया।

राज्य की ओर से प्रतिवाद किया गया कि रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति पूर्णतः सिद्ध है तथा लघु विरोधाभासों से अभियोजन के प्रकरण की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती।

न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने हेतु लोक सेवक द्वारा अवैध हतंजपपिबंजपवद की मांग एवं उसकी स्वीकृति का प्रमाण आवश्यक है। नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) (2023) 4 एससीसी 731 के संविधान पीठ निर्णय पर विश्वास किया गया। परिवादी (पीडब्ल्यू–5) ने अपने जिरह में स्वीकार किया कि उसने मांस अनुज्ञप्ति हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, जो अभियोजन कथा के विपरीत था। मांग के आरोप में स्पष्टता का अभाव था तथा कोई विशिष्ट तिथि निर्दिष्ट नहीं थी। ट्रैप उपरांत की कार्यवाही के स्थान के संबंध में साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास पाए गए। स्वतंत्र साक्षी पीडब्ल्यू–3 के कथन से ट्रैप की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई।

अतः न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता ने रिश्वत की मांग की अथवा उसे स्वीकार किया। परिणामस्वरूप दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त कर अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया गया तथा अपील स्वीकृत की गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम विशेष अधिकारी (विद्युत) एवं अन्य

प्रकरण संख्याः रिट-सी संख्या 11731 वर्ष 1982
निर्णय दिनांक : 11.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:134946-DB

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 7–A के अंतर्गत विशेष अधिकारी (विद्युत) द्वारा पारित पुरस्कार दिनांक 12.07.1982 को चुनौती दी गई, जिसके माध्यम से पूर्व लाइसेंसी मेसर्स आगरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को उनके उपक्रम के अधिग्रहण पर देय शुद्ध क्रय मूल्य का निर्धारण किया गया था।

न्यायालय ने धारा 7–A(2)(i), विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी एवं सातवीं अनुसूचियों तथा मूल्यह्रास संबंधी सिद्धांतों का परीक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि विशेष अधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का समुचित अनुप्रयोग किया गया है। यह प्रतिपादित किया गया कि मूल्यह्रास की गणना केवल स्व–वित्तपोषित परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य पर ही की जाएगी। स्थानीय निकायों द्वारा वहन की गई लागत अथवा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतानित कार्यों को पुस्तक मूल्य से अपवर्जित किया जाएगा तथा उन पर मूल्यह्रास का दावा नहीं किया जा सकता।

अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) हरि चंद एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड एवं अन्य

प्रकरण संख्याः रिट-बी संख्या 39710 वर्ष 2003
निर्णय दिनांक : 21.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:10421

याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्व बोर्ड के आदेश दिनांक 03.11.2000 एवं 08.05.2003 को चुनौती दी गई, जिनके द्वारा आवंटितों के द्वितीय पुनरीक्षण को स्वीकृत कर पुनर्विचार/पुनःआह्वान आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। प्रकरण के अनुसार, भूमि प्रबंधन समिति द्वारा वर्ष 1989 में 164 व्यक्तियों को ग्राम सभा की भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे उप–जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने उक्त आवंटन को अवैध पाते हुए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार नियमावली, 1952 के नियम 173(ख), 174 एवं 175 का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया। आवंटितों का प्रथम पुनरीक्षण अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया, तथापि राजस्व बोर्ड ने द्वितीय पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333(2) के अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षण वर्जित है। अपर जिलाधिकारी को आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राप्त था। आवंटन स्पष्ट रूप से अवैध थे तथा ग्रामवासियों के रूप में याचिकाकर्ताओं को ग्राम सभा की भूमि के अवैध आवंटन को चुनौती देने का अधिकार था।

अतः राजस्व बोर्ड के आदेश निरस्त कर दिए गए तथा रिट याचिका स्वीकृत की गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी

(i) सेंटर फॉर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से निदेशक कृष्ण मोहन पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ) एवं अन्य

मामला संख्याः रिट-सी संख्या 1647 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 05.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:86565

याचिकाकर्ता, जो कि दो शैक्षणिक संस्थान हैं, द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 2012 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2013–14, 2014–15 एवं 2016–17 में प्रवेशित छात्रों के संबंध में यह याचिका प्रस्तुत की गई। संस्थानों ने पात्र छात्रों को बिना शुल्क लिए प्रवेश प्रदान किया, इस आशा के साथ कि छात्रवृत्ति की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में प्रेषित की जाएगी तथा छात्र उक्त धनराशि 15 दिनों के भीतर संस्थानों को अदा करेंगे।

यद्यपि शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया था, तथापि वर्ष 2012–13 में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के कारण शेष तीन सत्रों हेतु भुगतान स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात, अपर जिलाधिकारी (रिपोर्ट दिनांक 07.05.2015) की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी (रिपोर्ट 2016–17) द्वारा की गई जांच में यह प्रतिपादित हुआ कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अनियमितता अथवा अवैध कृत्य नहीं किया गया।

समाज कल्याण निदेशक द्वारा भुगतान निर्गत करने की संस्तुति किए जाने के उपरांत भी राज्य सरकार ने दिनांक 14.06.2022 के पत्र द्वारा यह कहते हुए प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे छात्रों के खातों में हस्तांतरित की जानी है तथा प्रकरण पुराना होने के कारण संभवतः बैंक खाते सक्रिय न हों। पूर्व में दायर रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 29.05.2024 को किया गया, जिसमें उक्त आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया गया।

पुनर्विचारोपरांत राज्य द्वारा दिनांक 15.01.2025 को विवादित आदेश पारित किया गया, जिसमें यह पुनः अभिलिखित किया गया कि किसी भी छात्र द्वारा छात्रवृत्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा धनराशि के दुरुपयोग की संभावना थी।

न्यायालय ने अभिलक्षित किया कि याचिकाकर्ता संस्थानों ने तीन पूर्ण शैक्षणिक सत्रों तक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की, छात्रों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए तथा उन्हें कोई शिकायत नहीं है। छात्रवृत्ति का भुगतान न होने से केवल याचिकाकर्ता संस्थानों को आर्थिक क्षति हुई है। योजना की मंशा यह है कि अंततः धनराशि संस्थानों तक पहुँचे।

भुगतान रोके जाने का एकमात्र आधार जांच की लंबितता थी, जो याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध किसी प्रतिकूल निष्कर्ष के बिना समाप्त हो चुकी थी। बजटीय आवंटन का समाप्त हो जाना भुगतान अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं हो सकता, विशेषतः जब विलंब राज्य की ओर से हुआ हो।

दावा समय–सीमा से बाधित नहीं है, क्योंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2015 के पत्र द्वारा देयता स्वीकार की जा चुकी थी तथा वर्ष 2018 में दायर रिट याचिकाएँ समयबद्ध थीं।

न्यायालय ने डॉ. पूर्णिमा आडवाणी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2025) 7 SCC 269 के निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्देशित किया कि पोर्टल पर अपलोड विवरण के अनुसार बकाया छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जाए तथा देय तिथि से वास्तविक भुगतान तक 18ः वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी प्रदान किया जाए। समस्त रिट याचिकाएँ स्वीकार की गईं।

(ii) प्रभु नाथ यादव बनाम भारत संघ, सचिव, गृह मंत्रलय के माध्यम से बनाम - (याचिकाकर्ता)

मामला संख्याः रिट-ए संख्या 1020 वर्ष 2006
निर्णय दिनांक : 05.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:81211

याचिकाकर्ता, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में दिनांक 25.06.1987 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था, ने वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 की दक्षता अवरोध (Efficiency Bar) समिति की कार्यवाहियों को चुनौती दी, जिनमें उसे "NYF" (अभी उपयुक्त नहीं) घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उसकी दिनांक 18.01.2005 एवं 31.02.2005 की अभ्यावेदन अस्वीकृत कर दी गईं तथा उसे तीन वर्षों तक दक्षता अवरोध पार करने पर देय ₹20/– की वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित किया गया।

याचिकाकर्ता को पूर्व में दो लघु दंड प्रदान किए गए थे–

(1) दिनांक 13.12.1988 को ड्यूटी के समय के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के मध्य विवाद को देखने के उपरांत उससे इंकार करने पर, बिना समग्र प्रभाव के दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ रोकी गईं; तथा

(2) दिनांक 23.09.1991 को कार्यस्थल के बाहर विवाद में संलिप्त होने पर सात दिन के वेतन के समतुल्य अर्थदंड लगाया गया।

न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि उक्त दोनों दंड पूर्व में ही दिए जा चुके थे तथा दक्षता अवरोध के समय उनका प्रभाव समाप्त हो चुका था। इन घटनाओं से याचिकाकर्ता की आधिकारिक कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध नहीं होता। दक्षता अवरोध समिति के आदेशों में कोई कारण अंकित नहीं किया गया और केवल "NYF" लिखा गया, जो कि पूर्व में दिए गए लघु दंडों पर आधारित था।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को एक ही कृत्य के लिए द्वितीय बार दंडित नहीं किया जा सकता। दक्षता अवरोध पार करने से वंचित करने के परिणामस्वरूप वेतन एवं पेंशन में कमी आई, जो पूर्व में दिए गए लघु दंडों की अपेक्षा अत्यधिक कठोर दंड के समान है। "NYF" शब्द का प्रयोग यह इंगित करता है कि अनुपयुक्तता पूर्व वर्षों से निरंतर थी, न कि संबंधित वर्ष के सेवा अभिलेख पर आधारित।

अतएव, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 24.06.1993 को प्रकाशित दक्षता अवरोध समिति की कार्यवाही, जहाँ तक वे याचिकाकर्ता से संबंधित हैं, निरस्त की जाती हैं। प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 में दक्षता अवरोध पार करने वाला मानें, उसके अनुसार वेतन एवं पेंशन का पुनर्निर्धारण करें तथा चार माह के भीतर समस्त बकाया भुगतान सुनिश्चित कर



माननीय न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह

(i) श्री कमल अग्रवाल (प्रबंध निदेशक) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन संख्या- 9706/2025
निर्णय दिनांक : 27.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:78122

आवेदकगण श्री कमल अग्रवाल एवं सत्य प्रकाश तिवारी द्वारा सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/एफ.टी.सी. न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 9669/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2025 को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा उनकी विमुक्ति (डिस्चार्ज) आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। साथ ही, दिनांक 18.10.2025 के जमानती वारंट, दिनांक 17.02.2025 के समन आदेश तथा उक्त परिवाद से उत्पन्न समस्त कार्यवाही को भी चुनौती दी गई।

प्रतिपक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन ग्राह्य नहीं है, क्योंकि आवेदकों द्वारा पूर्व में धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 4525/2025 प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण दिनांक 28.05.2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष विमुक्ति आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया था। यह भी प्रतिपादित किया गया कि समन आदेश एवं संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देने वाला यह द्वितीय आवेदन विधि

द्वारा ग्राह्य नहीं है।

आवेदकों की ओर से प्रतिवाद किया गया कि पूर्व आवेदन विमुक्ति आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया था तथा विमुक्ति आवेदन ग्राह्यता के अभाव में निरस्त कर दिया गया, अतः परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और वर्तमान आवेदन ग्राह्य है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के उपरांत यह अभिमत व्यक्त किया कि तमे रनकपबंजं का सिद्धांत आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता तथा दं.प्र.सं. में आदेश 23 नियम 1(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के समकक्ष कोई प्रावधान नहीं है। यह भी अभिलिखित किया गया कि प्रथम आवेदन विमुक्ति आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया था तथा विमुक्ति आवेदन ग्राह्यता के अभाव में निरस्त हुआ, जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन परिलक्षित होता है। अतः धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत द्वितीय आवेदन ग्राह्य है।

(ii) नेहा सिंह राठौर उर्फ नेहा कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन, धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संख्या-687/2025
निर्णय दिनांक : 05.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:80838

आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0111/2025, थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 196(1)(क), 196(1)(ख), 197(1)(क), 197(1)(ख), 197(1)(ग), 197(1)(घ), 353(1)(ग), 353(2), 302, 152 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 69(ए) के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में अग्रिम जमानत की प्रार्थना की गई।

राज्य की ओर से यह प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि आवेदक द्वारा सत्र न्यायालय का प्रथम दृष्टया आश्रय ग्रहण किए बिना सीधे उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतः आवेदन ग्राह्य नहीं है। न्यायालय ने प्रासंगिक विधिक स्थिति पर विचार करते हुए यह अभिलिखित किया कि आवेदक संबंधित सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है।

अभियोजन के अनुसार, आवेदक द्वारा अपने सोशल मीडिया माध्यम से ऐसे आपत्तिजनक वक्तव्य एवं पोस्ट प्रसारित किए गए, जिनसे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा धर्म एवं जाति के आधार पर लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया।

आवेदक की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि प्राथमिकी एक वीडियो क्लिप पर आधारित है, आरोपित धाराएँ लागू नहीं होतीं तथा कथित अभिव्यक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत संरक्षित हैं।

राज्य की ओर से यह भी इंगित किया गया कि आवेदक पूर्व में प्राथमिकी को चुनौती दे चुका है, जिसे निरस्त किया जा चुका है, तथा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु कोई उपयुक्त आधार परिलक्षित नहीं होता। फलतः आवेदन निरस्त किया जाता है। तथापि, आवेदक विधि के अनुसार उपलब्ध अन्य वैधानिक उपायों का आश्रय ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।



माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह

(i) सी/एम, राम भरोसे मैकू लाल इंटर कॉलेज, लखनऊ, इसके प्रबंधक श्रीकांत साहू एवं अन्य के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - ए संख्या - 13771 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 12.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:83457

याचिकाकर्ता, राम भरोसे मैकू लाल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के दिनांक 06.10.2025 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 (कार्यवाहक प्रधानाचार्य) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था।

पूर्व में भी डीआईओएस द्वारा इसी प्रकार के निलंबन प्रस्तावों को दो बार अस्वीकार किया जा चुका था। रिट – ए संख्या 10304 / 2025 में इस न्यायालय ने दिनांक 15.09.2025 को पारित आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2025 के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि डीआईओएस, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16–जी(7) के अंतर्गत केवल पर्यवेक्षी अधिकार का प्रयोग करते हैं तथा उन्हें केवल प्रथमदृष्टया आरोपों के अस्तित्व की जांच करनी होती है, न कि आरोपों की सत्यता अथवा गुण–दोष का परीक्षण।

न्यायालय द्वारा डीआईओएस को दो सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था, जिसके अनुपालन में विवादित आदेश दिनांक 06.10. 2025 पारित किया गया।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि डीआईओएस ने पुनः अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर यह निष्कर्ष निकाला कि विनियम 35 के अंतर्गत कोई उपसमिति गठित नहीं की गई, कोई अनुमोदित आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, दिनांक 10.01.2025 का आरोपपत्र प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित नहीं था तथा आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय ने विचार किया कि विनियम 35 केवल जांच की अवस्था से संबंधित है, न कि निलंबन से। आरोपपत्र देना निलंबन की पूर्व शर्त नहीं है तथा डीआईओएस को आरोपों के गुण–दोष में जाए बिना केवल प्रथमदृष्टया संतोष हेतु संक्षिप्त कारण अंकित करने होते हैं।

विवादित आदेश को यांत्रिक रूप से पारित किया गया पाया गया, जो न्यायालय के पूर्व निर्देशों तथा डीपीएसएन इंटर कॉलेज, कानपुर (2018 (2) ।क्श्र 840) में प्रतिपादित विधि के प्रतिकूल था।

अतः दिनांक 06.10.2025 का आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण को पुनः डीआईओएस को प्रेषित किया जाता है ताकि दिनांक 04.01.2025 को प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रतिवादी संख्या 6 की आपत्तियों पर विचार करते हुए, विधि के अनुरूप पाँच सप्ताह के भीतर नवीन आदेश पारित किया जा सके। पक्षकारों को सहयोग करने तथा अनावश्यक स्थगन से बचने का निर्देश दिया गया।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(ii) अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के माध्यम से

मामला संख्याः रिट - ए संख्या - 14162 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 15.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:83997

याचिकाकर्ता द्वारा निगम द्वारा जारी दिनांक 08.08.2022 के आरोपपत्र को चुनौती दी गई। दिनांक 12.04.2021 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, किंतु सेवानिवृत्ति से पूर्व कोई आरोपपत्र जारी नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता ने निगम के कार्य संचालन नियमावली के नियम 709(घ) एवं 709(छ) का अवलंबन किया, जिनके अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल वित्तीय हानि की वसूली हेतु लंबित विभागीय कार्यवाही जारी रखी जा सकती है तथा सेवानिवृत्ति के बाद जांच केवल तभी अनुमन्य है जब संबंधित घटना चार वर्ष के भीतर की हो।

यह भी प्रतिपादित किया गया कि विभागीय कार्यवाही आरोपपत्र जारी होने से प्रारंभ होती है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने Union of India बनाम K.V. Jankiraman (1991) 4 SCC 109, Coal India Ltd. बनाम Saroj Kumar Mishra (2007) 9 SCC 625 तथा Coal India Ltd- बनाम Ananta Saha (2011) 5 SCC 142 में प्रतिपादित किया है।

चूंकि आरोपपत्र सेवानिवृत्ति के पश्चात तथा कथित घटना (2013) के लगभग आठ वर्ष पश्चात जारी किया गया था, अतः कार्यवाही अवैध ठहराई गई।

प्रतिवादी का तर्क था कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही दिनांक 12.04.2021 से कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए कहा कि विभागीय कार्यवाही आरोपपत्र जारी होने की तिथि से प्रारंभ होती है।

नियम 709(घ) तभी लागू होता है जब सेवानिवृत्ति के समय जांच लंबित हो, तथा नियम 709(छ) लागू नहीं होता क्योंकि घटना चार वर्ष से अधिक पुरानी थी।

अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात जारी आरोपपत्र नियमावली एवं स्थापित विधि के विरुद्ध पाया गया। दिनांक 08.08. 2022 का आरोपपत्र निरस्त किया जाता है।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

(i) सौरभ भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - ए संख्या - 14111 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 03.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:193325

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2020–21 में उप–निरीक्षक, नागरिक पुलिस (पीएसी) के पद हेतु आवेदन किया तथा चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्होंने अपने शपथपत्र में एक लंबित आपराधिक मामले (अपराध संख्या 630 वर्ष 2019) का पूर्ण खुलासा किया।

उनकी अभ्यर्थिता को पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा दिनांक 03.04.2023 के आदेश से केवल उक्त लंबित आपराधिक मामले के आधार पर निरस्त कर दिया गया।

पश्चात्, याचिकाकर्ता को दिनांक 21.04.2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, बागपत द्वारा उक्त मामले में दोषमुक्त (acquitted) कर दिया गया।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्ण प्रकटीकरण किया गया था तथा शासनादेश दिनांक 28.04.1958 के अनुसार मात्र लंबित मामला अथवा दोषसिद्धि नियुक्ति में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों का सम्यक विचार करना आवश्यक है।

Avtar Singh बनाम Union of India (2016) 8 SCC 471 तथा Umesh Chand बनाम State of U.P. (विशेष अपील संख्या 67/2023) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि दोषमुक्ति के पश्चात मामले पर पुनर्विचार अपेक्षित है।

दिनांक 03.04.2023 का आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नियुक्ति प्राधिकारी को वापस प्रेषित किया जाता है, ताकि दोषमुक्ति एवं अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करते हुए तीन माह के भीतर नवीन निर्णय लिया जा सके।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(ii) कमल कांत दुबे बनाम भारत संघ एवं अन्य

मामला संख्याः रिट - ए संख्या - 16686 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 11.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:199428

याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.03.2024 की अधिसूचना के अंतर्गत दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप–निरीक्षक पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में भाग लिया। उन्होंने पेपर–I एवं पेपर–II उत्तीर्ण किए तथा उन्हें विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण (DME) एवं पुनरीक्षण चिकित्सीय परीक्षण (RME) हेतु बुलाया गया। दोनों परीक्षणों में उन्हें गाइनेकोमैस्टिया के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा सर सुंदरलाल चिकित्सालय, बीएचयू तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से प्राप्त चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें उक्त रोग न होने का उल्लेख था।

न्यायालय ने माना कि DME एवं RME में गठित चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष विशेषज्ञ मत पर आधारित होते हैं तथा केवल अन्य चिकित्सालयों की रिपोर्ट के आधार पर रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप उचित नहीं है।

Shivansh Singh बनाम Union of India (विशेष अपील संख्या 1076/2024) तथा Naomi Neizujam Haokip बनाम Staff Selection Commission (दिल्ली उच्च न्यायालय) के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्दीधारी बलों में चिकित्सीय उपयुक्तता के मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन अत्यंत सीमित होता है।

किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि अथवा दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः रिट याचिका निरस्त की जाती है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

(i) लक्ष्मी कांत पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या- 3900/2018
निर्णय दिनांक : 17.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:186439

आवेदक, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत विक्रेता है तथा बदौसा, जनपद बांदा में "पांडे फिलिंग स्टेशन" का संचालन करता है, के प्रतिष्ठान पर दिनांक 14.06.2017 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों, माप–तौल निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं पुलिस दल द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि डिस्पेंसिंग यूनिट के नोज़ल संख्या–2 की पल्सर असेम्बली की वायर सील टूटी हुई थी।

उक्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 19.07.2017 को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 265, 266, 419 एवं 420 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तत्पश्चात दिनांक 06.09.2017 को आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 25.10.2017 के आदेश द्वारा आवेदक को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के समक्ष उपस्थित होने हेतु तलब किया गया।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 की धारा 51 तथा State of Uttar Pradesh v. Aman Mittal (2019) 19 SCC 740 में प्रतिपादित विधि के आलोक में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 265 एवं 266 लागू नहीं होती हैं। तथापि, भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 419 एवं 420 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोजन चलाने योग्य पाया गया, क्योंकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत इन धाराओं के प्रयोग पर कोई प्रतिषेध नहीं है।

अतएव, दिनांक 25.10.2017 का समन आदेश आंशिक रूप से निरस्त किया गया, इस सीमा तक कि उसमें आवेदक को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 265 एवं 266 के अंतर्गत तलब किया गया था। परिणामतः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया।

(ii) श्रीमती हीरावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या- 17331/2023
निर्णय दिनांक : 17.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:186498

आवेदकगण, जो विपक्षी संख्या–2 के सास–ससुर हैं, के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 504 एवं 506 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवादी (विपक्षी संख्या–2) का आरोप था कि दिनांक 05.05.2021 को आवेदकगण अन्य चार व्यक्तियों के साथ उसके आवास पर आए, उसे एवं उसके परिवारजनों को अशोभनीय एवं अपमानजनक शब्दों में गालियाँ दीं तथा यह धमकी दी कि यदि वह अपनी पत्नी को वापस लेने का प्रयास करेगा तो उसे प्राणघातक परिणाम भुगतने होंगे।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.01.2022 के आदेश के माध्यम से आवेदकगण को तलब किया गया। न्यायालय ने अभिलेखों का परीक्षण करते हुए यह पाया कि लगाए गए आरोप सामान्य एवं अस्पष्ट प्रकृति के हैं। आवेदकगण द्वारा जानबूझकर अपमान किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 का गठन हो सके। इसी प्रकार, किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी विशिष्ट प्रकार की आपराधिक धमकी का उल्लेख नहीं है, जिससे धारा 506 का आरोप सिद्ध हो सके।

अतिरिक्त रूप से, यह भी प्रतित हुआ कि विवाद का मूल कारण पति–पत्नी के मध्य वैवाहिक विवाद है। परिवाद में ऐसे कोई ठोस एवं विशिष्ट तथ्य नहीं हैं, जिनसे आवेदकगण के विरुद्ध किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला जा सके।अतएव, दिनांक 07.01.2022 का समन आदेश तथा परिवाद वाद संख्या–745/2021 की समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है। फलतः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

(i) जेपी अस्पताल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः वर्ष 2024 का अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या-13987
निर्णय दिनांक : 21.02.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:25614

याचिकाकर्ता जेपी अस्पताल ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति–II/विशेष न्यायमूर्ति श्री(एस.सी./एस.टी. अधिनियम) द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पारित अग्रिम जमानत आदेश के अनुच्छेद 14 में निहित निर्देश को चुनौती दी। उक्त आदेश अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1696/2024 में पारित किया गया था, जो अपराध संख्या 148/2023 से संबंधित था, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 304–ए, 420, 468 एवं 201 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था।

उक्त आदेश द्वारा विवेचना अधिकारी को अस्पताल की भूमिका की पुनः जाँच करने का निर्देश प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता अस्पताल को आरोपपत्र में दोषमुक्त कर दिया गया था तथा वह जमानत कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुनः विवेचना का निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है, क्योंकि पुनः विवेचना (Re-investigation) का आदेश केवल संवैधानिक न्यायालय, अर्थात् उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकते हैं। आगे की विवेचना (Further Investigation) का निर्देश भी मजिस्ट्रेट केवल तभी दे सकता है जब कोई विरोध याचिका प्रस्तुत की गई हो।

इस संदर्भ में विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक एवं अन्य (2013) 5 SCC 762 का अवलंबन किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आगे की विवेचना एवं पुनः विवेचना/नवीन सिरे से विवेचना के मध्य स्पष्ट भेद स्थापित किया है तथा यह प्रतिपादित किया है कि पुनः विवेचना का आदेश केवल विरलतम परिस्थितियों में ही उच्चतर न्यायालयों द्वारा, ठोस कारण अभिलेखित करने के उपरांत, पारित किया जा सकता है।

प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत प्रदान करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अंतर्गत आगे की विवेचना का निर्देश दे सकता है तथा चिकित्सा लापरवाही, अभिलेखों में हेरफेर एवं साक्ष्यों के लोप के आरोपों के दृष्टिगत उक्त निर्देश उचित था।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों एवं प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में पुनः विवेचना का निर्देश देना पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे था। सत्र न्यायालय न तो मजिस्ट्रेट की उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो केवल विरोध याचिका की स्थिति में प्रयोज्य है, और न ही वह पुनः विवेचना का निर्देश दे सकता है, जो अधिकार केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास निहित है।

अतः याचिका स्वीकार की जाती है तथा दिनांक 17.05.2024 के आदेश के अनुच्छेद 14 में निहित विवादित निर्देश निरस्त किया जाता है। उक्त निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(ii) जवाहर लाल वत्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-3981 वर्ष 2011
निर्णय दिनांक : 25.10.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:172248

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ), मेरठ द्वारा वाद संख्या 3901/2010 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 06.09.2011 को चुनौती दी गई। उक्त आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत दिनांक 07.05.2010 को प्रस्तुत अभियोजन वापसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण (विपक्षी संख्या 2 एवं 3) के विरुद्ध अभियोजन समाप्त करने की अनुमति प्रदान की थी।

घटना दिनांक 30.03.2006 की है, जब पुनरीक्षणकर्ता

संख्या 2 पर गोली चलाकर आक्रमण किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारम्भ में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, किन्तु बाद में घायलों द्वारा संजय एवं अजय बंसल को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया। विवेचना उपरांत आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके विरुद्ध विरोध याचिका प्रस्तुत की गई। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा, जहाँ से इसे पुनः विचारार्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित किया गया।

मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात अभियोजन वापसी की अनुमति प्रदान कर दी गई। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक अभियोजन अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से विचार न करते हुए राज्य सरकार के निर्देशों का मात्र अनुपालन किया तथा अभियोजन वापसी के समर्थन में लोकहित का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने अपने पर्यवेक्षी न्यायिक दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं किया और यह परीक्षण नहीं किया कि अभियोजन वापसी से लोक न्याय को बढ़ावा मिलेगा अथवा नहीं।

न्यायालय द्वारा अभिलेखों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 से संबंधित विधिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा लोकहित के समर्थन में कोई युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया तथा केवल शासकीय आदेश का अनुपालन किया गया। धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध की गंभीरता एवं अभियुक्तों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया, जो कि विचारहीन एवं यांत्रिक प्रतीत होता है।

अतः दिनांक 06.09.2011 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वाद का परीक्षण शीघ्रतापूर्वक संचालित करते हुए यथासमय उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला

(i) अमरदीप कश्यप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः स्पेशल अपील (डिफेक्टिव) संख्या 436/2024
निर्णय दिनांक : 24.10.2024
Neutral Citation No.-2024:AHC-LKO:71607-DB

अपीलकर्ता के पिता, घनश्याम कश्यप, जिला उद्योग केंद्र, गोंडा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 25.06.2012 को वे लापता हो गए। तत्पश्चात 27.06.2012 को उनके संबंध में विधिवत गुमशुदगी प्रतिवेदन दर्ज कराया गया। उनकी जन्मतिथि 08.11.1953 थी, जिसके अनुसार वे दिनांक 30.11.2013 को अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) प्राप्त कर लेते।

उनकी स्थिति के संबंध में अनिश्चितता के कारण कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया गया। सात वर्ष उपरांत, उनके परिजनों द्वारा दिनांक 16.10.2019 को दीवानी वाद प्रस्तुत कर नागरिक मृत्यु की घोषणा की प्रार्थना की गई। उक्त वाद का निस्तारण सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गोंडा द्वारा दिनांक 22.04.2022 को किया गया।

वाद के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता की माता का देहांत दिनांक 07.05.2021 को हो गया। तत्पश्चात संबंधित प्राधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जन्म एवं मृत्यु पंजीयक द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र में मृत्यु तिथि 16.10.2019 अंकित थी, अर्थात् वाद दायर करने की तिथि।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को उप आयुक्त, उद्योग, गोंडा द्वारा दिनांक 03.02.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने रिट–ए संख्या 2731/2024 प्रस्तुत की, जिसे माननीय एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा दिनांक 05.04.2024 को निरस्त कर दिया गया। यह कहा गया कि मृतक की "सेवा में रहते हुए मृत्यु" सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नागरिक मृत्यु का अनुमान सेवानिवृत्ति के पश्चात वर्ष 2019 में लगाया गया।

पुनर्विचार याचिका (डिफेक्टिव संख्या 117/2024) भी दिनांक 12.07.2024 को निरस्त कर दी गई। तत्पश्चात वर्तमान विशेष अपील प्रस्तुत की गई।

खंडपीठ ने यह प्रमुख विधिक प्रश्न निर्धारित किया कि क्या सात वर्ष से लापता व्यक्ति को उसकी गुमशुदगी की

तिथि से मृत माना जाएगा अथवा केवल सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही मृत्यु का अनुमान लगाया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराओं 107 एवं 108 तथा प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांतों के परीक्षण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा 108 के अंतर्गत मृत्यु का अनुमान केवल सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही लगाया जा सकता है, तथा मृत्यु की सटीक तिथि का कोई अनुमान नहीं लगाया जाता।

अतः मृत्यु की मान्य तिथि वही होगी जिस दिन न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया, अर्थात् 16.10.2019।

चूँकि यह सिद्ध नहीं हुआ कि कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में हुई, अतः "दया नियुक्ति नियम, 1974" के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति का दावा ग्राह्य नहीं है। अतः न्यायालय ने एकल न्यायमूर्ति श्रीके आदेशों में कोई विधिक त्रुटि न पाते हुए विशेष अपील निरस्त कर दी।

(अपील निरस्त; अनुकंपा नियुक्ति अस्वीकृति यथावत्।)

(ii) मेसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वाणिज्य कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश

वाद संख्याः सेल्स/ट्रेड टैक्स पुनरीक्षण संख्या 38/2023
निर्णय दिनांक : 02.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:10067

याचिकाकर्ता कंपनी, जो रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के निर्माण एवं विक्रय के साथ–साथ उच्च वोल्टेज विद्युत संचरण परियोजनाओं का कार्य करती है, ने वर्ष 2003 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दो पृथक अनुबंध किए।

प्रथम अनुबंध उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु तथा द्वितीय अनुबंध परिवहन, स्थापना, परीक्षण एवं चालूकरण हेतु था।

कंपनी ने राज्य के बाहर से सामग्री क्रय कर, आवश्यक निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त कर, परिवहन के दौरान स्वामित्व अंतरण किया तथा केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अंतर्गत छूट का दावा किया।

उप आयुक्त, वाणिज्य कर, लखनऊ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 31.01.2011 को मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, जिसमें उक्त छूट अस्वीकृत कर कर मांग निर्धारित की गई।

प्रथम अपील दिनांक 23.11.2013 को तथा द्वितीय अपील दिनांक 08.12.2016 को निरस्त कर दी गई। पुनर्विचार/संशोधन प्रार्थनाएं भी अस्वीकृत कर दी गईं।

न्यायालय ने पाया कि अधिकरण का आदेश कारणरहित एवं अस्पष्ट था तथा उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम 63(5) का उल्लंघन करता है, जिसमें निर्णय में बिंदुओं, निष्कर्षों एवं कारणों का उल्लेख आवश्यक है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि कारणयुक्त निर्णय देना प्राकृतिक न्याय का अनिवार्य तत्व है।

अतः दिनांक 08.12.2016 एवं 04.11.2022 के आदेश निरस्त कर दिए गए तथा प्रकरण को पुनः विचारार्थ वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

अधिकरण को निर्देशित किया गया कि वह प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से तीन माह के भीतर पुनः निर्णय करे। (पुनरीक्षण स्वीकृत; आदेश निरस्त; पुनः विचार हेतु प्रेषण।)



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रेणु अग्रवाल

(i) राम लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1142 वर्ष 2019
निर्णय दिनांक : 04.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:1036

यह पुनरीक्षण वाद, सिविल न्यायमूर्ति श्री(सीनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा परिवाद वाद संख्या 1130/2018 (पुराना संख्या 15040/2008) में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 एवं 504 के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता की विमोचन (डिस्चार्ज) प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत कर दी गई थी।

पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक 29.08.1998 से 18.08.2003 तक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, टांडा शाखा, जनपद अंबेडकर नगर में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात उसका स्थानांतरण जलालपुर शाखा में कर दिया गया, जहाँ से वह 31.07.2004 को सेवानिवृत्त हुआ। शिकायत का आधार कथित ऋण लेन–देन दिनांक 25.05.1998 को हुआ बताया गया। पुनरीक्षणकर्ता का कथन था कि उक्त तिथि को वह टांडा शाखा में नियुक्त नहीं था तथा कथित लेन–देन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

दिनांक 15.06.2009 के समन आदेश के उपरांत उसने आपराधिक विविध वाद संख्या 1940 वर्ष 2019 के माध्यम से उच्च न्यायालय का आश्रय लिया, परंतु दिनांक 25.03.2019 के आदेश द्वारा समन आदेश को यथावत रखा गया।

तत्पश्चात पुनरीक्षणकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के अंतर्गत विमोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित नहीं किए गए थे तथा पुनरीक्षणकर्ता उपस्थित नहीं हुआ अथवा उसने जमानत ग्रहण नहीं की थी। उक्त आदेश को इस पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गई।

उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 245(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किसी भी पूर्ववर्ती अवस्था में, यहाँ तक कि धारा 244 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित होने से पूर्व भी, यदि आरोप निराधार प्रतीत हों, अभियुक्त को विमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। यह अवस्था धारा 200 से धारा 204 तक की प्रक्रिया को भी समाविष्ट करती है।

न्यायालय ने निजी परिवाद के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पुलिस प्रतिवेदन आधारित मामलों से पृथक बताते हुए उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया।

उच्च न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रारंभिक आपत्ति पर विचार न करना कि पुनरीक्षणकर्ता कथित तिथि को टांडा शाखा में नियुक्त नहीं था, एक गंभीर विधिक त्रुटि है। यह तथ्य प्रकरण की मूल जड़ से संबंधित है तथा यदि सत्य सिद्ध होता है तो आरोप स्वतः निराधार हो जाते हैं।

अतएव, दिनांक 27.05.2019 का विवादित आदेश निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण को निर्देश सहित पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया कि वह इस तथ्य का परीक्षण करे कि क्या पुनरीक्षणकर्ता कथित घटना की तिथि को टांडा शाखा में कार्यरत था। यदि यह स्थापित होता है कि वह वहाँ नियुक्त नहीं था तथा उसकी कोई भूमिका नहीं थी, तो दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विमोचन आवेदन स्वीकार किया जाए। इस प्रकार पुनरीक्षण स्वीकृत किया गया।

(ii) अल्फिया अज़मिल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः रिट-सी संख्या 4717 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 20.02.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:29412

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य प्राधिकारियों को यह निर्देशित करने की प्रार्थना की गई कि वे याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता (प्रतिवादी संख्या 4) से उनके जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

याचिकाकर्ता संख्या 1 (मुस्लिम युवती, जन्म तिथि 20.01.2006) एवं याचिकाकर्ता संख्या 2 (जन्म तिथि 13.06.2001) ने अभ्यावेदन किया कि वे विगत पाँच से छह माह से सहजीवन (लिव–इन रिलेशनशिप) में रह रहे हैं तथा विधिसम्मत रूप से धर्म परिवर्तन उपरांत विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 4, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रयागराज के धूमनगंज थाना पुलिस के साथ मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 को अवैध रूप से अभिरक्षा में लेना तथा उन्हें स्थान–स्थान पर पलायन हेतु विवश करना सम्मिलित है।

राज्य की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धाराओं 8 एवं 9 के अंतर्गत धर्म परिवर्तन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, न ही पुलिस के समक्ष संरक्षण हेतु कोई प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा अवैध निरुद्धि का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, यह भी अवगत कराया गया कि संबंध प्रारंभ होने के समय याचिकाकर्ता संख्या 1 अवयस्क थी।

न्यायालय ने अभिलेखों के आधार पर पाया कि यद्यपि वर्तमान में दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं, तथापि सहजीवन संबंध प्रारंभ होने के समय याचिकाकर्ता संख्या 1 की आयु 18 वर्ष से कम थी। साथ ही, वर्ष 2021 के अधिनियम के अंतर्गत धर्म परिवर्तन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सहजीवन अथवा पति–पत्नी सदृश जीवन–यापन का कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों पर विचार करने के उपरांत न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे सहजीवन संबंध, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हों, संरक्षण के अधिकारी नहीं हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार, विवाह या विवाह–सदृश अंतर्धार्मिक संबंधों के लिए पूर्व में विधिसम्मत धर्म परिवर्तन आवश्यक है।

न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है तथा यह विधिक प्रतिबंधों अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

अतः, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी

(i) राम भरोसे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मामला संख्याः आपराधिक अपील संख्या 186 सन् 1993
निर्णय दिनांक : 06.03.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:34396-DB

यह आपराधिक अपील अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति/विशेष न्यायमूर्ति, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बदायूं द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 176/1987 में पारित दिनांक 28.01.1993 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय में अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 तथा धारा 147/148 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास सहित अन्य कारावास से दंडित किया गया था। अपील लंबित रहने के दौरान दो अपीलकर्ताओं के संबंध में अपील समाप्त हो गई तथा शेष अभियुक्तों के संबंध में विचाराधीन रही।

अभियोजन पक्ष का कथन

अभियोजन के अनुसार, सूचनाकर्ता दुर्वासा के पति बाबू सिंह दिनांक 15.04.1984 को एक समारोह में सम्मिलित होने हेतु अपने घर से निकले थे। आरोप है कि अभियुक्तगण शस्त्रों से लैस होकर उनका पीछा कर रहे थे। अगले दिन रक्तरंजित मिट्टी, एक खाली कारतूस तथा एक जलती हुई चिता प्राप्त हुई। चिता के समीप चश्मे का टूटा हुआ फ्रेम पाया गया। अभियोजन का कथन है कि बाबू सिंह की हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से उनके शव को जला दिया गया। इस संबंध में दिनांक 16.04.1984 को धारा 147, 148, 302/149 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई।

अभियोजन साक्ष्य

अभियोजन पक्ष द्वारा नौ साक्षियों का परीक्षण किया गया तथा स्थल योजना, बरामदगी पंचनामा, रक्तरंजित मिट्टी, टूटा चश्मा, राख, अस्थियाँ एवं एक खाली कारतूस आदि दस्तावेजी एवं भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। यह प्रकरण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, जिसमें अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत तथा संपत्ति संबंधी विवाद से संबंधित कथित उद्देश्य सम्मिलित था।

कई महत्वपूर्ण साक्षी, जिनमें कथित रूप से शव को जलते हुए देखने वाले भी शामिल थे, अपने पूर्व कथनों से मुकर गए। हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

बचाव पक्ष की दलीलें

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त हैं तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने स्वयं अभियुक्तों को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया, जिससे साक्ष्य नष्ट करने का आरोप सिद्ध नहीं होता।

चिता से प्राप्त अस्थियों एवं राख का मृतक से संबंध स्थापित करने हेतु कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। किसी फॉरेंसिक परीक्षण से यह सिद्ध नहीं हुआ कि रक्तरंजित मिट्टी या डंडे पर मानव रक्त था। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ तथा खाली कारतूस का किसी शस्त्र से संबंध स्थापित नहीं किया गया।

उद्देश्य के संबंध में भी यह कहा गया कि कथित संपत्ति विवाद पूर्व में ही निस्तारित हो चुका था तथा कोई लंबित विवाद नहीं था।

विधिक स्थिति

न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों के लिए स्थापित सिद्धांतों का पुनः प्रतिपादन किया, जैसा कि Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra तथा अन्य निर्णयों में प्रतिपादित है। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक परिस्थिति पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए, केवल अभियुक्त के दोष से ही संगत होनी चाहिए, निर्दोषता की प्रत्येक संभावना का निष्कासन करना चाहिए तथा साक्ष्यों की एक पूर्ण एवं अविच्छिन्न श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए।

न्यायालय का विश्लेषण

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि मृत्यु हत्या के कारण हुई थी। धारा 201 के अंतर्गत दोषमुक्ति (जिसे चुनौती नहीं दी गई) ने अभियोजन के कथन को और कमजोर कर दिया। बरामद अस्थियों एवं राख का मृतक से संबंध स्थापित करने हेतु कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

टूटे चश्मे की बरामदगी संदिग्ध पाई गई। रक्तरंजित वस्तु का रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ तथा कारतूस का अपराध से संबंध सिद्ध नहीं हुआ।

उद्देश्य के संबंध में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास पाया गया तथा यह स्पष्ट हुआ कि संपत्ति का विवाद पूर्व में समाप्त हो चुका था।

इन परिस्थितियों में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपूर्ण है।

निर्णय

न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। अतः अपील स्वीकार की गई, दिनांक 28.01.1993 का निर्णय निरस्त किया गया तथा शेष अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए गए तथा उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कल्लन एवं अन्य

मामला संख्याः सरकारी अपील संख्या 1178 सन् 2024
निर्णय दिनांक : 27.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:12161-DB

पृष्ठभूमि

राज्य द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 952/2018 में अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 9, मुरादाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.03.2024 के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति हेतु आवेदन सहित यह सरकारी अपील प्रस्तुत की गई। उक्त निर्णय में अभियुक्तगण–कल्लन, हनीफ, शाहिद एवं वहीद–को धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 506 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन का कथन

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 12.06.2018 को लगभग 1:30 बजे अभियुक्तगण ग्राम सोनकपुर, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद मुरादाबाद स्थित गुलफाम के घर की छत पर पहुंचे तथा उसका गला काटकर हत्या कर दी। यह कथित रूप से उस घटना का प्रतिशोध था जिसमें चार वर्ष पूर्व सलमान द्वारा कल्लन की पुत्री सन्नो को भगा ले जाकर विवाह किया गया था।

जांच एवं परीक्षण

जांच के दौरान स्थल योजना तैयार की गई, टॉर्च बरामद की गई, रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी एकत्रित की गई तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गर्दन पर पूर्व–मृत्युकालीन चोट के कारण मृत्यु की पुष्टि हुई। अभियोजन द्वारा 13 साक्षियों का परीक्षण किया गया।

उच्च न्यायालय का विश्लेषण

खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। कथित उद्देश्य अत्यंत दुर्बल पाया गया, क्योंकि कथित घटना के पश्चात चार वर्षों तक कोई विवाद नहीं हुआ था।

मुख्य साक्षी श्रीमती शबनम (मृतक की पत्नी) अपने पूर्व कथन से मुकर गईं तथा उन्होंने अभियुक्तों की पहचान से इंकार किया। अन्य साक्षियों के कथनों में भी गंभीर विरोधाभास पाए गए।

विधिक सिद्धांत

न्यायालय ने Chandrappa v. State of Karnataka सहित विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए यह कहा कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप सीमित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

निष्कर्ष एवं आदेश

न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत एवं तर्कसंगत है। अतः अपील करने की अनुमति अस्वीकृत की गई तथा सरकारी अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्रा

(i) नितिन एवं तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्याः आर्टिकल 227 संख्या-1718/2023 के अंतर्गत
निर्णय दिनांक : 16.11.2023
Neutral Citation No. - 2023:AHC:218000

याचिकाकर्तागण (शिकायतकर्ता के सास–ससुर, देवर एवं ननद) द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर के समक्ष लंबित परिवाद वाद संख्या 839/2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दिनांक 15.09.2018 को पारित समन आदेश को चुनौती दी गई। साथ ही, अपर सत्र न्यायमूर्ति/त्वरित न्यायालय, बिजनौर द्वारा पारित दिनांक 05.09.2018 के पुनरीक्षण आदेश (जिसकी पुष्टि दिनांक 04.02.2023 को की गई) को भी चुनौती दी गई।

परिवाद में दहेज उत्पीड़न, अतिरिक्त दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता तथा दिनांक 26.06.2016 को शिकायतकर्ता को उसके ससुराल से निष्कासित किए जाने के पश्चात भी स्त्रीधन को अपने पास रखने के आरोप लगाए गए थे।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि उक्त परिवाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दिनांक 15.03.2017 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (अपराध संख्या 52/2017, धारा 452, 323, 506 भा.दं.सं.), जिसमें वह सूचक था एवं स्वयं घायल हुआ था, का प्रत्युत्तर स्वरूप (काउंटर–ब्लास्ट) है। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं दिनांक 19.03.2017 को दर्ज कराई गई अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (अपराध संख्या 142/2017, धारा 147, 354–बी, 427, 498–ए भा.दं.सं. तथा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम) भी उसी का प्रत्युत्तर स्वरूप थी, जिसमें अधिकांशतः समान आरोप लगाए गए थे।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज उक्त एफ.आई.आर. को याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 33834/2018 द्वारा चुनौती दी थी, जिसमें बाध्यकारी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए वाद को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया गया, किन्तु मध्यस्थता विफल रही।

यह भी अभिलेखित हुआ कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत एक समानांतर परिवाद दिल्ली न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे अभियोजन साक्ष्य के अभाव में पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि उक्त परिवाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए दायर किया गया है, जो पूर्व में दर्ज एफ.आई.आर. में सम्मिलित थे। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 से पृथक सिद्ध करने हेतु कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः, पूर्व में दर्ज एफ.आई.आर. में समाहित लगभग समान आरोपों के आधार पर नवीन परिवाद प्रस्तुत किया जाना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। फलतः, समन आदेश एवं उसके पुष्टि करने वाले पुनरीक्षण आदेश को निरस्त कर दिया गया।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि उक्त निष्कर्षों का प्रभाव अपराध संख्या 142/2017 से संबंधित कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अतः, आर्टिकल 227 के अंतर्गत याचिका स्वीकृत की गई।

(ii) काली शंकर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या-853/1983
निर्णय दिनांक : 10.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:198069-DB

अपीलार्थियों (कुल 11) द्वारा अष्टम अपर सत्र न्यायमूर्ति, कानपुर द्वारा दिनांक 31.03.1983 को सत्र परीक्षण संख्या 53/1980 एवं 480/1980 (अपराध संख्या 321–ए/1979, थाना शिवली, जनपद कानपुर) में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को चुनौती दी गई।

अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 तथा धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं धारा 147 के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास दिया गया, दोनों सजाएं साथ–साथ चलने के लिए निर्देशित की गईं।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 09.12.1979 को सायं लगभग 4:00 बजे ग्राम मवैया में पूर्व वैमनस्य के कारण अपीलार्थियों एवं अन्य सह–अभियुक्तों ने लाठी, बल्लम, कांटा, चाकू, बांका एवं देशी पिस्तौल से लैस होकर ग्राम प्रधान कृपा शंकर एवं उनके पुत्र वासुदेव को देवी जी के चबूतरे के निकट घेर लिया। उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से गाली–गलौज एवं मारपीट की गई तथा उन्हें उठाकर शिव कुमार शुक्ला के घर के भीतर ले जाकर पुनः प्रहार किए गए, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

गिरधर के प्रत्यक्षदर्शी बयान के आधार पर शिव कुमार तिवारी (मृतक कृपा शंकर के भाई) द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष ने सूचक, दो प्रत्यक्षदर्शी, पोस्टमार्टम करने वाले दो चिकित्सक तथा विवेचक सहित कुल आठ साक्षियों का परीक्षण किया।

पोस्टमार्टम प्रतिवेदन से यह सिद्ध हुआ कि मृतकों के शरीर पर प्रयुक्त हथियारों से मेल खाते अनेक पूर्वमृत्यु (एंटे–मॉर्टम) घाव, कटे एवं कुंद आघात के चिह्न विद्यमान थे। घटनास्थल से रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी बरामद की गई।

बचाव पक्ष का कथन था कि मृत्युएं क्रॉस–फायरिंग में हुईं, जब परिवादी पक्ष द्वारा पहले गोली चलाई गई और अपीलार्थियों ने आत्मरक्षा में प्रत्युत्तर दिया। बचाव पक्ष ने दो चिकित्सकों एवं एक प्रत्यक्षदर्शी सहित चार साक्षियों का परीक्षण किया।

संपूर्ण मौखिक, चिकित्सीय एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक् मूल्यांकन के उपरांत, विचारण न्यायालय ने 11 अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया तथा 9 अन्य को दोषमुक्त कर दिया।

अपील के लंबित रहने के दौरान, चार अपीलार्थियों (काली शंकर, शिव कुमार शुक्ला, देव नारायण एवं शिव नारायण) की मृत्यु हो जाने से उनके विरुद्ध अपील समाप्त हो गई।

विभागीय पीठ द्वारा शेष अपीलार्थियों के अधिवक्ता एवं अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने तथा समस्त अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।

फलतः, अपील निरस्त की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् बनाए रखा जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती ज्योत्सना शर्मा

(i) राजेश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या 5637 वर्ष 2006
निर्णय दिनांक : 13.05.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:85195

पृष्ठभूमि

उक्त रिट याचिका में उप जिलाधिकारी (SDM) द्वारा दिनांक 03.01.2006 को पारित आदेश तथा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2006 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिनके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही समाप्त कर दी गई तथा विवादित संपत्ति पूर्णतः प्रतिवादी संख्या 4 तेजबली के पक्ष में छोड़ दी गई।

विवाद की उत्पत्ति वर्ष 1972 में हुई, जब याची के

पितामह स्वर्गीय परमानंद ने अपने पुत्र तेजबली के विरुद्ध कृषि भूमि के संबंध में धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की। प्रारम्भिक रूप से कुर्की (अटैचमेंट) का आदेश पारित किया गया तथा प्रकरण को धारा 146 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय को संदर्भित किया गया। दीवानी न्यायालय ने दिनांक 03.05.1974 के आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि विवाद से पूर्व परमानंद का कब्जा था।

तेजबली द्वारा उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, किन्तु वाद लंबित रहते हुए वर्ष 1978 में परमानंद का देहांत हो गया। अंततः वर्ष 1996 में उक्त रिट याचिका निष्प्रभावी मानते हुए निरस्त कर दी गई तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

पश्चातवर्ती कार्यवाही

पूर्व रिट याचिका निरस्त होने के पश्चात तेजबली ने SDM के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संपत्ति अपने पक्ष में दिलाने की प्रार्थना की। वर्तमान याची राजेश्वर सिंह, जो दयाराम (परमानंद के अन्य पुत्र) का पुत्र है, ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि परमानंद की मृत्यु के उपरांत संपत्ति दोनों पुत्रों में विभाजित हुई तथा वह अपने पिता के अंश का अधिकारी है।

अंततः SDM द्वारा संपूर्ण संपत्ति तेजबली के पक्ष में छोड़ते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी गई। याची द्वारा दायर पुनरीक्षण भी निरस्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई।

निर्धारण हेतु मुद्दे

न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि–

- क्या मजिस्ट्रेट ने धारा 145(7) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सभी विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किए बिना संपूर्ण संपत्ति तेजबली के पक्ष में देकर त्रुटि की?
- क्या उत्तराधिकार संबंधी वादों के दीवानी/राजस्व न्यायालयों में लंबित होने के कारण निवारक कार्यवाही समाप्त करना उचित था?

पक्षकारों की दलीलें

याची की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा 145(7) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं।

यह भी कहा गया कि केवल इस आधार पर कि दीवानी/राजस्व न्यायालयों में उत्तराधिकार का विवाद लंबित है, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही समाप्त करना विधिसम्मत नहीं है।

प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि याची मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, अतः उसे वाद दायर करने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) प्राप्त नहीं है तथा लंबित दीवानी विवादों के कारण धारा 145 की कार्यवाही ग्राह्य नहीं थी।

न्यायालय का विश्लेषण

उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 145 एवं 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही का उद्देश्य शांति भंग को रोकना है, न कि स्वामित्व अथवा उत्तराधिकार का निर्णय करना।

न्यायालय ने "विधिक वारिस" एवं "विधिक प्रतिनिधि" के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को धारा 145(7) का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मृतक का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह पाया कि केवल परमानंद की मृत्यु के आधार पर संपूर्ण संपत्ति तेजबली के पक्ष में देना विधिसंगत नहीं था। मजिस्ट्रेट को यह विचार करना चाहिए था कि दोनों पुत्रों के संभावित अधिकार हैं तथा प्रतिस्थापन के बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता।

निर्णय

उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.01.2006 एवं 06.03.2006 के आदेशों को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनः विचारार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि–

- धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जाए,
- धारा 145(7) के अनुसार विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया जाए,
- शांति भंग की संभावना के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाए।

यदि शांति भंग की आशंका न हो तो विधि के अनुसार कब्जा प्रदान किया जाए।

याचिका का निस्तारण उपर्युक्त निर्देशों के साथ किया गया।

(ii) अनुपम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 794 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 17.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:4717

पृष्ठभूमि

यह पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, फास्ट ट्रैक कोर्ट–II, अंबेडकर नगर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जो सत्र परीक्षण संख्या 102/2012 (राज्य बनाम अनुपम सिंह) में पारित हुआ था।

उक्त आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बचाव पक्ष के साक्ष्य के रूप में पाँच व्यक्तियों से जिरह करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।

मुख्य तथ्य

अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोग चल रहा था। विचारण के दौरान अभियुक्त ने दिनांक 02.06.2018 को धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पाँच जांच गवाहों में से एक को न्यायालय साक्षी के रूप में बुलाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन दिनांक 27.06.2018 को निरस्त कर दिया गया।

इसके पश्चात धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के बाद अभियुक्त ने धारा 233 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनः आवेदन प्रस्तुत कर उन्हीं पाँच व्यक्तियों को बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाने की प्रार्थना की, जिसे दिनांक 03.08.2018 को अस्वीकार कर दिया गया।

मुख्य मुद्दा

क्या विचारण न्यायालय द्वारा धारा 233(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बचाव पक्ष के साक्षियों को बुलाने से इंकार करना विधिसम्मत था?

पक्षकारों की दलीलें

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि–

- धारा 311 न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति से संबंधित है,
- जबकि धारा 233 अभियुक्त को बचाव प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।

अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देना निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन है।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पूर्व आवेदन निरस्त हो चुका था तथा गवाहों ने पक्ष परिवर्तन किया है।

न्यायालय का विश्लेषण

न्यायालय ने धारा 311 एवं धारा 233 के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि–

- धारा 311 न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है,
- जबकि धारा 233 अभियुक्त का वैधानिक अधिकार है।

धारा 233(3) के अनुसार न्यायालय को बचाव पक्ष के साक्षियों को बुलाने हेतु समन जारी करना अनिवार्य है, जब तक कि यह अभिलेखित न कर लिया जाए कि आवेदन केवल उत्पीड़न, विलंब अथवा न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए किया गया है।

न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय ने धारा 233 के प्रावधानों को गलत ढंग से समझा तथा ऐसा कोई निष्कर्ष अभिलेखित नहीं किया कि आवेदन दुर्भावनापूर्ण था।

निर्णय

उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.08.2018 का आदेश निरस्त कर दिया तथा पुनरीक्षणकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वह एक सप्ताह के भीतर पाँच में से किसी दो गवाहों का चयन कर उन्हें बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत करे।

विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वह समन जारी कर विधि के अनुसार कार्यवाही संपन्न करे तथा वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास करे।

पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण उपर्युक्त निर्देशों के साथ किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन

(i) शिशिर गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 45380 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 05.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:2802

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

आवेदक, जो ओराई में "एस.के. एंटरप्राइजेज" नामक प्रतिष्ठान का संचालन करने वाला एक ठेकेदार है, के विरुद्ध विपक्षी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)/6 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया। शिकायत में वर्णित है कि वर्ष 2015 में शिकायतकर्ता ने आवेदक के कार्यालय में ₹5,000/– प्रतिमाह के वेतन पर लिपिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। लगभग 15–20 दिनों पश्चात उसे रात्रि 9:00 बजे कार्यालय में बुलाया गया, जहाँ उसे नशीला पदार्थ मिश्रित कॉफी पिलाई गई, जिससे वह अचेत हो गई, तथा आवेदक एवं सह–अभियुक्त सरदार अजीत सिंह द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। यह भी आरोपित है कि अभियुक्तों ने अश्लील वीडियो बनाकर वर्ष 2015 से 2020 तक उसे धमकाया एवं बार–बार दुष्कर्म किया।

सितंबर 2023 में पुनः उसे बुलाया गया, अश्लील चित्र/वीडियो दिखाए गए तथा एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहाँ सह–अभियुक्त उपस्थित था। शिकायत दिनांक 30.09.2023 को दर्ज की गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं 202 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के उपरांत, अपर जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति/विशेष न्यायमूर्ति श्री(पॉक्सो), जालौन द्वारा दिनांक 10.11.2023 को आवेदक एवं सह–अभियुक्त को समन जारी किया गया। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उच्च न्यायालय का तर्कः

न्यायालय ने पाया कि समन आदेश पूर्णतः विधि–विरुद्ध था। आठ वर्षों तक कथित घटनाओं के बावजूद किसी भी घटना की तिथि, समय एवं स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। न्यायालय के निर्देश दिनांक 04.10.2023 के बावजूद शिकायतकर्ता ने आंतरिक/बाह्य चिकित्सीय परीक्षण से इंकार किया तथा दिनांक 12.09.2023 की चिकित्सीय रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। अभियोजन पक्ष के गवाह केवल श्रुतलेख (hearsay) थे, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आरोपों की पुष्टि नहीं की।

आवेदक का निवास गाजियाबाद में है, जो मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तथापि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(1) के अंतर्गत अनिवार्य जांच नहीं की गई। प्राथमिकी दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब (2015 से 2023) तथा शिकायतकर्ता की दीर्घकालिक चुप्पी ने कथानक को संदिग्ध बना दिया। न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि संपूर्ण कार्यवाही आवेदक को उत्पीड़ित करने हेतु दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। शिकायत वाद संख्या 0009/2023 में दिनांक 10.11.2023 को पारित समन आदेश, आवेदक शिशिर गुप्ता के संबंध में निरस्त किया जाता है। सह–अभियुक्त सरदार अजीत सिंह के विरुद्ध समन आदेश यथावत रहेगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(आवेदन आंशिक रूप से स्वीकृत; आवेदक के विरुद्ध समन आदेश निरस्त।)

(ii) भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट संख्या 255 एवं 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं 3 अन्य

प्रकरण संख्याः मूल वाद (OSUT) संख्या 1 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 01.08.2024

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

वादकारियों, जिनमें भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट तथा अन्य भक्त एवं ट्रस्ट सम्मिलित हैं, द्वारा मथुरा स्थित कटरा केशव देव क्षेत्र

की लगभग 13.37 एकड़ भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किए गए। उक्त भूमि को भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने का दावा किया गया है। वादकारियों का कथन है कि यह संपत्ति प्राचीन काल से भगवान की है तथा वहाँ एक विशाल मंदिर विद्यमान था, जिसे सन् 1669–70 में मुगल शासक औरंगज़ेब द्वारा आंशिक रूप से ध्वस्त कर ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया।

विभिन्न न्यायिक निर्णयों, जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्ष 1935 का निर्णय (द्वितीय अपील संख्या 691/1932) सम्मिलित है, के माध्यम से स्वामित्व की पुष्टि की गई तथा उक्त भूमि को सन् 1951 में स्थापित श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित किया गया। वादकारियों ने सन् 1968 में हुए समझौते (वाद संख्या 43/1967) को कपटपूर्ण, शून्य तथा देवता पर बाध्यकारी न मानते हुए चुनौती दी है, क्योंकि संबंधित संस्था के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। वादकारियों द्वारा स्वामित्व की घोषणा, अतिक्रमण हटाकर कब्जा प्रदान करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई है।

प्रतिवादियों का पक्ष एवं आवेदनः

प्रतिवादियों, जिनमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति सम्मिलित हैं, द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (घ) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर वादों को निरस्त करने का निवेदन किया गया। यह तर्क दिया गया कि वाद सीमाबद्धता, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 तथा पूर्ववर्ती निर्णयों के कारण बाधित हैं।

उच्च न्यायालय का तर्कः

न्यायालय ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने तथा अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों का परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि वादों में स्पष्ट रूप से वाद कारण विद्यमान है तथा आदेश VII नियम 11 के स्तर पर कोई वैधानिक बाधा लागू नहीं होती। देवता की संपत्ति के संबंध में सीमाबद्धता लागू नहीं होती तथा वादकारण सतत है। सन् 1968 का समझौता एवं 1973 का आदेश वादकारियों पर बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि वे संबंधित कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे।

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 भी इस वाद पर लागू नहीं होता, क्योंकि वादकारियों का दावा है कि भूमि का धार्मिक स्वरूप सदैव मंदिर का रहा है। साथ ही, संपत्ति को वक्फ के रूप में अधिसूचित या पंजीकृत नहीं किया गया है, अतः वक्फ अधिनियम भी लागू नहीं होता।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः

सभी संयुक्त वादों में प्रतिवादियों द्वारा आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाते हैं। वादों को विचारणीय (maintainable) घोषित करते हुए गुण–दोष के आधार पर परीक्षण हेतु अग्रसारित किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव शंकर प्रसाद

(i) हरि शंकर राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या 128 सन् 1983
निर्णय दिनांक : 17.05.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:89140-DB

पृष्ठभूमि :

यह वाद अभियुक्त हरि शंकर राय द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील से उत्पन्न हुआ, जिसमें सत्र न्यायमूर्ति, देवरिया द्वारा दिनांक 19 जनवरी 1983 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई थी। यह प्रकरण सह–अभियुक्त महेन्द्र राय के बरी किए जाने के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर अपील से भी संबंधित था। दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई थीं, अतः उच्च न्यायालय द्वारा उनका एक साथ विचारण किया गया।

अभियोजन प्रकरण का प्रारम्भ दिनांक 13 दिसम्बर 1979 को सूचक शिवजी द्वारा थाना तरया सुजान, जनपद देवरिया में दी गई लिखित सूचना से हुआ। आरोप यह था कि मृतक कृष्ण कुमार, जो सूचक का भाई था, लोकमान्य इंटर कॉलेज का छात्र था, जहाँ अभियुक्त हरि शंकर राय भी अध्ययनरत था। दोनों के मध्य पूर्व में विवाद हो चुका था। घटना के दिन अभियुक्त ने कथित रूप से कृष्ण कुमार पर चाकू से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे चिकित्सालय ले जाया गया, परन्तु चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की गई। आवश्यक अभिलेख तैयार किए गए तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मृत्यु चोटों के कारण हुई। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपपत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

सत्र न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सूचक, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, विवेचक एवं चिकित्सक सहित विभिन्न साक्षियों का परीक्षण कराया गया।

साक्ष्यों के मूल्यांकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि महेन्द्र राय की संलिप्तता संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सकी, अतः उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

किन्तु अभियुक्त हरि शंकर राय के संबंध में न्यायालय ने यह माना कि उसने मृतक को घातक चोट पहुँचाई थी। तथापि न्यायालय ने इसे हत्या न मानते हुए भा.दं.सं. की धारा 304 भाग–I के अंतर्गत दोषसिद्ध कर चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अभियुक्त ने अपील प्रस्तुत की, जबकि राज्य द्वारा सह–अभियुक्त के बरी किए जाने तथा अभियुक्त की दायित्व–वृद्धि हेतु अपील दायर की गई।

उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न

उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि–

1. क्या सह–अभियुक्त महेन्द्र राय को बरी किया जाना विधिसंगत था?
2. क्या अभियुक्त हरि शंकर राय को धारा 304 भाग–I के अंतर्गत दोषसिद्ध करना उचित था, अथवा यह अपराध धारा 302 के अंतर्गत हत्या की श्रेणी में आता है?

न्यायालय का विश्लेषण

अदालत ने समस्त साक्ष्यों–प्रत्यक्षदर्शी गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य तथ्यों–का पुनर्मूल्यांकन किया। चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि मृत्यु चाकू से लगी चोट के कारण हुई और यह हत्या थी।

महेन्द्र राय के संबंध में अभियोजन साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए। उनके विरुद्ध कार्यवाही, विचारण के दौरान उनके निधन के कारण समाप्त हो चुकी थी, अतः इस विषय पर आगे विचार आवश्यक नहीं समझा गया।

अभियुक्त हरि शंकर राय के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य सुसंगत एवं विश्वसनीय पाए गए। चोट का स्वरूप, प्रयुक्त हथियार तथा परिस्थितियाँ यह सिद्ध करती हैं कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने या ऐसी चोट पहुँचाने का था जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारित कर सके।

अतः न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय द्वारा अपराध को धारा 304 भाग–I में परिवर्तित करना त्रुटिपूर्ण था तथा यह कृत्य भा.दं.सं. की धारा 300 के अंतर्गत हत्या की परिभाषा में पूर्णतः समाहित है।

निर्णय

उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की अपील निरस्त कर दी तथा राज्य की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। विचारण न्यायालय के निर्णय में संशोधन करते हुए अभियुक्त को धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त दंड का भी प्रावधान किया गया।

(ii) श्रीमती शकुंतला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः रिट-सी संख्या 30866 सन् 2011
निर्णय दिनांक : 06.12.2023
Neutral Citation No. - 2023:AHC:231163-DB

श्रीमती शकुंतला देवी द्वारा यह रिट याचिका अपने पति डॉ. रवीन्द्र मोहन प्रसाद की आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹6 करोड़ के प्रतिकर की मांग हेतु प्रस्तुत की गई। डॉ. प्रसाद मिर्जापुर मंडल में पशुपालन विभाग में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे।

दिनांक 17.07.2010 को प्रातः लगभग 5:40 बजे, जब वे अपने शासकीय आवास में विश्राम कर रहे थे, समीप स्थित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के भंडारण स्थल पर विस्फोट हुआ, जिससे पिघला हुआ बिटुमेन आवास में प्रवेश कर गया और वे लगभग 70ः तक झुलस गए। उन्हें लखनऊ स्थित SIPS सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दिनांक 27.07.2010 को उनकी मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के

विरुद्ध भा.दं.सं. की धाराएँ 337/338 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया गया।

न्यायालय ने पाया कि यह घटना पूर्णतः तमे पचें सवुनपजनत सिद्धांत के अंतर्गत आती है तथा राज्य के अधिकारियों की स्पष्ट लापरवाही का परिणाम है। खतरनाक पदार्थ का असुरक्षित भंडारण घोर उपेक्षा का द्योतक है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य इस प्रकार के दायित्व से वअमतमपहद पउउनदपजल का दावा नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अनुसरण करते हुए राज्य की दायित्वपूर्ण लापरवाही सिद्ध मानी गई।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुग्रह अनुदान अस्वीकार करने के तर्क को न्यायालय ने अस्वीकार्य बताया। यह भी स्पष्ट किया गया कि सेवा–लाभ, प्रतिकर (जवतज बवउचमदेंजपवद) का विकल्प नहीं हो सकते।

मृतक की आयु (52 वर्ष), मासिक वेतन (₹46,100) तथा आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बहुगुणक पद्धति के आधार पर ₹50,00,000 का प्रतिकर निर्धारित किया गया। राज्य को तीन माह के भीतर उक्त राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया गया।

निर्णय

रिट याचिका स्वीकार की गई। राज्य की प्रतिकर संबंधी दायित्वता स्थापित की गई तथा याची को प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया गया। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र कुमार

(i) श्रीमती कीर्ति एवं डॉ. कालिन्द पाराशर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 20183 वर्ष 2013
निर्णय दिनांक : 28.10.2023
Neutral Citation No. - 2023:AHC:240717

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत ये दोनों संबद्ध आवेदन, आवेदिका श्रीमती कीर्ति (ननद) तथा आवेदक डॉ. कालिन्द पाराशर (पति) द्वारा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– VIII, गाजियाबाद के समक्ष लंबित वाद संख्या 1643/2012 में प्रचलित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दायर किए गए थे। उक्त वाद, अपराध संख्या 02/2012 से उत्पन्न हुआ था, जो भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 498–ए, 323, 504, 506, 406 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धाराएँ 3/4 के अंतर्गत महिला थाना, गाजियाबाद में पंजीकृत था।

डॉ. कालिन्द पाराशर एवं विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) का विवाह दिनांक 14.02.2009 को हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित डेस्टिनेशन रिज़ॉर्ट में हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ। विवाह के उपरान्त 24.02.2009 को दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहाँ पति न्यूयॉर्क स्थित मेमोरियल स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन में पोस्ट–डॉक्टरेट फेलो के रूप में कार्यरत थे। 02.02.2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पुत्र का जन्म हुआ। वैवाहिक मतभेदों के कारण पति ने दिनांक 09.02.2012 को ओकलैंड काउंटी सर्किट कोर्ट, फैमिली डिवीजन, मिशिगन में तलाक हेतु याचिका दायर की। 10.02.2012 को एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा पक्षकारों को न्यायालय की अनुमति के बिना नाबालिग शिशु का निवास स्थान परिवर्तित करने से प्रतिबंधित किया गया।

दिनांक 23.03.2012 को पत्नी द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप प्राथमिकी दर्ज हुई। इससे पूर्व, उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को भी प्रार्थना–पत्र दिया था, जिस पर प्रारंभिक जांच के उपरान्त थाना प्रभारी द्वारा आरोपों को असत्य पाया गया। पत्नी द्वारा दिल्ली के महानगर दण्डाधिकारी के समक्ष 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के अंतर्गत एक याचिका भी प्रस्तुत की गई थी, जो लंबित थी। 26.04.2012 को अमेरिकी न्यायालय द्वारा नाबालिग शिशु (अमेरिकी नागरिक) को बिना अनुमति भारत लाकर अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के कारण पत्नी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया। 26.05.2012 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया तथा 29.05.2012 को अमेरिकी न्यायालय द्वारा तलाक का आदेश पारित किया गया।

उच्च न्यायालय का विचारः

न्यायालय ने पाया कि पत्नी संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पूर्व केवल लगभग दस दिनों तक ही भारत में अपने ससुराल पक्ष के साथ रही थी। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप सामान्य, अस्पष्ट एवं सामूहिक प्रकृति के थे, जिनमें क्रूरता अथवा दहेज मांग का कोई विशिष्ट विवरण नहीं था। प्राथमिकी दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ, जो बिना किसी युक्तिसंगत कारण के था। प्राथमिकी उस समय दर्ज कराई गई जब पति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक की कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी तथा अंतरिम अभिरक्षा आदेश प्राप्त कर लिए थे, जिन्हें पत्नी ने शिशु को भारत लाकर उल्लंघित किया। पूर्व में की गई पुलिस जांच में भी आरोप असत्य पाए गए थे।

न्यायालय ने विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह मामला भजन लाल प्रकरण में निर्धारित श्रेणियों (1) एवं (5) के अंतर्गत आता है तथा इस प्रकार की कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः

धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत दोनों आवेदन स्वीकार किए गए। आवेदकों श्रीमती कीर्ति एवं डॉ. कालिन्द पाराशर के विरुद्ध वाद संख्या 1643/2012 से संबंधित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अपराध संख्या 02/2012 से उत्पन्न हुई थी, निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति तत्काल संबंधित न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) राजीव अग्रवाल एवं रंजन मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 38502 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 11.05.2023
Neutral Citation No.-2023:AHC:173055

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत ये दोनों संबद्ध आवेदन, आवेदक राजीव अग्रवाल एवं रंजन मित्तल द्वारा विशेष न्यायमूर्ति श्री(गैंगस्टर अधिनियम)/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, मुजफ्फरनगर के समक्ष लंबित विशेष वाद संख्या 113/2018 की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दायर किए गए थे। उक्त वाद, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धाराएँ 2/3 के अंतर्गत अपराध संख्या 125/2018 से संबंधित है, जिसमें दिनांक 03.09.2018 का आरोपपत्र एवं 26.09.2018 का संज्ञान आदेश सम्मिलित है।

गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दिनांक 30.01.2018 को मात्र एक पूर्ववर्ती वादकृअपराध संख्या 1063/2015, धाराएँ 420, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता–के आधार पर पंजीकृत की गई थी। उक्त वाद वर्ष 2003 की दो विक्रय विलेखों में कथित जालसाजी एवं धोखाधड़ी से संबंधित था, जो एक सिविल संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ था। आवेदकों को उक्त वाद में अन्य व्यक्तियों के साथ नामित किया गया था, किन्तु वे न तो विक्रेता थे और न ही क्रेता। गैंग–चार्ट में उनके विरुद्ध केवल यही एक आधार वाद दर्शाया गया था तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बिना पर्याप्त सामग्री के अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

उच्च न्यायालय का विचारः

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत "गैंग" की परिभाषा हेतु ऐसे व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होती है, जो संगठित रूप से हिंसा, भय, धमकी अथवा अन्य असामाजिक कृत्यों द्वारा लोक–व्यवस्था को बाधित करने अथवा अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य करते हों। मात्र सिविल विवाद से उत्पन्न कथित धोखाधड़ी का अपराध, बिना किसी हिंसा या लोक–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के, गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी पाया कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था तथा गैंग–चार्ट की तैयारी एवं अनुमोदन में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का गंभीर उल्लंघन हुआ है। अन्वेषण अधिकारी ने भी अपने अभिलेख में यह उल्लेख किया कि आवेदकों के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष एवं अंतिम आदेशः

धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत दोनों आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। विशेष वाद संख्या 113/2018 की संपूर्ण कार्यवाही, दिनांक 03.09.2018 का आरोपपत्र तथा 26.09.2018 का संज्ञान आदेश निरस्त किए जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह-I

(i) उमर उर्फ़ मोहम्मद उमैर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 4874 सन् 2024
निर्णय दिनांक : 08.04.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:61788-DB

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अंतर्गत निर्गत दिनांक 06.03.2024 का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाए। उक्त नोटिस पूर्णतः थाना मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत अपराध संख्या 282/2023, धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता तथा तीन बीट रिपोर्टों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के आधार पर निर्गत किया गया था।

बलात्कार प्रकरण में, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2023 को याचिकाकर्ता को जमानत प्रदान की जा चुकी थी, यह दृष्टिगत रखते हुए कि पीड़िता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में याचिकाकर्ता के साथ दीर्घकालिक शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकार की थी तथा घटना को पारस्परिक सहमति से घटित बताया था। पीड़िता द्वारा याचिकाकर्ता से विवाह भी कर लिया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध इसी प्रकार का कोई अन्य आपराधिक वाद लंबित नहीं था।

खण्डपीठ ने अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत "गुंडा" की परिभाषा का परीक्षण करते हुए अभिमत व्यक्त किया कि मात्र एक प्रकरण अथवा बीट रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को गुंडा नहीं कहा जा सकता। परिभाषा के अनुसार, निर्दिष्ट अपराधों का अभ्यस्त रूप से किया जाना अथवा उनके लिए उकसाना आवश्यक है। न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों–शंकर जी शुक्ला (2005) 52 ACC 638, लालानी पांडे (2011) 1 ACrJ 207, रामजी पांडे (1981 Cri LJ 1083) तथा इदु अली (आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2895 सन् 2023)–पर भरोसा किया।

यह भी प्रतिपादित किया गया कि धारा 3(1) के अंतर्गत जारी नोटिस में "सामग्री आरोपों की सामान्य प्रकृति" का उल्लेख होना चाहिए, न कि केवल अपराध संख्या अथवा बीट रिपोर्टों की गणना। विचाराधीन नोटिस इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण नहीं करता था तथा बिना समुचित मनन के मुद्रित प्रारूप पर यांत्रिक ढंग से निर्गत किया गया था।

न्यायालय ने यह भी चिंता व्यक्त की कि आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12619 सन् 2023 में दिए गए पूर्व निर्देशों के बावजूद, जिनमें राज्य सरकार को दिनांक 31.10.2023 तक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एकरूप दिशा–निर्देश बनाने थे, ऐसे दिशा–निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, कार्यपालिका प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा है।

न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत सरकारी कार्यों के नियमित रूप से संपन्न होने की जो धारणा है, वह इस प्रकरण में दोषपूर्ण नोटिस के कारण खण्डित हो जाती है। अतः दिनांक 06.03.2024 का कारण बताओ नोटिस निरस्त कर दिया गया। रिट याचिका स्वीकार की गई तथा राज्य को निर्देशित किया गया कि वह दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को ₹1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) वाद व्यय के रूप में अदा करे।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग विधि के अनुरूप किया जाए तथा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति राज्य एवं संबंधित अपर जिलाधिकारी को प्रेषित करने तथा राज्य को दस सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(ii) सन्नो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 20 सन् 2023
निर्णय दिनांक : 08.01.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:5347

पुनरीक्षणकर्ता सन्नो, जो एक नाबालिग बालिका है (जिसने वर्ष 2022 में कक्षा आठ उत्तीर्ण की थी), ने अपने पड़ोसियों शाहनवाज़, अंसार एवं तकदीरुन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायमूर्ति श्री(पॉक्सो अधिनियम), आजमगढ़ के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। उसने आरोप लगाया कि दिनांक 01.07.2022 को लगभग 8 बजे सायं, जब वह ग्राम सरैया रतनवा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ स्थित अपने घर से सीवान की ओर जा रही थी, तब शाहनवाज़ ने उसे पकड़कर भूमि पर गिरा दिया, उसके वस्त्र उतार दिए तथा अश्लील हरकतें कीं। उसके शोर मचाने पर उसकी माता अवतारन घटनास्थल पर पहुँच गई, जिससे शाहनवाज़ भाग गया। तत्पश्चात जब उसकी माता एवं दादा वजीर ने शाहनवाज़ के अभिभावकों से शिकायत की, तब अंसार एवं तकदीरुन ने पुनः शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

विशेष न्यायमूर्ति श्रीने दिनांक 21.09.2022 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह अंसार द्वारा दिनांक 01.04.2022 को धारा 34, 323, 504, 506, 354 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता के पिता नूरुल हुदा कायम एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 125/2022 का प्रत्युत्तरात्मक प्रहार (काउंटर ब्लास्ट) प्रतीत होता है, जिसमें आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं परीक्षण लंबित है। न्यायालय ने यह भी अभिलक्षित किया कि दोनों पक्ष एक ही ग्राम के निवासी एवं परस्पर संबंधी हैं, तथा कथित घटना की संभावना संदिग्ध है।

पुनरीक्षण में, पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और मात्र प्रत्युत्तरात्मक प्रहार की संभावना के आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके समर्थन में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 SCC 1 पर निर्भरता व्यक्त की गई।

प्रतिवाद में, विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदन थाना प्रभारी से पूर्व संपर्क किए बिना 16 दिवस की विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, आयु प्रमाण हेतु प्रस्तुत अंकपत्र विधिवत प्रमाणित नहीं था, तथा निचली अदालत ने अपने विवेक का समुचित प्रयोग किया है।

उच्च न्यायालय ने रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. बनाम गुजरात राज्य (2015) 6 SCC 439 तथा रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001 Cri LJ 3363) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का परीक्षण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है। वह तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है तथा यदि आवेदन अविश्वसनीय अथवा प्रतिशोधात्मक प्रतीत हो, तो उसे अस्वीकार कर सकता है। ललिता कुमारी निर्णय के निर्देश धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस के कर्तव्यों से संबंधित हैं और मजिस्ट्रेट को प्रत्येक मामले में अनिवार्यतः जांच का आदेश देने हेतु बाध्य नहीं करते।

न्यायालय ने पाया कि चुनौतीग्रस्त आदेश विधिसम्मत है तथा उसमें किसी प्रकार की अवैधता, त्रुटि अथवा न्यायिक अनुचितता नहीं है। अतः आपराधिक पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव

(i) प्रमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आवेदन संख्या 6929 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 05.07.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:117329

पृष्ठभूमि एवं तथ्यः

दिनांक 25.10.2023 को सायं लगभग 6:30 बजे, याचिकाकर्ता प्रमित तथा एक अन्य व्यक्ति सुरेन्द्र को शामली के समीप पुलिस द्वारा एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार

(पंजीकरण संख्या HR–06AH–2718) में 12 बोतल अवैध मदिरा (जिस पर "रॉयल स्टैग व्हिस्की फॉर सेल इन हरियाणा एंड दिल्ली" अंकित था) ले जाते हुए पकड़ा गया। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, मदिरा को मौके पर ही जब्त कर लिया गया, नमूने लिए गए तथा बरामदगी एवं गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। थाना नगर, जनपद शामली में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60, 63 एवं 72 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 591/2023 पंजीकृत की गई।

याचिकाकर्ता ने वाहन का पंजीकृत स्वामी होने का दावा करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के समक्ष वाहन की अंतरिम मुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली ने दिनांक 19.12.2023 के आदेश द्वारा यह कहते हुए प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया कि आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत जब्ती की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, अतः मजिस्ट्रेट को वाहन मुक्ति पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1/2024 प्रस्तुत किया गया, जिसे जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, शामली ने दिनांक 06.04.2024 के निर्णय द्वारा निरस्त करते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की।

याचिकाकर्ता के तर्क:

याचिकाकर्ता का कथन था कि विवादित आदेश विधि–विरुद्ध हैं। भले ही धारा 72 के अंतर्गत कार्यवाही लंबित हो, तथापि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को वाहन मुक्ति का अधिकार है।

राज्य का पक्ष:

राज्य की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब धारा 72 के अंतर्गत जब्ती की कार्यवाही कलेक्टर के समक्ष लंबित हो, तब मजिस्ट्रेट को धारा 451 या 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं रहता।

न्यायालय का विचार:

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि धारा 72 के अंतर्गत कलेक्टर को विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं और जब्ती की कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है।

निष्कर्ष एवं आदेश:

उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को विधिसम्मत मानते हुए याचिका निरस्त कर दी। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(याचिका निरस्त; अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत; जब्ती कार्यवाही लंबित रहने पर मजिस्ट्रेट को वाहन मुक्त करने का अधिकार नहीं।)

(ii) ललित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

प्रकरण संख्या: आपराधिक अपील संख्या 5718 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 07.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:113049

पृष्ठभूमि एवं तथ्य:

अपीलकर्ता ललित कुमार, जो अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सदस्य एवं जनपद बलिया में अधिवक्ता हैं, ने धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विशेष न्यायमूर्ति श्री(एससी/एसटी अधिनियम), बलिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विपक्षी पक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

आरोप था कि दिनांक 01.03.2024 को न्यायालय परिसर में विपक्षियों द्वारा मारपीट की गई तथा अपीलकर्ता के विरोध करने पर जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर उस पर आक्रमण किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ।

विवादित आदेश:

विशेष न्यायमूर्ति श्रीने दिनांक 23.09.2024 को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इंकार करते हुए आवेदन को शिकायत प्रकरण के रूप में ग्रहण कर अध्याय ग्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश दिया।

अपीलकर्ता के तर्क:

अपीलकर्ता का कहना था कि आदेश मनमाना एवं अवैध है तथा संज्ञेय अपराध होने के कारण प्राथमिकी दर्ज होना अनिवार्य था।

न्यायालय का विचार:

न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 156(3) के आवेदन को शिकायत के रूप में ग्रहण करने का अधिकार मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायमूर्ति श्रीको प्राप्त

है।साथ ही, यह भी पाया गया कि मामले में ऐसी कोई जाँच अपेक्षित नहीं थी, जो केवल पुलिस द्वारा ही की जा सके। अतः विशेष न्यायमूर्ति श्रीद्वारा विवेक का समुचित प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष एवं आदेशः

अपील निरस्त की गई तथा विशेष न्यायमूर्ति श्रीद्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत ठहराया गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(अपील निरस्त; धारा 156(3) के आवेदन को शिकायत के रूप में ग्रहण करने का आदेश यथावत।)



माननीय न्यायमूर्ति श्री सैयद कमर हसन रिज़वी

(i) श्रीमती रजिया खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव स्टाम्प एवं पंजीकरण, लखनऊ एवं अन्य के माध्यम से

वाद संख्याः रिट - सी संख्या - 19818 वर्ष 2017
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:79825

याचिकाकर्त्री ने दिनांक 24.06.2013 को गाटा संख्या 2311, क्षेत्रफल 0.1745 हेक्टेयर में कृषि भूमि के रूप में आधा भाग क्रय किया तथा परिपत्र दर ₹46,00,000 प्रति हेक्टेयर के अनुसार ₹92,650 की स्टाम्प शुल्क अदा की। साथ ही, आवासीय क्षेत्र के समीप होने के कारण 150% अधिभार तथा महिला होने के कारण 4%/5% की रियायती दर का लाभ भी प्राप्त किया।

उप–पंजीयक, फतेहपुर द्वारा दिनांक 20.08.2013 को एकपक्षीय स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कथित वाणिज्यिक संभावनाओं (आरा मशीन, दुकानों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपस्थिति) का उल्लेख करते हुए संपत्ति का मूल्यांकन ₹1,06,30,000 किए जाने की संस्तुति की गई। इसके आधार पर जिलाधिकारी, बाराबंकी ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए/33 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.07.2014 को एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसमें ₹4,28,850 की स्टाम्प शुल्क की कमी, ₹1,00,000 का दंड तथा 1.5% प्रतिमाह ब्याज आरोपित किया गया।

आंशिक धनराशि (25%) जमा किए जाने पर उक्त आदेश दिनांक 17.10.2014 को निरस्त कर दिया गया तथा नवीन प्रतिवेदन प्राप्त किए गए। नायब तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत कोई भूमि परिवर्तन नहीं हुआ है तथा याचिकाकर्त्री के अंश पर कोई निर्माण भी नहीं है। तथापि, जिलाधिकारी ने दिनांक 04.02.2016 के आदेश द्वारा केवल संभावनाओं के आधार पर भूमि को वाणिज्यिक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की कमी को यथावत रखा।

धारा 56(1) के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण याचिका को उप आयुक्त, फैजाबाद मंडल द्वारा दिनांक 24.05.2017 को निरस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्त्री का तर्क था कि निरीक्षण प्रतिवेदन एकपक्षीय थे; आरा मशीन (₹2,00,000) एवं वृक्षों (₹1,20,000) का मूल्यांकन काल्पनिक था; नोटिस के पश्चात कोई पुनः स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया; राजस्व अभिलेखों में भूमि कृषि के रूप में अंकित रही; तथा केवल भावी संभावनाओं के आधार पर स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों एवं संभावनाओं के आधार पर आदेश का समर्थन किया गया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 7(3)(ग) के अनुसार पक्षकारों को समुचित सूचना प्रदान कर संपत्ति का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। एकपक्षीय निरीक्षण प्रतिवेदन धारा 47ए के अंतर्गत आदेश का आधार नहीं बन सकता। इस संदर्भ में राम गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009 (7) एडीजे 185 (एल.बी.)) तथा राम खेलावन उर्फ बच्चा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2005 (98) आरडी 511) पर भरोसा किया गया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि एक ही गाटा के समीप अस्पताल, दुकान अथवा आरा मशीन की उपस्थिति मात्र से याचिकाकर्त्री की भूमि स्वतः वाणिज्यिक नहीं हो जाती, जबकि राजस्व अभिलेखों में वह कृषि भूमि के रूप में अंकित है तथा धारा 143 के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निष्पादन की तिथि पर वास्तविक

वाणिज्यिक उपयोग के ठोस साक्ष्य के अभाव में केवल संभावित भविष्य के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

अतः न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्त्री द्वारा जमा की गई धनराशि ₹1,82,750 (₹1,32,250 + ₹50,750) को जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज सहित आठ सप्ताह के भीतर वापस करें। रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

(ii) नागेंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य के माध्यम से

वाद संख्याः स्थानांतरण आवेदन (सिविल) संख्या - 225 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 10.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:82682

आवेदक–पति ने दिनांक 16.01.2019 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत वाद संख्या 1006/2017 में प्रधान न्यायमूर्ति, पारिवारिक न्यायालय, गोंडा के समक्ष एकपक्षीय तलाक का आदेश प्राप्त किया। तत्पश्चात पत्नी ने दिनांक 29.05.2019 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आदेश निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र (विविध वाद संख्या 52/2019) प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करते हुए आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगनादेश प्रदान किया गया।

बाद में आवेदक–पति ने (i) गोंडा न्यायालय के कथित पक्षपात, (ii) पत्नी से जीवन को खतरा, तथा (iii) पक्षकारों की सुविधा के आधार पर उक्त कार्यवाही को लखनऊ स्थानांतरित किए जाने का निवेदन किया, यह कहते हुए कि वर्तमान में दोनों पक्ष लखनऊ में निवास/कार्यरत हैं। उन्होंने पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती आपराधिक प्रकरणों का भी उल्लेख किया। पारिवारिक न्यायालय, गोंडा ने दिनांक 24.07.2025 के विस्तृत आदेश द्वारा स्थानांतरण आवेदन अस्वीकार कर दिया।

पत्नी ने स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा कि पति ने स्वयं तलाक वाद हेतु गोंडा न्यायालय का चयन किया था; निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र वर्ष 2019 से लंबित है और अंतिम चरण में है; स्थगनादेश को चुनौती देने वाली पूर्व रिट याचिका (रिट–सी संख्या 6354/2022) दिनांक 18.10.2024 को खारिज हो चुकी है; तथा स्थानांतरण आवेदन में आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि बिना ठोस साक्ष्य के पक्षपात के निराधार आरोप स्थानांतरण का आधार नहीं बन सकते। इस संदर्भ में कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम गिरिजा शंकर पंत (2001) 1 एससीसी 182 पर विश्वास किया गया। जीवन को खतरे की आशंका भी निराधार पाई गई। पक्षकारों की सुविधा का तात्पर्य केवल आवेदक की सुविधा नहीं है; कार्यवाही स्वयं पति द्वारा गोंडा में प्रारंभ की गई थी तथा पत्नी, जो एक महिला है, ने वहाँ वाद संचालित करने में कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की। इस विलंबित चरण पर स्थानांतरण से अनावश्यक विलंब होगा।

न्यायालय ने यह भी पाया कि आवेदक का आचरण कार्यवाही को विलंबित करने का संकेत देता है। अतः स्थानांतरण आवेदन अस्वीकार किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार निगम

(i) दीपक प्रसाद (मृतक) एवं 2 अन्य बनाम अजय प्रसाद

केस संख्याः सिविल पुनरीक्षण संख्या - 77 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 20.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:207834

यह पुनरीक्षण सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एफ.टी.सी., बरेली द्वारा मूल वाद संख्या 348 वर्ष 2019 में दिनांक 12.12.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से मृतक एकमात्र प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन तथा वाद में संशोधन हेतु वादी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रतिवादी का देहांत 12.10.2022 को हो गया था। वादी द्वारा 16.03.2023 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत संशोधन हेतु तथा प्रतिस्थापन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। विलंब–निराकरण हेतु पृथक प्रार्थना–पत्र 16.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

मृतक प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों द्वारा यह आपत्ति की गई कि विलंब–निराकरण प्रार्थना–पत्र विलंब से प्रस्तुत किया गया तथा 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के उपरांत बिना किसी विधिक छूट के वाद स्वतः अभिदत्त (abatement) हो गया था।

न्यायालय द्वारा विलंब को क्षम्य मानते हुए दोनों प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार कर लिया गया। पुनरीक्षणकर्ता का तर्क था कि विलंब–निराकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रतिस्थापन प्रार्थना–पत्र के साथ ही प्रस्तुत होना चाहिए तथा अभिदत्तता को निरस्त किए बिना वाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि सीमापत्र अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब–निराकरण हेतु पृथक औपचारिक प्रार्थना–पत्र अनिवार्य नहीं है, यदि मुख्य प्रार्थना–पत्र में शपथपत्र सहित पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया गया हो। प्रतिस्थापन प्रार्थना–पत्र को अभिदत्तता निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है।

न्यायालय ने सुरेंद्र मणि बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप कुमार, तथा मिठाईलाल के प्रकरणों का उल्लेख करते हुए, साथ ही दलसांगर सिंह बनाम अन्नाबाई देवराम किनी एवं शकुंतला देवी बनाम बनवारी लाल के निर्णयों पर विचार करते हुए यह पाया कि विलंब उचित कारणों से हुआ, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक नगर से बाहर था तथा कोई जानबूझकर विलंब नहीं किया गया।

अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि अथवा न्यायिक चूक नहीं है। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) चिराग आशियाना प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीमती संतोष एवं अन्य

केस संख्याः अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका संख्या - 9397 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 20.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:207262

याचिकाकर्ता द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गौतम बुद्ध नगर द्वारा मूल वाद संख्या 2105/2024 में दिनांक 16.12.2024 को पारित एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश द्वारा वादी–प्रतिवादियों को यह कहते हुए यथास्थिति प्रदान की गई कि दिनांक 09.05.2008 की विक्रय विलेख उनके लिए बाध्यकारी नहीं है तथा प्रतिवादी को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया। वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने बिना प्रतिवादी को सूचना दिए एकपक्षीय निषेधाज्ञा पारित कर दी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि छह माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व आदेश ग्स्प्प् नियम 1(आर) के अंतर्गत एकपक्षीय निषेधाज्ञा के विरुद्ध कोई अपील उपलब्ध नहीं है, जैसा कि गुरमेज सिंह बनाम रंजीत कौर में प्रतिपादित किया गया है, अतः अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका ग्राह्य है।

न्यायालय ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 37, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94(ग) तथा आदेश XXXIX के नियम 1, 2, 3 एवं 3–क के प्रावधानों का परीक्षण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा, चाहे एकपक्षीय हो अथवा प्रतिपक्ष को सुनकर पारित की गई हो, आदेश XXXIX के नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत ही प्रदान की जाती है। आदेश XLIII नियम 1(आर) के अंतर्गत आदेश XXXIX के नियम 1, 2, 2–क, 4 अथवा 10 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। नियम 1 एवं 2 के साथ नियम 3 के अंतर्गत पारित एकपक्षीय आदेश भी अपील योग्य है। यद्यपि गुरमेज सिंह के निर्णय पर विचार किया गया, तथापि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, जिसे सीमित नहीं किया जा सकता। अतः यह प्रतिपादित किया गया कि याचिकाकर्ता के पास अपील के रूप में एक प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका ग्राह्य नहीं है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

(i) ऋषि कुमार जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः रिट-सी सं. 21150 वर्ष 2014
निर्णय दिनांक : 18.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:166896-DB

याचिकाकर्तागण, जो स्वर्गीय राज नारायण जैन के विधिक उत्तराधिकारी हैं, ने राज्य सरकार के दिनांक 06.02.2012 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उनकी भूमि के समायोजन/अधिसूचना निरस्तीकरण तथा दिनांक 11.03.2003 के शासनादेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था।

विवादित भूमि, स्थित ग्राम ककरेथा, तहसील एवं जनपद आगरा (सिकंदरा गृह स्थान एवं सड़क योजना, सेक्टर–10) के अंतर्गत, खसरा प्लॉट संख्याएँ 898, 899, 901, 902, 905, 906 एवं 909 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अंतर्गत दिनांक 04.04.1970 को अधिसूचित किया गया तथा धारा 32 के अंतर्गत दिनांक 28.06.1980 को घोषित किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध दिनांक 23.01.1981 को लागू किया गया।

याचिकाकर्ताओं के पिता द्वारा उक्त अधिग्रहण को सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्याएँ 2136–2137 वर्ष 1982 के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 07.04.1993 को अधिसूचनाओं को वैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात याचिकाकर्ताओं/उनके पिता द्वारा निषेधाज्ञा की मांग करते हुए अनेक दीवानी वाद एवं रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जो अंततः निरस्त कर दी गईं।

राज्य द्वारा दिनांक 27.12.1999 को भूमि का कब्जा ग्रहण कर लिया गया तथा दिनांक 28.12.1999 को उसे परिषद को सुपुर्द कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की भूमि सहित क्षेत्रफल का एक भाग डॉ. वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट को विद्यालय निर्माण हेतु आवंटित किया गया, जिसके अंतर्गत दिनांक 30.12.2000 को पट्टा विलेख निष्पादित हुआ, विद्यालय का निर्माण हुआ तथा राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी संपन्न हुआ। परिषद द्वारा दिनांक 21.07.1999 को विशेष भूमि अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रतिकर राशि जमा कर दी गई थी।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता एवं उनके पिता निरंतर तुच्छ वाद प्रस्तुत कर विलंब के लिए उत्तरदायी रहे। वर्ष 1999 में विधिवत् कब्जा ग्रहण कर परिषद को सुपुर्द कर दिया गया तथा तत्पश्चात भूमि विधिसम्मत रूप से ट्रस्ट को आवंटित कर दी गई। अतः "न्यायोचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 24 इस प्रकरण में लागू नहीं होती।

अतः दिनांक 06.02.2012 का आदेश, जिसके द्वारा समायोजन का प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया गया तथा दिनांक 11.03.2003 का शासनादेश निरस्त किया गया, विधिसम्मत ठहराया गया। परिणामस्वरूप रिट याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) वीरेंद्र कुमार गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील सं. 502 वर्ष 1984
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:213714

अपीलकर्ता, आरोग्य मेडिकल स्टोर, मेरठ के स्वामी, को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिनांक 09.02.1984 के निर्णय से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम सं. 47, 1975 के अनुसार) की धाराओं 27(ए)(ii) एवं 27(बी) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया था, इस आधार पर कि उन्होंने निकृष्ट/कूट औषधि–क्लोरोक्वीन फॉस्फेट 250 मि.ग्रा. टैबलेट (नेक्टेरिन फार्मेसी, बैच सं. टी–500192)–का भंडारण एवं विक्रय हेतु प्रदर्शन किया। उन्हें तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹6,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त तीन वर्ष का सश्रम कारावास निर्धारित किया गया।

दिनांक 03.01.1976 को औषधि निरीक्षक पी.के. रस्तोगी (PW–1) एवं डी.के. जाजू (PW–3) द्वारा दुकान का निरीक्षण कर नमूना लिया गया, जिसे केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता प्रेषित किया गया। प्रयोगशाला की दिनांक 14.06.1976 की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया कि नमूने में क्लोरोक्वीन फॉस्फेट अनुपस्थित था, औसत भार 0.3794 ग्राम था, तथा औषधि कूट/भ्रामक/मिलावटी थी।

अपीलकर्ता ने यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत की कि उन्होंने दिनांक 31.10.1975 को 200 गोलियाँ एक लाइसेंसधारी विक्रेता, मेसर्स भुवन फार्मा (दिनेश्वर प्रसाद शर्मा) से क्रय की थीं। उक्त विक्रेता ने निर्माता नेक्टेरिन फार्मेसी से क्रय की पुष्टि की तथा निर्माता ने भी उक्त बैच की आपूर्ति एवं मानक गुणवत्ता का परीक्षण होने की पुष्टि की।

औषधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.11.1976 को निर्माता से उसी बैच की 118 गोलियाँ जब्त की गईं, किंतु उनका परीक्षण नहीं कराया गया। नमूना ग्रहण के समय कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं था।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत अपेक्षित दायित्व का सम्यक निर्वहन कर दिया, यह सिद्ध करते हुए कि औषधि लाइसेंसधारी विक्रेता से विधिपूर्वक क्रय की गई थी, जिसने उसे निर्माता से प्राप्त किया था। निर्माता को अभियोजन में अभियुक्त नहीं बनाया गया तथा उससे प्राप्त नियंत्रण नमूने का परीक्षण भी नहीं कराया गया। किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नमूना ग्रहण की पुष्टि नहीं की गई। भार में अंतर को आर्द्रता अथवा रासायनिक अभिक्रिया से संभाव्य माना गया।

अतः अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता के पास से प्राप्त औषधि, निर्माता द्वारा निर्मित औषधि से भिन्न थी अथवा अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि हेतु आवश्यक आपराधिक अभिप्राय (mens rea) विद्यमान था।

फलतः दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ता को दोषमुक्त घोषित किया गया। अपील स्वीकृत की जाती है। जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। यदि अर्थदंड जमा किया गया हो, तो उसकी वापसी की जाएगी।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती नंद प्रभा शुक्ला

(i) संजय अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः आवेदन धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 35164/2025
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:229258

आवेदक ने विशेष न्यायमूर्ति श्री(डकैती प्रभावित क्षेत्र), झांसी द्वारा वाद संख्या 103/2023 (राजीव अग्रवाल एवं अन्य बनाम संजय अग्रवाल) में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452, 323, 504, 506, 392, 406, 420, 120–बी के अंतर्गत दिनांक 26.06.2024 तथा 30.05.2025 को पारित आदेशों को निरस्त करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदक ने पूर्व में विपक्षी पक्षकारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 392, 452, 120–बी, 504, 506 के अंतर्गत उक्त परिवाद दायर किया था, जिस पर उन्हें समन जारी किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण को आरोप निर्धारण हेतु तथा तत्पश्चात दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अंतर्गत साक्ष्य हेतु नियत किया। विपक्षी पक्षकारों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 39–बी के अंतर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे धारा 244 के अंतर्गत अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर पीडब्ल्यू–2 से जिरह की अनुमति प्रदान करते हुए स्वीकृत कर लिया गया।

आवेदक का तर्क था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 392, उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध है तथा झांसी को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, अतः विशेष न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सत्र वादों की विचारण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, न कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 244/245 के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय प्रक्रिया का।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 एवं धारा 4(2) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि (गंगुला अशोक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2000) 2 एससीसी 504) का अवलोकन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि विशेष न्यायालय, जो कि सत्र न्यायालय के समकक्ष है, मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित परिवाद प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर सकता था।

अतः जिन आदेशों को चुनौती दी गई थी, वे अधिकार

क्षेत्र के अभाव में पारित किए गए तथा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग थे। फलतः दिनांक 26.06.2024 एवं 30.05.2025 के आदेश निरस्त कर दिए गए तथा वाद को पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया, इस निर्देश के साथ कि पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना अनावश्यक विलंब के दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय ग्टप्प् के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नवीन सिरे से कार्यवाही की जाए।धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किया गया।

(ii) आशा राठौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः आवेदन धारा 482 - 25387/2024
निर्णय दिनांक : 31.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:191641

आवेदिका, जो कि 64 वर्षीय विधवा हैं, ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालय का आश्रय ग्रहण किया। उन्होंने परिवाद वाद संख्या 3833/2014 (धर्मपाल बनाम चंदर) में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 6, मेरठ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504, 506, 427 के अंतर्गत पारित दिनांक 08.05.2015 के समन आदेश तथा दिनांक 14.05.2024, 22.05.2024 एवं 24.06.2024 के गैर–जमानती वारंटों को निरस्त करने की प्रार्थना की।

यह विवाद आवेदिका के दिवंगत पति द्वारा कथित रूप से दिनांक 01.12.2005 को छलपूर्वक निष्पादित एक पंजीकृत विक्रय अनुबंध से उत्पन्न हुआ। विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 200 एवं 202 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात आवेदिका सहित अन्य व्यक्तियों को समन जारी किया गया। आवेदिका का कथन था कि समन आदेश यथोचित विचार किए बिना पारित किया गया; उनके पति का निधन हो चुका है; एक सह–अभियुक्त द्वारा समझौता कर लिया गया है; तथा पक्षकारों के मध्य समानांतर दीवानी वाद लंबित हैं।

न्यायालय ने यह पाया कि संपूर्ण विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है तथा आवेदिका को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से उसे आपराधिक रूप प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (उषा चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 67) पर आश्रय लेते हुए न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। फलतः दिनांक 08.05.2015 का समन आदेश तथा उपर्युक्त गैर–जमानती वारंट निरस्त कर दिए गए तथा प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया, इस निर्देश के साथ कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए, यथासंभव छह सप्ताह की अवधि के भीतर नवीन आदेश पारित किया जाए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन स्वीकृत किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

(i) आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती आरती देवी एवं अन्य

आदेश संख्याः 1780/2024 से प्रथम अपील
निर्णय दिनांक : 31.01.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:14110

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 की उपधारा (4) में यह प्रावधान निहित था कि ऐसे मामलों में, जहाँ धारा 147(3) के अंतर्गत बीमा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो तथा उसमें तृतीय पक्ष के जोखिमों का आच्छादन किया गया हो, वहाँ बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी से आच्छादित किसी व्यक्ति की देयता के निर्वहन हेतु किया गया भुगतान, उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है। उक्त प्रावधान की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य (2004) 3 एससीसी 297 में की गई थी, जिसमें "भुगतान करो और वसूली करो" (Pay and Recover) के सिद्धांत को मान्यता दी गई।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के पश्चात उक्त प्रावधान को हटा दिए जाने से विधिक जटिलता उत्पन्न हुई। संशोधन से पूर्व एवं पश्चात की विधिक स्थिति का

परीक्षण करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि उक्त प्रावधान के विलोपन से बीमा कंपनी की यह जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती कि वह स्वामी के जोखिम की प्रतिपूर्ति करे, भले ही दुर्घटना 01.04.2022 के पश्चात हुई हो। अतः "भुगतान करो और वसूली करो" का सिद्धांत अब भी विधि के सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागू रहेगा।

(ii) कैथोलिक डायोसीज़ ऑफ गोरखपुर बनाम भोला (मृतक) एवं अन्य

द्वितीय अपील संख्याः 461/2014
निर्णय दिनांक : 10.09.2024
Neutral Citation No. - 2024:AHC:146911

राज्य अधिकारियों ने अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कार्यवाही का आडंबर करते हुए वर्ष 1991 में एक ग्रामीण की भूमि का अवैध अधिग्रहण कर लिया। उनका यह तर्क था कि ग्रामीण ने शपथपत्र प्रस्तुत कर भूमि राज्य को हस्तांतरित कर दी थी, जिस पर बाद में कैथोलिक डायोसीज़ द्वारा निर्माण कार्य किया गया। जिला न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में दिए गए निर्णय को द्वितीय अपील में यथावत रखते हुए न्यायालय ने राज्य अधिकारियों की मनमानी पर गंभीर टिप्पणी की तथा यह प्रतिपादित किया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत संपत्ति के हस्तांतरण के केवल पाँच वैध माध्यम हैं—विक्रय, उपहार, पट्टा, बंधक एवं विनिमय। मात्र शपथपत्र के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण विधिसम्मत नहीं है और इससे राज्य को स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सकता।

अतः न्यायालय ने राज्य को 32 वर्षों से अधिक समय तक भूमि स्वामी को उसकी संपत्ति से वंचित रखने के लिए ₹10,00,000 का हर्जाना अदा करने तथा छह माह के भीतर भूमि का वास्तविक कब्जा लौटाने का निर्देश दिया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद दिवाकर

(i) प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

आवेदन संख्याः धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत- 31545/2024
निर्णय दिनांक : 16.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:165563

आवेदक द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपराध संख्या 108/2023, धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना जसवंतनगर, जनपद इटावा से संबंधित समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। साथ ही 19.08.2023 के समन आदेश तथा 21.07.2023 की आरोपपत्र को भी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

मामला इस प्रकार उत्पन्न हुआ कि दिनांक 29.04.2023 को पुलिस द्वारा दो वाहनों को रोककर 306 बोतल मदिरा बरामद की गई, जो केवल हरियाणा राज्य में विक्रय हेतु वैध थी। आवेदक का कथन था कि वह एक पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने के उपरांत वाहन में बैठा था तथा उसे मदिरा के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। वाद की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बरामदगी ज्ञापन में अभियुक्तों की जाति का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत शपथपत्र में यह कहा गया कि यह पहचान हेतु तथा सीसीटीएनएस प्रारूप के अनुपालन के लिए किया गया।

न्यायालय ने समस्त प्रपत्रों का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश प्रपत्रों में जाति का उल्लेख आवश्यक नहीं है तथा यह प्रथा आधुनिक युग में विधिक दृष्टि से अनुचित है। न्यायालय ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों एवं विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि जाति–आधारित पहचान संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। परिणामतः आवेदन स्वीकृत किया गया।

(ii) अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

रिट - सी संख्याः 20190/2024
निर्णय दिनांक : 12.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:158482-DB

याचिकाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रिट याचिकाओं में यह निवेदन किया गया कि गंगा नगर आवासीय योजना हेतु अधिग्रहित उनकी भूमि उन्हें वापस की जाए अथवा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत अधिग्रहण को शून्य घोषित किया जाए। उक्त भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4(1)/17(4) के अंतर्गत 01.02.1990 तथा धारा 6/17(1) के अंतर्गत 07.03.1990 की अधिसूचनाओं द्वारा किया गया था। न्यायालय ने 17.03.1992 के अवार्ड, क्रमिक कब्जा, अधिकांश कृषकों द्वारा प्रतिकर प्राप्ति, पूर्व वादों के निर्णय तथा 08.04.2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण किया।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि उन्हें न तो प्रतिकर प्राप्त हुआ और न ही वास्तविक कब्जा लिया गया, अतः अधिग्रहण समाप्त हो चुका है। परंतु प्राधिकरण ने प्रतिवाद किया कि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है, प्रतिकर जमा कर दिया गया है तथा पर्याप्त विकास कार्य भी संपन्न हो चुके हैं।

समस्त तथ्यों एवं विधिक पक्षों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है तथा याचिकाकर्ता भूमि वापसी के अधिकारी नहीं हैं। अतः रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार

(i) उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड बनाम भारत संघ, वित्त मंत्रलय, राजस्व विभाग के माध्यम से सचिव एवं अन्य

वाद संख्याः रिट-सी सं. 16125 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 08.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:61984-DB

याचिकाकर्ता, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80पी के अंतर्गत कर–मुक्ति प्राप्त एक सहकारी संस्था है, ने निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2012–13 तथा 2015–16 हेतु स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की राशि के प्रतिपूर्ति (रिफंड) की मांग की। यह अभिकथित किया गया कि प्रपत्र 16ए के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने तथा बार–बार आवेदन करने के उपरांत भी विभाग ने इस आधार पर प्रतिपूर्ति देने से इंकार कर दिया कि टीडीएस प्रपत्र 26एएस में परिलक्षित नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 226(3) के अंतर्गत दिनांक 05.12.2017 को निर्गत नोटिस को भी चुनौती दी, जिसके द्वारा उसके बैंक खाते से ₹3.50 करोड़ की वसूली का निर्देश दिया गया था, तथा पूर्व में वसूल की गई ₹1.50 करोड़ की राशि की वापसी की भी प्रार्थना की। साथ ही, दिनांक 12.12.2017 को धारा 154 के अंतर्गत दायर संशोधन आवेदन के निस्तारण हेतु भी निर्देश की मांग की गई।

न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह प्रतिपादित किया कि यह विधि सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है कि यदि करदाता विधिसम्मत प्रपत्र 16ए प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है, तो केवल इस आधार पर प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि संबंधित टीडीएस प्रपत्र 26एएस में परिलक्षित नहीं है। निर्धारण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह कटौतीकर्ता के माध्यम से टीडीएस के भुगतान का सत्यापन कर उपयुक्त कर–श्रेय प्रदान करे।

अतएव, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि याचिकाकर्ता दिनांक 28.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे प्रतिवादी सं. 3 (निर्धारण अधिकारी) के समक्ष उपस्थित हो। निर्धारण अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि वह अभिलेखों का परीक्षण कर चार सप्ताह के भीतर विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करे। साथ ही, याचिकाकर्ता को उद्धृत निर्णयों एवं सीबीडीटी परिपत्रों पर निर्भर होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

(ii) मेसर्स ए.एस. ट्रेडर्स, अपने कार्यकारी साझेदार श्री राहुल सिंह के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं अन्य

वाद संख्याः रिट-सी सं. 4673 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 04.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:68984-DB

याचिकाकर्ता ने अपनी तकनीकी निविदा को "अप्रतिक्रियाशील" घोषित कर निरस्त किए जाने तथा दिनांक 06.02.2025 की ई–निविदा के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में बढ़नी–बलीपुर–बाबूगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रतिवादी सं. 7 (एम/एस अरुणिमा कंस्ट्रक्शन्स) को दिनांक 05.05.2025 को निर्गत स्वीकृति–पत्र (एल.ओ.ए.) को चुनौती दी।

यह अभिकथित किया गया कि अयोग्यता घोषित किया जाना अवैध एवं दुर्भावनापूर्ण था तथा दिनांक 02.05.2025 को आईटीबी (परिशिष्ट) के खंड 4.7 के अंतर्गत प्रतिवादी सं. 7 के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.05.2025 के अयोग्यता आदेश एवं दिनांक 05.05.2025 के स्वीकृति–पत्र को निरस्त करने तथा प्रतिवादी सं. 7 को अप्रतिक्रियाशील घोषित कर याचिकाकर्ता को संविदा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

प्रतिवादियों ने यह प्रतिवाद किया कि याचिकाकर्ता की निविदा का सम्यक परीक्षण करने पर उसे "अप्रतिक्रियाशील" पाया गया, क्योंकि उसने "वर्तमान प्रतिबद्धताएँ एवं प्रचलित कार्य" शीर्षक के अंतर्गत प्रचलित कार्यों को छिपाया था। प्रतिवादी सं. 7 की निविदा को परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाया गया। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता दिनांक 25.08.2020 के शासकीय आदेश के अनुसार 'प्रहरी पोर्टल' पर निर्धारित 72 घंटों के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करने में असफल रहा। कार्यादेश पूर्व में ही निर्गत हो चुका था तथा प्रतिवादी सं. 7 द्वारा लगभग 90% कार्य संपन्न किया जा चुका था।

न्यायालय ने निविदा की शर्तों, आपत्तियों, जांच प्रतिवेदन एवं संपूर्ण निविदा प्रक्रिया का परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि निर्णय–प्रक्रिया में कोई मनमानी अथवा दुर्भावना नहीं थी। निविदा संबंधी विषयों में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है, लागू होते हैं, जिनके अनुसार अवसंरचना परियोजनाओं में न्यायालय का हस्तक्षेप तभी उचित है जब स्पष्ट रूप से मनमानी या दुर्भावना प्रदर्शित हो।

अतः, रिट याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ला

(i) आनंद कुमार वर्मा बनाम प्रधान आयकर आयुक्त, इलाहाबाद एवं अन्य

वाद संख्याः रिट टैक्स संख्या - 1270 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 27.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:84422-DB

याचिकाकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत निर्गत नोटिस तथा निर्धारण वर्ष 2017–18 हेतु क्षेत्राधिकारयुक्त आकलन अधिकारी द्वारा धारा 148ए(डी) के अंतर्गत दिनांक 28 मार्च 2024 को पारित आदेश, तथा तत्पश्चात धारा 147 सहपठित धारा 144 के अंतर्गत दिनांक 10 दिसंबर 2024 को धारा 144बी के साथ पारित परिणामी आदेश को चुनौती दी गई। रिट याचिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि याचिकाकर्ता ने धारा 147 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध सुधार आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका उल्लेख रिट याचिका में नहीं किया गया। इस प्रकार का अप्रकटीकरण महत्वपूर्ण तथ्यों के दमन के समतुल्य है।

न्यायालय ने मेसर्स एसजेएस बिजनेस एंटरप्राइजेज प्रा. लि. बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यह कहा कि वर्तमान रिट याचिका "चयन के सिद्धांत" (Doctrine of Election) के अंतर्गत आती है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने विधि द्वारा प्रदत्त सुधारात्मक उपाय का अवलंबन करने के उपरांत उसी आदेश को निरस्त कराने हेतु रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया। एक बार वैधानिक उपाय को अपनाने का निर्णय कर लेने के पश्चात, याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पुनः वैकल्पिक उपाय ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) अशोक पांडे बनाम राहुल गांधी एवं अन्य

वाद संख्याः रिट - सी संख्या - 11593 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 04.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:80596-DB

याचिकाकर्ता द्वारा स्वयंपक्ष प्रस्तुत होकर रायबरेली संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री राहुल गांधी के विरुद्ध क्वो वारंटो की रिट की प्रार्थना की गई। यह तर्क दिया गया कि श्री राहुल गांधी को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया था, जिसके लिए दो वर्ष तक का साधारण कारावास अथवा अर्थदंड अथवा दोनों का प्रावधान है।

उक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा दंडादेश के स्थगन हेतु आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया गया। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के विचाराधीन रहते हुए दंडादेश के प्रवर्तन पर स्थगन प्रदान कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का कथन था कि दंडादेश के स्थगन मात्र से श्री राहुल गांधी को निर्वाचन लड़ने अथवा सांसद बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 102, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के साथ पठित होने पर अयोग्यता उत्पन्न करता है।

इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादियों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि जब एक बार दोषसिद्धि अथवा दंडादेश पर स्थगनादेश पारित हो जाता है, तब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन अयोग्यता लागू नहीं होती। इस संबंध में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के निर्णय पर भी विश्वास व्यक्त किया गया, जिसमें यह अभिप्रेत किया गया है कि धारा 8 के अधीन अयोग्यता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 अथवा धारा 482 के अंतर्गत पारित स्थगनादेश की तिथि से प्रभावहीन हो जाती है।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 102 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के उपबंधों एवं उद्धृत निर्णयों का सम्यक् विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब एक बार दंडादेश के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान कर दिया जाता है, तब अपील के अंतिम निर्णय तक संबंधित व्यक्ति को दोषसिद्धि के स्थायी परिणामों का वहन नहीं करना पड़ता।

फलतः वर्तमान रिट याचिका निरस्त कर दी गई। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 134ए के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील हेतु प्रमाणपत्र प्रदान करने का आवेदन भी इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

(i) आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन, धारा 482 बीएनएसएस, संख्या 4464 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 01.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:128977

यह निर्णय उन परिवाद मामलों में धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत अग्रिम जमानत की ग्राह्यता (मेंटेनेबिलिटी) को स्पष्ट करता है, जहाँ केवल समन जारी किया गया है।

राज्य की प्रारंभिक आपत्ति यह थी कि परिवाद मामलों में केवल समन जारी होने की स्थिति में, भले ही आरोप गैर–जमानती अपराध से संबंधित हो, अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। आवेदक ने तर्क प्रस्तुत किया कि समन के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर उसे अभिरक्षा में लिए जाने की आशंका थी, जो धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत "विश्वास करने का कारण" की परिधि में आता है। न्यायालय ने धारा 482 बीएनएसएस (जो धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के समतुल्य है) की भाषा का परीक्षण करते हुए इसके मुख्य तत्वों को निरूपित किया–

(1) विश्वास करने का कारण,
(2) गिरफ्तारी की आशंका,
(3) गैर–जमानती अपराध का आरोप,
(4) बिना वारंट गिरफ्तारी।

न्यायालय ने गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य तथा सुशीला अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली राज्य में संविधान पीठ के निर्णयों पर निर्भर करते हुए पुनः प्रतिपादित किया कि अग्रिम जमानत मनमानी अथवा अनावश्यक पुलिस गिरफ्तारी के विरुद्ध एक निवारक उपाय है, तथा "विश्वास करने का कारण" वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए, मात्र आशंका पर्याप्त नहीं है।

न्यायालय ने "गिरफ्तारी" तथा "अभिरक्षा" में भेद स्थापित करते हुए कहा कि समन के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायिक अभिरक्षा को धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तारी के समतुल्य नहीं माना जा सकता। विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट तथा तत्संबंधी न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार विधिक आशय यह है कि व्यक्तियों को पुलिस की मनमानी से संरक्षण प्रदान किया जाए, न कि न्यायिक प्रक्रिया से।

पूर्व निर्णयों, जिनमें श्रीकांत उपाध्याय बनाम बिहार राज्य सम्मिलित है, के विश्लेषण के उपरांत न्यायालय ने निम्न निष्कर्ष निकालेः

(i) परिवाद मामले में समन जारी होने पर अग्रिम जमानत ग्राह्य नहीं है;

(ii) जमानती वारंट जारी होने पर भी अग्रिम जमानत ग्राह्य नहीं है;

(iii) गैर–जमानती वारंट अथवा उद्घोषणा जारी होने की स्थिति में, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः अग्रिम जमानत ग्राह्य नहीं होती।

वर्तमान प्रकरण में कोई वारंट जारी नहीं हुआ था, अतः न्यायालय ने माना कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कोई युक्तिसंगत आशंका नहीं थी। फलस्वरूप, आवेदन निरस्त कर दिया गया तथा आवेदक को नियमित जमानत हेतु आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

निष्कर्ष (Ratio): धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत अग्रिम जमानत तभी ग्राह्य है जब बिना वारंट पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की वास्तविक आशंका हो; समन के अनुपालन में न्यायिक अभिरक्षा इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती।

(ii) रिहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 43604 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 17.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:227380

यह निर्णय एक नियमित जमानत आवेदन से संबंधित है, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध रूप से एकत्रित होने, पुलिसकर्मियों पर आक्रमण, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को क्षति पहुँचाने तथा निषिद्ध सभा के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप हैं।

राज्य का पक्ष था कि धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद, कुछ नेताओं के उकसावे पर बरेली में 500 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित हुई। भीड़ द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए तथा पुलिस द्वारा रोके जाने पर पत्थरबाजी, पेट्रोल बम प्रक्षेपण, गोलीबारी एवं वाहनों में तोड़फोड़ की गई। आवेदक को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया और उसे अवैध जमाव में सम्मिलित होने का आरोपी बनाया गया। आवेदक का कथन था कि उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया है, उसे उसके निवास से गिरफ्तार किया गया, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लगाए गए नारे भारतीय विधि के विपरीत दंड का समर्थन करते हैं तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए चुनौती हैं। यह भी कहा गया कि भीड़ के कृत्य भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनमें वैमनस्य को बढ़ावा देना, लोक शांति भंग करना तथा राज्य के विरुद्ध अपराध सम्मिलित हैं।

न्यायालय ने धर्म–संबंधी अपराधों (धारा 298, 299, 302 बीएनएस) तथा वैमनस्य फैलाने (धारा 196 बीएनएस) से संबंधित विधिक प्रावधानों का विस्तृत परीक्षण किया। न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि किसी भी प्रकार से मृत्यु दंड का समर्थन करने वाले नारे, विशेषतः धार्मिक आधार पर, भारतीय आपराधिक विधि के अंतर्गत मान्य नहीं हैं। यदि ऐसे नारे हिंसात्मक अवैध सभा के दौरान लगाए जाते हैं, तो वे विधि के शासन तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए चुनौती हैं और धारा 152 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19(2) के अधीन युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन हैं, और कोई भी भीड़ जो विधि के विपरीत दंड का समर्थन करती है, संवैधानिक संरक्षण का दावा नहीं कर सकती।

प्रकरण के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि अभिलेखों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिससे यह प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि आवेदक अवैध सभा का भाग

था, जिसने न केवल आपत्तिजनक नारे लगाए बल्कि पुलिसकर्मियों को आहत किया तथा संपत्ति को क्षति पहुँचाई। आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।

निष्कर्ष: ऐसी अवैध सभा में सम्मिलित होना, जिसमें विधि–विरुद्ध दंड का समर्थन करने वाले नारे लगाए जाएँ तथा हिंसा की जाए, एक गंभीर अपराध है जो संप्रभुता एवं लोक व्यवस्था को प्रभावित करता है; ऐसे मामलों में, जहाँ प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हों, जमानत प्रदान नहीं की जा सकती।



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

(i) वाद संख्याः रिट - सी संख्या - 24192 सन् 2022

प्रकरण संख्याः आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन, धारा 482 बीएनएसएस, संख्या 4464 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 17.07.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:115460-DB

याचिकाकर्ता, जो पिता एवं पुत्र हैं तथा विद्युत परिवर्तक (ट्रांसफॉर्मर) निर्माण का व्यवसाय करते हैं, के बैंक ऑफ बड़ौदा में दो नगद ऋण (कैश क्रेडिट) खाते थे, जिनमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध थी। दिनांक 19.06.2022 को याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 के खाते में ₹37,85,000/– की राशि अंतरण की गई, जिसे पश्चात् कथित रूप से अज्ञात खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने दिनांक 21.06.2022 को साइबर अपराध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई तथा दोनों याचिकाकर्ताओं ने बैंक में भी शिकायत प्रस्तुत की।

याचिकाकर्ताओं ने साइबर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ₹38,78,000/– की राशि 24% दण्डात्मक ब्याज सहित वापस प्राप्त करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय का आश्रय लिया। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06.07.2017 के उस परिपत्र का हवाला दिया, जो अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन में ग्राहक की देयता को सीमित करने से संबंधित है, तथा उच्चतम न्यायालय एवं बंबई उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी निर्भरता व्यक्त की।

प्रतिवादी बैंक का कथन था कि समस्त अंतरण स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने उपकरण, एकबारगी पासवर्ड (OTP) एवं कूटशब्द (पासवर्ड) का उपयोग करते हुए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए थे। लाभार्थी (बेनिफिशियरी) को दिनांक 18.06.2022 को याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा जोड़ा गया था। वही उपकरण एवं IP पता प्रयुक्त हुआ तथा लेन–देन के पश्चात याचिकाकर्ता संख्या 2 ने स्वयं कूटशब्द परिवर्तित किया। दिनांक 19.06.2022 को संदेश (SMS) सूचना प्राप्त हुई, किन्तु याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचना देने में विलंब किया गया।

न्यायालय ने डेबिट/क्रेडिट विवरण, IP पते एवं बैंक अभिलेखों का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि लेन–देन जानबूझकर तथा स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए थे। किसी तृतीय पक्ष द्वारा अभिगम (हैकिंग) अथवा अनधिकृत प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिरक्षा तर्क पश्चात् निर्मित प्रतीत हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक का उक्त परिपत्र वास्तविक धोखाधड़ी की दशा में ग्राहकों की रक्षा करता है, न कि व्यक्तिगत लेन–देन को धोखाधड़ी के रूप में प्रस्तुत करने पर। उद्धृत निर्णय भिन्न परिस्थितियों के थे, जहाँ ग्राहक की त्रुटि के बिना स्पष्ट तृतीय पक्ष धोखाधड़ी विद्यमान थी। अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) केसर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

वाद संख्याः विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 456 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 01.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:129274-DB

अपीलकर्ता ने लोकहित याचिका संख्या 1375/2025 में एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील प्रस्तुत की। लोकहित याचिका के याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए याचिका वापस लेने की प्रार्थना की कि अपीलकर्ता (लोकहित याचिका में प्रतिवादी संख्या 5), जिसे 16

आपराधिक प्रकरणों वाला भूमि माफिया बताया गया है, द्वारा उस पर दबाव डाला गया है।

एकल न्यायमूर्ति श्रीने यह कहते हुए याचिका की वापसी से इनकार किया कि जब कोई विषय जनहित का रूप धारण कर न्यायालय के समक्ष आ जाता है, तब याचिकाकर्ता उसे अपनी इच्छा से वापस नहीं ले सकता। न्यायालय ने गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पक्षकार बनाते हुए जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी, खागा को निर्देशित किया कि वे यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि क्या ग्राम रक्षपालपुर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर स्थित गाटा संख्याएँ 276, 294, 308, 292, 298, 299, 295 एवं 296 (जो खलिहान, खाद गड्ढा, बंजर एवं ग्राम सभा भूमि के रूप में अभिलिखित हैं) पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है। साथ ही अपीलकर्ता को अपने आपराधिक इतिहास एवं लोकहित याचिका के याचिकाकर्ता को कथित रूप से धमकाने के आरोपों का स्पष्टीकरण देते हुए प्रति–शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

अपीलकर्ता ने उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि एकल न्यायमूर्ति श्रीने याचिका की वापसी की अनुमति न देकर तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्देश पारित कर अपने अधिकार–क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय टप्प् नियम 5 तथा शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कानिया के निर्णय पर विचार करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि विवादित आदेश पूर्णतः प्रक्रिया–संबंधी (प्रोसीजरल) एवं अंतरिम (इंटरलोक्यूटरी) प्रकृति का है, जिसके अंतर्गत लोकहित याचिका में तथ्यों के अन्वेषण हेतु प्रतिवेदन एवं शपथपत्र मांगे गए हैं। उक्त आदेश में किसी भी मूल विवाद का अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, न ही पक्षकारों के अधिकारों अथवा दायित्वों का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया है तथा इससे कोई प्रत्यक्ष या तात्कालिक क्षति उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार के नियमित आदेश, जो वाद की प्रगति में सहायक होते हैं, नियमों के अंतर्गत अपील योग्य नहीं होते। परिणामतः विशेष अपील को अविवाद्य (मेंटेनेबल न होने) मानते हुए निरस्त कर दिया गया। साथ ही लोकहित याचिका में प्रति–शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

(i) बाला शंकर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 2695 सन् 1986
निर्णय दिनांक : 13.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:137967-DB

अपीलकर्ता नन्दलाल एवं भागीरथी की अपील निरस्त कर दी गई। शेष अपीलकर्ता बाला शंकर, राजमणि एवं मंगरू ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत प्रदत्त दोषसिद्धि एवं आजीवन कारावास, धारा 147/148 के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 323/149 एवं 324/149 के अंतर्गत छह माह के कठोर कारावास को चुनौती दी।

दिनांक 21.06.1982 को अपराह्न लगभग 2:00 बजे, बल्लम एवं लाठियों से सुसज्जित पाँच अभियुक्त सूचनाकर्ता राम प्यारे उर्फ बबऊ मिश्र के निवास पर आए, अपशब्द कहे तथा भागीरथी के उकसाने पर उसके भाई विद्या शंकर, माता सोहागिन तथा पड़ोसी आद्या प्रसाद मिश्र पर आक्रमण कर दिया। बाला शंकर ने विद्या शंकर पर बल्लम से प्रहार किया। विद्या शंकर की मृत्यु 29.06.1982 को उपचार के दौरान हो गई, जिसके फलस्वरूप अपराध को धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित कर दिया गया। शेष अपीलकर्ताओं का तर्क था कि आरोपपत्र धारा 304 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था; मृत्यु घटना के आठ दिन पश्चात हुई; पोस्टमार्टम करने वाले साक्षी PW–4 डॉ. आर. के. सिंह यह निश्चित रूप से स्थापित नहीं कर सके कि मृत्यु 21.06.1982 को प्राप्त चोटों के कारण हुई; तथा सेप्टीसीमिया चिकित्सा में लापरवाही का परिणाम हो सकता है। यह भी कहा गया कि छह में से केवल दो साक्षियों का परीक्षण हुआ तथा एक प्रतिक्रमण वाद (क्रॉस–केस) भी लंबित था, जिसमें अभियुक्तों ने अपना प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया। घटना लगभग 43 वर्ष पूर्व की थी तथा शेष अपीलकर्ताओं की आयु 78 एवं 89 वर्ष थी।

न्यायालय ने घायल साक्षियों PW–1 एवं PW–2 के कथनों, चिकित्सीय साक्ष्य तथा समस्त परिस्थितियों का परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने अपना अभियोग संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित दोषसिद्धि एवं दण्ड को यथावत् रखते हुए अपील निरस्त कर दी गई।

(ii) हर स्वरूप एवं अन्य बनाम राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 2477 सन् 1986
निर्णय दिनांक : 08.09.2025
Neutral Citation No.- 2025:AHC:157223-DB

अपीलकर्ता हरस्वरूप, जवाहर, तुलसी एवं भगत सिंह की अपील निरस्त कर दी गई। शेष अपीलकर्ता सुरेश ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा धारा 148 के अंतर्गत दो वर्ष के कारावास को चुनौती दी।

दिनांक 17.09.1984 को अपराह्न लगभग 1रू30 बजे, जब मृतक चरण सिंह ट्रैक्टर द्वारा महेन्द्र के खेत की जुताई कर रहा था, तभी सुरेश (बंदूक से सुसज्जित), हरस्वरूप, भगत सिंह एवं तुलसी (देशी तमंचों से सुसज्जित) तथा एक अज्ञात व्यक्ति (बल्लम से सुसज्जित) सहित पाँच अभियुक्त वहाँ आए और अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी तथा बल्लम से आक्रमण किया। चरण सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

सूचनाकर्ता कुंवर पाल (मृतक का भ्राता), महेन्द्र तथा किशन दत्त (द्वितीय भ्राता) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई तथा अन्वेषण उपरांत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया। जीवित अपीलकर्ता सुरेश का कथन था कि पोस्टमार्टम प्रतिवेदन एवं चिकित्सीय साक्ष्य मृत्यु के समय एवं कारण के संबंध में अभियोजन कथन से मेल नहीं खाते; चोटों की दिशा अभियोजन के कथन से भिन्न है; प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षपाती एवं परस्पर सम्बद्ध हैं तथा उनका आचरण अस्वाभाविक है; घटनास्थल संदिग्ध है; तथा कोई अस्त्र–शस्त्र बरामद नहीं हुआ। यह भी कहा गया कि मृतक की पूर्व में अपने पिता की हत्या के प्रकरण में अन्य व्यक्तियों से शत्रुता थी। न्यायालय ने घायल एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों, चिकित्सीय साक्ष्य, स्थल योजना तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि अभियोजन ने अपना अभियोग संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अतः दोषसिद्धि एवं दण्ड को यथावत् रखते हुए अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार-X

(i) इस्लाम / पलटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 6400 सन् 2007
निर्णय दिनांक : 19.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:168183

अपीलकर्ता ने अपने विरुद्ध पारित दण्डादेश को चुनौती दी, जिसके अंतर्गत उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 का अर्थदण्ड, धारा 366 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 का अर्थदण्ड तथा धारा 376 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000 का अर्थदण्ड प्रदान किया गया था। उक्त दण्डादेश अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 11.09.2007 को सत्र परीक्षण संख्या 51/2006 (अपराध संख्या 307/2005) में पारित किया गया था।

दिनांक 25.08.2005 को पीड़िता (तत्कालीन आयु लगभग 16 वर्ष) शौच हेतु बाहर गई थी, जहाँ से कथित रूप से अपीलकर्ता एवं अन्य दो व्यक्तियों द्वारा उसे बहला–फुसलाकर ले जाया गया। उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़िता दिनांक 25.09.2005 को बरामद हुई। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत उसका कथन अभिलिखित किया गया। तत्पश्चात धारा 363, 366 एवं 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

पीड़िता (PW–1) ने अपने कथन में कहा कि वह अपनी स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी; वे कालपी गए, जहाँ निकाह किया, एक दिन ठहरे, तत्पश्चात भोपाल गए, जहाँ लगभग एक माह तक पति–पत्नी के रूप में साथ रहे। धन समाप्त हो जाने पर अपीलकर्ता ने उसे भोगनीपुर में छोड़ दिया, जहाँ से पुलिस ने उसे बरामद किया। पीड़िता के माता–पिता (PW–2 एवं PW–3) ने यह कथन किया कि उसे बहला–फुसलाकर ले जाया गया तथा बाद में बलात्कार की सूचना मिली। चिकित्सीय साक्ष्य (PW–4, डॉ. अचला) में किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई। अपीलकर्ता ने अपने बचाव में निकाहनामा (प्रदर्श 27–खा), पंजीकृत समझौता (प्रदर्श

29–खा) एवं जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए तथा प्रतिरक्षा साक्षी (DW–1) का परीक्षण कराया। उसने दिनांक 29.08.2005 को पारस्परिक सहमति से निकाह होने का दावा किया।

विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि पीड़िता नाबालिग है और उसकी सहमति विधिक दृष्टि से अप्रासंगिक है, अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराया।

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले–

(i) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अर्थ में "ले जाना" अथवा "प्रलोभन देना" सिद्ध नहीं हुआ। पीड़िता अपनी स्वेच्छा से गई, निकाह किया तथा वैवाहिक जीवन व्यतीत किया।

(ii) न्यायालय ने ठाकोरलाल डी. वडगदामा बनाम गुजरात राज्य तथा एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि नाबालिग पूर्ण समझ के साथ स्वेच्छा से जाती है, तो मात्र साथ जाना अपहरण नहीं माना जाएगा।

(iii) अस्थि परीक्षण एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर पीड़िता की आयु 16 वर्ष से अधिक पाई गई। मुस्लिम वैयक्तिक विधि के अनुसार यौवन प्राप्त (15 वर्ष) होने पर विवाह वैध है; अतः विवाह वैध माना गया।

(iv) धारा 376, 363 एवं 366 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं हुए।

फलतः, अपील स्वीकार की गई। विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त कर दिया गया तथा अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसे तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया।

(ii) रवींद्र एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 319 सन् 1984
निर्णय दिनांक : 12.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:162439-DB

यह अपील रवींद्र, ऋषिपाल, सतेंद्र एवं बृज भूषण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा धारा 147, 148 एवं 201 के अंतर्गत अन्य दण्डों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 30.01.1984 को विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, मुज़फ्फरनगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 257/1981 में पारित किए गए थे। सह–अभियुक्तों ऋषिपाल, सतेंद्र एवं बृज भूषण की मृत्यु के कारण उनकी अपीलें निरस्त हो गईं और केवल रवींद्र की अपील शेष रही। दिनांक 26.02.1981 को लगभग 7:45 बजे मृतक हरेंद्र कुमार (आयु 18 वर्ष) को कथित रूप से छह अभियुक्तों द्वारा माधो के किराए के कमरे में ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सतेंद्र पाल (PW–2) एवं अनिल कुमार (PW–3) ने कथन किया कि उन्होंने देखा कि कुछ अभियुक्त चाकू एवं डंडों से लैस थे तथा मृतक को धमकाया जा रहा था। हस्तक्षेप करने पर उन्हें धमकाकर कमरे में बंद कर दिया गया। तत्पश्चात अभियुक्त मृतक को रजाई में लपेटकर ले गए। अगली सुबह शव कचहरी डाकघर के समीप मिला।

विचारण न्यायालय ने PW–2 एवं PW–3 के कथनों तथा बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि की।

उच्च न्यायालय ने विस्तृत परीक्षण के उपरांत पाया–

(i) धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए कथनों एवं न्यायालयीन साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास थे।

(ii) प्रत्यक्षदर्शियों का आचरण अप्राकृतिक था; उन्होंने घटना देखी, परन्तु न तो शोर मचाया और न ही तत्काल सूचना दी।

(iii) कथित घटनास्थल पर रक्त के चिन्ह नहीं मिले, जबकि अनेक चोटें बताई गई थीं।

(iv) धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कथित बरामदगी विधिसम्मत सिद्ध नहीं हुई।

(v) मृतक के शरीर पर यौन आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं था।

(vi) शव अन्य स्थान पर मिला, जहाँ रक्त अथवा ले जाने के संकेत नहीं थे।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अविश्वसनीय है। अतः, अपील स्वीकार की गई। जीवित अपीलकर्ता रवींद्र की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त कर उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जैन

(i) सुनीता सिंह एवं 2 अन्य बनाम पूनम गुप्ता एवं 4 अन्य

प्रकरण संख्याः प्रथम अपील आदेश सं. 1915 वर्ष 2019
निर्णय दिनांक : 31.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:192193

दावेदार की विधवा एवं संतानों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोरखपुर द्वारा दिनांक 30.05.2018 को पारित निर्णय (दावा याचिका सं. 51/2013) के अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति में वृद्धि की प्रार्थना की गई। मृतक राजेश सिंह की मृत्यु 23.03.2012 को हुई सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप 26.03.2012 को हुई थी। अधिकरण द्वारा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹4,83,000 की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी। वाहन स्वामी, चालक अथवा बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रति–अपील प्रस्तुत न किए जाने से दुर्घटना एवं लापरवाही के तथ्य निर्विवाद रहे।

दावेदारों का कथन था कि मृतक ईंट–भट्ठे में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था तथा ₹7,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था, जिसे स्वामी (पीडब्ल्यू–3) द्वारा वेतन प्रमाण–पत्र एवं उपस्थिति अभिलेखों के माध्यम से सिद्ध किया गया। मृतक स्नातक था तथा उसके पास टाटा ट्रक भी था, जिसकी ₹13,000 मासिक ऋण किश्त वहन कर रहा था। दुर्घटना की तिथि पर कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन ₹6,284 प्रतिमाह था। न्यायालय ने ₹7,000 प्रतिमाह आय को प्रमाणित मानते हुए वार्षिक आय ₹84,000 निर्धारित की। उसमें से एक–तिहाई व्यक्तिगत व्यय घटाकर ₹56,000 वार्षिक आश्रितता निर्धारित की गई। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 220–ए के अनुसार 30 प्रतिशत भावी संभावनाएँ (₹16,800) जोड़कर कुल वार्षिक आश्रितता ₹72,800 आंकी गई।

मृतक की आयु 46–50 वर्ष के मध्य होने के कारण 13 का गुणक लागू कर आश्रितता हानि ₹9,46,400 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी तथा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, संघ की हानि ₹1,45,200, संपत्ति की हानि ₹18,150 तथा अंतिम संस्कार व्यय ₹18,150 (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित) जोड़े गए। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 220–ए के अनुसार दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल क्षतिपूर्ति ₹11,27,900 पुनर्निर्धारित की गई।

अपील स्वीकृत की गई। अधिकरण के निर्णय में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया गया। बीमा कंपनी को दो माह के भीतर परिवर्धित राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। अधिकरण को निर्देशित किया गया कि दावेदारों की आयु एवं आश्रितता के आधार पर क्षतिपूर्ति का समुचित विभाजन किया जाए। पूर्व में प्रदत्त राशि का समायोजन किया जाएगा। मूल अभिलेख तत्काल वापस प्रेषित किए जाएँ।

(ii) श्रीमती अंजू वर्मा एवं 2 अन्य बनाम समीर शर्मा एवं 2 अन्य

प्रकरण संख्याः प्रथम अपील आदेश सं. 3197 वर्ष 2016
निर्णय दिनांक : 31.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:192232

दावेदार की विधवा एवं संतानों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सहारनपुर द्वारा दिनांक 29.07.2016 को पारित निर्णय (दावा याचिका सं. 159/2014) के अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति में वृद्धि की प्रार्थना की गई। मृतक हिमांशु वर्मा की मृत्यु 16.06.2014 को हुई सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप 26.06.2014 को हुई थी। अधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹21,93,216 की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी। चालक, स्वामी अथवा बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रति–अपील प्रस्तुत न किए जाने से दुर्घटना एवं लापरवाही के तथ्य निर्विवाद रहे।

दावेदारों का कथन था कि मृतक एम.एफ. प्रोसेस एंड सॉल्यूशन प्रा. लि., देहरादून में रिकवरी एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था तथा ₹2,62,404 वार्षिक वेतन प्राप्त

करता था। जनवरी से जून 2014 की वेतन प्रविष्टियों के आधार पर औसत मासिक वेतन लगभग ₹22,000 था। ₹2.50 लाख से अधिक आय पर 10 प्रतिशत आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध वार्षिक आय ₹2,62,558 आंकी गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। उसमें से एक–तिहाई व्यक्तिगत व्यय घटाकर ₹1,75,039 वार्षिक आश्रितता निर्धारित की गई। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 220–ए के अनुसार 50 प्रतिशत भावी संभावनाएँ (₹87,519) जोड़कर कुल वार्षिक आश्रितता ₹2,62,558 निर्धारित की गई।

मृतक की आयु लगभग 38 वर्ष होने के कारण 15 का गुणक लागू कर आश्रितता हानि ₹39,38,370 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी तथा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम के सिद्धांतों के अनुसार संघ की हानि ₹1,45,200, संपत्ति की हानि ₹18,150 तथा अंतिम संस्कार व्यय ₹18,150 (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित) जोड़े गए। इस प्रकार, दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल क्षतिपूर्ति ₹41,36,926 पुनर्निर्धारित की गई।

अधिकरण द्वारा त्रुटिवश मृतक की माता को ₹1,00,000 प्रदान किया गया था, जबकि वह वाद में पक्षकार नहीं थीं; अतः उन्हें परिवर्धित क्षतिपूर्ति में कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। अपील स्वीकृत की गई तथा अधिकरण के निर्णय में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया गया। बीमा कंपनी को एक माह के भीतर परिवर्धित राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। अधिकरण को निर्देशित किया गया कि दावेदारों की आयु एवं आश्रितता के आधार पर क्षतिपूर्ति का समुचित विभाजन किया जाए। पूर्व में प्रदत्त राशि का समायोजन किया जाएगा। मूल अभिलेख तत्काल वापस प्रेषित किए जाएँ।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश सक्सेना

(i) राजीव कुमार माहेश्वरी बनाम श्रीमती कल्पना माहेश्वरी

प्रथम अपील संख्या - 152/2025
निर्णय दिनांक : 25.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:173454-DB

अपीलकर्ता पति ने वाद दायर कर यह घोषणा चाही कि उसके द्वारा प्रतिवादी पत्नी के नाम क्रय की गई संपत्ति, बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में दिनांक 01 नवम्बर 2016 से किए गए संशोधनों के परवर्ती दायरे में नहीं आती, विशेषतः उस समय जब पति–पत्नी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। प्रतिवादी पत्नी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश टप् नियम 11 के अंतर्गत वाद की ग्राह्यता पर प्रश्न उठाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। पारिवारिक न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 तथा बेनामी अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का उल्लेख करते हुए वाद को विधि द्वारा वर्जित मानकर निरस्त कर दिया।

उच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि विवाद पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(1)(ग) के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह विवाह के पक्षकारों के मध्य, उनकी संपत्ति से संबंधित कार्यवाही है; जहाँ पति स्वामित्व का दावा करता है और पत्नी यह प्रतिपादित करती है कि क्रय उसके लाभ हेतु किया गया था। गुण–दोष के आधार पर न्यायालय ने पाया कि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि यह प्रतिवादी पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से पारित किया गया, जिसमें एक अपरीक्षित विक्रेता के कथन पर विश्वास किया गया, जिसने अपनी अभिरक्षा से अभिलेख प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने यह भी पाया कि वाद की ग्राह्यता के स्थान पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया गया।

अतएव, प्रकरण को पुनः विचारण हेतु वापस प्रेषित किया गया, जहाँ प्रतिवादी पत्नी के उपस्थित होने पर उसे प्रतिवाद का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा। पारिवारिक न्यायालय को यह भी निर्देशित किया गया कि वह वाद संख्या 150/2021, जिसमें पति ने स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है ताकि पत्नी द्वारा कथित रूप से किरायेदार के रूप में उसकी बेदखली का विरोध किया जा सके, उस पर भी विधि के अनुसार निर्णय करे, क्योंकि दोनों वादों में भिन्न–भिन्न राहतें निहित हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 का आवेदन नहीं होगा। अपील स्वीकार की गई, विवादित निर्णय निरस्त किया गया तथा प्रकरण को शीघ्र निस्तारण हेतु बिना अनावश्यक विलंब के वापस प्रेषित किया गया।

(ii) अर्पित गर्ग बनाम एकता गुप्ता

प्रथम अपील संख्या - 706/2025
निर्णय दिनांक : 24.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:172152-DB

अपीलकर्ता पति ने पारिवारिक न्यायालय के दिनांक 13.08.2025 के निर्णय को चुनौती दी, जिसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रस्तुत पक्षकारों की संयुक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में विवाह दिनांक 03 मार्च 2025 से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व पारस्परिक सहमति से तलाक हेतु याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई थी। प्रतिवादी पत्नी ने अपील का समर्थन किया।

उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि धारा 14(1) का प्रावधान एक अपवाद है, जो केवल अत्यधिक कठिनाई अथवा प्रतिवादी द्वारा किए गए अत्यधिक अनुचित आचरण के मामलों में ही लागू होता है। वर्तमान प्रकरण में, दोनों पक्षकार पारस्परिक सहमति से तलाक हेतु संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने पर सहमत थे तथा वे विवाह के मात्र बीस दिन के भीतर, अर्थात 21 मार्च 2025 से पृथक रह रहे थे। किसी भी पक्ष द्वारा अत्यधिक अनुचित आचरण का आरोप नहीं लगाया गया तथा पारस्परिक सहमति से तलाक हेतु उनकी सहमति, अत्यधिक कठिनाई के किसी भी दावे का खंडन करती है।

विधायिका का उद्देश्य विवाह संस्था को अवसर प्रदान करना है तथा पृथक्करण से संबंधित सभी प्रावधान धारा 14 के अधीन विनियमित हैं। पूर्व निर्णय (अंगद सोनी बनाम अर्पिता यादव) तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर भिन्न पाया गया। न्यायालय को विवादित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हुआ, अतः उसे अनुमोदित किया गया। अपील इस आशा के साथ निरस्त कर दी गई कि शेष प्रतीक्षा अवधि के दौरान पक्षकारों में सुलह की संभावना उत्पन्न हो सकती है और वे पुनः साथ रह सकते हैं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन पाल सिंह

(i) प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 2936 वर्ष 1987
निर्णय दिनांक : 11.09.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:177901

अपीलकर्ता प्रमोद कुमार, राम पत्ती तथा श्रीमती विद्यावती ने विशेष न्यायमूर्ति श्री(आवश्यक वस्तु अधिनियम), बदायूं द्वारा दिनांक 08.12.1987 को सत्र परीक्षण संख्या 376/1984 में पारित निर्णय को चुनौती दी, जो थाना ज़रीफनगर, जनपद बदायूं के मुकदमा अपराध संख्या 307/1983 से संबंधित था। उक्त निर्णय में उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 तथा धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया था।

अभियोजन का कथन यह था कि दिनांक 05.06.1983 की रात्रि में अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता किरण पर, प्रमोद कुमार के साथ हुए विवाह में प्राप्त दहेज से असंतुष्ट होकर, अतिरिक्त रूप से एक मोटरसाइकिल तथा ₹5,000/– की मांग करते हुए, पहले उसे बेरहमी से मारापीटा और तत्पश्चात उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। ग्रामीणों द्वारा उसे बचाया गया तथा बाद में उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।

विचारण न्यायालय ने प्रमोद कुमार एवं श्रीमती विद्यावती को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत तथा राम पत्ती को धारा 307 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया और क्रमशः पाँच वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/– का अर्थदण्ड, तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/– का अर्थदण्ड तथा दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।

अपील लंबित रहने के दौरान राम पत्ती एवं श्रीमती विद्यावती का देहावसान हो गया, फलतः उनकी अपील दिनांक 03.09.2013 को निरस्त (समाप्त) हो गई। जीवित अपीलकर्ता प्रमोद कुमार तथा शिकायतकर्ता किरण, जो पति–पत्नी हैं, ने एक संयुक्त शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने वर्ष 1987 में अपील दायर करने के उपरांत ही आपसी विवाद सौहार्दपूर्वक सुलझा लिया था तथा वर्ष 1988 से अपने चार संतानोंकृअंशुल (लगभग 30 वर्ष), अंकित (लगभग

28 वर्ष), हिमांशु (लगभग 26 वर्ष) तथा मोनिका (लगभग 25 वर्ष)–के साथ सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अदालत ने साक्षी PW–4 डॉ. टी.ए. रफ़त के चिकित्सीय साक्ष्य का परीक्षण किया, जिसमें केवल बाईं अनामिका उंगली पर सतही जलन एवं दर्दयुक्त सूजन जैसी साधारण चोटें पाई गईं। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये चोटें न तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर थीं और न ही मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। अतः धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता, और उसे परिवर्तित कर धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कर दिया गया।

साथ ही, यह दृष्टिगत रखते हुए कि अपील वर्ष 1987 से लंबित थी, पक्षकारों के मध्य वास्तविक समझौता हो चुका था तथा वे लगभग 37 वर्षों से एक परिवार के रूप में साथ रह रहे थे, न्यायालय ने अपने अपीलीय अधिकार का प्रयोग करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं रामगोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में यह माना कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्याय के उद्देश्य के विपरीत एवं विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

फलस्वरूप, अपील स्वीकार की गई तथा अपीलकर्ता प्रमोद कुमार को समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

(ii) गौरव गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5898 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 08.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:177900

पुनरीक्षणकर्ता (पति) ने अतिरिक्त प्रधान न्यायमूर्ति, परिवार न्यायालय, कानपुर नगर द्वारा वाद संख्या 203/2022 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दिनांक 08.10.2024 को पारित आदेश को चुनौती दी। उक्त आदेश द्वारा उसे आवेदन की तिथि से अपनी पत्नी रितिका गुप्ता को ₹20,000/– प्रतिमाह तथा अपनी पुत्री को ₹20,000/– प्रतिमाह, इस प्रकार कुल ₹40,000/– प्रतिमाह भरण–पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

विवाह दिनांक 10.12.2018 को संपन्न हुआ तथा दिनांक 14.08.2020 को एक पुत्री का जन्म हुआ। पत्नी ने आरोप लगाया कि विवाह के उपरांत उसे अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर क्रूरता एवं उत्पीड़न सहना पड़ा तथा पुत्र न होने के कारण उसे वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए विवश किया गया। उसने धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर यह कहा कि पति रक्षित इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में प्रति वर्ष लगभग ₹6,00,000/– अर्जित करता है।

पति ने यह प्रतिवाद किया कि पत्नी शिक्षित (बी.कॉम.) है तथा इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा धारक है, जो पूर्व में ₹30,000/– प्रतिमाह अर्जित करती थी और उसने स्वेच्छा से अपनी नौकरी त्याग दी। साथ ही यह भी कहा कि कंपनी को हुए नुकसान के कारण वर्ष 2022–2023 में उसकी आय मात्र ₹2,40,000/– प्रतिवर्ष रह गई।

विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों–आयकर विवरणियाँ, बैंक विवरण, वेतन पर्चियाँ तथा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से संबंधित शपथपत्र–का परीक्षण कर यह पाया कि पत्नी युक्तिसंगत कारणों से पृथक रह रही है तथा स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है। साथ ही यह भी पाया गया कि पति ने जानबूझकर अपनी वास्तविक आय को छिपाया है, क्योंकि उसने समसामयिक आयकर विवरणियाँ एवं बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किए और आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात ही अपनी आय कम दर्शाई।

उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री, जिसमें पति का प्रतिपरीक्षण तथा पत्नी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सम्मिलित हैं, का परीक्षण कर यह पाया कि पति यह सिद्ध करने में असफल रहा कि पत्नी वर्तमान में आय अर्जित कर रही है। न्यायालय ने यह भी माना कि कंपनी एक पृथक विधिक इकाई है और पति उसके निदेशकों में से एक होने के कारण उसके पास विभिन्न स्रोतों–जमा राशियों एवं अंशों पर ब्याज सहित–से आय अर्जित करने की क्षमता है।

अतः न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रदान किया गया भरण–पोषण भत्ता उचित, न्यायसंगत एवं पक्षकारों की आय एवं सामाजिक स्थिति के अनुरूप है तथा पुनरीक्षणाधिकार में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

फलस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री हरवीर सिंह

(i) अजय मोहन पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण सं. - 264 / 2025
निर्णय दिनांक : 19.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:207227

पुनरीक्षणकर्ता पति द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 7, आगरा द्वारा आपराधिक अपील सं. 218/2023 में पारित दिनांक 25.10.2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा सिविल न्यायमूर्ति श्री(कनिष्ठ प्रभाग)/एफ.टी.सी., न्यायालय संख्या 1, आगरा द्वारा परिवाद वाद सं. 1056/2017 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत पारित दिनांक 01.09.2023 के आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसके तहत पत्नी को अंतरिम भरण–पोषण प्रदान किया गया था।

पुनरीक्षणकर्ता का तर्क था कि चूँकि विवाह को एच.एम.ए. वाद सं. 542/2019 में सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही अमान्य घोषित किया जा चुका है, अतः पक्षकारों के मध्य कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं था, और इस कारण उक्त अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम भरण–पोषण प्रदान नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा रोहताश सिंह बनाम रामेंद्री एवं रमेश चंद्र कौशल बनाम वीना कौशल में प्रतिपादित विधि का परीक्षण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि तलाकशुदा पत्नी भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण–पोषण के सीमित उद्देश्य हेतु 'पत्नी' का दर्जा बनाए रखती है, और यही सिद्धांत घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भी लागू होता है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा राजीव सचदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय पर किया गया भरोसा अनुपयुक्त है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अमान्य घोषित करने का कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं हुआ था। विधि का सिद्धांत है कि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह को विधिवत अमान्य घोषित न किया जाए, तब तक उसे वैध माना जाएगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन आदेशों को चुनौती दी गई है, वे पूर्णतः अंतरिम प्रकृति के हैं, जिनमें पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। अतः यह पुनरीक्षण समयपूर्व पाया गया।

फलस्वरूप, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) संजीव साहू उर्फ मुन्ना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण सं. - 4289 / 2024
निर्णय दिनांक : 15.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:184756

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, झांसी द्वारा आपराधिक अपील सं. 32/2023 में पारित दिनांक 29.06.2024 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद वाद सं. 921/2019 में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की गई थी। उक्त आदेश के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹55,00,000/– के अर्थदंड से दंडित किया गया, जिसमें चूक की दशा में अतिरिक्त दंड का प्रावधान था तथा परिवादी को ₹50,56,500/– अदा करने का निर्देश दिया गया।

परिवादी, जो 'श्री अमरापुर जनरल स्टोर' के स्वामी हैं, द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पुनरीक्षणकर्ता ने फरवरी 2015 से अक्टूबर 2016 के मध्य ₹35,91,000/– का नकद ऋण तथा ₹2,09,500/– मूल्य का सामान प्राप्त किया था, और ₹38,00,500/– की कुल देनदारी के निर्वहन हेतु दिनांक 05.02.2019 को एक चेक जारी किया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत (बाउंस) हो गया।

पुनरीक्षणकर्ता का तर्क था कि चेक परिवादी की फर्म के नाम पर नहीं था, दो फर्मों में से एक बंद हो चुकी थी तथा देनदारी विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं थी। उच्च

न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्योंकृपरिवादी की गवाही, बैंक मेमो, विधिक नोटिस तथा प्रतिरक्षा पक्ष के साक्ष्योंकृका परीक्षण करते हुए यह पाया कि ऋण एवं देनदारी सिद्ध है, चेक उसी के निर्वहन हेतु जारी किया गया था, विधिक प्रक्रिया का समुचित पालन किया गया था तथा पुनरीक्षणकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत स्थापित विधिक अनुमान का खंडन करने में असफल रहा। पुनरीक्षणकर्ता की तकनीकी आपत्तियाँ निराधार पाई गईं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि अथवा अवैधता नहीं पाई गई। अतः पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

(i) राम सजीवन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 1459 वर्ष 2004
निर्णय दिनांक : 14.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:72752

अपीलकर्ता राम सजीवन (70 वर्ष) तथा श्रीमती केवला (65 वर्ष) ने वर्ष 2004 के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के अंतर्गत एक अवयस्क बालिका को बहला–फुसलाकर अपने जीजा से विवाह कराने के उद्देश्य से ले जाने का दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने 15 वर्षीय पीड़िता को दिल्ली में धन एवं सुख–सुविधाओं का प्रलोभन देकर सह–अभियुक्त से उसका विवाह कराने हेतु बहकाया।

यद्यपि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 376 (बलात्कार) के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, तथापि उन्हें अपहरण एवं भगाकर ले जाने के अपराध हेतु पाँच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। चिकित्सीय साक्ष्य से यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16–17 वर्ष थी।

न्यायालय ने साक्षियों के कथनों तथा चिकित्सीय साक्ष्यों को विश्वसनीय एवं प्रमाणिक मानते हुए दोषसिद्धि को यथावत रखा। तथापि, यह भी विचार किया गया कि अपीलकर्ताओं का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था तथा वे लगभग तीन दशकों से न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे थे।

उनकी उन्नत आयु को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान करते हुए दंड में परिवर्तन किया। उन्हें तत्काल कारावास भेजने के स्थान पर सदाचार बंधपत्र पर दो वर्ष की अवधि हेतु मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया।

(ii) नितिन कुमार सिंह उर्फ नितिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

केस संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 19091 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 15.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:224911-DB

याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित न्यायिक रिमांड आदेश को निरस्त करने हेतु सर्टियोरारी की प्रार्थना की। यह आदेश मोनाड विश्वविद्यालय से संबंधित कथित जाली डिग्री एवं अंकपत्र घोटाले के प्रकरण में बीएनएसएस के अंतर्गत अपराधों से संबंधित था।

याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क इस प्रकार थे–

(1) सह–अभियुक्त को उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुकी है, तथा

(2) संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 / बीएनएसएस की धारा 47 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के आधार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम श्री दर्शन (2025 SCC ऑनलाइन SC 1702) के निर्णय पर निर्भर करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रक्रिया संबंधी विधि में वास्तविकता को औपचारिकता पर वरीयता दी जाती है। यदि अभियुक्त को गिरफ्तारी के वास्तविक आधार की

जानकारी हो जाती है, तो कोई तकनीकी त्रुटि कार्यवाही को शून्य नहीं बनाती।

वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित बरामदगी मेमो अभियोजन का मूल आधार था, जिसमें जब्त वस्तुओं, लागू दंड प्रावधानों तथा संबंधित बीएनएसएस धाराओं का स्पष्ट विवरण अंकित था। न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 22(1) तथा धारा 50 दंप्रसं. / धारा 47 बीएनएसएस के पर्याप्त अनुपालन के रूप में स्वीकार किया। पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2024) 7 SCC 576 तथा प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2024) 8 SCC 254 में लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार की अनिवार्यता पर दिए गए बल को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने वर्तमान मामले को उनसे भिन्न माना। यह कहा गया कि इस प्रकरण में तलाशी वारंट के आधार पर विस्तृत स्थल–कार्यवाही की गई थी। समानता (पैरिटी) का तर्क अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि सह–अभियुक्त को प्रदान की गई राहत केवल अंतरिम जमानत तक सीमित थी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहाँ अभियुक्त ने ऐसे दस्तावेज़ों को स्वीकार किया हो जिनमें आरोपों का वास्तविक आधार वर्णित हो, वहाँ कारणों के पृथक उल्लेख का अभाव स्वतः किसी प्रकार की हानि उत्पन्न नहीं करता।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद

(i) पद्माकर उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1956 / 2025
निर्णय दिनांक : 25.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:210522

पुनरीक्षणकर्ता–शिकायतकर्ता ने सत्र परीक्षण संख्या 04 / 2025 में सत्र न्यायमूर्ति, जौनपुर द्वारा दिनांक 11.04.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके माध्यम से विपक्षी पक्ष संख्या 2 से 6 को मुकदमा अपराध संख्या 18 / 2024 से उत्पन्न भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 325, 307, 504 एवं 506 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

प्राथमिकी दिनांक 20.01.2024 के अनुसार आरोप था कि दिनांक 19.01.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण तीन वाहनों में सवार होकर पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके भाइयों का पीछा करते हुए उन पर गोली चलाने लगे तथा तत्पश्चात थाने में घुसकर हत्या करने के आशय से लाठी–डंडों से आक्रमण किया। इस घटना में पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके भाइयों को चोटें आईं, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के बाएं हाथ की अस्थि भंग हो गई।

विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए धारा 307 के आरोप से अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया कि चोटें प्राणघातक नहीं थीं तथा किसी धारदार शस्त्र या आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता का तर्क था कि विचारण न्यायालय ने आरोप–निर्धारण के चरण पर ही साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर लघु–विचारण (मिनी ट्रायल) कर डाला, जो विधि–सम्मत नहीं है। साथ ही, थाने के भीतर गोली चलाने तथा हत्या हेतु उकसाने जैसे गंभीर आरोपों की उपेक्षा की गई तथा अभियुक्त सूबेदार सिंह, जो पूर्व में धारा 302 एवं 307 के अंतर्गत अनेक मामलों में दोषसिद्ध है, के आपराधिक इतिहास पर भी विचार नहीं किया गया।

न्यायालय ने घायल साक्षियों, पुलिस आरक्षी तथा चिकित्सीय एवं रेडियोलॉजिकल साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार यह अभिमत व्यक्त किया कि आरोप–निर्धारण के स्तर पर केवल यह देखना अपेक्षित है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया अपराध का मामला बनता है या नहीं; इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अथवा उनकी प्रमाणिकता का परीक्षण नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से विपक्षी पक्षों के विरुद्ध धारा 307 के अंतर्गत अपराध का गंभीर संदेह उत्पन्न होता है तथा विचारण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए अनुचित रूप से साक्ष्यों का परीक्षण किया। अतः विवादित आदेश, जिसके द्वारा विपक्षी पक्षों को धारा 307 से दोषमुक्त किया गया था, निरस्त किया जाता है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 से 6 के विरुद्ध धारा 307 के अंतर्गत आरोप स्थापित कर उनके विरुद्ध विचारण चलाने का निर्देश दिया गया। पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई।

(ii) संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 6594 / 2025
निर्णय दिनांक : 11.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:222177

पुनरीक्षणकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा दिनांक 17.09.2025 को पारित उस आदेश को चुनौती दी, जो कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T–2025034000207389 में धारा 164 बी. एन.एस.एस. के अंतर्गत पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 3 के आवेदन पर ग्राम हथीन स्थित श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर की कृषि भूमि को कुर्क (अटैच) करने तथा एक अभिरक्षक (रिसीवर) नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

पुनरीक्षणकर्ताओं का कथन था कि उक्त संपत्ति उनके द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट की है तथा खड़ी धान की फसल बटाईदारों द्वारा उगाई गई थी; अतः आदेश बिना समुचित जांच के पारित किया गया।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पुनरीक्षणकर्ताओं ने इसी आदेश के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 24.09.2025 को जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, कन्नौज के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 132 / 2025 दायर किया था तथा दिनांक 02.10.2025 को उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किया। इस हेतु उन्होंने अत्यावश्यक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट मांगी, यह कहते हुए कि पूर्ववर्ती पुनरीक्षण लंबित होने की बात छिपाने के उद्देश्य से वह प्रति उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात दिनांक 29.09.2025 को उक्त सत्र पुनरीक्षण को वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अंततः दिनांक 07.11.2025 को अस्वीकृत कर दिया गया।

न्यायालय ने यह पाया कि पुनरीक्षणकर्ताओं ने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया तथा अवकाश अवधि के दौरान उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और तथ्य छिपाकर अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

अतः वर्तमान पुनरीक्षण याचिका ₹20,000 (बीस हजार रुपये) के व्यय के साथ निरस्त की जाती है, जिसे पंद्रह दिनों के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा करना होगा।

साथ ही, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 132 / 2025 में अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 1, कन्नौज द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पारित आदेश, जिसके द्वारा पुनरीक्षण को बिना विचार (डिफॉल्ट) के खारिज किया गया था, विधि–विरुद्ध पाए जाने के कारण निरस्त किया जाता है, क्योंकि एक बार पुनरीक्षण स्वीकार एवं पंजीकृत हो जाने के पश्चात उसे गुण–दोष के आधार पर निर्णय किए बिना इस प्रकार खारिज नहीं किया जा सकता।

उक्त पुनरीक्षण को उसके मूल संख्या पर पुनर्स्थापित किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ताओं को दिनांक 17.12.2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 1, कन्नौज के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, कन्नौज को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री संतोष राय

(i) मोहम्मद वज़ीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

वाद संख्याः क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 14839 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 28.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:150696-DB

याची मोहम्मद वज़ीर ने दिनांक 23.06.2025 को जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उनकी हिस्ट्रीशीट संख्या 18। को बंद करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया था। याची का कथन था कि वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं, जो निजी कार्य करते हैं तथा उनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय वर्ष 2016 में पंजीकृत एक प्रकरण (केस क्राइम संख्या 282/2016) के, जो गौ–वध अधिनियम की धाराओं 3/5/7 के अंतर्गत है। उक्त प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो

चुकी है, आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तथा उन्हें जमानत भी प्राप्त हो चुकी है।

पूर्व में याची ने क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या 8156/2024 के माध्यम से न्यायालय का आश्रय लिया था, जिसका निस्तारण दिनांक 17.03.2025 को इस निर्देश के साथ किया गया था कि याची पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात प्रस्तुत अभ्यावेदन को विवादित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

याची ने यह भी कहा कि वह आदतन अपराधी नहीं हैं तथा उनकी हिस्ट्रीशीट बिना किसी ठोस एवं विश्वसनीय सामग्री के अवैध रूप से खोली गई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के पैरा 228, 229, 231, 233 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

न्यायालय ने अभिलेखों एवं पक्षकारों की दलीलों का परीक्षण करने के उपरांत पाया कि याची के विरुद्ध वर्ष 2016 से केवल एक ही प्रकरण लंबित है तथा उनके विरुद्ध कोई अन्य प्राथमिकी, एनसीआर अथवा शिकायत कभी दर्ज नहीं हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस विनियमावली पुलिस को असीमित अधिकार प्रदान नहीं करती तथा निगरानी केवल उन्हीं व्यक्तियों पर रखी जा सकती है जो आदतन अपराधी हों अथवा विनियम 228 में वर्णित अपराधों को प्रोत्साहित करने वाले हों।

न्यायालय ने यह पाया कि अभ्यावेदन का निरस्तीकरण बिना विचार एवं लापरवाहीपूर्वक किया गया, क्योंकि ऐसा कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिससे यह सिद्ध हो सके कि याची आदतन अपराधी हैं अथवा उन श्रेणियों में आते हैं जिनके लिए श्रेणी 'A' की हिस्ट्रीशीट खोली जानी आवश्यक होती है।

अतः न्यायालय ने माना कि दिनांक 23.06.2025 का आदेश विधिसंगत नहीं है। रिट याचिका स्वीकार की गई। पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया तथा प्रतिवादियों को निर्देशित किया गया कि याची की हिस्ट्रीशीट संख्या 18A को बंद किया जाए तथा उसके आधार पर उनकी किसी प्रकार की निगरानी न की जाए।

(ii) नवाब उर्फ नवाबुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 26651 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 22.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:145872

आवेदक नवाब उर्फ नवाबुद्दीन ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धाराओं 2/3 के अंतर्गत पंजीकृत केस क्राइम संख्या 292/2025 (थाना सरधना, जनपद मेरठ) में नियमित जमानत हेतु प्रार्थना की।

आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गैंग चार्ट के अनुसार आवेदक को केवल एक प्रकरण में सम्मिलित दर्शाया गया है, जिसमें उसे पूर्व में ही सक्षम न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध अन्य छह प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, जिनका विवरण जमानत प्रार्थना पत्र में दिया गया है। यह भी कहा गया कि पुलिस की शत्रुता के कारण उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। आवेदक दिनांक 05.07.2025 से निरुद्ध है तथा उसने आश्वासन दिया कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य एवं आदतन अपराधी है तथा रिहा होने पर पुनः असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है तथा साक्षियों को प्रभावित कर सकता है।

न्यायालय ने अधिनियम की धारा 19(4) के कठोर प्रावधानों पर विचार किया, जिसके अनुसार शासकीय अधिवक्ता को सुनना आवश्यक है तथा न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि अभियुक्त प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना नहीं है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक सिद्धांत—व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं त्वरित न्याय—का भी संज्ञान लिया, जैसा कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है।

प्रकरण के गुण—दोष पर कोई अंतिम मत व्यक्त किए बिना न्यायालय ने आवेदक को जमानत का पात्र पाया। अतः निर्देशित किया गया कि आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. वह साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को भयभीत करेगा।

2. वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।

3. वह प्रत्येक नियत तिथि पर, न्यायालय के निर्देशानुसार, व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

4. वाद के उद्घाटन, आरोप निर्धारण तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान हेतु निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

5. यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है अथवा अनुपस्थित रहता है तथा उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 229–ए एवं 174–ए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

उक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान तथा निवास का सत्यापन बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।



माननीय न्यायमूर्ति श्री तेज प्रताप तिवारी

(i) परवेज़ खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या - 18737 सन् 2023
निर्णय दिनांक : 28.08.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:217862

आवेदक परवेज़ खान द्वारा दिनांक 30.05.2024 के आदेश को निरस्त कर पुनर्स्थापित किए जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आदेश के माध्यम से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 18737/2023 को अभियोजन के अभाव में निरस्त कर दिया गया था।

आवेदक का कथन था कि दिनांक 30.05.2024 को तकनीकी बाधा के कारण उनके अधिवक्ता को वाद सूची (कॉज़ लिस्ट) प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और न ही स्थगन हेतु निवेदन कर सके।

विपक्षी पक्ष संख्या–2 के अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में आदेश 9 दीवानी प्रक्रिया संहिता के समान किसी आपराधिक वाद को पुनर्जीवित करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा धारा 362 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय को अपने निर्णय में संशोधन अथवा पुनर्विलोकन से निषिद्ध करती है।

न्यायालय ने धारा 362 एवं 353 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों तथा धारा 482 के अंतर्गत निहित अंतर्निहित शक्तियों का परीक्षण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि धारा 362 में निहित निषेध पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है तथा यह ऐसे आदेश को वापस लेने में बाधक नहीं है, जो केवल अभियोजन के अभाव में पारित हुआ हो और जिसमें आवेदक उचित कारणों से उपस्थित नहीं हो सका हो।

न्यायालय ने विष्णु अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, असित कुमार कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, राम नरेश यादव बनाम बिहार राज्य तथा रफीक बनाम मुंशी लाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि तथा रघुवर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया।

न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि किसी पक्षकार को उसके अधिवक्ता की त्रुटि या लापरवाही के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए तथा अभियोजन के अभाव में वाद की निरस्तीकरण आदेश को गुण–दोष के आधार पर पारित निर्णय नहीं माना जा सकता।

अतः पुनर्स्थापन आवेदन स्वीकार किया गया। दिनांक 30.05.2024 का आदेश निरस्त किया गया तथा आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 18737/2023 को उसकी मूल संख्या एवं स्थिति में पुनः बहाल करते हुए गुण–दोष के आधार पर सुनवाई हेतु सक्षम पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

(ii) राम सिंह उर्फ राम सिंघा उर्फ राम सिंघवा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 1054 सन् 2016
निर्णय दिनांक : 16.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:185055-DB

अपीलकर्ता राम सिंह उर्फ राम सिंघा उर्फ राम सिंघवा एवं सुरेन्द्र यादव द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या–2, गाजीपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 09/2012 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.02.2016 को चुनौती दी गई, जिसके अंतर्गत उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 328 एवं 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 20,000/– रुपये अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

अभियोजन का कथन था कि दिनांक 21.06.2010 को जिला कारागार, गाजीपुर के भीतर अपीलकर्ताओं द्वारा पेय पदार्थ (पेप्सी) एवं ब्रेड में विषाक्त पदार्थ मिलाकर विचाराधीन बंदियों–राम बचन यादव, वसीम अहमद, गुड्डू उर्फ राज कुमार तथा सुरेन्द्र यादव–को खिलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राम बचन यादव, वसीम अहमद एवं गुड्डू उर्फ राज कुमार की मृत्यु हो गई।

अभियोजन ने बारह साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रितेश सिंह उर्फ बंटू सिंह, अजय चौबे एवं मनोज कुमार, शवपरीक्षण करने वाले चिकित्साधिकारी तथा विवेचक सम्मिलित थे। तथापि, कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपने पूर्व कथनों से मुकर गए।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो दिन का विलंब हुआ, कारागार से कोई विषाक्त पदार्थ बरामद नहीं हुआ, खाद्य पदार्थों में विष मिलाने की कथा संदेहास्पद है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अविश्वसनीय हैं तथा अभियोजन संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा है।

न्यायालय ने शवपरीक्षण प्रतिवेदन, पेय पदार्थ की बोतल से संबंधित बरामदगी पंचनामा तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् परीक्षण करते हुए यह पाया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता उक्त अपराध में संलिप्त थे। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों में परस्पर विरोधाभास था और वे विश्वास के योग्य नहीं पाए गए। अभियोजन द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं की जा सकी तथा कोई भी निर्णायक वस्तु बरामद नहीं हुई। फलतः, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं को समस्त आरोपों से दोषमुक्त (बरी) किया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हों तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए। इस प्रकार, आपराधिक अपील स्वीकृत की गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद

(i) सरदार ख़ान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्यारू आपराधिक अपील संख्या 1905 सन् 1984
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:216235-DB

विधिक प्रश्नः

क्या अभियुक्त द्वारा चाकू से किया गया एकमात्र प्रहार, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई, उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त माना जा सकता है?

मृतक अपने पिता एवं अन्य परिचित व्यक्तियों के साथ जनपद बुलंदशहर से अपने ग्राम लौट रहा था। इसी दौरान अभियुक्तगण ने, पूर्ववर्ती वैमनस्य के कारण, उस पर सामूहिक आक्रमण किया। अभियुक्त द्वारा चाकू से मृतक के उदर (पेट) पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि ऐसा कोई स्थिर विधिक सिद्धांत नहीं है कि एकमात्र प्रहार की स्थिति में धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। केवल इस आधार पर कि एक ही चोट लगी है, अभियोग को धारा 302 से परिवर्तित कर धारा 304 भाग I अथवा भाग II में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास के साथ–साथ अर्थदण्ड (जुर्माना) अधिरोपित किया जाना भी अपेक्षित है।

(ii) सनेही सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या 6384 सन् 2003
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:216252-DB

क्या अभियुक्त को उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए दायित्वित किया जा सकता है, जिसकी हत्या का उसका प्रत्यक्ष आशय नहीं था, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 301 के अंतर्गत 'दुर्भावना के स्थानांतरण' (Doctrine of Transfer of Malice) के सिद्धांत के आधार पर?

अभियुक्त–अपीलार्थियों ने मद्यपान की अवस्था में वादी एवं उसके परिवार के सदस्यों पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में एक वृद्ध व्यक्ति तथा एक नवजात शिशु (चार दिन का) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पश्चात मृत्यु हो गई। घटना के पीछे दो कारण बताए गए–(i) वादी के परिवार के प्रति अभियुक्तों की नाराज़गी, क्योंकि उन्होंने एक दिन पूर्व उनके खेत में कार्य करने से इनकार कर दिया था, तथा (ii) जातिगत आधार पर विद्यमान द्वेष।

न्यायालय ने यह माना कि यद्यपि अभियुक्त का आशय एक अन्य व्यक्ति (महिला) पर आक्रमण करने का था, तथापि उसी कृत्य के परिणामस्वरूप शिशु को चोट पहुँची, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 301 के अनुसार, अभियुक्त की दुर्भावना (मैलिस) का स्थानांतरण उस वास्तविक पीड़ित पर माना जाएगा, जिसकी मृत्यु हुई है।

अतः न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तगण को शिशु की मृत्यु के लिए दायित्वित ठहराया जाना विधिसम्मत है, भले ही उनके द्वारा उस शिशु की हत्या का कोई प्रत्यक्ष आशय न रहा हो।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार

(i) श्रीमती शाहीन बेगम एवं 9 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

केस संख्याः रिट - सी संख्या - 37032 सन् 2019
निर्णय दिनांक : 21.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:208347

याचिकाकर्ता (श्रीमती शाहीन बेगम – द्वितीय याचिकाकर्ता द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया है) ने प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दिनांक 10.01.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उनकी उचित मूल्य की दुकान (फेयर प्राइस शॉप) की डीलरशिप निरस्त कर दी गई थी, तथा दिनांक 02.09.2019 के अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उनकी अपील निरस्त कर दी गई थी।

डीलरशिप की निरस्तीकरण कार्यवाही जुलाई 2018 की एन.आई.सी. (NIC) रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें यह दर्शाया गया था कि 697 राशन कार्डधारकों हेतु आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए मात्र तीन आधार संख्याओं (631611332364, 337984158743 तथा 351348884560) का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.08.2018 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता का कथन था कि अंगुलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) में त्रुटि के कारण ई–पीओएस मशीन को दो दिनों के लिए मरम्मत हेतु भेजा गया था। न तो कोई स्थलीय निरीक्षण (स्पॉट इंस्पेक्शन) किया गया और न ही भंडार (स्टॉक) का सत्यापन किया गया। एन.आई.सी. रिपोर्ट उन्हें कभी उपलब्ध नहीं कराई गई। वितरण सूची में तकनीकी त्रुटियाँ दर्शाई गई थीं। उन्होंने 162 कार्डधारकों के शपथपत्र प्रस्तुत किए, जिनमें यह पुष्टि की गई थी कि उन्हें नियमित रूप से राशन प्राप्त होता रहा।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बजरंगी तिवारी बनाम आयुक्त, देवीपाटन मंडल, गोंडा (2025) 7 ADJ 585 (एल.बी.) के पूर्णपीठ निर्णय तथा अमित कुमार (रिट–सी संख्या 2029/2022) एवं मेसर्स साजिद (रिट–सी संख्या 38609/2019) के समन्वय पीठ (कोऑर्डिनेट बेंच) के निर्णयों के अनुसार दिनांक 05.08.2019 के शासनादेश के तहत प्रारंभिक जांच के बिना मात्र प्राथमिकी अथवा एन.आई.सी. रिपोर्ट के आधार पर निरस्तीकरण उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही, ई–पीओएस मशीन की कोई तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट

प्रस्तुत नहीं की गई।

राज्य पक्ष ने उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण का विनियमन) नियंत्रण आदेश, 2016 के अंतर्गत पारित आदेश का समर्थन किया तथा शंकर प्रसाद (मिस. सिंगल संख्या 32679/2019) में पारित द्वैधपीठ (डिवीजन बेंच) के निर्णय एवं अवधेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 3 ADJ 53 के विस्तृत निष्कर्षों का उल्लेख किया। न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि जुलाई 2018 में संक्रमणकालीन "फीडिंग" चरण (डायनामिक मोड) के दौरान डीलरों को प्रतिदिन अंतिम लॉकिंग/सीडिंग से पूर्व आधार डेटा को कई बार संपादित/परिवर्तित करने का अवसर प्राप्त था।

यह भी इंगित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अपील में ई–पीओएस मशीन को मरम्मत हेतु दिए जाने के संबंध में विरोधाभासी कथन किए गए थे। 162 कार्डधारकों के शपथपत्रों में 697 प्रभावित कार्डधारकों का समावेश नहीं था।

न्यायालय ने यह पाया कि याचिकाकर्ता 697 कार्डधारकों हेतु मात्र तीन आधार संख्याओं के उपयोग का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहा। दिनांक 05.08.2019 का शासनादेश भावी प्रभाव (प्रोस्पेक्टिव) वाला है, अतः वर्तमान मामले में लागू नहीं होता। बजरंगी तिवारी का सिद्धांत तथा उल्लिखित समन्वय पीठ के निर्णय इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि निरस्तीकरण केवल प्राथमिकी पर आधारित नहीं था, बल्कि एन.आई.सी. रिपोर्ट तथा याचिकाकर्ता द्वारा डायनामिक फीडिंग के दौरान की गई प्रविष्टियों के समुचित स्पष्टीकरण में विफलता पर आधारित था।

अवधेश कुमार प्रकरण में (पावर–पॉइंट प्रस्तुतीकरण के रूप में न्यायिक अभिलेख) दर्ज अवलोकन निर्विवाद एवं यथावत् बने रहे। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार के दुर्भावना (मैलाफाइड) का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया।

अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ कुमार राय

(i) मोहम्मद आरिफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य

केस संख्याः रिट-ए संख्या 6734/2002
निर्णय दिनांक : 21.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:208347

याचिकाकर्ता, जो मिर्जापुर डिपो, इलाहाबाद क्षेत्र में एक परिचालक (कंडक्टर) के रूप में कार्यरत था, ने क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र द्वारा दिनांक 31.05.2002 को पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही, दिनांक 10.09.2002 के अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी गई, जिसके द्वारा उसकी अपील मंडलीय प्रधान प्रबंधक, मध्य क्षेत्र, टेढ़ी कोठी, लखनऊ द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

संक्षेप में तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.03.1990 को याचिकाकर्ता बस संख्या URS–9938 को रेनूकोट से लखनऊ ले जा रहा था। निरीक्षण दल, श्री हीरा लाल उपाध्याय के नेतृत्व में, गुरमुरा में बस को रोका गया। जांच में पाया गया कि कुल 83 यात्रियों में से 30 यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, जबकि उनसे किराया वसूल किया जा चुका था।

याचिकाकर्ता द्वारा 30 यात्रियों से 285 रुपये वसूल किए गए, किंतु उन्हें टिकट जारी नहीं किए गए। यह कृत्य बिना टिकट यात्रियों को ले जाने, निगम की आय के गबन, भ्रष्टाचार तथा नियमों के उल्लंघन के रूप में पाया गया।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.11.1990 को आरोपों से इनकार करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया तथा दो यात्रियों से पूछताछ कराने का अनुरोध किया। जांच के दौरान निरीक्षण अधिकारी ने रिपोर्ट को सिद्ध किया और याचिकाकर्ता को जिरह का अवसर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक गवाह विनोद कुमार ने कहा कि 20 से 30 यात्री यात्रा कर रहे थे।

दिनांक 15.01.1998 को याचिकाकर्ता ने स्वयं निवेदन किया कि उसके उत्तर को ही अंतिम बचाव माना जाए तथा वह अन्य किसी गवाह से जिरह नहीं करना चाहता। इसके उपरांत जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक ने दिनांक 31.05.2002 को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया, जिसे अपील में भी दिनांक 10.09.2002 को निरस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि–

- जांच हेतु तिथि एवं समय निर्धारित नहीं किया गया,
- चालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे भेदभाव हुआ,
- स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई,
- निरीक्षण दल के अन्य सदस्य से भी जिरह नहीं कराई गई,
- तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया।

न्यायालय ने अभिलेखों का परीक्षण करते हुए पाया कि आरोप स्पष्ट एवं ठोस थे तथा याचिकाकर्ता को समुचित अवसर प्रदान किया गया था। यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं आगे की जिरह से इंकार किया था।

न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम रतन सिंह तथा उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुरेश चंद शर्मा पर भरोसा करते हुए कहा कि विभागीय जांच में साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते।

अतः न्यायालय ने यह भी माना कि क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से उच्च पदस्थ होने के कारण, दंडादेश पारित करने के लिए सक्षम थे।

न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र केवल निर्णय प्रक्रिया तक सीमित होता है, न कि निर्णय के गुण–दोष के पुनर्मूल्यांकन तक।

फलतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई।

(ii) मेसर्स महा शक्ति ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्यारू रिट-सी संख्या 10032/2022
निर्णय दिनांक : 17.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:204005-DB

याचिकाकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा दिनांक 20.01.2016 को पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा दिनांक 04.08.2015 की निविदा सूचना को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही, उन्होंने सीवर निर्माण कार्य तथा नट–बोल्ट युक्त क्लैंप की आपूर्ति हेतु भुगतान किए जाने का निर्देश देने की मांग की।

नगर पालिका परिषद, कासगंज द्वारा 04.08.2015 को विभिन्न कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। याचिकाकर्ताओं की निविदाएं न्यूनतम होने के कारण स्वीकृत की गईं तथा कार्यादेश जारी किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने–

- निर्धारित समय में क्लैंप की आपूर्ति पूर्ण कर दी,
- तथा सीवर निर्माण का लगभग 85–90% कार्य पूर्ण कर लिया।

इसके पश्चात एक शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई और दिनांक 20.01.2016 को निविदा निरस्त कर दी गई।

न्यायालय ने पाया कि–

- याचिकाकर्ताओं द्वारा कार्य का अधिकांश भाग निविदा निरस्तीकरण से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया था,
- तथा आपूर्ति भी पूर्ण कर दी गई थी।

न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी अपने आचरण के कारण प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत से बंधे हुए हैं।

समान परिस्थितियों में अन्य ठेकेदार को भुगतान किया जाना, जबकि याचिकाकर्ताओं को भुगतान से वंचित रखना, मनमाना एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

अतः न्यायालय ने निर्देश दिया कि–

जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य एवं आपूर्ति के लिए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।

रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ला

(i) रियाज़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः आवेदन धारा 482 - 27200/2017
निर्णय दिनांक : 04.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:194504

आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 917/2015, धारा 363, 366, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 6 पॉक्सो अधिनियम, थाना बारादरी, जनपद बरेली में दिनांक 18.10.2016 को प्रेषित आरोप–पत्र को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

पीड़िता के पिता द्वारा भ्रांत धारणा के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला चिकित्सालय, बरेली द्वारा दिनांक 09.06.2016 को कराए गए चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष अंकित की गई।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अंतर्गत दिए गए अपने कथनों में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह बालिग है तथा अपनी इच्छा से आवेदक के साथ गई थी। उसने यह भी कहा कि दोनों ने आला हजरत दरगाह पर निकाह किया और वे पति–पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। उनके दो संतानें हैं तथा वे सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि चिकित्सीय रिपोर्ट में आयु 19 वर्ष अंकित है, तथापि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

न्यायालय ने आवेदन धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) संख्या 34844/2025 में प्रतिपादित विधि तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों–के. धंदापानी, मफत लाल, श्रीराम उरांव, दसारी श्रीकांत, महेश मुकुंद पटेल एवं मधुकर–पर विचार किया, जिनमें ऐसे मामलों में, जहाँ पक्षकार स्वेच्छा से साथ रहकर वैवाहिक जीवन स्थापित कर चुके हों और संतान भी हो, पारिवारिक जीवन की रक्षा हेतु कार्यवाही निरस्त की गई है।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तथा इससे आवेदक एवं पीड़िता का पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा।

अतः दिनांक 18.10.2016 के आरोप–पत्र तथा विशेष न्यायमूर्ति, पॉक्सो अधिनियम, न्यायालय संख्या 2, बरेली के समक्ष लंबित मुकदमा अपराध संख्या 917/2015 की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त की जाती है।

आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

(ii) सुख लाल बुनकर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 6805/2019
निर्णय दिनांक : 30.10.2025
Neutral Citation No. 2025 : AHC : 190335 - DB

अपीलकर्ताओं सुख लाल बुनकर एवं पप्पू बुनकर द्वारा अपर सत्र न्यायमूर्ति/विशेष न्यायमूर्ति श्री(डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम), ललितपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 6/2018 में पारित दिनांक 06.06.2019 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई। उक्त निर्णय में उन्हें धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

घटना दिनांक 15/16.09.2017 की मध्यरात्रि की है। प्रथम सूचनाकर्ता संगीता ने आरोप लगाया कि पूर्व वैमनस्य एवं प्राणघातक धमकी के कारण अपीलकर्ताओं ने उसके पति हरि किशन की, जब वह द्वार पर सो रहा था, गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस संबंध में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किए गए, जिनमें डॉ. एल.वी. गुप्ता द्वारा संपादित शव परीक्षण रिपोर्ट सम्मिलित है, जिसमें गर्दन एवं मुख पर मृत्यु–पूर्व घाव पाए गए तथा श्वासनली एवं अन्ननली कट जाने से अत्यधिक रक्तस्राव एवं आघात के कारण मृत्यु होना दर्शाया गया। अभियुक्त पप्पू की निशानदेही पर नीम के वृक्ष के नीचे झाड़ियों से रक्तरंजित कुल्हाड़ी बरामद की

गई।

अभियोजन द्वारा सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संगीता (PW–1) एवं तुड़वा (PW–2), बरामदगी साक्षी रूपन सिंह (PW–3), चिकित्सक तथा विवेचक सम्मिलित थे।

न्यायालय ने पूर्व विवाद से उत्पन्न उद्देश्य, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों (जिन्होंने टॉर्च के प्रकाश में अभियुक्तों को घटना करते देखने का दावा किया), चिकित्सीय साक्ष्य तथा बरामदगी का परीक्षण किया।

कुल्हाड़ी की बरामदगी संदिग्ध पाई गई, क्योंकि स्थल योजना घटना के पाँच दिन पश्चात तैयार की गई थी। घटना अंधकारमय रात्रि में घटित हुई थी तथा अभियोजन का कथानक पश्चात निर्मित प्रतीत हुआ।

अभियोजन अपने प्रकरण को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। अतः अपील स्वीकार की जाती है।

दिनांक 06.06.2019 का विवादित निर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाता है।

अपीलकर्ता संख्या 1, सुख लाल बुनकर, जो पूर्व से जमानत पर है, को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता संख्या 2, पप्पू बुनकर, जो कारागार में निरुद्ध है, यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–A के अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर तत्काल मुक्त किया जाए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन

(i) गणेश त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

मामला संख्याः रिट - ए संख्या - 7655 वर्ष 2019
निर्णय दिनांक : 28.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:188516-DB

इस रिट याचिका में कुलपति (चांसलर), संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (प्रतिवादी संख्या 4) की दिनांक 27.10.2017 की बैठक कार्यवाही (मिनट्स) तथा कुलपति (वाइस–चांसलर) के दिनांक 03.11.2017 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेशों के माध्यम से सहायक प्राध्यापक (भाषा विज्ञान) के पद हेतु विज्ञापन संख्या 2 वर्ष 2016 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता संख्या 2, डॉ. रानी द्विवेदी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया था तथा दिनांक 25.10.2017 को साक्षात्कार में सम्मिलित हुई थीं। चांसलर द्वारा यूजीसी (शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता) विनियमों में संशोधन करने तथा दिनांक 01.11.2017 के पश्चात नीतिगत निर्णयों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात नए विज्ञापन जारी किए गए।

याचिकाकर्ता संख्या 1 की याचिका दिनांक 29.05.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई थी; अतः याचिका पर केवल याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में ही सुनवाई की गई।

याचिकाकर्ता संख्या 2 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चांसलर का आदेश दिनांक 08.04.2017 के शासनादेश (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) के अंतर्गत जारी) के विपरीत था, जिसमें लंबित विज्ञापनों को संरक्षित किया गया था तथा यूजीसी संशोधन को केवल भावी रूप से लागू किया गया था। संशोधन के कारण सहायक प्राध्यापक (भाषा विज्ञान) की योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

दिनांक 27.10.2017 की बैठक कार्यवाही में तथ्यात्मक त्रुटियाँ थीं; जैसे कि सीएमडब्ल्यूपी संख्या 49263 वर्ष 2017 के लंबित होने को गलत रूप से अभिलिखित किया गया, जबकि उसे दिनांक 25.10.2017 को निरस्त किया जा चुका था, तथा विज्ञापन के पश्चात व्यतीत समय को भी बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाया गया।

न्यायालय ने सीएमडब्ल्यूपी संख्या 3889 वर्ष 2019 (डॉ. अमित कुमार शुक्ला) में दिनांक 15.03.2019 के निर्णय को भिन्न माना, क्योंकि वह प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक पदों से संबंधित था, जहाँ योग्यता में परिवर्तन किया गया था। **Shankarsan Dash v. Union of India** में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर न्यायालय ने कहा कि यद्यपि नियोक्ता विज्ञापन वापस ले सकता है, तथापि ऐसा निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण होने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

न्यायालय ने पाया कि विवादित आदेश मनमाने थे, त्रुटिपूर्ण तथ्यों पर आधारित थे तथा दिनांक 08.04.2017 के शासनादेश का उल्लंघन करते थे। साक्षात्कार का परिणाम न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत

किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 को सफल पाया गया। सहायक प्राध्यापक (भाषा विज्ञान) का एक पद दिनांक 20.02.2020 के अंतरिम आदेश द्वारा सुरक्षित रखा गया था।

आदेश:

रिट याचिका याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में स्वीकार की जाती है। दिनांक 27.10.2017 की बैठक कार्यवाही, चांसलर का आदेश तथा दिनांक 03.11.2017 का वाइस–चांसलर का आदेश निरस्त किए जाते हैं। तत्पश्चात जारी विज्ञापन भी उसी अनुरूप परिवर्तित माने जाएंगे। वाइस–चांसलर को निर्देशित किया जाता है कि 30 दिनों के भीतर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर याचिकाकर्ता संख्या 2 को सहायक प्राध्यापक (भाषा विज्ञान) के पद पर नियुक्त करें। रजिस्ट्रार (अनुपालन) 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के माध्यम से आदेश की सूचना प्रेषित करेंगे। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(ii) कर्मेश कुमार श्रीवास्तव प्रो. वीनस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम नगर विकास सचिव एवं 5 अन्य

मामला संख्याः रिट - सी संख्या - 15336 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 17.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:186447-DB

याचिकाकर्ता द्वारा मदारपुर एवं ज़न्ना की मलिन बस्तियों में ओवरहेड टैंक, सीसी सड़क (700×3 मीटर), सीवर पाइपलाइन (1500 मीटर), रूमा में 60 सीवर चौंबर, तथा मदारपुर में 320 केएल और ज़न्ना में 250 केएल क्षमता के ओवरहेड टैंक के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 23.12.2011 के कार्यादेश के अनुसार किए गए कार्यों के शेष भुगतान हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देने के लिए परमादेश (Mandamus) की प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ता का कथन था कि सीसी सड़क एवं सीवर चैंबर का भुगतान कर दिया गया है, परंतु अन्य कार्यों का भुगतान लंबित है।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समस्त भुगतान नकद वाउचर संख्या 1412 दिनांक 04.02.2012 तथा चेक संख्या 754959 दिनांक 04.02.2012 द्वारा ₹3,53,750/– के रूप में कर दिया गया था और कोई राशि शेष नहीं है। न्यायालय ने पाया कि विवादित दावा तथ्यों के विवाद से संबंधित है, जिसमें किए गए कार्य एवं भुगतान की मात्रा को लेकर मतभेद है। अभिलेखों में किसी अतिरिक्त भुगतान का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं पाया गया तथा याचिकाकर्ता कार्यादेश की प्रति भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

Kerala SEB v. Kurien E. Kalathil, Orissa Agro Industries Corporation Ltd v. Bharati Industries, Union of India v. Puna Hinda तथा M/s Bio Tech System v. State of UP के निर्णयों पर आधारित होकर न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसे शुद्ध संविदात्मक विवादों के निपटान हेतु नहीं किया जा सकता, जिनमें विवादित तथ्य सम्मिलित हों और कोई वैधानिक तत्व या स्वीकृत दायित्व स्थापित न हो।

आदेश:

रिट याचिका निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

(i) वसीउल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आवेदन धारा 528 बीएनएसएस - 34844 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 20.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:207712

प्रकरण की पृष्ठभूमि:

सत्र न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या भारतीय दंड संहिता की डाल सकता।

न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि यदि आपराधिक कार्यवाही निरस्त नहीं की गई तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, जिससे वैवाहिक संबंध प्रभावित

हो सकता है। इस संदर्भ में न्यायालय ने महेश मुकुंद पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025), मधुकार्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिनमें समान परिस्थितियों में कार्यवाही निरस्त की गई थी।

न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियुक्तों के दोषसिद्ध होने की संभावना अत्यंत क्षीण है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता केंद्र के समक्ष समझौता हो चुका है।

निर्णयः

आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा सत्र न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है। न्यायालय ने कहा कि यदि आपराधिक मुकदमे को जारी रखा गया तो एक स्थापित एवं सुखी परिवार के विघटन की संभावना है। चूँकि पक्षकार दीर्घकाल से वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा उनसे एक संतान भी उत्पन्न हुई है, अतः इस परिस्थिति में कार्यवाही को जारी रखना निरर्थक होगा।

(ii) आकांक्षा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः रिट-सी संख्या 35171 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 17.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:226669

प्रकरण की पृष्ठभूमिः

विभिन्न लिव–इन संबंधों में रह रहे युगलों द्वारा रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं, जिनमें राज्य एवं पुलिस अधिकारियों को हस्तक्षेप न करने तथा परिवारजनों एवं अन्य व्यक्तियों से जीवन एवं सुरक्षा के संभावित खतरे से संरक्षण प्रदान करने हेतु परमादेश (मैंडेमस) जारी करने की प्रार्थना की गई।

विधिक प्रश्नः

1. क्या लिव–इन संबंध अवैध या अनैतिक हैं?
2. क्या लिव–इन संबंध में रहने वाले सहमति देने वाले वयस्क संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण के अधिकारी हैं?
3. क्या राज्य को ऐसे युगलों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है?

न्यायालय के अवलोकन एवं निष्कर्षः

न्यायालय ने माना कि लिव–इन संबंध पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं तथा इनके संबंध में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणों के कारण आलोचना भी होती है। तथापि, ऐसे संबंध अवैध नहीं हैं और बिना विवाह के साथ रहना कोई अपराध नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो उसे अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का पूर्ण अधिकार है। उसके शांतिपूर्ण जीवन में परिवार अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान, निजता एवं सुरक्षा की रक्षा करे, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। इन अधिकारों का संरक्षण न करना मानवाधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं भी जाने तथा किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है, और उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

निर्णयः

रिट याचिका स्वीकार की जाती है। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति विवाहित हो या अविवाहित। सामाजिक नैतिकता या स्वीकृति संवैधानिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। यदि राज्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है, तो यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसे न्यायालय अनदेखा नहीं कर सकता।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद

(i) रीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2016 वर्ष 2024
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:21916

यह प्रकरण एक अनुसूचित जाति की महिला द्वारा प्रस्तुत परिवाद से प्रारम्भ हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पुलिस की मिलीभगत से उसकी भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, जातिसूचक अपमानजनक शब्द कहे गए तथा उसकी संपत्ति में आग लगा दी गई, किन्तु संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। विशेष न्यायमूर्ति श्रीने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अंतर्गत परिवाद को निरस्त कर दिया। यह निरस्तीकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत पुलिस जांच तथा धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के अभाव के आधार पर किया गया था।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि जहाँ कोई परिवाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों का प्रकटीकरण करता है, वहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 18(ए)(1)(क) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के आलोक में किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से पूर्व प्रारंभिक जांच का कोई भी निर्देश विधि के विपरीत है तथा संपूर्ण कार्यवाही को दोषपूर्ण बनाता है।

आगे यह भी प्रतिपादित किया गया कि संज्ञान ग्रहण से पूर्व की अवस्था (प्री–कॉग्निजेंस चरण) में आरोपों की सत्यता निर्धारित करने हेतु पुलिस जांच प्रतिवेदन पर निर्भर करना अनुचित है, तथा उसके आधार पर परिवाद को निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने अथवा जांच करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती; ऐसी स्वीकृति केवल संज्ञान ग्रहण के चरण पर अपेक्षित होती है।

अतः न्यायालय ने विवादित आदेश को निरस्त करते हुए यह निर्देश दिया कि परिवाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (विशेषतः धारा 4, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने में लापरवाही से संबंधित है) तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रासंगिक प्रावधान सम्मिलित किए जाएँ, और अधिनियम के नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जांच कराई जाए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान

(i) मोहम्मद आकिब बनाम भारत संघ एवं 7 अन्य

वाद संख्याः रिट-सी संख्या - 7293 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 14.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:203304-DB

याचिकाकर्ता, जो जनपद फतेहपुर के हथग्राम में मेसर्स नेशनल फिलिंग स्टेशन नाम से एक खुदरा विक्रय केंद्र (पेट्रोल पंप) संचालित करता है, ने यह याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 को नया पेट्रोल पंप आवंटित किए जाने तथा उसे 07.10.2023 को जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी।

जाएगी। यह स्थिति हानि बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन (Damnum sine injuria) के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जिस पर विधि में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने जशभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार तथा मिथिलेश गर्ग बनाम भारत संघ के निर्णयों, तथा इसी न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों–रिंकी गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अमीर

कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ–पर विश्वास व्यक्त किया।

अदालत ने कहा कि किसी पेट्रोल पंप संचालक को यह मौलिक या वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी अन्य संचालक को निकटवर्ती स्थान पर प्रतिस्पर्धी केंद्र स्थापित करने से रोके। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनहित में होती है और एकाधिकार की रक्षा के लिए इसे बाधित नहीं किया जा सकता।

अतः याचिका को अनुरक्षणीय न मानते हुए खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को उपयुक्त होने पर सक्षम सिविल न्यायालय में राहत प्राप्त करने का विकल्प खुला रखा गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

वाद संख्याः रिट-ए संख्या - 17540 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 05.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:230563-DB

इस याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.07.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की दावा याचिका को समय–सीमा से परे (कालबाह्य) मानकर खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में निरीक्षक है, को दिनांक 30.11.2023 के आदेश द्वारा निंदा प्रविष्टि (censure entry) दी गई थी। उसकी अपील 24.01.2024 को खारिज कर दी गई तथा 15.06.2024 को प्रस्तुत पुनरीक्षण को 23.04.2025 को विलंबित मानकर अस्वीकार कर दिया गया। अधिकरण ने यह माना कि 02.07.2025 को प्रस्तुत दावा याचिका अपील आदेश की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के उपरांत दायर की गई थी, अतः वह कालबाह्य है।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारियों (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 20(6) एवं नियम 23(2) का परीक्षण किया, जिनके अनुसार अपील आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे उचित कारण दर्शाने पर छह माह तक विस्तारित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह विशेष रूप से कहा था कि अपील आदेश की प्रति उसे 08.06.2024 को प्राप्त हुई थी, किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए सेवा की तिथि को गलत रूप में दर्ज किया तथा विलंब को क्षम्य करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

न्यायालय ने आगे कहा कि एस.एस. राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, अधिकरण में जाने का कारण तभी उत्पन्न होता है जब विभागीय उपायों का अंतिम निर्णय हो जाए। इस प्रकार, दावा याचिका 23.04.2025 के पुनरीक्षण आदेश से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर ही प्रस्तुत की गई थी। अतः अधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण को विधि के अनुसार गुण–दोष के आधार पर पुनः निर्णय हेतु अधिकरण को वापस भेज दिया गया। निंदा प्रविष्टि के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अबधेश कुमार चौधरी

(i) श्रीमती कामिनी वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 855 सन् 2016
निर्णय दिनांक : 15.11.2025

अपीलकर्ता श्रीमती कामिनी वर्मा को अपर सत्र न्यायमूर्ति/त्वरित न्यायालय संख्या–1, बलरामपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 34/2012 में दोषसिद्ध किया गया था। यह वाद अपराध संख्या 553/2011 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 120–बी के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। प्रत्येक आरोप में आजीवन कुल नौ साक्षियों का परीक्षण कराया गया, जिनमें परिवादी (PW–1), श्री राम पांडे (PW–2), भवन स्वामी (PW–3), चिकित्सक एवं विवेचक सम्मिलित थे। अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में समस्त आरोपों से इन्कार करते हुए स्वयं को मिथ्या रूप से फँसाया जाना बताया।

विचारण न्यायालय ने राजेश कुमार मिश्रा एवं अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 120–बी के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि अभियोजन द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला संदेह से परे सिद्ध कर दी गई है। सह–अभियुक्त ससुराली जनों को दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता एवं राजेश के मध्य अवैध संबंध थे तथा उन्होंने नंदिनी एवं सुंदरम को 'टुडन संस्कार' के बहाने दुकान पर बुलाकर जीवित जला दिया।

अपील में यह प्रतिपादित किया गया कि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है, वाद पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, अपीलकर्ता की उपस्थिति सिद्ध नहीं है, अवैध संबंध प्रमाणित नहीं हुए हैं, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत लागू नहीं होता, अग्निकांड केरोसिन दीपक से आकस्मिक रूप से हुआ तथा परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण है। राज्य पक्ष ने प्रत्युत्तर में कहा कि उपलब्ध साक्ष्य अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।

बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 SCC 116 में प्रतिपादित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मानकों के आलोक में दोषसिद्धि की पुष्टि की जा सकती है। अपील अंतिम निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(ii) राम जीवन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से सचिव गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 9457 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 07.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:61495-DB

याचिकाकर्ता द्वारा थाना चौरासी, जनपद उन्नाव में दिनांक 30.07.2025 को पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अंतर्गत अपराध संख्या 295/2025 के रूप में अभिलिखित थी, तथा उक्त प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तारी न किए जाने का भी निर्देश अपेक्षित था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपित अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष से कम का दंड निर्धारित है तथा पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि आरोपित अपराध सात वर्ष से कम दंडनीय है, अतः अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 SCC 273 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI (2022) 10 SCC 51 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। जांच एजेंसी के उक्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिका का निस्तारण किया जा सकता है।

न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) तथा उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित विधि के आलोक में याचिका का निस्तारण कर दिया। यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता दिनांक 13.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे संबंधित थाने के विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा अन्वेषण पूर्ण होने तक सहयोग करता रहेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो अभियोजन अथवा परिवादी के आवेदन पर उसे प्रदत्त संरक्षण निरस्त किया जा सकता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी

(i) सिविल न्यायालय बार एसोसिएशन एवं अन्य बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य

वाद संख्याः रिट-सी संख्या - 37/2026
निर्णय दिनांक : 24.03.2026
Neutral Citation No. - 2026:AHC:60135-DB

सिविल न्यायालय बार एसोसिएशन, महाराजगंज तथा बार एसोसिएशन, सिविल न्यायालय, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में प्रधान न्यायमूर्ति, परिवार न्यायालय, महाराजगंज एवं जिला न्यायमूर्ति, महाराजगंज द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पारित प्रशासनिक आदेश तथा जिला न्यायमूर्ति, गोरखपुर एवं

प्रधान न्यायमूर्ति, परिवार न्यायालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 23.09.2025 एवं 07.10.2025 को पारित प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दी गई थी। इन आदेशों के माध्यम से परिवार न्यायालय में लंबित भरण–पोषण वादों को नौतनवा, निचलौल तथा अन्य ग्राम न्यायालयों को स्थानांतरित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 एक विशेष अधिनियम है, जो पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है, अतः प्रशासनिक निर्देशों द्वारा परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि इस स्थानांतरण के परिणामस्वरूप वादकारियों का उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष अपील करने का विधिक अधिकार प्रभावित हुआ तथा उन्हें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 33 के अंतर्गत भिन्न अपीलीय मंच पर जाने के लिए बाध्य किया गया।

न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का परीक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 दोनों ही पृथक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेष अधिनियम हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 12(1)(ख) सहपठित प्रथम अनुसूची (भाग–II) के अनुसार ग्राम न्यायालयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX (वर्तमान में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अध्याय X) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी वादों की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 16 जिला न्यायमूर्ति श्रीको लंबित वादों के स्थानांतरण का अधिकार देती है तथा धारा 18 आपराधिक मामलों में अधिनियम को अधिभावी प्रभाव प्रदान करती है।

चूँकि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 एक परवर्ती विधि है, अतः किसी असंगति की स्थिति में यह पूर्ववर्ती विधि पर प्रभावी होगा। याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिनियम की धाराओं 12, 16 एवं 18 की वैधता को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए उनके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से पारित प्रशासनिक आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलीय मंच में अंतर मात्र से स्थानांतरण आदेश अवैध नहीं हो जाता। विवादित आदेश पूर्णतः प्रशासनिक प्रकृति के थे तथा विधि के अनुरूप थे।

अतः दोनों रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) राकेश कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

वाद संख्याः रिट-सी संख्या - 5496/2026
निर्णय दिनांक : 24.03.2026
Neutral Citation No. - 2026:AHC:60240-DB

प्रस्तुत रिट याचिका में दिनांक 13.11.2025 के मांग–पत्र तथा उसके उपरांत प्रतिवादी संख्या 4, सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरंभ की गई वसूली कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। यह कार्यवाही दिसंबर, 2018 में स्वीकृत दो सावधि ऋणों से संबंधित ₹22,33,573.73 की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रारंभ की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि प्रतिवादी संख्या 4 उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(m)(iv) के अंतर्गत अधिसूचित वित्तीय संस्था नहीं है तथा शीर्षक अभिलेखों के जमा के माध्यम से निर्मित प्रतिभूति हित (Security Interest) का CERSAI में पंजीकरण नहीं किया गया। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि ऋण अभिलेखों पर विधिवत स्टाम्प नहीं लगाया गया तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 के सह–उधारकर्ता होने के संबंध में कूटकरण (Forgery) के आरोप हैं और सुरक्षित संपत्ति के विवरण में भी विसंगतियाँ हैं।

न्यायालय ने यह पाया कि प्रतिवादी संख्या 4 एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2020 की अधिसूचना (जिसने पूर्ववर्ती 05.08.2016 की अधिसूचना को प्रतिस्थापित किया) के माध्यम से वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे बाद में 12.02.2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया। ऋण लेन–देन तथा चूक (डिफ़ॉल्ट) के तथ्य विवादित नहीं थे।

CERSAI में अपंजीकरण को एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता माना गया, जो उधारकर्ता एवं सुरक्षित ऋणदाता के मध्य प्रतिभूति हित के सृजन अथवा उसके प्रवर्तन के अधिकार को अमान्य नहीं करता। स्टाम्प की कमी एक सुधार योग्य त्रुटि है, जो मूल लेन–देन को अवैध नहीं बनाती और न ही ऋण वसूली अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करती है। कूटकरण एवं धोखाधड़ी के आरोप अस्पष्ट एवं निराधार पाए गए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास

SARFAESI अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जहाँ सभी तथ्यात्मक एवं विधिक आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। S. Shobha v. State Bank of India में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने यह माना कि अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट कमी जैसे अपवादात्मक परिस्थितियों के अभाव में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका ग्राह्य नहीं है।

अतः रिट याचिका निरस्त कर दी गई तथा याचिकाकर्ताओं को SARFAESI अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नंदन

(i) हवलदार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

केस संख्याः रिट-सी संख्या 13413 सन् 2024
निर्णय दिनांक : 20.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:208314

यह याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (जिसे आगे 'संहिता, 2006' कहा जाएगा) की धारा 65 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को कब्ज़ा पुनः दिलाने का निर्देश देने हेतु प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने संहिता, 2006 की धाराओं 63, 64, 65, 129 एवं 134 का सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत के आधार पर परीक्षण किया।

संहिता की धारा 63, जो आबादी स्थलों के आवंटन तथा धारा 64 में वर्णित वरीयता क्रम से संबंधित है, की उद्देश्यपरकता को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 65 एवं धारा 129 में प्रयुक्त "आवंटी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति" तथा संबंधित धाराओं में प्रयुक्त "आवंटी को कब्ज़ा सौंपना" एवं "आवंटी को कब्ज़ा बहाल करना" जैसे शब्दों की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जिससे वे निरर्थक न हो जाएँ। संहिता के उद्देश्य एवं कारणों की पृष्ठभूमि में धारा 65 के अंतर्गत एसडीएम को प्रदत्त शक्तियों को निष्प्रभावी नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एसडीएम की शक्तियाँ केवल आवंटन के तुरंत पश्चात कब्ज़ा दिलाने तक सीमित मानी जाएँ, तो धारा 65 की उपधाराएँ (2) से (8) निरर्थक हो जाएँगी। साथ ही यह भी कहा गया कि धारा 134 के अंतर्गत उपलब्ध उपाय, कब्ज़ा हट जाने की स्थिति में प्रभावी नहीं है।

अतः एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे धारा 65 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें तथा आवंटी के बेदखली के मामलों पर तब तक विचार करें, जब तक ग्राम सभा का स्वामित्व बना रहे और राजस्व न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विद्यमान रहे।

(ii) अशोक कुमार बनाम भारत संघ एवं 4 अन्य

केस संख्याः विशेष अपील संख्या 1147 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 24.11.2025

यह विशेष अपील एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा पारित उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें बैंक कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी गई थी। न्यायालय के समक्ष दो प्रश्न विचारार्थ थे–

(1) वे दस्तावेज़ जो एकल न्यायमूर्ति श्रीके समक्ष प्रस्तुत नहीं थे, उन्हें विशेष अपील में किस प्रकार देखा जा सकता है;

(2) बैंक अधिकारी से अपेक्षित उच्च स्तर की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, क्या मामले के तथ्यों में ऐसा कदाचार सिद्ध होता है, जिसके लिए सेवा से बर्खास्तगी उचित दंड है।

न्यायालय ने माना कि विभाग द्वारा जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया था, वे अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंग थे और जिनकी स्वीकृति पूर्व से ही थी; अतः उन पर विचार करने से अपीलकर्ता को कोई क्षति नहीं होगी। अपीलकर्ता का यह तर्क भी अस्वीकार कर दिया गया कि उसने धन की कमी की पूर्ति नहीं की, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए; क्योंकि मौखिक जाँच के दौरान उसने स्वयं स्वीकार किया था कि उसने अपनी

माता के उपचार हेतु धन का उपयोग किया था, और बैंक प्रबंधक के कथन से भी यह तथ्य सिद्ध होता है।

द्वितीय प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि बैंक अधिकारी को उच्च स्तर की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि वह जमाकर्ताओं एवं ग्राहकों के धन का प्रबंधन करता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करता, तो धन का अनुचित उपयोग—चाहे वह माता के चिकित्सा उपचार जैसे आवश्यक कारण से ही क्यों न किया गया हो—बैंक के अनुशासन के विरुद्ध है। इस प्रकार का "अल्पकालिक दुरुपयोग" भी गंभीर कदाचार है और यह विश्वास के उल्लंघन के समान है, जिसके लिए सेवा से बर्खास्तगी उपयुक्त दंड है।

विशेष अपील में न्यायालय का कार्य केवल यह देखना है कि जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी या नहीं तथा क्या निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था।

अतः विशेष अपील निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एवं अन्य बनाम साक्षी एवं अन्य

प्रकरण संख्याः विशेष अपील संख्या - 191 वर्ष 2026
निर्णय दिनांक : 20.02.2026
Neutral Citation No. - 2026:AHC:38432-DB

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत विशेष अपील में एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों एवं आदेशों को चुनौती दी गई थी। इन आदेशों में विभिन्न बैचों के डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम के उन प्रत्यर्थी विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जो किसी एक विषय में तीन बार अनुत्तीर्ण हो चुके थे।

प्रत्यर्थियों ने भेदभाव का आरोप लगाया, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के सचिव द्वारा दिनांक 11.09.2021 एवं 19.04.2022 के आदेशों के माध्यम से समान स्थिति वाले कुछ अन्य विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया था, जबकि उनके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। एकल न्यायमूर्ति श्रीने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए राज्य को निर्देश दिया कि प्रत्यर्थियों को अनुत्तीर्ण विषय में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

खंडपीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया विनियम, 2014 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के अंतर्गत वैधानिक व्यवस्था का परीक्षण किया। यह प्रतिपादित किया गया कि डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष है तथा इसे पूर्ण करने की अधिकतम अनुमेय अवधि तीन वर्ष है। विनियम, 2014 के परिशिष्ट—2 के खंड 2.1 में इस बाह्य सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसे किसी कार्यकारी आदेश द्वारा शिथिल नहीं किया जा सकता।

सचिव द्वारा पारित आदेश केवल उन विद्यार्थियों के लिए थे, जिन्होंने आदेश की तिथि से पूर्व प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था तथा जिनके नाम संलग्न सूचियों में उल्लिखित थे। इस लाभ का विस्तार तथाकथित नकारात्मक समानता के आधार पर अन्य व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अवैधता के विस्तार का कोई विधिक अधिकार नहीं होता। कार्यकारी आदेश, एनसीटीई द्वारा निर्धारित वैधानिक मानकों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।

अतः अपील स्वीकार की गई। एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा पारित निर्णय एवं आदेश निरस्त कर दिए गए। तथापि, जिन विद्यार्थियों ने एकल न्यायमूर्ति श्रीके अंतरिम आदेशों के आधार पर परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें प्राप्त लाभ सुरक्षित रखा गया तथा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) सर्वेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

प्रकरण संख्याः रिट - सी संख्या - 3630 वर्ष 2026
निर्णय दिनांक : 09.02.2026
Neutral Citation No. - 2026:AHC:27730-DB

इस रिट याचिका में जनपद कानपुर नगर के जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में याचिकाकर्ताओं के उस प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें वर्तमान सर्किल दर के आधार पर प्रतिकर प्रदान करने तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के पिता ग्राम बैरी, अकबरपुर कछार, जनपद कानपुर नगर में स्थित आराजी संख्या 82 (क्षेत्रफल 0.1180 हेक्टेयर) एवं गाटा संख्या 503 (क्षेत्रफल 0.1540 हेक्टेयर) के अभिलेखित काश्तकार थे। उक्त भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1996–1997 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धाराओं 4 एवं 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के आधार पर न्यू कानपुर सिटी के नियोजित विकास हेतु किया गया था तथा वर्ष 2010 में प्रतिकर का निर्धारण (अवार्ड) कर दिया गया था।

पिछले लगभग पंद्रह वर्षों में न तो याचिकाकर्ताओं के पिता और न ही स्वयं याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण की कार्यवाही अथवा अवार्ड को कभी चुनौती दी। न्यायालय ने माना कि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। महावीर सहकारी आवास समिति लिमिटेड (निर्णीत दिनांक 26.09.2006) के निर्णय का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकता था जिन्होंने उस समय अधिग्रहण को चुनौती दी थी; इसे उन व्यक्तियों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जिन्होंने कार्यवाही को स्वीकार कर लिया था।

याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक विलंब के उपरांत वर्ष 2025 में पहली बार 2013 के अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की मांग करते हुए न्यायालय का आश्रय लिया। अत्यधिक विलंब एवं उपेक्षा के कारण रिट याचिका ग्राह्य नहीं पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई गई।

तथापि, न्यायहित में यह निर्देश दिया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2010 के अवार्ड के अंतर्गत जमा प्रतिकर राशि अभी तक प्राप्त नहीं की है, तो वे उसके वितरण हेतु विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत शुक्ला

(i) आशीष यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग, लखनऊ एवं अन्य

प्रकरण संख्याः विशेष अपील संख्या-431 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 10.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:82404-DB

यह विशेष अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय टप्प्, नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई थी। इसमें रिटदृए संख्या 13339/2025 में माननीय एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा दिनांक 26.11.2025 को पारित एक शुद्ध रूप से अंतरिम एवं प्रक्रियात्मक आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ता (वर्तमान अपीलकर्ता) को राज्य द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रतिज्ञानपत्र (हलफनामा) पर प्रत्युत्तर दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया तथा प्रकरण को जनवरी, 2026 के द्वितीय सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि विवादित आदेश किसी भी मुद्दे का अंतिम निर्धारण नहीं करता, बल्कि केवल वाद की प्रगति को सुगम बनाने हेतु पारित एक नियमित आदेश है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिदनापुर पीपुल्स को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम चुन्नीलाल नंदा में प्रतिपादित सिद्धांत तथा इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा आशुतोष श्रोत्रिय बनाम वाइस–चांसलर, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय में व्यक्त विधि–सिद्धांत पर भरोसा करते हुए यह कहा गया कि विशेष अपील केवल

निर्णय (जजमेंट), अंतिम आदेश अथवा ऐसे आदेश के विरुद्ध ही की जा सकती है, जो अंतिम स्वरूप का प्रतीत होता हो।

विवादित आदेश मिदनापुर प्रकरण के पैरा 15 की श्रेणी (पअ) में वर्णित "साधारण/नियमित आदेश" की श्रेणी में आता है, अतः इसे "जजमेंट" नहीं माना जा सकता।

फलतः, विशेष अपील को ग्राह्य न मानते हुए निरस्त कर दिया गया। तथापि, अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह निर्धारित अगली तिथि (जनवरी, 2026 का द्वितीय सप्ताह) पर एकल न्यायमूर्ति श्रीके समक्ष अंतरिम राहत हेतु सभी उपलब्ध आधारों पर पुनः आग्रह कर सकता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(ii) मेसर्स बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः रिट टैक्स संख्या-2707 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:229995-DB

इन रिट याचिकाओं के समूह में यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017 तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धाराओं 73/74 के अंतर्गत पारित पृथक–पृथक न्यायनिर्णयन आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि न तो कारण बताओ नोटिस और न ही न्यायनिर्णयन आदेश याचिकाकर्ताओं को समय पर विधिवत् रूप से प्रदान किए गए।

राजस्व अधिकारियों का तर्क था कि उक्त नोटिस एवं आदेश जीएसटीएन के सामान्य पोर्टल पर विधिपूर्वक अपलोड किए गए थे तथा एसएमएस के माध्यम से सूचना भी प्रेषित की गई थी, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराओं 4, 12 एवं 13 तथा संबंधित जीएसटी अधिनियमों की धारा 169 के अंतर्गत विधिसम्मत सेवा (valid service) पूर्ण हो जाती है।

इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने यह प्रतिपादित किया कि उन्हें इन आदेशों की जानकारी तब प्राप्त हुई जब वसूली की कार्यवाही आरंभ की गई। उस समय तक जीएसटी अधिनियमों की धारा 107(1) एवं (4) के अंतर्गत अपील हेतु निर्धारित 120 दिनों (जिसमें 30 दिनों की क्षमायाचना अवधि सम्मिलित है) की वैधानिक समय–सीमा समाप्त हो चुकी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एवं सेंट्रल एक्साइज बनाम होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा असिस्टेंट कमिश्नर (सीटी) एलटीयू, काकीनाडा बनाम ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड में प्रतिपादित विधि के आलोक में यह स्थिति उत्पन्न हुई कि वैकल्पिक अपीलीय उपाय उपलब्ध नहीं रहा।

न्यायालय ने इस विधिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या जीएसटी कॉमन पोर्टल पर नोटिस/आदेश का अपलोड किया जाना अथवा एसएमएस अलर्ट भेजा जाना, जीएसटी अधिनियमों की धारा 107 के अंतर्गत वैध "संचार" (communication) माना जा सकता है, जिससे अपील की समय–सीमा प्रारंभ हो सके।

धारा 169 के अंतर्गत सेवा की विधिक संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों तथा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 के स्थान पर जीएसटी प्रणाली द्वारा लाए गए व्यापक परिवर्तनों पर विस्तार से विचार करने के उपरांत, याचिका को ग्राह्यता (maintainability) के प्रश्न पर विचारार्थ स्वीकार किया गया।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी को सुनने के उपरांत, उपर्युक्त विधिक प्रश्न पर अंतिम निर्णय सुरक्षित (पेंडिंग) रखा गया है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

(i) राजधारी एवं अन्य बनाम साधना देवी

केस संख्याः प्रथम अपील संख्या - 493/2025
निर्णय दिनांक : 28.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:213837-DB

अपीलकर्ताओं, जो दिवंगत सेना के सिपाही अर्वे शंकर यादव के माता–पिता हैं, ने परिवार न्यायालय के दिनांक 28 अप्रैल 2025 के निर्णय को चुनौती दी, जिसमें प्रतिवादी को उनके पुत्र की विधिसम्मत विवाहित विधवा घोषित किया गया था। विवाह 12 मई 2007 को जनपद आजमगढ़ में संपन्न हुआ था। उनके पुत्र की 14 जनवरी 2008 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई।

अपीलकर्ताओं का कहना था कि 12 मई 2007 को केवल सगाई हुई थी तथा वास्तविक विवाह 24 अप्रैल 2008 को होना निर्धारित था, जो कभी संपन्न नहीं हुआ; अतः विवाह पूर्ण नहीं हुआ।

परिवार न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के उपरांत सात मुद्दे निर्धारित किए तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज किए। इनमें अपीलकर्ता संख्या 1 की लिखावट में विवाह का निमंत्रण–पत्र, विवाह के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, प्रतिवादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई तथा अपीलकर्ताओं के दामाद के नाम पंजीकृत मोटरसाइकिल का साक्ष्य, तथा यह तथ्य कि मृतक ने विवाह हेतु अवकाश के लिए आवेदन किया था, सम्मिलित थे।

परिवार न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 12 मई 2007 को विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ था और प्रमुख मुद्दों का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया।

खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने गुजरात उच्च न्यायालय में दायर अपनी पूर्व विशेष सिविल याचिका में यह स्वीकार किया था कि विवाह 12 मई 2007 को हुआ था। साथ ही, 19 अप्रैल 2009 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रतिवादी को विधवा के रूप में मरणोपरांत वैवाहिक सम्मान प्रदान किया गया था। इस बात का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि केवल सगाई ही हुई थी।

न्यायालय ने पाया कि विवाह न होने तथा भविष्य में विवाह की कथित तिथि का तर्क बाद में गढ़ा गया प्रतीत होता है। यह विवाद पूर्णतः वैवाहिक स्थिति से संबंधित पारिवारिक विवाद था, अतः परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय को अधिकार–क्षेत्र प्राप्त था।

विवाह के समय प्रतिवादी के अल्पवयस्क होने का कोई कथन नहीं किया गया और न ही इस संबंध में कोई मुद्दा उठाया गया; और वैसे भी, मृतक पति के माता–पिता द्वारा यह आपत्ति विधिसम्मत रूप से ग्राह्य नहीं थी।

अतः अपील निरस्त कर दी गई तथा परिवार न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

(ii) धनराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

केस संख्याः रिट-सी संख्या - 41697/2025
निर्णय दिनांक : 17.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:227141-DB

याचिकाकर्ता, जो एक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, ने जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 13 नवंबर 2025 के आदेश/नोटिस को चुनौती दी, जिसके द्वारा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था।

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पूर्व में ही प्राप्त हो चुका था, परंतु उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के नियम 458 के प्रथम प्रावधान के अनुसार निर्धारित 35 दिनों की अवधि के भीतर बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट ने बैठक हेतु नई तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह माना कि नियम 458 के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु बैठक, नोटिस प्राप्ति के 35 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए। नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने अथवा वैधानिक अवधि से

परे समय बढ़ाने की अनुमति देती हो। नियम 464, जो छह माह की अवधि के भीतर पुनः बैठक पर रोक लगाता है, तभी लागू होता है जब पूर्व में बैठक आयोजित हो चुकी हो और गणपूर्ति या बहुमत के अभाव में प्रस्ताव असफल हो गया हो। चूंकि इस प्रकरण में कोई बैठक आयोजित ही नहीं हुई, अतः नियम 464 लागू नहीं होता।

खंडपीठ ने हरिराज सिंह चौधरी (रिट–सी संख्या 20356/2022) के पूर्व निर्णय से तथ्यों के आधार पर भिन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्राधिकरण की प्रशासनिक लापरवाही या त्रुटि के कारण विधिवत प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को निष्फल नहीं होने दिया जा सकता और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को व्यर्थ किया जा सकता है। अतः दिनांक 13 नवंबर 2025 का विवादित आदेश निरस्त कर दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस प्रकरण में नियम 468 लागू नहीं होगा तथा नया अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जा सकता है। फलतः रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।



माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

(i) भूपराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील धारा 413 बीएनएसएस संख्या - 638/2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:230719-DB

मृतक के पिता एवं सूचक मूलचंद द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील में, अपर सत्र न्यायमूर्ति, पीलीभीत द्वारा दिनांक 26.09.2025 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी। उक्त निर्णय में अभियुक्तगण (विपक्षी संख्याएँ 2 से 5–राहुल, लाल सिंह, वीरपाल उर्फ कल्लू तथा पंचमलाल) को अपराध संख्या 257/2020, थाना बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364, 302, 201 एवं 120–बी के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

अभियोजन का कथन था कि मृतक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। सूचक ने दिनांक 17.07.2020 को गुमशुदगी की सूचना दी, जिसे 20.07.2020 को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवर्तित किया गया। विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू–1 (सूचक), पीडब्ल्यू–2 (माता), पीडब्ल्यू–5 एवं पीडब्ल्यू–8 (अंतिम बार देखने वाले साक्षी) तथा विवेचक सहित अन्य साक्षियों के कथनों एवं कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल की बरामदगी तथा पोस्टमार्टम प्रतिवेदन जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त पंचमलाल के साथ देखा गया था, अथवा अभियुक्तों के मध्य कोई आपराधिक षड्यंत्र था।

अदालत ने यह भी पाया कि वीरपाल की निशानदेही पर मोबाइल की बरामदगी संदेहास्पद थी तथा संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपूर्ण थी और अभियुक्तों की निरपराधिता के विपरीत कोई ठोस निष्कर्ष स्थापित नहीं करती थी।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित विधि तथा बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की सीमित परिधि का परीक्षण करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने यह माना कि अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष न तो विकृत थे और न ही साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित थे। यह भी पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभाव्य एवं उचित दृष्टिकोण था। फलतः अपील निरस्त कर दी गई।

(ii) मेवाती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील धारा 413 बीएनएसएस संख्या - 560/2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025

मृतक की पत्नी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील में सत्र न्यायमूर्ति, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2025 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी। उक्त निर्णय में अभियुक्तगण (विपक्षी संख्याएँ 2 से 9) को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149 एवं 147 (तथा अभियुक्त विजय यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25) के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, जो अपराध संख्या 376/2011, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ से संबंधित था।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 02.08.2011 को लगभग दोपहर 12:00 बजे, भूमि विवाद से उत्पन्न पुरानी शत्रुता के कारण अभियुक्तों द्वारा चलाई जा रही बोलेरो वाहन से कुचलकर मृतक की हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पत्नी तथा उसके पुत्र जयकेश ने प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया।

विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू–1 (सूचक), पीडब्ल्यू–2 (पुत्र), चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य गवाहों के कथनों का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से एवं संदिग्ध परिस्थितियों में दर्ज की गई थी। पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 की घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध पाई गई तथा उनके कथनों में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीर विरोधाभास थे। उनके कथन चिकित्सीय साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हुए तथा प्रत्यक्षदर्शी विवरण मृतक को प्राप्त चोटों से सामंजस्य नहीं रखते थे।

उच्च न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों, बरी किए जाने के विरुद्ध अपील के विधिक सिद्धांतों तथा हस्तक्षेप की सीमित परिधि का पुनर्मूल्यांकन करते हुए यह माना कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष न तो त्रुटिपूर्ण थे और न ही साक्ष्यों के गलत आकलन पर आधारित थे। विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण संभाव्य एवं न्यायसंगत पाया गया।

अतः अपील निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री चवन प्रकाश

(i) रामराज पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3271 वर्ष 2021
निर्णय दिनांक : 21.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:208952

पुनरीक्षणकर्ता ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा दिनांक 18.01.2021 को पारित आदेश तथा अपर सत्र न्यायमूर्ति, न्यायालय संख्या 1, वाराणसी द्वारा दिनांक 07.10.2021 को पारित अपीलीय आदेश को चुनौती दी। उक्त आदेशों के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत धारा 12 में लंबित कार्यवाही (आपराधिक वाद संख्या 120/2015) में प्रियंबदा (विपक्षी पक्ष संख्या 2 की पुत्री) के डीएनए परीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया था।

विवाह 15.04.2008 को हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। पत्नी (विपक्षी पक्ष संख्या 2) विवाह के एक सप्ताह पश्चात ससुराल गई, परन्तु उसके बाद अधिकांश समय अपने मायके में रही और केवल अल्प अवधि के लिए पुनरीक्षणकर्ता के साथ निवास किया। पत्नी स्नातक (बी.ए.) तथा बी.पी.एड. प्रशिक्षित अध्यापिका है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण है। दिनांक 17.12.2012 को एक कन्या का जन्म हुआ।

पुनरीक्षणकर्ता का कथन था कि उक्त बालिका सहवास से उत्पन्न नहीं हुई है, अतः डीएनए परीक्षण कराया जाए। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय दोनों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का संदर्भ देते हुए आवेदन निरस्त कर दिया, जो वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता के संबंध में निर्णायक अनुमान प्रदान करती है, जब तक कि 'अप्रवेश' (नॉन–एक्सेस) सिद्ध न हो जाए।

उच्च न्यायालय ने यह माना कि धारा 112 के अंतर्गत वैधता का अनुमान तब निर्णायक होता है जब पति–पत्नी के बीच सहवास की संभावना विद्यमान हो। डीएनए परीक्षण सामान्यतः आदेशित नहीं किया जा सकता और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही निर्देशित किया जा सकता है, जब प्रथम दृष्टया 'अप्रवेश' सिद्ध हो। न्यायालय ने इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ, 2025 SCC ऑनलाइन SC 175 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें निजता एवं गरिमा के अधिकार तथा अनिवार्य डीएनए परीक्षण से उत्पन्न दुष्प्रभावों पर बल दिया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता केवल यह आरोप सिद्ध कर सका कि पत्नी उस समय मायके में रहती थी, किन्तु 'अप्रवेश' सिद्ध नहीं कर सका। अतः जिन आदेशों को चुनौती दी गई थी, उनमें कोई विधि–विरुद्धता नहीं पाई गई। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

(ii) नहनी एवं 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

मामला संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 6131 वर्ष 2023
निर्णय दिनांक : 09.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:220921

पुनरीक्षणकर्ताओं (प्रस्तावित अभियुक्तों) ने वाद संख्या 416/12/2023 (मंजू बनाम नहनी एवं अन्य) में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा दिनांक 03.11.2023 को पारित आदेश को चुनौती दी। उक्त आदेश द्वारा माननीय मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने तथा प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिया था।

विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके विरुद्ध वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई।

राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने फादर थॉमस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1640/2001, निर्णय दिनांक 22.12.2010) में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई। पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित विधिक प्रतिपादन किए थे–

(क) धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित ऐसा आदेश, जिसमें प्राथमिकी पंजीकरण एवं जांच का निर्देश दिया गया हो, उस व्यक्ति के कहने पर पुनरीक्षण योग्य नहीं है, जिसके विरुद्ध न तो संज्ञान लिया गया है और न ही कोई प्रक्रिया जारी की गई है;

(ख) ऐसा आदेश अंतरिम (मध्यवर्ती) प्रकृति का होता है, अतः धारा 397(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण निषिद्ध है;

(ग) अजय मालवीय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000 (41) एसीसी 435) में खंडपीठ द्वारा व्यक्त विपरीत मत विधिसम्मत नहीं है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री दिवेश चंद्र सामंत

(i) तहसीम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः हैबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 957/2025

प्रकरण के तथ्यः

रश्मि (प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्री) तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 (शेन अली) न्यायालय के समक्ष एक साथ उपस्थित हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में ही रश्मि की आयु (18 वर्ष से अधिक) का सत्यापन कर लिया गया था तथा उसका यह कथन भी अभिलेखित कर लिया गया था कि वह अपनी स्वेच्छा से याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ रहना चाहती है। इसके बावजूद, अधिकारियों ने भिन्न धर्मों में विवाह के कारण उत्पन्न कथित "सामाजिक तनाव" का हवाला देकर रश्मि और शेन अली को हिरासत में रखा।

न्यायालय के निष्कर्षः

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया। यह स्पष्ट किया गया कि रश्मि, जो एक बालिग महिला है, उसे उसके माता–पिता अथवा पुलिस उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में नहीं रख सकते। न्यायालय ने पाया कि 15.10.2025 से 18.10.2025 तक की हिरासत न केवल अवैध थी, बल्कि यह उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन भी थी।

न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि सामाजिक अथवा सामुदायिक दबाव के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। पुलिस का कर्तव्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करना है, न कि सामाजिक दबाव के नाम पर उसे सीमित करना। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इस अवैध हिरासत के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।

जारी निर्देशः

न्यायालय ने निर्देश दिया कि रश्मि एवं शेन अली को तत्काल रिहा किया जाए तथा उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रहने की अनुमति दी जाए।

पुलिस को आदेश दिया गया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए तथा किसी भी प्रकार के अवैधानिक हस्तक्षेप से

उनकी रक्षा सुनिश्चित की जाए।

अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रकरण की विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उन्हें अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने हेतु भी कहा गया।

आदेश की प्रति अलीगढ़ एवं बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि उसका कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सारः

न्यायालय ने पुनः स्थापित किया कि एक बालिग महिला को अपने जीवनसाथी एवं निवास स्थान के चयन का पूर्ण अधिकार है। किसी भी प्रकार की अवैध हिरासत या प्रतिबंध संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य इन अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उनका हनन करना।

(ii) इंदर सिंह राजपूत एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 5396/2024
निर्णय दिनांक : 10.11.2025

तथ्यः

यह घटना 02 जुलाई 2023 को घटित हुई। इसके पश्चात 03 जुलाई 2023 को थाना बबीना, जनपद झांसी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 एवं 325 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच उपरांत 03 अगस्त 2023 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया तथा वाद सत्र न्यायालय को विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

इसके पश्चात अभियुक्तों द्वारा 28 मई 2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अंतर्गत विमुक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे 26 जुलाई 2024 को सत्र न्यायमूर्ति, झांसी द्वारा निरस्त कर दिया गया। उसी दिन आरोप भी निर्धारित किए गए, जिसके विरुद्ध वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई।

न्यायालय के समक्ष प्रश्नः

1. क्या विमुक्ति आवेदन निरस्त होने के पश्चात आरोप निर्धारण को चुनौती देने हेतु संशोधन आवश्यक है?
2. क्या धारा 307 (हत्या का प्रयास) तब भी लागू होती है जब चोटें साधारण हों?

न्यायालय का विश्लेषणः

(क) प्रक्रिया संबंधी पहलूः

न्यायालय ने माना कि विमुक्ति आवेदन का निरसन एवं आरोप निर्धारण परस्पर संबद्ध और क्रमिक कार्यवाहियाँ हैं। ये पूर्णतः अंतरिम आदेश नहीं हैं। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के अंतर्गत पुनरीक्षण पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका की तकनीकी त्रुटियों के बावजूद वह अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है।

(ख) धारा 307 की प्रयोज्यताः

न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि धारा 307 के लिए चोट की प्रकृति निर्णायक नहीं होती, बल्कि अभियुक्त का आशय (इरादा) एवं उसका आचरण महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रथम दृष्टया हत्या का आशय परिलक्षित होता है, तो साधारण चोट होने पर भी धारा 307 लागू हो सकती है।

निर्णयः

न्यायालय ने पाया कि विमुक्ति आवेदन का निरसन विधिसंगत था तथा आरोप निर्धारण उसी का स्वाभाविक परिणाम था। सत्र न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि न पाते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई।

अनुपात निर्णय (Ratio Decidendi):

धारा 307 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए गंभीर चोट आवश्यक नहीं है; अभियुक्त का आशय एवं कृत्य अधिक महत्वपूर्ण है। विमुक्ति का निरसन एवं आरोप निर्धारण परस्पर संबद्ध प्रक्रियाएँ हैं, अतः एक को चुनौती देने से दूसरा स्वतः समाहित हो जाता है।

महत्वः

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि हत्या के प्रयास का निर्धारण चोट की गंभीरता के आधार पर नहीं, बल्कि अभियुक्त के आशय पर आधारित होता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि आरोप निर्धारण के पश्चात पुनरीक्षण हेतु पृथक संशोधन आवश्यक नहीं है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा-I

(i) मुनेश कुमार उर्फ मुन्नू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या- 10123 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:216956-DB

मुनेश कुमार उर्फ मुन्नू की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 1272/2014 (राज्य बनाम मुनेश कुमार उर्फ मुन्नू एवं अन्य), जो अपराध संख्या 135/2014, धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता से उत्पन्न है, तथा सत्र परीक्षण संख्या 1261/2014, जो अपराध संख्या 201/2014, धारा 25 आयुध अधिनियम से संबंधित है, थाना सरूरपुर, जनपद मेरठ के प्रकरण में, अपील के लंबित रहने के दौरान यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि यह अपीलकर्ता का प्रथम अपराध है। वह पूर्व में 11 वर्ष 04 माह 14 दिवस की वास्तविक कारावास अवधि (उपशमन सहित) व्यतीत कर चुका है। यह एकल हत्या का प्रकरण है। अपीलकर्ता दिनांक 01.07.2014 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपील वर्ष 2025 की है तथा इसके शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है।

राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने प्रार्थना का विरोध किया, तथापि उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने तथा यह दृष्टिगत रखते हुए कि प्रतिदिन न्यायालय के समक्ष दो सौ से अधिक आपराधिक अपीलें सूचीबद्ध होती हैं, जिनका गुण–दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण मानवतः संभव नहीं है, इस अपील के शीघ्र सुनवाई की संभावना अत्यल्प है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 308 सन् 2022) तथा सुलेमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 491 सन् 2022) में प्रतिपादित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

अतः अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु निजी मुचलका तथा समरूप राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है। अपील के लंबित रहने तक आरोपित दण्डादेश निलंबित रहेगा।

अपीलकर्ता जमानत अवधि में न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, विभाजन अथवा उस पर कोई भार सृजित नहीं करेगा। मुचलके की प्रति तत्काल इस न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

अपीलकर्ता को रिहाई के एक माह के भीतर अधिरोपित अर्थदण्ड का 50 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष 50 प्रतिशत अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगा। अवहेलना की दशा में अर्थदण्ड की वसूली विधि अनुसार की जाएगी।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह छह सप्ताह के भीतर पेपर–बुक तैयार करे। अपील को यथासमय सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

(ii) निरोज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या- 10127 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:217936-DB

जसमल की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 259/2021 (राज्य बनाम राज कुमार एवं अन्य), सत्र परीक्षण संख्या 983/2021 (राज्य बनाम निरोज), सत्र परीक्षण संख्या 1336/2021 (राज्य बनाम जसमल) तथा सत्र परीक्षण संख्या 260/2021 (राज्य बनाम निशांत उर्फ निशु), जो अपराध संख्या 167/2020 एवं 168/2020 से धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 326/149, 324/149, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, थाना ग्रेटर नोएडा (कासना), जनपद गौतमबुद्ध नगर से उत्पन्न हैं, में अपील लंबित रहने के दौरान यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा केवल आयु के आधार पर प्रार्थना की गई। अपीलार्थी संख्या 2 जसमल की आयु लगभग

90 वर्ष है तथा अपीलार्थी संख्या 1 निरोज लगभग 60 वर्ष की महिला हैं। दोनों दिनांक 07.10.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपील वर्ष 2025 की है तथा इसके शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है।

शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का विरोध किया गया, किन्तु वे प्रस्तुत तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। दोनों पक्षों को सुनने तथा यह देखते हुए कि प्रतिदिन न्यायालय में दो सौ से अधिक आपराधिक अपीलें सूचीबद्ध होती हैं, जिनका गुण–दोष के आधार पर त्वरित निर्णय संभव नहीं है, इस अपील के शीघ्र निस्तारण की संभावना अत्यल्प है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल अरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2009) में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलार्थी संख्या 2 की जमानत प्रार्थना स्वीकृत की जाती है।

अतः अपीलार्थी संख्या 2 को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु निजी मुचलका तथा समरूप राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है। अपील के लंबित रहने तक उनके विरुद्ध आरोपित दण्डादेश निलंबित रहेगा।

अपीलार्थी संख्या 2 जमानत अवधि में न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, विभाजन अथवा उस पर कोई भार सृजित नहीं करेगा। उसे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना दस दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा राज्य जमानत निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना कर सकता है। मुचलके की प्रति तत्काल इस न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। अपीलार्थी संख्या 2 को रिहाई के एक माह के भीतर अर्थदण्ड का 50 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष 50 प्रतिशत अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगा। अवहेलना की दशा में अर्थदण्ड की वसूली विधि अनुसार की जाएगी। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि पेपर–बुक पूर्व में तैयार न हो, तो छह सप्ताह के भीतर तैयार की जाए। अपील को यथासमय सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण सक्सेना

(i) साकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 4075 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 01.12.2025

अपीलकर्ता की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 430(1) के अंतर्गत यह प्रार्थना–पत्र अपील के लंबित रहने के दौरान दण्ड के स्थगन तथा जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा अपराध संख्या 436/2008 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 105/2008 (राज्य बनाम साकिर) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 एवं 411 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम दस वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित एवं न्यायोचित मूल्यांकन नहीं किया है तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि आरोप–पत्र में केवल अपीलकर्ता को ही अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य सह–अभियुक्तों को अन्वेषण के दौरान दोषमुक्त कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में विलम्ब के संबंध में कोई युक्तिसंगत कारण नहीं बताया गया है तथा अपीलकर्ता के कब्जे से ₹1,100/– की कथित बरामदगी पूर्णतः असत्य एवं मनगढ़ंत है। अपीलकर्ता एवं सह–अभियुक्तों को मात्र सामान्य एवं सामूहिक भूमिका आरोपित की गई है। यह भी कहा गया कि विचारण के दौरान अपीलकर्ता जमानत पर था तथा वह दिनांक 20.03.2025 से कारागार में निरुद्ध है। प्रकरणों की अधिकता के कारण अपील के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है।

शासन पक्ष के अधिवक्ता तथा सूचक के अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि दण्ड साक्ष्यों पर आधारित है तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए अपीलकर्ता जमानत का अधिकारी नहीं है।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति, निरुद्धि की अवधि तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विचार करने पर, गुण–दोष के आधार पर कोई मत व्यक्त किए बिना, दण्ड के स्थगन एवं जमानत प्रदान करने का उपयुक्त आधार विद्यमान है।

अतएव, दण्ड के स्थगन एवं जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता साकिर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो प्रतिभूति (जिनमें से एक उसके परिवार का सदस्य होगा) प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है। जमानत बंधपत्र एवं व्यक्तिगत बंधपत्र स्वीकार किए जाने पर, उनकी सत्यापित प्रतिलिपि अभिलेख हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

अपील के लंबित रहने तक विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की 50% राशि की वसूली पर स्थगन रहेगा तथा शेष राशि अपीलकर्ता द्वारा जमानत पर मुक्त होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित न्यायालय में जमा की जाएगी।

अपील को दिनांक 13.01.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

(ii) राम चरित्र एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

प्रकरण संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 4065 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 01.12.2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 430(1) के अंतर्गत यह आवेदन अपीलकर्ताओं द्वारा दण्ड के स्थगन तथा अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ताओं को विचारण न्यायालय द्वारा सत्र वाद संख्या 155/2009 (राज्य बनाम राम चरित्र एवं अन्य), जो अपराध संख्या 109/2008 से उत्पन्न है, में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 308/34, 323/34, 325/34, 504 एवं 506 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है तथा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। अपीलकर्ताओं को केवल सामान्य एवं सर्वव्यापी भूमिका आरोपित की गई है। प्रकरणों की अधिकता के कारण अपील के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है।

शासन पक्ष के अधिवक्ता तथा सूचक के अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि दण्ड साक्ष्यों पर आधारित है तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए अपीलकर्ता जमानत के अधिकारी नहीं हैं।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति, निरुद्धि की अवधि तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विचार करने पर, गुण–दोष के आधार पर कोई मत व्यक्त किए बिना, दण्ड के स्थगन एवं जमानत प्रदान करने का उपयुक्त आधार विद्यमान है।

अतएव, दण्ड के स्थगन एवं जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता राम चरित्र, वशरूप उर्फ मनरूप एवं भगवान दास को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो प्रतिभूति (जिनमें से एक उनके परिवार का सदस्य होगा) प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है। जमानत बंधपत्र एवं व्यक्तिगत बंधपत्र स्वीकार किए जाने पर, उनकी सत्यापित प्रतिलिपि अभिलेख हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की समस्त राशि अपीलकर्ताओं द्वारा जमानत पर मुक्त होने के एक माह के भीतर संबंधित न्यायालय में जमा की जाएगी।

अपील को दिनांक 13.01.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती

(i) विनय मोहन बनाम निधि सिंह

केस संख्याः स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या - 430 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 12.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:72539-DB

अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर याचिका संख्या 4232 वर्ष 2025 में विद्वान एकल न्यायमूर्ति श्रीद्वारा दिनांक 18.07.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी थी। उक्त याचिका स्वयं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत दायर वैवाहिक वाद संख्या 2162 वर्ष 2022 में पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था।

न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुनने के उपरांत यह कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील ग्राह्य नहीं है, क्योंकि विवादित निर्णय पारिवारिक न्यायालय के एक आदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था।

इस संबंध में शीट गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 28 स्ब्क 1045 में इस न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय पर विश्वास किया गया। अपीलकर्ता द्वारा जिन अन्य निर्णयों पर भरोसा किया गया, उन्हें इस आधार पर पृथक किया गया कि अन्य उच्च न्यायालयों में लागू नियम भिन्न हैं।

अतः विशेष अपील को अ–ग्राह्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया तथा अपीलकर्ता को अन्य विधिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति, निरुद्धि की अवधि तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विचार करने पर, गुण–दोष के आधार पर कोई मत व्यक्त किए बिना, दण्ड के स्थगन एवं जमानत प्रदान करने का उपयुक्त आधार विद्यमान है।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अन्य बनाम राम नयन यादव एवं 2 अन्य

केस संख्याः स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या - 345 वर्ष 2025
निर्णय दिनांक : 14.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:63829-DB

इन दोनों विशेष अपीलों में, एक राज्य की ओर से तथा दूसरी संस्था की प्रबंध समिति की ओर से, रिट–ए संख्या 3696 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 21.07.2023 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई थी।

दोनों अपीलें क्रमशः 533 दिन तथा 348 दिन की अत्यधिक विलंब से दायर की गई थीं। न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने तथा विलंब क्षमा याचिका के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्रों का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया कि विलंब अत्यधिक था तथा प्रस्तुत स्पष्टीकरण न तो संतोषजनक था और न ही पर्याप्त।

न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (सिविल अपील संख्या 11794/2025, निर्णय दिनांक 12.09.2025) में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय पर विश्वास किया और कहा कि सरकारी वादकारियों को विशेष रियायत नहीं दी जा सकती तथा केवल प्रशासनिक विलंब को पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता।

विलंब क्षमा याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं, फलस्वरूप दोनों अपीलें भी निरस्त कर दी गईं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री पदम नारायण मिश्रा

(i) जी.एस. गोंडी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आवेदन धारा 482 संख्या - 37329 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 30.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:190941

आवेदक, मेसर्स परिशुद्ध मशीन प्राइवेट लिमिटेड का एक निदेशक, ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की न्यायालय में लंबित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत वाद संख्या 7599 वर्ष 2017 (सुनील कुमार बनाम जी.एस. गोंडी) की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त करने की प्रार्थना की।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि आवेदक ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, अपने त्यागपत्र के उपरांत बकाया राशि के पूर्ण एवं अंतिम निपटान हेतु 20,000/– रुपये के तीन उत्तर–दिनांकित चेक जारी किए, जिनमें से दो चेक अनादृत हो गए। धारा 138 के अंतर्गत विधिक सूचना केवल आवेदक को भेजी गई थी।

आवेदक का तर्क था कि वह मात्र एक निदेशक था तथा शिकायत में ऐसा कोई कथन नहीं था कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन हेतु प्रभारी एवं उत्तरदायी था। साथ ही, कंपनी को स्वयं अभियुक्त नहीं बनाया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कंपनी को पक्षकार बनाए बिना, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत निदेशक के विरुद्ध अभियोजन ग्राह्य नहीं है।

न्यायालय ने यह पाया कि मांग सूचना केवल आवेदक को दी गई थी तथा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया। धारा 141 के अंतर्गत अभियोजन चलाने हेतु कंपनी को अभियुक्त के रूप में सम्मिलित करना अनिवार्य शर्त है। अन्य श्रेणी के अभियुक्तों को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब कंपनी स्वयं उत्तरदायी हो।

अनीता हाडा बनाम मेसर्स गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 5 SCC 661 पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने यह माना कि शिकायत में आवेदक को उत्तरदायी ठहराने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रथम दृष्टया शिकायत आवेदक के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है।

अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किया गया तथा शिकायत वाद संख्या 7599 वर्ष 2017 की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

(ii) श्रीमती पूर्णिया देवी एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आवेदन धारा 482 संख्या - 32900 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक : 27.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:188026

आवेदकों ने आपराधिक वाद संख्या 1731 वर्ष 2018 (राज्य बनाम अनुभव शर्मा उर्फ रोहित एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त करने की प्रार्थना की, जो अपराध संख्या 137 वर्ष 2017 से संबंधित है तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 498–ए, 323, 504, 506 एवं दहेज निषेध अधिनियम की धाराएँ 3/4 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, गोरखपुर की न्यायालय में लंबित है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिनांक 04.03.2025 को समझौते के माध्यम से विवाद का निस्तारण कर लिया है, जिसे समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2025 के अनुपालन में परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है। सत्यापित समझौता एवं सत्यापन कार्यवाही अभिलेख पर उपलब्ध है।

विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने कहा कि वह अब वाद को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता।

न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 SCC 303 तथा परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 SCC 641 में त्रि–न्यायमूर्ति श्रीपीठ के निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें वैवाहिक विवादों में, जहाँ पक्षकारों ने सौहार्दपूर्वक समझौता कर लिया हो, वहाँ गैर–समझौतायोग्य अपराधों को समाप्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों के प्रयोग के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान वाद एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है, जिसकी प्रकृति मुख्यतः दीवानी है। कार्यवाही को जारी रखना निरर्थक होगा। तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक स्थिति को ध्यान

में रखते हुए न्यायालय ने माना कि समझौता वास्तविक है तथा न्याय के हित में है।

अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किया गया तथा आपराधिक वाद संख्या 1731 वर्ष 2018 की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त कर दी गई। पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति छह सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें।



माननीय न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मी कांत शुक्ला

(i) पारुल बुधराजा एवं तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य

केस संख्याः आपराधिक रिट याचिका संख्या - 3996 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 30.10.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:190339-DB

याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी संख्या 0230/2024 दिनांक 14.07.2024 को निरस्त करने तथा गिरफ्तारी पर स्थगनादेश प्रदान करने की प्रार्थना की थी। उक्त प्राथमिकी थाना लिंक रोड, जनपद गाज़ियाबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। यह प्राथमिकी ऋषभ अग्निहोत्री द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गिरोह (सिंडिकेट) का गठन किया तथा वर्ष 2019 में उनके भाई शुभम अग्निहोत्री से क्यूनेट शैली के व्यापारिक उपक्रम के नाम पर ₹7,50,000/– की ठगी की।

यह भी आरोप था कि पूर्व में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 38/2021 के उपरांत, अग्निहोत्री परिवार के सदस्यों के जाली हस्ताक्षर तथा अधिवक्ता एवं नोटरी पब्लिक वीरेंद्र सिंह की नकली नोटरी मोहर का उपयोग कर कूट रचित दस्तावेज (घोषणापत्र एवं वितरक आवेदन पत्र) तैयार किए गए। इन जाली दस्तावेजों का उपयोग कथित रूप से पहली प्राथमिकी की विवेचना के दौरान अन्वेषण एजेंसी को भ्रमित करने हेतु किया गया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि दूसरी प्राथमिकी समान तथ्यों पर आधारित है, जो टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य तथा अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ के निर्णयों द्वारा निषिद्ध है, और इसे पाँच वर्ष पश्चात दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने प्रतिपादित किया कि दूसरी प्राथमिकी में प्रथम प्राथमिकी के पश्चात किए गए कूटकरण एवं दस्तावेज निर्माण के पृथक अपराध का प्रकटीकरण होता है, जो न्याय में अवरोध उत्पन्न करने हेतु किया गया, अतः यह नवीन कारण–कार्यवाही (बंनेम वि बिजपवद) है।

न्यायालय ने दूसरी प्राथमिकी के विधिक परीक्षण हेतु अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा राजस्थान राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ में प्रतिपादित "समानता परीक्षण" लागू किया। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि मूल लेन–देन समान था, तथापि दूसरी प्राथमिकी में पश्चातवर्ती कूटकरण एवं न्यायिक/अन्वेषण प्रक्रिया में जाली दस्तावेजों के प्रयोग का पृथक संज्ञेय अपराध निहित है। अतः समानता परीक्षण पूर्ण नहीं हुआ।

अतः विवेचना के स्तर पर प्राथमिकी निरस्त करने का कोई आधार नहीं पाया गया और रिट याचिका निरस्त कर दी गई। विवेचना प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से आगे की कार्यवाही करेगा।

(ii) सतिंदर सिंह भसीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 9232 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 18.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:228033-DB

याचिकाकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज ईसीआईआर संख्या ECIR/LKZO/14/2021 दिनांक 12.03.2021 को चुनौती दी।

विवाद "ग्रैंड वेनिस मॉल" परियोजना, ग्रेटर नोएडा से

संबंधित था। अनेक प्राथमिकी अंततः WP (Crl) संख्या 242/2019 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2022 द्वारा एकीकृत कर दी गई।

न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, पार्वती कोल्लूर बनाम राज्य तथा पवना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय के निर्णयों पर विचार किया।

न्यायालय ने यह पाया कि जब मूल अपराध (Scheduled Offence) ही अस्तित्व में नहीं रहा, तब ईसीआईआर तथा उससे उत्पन्न समस्त कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के अभाव में अवैध हो जाती है। अतः ईसीआईआर, गैर–जमानती वारंट एवं तलाशी/जब्ती की कार्यवाही निरस्त कर दी गई तथा रिट याचिका स्वीकार कर ली गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्री जय प्रकाश तिवारी

(i) X बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 6244 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 26.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:212129

पुनरीक्षणकर्ता (एक किशोर) ने विशेष न्यायमूर्ति श्री(पॉक्सो) एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी।

न्यायालय ने ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य, विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य, बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित आदि निर्णयों का अवलोकन किया।

यह प्रतिपादित किया गया कि विधि के अनुसार विद्यालय प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा चिकित्सीय परीक्षण केवल उसके अभाव में ही ग्राह्य है।

अतः पूर्व आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया।

(ii) मुबारक एवं 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आवेदन धारा 482 - 39247 सन् 2018
निर्णय दिनांक : 17.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:204623

आवेदकों ने समन आदेश को चुनौती दी। आरोप था कि उन्होंने कृषि भूमि के विक्रय विलेख के माध्यम से धोखाधड़ी की।

न्यायालय ने मेसर्स पेप्सी फूड लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अन्य निर्णयों पर भरोसा किया।

न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अभियुक्त को समन करना अत्यंत गंभीर विषय है और मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए प्रथम दृष्टया संतोष अभिलिखित करना आवश्यक है।

चूँकि समन आदेश में न तो पर्याप्त कारण दिए गए थे और न ही साक्ष्यों का समुचित विश्लेषण था, अतः इसे विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।

अतः धारा 482 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः मजिस्ट्रेट को विचारार्थ प्रेषित किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेंद्र सिंह-I

(i) हरदौल उर्फ हरदयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 4498 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 07.11.2025

अपीलकर्ता को सत्र परीक्षण संख्या 202/2021, अपराध संख्या 154/2020, धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता (थाना पिसावा, जनपद अलीगढ़) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था। अपील लंबित रहने के

दौरान दंड स्थगन एवं जमानत प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन का कथन था कि सूचना दाता के भाई चेतराम की हत्या दिनांक 20/21.09.2020 की रात्रि में अपीलकर्ता तथा सह–अभियुक्ता अनीता (मृतक की पत्नी) द्वारा उनके कथित अवैध संबंधों के कारण की गई। दाह–संस्कार के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अपीलकर्ता एवं अनीता पर संदेह व्यक्त करते हुए अज्ञात अभियुक्तों का भी उल्लेख किया गया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन कथन असत्य है; किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा कथित उद्देश्य सिद्ध नहीं किया गया; मृतक के चारों बच्चों के कथन दर्ज नहीं किए गए; अभियोजन साक्षी–1 एवं साक्षी–2 (मृतक के सगे भाई) हितग्राही साक्षी हैं; प्रतिरक्षा साक्षी–1 (मृतक की ज्येष्ठ पुत्री) ने कथन दिया कि उसके माता–पिता के मध्य कोई विवाद नहीं था तथा उसकी माता का अपीलकर्ता से कोई अवैध संबंध नहीं था, और हत्या संभवतः उस समय हुई जब मृतक द्वारा ₹6,00,000 में भूखंड विक्रय करने के कारण लूट का प्रयास हुआ; अपीलकर्ता दिनांक 24.09.2020 से निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; एवं अपील वर्ष 2025 की होने के कारण निकट भविष्य में सुनवाई की संभावना न्यून है।

राज्य की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध किया, परंतु तथ्यात्मक बिंदुओं का प्रभावी खंडन नहीं कर सके।

न्यायालय ने आपराधिक अपीलों की अत्यधिक लंबित संख्या (प्रतिदिन 100 से अधिक वाद सूचीबद्ध) एवं शीघ्र सुनवाई की अल्प संभावना पर विचार किया। अपीलकर्ता की निरुद्धावधि, आपराधिक इतिहास का अभाव तथा अपील के शीघ्र निस्तारण की संभावना न होने को दृष्टिगत रखते हुए दंड स्थगन का आवेदन स्वीकार किया गया।

आदेशित किया गया कि अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। अपील लंबित रहने तक दंड स्थगित रहेगा। साथ ही निम्न शर्तें आरोपित की गईं–

(क) अपीलकर्ता न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी अचल संपत्ति का अंतरण, विक्रय, विभाजन अथवा उस पर किसी प्रकार का भार सृजित नहीं करेगा;

(ख) पते में किसी परिवर्तन की सूचना दस दिवस के भीतर देगा, अन्यथा राज्य जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा;

(ग) रिहाई के एक माह के भीतर अर्थदंड का 50% जमा करेगा, शेष 50% अपील लंबित रहने तक स्थगित रहेगा।

निर्धारित अवधि में अर्थदंड जमा न करने पर विधि अनुसार वसूली की जाएगी। बंधपत्रों की प्रतिलिपि इस न्यायालय को प्रेषित की जाए। अभिलेख–पुस्तिका छह सप्ताह के भीतर तैयार कर अपील को उपयुक्त समय पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

(ii) सत्यप्रकाश राय उर्फ डब्ल्यू राय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्याः आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2607 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 18.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:230548

पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति/विशेष न्यायमूर्ति श्री(ईसी अधिनियम), आजमगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 196/2016 (राज्य बनाम वेदप्रकाश राय उर्फ महंथ राय), धारा 302 भारतीय दंड संहिता (थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़) में दिनांक 21.04.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसके अंतर्गत उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन तलब किया गया था।

पुनरीक्षणकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्हें मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है; अन्वेषण अधिकारी को उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण आरोपपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया; तथा धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निहित शक्ति असाधारण है, जिसका सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि पुनरीक्षणकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट भूमिकाओं सहित उल्लिखित है तथा परीक्षण के दौरान साक्षी–1, साक्षी–3 एवं साक्षी–4 के कथनों से उनकी संलिप्तता स्पष्ट होती है।

न्यायालय ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा उसके

पश्चात् के निर्णयों– एस. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेन्द्र चांडक, राजेश बनाम हरियाणा राज्य एवं सईदा खातून अर्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यकृके आलोक में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के क्षेत्राधिकार का परीक्षण किया। यह प्रतिपादित किया गया कि धारा 319 का उद्देश्य वास्तविक अपराधी को दंड से बचकर जाने से रोकना है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को भी समन कर सकता है जिसका नाम आरोपपत्र में न हो अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित होने के बावजूद आरोपपत्र में सम्मिलित न किया गया हो, बशर्ते अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो कि वह सह–अभियुक्तों के साथ परीक्षण का सामना कर सकता है। आवश्यक संतोष का स्तर मात्र प्रथम दृष्टया प्रकरण से अधिक होना चाहिए। धारा 319(1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द में परीक्षण के दौरान अभिलिखित साक्ष्य तथा संज्ञान के उपरांत किंतु परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व प्राप्त सामग्री (पुष्टिकरण हेतु) सम्मिलित है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित साक्ष्य को अन्वेषण प्रतिवेदन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाएगा।

वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट भूमिकाओं सहित अंकित है तथा साक्षी–1, साक्षी–3 एवं साक्षी–4 ने परीक्षण के दौरान उनके विरुद्ध कथन दिए हैं। परीक्षण न्यायालय ने स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग करते हुए उन्हें तलब किया है। विवादित आदेश में ऐसा कोई गंभीर विधिक दोष नहीं पाया गया जिससे हस्तक्षेप आवश्यक हो। अतएव, आपराधिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार

(i) रहीशे उर्फ रहीसे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 618 वर्ष 1990
निर्णय दिनांक : 09.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:222129

अपीलकर्ता रहीशे उर्फ रहीसे, छिकनी, बकुनी (सभी मुनेसरा के पुत्र) तथा नज़ीर (पुत्र महादेव), निवासी ग्राम केसरिया, थाना सैनी, जनपद इलाहाबाद, को पंचम अपर सत्र न्यायमूर्ति, इलाहाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 308/1986 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया था।

अपील लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता रहीशे उर्फ रहीसे, छिकनी तथा नज़ीर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके विरुद्ध अपील दिनांक 04.11.2025 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। अतः अपील केवल जीवित अपीलकर्ता बकुनी के संबंध में सुनी गई।

अभियोजन का कथन था कि दिनांक 22/23.05.1985 की रात्रि में, सूचना दाता बबानी के सहोदर भाई कल्लू को अपीलकर्ताओं द्वारा बाजार से बहला–फुसलाकर जमलामऊ की ओर ले जाया गया। रात्रि लगभग 9–10 बजे जब वे सांझागढ़ ग्राम के सामने पहुँचे, तब मुनेसरा (छिकनी, रहीस एवं बकुनी के पिता) की हत्या की पुरानी शत्रुता के कारण अपीलकर्ताओं ने कल्लू से विवाद किया तथा उस पर लाठी–डंडों से प्रहार किया।

जब सूचना दाता तथा हीरा ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो उन्हें भगा दिया गया और कल्लू को घटनास्थल पर मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। अगले दिन प्रातः 10:25 बजे शव मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

अभियोजन ने पाँच साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें PW–1 बटूनी (एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी एवं मृतक का सहोदर भाई) प्रमुख था। PW–1 ने कथन किया कि अपीलकर्ता कल्लू को अपने साथ ले गए, उस पर प्रहार किया तथा उसे एवं हीरा को भगा दिया।

चिकित्सीय साक्ष्य में सात पूर्व–मृत्यु चोटें पाई गईं, जिनमें सूजन, चीरे हुए घाव तथा अस्थिभंग सम्मिलित थे। मृत्यु का कारण आघात एवं कोमा बताया गया। विवेचक अधिकारी ने स्थल–नक्शा, रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी की बरामदगी, पंचनामा तथा आरोपपत्र को सिद्ध किया।

बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि पुरानी शत्रुता के कारण झूठा फँसाया गया है; एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी का आचरण अस्वाभाविक था; उसने न शोर मचाया, न निकटवर्ती पुलिस चौकी को सूचित किया; वह चार मील दूर गुलामीपुर में रात्रि भर रुका तथा अगले दिन लौटा। दूसरे कथित प्रत्यक्षदर्शी हीरा का परीक्षण नहीं किया गया।

न्यायालय ने पाया कि PW–1 की गवाही विश्वसनीय नहीं है। उसका व्यवहार अत्यंत अस्वाभाविक थाकृउसने न सहायता हेतु पुकार की, न अपने भाई को बचाने का प्रयास किया, न पुलिस को सूचना दी। अभियोजन हीरा को प्रस्तुत न करने का कारण स्पष्ट नहीं कर सका।

अभियोजन का उद्देश्य (मोटिव) भी दुर्बल एवं असिद्ध पाया गया। कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अन्य साक्ष्यों से समर्थन नहीं हुआ।

अतः अपील स्वीकृत की गई। जीवित अपीलकर्ता बकुनी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त कर दिया गया तथा उसे धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

(ii) अरबिंद सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 1992/1984
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:230553-DB

अपीलकर्ता अरबिंद सिंह (पुत्र बिश्वनाथ सिंह) तथा भोला नाथ दुबे (पुत्र देव नारायण दुबे), निवासी ग्राम भैसवार, थाना घोरावल, जनपद मिर्जापुर, को अपर सत्र न्यायमूर्ति, मिर्जापुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 101/1983 में दोषसिद्ध किया गया था।

भोला नाथ दुबे को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथा अरबिंद सिंह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

अपील लंबित रहने के दौरान भोला नाथ दुबे की अपील दिनांक 22.08.2025 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। अतः अपील केवल जीवित अपीलकर्ता अरबिंद सिंह के संबंध में सुनी गई।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 14/15.09.1982 की रात्रि लगभग 12 बजे सूचना दाता राम मूरत के पिता बिहारी सिंह अपने घर के बैठक कक्ष में खाट पर सो रहे थे। सूचना दाता, उसका चचेरा भाई शिव मूरत तथा गौरी शंकर भी अलग–अलग खाटों पर सो रहे थे।

पदचाप सुनकर सूचना दाता जाग गया और टॉर्च जलाकर देखा कि चार व्यक्ति द्वार पर खड़े हैं। अरबिंद सिंह (रिवॉल्वर सहित) एवं भोला पंडित (बल्लम सहित) दो अज्ञात व्यक्तियों (लाठियों सहित) के साथ भीतर आए।

अरबिंद सिंह ने बिहारी सिंह के सिर के पीछे गोली चलाई, जो दाहिनी आँख से बाहर निकल गई। सूचना दाता के शोर मचाने पर राम सूरत टॉर्च लेकर पहुँचे। सभी अभियुक्त दक्षिण दिशा की ओर भाग गए, जिनका कुछ दूरी तक पीछा किया गया।

सूचना दाता ने अपने पिता को मृत पाया। बिस्तर एवं भूमि पर रक्त फैला हुआ था। अगले दिन प्रातः 8:30 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

अभियोजन ने पाँच साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें दो प्रत्यक्षदर्शी PW–1 राम मूरत एवं PW–2 गौरी शंकर थे। चिकित्सीय साक्ष्य से सिद्ध हुआ कि सिर के पीछे गोली का घाव था, जो दाहिनी आँख से बाहर निकला तथा अस्थिभंग भी था। मृत्यु का कारण आघात एवं रक्तस्राव था।

विवेचक अधिकारी ने स्थल–नक्शा, रक्तरंजित मिट्टी, गोली, रक्तरंजित वस्त्र, अभियुक्त द्वारा छोड़ी गई लुंगी की बरामदगी तथा रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट द्वारा मानव रक्त की पुष्टि प्रस्तुत की।

बचाव पक्ष ने शत्रुता, प्रत्यक्षदर्शियों के अस्वाभाविक व्यवहार तथा अभियोजन कथन में विरोधाभास का तर्क दिया।

न्यायालय ने साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शी सुसंगत एवं स्वाभाविक थे तथा अभियुक्तों की पहचान विश्वसनीय थी। चिकित्सीय साक्ष्य ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का पूर्ण समर्थन किया।

अपराध का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ। बरामद वस्तुओं से अभियोजन का मामला और सुदृढ़ हुआ। किसी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि या विरोधाभास नहीं पाया गया।

अतः अपीलकर्ता अरबिंद सिंह की अपील निरस्त की गई तथा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

(i) अपूर्व कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 378 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 129/2024
निर्णय दिनांक : 11.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:229816

अपीलकर्ता द्वारा यह आपराधिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। इस अपील में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल न्यायमूर्ति श्री(वरिष्ठ प्रभाग)/फास्ट ट्रैक न्यायालय, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जो परिवाद वाद संख्या 4341/2023 (अपूर्व कुमार बनाम महबूब खान) में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत पारित किया गया था। उक्त आदेश के द्वारा, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत परिवाद निरस्त कर दिया गया था।

यह परिवाद 4,75,000/– रुपये के चेक के अनादर (बाउंस) के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। अपीलकर्ता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया तथा अभियुक्त को समन प्रेषित किया गया। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे जमानत प्रदान की गई। अनेक तिथियाँ नियत की गईं, किन्तु अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 05.10.2023 को अंतिम अवसर प्रदान किया गया, तथापि अपीलकर्ता पुनः उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप उसकी अनुपस्थिति में परिवाद निरस्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निरस्तीकरण की तिथि पर अनुपस्थिति युक्तिसंगत कारणों से थी, न कि जानबूझकर अथवा लापरवाहीवश। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 256 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्तीकरण का परिणाम अभियुक्त का दोषमुक्त होना होता है, अतः मजिस्ट्रेट को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और कठोरतम उपाय अपनाने के स्थान पर वाद का निस्तारण गुण–दोष (मेरिट) के आधार पर करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था।

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि परिवादी द्वारा निरंतर अनुपस्थिति का क्रम प्रदर्शित किया गया, जिससे अभियुक्त को अनावश्यक विलम्ब एवं असुविधा हुई। शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने विषय को न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया।

न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 मजिस्ट्रेट को परिवादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग न्यायसंगत एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, न कि यांत्रिक रूप से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ परिवादी द्वारा प्रयास किए गए हों और अनुपस्थिति न तो जानबूझकर हो तथा न ही यह दर्शाती हो कि वाद का परित्याग कर दिया गया है, वहाँ केवल तकनीकी आधारों पर, विशेषकर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामलों में, परिवाद को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

विवादित आदेश परिवादी की अनुपस्थिति में पारित किया गया था। न्यायहित में तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर हो, दिनांक 12.10.2023 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। वाद को पुनः विचारार्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को समुचित अवसर प्रदान कर नवीन आदेश पारित करे। अपील का निस्तारण किया जाता है।

(ii) पल्लवी गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

प्रकरण संख्याः धारा 378 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 150/2024
निर्णय दिनांक : 01.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:214756

आवेदिका द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत कर परिवाद वाद संख्या 353/2022 (पल्लवी गुप्ता बनाम अभिनव गुप्ता एवं अन्य), थाना महिला, जनपद बुलंदशहर, में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दिनांक 03.03.

2023 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त–प्रतिवादियों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

आवेदिका के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों का समुचित एवं यथोचित मूल्यांकन नहीं किया। दोषमुक्ति का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल है। न्यायालय द्वारा विधि की स्पष्ट त्रुटि की गई है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की उपेक्षा की गई है, जबकि यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा।

विवादित निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय के समक्ष केवल एक साक्षी प्रस्तुत किया गया था, जिसका परीक्षण किया गया। विचारण न्यायालय ने पाया कि उक्त साक्षी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में समर्थ नहीं था। यह भी अभिलक्षित किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने हेतु आवश्यक तत्वों के समर्थन में कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त एवं परिवादी पति–पत्नी हैं। सम्पूर्ण प्रकरण को अविश्वसनीय एवं अप्रमाणित पाए जाने के कारण दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया।

न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि दोषमुक्ति के आदेशों में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के संबंध में विधि का सिद्धांत सुव्यवस्थित है। मुरलीधर / गिद्दा बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि निर्दोषता की धारणा, विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के पश्चात और अधिक सुदृढ़ हो जाती है, तथा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों, जिसे साक्षियों के प्रत्यक्ष अवलोकन का लाभ प्राप्त होता है, को केवल अत्यंत ठोस एवं प्रभावशाली कारणों के आधार पर ही परिवर्तित किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण असंगत या अव्यवहारिक है। अतः केवल इस आधार पर कि अन्य दृष्टिकोण भी संभव है, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आवेदिका के अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों में कोई विधिक त्रुटि या अवैधता प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं।

अतः विवादित निर्णय एवं दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपील करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील भी निरस्त की जाती है। इस आदेश की प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।



माननीय न्यायमूर्ति श्री अचल सचदेव

(i) बीरेन्द्र लाल वर्मा व चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व तीन अन्य

वाद संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-27966 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 19.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:229743-DB

बीरेंद्र लाल वर्मा एवं अन्य, अभिषेक शर्मा, विनोद अग्रवाल, प्रतीक मिश्रा तथा अन्य, विशाल कुमार जायसवाल एवं अन्य, भोला प्रसाद, नीरज सेठ एवं एक अन्य, शुभम जायसवाल, पप्पन यादव, मोहम्मद सलमान अंसारी, अनुप्रिया सिंह, अंकित कुमार श्रीवास्तव, मेसर्स मिलन ड्रग सेंटर एवं अन्य, दिलीप कुमार उमर, मंजू शर्मा एवं एक अन्य, आसिफ मोहम्मद, अरुण सोनकर (शुद्ध नाम अर्जुन सोनकर), धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, अक्षत यादव, अजीत यादव, खुशबू गोयल एवं अन्य द्वारा विभिन्न रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। इन याचिकाओं में सोनभद्र, गाजियाबाद, कानपुर नगर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही) तथा बस्ती जनपदों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत अनेक प्रथम सूचना रिपोर्टों को चुनौती दी गई थी।

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्टें कोडीन युक्त कफ सिरप की अत्यधिक मात्रा की बरामदगी से संबंधित थीं, जिसे ट्रकों एवं टैंकरों में नमकीन तथा चिप्स के पैकेटों के मध्य छिपाकर अवैध रूप से तस्करी एवं व्यापार हेतु ले जाया जा रहा था। सोनभद्र जनपद में दिनांक 18.10.2025 को दो कंटेनरों को रोककर 1,19,675 बोतलें बरामद की गईं। गाजियाबाद में दिनांक 04.11.2025 को बरेली–गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापेमारी के

दौरान कार्टन, कूटकृत फर्मों की मोहरें, लैपटॉप, पेन ड्राइव, कूटकृत सिम युक्त मोबाइल फोन, ₹20,00,000/– नगद तथा सौरभ त्यागी का संयुक्त अरब अमीरात का पहचान पत्र प्राप्त हुआ। सौरभ त्यागी ने नेटवर्क के मुख्य व्यक्तियों के रूप में मेडेरॉन हेल्थ केयर से संबंधित पप्पन यादव तथा वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल के नाम बताए। इसी प्रकार की बरामदगियाँ एवं प्रथम सूचना रिपोर्टें वाराणसी (28 अभियुक्त, दिनांक 15.11.2025), जौनपुर (दो एफआईआर दिनांक 21.11.2025 एवं 30.11.2025, क्रमशः 14 एवं 4 व्यक्तियों के विरुद्ध), कानपुर नगर, संत रविदास नगर एवं बस्ती में भी दर्ज की गईं।

याचिकाकर्ताओं का कथन था कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों के आलोक में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा सकती थी तथा आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध परिलक्षित नहीं होता।

न्यायालय ने अभिलिखित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्टों में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन का आरोप है, जो चिकित्सीय अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के अतिरिक्त तथा विधिवत अनुज्ञा, अनुज्ञापत्र या प्राधिकरण के अभाव में नारकोटिक द्रव्यों या साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, विक्रय, क्रय, परिवहन, आयात अथवा निर्यात को निषिद्ध करती है। आरोपों से यह प्रत्यक्ष हुआ कि एक सुव्यवस्थित गिरोह कूटकृत फर्मों, जाली बिलों, ई–वे बिलों तथा छिपाने की विविध विधियों का उपयोग करते हुए कोडीन आधारित कफ सिरप को मादक पदार्थ के रूप में अवैध उपयोग हेतु प्रेषित कर रहा था।

न्यायालय ने धारा 8 के क्षेत्राधिकार, "नारकोटिक ड्रग" एवं "साइकोट्रोपिक सब्सटेंस" की परिभाषाओं, अनुज्ञा की अनिवार्यता तथा दंडात्मक प्रावधानों का परीक्षण किया। प्रत्येक प्राथमिकी एवं संबंधित रिट याचिका के तथ्यों का पृथक–पृथक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया कि आरोपों से प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराध का गठन होता है तथा प्राथमिकी निरस्त करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त रिट याचिकाएँ निरस्त कर दी गईं।

(ii) मनोज कुमार निरंजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य

वाद संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-20055 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 03.12.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC:216708-DB

याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश जल निगम में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, ने उत्तर प्रदेश सतर्कता संगठन, बरेली सेक्टर द्वारा पंजीकृत अपराध संख्या 0001/2023 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ख) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत की जा रही विवेचना को चुनौती दी। उन्होंने अन्वेषण अधिकारी को यह निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की कि वह 01.01.2012 से 30.06.2017 की अवधि में उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के संबंध में प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों पर विचार करें तथा निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण करें।

उक्त प्राथमिकी एक खुली सतर्कता जांच के आधार पर पंजीकृत की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में ₹14,37,427/– अधिक संपत्ति पाई गई। याचिकाकर्ता का कथन था कि उन्होंने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया तथा वेतन पर्ची, कृषि आय, किराया आय एवं अन्य स्रोतों सहित सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए, किंतु उन पर समुचित विचार नहीं किया गया। उन्होंने सतर्कता निदेशक के समक्ष प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार, जालौन द्वारा कृषि आय के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के पैरा 107 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) के स्पष्टीकरणद्य के उल्लंघन का आरोप लगाया।

न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता को विधिवत नोटिस दिया गया था तथा उसने दिनांक 20.11.2023 को अन्वेषण अधिकारी के समक्ष अभिलेखों सहित अपना कथन प्रस्तुत किया था। उसने सतर्कता निदेशक से भी संपर्क किया, जिन्होंने दिनांक 27.05.2024 को आदेश पारित कर प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार–क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अन्वेषण की सूक्ष्म निगरानी नहीं कर सकता तथा अन्वेषण अधिकारी को किसी विशिष्ट साक्ष्य को स्वीकार करने या संकलित करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता।

नित्या धर्मानंद बनाम गोपाल शीलम रेड्डी के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन परीक्षण के चरण में किया जाता है तथा अभियुक्त को यह अवसर होता है कि वह अपने बचाव में अभिलेख प्रस्तुत कर अपनी आय के स्रोत स्पष्ट करे। याचिकाकर्ता को विवेचना के दौरान पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका था तथा वह अतिरिक्त अभिलेख परीक्षण के दौरान प्रस्तुत कर सकता है।

न्यायालय को हस्तक्षेप हेतु कोई विशेष परिस्थिति परिलक्षित नहीं हुई। अतः प्रार्थित दोनों राहतें अस्वीकार करते हुए रिट याचिका निरस्त कर दी गई।



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

(i) अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह), लखनऊ एवं अन्य

वाद संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 10601 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 12.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:71943-DB

याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.10.2025 को थाना पारा, जनपद लखनऊ में अपराध संख्या 0768/2025 के रूप में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 115(2), 109(1), 309(4), 351(3), 352, 76 तथा 324(4) के अंतर्गत दर्ज की गई थी, को चुनौती देते हुए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने हेतु निर्देश की प्रार्थना की।

यह कहा गया कि याचिकाकर्ता घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, यह विवाद वस्तुतः संपत्ति से संबंधित एक दीवानी विवाद है, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है जबकि सूचना देने वाला अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तथा वास्तविक आक्रमणकारी स्वयं सूचना देने वाला ही था।

न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों के परीक्षण हेतु साक्ष्यों की विस्तृत जांच तथा एक लघु विचारण (मिनी ट्रायल) की आवश्यकता होगी, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के स्तर पर उपयुक्त नहीं है।

मुस्कान बनाम ईशान खान सतनिया, 2025 INSC 1287; ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती, (2022) 16 SCC 703; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह, (2023) 18 SCC 399; तथा निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 SCC 401 पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के स्तर पर उच्च न्यायालय आरोपों की सत्यता, वास्तविकता अथवा विश्वसनीयता की जांच प्रारंभ नहीं कर सकता।

केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध का प्रथमदृष्टया संकेत प्राप्त होता है। अतः याचिका निरस्त की जाती है।

(ii) सुभाष चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सतर्कता), लखनऊ एवं अन्य

वाद संख्याः आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 9586 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 17.11.2025
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:73862-DB

याचिकाकर्ता, जो सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था, ने दिनांक 19.09.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (अपराध संख्या 0023/2025), दिनांक 04.07.2025 की जांच प्रतिवेदन, विपक्षी पक्ष संख्या 1 के दिनांक 28.08.2025 के आदेश तथा दिनांक 24.08.2022 एवं 25.08.2022 के आदेशों को चुनौती दी।

आरोप यह था कि परीक्षण अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी ज्ञात वैध आय ₹2,52,45,522.88 से अधिक ₹3,77,85,372.64 व्यय किए।

याचिकाकर्ता का मुख्य आधार यह था कि समान आरोपों पर प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही में उसे पूर्व में आरोपपत्र दिनांक 06.09.2018, जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.10.2018 तथा अंतिम आदेश दिनांक 14.12.2018 के अनुसार इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया था कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के अर्थ में लोक सेवक नहीं है तथा उसे महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति से वंचित करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद पाठक तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अकबर अहमद को सुनने के उपरांत आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. वेंकू रेड्डी, (2022) 7 SCC 631 पर विश्वास करते हुए यह माना कि सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा सहायता प्राप्त सहकारी बैंक का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ब)(iii) के अंतर्गत प्रत्यक्षतः लोक सेवक की परिभाषा में आता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धाराएं 31–A एवं 124 भी सहकारी समितियों के अधिकारियों को लोक सेवक मानती हैं।

विभागीय दोषमुक्ति के आधार को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि आरोप भिन्न–भिन्न थे तथा विभागीय दोषमुक्ति आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाती। दुर्भावना का आधार भी स्वीकार नहीं किया गया।

अतः याचिका निरस्त की जाती है।



माननीय न्यायमूर्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी

(i) राजवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 1340 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 02.12.2025

यह जमानत प्रार्थना पत्र अपीलकर्ता राजवीर सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपील लंबित रहने के दौरान सत्र परीक्षण संख्या 111–C/1998 (राज्य बनाम सर्वेश कुमार एवं अन्य), जो अपराध संख्या 86/1998, धारा 364–A भारतीय दंड संहिता, थाना बरमहल, जनपद मैनपुरी से संबंधित है, में जमानत प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने केवल अपीलकर्ता की आयु, जो वर्तमान में लगभग 85 वर्ष है, के आधार पर प्रार्थना प्रस्तुत की। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। शासकीय अधिवक्ता (AGA) ने प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। पक्षकारों की दलीलों को सुनने तथा यह देखते हुए कि इस न्यायालय में प्रतिदिन एक सौ से अधिक आपराधिक अपीलें सूचीबद्ध होती हैं और सभी पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय करना मानवीय दृष्टि से संभव नहीं है, इस अपील के शीघ्र सुनवाई की संभावना अत्यंत न्यून है।

अनिल अरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2009) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को जमानत प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

अपीलकर्ता राजवीर सिंह, जिन्हें उक्त अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित किया गया है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता को दी गई सजा भी इस अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगी।

अपीलकर्ता जमानत पर रहते हुए इस न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, परित्याग अथवा उस पर कोई भार (चार्ज) स्थापित नहीं करेगा। अपीलकर्ता को अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना दस दिनों के भीतर देनी होगी, अन्यथा राज्य को उसकी जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। जैसे ही व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय द्वारा तत्काल इस न्यायालय को प्रेषित की जाएगी ताकि अभिलेख में संलग्न की जा सके। अपीलकर्ता को कारागार से रिहाई की तिथि से एक माह के भीतर जुर्माने की राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया जाता है। शेष 50% जुर्माने की वसूली इस आपराधिक अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्दिष्ट अवधि में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली विधि अनुसार की जाएगी।

निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि छह सप्ताह के भीतर पेपर बुक तैयार की जाए। इस अपील को उचित समय पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

(ii) दीनानाथ मौर्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्याः आपराधिक अपील संख्या - 1080 सन् 2025
निर्णय दिनांक : 02.12.2025

यह जमानत आवेदन अपीलकर्ता–आवेदकगण दीनानाथ मौर्य, राम आशीष मौर्य, राजमन मौर्य तथा सुदामा की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपील लंबित रहने के दौरान सत्र वाद संख्या 196/2017 (राज्य बनाम सुदामा एवं अन्य), जो अपराध संख्या 1594/2017, धारा 148, 323/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता, थाना धनघटा, जनपद संत कबीर नगर से उत्पन्न हुआ है, में जमानत प्रदान करने का निवेदन किया गया है। पांच अभियुक्तों के विरुद्ध मृतक को लाठी एवं डंडों से अंधाधुंध मारने का सामान्य आरोप है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक को लगी पाँच चोटों में से केवल एक चोट, जो उसके सिर के पीछे के भाग पर लगी थी, प्राणघातक सिद्ध हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त चोट किस अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई।

एक अभियुक्त की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जबकि अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध किया गया है। वे दिनांक 29.01.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं। वे विचारण के दौरान जमानत पर थे।

आवेदक संख्या 1, 2 एवं 4 के विरुद्ध धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक आपराधिक इतिहास है। यह अपील वर्ष 2024 की है तथा इसके शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है।

शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया, परंतु अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्कों का खंडन नहीं कर सके। पक्षकारों की दलीलों को सुनने तथा यह देखते हुए कि न्यायालय में प्रतिदिन एक सौ से अधिक आपराधिक अपीलें सूचीबद्ध होती हैं और सभी पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय करना मानवीय दृष्टि से संभव नहीं है, इस अपील के शीघ्र सुनवाई की संभावना अत्यंत न्यून है। अतः अपीलकर्ताओं को जमानत प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

उक्त अपराध में दोषसिद्ध एवं दंडित अपीलकर्ता–आवेदकों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।अपीलकर्ता–आवेदकों को दी गई सजा भी इस अपील के लंबित रहने के दौरान स्थगित रहेगी। अपीलकर्ता–आवेदक जमानत पर रहते हुए इस न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, परित्याग अथवा उस पर कोई भार स्थापित नहीं करेंगे। अपीलकर्ताओं को अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना दस दिनों के भीतर देनी होगी, अन्यथा राज्य उनकी जमानत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। व्यक्तिगत एवं जमानत बंधपत्र प्रस्तुत होते ही उनकी प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय द्वारा तत्काल इस न्यायालय को प्रेषित की जाएगी ताकि अभिलेख में संलग्न की जा सके। अपीलकर्ताओं को कारागार से रिहाई की तिथि से एक माह के भीतर जुर्माने की राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया जाता है। शेष 50% जुर्माने की वसूली इस आपराधिक अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्दिष्ट अवधि में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली विधि अनुसार की जाएगी। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि पेपर बुक तैयार नहीं हुई है, तो छह सप्ताह के भीतर उसे तैयार कराया जाए।

इस अपील को उचित समय पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए।





माननीय न्यायमूर्तियों की विदाई



माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा



रमाननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिरला



माननीय न्यायमूर्ति श्री अताउ रहमान मसूदी



माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा



माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी



माननीय न्यायमूर्ति श्री राहुल चतुर्वेदी



माननीय न्यायमूर्ति श्री जयन्त बनर्जी



माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह



माननीय न्यायमूर्ति श्री मु० फैज आलम खाँ



माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी



माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन चन्द्र दीक्षित



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर)



माननीय न्यायमूर्ति श्री सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी



माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–I



माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रेणु अग्रवाल



माननीय न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद अजहर हुसेन इदरीसी



माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती ज्योत्सना शर्मा



माननीय न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन



माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव शंकर प्रसाद



माननीय न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र कुमार



माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह–I



माननीय न्यायमूर्ति श्री दोनाडी रमेश



माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह सांगवान

2024-2025 में रजिस्ट्री में पदस्थ न्यायिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	से	तक
		प्रयागराज		
1.	दिवेश चंद्र सामंत	स्पेशल ऑफिसर–विजिलेंस	08.09.22	29.04.24
2.	साकेत बिहारी 'दीपक'	स्पेशल ऑफिसर–विजिलेंस	30.04.2024	अब तक
3.	राजीव भारती	रजिस्ट्रार जनरल	04.04.23	27.09.25
4.	मंजीत सिंह श्योराण	रजिस्ट्रार जनरल	27.09.25	अब तक
5.	कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी	सीनियर रजिस्ट्रार (जे) (कॉन्फिडेंशियल)	31.05.21	03.12.24
6.	बृजेश कुमार शर्मा	रजिस्ट्रार (जे) (इंस्पेक्शन)	21.11.20	29.04.24
7.	मृदुल कुमार मिश्रा	रजिस्ट्रार (जे) (इन्क्वायरी)	30.05.23	15.11.25
8.	रोहित रघुवंशी	रजिस्ट्रार (जे) (इन्फ्रास्ट्रक्चर–डी.सी.)	13.04.23	अब तक
9.	निर्मल चंद्र सेमवाल	रजिस्ट्रार (जे) (कॉन्फिडेंशियल)	03.12.24	अब तक
10.	पवन कुमार शर्मा–I	रजिस्ट्रार (जे) (कंप्यूटर)	27.05.25	अब तक
11.	सुरेंद्र कुमार	रजिस्ट्रार (जे) (सर्विसेज)	23.11.23	11.07.25
12.	दिवाकर द्विवेदी	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (एस.सी.एम.एस.)	21.11.20	27.05.25
13.	अभिषेक श्रीवास्तव	रजिस्ट्रार (जे) (इन्फ्रास्ट्रक्चर–एच.सी.)	01.06.21	14.07.25
14.	पंकज जायसवाल	रजिस्ट्रार (जे) (बजट)	23.11.23	अब तक
15.	प्रशांत बिलगैयाँ	रजिस्ट्रार (जे) (क्रिमिनल)	17.05.23	अब तक
16.	मान वर्धन	रजिस्ट्रार (जे) (एस एंड ए.सीनियोरिटी)	30.05.23	अब तक
17.	आलोक दुबे	रजिस्ट्रार (जे) (लिटिगेशन)	30.04.24	अब तक
18.	नील कांत मणि त्रिपाठी	रजिस्ट्रार (जे) (लिटिगेशन)	05.07.22	29.04.24
19.	सौरभ द्विवेदी	रजिस्ट्रार (जे) (सी.पी.सी.)	23.11.23	29.04.24
20.	मयूर जैन	रजिस्ट्रार (जे) (लिस्टिंग)	15.04.24	अब तक
21.	कामेश शुक्ला	रजिस्ट्रार (जे) (सी.पी.सी.)	30.04.24	27.05.25
		ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे)(सी.पी.सी.)	27.05.25	अब तक
22.	अशोक कुमार सिंह–VIII	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (कंप्यूटर)	08.07.22	27.05.25
		ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (एस एंड ए)	27.05.25	11.07.25
23.	अशोक कुमार श्रीवास्तव	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (एस एंड ए)	21.11.20	29.04.24
24.	योगेश दूबे	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (ज्यूडिशियल)	07.07.22	26.10.24
		ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (एस एंड ए)	26.10.24	27.05.25
		ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (इन्क्वायरी)	27.05.25	अब तक
25.	संदीप चौधरी	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (इंस्पेक्शन)	25.11.23	अब तक
26.	अरविंद वर्मा	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (इन्क्वायरी)	11.09.24	27.05.25
		ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (एस.सी.एम.एस.)	27.05.25	अब तक



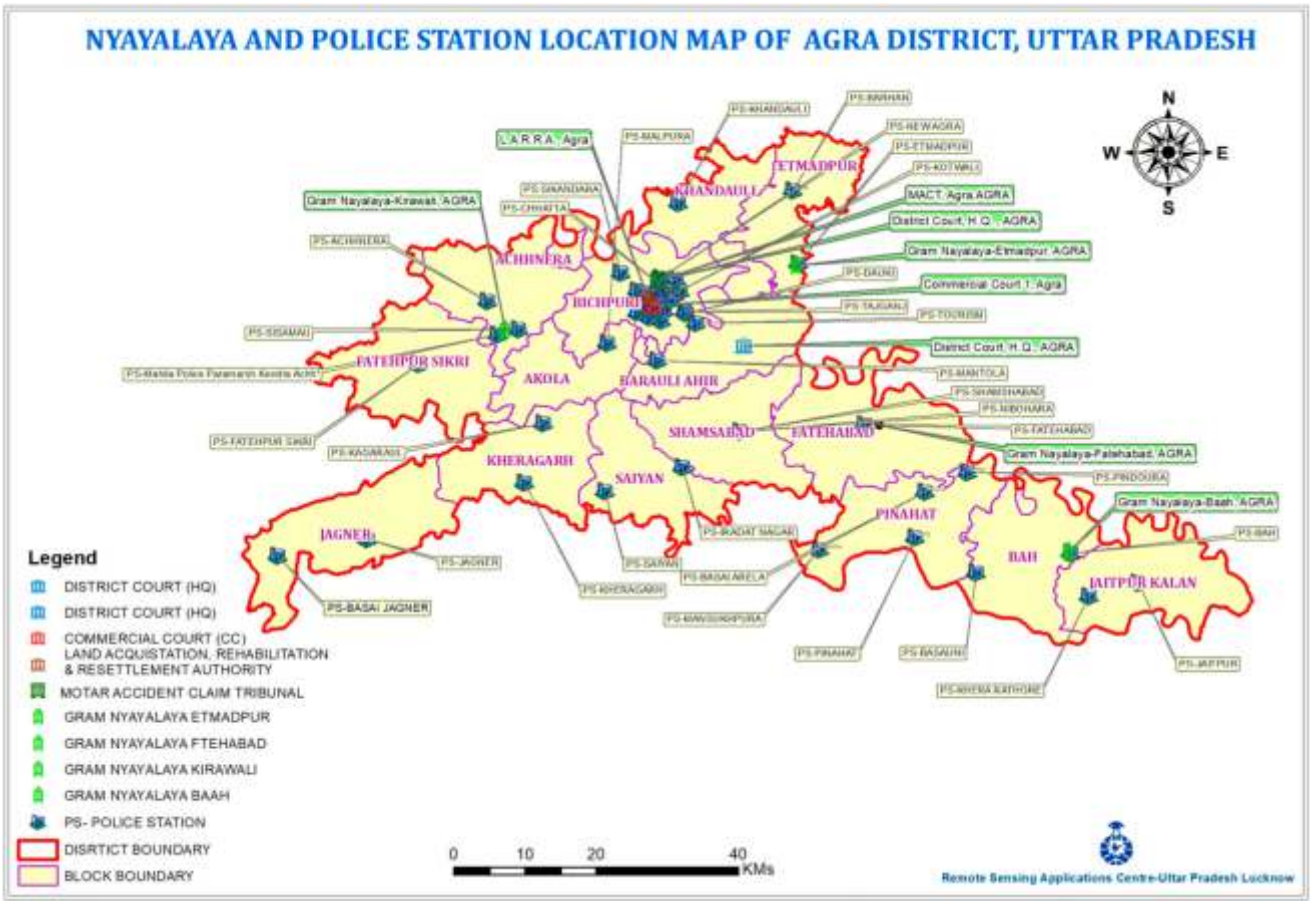
क्र.सं.	नाम	पदनाम	से	तक
		लखनऊ		
1.	प्रदीप कुमार सिंह–II	सीनियर रजिस्ट्रार	06.05.25	06.10.25
2.	विवेक	सीनियर रजिस्ट्रार	31.05.22	05.05.25
3.	राकेश कुमार त्रिपाठी	सीनियर रजिस्ट्रार	08.10.25	अब तक
4.	हितेंद्र हरि	रजिस्ट्रार (जे) (लिस्टिंग)	28.01.22	अब तक
5.	डॉ. सत्यवान सिंह	रजिस्ट्रार (जे) (एस्टैब्लिशमेंट)	28.01.22	16.04.24
6.	संजय कुमार सिंह–I	रजिस्ट्रार (जे) (एडमिन.)	20.05.23	29.04.24
7.	मयंक त्रिपाठी–I	रजिस्ट्रार (जे) (डिजिटाइजेशन)	31.05.23	अब तक
8.	नितेंद्र कुमार	रजिस्ट्रार (जे) (अकाउंट्स)	09.01.23	अब तक
9.	बृजेश कुमार सिंह	रजिस्ट्रार (जे) (एस्टैब.)	16.04.24	अब तक
10.	अवनीश कुमार पाण्डेय	रजिस्ट्रार (जे) (नजारत)	31.05.23	अब तक
11.	मनोज पाण्डेय	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जे) (स्टेशनरी)	31.05.23	30.04.24
		रजिस्ट्रार (जे) (स्टेशनरी)	30.04.24	19.05.25
		रजिस्ट्रार (जे) (एडमिन.)	19.05.25	अब तक



उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालय



जनपद न्यायालय आगरा



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जनपद न्यायालय, आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा नगर के केंद्र में स्थित है। यह एक मूल अधिकारिता का न्यायालय है, जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दीवानी एवं आपराधिक मामलों का निस्तारण करता है। प्रकरण सामान्यतः एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जाते हैं तथा जनपद न्यायपालिका से संबंधित अपील एवं पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। न्यायालय, न्यायिक अधिकारियों एवं लिपिकीय कर्मचारियों की सहायता से निष्पक्ष एवं न्यायोचित न्याय सुनिश्चित करता है।

ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश शासन से पूर्व इस क्षेत्र में न्याय ग्राम एवं परगना स्तर पर काजियों एवं स्थानीय मुखियाओं द्वारा प्रदान किया जाता था। वर्ष 1831 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के उपरांत जिला न्यायाधीश को सेशन परीक्षण संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया। पृथक दीवानी एवं आपराधिक न्यायालय, सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत स्थापित किए गए, जिनकी अपीलीय अधिकारिता इलाहाबाद में निहित थी।

न्यायिक ढांचे को वर्ष 1859 के अधिनियम टप्प् के अंतर्गत सामान्य न्याय संहिता लागू कर और सुदृढ़ किया गया। वर्ष 1834 से 1861 के मध्य भारत में न्याय का संचालन किंग्स कोर्ट एवं कंपनी कोर्ट दोनों के माध्यम से किया जाता था। वर्ष 1864 में माननीय न्यायमूर्ति कैंपबेल की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (24 एवं 25 विक्टोरिया, अध्याय 104) लागू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की स्थापना हुई, जिसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जनपद न्यायालय, आगरा आज भी कार्यरत है।

विद्यमान न्यायालय परिसर

जिला न्यायाधीश हेरिटेज ब्लॉक एक वास्तुशिल्प एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन है, जो जनपद न्यायपालिका की आधारभूत संरचना का अभिन्न अंग है। वर्तमान में इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल अभिलेख कक्ष, अंग्रेजी कार्यालय,

बिल अनुभाग, नजारत अनुभाग तथा सीसीटीवी संयंत्र नियंत्रण कक्ष स्थित हैं, जिससे यह न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्यों का निर्वहन करता है।

यह भवन वर्ष 1866 से पूर्व निर्मित हुआ था और औपनिवेशिक कालीन न्यायिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह डेढ़ शताब्दी से अधिक समय से निरंतर न्यायिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसकी आयु एवं ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे हेरिटेज भवन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

संरचना की मजबूती एवं ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु वर्ष 2013 में इसका जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य कराया गया, जो दिनांक 25 मार्च 2013 को पूर्ण हुआ। वर्तमान में यह भवन लगभग 156 वर्ष पुराना है तथा जनपद न्यायपालिका की समृद्ध विधिक परंपरा एवं संस्थागत विरासत का प्रतीक है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का विवरण

24 कक्षीय न्यायालय भवन (न्याय भवन)

24 कोर्ट कक्ष भवन, जिसे सामान्यतः न्याय भवन कहा जाता है, एक भूतल+2 संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 1986 में हुआ तथा दिनांक 12.12.1986 को पूर्ण हुआ। इसमें वर्तमान में 24 पूर्णतः क्रियाशील न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष स्थित हैं।

भूतल एवं प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष संचालित हैं, जबकि द्वितीय तल पर पुस्तकालय, प्रतिलिपि अनुभाग एवं विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं। भवन की छत पर 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा पैनल स्थापित है, जो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह भवन लगभग 36 वर्ष पुराना है तथा इसमें एक लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसमें अपर जिला जज स्तर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय संचालित हैं। वर्ष 2018 में इसका जीर्णोद्धार किया गया।

परिवार न्यायालय भवन

यह भवन भूतल+2 संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 1972 में हुआ तथा 01.02.1972 को पूर्ण हुआ। इसमें तीन न्यायालय कक्ष, अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष, न्यायालय कार्यालय एवं अभिलेख कक्ष स्थित हैं।

यहाँ प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तथा दो अतिरिक्त परिवार न्यायाधीशों के न्यायालय संचालित हैं।

नवीन छः कक्षीय न्यायालय भवन

यह नवीन भवन वर्ष 2023 में निर्मित हुआ। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित हैं।

भवन में लिफ्ट, स्टेनोग्राफर कक्ष, कार्यालय, शौचालय आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऊर्जा संरक्षण हेतु 50 किलोवाट का सौर पैनल स्थापित है।

जे.एस.सी.सी भवन

यह एक ऐतिहासिक महत्व का हेरिटेज भवन है। वर्ष 2016 में इसका जीर्णोद्धार किया गया, जो 31.03.2016 को पूर्ण हुआ। इसमें जे.एस.सी.सी एवं अतिरिक्त जे.एस.सी.सी न्यायालय, सभागार कक्ष एवं अभिलेख कक्ष स्थित हैं।

यह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है। इसके पुनः जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

नवीन ए.डी.जे ब्लॉक (छः कक्षीय हेरिटेज ब्लॉक)

यह भी एक हेरिटेज भवन है, जिसके समीप स्थापित मील के पत्थर से संकेत मिलता है कि इसका निर्माण वर्ष 1904 में हुआ। यह लगभग 118 वर्ष पुराना है।

इसमें अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–1, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), अपर जिला जज, (ई.सी. अधिनियम) एवं विशेष न्यायालय (MP/MLA) संचालित हैं। वर्ष 2015 में इसका जीर्णोद्धार किया गया तथा पुनः जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

20 कक्षीय न्यायालय भवन

यह भूतल+2 भवन वर्ष 2012 में निर्मित हुआ तथा 19.11.2012 को पूर्ण हुआ। इसमें एसीजेएम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), एमएसीटी, धारा 138 NI Act से संबंधित न्यायालय एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित हैं।

यह लगभग 9 वर्ष पुराना है तथा इसमें दो लिफ्ट उपलब्ध हैं।

त्वरित न्यायालय भवन

यह भूतल+1 भवन वर्ष 2003 में निर्मित हुआ तथा

09.08.2003 को पूर्ण हुआ। इसमें पाँच न्यायालय कक्ष की व्यवस्था है, जिनमें से 2 अतिरिक्त परिवार न्यायालय वर्तमान में संचालित हैं।

इसके जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय को भेजा गया है।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में वाणिज्यिक न्यायालय (तहसील सदर भवन), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण (जयपुर हाउस स्थित भवन), किशोर न्यायालय, कंप्यूटर सेल, मध्यस्तता केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, उपभोक्ता फोरम, कैंटीन भवन, लॉकअप एवं पुलिस चौकी, आपराधिक अभिलेख कक्ष, डाकघर, आगरा बार एसोसिएशन भवन, अधिवक्ता कल्याण संघ भवन एवं अधिवक्ताओं के चैंबर स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त, झुन–झुन कटोरा नामक ऐतिहासिक स्मारक भी गेट संख्या 04 के निकट स्थित है। पुरुष एवं महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट सहित) उपलब्ध हैं।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय फतेहाबाद में बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में संचालित हैं।

इसके अतिरिक्त, बादशाही बाग, फतेहाबाद में 2.2370 हेक्टेयर न्यायिक भूमि उपलब्ध है, जिस पर भविष्य में स्थायी न्यायालय भवन निर्माण प्रस्तावित है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय तहसील बाह, किरावली, एतमादपुर एवं खेरागढ़ में क्रमशः 01.09.2020, 01.10.2020, 13.09.2020 एवं 07.10.2025 से तहसील भवनों में संचालित हैं, जो संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।



आगरा न्याय क्षेत्र–न्यायालय कक्ष भवन



नये न्यायालय कक्ष भवन



आगरा जिला न्यायालय



कम्प्यूटर सेल आगरा



पुरानी सीजीएम इमारत



विडियो कान्फ्रेंसिंग रूम



झुनझुन कटोरा



डी.जे. ब्लॉक

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	33	31
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	29	21
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट	19	12
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	5	5
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	2	2
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	24504	213472	237976	14606	195105	209711	15680	161055	176735	23430	247522	270952
2025	23430	247522	270952	15637	203437	219074	16132	208350	224482	22935	242609	265544

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5380	5605	10985	6581	5775	12356	6830	5784	12614	5131	5596	10727
2025	5131	5596	10727	6714	6019	12733	6385	5475	11860	5460	6140	11600

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	418	141	383	176
2025	176	245	178	243

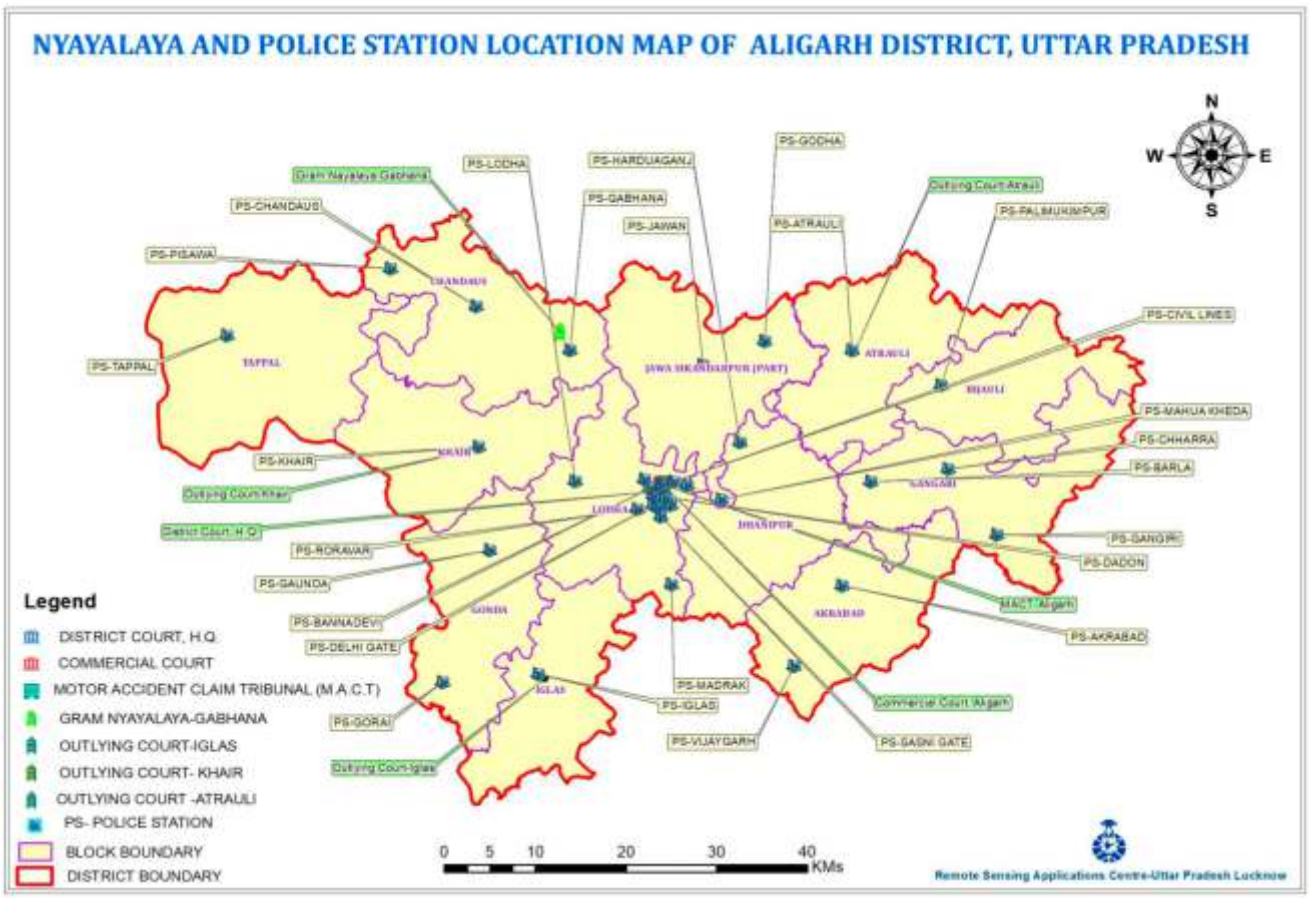
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3661	860	679	3842
2025	3842	985	580	4247

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1028	101	223	906
2025	906	221	171	956

जनपद न्यायालय अलीगढ़



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

अलीगढ़ जनपद न्यायालय का इतिहास वर्ष 1803 में अलीगढ़ किले पर ब्रिटिश कब्जे के पश्चात प्रारंभ होता है। वर्ष 1804 में जनपद का औपचारिक गठन किया गया और इसी के साथ जनपदीय न्यायपालिका की नींव रखी गई। इस अवधि में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा एक दीवानी अदालत (सिविल कोर्ट) की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती थी, जिससे जनपद में न्यायिक प्रशासन का औपचारिक प्रारंभ हुआ।

वर्ष 1831 में श्री जे. नीव. को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे जनपद की न्यायिक व्यवस्था को एक संगठित एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ। आगामी दशकों में न्यायालय व्यवस्था समय–समय पर विधिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती रही।

एक महत्वपूर्ण प्रगति बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (Act No. XII of 1887) के लागू होने पर हुई, जिसके अंतर्गत न्यायिक कार्यभार की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1930 में लघु एवं संक्षिप्त वादों के त्वरित निस्तारण हेतु अलीगढ़ में स्मॉल कॉजेस कोर्ट (Small Causes Court) की स्थापना की गई, जिससे जनपद की न्यायिक संरचना और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी हुई।

न्यायिक प्रशासनः न्याय की एक सुव्यवस्थित प्रणाली

वर्तमान में अलीगढ़ जनपद न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, जो जनपद में न्यायिक प्रणाली के समग्र पर्यवेक्षण एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस न्यायाधीशीय इकाई में कुल 70 न्यायालय स्वीकृत हैं, जो इसकी व्यापकता एवं कार्यक्षेत्र को दर्शाते हैं। ये न्यायालय विभिन्न प्रकार के मामलोंकृजैसे पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद एवं आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेषज्ञता के आधार पर विभाजित हैं, जिससे न्याय का त्वरित एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है।

अलीगढ़ बार एसोसिएशनः विधिक समुदाय का एक सशक्त स्तंभ

अलीगढ़ बार एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में हुई, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री शेख अब्दुल्ला थे। यह संस्था जनपद के विधिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1000 से अधिक अधिवक्ताओं की सदस्यता के साथ यह एसोसिएशन न केवल अधिवक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि न्यायिक प्रणाली के सुचारु संचालन में भी सक्रिय योगदान देती है। बार एसोसिएशन अपने सदस्यों को पुस्तकालय, बैठक कक्ष एवं कैंटीन जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराती है, जिससे उनके पेशेवर कार्यों को सुगमता मिलती है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का विवरण

पुराना मुख्य भवन

यह ऐतिहासिक भवन वर्ष 1905 में निर्मित किया गया था और जनपद न्यायालय की विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग है। अपनी स्थापत्य विशेषताओं तथा न्यायिक सेवा में लंबे समय से दिए गए योगदान के कारण यह भवन विशेष महत्व रखता है। इस भवन में कुल 10 न्यायालय कक्ष स्थित हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यालय संचालित होते हैं, जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या–01, अलीगढ़), सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अलीगढ़, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोइल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हवाली तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय शामिल हैं। इनके अतिरिक्त इस भवन में विभिन्न प्रशासनिक एवं सहायक कार्यालय भी स्थित हैं, जैसेकृ प्रशासनिक कार्यालय, नजारत शाखा, कंप्यूटर शाखा, लेखा शाखा, अभिलेख कक्ष (रिकॉर्ड रूम) तथा डीजीसी (क्रिमिनल) का कार्यालय, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान समय में भी यह ऐतिहासिक भवन न्यायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह न केवल जनपद की न्याय प्रणाली की गरिमा और परंपरा को दर्शाता है, बल्कि इसकी कार्यकुशलता और निरंतरता का भी प्रतीक है।

न्याय निकेतन भवन

न्याय निकेतन भवन का निर्माण वर्ष 1982 में किया गया था। इस भवन में कुल 12 न्यायालय कक्ष हैं, जिनमें विभिन्न न्यायालय संचालित हो रहे हैं। इन न्यायालयों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) का न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय संख्या–01 से न्यायालय संख्या–09 तक) तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–01 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–02 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस भवन में आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) के कक्ष एवं

कार्यालय भी स्थित हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी संचालन में सहायक भूमिका निभाते हैं।

तीन न्यायालय कक्ष भवन

तीन न्यायालय कक्षों वाला यह भवन वर्ष 1988 में निर्मित किया गया था। इस भवन में कुल तीन न्यायालय कक्ष हैं। वर्तमान में इस भवन में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या–03 तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) संचालित हो रहे हैं, जबकि एक न्यायालय कक्ष वर्तमान में रिक्त है।

न्याय निकुंज भवन (Nyay Nikunj Building) :

न्याय निकुंज भवन का निर्माण वर्ष 2005 में किया गया था। इस भवन में कुल 15 न्यायालय कक्ष स्थित हैं। वर्तमान में इस भवन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (POCSO), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) तथा अन्य अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस भवन में आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) के कक्ष एवं न्यायालय कार्यालय भी स्थित हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं।

फास्ट ट्रैक भवन

फास्ट ट्रैक भवन का निर्माण वर्ष 2000 में किया गया था। इस भवन में कुल 06 न्यायालय कक्ष स्थित हैं। वर्तमान में इस भवन में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या–01, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या–02 तथा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या–04 के न्यायालय संचालित हो रहे हैं, जबकि शेष न्यायालय कक्ष वर्तमान में रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, इस भवन में आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) के कक्ष एवं न्यायालय कार्यालय भी स्थित हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी संचालन में सहायक भूमिका निभाते हैं।

नौ न्यायालय कक्ष भवन

नौ न्यायालय कक्षों वाला यह भवन वर्ष 2017 में निर्मित किया गया था। इस भवन में कुल 09 न्यायालय कक्ष स्थित हैं। वर्तमान में इस भवन में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (SC/ST अधिनियम), विशेष न्यायाधीश (POCSO), विशेष न्यायाधीश (E.C. अधिनियम), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03 तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–12 के न्यायालय संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस भवन में आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) के कक्ष एवं न्यायालय कार्यालय भी स्थित हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में कई सहायक एवं संबद्ध भवन तथा सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जो समग्र न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती हैं। इनमें ADR भवन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, पुस्तकालय भवन, कैंटीन भवन, लॉक–अप एवं SSF/पुलिस चौकी, डाकघर, अलीगढ़ बार एसोसिएशन भवन, सिविल बार एसोसिएशन भवन तथा अधिवक्ताओं के चेंबर भवन शामिल हैं। ये सभी भवन एवं सुविधाएँ संयुक्त रूप से न्यायालय परिसर में न्यायिक, प्रशासनिक एवं अन्य सहायक सेवाओं के प्रभावी एवं सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय

यह न्यायालय अलीगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सामने स्थित है। इस न्यायालय भवन की व्यवस्था जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस न्यायालय की स्थापना वर्ष 2019 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। यह न्यायालय अलीगढ़, एटा, हाथरस तथा कासगंज जनपदों पर क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) रखता है। इसकी वित्तीय (Pecuniary) अधिकारिता ₹3,00,000/– एवं उससे अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वादों तक विस्तारित है। न्यायालय में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें पीठासीन अधिकारी के लिए कक्ष, एक न्यायालय कक्ष, आशुलिपिक कक्ष तथा एक कार्यालय कक्ष शामिल हैं। न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं के लिए उपयुक्त मेज एवं बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे न्यायालयीन कार्यवाही का सुचारु संचालन हो सके।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) न्यायालय

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) की स्थापना दिनांक 06.08.2020 को की गई थी। स्थापना के पश्चात से यह अधिकरण वर्तमान में अलीगढ़ स्थित

जिला पंचायत भवन में किराए के परिसर से संचालित हो रहा है। वर्तमान व्यवस्था में एक न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारी का कक्ष (चैंबर), आशुलिपिक कक्ष तथा संबंधित कार्यालय कक्ष शामिल हैं, जो अधिकरण के दैनिक न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सहायक हैं।

परिवार न्यायालय

अलीगढ़ न्यायाधीशीय परिसर के परिवार न्यायालयों की स्थापना दिनांक 07.08.2020 को हुई थी। स्थापना के पश्चात से ये न्यायालय अलीगढ़ स्थित न्यायाधीशीय परिसर के भीतर ही संचालित हो रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का न्यायालय नौ न्यायालय कक्ष भवन (Nine Court Rooms Building) में संचालित हो रहा है, जबकि शेष चार अतिरिक्त परिवार न्यायालय, न्यायाधीशीय परिसर के फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) भवन से संचालित हो रहे हैं।

बाह्य न्यायालय

अलीगढ़ न्यायाधीशीय इकाई में कुल तीन बाह्य न्यायालय हैं, जो वर्तमान में तहसील (01) अतरौली, (02) इगलास तथा (03) खैर में संचालित हो रहे हैं।

बाह्य न्यायालय, तहसील अतरौली

वर्तमान में तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अतरौली तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतरौली के न्यायालय उनके स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतरौली का न्यायालय दिनांक 23.11.1999 से कार्यरत है, जबकि सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अतरौली का न्यायालय दिनांक 03.08.2023 से संचालित हो रहा है।

बाह्य न्यायालय, तहसील इगलासरू

वर्तमान में तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़ में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, इगलास का न्यायालय उसके स्वयं के भवन से संचालित हो रहा है। यह न्यायालय दिनांक 02.07.2007 से कार्यरत है।

बाह्य न्यायालय, तहसील खैर

वर्तमान में तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैर का न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में संचालित हो रहा है। यह न्यायालय दिनांक 22.05.2010 से कार्यरत है।

ग्राम न्यायालय, तहसील गभाना

वर्तमान में ग्राम न्यायालय, गभाना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में संचालित हो रहा है। यह न्यायालय दिनांक 14.03.2023 से कार्यरत है।

एडीआर भवन

एडीआर भवन में स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat), मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) का कार्यालय संचालित हो रहा है। यह भवन मूल रूप से स्थायी लोक अदालत के लिए निर्मित किया गया था। भवन के प्रथम तल पर मध्यस्थता केंद्र के साथ–साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव का कार्यालय एवं कक्ष स्थित है। यह भवन वैकल्पिक विवाद निस्तारण (Alternative Dispute Resolution) तथा विधिक सेवाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए समर्पित आधारभूत संरचना प्रदान करता है, जिससे इन कार्यों का सुचारु एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित होता है।



पुरानी मुख्य इमारत



न्याय निकेतन इमारत



फास्ट ट्रैक भवन



ग्राम न्यायालय गभाना



न्याय निकुंज भवन



बाह्य न्यायालय तहसील इग्लास



बाह्य न्यायालय तहसील खैर



बाह्य न्यायालय तहसील अतरौली

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	27	17
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	19	19
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	5	4
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17887	153511	171298	8939	146694	155633	8732	137229	145961	17994	162976	180970
2025	17994	162976	180970	7172	152516	159688	6973	149249	156222	18193	166243	184436

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	4504	5006	9510	4529	4808	9337	5384	5322	10706	3649	4492	8141
2025	3649	4492	8141	5167	4454	9621	5017	4392	9409	3799	4554	8353

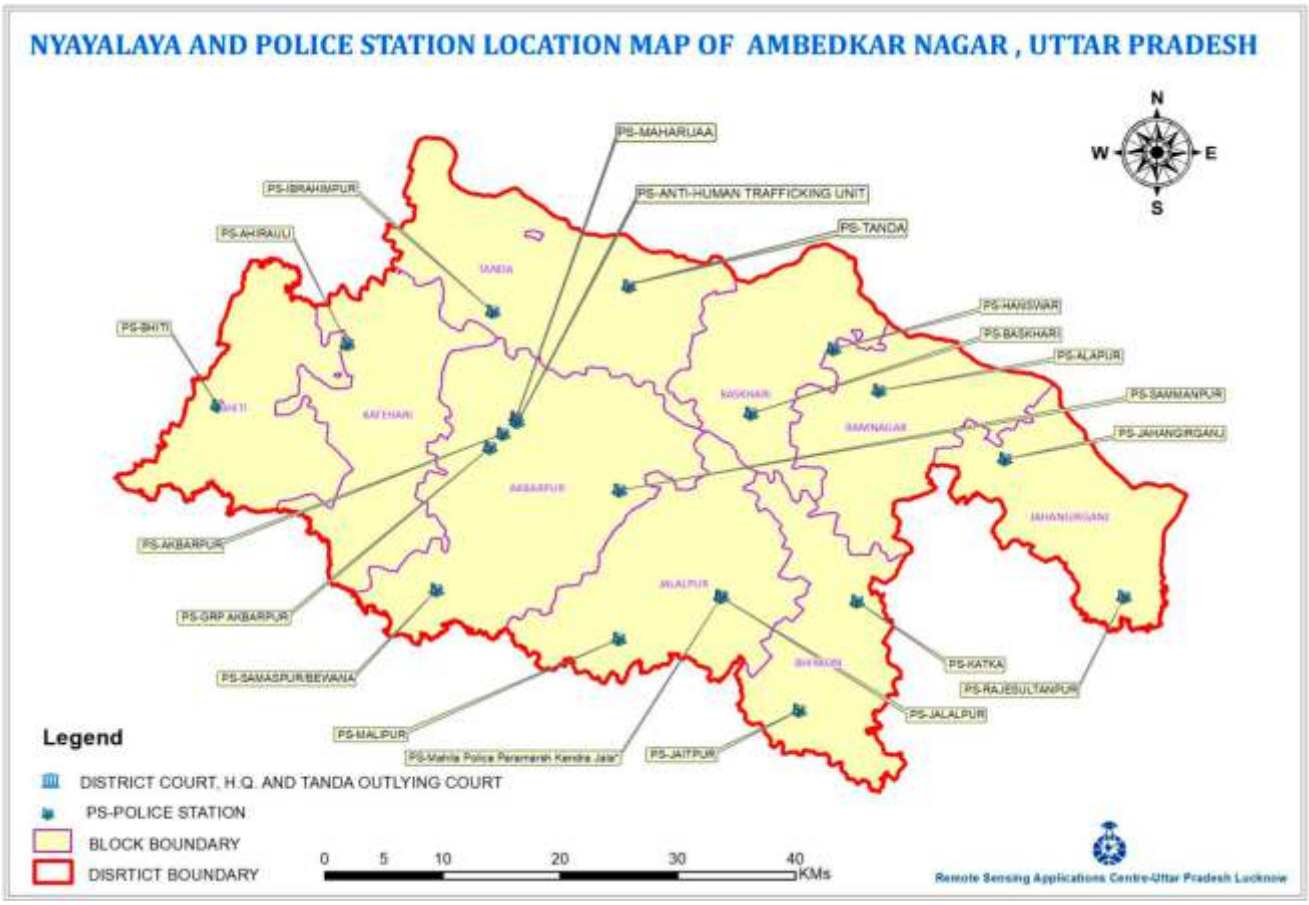
वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	608	59	521	146
2025	146	19	106	59

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	7108	3319	2210	8217
2025	8217	4383	3030	9570

जनपद न्यायालय अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

अंबेडकर नगर जिला भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या (फैजाबाद) मंडल में स्थित एक जिला है। इस जिले का गठन 29 सितंबर 1995 को किया गया था और इसका नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर की स्मृति में रखा गया। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह शहर टोंस (तमसा) नदी के किनारे बसा हुआ है, जो शहर को दो भागों– अकबरपुर और शाहजादपुर में विभाजित करती है। अंबेडकर नगर के बाह्य क्षेत्रों में कई छोटे–बड़े उद्योग स्थित हैं, जैसे टांडा में एनटीपीसी, अयोध्या ग्राइंडिंग ऑपरेशन्स (JAAGO), अकबरपुर में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम तथा मिझौड़ा में चीनी मिल। अकबरपुर (अंबेडकर नगर) श्री राम मनोहर लोहिया और डॉ. गणेश कृष्ण जैटली, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता का जन्मस्थान भी है। जिले में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे श्रवण क्षेत्र, किछौछा में दरगाह शरीफ, गोविंद साहब और शिव बाबा। अंबेडकर नगर में सेशंस डिवीजन एवं न्यायाधीश पद की स्थापना 4 नवंबर 1999 को हुई थी। इससे पूर्व फैजाबाद जजशिप की बाह्य अदालतें अकबरपुर और टांडा में स्थित थीं। नए भवन का शिलान्यास 22 जुलाई 2000 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्यामल कुमार सेन द्वारा किया गया था तथा निर्माण पूर्ण होने के बाद 7 दिसंबर 2002 को माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार योग द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और तब से यह न्यायालय न्याय प्रशासन में एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।

वर्तमान न्यायालय परिसर

इसकी स्थापना के समय से तथा जिले के गठन से पूर्व, अकबरपुर में तीन अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय तथा टांडा में एक मुंसिफ न्यायालय, फैजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत थे। 1995 में जिले के गठन के बाद, श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी को 29.09.1995 को विशेष कार्याधिकारी (OSD) के रूप में नियुक्त किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय अंबेडकर नगर 05.11.1999 को पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ तथा श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सेशंस

डिवीजन के गठन के समय न्याय प्रशासन हेतु जिला न्यायाधीश न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तीन अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय मुख्यालय पर तथा टांडा तहसील में एक बाह्य न्यायालय भी स्थापित किए गए। वर्तमान में कुल 35 न्यायालय स्वीकृत हैं, जिनमें तीन ग्राम न्यायालय शामिल हैं। साथ ही विधिक जागरूकता के प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए एक पृथक भवन भी स्थापित है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

जिला न्यायालय अंबेडकर नगर में दो न्यायालय परिसर हैं–

- पुराना परिसर – रेलवे स्टेशन, अकबरपुर के निकट
- वर्तमान न्यायालय परिसर – 16 न्यायालय कक्षों वाला भवन

पुराना न्यायालय परिसर / विरासत भवन

अंबेडकर नगर जिले का गठन 29 सितंबर 1995 को हुआ। सेशंस डिवीजन के गठन से पहले, अकबरपुर में फैजाबाद के अंतर्गत एक बाह्य न्यायालय था, जो राज्य के सबसे पुराने बाह्य न्यायालयों में से एक था। यह 1957 से रेलवे स्टेशन अकबरपुर के पास स्थित पुराने भवन में संचालित हो रहा था और इसमें मुंसिफ न्यायालय अकबरपुर तथा तीन अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय शामिल थे।

अंबेडकर नगर जजशिप का यह पुराना भवन लगभग 164 वर्ष पुराना है और इसे "विरासत भवन" घोषित किया गया है। वर्तमान में इस भवन में परिवार न्यायालय संचालित हो रहा है।

वर्तमान न्यायालय परिसर / 16 न्यायालय कक्ष भवन

नए भवन का शिलान्यास 22 जुलाई 2000 को माननीय न्यायमूर्ति श्यामल कुमार सेन द्वारा किया गया तथा 7 दिसंबर 2002 को इसका उद्घाटन किया गया।

इस भवन में 16 पूर्णतः क्रियाशील न्यायालय कक्ष हैं, जिनके साथ न्यायाधीश कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष तथा प्रशासनिक इकाइयाँ जैसे प्रशासनिक अधिकारी कक्ष, नजारत अनुभाग, बिल अनुभाग, कंप्यूटर अनुभाग आदि उपलब्ध हैं। भूतल एवं प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष संचालित हैं। प्रथम तल पर 14 न्यायालय कक्ष, अभिलेखागार, कंप्यूटर अनुभाग एवं नजारत अनुभाग हैं, जबकि द्वितीय तल पर 2 न्यायालय कक्ष, मीटिंग हॉल, पुस्तकालय, प्रशासनिक अधिकारी कक्ष एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थित हैं।

इस भवन में कुल 16 न्यायालय कक्ष, 16 कार्यालय, 16 स्टेनोग्राफर कक्ष, 16 विश्राम कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, पुस्तकालय, अभिलेखागार (सिविल एवं आपराधिक), मीटिंग हॉल, प्रशासनिक कार्यालय, नजारत अनुभाग, आईसीटी/कंप्यूटर कक्ष, प्रतिलिपि अनुभाग (सिविल एवं आपराधिक), वादकारी शेड एवं छायादार शेड, वैकल्पिक समाधान केन्द्र (ADR केंद्र), CCTV एवं अन्य सुरक्षा उपकरण, कैंटीन, अस्पताल, लॉक–अप आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मुख्य भवन में 33 KW सोलर प्लांट, अग्निशमन प्रणाली तथा स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी है।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), टांडा का न्यायालय जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहा है।

ग्राम न्यायालय

वर्तमान में अंबेडकर नगर में तीन ग्राम न्यायालय– आलापुर, भीटी और जलालपुर कार्यरत हैं।

ग्राम न्यायालय, आलापुर

यह पंचायत भवन, जहांगीरगंज बावली चौक में संचालित हो रहा है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराया गया है ताकि ज़मीनी स्तर पर न्याय की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

ग्राम न्यायालय, भीटी

यह तहसील भीटी परिसर स्थित कोषागार कार्यालय में संचालित हो रहा है जिसे जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराया गया है ताकि ज़मीनी स्तर पर न्याय की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

ग्राम न्यायालय, जलालपुर

यह जलालपुर तहसील परिसर स्थित कृषि भवन में संचालित हो रहा है जिसे जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराया गया है ताकि ज़मीनी स्तर पर न्याय की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

परिवार न्यायालय भवन

निर्माणाधीन परिवार न्यायालय भवन (जी+2) संरचना का है। भवन के भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था

है। प्रथम तल (जी+1) एवं द्वितीय तल (जी+2) पर दो न्यायालय कक्षों के साथ–साथ संबंधित इकाइयाँ जैसे अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष, न्यायालय कार्यालय, सार्वजनिक सुविधाएँ तथा अन्य सहायक कार्यालय स्थित हैं। परिवार न्यायालय भवन में 75 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भवन में वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए 13–यात्री क्षमता वाली दो लिफ्ट तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 8–यात्री क्षमता वाली दो लिफ्ट स्थापित की गई हैं। भवन को दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप और रेलिंग सुविधाओं तथा अग्नि अलार्म प्रणाली से भी सुसज्जित किया गया है। भवन का अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसके शीघ्र ही संचालित होने की संभावना है।



पुराना न्यायालय परिसर



वर्तमान न्यायालय परिसर



वर्तमान न्यायालय परिसर, जलालपुर



निर्माणाधीन परिवारिक न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	12	5
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	5	5
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	0	0
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

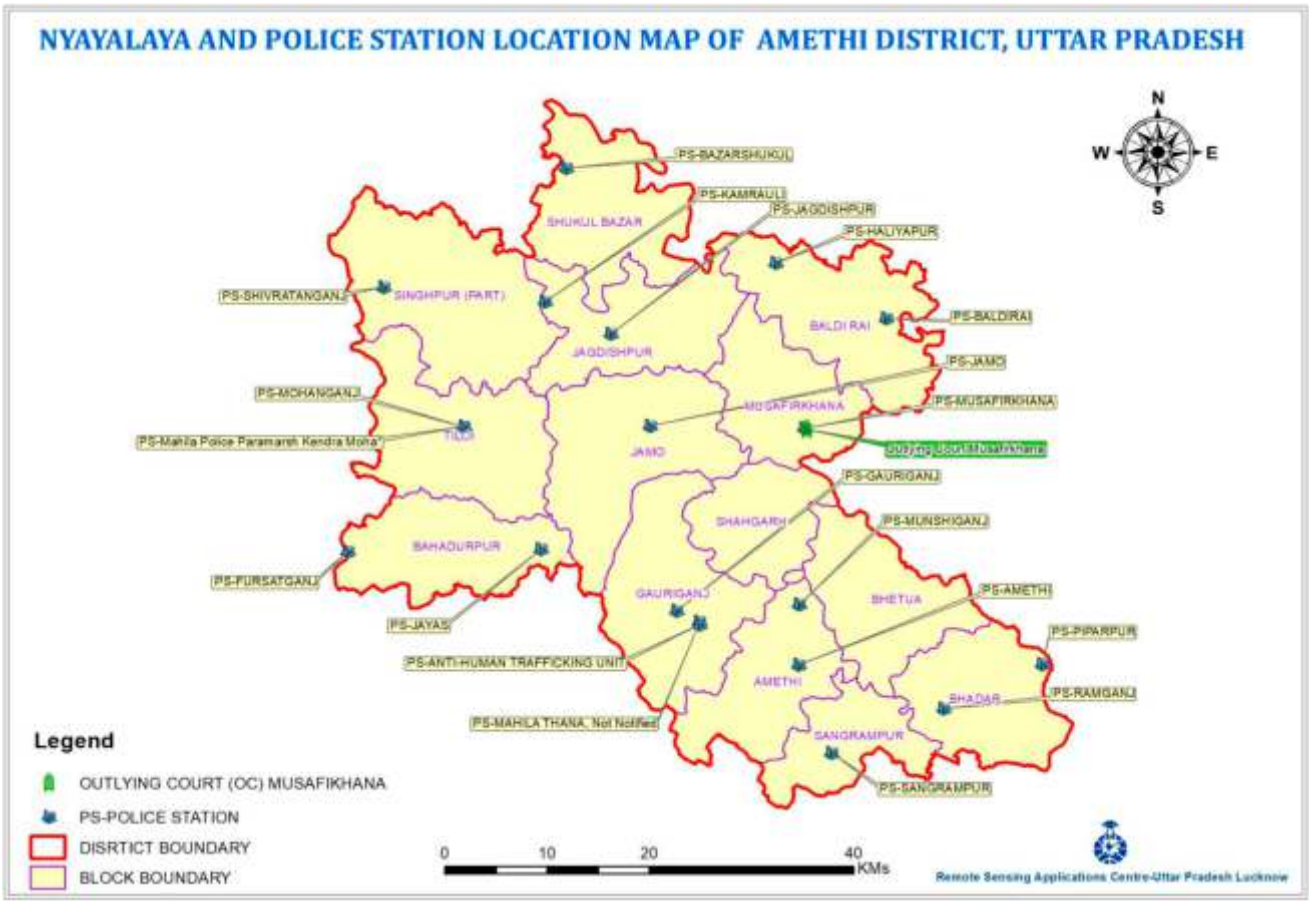
जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	Criminal	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	Civil	दीवानी	फौजदारी
2024	21404	67084	88488	11631	77213	88844	9782	73061	82843	23253	71236	94489
2025	23253	71236	94489	7132	83704	90836	5467	79111	84578	24918	75829	100747

पारिवारिक न्यायालय

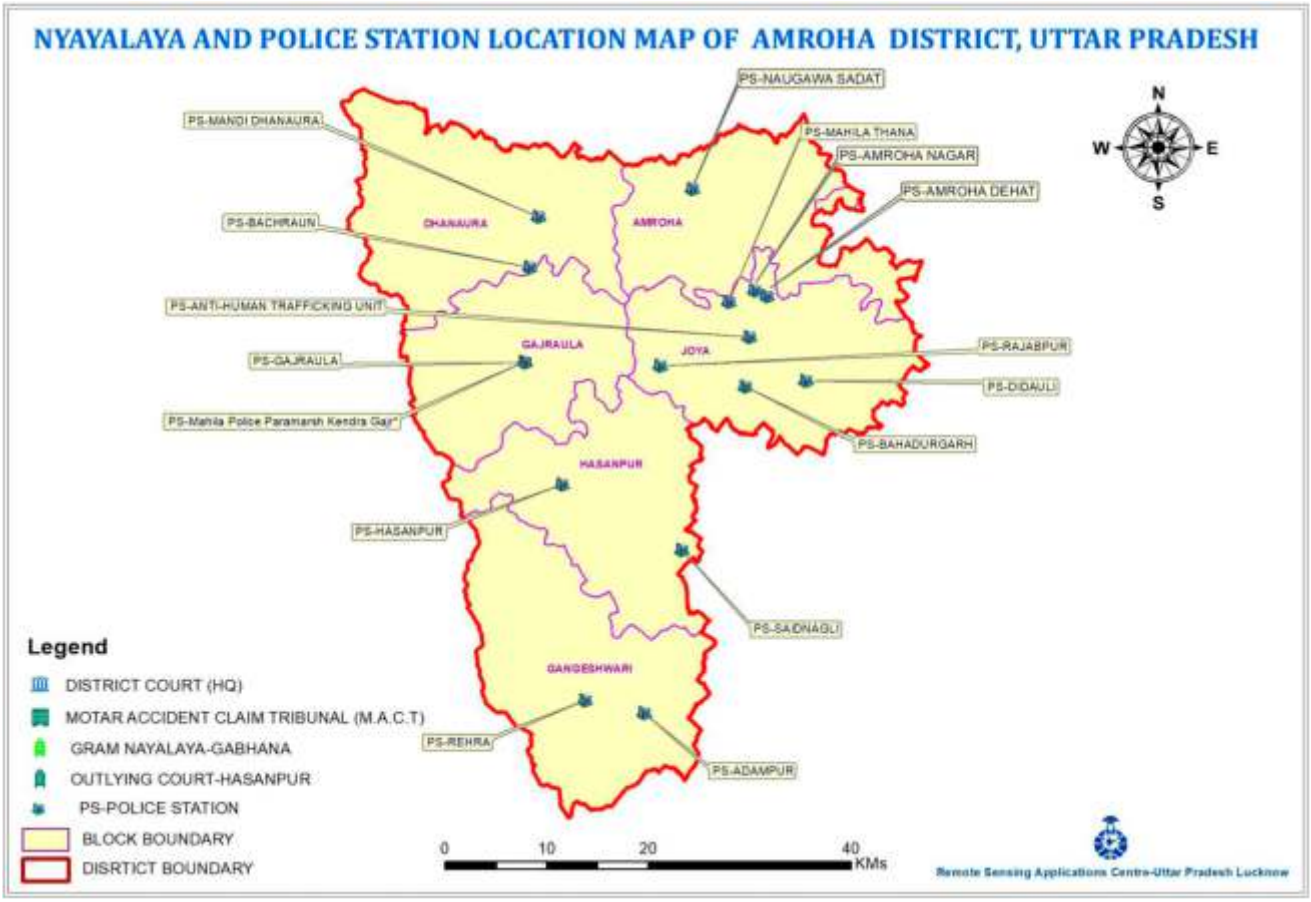
वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1277	1774	3051	835	967	1802	803	962	1765	1309	1779	3088
2025	1309	1779	3088	831	997	1828	1108	1200	2308	1032	1576	2608

जनपद न्यायालय अमेठी



वर्तमान में, अमेठी ज़िले में न्यायालय कार्यरत नहीं है और न ही कोई न्यायिक कार्य किया जा रहा है। इस न्यायक्षेत्र में, केवल OSD ही पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं; कोई अन्य न्यायिक अधिकारी कार्यरत नहीं है। न्यायालय परिसर के लिए अधिग्रहित 11.309 हेक्टेयर भूमि पर केवल चारदीवारी का निर्माण किया गया है, और आवास के लिए अधिग्रहित 11.3830 हेक्टेयर भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है; साथ ही, उक्त मामले में मांगी गई जानकारी 'शून्य' है।

जनपद न्यायालय अमरोहा



अमरोहा जिले का संक्षिप्त विवरण:

राज्य सरकार द्वारा 15 अप्रैल 1997 को अमरोहा जिले (पूर्व में ज्योतिबा फुले नगर) का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय अमरोहा में है। अमरोहा जिले में वर्तमान में 4 तहसीलें हैं, जिनके नाम हैं अमरोहा, धनौरा, हसनपुर और नौगवां सादात। नौगवां सादात तहसील का गठन दिसंबर 2016 में हुआ था। अमरोहा जिले की स्थापना 1997 में प्रसिद्ध समाज सुधारक संत महात्मा ज्योतिबा फुले की स्मृति में की गई थी, जिसमें मुरादाबाद जिले की अमरोहा, धनौरा और हसनपुर तहसीलों को मिलाया गया था। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राजपत्र संख्या 1071/1–5–97/224/र–5 दिनांक 15 अप्रैल 1997 में प्रकाशित हुई थी।

अमरोहा (नगर):– इस नाम को लेकर अलग–अलग कहानियां प्रचलित हैं। अमरोहा कस्बे की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि अमरोहा नाम संस्कृत शब्द 'अम्र' (जिसका अर्थ 'आम' है) और 'वनम' (जिसका अर्थ 'जंगल' है) से मिलकर बना है। इस प्रकार, अमरोहा का शाब्दिक अर्थ है आमों का जंगल। दूसरी मान्यता यह है कि अमरोहा आम फल और रोहू मछली के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण जिले का नाम अमरोहा पड़ा।

अमरोहा में जिला न्यायालय 23.08.1999 से कार्यरत है। जिले में अमरोहा नामक एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अमरोहा, हसनपुर, धनौरा और नौगवां सदात नामक चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।

अमरोहा न्यायालय का इतिहास

जिला न्यायालय ज्योतिबा फुले नगर (अब अमरोहा) का आधिकारिक उद्घाटन 23.08.1999 को माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार मित्रा, जो उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, द्वारा किया गया था।

'भवन और अन्य आधारभूत संरचना '

जिला न्यायालय अमरोहा

अमरोहा के जोया रोड पर स्थित नवीन न्यायालय परिसर, जोया से एक तरफ 3 किलोमीटर और अमरोहा

शहर से दूसरी तरफ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवीन न्यायालय परिसर 8 मार्च 2010 से न्यायिक कार्यों के लिए कार्यरत है। इस परिसर का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था।

न्यायालय परिसर का बुनियादी ढांचा

1– न्यायालय कक्ष – 19
2– कंप्यूटर कक्ष–01
3– वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष–01
4–सीसीटीवी कक्ष–01
5– ए.डी.आर. बिल्डिंग–01
6– लिटिगेंट शेड – 01
7– गवाह शेड – 01
8– स्वतंत्र फीडर इलेक्ट्रिक – 01
9– सोलर सिस्टम – 01
10– सुलभ शौचालय– 01
11– पुलिस चौकी–01
12– गार्ड रूम–01
13– एडवोकेट्स बार हॉल–01
14– डाकघर–01
15– अलग–अलग लॉक–अप (पुरुष और महिला)
16– अलग से ओवरहेड जल टैंक (जल आपूर्ति के लिए)
17– न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और मुवक्किलों के लिए अलग–अलग प्रवेश द्वार।
18– पेयजल मशीन–05
19– हैंड पंप–06
20– शौचालय (पुरुष और महिला)– 11

ग्राम न्यायालय धनौरा :–

ग्राम न्यायालय की इमारत तहसील धनौरा में स्थित है, जो मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर है और 30 अक्टूबर 2019 से कार्यरत है।

ग्राम न्यायालय धनाउरा में सभी प्रकार के मामलों की कुल लंबित संख्या 656 है (27 दीवानी और 629 आपराधिक मामले)। न्यायालय के कर्मचारियों में एक रीडर, एक वाद लिपिक और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी शामिल हैं। वर्तमान में न्यायालय में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के एक अधिकारी तैनात हैं।

हसनपुर स्थित वाह्य न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा ई–उद्घाटन के बाद दिनांक 22.03. 2022 से नवीन न्यायालय परिसर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रैंक के दो अधिकारी कार्यरत है। नवीन न्यायालय परिसर में 2 न्यायालय कक्ष और 2 आवासीय भवन हैं। नवीन वाह्य न्यायालय परिसर मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर स्थित है।

न्यायालय, कार्यालय और कर्मचारी

जिले के लिए कुल 30 स्वीकृत न्यायालय हैं। इनमें से 6 न्यायालय रिक्त हैं। इनमें से 2 हसनपुर स्थित बाह्य न्यायालय और 1 धनौरा ग्राम न्यायालय में स्थित न्यायालय शामिल हैं।

वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अमरोहा और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अमरोहा कार्यरत हैं।

अमरोहा में जिला उपभोक्ता फोरम और स्थायी लोक अदालत भी कार्यरत हैं।

बार एसोसिएशन

अमरोहा जिले में चार बार एसोसिएशन हैं। इनमें से दो बार एसोसिएशन, 'जनपद अमरोहा बार एसोसिएशन' और 'बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा', मुख्यालय में स्थित हैं। एक, 'सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन', हसनपुर स्थित बाह्य न्यायालय में है और एक, 'बार एसोसिएशन धनौरा जनपद अमरोहा', ग्राम न्यायालय धनौरा में स्थित है।

ऐतिहासिक फैसले

तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.ए.ए. हुसैनी ने वर्ष 2010 में, सत्र परीक्षण संख्या 293/2008 अपराध संख्या 880/2008 राज्य बनाम शबनम और अन्य, पुलिस स्टेशन हसनपुर, जिला अमरोहा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों, शबनम और सलीम को मृत्युदंड दिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस जघन्य घटना का सार यह था कि यह कथित अपराध हसनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बावनखेड़ी गांव में हुआ था। 14 अप्रैल 2008 की दुर्भाग्यपूर्ण रात, लगभग 2 बजे, दोषी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की सहायता से कथित तौर पर अपने पूरे परिवार और एक रिश्तेदार सहित 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिनमें उसके पिता, माता, दो भाई, एक भाई की पत्नी, एक चचेरा भाई और उसके भाई का 10 महीने का बेटा शामिल थे। मृत्युदंड को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई थी।

कंप्यूटरीकरण

अमरोहा जिला न्यायालय में एक कंप्यूटरीकृत

सर्वर रूम स्थापित किया गया है। सभी न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर सर्वर रूम से जोड़ा गया है, जहां सभी डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है। जिला न्यायालय का कंप्यूटरीकृत सर्वर रूम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबद्ध है। लंबित मामलों और उनके निपटारे से संबंधित जानकारी न्यायालयों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से सर्वर पर अपलोड की जाती है। आम नागरिक जिला न्यायालय की वेबसाइट से अपने मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। सर्वर के संचालन के लिए एक डी.एस.ए., एक एस.ए. और दो तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वाह्य न्यायालय हसनपुर, जिला अमरोहा में एक अलग सर्वर रूम कार्यरत है,

लिटिगेंट्स / जनता के लिए सुविधाएं

अमरोहा स्थित जिला न्यायालय परिसर में पांच पेयजल मशीनें, छह हैंडपंप और 11 शौचालय (पुरुष और महिला दोनों के लिए) कार्यरत हैं। मुवक्किलों और गवाहों के लिए अलग–अलग शेड भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक अदालत में मुवक्किलों के लिए बेंचें हैं। न्यायालय परिसर के अंदर और आसपास छायादार पेड़ लगाए गए हैं।

बयान

अमरोहा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विवेक ने कहा है कि इस न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारी मेहनती हैं, अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करते हैं और हर तरह से मेरे प्रति आज्ञाकारी हैं। अधिवक्ता विनम्र, शिष्ट और सहयोगी हैं तथा उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान है। इस न्यायपालिका का स्टाफ ईमानदार, अनुशासित और अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित है।

रिकॉर्ड रूम

जिला न्यायालय भवन के तहखाने में अभिलेख कक्ष कार्यरत है। सभी न्यायालयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए अलग–अलग अभिलेख कक्ष स्थापित किए गए हैं। दोनों अभिलेख कक्षों में अग्निशमन प्रणाली कार्यरत है।

न्यायालय का पुस्तकालय

जिला न्यायालय भवन की दूसरी मंजिल पर पुस्तकालय कार्यरत है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें (दीवानी और आपराधिक पत्रिकाओं का पुराना और नया संग्रह, कानून की पुस्तकें और मूल अधिनियम आदि) रखी जाती हैं; वर्तमान में पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की 5,671 पुस्तकें उपलब्ध हैं।



मुख्य न्यायालय भवन



मुख्य परिसर



मुख्य परिवारिक न्यायालय भवन



कम्प्यूटर सर्वर कक्ष



ग्राम न्यायालय धनौरा



बाह्य न्यायालय हसनपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	10	10
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	06	06
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	06
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	8790	65640	74430	3084	40281	43365	3206	39275	42481	8668	66646	75314
2025	8668	66646	75314	3330	45280	48610	3425	44152	47577	8573	67774	76347

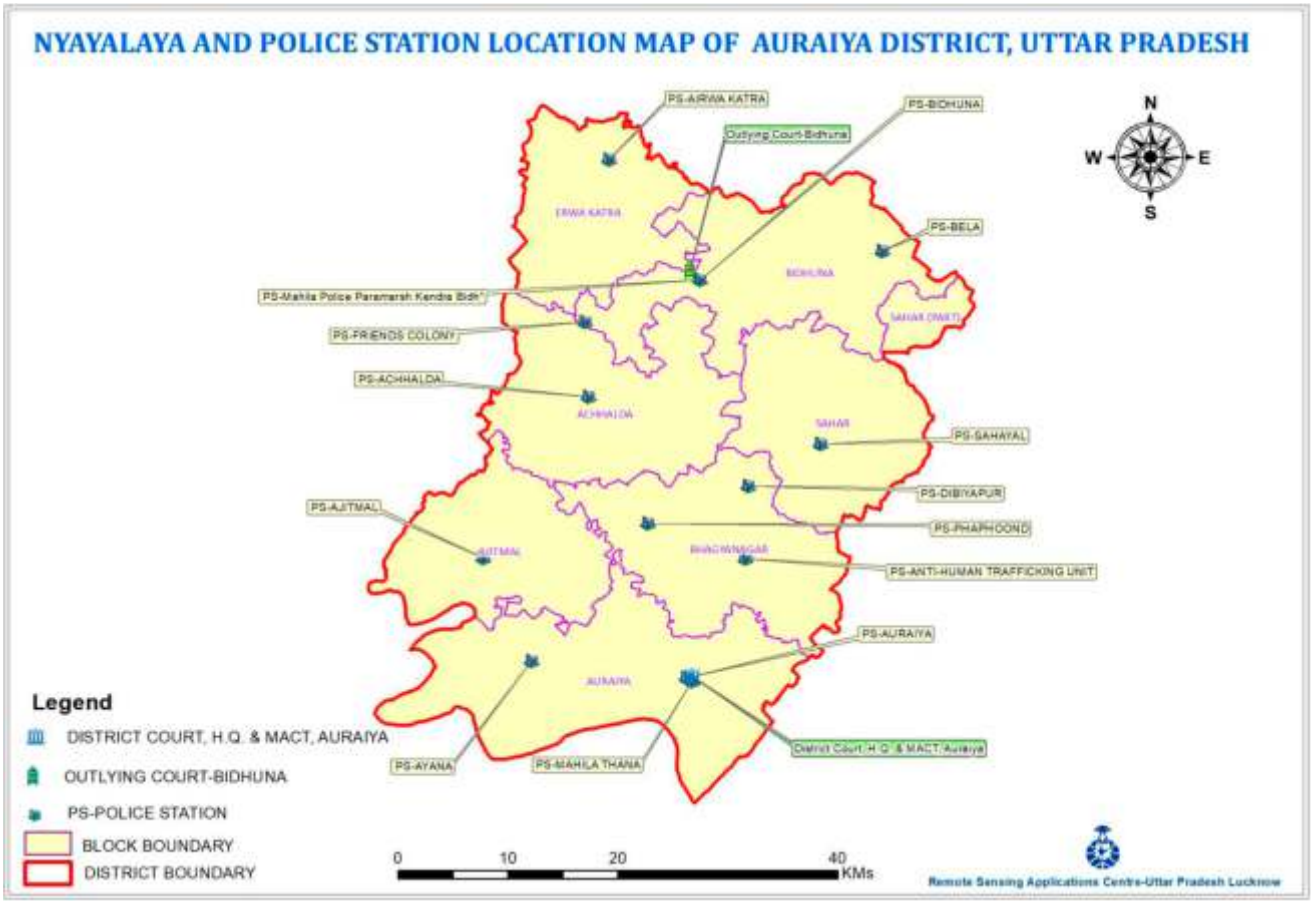
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	968	1419	2387	931	939	1870	562	609	1171	1337	1749	3086
2025	1337	1749	3086	938	965	1903	1017	908	1925	1258	1806	3064

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	816	984	1132	668
2025	668	1146	1100	714

जनपद न्यायालय औरैया



जनपद न्यायालय, औरैया की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) औरैया के न्यायालय की स्थापना 26 जून 1989 को इटावा जिले की एक बाह्य न्यायालय के रूप में की गई थी। इसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. मुखर्जी (प्रशासनिक न्यायामूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) ने किया था।

जनपद न्यायालय औरैया की स्थापना प्रारंभ में 25 जून 1998 को हुई थी। श्री मुहि–उल इस्लाम को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या– 1202/डी.आर(एस.)/98 दिनांक– 03.08.1998 और शासनादेश संख्या– 2166/7–न्याय–2–98/3जी/98 के माध्यम से ओ.एस.डी. के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 18.08.1998 से 29.01.2000 तक ओ.एस.डी. के रूप में कार्य किया।

जिला एवं सत्र न्यायालय, औरैया की स्थापना 29 जनवरी 2000 को अधिसूचना संख्या– 3522/7–न्याय 2–99–2000 G/97T.C.1 लखनऊ दिनांकित– 17.12.1999 तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 8/डी.आर(एस.)/2000 दिनांकित– 12.01.2000 के माध्यम से की गई। इसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. मित्रा, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2000 को किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. अग्रवाल (निरीक्षण न्यायाधीश, औरैया) भी उपस्थित थें। श्री मुहि–उल–इस्लाम को औरैया के प्रथम जिला जज के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायालयों के नामः–

जिला एवं सत्र न्यायालय
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कक्ष संख्या– 1
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारण अधिनियम)
न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कक्ष संख्या– 2
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कक्ष संख्या– 3
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कक्ष संख्या– 4

(रिक्त)
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो/बलात्कार) (रिक्त)
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफ०टी०सी०, कक्ष संख्या– 1
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफ०टी०सी०, कक्ष संख्या– 2
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)
न्यायालय अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)
न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/एफ०टी०सी०
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय अपर सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), कक्ष संख्या– 1
न्यायालय अपर सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), कक्ष संख्या– 2
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) (एफ०टी०सी०) (महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) (एफ०टी०सी०) (14जी वित्त आयोग)

परिवार न्यायालय

उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय (न्यायालय) नियम 2006 के नियम 58 में आवश्यक संशोधन करते हुए, सरकारी अधिसूचना संख्या– 9/2020/776/सात–न्याय–2/2020–732/86 दिनांकित– 04.05.2020 के माध्यम से परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद के समकक्ष उन्नत कर दिया गया है। वर्तमान में, जनपद न्यायालय, औरैया के परिसर में एक परिवार न्यायालय कार्यरत है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, औरैया

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग–3 के अंतर्गत जिला औरैया में अधिसूचना संख्या–77/तीस–3–2019, लखनऊ, दिनांकः 09.01.2019 द्वारा की गई थी। वर्तमान में, एम.ए.सी.टी., जनपद न्यायालय, औरैया के परिसर में कार्यरत है।

बाह्य न्यायालय, बिधूना, औरैया

जनपद न्यायालय, औरैया का एक बाह्य न्यायालय तहसील बिधूना में स्थित है, जो मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इस न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–114/VII–न्याय–2–2002–202(7)/76, दिनांक–31.01.2002 और शासनादेश संख्या–10/2016/870/सात–न्याय–2–2016–85G/2012, दिनांक–06.07.2016 के तहत सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), बिधूना और अपर सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), बिधूना, औरैया के पदों के लिए की गई थी।

ग्राम न्यायालय

वर्तमान में औरैया जनपद में कोई ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं है। औरैया जिले की तहसील अजीतमल के भवन में ग्राम न्यायालय के गठन के लिए वैकल्पिक आधार पर (अस्थायी व्यवस्था) बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। ग्राम न्यायालय के गठन के लिए दिनांक– 13.08.2025 को जनपद न्यायालय, औरैया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है।

नया एकीकृत न्यायालय परिसर, औरैया

औरैया जिले में आवासीय और गैर–आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम ककोर बुजुर्ग में स्थित भूमि को स्थानीय किसानों से अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया था। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 72/2018/U.O.–78/सात–न्याय–9 (Budget)– 2018–28 G/2000 T.C.–न्याय–2, न्याय खंड–9 (बजट) दिनांक 14 जून 2018 के माध्यम से ₹6,762.72 लाख की राशि स्वीकृत की। स्वीकृत धनराशि से संबंधित किसानों के साथ विक्रय विलेख विधिवत निष्पादित किए गए।

तत्पश्चात, उपजिलाधिकारी, औरैया ने पत्र संख्या– 448/एसटी–एसडीएम–जांच/2013 दिनांक– 08.09.2023 के माध्यम से सूचित किया कि जनपद न्यायालय, औरैया के आवासीय और गैर–आवासीय परिसर की स्थापना के लिए कुल 17.998 हेक्टेयर (44.47 एकड़) भूमि उपलब्ध कराई गई है।

तत्पश्चात्, अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर द्वारा जारी पत्र संख्या 3904/21B/24 दिनांक– 03.01.2024 के माध्यम से, मैसर्स डी.डी.एफ. कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को जिला औरैया में एकीकृत न्यायालय परिसर (डी.जे. कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट, फैमिली कोर्ट, वी.डब्ल्यू.डी. कोर्ट, कॉमर्शियल कोर्ट, एम.ए.सी.टी. और लारा) के हिस्से के रूप में 37 न्यायालय कक्षों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु ई.पी.सी. प्रणाली के तहत चयनित किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 57 / 2025 / 877582 / सात–न्याय–9 (बजट)–2025–07–9099 / 10 / 2024, न्याय खंड–9 (बजट), दिनांक– 11.02.2025 के अनुसार, औरैया जिले में एकीकृत न्यायालय परिसर (37 न्यायालय कक्ष) के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹27,866.89 लाख (जी.एस.टी. सहित) स्वीकृत की गई।

तदोपरान्त, दिनांक– 30.08.2025 के पत्र के माध्यम से, अधीक्षण अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. सर्किल, लोक निर्माण विभाग, आगरा ने सूचित किया कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर, सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी, राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (लीड) को मेसर्स ग्लोबल जोन सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है।

तत्पश्चात्, पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीक्षण अभियंता ने दिनांक– 02.01.2026 को कार्य प्रारंभ करने का पत्र जारी किया। उक्त पत्र के अनुसार, परियोजना के प्रारंभ की तिथि 02.01.2026 है और समापन की निर्धारित तिथि 01.07.2027 है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी ने शनिवार, 17.01.2026 को वर्चुअल माध्यम से एकीकृत न्यायालय परिसर, जिला औरैया की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गरिमामय उपस्थिति रही।

इस कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, अवसंरचना समिति के अध्यक्ष और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश तथा जिला औरैया के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा की गरिमामय उपस्थिति रही।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 16 / 2026 / 1206615 / सात–न्याय–9 (बजट)–2026–07–9099 / 10 / 2024, लखनऊ, दिनांक– 14.01.2026 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला औरैया में एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए पूर्व में स्वीकृत ₹27,866.89 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष ₹5,000 लाख (₹50 करोड़ मात्र) की पहली किस्त जारी की गई।

इसके फलस्वरूप, ग्लोबल जोन सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर की देखरेख में औरैया जिले में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है।



बाह्य न्यायालय भवन, बिधूना, औरैया



बाह्य न्यायालय प्रवेश द्वार, बिधूना, औरैया



पारिवारिक न्यायालय, औरैया



एम.ए.सी.टी., औरैया



ककोर बुजुर्ग, औरैया में प्रस्तावित नवीन एकीकृत जिला न्यायालय भवन



कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, औरैया



जनपद न्यायालय औरैया में लोक अदालत वाहन रैली

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	10	7
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	10907	49403	60310	6340	52692	59032	6372	48695	55067	10875	53400	64275
2025	10875	53400	64275	6670	57986	64656	6198	54498	60696	11347	56888	68235

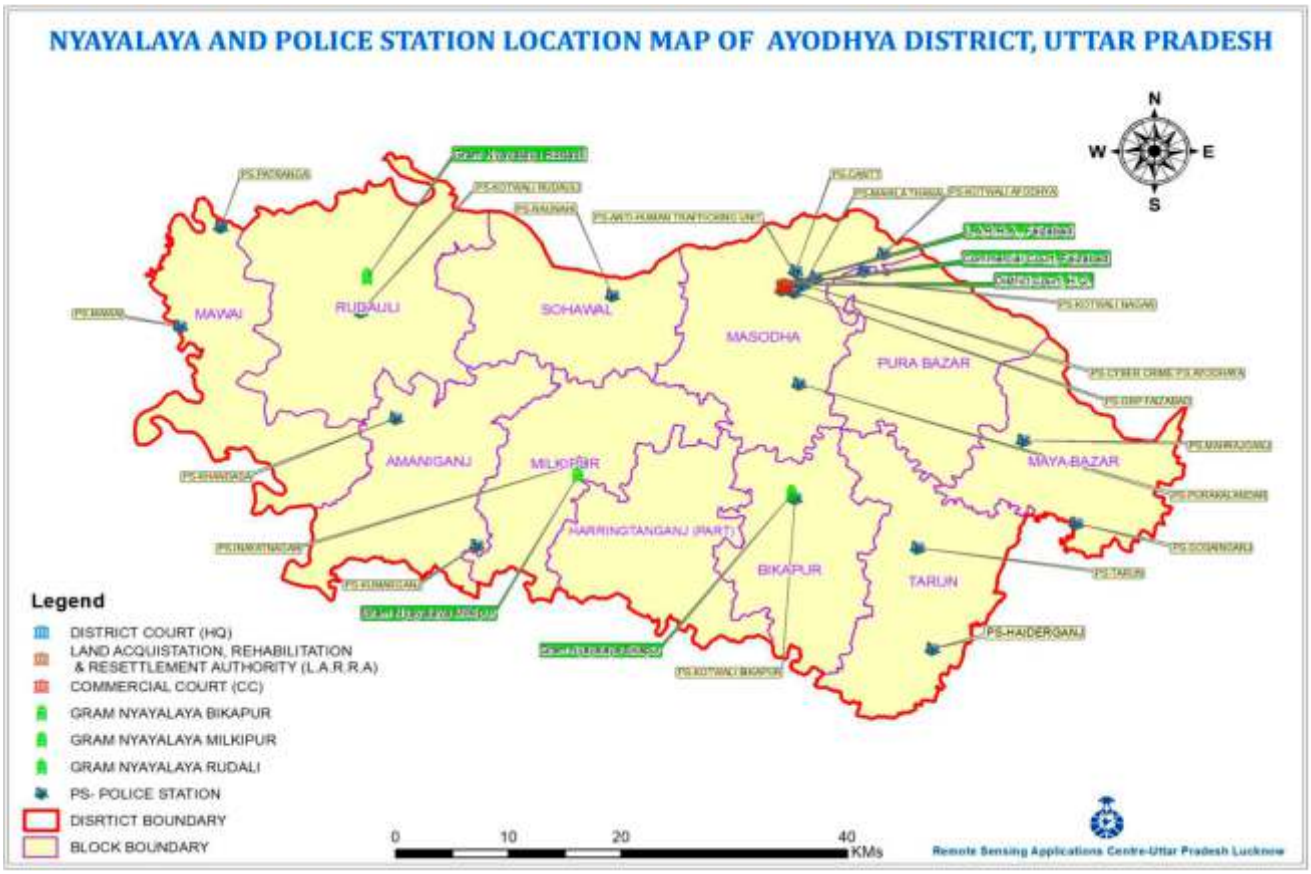
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1508	2563	4071	797	988	1785	612	794	1406	1693	2757	4450
2025	1693	2757	4450	840	964	1804	1062	1046	2108	1471	2675	4146

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1535	172	267	1440
2025	1440	323	431	1332

जनपद न्यायालय अयोध्या



इतिहासः

फैजाबाद में न्यायपालिका का इतिहास लगभग वैसा ही है जैसा अवध के दूसरे जिलों में है। आसफ–उद–दौला के प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत तक, फैजाबाद जिले का न्यायिक इतिहास सुल्तानपुर के नाजिमों के इर्द–गिर्द घूमता था, जिनका अधिकार क्षेत्र पूरे मौजूदा जिले पर था, सिवाय फैजाबाद और टांडा की शाही जागीरों के। दूसरी संस्था, यानी चकलेदारों की संस्था, लगान वसूल करती थी, और हर परगना एक फौजदार के अधीन होता था, जिसकी मदद के लिए एक दीवान, एक कानूनगो और दूसरे अधीनस्थ अधिकारी होते थे। सआदत अली खान की मृत्यु के बाद, अवध का ज़्यादातर हिस्सा लगातार युद्ध की स्थिति में था, और फैजाबाद की हालत भी लगभग उतनी ही खराब लग रही थी जितनी किसी दूसरे जिले की। इन परिस्थितियों में, न्याय के लिए कोई संतोषजनक व्यवस्था संभव नहीं थी। फरवरी 1856 में, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और फैजाबाद को जिलों और डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया। 1858 में दोबारा अधिकार जमाने के बाद, अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित

करने का काम शुरू किया, ठीक उसी तर्ज पर जो आगरा प्रांत के जिलों में पहले से ही लागू थी। उन्हें जो उचित लगा, वह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत कार्यकारी अधिकार कुछ खास व्यक्तियों–डिवीजन के कमिश्नर और जिले के डिप्टी कमिश्नर–के हाथों में केंद्रित थे, और वह भी सभी क्षेत्रों (राजस्व, पुलिस, मजिस्ट्रेट और न्यायिक प्रशासन) में।

पहला (कमिश्नर) मुख्य राजस्व, पुलिस और न्यायिक अधिकारी होता था, और दूसरा (डिप्टी कमिश्नर) जिले के संबंध में वही अधिकार इस्तेमाल करता था और मजिस्ट्रेट व्यवस्था का प्रमुख होता था।

1871 में, 'अवध सिविल कोर्ट एक्ट' पारित किया गया और अदालतों का पुनर्गठन किया गया।

हालाँकि, 1879 तक सिविल अदालतों को राजस्व और आपराधिक अदालतों से अलग नहीं किया गया था, और मुंसिफों, अधीनस्थ न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों की नियमित अदालतें नामित नहीं की गई थीं।

संगठनात्मक ढाँचा: फैजाबाद जिले में नियमित सिविल अदालतों में जिला न्यायाधीश (जो न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं) की अदालत, दो अतिरिक्त सिविल और सत्र न्यायाधीशों की अदालतें, एक सहायक सिविल और सत्र न्यायाधीश की अदालत, एक सिविल न्यायाधीश की अदालत, और तीन मुंसिफों की अदालतें शामिल थीं। मुंसिफों की दो स्थायी अदालतें थीं–एक फैजाबाद शहर में और दूसरी अकबरपुर में। पीठासीन अधिकारीगण को (उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर) मुंसिफ सदर, मुंसिफ हवेली और मुंसिफ अकबरपुर के रूप में नामित किया गया था। मुंसिफ सदर का अधिकार क्षेत्र परगना हवेली अवध और तहसील बीकापुर में परगना खंडासा तक फैला हुआ था; मुंसिफ हवेली का अधिकार क्षेत्र परगना आमसिन और मंगलसी (तहसील फैजाबाद में), तहसील बीकापुर में परगना पश्चिमरथ, और तहसील अकबरपुर में परगना मिझौरा (थाना अतरौली) तक फैला हुआ था; और मुंसिफ अकबरपुर का अधिकार क्षेत्र तहसील अकबरपुर में परगना अकबरपुर, सुरहुरपुर, मिझौरा (केवल थाना अकबरपुर और हैदरगंज) और तहसील टांडा में परगना टांडा और बिरहर तक फैला हुआ था। एक अतिरिक्त मुंसिफ भी होता था, जो जिला न्यायाधीश द्वारा अन्य मुंसिफों की अदालतों से उसे स्थानांतरित किए गए मामलों की सुनवाई करता था। संक्षेप में, उस समय मंडल का आयुक्त ही राजस्व, पुलिस और न्यायिक प्राधिकरण का प्रमुख होता था। जिले का उपायुक्त (Deputy Commissioner) जिले के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता था और वह मजिस्ट्रेट–मंडल का प्रमुख होता था। शुरुआती समय में केवल दो अदालतें थीं: उप–न्यायाधीश (Sub Judge) की अदालत और उपायुक्त की अदालत। उप–न्यायाधीश की अदालत उस न्यायालय भवन में स्थापित थी, जिसमें वर्तमान में S.D.M. की अदालत चल रही है; लेकिन उपायुक्त की अदालत उस न्यायालय भवन में स्थित थी, जिसमें अब D.D.C. की अदालत चल रही है। पी. कार्नेगी जनवरी 1863 से फरवरी 1864 तक फैजाबाद के उपायुक्त रहे। उनसे पहले W.A. Forbs, कैप्टन J.P. Eid, E.O. Bradford, मेजर H.L. Evans, लेफ्टिनेंट C.R. Shaw और कैप्टन J. Reid फैजाबाद के उपायुक्त रहे थे, लेकिन उनके पदभार ग्रहण करने की तारीखें और कार्यकाल की अवधि उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1871 में 'अवध सिविल कोर्ट अधिनियम' पारित किया गया और इसके माध्यम से अदालतों का पुनर्गठन किया गया; हालाँकि, वर्ष 1879 तक सिविल अदालतों को राजस्व और आपराधिक अदालतों से अलग नहीं किया गया था, और तभी मुंसिफों, अधीनस्थ न्यायाधीशों तथा जिला न्यायाधीशों की नियमित अदालतें स्थापित की गईं। इस सुधार की दिशा में पहले कदम के तौर पर, राज्य सरकार ने 1949 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग करने के लिए एक योजना बनाई। ज़िले की हर तहसील के लिए एक न्यायिक अधिकारी (जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और राजस्व संबंधी अधिकार रखता है) नियुक्त है, और हाल ही में मुख्यालय पर एक अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की भी नियुक्ति की गई है।

भवन और अन्य बुनियादी ढांचा:

क्र. सं.	भवन का नाम	निर्माण का वर्ष
1	मुख्य भवन	1903
2	JSCC और परिवार न्यायालय	1913
3	सिविल जज (J.D.) सदर और हवेली भवन	1962
4	10 अस्थायी न्यायालय भवन	1977
5	12 न्यायालय कक्ष भवन	1982
6	आपराधिक अभिलेख कक्ष	1988
7	हवालात भवन	1989
8	वादकारी और कैंटीन भवन	1985
9	साइकिल स्टैंड और अन्य	1989
10	F.T.C. न्यायालय भवन	2002
11	F.T.C. पुस्तकालय भवन	2009
12	F.T.C. विश्राम कक्ष भवन	2009
13	महिला वादकारी शेड	2016
14	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष	

	(12 न्यायालय कक्ष भवन में स्थित)	2016
15	अतिरिक्त हवालात कक्ष	2016
16	CCTV और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थापना	2020

फैजाबाद बार एसोसिएशनः

फैजाबाद बार एसोसिएशन के इतिहास का उल्लेख किए बिना, फैजाबाद का न्यायिक इतिहास अधूरा रहेगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन का इतिहास 1902 से शुरू होता है। श्री मोहम्मद इम्तियाज अली फैजाबाद बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे, जो 02.08.1902 को चुने गए थे। फैजाबाद बार एसोसिएशन के पंजीकरण के बाद, बाबू बलदेव प्रसाद को 1907 में इसका पहला अध्यक्ष चुना गया।

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने कई प्रख्यात विधिवेत्ता, राजनीतिक नेता, न्यायाधीश और शिक्षाविद दिए हैं। उनमें से कुछ हैं–

1. माननीय न्यायमूर्ति सैयद फैयाज अली– वे फैजाबाद जिले के एक प्रख्यात वकील थे, जो देश के विभाजन के कारण पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में वे पाकिस्तान के सॉलिसिटर जनरल बने और बाद में लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।
2. माननीय न्यायमूर्ति चौधरी नियामत उल्लाह – माननीय न्यायमूर्ति चौधरी नियामत उल्लाह का जन्म दिसंबर 1877 में हुआ था। वे फैजाबाद के एक शीर्ष वकील थे। लेकिन बाद में वे लखनऊ के चीफ़ कोर्ट में चले गए। 1926 से 1928 तक वे U.P. लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 1932 में वे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बने। वे दिसंबर 1937 तक बेंच पर रहे। उनका निधन 23 मार्च, 1960 को हुआ।
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़हीर हसन – फैजाबाद ज़िले के एक जाने–माने वकील, जो बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बने।

कंप्यूटरीकरणः

ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) की परिकल्पना भारतीय न्यायपालिका को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बदलने के एक विज़न के साथ की गई थी। ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) का उद्देश्य पूरे देश में स्वचालित निर्णय लेने और निर्णय–सहायता प्रणालियों को विकसित करना, वितरित करना, स्थापित करना और लागू करना है। ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के तहत की गई पहलें ये हैं:

1. केस प्रबंधन प्रक्रियाओं का स्वचालनः केस फाइलिंग, पंजीकरण, केस का आवंटन, अदालती कार्यवाही, केस का विवरण दर्ज करना, केस का निपटारा और बहाली, केसों का स्थानांतरण, आदेश/निर्णय अपलोड करना आदि।
2. ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधानः डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आदेश और निर्णय, केस की स्थिति, कॉज़ लिस्ट (कार्य–सूची), संस्था पंजीकरण, और कोर्ट डायरी।
3. अदालतों में लंबित मामलों की निगरानीः ई–कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क (LAN), इंटरनेट कनेक्टिविटी और मानक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की स्थापना, तथा मौजूदा ICT इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के प्रावधान के माध्यम से जिला अदालतों को ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) सक्षम बनाकर सेवाएं प्रदान करना था। इसमें न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप और लेज़र प्रिंटर उपलब्ध कराना, तथा उन्हें ICT प्रशिक्षण देना भी शामिल था। ICT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीज़ल जनरेटर सेट (DG सेट) और UPS के माध्यम से पावर बैकअप भी प्रदान किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सहायता प्रदान करने के लिए जिला अदालतों में सिस्टम अधिकारी/तकनीकी कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था।

कंप्यूटरीकरण (ई–कोर्ट) के लाभः

1. ई–कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ICT प्रदान करना है, ताकि अदालतें न्याय वितरण प्रणाली को किफायती और लागत–प्रभावी बना सकें। यह अदालती प्रक्रियाओं में सुधार करने और नागरिक – केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने, दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
2. ई–कोर्ट का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को आसान और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाना है।
3. ई–कोर्ट में, पूरा काम डिजिटल रूप से किया जाता है, जिसमें साझा की गई और उत्पन्न जानकारी को एक डेटाबेस के रूप में संग्रहीत किया जाता है और एक विशेष सॉफ्टवेयर के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर तक वादी, न्यायाधीश और वकील पहुंच बना सकते हैं।
4. ई–कोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य कागज़ी फाइलिंग को सीमित करके न्याय वितरण प्रणाली को किफायती, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाना है।
5. इलेक्ट्रॉनिक अदालतों की स्थापना का मुख्य लाभ एक ऐसी न्याय–सेवा प्रणाली लाना है जो पारदर्शी, कुशल, किफायती और समय बचाने वाली हो; जो गवाहों के हितों की रक्षा करे, लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करे, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से,

अनैतिक गतिविधियों की संख्या को कम करे।

6. अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अपने मामलों की स्थिति जानने हेतु SMS सुविधा अधिक लाभदायक है।

वादकारीगण के लिए सुविधाएँ:

1. शौचालय की सुविधा: ज़िला न्यायालय, फ़ैज़ाबाद में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए पर्याप्त और अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।
2. पीने के पानी की सुविधा: ज़िला न्यायालय, फ़ैज़ाबाद में 03 वॉटर कूलर लगाए गए हैं/उपलब्ध हैं। एक वॉटर कूलर के साथ एक प्यूरीफ़ायर भी लगाया गया है।
3. वादकारी शेड: ज़िला न्यायालय, फ़ैज़ाबाद में महिलाओं के लिए एक अलग शेड उपलब्ध है।
4. बैठने की सुविधा: न्यायालयों में मुकदमेबाज़ों और वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियाँ उपलब्ध हैं।
5. रिकॉर्ड रूम: ज़िला न्यायालय, फ़ैज़ाबाद में दीवानी (Civil) और फ़ौजदारी (Criminal) मामलों के लिए अलग–अलग रिकॉर्ड रूम उपलब्ध हैं। दीवानी रिकॉर्ड रूम में, सुरक्षा के लिए 7 अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं। रोशनी के लिए पर्याप्त बिजली व्यवस्था है। निपटाए गए/फैसला हो चुके मामलों की फ़ाइलें समय–समय पर रिकॉर्ड रूम में जमा कर दी जाती हैं। सभी फ़ाइलों को अलग–अलग रंगों के थैलों में श्रेणीबद्ध किया गया है और रैक पर रखा गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	थैलों का विवरण
1.	ज़िला न्यायाधीश	भूरा
2.	सत्र न्यायालय	लाल (रक्त जैसा)
3.	सिविल न्यायाधीश	हरा
4.	मुंसिफ़ सदर	पीला
5.	मुंसिफ़ हवेली	नारंगी, बैंगनी, सफ़ेद

फ़ौजदारी रिकॉर्ड रूम में, रोशनी की व्यवस्था का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है। सभी निपटाए गए/फैसला हो चुके मामलों की फ़ाइलों को संबंधित पुलिस थाने के अनुसार रखा गया है। रिकॉर्ड रूम में अग्निशमन उपकरण और बाल्टियों में पानी रखा गया है। रिकॉर्ड कीपर की जानकारी में कोई ऐतिहासिक अभिलेख (रिकॉर्ड) नहीं हैं।

ग्राम न्यायालय, बीकापुर

ग्राम न्यायालय की स्थापना वर्ष 2022 में तहसील बीकापुर में की गई थी, जिसके पहले न्यायाधिकारी श्री राजदीप सिंह थे। श्री राजदीप सिंह ने 01.08.2022 को एक किराए के भवन में उक्त ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जिसमें कोर्ट रूम, न्यायाधिकारी का कक्ष, कार्यालय, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं थीं। उक्त ग्राम न्यायालय बीकापुर तहसील से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में उक्त ग्राम न्यायालय रिक्त है।

ग्राम न्यायालय, मिल्कीपुर

ग्राम न्यायालय की स्थापना वर्ष 2023 में तहसील मिल्कीपुर में की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधिकारी श्री अतुल पाल थे। श्री अतुल पाल ने दिनांक 15.05.2023 को उक्त ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मिल्कीपुर, अयोध्या में ग्राम न्यायालय वर्तमान में पांच नंबर चौराहा, इनायत नगर, मिल्कीपुर में स्थित एक किराए के भवन में संचालित हो रहा है, जिसमें कोर्ट रूम, न्यायाधिकारी का कक्ष, कार्यालय, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। वर्तमान में श्री अजय कुमार उक्त ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी हैं।



जिला न्यायालय अयोध्या में हेरिटेज बिल्डिंग



जिला न्यायालय अयोध्या में मुख्य माननीय डीजे भवन



12 न्यायालय कक्ष भवन 1 जिला न्यायालय अयोध्या



24 न्यायालय भवन जिला न्यायालय अयोध्या



अयोध्या जिला न्यायालय की 24 कोर्ट रूम वाली इमारत के पीछे का भाग



ग्राम न्यायालय बीकापुर जिला न्यायालय अयोध्या

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	19	14
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	12
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	20	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	41416	101973	143389	11878	71788	83666	11640	65381	77021	41654	108380	41654
2025	41654	108380	150034	5154	72191	77345	3954	63584	67538	42854	116987	42854

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2918	2711	5629	2132	1549	3681	2023	1720	3743	3027	2540	5567
2025	3027	2540	5567	2131	1312	3443	1794	1087	2881	3364	2765	6129

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1371	290	1070	591
2025	591	71	316	346

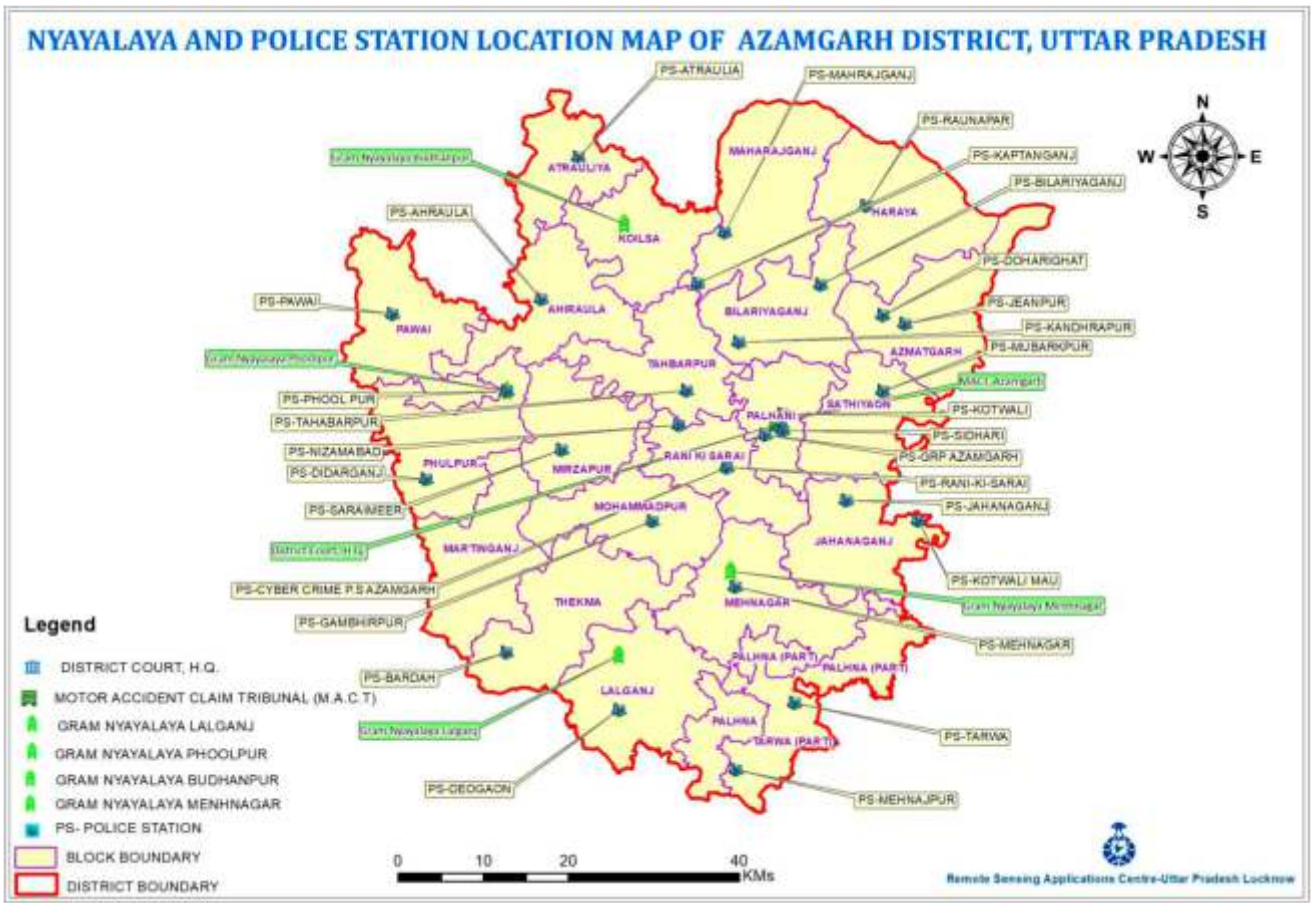
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3546	1117	841	3822
2025	3822	1221	847	4196

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	231	58	117	172
2025	172	41	69	144

जनपद न्यायालय आज़मगढ़



जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का एक लंबा और समृद्ध न्यायिक इतिहास है, जो इस क्षेत्र में न्यायिक प्रणाली के विकास को दर्शाता है। यह न्यायालय औपनिवेशिक काल में स्थापित किया गया था और तब से यह जनपद की प्रमुख न्यायिक संस्था के रूप में निरंतर कार्य करता आ रहा है, जो आजमगढ़ के लोगों को विधि अनुरूप शासन और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करता है। समय के साथ बढ़ती न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय के ढांचे और अधिकार क्षेत्र दोनों का विस्तार किया गया है। जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का ऐतिहासिक विकास जिले के प्रशासनिक विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ को 18 दिसंबर 1832 को औपचारिक रूप से एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था, और उसी वर्ष 1832 में जनपद न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिससे क्षेत्र में संगठित न्यायिक प्रशासन की शुरुआत हुई। जिले के गठन के समय सर थॉमसन को प्रथम कलेक्टर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में न्यायिक कार्य अस्थायी व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित होते थे। उस समय न्यायिक कार्यों के लिए मुख्य रूप से दो स्थानों का उपयोग किया जाता था—दीवानी न्यायालय और वेस्ले स्कूल का परिसर। प्रारंभिक चरण में आजमगढ़ के सिविल न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते थे, बल्कि वे वाराणसी के जनपद न्यायाधीश के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में संचालित होते थे। प्रशासनिक और न्यायिक कार्यभार में वृद्धि के साथ आजमगढ़ ने धीरे–धीरे अपनी स्वतंत्र न्यायिक पहचान विकसित की। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1856–57 में प्राप्त हुई, जब आजमगढ़ के लिए एक अलग जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, जिससे जिले की स्वतंत्र न्यायिक संरचना को मजबूती मिली। समय के साथ विधिक समुदाय का भी विकास हुआ। एडवोकेट बार एसोसिएशन, आजमगढ़ की स्थापना 1915 में हुई और बाद में इसे 19 सितंबर 1953 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास 21 अक्टूबर 1989 को हुआ, जब मऊ जजशिप को आजमगढ़ जजशिप से अलग किया गया, जिससे क्षेत्र की न्यायिक प्रशासन व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हुई।

वर्तमान न्यायालय परिसर

जनपद न्यायालय परिसर लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे सुव्यवस्थित रूप से तीन अलग–अलग परिसरों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्राचीन परिसर, नवीन परिसर और त्रिकोणीय परिसर कहा जाता है। यह योजनाबद्ध विभाजन न्यायालय के सुचारु संचालन, मामलों के प्रभावी प्रबंधन तथा न्यायालयों, कार्यालयों और सहायक सुविधाओं के बेहतर उपयोग में सहायक है। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 67 है, जबकि कार्यरत संख्या 45 है। इसमें चार परिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) शामिल हैं, जो वैवाहिक और पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार ग्राम न्यायालय लालगंज, मेहनगर, फूलपुर और बुढ़नपुर तहसीलों में अस्थायी व्यवस्थाओं के तहत संचालित हो रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। समग्र रूप से, जनपद न्यायालय, आजमगढ़ अपनी ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

दस कक्षीय न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का दस कक्षीय न्यायालय भवन जनपद की न्यायिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भवन का निर्माण वर्ष 1981 में बढ़ती न्यायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा न्याय के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस भवन में कुल दस न्यायालय कक्ष स्थित हैं, जिनमें नौ अपर जनपद न्यायाधीश (एडीजे) के न्यायालय तथा एक जनपद न्यायाधीश का न्यायालय शामिल है। इस प्रकार यह भवन जनपद स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों के निस्तारण का एक प्रमुख केंद्र है। न्यायालय कक्षों के अतिरिक्त, इस भवन में कई आवश्यक प्रशासनिक और सहायक कार्यालय भी स्थित हैं, जो न्यायालय के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिसर में स्थित प्रशासनिक कार्यालय न्यायिक प्रशासन और समन्वय का कार्य देखता है। सदर मुंसरिम कार्यालय, जो न्यायालय अभिलेखों के प्रबंधन और प्रक्रियात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भी इसी भवन में स्थित है। इसके अलावा, यहां नकल अनुभाग (कॉपींग सेक्शन) भी स्थापित है, जो वादकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों को न्यायालय के अभिलेखों और आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराती है। एक ही भवन में न्यायालय कक्षों और कार्यालयों की सुव्यवस्थित व्यवस्था न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम जनता के लिए कार्यकुशलता और सुविधा सुनिश्चित करती है। निर्माण के समय से ही यह भवन आजमगढ़ जिले में विधि के शासन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता आ रहा है।

वर्ष 1906 निर्मित न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का 1906 का हेरिटेज भवन जिले के न्यायिक इतिहास और स्थापत्य धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण वर्ष 1906 में किया गया था। यह संरचना जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के पुराने परिसर में स्थित है और आज भी महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही है। यह भवन औपनिवेशिक कालीन वास्तुकला शैली को दर्शाता है, जिसमें मेहराबदार गलियारे और मजबूत निर्माण इसकी विशेषताएँ हैं। यही कारण है कि यह भवन एक शताब्दी से अधिक समय तक सुरक्षित और उपयोगी बना हुआ है। इस हेरिटेज भवन में कुल पाँच न्यायालय कक्ष हैं, जिनका वर्तमान में न्यायिक कार्यवाहियों के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। न्यायालय कक्षों के अतिरिक्त, इस भवन में पारिवारिक न्यायालय का एक अभिलेख कक्ष (रिकॉर्ड रूम) भी स्थित है, जो संवेदनशील न्यायिक अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। एक ही भवन में न्यायालय कक्षों और अभिलेख कक्ष की उपस्थिति प्रशासनिक कार्यकुशलता और सुगमता को बढ़ाती है। अपनी प्राचीनता के बावजूद, यह भवन जनपद न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग बना हुआ है और प्रतिदिन वादकारियों, अधिवक्ताओं तथा न्यायालय कर्मचारियों की सेवा करता है। इस भवन का निरंतर उपयोग इसकी मजबूत निर्माण गुणवत्ता और विरासत न्यायिक अवसंरचना के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। वर्ष 1906 का यह हेरिटेज भवन न केवल न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आजमगढ़ में न्याय वितरण प्रणाली की ऐतिहासिक निरंतरता का भी प्रतीक है, जिससे यह जनपद न्यायालय परिसर की एक अमूल्य संपत्ति बन जाता है।

वर्ष 1932 निर्मित न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में वर्ष 1932 निर्मित भवन एक महत्वपूर्ण न्यायिक संरचना है, जो जनपद न्यायालय के पुराने परिसर में स्थित है। इस भवन का निर्माण वर्ष 1932 में जिले में बढ़ते न्यायिक कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा न्यायिक अवसंरचना के विस्तार के रूप में किया गया था। यह भवन 1906 में निर्मित हेरिटेज भवन के ठीक बगल में स्थित है और उसी के समान वास्तुशिल्पीय स्वरूप का अनुसरण करता है, जो डिजाइन और योजना में निरंतरता को दर्शाता है। इस भवन में कुल पाँच न्यायालय कक्ष हैं, जिनमें शहर व हवाली पैरेंट कोर्ट शामिल हैं, जो

महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। शेष न्यायालय न्यायिक मामलों के त्वरित निस्तारण में सहयोग करते हैं तथा वादकारियों और विधिक पेशेवरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस भवन व हेरिटेज भवन की समरूप संरचना विभिन्न न्यायिक अनुभागों के बीच सुचारु समन्वय को संभव बनाती है। वास्तुकला की दृष्टि से, यह भवन पारंपरिक विशेषताओं जैसे चौड़े बरामदे, ऊँची छतें और मजबूत निर्माण को बनाए रखता है, जिससे इसका टिकाऊपन और प्राकृतिक वेंटिलेशन सुनिश्चित होता है। विगत कई वर्षों से यह भवन जनपद न्यायपालिका का एक सक्रिय और अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। यह न केवल न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि न्यायालय परिसर के ऐतिहासिक स्वरूप को भी संरक्षित रखता है। 1906 के हेरिटेज भवन के साथ मिलकर, 1932 का यह भवन आजमगढ़ में न्यायिक अवसंरचना के विकास को दर्शाता है और इसकी समृद्ध विधिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है।

अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम)

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का दीवानी एवं फौजदारी अभिलेखागार न्यायालय के अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण और सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इस भवन का निर्माण वर्ष 2007 में किया गया था और यह जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के पुराने परिसर में स्थित है। इसका निर्माण दीवानी और फौजदारी मामलों से अभिलेखों के बढ़ते संग्रह को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यह एक तीन मंजिला भवन है, जिसे विशेष रूप से अभिलेख प्रबंधन के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। भवन के भीतर आधुनिक स्टील रैक लगाए गए हैं, जो मजबूती, अग्नि सुरक्षा और स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। इन रैकों को व्यवस्थित रूप से "सेगा" खंडों में विभाजित किया गया है, जिससे अभिलेखों का सही वर्गीकरण, आसान पहचान और शीघ्र प्राप्ति संभव हो पाती है। इस प्रकार की व्यवस्था न्यायालय कर्मचारियों को अभिलेखों को सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संभालने में अत्यंत सहायक होती है। वर्तमान में इस अभिलेख कक्ष में चार लाख से अधिक न्यायिक अभिलेख सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं। ये अभिलेख अत्यधिक विधिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, क्योंकि ये लंबित मामलों, अपीलों आदि की आवश्यकताओं के लिए आधार प्रदान करते हैं। यह भवन न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीवानी एवं फौजदारी अभिलेखागार जनपद न्यायपालिका की एक आवश्यक सहायक संरचना के रूप में कार्य करता है और आजमगढ़ में न्यायालयों के सुचारु संचालन तथा न्यायिक दस्तावेजों के दीर्घकालिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

त्वरित न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का त्वरित न्यायालय (एफटीसी) भवन त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित न्यायिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भवन का निर्माण वर्ष 2002 में किया गया था और यह जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के प्राचीन परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना देशव्यापी न्यायिक सुधारों के अंतर्गत की गई, जिनका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाना था। एफटीसी भवन एक एकल–मंजिला संरचना है, जिसे कार्यात्मक सुविधा और न्यायालय के सुचारु संचालन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें कुल पाँच त्वरित न्यायालय न्यायालय कक्ष स्थापित हैं, जिनमें मामलों की शीघ्र सुनवाई और निस्तारण किया जाता है। एक मंजिला संरचना होने के कारण वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवागमन सरल और सुगम रहता है, जिससे बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना मुख्य रूप से 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्रीय पहल के रूप में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से गंभीर आपराधिक मामलों सहित लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना था, जिससे नियमित न्यायालयों पर बोझ कम हो सके। स्थापना के बाद से आजमगढ़ का फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन न्यायिक कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। त्वरित निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से इन न्यायालयों ने न्याय वितरण प्रणाली में जनविश्वास को सुदृढ़ किया है और जनपद स्तर पर समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–1

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–1 जिले की बढ़ती प्रशासनिक और न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित एक महत्वपूर्ण न्यायिक अवसंरचना है। इस भवन का निर्माण वर्ष 2012 में किया गया था और यह जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के पुराने परिसर में स्थित है, जिससे अन्य न्यायालय भवनों और प्रशासनिक कार्यालयों के साथ समन्वय सुगम बना रहता है। छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–1 एक जी+2 (भूतल सहित दो मंजिला) संरचना है, जिसे सुविचारित रूप से इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें अनेक न्यायालय कक्ष और संबंधित सुविधाएँ कम स्थान में कुशलतापूर्वक समाहित की जा सकें। इस भवन में कुल छः न्यायालय कक्ष स्थित हैं, जो न्यायिक प्रणाली की

विभिन्न शाखाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनमें परिवारिक न्यायालय शामिल है, जो संवेदनशील वैवाहिक और पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय भी शामिल है, जो उच्च मूल्याधिकार (पेक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन) से जुड़े महत्वपूर्ण दीवानी मामलों का निस्तारण करता है। इसके अतिरिक्त, भवन में न्यायिक अधिकारियों के कक्ष (चैंबर), न्यायालय, कार्यालय कक्ष, वादकारियों के लिए प्रतीक्षालय तथा अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था जैसी सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। सीढ़ियों के माध्यम से विभिन्न मंजिलों के बीच आवागमन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया गया है। निर्माण के बाद से कोर्ट रूम बिल्डिंग ब्लॉक–1 ने जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के कार्य संचालन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्याप्त न्यायालय कक्ष और सुविधाएँ उपलब्ध कराकर इस भवन ने न्यायिक मामलों के प्रबंधन में सुधार, भीड़भाड़ में कमी तथा न्यायिक कार्यवाही की समग्र कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–2

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–2 एक आधुनिक न्यायिक अवसंरचना है, जिसे जनपद न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इस भवन का निर्माण वर्ष 2021 में किया गया था और यह जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के त्रिकोणीय न्यायालय परिसर में स्थित है, जो न्यायालय परिसर का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। ब्लॉक–2 एक जी+2 (भूतल सहित दो मंजिला) भवन है, जिसे छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–1 के समान वास्तुशिल्पीय पैटर्न और लेआउट पर डिजाइन किया गया है। यह समानता डिजाइन में एकरूपता, आसान आवागमन तथा न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। इस भवन में कुल छह न्यायालय कक्ष हैं, जिनमें अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सहित जनपद न्यायपालिका के अंतर्गत संचालित अन्य न्यायालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भवन में न्यायिक अधिकारियों के कक्ष (चौंबर), न्यायालय, कार्यालय कक्ष, वादकारियों के लिए प्रतीक्षालय तथा अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान जैसी आवश्यक सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। उचित सीढ़ियों और आवागमन मार्गों के माध्यम से विभिन्न मंजिलों के बीच सुचारु आवाजाही सुनिश्चित की गई है। निर्माण के पश्चात से छः कक्षीय न्यायालय भवन ब्लॉक–2 ने जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतिरिक्त न्यायालय कक्ष और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराकर इस भवन ने भीड़भाड़ को कम करने, कार्यकुशलता बढ़ाने तथा मामलों के समयबद्ध निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एकल कक्षीय न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का एकल कक्षीय न्यायालय भवन एक महत्वपूर्ण न्यायिक सुविधा है, जो जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के पुराने परिसर में स्थित है। इस भवन का निर्माण वर्ष 2014 में जनपद न्यायपालिका के कार्यों को सहयोग प्रदान करने तथा न्यायिक कार्यवाही और संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। इस भवन में एक न्यायालय कक्ष के साथ–साथ संबंधित कार्यालय भी शामिल हैं, जिनमें न्यायालय कर्मचारियों के लिए स्थान, अभिलेख रख–रखाव की व्यवस्था तथा आवश्यक सहायक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भवन का संक्षिप्त एवं कार्यात्मक डिज़ाइन स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है तथा न्यायिक अधिकारियों, वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों के लिए आसान पहुँच प्रदान करता है। वर्तमान समय में न्यायिक आवश्यकताओं के विकास और संवेदनशील गवाहों के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस भवन को 'संवेदनशील गवाह बयान केंद्र' (Vulnerable Witness Deposition Centre – VWDC) में परिवर्तित करने के लिए चिन्हित किया गया है। निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप मौजूदा अवसंरचना को अनुकूलित करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। परिवर्तन के उपरांत यह भवन महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तियों जैसे गवाहों के लिए बयान दर्ज करने के दौरान एक सुरक्षित, संरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। यह प्रस्तावित परिवर्तन जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की गवाहों की सुरक्षा, गरिमा और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह भवन निष्पक्ष एवं संवेदनशील न्यायिक कार्यवाही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

प्राचीन छः कक्षीय न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का प्राचीन छः कक्षीय न्यायालय भवन एक महत्वपूर्ण न्यायिक अवसंरचना है, जो जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के पुराने परिसर में स्थित है। इस भवन का निर्माण वर्ष 2004 में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने तथा जनपद न्यायपालिका के कार्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। यह भवन तीन मंजनपद संरचना है, जिसे सुव्यवस्थित और कुशल तरीके से अनेक न्यायालयों को समाहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कुल छः

मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थित हैं, जो अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर विभिन्न प्रकार के फैजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। इस भवन में संचालित प्रमुख न्यायालयों में ए.सी.जे.एम.–10 न्यायालय कक्ष तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 19 शामिल हैं, साथ ही अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय भी हैं जो नियमित न्यायिक कार्यों का संचालन करते हैं। न्यायालय कक्षों के अतिरिक्त, भवन में न्यायिक अधिकारियों के कक्ष (चैंबर), न्यायालय, कार्यालय कक्ष तथा वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए प्रतीक्षालय जैसी सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। न्यायालयों की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) व्यवस्था पुराने परिसर में स्थान के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करती है, साथ ही अन्य न्यायालय भवनों और प्रशासनिक इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखती है। स्थापना के बाद से यह भवन जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में न्यायिक प्रशासन को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने, भीड़भाड़ को कम करने तथा मामलों के प्रभावी निस्तारण में सहायक सिद्ध हुआ है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) न्यायालय भवन न्यायालय परिसर की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण न्यायिक संरचनाओं में से एक है। यह भवन 60 वर्ष से अधिक पुराना है और जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के पुराने परिसर में स्थित है, जो जिले में न्यायिक प्रशासन के लंबे इतिहास को दर्शाता है। सीजेएम भवन एक एकल–मंजिला संरचना है, जिसमें एक न्यायालय कक्ष स्थित है, जिसका वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के न्यायालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह भवन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रारंभ में इसका उपयोग जनपद न्यायाधीश के न्यायालय के रूप में किया जाता था, जिससे यह उस समय न्यायिक कार्यवाहियों का एक प्रमुख केंद्र था। समय के साथ न्यायालय परिसर के विस्तार के बाद इस भवन का पुनः उपयोग किया गया और वर्तमान में इसमें सीजेएम न्यायालय संचालित हो रहा है। सीजेएम न्यायालय कक्ष के अतिरिक्त, इस भवन में तीन कार्यालय भी स्थित हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। इसी भवन में जनपद शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) सिविल का कार्यालय भी स्थित है, जो दीवानी मामलों में अभियोजन और न्यायपालिका के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है। अपनी प्राचीनता के बावजूद, सीजेएम भवन आज भी जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह भवन न्यायालय की समृद्ध न्यायिक विरासत और वर्तमान कार्यप्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

जनपद न्यायालय, आजमगढ़ परिसर को न्यायिक कार्यकुशलता, सुरक्षा तथा न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न आवश्यक भवनों और सुविधाओं के विकास द्वारा सशक्त किया गया है। अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ई–कोर्ट सेवाओं तथा सुचारु वाद प्रबंधन के लिए एक आधुनिक कंप्यूटर कक्ष की स्थापना की गई है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र का विकास भी किया गया है, जो मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देता है, जिससे वादों का भार कम होता है और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित होता है। एक समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन का निर्माण किया गया है, जो वर्चुअल सुनवाई को सुगम बनाता है तथा न्यायालयों, जेलों और अन्य संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए समय और संसाधनों की बचत करता है। सुरक्षा और विधि–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालय परिसर में सुरक्षित लॉक–अप तथा पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई है, जिससे बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और पुलिस प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित होता है। अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन भवन का निर्माण किया गया है, जहाँ उन्हें अपने पेशेवर कार्यों, बैठकों तथा कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होता है, जिससे एक अनुकूल कार्य वातावरण विकसित होता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय परिसर की निगरानी, सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। समग्र रूप से, ये सभी अवसंरचनात्मक विकास आजमगढ़ में एक आधुनिक, सुरक्षित और कुशल न्यायिक तंत्र के निर्माण के प्रति जनपद प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

ग्राम न्यायालय

जनपद आजमगढ़ के चार तहसीलो क्रमशः बुढ़नपुर, मेहनगर, लालगंज एवं फूलपुर में अस्थायी रूप से ग्राम न्यायालय संचालित हो रहे हैं। इन न्यायालयों को जनपद प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को जमीनी स्तर पर सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय प्राप्त हो सके। संबंधित तहसीलों में स्थानीय न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ कर इन ग्राम न्यायालयों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।



दस न्यायालय कक्षों वाली इमारत



छह न्यायालय कक्षों वाला ब्लॉक–2



एक न्यायालय कक्ष वाली इमारत



रिकॉर्ड कक्ष वाली इमारत

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	19	8
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	7
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	36	26
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	63830	116345	180175	33316	184389	217705	31256	156109	187365	65890	144625	210515
2025	65890	144625	210515	18346	117971	136317	17429	121370	138799	66807	141226	208033

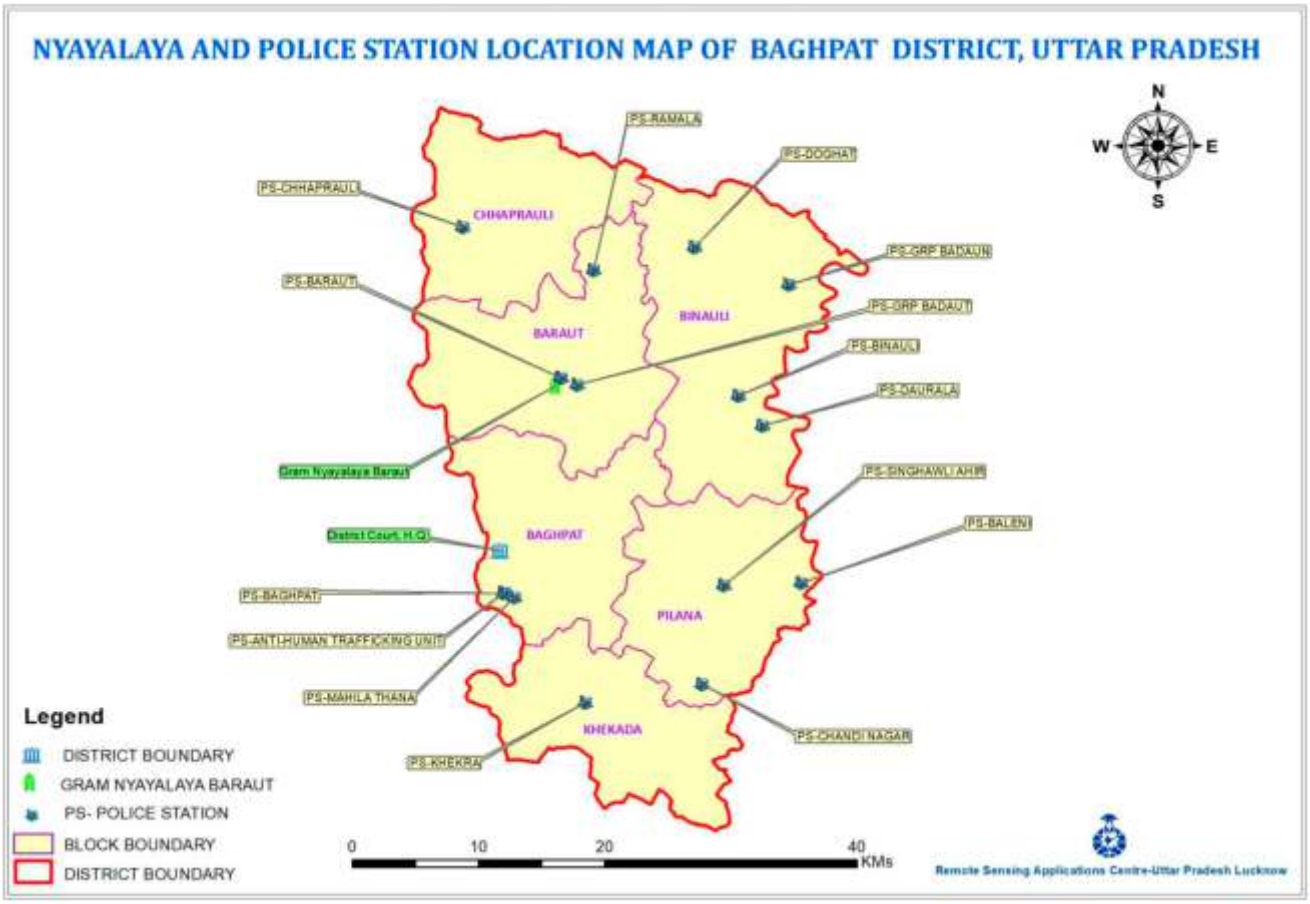
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5203	9590	3317	3719	7036	3856	3883	7739	3848	5039	8887	5203
2025	5039	8887	2568	4263	6831	3659	4584	8243	2757	4718	7475	5039

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	4208	804	505	4507
2025	4507	956	533	4930

जनपद न्यायालय बागपत



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जिला न्यायालय, बागपत उत्तर प्रदेश के बागपत शहर के केंद्र में स्थित है। इस न्यायालय को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर दीवानी तथा आपराधिक मामलों का निपटान करने का मूल न्यायाधिकार प्राप्त है। मामले सामान्यतः एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जाते हैं तथा जिला न्यायपालिका से अपील या पुनरीक्षण माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जाते हैं। न्यायालय न्यायिक अधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं तथा सहायक कर्मचारीगण की सहायता से कार्य करता है ताकि निष्पक्ष एवं स्पष्ट न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

बागपत शहर मूल रूप से 'व्याघ्रप्रस्थ' – बाघों की भूमि, के नाम से जाना जाता था क्योंकि कई शताब्दियों पहले यहां बाघों की बड़ी आबादी पाई जाती थी। शहर के नामकरण के संबंध में कई संस्करण प्रचलित हैं। एक संस्करण के अनुसार शहर का नाम सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बाघपत (या बागपत) रखा गया था। भारत सरकार ने इसे बागपत नाम बाघों की राजकुमारी की स्मृति में दिया। शहर की स्थापना महाभारत काल के पांडव भाइयों ने अपने वनवास के दौरान की थी तथा नाम 'व्याघ्रप्रस्थ' को राजाओं द्वारा बागपत नाम दिया गया। इन शब्दों तथा संस्करणों से प्रेरित होकर शहर का नाम अंततः मुगल काल में 'बाघपत' या 'बागपत' रखा गया। जिला बागपत उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक है, जो 28.57° उत्तरी अक्षांश पर तथा 77.13° से 77.30° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह पश्चिम में यमुना नदी, पूर्व में हिंडन नदी, उत्तर में मुजफ्फरनगर जिला तथा दक्षिण में गाजियाबाद जिला से घिरा हुआ है। दक्षिण–पश्चिम में दिल्ली का शहरी क्षेत्र स्थित है। जिले का आकार आयताकार है जो यमुना नदी तथा हिंडन नदी के बीच बसा हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है।

जिला न्यायालय, बागपत दिनांक 17 सितंबर 1997 को अस्तित्व में आया, जब बागपत जिले को मेरठ जिले से अलग किया गया। इससे पूर्व न्यायिक मामले मेरठ जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे। स्थापना के बाद न्यायालय का विस्तार हुआ है तथा इसमें विशेष न्यायालय जैसे पॉक्सो., एस.सी./एस.टी., एन.डी.पी.एस., एम.ए.सी.टी. तथा परिवार न्यायालय शामिल किए

गए हैं। जनपद बागपत में 13 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसमें तहसील बागपत, बड़ौत तथा खेकड़ा शामिल हैं। जिले की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा है, जहां बागपत, बड़ौत, बरनावा तथा पिलाना जैसे स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह न्यायालय इस कृषि–प्रधान क्षेत्र, जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, में न्याय वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रशासन की विकेंद्रीकरण में योगदान देता है।

विद्यमान न्यायालय परिसर

जिला न्यायाधीश भवन जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का एक आधुनिक संरचना है जो इसका अभिन्न अंग है। जिले के गठन (1997) के बाद निर्मित यह भवन जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय, अभिलेखागार कक्ष तथा सहायक सुविधाओं को समाहित करता है। भवन न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों कार्यों की सेवा करता है तथा इसमें समकालीन सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कुशल न्याय वितरण में सहायता करती हैं। यह नए स्थापित जिलों में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है तथा न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं तथा लिटिगेन्ट्स के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करता है।

न्यायालय भवनों तथा बुनियादी ढांचे का अवलोकन

मुख्य न्यायालय भवन

मुख्य न्यायालय भवन वर्ष 2014 में निर्मित एक दो मंजिला संरचना है। इसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा विशेष न्यायालयों (जैसे पॉक्सो, एस.सी./एस.टी., सिविल जज (सीनियर डिवीजन) तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)) के लिए कई न्यायालय कक्ष हैं। साथ ही पीठासीन अधिकारियों के चैंबर, स्टेनोग्राफर कक्ष तथा प्रशासनिक इकाइयां भी हैं। भवन में पुस्तकालय तथा सी.सी.टी.वी. प्रणालियाँ जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लगभग 12 वर्ष पुराना यह भवन जिला न्यायपालिका के मुख्य संचालन को समर्थन प्रदान करता है।

परिवार न्यायालयः

परिवार न्यायालय, न्यायालय परिसर के एक समर्पित खंड में कार्य करता है तथा परिवार संबंधी विवादों का निपटारा करता है। इसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के न्यायालय तथा अभिलेख कक्ष एवं कार्यालय शामिल हैं।

अन्य न्यायालय तथा सुविधाएं

न्यायालय परिसर में सहायक सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे ए.डी.आर. केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, कंप्यूटर सेल, बार एसोसिएशन भवन, अधिवक्ता चैंबर, लॉक–अप तथा पुलिस चौकी।

Image No 4: जिला बागपत, जिला न्यायालय, बागपत, न्यायालय परिसर, पहुंच क्षेत्र

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय तहसील बड़ौत में संचालित है। यह न्यायालय संबंधित बार एसोसिएशन्स द्वारा प्रदान किए गए भवनों से कार्य करता है, जिससे न्याय की पहुंच जमीनी स्तर (ग्रामीण स्तर) तक सुनिश्चित होती है।



मुख्य न्यायालय भवन, बाहरी मुखौटा



न्यायालय परिसर, प्रवेश क्षेत्र



मुख्य न्यायालय भवन, प्रवेश द्वार का दृश्य



न्यायालय परिसर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष



न्यायालय परिसर, एडीआर केंद्र



न्यायालय परिसर, बार एसोसिएशन भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	09	07
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	05	05
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	06	04
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	01	01
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	4445	59432	63877	1808	72125	73933	1813	35530	37343	4440	96027	100467
2025	4440	96027	100467	1845	31218	33063	1664	63149	64813	4621	64096	68717

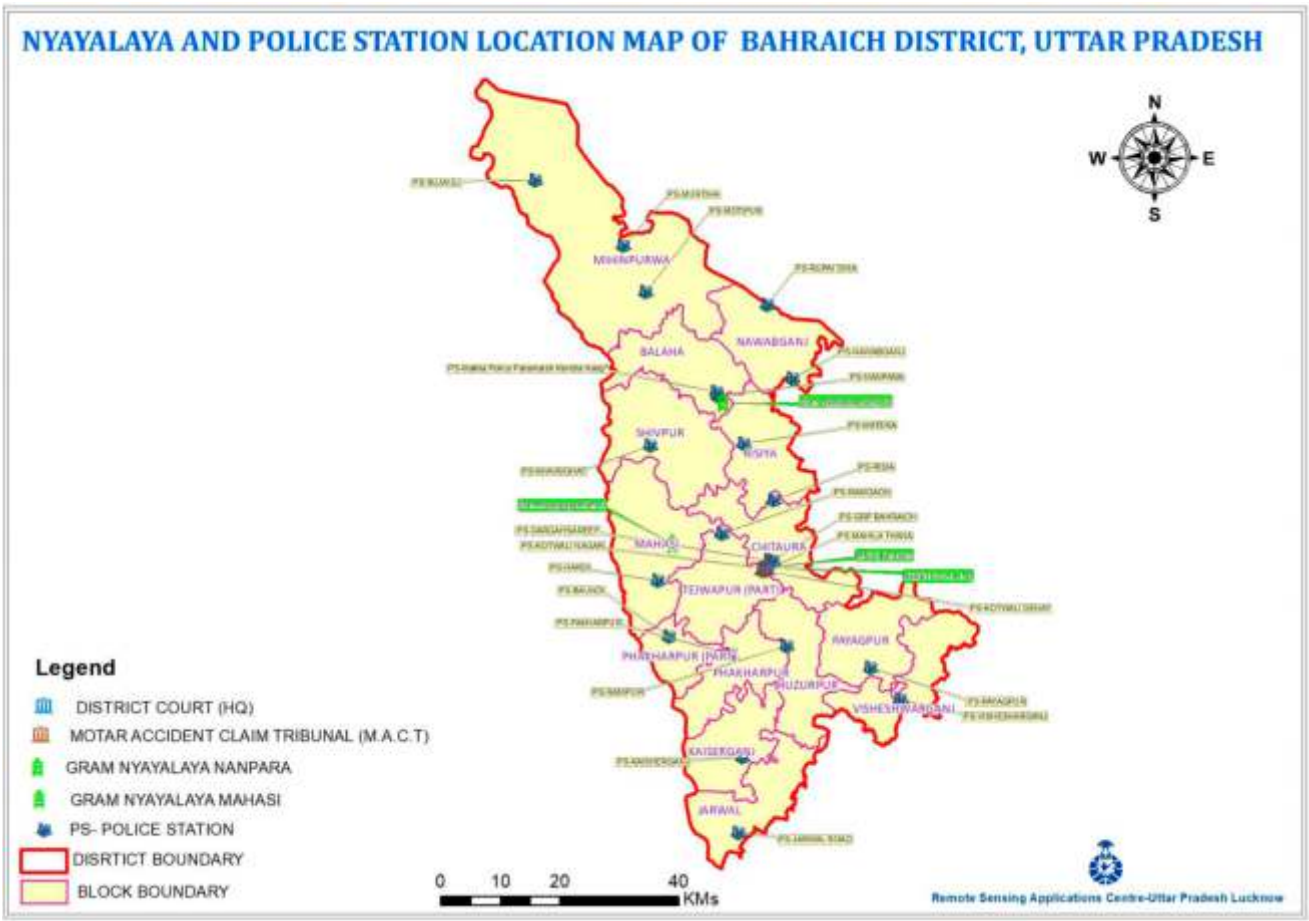
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1419	1798	3217	736	678	1414	813	748	1561	1342	1728	3070
2025	1342	1728	3070	811	705	1516	529	554	1083	1624	1878	3503

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	588	281	274	595
2025	595	264	275	584

जनपद न्यायालय बहराइच



बहराइच जिला न्यायालय बहराइच जिले के केंद्र में स्थित है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। जिला न्यायपालिका के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह न्यायालय न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से संचालित होता है।

बहराइच कोर्ट और बिल्डिंग का संक्षिप्त इतिहास

7 फरवरी, 1856 को अवध राज्य पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेष नियंत्रण में रख लिया गया। इसके बाद के 14 महीनों में, कंपनी ने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें पुलिस और तहसील प्रतिष्ठानों का गठन और संगठन, विभिन्न अदालतों और जेलों की स्थापना और पर्यवेक्षण, राजस्व–मुक्त अनुदान और उत्पाद शुल्क के दावों की जांच, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, भू–राजस्व का निपटान शामिल था। बहराइच जजशिप इस क्षेत्र की सबसे पुरानी जजशिप में से एक है और यह नानपारा एस्टेट से प्राप्त इमारत में स्थित है।

कानूनी पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता–पूर्व काल के दौरान, बहराइच की कानूनी प्रणाली में एक 'सिविल एवं सत्र न्यायाधीश' का न्यायालय, एक 'सिविल जज' का न्यायालय और 'मुंसिफ' के दो न्यायालय शामिल थे, जो सभी गोंडा जजशिप के अधीन संचालित होते थे। बहराइच में एक अधीनस्थ न्यायाधीश तैनात थे, साथ ही बहराइच और कैसरगंज में दो मुंसिफ भी कार्यरत थे।

इसके अतिरिक्त, वहाँ तृतीय श्रेणी की मजिस्ट्रेटी शक्तियों वाले छह मानद मजिस्ट्रेट थे, जो आमतौर पर अपनी रियासतों के भीतर कार्य करते थे, जैसे पयागपुर के राजा, भिंगा के तालुकदार, और कपूरथला एवं जमदान रियासतों के प्रबंधक। गोंडा के सत्र न्यायाधीश द्वारा बहराइच में नियमित अंतराल पर आपराधिक सत्र आयोजित किए जाते थे।

1953 में, बहराइच जजशिप को गोंडा जजशिप से अलग कर दिया गया। इसके बाद, जिले में सेशन केस के बैकलॉग को सुलझाने के लिए सिविल और

सेशन जजों की कई कोर्ट बनाई गईं। सिविल और क्रिमिनल केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए, 1975 में मुंसिफ की दो और कोर्ट बनाई गईं।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

साल 1967 से पहले ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल) डिविजनल कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम कर रहे थे। वर्ष 1967 के बाद से, मुंसिफों को भी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं और वे आपराधिक मामलों की भी सुनवाई कर रहे हैं। नई दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुई, इसके लागू होने से न्यायपालिका का कार्यपालिका से पूर्ण पृथक्करण हो गया

बार एसोसिएशन

जिले में 3 बार एसोसिएशन हैं, जिनके नाम हैंकृबहराइच बार एसोसिएशन, नानपारा बार एसोसिएशन और कैसरगंज बार एसोसिएशन। बाद के दो एसोसिएशन अपने–अपने तहसील मुख्यालयों पर कार्य करते हैं और स्वतंत्र निकाय हैं, जिनका बहराइच बार एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है, और वे अभी तक पहले वाले की तरह औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं। बहराइच बार एसोसिएशन को औपचारिक रूप से 1935 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

जून, 1978 में इस एसोसिएशन के सदस्यों की कुल संख्या 204 थी। इन बार एसोसिएशनों का प्राथमिक उद्देश्य वादकारियों, विशेष रूप से गरीबों के हितों की मदद करना और उनकी रक्षा करना है। वे अपने सदस्यों के कल्याण का भी ध्यान रखते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में मदद करते हैं, और अदालती कामकाज के घंटों के दौरान अध्ययन के लिए पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करते हैं।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का अवलोकन–

जिला न्यायाधीश न्यायालय और कार्यालय भवन

यह इमारत, जिसे लोकप्रिय रूप से डीजे कोर्ट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, एक मंजिला संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 1953 में किया गया था। वर्तमान में इस भवन में 1 पूर्णतः कार्यात्मक जिला न्यायाधीश न्यायालय कक्ष के साथ–साथ पीठासीन अधिकारी का कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष, नजारत, बैठक हॉल और सहायक प्रशासनिक कार्यालय इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ उपलब्ध हैं। चूंकि यह एक मंजिला इमारत है, इसलिए न्यायालय कक्ष भूतल पर संचालित है।

9 कोर्ट बिल्डिंग

9 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन, जिसे लोकप्रिय रूप से 'नौ कक्षीय भवन' के नाम से जाना जाता है, एक तीन मंजिला संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में इस भवन में 9 पूर्णतः कार्यात्मक न्यायालय कक्षों के साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ उपलब्ध हैं। न्यायालय भूतल और प्रथम तल पर संचालित हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर पुस्तकालय और सिविल कॉपीइंग सेक्शन (प्रतिलिपि अनुभाग) स्थित हैं। इस भवन के भूतल पर संचालित होने वाले न्यायालयों में प्रथम अपर जिला जज, तृतीय अपर जिला जज, अपर जिला जज (एफ०टी०सी०–द्वितीय) और अपर जिला जज (पोक्सो न्यायालय) के न्यायालय शामिल हैं, साथ ही यहाँ कंप्यूटर सर्वर रूम और जे०एस०सी० भी स्थित हैं। दूसरी मंजिल पर 5 न्यायालय कार्यरत हैं, जिनके नाम अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एस०सी० एस०टी० एक्ट) न्यायालय, अपर जिला जज (एफ०टी०सी०–प्रथम), चतुर्थ अपर जिला जज न्यायालय, पंचम अपर जिला जज न्यायालय और अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)–खखख हैं। ये न्यायालय पीठासीन अधिकारियों के कक्षों और आशुलिपिकों के कक्षों के साथ संचालित हो रहे हैं।

12 कोर्ट बिल्डिंग

12 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बारह कक्षीय भवन' के नाम से जाना जाता है, एक तीन मंजिला संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 1989 में किया गया था। वर्तमान में इस भवन में 12 पूर्णतः कार्यात्मक न्यायालय कक्षों के साथ–साथ इसके भूतल और प्रथम तल पर पीठासीन अधिकारियों के कक्ष और आशुलिपिकों के कक्ष जैसी संबद्ध सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर इन 12 न्यायालयों के कार्यालय स्थित हैं। ये न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैडर के हैं।

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय और प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भी 12 कोर्ट भवन में ही कार्यरत हैं, जहाँ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ मौजूद हैं। बाह्य न्यायालय के संबंध में–वर्तमान में, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैसरगंज का न्यायालय भी इसी 12 कोर्ट भवन के भूतल से संचालित हो रहा है।

FTC कोर्ट और ऑफिस बिल्डिंग

यह इमारत, जिसे लोकप्रिय रूप से एफटीसी भवन के नाम से जाना जाता है, एक मंजिला संरचना है

जिसका निर्माण वर्ष 2008 में किया गया था। वर्तमान में इस भवन में 2 पूर्णतः कार्यात्मक फास्ट ट्रैक कोर्ट रूम के साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष और सहायक कार्यालय इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ उपलब्ध हैं। चूंकि यह एक मंजिला इमारत है, इसलिए न्यायालय कक्ष भूतल पर ही संचालित है।

ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग

यह इमारत, जिसे लोकप्रिय रूप से 'पुरानी इमारत' के नाम से जाना जाता है, एक मंजिला संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 1862 में किया गया था। यह भवन 163 वर्ष पुराना है और न्यायालय परिसर के भीतर एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थित है। वर्तमान में रिकॉर्ड रूम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय और अन्य विविध कार्यालय इसी भवन से संचालित हो रहे हैं। बार एसोसिएशन का भवन भी इसी इमारत से जुड़ा हुआ है।

अन्य न्यायालय और कार्यालय भवन

कोर्ट कैंपस में कई दूसरी सहायक इमारतें भी हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्डिंग, कैंटीन बिल्डिंग, लॉक–अप और पुलिस चौकी, सी०सी०टी०वी० कंट्रोल रूम, बहराइच बार एसोसिएशन भवन, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन बिल्डिंग, और एडवोकेट्स चौंबर्स। ए०डी०आर० बिल्डिंग बहराइच कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास है।

ग्राम न्यायालय इमारत

बहराइच के महसी और नानपारा तहसीलों में ग्राम न्यायालय चल रहे हैं। ये न्यायालय संबंधित तहसीलों के बार एसोसिएशनों द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों से कार्य करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होती है।



बहराइच जिला न्यायालय का मुख्य द्वार


9 न्यायालय भवन


पुराना न्यायालय


न्यायालय कक्ष, जिला न्यायाधीश, बहराइच

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	15	9
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	6
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	18	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	23852	160752	184604	18777	118546	137323	17957	136528	154485	24672	142770	167442
2025	24672	142770	167442	9947	96853	106800	10467	97986	108453	24152	141637	165789

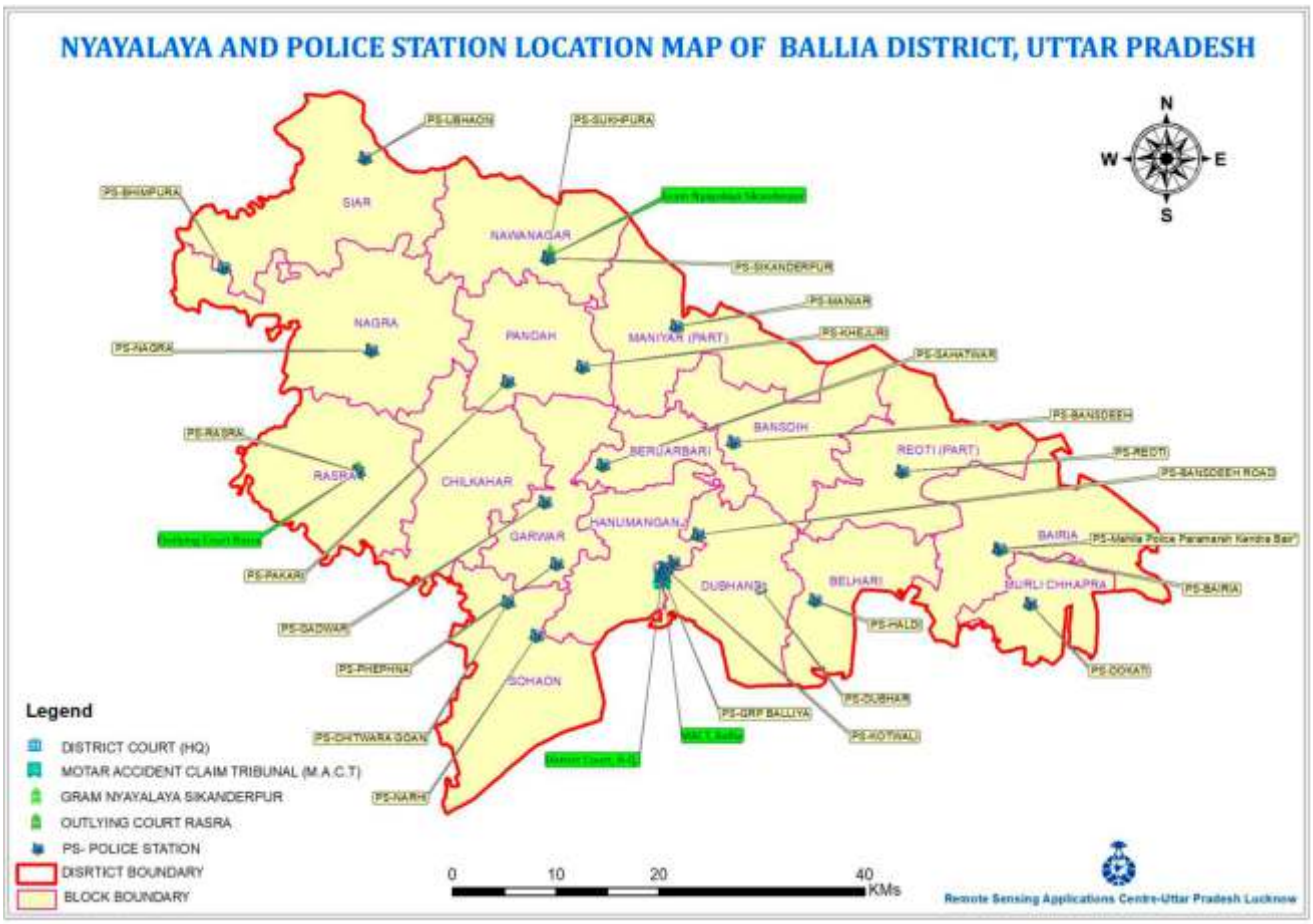
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2679	2848	5527	1598	1560	3158	1402	1409	2811	2875	2999	5874
2025	2875	2999	5874	1722	1401	3123	1343	1110	2453	3254	3290	6544

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1914	822	937	1799
2025	1799	819	621	1997

जनपद न्यायालय बलिया



बलिया भारत के उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इस जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लगभग दो हज़ार वर्षों से भी प्राचीन है, खैराडीह और पक्काकोट जैसे पुरातात्विक स्थल इस स्थान के लंबे ऐतिहासिक विकास के गवाह हैं। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा, बलिया में चौड़ी होने लगती है और इसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों से इसकी रक्षा करती है, जो तीर के शीर्ष का आकार बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, बिखरे हुए टीले और संरचनात्मक पात्रों के खंडित अवशेष, जो न केवल पौराणिक कथाओं बल्कि इतिहास की भी यादें ताजा करते हैं, जिले में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। लोकप्रिय किंवदंतियाँ भी इन स्थलों की प्राचीनता की गवाही देती हैं। माना जाता है कि बलिया का नाम महान ऋषि वाल्मिकी के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका आश्रम यहीं था। प्राचीन काल में बलिया क्षेत्र सोलह महाजनपदों में से एक कोशल राज्य के अधीन था। चीनी तीर्थयात्री फाह्यान ने भी अपने वृत्तान्तों में बलिया का उल्लेख किया है। यह क्षेत्र मौर्य वंश का हिस्सा रहा। मध्यकाल में यह दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन था। आईने–अकबरी में अकबर के शासनकाल का रिकॉर्ड बलिया की स्थितियों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। आधुनिक भारत के दौरान, बलिया पर अंग्रेजों का शासन था और बलिया में एक स्थायी सेना तैनात थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बलिया एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अक्टूबर 1925 में, महात्मा गांधी ने भी बलिया का दौरा किया और जवाहरलाल नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के साथ एक बड़ी सभा को संबोधित किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चित्तू पांडे, महानंद मिश्रा, विश्वनाथ चौबे और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने बदले में ब्रिटिश सेना की प्रतिक्रिया का बहादुरी से सामना किया। 22 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया और बलिया के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों के बलिदान से क्रांतिकारी बलिया को प्रतिष्ठा मिली।

जिला एवं सत्र न्यायालय, बलिया

परिचय

बलिया की न्यायिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि अत्यंत उल्लेखनीय है। 1957 से पहले बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय ग़ाज़ीपुर के क्षेत्राधिकार में था। बलिया जजशिप जी.ओ. नंबर 3016/7–267/52 दिनांक 09.07.1955 के तहत बनाई गई थी और मुहम्मद अहमद को 09.07.1956 को पहले जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 23.03.1957 के एक अन्य जी.ओ. संख्या ए5652/VII द्वारा, जिला न्यायाधीश और सिविल जज की अदालत सहित दो अतिरिक्त अदालतें भी बनाई गईं और इस प्रकार, बलिया जजशिप अस्तित्व में आई। तब से, बलिया जिले को 58 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा सुशोभित किया गया है। वर्तमान में, जजशिप में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 44 है, जिनमें से 23 न्यायालय वर्तमान विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा की देखरेख में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पहले सेशन हाउस की इमारत, जिसे वर्तमान में सीजेएम ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, का निर्माण वर्ष 1905 में किया गया था, वास्तव में, यह औपनिवेशिक वास्तुकला पर निर्मित बलिया जजशिप की सबसे पुरानी इमारत है। इमारत ने धीरे–धीरे और धीरे–धीरे नया आकार ले लिया, जिसमें एक रिकॉर्ड रूम शामिल था, जिसे 1958 में छह कोर्ट रूम के साथ बनाया गया था, उनमें से चार 1962 में बनाए गए थे, जबकि दो अन्य 1975 में बनाए गए थे। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के साथ, अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण किया गया और परिणामस्वरूप वर्ष 1981 में 10 कोर्ट रूम की इमारत अस्तित्व में आई, जिसके बाद लाइब्रेरी (वर्ष 1982), फास्ट ट्रैक कोर्ट (वर्ष 2004), मध्यस्थता केंद्र(वर्ष 2004) और 2020 में 14 कोर्ट रूम का निर्माण किया गया।

बलिया में प्रशासन और राजस्व न्यायालयों का बहुत जीवंत इतिहास है। 1302 ई. में राजा बख्तियार खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए एक इकाई बनाई और उसका नाम बलिया महल रखा। बाद में 1798 में बलिया को ग़ाज़ीपुर की तहसील बना दिया गया। अठारहवीं सदी के आखिरी दशक में बलिया और इसके आसपास के इलाकों को स्थायी बंदोबस्त के तहत लाया गया, जिसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बलिया जिले के क्षेत्र के लिए निपटान के तहत मूल्यांकन किया गया कुल राजस्व रु। 5,74,212. 1880 के दशक में बलिया जिले में राजस्व बंदोबस्त का पुनरीक्षण डी.टी. रॉबर्ट्स द्वारा किया गया था। बंदोबस्त के संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले 1882–83 के दौरान एक भू–कर सर्वेक्षण भी किया गया था। निपटान के लिए विस्तृत सर्वेक्षण अभ्यास 1882 में शुरू हुआ और तीन साल बाद पूरा हुआ। हालाँकि भदाँव और सिकंदरपुर परगना को इस सर्वेक्षण से बाहर रखा गया था, क्योंकि इनका सर्वेक्षण पहले ही आज़मगढ़ जिले का हिस्सा रहते हुए किया जा चुका था। इन परगनों का पुनरीक्षण कार्य जे. वॉन द्वारा किया गया था, जिनकी देखरेख आज़मगढ़ के तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी जे. आर. रीड ने की थी। 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश शासन में, ग़ाज़ीपुर और आज़मगढ़ के कुछ हिस्सों को अलग कर दिया गया और 1 नवंबर, 1879 को इसकी वर्तमान सीमाओं के साथ बलिया नामक एक नया जिला

बनाया गया। वर्ष 1881 में आईसीएस अधिकारी रॉबर्ट वार्लो को बलिया का पहला कलेक्टर सह मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जिले को आगे तीन उप–विभाजनों में विभाजित किया गया था; राजस्व संग्रह में सुविधा के लिए और वर्ष 1901 में बलिया, रसड़ा और बांसडीह। वर्तमान में, इसमें छह तहसीलें शामिल हैं, अर्थात् बलिया, बांसडीह, रसड़ा, बैरिया, सिकंदरपुर और बेल्थरा। जिले का कुल क्षेत्रफल 2981 कि.मी. है। प्रशासनिक व्यय मूल रूप से भूमि राजस्व और लाइसेंस कर, स्टांप कर, उत्पाद शुल्क आदि के संग्रह के माध्यम से प्राप्त आय से प्राप्त होते थे।

भारतीय न्याय वितरण प्रणाली में अधिवक्ताओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला है। वास्तव में बार और बेंच दोनों न्याय के रथ के दो पहिये हैं। न्यायिक प्रक्रिया की सफलता अक्सर दोनों के बीच गतिशील संबंध और सहयोग पर निर्भर करती है। लॉर्ड डैनिंग ने अधिवक्ताओं के बारे में निम्नलिखित शब्दों में सही टिप्पणी की हैः 'यह मान लेना एक गलती है कि वह अपने मुवक्किल का मुखपत्र है, इसलिए वह जो चाहता है वही कहता है, या जो वह निर्देशित करता है उसे करने का उसका साधन है। वह इनमें से कुछ भी नहीं है। वह एक उच्च उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखता है। यह सत्य और न्याय का कारण है।'

बलिया जिला बार एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1951 में हुई और श्री सरजू प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष चुने गये। वर्तमान में, जिला बार एसोसिएशन के दो विंग हैंरू सिविल बार एसोसिएशन और क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन। प्रत्येक विंग के अपने पदाधिकारी होते हैं जो संबंधित बार के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दोनों बार एसोसिएशन की अपनी–अपनी अलग–अलग इमारतें हैं। जिला बार की आकाशगंगा में निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के रूप में कुछ चमकते सितारे रहे हैं, उनमें से कुछ हैं श्री अजय सिंह, श्री शिव दाहिन लाल, श्री राज नारायण मिश्र, श्री हर नारायण राय, श्री भुवनेश्वर सिंह, श्री शंभू नाथ सिंह, श्री शिव शंभू पांडे आदि।

बलिया ने कई प्रसिद्ध हस्तियों को जन्म दिया है। श्री महर्षि भृगु प्राचीन भारत के सात महान सप्तर्षियों में से एक थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, उन्हें बलिया जिले में भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रजापतियों (सृष्टि के सूत्रधार) में से एक माना जाता है। महर्षि भृगु वास्तव में ज्योतिषीय ग्रंथ भृगु संहिता के नाम से अपने महान कार्य के लिए जाने जाते थे। भृगु मंदिर के नाम से जाना जाने वाला एक मंदिर भृगु बाबा की प्रेमपूर्ण स्मृति में बनाया गया था जिसमें भृगु और उनके शिष्य दर्दर मुनि की मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा, प्रथम सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद श्री मंगल पांडे का जन्म भी बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। प्रसिद्ध आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार और हिंदी भाषा के विद्वान आचार्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी बलिया में हुआ था। 1957 में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लोक नायक के नाम से लोकप्रिय श्री जय प्रकाश नारायण और भारत के 8वें प्रधान मंत्री श्री चंद्र शेखर का जन्म भी बलिया में हुआ था।

उपरोक्त के अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण जिन्हें बलिया जिले से खंडपीठ में पदोन्नत किया गया, जिनमें न्यायमूर्ति श्री बीके शर्मा, न्यायमूर्ति श्री जी0 डी0 दुबे, न्यायमूर्ति श्री एम0 पी0 सिंह, न्यायमूर्ति श्री आर0 पी0 निगम, न्यायमूर्ति श्री खेम करण, न्यायमूर्ति श्री बी0 एन0 सिंह, न्यायमूर्ति श्री एस0 सी0 निगम, न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्री वी0 के0 मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति श्री सैयद आफताब हुसैन रिज़वी शामिल थे, साथ ही न्यायमूर्ति मोहम्मद वहाजुद्दीन, न्यायमूर्ति एस0एन0 सहाय, न्यायमूर्ति कमलाकर चौबे, न्यायमूर्ति शम्भू नाथ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति मुक्तेश्वर प्रसाद और न्यायमूर्ति अशोक कुमार श्रीवास्तव को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था, जो बलिया जिले के मूल निवासी थे।

1957 से पूर्व

बलिया जिले की स्थापना 1879 में बड़े ग़ाज़ीपुर जिले से अलग करके की गई थी। 19वीं सदी के अंत से जिले की अपनी प्रशासनिक पहचान थी, लेकिन न्यायिक प्रशासन गाज़ीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से जुड़ा रहा। 20वीं सदी के मध्य तक, बलिया के सभी दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई ग़ाज़ीपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में की जाती थी क्योंकि बलिया की अपनी कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी। 9 जुलाई 1955 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 3016/7–267/52 जारी किया, जिसमें बलिया के लिए एक अलग जजशिप की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह जिले की बढ़ती न्यायिक आवश्यकताओं को पहचानने वाला एक औपचारिक प्रशासनिक कदम था।

न्यायालय भवन का परिचय

जिला न्यायालय, बलिया का न्यायालय भवन जिले के भीतर न्याय प्रशासन के लिए प्रमुख न्यायिक प्रतिष्ठान है, जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत कार्य करता है। यह संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक

बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है। अदालत परिसर में कोर्ट रूम, न्यायाधीशों के कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, संबद्ध न्यायिक सेवाओं के साथ रिकॉर्ड रूम हैं। न्यायालय का इस प्रकार का कार्यात्मक दक्षता, विनियमित सार्वजनिक पहुंच और न्यायिक मर्यादा के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। अधिवक्ताओं, वादियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं, विधिवत प्रदान की जाती हैं।

यह इमारत ई–कोर्ट पहल के तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जो कुशल केस प्रबंधन और समय पर न्याय प्रदान करने में सहायता करती है।

न्यायालय अवसंरचना का विकास

सबसे प्रारंभिक अदालत भवन जिसे अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी0जे0एम0) ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, का निर्माण औपचारिक न्यायाधीश पद से पहले, औपनिवेशिक युग के दौरान 1905 में किया गया था। जैसे–जैसे जजशिप का विस्तार हुआ, दशकों में अतिरिक्त अदालत कक्ष और सुविधाएं जोड़ी गईं:

1962 और 1975 में कोर्ट रूम और विस्तार, 1981 में 10 कोर्ट रूम वाला एक ब्लॉक का निर्माण कराया गया, बढ़ते मामलों को संभालने के लिए 2004, 2016 और 2020 में एक लाइब्रेरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मध्यस्थता केंद्र और एक अन्य परिसर सहित अतिरिक्त परिवर्धन और चौदह कोर्ट रूम बिल्डिंग जिसका निर्माण वर्ष 2020 में किया गया था, एमएसीटी कोर्ट उक्त भवन में कार्य कर रहा है।

बलिया न्यायालय परिसर में न्यायालयों के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक सहायक भवन उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय, कंप्यूटर सेल, एडीआर सेंटर, लॉक–अप, कॉन्फ्रेंस हॉल, रिकॉर्ड रूम शामिल हैं।

बाह्य न्यायालय (रसड़ा, बलिया)

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिव) की अदालत जी.ओ. संख्या– 8/2021/838/VII–न्याय–2/2021–131जी/2019 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के तहत मुंसिफ कोर्ट बिल्डिंग में कार्य कर रही है, जो बलिया जजशिप के स्वामित्व में है।

ग्राम न्यायालयः

बैरिया, बेल्थरा रोड, सिकंदरपुर और रसरा नामक 04 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। ग्राम न्यायालय यानी बैरिया, बेल्थरा रोड और सिकंदरपुर अपने संबंधित तहसील भवन में कार्य कर रहे हैं, जबकि रसड़ा ग्राम न्यायालय रसड़ा के तसील परिसर में पुनर्निर्मित भवन में कार्य कर रहा है। यह न्यायिक कार्यों और निपटान के प्रभावी विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

जिला न्यायालय, बलिया का न्यायालय भवन न्याय प्रशासन के लिए एक स्थिर और कुशल संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुरक्षित और सुलभ सुविधाओं और डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से, यह न्यायिक स्वतंत्रता, प्रक्रियात्मक दक्षता और न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास का समर्थन करता है। यह प्रतिष्ठान जिले के भीतर समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।



4 कोर्ट रूम



10 कोर्ट रूम



ग्राम न्यायालय रसरा



14 कोर्ट रूम



सीजेएम ब्लॉक



एडीआर भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	7
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	3
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	22	11
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	34972	88310	123282	4646	42213	46859	4526	39486	44012	35092	91037	126129
2025	35092	91037	126129	4004	27986	31990	4308	24212	28520	34788	94811	129599

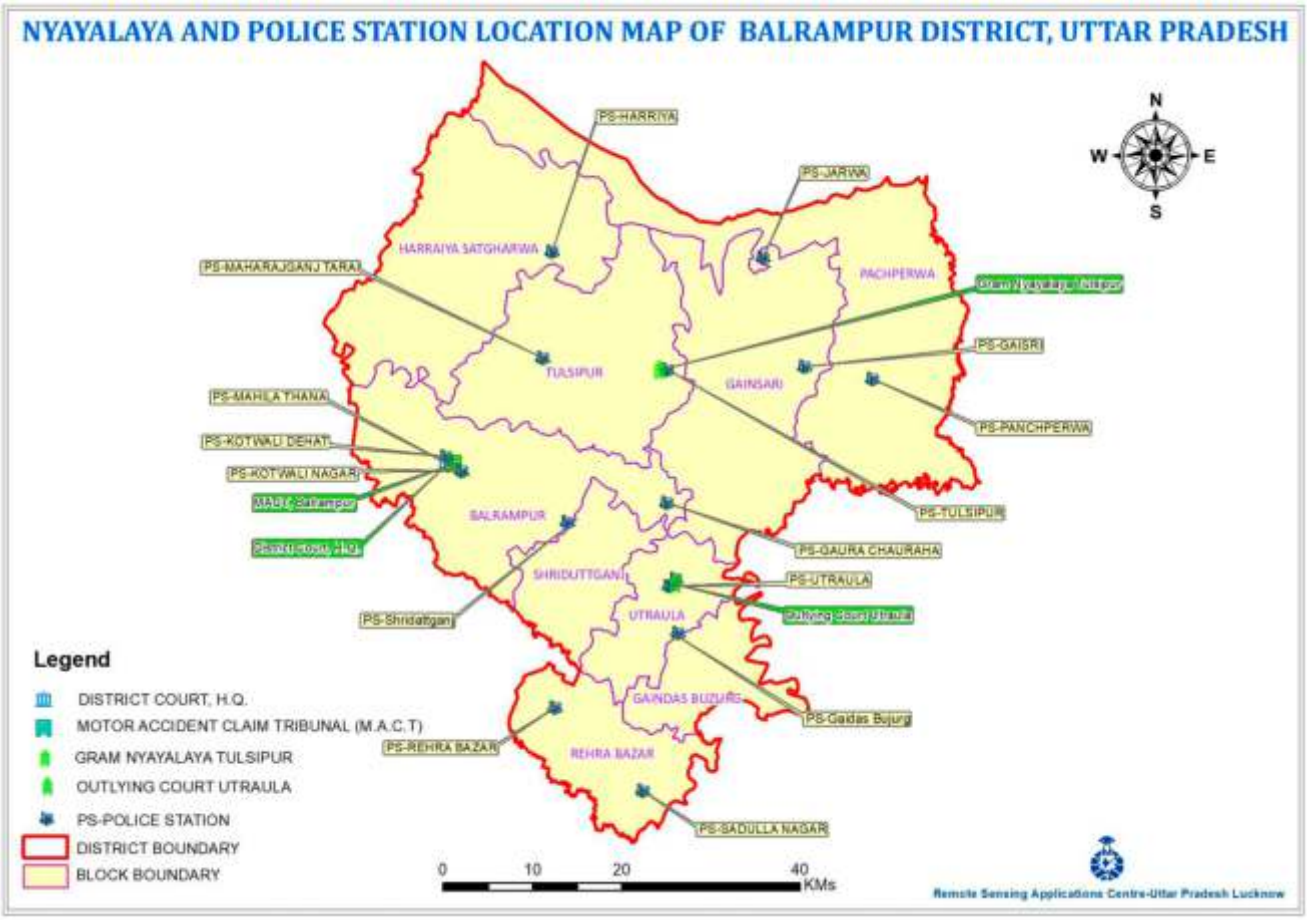
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2140	3309	5449	1821	1557	3378	1151	1517	2668	1594	2133	6670
2025	2810	3860	6670	1965	2154	4119	2328	2676	5004	2444	3338	5782

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1342	644	556	1357
2025	1357	582	642	1303

जनपद न्यायालय बलरामपुर



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

वर्तमान स्वरूप में बलरामपुर जनपद का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जो सभ्यता के प्रारंभिक काल तक जाता है। कहा जाता है कि यह जनपद उत्तरी कौशल (कोशल) राज्य का हिस्सा था, जो भगवान बुद्ध के समय के सोलह महाजनपदों में से एक था। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, जिसे प्राचीन काल में सहेत–महेत के नाम से भी जाना जाता था। "देवीपाटन" नामक एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर बलरामपुर जनपद की तुलसीपुर तहसील में जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर माता सती (दुर्गा) के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है।

वर्तमान राजस्व प्रशासन की व्यवस्था मूल रूप से दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में शेरशाह सूरी (1540–45) ने सुदृढ़ किया और महान मुगल सम्राट अकबर (1556–1605) ने इसे और अधिक मजबूत बनाया। अकबर ने पहली बार एक व्यवस्थित और केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया तथा बहु–स्तरीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया। पूरे साम्राज्य को सूबों या प्रांतों में विभाजित किया गया ताकि केंद्रीकृत और प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। प्रत्येक सूबे को सरकार (जिला) में विभाजित किया गया, जहां दो अधिकारी नियुक्त होते थे फौजदार (शांति एवं सुरक्षा के लिए) और करोड़ी (राजस्व संग्रह के लिए)। प्रत्येक जिला आगे परगनों में विभाजित होता था। सरकारों के अंतर्गत राजस्व संग्रह हेतु दस्तूर–चक्र बनाए गए तथा उनके अंतर्गत महल बनाए गए, जिन्हें परगनों के समकक्ष माना जाता था। प्रत्येक परगने में तीन अधिकारी होते थे, कानूनगो (राजस्व अभिलेखों के संरक्षक), चौधरी (राजस्व संग्रह प्रभारी) और काजी (न्यायाधीश, जो विवादों का निपटारा करता था)। इस प्रकार पहली बार सबसे निचले प्रशासनिक स्तर पर विवाद निपटान के लिए वेतन पर काजी (न्यायाधीश) की नियुक्ति की गई।

तत्कालीन अवध सूबे की सबसे बड़ी तालुकेदारी, बलरामपुर एस्टेट की स्थापना लगभग 1600 में कुँवर बलराम दास द्वारा की गई, जिनके नाम पर इस राज्य का नाम रखा गया। वे इकोना के राजा साहब राजा

माधो सिंह के छोटे पुत्र थे। यह परिवार महाभारत के महान पांडव (अर्जुन) से अपना वंश बताता है। वर्तमान बलरामपुर जिले का क्षेत्र मुगल शासन के दौरान अवध सूबे के बहराइच सरकार (जिला) का हिस्सा था।

जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रवेश किया और 1764 में बक्सर के युद्ध में अवध को निर्णायक रूप से पराजित किया, तब अवध ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। इसके बाद बनारस की संधियों (1765, 1773 और 1775) तथा चुनार की संधि (1781) के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ता गया। अवध सूबे की मूल राजधानी अयोध्या थी। 1740 में उस समय के नवाब सफदरजंग ने राजधानी को अयोध्या से फैजाबाद स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेजों ने भी राजधानी फैजाबाद में ही बनाए रखी, जबकि कंपनी के राजनीतिक प्रतिनिधि, जिन्हें "रेजिडेंट" कहा जाता था, लखनऊ में स्थित थे।

अंततः 7 फरवरी 1856 को अंग्रेजों ने 'डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स' के तहत अवध को अपने अधीन कर लिया और तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद अवध को उत्तर–पश्चिमी प्रांतों में मिला दिया गया और एक बड़ा प्रांत "उत्तर–पश्चिमी प्रांत एवं अवध" बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने बलरामपुर को बहराइच से अलग कर गोंडा जिले में शामिल कर दिया। अंग्रेजी शासन के दौरान इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक कमिश्नरी बनाई गई, जिसका मुख्यालय गोंडा में तथा सैन्य नियंत्रण कर्नलगंज के सकरौरा में था। इस अवधि में बलरामपुर गोंडा जिले की उतरौला तहसील का एक एस्टेट (तालुकेदारी) था, जिसमें तीन तहसीलें गोंडा सदर, तरबगंज और उतरौला शामिल थीं।

स्वतंत्रता के बाद बलरामपुर एस्टेट को गोंडा जिले की उतरौला तहसील में मिला दिया गया। 1 जुलाई 1953 को उतरौला तहसील को दो भागों बलरामपुर और उतरौला में विभाजित कर दिया गया। 1987 में गोंडा सदर तहसील से तीन नई तहसीलें तुलसीपुर, मनकापुर और कर्नलगंज बनाई गईं। बाद में 1997 में गोंडा जिले का विभाजन कर "बलरामपुर" नामक एक नया जिला बनाया गया, जिसमें पूर्व गोंडा जिले के उत्तरी भाग की तीन तहसीलें बलरामपुर, उतरौला और तुलसीपुर शामिल की गईं।

बलरामपुर का जिला न्यायालय

बलरामपुर में जिला न्यायपालिका का गठन 15.07.1999 को सत्र न्यायालय (सेशन डिवीजन) के रूप में हुआ। इससे पहले यह गोंडा न्यायाधीशालय के अधीन एक बाह्य (आउटलाइन) न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा था। श्री ओ.पी. वर्मा को 09.02.1998 को सबसे पहले विशेष कार्य अधिकारी (Officer-on-Special Duty) के रूप में नियुक्त किया गया, जो बाद में इस जनपद के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने। प्रारंभ में बलरामपुर जिला न्यायालय में तहसील उतरौला में एक बाह्य न्यायालय स्थापित था, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय था। बाद में तहसील तुलसीपुर में एक ग्राम न्यायालय भी स्थापित किया गया।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

16 न्यायालय कक्षों का भवन

16 न्यायालय कक्षों वाला भवन, जिसे सामान्यतः "न्याय भवन" के नाम से जाना जाता है, एक G+2 (भूतल सहित दो मंजिला) संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 2013 में प्रारंभ हुआ और इसे औपचारिक रूप से 12.10.2020 को पूर्ण किया गया। वर्तमान में इस भवन में 16 पूर्णतः क्रियाशील न्यायालय कक्ष स्थापित हैं, जिनके साथ अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष तथा अन्य सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ भी उपलब्ध हैं।

न्यायालय कक्ष भूतल एवं प्रथम तल पर संचालित हो रहे हैं, जबकि द्वितीय तल पर पुस्तकालय, प्रतिलिपि अनुभाग (कॉपींग सेक्शन) तथा विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं। भवन की छत पर स्थापित 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा पैनल सतत (सस्टेनेबल) ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाता है।

परिवार न्यायालय भवन

परिवार न्यायालय भवन पुराने न्यायालय परिसर में संचालित हो रहा है। इस भवन में एक न्यायालय कक्ष स्थित है, जिसके साथ अधिकारियों का कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष तथा परिवार न्यायालय का कार्यालय जैसी सहायक इकाइयाँ भी मौजूद हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएं

बलरामपुर जिला न्यायालय एक नवीन निर्मित भवन है, जिसमें ई–सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष (वी.सी. रूम), ई–फाइलिंग सुविधा, सिविल एवं आपराधिक अभिलेख कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। चूंकि यह भवन नया और आधुनिक है, इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में बाह्य न्यायालय उतरौला में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग के 02 न्यायालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय अपने स्वयं के भवन में कार्यरत है, जबकि अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), उतरौला का न्यायालय बलरामपुर जनपद के बार एसोसिएशन, उतरौला द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में संचालित हो रहा है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय बलरामपुर जनपद की तुलसीपुर तहसील में संचालित हैं। ये न्यायालय संबंधित तहसील प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में कार्य करते हैं, जिससे न्याय तक आम जनता की पहुंच जमीनी स्तर पर सुनिश्चित होती है।



जिला न्यायालय परिसर का मुख्य द्वार



जिला न्यायालय परिसर का सामने का बरामदा



जिला न्यायालय का एडीआर केंद्र



न्यायिक अधिकारियों का प्रवेश द्वार

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	9	4
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	9
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	15508	79392	94900	2270	21514	23784	1365	26100	27465	16413	74806	91219
2025	16413	74806	91219	2004	25143	27147	2649	38623	41272	15768	61326	77094

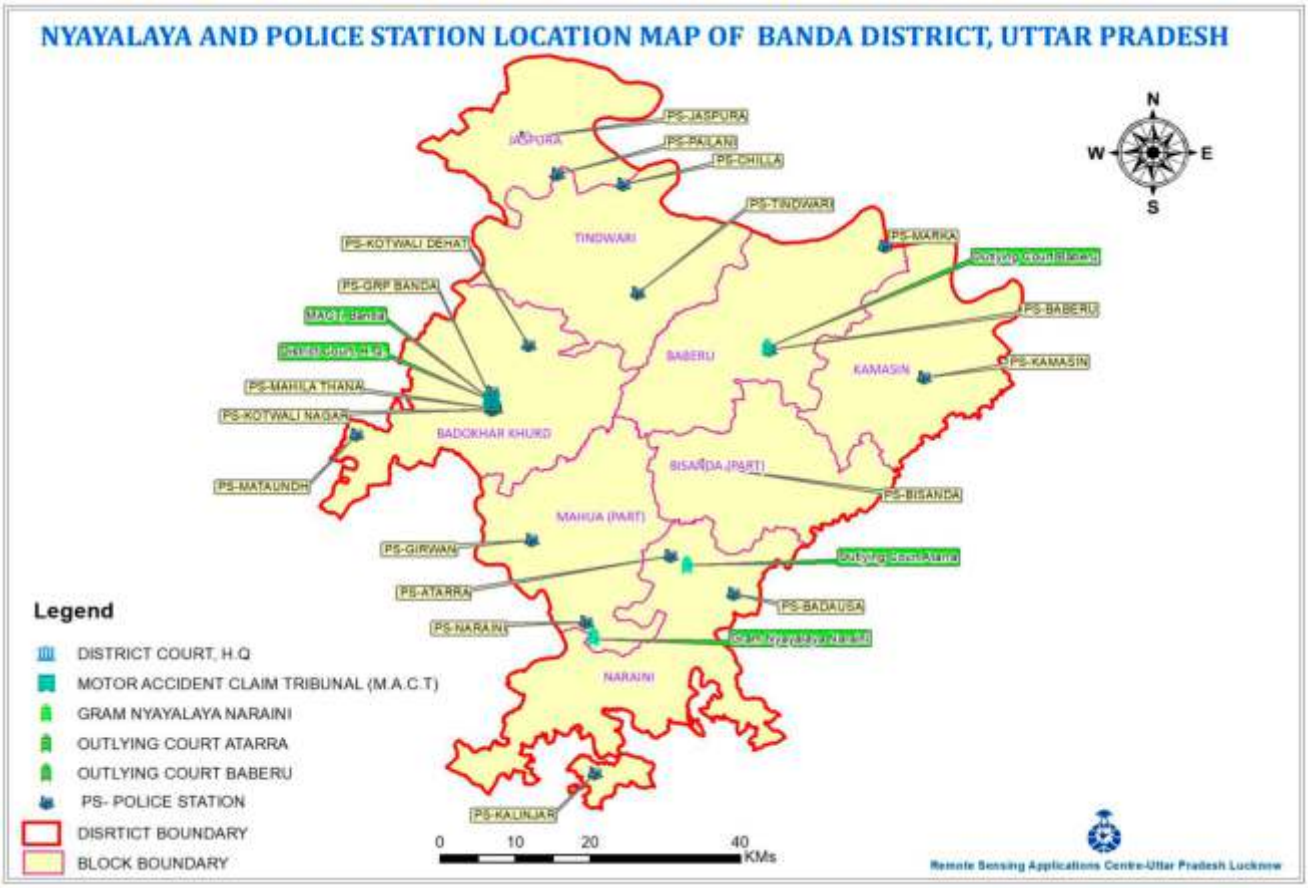
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1307	1325	2632	678	656	1334	949	804	1753	1036	1177	2213
2025	1036	1177	2213	731	670	1401	750	658	1408	1017	1189	2206

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	842	375	256	961
2025	961	463	253	1171

जनपद न्यायालय बांदा



बांदा उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड जिले का सबसे पूर्वी जिला है। जिले में 761 राजस्व गांव हैं और यहां की भाषा हिंदी और बुंदेली है। बाघेन नदी जिले को दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर बहाती है। अन्य महत्वपूर्ण नदियां पूर्व में केन नदी और उत्तर में यमुना नदी हैं। बांदा का क्षेत्रफल 4,408 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,799,410 (जनगणना 2011) है।

बांदा की प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापना

अकबर के शासनकाल के दौरान यह जिला इलाहाबाद सूबे के दो सरकारों, कालिंजर और भटघोरा में बँटा हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में यह बुंदेलाओं के अधीन आ गया और उस शताब्दी के मध्य तक यह छोटे–छोटे राज्यों में बँट गया, जिनमें से अधिकांश मराठों के अधीन थे। 1803 में बस्सीन की संधि द्वारा इसे अंग्रेजों को सौंप दिया गया और बुंदेलखंड नामक एक जिला बनाया गया, जिसका मुख्यालय बांदा में स्थित था। 1819 में इसे उत्तरी और मध्य भागों में विभाजित किया गया।

दक्षिणी जिले, जिनमें बांदा जिला इसका अंतिम भाग है। कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों को छोड़कर, तब से यह

काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।

राजस्व प्रणाली

ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद, सरकार द्वारा भूमिधरों, सरदारों और असामी से सीधे कर वसूली की प्रणाली शुरू की गई। यह वसूली तहसीलों में तैनात वसूली अमीनों के माध्यम से की जाती थी, जिनका कार्य नायब–तहसीलदारों, तहसीलदारों और उपमंडल अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता था। समय पर और पूर्ण रूप से बकाया वसूली की अंतिम जिम्मेदारी कलेक्टर की ही रहती है। 1998 में, करवी और मऊ नामक दो तहसीलों के साथ चित्रकूट नामक एक नए जिले का गठन किया गया। बांदा जिले में बाबरू और अन्य पांच तहसीलें बनी रहीं।

बांदा, अतर्रा, पैलानी और नरैनी। बांदा में मुख्यालय के साथ एक नई कमिश्नरी (डिवीजन) चित्रकूटधाम का भी गठन किया गया, जिसमें चार जिले बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट शामिल थे।

राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, लाला लाजपत राय द्वारा 1908 में बांदा में दयानंद वैदिक अनाथालय का उद्घाटन किया गया। 1920 में एक राष्ट्रवादी विद्यालय की स्थापना हुई और सत्याग्रही का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसने जनता को क्रांति की ओर प्रेरित किया। नवंबर 1929 में महात्मा गांधी ने बांदा का दौरा किया। उसी समय चंद्र शेखर आजाद ने भी बांदा का दौरा किया, जिन्हें जनता ने आर्थिक सहायता, हथियार और गोला–बारूद मुहैया कराकर उनके कार्यों में सहयोग दिया।

प्राचीन काल से ही न्यायिक प्रणाली

ब्रिटिश शासन द्वारा अपने कानून लागू करने से कई वर्ष पहले, इस क्षेत्र में अन्य भागों की तरह ही इस्लामी अपराध कानून लागू था। काज़ी (न्यायाधीश) कुरान के सिद्धांतों पर आधारित इस्लामी कानून, नागरिक और आपराधिक दोनों का प्रशासक था। 19वीं शताब्दी के अंत तक, जिला न्यायाधीश न्यायालय बांदा और हमीरपुर जिलों में सत्र न्यायालय की शक्तियों के साथ एक अस्थायी जिला न्यायाधीश न्यायालय का गठन किया गया। उनके अधीन एक मुंसिफ भी तैनात किया गया था। 1 अप्रैल, 1913 से जिला न्यायाधीश न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और कानपुर के जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में सत्र एवं अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना की गई। 1945 में इस व्यवस्था में और परिवर्तन किया गया और सत्र एवं अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय को सिविल एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया तथा इसे झांसी के जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। स्वतंत्रता के बाद भी बांदा में न्यायपालिका की मौजूदा संरचना बनी रही और लंबे अंतराल के बाद, सरकारी आदेश संख्या ए3952/ दिनांक 7.11.1958 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक अस्थायी न्यायालय बनाया गया तथा बांदा और हमीरपुर जिलों को बांदा सत्र मंडल के अधीन रखा गया। अस्थायी न्यायाधीश पद को 1 अप्रैल, 1967 से स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया था, जब बांदा में दो स्थायी न्यायालय थे–एक जिला न्यायाधीश का और दूसरा मुंसिफ का।

आपराधिक न्याय

वर्तमान शताब्दी के आरंभ में तीन मानद सदस्य थे।

तीसरे दर्जे की आपराधिक शक्तियों वाले मजिस्ट्रेट आजीवन पद पर बने रहते थे और जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते थे। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की योजना 2 अक्टूबर, 1967 से लागू हुई और सभी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के सीधे अधीन कर दिया गया। पृथक्करण के समय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) का एक अस्थायी न्यायालय और बांदा तथा करवी में न्यायिक अधिकारियों के दो स्थायी न्यायालय थे। पृथक्करण से पहले ये अधिकारी आपराधिक और राजस्व दोनों मामलों की सुनवाई करते थे। पृथक्करण के बाद, इन अधिकारियों के नाम बदलकर न्यायिक अधिकारी से न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिए गए।

नए सीआरपीसी के लागू होने के बाद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) का नाम बदलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया और बांदा स्थित विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत का नाम बदलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) बांदा की अदालत कर दिया गया, जिसके बाद इसे जिला न्यायाधीश के नियंत्रण में कर दिया गया।

8 मई, 1974 से सिविल और सत्र न्यायाधीशों का कैडर समाप्त कर दिया गया और सिविल और सत्र न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया।

वर्तमान में न्यायपालिका में जिला न्यायाधीश कैडर के तीन न्यायालय शामिल हैं (एक जिला न्यायाधीश, एक प्रधान न्यायाधीश–परिवार न्यायालय और एक पीठासीन अधिकारी, एमसीटी)।

न्यायिक अधिकारियों के अन्य कैडर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के सोलह न्यायालय शामिल हैं, जिनमें दो फास्ट ट्रैक न्यायालय भी हैं। सिविल जज (एस.डी.) कैडर की स्वीकृत संख्या सात है (जिसमें एसीजेएम (रेलवे) भी शामिल हैं), जिनमें एक एफटीसी न्यायालय भी है। सिविल जज (जे.डी.) कैडर में ग्यारह न्यायालय हैं, जिनमें अट्टारा और बाबरू स्थित दो एफटीसी और दो बाह्य न्यायालय, नैरैनी में एक ग्राम न्यायालय शामिल हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के दो न्यायालय भी कार्यरत हैं। बाबरू, बांदा स्थित बाह्य

न्यायालय की निजी इमारत का उद्घाटन 17.04.2024 को माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश, बांदा द्वारा किया गया था। संबद्ध भवन न्यायालय परिसर में स्थित है, जहां विभिन्न कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, सीआरएल और डिजिटलीकरण एवं स्कैनिंग कार्यालय कार्यरत हैं।

बांदा न्यायपालिका को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में से कानूनी सहायता रक्षा वकील प्रणाली नामक एक पायलट परियोजना के लिए चुना गया है, जिसका उद्देश्य उन जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आरोपी हैं और बचाव वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।

अदालत की इमारत का निर्माण 1835 में हुआ था, जिसे अब विरासत भवन घोषित कर दिया गया है और इस इमारत में तीन अदालतें और जिला न्यायाधीश कैडर के कार्यालय चल रहे हैं।

बाह्य न्यायालय, बाबरू (बांदा)

1 श्री डांगली प्रसाद वरुण, आई.ए.एस. द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गजेटियर का तैंतीसवां संस्करण, दिनांक 28.3.1977 को प्रकाशित।

जिला बार एसोसिएशन और प्रमुख अधिवक्ता

हालांकि जिला बार एसोसिएशन बांदा की स्थापना 1916 से पहले हुई थी, लेकिन इसे 1916 में एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था। उस समय श्री के.एन. लाघाटे और श्री मोती सिंह प्रमुख अधिवक्ता थे। खान बहादुर शेखमसूदज़मा और रफीउद्दीन बैरिस्टर थे, जबकि शेख अबुर रहमान और रहीम बख्श मुख्तियार थे। बार भवन का निर्माण 1955 में हुआ था। जिला बार एसोसिएशन की समृद्ध विरासत को कुछ प्रमुख हस्तियों ने और समृद्ध किया। अधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद निगम एडवोकेट जनरल के पद पर आसीन हुए। न्यायमूर्ति राजा रमाकांत त्रिवेदी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। श्री जगदीश राजन को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल, जिन्हें 1986 में कविता संग्रह श्अपूर्वाश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, भी बार के सदस्य थे।

2 जिला बार एसोसिएशन, बाँदा द्वारा 29–2–1992 को प्रकाशित पुस्तिका जिसका नाम है 'संघ का परिचय परिचय एवं आख्या'

सामाजिक प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक फैसले

1– उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामेश्वर और अन्य।

तत्कालीन अस्थायी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बांदा ने आरोपी रामेश्वर को दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड सुनाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। (एआईआर 1973 एससी 926, 1973 में प्रकाशित)

2– उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा सत्र परीक्षण संख्या 78 वर्ष 1985।

बांदा स्थित विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम) की अदालत ने रमेश प्रसाद मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

उन्हें मृत्युदंड दिया गया। सह–आरोपी श्रीमती बुट्टो देवी को धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन धारा 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने 21.7.1988 को आपराधिक अपील संख्या 2108/1987 में अपने फैसले से दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया और मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी रमेश प्रसाद मिश्रा के बरी होने के फैसले को रद्द करते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। हालांकि, सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। (1996 अनुपूरक (4) एससीआर 631 में प्रकाशित)

3–हरिमोहन गुप्ता बनाम श्रीमती किरण अग्रवाल. 1998 का एससीसी 01

इस मामले में माननीय सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन), लघु वाद न्यायालय, बांदा ने प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया, जिसे एस.सी.सी. पुनरीक्षण संख्या 15/2003 में विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), लघु वाद न्यायालय, बांदा द्वारा दिनांक 29.04.2005 को दिए गए निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसे तुच्छ मानते हुए खारिज कर दिया गया।

माननीय न्यायालय ने 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। (2007 (2) एडब्ल्यूसी 1400 में रिपोर्ट किया गया)

बांदा जिला न्यायालय में अन्य सुविधाएं

1– ई–सेवा केंद्र– बांदा जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं और वादियों के लिए ई–सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि मामलों की स्थिति की जानकारी, निर्णय आदेशों की खोज, सुनवाई की तारीखों की खोज, अवकाश पर गए न्यायाधीशों की जानकारी, अवकाश पर गए न्यायाधीशों की जानकारी आदि।

2– मुकदमे के पक्षकारों और अधिवक्ताओं के लिए ई–फाइलिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।

3– जिला न्यायालय मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी कार्यरत है।



बाबरू स्थित बाह्य न्यायालय



एडीआर भवन



विरासत भवन



विरासत भवन और तीन न्यायालय एवं कार्यालय जिला न्यायाधीश कैडर



बाबरू स्थित बाह्य न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	17	6
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	9287	66174	75461	1936	34603	36539	1917	45320	47237	9306	55457	64763
2025	9306	55457	64763	1933	29261	31194	1569	28960	30529	9670	55758	65428

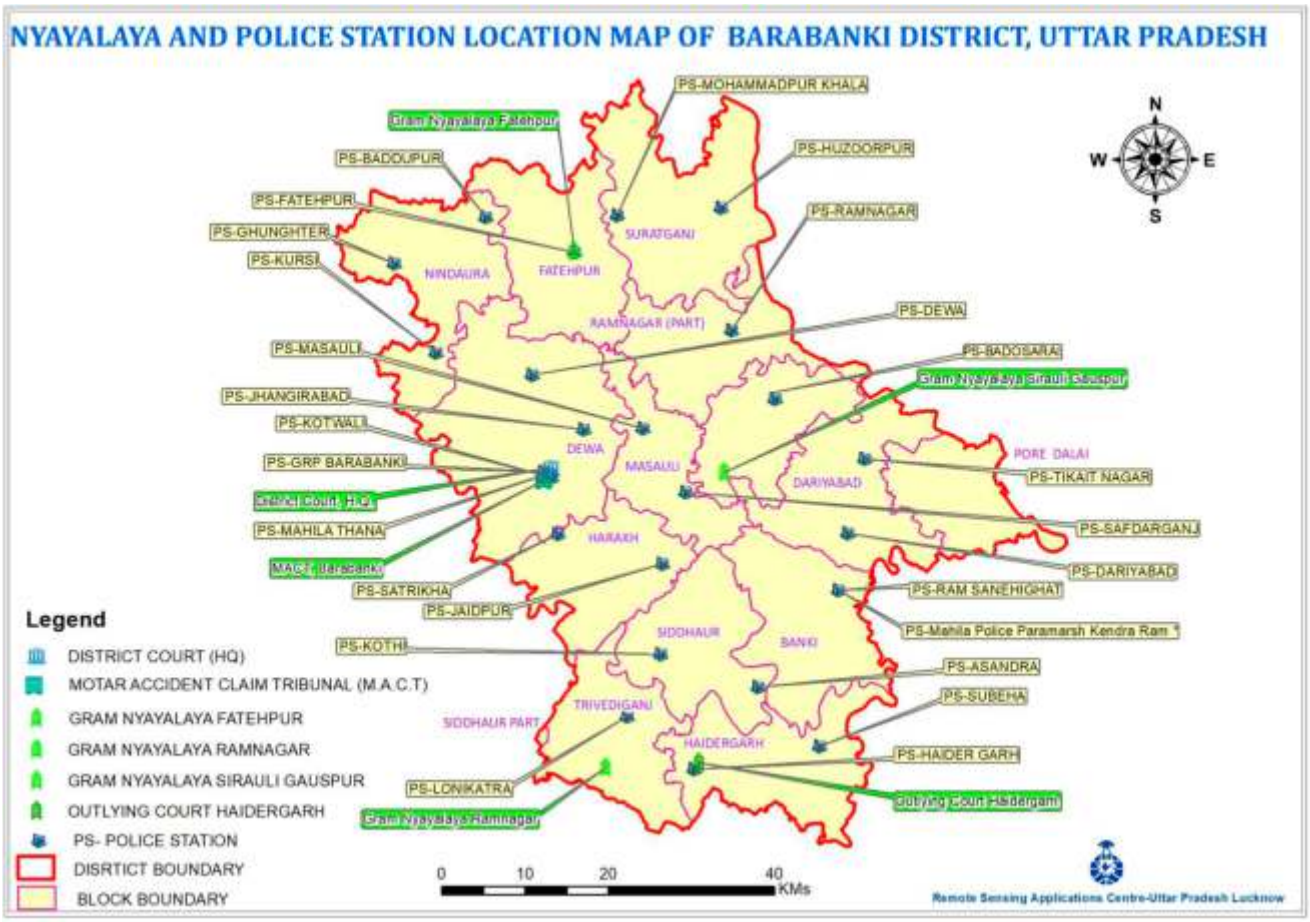
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1311	1944	3255	570	550	1120	152	165	317	1729	2329	4058
2025	1729	2329	4058	644	590	1234	669	651	1320	1704	2268	3972

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1907	761	517	2151
2025	2151	1051	931	2271

जनपद न्यायालय बाराबंकी



अवध क्षेत्र के मध्य में स्थित बाराबंकी जिले को 1856 में राजस्व प्रशासन की एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। मूल रूप से दरियाबाद के नाम से जाना जाने वाला इसका मुख्यालय 1859 में नवाबगंज (बाराबंकी) में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थापना के बाद, बहराइच, लखनऊ, रायबरेली और सुल्तानपुर के पड़ोसी जिलों से भीटौली, देवा, कुर्सी, हैदरगढ़ और सुबेहा परगनाओं के हस्तांतरण के साथ बाराबंकी का क्षेत्रफल बढ़ गया।

वर्तमान में 3891.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस जिले में 1845 गाँव, एक नगर पालिका परिषद, 6 तहसीलें और 24 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व एक लोकसभा और छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से, जिले को पांच भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता हैरू घाघरा–चौका (सरदा) दोआब, घाघरा बाढ़ का मैदान (तराई), मध्य उच्चभूमि, ट्रांस–गोमती क्षेत्र और गोमती बाढ़ का मैदान।

कानूनी इतिहास

ब्रिटिश काल से पहले नवाबों के अधीन मुस्लिम कानून पर आधारित न्यायिक प्रणाली को 1858 के बाद न्याय प्रशासन की विरोधी प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे दीवानी और आपराधिक न्यायालयों की संगठित संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। आरंभिक चरण में, दीवानी न्याय प्रशासन के लिए बाराबंकी लखनऊ के जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में था। 1930 में, बाराबंकी के लिए एक अलग जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो जिला रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करता था। ए.सी. बोस बाराबंकी के पहले जिला न्यायाधीश थे। मूल रूप से, जिला न्यायाधीश प्रशासनिक नियंत्रण के अलावा, दीवानी और आपराधिक अपीलों की सुनवाई करते थे और सत्र न्यायालयों के मामलों का निपटारा करते थे। उच्च मूल्य के सामान्य दीवानी मुकदमों के निर्णय के लिए एक दीवानी न्यायाधीश के अलावा, अस्थायी दीवानी और सत्र न्यायाधीश और बाराबंकी और रामसनेहीघाट पर अधिकार क्षेत्र वाले दो मुंसिफ भी नियुक्त किए गए थे। आपराधिक न्याय के क्षेत्र में, तेरह वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, उप कलेक्टर, न्यायिक अधिकारी, तहसीलदार और प्रथम श्रेणी की शक्तियों वाले दो मानद विशेष मजिस्ट्रेट थे। विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के साथ कार्यात्मक क्षेत्राधिकार और नामकरण में स्पष्ट परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि आपराधिक न्याय प्रशासन के न्यायिक और कार्यकारी क्षेत्र के लिए अलग–अलग कार्यात्मक, आदेश और नियंत्रण संरचनाएं बनाई गई हैं।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायालय एक विशिष्ट धरोहर भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 1900 में हुआ था और इसे आज भी अपने मूल वैभव में संरक्षित रखा गया है। इस वास्तुशिल्पीय कृति में माननीय जिला न्यायाधीश का न्यायालय और उससे लगा हुआ कक्ष स्थित है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रशासनिक कार्यालय, हिंदी कार्यालय और स्टेनोग्राफर कक्ष जैसी आवश्यक संबद्ध इकाइयाँ भी हैं, जो इसके ऐतिहासिक ढांचे में सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत हैं।

12 न्यायालय कक्षों वाला भवन (न्याय भवन)

12 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन, जिसे लोकप्रिय रूप से न्याय भवन के नाम से जाना जाता है, एक जी+2 संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 1985 में हुआ था। वर्तमान में इस भवन में 12 पूरी तरह से कार्यरत न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर के कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ भी हैं। भूतल और प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष कार्यरत हैं, जबकि द्वितीय तल पर पुस्तकालय, प्रतिलिपि अनुभाग और विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं।

13 न्यायालय कक्षों वाला भवन (न्याय निलयम्)

न्याय निलयम् नामक यह विशिष्ट जी+3 भवन 2021 में परिकल्पित हुआ और 2025 में बनकर तैयार हुआ। न्यायिक वास्तुकला के इस आधुनिक चमत्कार का औपचारिक उद्घाटन 19 नवंबर 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली द्वारा किया गया। इसकी दीवारों के भीतर तेरह न्यायालय कक्ष पूरी तरह से कार्यरत हैं, जिनमें से प्रत्येक को न्याय की गरिमा को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भवन में पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयों सहित संबद्ध सुविधाओं को सुविचारित रूप से सुसज्जित किया गया है। सुगमता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, भवन में चार लिफ्ट लगाई गई हैं – दो अधिकारियों के लिए और दो अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए। इस प्रकार, न्याय निलयम स्थापत्य उत्कृष्टता और कार्यात्मक सटीकता दोनों का प्रतीक है, जो न्यायिक अवसंरचना का एक समकालीन स्तंभ है।

पारिवारिक न्यायालय भवन

पारिवारिक न्यायालय भवन, जो 1901 से निर्मित एक मंजिला ऐतिहासिक इमारत है, आज भी गरिमापूर्ण

ढंग से खड़ी है। इसकी ऐतिहासिक दीवारों के भीतर तीन न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर के कमरे, न्यायालय कार्यालय और पारिवारिक न्यायालयों का अभिलेख कक्ष जैसी संबद्ध इकाइयाँ भी हैं। प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय का न्यायालय, साथ ही दो अतिरिक्त पारिवारिक न्यायाधीशों के न्यायालय, इस भवन में सुचारू रूप से कार्य करते हैं, जो पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए समर्पित है।

एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण)

यह न्यायालय जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के भवन में स्थित न्यायालय परिसर में सुचारू रूप से कार्यरत है। पीठासीन अधिकारी अपने सहायक कर्मचारियों के साथ न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यरत हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएं

न्यायालय परिसर में कई सहायक भवन भी शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर अनुभाग, एडीआर केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, 50 अधिवक्ताओं के कक्ष, लॉकअप और पुलिस चौकी।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय हैदरगढ़ स्थित अपने भवन में कार्यरत है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय रामनगर, फतेहपुर, सिरौली गौसपुर और बाराबंकी तहसीलों में कार्यरत हैं। ये न्यायालय संबंधित तहसीलों में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में कार्यरत हैं, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच सुनिश्चित होती है।



13 कोर्टरूम बिल्डिंग



पारिवारिक न्यायालय



हैदरगढ़



डीजे बिल्डिंग

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	15
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	11
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	08
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	25788	107528	133316	5163	81758	86921	3554	79262	82816	27397	110024	137421
2025	27397	110024	137421	5455	124216	129671	5940	121492	127432	26912	112748	139660

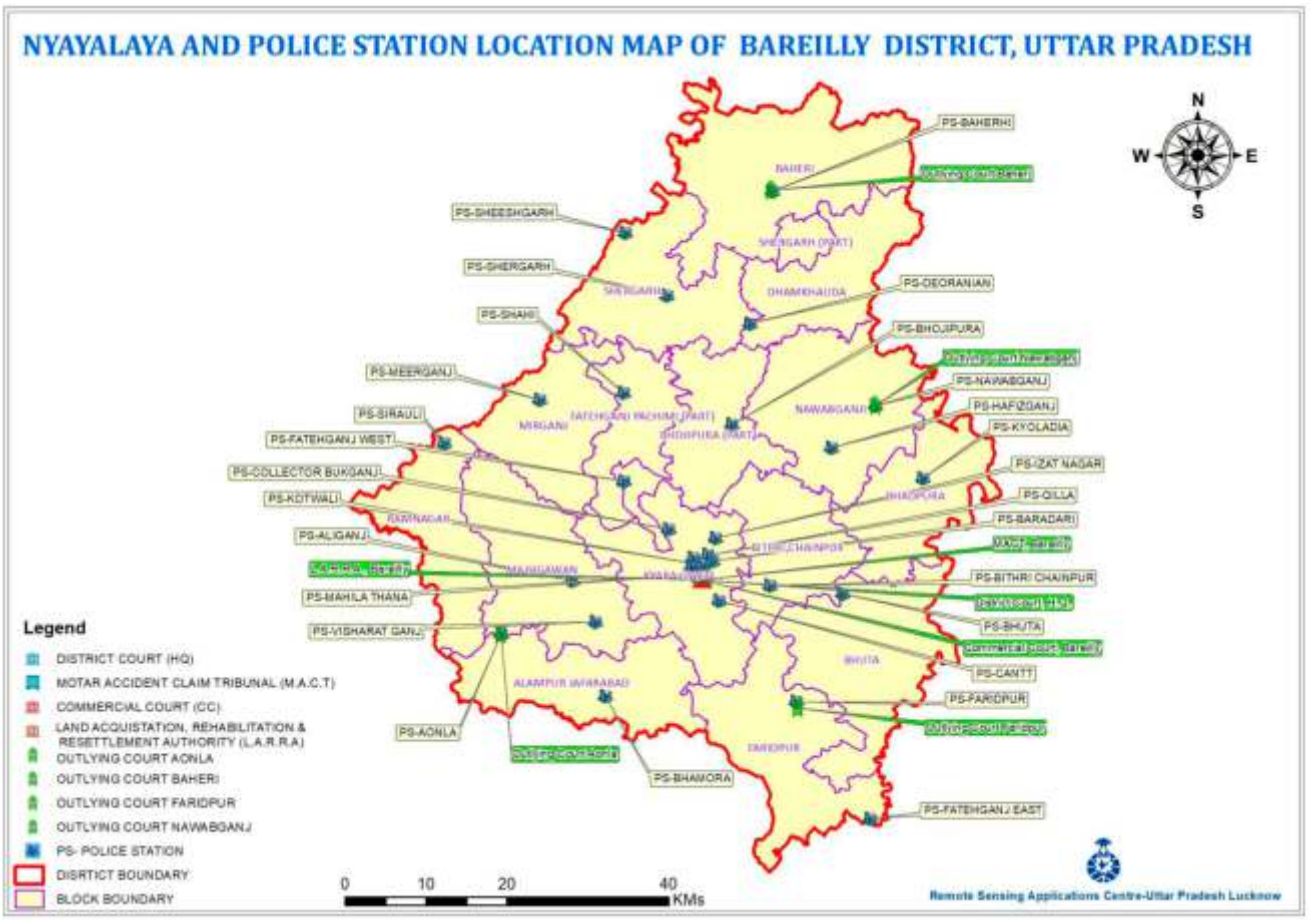
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1714	3232	4946	1608	2305	3913	1472	1921	3393	1850	3616	5466
2025	1850	3616	5466	1633	2301	3934	1583	2016	3599	1900	3901	5801

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1952	488	228	2212
2025	2212	665	382	2495

जनपद न्यायालय बरेली



बरेली का इतिहास अत्यंत समृद्ध है, जो महाभारत काल के पांचाल राज्य से जुड़ा है। ईसा पूर्व के समय से पहले, बरेली जिला उत्तरी पांचाल के राज्य में शामिल था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र के विशाल अवशेष बरेली जिले के आँवला तहसील के रामनगर गाँव के पास पाए गए हैं। अहिच्छत्र से हजारों सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों से कुछ शासकों के नाम ज्ञात हुए हैं जोकि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शासन कर चुके थे। ईस्वी पूर्व सातवीं शताब्दी में भारत आये चीनी यात्री ह्वेनत्सियांग ने अहिचछत्र राज्य का भ्रमण किये जाने का प्रमाण मिलतें हैं और ह्वेनत्सियांग द्वारा इस इलाके को पर्वत की चट्टानों से घिरा हुआ बताया। मान्यता है कि यह द्रौपदी की जन्मस्थली थी।

प्रारंभिक मुगल काल में अब जिसे रोहिलखंड क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र को कटेहर कहा जाता था। मध्यकाल 12 वी शताब्दी में यह इलाका कठेरिया राजपूतों के अधीन आ गया था। उत्तर प्रदेश के इस जिले की स्थापना 1537 में जगत सिंह कठेरिया के बेटों, बासदेव और बरेलदेव ने की थी, जिसे बांस बरेली नाम दिया गया। 1657 में, मुगल फोजदार राजा मुकरंद राय ने वर्तमान बरेली शहर को बसाया एवं विकसित किया था जिसमें जगतपुर, बिहरीपुर और जामा मस्जिद का निर्माण शामिल था। जैसे ही अठारहवीं सदी में मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, यह क्षेत्र शहर रोहिल्लाओं के नियंत्रण में आ गया, इसके बाद 1774 में अवध के नवाब ने इसे अपने कब्जे में लिया और अवध के नवाब द्वारा 1801 में इसे ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था।

ब्रिटिश काल के प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्त्ववेत्ता और ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वर्ष 1862–63 में तहसील आँवला स्थित रामनगर क्षेत्र में कराये गए पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान कई मूर्तियाँ, एक स्तूप, तीन टीले और सिक्के खुदाई के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए। इस क्षेत्र की खुदाई के दौरान संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई शिलालेख प्राप्त हुये जोकि सम्राट आशोक के समय बताये गये तथा गुप्तकालनी सिक्के भी मिले हैं। यहाँ पौराणिक संगीत यंत्र (राजवीणा) का आविष्कार भी होना माना जाता है। 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सिपाहियों ने 31 मई को विद्रोह किया और अधिकांश यूरोपीय नैनीताल की ओर भाग गए और खान बहादुर खान को रोहिलखंड का नवाब नाज़िम घोषित किया गया। 11 जून, 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली चले गए और खान बहादुर खान ने जुलाई 1857 में अपनी सरकार बनाई।

जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहासः

बरेली जजशिप की स्थापना वर्ष 1866 में की गयी थी, जैसा कि सम्माननीय जिला न्यायाधीश कक्ष में उपलब्ध दस्तावेजों में उल्लेख है; श्री हेनरी वी. स्टार को वर्ष 1866 से 1871 तक प्रथम जिला न्यायाधीश होने का सम्मान प्राप्त है। भारत में जिला न्यायालय राज्यों की सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये भारत में जिला स्तर पर न्याय प्रदान करते हैं। जिला न्यायालय के निर्णय सम्माननीय उच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं।

प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। यह राज्य के उच्च न्यायालय के अलावा मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है और जो नागरिक मामलों में अपना क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता से प्राप्त करता है। जिला न्यायालय भी एक सत्र न्यायालय होता है जब यह आपराधिक मामलों पर अपना क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रयोग करता है। जिला न्यायालय की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश के अलावा कई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो सकते हैं जिनका समान क्षेत्राधिकार होता है।

हालाँकि, जिला न्यायाधीश के पास अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायालयों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण नियंत्रण होता है और उन्हें कार्य आवंटन के अधिकार प्राप्त हैं। जब वह नागरिक मामलों की सुनवाई करते हैं, तो जिला और सत्र न्यायाधीश को अक्सर 'जिला न्यायाधीश' कहा जाता है और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, तो उन्हें 'सत्र न्यायाधीश' कहा जाता है। जिले के स्तर पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के नाते, जिला न्यायाधीश को जिले में न्यायिक विकास के लिए आवंटित राज्य कोष का प्रबंधन करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अपने पद के कारण, जिला न्यायाधीश अक्सर जिले में प्रशासनिक प्रमुख के साथ विशेष स्थिति में होते हैं।

जिला न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे एक नजर मेंः

जनपद बरेली मुख्यालय भवन में कुल 53 न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

51 अदालत कक्ष भवन

बरेली जिला अदालत पहले ब्रिटिश युग के दौरान बने एक भवन से कार्यरत थी और उस संरचना का एकमात्र अवशेष बाह्य लॉन में एक खंभा है जिस पर लिखा है जी.टी.एस. स्टैण्डर्ड बैंच मार्क। वर्तमान बरेली जिला अदालत का भवन उसी स्थान पर कई चरणों में बनाया गया है जहाँ ब्रिटिश युग का भवन था। पहले 28 अदालत कक्षों के निर्माण की आधारशिला 16 दिसंबर, 1980 को न्यायमूर्ति चंद्रशेखर प्रसाद सिंह द्वारा रखी गई थी। इसके बाद 23 न्यायालय कक्षों के निर्माण की आधारशिला 30 अगस्त, 1997 को रखी गई थी। इस

प्रकार जिला न्यायालय परिसर में स्थित एकीकृत 51 (जी+2) न्यायालय कक्षों का भवन निर्मित है।

दो कक्षीय त्वरित न्यायालय भवन

त्वरित न्यायालय भवन (एफ.टी.सी.) का निर्माण वर्ष 2003 में किया गया था। इस भवन का उद्घाटन 03.05.2003 को न्यायमूर्ति आई.एम. कुरैशी प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र विभाग, बरेली द्वारा किया गया। इस बिल्डिंग में दो कोर्टरूम, अध्यक्षीय अधिकारियों के चेम्बर, स्टेनोग्राफर्स का कमरा और कार्यालय की सुविधा भी है।

अन्य न्यायालय भवन और सुविधाएँ

जनपद न्यायालय परिसर में कई अन्य भवन भी शामिल हैं, जैसे कि कंप्यूटर कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्डिंग, कैंटीन, लॉक–अप, रिकॉर्ड रूम और पुस्तकालय भवन, डिस्पेंसरी और ए.डीआर. भवन।

बाहय न्यायालय

जनपद बरेली की 05 तहसील आँवला, बहेड़ी, नवाबगंज और फरीदपुर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

तहसील आँवला में दो अदालतें कार्यरत हैं। सिविल जज (जू0डि0) और अपर सिविल जज (जू0डि0)। सिविल जज (जू0डि0) की अदालत की स्थापना 16 जून, 1988 को हुई थी। ये अदालतें आँवला के कोर्ट परिसर से कार्यरत हैं, जिसमें दो इमारतें हैं। पहली इमारत का उद्घाटन न्यायमूर्ति ब्रजनाथ मिश्रा द्वारा 29 जुलाई, 1988 को किया गया था, और दूसरी इमारत का उद्घाटन न्यायमूर्ति पालोक बसु द्वारा 29 अप्रैल, 1993 को किया गया। बहेड़ी में बाह्य अदालत की स्थापना 11 सितंबर, 1995 को हुई थी और अदालत का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.एल. गांगुली द्वारा 19 जनवरी, 1996 को किया गया। फरीदपुर में बाह्य अदालत की स्थापना 14 फरवरी, 2011 को हुई थी और अदालत का उद्घाटन न्यायमूर्ति एस.यू. खान द्वारा 16 अप्रैल, 2013 को किया गया। नवाबगंज में बाह्य अदालत की स्थापना 28 जनवरी, 2008 को हुई थी और अदालत का उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश फर्डिनो इनासियो रेबेलो द्वारा 15 जनवरी, 2011 को किया गया।

मीरगंज में ग्राम न्यायालय

बरेली जनपद की तहसील मीरगंज हेतु ग्राम न्यायालय का सृजन वर्ष 2016 में हुआ था। इस ग्राम न्यायालय की स्थापना तहसील मीरगंज के भवन में की गयी है जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति अजय भनौत, प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र डिवीजन, बरेली द्वारा 28 अक्टूबर, 2025 को किया गया।

जिला राजस्व न्यायालय

कलेक्ट्रेट और राजस्व न्यायालय एक अलग इमारत में स्थित हैं, जो ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी और अब भी वहीं से संचालन जारी है। कलेक्ट्रेट की इमारत उपनिवेशी बंगला शैली की वास्तुकला में बनी है और एक भव्य संरचना है।

वर्तमान कलेक्ट्रेट और राजस्व न्यायालय 1857 के विद्रोह के दौरान निर्मित एक ब्रिटिश कालीन इमारत में स्थापित हैं। कलेक्ट्रेट की इमारत कॉलोनियल बंगला शैली की वास्तुकला में बनाई गई है और यह एक शानदार संरचना है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण और कॉमर्शियल न्यायालय

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनव्यवस्थापन प्राधिकरण और वाणिज्यिक न्यायालय जिला प्रशासन के भवनों से संचालित हो रहे हैं, जोकि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित हैं।



फ्रंट जेएम–द्वितीय, आंवला कोर्ट



कोर्ट रूम जेएम–I



बाह्य न्यायालय बहेरी



ग्राम न्यायालय मीरगंज



कैम्पस बरेली जिला न्यायालय



बाह्य न्यायालय फरीदपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	28	23
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	22	12
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट	21	16
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	4
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार)

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17295	180259	197554	12195	100512	112707	13140	104432	117572	16350	176339	192689
2025	16350	176339	192689	11905	121586	133491	12630	103023	115646	15625	194902	210527

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3775	5035	8810	4471	5394	9865	4231	4822	9053	4015	5607	9622
2025	3995	5607	9602	5058	5211	10269	5114	5394	10508	3939	5424	9363

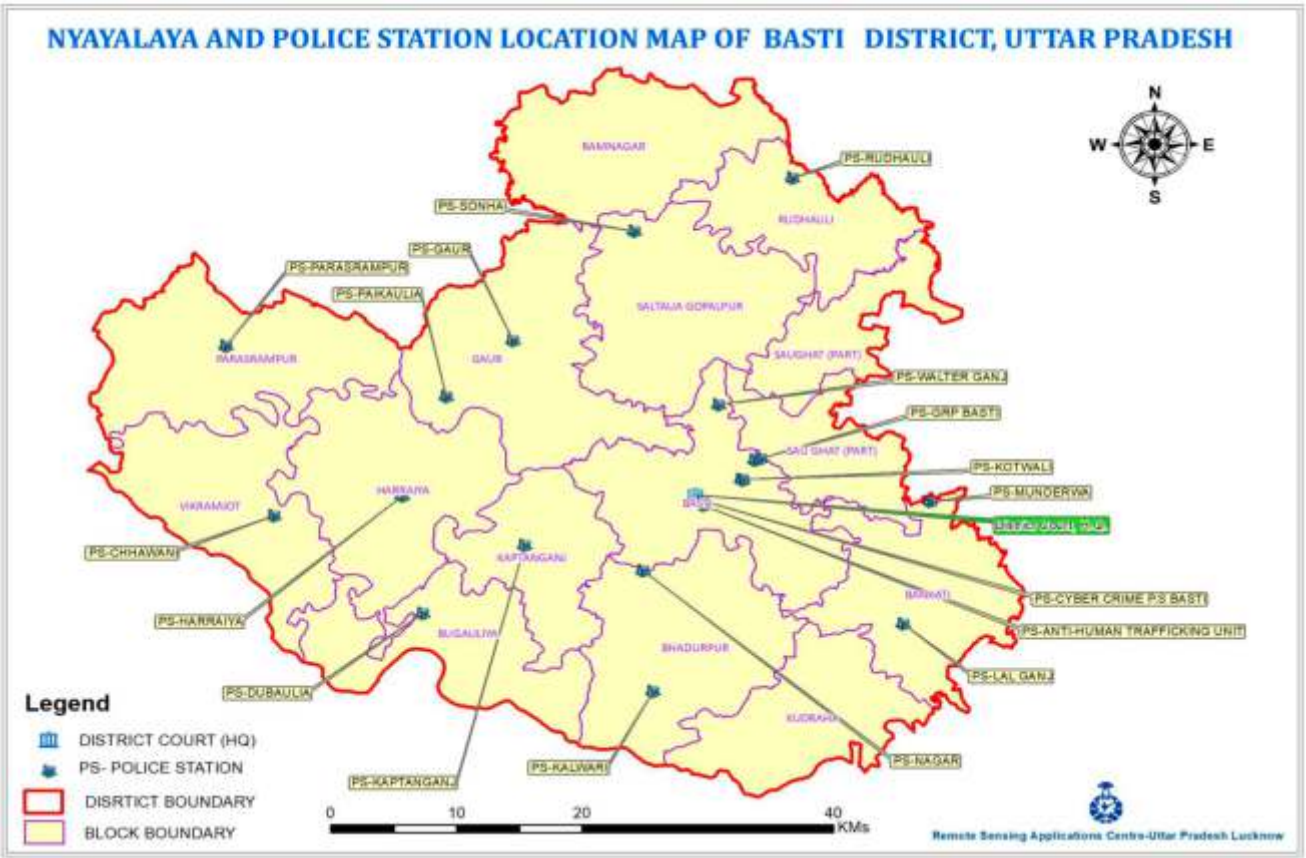
वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	305	68	185	188
2025	188	58	128	118

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	6952	3180	3654	6478
2025	6478	3231	2645	7064

जनपद न्यायालय बस्ती



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहासः

जनपद न्यायालय बस्ती का गौरवशाली इतिहास वर्ष 1801 से आकार लेने लगा, जब बस्ती नगर को गोरखपुर जनपद की एक तहसील का मुख्यालय बनाया गया। उस समय आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए मानद मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते थे, जिनमें से छह मजिस्ट्रेटों की एक पीठ बस्ती मुख्यालय पर बैठती थी। इस पीठ द्वारा बस्ती, कलवारी, रुधौली, सोनहा, बूढ़ा बांध और बरकोनी पुलिस सर्किलों के मामलों की सुनवाई की जाती थी। यह मजिस्ट्रेट राजा बस्ती की उपस्थिति में द्वितीय श्रेणी तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय श्रेणी के अधिकार रखते थे। दो अन्य जमींदारी

सर्किलों में तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट नियुक्त थे। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील गोरखपुर जिला न्यायालय में होती थी, जबकि सत्र वादों की सुनवाई जौनपुर के सत्र न्यायाधीश (गोरखपुर न्यायाधीश के अधीन) द्वारा की जाती थी, जो वर्ष में छह बार बस्ती आते थे।

दीवानी मामलों के लिए वर्ष 1887 में मुंसिफ बांसी तथा 1886 में मुंसिफ बस्ती की अदालतें स्थापित की गईं, जो गोरखपुर न्यायाधीश के अधीन थीं। उस समय बांसी, डुमरियागंज, तप्पा घोषियारी और तप्पा रुधौली मुंसिफ बांसी के अधिकार क्षेत्र में थे, जबकि बस्ती जनपद के अन्य भाग मुंसिफ बस्ती के अधीन थे।

वर्ष 1902 में छोटे मामलों के निस्तारण हेतु 56 ग्राम मुंसिफ नियुक्त किए गए। बाद में 18 मानद मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुए, जिनमें से छह मजिस्ट्रेटों की पीठ बस्ती मुख्यालय पर बैठती थी। इस दौरान सत्र वादों का निर्णय अतिरिक्त उप–न्यायाधीश एवं सहायक उप–न्यायाधीश द्वारा किया जाता था तथा आपराधिक अपीलों की सुनवाई गोरखपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाती थी।

वर्ष 1945 में गोरखपुर जिला न्यायालय से पृथक कर बस्ती में स्वतंत्र जिला न्यायालय की स्थापना की गई तथा स्वतंत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। इसके पश्चात 1946 में मुंसिफ खलीलाबाद तथा 1976 में मुंसिफ नौगढ़ की अदालत स्थापित हुई। वर्ष 1989 में सिद्धार्थनगर जनपद के गठन के बाद 30.03.1990 को सिद्धार्थनगर जिला न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें बांसी, नौगढ़ एवं डुमरियागंज क्षेत्र सम्मिलित किए गए। सिद्धार्थनगर जिला न्यायालय की स्थापना के बाद बस्ती न्यायाधीशीय क्षेत्र में केवल मुंसिफ बस्ती एवं मुंसिफ खलीलाबाद शेष रहे।

न्यायालय भवन एवं आधारभूत संरचना का विवरण

इस न्यायिक अधिष्ठान की आधारभूत संरचना संतोषजनक है। कुल आठ छोटे–बड़े न्यायालय भवन हैं, जिनका निर्माण वर्ष 1896 से अब तक विभिन्न समयों में हुआ है। न्यायिक अधिष्ठान के स्वयं के 05 तथा 03 राजकीय स्वामित्व वाले परिसर हैं, जो एक–दूसरे के निकट स्थित हैं। न्यायालय परिसर के भवनों की प्रास्थिति निम्नवत हैः–

मुंसिफ भवनः

यह बस्ती न्यायिक अधिष्ठाान का सबसे पुराना भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 1896 में हुआ था। इसमें 6 न्यायालय कक्ष हैं। यह भवन स्थापत्य एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

16 कोर्ट भवन (न्याय भवन) :

यह G+2 संरचना वर्ष 2018 में निर्मित है। इसमें 16 न्यायालय कक्षों की क्षमता है, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष एवं कार्यालय कक्ष उपलब्ध हैं। इसमें लिफ्ट की सुविधा भी है।

10 कोर्ट भवनः

यह G+2 संरचना वर्ष 1986 में निर्मित है और इसमें 10 न्यायालय कक्ष हैं। इसमें भी सभी आवश्यक सुविधाएँ एवं लिफ्ट उपलब्ध है।

मुख्य न्यायालय भवनः

यह दूसरा सबसे पुराना भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 1947 में हुआ। इसमें 07 न्यायालय कक्ष हैं। इसी भवन में अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) एवं कोर्ट मैनेजर कार्यालय स्थित है।

अन्य भवन एवं सुविधाएँः

न्यायालय परिसर में एफ.टी.सी. भवन, ए.डी.आर. भवन, प्रशासनिक भवन तथा आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन भी हैं। परिसर में वादकारियों के लिए शेड, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन प्रणाली तथा सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था है। महिलाओं, पुरुषों एवं दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। विद्वान अधिवक्ताओं हेतु पृथक सिविल बार परिसर है।

बाह्य न्यायालय एवं ग्राम न्यायालयः

वर्तमान में बस्ती जनपद में कोई बाह्य न्यायालय स्वीकृत नहीं है। हर्रैया, रुधौली एवं भानपुर तहसीलों में ग्राम न्यायालय तहसील प्रशासन द्वारा तहसील परिसर में ही उपलब्ध कराये गये भवन में स्थापित हैं।

पारिवारिक न्यायालयः

जिला न्यायालय परिसर के 16 कोर्ट भवन में न्यायालय प्रशासन द्वारा आवंटित किये गये दो न्यायालय कक्ष में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तथा एक अतिरिक्त परिवार न्यायाधीश की अदालत का संचालन हो रहा है।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणः

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का भी संचालन जिला न्यायालय परिसर के 16 कोर्ट भवन में हो रहा है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणः

यह प्राधिकरण सिविल न्यायालय परिसर के निकट एक निजी भवन में संचालित है।



मुख्य न्यायालय भवन



मुंसिफ न्यायालय भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	15	9
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	7
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	19	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	25645	90909	116554	5199	74464	79663	6745	80403	87148	24099	84970	109069
2025	24099	84970	109069	11967	41776	53743	11603	39131	50734	24463	87615	112078

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1832	2249	4081	1055	965	2020	1387	1262	2649	1500	1952	3452
2025	1500	1952	3452	1054	913	1967	1257	1145	2402	1297	1720	3017

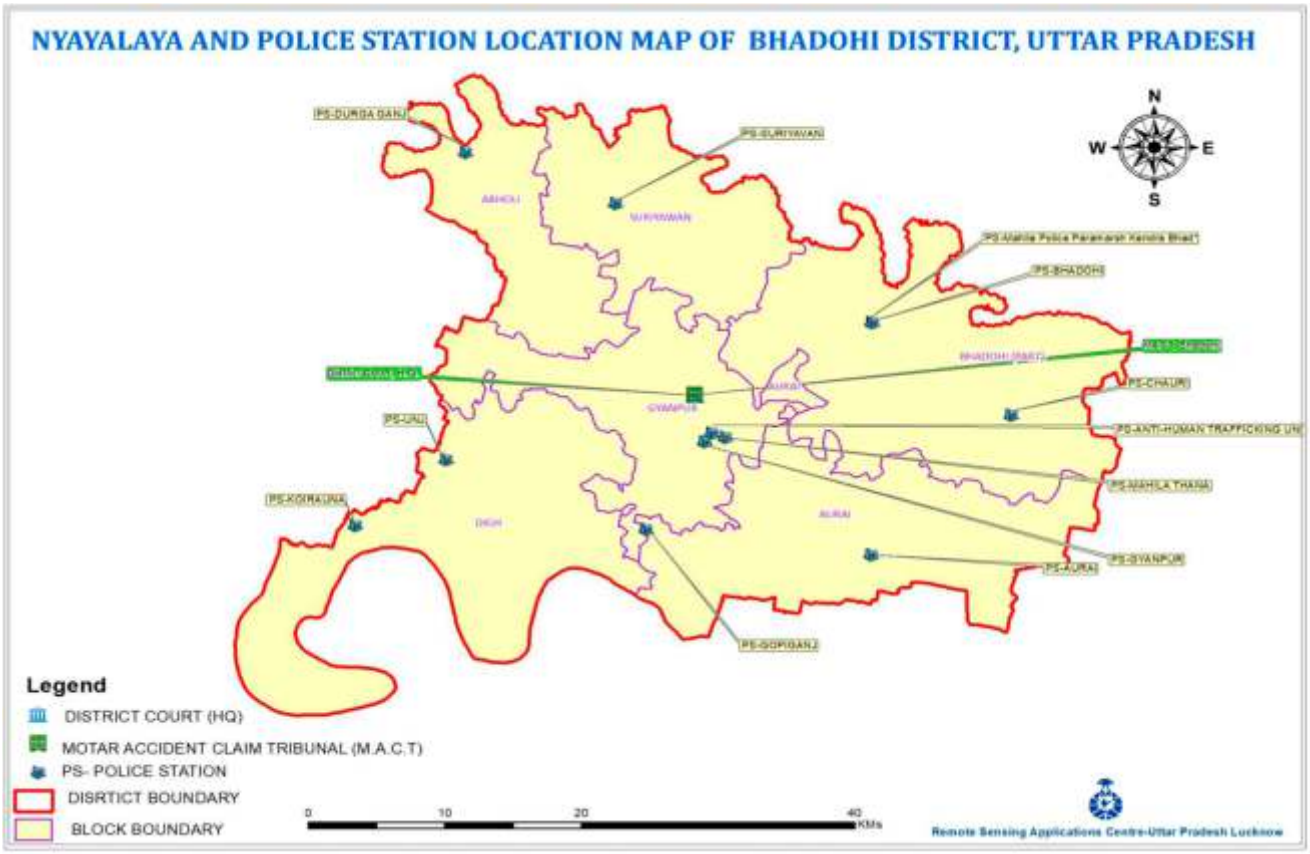
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	924	300	365	859
2025	859	326	275	910

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3	70	13	60
2025	60	29	27	62

जनपद न्यायालय भदोही (ज्ञानपुर)



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

ज्ञानपुर न्यायपालिका की स्थापना 27.10.1794 को तत्कालीन गवर्नर जनरल और बनारस के शासक श्री महीप नारायण सिंह के बीच कानूनी विषयों पर चर्चा के बाद हुई थी। आपसी समझौते के आधार पर तीन परगने बनाए गए, जिनके नाम थे – भदोही, चकिया और ज्ञानपुर। सभी परगनों के दीवानी मुकदमों (सिविल सूट) का फैसला करने का अधिकार बनारस के महाराजा को दिया गया और पहला न्यायालय ज्ञानपुर में स्थापित किया गया; जबकि फौजदारी मुकदमों (आपराधिक मामलों) का फैसला करने का अधिकार मिर्ज़ापुर न्यायालय को दिया गया। स्वतंत्रता के बाद, बनारस रियासत का विलय उत्तर प्रदेश राज्य में कर दिया गया। उस समय, श्री हरिप्रसाद जी गुप्ता पहले सिविल और सत्र न्यायाधीश बने, जबकि श्री राधेलाल अग्रवाल वाराणसी ज़िले के अंतर्गत ज्ञानपुर में पहले मुंसिफ नियुक्त हुए।

जिला न्यायालय भदोही का गठन शासनादेश संख्या 2010/VII–न्याय–2–104जी/94, दिनांक 19 सितंबर, 1995 के माध्यम से किया गया था। भदोही सत्र प्रभाग (सेशन्स डिविजन) 17.02.1996 को अस्तित्व में आया । इसी दिन जिला न्यायालय भदोही के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। उपर्युक्त शासनादेश द्वारा पाँच न्यायालयों की स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, दो और न्यायालयों (अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय) की स्वीकृति सरकारी आदेश संख्या 1328/VII–न्याय–2–98–217/79, दिनांक 03.09.1998 और शासनादेश संख्या यू.ओ. –03/VII–न्याय (बजट)–99–217/79, दिनांक 05 मई, 1999 के माध्यम से क्रमशः प्रदान की गई। जिला न्यायालय भदोही के अस्तित्व में आने से पूर्व, ज्ञानपुर वाराणसी न्यायपीठ का एक वाहय न्यायालय हुआ करता था, जहाँ उस समय 09 न्यायालय कार्यरत थे। जिला न्यायालय भदोही का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भदोही ज़िले के क्षेत्र पर विस्तृत है।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचा

19 न्यायालय कक्षीय भवन

19 न्यायालय कक्षीय भवन सरपतहा, ज्ञानपुर भदोही में स्थित है और यह पूरी तरह से दिव्यांगों के लिए अनुकूल इमारत है, जिसमें 200 किलवाट का ऑन–ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा है। इस नवीन न्यायालय भवन का निर्माण यू०पी०आर०एन०एन०,

मिर्जापुर द्वारा किया गया है और इस न्यायालय भवन का हस्तांतरण 15/12/2020 को हुआ। इस इमारत में अभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के साथ–साथ 16 अन्य न्यायालय भी स्थित हैं। प्रशासनिक कार्यालय, नजारत, रिकॉर्ड रूम (दीवानी और फौजदारी), सर्वर रूम और सी०सी०टी०वी० कंट्रोल रूम भी इसी इमारत में स्थित हैं। कोर्ट परिसर में महिलाओं के लिए 'पिंक टॉयलेट' भी बनाया गया है। इस इमारत में अभी 19 पूरी तरह से काम करने वाले कोर्ट रूम हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के चौंबर, स्टेनोग्राफरों के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयों जैसी संबंधित सुविधाएं भी मौजूद हैं। कोर्ट रूम भूतल और पहली मंजिल पर संचालित होते हैं, जबकि पहली मंजिल पर पुस्तकालय, रिकॉर्ड रूम (दीवानी और फौजदारी) और विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं। इस इमारत में संचालित होने वाले न्यायालयों में अपर जिला जज प्रथम, अपर जिला जज(पाक्सो), अपर जिला जज (त्वरित न्यायालय), अपर जिला जज(स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ), अन्य अपर जिला जज न्यायालय, सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग/त्वरित न्यायालय), और सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय शामिल हैं।

अन्य भवन और सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगी भवन भी शामिल हैं, जैसे कि कंप्यूटर सेण्टर, ए०डी०आर० भवन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष और स्थायी लोक अदालत।



भदोही न्यायपालिका के सामने



मुख्य न्यायिक न्यायाधीश परिसर का लॉन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	10	4
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	7
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	15498	36772	52270	14463	107145	121608	14175	101537	115712	15786	42380	58166
2025	15786	42380	58166	10341	49874	60215	10927	38412	49339	15200	53842	69042

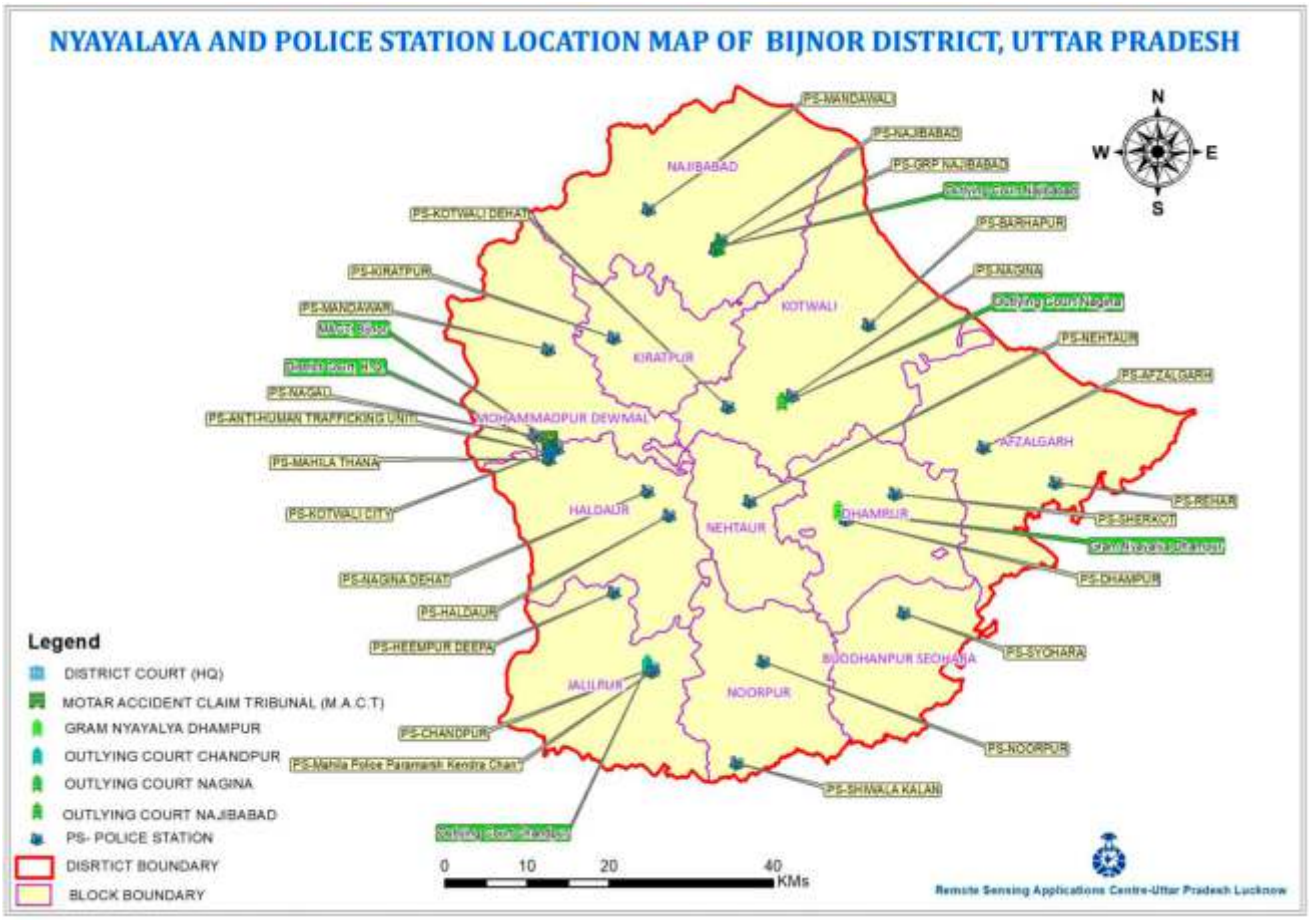
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1034	1362	2396	639	599	1238	476	463	939	1197	1498	2695
2025	1197	1498	2695	720	676	1396	653	598	1251	1264	1576	2840

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	478	357	357	478
2025	478	409	356	531

जनपद न्यायालय बिजनौर



बिजनौर भारत के सबसे शुद्ध जल वाले शहरों में से एक है। यहाँ एक विशाल हरित पट्टी है और इसका स्वच्छ वातावरण एक शांतिपूर्ण माहौल बनाता है। इसके इतिहास में न केवल महाभारत के विदुर की स्मृतियाँ हैं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों जैसे प्रवीण सिंह और रिखी सिंह की कहानियाँ भी हैं। उन्होंने राष्ट्र और उसकी स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

जिले का संक्षिप्त इतिहास

जिले का स्वरूप

बिजनौर का इतिहास वास्तव में एक अलग इकाई के रूप में इसके गठन से शुरू होता है, लेकिन वर्तमान क्षेत्र को ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही लगभग एक जिला उपखंड के रूप में माना गया था। विद्रोह के बाद से बिजनौर का इतिहास अपेक्षाकृत शांत रहा है, केवल समय–समय पर अकाल और भू–राजस्व के संशोधन जैसी घटनाएँ हुईं।

जब 1801 में यह भाग अवध के नवाब वज़ीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया, तब यह जिला

रोहिलखंड नामक क्षेत्रीय विभाजन का हिस्सा था और एक कलेक्टर के अधीन था। प्रारंभ में यह जिला मुरादाबाद कलेक्टरेट के अंतर्गत आता था। 1817 में मुरादाबाद के उत्तरी डिवीजन के नाम से एक नया जिला बनाया गया, जिसका मुख्यालय नगीना में था। पहले कलेक्टर बोसान्क्वेट थे। उनके बाद हैलहेड आए, जिन्होंने 1824 में मुख्यालय को बिजनौर स्थानांतरित कर दिया। यह आधिकारिक रूप से नगीना के अस्वास्थ्यकर होने के कारण बताया गया, लेकिन वास्तविक कारण मेरठ के सैन्य स्टेशन से अधिक दूरी थी।

केवल बिजनौर क्यों

बिजनौर जिला मुख्यालय को नगीना से बिजनौर और फिर वापस स्थानांतरित किया गया। 1898 में उस समय के अंग्रेज कलेक्टर श्री ज़ेड. एम. हेमलेट ने पूरे बिजनौर का दौरा किया। उन्होंने भारत के वायसराय को पत्र लिखकर जिला मुख्यालय को नगीना से बिजनौर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। पत्र में उल्लेखित कारण थे कि बिजनौर और झालू क्षेत्र की भूमि नगीना की तुलना में कम उपजाऊ है और यह क्षेत्र कम आबादी वाला है। बिजनौर गंगा नदी के निकट है और यहाँ जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये केवल औपचारिक कारण थे। वास्तविक कारण यह था कि बिजनौर मेरठ के निकट था, जिससे आपात स्थिति में सशस्त्र बलों को बुलाया जा सके।

हालांकि 1837 तक पुराने नाम को पूरी तरह नहीं हटाया गया और तब जाकर जिले का नाम बिजनौर रखा गया। क्षेत्र में प्रमुख परिवर्तन 1842 में गढ़वाल से तालुका चांदी के स्थानांतरण और 1866 में पहाड़ी क्षेत्र और सबमोंटेन सड़क के बीच के गाँवों के त्याग से हुए। पश्चिमी सीमा पर गंगा नदी की क्रिया से समय–समय पर छोटे परिवर्तन होते रहे।

1905 में जिला मुख्यालय फिर से नगीना से बिजनौर स्थानांतरित किया गया और 1933 में ठाकुर राय बहादुर हुकुम सिंह (ठाकुर सूरज प्रसाद सिंह, हरदोई रियासत के पुत्र) बिजनौर के कलेक्टर थे। स्वर्गीय श्री हुकुम सिंह ने कलेक्टरेट बिजनौर में बार हॉल की नींव रखी। इस बार हॉल का नाम तत्कालीन मुंसिफ श्री नर सिंह के नाम पर रखा गया और यह आज भी अधिवक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

बिजनौर जिला और इसकी विशेषताएँ

बिजनौर जिला मुरादाबाद मंडल के पूर्वी भाग में स्थित है। जिले में 05 तहसीलें हैं– नजीबाबाद, बिजनौर, नगीना, धामपुर और चांदपुर। जिले में 14 विकास खंड हैं– नजीबाबाद, किरतपुर, मोहम्मदपुर देवमल, हल्दौर (खारी झालू), कोतवाली, अफजलगढ़ (कासिमपुर गढ़ी), नेहटौर, अल्लाहपुर, बुधनपुर स्योहारा, जलीलपुर और नूरपुर।

बिजनौर के पाँच आश्चर्य इस प्रकार हैं

1. बिना क्षेत्र वाला राजा (राजा ज्वाला प्रसाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी।)
2. बिना रास्ते की कोठी।
3. बिना घड़ी का घंटाघर।
4. ट्रेन आती और जाती है (नजीबाबाद और बिजनौर के बीच दिन में केवल एक बार चलने वाली एक ट्रेन थी)
5. घास से बना बंगला।

न्यायिक संरचना का प्रारंभ

जिले में न्यायिक प्रणाली का विकास

1956 से पहले बिजनौर और नगीना मुरादाबाद जजशिप के बाह्य न्यायालय थे। 18.06.1956 को सरकारी आदेश संख्या 8122/अपप–678/52 द्वारा बिजनौर जजशिप का गठन किया गया और इस आदेश से दो अस्थायी न्यायालय बनाए गए– एक जिला एवं सत्र न्यायालय और दूसरा सिविल जज का न्यायालय। जजशिप के गठन के बाद अस्थायी मुंसिफ न्यायालय बंद कर दिया गया और सिविल जज न्यायालय में विलय कर दिया गया। बाद में 14.07.1958 के सरकारी आदेश द्वारा इन्हें स्थायी न्यायालय बना दिया गया। बिजनौर के पहले जिला न्यायाधीश श्री आर. सी. दुबे थे।

नगीना का बाह्य न्यायालय 1882 से कार्यरत है और 1956 से पहले यह मुरादाबाद जजशिप के अंतर्गत था।

नजीबाबाद का बाह्य न्यायालय 1983 में स्थापित हुआ, जहाँ प्रारंभ में केवल एक मुंसिफ न्यायालय था।

चांदपुर का बाह्य न्यायालय 2010 में स्थापित हुआ और 10.03.2010 से कार्यरत है। प्रारंभ में यहाँ केवल एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय था।

वर्तमान न्यायपालिका– बिजनौर में निम्नलिखित न्यायालय स्थापित हैं

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय।
2. लघु वाद न्यायालय।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय।
4. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय।
5. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय।
6. सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफटीसी।
7. ग्राम न्यायालय

वर्तमान में बिजनौर जजशिप में 35 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं तथा एक विशेष न्यायालय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत है।

बिजनौर जजशिप का अधिकार क्षेत्र सिविल और आपराधिक मामलों में पूरे जिले तक फैला हुआ है।

न्यायालय भवन की वास्तुकला एवं संरचना

जैसा कि ऊपर उल्लेखित है कि 1956 से पहले बिजनौर और नगीना, मुरादाबाद जजशिप के अधीन बाह्य न्यायालय हुआ करते थे। बिजनौर जजशिप का मुख्यालय बिजनौर शहर में स्थित है। जजशिप का परिसर काशीपुर रियासत से खरीदा गया था और वर्ष 1953–54 में काशीपुर के राजा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। पुरानी इमारत, जिसका उपयोग जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, उनके कार्यालयों तथा सिविल अभिलेख कक्ष के रूप में किया जा रहा है, मूल रूप से काशीपुर रियासत के राजा की थी और इसे एक कैंप कोठी के रूप में उपयोग किया जाता था। यह कैंप कोठी घने जंगल से घिरी हुई थी और सामान्यतः राजा और उनके परिवार द्वारा अवकाश एवं शिकार के लिए उपयोग की जाती थी। इन इमारतों के अलावा, उसी परिसर में नौकरों के क्वार्टर तथा घोड़ों और हाथियों को रखने के लिए अन्य स्थान भी मौजूद थे।

इस पुराने भवन के अलावा न्यायालय परिसर में कई अन्य भवन भी हैं। ये हैं–

1. तीन मंजिला दस न्यायालयों का भवन, जिसका निर्माण 28.07.1981 को पूरा हुआ था। इसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भवन कहा जाता है। इस भवन में भूतल पर एक केंद्रीय हॉल, भूतल और प्रथम तल पर दस न्यायालय कक्ष तथा द्वितीय तल पर न्यायालयों के कार्यालय हैं।
2. तीन मंजिला चार न्यायालयों का भवन, जिसका निर्माण 19.04.2004 को पूरा हुआ था। इस भवन को सिविल कोर्ट्स भवन के नाम से जाना जाता है।
3. फास्ट ट्रैक कोर्ट का भवन, जिसमें दो न्यायालय कक्ष हैं और जिसका निर्माण 19.04.2004 को पूरा हुआ था।
4. एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, जिसका निर्माण 12.12.2015 को पूरा हुआ था।
5. एक मंजिला चार न्यायालय कक्षों का भवन, जिसे सामान्यतः मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन के नाम से जाना जाता है।

बिजनौर मुख्यालय के पुराने भवन की वास्तुकला शैली औपनिवेशिक बंगला है और न्यायालय परिसर के अन्य सभी भवन, बाह्य न्यायालयों सहित, आधुनिक शैली के हैं।

नगीना कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इतिहास बिजनौर मुख्यालय कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक रोचक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिजनौर जजशिप के नगीना स्थित आउटलाइन कोर्ट 1882 से कार्यरत है और 1956 से पहले यह मुरादाबाद जजशिप के आउटलाइन कोर्ट के रूप में कार्य कर रहा था। 1817–1824 के वर्षों में नगीना जिला उत्तर मुरादाबाद का मुख्यालय रहा था। नगीना में न्यायिक व्यवस्था मुगल काल से प्रचलित थी और पुरानी मुंसिफी (दार–उल–क़ज़ा) पुराने नगीना की काज़ी सराय कॉलोनी में स्थित थी। मुंसिफी की यह पुरानी इमारत 1952 तक लगातार उपयोग में रही, जब अदालत को नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि कुंवर भूदेव सिंह, राजा द्वारा दान की गई थी।

नजीबाबाद में आउटलाइन कोर्ट की स्थापना 1983 में की गई थी। प्रारंभ में वहाँ केवल एक ही मुंसिफ अदालत थी।

चांदपुर में आउटलाइन कोर्ट की स्थापना 2010 में की गई और यह 10.03.2010 से कार्यरत है। तब से वहाँ केवल एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत कार्य कर रही है।

बिजनौर न्यायाधीशीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों में बार एसोसिएशन और विधि महाविद्यालय

1956 से पहले, बिजनौर में केवल एक ही बार हुआ करती थी, जो जिला बार एसोसिएशन थी, लेकिन जब बिजनौर एक पूर्ण न्यायाधीशीय क्षेत्र बना, तब सिविल बार एसोसिएशन भी अस्तित्व में आई। बाह्य क्षेत्रों में अलग–अलग बार एसोसिएशन हैं, वे हैं नगिना बार एसोसिएशन, नगिना, नजीबाबाद बार एसोसिएशन, नजीबाबाद और चांदपुर बार एसोसिएशन, चांदपुर।

बिजनौर में कोई सरकारी विधि विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं है, लेकिन बिजनौर में दो निजी विधि महाविद्यालय हैं, कृष्णा कॉलेज और विवेक कॉलेज।

ऐतिहासिक घटनाएँ और मामले

पिछले दशक के दौरान जिले में उल्लेखनीय कोई सामाजिक घटनाएँ रिपोर्ट नहीं की गई हैं। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी नहीं हुईं। सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ पहले की तरह अब भी जारी हैं। साक्षरता की बढ़ती दर और जिले के निवासियों में सामान्य जागरूकता के कारण जीवन शैली में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक विकास के क्रम में, वर्ष 2002 में बाढ़ आई थी, जिसे समय के साथ सामान्य कर लिया गया। पिछले दस वर्षों के दौरान प्रशासनिक विकास में कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ।

बिजनोर की भौगोलिक रूपरेखा

सीमा पारंपरिक है और प्राकृतिक विशेषताओं

द्वारा निर्धारित नहीं है। उत्तरी अक्षांश की चरम समानांतर रेखाएँ 29° 2' और 29° 58' हैं और पूर्वी देशांतर 78° 0' और 78° 57' है। ललितपुर, सबसे उत्तरी बिंदु, से कोटी राव, सबसे पूर्वी कोने तक की दूरी 56 मील (90 किमी) है; और कोटी राव से कंभारिया, दक्षिण–पश्चिमी कोण तक 57 मील (92 किमी); और कंभारिया से ललितपुर 62 मील (100 किमी) है। जिले का कुल क्षेत्रफल समय–समय पर गंगा और रामगंगा की अस्थिर क्रियाओं के कारण थोड़ा बदल सकता हैरू 1906 में यह 1,145,272 एकड़ (1789.5 वर्ग मील, 4634. 75 किमी.) था और पिछले पाँच वर्षों का औसत 1,147,967 एकड़ (4,645.66 किमी.) रहा है।



जिला न्यायाधीश का न्यायालय



चार न्यायालय भवन



बाह्य न्यायालय नजीबाबाद



ग्राम न्यायालय धामपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	13
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	11
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	19	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17289	154800	172089	5600	94773	100373	5008	60514	65522	17881	189059	206940
2025	17881	189059	206940	5545	55956	61501	6394	70379	76773	17032	174636	191668

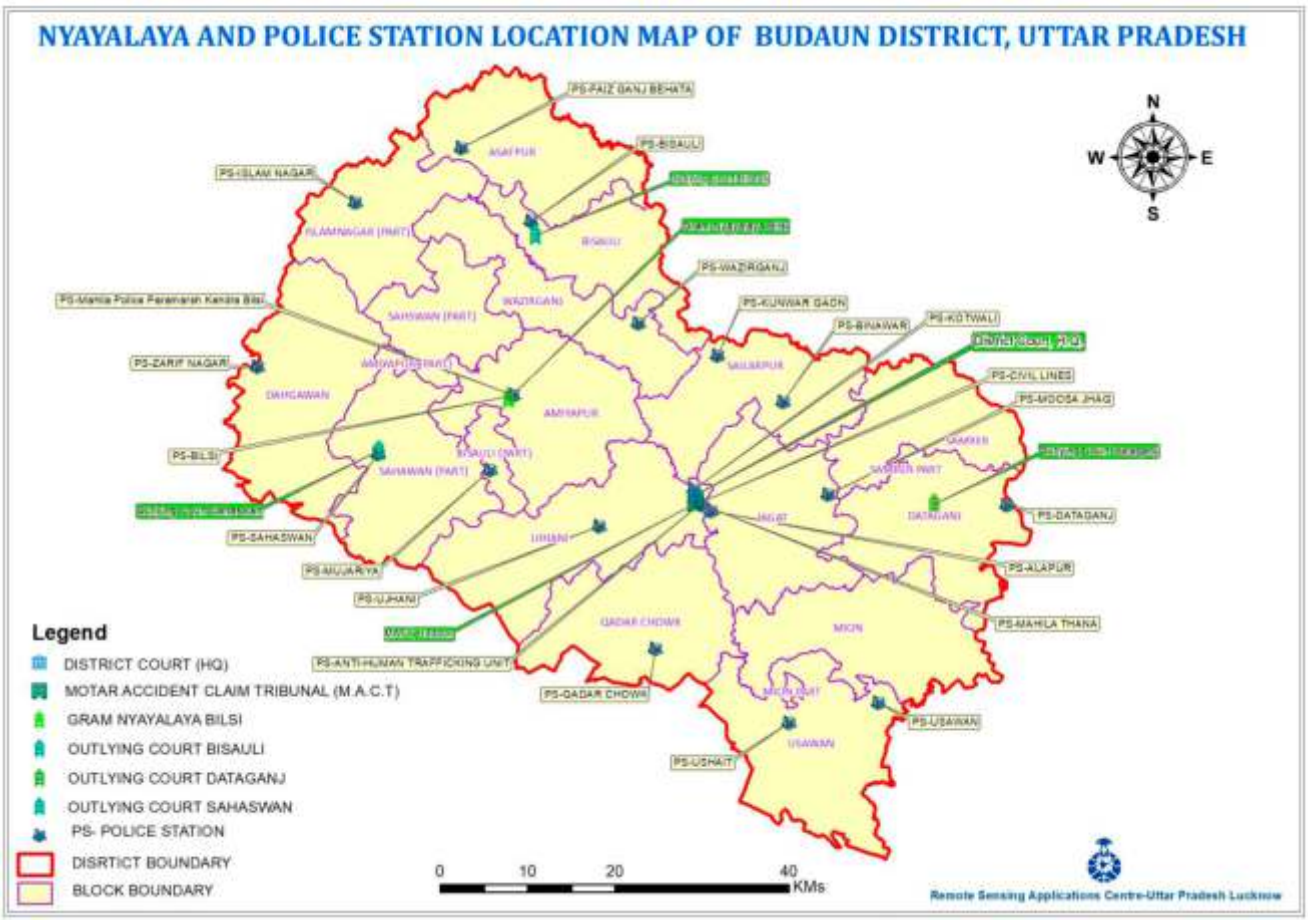
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	4348	2633	6981	3518	1246	4764	3250	1904	5154	4616	1975	6591
2025	4616	1975	6591	2734	1037	3771	4113	1152	5265	3237	1860	5097

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1043	220	235	1028
2025	1028	234	289	973

जनपद न्यायालय बदायूँ



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर बदायूँ (1986) में उल्लिखित जानकारी के अनुसार, बदायूँ जनपद में न्यायिक व्यवस्था का ढाँचा ऐतिहासिक, औपनिवेशिक तथा प्रशासनिक परिवर्तनों के माध्यम से क्रमिक रूप से विकसित हुआ। गजेटियर में उल्लेख है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन अवधियों में न्याय प्रशासन के संबंध में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में एक समान दण्ड संहिता लागू होने से पूर्व, क्षेत्र में आपराधिक न्याय का संचालन मुहम्मदन अपराध विधि के अनुसार किया जाता था, जिसमें काज़ी आपराधिक मामलों में न्यायिक कार्य करता था, जबकि दीवानी मामलों में व्यक्तिगत विधि लागू होती थी। भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पारित होने से न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्योंकि इन अधिनियमों ने विधि का संहिताकरण किया तथा न्यायालयों को एक समान एवं सुव्यवस्थित ढाँचे में न्याय प्रशासन करने में सक्षम बनाया। सन 1801 में ब्रिटिशों द्वारा क्षेत्र के अधिग्रहण के पश्चात जनपद की न्यायिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए। वर्ष 1801 से 1805 के मध्य वर्तमान जनपद दीवानी पक्ष में मुरादाबाद न्यायपालिका के अधीन था। वर्ष 1837 में इसे बरेली न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में रखा गया, और यह व्यवस्था वर्ष 1858 तक जारी रही। इसके पश्चात बदायूँ एवं दातागंज तहसीलों को शाहजहाँपुर के अधीन स्थानांतरित किया गया, जबकि वर्ष 1879 में शेष जनपद को केवल दीवानी मामलों हेतु शाहजहाँपुर के अधीन रखा गया। तथापि, आपराधिक अधिकारिता मुरादाबाद के न्यायाधीश के पास बनी रही, जिन्हें एक अपर सत्र न्यायाधीश का सहयोग प्राप्त था, और वे समय–समय पर जेल डिलीवरी हेतु बदायूँ आते थे। गजेटियर में आगे उझानी, सहसवान, बदायूँ, इस्लामनगर, बिल्सी तथा दातागंज में स्थापित मुंसिफ़ न्यायालयों के गठन एवं पुनर्गठन का भी उल्लेख है, जिनमें प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा लंबित वादों के निस्तारण हेतु समय–समय पर विलय, समाप्ति तथा अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किए गए। वर्ष 1913 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ, जब सम्पूर्ण राजस्व जनपद बदायूँ हेतु पृथक न्यायाधीशी की स्थापना की गई, जिससे इसके न्यायिक संबंध मुरादाबाद तथा शाहजहाँपुर से पृथक कर दिए गए। इसके पश्चात जनपद में जिला न्यायाधीश का स्थायी न्यायालय, एक अधीनस्थ न्यायाधीश (दीवानी न्यायाधीश), तथा मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर अनेक मुंसिफ़ न्यायालय स्थापित रहे। बीसवीं शताब्दी के मध्य तक न्यायिक व्यवस्था में एक जिला न्यायाधीश, एक दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश, एक दीवानी न्यायाधीश तथा अनेक मुंसिफ़ सम्मिलित थे, और कार्यभार के अनुसार समय–समय पर अतिरिक्त न्यायालयों का सृजन किया जाता रहा। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सत्र न्यायाधीश जनपद का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय था, जिसे मृत्युदण्ड प्रदान करने का अधिकार था, जो उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन रहता था। उनकी सहायता हेतु अपर सत्र न्यायाधीशगण, एक सहायक सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुंसिफ़ कार्यरत थे।

वर्तमान न्यायालय परिसर

जिला न्यायाधीश हेरिटेज ब्लॉक एक स्थापत्य एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन है, जो जनपद न्यायपालिका की संस्थागत संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अपनी विरासतगत विशेषताओं तथा दीर्घकालीन उपयोग के कारण यह भवन जनपद की न्यायिक व्यवस्था में विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दीवानी एवं आपराधिक अभिलेखागार कक्ष, अंग्रेजी कार्यालय तथा बिल अनुभाग संचालित हैं, जिससे यह न्यायिक कार्यवाहियों के साथ–साथ आवश्यक प्रशासनिक कार्यों का भी प्रभावी संचालन करता है। यह भवन लगभग 113 वर्ष प्राचीन है तथा पीढ़ियों से निरंतर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य की सेवा करता आया है और आज भी पूर्णतः क्रियाशील है। यह जनपद न्यायपालिका का एक प्रमुख न्यायिक प्रतीक है, जो जनपद की समृद्ध विधिक परंपरा, न्यायिक प्रशासन की निरंतरता तथा स्थायी संस्थागत विरासत का द्योतक है।

न्यायालय भवन एवं आधारभूत संरचना का अवलोकन

सी.जे.एम. ब्लॉक (हेरिटेज भवन)

सी.जे.एम. ब्लॉक भी ऐतिहासिक महत्व का एक हेरिटेज भवन है। भवन के समीप स्थापित एक माइलस्टोन से संकेत मिलता है कि इसका निर्माण संभवतः वर्ष 1913 में हुआ था। वर्तमान में यह भवन लगभग 113 वर्ष प्राचीन है तथा न्यायालय परिसर में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि वर्तमान में भवन में नवीनीकरण कार्य प्रचलित है, तथापि इसकी विरासतगत विशेषताओं को सुरक्षित रखा जा रहा है तथा इसकी मूल संरचनात्मक रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तथापि, कार्यात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा भवन की ऐतिहासिक गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए साक्षियों के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रावधान

किए गए हैं।

जिला जज कोर्ट भवन (हेरिटेज भवन)

जिला जज कोर्ट भवन भी ऐतिहासिक महत्व का एक हेरिटेज भवन है। भवन के समीप स्थापित एक पत्थर से संकेत मिलता है कि इसका निर्माण संभवतः वर्ष 1913 में हुआ था। यह भवन लगभग 113 वर्ष प्राचीन है तथा न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है। वर्तमान में इस भवन में जिला जज का न्यायालय तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालय संचालित हैं।

सिविल जज ब्लॉक भवन (हेरिटेज भवन)

सिविल जज ब्लॉक भवन भी एक हेरिटेज भवन है। भवन के समीप स्थापित एक माइलस्टोन से संकेत मिलता है कि इसका निर्माण संभवतः वर्ष 1913 में हुआ था। यह भवन लगभग 113 वर्ष प्राचीन है तथा न्यायालय परिसर में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में इस ब्लॉक में 6 न्यायालय संचालित हैं।

नौ कक्षीय भवन

यह एक नव–निर्मित जी+2 भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 2024 में पूर्ण हुआ। वर्तमान में इस भवन में नौ पूर्णतः क्रियाशील न्यायालय कक्ष संचालित हैं, जिन्हें विशाल एवं सुव्यवस्थित स्थान व्यवस्था के साथ निर्मित किया गया है। साथ ही, पीठासीन अधिकारियों हेतु विस्तृत कक्ष भी उपलब्ध कराए गए हैं।यह भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है तथा इसमें स्टेनोग्राफरों के कक्ष एवं कार्यालयों सहित सहायक आधारभूत संरचनाएँ भी उपलब्ध हैं। इस परिसर से संबद्ध एक जी+4 अभिलेखागार भवन भी निर्मित है, जो न्यायालयों की अभिलेख संरक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

दस कक्षीय न्यायालय भवन

यह भवन वर्ष 1986 में निर्मित हुआ था तथा इसमें दस न्यायालय कक्ष स्थित हैं। वर्तमान में इस भवन में दस पूर्णतः क्रियाशील न्यायालय कक्ष संचालित हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष तथा अन्य सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। भूतल एवं प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष संचालित हैं, जबकि द्वितीय तल पर पुस्तकालय, नकल अनुभाग तथा विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं। यह भवन न्यायिक आधारभूत संरचना के विस्तार हेतु विकसित किया गया है तथा वादकारियों की सुविधा के लिए इसमें लिफ्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

छःकक्षीय न्यायालय भवन

यह भवन 06 न्यायालय कक्षों सहित निर्मित है, जिसके साथ अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष तथा न्यायालय कार्यालयों सहित आवश्यक सहायक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह भवन न्यायिक आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन एक जी+1 संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 2003 में किया गया तथा दिनांक 09.08.2003 को पूर्ण हुआ। इस भवन में पाँच न्यायालय कक्षों की व्यवस्था है। वादकारियों एवं साक्षियों की सुविधा हेतु भवन में शेड की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

जनपद न्यायालय परिसर में अनेक सहायक एवं समर्थनकारी भवन भी स्थित हैं, जिनमें कम्प्यूटर सेल, ए. डी.आर. केन्द्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, कैंटीन भवन, लॉक–अप एवं सम्मेलन कक्ष, पुराना बैठक कक्ष, पुराना अभिलेखागार कक्ष, सी.सी.टी.वी. नियंत्रण कक्ष तथा वादकारियों हेतु शौचालय सम्मिलित हैं। ये सभी सुविधाएँ न्यायालय परिसर के भीतर स्थित हैं।

बाह्य न्यायालय

सिविल जज (जू० डि०) बिसौली :

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है।

सिविल जज (जू० डि०) सहसवान एवं अपर सिविल जज (जू० डि०) सहसवानः

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तथा अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय स्वयं के भवनों में संचालित हो रहे हैं।

सिविल जज (जू० डि०) दातागंज, बदायूँ :

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय पुराने एस.डी.एम. भवन में संचालित हो रहा है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय तहसील बिल्सी एवं बदायूँ में संचालित हैं। ये न्यायालय संबंधित तहसीलों की बार एसोसिएशनों द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों से संचालित होते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित होती है।



बदायूँ जिला न्यायालय मुख्य भवन



बदायूँ जिला न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ब्लॉक भवन



बदायूँ जिला न्यायालय सिविल न्यायाधीश एसडी ब्लॉक भवन



बदायूँ जिला न्यायालय त्वरित न्यायालय भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	21	16
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	5
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	19	16
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	12087	134882	146969	2412	66637	69049	2450	65088	67538	12049	136431	148480
2025	12049	136431	148480	2919	66842	69761	2791	73025	75816	12177	130248	142425

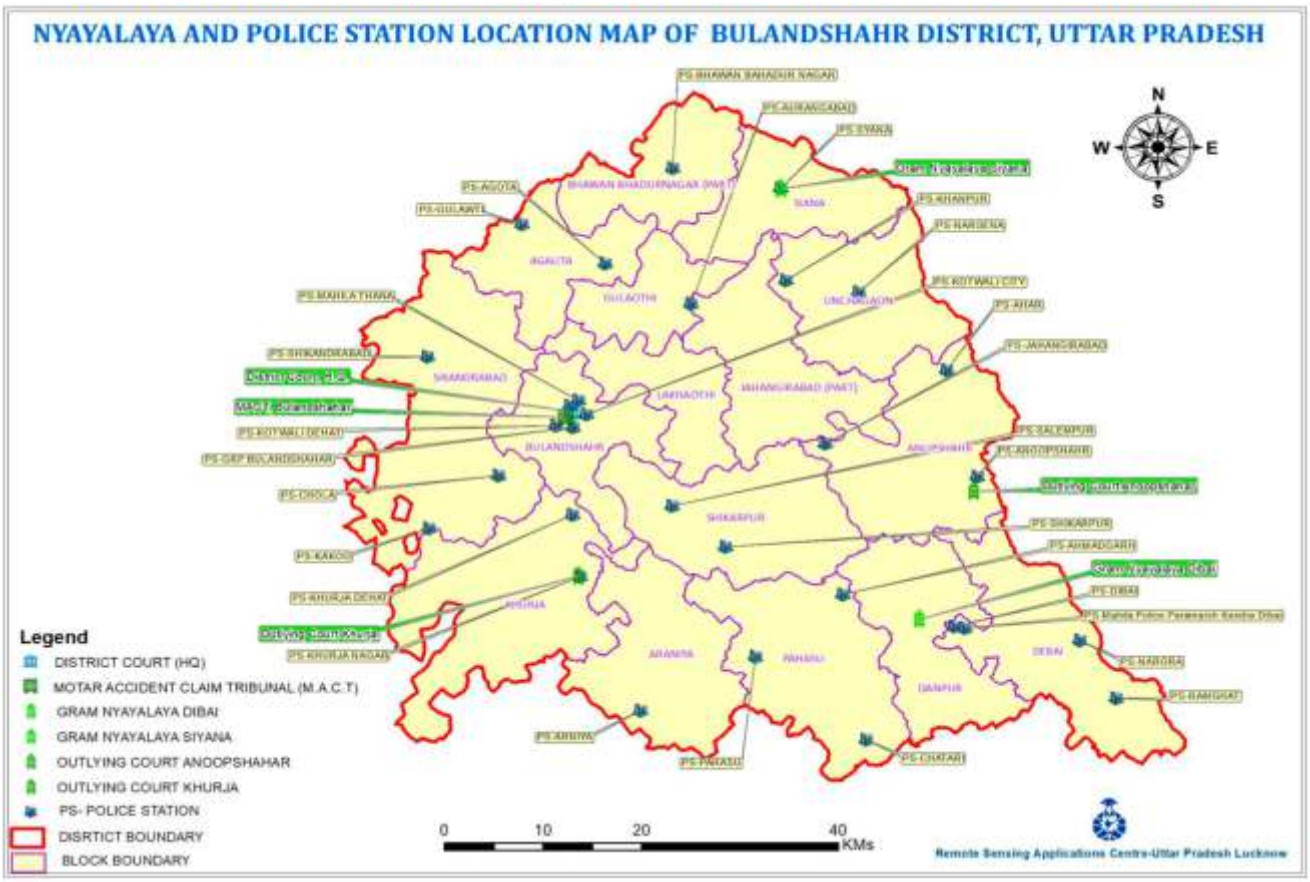
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1431	3582	5013	1129	2748	3877	1187	2529	3716	1373	3801	5174
2025	1373	3801	5174	1029	2533	3562	1198	2767	3965	1204	3567	4771

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2193	1079	1054	2218
2025	2218	1211	1071	2358

जनपद न्यायालय बुलंदशहर



बुलंदशहर में न्याय देने के सिस्टम के विकास का संक्षिप्त इतिहास

100 रुपये से ज़्यादा कीमत के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक नेटिव कमिश्नर नियुक्त किया गया था । उन्हें मुंसिफ और हेड कमिश्नर को सदर अमीन कहा जाता था । बुलंदशहर में एक काज़ी और एक हेड काज़ी और स्याना, डिबाई, खुर्जा और शिकारपुर कस्बों में एक–एक काज़ी तैनात थे ।

1829 में, कोर्ट ऑफ़ अपील और सर्किट को खत्म कर दिया गया और रेवेन्यू कमिश्नर बनाए गए जो सदर निज़ामत अदालत की देखरेख में काम करते थे। रेवेन्यू मामलों में उन्हें बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू गाइड करता था।

1831 में रेगुलेशन V के तहत, मुंसिफों और सदर अमीन की स्थिति में और सुधार किया गया और जिले के लिए एक प्रिंसिपल सदर अमीन का पद भी बनाया गया।

1832 में, मुंसिफ रखने का सिस्टम शुरू किया गया, जैसा कि अभी है। सिविल जज, जिन्हें सदर अमीन और सदर – उस – सदर के नाम से जाना जाता था,

मुंसिफ के साथ ही अपॉइंट किए गए थे। 1835 में कमिश्नर की सभी क्रिमिनल पावर जज को ट्रांसफर कर दी गईं, जो पहली बार सिविल और सेशन जज दोनों बने। जज की मैजिस्ट्रियल पावर कलेक्टर को ट्रांसफर कर दी गईं, जो फिर कलेक्टर / मजिस्ट्रेट बन गए।

इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत आगरा में नॉर्थ – वेस्टर्न प्रोविंस के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया। 1868 में इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर के नाम से जाना जाने लगा, और बुलंदशहर की अदालतें भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आती रहीं।

1869 में, सदर अमीन का ऑफिस खत्म कर दिया गया और प्रिंसिपल सदर अमीन का डेज़िग्नेशन बदलकर सबऑर्डिनेट जज कर दिया गया। 1900 के आस–पास, सोशल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के मकसद से, बुलंदशहर जिले को दो जिलों, अलीगढ़ और मेरठ के बीच बांट दिया गया ।

बुलंदशहर के मुंसिफ के पास शुरू में बुलंदशहर तहसील के अगौता, स्याना और बारां के परगने और अनूपशहर तहसील के अहार और अनूपशहर का सिविल जूरिस्डिक्शन था। इन दो तहसीलों/कस्बों शिकारपुर और डिबाई के बाकी परगने और खुर्जा तहसील खुर्जा के मुंसिफ के जूरिस्डिक्शन में आते थे। इस इलाके पर अपील का जूरिस्डिक्शन अलीगढ़ के सिविल जज के पास था। सिकंदराबाद तहसील गाजियाबाद और मेरठ जिले के मुंसिफ का हिस्सा थी और इस तहसील का सिविल अपील का काम मेरठ के सिविल जज देखते थे।

1901 में पूरे जिले का क्रिमिनल अपील और सेशन का काम पहले मेरठ के जज के पास था, लेकिन 1894 में इसे अलीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया और एक एडिशनल सेशन जज ने 1922 तक बुलंदशहर जिले पर अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल किया, जब जिले में ही एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज नियुक्त किया गया। 1908 में, रिचर्ड ग्रीनर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, ताकि जिले के ज्यूडिशियल स्टाफ को मान्यता दी जा सके। इसने बुलंदशहर में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज और उसके नीचे के जज की नियुक्ति की सिफारिश की।

1922 में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज और सबऑर्डिनेट जज की कोर्ट बनाई गईं। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की चीफ क्रिमिनल कोर्ट थी और उन्हें दो सिविल और सेशंस जज, एक सिविल और असिस्टेंट सेशंस जज और एक एडिशनल सिविल और असिस्टेंट सेशंस जज असिस्ट करते थे। खुर्जा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल) का पोस्ट बनाया गया, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, बुलंदशहर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था ।

जिले में न्यायिक संरचना

यहां 8 स्ट्रक्चरल ब्लॉक हैं, जिसमें कैंपस की बिल्डिंग का सबसे पुराना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जज ब्लॉक है, जिसे 1923 में बनाया गया था। आर्किटेक्चर का ओरिजिनल स्टाइल इंडो–सारासेनिक है, जिसका उद्घाटन साल 1923 में हुआ था।

दस कोर्टरूम बिल्डिंग

टेन कोर्ट बिल्डिंग G + 2 स्ट्रक्चर है जो 1977 में बना था। बिल्डिंग में 10 कोर्ट हैं, साथ ही ऑफिसर्स चौंबर, स्टेनोग्राफर रूम और कोर्ट ऑफिस जैसी यूनिट्स भी हैं। बिल्डिंग लगभग 48 साल पुरानी है।

आठ कोर्ट रूम बिल्डिंग

आठ कोर्ट रूम वाली बिल्डिंग साल 2001 में बनी थी। बिल्डिंग में 08 कोर्ट हैं, साथ ही ऑफिसर्स चौंबर, स्टेनोग्राफर रूम और कोर्ट ऑफिस जैसी दूसरी यूनिट्स भी हैं। बिल्डिंग लगभग 25 साल पुरानी है।

फाइव कोर्ट रूम (एफटीसी) बिल्डिंग

पांच कोर्ट रूम वाली बिल्डिंग साल 2002 में बनी थी। बिल्डिंग में 05 कोर्ट हैं, साथ ही ऑफिसर्स चौंबर, स्टेनोग्राफर रूम और कोर्ट ऑफिस जैसी यूनिट्स भी हैं।

ए.डी.आर. बिल्डिंग

स्थाई लोक अदालत भवन 08. 05. 2010 को तथा एडीआर भवन 2016 में बना।

19– कोर्ट रूम बिल्डिंग .

19 कोर्ट रूम वाली बिल्डिंग साल 2025 में बनी थी । नई बनी ळ + 5 बिल्डिंग में 19 मॉडर्न कोर्ट रूम के साथ–साथ ऑफिसर्स चौंबर, स्टेनोग्राफर रूम और कोर्ट ऑफिस के साथ कैफेटेरिया जैसी दूसरी सुविधाएं हैं। ब्लॉक में चलने वाले कोर्ट में ADJ & I, स्पेशल जज (SC/ST Act) , स्पेशल कोर्ट (MP/MLA), स्पेशल जज (EC Act) और दूसरे ADJ कोर्ट शामिल हैं। बिल्डिंग को ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और पुराने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बोझ कम करने के लिए डेवलप किया गया है।

पारिवारिक न्यायालय भवन

फैमिली कोर्टरूम बिल्डिंग साल 2024 में बनी थी। नई बनी G + 4 बिल्डिंग में चार मॉडर्न कोर्टरूम के साथ–साथ हर फ्लोर पर ऑफिसर्स चौंबर, एक स्टेनोग्राफर रूम, कोर्ट ऑफिस और एक काउंसलिंग रूम जैसी दूसरी सुविधाएं हैं। बिल्डिंग में रिकॉर्ड रूम, एक मीटिंग हॉल और एक क्रेच रूम की सुविधा भी है।

इस बिल्डिंग को ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मौजूदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बोझ कम करने के लिए बनाया गया है। इस बिल्डिंग में प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की कोर्ट के साथ–साथ एडिशनल फैमिली जजों की तीन कोर्ट भी चल रही हैं, जो खास तौर पर परिवार से जुड़े झगड़ों को देखती रहती हैं।

बाह्य न्यायालय

खुर्जा के बाह्य कोर्ट में क्रिमिनल और सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज; एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और एडिशनल सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की कोर्ट हैं।

अनूपशहर की बाह्य अदालतों में भी क्रिमिनल और सिविल अधिकार क्षेत्र है, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज; एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालतें हैं।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय स्याना और डिबाई, बुलंदशहर तहसील में चल रहे हैं। ये कोर्ट संबंधित तहसीलों के बार एसोसिएशन द्वारा दी गई बिल्डिंग से काम करते हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पर न्याय मिलना पक्का होता है।

बुलंदशहर जजशिप में तय हुए कुछ खास केस

जिला जजशिप, बुलंदशहर में ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए, उदाहरण के लिए अब्दुल सलीम और अन्य का फैसला (एस.टी. सं . 7/1948) जिसमें 7 आरोपियों को मौत की सजा दी गई और माया त्यागी केस (एस.टी. सं . 358/1982 राज्य बनाम शिव कुमार) जिसमें मौत की सजा सुनाई गई और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई।



19 कोर्टरूम बिल्डिंग



पारिवारिक कोर्टरूम बिल्डिंग



कैंपस में सबसे पुराना ब्लॉक जिला न्यायाधीश ब्लॉक है



अनूपशहर स्थित बाह्य न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	25	23
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	14
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	22	15
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	04	04
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17786	149272	167058	4615	77613	82228	4249	75450	79699	18152	151435	169587
2025	18152	151435	169587	5728	77904	83632	6097	74338	80435	17783	155001	172784

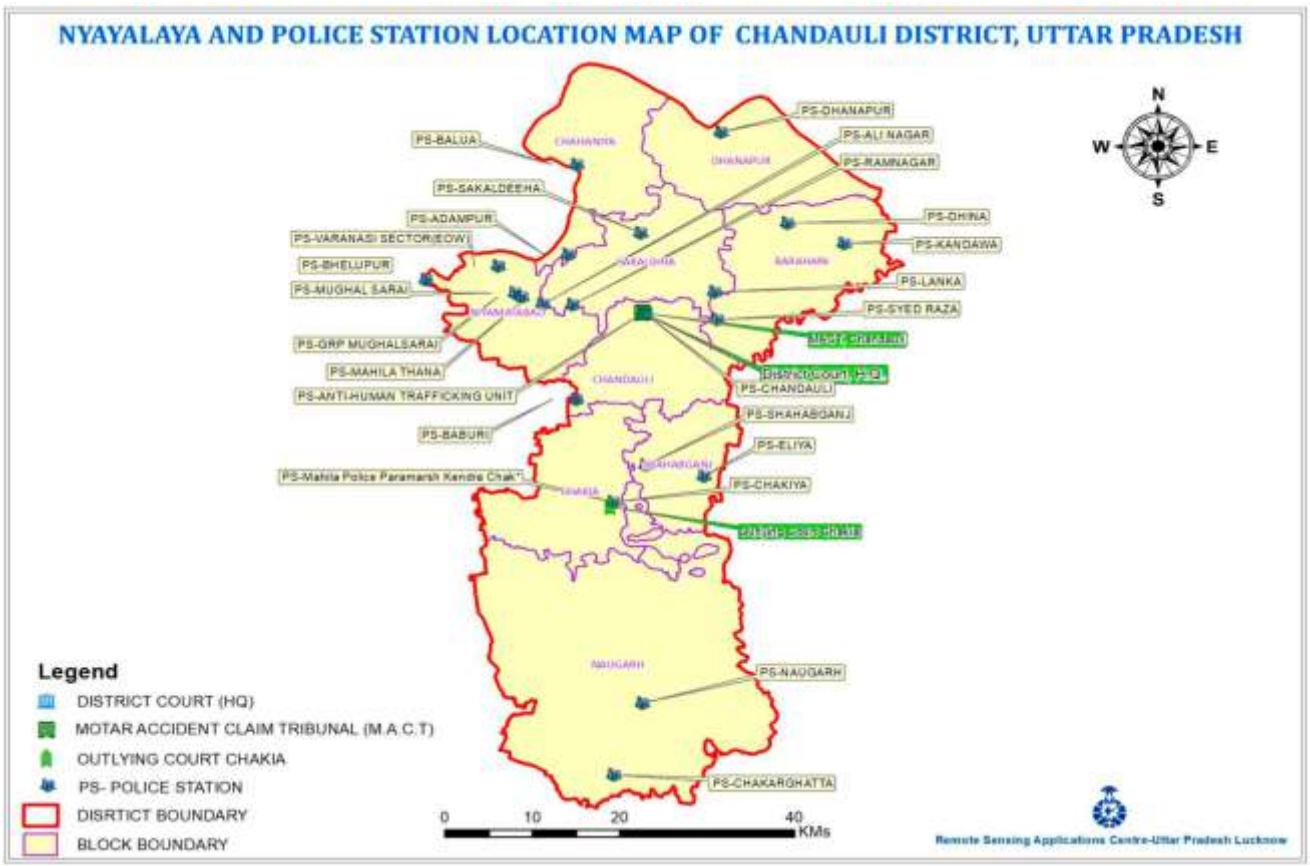
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2950	3045	5995	2423	1787	4210	2408	2318	4726	2965	2514	5479
2025	2965	2514	5479	2434	1707	4141	2695	1738	4433	2704	2483	5187

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	4324	1986	1763	4547
2025	4547	2183	1919	4811

जनपद न्यायालय चंदौली



चंदौली जजशिप का संक्षिप्त इतिहास

जनपद चंदौली की न्यायिक प्रणाली क्षेत्र की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ विकसित हुई है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्तमान चंदौली जिले का न्याय क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायिक नियंत्रण में था। दीवानी और फौजदारी मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालय स्थापित किए गए थे, और यह क्षेत्र निकटवर्ती जनपद वाराणसी, के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था।

1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन भारतीय संविधान के विधि अनुसार किया गया। इस अवधि में चंदौली क्षेत्र से संबंधित न्यायिक कार्य वाराणसी जजशिप के अधीन कार्यरत मुंसिफ न्यायालय द्वारा संपन्न किया जाता था। इस व्यवस्था ने न्यायिक कार्यों की निरंतरता और न्याय के समुचित प्रशासन को सुनिश्चित किया।

चंदौली को अलग जनपद के रूप में स्थापित किए जाने तथा जनसंख्या और न्यायिक कार्यभार में वृद्धि के साथ एक स्वतंत्र जजशिप की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 10 जुलाई 1999 को चंदौली में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की गई। चंदौली जजशिप की स्थापना जिला स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

स्थापना के बाद से जिला एवं सत्र न्यायालय, चंदौली, जिले का प्रमुख न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह विधि के अनुसार दीवानी, फौजदारी एवं सत्र मामलों का निस्तारण करता है। चंदौली जजशिप विधि के शासन को बनाए रखने तथा जिले के नागरिकों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान में चंदौली की जिला न्यायपालिका का अपना स्वतंत्र न्यायालय भवन नहीं है। न्यायालय अस्थायी रूप से तहसील परिसर एवं बीएसए कार्यालय परिसर, चंदौली मुख्यालय में संचालित हो रहे हैं। इन सीमाओं के बावजूद न्यायिक कार्य सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संपन्न किए जा रहे हैं।

वादकारी एवं अधिवक्तागण को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें ई–सेवा केंद्र, ई–फाइलिंग सुविधाएं एवं अभिलेख कक्ष शामिल हैं।

चंदौली में न्यायिक अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 17 जनवरी 2026 को प्राप्त हुई, जब चंदौली में एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास एवं

भूमि पूजन का समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण तथा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। यह आयोजन जिले में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

चंदौली जजशिप विधि के अनुरूप सुलभ, प्रभावी एवं निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए समर्पण के साथ निरंतर कार्यरत है।



चंदौली जिला एवं सत्र न्यायालय


चकिया, चंदौली बाह्य न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	09	06
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	05	03
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	10	06
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	01	01
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	12191	80815	93006	3362	46195	49557	3385	55137	58522	12168	71873	84041
2025	12168	71873	84041	2296	46115	48411	2362	60816	63178	12102	57172	69274

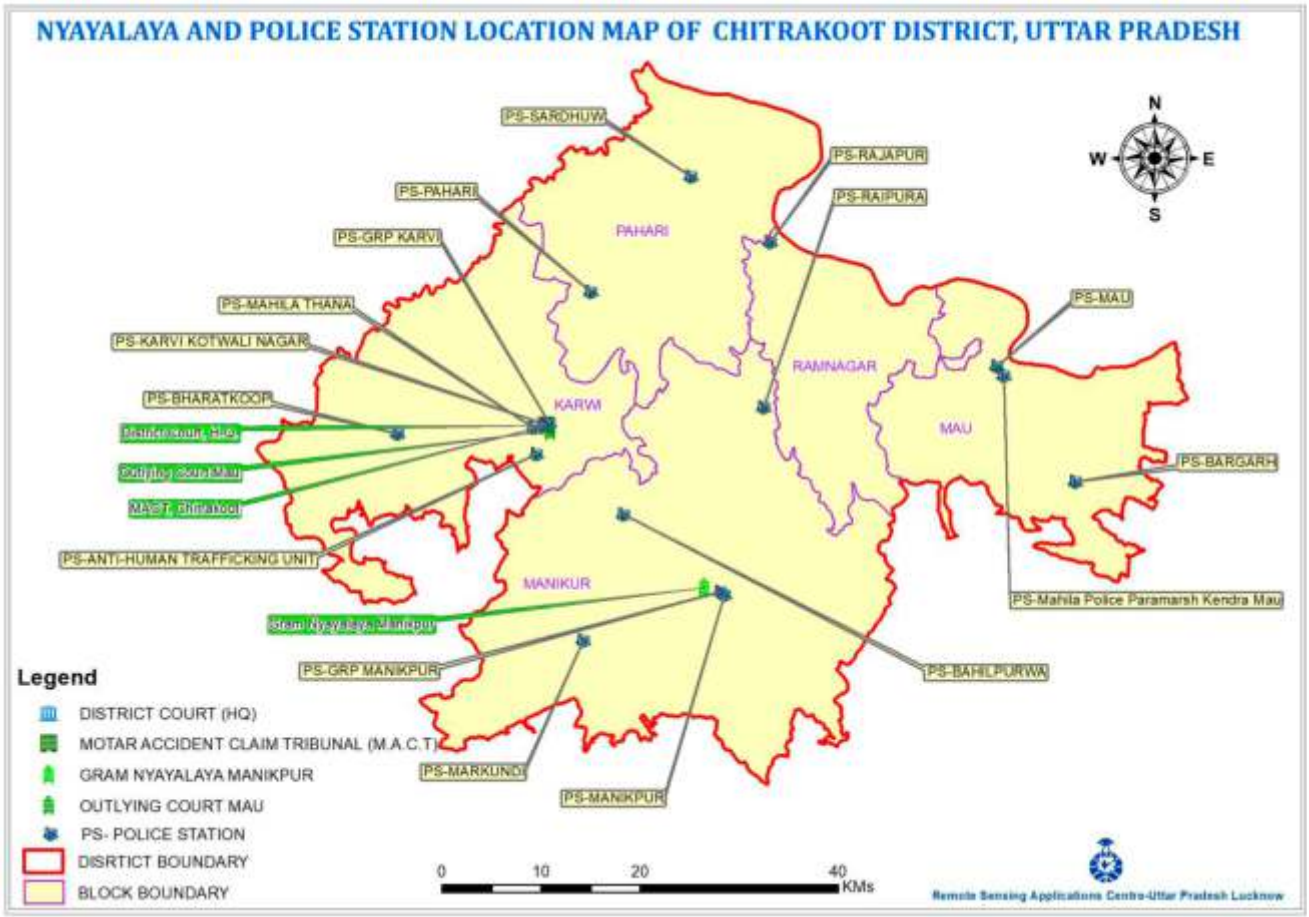
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	864	1759	2623	648	836	1484	649	811	1460	863	1784	2647
2025	863	1784	2647	684	865	1549	496	620	1116	1051	2029	3080

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद		निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	928	627		501	1054
2025	1054	612		594	1072

जनपद न्यायालय चित्रकूट



संक्षिप्त इतिहास

6 मई 1997 को छत्रपति शाहूजी महाराज नगर नाम से एक नया जिला चित्रकूट बनाया गया, जिसमें कर्वी और मऊ तहसीलें शामिल हैं और इसे बांदा जिले से अलग किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कर्वी शहर में है। बाद में 4 सितंबर 1998 को जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। चित्रकूट जिले का छोटा इतिहास, इसके कानूनी बैकग्राउंड और नजरिए में, चित्रकूट जिले के बनने से पहले, चित्रकूट सेशन डिवीजन, बांदा सेशन डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए इसका कानूनी बैकग्राउंड जिले बांदा से काफी जुड़ा हुआ है। हिंदू राजाओं के राज में धर्म के अलावा, कानून के दूसरे आधार भी थे, कॉन्ट्रैक्ट, रीति–रिवाज और शाही नियम। अंग्रेजों के अपने कानून लाने से कई साल पहले, इस इलाके में दूसरे हिस्सों की तरह ही अपराधों का मोहम्मडन कानून लागू था। 19वीं सदी के आखिर तक, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह पास होने से देश के जरूरी और प्रोसिजरल कानूनों में काफी एक जैसापन आ गया था। बांदा और हमीरपुर के दो जिलों में सेशन पावर के साथ डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट बनाया गया था। उनके अंडर एक मुंसिफ भी तैनात किया गया था। 1 अप्रैल, 1913 से, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट खत्म कर दिया गया और कानपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सेशन और सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट बनाया गया। साल 1945 में सेट–अप में और बदलाव किया गया और सेशन और सबऑर्डिनेट जज के कोर्ट को सिविल और सेशन जज के कोर्ट में बदल दिया गया और इसे झांसी के डिस्ट्रिक्ट जज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लाया गया। बांदा में ज्यूडिशियरी का मौजूदा स्ट्रक्चर आजादी के बाद भी जारी रहा और लंबे समय के बाद, दिसंबर 1958 में यहां डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का एक टेम्परेरी कोर्ट बनाया गया और बांदा और हमीरपुर के दो जिलों को बांदा सेशन डिवीजन के अंडर रखा गया। डिस्ट्रिक्ट जज बांदा और हमीरपुर के ऑफिस के मुख्य हेड थे। 1 अप्रैल, 1967 से टेम्परेरी जजशिप को परमानेंट जजशिप में बदल दिया गया, जब बांदा में दो परमानेंट कोर्ट थे, एक डिस्ट्रिक्ट जज की और दूसरी मुंसिफ की।

ज्यूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का प्लान 2 अक्टूबर, 1967 से लागू किया गया और सभी ज्यूडिशियल ऑफिसर सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आ गए। 1 अप्रैल, 1974 से नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल) का नाम बदलकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया और स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, बांदा का कोर्ट, जो तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में था, उसे भी डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में कर दिया गया, और उसका नाम बदलकर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (रेलवे) बांदा कर दिया गया। 8 मई, 1974 से सिविल और सेशन जज का कैडर खत्म कर दिया गया और सिविल और सेशन जज के तौर पर काम करने वाले ऑफिसर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बना दिया गया। साल 1977 में बांदा ज्यूडिशियरी में डिस्ट्रिक्ट जज की एक कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जजों की तीन कोर्ट, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की एक कोर्ट, कर्वी में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की एक कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट की एक कोर्ट और एडिशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट की एक कोर्ट के अलावा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (रेलवे) की कोर्ट थी। नया सेशंस डिवीजन चित्रकूट बनने से पहले, बांदा का एक बाह्य कोर्ट तहसील हेड क्वार्टर, कर्वी में काम करता था, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की 01 कोर्ट, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की 01 कोर्ट, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की 01 कोर्ट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट की 01 कोर्ट थी, यानी कुल 04 कोर्ट थे। इस बीच, सरकार द्वारा एक नया जिला, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर बनाया गया और उसके बाद 19 दिसंबर, 1997 को, सत्र प्रभाग चित्रकूट को जिला बांदा के तत्कालीन बाह्य न्यायालय कर्वी को मिलाकर बनाया गया और उसके बाद, जिला और सत्र न्यायाधीश का 01 न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का 01 न्यायालय, सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) का 01 न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का 01 न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट का 01 न्यायालय, यानी कुल 05 और न्यायालय बनाए गए। समय के साथ, विभिन्न अंतरालों पर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 04 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम का 01 न्यायालय, 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर पर 01–01 न्यायालय), महिलाओं के मामलों की सुनवाई के लिए 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तर पर 01–01 न्यायालय), विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 01 विशेष न्यायालय और बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 01 विशेष न्यायालय, तहसील मानिकपुर में 01 परिवार न्यायालय और 01 ग्राम न्यायालय बनाया गया और इस तरह, जिला मुख्यालय कर्वी में जिला न्यायाधीश रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में 01 परिवार न्यायालय और बाह्य न्यायालय तहसील मऊ में 01 न्यायालय और जिले के तहसील मानिकपुर में 01 ग्राम न्यायालय सहित कुल 24 न्यायालय कार्यात्मक हो गए।

बाह्य न्यायालय, मऊ

मऊ का बाह्य न्यायालर्य एक लोकल ज्यूडिशियल कोर्ट है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर काम करता है। बाह्य न्यायालर्य की दूरी हेडक्वार्टर से 49 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कोर्ट सिस्टम में, किसी जिले में कस्बों या तहसीलों में एक और बाह्य न्यायालय हो सकता है ताकि वहां रहने वाले लोगों के लिए न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन में मदद मिल सके – बजाय इसके कि हर कोई केस फाइल करने या सुनवाई में शामिल होने के लिए मुख्यालय जाए। सिविल जज, मऊ के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का क्षेत्राधिकार है। पुलिस थाना बरगढ़ और मऊ सिविल जज (ज20 डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट), मऊ के क्षेत्राधिकार में आता है।

ग्राम न्यायालय, मानिकपुर

ग्राम न्यायालय, मानिकपुर एक क्षेत्रीय न्यायालय है। यह ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत बनाया गया एक भारतीय कानून है जो गांवों के पास न्याय लाने के लिए बनाया गया है। ग्राम न्यायालय, मानिकपुर हेडक्वार्टर से 29 किलोमीटर दूर है। यह कोर्ट छोटे–मोटे सिविल और क्रिमिनल झगड़ों को लोकल लेवल पर निपटाने के लिए है, ताकि गांव वालों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक दूर न जाना पड़े। ग्राम न्यायालय, मानिकपुर 07 सितंबर, 2020 से काम कर रहा है। ग्राम न्यायालय, मानिकपुर का बनना स्थानीय लोगों के लिए उनके घर तक न्याय के सपने को पूरा कर रहा है। ग्राम न्यायालय, मानिकपुर ने लोकल आबादी की जरूरतों को पूरा किया है और अब उन्हें सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह के छोटे–मोटे मामलों को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना पड़ता।



जिला एवं सत्र न्यायालय



परिवार न्यायालय, चित्रकूट



एक न्यायालय कार्यरत है



ग्राम न्यायालय, मानिकपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	11	5
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	5	5
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	5
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5413	27035	32448	1046	16247	17293	798	13517	14315	5661	29765	35426
2025	5661	29765	35426	1044	15998	17042	1115	17450	18565	5590	28313	33903

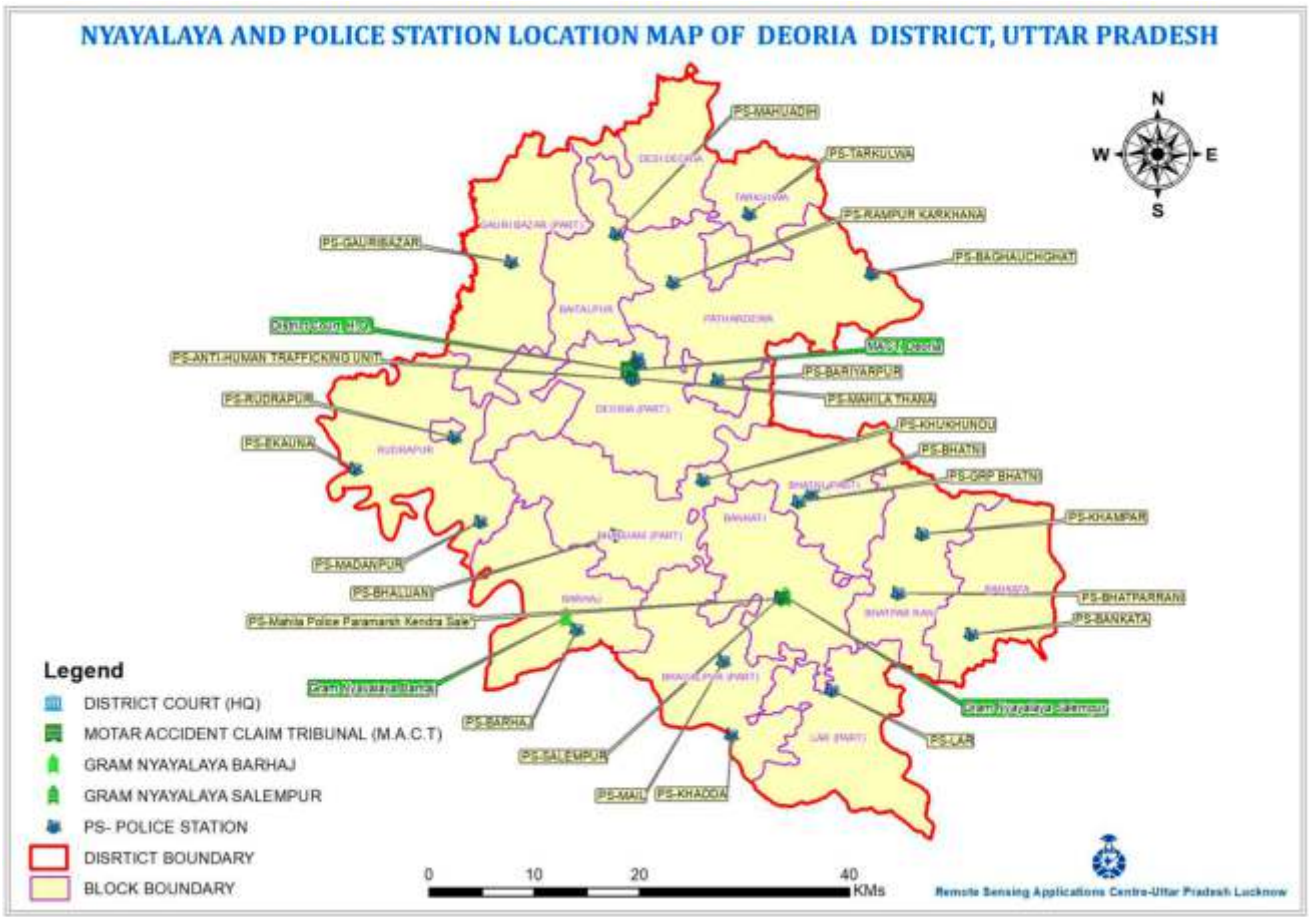
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	428	798	1226	309	318	627	339	320	659	398	796	1194
2025	398	796	1194	340	401	741	367	403	770	371	794	1165

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	619	203	281	541
2025	541	277	258	560

जनपद न्यायालय देवरिया



ज़िले का संक्षिप्त इतिहासः

देवरिया, जिसे प्राचीन काल में 'देवारण्य' या 'देवपुरिया' के नाम से जाना जाता था, मंदिरों की जगह का प्रतीक था–विशेष रूप से ज़िले की 'कुरना नदी' के किनारे स्थित भगवान शिव के मंदिर का। इस ज़िले का वर्तमान क्षेत्र श्कोशल राज्यश का हिस्सा था–जो प्राचीन 'आर्य संस्कृति' का एक प्रमुख केंद्र था; इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 'यंदिका नदी', पश्चिम में 'पांचाल राज्य' और पूर्व में (बिहार का) 'मगध राज्य' स्थित था। इस क्षेत्र से जुड़ी कई कहानियों के अलावा, यहाँ कई जगहों पर पुरातात्विक–ऐतिहासिक अवशेष (मूर्तियाँ, सिक्के, ईंटें, मंदिर, बुद्ध मठ आदि) भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बहुत–बहुत पहले यहाँ एक विकसित और सुव्यवस्थित समाज मौजूद था। इस ज़िले का प्राचीन इतिहास रामायण काल से जुड़ा है, जब 'कोशल नरेश' भगवान राम ने अपने बड़े पुत्र 'कुश' को 'कुशावती' का राजा नियुक्त किया था–जो आज का 'कुशीनगर' है।

महाभारत काल से पहले, यह क्षेत्र चक्रवर्ती सम्राट 'महासुदस्सन' से जुड़ा हुआ था और उनका राज्य 'कुशीनगर' बहुत ही विकसित और समृद्ध था। उनके राज्य की सीमा के पास ही घने जंगलों वाला क्षेत्र 'महा–वन' स्थित था। यह क्षेत्र मौर्य शासकों, गुप्त शासकों और भर शासकों के नियंत्रण में रहा और उसके बाद, वर्ष 1114 से 1154 तक यह गढ़वाल शासक 'गोविंद चंद्र' के अधीन रहा। मध्यकाल के दौरान यह क्षेत्र अवध के शासकों के अधीन था या बिहार के मुस्लिम शासकों के–इस बारे में स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली के शुरूआती शासकों–सुल्तान, निजाम या खिलजी–का इस क्षेत्र पर बहुत कम नियंत्रण था। दिल्ली के सबसे पुराने शासकों–सुल्तान, निज़ाम या

खिलजियों–का इस क्षेत्र पर बहुत कम नियंत्रण था। मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखे गए युद्ध, आक्रमण या चढ़ाई से जुड़े किसी भी वृत्तांत में इस क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता; इसका अर्थ है कि मुस्लिम आक्रमणकारी इस क्षेत्र के घने जंगलों वाले इलाके में शायद ही कभी आए होंगे। इस ज़िले के कई स्थानों ने इसके आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से प्रमुख स्थान हैं–पैना, बैकुंठपुर, बरहज, लार, रुद्रपुर, हाटा, कसिया, गौरीबाज़ार, कप्तानगंज, उधोपुर, तमकुही, बसंतपुर धूसी आदि। गांधीजी ने 1920 में देवरिया और पडरौना की जनसभाओं को संबोधित किया था। बाबा राघव दास ने अप्रैल 1930 में श्नमक आंदोलनश के संबंध में एक आंदोलन शुरू किया था। 1931 में, इस जिले में सरकार और ज़मींदारों के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुए। कई और लोग स्वयंसेवकों के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए और जिले के कई स्थानों पर आंदोलन किया। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1931 में और रफी अहमद किदवई ने 1935 में इस जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान, लगभग 580 लोगों को अलग–अलग अवधियों के लिए जेल भेजा गया था। देवरिया जिला 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। कुशीनगर (पडरौना) जिला मई 1994 में देवरिया जिले के उत्तर–पूर्वी हिस्से को अलग करके अस्तित्व में आया।

जिले का न्यायिक इतिहास

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, देवरिया जिला वर्ष 1946 में अस्तित्व में आया। उससे पहले, 1909 से, देवरिया में न्यायिक कार्य गोरखपुर मुख्यालय के अधीन थी, जिसमें मुंसिफ उप–खण्ड के रूप में बांसगांव भी शामिल था। जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय गोरखपुर मुख्यालय में स्थित था और वहाँ कुछ दीवानी और सत्र न्यायाधीश न्यायालय भी कार्यरत थे। वहाँ तीन सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट थे जिनके पास तीसरी श्रेणी की शक्तियाँ थीं; ये पाडरौना, कसिया और सलेमपुर में एक–एक थे। वहाँ एक स्थायी मुंसिफ और एक अतिरिक्त मुंसिफ थे, जिनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वर्तमान देवरिया जिले के पूरे क्षेत्र पर था। दोनों के पास समवर्ती शक्तियाँ थीं, और उनका आर्थिक क्षेत्राधिकार 5000 रुपये तक का था। 5000 रुपये तक के मूल्य वाले सभी दीवानी मामले देवरिया के स्थायी मुंसिफ न्यायालय में दायर किए जाते थे। अतिरिक्त मुंसिफ केवल उन मामलों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते थे जो उन्हें 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' की धारा 24 के तहत स्थानांतरित किए जाते थे। उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील गोरखपुर के जिला न्यायाधीश न्यायालय में की जाती थी। उस समय देवरिया में कोई सत्र न्यायालय नहीं था; यह गोरखपुर में स्थित था और 1964 में जब देवरिया जिले के लिए 'जिला और सत्र न्यायाधीश' का एक अस्थायी पद सृजित किया गया तब तक देवरिया जिले के पूरे क्षेत्र से संबंधित सभी आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था। मार्च 1974 में इस पद को स्थायी कर दिया गया।

वर्तमान में देवरिया ज़िला न्यायालय

देवरिया को एक अलग ज़िला न्यायिक इकाई के रूप में 12 सितंबर, 1964 को ही मान्यता मिली थी। श्री चंद्र प्रकाश शर्मा इस ज़िले के पहले ज़िला न्यायाधीश थे। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ही ज़िले के मुख्य आपराधिक न्यायालय के प्रमुख होते हैं। उनका न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और 30 के तहत, सभी मजिस्ट्रेटों के निर्णयों के विरुद्ध अपील, संदर्भ और पुनरीक्षण का न्यायालय है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1949 के तहत विशेष न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी हैं। ज़िले में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा सुना सकते हैं। इस न्यायालय के अलावा, दीवानी मामलों के लिए अपर ज़िला न्यायाधीशों के न्यायालय, सिविल जज (सी०डि०) और सिविल जज (जू०डि०) के अतिरिक्त न्यायालय भी मौजूद हैं। वर्तमान में श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और ज़िले में 23 अन्य न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं।

परिवार न्यायालय–

परिवार न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर की 5 आपराधिक न्यायालय भवन में कार्यरत है। यह भवन (G+2) संरचना वाली है। इस भवन के भू–तल पर 2 न्यायालय कक्ष, प्रथम तल पर दो न्यायालय कक्ष और द्वितीय तल पर एक न्यायालय कक्ष स्थित है। देवरिया जजशिप में परिवार न्यायालय का अपना कोई भवन नहीं है। इस भवन के चार न्यायालय कक्ष (दो भू–तल पर और दो प्रथम तल पर) वर्ष 2020 में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के एक न्यायालय और अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के तीन न्यायालयों के लिए निर्धारित किए गए थे। इस भवन के प्रथम तल पर स्थित एक कार्यालय कक्ष को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के कार्यालय के लिए भी निर्धारित किया गया था। वर्तमान में, इस भवन के द्वितीय तल पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट–2 का न्यायालय कार्यरत है। वर्तमान में, श्री बद्री विशाल पांडेय परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हैं।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण–

देवरिया ज़िले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 12.04.2021 से कार्यरत है। यह अधिकरण, नगर पालिका परिषद देवरिया के स्वामित्व वाले भवन में स्थित है, जिसे ज़िला प्रशासन देवरिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, श्री इफ़्तेख़ार अहमद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवरिया के पीठासीन अधिकारी हैं।

न्यायालय भवन–

देवरिया ज़िला न्यायालय शहर के मध्य में स्थित है। न्यायालय भवन के भव्य प्रवेश द्वार की शान सर्वविदित है। वर्तमान में, न्यायालय परिसर में चार अलग–अलग न्यायालय भवन स्थित हैं।

न्यायालय भवनों का इतिहास–

क्रम. सं.	भवन का नाम	स्थापना का वर्ष	भवन की आयु
1.	पुराना सिविल न्यायालय भवन	1958	68
2.	दस कक्षीय न्यायालय भवन	1981	45
3.	फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन	2001	25
4.	पाँच आपराधिक न्यायालय भवन	2008	18

प्रमुख हस्तियाँ–

इस धरती के सपूतों और बेटियों ने कानूनी क्षेत्र में देवरिया ज़िले को प्रसिद्धि और गौरव की ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। माननीय न्यायमूर्ति स्वर्गीय श्री राम वृक्ष मिश्र, जो ज़िले के मईल थाना क्षेत्र के बगहा गाँव के निवासी थे, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन होकर ज़िले को गौरवान्वित किया है। ज़िले के कई अन्य व्यक्तियों को भी इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है; इनमें स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री राम प्रकाश मिश्र, न्यायमूर्ति श्री रंग मिश्र, न्यायमूर्ति अरविंद त्रिपाठी, न्यायमूर्ति अर्धेन्दु शेखर त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री जी.एस.एन. त्रिपाठी, न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति श्री अश्विनी मिश्र शामिल हैं।

न्यायालय भवन

दस न्यायालय कक्षों वाला भवन

यह भवन (G+2) संरचना वाला है। इस भवन में, भू–तल और प्रथम तल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत हैं। भूतल पर एक मीटिंग हॉल, नजारत कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) और न्यायालयों के अन्य कार्यालय कार्यरत हैं। प्रथम तल पर भी विभिन्न कार्यालय कार्यरत हैं, और द्वितीय तल पर प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, लेखा अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अन्य कार्यालय कार्यरत हैं।

पुराना न्यायालय भवन

यह भवन एक मंज़िला संरचना है और इस जजशिप का सबसे पुराना भवन है। इस भवन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर सिविल न्यायाधीश (सी०डि०), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर सिविल न्यायाधीश (सी०डि०), सिविल न्यायाधीश (जू०डि०), सिविल न्यायाधीश (जू०डि०) एफ.टी.सी.–2, सिविल रिकॉर्ड रूम, आपराधिक रिकॉर्ड रूम, जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) का कार्यालय और मजिस्ट्रेट न्यायालयों के अन्य कार्यालय कार्यरत हैं।

परिवार न्यायालय (5 आपराधिक न्यायालय भवन)

5 आपराधिक न्यायालय भवन एक (G+2) संरचना है। भूतल पर 2 न्यायालय कक्ष, प्रथम तल पर दो न्यायालय कक्ष और द्वितीय तल पर एक न्यायालय कक्ष स्थित है। देवरिया जजशिप में परिवार न्यायालय का अपना कोई भवन नहीं है। इस भवन के चार न्यायालय कक्ष (दो भूतल पर और दो प्रथम तल पर) वर्ष 2020 में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के एक न्यायालय और अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के तीन न्यायालयों के लिए निर्धारित किए गए थे। इस भवन के प्रथम तल पर स्थित कार्यालयों में से एक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के कार्यालय के लिए भी निर्धारित किया गया था। वर्तमान में, इस भवन के द्वितीय तल पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट–2 का न्यायालय कार्यरत है।

पाँच ए०टी०सी० न्यायालय भवन

यह भवन एक–मंज़िला संरचना है। इस भवन में अपर सिविल न्यायाधीश (जू०डि०) और सिविल न्यायाधीश (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1 के न्यायालय कार्यरत हैं। इस भवन में निरीक्षण अधिकारी का कार्यालय भी कार्यरत है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, न्यायालय परिसर में ए०डी०आर भवन, वी०सी० कक्ष भवन और सी०सी०टी०वी० नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत हैं।

ग्राम न्यायालय

इस जजशिप में तीन ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं।

बरहज

यह ग्राम न्यायालय अस्थायी व्यवस्था के तहत तहसील परिसर के भवन में कार्यरत है। ग्राम न्यायालय 05.03.2024 से कार्यरत है और श्री विकास वर्मा न्यायाधिकारी हैं।

भाटपार रानी

यह ग्राम न्यायालय अस्थायी व्यवस्था के तहत तहसील परिसर के भवन में कार्यरत है। ग्राम न्यायलारा 14.05.2024 से क्रियाशील है और श्री सिद्दी जय प्रकाश न्यायाधिकारी हैं।

सलेमपुर

यह ग्राम न्यायालय अस्थायी व्यवस्था के तहत तहसील परिसर के भवन में कार्यरत है। ग्राम न्यायालय 13.02.2024 से कार्यरत है। श्री सक्षम शेखर न्यायाधिकारी हैं।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भवनः

देवरिया ज़िले में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 12.04.2021 से कार्यरत है। यह भवन नगर पालिका परिषद, देवरिया के स्वामित्व में है और इसे ज़िला प्रशासन, देवरिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, श्री इफ़्तेख़ार अहमद MACT, देवरिया के पीठासीन अधिकारी है।



दस न्यायालय कक्ष भवन



पांच एफटीसी कोर्ट बिल्डिंग



ग्राम न्यायालय बरहज



ग्राम न्यायालय सलेमपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	9
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	5	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	24	11
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	42046	114993	157039	4231	26455	30686	13321	32066	45387	32956	109382	142338
2025	32956	109382	142338	4729	31291	36020	3227	26622	29849	34458	114051	148509

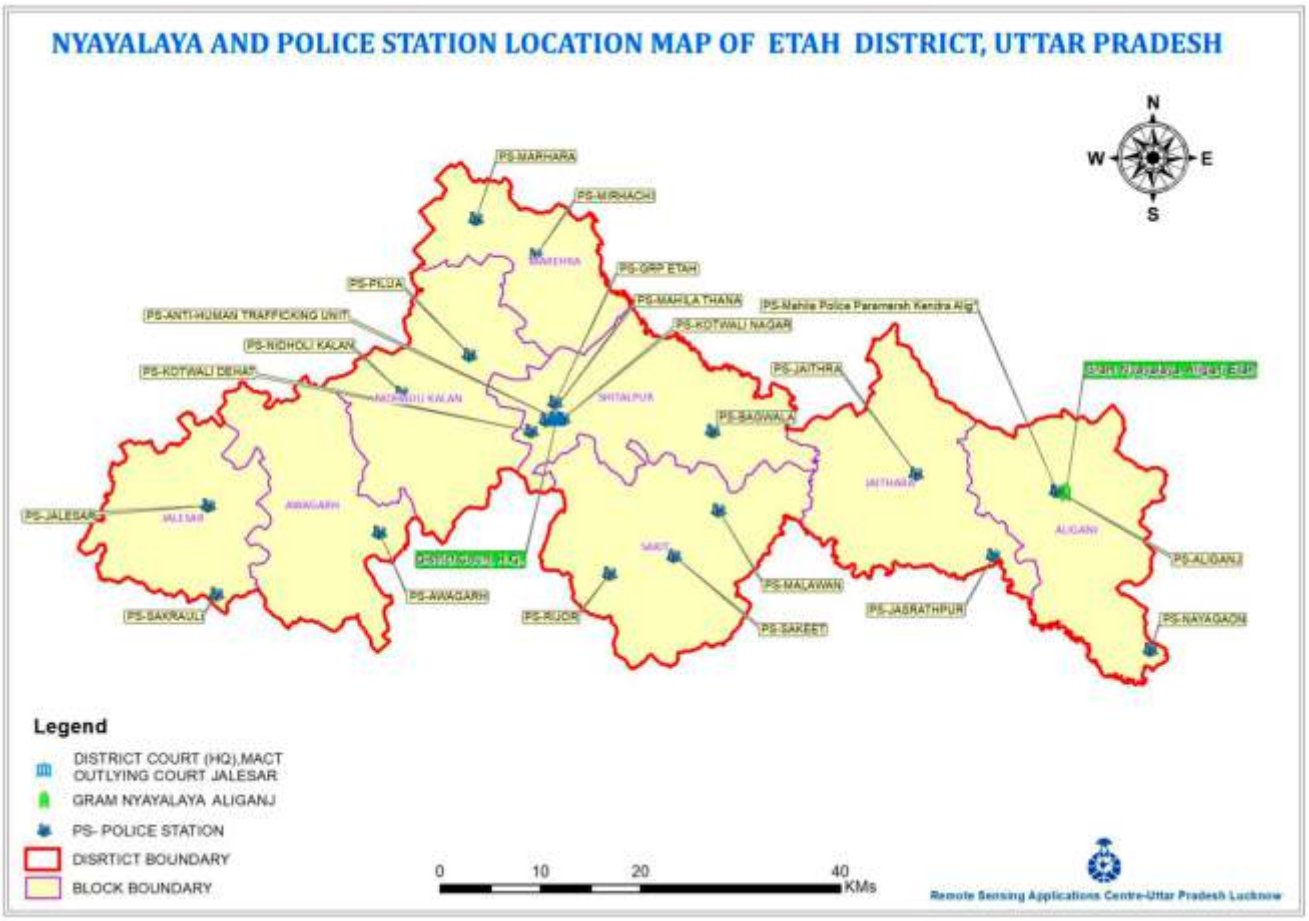
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3023	4825	7848	2121	3942	6063	2819	4165	6984	2325	4602	6927
2025	2325	4602	6927	2450	4686	7136	2546	4524	7070	2229	4764	6993

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	4323	808	630	4501
2025	4501	957	631	4827

जनपद न्यायालय एटा



जनपद न्यायालय एटा की स्थापना का संक्षिप्त इतिहासः

एटा जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अलीगढ़ मण्डल के अंतर्गत स्थित है । इसकी सीमा उत्तर में कांशीराम नगर (कासगंज) और बदायूँ जिलों से, पूर्व में मैनपुरी और फर्रुखाबाद जिलों से और दक्षिण में फिरोजाबाद जिले से लगती है । स्वतंत्रता से पूर्व, एटा की अदालतें अलीगढ़ सत्र प्रभाग (Sessions Division) के अंतर्गत कार्य करती थीं ।

एटा में सिविल जज न्यायालय की स्थापना 18 दिसंबर 1950 को हुई थी, जिसमें श्री एस. डी. शर्मा को प्रथम सिविल जज नियुक्त किया गया था । वर्ष 1951 में, एटा को एक सत्र प्रभाग के रूप में गठित किया गया और श्री के. एल. अरोड़ा को एटा का प्रथम जिला जज नियुक्त किया गया। प्रारंभ में, एटा के अधिकार क्षेत्र में पांच तहसीलें थीं, जिनके नाम एटा (सदर), अलीगंज, जलेसर, कासगंज और पटियाली थे । इसके बाद, 2007 में कासगंज को एटा से अलग कर एक स्वतंत्र जिला बनाया गया ।

वर्तमान में, एटा जिला न्यायालय का एटा (सदर), अलीगंज और जलेसर तहसीलों से संबंधित सभी दीवानी (civil) और आपराधिक (criminal) मामलों में क्षेत्राधिकार है। एटा न्यायपालिका से संबंधित अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मुख्य पीठ द्वारा किया जाता है । तहसील जलेसर के लिए एटा न्यायपालिका का वाह्य न्यायालय है, जो वर्तमान में एटा मुख्यालय के परिसर से ही कार्य कर रहा है ।

ग्रामीण आबादी के लिए सुगम न्याय हेतु वर्ष 2021 में तहसील अलीगंज में एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, एटा जिला न्यायालय ने लोक अदालत और मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के माध्यम से वादों के त्वरित निष्पादन की पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2009 में कंप्यूटर सिस्टम और लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) की स्थापना के साथ एटा न्यायपालिका का कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ । जनवरी 2015 में केंद्रीकृत फाइलिंग (Centralised filing) की शुरुआत की गई और अधिवक्ताओं व वादकारियों की सुविधा के लिए जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू की गई है।

वर्तमान न्यायालय परिसरः

वर्तमान में, दीवानी और आपराधिक न्यायिक अदालतें दो परिसरों से संचालित हो रही हैंः जिला जज कोर्ट परिसर और मुंसिफ कोर्ट परिसर ।

जिला जज कोर्ट परिसरः यहाँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, ए.डी.जे. कोर्ट, सी.जे.एम. कोर्ट, सिविल रिकॉर्ड रूम, इंग्लिश ऑफिस, बिल अनुभाग, नजारत अनुभाग, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, कंप्यूटर अनुभाग, ए.डी.आर. सेंटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थित हैं ।

मुंसिफ कोर्ट परिसरः यहाँ मुंसिफ कोर्ट बिल्डिंग, नई दस कोर्टरूम बिल्डिंग, एफ.टी.सी. कोर्ट बिल्डिंग और ओल्ड सिविल बार बिल्डिंग स्थित हैं।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का अवलोकनः

जिला जज कोर्ट परिसर में स्थित भवनः

जिला जज कोर्ट बिल्डिंगः इसका निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था। इसमें जिला जज का कोर्टरूम, चौंबर और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं।

परिवार न्यायालय (Family Court) भवनः यह एक पुराने भवन में कार्यरत है जो जिला जज कोर्ट बिल्डिंग के पास स्थित है ।पुरानी दस कोर्टरूम बिल्डिंग (अपर जिला जज न्यायालय)रू यह 1980 में निर्मित एक ळ+2 (तीन मंजिला) भवन है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सहित दस कोर्टरूम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं हैं ।

सी.जे.एम. कोर्ट बिल्डिंगः यह 1960 में निर्मित इस न्यायपालिका की सबसे पुराने भवनों में से एक है । इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय कक्ष, उनके सहायक कार्यालय और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष स्थित हैं।

बहुउद्देशीय हॉल गेस्ट–हाउस

यह भवन जी+1 आधारित संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 2024 में किया गया था। इस भवन में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक बड़ा बैठक कक्ष, न्यायिक अधिकारियों के लिए अतिथि गृह, एक व्यायामशाला और अन्य संबंधित सुविधाएं शामिल हैं।

नई दस कोर्टरूम बिल्डिंग (जी+5): जिला न्यायाधीश न्यायालय परिसर में स्थित निर्माणाधीन जी+5 भवन एक बहुमंजिला भवन है जिसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस भवन में कुल दस न्यायालय कक्ष बनाये गये हैं, जिनमें से प्रत्येक मंजिल पर दो न्यायालय कक्ष स्थित हैं, सबसे ऊपरी तल (पांचवीं मंजिल) को कार्यालय उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है।

मुंसिफ कोर्ट परिसर में स्थित भवनः

मुंसिफ कोर्ट बिल्डिंगः यह एटा न्यायपालिका का सबसे पुराना भवन है, जिसका निर्माण स्वतंत्रता से पहले हुआ था। वर्तमान में इस भवन में एटा के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय संचालित है। भवन की संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखने के साथ–साथ समकालीन न्यायिक कार्यात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर अवस्थापना कार्य किया जाता है।

नई दस कोर्टरूम बिल्डिंग (मुंसिफ परिसर): मुंसिफ कोर्ट परिसर में स्थित नए दस कोर्ट रूम भवन का निर्माण वर्ष 2000 में किया गया था। यह भवन एक जी+2 संरचना है जिसमें दस कोर्ट रूम के साथ–साथ पीठासीन अधिकारी के विश्राम कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष, कार्यालय और रिकॉर्ड रूम संबद्ध हैं।

अन्य भवन और सुविधाएंः न्यायालय परिसर में कई अन्य भवन भी शामिल हैं, जिनमें एफ.टी.सी. गेस्ट हाउस–पुस्तकालय भवन शामिल है, जहाँ ए.डी.आर. केंद्र कार्यरत है, साथ ही लॉक–अप और मालखाना, ई–सेवा केंद्र तथा दीवानी व आपराधिक रिकॉर्ड कक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त एक कंप्यूटर कक्ष का निर्माण वर्ष 2011 में किया गया और वर्ष 2016 से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन को संचालित किया जा रहा है।

ग्राम न्यायालय

वर्ष 2021 से तहसील अलीगंज में एक ग्राम न्यायालय संचालित है, जिसका उद्देश्य धरातल पर न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्तमान में ग्राम न्यायालय एक किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, नए ग्राम न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।



पुराना दस कोर्टरूम भवन



नया दस कोर्टरूम भवन (ग्राउंड 5)



मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नया दस कोर्टरूम भवन



मुख्य न्यायाधीश न्यायालय भवन



मुंसिफ कोर्ट भवन



बहुउद्देशीय हॉल सह गेस्ट हाउस भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	10
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	8
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	13	12
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	11152	68033	79185	2513	47482	49995	2273	49396	51669	11392	66119	77511
2025	11392	66119	77511	2841	52006	54847	3839	53888	57727	10394	64237	74631

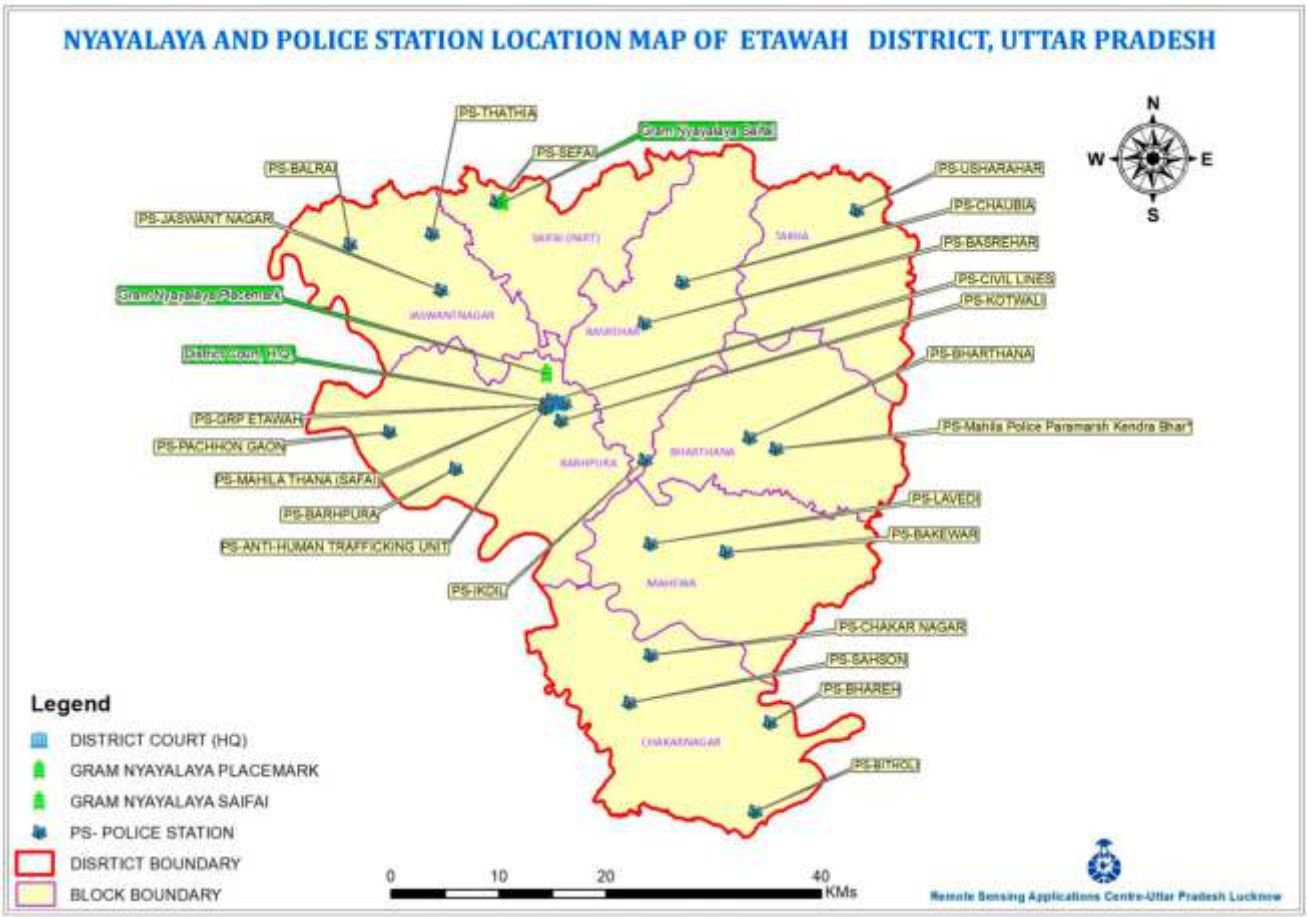
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1695	3684	5379	715	764	1479	1246	1829	3075	1164	2619	3783
2025	1164	2619	3783	695	805	1500	624	761	1385	1235	2663	3898

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2910	1012	949	2973
2025	2973	1226	1214	2985

जनपद न्यायालय इटावा



स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जिला न्यायालय, इटावा शहर में रेलवे स्टेशन एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के निकट स्थित है। स्वतंत्रता–पूर्व काल में इटावा, जनपद मैनपुरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता था। उस समय इटावा एवं फफूंद के लिए पृथक मुंसिफ न्यायालय स्थापित थे। बाद में मुंसिफी का विस्तार करते हुए बिधूना एवं औरैया तहसीलों को सम्मिलित किया गया, जबकि अन्य तहसीलें इटावा मुंसिफी के अंतर्गत रहीं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय वर्ष 1902 में स्थापित हुआ तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय वर्ष 1926 में स्थापित किया गया।

इटावा को मैनपुरी जनपद के अधिकार क्षेत्र से अलग कर 1 अगस्त 1958 से एक स्वतंत्र न्यायाधीशीय जनपद (श्रनकहमैीपच) के रूप में स्थापित किया गया। तब से यह अपने क्षेत्राधिकार में दीवानी एवं आपराधिक मामलों का निस्तारण कर रहा है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन), औरैया का न्यायालय 26 जून 1989 को जिला न्यायालय इटावा के आउटलाईंग कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन 17 सितंबर 1997 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.के. मुखर्जी, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, इटावा द्वारा किया गया।

तत्पश्चात 17 सितंबर 1997 को औरैया एवं बिधूना तहसीलों को इटावा से अलग कर एक नया जनपद औरैया बनाया गया। इसके बाद 25 जून 1998 को जिला न्यायालय औरैया का गठन किया गया।

जिला न्यायालय इटावा के अंतर्गत दो ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं:

- **ग्राम न्यायालय, सैफई** – उद्घाटन दिनांक 27 अक्टूबर 2021
- **ग्राम न्यायालय, चकरनगर** – उद्घाटन दिनांक 24 नवंबर 2021

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), इटावा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), इटावा की स्थापना जिला बार एसोसिएशन भवन में अस्थायी

रूप से की गई। यह 05 अक्टूबर 2019 से कार्यरत है तथा जनपद इटावा के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावों के निस्तारण का कार्य करता है।

परिवार न्यायालय, इटावा

परिवार न्यायालय, इटावा की स्थापना जिला न्यायालय परिसर स्थित दस न्यायालय कक्ष भवन में की गई। यह 22 मई 2013 से पारिवारिक मामलों के निस्तारण हेतु कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त परिवार न्यायालय (ADJ स्तर) भी स्थापित किया गया है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) भवन में कार्य कर रहा है।

जिला न्यायालय, इटावा के भवनों का इतिहास

जिला न्यायालय परिसर में कुल छह प्रमुख भवन स्थित हैं:

दस न्यायालय भवन :– इस भवन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र, न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद / तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, इटावा द्वारा 22.03.1977 को किया गया था। यह भवन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, प्रसासनिक कार्यालय, बिल अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग तथा न्यायालयों के कार्यालयों को समाहित करता है।

नवीन दस न्यायालय भवनः– इस भवन का उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री देवप्रिया महापात्रा द्वारा 28.03.1998 को किया गया था। इस भवन में एडीजे, सीजेएम, सिविल जज (एसडी) एवं सिविल जज (जेडी) न्यायालय कार्यरत हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवनः– इस भवन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मी बिहारी, न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद / तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, इटावा द्वारा दिनांक 16.02.2003 को किया गया था। इस भवन में अतिरिक्त परिवार न्यायाधीश, एडीजे/एफटीसी तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ श्रेणी की अदालतें कार्यरत हैं।

4. अस्थायी न्यायालय कक्ष

दो अस्थायी न्यायालय कक्ष (पोर्टेबल केबिन) का उद्घाटन 30.08.2025 को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह द्वारा अस्थायी व्यवस्था के तहत न्यायालय कक्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया।

5. अन्य महत्वपूर्ण भवन

न्यायालय परिसर में निम्न सहायक भवन भी स्थित हैं:

- कंप्यूटर अनुभाग
- एडीआर (वैकल्पिक विवाद निस्तारण) केंद्र
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष
- अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम)
- पुस्तकालय
- नजरात
- ई–सेवा केंद्र

नवीन परियोजनाएँ एवं विकास (2024–25)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो प्रमुख परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं:

लिफ्ट की स्थापना – दिव्यांग व्यक्तियों, वृद्ध वादकारियों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु

पिंक टॉयलेट – महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समर्पित

इसके अतिरिक्त, दो अस्थायी (पोर्टेबल) न्यायालय कक्षों का भी उद्घाटन किया गया है, जिससे न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके।



एफटीसी भवन



नया टेन कोर्ट भवन



सेंट्रल नजारात



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष



कंप्यूटर केंद्र



पुस्तकालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	17	12
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	9	9
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	13	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	11887	62030	73917	2587	53257	55844	3207	60336	63543	11267	54951	66218
2025	11267	54951	66218	2687	50043	52730	2561	48563	51124	11393	56431	67824

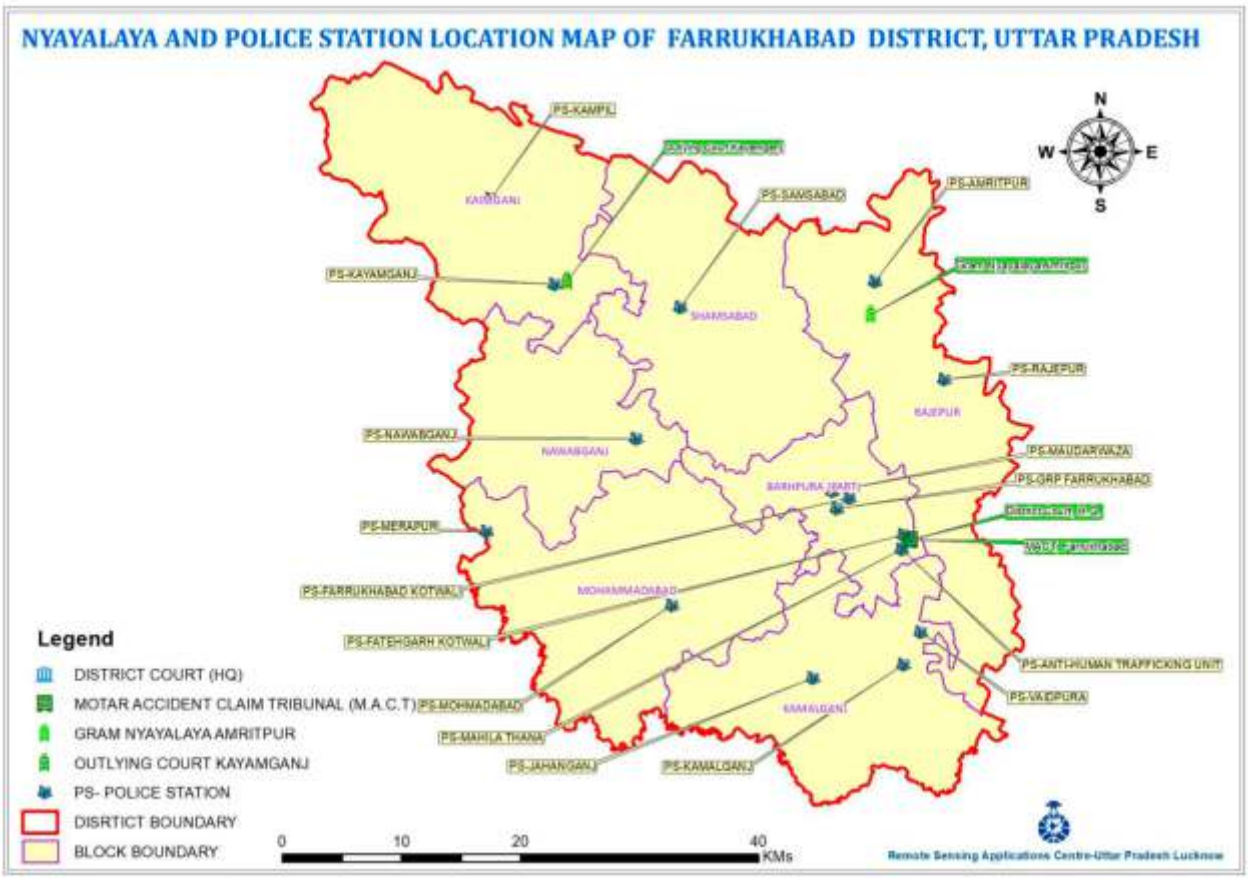
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1373	2322	3695	1094	1505	2599	1225	1795	3020	1242	2032	3274
2025	1242	2032	3274	1251	1502	2753	1206	1261	2467	1287	2273	3560

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	4021	826	292	4555
2025	4555	880	891	4544

जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

फर्रुखाबाद एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी समृद्ध संस्कृति गंगा जमुनी तहज़ीब की परंपरा से परिभाषित है। इस शहर की स्थापना नवाब मोहम्मद खान बंगश (लगभग 1665–1743) ने 1714 में की थी और इसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट फर्रुखशियर के नाम पर रखा गया। सन् 1773 में फर्रुखाबाद का पूरा इलाका अवध के नवाब वज़ीर के नियंत्रण में आ गया। अवध के नवाब आसिफुदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फैजाबाद की संधि में यह सहमति बनी कि कंपनी की सेनाएं अवध राज्य के क्षेत्रों में तैनात रहेंगी, जिसके परिणामस्वरूप सन् 1777 में फतेहगढ़ छावनी की स्थापना हुई, जो फर्रुखाबाद शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। सन् 1802 में जब अवध के नवाब वज़ीर ने मध्य दुआब को कंपनी को सौंप दिया, तो फर्रुखाबाद के नवाब के अधीन आने वाले परगनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम इसके प्रमुख शहर के नाम पर फर्रुखाबाद रखा गया।

जिले का राजकोषीय इतिहास 24 जून 1802 को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे जाने के साथ शुरू होता है। फतेहगढ़ तब सौंपे गए प्रांतों के आयुक्तों के बोर्ड का मुख्यालय बन गया, यह निकाय पूर्ववर्ती वर्ष में रोहिलखंड के सौंपे जाने पर स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता माननीय हेनरी वेलेस्ली ने की थी। बोर्ड के आदेशों के तहत जिले का प्रबंधन फतेहगढ़ में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपा गया था। श्री ग्राहम मर्कर फर्रुखाबाद जिले के लिए गवर्नर जनरल के पहले प्रतिनिधि थे।

प्रथम जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वर्ष 1802 में हुई थी, जिनका नाम श्री जेम्स थॉमस ग्रांट था।

इस जिले को फर्रुखाबाद कहा जाता है और इसका मुख्यालय फतेहगढ़ में स्थित है। फतेहगढ़ का नाम गंगा नदी के किनारे स्थित एक पुराने किले से लिया गया है। यह किला वर्तमान में फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में आता है और फतेहगढ़ छावनी में तैनात राजपूत रेजिमेंट का मुख्यालय है। जिला न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय आदि फतेहगढ़ में स्थित हैं, जो फर्रुखाबाद का जुड़वां शहर है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (1866): जब 1866 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना हुई, तो फर्रुखाबाद जिला न्यायालय अंततः इसके प्रत्यक्ष

पर्यवेक्षण के अधीन आ गया, जहां यह आज भी है।

आज, फर्रुखाबाद न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसका नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश करते हैं, जो जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों, सिविल न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं।

क्षेत्राधिकारः यह संस्था फर्रुखाबाद जिले के सभी क्षेत्रों के लिए दीवानी, आपराधिक और पारिवारिक मामलों को संभालती है।

वर्तमान न्यायालय परिसर

फर्रुखाबाद न्यायपालिका भवन में स्थित दो ब्लॉक (डीजे और सीजेएम) को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1704/प्रशासन, जी–II खंड दिनांक 25.10. 2010 के माध्यम से विरासत भवन घोषित किया गया है (फोटो संलग्न हैं)।

1807 में, सरकार ने जज मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए चार्ल्स बाथर्स्ट का घर 12000 रुपये में खरीदा था और यह आज भी जिला न्यायाधीश का न्यायालय भवन है। चार्ल्स बाथर्स्ट और जेम्स बाथर्स्ट, नमक अधीक्षक रॉबर्ट बाथर्स्ट के पुत्र थे। रॉबर्ट बाथर्स्ट, बाथर्स्ट, बुश एंड कंपनी में वरिष्ठ भागीदार थे, जिसने 1791 में फतेहगढ़ में अपना व्यवसाय शुरू किया था। 1835 में न्यायालय भवन का स्थान संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय जज मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवन के पीछे था। यह भवन आज भी फर्रुखाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अभिलेख कक्ष, अंग्रेजी कार्यालय और नजारत अनुभाग स्थित हैं, इस प्रकार यह न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को पूरा करता है।

इस भवन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीछे स्थित अधीनस्थ न्यायाधीशों के न्यायालय, पीठासीन अधिकारियों के कक्ष और आशुलिपिकों के कक्ष स्थित हैं। यह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है और अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए न्यायिक प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता आ रहा है।

न्यायालय भवनों व अवसंरचना का अवलोकन

12 न्यायालय कक्ष भवन (न्याय भवन) :

12 न्यायालय कक्षों वाली इस भवन का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री हृदयनाथ सेठ ने 10 मई 1986 को किया था। वर्तमान में इस भवन में 12 पूर्णतः कार्यरत न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ भी हैं। भूतल और प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष कार्यरत हैं, जबकि द्वितीय तल पर पुस्तकालय और विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं। यह भवन लगभग 39 वर्ष पुराना है। इस भवन में कार्यरत न्यायालयों में एडीजे–I, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), विशेष न्यायाधीश (डीएए), विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), एडीजे (एफटीसी), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) और अन्य एडीजे न्यायालय शामिल हैं।

पारिवारिक न्यायालय भवन :

जिला न्यायालय परिसर में स्थित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का भवन पूर्व में स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन में कार्यरत है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन जिला न्यायाधीश श्री सच्चिदानंद शुक्ला ने 18 जून, 2004 को किया था। इस भवन में न्यायालय कक्ष के साथ–साथ अधिकारी कक्ष और आशुलिपिक कक्ष जैसी संबद्ध इकाइयाँ भी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन 2014 से प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के रूप में कार्यरत है।

चार अस्थायी न्यायालय कक्ष भवन :

जिला न्यायालय परिसर का क्षेत्रफल अत्यंत सीमित होने और वहां कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, परिसर के भीतर ही चार अस्थायी न्यायालय कक्षों और कक्षों का निर्माण पूरा किया गया। इनका उद्घाटन समारोह 18.03.2023 को तत्कालीन जिला न्यायाधीश श्री अश्वनी त्रिपाठी द्वारा संपन्न किया गया। कनिष्ठ प्रभाग के न्यायिक अधिकारी वर्तमान में इन वैकल्पिक न्यायालय कक्षों में कार्य कर रहे हैं।

ए.डी.आर. भवन :

जिला न्यायालय परिसर के मध्य भाग में एक अलग और नया एडीआर भवन स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फर्रुखाबाद डिवीजन के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश श्री योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने 05.08.2023 को किया था। वर्तमान में, जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव सभी संबंधित गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

पुरुष और महिला लॉकअप की स्थापना :

पुरुष और महिला लॉकअप की स्थापना वर्ष 2023 में की गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन जिला न्यायाधीश

श्री अश्वनी त्रिपाठी ने 18.03.2023 को किया था। पुरुषों और महिलाओं के लिए लॉकअप अलग–अलग हैं, और इनमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पीने का पानी और स्नानघर जैसी सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएं:

न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगात्मक भवन भी शामिल हैं जैसे कि कंप्यूटर सेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, स्कैनिंग केंद्र, लेखा विभाग, ई–सेवा केंद्र, कैंटीन, अधिवक्ताओं के कक्ष, फर्रुखाबाद बार एसोसिएशन भवन।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण न्यायालय:

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण 2 जून, 2020 से फर्रुखाबाद जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यरत है। उक्त भवन में न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारी का कक्ष और कार्यालय कार्यरत हैं।

बाह्य स्थिति न्यायालय:

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय बहुत ही सीमित क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में, न्यायालय कक्ष एक बहुत पुरानी इमारत में चल रहा है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय, नजरात, पीठासीन अधिकारी का कक्ष और कंप्यूटर कक्ष अन्य छोटी इमारतों में संचालित होते हैं।

ग्राम न्यायालय:

ग्राम न्यायालय वर्तमान में तहसील अमृतपुर भवन की दूसरी मंजिल पर कार्यरत है, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। इसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, फर्रुखाबाद डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा 05.08.2023 को किया गया था। न्यायालय के लिए फिलहाल कोई अलग भूमि उपलब्ध नहीं है।



12 न्यायालय कक्षों वाली इमारत


पारिवारिक न्यायालय भवन


विरासत भवन



नया एडीआर भवन


पुरुष और महिला लॉकअप


मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण



ग्राम न्यायालय, तहसील अमृतपुर



चार अस्थायी न्यायालय कक्ष और कक्ष

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	12
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	8
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	17	15
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	15637	77111	92748	2671	35078	37749	3346	32417	35763	14962	79772	94734
2025	14962	79772	94734	3104	35455	38559	4761	35355	40116	13305	79872	93177

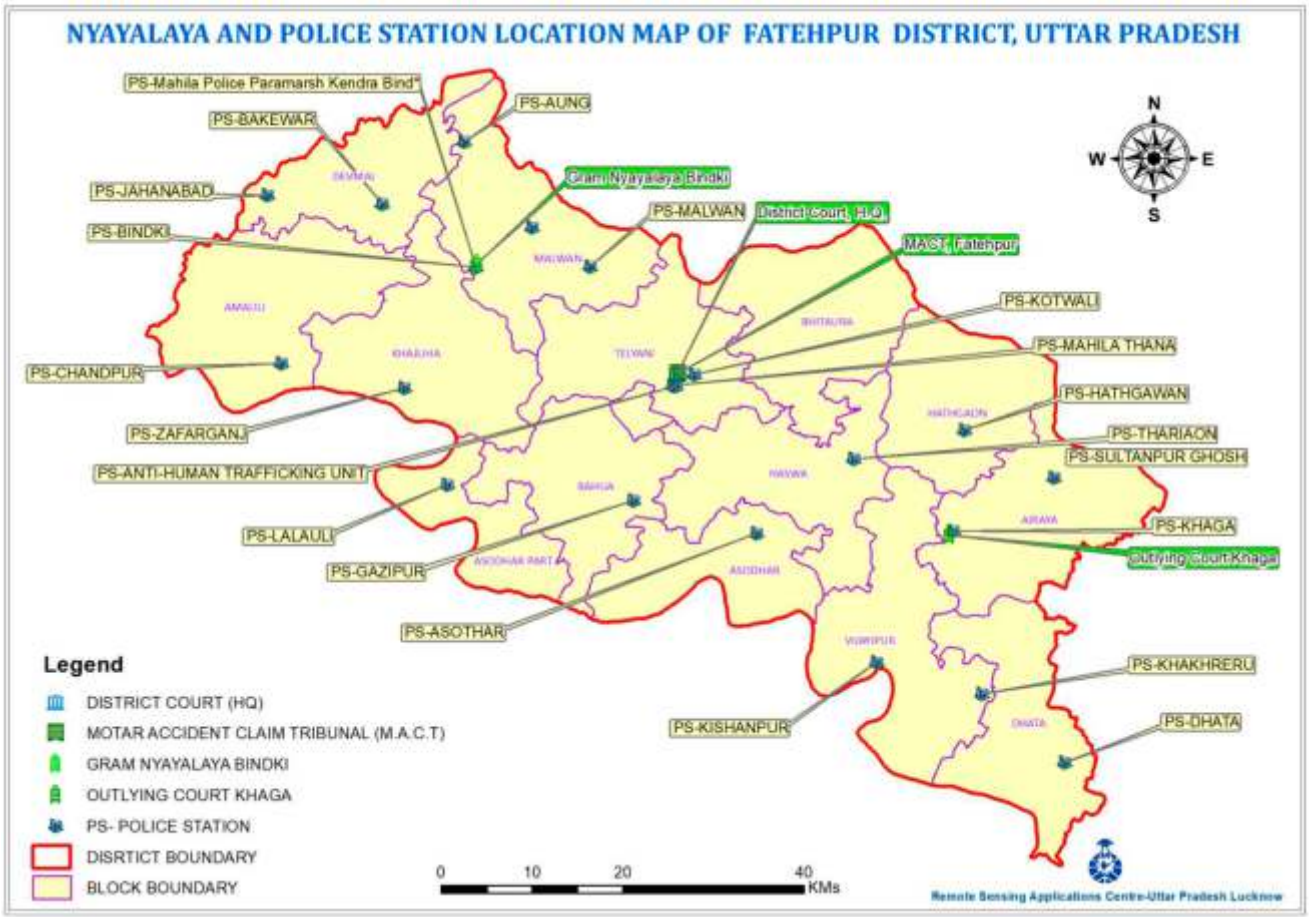
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1653	2277	3930	1039	1258	2297	974	991	1965	1718	2544	4262
2025	1718	2544	4262	1179	1054	2233	1230	1300	2530	1667	2298	3965

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1283	800	1057	1026
2025	1026	1176	1455	747

जनपद न्यायालय फतेहपुर



जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

फतेहपुर जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तर प्रदेश की जिला न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग है, जो अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर दीवानी और फौजदारी मामलों में मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। जिला न्यायपालिका से संबंधित अपीलें और पुनरीक्षण, इलाहाबाद स्थित माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यह न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की एक सु–परिभाषित पदक्रम के माध्यम से कार्य करता है, जिसे प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है; यह व्यवस्था न्याय के निष्पक्ष, तटस्थ और प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करती है।

ब्रिटिश प्रशासन के आगमन से पूर्व, इस क्षेत्र में न्याय का वितरण ग्राम और परगना स्तरों पर, स्थानीय प्रमुखों और काज़ियों के नेतृत्व वाली स्वदेशी व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता था। लगभग वर्ष 1801 में, भिटौरा और तत्कालीन वाराणसी के मध्य स्थित वह भूभाग जो इससे पूर्व नवाब वाजिद अली शाह के प्रशासन के अधीन था, रेजिडेंट जॉर्ज और एल्स्निन के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। नदी–परिवहन की प्रधानता के कारण, गंगा नदी के तट पर स्थित भिटौरा, प्रारंभिक प्रशासनिक केंद्र बन गया, जहाँ एक संयुक्त मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी।

वर्ष 1805 से 1814 के मध्य, संयुक्त मजिस्ट्रेट ने प्राथमिक न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य किया। वर्ष 1814 में, उनका क्षेत्राधिकार वर्तमान कानपुर और इलाहाबाद जिलों के कई पुलिस थानों तक विस्तृत हो गया। वर्ष 1825 में, मजिस्ट्रेट कार्यालय को भिटौरा से फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया गया, और वर्ष 1826 में, फतेहपुर को एक पृथक जिले के रूप में गठित किया गया।

फतेहपुर न्यायपालिका के अभिलेखागार में उपलब्ध न्यायिक अभिलेख यह ज्ञात होता हैं कि वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्काल पश्चात, यानी वर्ष 1858 में ही, फतेहपुर में एक मुंसिफ न्यायालय कार्यरत था। ये अभिलेख औपनिवेशिक शासन से लेकर

स्वतंत्र भारत तक न्यायिक प्रशासन की निरंतरता को प्रदर्शित करते हैं; इन अभिलेखों में वर्ष 1947 और 1948 की कार्यवाहियों के संरक्षित विवरण भी सम्मिलित हैं।

दिनांक 18.10.1967 की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से, फतेहपुर के लिए एक पृथक सत्र संभाग का सृजन किया गया। तदनुसार, दिनांक 08.12.1967 की अधिसूचना के द्वारा, श्री मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन को फतेहपुर का प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे पहले, न्यायिक कार्य एक ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाते थे जिसे श्दीवानी एवं सत्र न्यायाधीशश के रूप में नामित किया गया था। तब से, जनपद न्यायालय, फतेहपुर ने न्याय वितरण की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए लगातार अग्रसर है।

वर्तमान न्यायालय परिसर

फतेहपुर स्थित जिला न्यायालय परिसर में एक मुख्य न्यायालय भवन, 12 न्यायालय कक्षीय एक भवन तथा 06 न्यायालय कक्षीय भवन शामिल है; साथ ही, इसमें न्यायिक कार्यों के लिए आवश्यक अन्य संबंधित सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस परिसर में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आवासीय ब्लॉक भी शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय परिसर के बिल्कुल करीब ही उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध हो सके। सामूहिक रूप से, ये सभी संरचनाएं फतेहपुर न्याय–क्षेत्र की न्यायिक, प्रशासनिक और संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

न्यायालय भवनों और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

मुख्य जिला न्यायालय भवन

जनपद फतेहपुर स्थित मुख्य जिला न्यायालय भवन कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है। इसका उद्घाटन वर्ष 1968 में किया गया था, और यह इस न्याय–क्षेत्र के केंद्रीय प्रशासनिक और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थित है, साथ ही इसमें अन्य आवश्यक संबंधित कार्यालय और अनुभाग भी मौजूद हैं।

इस भवन में न्यायालय प्रबंधक का कार्यालय, नजारत, लेखानुभाग, दीवानी अभिलेखागार, आपराधिक अभिलेखागार, लेखन सामग्री/सूचना एवं निरीक्षण अनुभाग, पुस्तकालय और प्रतिलिपि अनुभाग स्थित हैं। ये सभी सुविधाए मिलकर जिला न्यायपालिका के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करती हैं।

बारह न्यायालय कक्षीय भवन

जिले की बढ़ती न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, 12 न्यायालय कक्षों वाले इस भवन का निर्माण दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में, वर्ष 1985 में छह न्यायालय कक्षों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में, वर्ष 2020 में इस भवन का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत छह और न्यायालय कक्षों का निर्माण कराया गया; इस प्रकार, अब इसमें कुल बारह न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं।

इस भवन में अपर जिला न्यायाधीशों, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), और अन्य अधिसूचित न्यायालयों के कक्ष स्थित हैं। इसमें पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष, न्यायालय कार्यालय और अन्य संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं, जो प्रभावी न्यायिक कार्य–प्रणाली में अपना योगदान देती हैं।

छः न्यायालय कक्षीय भवन

छः न्यायालय कक्षों वाला यह भवन जिला न्यायालय परिसर में किया गया एक नवनिर्माण है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2020 में पूरा हुआ था। इस भवन में छः पूर्णतः कार्यशील न्यायालय कक्ष स्थित हैं; साथ ही, इसमें पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कक्ष और न्यायालय के अन्य आवश्यक कार्यालय भी मौजूद हैं। इस भवन का निर्माण न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और मामलों के त्वरित निपटान को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है; इसमें पारिवारिक न्यायालयों तथा अन्य निर्दिष्ट न्यायालयों को सौंपे गए मामले भी शामिल हैं।

ई–न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल सुविधायें

जिला न्यायालय, फतेहपुर में 01.10.2021 से एक श्ई–सेवा केंद्रश कार्यरत है, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है; इनमें मामलों की स्थिति की जानकारी, ई–फाइलिंग में सहायता, ई–न्यायालय मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग में सुविधा, विधिक सेवा प्राधिकरणों से संबंधित मार्गदर्शन, तथा यातायात चालानों एवं छोटे–मोटे अपराधों का ऑनलाइन निपटान शामिल है।

इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष और एक हेल्प डेस्क निर्धारित किया गया है, जिससे वर्चुअल और हाइब्रिड अदालत की कार्यवाही को सुगम बनाया जा सके।

अन्य भवन और संबद्ध सुविधाएँ

अदालत परिसर में विभिन्न संबद्ध और सहायक सुविधाएँ भी मौजूद हैं, जिनमें कंप्यूटर सेल, रिकॉर्ड कक्ष, बार एसोसिएशन भवन, अधिवक्ताओं के कक्ष, लॉक–अप, पुलिस चौकी और अदालत के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।

वाह्य न्यायालय

खागा, फतेहपुर में एक वाह्य न्यायालय कार्यरत है। खागा स्थित वाह्य न्यायालय का अपना स्वयं का भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 2022 में किया गया था। इस वाह्य न्यायालय की स्थापना से आस–पास के क्षेत्रों के वादियों के लिए न्याय तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ग्राम न्यायालय

बिंदकी, फतेहपुर में एक ग्राम न्यायालय कार्यरत है। यह स्थानीय बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए एक भवन से संचालित होता है, जो जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित तथा सस्ता न्याय प्रदान करने के उद्देश्य को बढ़ावा देता है।



मुख्य न्यायालय भवन


12 न्यायालय कक्षों वाला भवन


छह न्यायालय कक्षों वाला भवन



बाह्य न्यायालय, खागा

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	9
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	7
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	9
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17079	91132	108211	2541	67605	70146	2133	61944	64077	17487	96793	114280
2025	17487	96793	114280	2791	51841	54632	3610	37058	40668	16668	111576	128244

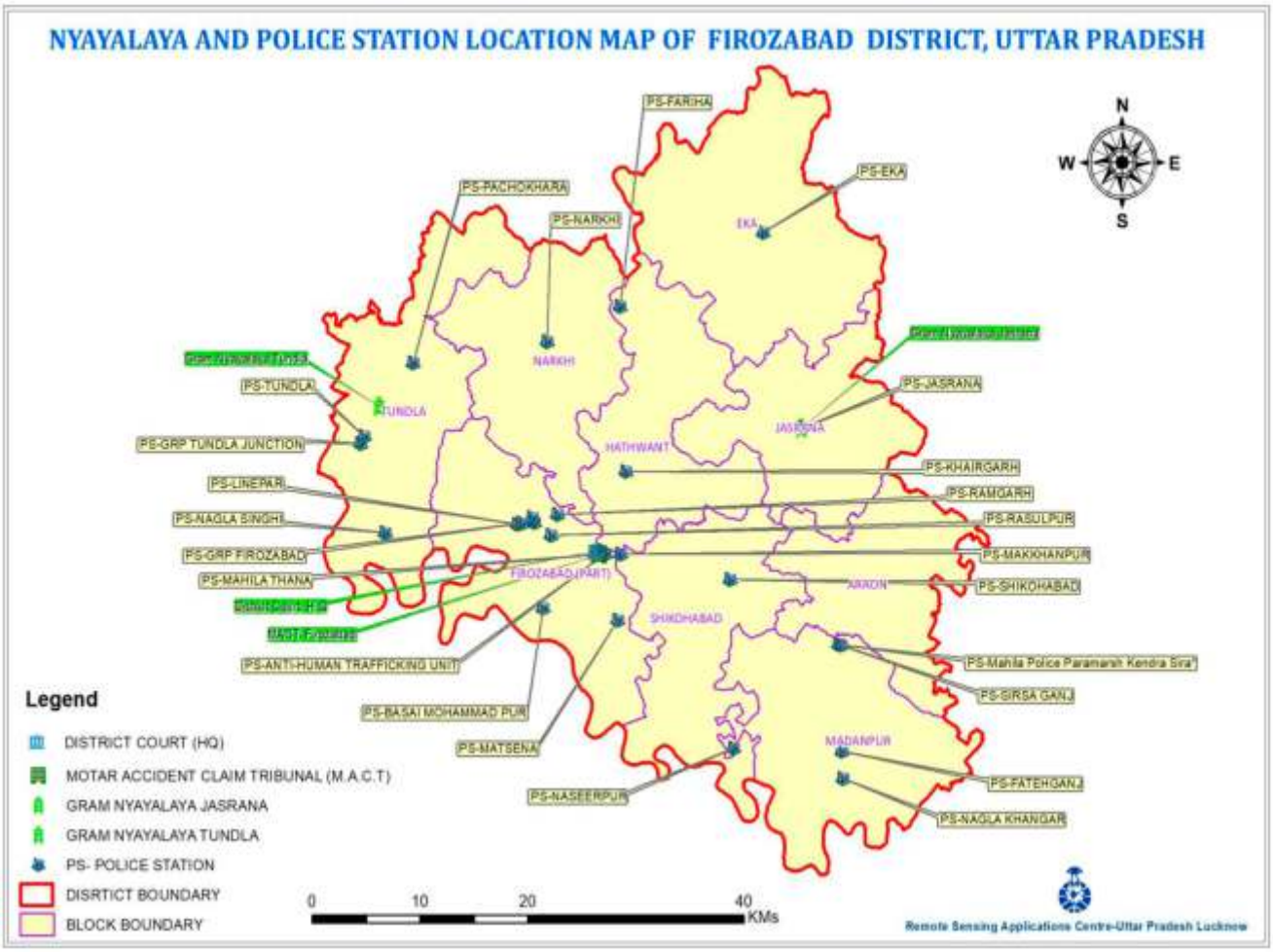
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1294	1754	3048	1277	1641	2918	1069	1186	2255	1502	2209	3711
2025	1502	2209	3711	1444	1862	3306	1168	1634	2802	1778	2437	4215

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3490	1155	994	3651
2025	3651	1104	764	3991

जनपद न्यायालय फ़िरोज़ाबाद



जनपद न्यायालय स्थपना का संक्षिप्त इतिहास

फ़िरोज़ाबाद UP राज्य का एक छोटा शहर है। इसे 'काँच का शहर और सुहाग नगरी' भी कहा जाता है। यह शहर चूड़ियों और काँच के काम से जुड़े छोटे पैमाने के उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जनपद एवं सत्र न्यायालय बनने से पहले, फ़िरोज़ाबाद की न्यायिक इकाई आगरा के जनपद न्यायालय से जुड़ी हुई थी।

5 फरवरी 1989 को, राजस्व जनपद फ़िरोज़ाबाद बना और जनपद न्यायालय की स्थापना GO-U-O-No-110/7 न्याय विभाग ने 204/89 तारीख 21 अक्टूबर 1989 में की थी। असल में इसने मार्च 1900 में गांधी पार्क के पास आर्य नगर के कंपनी बाग में एक किराए के भवन में काम करना शुरू किया था। 1990 में जिला सिविल न्यायालय की स्थापना के बाद, निम्नलिखित अदालतें चालू हुईं–

1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश

2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

3 सिविल जज (सीनियर डिवीजन)

4 न्यायिक मजिस्ट्रेट

5 अपर मुख्य न्यायिक डिवीजन, फिरोजाबाद

6 सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फिरोजाबाद

7 अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फिरोजाबाद

श्री वी.के. जैन प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश और श्री सुभाष चंद्र रस्तोगी जिला मजिस्ट्रेट थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०1 को 21 अक्टूबर 1994 को मंजूरी दी गई थी, अपर जिला एवं सत्र कोर्ट नं० 3 और 4 को 3 सितंबर 1998 को मंजूरी दी गई थी जिला एवं सत्र कोर्ट नंबर 5 को 5 मई 1999 को मंजूरी मिली थी। अभी की न्यायालय भवन U.P. राजकीय निर्माण निगम आगरा ने बनवाई थी, जिसका उद्घाटन उस समय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री देव प्रिय महापात्रा ने किया था। भवन के उद्घाटन के बाद सिविल कोर्ट को इस नये भवन में स्थान्तरित कर दिया गया। यह फिरोजाबाद जिला मुख्यालय के सिविल लाइंस में है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 के समय के लिए जिला न्यायालय में कुल 42 न्यायालय मंजूर किए गए थे, जिनमें से 31 न्यायालय कार्यरत थे और 11 न्यायालय रिक्त पड़े थे। कार्यरत न्यायालय में, एक न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का, 19 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के और 6 न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के और 07 न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम कर रहे हैं।

वर्तमान न्यायालय कॉम्प्लेक्स

नये न्यायालय भवन का आर्किटेक्चर मुख्य रूप से आधुनिक आर्किटेक्चर है। भवन को एक फ्रेम स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन किया गया है जो ज़रूरी भार सह सकता है। भवन की बाह्य दीवारों पर लाल पत्थर के चिप्स लगे हैं, जिससे यह आधुनिक और संस्थागत दिखाई देती है। यह बाह्य फिनिश बहुत खराब मौसम के खतरों से बचने में भी मददगार है। जहाँ तक न्यायालय कक्षों की व्यवस्था की बात है, यह साफ़ है कि न्यायाय कक्ष पक्तियों में एक के बाद एक हैं, जिससे उन तक पहुँचना आसान हो जाता है। सभी न्यायालय कक्ष एक उभयनिष्ट गलियारे में खुलते हैं जो वकीलों और केस लड़ने वालों के आने–जाने के लिए है। न्यायालय कक्ष के दूसरी तरफ एक उभयनिष्ठ गैलरी में न्यायिक अधिकारियों के कक्ष हैं। पीठासीन अधिकारियों और वादकारियों के लिए न्यायालय कक्षो में आने–जाने के लिए अलग–अलग प्रवेश द्वार दिए गए हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक न्यायालय कक्ष जो प्रथम तल पर स्थित है, इस इमारत का हिस्सा है, जिससे यह आसानी से सुलभ है। रिकॉर्ड रूम सिविल और क्रिमिनल, सीएओ कार्यालय, कोर्ट मैनेजर कार्यालय, लेखा अनुभाग, नजारत अनुभाग और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, इस प्रकार न्यायिक प्रशासनिक कामकाज में मदद करते हैं।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

त्वरित न्यायालय भवन

वर्ष 2004 में न्यायालय परिसर में 05 त्वरित न्यायालय भवन का निर्माण किया गया है। त्वरित न्यायालय भवन से संबंधित सुविधा में अधिकारियों के चौम्बर और कार्यालय / स्टेनोग्राफर कक्ष शामिल हैं। इसमें सिविल जज (जूनियर डिविजन)/ एफ०टी०सी० –2, फिरोजाबाद और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट नंबर–1 और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 11, फिरोजाबाद और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफ०टी०सी० हैं। 01 और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० 02. सभी न्यायालय आसानी से काम कर रहे हैं।

दूसरे भवन और सुविधाएं

न्यायालय परिसर में कई दूसरे और सहायक भवन भी हैं, जैसे कंप्यूटर सेल, मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, महिला एवं पुरुष लॉक–अप और गार्ड रूम और पुलिस चौकी।

ई–सेवा केंद्र– ई–सेवा केंद्र जिला न्यायालय परिसर में मुख्य भवन के भू–तल पर कमरा नंबर 22 में बनाया गया है।

ई–फाइलिंग सुविधा– बै में केस की ई–फाइलिंग की सुविधा लागू है। ई–फाइलिंग 3.0 का एक मैनुअल और ई–फाइलिंग सुविधा का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में एक वीडियो लिंक बार एसोसिएशन को भेजा गया है ताकि इसे अधिवक्ताओं के बीच बांटा जा सके।

वी. सी. केबिन– वी.सी. केबिन लग गया है लेकिन यह बहुत जल्द काम करने लगेगा।

वर्चुअल कोर्ट– वर्चुअल कोर्ट एक अवधारणा है, जिसका मकसद न्यायालय में वादकारियों या अधिवक्ताओं की मौजूदगी को खत्म करना और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर केस का फैसला करना है।

बार एसोसिएशन भवन

न्यायालय परिसर में न्याय विभाग, उ०प्र० सरकार द्वारा दिए गए 40m x 40m के तीन प्लॉट हैं। इनमें से पहले प्लॉट पर 50 एडवोकेट चैंबर और लाइब्रेरी और दूसरे प्लॉट पर एक बड़े आकार का एडवोकेट मीटिंग हॉल और तीसरे प्लॉट पर 100 एडवोकेट चैंबर भवन बनाया गया है। चैंबर संबंधित अधिवक्ताओं को दिए जाते हैं।

परिवार न्यायालय कॉम्प्लेक्स

परिवार न्यायालय एक G+4 RCC संरचना है जिसे साल 2025 में बनाया गया था और कार्यदायी संस्था से हस्तगत कर लिया गया है। न्यायालय भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए चार पैसेंजर लिफ्ट हैं। परिवार न्यायालय भवन योजना में चार न्यायालय कक्षों का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें से एक न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारियों का चौंबर, स्टेनोग्राफर का कमरा और न्यायालय कार्यालय और मीडिएशन कक्ष और हर तल पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग टॉयलेट हैं। अभी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय और एक अतिरिक्त परिवार न्यायालय न्यायाधीश न्यायालय चल रहे हैं और एक न्यायालय रिक्त है। परिवार न्यायालय भवन का वर्चुअल उद्घाटन माननीय न्यायाधीश अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, माननीय़ उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर जज,माननीय उच्च न्यायालय, चेयरमैन, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी (जिला न्यायालय) और माननीय न्यायाधीश जसप्रीत सिंह जज,माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, प्रशासनिक न्यायाधीश, फिरोजाबाद ने रविवार, 03 अगस्त, 2025 को किया।

बाह्य स्थित न्यायालय शिकोहाबाद

जिला फिरोजाबाद का मुंसिफ न्यायालय ब्रिटिश सरकार ने करीब 125 साल पहले शिकोहाबाद में बनाया था, जो उस समय मैनपुरी जिले का हिस्सा था। पुराना न्यायालय भवन अभी भी शिकोहाबाद में है, लेकिन उस भवन की हालत खराब होने की वजह से, 19.11.2024 से, जिला मुख्यालय पर 4 बाह्य स्थित न्यायालय अस्थायी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। अभी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नंबर 1 और अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नंबर 2 के न्यायालय जिला न्यायालय भवन में चल रहे हैं।

ग्राम न्यायालय जसराना

ग्राम न्यायालय जसराना, तहसील जसराना में काम कर रहा है। न्यायालय भवन, जिला प्रशासन ने दी है क्योंकि यह तहसील जसराना की पुरानी एस०डी०एम० न्यायालय भवन था। इसमें एक न्यायालय कक्ष, एक पीठासीन अधिकारी कक्ष और स्टेनोग्राफर कक्ष है और न्यायालय कार्यालय भी इसी भवन में है। एक न्यायिक अधिकारी पोस्टेड है। स्थायी बनाने के लिए, जिला न्यायालय, फिरोजाबाद की इन्फा–सब–कमेटी ने जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद को 5 एकड़ ज़मीन खरीदने का प्रपोज़ल की संस्तुति की है।

ग्राम न्यायालय टूंडला

ग्राम न्यायालय टूंडला, तहसील परिसर टूंडला में है। न्यायालय भवन जिला प्रशासन ने अस्थायी इंतज़ाम के तहत दी है। इसमें एक न्यायालय कक्ष, एक पीठासीन अधिकारी कक्ष और स्टेनोग्राफर कक्ष है और न्यायालय कार्यलय भी इसी भवन में है।



जला मुख्यालय फिरोजाबाद



पारिवारिक न्यायालय भवन फिरोजाबाद



एडीआर बिल्डिंग



100 अधिवक्ता कक्ष



ग्राम न्यायालय, टूंडला, फिरोजाबाद



ग्राम न्यायालय, जसराना, फिरोजाबाद

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	19	14
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	6
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	7
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	12716	138993	151709	3629	121831	125460	3489	118013	121502	12856	142811	155667
2025	12856	142811	155667	3458	71718	75176	3905	74062	77967	12409	140467	152876

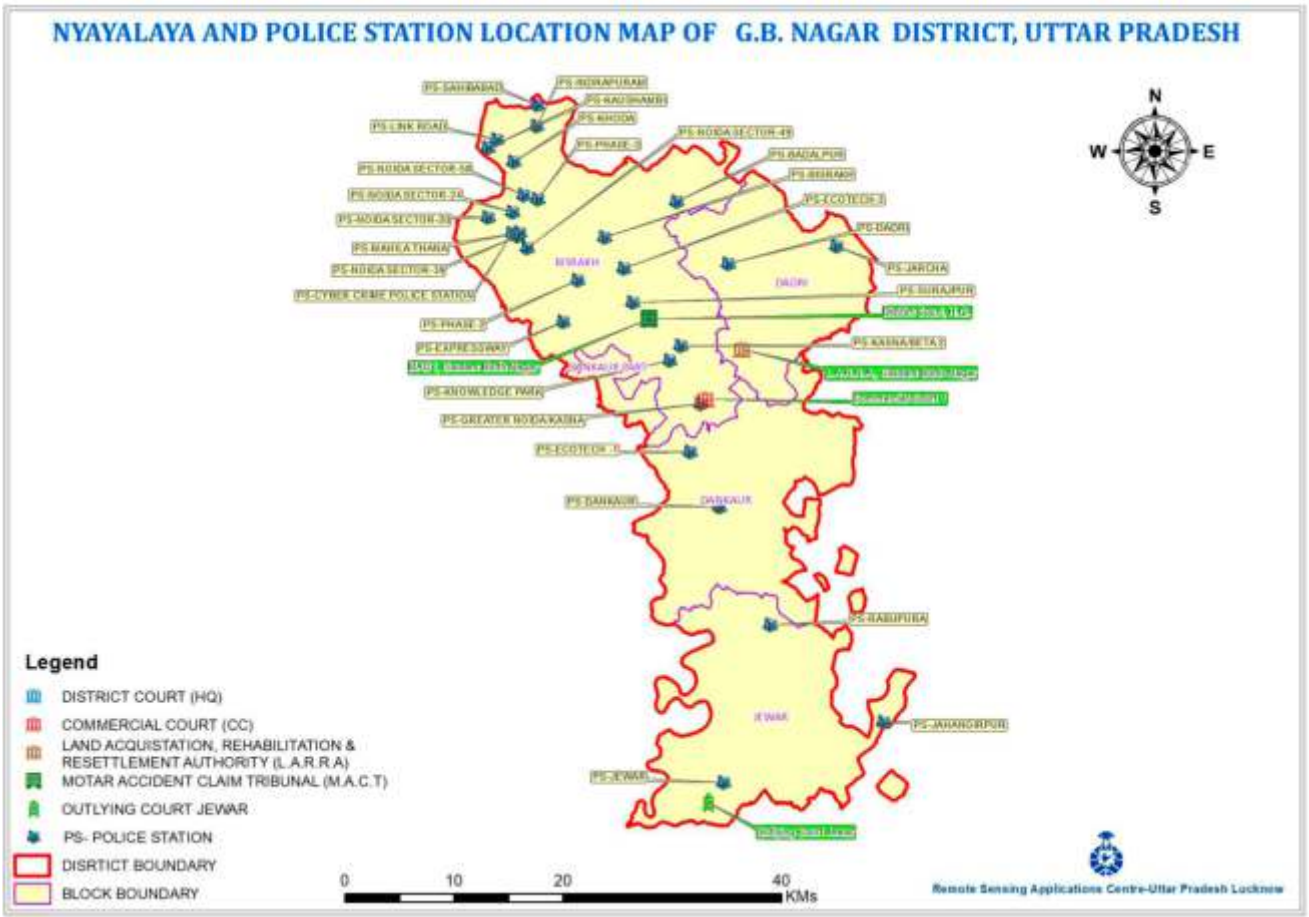
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2519	4226	6745	1660	2278	3938	1958	2615	4573	2221	3889	6110
2025	2221	3889	6110	1720	2305	4025	1678	2039	3717	2263	4155	6418

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1642	581	392	1831
2025	1831	543	541	1833

जनपद न्यायालय गौतमबुद्ध नगर



विधिक पृष्ठभूमि व विधिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर जनपद गौतम बुद्ध नगर का संक्षिप्त इतिहास

गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक उपनगरीय जिला है, जिसका नाम भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और इसे नोएडा, दादरी और जेवर नामक तीन उप–मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर और दनकौर इस जिले के अंतर्गत आते है

गौतम बुद्ध नगर जिले का गठन 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को अलग करके किया गया था। दादरी और बिसरख ब्लॉक गाजियाबाद से, जबकि दनकौर और जेवर ब्लॉक बुलंदशहर से अलग किए गए हैं। इस क्षेत्र के लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्र शेखर आजाद ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित नलगाढ़ा गांव (सेक्टर–145, नोएडा) में छिपकर अपना ठिकाना बनाया था। उन्होंने 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बम हमले की योजना भी नलगढ़ा गांव से ही बनाई थी।

इस जिले का क्षेत्र महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का बिसरख गांव रावण के पिता विश्रवा ऋषि का जन्मस्थान माना जाता है, जिनका शव यहीं पर है। महाभारत कालीन आचार्य द्रोणाचार्य का आश्रम दनकौर में था, जहां कौरवों और पांडवों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या 1,648,115 है। जनसंख्या के लिहाज से यह भारत के कुल 640 जिलों में 294वें स्थान पर है। गौतम बुद्ध नगर का जनसंख्या घनत्व 1.161 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर (3,010/वर्ग मील) है। महिला साक्षरता दर 72.78% है, जो राष्ट्रीय औसत 65. 46% से कहीं अधिक है। भारत की 2011 की जनगणना के समय, जनपद की 94.68% आबादी हिंदी, 1.29% बंगाली, 1.10% उर्दू, 0.97% पंजाबी और 0.49% मैथिली को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलती थी।

गौतम बुद्ध नगर जिले का गठन दिनांक 06–09–1997 को सरकारी आदेश संख्या 1249/97/82/97 के तहत गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को अलग करके किया गया था। गौतम बुद्ध नगर जिले में गाजियाबाद से अलग किए गए दादरी और बिसरख ब्लॉक शामिल हैं व बुलंदशहर जिले से दनकौर और जेवर ब्लॉक अलग किए गए हैं। बुलंदशहर के 10 अन्य गांवों को भी अलग करके दनकौर और जेवर ब्लॉकों में शामिल किया गया है।

हालांकि, इस जिले का एक गौरवशाली इतिहास है, जिसकी जड़ें रामायण काल से हैं, क्योंकि रावण के पिता विश्रवा ऋषि की जन्मभूमि बिसरख इसी भूमि में स्थित है। द्वापर युग (महाभारत काल) में दनकौर द्रोणाचार्य का आश्रम था, जहां कौरवों और पांडवों ने अस्त्र–शास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य भी इसी स्थान से थे।

इस भूमि के लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। श्री गोपी चंद, श्री राम नाथ, श्री हरशरण सिंह आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। यहां तक कि भगत सिंह, सुख देव और राजगुरु ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छिपने के लिए नलगढ़ा गांव (नोएडा ग्रेटर–नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित) का उपयोग किया था। उन्होंने नलगढ़ा गांव से ही विधानसभा पर बम से हमला किये जाने की योजना बनाई थी।

गौतम बुद्ध नगर न्यायपालिका के पहले प्रशासनिक न्यायाधीश तत्कालीन माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल थे और पहले नियुक्त जिला न्यायाधीश श्री अल्लाह रहमान थे।

वर्तमान में जनपद गौतमबुद्घनग के प्रशासिनक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अजय भनौत हैं और जिला न्यायाधीश श्री अतुल श्रीवास्तव हैं।

महत्वपूर्ण घटनाएँ, मामले, प्रख्यात व्यक्तित्व, ऐतिहासिक निर्णय और समाज पर उनका प्रभाव तथा सामाजिक–न्यायिक प्रणालियों में उनका योगदानः

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 जनवरी 2020 को गौतम बुध नगर की पुलिस व्यवस्था को राज्य की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत लाने वाली आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को गौतमबुद्घनगर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की आधारशिला रखी।

राज्य सरकार ने अगस्त 2021 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण (YEIDA) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वैश्विक बोली प्रक्रिया के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए नगर फिल्म सिटी परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी।

प्रमुख स्थान–

ओखला पक्षी अभयारण्य लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह उस स्थान पर स्थित है जहां यमुना नदी दिल्ली की सीमा को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वर्ष 1990 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अब भारत के 466 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (आई.बी.ए. एस.) में से एक है।

राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और हरित उद्यान (नेशनल दलित इंस्पिरेशन प्लेस एंड ग्रीन गार्डन) नोएडा में स्थित एक स्मारक उद्यान है। जिनका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2011 किया गया।

बुद्ध इंटरनेशनल परिपथ देश का पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मोटर रेसिंग परिपथ है। यह परिपथ यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित है और शहर से आसानी से पहुँचा जा सकता है। अपनी यात्रा के समय किसी भी कार्यक्रम की उपलब्धता की जाँच करें और इस 5.14 किलोमीटर लंबे परिपथ पर रोमांचक रेस देखने के लिए पास खरीदें।

नोएडा एक शैक्षिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। यहां कई प्रमुख विधि संस्थान और शैक्षणिक संस्थान कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती भी इसी जिले के बादलपुर गांव से हैं।

गौतम बुद्ध नगर की न्यायिक वितरण प्रणाली की संरचनाः

अधिसूचना संख्या 4661/7/न्याय–2–114ळ/37 दिनांक 19.12.1997 के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर में जिला न्यायालय की स्थापना की गई और श्री बी.बी. अग्रवाल को 07–02–1998 को ओएसडी/जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सितंबर 1998 में, श्री अल्लाह रहमान ने श्री बी.बी. अग्रवाल का स्थान लिया और गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय, जिसकी स्वीकृत संख्या 6 न्यायालयों की थी, अर्थात् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–1, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सी.डि.), सिविल जज (जू.डि.), न्यायिक मजिस्ट्रेट, ने 27–06–1999 को गौतम बुद्ध नगर के फेज–II स्थित नोएडा प्राधिकरण के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक किराए के भवन में अस्थायी व्यवस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया।

अक्टूबर 1998 में, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद

के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के निर्देश पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में ग्राम सूरजपुर में न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई। फरवरी 2006 में, समाज कल्याण निगम ने 9 न्यायालय कक्षों, 3 बड़े प्रतीक्षा कक्षों, वादकारी कक्षों और पुस्तकालय से युक्त एक पूर्ण विकसित न्यायालय भवन का निर्माण किया और दिनांक 18–08–2006 को इसे न्यायपालिका को सौंप दिया।

सूरजपुर में मुख्य न्यायालय भवन का निर्माण 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण निगम द्वारा शुरू किया गया था। 17 अदालतों वाले मुख्य भवन के आंशिक निर्माण के साथ–साथ प्रशासनिक ब्लॉक, नजरात, अभिलेख कक्ष, पुस्तकालय, प्रतिलिपि कक्ष जैसे विभिन्न कार्यालयों का निर्माण 2011 में पूरा हो गया था तथा 2 जनवरी 2012 को जिला न्यायालय फेज–II से सूरजपुर में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया।

नवनिर्मित न्यायालय कक्ष भवनों की वास्तुकला प्रसिद्ध आर्ट डेको शैली की है। वर्तमान में जिला न्यायालय मुख्यालय में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लॉकअप, पुलिस चौकी, औषधालय, बैंक, सरकारी कर्मचारी कैंटीन, ई–सूचना केंद्र, सभी न्यायालय कक्षों में 24×7 सीसीटीवी कैमरे जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय में 2 वाणिज्यिक न्यायालय, सैक्टर बीटा–II में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण न्यायालय, दादरी और जेवर तहसीलों में 1 श्रम न्यायालय और 22 नए राजस्व न्यायालय कार्यरत हैं।

गौतमबुद्ध नगर के न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं तथा वर्ष 1983 में सभी अधिवक्ताओं और भागीदारों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए नोएडा बार एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।

गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमः

विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष द्वारा आम जनता को न्याय पाने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया है और उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही है, जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, विशेषकर वे लोग जो साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं या जिनके मामले अचल संपत्ति क्षेत्र से संबंधित हैं।



जिला न्यायालय भवन का हवाई दृश्य



जिला न्यायालय भवन के सामने का दृश्य

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	12	12
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	9	8
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	6
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	2	2
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	43362	846431	889793	11857	454271	57328	12987	447475	460462	42232	853227	895459
2025	43479	821710	865189	14997	814911	829908	12786	853845	466631	45690	782776	828466

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3602	2349	5951	2158	1118	3276	1641	713	2354	4119	2754	6873
2025	4119	2754	6873	2316	1209	3525	2075	919	2994	4360	3044	7404

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	4219	965	2114	3070
2025	3070	1023	879	3214

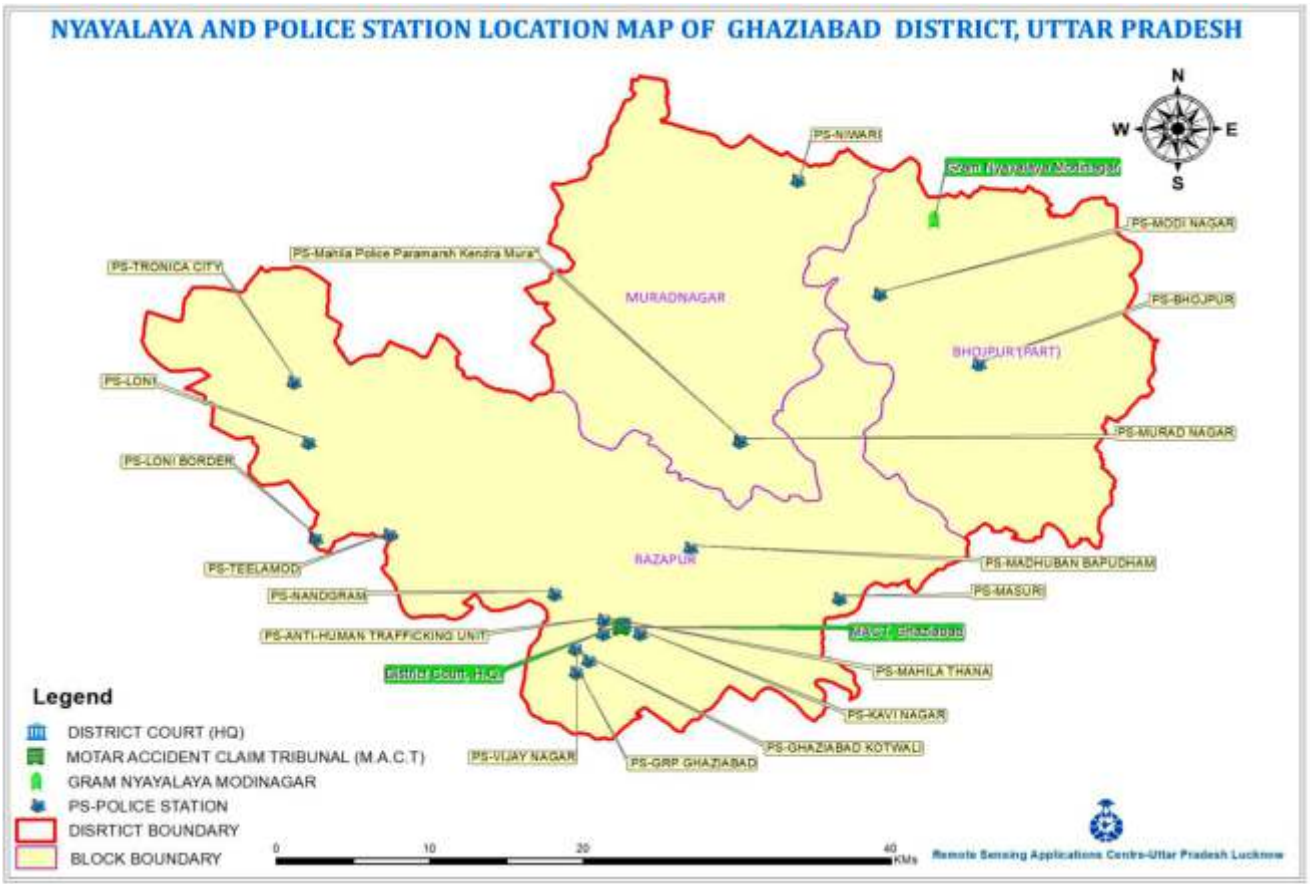
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1460	861	729	1592
2025	1592	734	464	1862

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3428	1476	468	4436
2025	4436	667	939	4164

जनपद न्यायालय गाज़ियाबाद



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

गाजियाबाद स्थित जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका विकास क्षेत्र के ऐतिहासिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक परिवर्तनों के साथ क्रमिक रूप से हुआ है। ऐतिहासिक स्रोतों तथा क्षेत्रीय प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार यह माना जाता है कि गाजियाबाद नगर की स्थापना सन् 1740 में वज़ीर गाज़ी–उद–दीन द्वारा की गई थी। दिल्ली के समीप स्थित होने के कारण यह क्षेत्र प्रारम्भ से ही सामरिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और इसी कारण इसे "उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार" भी कहा जाता है।

राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से सन् 1853 में गाजियाबाद को मेरठ से पृथक कर एक तहसील के रूप में स्थापित किया गया। इसके पश्चात सन् 1861 में तहसीलदार का कार्यालय मेरठ से गाजियाबाद स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र इस क्षेत्र में स्थापित हुआ। सन् 1868 में यहाँ प्रथम पुलिस थाने की स्थापना हुई, जो विधि–व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

न्यायिक संस्थाओं के विकास की दृष्टि से सन् 1887 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जब घंटाघर क्षेत्र के समीप दो मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्टस एक्ट के अंतर्गत की गई। यह अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल में न्यायिक प्रशासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था और इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों के दीवानी न्यायालयों की स्थापना की गई। सन् 1934 में इन न्यायालयों को गाजियाबाद के मॉडल टाउन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ ये सन् 1995 तक निरंतर कार्य करते रहे। इस अवधि में न्यायालयों ने स्थानीय विवादों के निस्तारण तथा न्याय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

न्यायिक ढाँचे के विस्तार की दिशा में सन् 1968 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे जटिल दीवानी वादों के निस्तारण में सुविधा हुई तथा न्यायिक कार्यों का विभाजन अधिक प्रभावी ढंग से संभव हो सका। इसके पश्चात 14 नवम्बर 1976 को गाजियाबाद

को मेरठ जनपद से पृथक कर एक स्वतंत्र एवं पूर्ण जनपद का दर्जा प्रदान किया गया।

प्रारम्भिक वर्षों में जिला न्यायालय मॉडल टाउन क्षेत्र से संचालित हुआ। समय के साथ न्यायिक कार्यों की बढ़ती आवश्यकता तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक विस्तृत एवं आधुनिक न्यायालय परिसर की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप वर्तमान न्यायालय परिसर का निर्माण राजनगर क्षेत्र में किया गया। इस परिसर का शिलान्यास 08 दिसम्बर 1985 को किया गया तथा 28 मई 1995 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। वर्तमान में मॉडल टाउन स्थित पुराना न्यायालय परिसर समाप्त हो चुका है और वहाँ न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्मित कर दिए गए हैं।

वर्तमान न्यायालय परिसर

वर्तमान न्यायालय परिसर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और इसमें पाँच प्रमुख भवन स्थित हैं, जिनमें मुख्य न्यायालय भवन, फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन, सीबीआई न्यायालय भवन, 15 न्यायालय कक्ष भवन तथा एडीआर भवन सम्मिलित हैं। न्यायालय परिसर में वादकारियों की सुविधा हेतु दिशा–सूचक संकेतक बोर्ड, डिजिटल कियोस्क तथा प्रत्येक न्यायालय कक्ष के बाहर वाद सूची प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। सभी न्यायालय कक्षों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उनमें पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश एवं वेंटिलेशन उपलब्ध हो, जिससे ऊर्जा की बचत भी होती है। इसके अतिरिक्त सभी न्यायालय कक्ष दिव्यांगजन के लिए पूर्णतः सुलभ बनाए गए हैं।

जनपद न्यायालय गाजियाबाद में वादकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण तथा न्यायालय कर्मचारीगण न्यायालय कक्ष में पहुँचने हेतु पृथक–पृथक मार्गों का उपयोग करते हैं। न्यायालय की सुरक्षा की प्रभावी निगरानी के लिए भवनों के बाह्य क्षेत्रों, गलियारों तथा न्यायालय कक्षों के भीतर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। न्यायालय परिसर के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर 03 बैगेज स्कैनर तथा 10 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कर्मियों को हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वारों पर व्यक्तियों की जाँच तथा भवन के भीतर आकस्मिक जाँच एवं तलाशी के लिए किया जाता है।

मुख्य न्यायालय भवन

मुख्य न्यायालय भवन चार मंजिला है, जिसमें कुल 36 न्यायालय कक्ष स्थित हैं। प्रत्येक न्यायालय कक्ष दो लॉबी के मध्य स्थित है। न्यायालय कक्ष के बाह्य भाग में वादकारियों हेतु एक विस्तृत लॉबी है, जबकि दूसरी लॉबी न्यायिक अधिकारी के कक्ष एवं न्यायालय कक्ष के बीच स्थित है, जिसका उपयोग सामान्यतः अधिकारीगण एवं न्यायालय कर्मचारी करते हैं। सभी न्यायालय कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से युक्त हैं, जिससे आधुनिक न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।

त्वरित न्यायालय भवन

फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन सन् 2003 से कार्यरत है, जिसका उद्देश्य लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करना है।

सीबीआई न्यायालय भवन

जनपद गाजियाबाद में सीबीआई न्यायालयों की स्थापना सन् 2001 में गाजियाबाद में की गई। गाजियाबाद स्थित सीबीआई न्यायालय, जिला जज गाजियाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं तथा इनका क्षेत्राधिकार 18 जनपदों–गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, जे.पी. नगर, रामपुर, मैनपुरी, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा एवं बिजनौर तक विस्तृत है। ये न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। इसी भवन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भी कार्यरत है।

15 न्यायालय कक्ष भवन

15 न्यायालय कक्ष भवन का उद्घाटन 06 मार्च 2022 को किया गया। इस भवन के न्यायालय कक्ष न्याय के समुचित प्रशासन के लिए गरिमामय एवं उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। प्रत्येक न्यायालय कक्ष में पर्याप्त स्थान, उचित प्रकाश, वायु संचार एवं फर्नीचर की व्यवस्था है। यह भवन न्यायालयों के संचालन हेतु आवश्यक आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है।

वैकल्पिक विवाद निस्तारण भवन

वैकल्पिक विवाद निस्तारण भवन में स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय संचालित हो रहा है। इस भवन के भूतल का निर्माण स्थायी लोक अदालत के लिए किया गया है। प्रथम तल पर मध्यस्थता केंद्र स्थापित है, जहाँ मध्यस्थता हेतु पृथक–पृथक क्यूबिकल्स तथा बच्चों के लिए एक पृथक क्यूबिकल की व्यवस्था की गई है, जो मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए शांत एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। द्वितीय तल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय एवं कक्ष स्थापित किए गए हैं।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय, मोदीनगर, गाजियाबाद में कार्यरत है। जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय भवन किराये के आधार पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे ग्राम स्तर पर न्याय की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।



15 न्यायालय भवन



सीबीआई कोर्ट बिल्डिंग



मुख्य न्यायालय भवन



ग्राम न्यायालय तहसील मोदीनगर में कार्यरत है



ग्राम न्यायालय तहसील मोदीनगर में कार्यरत है

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	31	23
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	23	22
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	6	4
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	20100	397927	418027	5110	143154	148264	7363	171567	178930	17847	369514	387361
2025	17847	369514	387361	6360	241809	248169	7219	287481	294700	16988	323842	340830

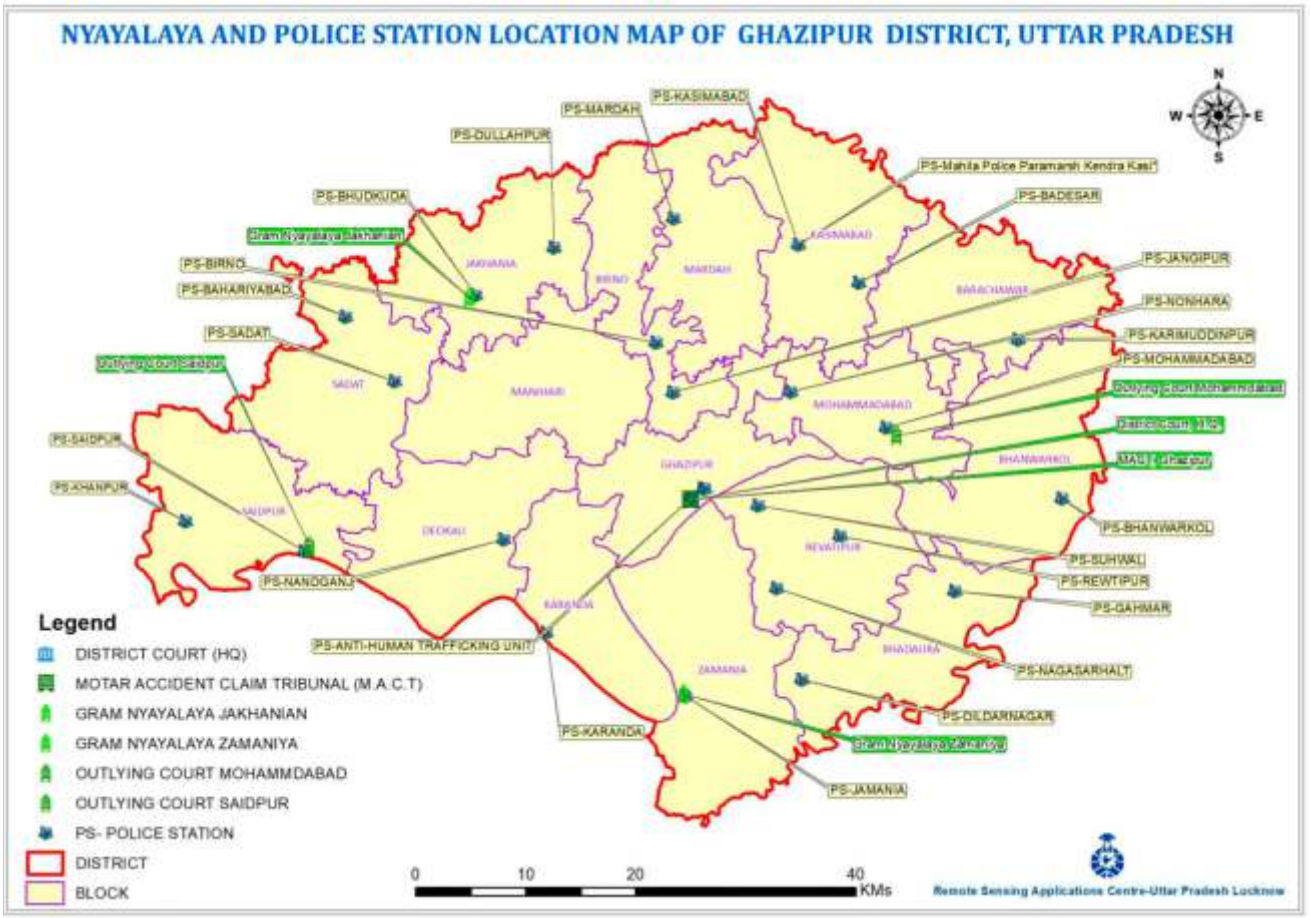
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	6200	4670	10870	3844	2233	6077	3643	1916	5559	6401	4987	11388
2025	6401	4987	11388	3948	2311	6259	3662	1701	1701	6687	5597	12284

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1603	810	635	1778
2025	1778	1000	1212	1566

जनपद न्यायालय गाजीपुर



प्रस्तावना

गाजीपुर का जिला एवं सत्र न्यायालय न केवल न्यायिक व्यवस्था का केंद्र है, बल्कि यह जिले में विधि के शासन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सशक्त प्रतीक भी है। समय के साथ यह संस्था एक ऐसे भरोसेमंद मंच के रूप में विकसित हुई है, जहाँ आम नागरिक को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिलने की अपेक्षा साकार होती है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रशासनिक और अपीलीय मार्गदर्शन में कार्यरत यह न्यायालय जिले की न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य स्तंभ बना हुआ है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

जिला एवं सत्र न्यायालय, गाजीपुर की स्थापना वर्ष 1936 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब जिले में न्यायिक संरचना को संगठित रूप देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस न्यायालय की स्थापना ने गंभीर आपराधिक मामलों और जटिल दीवानी विवादों के समाधान के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराया है।

पूर्व में न्यायिक कार्य सीमित दायरे में सम्पादित होते थे। जिला एवं सत्र न्यायालय गाजीपुर में, श्री एस. अली मोहम्मद पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने यहां एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली की नींव रखी थी।

प्रारम्भिक समय में बलिया भी गाजीपुर के न्यायिक क्षेत्र का हिस्सा था। वर्ष 1955 में बलिया को अलग सत्र प्रभाग घोषित किया गया, जिसके परिणाम स्वरुप बलिया प्रशासनिक और न्यायिक रूप से स्वतंत्र हुआ।

मोहम्मदाबाद और सैदपुर जैसे बाह्य न्यायालय भी इस विरासत के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। मोहम्मदाबाद न्यायालय, जिसकी शुरुआत 1899 में वाराणसी सत्र प्रभाग के तहत हुई थी, बाद में 1936 में गाजीपुर के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। वहीं सैदपुर न्यायालय एक सदी से अधिक समय से स्थानीय स्तर

पर न्याय का केंद्र बना हुआ है।

न्यायालय परिसर की रूपरेखा

गाजीपुर जिला न्यायालय परिसर एक समेकित न्यायिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ विभिन्न स्तरों के न्यायालय और न्यायिक अधिकारी एक ही परिसर में कार्य करते हैं। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर सिविल जज (वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग) तथा परिवार न्यायालय भी सम्मिलित है।

यह समन्वित ढांचा न केवल कार्यकुशलता बढ़ाता है, बल्कि मामलों के शीघ्र निस्तारण में भी सहायक है। परिसर में अभिलेख कक्ष, नकल शाखा, अधिवक्ताओं के कक्ष, वादकारियों के लिए सहायता केंद्र और प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

कल्याणकारी सुविधाएँ और नई पहल

न्यायालय परिसर में अब स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादकारियों के लिए एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो न्यायालयीन समय के दौरान प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान करते हैं।

यह पहल न्यायपालिका की उस संवेदनशील सोच को दर्शाती है, जिसमें न्याय के साथ–साथ उससे जुड़े हर व्यक्ति के कल्याण को भी महत्व दिया जाता है।

न्यायालय भवन और आधारभूत संरचना

दस कक्षीय न्यायालय भवन

वर्ष 1983 में बना यह भवन न्यायालय परिसर की प्रमुख इमारतों में से एक है। इसमें दस न्यायालय कक्ष संचालित हैं और साथ ही न्यायिक अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कार्यालय और अन्य प्रशासनिक सुविधाएँ मौजूद हैं।

इस भवन की छत पर 50 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन

वर्ष 2002 में निर्मित यह भवन त्वरित न्याय के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ पाँच न्यायालय कक्षों की व्यवस्था है, जिनमें से कई वर्तमान में संचालित हैं।

चार कक्षीय न्यायालय भवन

वर्ष 2023 में तैयार हुआ यह आधुनिक भवन न्यायिक संरचना के नए मानकों को दर्शाता है। इसमें चार सुसज्जित न्यायालय कक्ष हैं और भवन में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे सभी के लिए पहुँच आसान बनी है।

सोलह कक्षीय न्यायालय एवं पुस्तकालय भवन

यह भवन फिलहाल निर्माणाधीन है। इसके पूरा होने पर न्यायालयों की संख्या में वृद्धि होगी और पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे न्यायिक कार्यों को और गति मिलेगी।

अन्य सुविधाएँ

परिसर में कंप्यूटर कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, लॉक–अप, और बार ई–सेवा केन्द्र जैसी व्यवस्थाएँ भी मौजूद हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

बाह्य न्यायालय

सैदपुर

वर्ष 2011 में बने इस परिसर में दो न्यायालय कक्ष हैं, जहाँ स्थानीय स्तर पर न्यायिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मोहम्मदाबाद

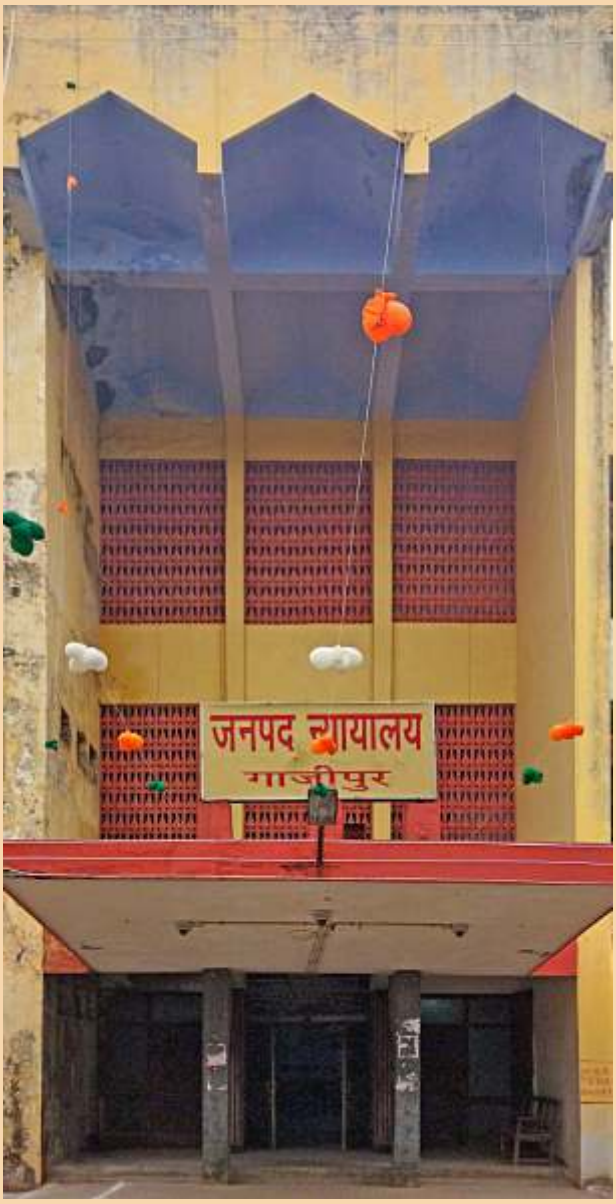
यह परिसर दो भवनों में संचालित होता है, जिनका निर्माण 2007 और 2025 में हुआ। यहाँ भी न्यायिक कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहे हैं, जिससे मुख्य न्यायालय का दबाव कम होता है।

ग्राम न्यायालय

ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से जखनियां और जमानियां तहसीलों में ग्राम न्यायालय संचालित किए गये हैं। वाह्य एवं ग्राम न्यायालय न्याय आपके द्वार की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं।

निष्कर्ष

आठ दशकों से अधिक की यात्रा में गाजीपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय एक मजबूत और विश्वसनीय न्यायिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। आधुनिक सुविधाओं, विस्तृत अधोसंरचना और जनहितकारी पहलों के साथ यह न्यायालय आज भी न्याय को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।



10 कोर्ट रूम भवन



फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन



कंप्यूटर कक्ष



मोहम्मदबाद का बाह्य न्यायालय (नया भवन)



ग्राम न्यायालय जमानियान

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	15	7
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	5	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	30	19
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	40139	113755	153894	12066	120734	132800	10181	124570	134751	42024	109919	151943
2025	42024	109919	151943	8327	95173	103500	6713	92891	99604	43638	112201	155839

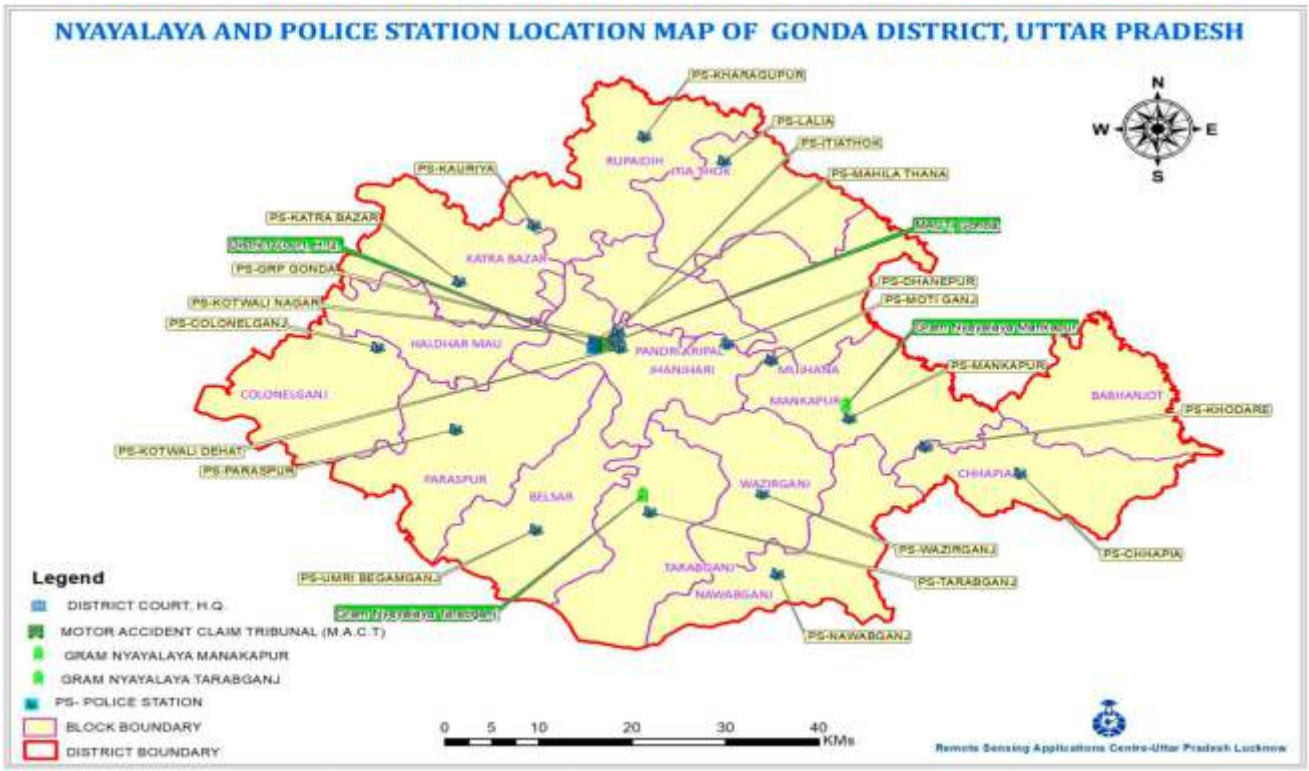
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3152	4069	7221	1044	938	4982	1430	1624	3054	2766	3383	6149
2025	2766	3383	6149	1035	924	1959	907	640	1547	2894	3667	6561

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	289	195	214	270
2025	270	285	212	343

जनपद न्यायालय गोंडा



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

गोण्डा का जनपद न्यायालय सिविल लाइंस में लखनऊ मार्ग पर गोण्डा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जनपद गोण्डा एवं देवीपाटन मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। यह मूल क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायालय है जो अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। मामलों की सुनवाई आम तौर पर एक ही न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और जनपद न्यायपालिका से संबंधित अपील या पुनरीक्षण प्रयागराज स्थित माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यह न्यायालय निष्पक्ष और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों और लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की सहायता से कार्य करता है।

ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश प्रशासन से पहले, इस क्षेत्र में न्याय का वितरण गाँव, परगना और अन्य स्थानीय स्तरों पर काजी, पंडित एवं स्थानीय मुखियाओं द्वारा किया जाता था। 1831 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अधीन शुरू किए गए न्यायिक सुधारों के बाद, जनपद न्यायाधीश को सत्र परीक्षण संचालित करने का अधिकार दिया गया। अलग–अलग दीवानी और फौजदारी न्यायालय–सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत–स्थापित किए गए, जिनका अपीलीय क्षेत्राधिकार इलाहाबाद में निहित था। 1859 के अधिनियम VIII के तहत एक सामान्य श्न्याय संहिताश की शुरुआत करके न्यायिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

इंग्लिश कार्यालय एवं जनपद न्यायाधीश न्यायालय भवन

जनपद न्यायाधीश हेरिटेज ब्लॉक एक स्थापत्य और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना है, जो जनपद न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। इस भवन में वर्तमान में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अंग्रेजी कार्यालय, बिल अनुभाग, नजरात अनुभाग, सी०सी०टी०वी० नियंत्रण कक्ष और जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का कार्यालय स्थित है; इस प्रकार यह न्यायिक और प्रशासनिक, दोनों ही कार्यों को संपादित करता है। यह भवन औपनिवेशिक काल की न्यायिक वास्तुकला का एक जीवंत प्रमाण है और एक सदी से भी अधिक समय से न्याय प्रशासन के लिए निरंतर उपयोग में है। अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के कारण, इस संरचना को एक 'विरासत भवन' के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक स्वरूप

को संरक्षित रखने के साथ–साथ आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के लिए इसकी कार्यात्मक उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु, इसका नवीनीकरण और संरक्षण कार्य किया गया है। वर्तमान में, यह भवन लगभग 126 वर्ष पुराना है और एक महत्वपूर्ण न्यायिक स्थलचिह्न के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए है, जो जनपद न्यायपालिका के समृद्ध कानूनी इतिहास और संस्थागत विरासत को परिलक्षित करता है।

10–कक्षीय न्यायालय भवन (न्याय भवन)

10–कक्षीय न्यायालय वाली इमारत, जिसे आम तौर पर 'न्याय भवन' और 'नई बिल्डिंग' के नाम से जाना जाता है। यह G+2 (ग्राउंड. दो मंजिल) संरचना पर आधारित इमारत है। इसका निर्माण वर्ष 1985 में किया गया था और इसका नवीनीकरण अभी भी चल रहा है। इस इमारत में वर्तमान में 10 पूरी तरह से कार्यरत न्यायालय भवन हैं, जिनके साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के चैंबर एवं स्टेनोग्राफरों के चैम्बर जैसी सहायक सुविधाएँ भी मौजूद हैं। न्यायालय कक्ष और कुछ न्यायालयों के कार्यालय भूतल और पहली मंजिल पर संचालित हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर मुख्य रूप से न्यायालयों के कार्यालय स्थित हैं। प्रतिलिपि अनुभाग और मीटिंग हॉल भूतल पर स्थित हैं। यह इमारत अग्निशमन प्रणाली, फायर अलार्म प्रणाली, छत पर लगे पंप और छत पर बनी पानी की टंकी से सुसज्जित है। इस इमारत में संचालित होने वाले न्यायालयों में अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं.–3), अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एम०पी/ एम०एल०ए०, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०, अत्याचार निवारण अधिनियम), अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश (पाक्सो), विशेष न्यायाधीश (ई०सी० अधिनियम), ए०डी०जे०/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक)/विशेष न्यायालय सं०–01, अन्य ए०डी०जे० न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष सं०–01, और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)/ ए०सी०जे०एम० न्यायालय सं०–02 शामिल हैं।

विरासत भवन

न्यायालय परिसर में कुछ विरासत इमारतें हैं, जो काफी पुरानी हैं और ब्रिटिश काल की बनी हुई हैं। इसके एक हिस्से में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय, साथ ही अधिकारियों के चैंबर, स्टेनो के कमरे और संबंधित कार्यालय संचालित हैं। इसके दूसरे हिस्से में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय और संबंधित स्टेनो का कमरा संचालित है। यह इमारत अग्निशमन एवं फायर अलार्म प्रणाली, तथा वातानुकूलन प्रणाली से सुसज्जित है।

दो–कक्षीय न्यायालय भवन

वर्तमान में, दो–कोर्ट वाली इमारत में न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्प्, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) कोर्ट नं.–03, और अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्यायाधीश के चौंबर के साथ संचालित हैं। यह इमारत अग्निशमन एवं फायर अलार्म प्रणाली, तथा वातानुकूलन प्रणाली से सुसज्जित है। यद्यपि यह इमारत पुरानी है, लेकिन कुछ महीने पहले ही इसका नवीनीकरण किया गया है।

उतरौला ब्लॉक भवन

उतरौला भवन जिला न्यायालय परिसर में स्थित एक पुराना और विरासत भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 1911ई० में किया गया था। इस भवन में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या–01) का न्यायालय और प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) का न्यायालय, उनके कार्यालय, न्यायाधीश के चैम्बर और स्टेनो कक्ष के साथ संचालित हैं। यह भवन अग्निशमन व्यवस्था, फायर अलार्म प्रणाली और वातानुकूलन प्रणाली से सुसज्जित है।

एफ०टी०सी० भवन

एफ०टी०सी० भवन में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या–01; अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या–01; और कुछ अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय संचालित हैं। इनके साथ ही साथ इस भवन में न्यायाधीशों के चैंबर, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और कार्यालय भी स्थित हैं।

अन्य भवन और सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगी भवन भी शामिल हैं, जैसे कि कंप्यूटर अनुभाग कक्ष, ए०डी०आर० केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, लॉक–अप कक्ष, पुलिस चौकी, रिकॉर्ड कक्ष, सिविल बार एसोसिएशन भवन आदि।

ग्राम न्यायालय

तहसील मनकापुर, तहसील कर्नलगंज और तहसील तरबगंज में ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। तहसील मनकापुर और तहसील कर्नलगंज के ग्राम न्यायालय संबंधित तहसील के बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों से संचालित होते हैंय जबकि तहसील तरबगंज में स्थित ग्राम न्यायालय का भवन एक सरकारी भवन है।



ग्राम न्यायालय ताराबगंज गोंडा



ग्राम न्यायालय मनकापुर गोंडा


सिविल जज जूनियर डिवीजन ब्लॉक


जिला न्यायालय गोंडा का मुख्य भवन ब्लॉक


दस न्यायालय कक्ष वाला भवन ब्लॉक


गोंडा न्यायपालिका का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	17	8
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	7
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	25	15
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	38008	135893	173901	11536	141725	153261	12558	148292	160850	36986	129326	166312
2025	36986	129326	166312	36538	120919	157457	38071	114280	152351	35453	135965	171418

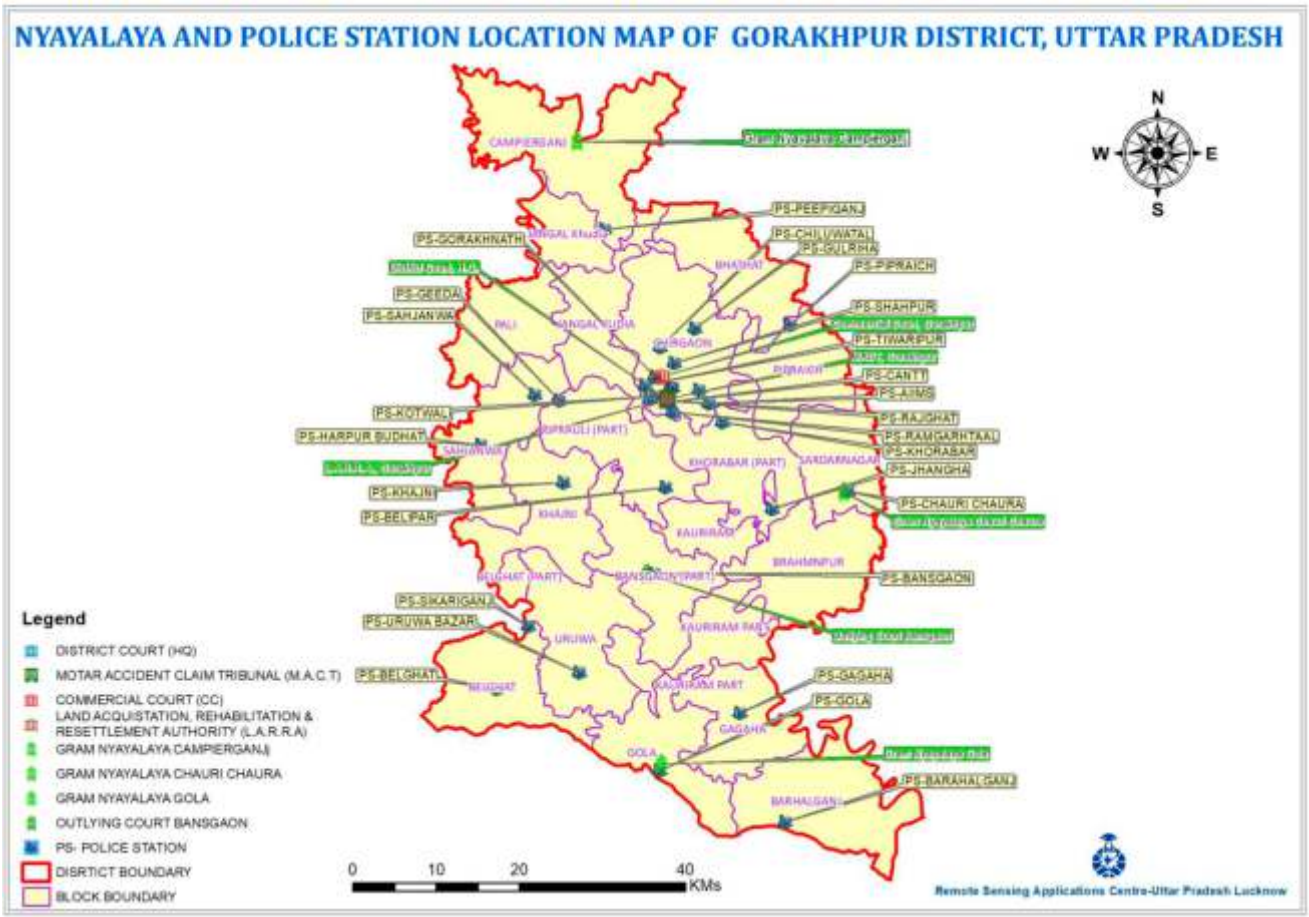
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2122	2954	5076	2793	2360	5153	2757	2331	5088	2158	2983	5141
2025	2158	2983	5141	2257	2511	4768	2117	2228	4345	2298	3266	5564

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1616	740	351	2005
2025	2005	808	639	2174

जनपद न्यायालय गोरखपुर



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

गोरखपुर न्यायपालिका उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के व्यापक पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। गोरखपुर क्षेत्र में न्यायिक संरचना की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुई थी, जिसमें मूल रूप से मंसूरगंज में स्थित एक बुनियादी मुंसिफ न्यायालय था। इसका विकास औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान तक फैला हुआ है। न्यायालय पहले मंसूरगंज में था, जिसे 19वीं शताब्दी में गोरखपुर स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ, अधीनस्थ और दीवानी न्यायालयों की स्थापना हुई, और क्षेत्राधिकार की सीमाएँ बदल गईं क्योंकि बस्ती, देवरिया और महाराजगंज जैसे आस–पास के जिलों को अलग करके उनकी अपनी न्यायपालिकाएँ बनाई गईं। गोरखपुर न्यायपालिका की वर्तमान न्यायिक प्रणाली न्यायिक प्रशासन के क्रमिक विकास का परिणाम है। प्रारंभ में, गोरखपुर के मुंसिफों का मुख्यालय मंसूरगंज में था, लेकिन 1862 में तहसील मुख्यालय को महाराजगंज स्थानांतरित किए जाने के बाद, न्यायालय को गोरखपुर स्थानांतरित कर दिया गया। दो मानद मुंसिफों के न्यायालय भी थे। 1903 में गोरखपुर तहसीलों में ग्राम मुंसिफों की नियुक्ति एक प्रयोग के तौर पर की गई थी। 1909 में, योग्य व्यक्तियों की कमी के कारण 90 सर्किलों के लिए ऐसे मुंसिफों की संख्या 24 तक सीमित कर दी गई थी। 1909 के आसपास, जो क्षेत्र अब गोरखपुर और देवरिया जिले में आते हैं, वे मिलकर गोरखपुर जिला बनाते थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को गोरखपुर जिले में दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों का अधिकार प्राप्त था और बस्ती जिले से आपराधिक अपीलों की सुनवाई करने का भी अधिकार था। इसके अलावा, गोरखपुर, बांसगांव और देवरिया के अधीनस्थ न्यायाधीशों और तीन मुंसिफों के न्यायालय भी थे, जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते थे। 1862 में, जब तहसील मुख्यालय स्थानांतरित हुआ, न्यायालय गोरखपुर चला गया। शुरुआत में मानद मुंसिफ न्यायालय भी थे। 1903 में, ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय को सुलभ बनाने के लिए ग्राम मुंसिफों की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन 1909 तक योग्य कर्मियों की कमी के कारण केवल सीमित संख्या में ही नियुक्तियां हो पाई थीं। गोरखपुर जिले में कभी वर्तमान देवरिया भी शामिल था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस पूरे क्षेत्र पर दीवानी और आपराधिक मामलों का अधिकार प्राप्त था और वे बस्ती जिले से आने वाली आपराधिक अपीलों की भी सुनवाई करते थे। 1 अगस्त 1945 को बस्ती न्यायिक क्षेत्र को अलग कर दिया गया, और गोरखपुर न्यायिक क्षेत्र में गोरखपुर और देवरिया शामिल हो गए। 1964 में देवरिया और 1990 में महाराजगंज एक अलग न्यायिक क्षेत्र बन गए, जिससे इस क्षेत्र का न्यायिक मानचित्र और अधिक सुव्यवस्थित हो गया।

मौजूदा न्यायालय परिसर

जिला न्यायाधीश ऐतिहासिक ब्लॉक वास्तुकला और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना है जो जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का अभिन्न अंग है। वर्तमान में इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय, लेखा अनुभाग, नजरात अनुभाग, ई–सेवा केंद्र और प्रतिलिपि अनुभाग स्थित हैं, जो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को पूरा करते हैं। 1908 से पहले निर्मित यह भवन औपनिवेशिक काल की न्यायिक वास्तुकला का प्रमाण है और डेढ़ शताब्दी से अधिक समय से न्याय प्रशासन के लिए निरंतर उपयोग में है। अपनी आयु और ऐतिहासिक महत्व के कारण, इस संरचना को विरासत भवन के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करते हुए आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के लिए कार्यात्मक उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु, वर्ष 2019 में नवीनीकरण और संरक्षण कार्य किया गया था। वर्तमान में, यह भवन लगभग 118 वर्ष पुराना है और जिला न्यायपालिका के समृद्ध कानूनी इतिहास और संस्थागत विरासत को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण न्यायिक स्थल के रूप में कार्य कर रहा हैं।

न्यायालय भवन और अवसंरचना का अवलोकन

24 न्यायालय कक्षों वाला भवन

24 न्यायालय कक्षों वाला भवन, जी+7 भवन है, जिसका निर्माण 23.03.2022 को पूरा हुआ। वर्तमान में इस भवन में 24 पूर्ण रूप से कार्यरत न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ भी हैं। न्यायालय कक्ष पहली से छठी मंजिल तक कार्यरत हैं, जबकि सातवीं मंजिल पर पुस्तकालय, बैठक कक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। यह भवन लगभग चार वर्ष पुराना है और न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादियों की सुगमता के लिए इसमें चार लिफ्ट लगे हुए हैं। इस भवन में कार्यरत न्यायालयों में ए0डी0जे0 (एफ0टी0सी0), ए0डी0जे0(पाक्सो), ए0डी0जे0 (एन0डी0पी0एस0), ए0डी0जे0 (एस0सी0/एस0टी0), ए0डी0जे0 (यू0पी0एस0ई0बी0/गैंगस्टर एक्ट), ए0डी0जे0 (पी0सी0 एक्ट), ए0डी0जे0 (ई0सी0 एक्ट), अन्य ए0डी0जे0 न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार

न्यायालय, एम0ए0सी0टी0, वाणिज्यिक न्यायालय, सर्वर कक्ष, गवाह कक्ष, औषधालय, यूपीएसएसएफ द्वितीय वाहिनी कार्यालय शामिल हैं। भवन के शीर्ष पर 34 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है।

12 न्यायालय कक्षों वाली इमारत

12 न्यायालय कक्षों वाले इस (ग्राउंड. 2) इमारत का निर्माण कार्य 25 जुलाई, 1981 को पूर्ण हुआ था। इस इमारत में 12 न्यायालय कक्षों की व्यवस्था है, जिनमें से अपर परिवार न्यायाधीश के तीन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं। पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और न्यायालय कार्यालय भी इसी इमारत में स्थित हैं। इमारत की आयु लगभग 45 वर्ष है। इस इमारत का अंतिम जीर्णोद्धार कार्य दिसंबर, 2016 में किया गया था। कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादियों की सुगम आवाजाही के लिए इस इमारत में 2 लिफ्ट स्थापित की गई हैं।

10 न्यायालय कक्षों वाली इमारत

10 न्यायालय कक्षों वाले (ग्राउंड़2) इमारत का निर्माण कार्य 18 नवंबर, 2006 को पूर्ण हुआ था। इस इमारत में 10 न्यायालय कक्षों की व्यवस्था है, जिनमें जे0एस0सी0सी0 न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन), ए0सी0जे0(सीनियर डिवीजन), ए0सी0जे0(जूनियर डिवीजन), कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, न्यायालय प्रबंधक का कक्ष और भंडार कक्ष शामिल हैं। पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और न्यायालय कार्यालय भी इसी इमारत में स्थित हैं। इमारत की आयु लगभग 20 वर्ष है। इस इमारत का अंतिम जीर्णोद्धार कार्य जनवरी 2019 में किया गया था। इस इमारत में शून्य–निर्यात प्रणाली पर आधारित 100 किलोवाट का ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है।

05 कोर्ट रूम वाला फास्टट्रैक भवन

5 न्यायलय कक्षों वाले (ग्राउंड. 1) भवन का निर्माण 18 मई, 2002 को पूर्ण हुआ था। इस भवन में 5 कोर्ट रूम हैं, जिनमें ए0सी0जे0(सीनियर डिवीजन), ए0सी0जे0(जूनियर डिवीजन), विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन न्यायाधीशों के कक्ष, तथा स्टेनोग्राफर कक्ष और कोर्ट कार्यालय शामिल हैं। भवन की आयु लगभग 24 वर्ष है। इस भवन का अंतिम जीर्णोद्धार कार्य जनवरी, 2020 में किया गया था।

04 न्यायालय कक्ष भवन (जूनियर डिवीजन भवन)

04 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन वर्ष 1980 में निर्मित किया गया था। इस भवन में 04 न्यायालय कक्षों की व्यवस्था है, जिनमें ए0सी0जे0(जूनियर डिवीजन) और अपर न्यायालय (एन0आई0 अधिनियम) शामिल हैं। पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर और न्यायालय कार्यालय भी इसी भवन में स्थित हैं। भवन की आयु लगभग 46 वर्ष है।

पारिवारिक न्यायालय कार्यालय भवन

पारिवारिक न्यायालय भवन का निर्माण लगभग वर्ष 1997 में हुआ था। इस भवन में अपर पारिवारिक न्यायालय के 3 कार्यालयों का प्रावधान है। इस भवन का अंतिम जीर्णोद्धार कार्य मार्च 2024 में किया गया था।

02 न्यायालय भवन (लाल भवन)

लाल भवन धरोहर ब्लॉक एक वास्तुकला और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना है जो जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का अभिन्न अंग है। लाल भवन का निर्माण वर्ष 1908 में हुआ था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटी थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह का पुलिस से टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना में तीन नागरिक और 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। गोरखपुर जिला न्यायालय के सत्र न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। चौरी चौरा मामले की कार्यवाही इसी धरोहर भवन में हुई थी। वर्तमान में यह भवन सिविल जज (सीनियर डिवीजन ब्लॉक) और स्थायी लोक अदालत के रूप में जाना जाता है। भवन लगभग 118 वर्ष पुराना है। अब यह भवन जर्जर अवस्था में है।

02 न्यायालय कक्ष भवन (सीनियर डिवीजन भवन)

02 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन वर्ष 1972 में निर्मित किया गया था। इस भवन में 02 न्यायालय कक्षों की व्यवस्था है, जिनमें ए0सी0जे0 (सीनियर डिवीजन) और सीनियर डिवीजन (एफ0टी0सी0) न्यायालय शामिल हैं। पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष और न्यायालय के कार्यालय भी इसी भवन में स्थित हैं। इस भवन का अंतिम जीर्णोद्धार कार्य अक्टूबर 2024 में किया गया था।

अन्य भवन एवं सुविधाएं

न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगात्मक भवन भी शामिल हैं, जैसे कि ए.डी.आर

केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, कैंटीन, लॉकअप, सी0सी0टी0वी0 नियंत्रण कक्ष, पुराना बैठक कक्ष, सिविल रिकॉर्ड कक्ष (1908 में निर्मित ऐतिहासिक भवन), आपराधिक रिकॉर्ड कक्ष (1990 में निर्मित ऐतिहासिक भवन), बार एसोसिएशन भवन, दोपहिया वाहनों के लिए बहुस्तरीय पार्किंग, बैंक, मंदिर, मस्जिद।

बाह्य न्यायालय

गोरखपुर न्यायपालिका में बांसगांव नामक एक बाह्य न्यायालय है। यहां दो ऐतिहासिक भवन भी हैं – एक सिविल जज सीनियर डिवीजन और एक अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय। ये भवन लगभग 123 वर्ष पुराने हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की इमारत का जीर्णोद्धार वर्ष 2019 में और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट की इमारत का जीर्णोद्धार वर्ष 2023 में पूरा हुआ। इसके अलावा वर्ष 2012 में निर्मित 3 कोर्ट रूम (जी+1) भवन भी हैं जिनमें ए0सी0जे0 (जूनियर डिवीजन) कोर्ट शामिल हैं।

ग्राम न्यायालय

गोरखपुर में गोला, कैम्पियारगंज, चौरी चौरा तहसीलों में ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। ये न्यायालय संबंधित तहसीलों के बार एसोसिएशनों द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में संचालित होते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच सुनिश्चित होती है।



जिला न्यायाधीश विरासत ब्लॉक



24 न्यायालय कक्ष भवन



पारिवारिक न्यायालय कार्यालय भवन



2 न्यायालय कक्ष



5 न्यायालय कक्ष



वी.सी. कक्ष

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	27	18
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	12
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	27	17
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	05	04
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	50651	211325	261976	8437	137125	145562	6817	130763	137580	52271	217687	269958
2025	52271	217687	269958	8692	154590	163282	10831	140302	151133	50132	231975	282107

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	4388	4318	8706	2225	1542	3767	2612	1680	4292	4001	4180	8181
2025	4001	4180	8181	2115	1606	3937	2323	1693	4016	3793	4093	7886

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1032	238	185	1085
2025	1085	72	856	301

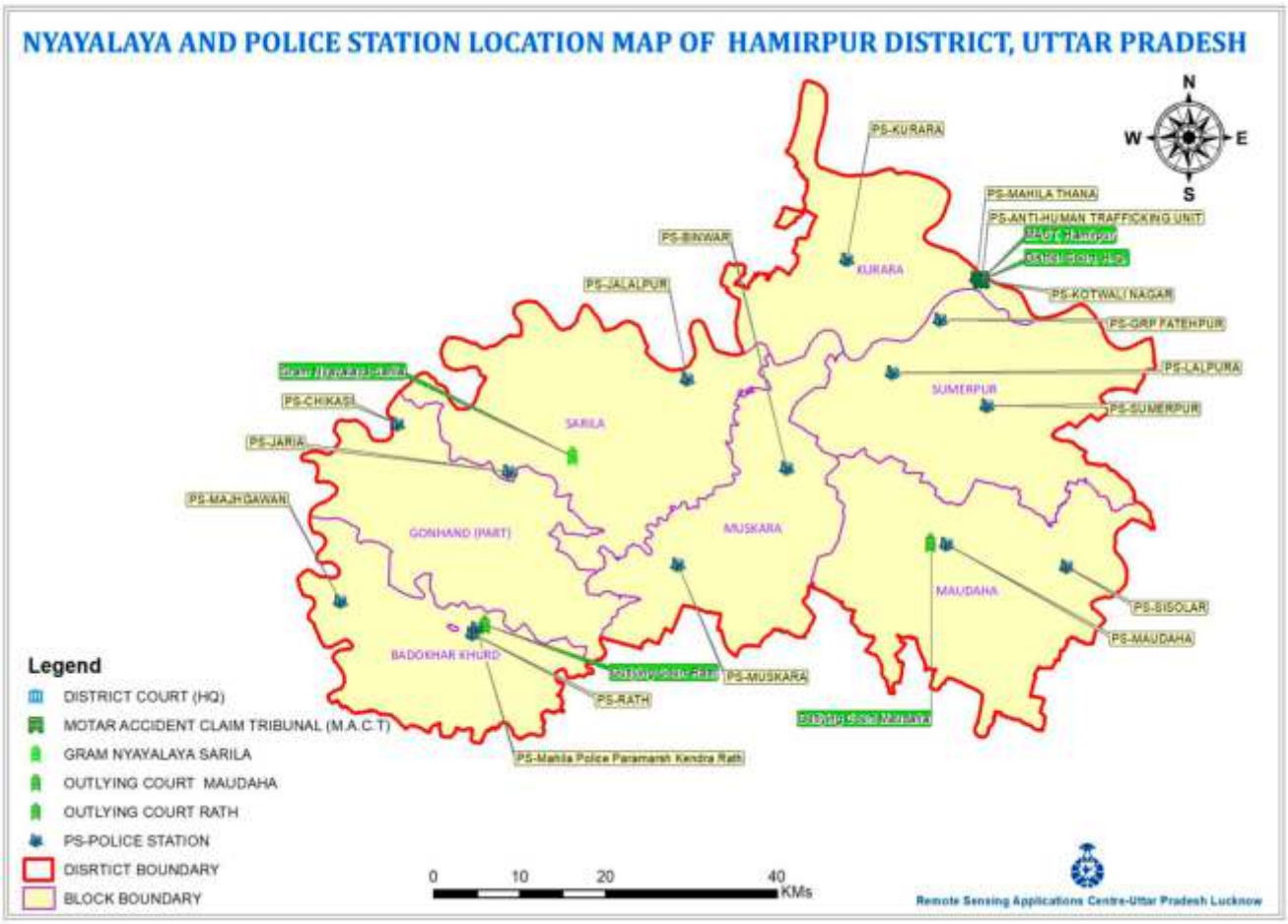
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	6710	2372	2712	6370
2025	6370	2382	2651	6101

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	297	54	94	257
2025	257	316	306	267

जनपद न्यायालय हमीरपुर



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जनपद हमीरपुर, चित्रकूट धाम मंडल का भाग है। जनपद मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 146 कि.मी. तथा चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय से लगभग 139 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जनपद मुख्यालय हमीरपुर, यमुना एवं बेतवा नदियों के मध्य स्थित है तथा जनपद न्यायालय परिसर यमुना नदी के तट पर अवस्थित है।

जनपद हमीरपुर में स्वतंत्र मुंसिफ न्यायालय का अस्तित्व लगभग 100 वर्ष पूर्व का है, जिसका प्रमाण अभिलेखागार में उपलब्ध वर्ष 1917 के मूल वाद (O.S.) रजिस्टर से प्राप्त होता है। पूर्व में जनपद हमीरपुर का सत्र प्रभाग जनपद झांसी से संबद्ध था तथा वर्ष 1945 से झांसी के अपर सत्र न्यायाधीश हमीरपुर में कार्य करते थे। इसके पश्चात सत्र प्रभाग को जनपद बांदा से संबद्ध कर दिया गया। वर्ष 1956 में हमीरपुर न्यायाधीश पद, बांदा का बाह्य न्यायालय (Outlying Court) के रूप में कार्य करता रहा।

वर्ष 1969 में जनपद न्यायालय, हमीरपुर को स्वतंत्र न्यायाधीश पद के रूप में स्थापित किया गया तथा दिनांक 02.12.1969 को श्री जगदीश शर्मा को प्रथम जनपद एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उस समय महोबा, हमीरपुर न्यायाधीश पद का बाह्य न्यायालय था, जिसे वर्ष 1997 में पृथक कर स्वतंत्र जनपद न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया।

वर्तमान में हमीरपुर न्यायाधीश पद के मुख्यालय पर 26 न्यायालय संचालित हैं तथा तहसील राठ एवं मौदहा में 2 बाह्य न्यायालय कार्यरत हैं। जनपद में तहसील सरीला में एक ग्राम न्यायालय भी कार्यरत है। एक परिवार न्यायालय जनपद न्यायालय परिसर में संचालित है तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक स्थायी लोक अदालत भी न्यायालय परिसर में स्थापित एवं संचालित है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का विवरण

दस न्यायालय भवन

दस न्यायालय भवन का उद्घाटन दिनांक 17.01.1981 को माननीय न्यायमूर्ति श्री नारायण दत्त ओझा द्वारा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री जी.डी. चतुर्वेदी की उपस्थिति में किया गया। यह भवन वर्तमान में हमीरपुर न्यायाधीश पद का मुख्य न्यायालय भवन है, जिसमें जनपद न्यायाधीश सहित अन्य न्यायालय संचालित हैं।

छह न्यायालय भवन

नव–निर्मित G2 भवन में 6 आधुनिक न्यायालय कक्षों के साथ अधिकारी कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष एवं न्यायालय कार्यालय आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छह न्यायालय भवन का ई–उद्घाटन दिनांक 12.08.2020 को माननीय श्री न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा, माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, जनपद न्यायालय हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया। इस भवन में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालय संचालित हैं।

चार न्यायालय भवन

चार न्यायालय भवन का उद्घाटन दिनांक 04.05.2000 को माननीय न्यायमूर्ति श्री खेम करण द्वारा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री एस.के. पांडेय की उपस्थिति में किया गया। इस भवन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय संचालित हैं।

एडीआर भवन

एडीआर केंद्र न्यायालय परिसर में पृथक रूप से स्थित है। इसका उद्घाटन दिनांक 17.09.2017 को माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. मिश्रा द्वारा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री बी. राम की उपस्थिति में किया गया। इस भवन में स्थायी लोक अदालत, विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, टॅक्ट केंद्र, मध्यस्थता केंद्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित हैं।

बाह्य न्यायालय

राठ

राठ स्थित बाह्य न्यायालय जनपद मुख्यालय से 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इसका उद्घाटन दिनांक 18.03.1997 को माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एच. जैदी द्वारा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री एम.एस. प्रेमी की उपस्थिति में किया गया। राठ में एक सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायालय, शासनादेश दिनांक 31.03.1999 के अनुसार स्वीकृत हुआ और अपने भवन में संचालित है।

एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शासनादेश दिनांक 19.09.2024 के अनुसार स्वीकृत हुआ तथा दिनांक 25.10.2024 से बार एसोसिएशन राठ भवन में संचालित है।

मौदहा

मौदहा स्थित बाह्य न्यायालय जनपद मुख्यालय से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मौदहा में सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) न्यायालय शासनादेश दिनांक 13.04.2000 के अनुसार स्वीकृत हुआ तथा अपने भवन में संचालित है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय सरीला, जनपद मुख्यालय से 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इसे शासनादेश दिनांक 24.11.2015 के अनुसार स्थापित किया गया तथा दिनांक 20.01.2022 से यह राजकीय भवन में संचालित है।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में कंप्यूटर कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, कैंटीन भवन, लॉकअप, मीटिंग हॉल, सिविल अभिलेखागार तथा अधिवक्ताओं के चौंबर जैसी सहायक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

जनपद न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में दीवानी एवं आपराधिक मामलों की मूल न्यायालय (Original Jurisdiction) के रूप में सुनवाई करता है। यह परीक्षण न्यायालय के साथ–साथ प्रथम अपीलीय एवं पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। यह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता है।

जनपद हमीरपुर में चार तहसीलें हैं–हमीरपुर, मौदहा, राठ एवं सरीला।

सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), मौदहा–क्षेत्राधिकार मौदहा तहसील तक सीमित

सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), राठ–क्षेत्राधिकार राठ तहसील तक सीमित

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राठ–केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई

ग्राम न्यायालय, सरीला– `25,000/–तक के दीवानी एवं लघु आपराधिक मामलों की सुनवाई सभी न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

राजस्व न्यायालयों का योगदान

जिलाधिकारी, हमीरपुर को संबोधित पत्राचार के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा पत्र संख्या 712/G.C.–9–सूचना (2021–22) दिनांक 18.02.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में कुल 27 न्यायालय स्थापित हैं, जिनमें 24 राजस्व न्यायालय एवं 03 चकबंदी न्यायालय सम्मिलित हैं।

राजस्व न्यायालय भूमि संबंधी विवादों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी समस्त कार्यवाहियां कंप्यूटरीकृत कर दी गई हैं, जिससे कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

बार एसोसिएशन

जिला बार एसोसिएशन, हमीरपुर (पंजीकरण संख्या 403/1989) प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिसिंग जिला बार एसोसिएशन, हमीरपुर (स्थापना वर्ष 2015–2016, पंजीकरण संख्या 891)



मुख्य भवन, द्वार संख्या 1



छह कोर्ट भवन



दस कोर्ट भवन



एडीआर भवन



एसीजेएम रथ कोर्ट



ग्राम न्यायलय सरिला



सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मौदाहा



रथ कोर्ट परिसर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	14	8
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	10	7
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	0
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	7871	51699	59570	4035	71689	75724	3819	70993	74812	8087	52395	60482
2025	8087	52395	60482	1337	26356	27693	1460	27023	28483	7964	51728	59692

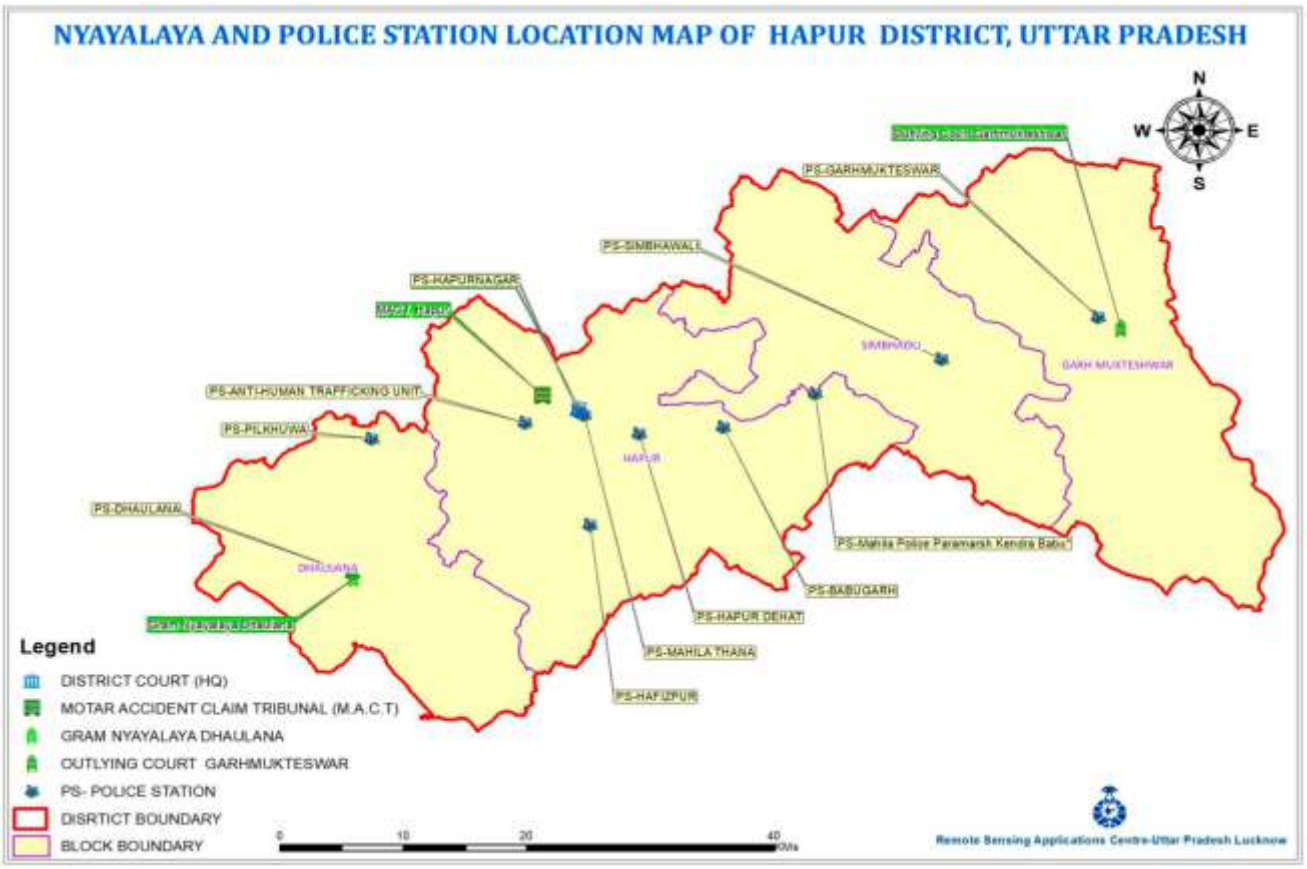
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1121	1615	2736	386	374	760	308	213	521	1199	1776	2975
2025	1199	1776	2975	547	599	1146	759	919	1678	987	1456	2443

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1069	431	517	983
2025	983	551	567	967

जनपद न्यायालय हापुड़



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना/कार्यप्रणाली हापुड़ के रूप में 07.02.2015 से शुरू हुई। जिला न्यायालय हापुड़ का उद्घाटन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था। जिला न्यायालय हापुड़ की स्थापना से पहले, यह गाजियाबाद जिला न्यायालय का वाह्य न्यायालय था।

गाजियाबाद जिले की स्थापना से पहले, हापुड़ तहसील मेरठ जिला न्यायालय का वाह्य न्यायालय था, लेकिन दिनांक 14.11.1976 को गाजियाबाद जिले की स्थापना के बाद, हापुड़ तहसील मेरठ जिला न्यायालय के वाह्य न्यायालय से गाजियाबाद जिला न्यायालय के वाह्य न्यायालय में बदल गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल दो न्यायालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थापित किए गए थे। सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 1247/VII–न्याय–541/70, दिनांक 19 जुलाई 1975 के माध्यम से तहसील हापुड़ में, जिला न्यायालय मेरठ के अधीन, प्रथम मुंसिफ की नियुक्ति दिनांक 08–09–1975 को तहसील हापुड़ में जिला न्यायालय मेरठ के अधीन की थी। एक माह बाद, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति अक्टूबर 1975 में तहसील हापुड़ में जिला न्यायालय मेरठ के अधीन की गई थी।

गाजियाबाद के जिला न्यायालय के अधीन तहसील हापुड़ में सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) न्यायालय की स्थापना 23.12.1987 को सरकारी आदेश संख्या 647/VII–।–न्याय–369/76, दिनांक 31.07.1987 के माध्यम से की गई थी। तहसील हापुड़ में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद जिला न्यायालय के अधीन जी.ओ. संख्या 118/VII–न्याय–आव्य–एनआई –718/87 दिनांक 12.10.1989 के माध्यम से सृजित/कार्यशील किया गया था।

तहसील हापुड़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय 03–09–1997 को सरकारी आदेश संख्या 2707/VII–न्याय–2–369/76, दिनांकरू 03–09–1997 के तहत गाजियाबाद जिला न्यायालय के अधीन स्थापित किया गया था।

जिला पंचशील नगर/हापुड़ सरकारी अधिसूचना संख्या 2877/1–5–2011–153/2011 पुनरीक्षण संख्या 5, दिनांक : 28 सितंबर, 2011 के तहत स्थापित किया गया था।

जिला न्यायालय, हापुड़ का गठन सरकारी आदेश संख्या 957/VII–न्याय–2–2012–202G/2011, दिनांकः 13–08–2012 के तहत किया गया था और पहले ओ० एस० डी० की नियुक्ति 22–08–2012 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या सरकारी गृह (पुलिस) अनुभाग–9, क्रमांक यू.ओ.–64/6–पो.–9–2014–202 जी–2011 टी.सी.–न्याय–2, लखनऊ, दिनांकरू 26 दिसंबर, 2014 के द्वारा सत्र प्रभाग हापुड़ के रूप में घोषित किया गया था।

वर्तमान में हापुड़ जिला न्यायालय में 29 न्यायालय स्वीकृत हैं, जिनमें गढ़मुक्तेश्वर बाह्य न्यायालय और धौलाना ग्राम न्यायालय शामिल हैं। इनमें से 23 न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें से 14 न्यायालय हापुड़ जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत हैं, जिनमें से 8 न्यायालय कक्ष हापुड़ जिला न्यायालय के मुख्य भवन में कार्यरत हैं और 6 न्यायालय कक्ष हापुड़ स्थानीय प्रशासन और हापुड़ जिला बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

हापुड़ नगर पालिका परिषद में भी 6 न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं। ये न्यायालय कक्ष हापुड़ स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

वर्तमान में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित बाह्य न्यायालय में 2 न्यायालय कार्यरत हैं और हापुड़ के स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया तहसील धौलाना में 1 ग्राम न्यायालय कार्यरत है।

मौजूदा न्यायालय परिसर

वर्तमान में इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल अभिलेखागार, प्रशासनिक कार्यालय, लेखा अनुभाग, नजारत अनुभाग और सीसीटीवी प्रणाली नियंत्रण कक्ष स्थित हैं, जो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को पूरा करते हैं। इस भवन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश प्रसाद महरोत्रा, तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल, 1982 को किया था, जिसमें जिला न्यायालय, हापुड़ का मुख्यालय कार्यरत है।

न्यायालय भवन और अवसंरचना का अवलोकन

न्यायालय भवनः जिला न्यायालय परिसर, हापुड़ (मुख्यालय)

8 न्यायालय कक्षों वाले इस भवन का निर्माण और उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश प्रसाद महरोत्रा, तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल, 1982 को किया था, जिसमें जिला न्यायालय, हापुड़ का मुख्यालय कार्यरत है। इस भवन की संरचना ग्राउंड फ्लोर और एक मंजिल की है। इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, ए०डी०जे०–I, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), प्रथम ए०डी०जे०/एफटीसी, द्वितीय ए०डी०जे०/एफटीसी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी के 8 न्यायालय कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त, हापुड़ स्थित जिला न्यायालय परिसर (मुख्यालय) में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), ए०डी०जे०–II, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहायक अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट , द्वितीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और द्वितीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी के 6 न्यायालय भी कार्यरत हैं।

हापुड़ स्थित जिला न्यायालय परिसर (मुख्यालय) में न्यायिक अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष, न्यायालय कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, अभिलेख कक्ष, प्रतिलिपि अनुभाग और नजरात कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादियों की सुगम आवाजाही के लिए भवन में सीढ़ियां बनी हुई हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएं :

न्यायालय परिसर में जिला न्यायालय हापुड़ (मुख्यालय) में कंप्यूटर अनुभाग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन जैसे सहायक भवन भी शामिल हैं।

बाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

बाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर में वर्तमान में दो न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शामिल हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय (सिविल जज जूनियर डिवीजन) की स्थापना 11–08–1989 को जिला न्यायालय गाजियाबाद के अधीन तहसील गढ़मुक्तेश्वर में की गई थी। अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट (अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन) का एक अन्य न्यायालय 1993 में बनाया गयाध्कार्यशील हुआ। बाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर में 2 न्यायालय कक्षों का भवन निर्मित है।

गढ़मुक्तेश्वर (हापुर) स्थित वाह्य न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर के कमरे, न्यायालय के कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, अभिलेख कक्ष, प्रतिलिपि अनुभाग और उप–नजरत कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ग्राम न्यायालय धौलाना (हापुड़) : –

ग्राम न्यायालय वर्तमान में तहसील धौलाना में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में कार्यरत है। ग्राम न्यायालय धौलाना की स्थापना सरकारी आदेश संख्या 25/2015/1462/VII–न्याय–2–2015–216G/2007 दिनांक 24–11–2015 के तहत स्वीकृत/स्थापित की गई थी। ग्राम न्यायालय धौलाना (हापुड़) में न्यायिक अधिकारी के कक्ष और न्यायालय का कार्यालय उपलब्ध है।



जिला न्यायालय हापुड



बाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर



ग्राम न्यायालय धौलाना

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	09	07
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	07	07
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	01	01
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5799	83184	88983	2199	58785	60984	2265	39118	41383	5733	102851	108584
2025	5733	102851	108584	2356	44075	46431	2073	38239	40312	6016	108687	114703

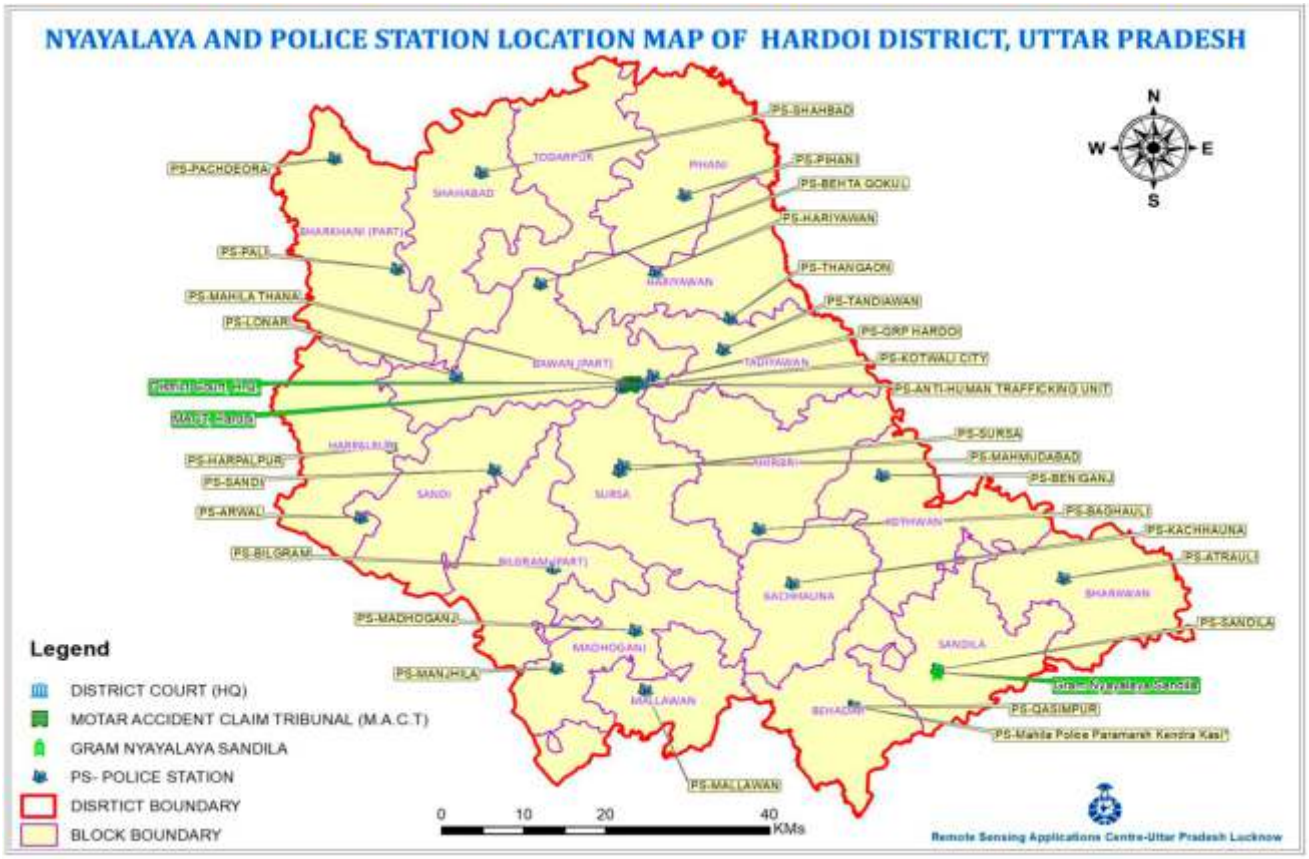
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	908	1002	1910	902	610	1512	751	536	1287	1059	1076	2135
2025	1059	1076	2135	860	598	1458	668	748	1416	1251	926	2177

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	507	555	629	590
2025	590	605	589	610

जनपद न्यायालय हरदोई



जनपद न्यायालय, हरदोई का संक्षिप्त विवरण

जनपद न्यायालय, हरदोई की स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी, जो हरदोई शहर के केंद्र में स्थित है। यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक क्षेत्राधिकार में सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। न्यायालय के कार्यों के संचालन में न्यायिक अधिकारियों और तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की सहायता ली जाती है, ताकि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। इस न्यायालय में कई न्यायालय भवन हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

दस न्यायालय कक्ष भवन

यह भवन तीन मंजिला है। दस न्यायालय कक्षों की आधारशिला वर्ष 1977 में हरदोई के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा रखी गई थी। इस भवन का उद्घाटन 26.02.1984 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री एम.एन. शुक्ला द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के अतिरिक्त 09 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त भवन के दूसरी मंजिल पर स्टेशनरी अनुभाग, पुस्तकालय, लेखा अनुभाग तथा अन्य न्यायालयों के कार्यालय स्थित हैं। भूतल पर मीटिंग हॉल, कंप्यूटर अनुभाग और नजारत अनुभाग के साथ अन्य न्यायालय कक्ष भी स्थित हैं।

छह न्यायालय कक्ष भवन

यह भवन दो मंजिला है, जिसका उद्घाटन 24.10.2005 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश भल्ला द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस भवन में विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम), अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC), अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम) सहित अन्य 05 न्यायालय संचालित हैं।

तीन न्यायालय कक्ष भवन

यह नवीन निर्मित तीन न्यायालय कक्षों का भवन है, जिसका उद्घाटन 24.08.2019 को हरदोई के तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रितुराज अवस्थी द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस भवन में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सहित 02 अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संचालित हैं। माह अगस्त 2020 में इसे जिला न्यायालय के अधीन स्थापित किया गया। परिवार न्यायालय में प्रत्येक न्यायालय के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं तथा पूर्व वाद (प्री–लिटिगेशन) सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

आनुकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ए०डी०आर० सेंटर)

इस भवन का उद्घाटन 12.12.2015 को हरदोई के तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. त्रिपाठी द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के कार्यालय के रूप में कार्यरत है। हरदोई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्ष 1987 से कार्य कर रहा है। यह कार्यालय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करता है और जिला हरदोई में लोक अदालतें आयोजित करता है। प्रथम तल पर एक मध्यस्थता केंद्र (मेडिएशन सेंटर) भी है, जिसमें 19 प्रशिक्षित परामर्शदाता हैं, जो पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान कराने में सहायता करते हैं।

सी.जे.एम. हेरिटेज भवन

यह भवन ऐतिहासिक महत्व की धरोहर है। वर्तमान में इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–I तथा पुराना अभिलेखागार कक्ष स्थित है। इस भवन में परिवार न्यायालय वाद, दीवानी वाद, सत्र वाद और आपराधिक न्यायालयों के अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं। इस अभिलेखागार में वर्ष 1862 से दीवानी वाद तथा वर्ष 1914 से फौजदारी वाद के अभिलेख सुरक्षित व उपलब्ध हैं। यह भवन वर्ष 1901 में उद्घाटित हुआ था। 100 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद यह भवन आज भी न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जे.एम.–I एवं II हेरिटेज भवन

यह भी ऐतिहासिक महत्व का धरोहर भवन है, जिसमें वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट–I एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट–II के न्यायालय संचालित हैं। यह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है और आज भी न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग बना हुआ है।

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) हेरिटेज भवन (Civil Judge Senior Division Heritage Building)

यह भवन भी ऐतिहासिक महत्व की धरोहर है। वर्तमान में इसमें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय संचालित हैं। इसका निर्माण वर्ष 1907 में हुआ था। 100 वर्ष से अधिक पुराना यह भवन आज भी न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और समृद्ध विधिक इतिहास को दर्शाता है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हेरिटेज भवन

यह भवन ऐतिहासिक महत्व की धरोहर है। वर्तमान में इसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पश्चिमी न्यायालय एवं कार्यालय संचालित है। यह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है और आज भी न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग बना हुआ है तथा समृद्ध विधिक इतिहास को दर्शाता है।

नया अभिलेखागार भवन

नया अभिलेखागार भवन चार मंजिला इमारत है, जिसका उद्घाटन 26.03.2022 को तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार द्वारा किया गया। यह भवन अग्निशमन की गैस आधारित आधुनिक प्रणाली से सुसज्जित है। अभिलेखों के सुरक्षित रख–रखाव हेतु आधुनिक तकनीक पर आधारित कॉमपैक्टर शेल्व्स (Compactor Shelves) स्थापित किए गए हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन

यह भवन एकल मंजिला है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 05 न्यायालय संचालित हैं, जिनमें सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफ०टी०सी० तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफ०टी०सी० के न्यायालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालय भी यहाँ संचालित हैं। इस भवन का उद्घाटन 11.09.2002 को तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार द्वारा किया गया था।

सी.सी.टी.वी. नियंत्रण कक्ष

न्यायालय परिसर में एक पूर्णतः वातानुकूलित सीसीटीवी कक्ष स्थापित किया गया है। न्यायालय में कुल 20 सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 09 डोम कैमरे, 09 पी०टी०जेड० कैमरे, तथा 02 बुलेट कैमरे शामिल हैं। साथ ही, 01 बैगेज स्कैनर तथा 04 डी०एफ०एम०डी० व 04 एच०एच०एम०डी० विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं, जो न्यायालय परिसर के लगभग पूरे क्षेत्र को दर्शाते हैं।

तीन मंजिला भवन

यह भवन तीन मंजिला है, जिसका उद्घाटन 24.08.2019 को हरदोई के तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रितुराज अवस्थी द्वारा किया गया। इस भवन में भूतल पर सी.जे.एम. कार्यालय, प्रथम तल पर विधिक सहायता रक्षा परामर्श कार्यालय (Legal Aid Defense Counsel Ofice) तथा द्वितीय तल पर विभिन्न गतिविधियों हेतु एक सभागार (हॉल) आरक्षित है।

निर्बाध विद्युत आपूर्ति

न्यायालय परिसर में 33 केवी का विशेष विद्युत फीडर स्थापित किया गया है, जिससे न्यायालय के सुचारु संचालन हेतु निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष

न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा जून 2016 से संचालित है। इसके माध्यम से जिला न्यायालय और जिला कारागार हरदोई के बीच बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाती है।

मूलभूत सुविधाएँ

सार्वजनिक उपयोग और वादकारियों के लिए 02 आर.ओ. पेयजल प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें 01 प्रणाली की क्षमता 250 लीटर प्रति घंटा है। सार्वजनिक शौचालयों के लिए महिलाओं हेतु 07 ब्लॉक तथा पुरुषों हेतु 07 ब्लॉक उपलब्ध हैं।

अन्य विविध जानकारी (Other Miscellaneous Information)

(क) वर्ष 2001 में पाँच फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए गए।

(ख) वर्ष 1989 एवं 1994 में चार न्यायालय (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जनपद न्यायालय, हरदोई में जोड़े गए।

(ग) जनपद न्यायालय, हरदोई की वेबसाइट भी संचालित है, जिस पर विभिन्न सूचनाएँ उपलब्ध हैं।

(घ) किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना वर्ष 2005 में की गई।

(ङ) जनपद न्यायालय, हरदोई में ई–सेवा केंद्र भी उपलब्ध है।

(च) जनपद न्यायालय, हरदोई के सभी भुगतान डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐतिहासिक भवन



सिविल जज (न्यायिक न्यायाधीश) का पश्चिमी ऐतिहासिक भवन



सिविल जज (न्यायिक न्यायाधीश) का ऐतिहासिक भवन



फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन



छह न्यायालय कक्षों वाला भवन



तीन न्यायालय कक्षों वाला भवन (पारिवारिक न्यायालय)



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष



नया अभिलेख कक्ष

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	20	7
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	9
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	12
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	16784	147447	164231	3702	97956	101658	3846	89196	93042	16640	156207	172847
2025	16640	156207	172847	4502	89760	94262	3670	84407	88077	17472	161560	179032

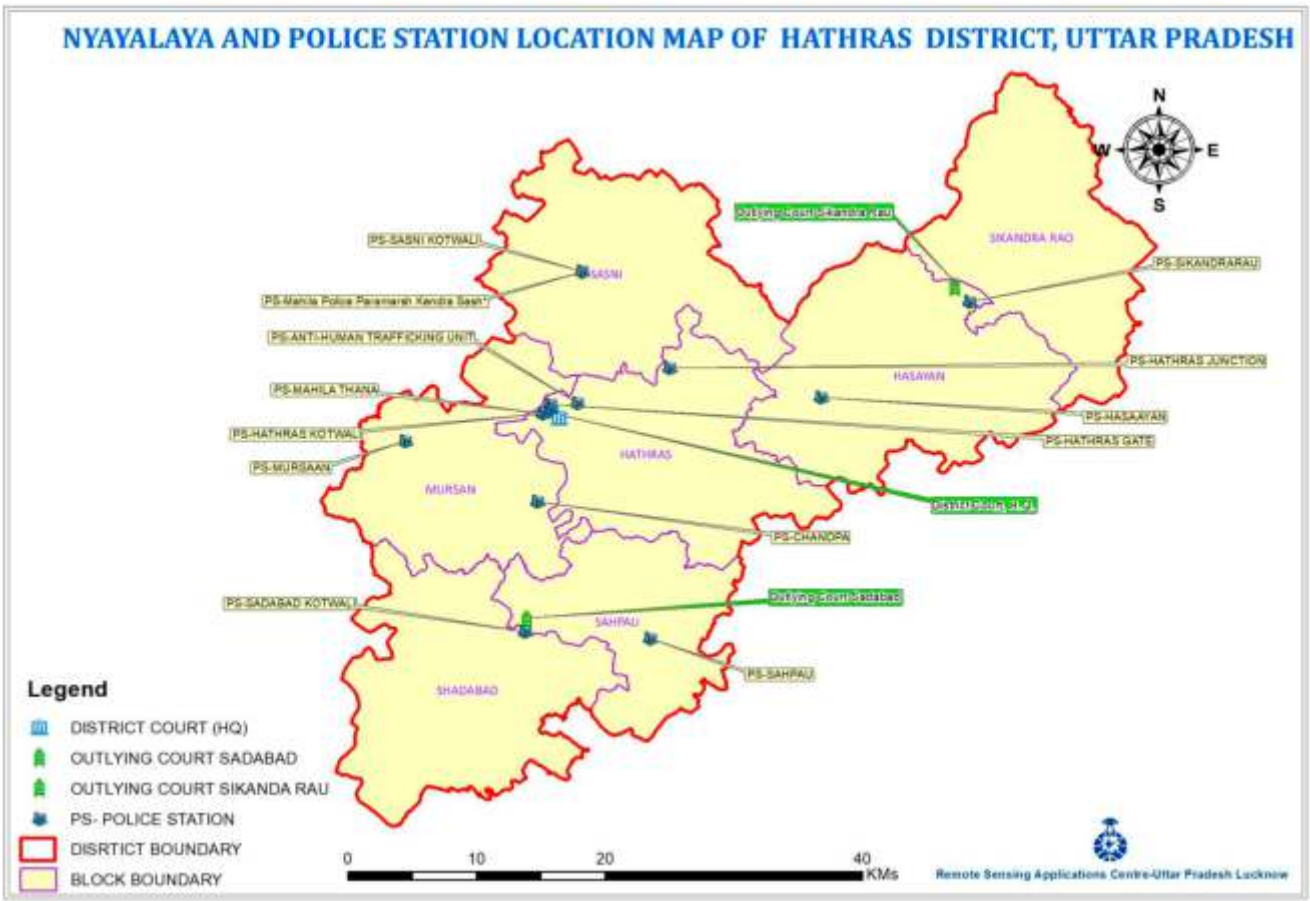
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3349	2352	5701	2549	1287	3836	2169	1308	3477	3729	2331	6060
2025	3729	2331	6060	2186	1302	3488	2038	1633	3671	3877	2000	5877

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1727	537	378	1886
2025	1886	837	429	2294

जनपद न्यायालय हाथरस



संक्षिप्त इतिहास

1716 ई. में, जाट शासक राजा नंदराम के बेटे भोज सिंह ने राजपूत शासकों से हाथरस का शासन अपने हाथ में ले लिया। भोज सिंह के बाद, उनके बेटे सदन सिंह हाथरस के शासक बने, और उनके बाद उनके बेटे भूरी सिंह शासक बने । ऐसा माना जाता है कि भूरी सिंह के शासनकाल के दौरान, हाथरस के किले में भगवान बलराम का मंदिर बनवाया गया था। श्री भूरी सिंह के बाद, 1775 ई. में उनके बेटे राजा दयाराम का राज्याभिषेक हुआ। 1784 में, सिंधिया शासक माधवराव ने हाथरस के आस–पास अपना शासन स्थापित किया। 1803 में इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। भारत की आजादी के बाद, हाथरस जनपद, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की एक तहसील था। हाथरस जिले का गठन उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या C.M.70/1–5–97(85)/97 राजस्व–5, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–5, दिनांक 06 मई, 1997 (लखनऊ) के अनुसार किया गया था । हालाँकि, इसका नाम बदलकर 'महामायानगर जनपद' कर दिया गया था और इसका मुख्यालय हाथरस में ही रखा गया था, लेकिन वर्ष 2012 में इसका नाम वापस इसके मूल नाम 'हाथरस' में बदल दिया गया। इसका गठन अलीगढ़ और मथुरा के पुराने जिलों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप किया गया था। वर्तमान में, हाथरस जिले में हाथरस सदर, सिकंदराराऊ, सासनी और सादाबाद उप–प्रभागों/तहसीलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र शामिल है। राजा दयाराम का किला शहर के ठीक बीच में स्थित है। जनपद न्यायालय इसी किले में स्थित हैं, और यहीं पर श्री दाऊजी महाराज का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जो लगभग 250 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई, शेष अवतार बलदेव जी महाराज और माता रेवती की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा भूरी सिंह के शासनकाल के दौरान, हाथरस के किले में भगवान श्री दाऊजी महाराज का यह मंदिर बनवाया गया था। तत्कालीन तहसीलदार श्री श्याम लाल और उनके वकील श्री गणेशी लाल की पहल पर, वर्ष 1912 में श्री दाऊजी महाराज का एक वार्षिक मेला शुरू किया गया था। इसके बाद, यह मेला–जिसे अब ''लक्खी मेला'' के नाम से जाना जाता है–हर साल भाद्रपद महीने में 'देव छठ' के अवसर पर

मनाया जाता है। उपर्युक्त दाऊजी मंदिर के संस्थापक राजा भूरी सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पूर्वज थेय राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा दया राम किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, तत्कालीन भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 1645/1133M (दिनांक 22.12.1920) के माध्यम से, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) की देखरेख में आने वाले विरासत स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए थे कि वे 'किला राजा दया राम' (हाथरस) और 'श्री दाऊजी महाराज मंदिर' जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

न्यायिक संरचना

कहा जाता है कि हाथरस में मुंसिफ की पहली अदालत वर्ष 1865 में बनाई गई थी। बाद में न्यायालय की संख्या बढ़ाई गई और 16.01.1999 को जब नया सत्र प्रभाग बनाया गया, तब हाथरस की वाह्य न्यायालय में तीन अदालतें काम कर रही थीं–जिनमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (S.D.), सिविल जज (J.D.) और अपर सिविल जज (J.D.) की अदालतें शामिल थीं। इसके अलावा, सादाबाद की वाह्य अदालत में भी दो अदालतें काम कर रही थीं।

हाथरस जिले के गठन के बाद, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 3351/G/VII–Nyay –2/98–42G/97TC–Lucknow, दिनांक 02 नवंबर, 1998 के तहत, हाथरस में जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। हाथरस में नए सत्र प्रभाग का उद्घाटन समारोह औपचारिक रूप से 16.01.1999 को आयोजित किया गया।

वर्तमान न्यायालय परिसर

1999 में सेशन डिवीजन के गठन के बाद से, अदालतें जनपद प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए दया राम किले (जिसे श्री दाऊजी महाराज मंदिर परिसर के नाम से भी जाना जाता है) में एक अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रही हैं। वर्तमान परिसर की इमारतें पूरे परिसर में अलग–अलग स्तरों पर फैली हुई हैं।

जनपद न्यायाधीश न्यायालय ब्लॉक–

जनपद न्यायाधीश न्यायाल; ब्लॉक, जो मूल रूप से पुरानी सदर तहसील की इमारत थी, सबसे ऊपर श्री दाऊजी महाराज मंदिर के सामने स्थित है। वर्तमान में इसमें जनपद न्यायाधीश, ADJ–1, ADJ (SC/ST), ADJ–3 और ADJ–4 के न्यायालयों के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यालय, नजरात, रिकॉर्ड रूम (आपराधिक), न्यायालय प्रबंधक कार्यालय, सर्वर कक्ष और विभिन्न संबंधित कार्यालय स्थित हैं।

CJM न्यायालय ब्लॉक–

CJM कोर्ट ब्लॉक–जो मूल रूप से पुराना मुंसिफी कैंपस है, ठीक बीच में स्थित है। वर्तमान में इसमें ADJ और मजिस्ट्रेट की विभिन्न अदालतें (जैसे ADJ/POCSO, ADJ-V, ADJ-VI, ADJ/FTC-I, CJM, CJ (सीनियर डिवीजन), CJ (जूनियर डिवीजन)) स्थित हैं। इनके साथ ही यहाँ रिकॉर्ड रूम (सिविल), कॉपीइंग सेक्शन, लाइब्रेरी और अन्य संबंधित कार्यालय भी मौजूद हैं।

PLA ब्लॉक–

PLA (स्थायी लोक अदालत ब्लॉक) परिसर के सबसे निचले हिस्से में स्थित है, जिसे वर्ष 2018–19 में जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया थाय वर्तमान में इसमें PLA, ACJM के न्यायालय तथा संबंधित कार्यालय स्थित हैं।

5 कोर्टरूम ब्लॉक–

5 कोर्टरूम वाला यह ब्लॉक जनपद प्रशासन द्वारा वर्ष 2020 में उपलब्ध कराई गई नवीनतम सुविधा है। वर्तमान में इसमें मजिस्ट्रेट कैडर के विभिन्न न्यायालय स्थित हैं।

परिवार न्यायालय, हाथरस

अपनी स्थापना के समय से ही, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का एक न्यायालय हाथरस स्थित जिला न्यायालय परिसर के भवन से एक अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है, जिसमें एक कोर्ट रूम, चौंबर, कार्यालय, स्टेनो कक्ष और वादकारी शेड आदि शामिल हैं।

प्रस्तावित नया एकीकृत न्यायालय परिसर

हाथरस न्यायक्षेत्र में, खरीदीध्अधिग्रहित भूमि पर एकीकृत न्यायालय (Integrated Court Complex) परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नए एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए, G.O. संख्या 56/2025/ 877584/saat & Nyaya –9(Budget)–2025–07–9099/11/2024, दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से 32231.08 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परिसर की आधारशिला (वर्चुअल माध्यम से) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.01.2026 को रखी गई थी।

आउटलाइंग कोर्ट सिकंदराराऊ

वर्तमान में, आउटलाइंग कोर्ट सिकंदराराऊ नए कोर्ट परिसर से संचालित हो रहा है, जिसका ई–उद्घाटन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 23.03.2024 को किया गया था। वर्तमान कोर्ट परिसर में सभी आवश्यक सुविधाओं और संबंधित कार्यालयों के साथ 2 कोर्टरूम हैं। फिलहाल, इस भवन से केवल सिविल जज (JD)/J.M. का 1 न्यायालय ही संचालित हो रहा है।

आउटलाइंग कोर्ट सादाबाद

आउटलाइंग कोर्ट सादाबाद, प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए SDM परिसर की पुरानी इमारतों से संचालित हो रहा है। वर्तमान में, आउटलाइंग कोर्ट सादाबाद में 03 अदालतें चल रही हैं। नए परिसर के निर्माण के लिए भूमि खरीदी/अधिग्रहित कर ली गई है। बजट प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लंबित है।



जिला न्यायाधीश न्यायालय परिसर भवन



जिला न्यायाधीश न्यायालय परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार



एसीजेएम न्यायालय भवन, सादाबाद



जेएम न्यायालय भवन, सादाबाद



बाह्य न्यायालय सिकंदराराऊ भवन



पारिवारिक न्यायालय भवन का बाहरी दृश्य

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	12	11
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	5
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	13	5
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	8615	69561	78176	2302	43016	45318	2039	38921	40960	8878	73656	82534
2025	8878	73656	82534	2638	50241	52879	2564	43017	45581	8952	80880	89832

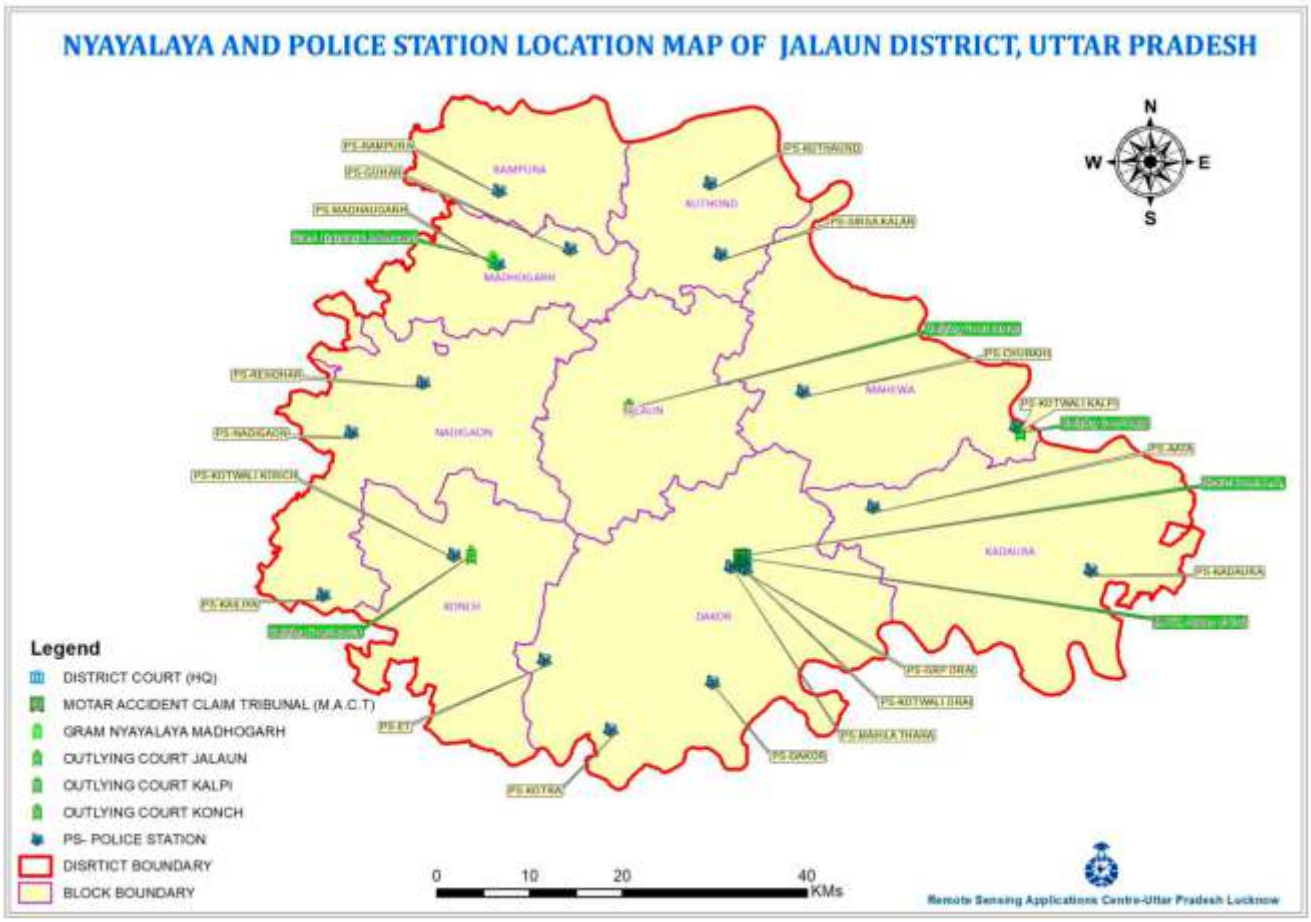
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1479	1596	3075	837	1172	2009	1016	1032	2048	1300	1736	3036
2025	1300	1736	3036	811	1035	1846	941	1209	2150	1170	1562	2732

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	944	745	581	1108
2025	1108	977	802	1283

जनपद न्यायालय जालौन



जिला न्यायालय जालौन स्थान उरई का संक्षिप्त इतिहासः–

जिला जालौन उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह शहर पूर्व में एक मराठा राज्यपाल का निवास स्थान था, लेकिन कभी भी जिले का मुख्यालय नही रहा। जिले का मुख्यालय उरई में है, जो कानपुर–झांसी राजमार्ग पर एनएच27 पर स्थित शहर है।

1971 तक जिला जालौन झांसी मंडल के अंतर्गत आता था। झांसी के मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/न्यायाधीश सप्ताह में दो बार जालौन स्थान उरई के सेशन हाउस भवन में अपने न्यायालय में बैठते थे, जो कि वर्तमान में जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई का राजकीय आवास (सेशन हाउस) के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। 1971 तक जनपद न्यायालय झांसी की बाह्य न्यायालय उरई थी।

वर्ष 1971 में जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई सेंशन्स डिवीजन के रूप में अस्तित्व में आया। स्वर्गीय श्री बी0एल0 गोयल, जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के प्रथम जिला न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 01.02.1971 से 05.02.1974 तक रहा। उनके बाद 35 जिला न्यायाधीश इस पद पर आसीन होकर अपने पद का निर्वहन किया। श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह वर्तमान में जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश है। जब जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/न्यायाधीश उरई में हरे–भरे उद्यानों से घिरे एक औपनिवेशिक बंगले में अपना न्यायालय लगाते थे, तब जिला न्यायाधीश का निवास ही न्यायालय हुआ करता था।

जिला न्यायालय में सुविधाएं

1. ई–सेवा केंद्र कार्यरत हैं।
2. अभिलेखागार (दीवानी एवं दण्डिक) ।
3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष।

बाह्य न्यायालय

बाह्य स्थित न्यायालय कोंच, जालौन और कालपी का क्रमशः वर्ष 1972, 1984 तथा 1988 में स्थापना की गयी थी।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय, तहसील माधौगढ़ का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। ग्राम न्यायालय, माधौगढ़ का संचालन वैकल्पित व्यवस्था के अंन्तर्गत जिला प्रशासन (शासन), जालौन द्वारा तहसील परिसर माधौगढ़ मुख्यालय में उपलब्ध कराये गये बार भवन में हो रहा है।



जिला एवं सत्र न्यायालय ओराई का पिछला दृश्य



जिला एवं सत्र न्यायालय ओराई का सामने का दृश्य



बाह्य न्यायालय कालपी भवन



बाह्य न्यायालय कालपी का मुख्य द्वार



ग्राम न्यायालय माधोगढ़



बाह्य न्यायालय जालौन का मुख्य द्वार

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	13	6
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	13603	54447	68050	8248	57549	65797	7317	53889	61206	14534	58107	72641
2025	14534	58107	72641	8116	49940	58056	7203	45077	52280	15447	62970	78417

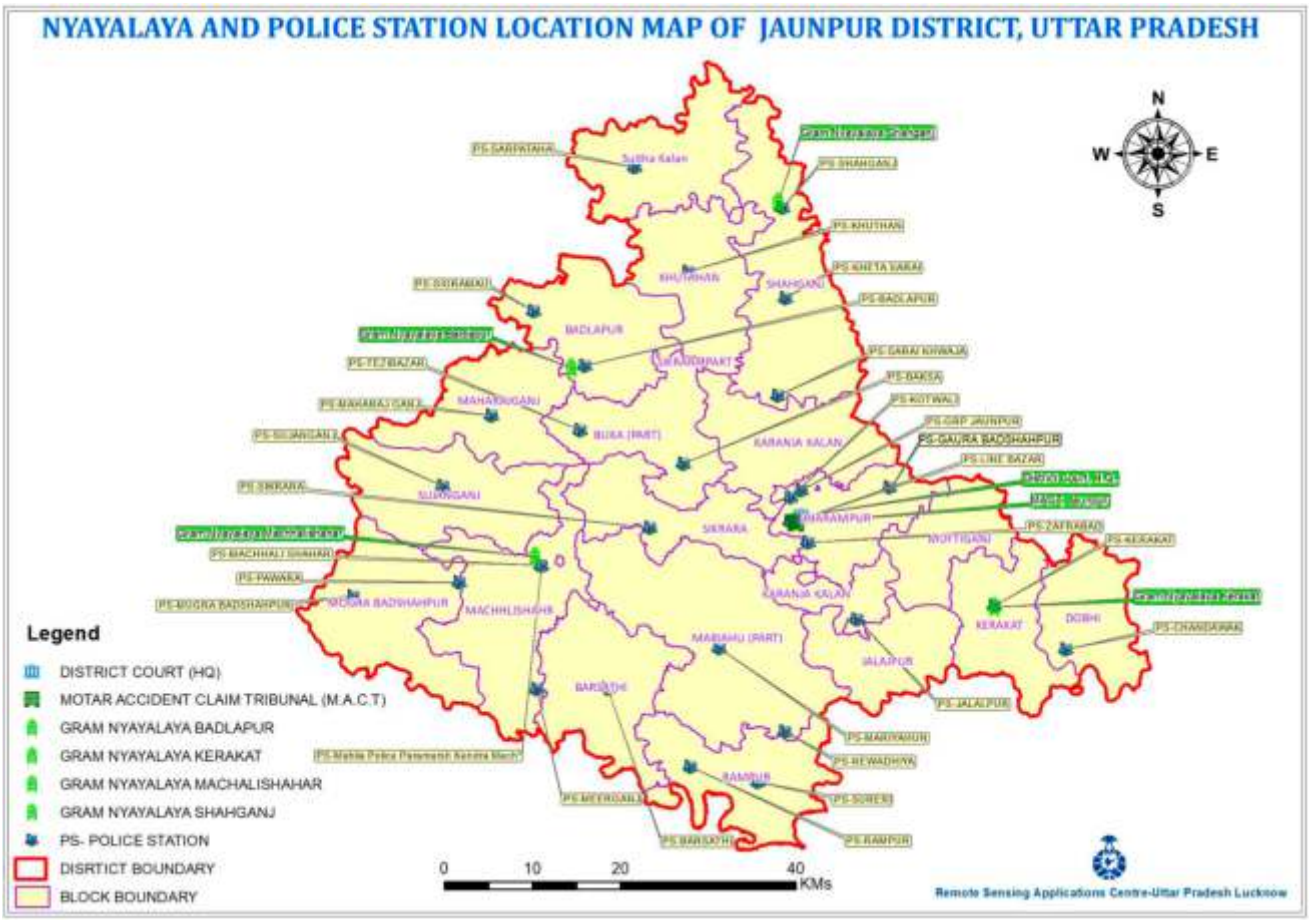
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1251	1621	2872	1678	1571	3249	1590	1634	3224	1339	1558	2897
2025	1339	1558	2897	2165	1519	3684	2213	1652	3865	1291	1425	2716

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	662	138	350	450
2025	450	168	309	309

जनपद न्यायालय जौनपुर



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

सन 1775 में जब बनारस प्रांत नवाब वजीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया, तब कोई स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी। मजिस्ट्रेटी अधिकार मुख्यतः आमिलों के पास थे, जो जिलों में राजस्व वसूली के साथ–साथ न्यायिक कार्य भी करते थे, तथा जौनपुर नगर के कोतवाल के पास भी मजिस्ट्रेटी एवं पुलिस संबंधी अधिकार थे।

यह व्यवस्था 1788 तक जारी रही, जब श्री डंकन ने मुफ्ती करीम–उल–अह को शहर और उपनगरों के लिए न्यायाधीश एवं पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। इसके विरुद्ध अपील बनारस के रेजिडेंट के समक्ष की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ष्मुल्की अदालतष की स्थापना की गई, जिसे दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। उच्च न्यायालय का कार्य रेजिडेंट द्वारा, सदर दीवानी और निजामत के न्यायाधीश के रूप में किया जाता था। न्यायाधीश का न्यायालय किले में स्थित था, जिससे उनके पद की गरिमा बनी रहे। सन् 1795 में उस वर्ष के विनियम VII के अंतर्गत देशी न्यायालय को समाप्त कर दिया गया तथा एक संविदा प्राप्त सिविलियन को जिला न्यायालय का न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जिसका अधिकार क्षेत्र लगभग वर्तमान जिले के समान था। उसी समय मुंसिफों की नियुक्ति की गई, काजियों की स्थिति को विधि द्वारा परिभाषित किया गया, जिनके कार्यों में दस्तावेजों का पंजीकरण भी शामिल था। पुलिस का नियंत्रण तहसीलदारों को सौंपा गया, जिन्होंने पूर्व के आमिलों का स्थान लिया। बनारस में एक प्रांतीय अपीलीय न्यायालय स्थापित किया गया, जिसके दो न्यायाधीश वर्ष में दो बार जौनपुर आकर जेल मामलों की सुनवाई करते थे। 1797 में इसे नियमित सर्किट न्यायालय बना दिया गया, जो 1829 में ऐसे न्यायालयों के समाप्त होने तक कार्य करता रहा। जौनपुर के न्यायाधीश के पास 1830 तक मजिस्ट्रेटी अधिकार रहे, जब ये कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिए गए। 1875 में न्यायाधीश का पद समाप्त कर दिया गया और जिले को पहले मिर्जापुर एवं बनारस के न्यायाधीशों के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में रखा गया, तत्पश्चात केवल बनारस के अधीन कर दिया गया। हालांकि 1880 में न्यायाधीश का

पद पुनः स्थापित किया गया और 1894 से उस अधिकारी को जौनपुर जिले के दीवानी एवं फौजदारी कार्यों के अतिरिक्त बस्ती में सत्र न्यायालय संचालित करने का दायित्व भी सौंपा गया।

1880 में अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया। अधीनस्थ न्यायाधीश को जौनपुर परगना का मुंसिफ नियुक्त किया गया, जबकि जौनपुर के मुंसिफ को जौनपुर तहसील के शेष क्षेत्रों के साथ खुंटहन और केराकत का अधिकार क्षेत्र दिया गया। शेष क्षेत्र मारियाहू के मुंसिफ के अधीन रखे गए। वर्तमान में जिला न्यायपालिका का नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जिनका मुख्यालय जौनपुर में स्थित है तथा यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

जौनपुर का जिला न्यायालय परिसर स्वतंत्रता –उत्तर काल में निर्मित आधुनिक भवनों तथा स्वतंत्रता–पूर्व काल की विरासत संरचनाओं का मिश्रण है। इसकी कुछ प्रमुख अवसंरचनात्मक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

10 कोर्ट कक्ष भवन

10 कोर्ट कक्ष भवन, जिसे सामान्यतः जिला जज ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, जिला न्यायपालिका की अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भवन में वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) का न्यायालय, ए.डी.जे. (एससी/एसटी) का न्यायालय, ए.डी.जे. (पॉक्सो) का न्यायालय, ए.डी.जे. (ई.सी. एक्ट) का न्यायालय तथा अन्य ए.डी.जे. न्यायालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें इंग्लिश कार्यालय, बिल अनुभाग और एक बैठक कक्ष भी स्थित है। साथ ही, इस भवन में तीन पारिवारिक न्यायालय भी संचालित होते रहे हैं।

यह भवन जी+2 (भूतल+दो मंजिल) संरचना वाला है, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1980 में किया गया था तथा वर्ष 2021 में इसका नवीनीकरण किया गया। भूतल एवं प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष संचालित होते हैं, जबकि द्वितीय तल पर इंग्लिश कार्यालय, बिल अनुभाग एवं विभिन्न न्यायालय कार्यालय स्थित हैं। भूतल पर एक षट्भुजाकार (हेक्सागोनल) बैठक कक्ष भी स्थित है।

यह भवन सतत ऊर्जा उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को भी दर्शाता है, जहाँ इसकी छत पर 100 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किया गया है।

पुराना न्यायालय भवन

पुराना न्यायालय भवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तु एवं ऐतिहासिक धरोहर है, जो जिला न्यायपालिका की अवसंरचना का अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान में इस भवन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ए.डी.जे.), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ए.सी.जे.एम.) तथा अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय संचालित होते हैं। इसके साथ ही इसमें नजारत अनुभाग, दीवानी एवं फौजदारी अभिलेख कक्ष तथा अनेक न्यायालयीय कार्यालय भी स्थित हैं।

यह भवन स्वतंत्रता–पूर्व काल में निर्मित है और औपनिवेशिक युग की न्यायिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए इसका निरंतर उपयोग होता रहा है। इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे एक विरासत भवन के रूप में जाना और माना जाता है।

सी.जे.एम. 4 कोर्ट कक्ष भवन

सी.जे.एम. 4 कोर्ट कक्ष भवन का निर्माण वर्ष 1965 में किया गया था। वर्तमान में इस भवन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों एवं अन्य न्यायालयों के साथ–साथ न्यायालय कार्यालय भी स्थित हैं।

एफ.टी.सी. 5 कोर्ट कक्ष भवन

5 कोर्ट कक्ष भवन एक आधुनिक संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 2002 में किया गया था तथा वर्ष 2022–2023 में इसका पुनः अनुरक्षण (री–मेंटेनेंस) किया गया।

इस भवन में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित होते हैं। इसके साथ ही इसमें न्यायालय कार्यालय एवं आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) कक्ष भी स्थित हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में विभिन्न सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनमें कंप्यूटर सेल, ए.डी.आर. केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, रजिस्ट्री भवन, खपरैल भवन, डाकघर भवन, संवेदनशील साक्षी बयान केंद्र तथा अस्थायी न्यायालय कक्ष भवन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नवीन चार मंजिला अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) एवं पुस्तकालय भवन का भी निर्माण किया गया है।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन),

शाहगंज का न्यायालय एक बाह्य न्यायालय के रूप में वर्गीकृत है। यद्यपि यह न्यायालय शाहगंज क्षेत्राधिकार की सेवा करता है, इसकी सुनवाई एवं प्रशासनिक कार्यवाही मुख्य न्यायालय परिसर, जिला मुख्यालय से ही संचालित की जा रही है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय वर्तमान में तहसील मछलीशहर, केराकत, बदलापुर एवं शाहगंज में कार्यरत हैं।

ग्राम न्यायालय मछलीशहर एवं बदलापुर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में संचालित हो रहे हैं, जबकि ग्राम न्यायालय केराकत एवं शाहगंज संबंधित तहसीलों की बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में कार्य कर रहे हैं।

निर्माणाधीन भवन

पारिवारिक न्यायालय का भवन, जो जी+4 संरचना वाला है, वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके पूर्ण होने पर इसमें पाँच न्यायालय कक्ष, अधिकारी कक्ष, पारिवारिक न्यायालय का अभिलेख कक्ष, बैठक कक्ष, मध्यस्थता एवं परामर्श कक्ष, साथ ही न्यायालय कार्यालय एवं आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) कक्ष शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, एक पृथक 16 न्यायालय कक्षों वाला भवन भी निर्माणाधीन है। इस सुविधा में सोलह न्यायालय कक्षों के साथ–साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए कक्ष एवं विश्राम कक्ष, तथा न्यायालय कार्यालय एवं आशुलिपिक कक्ष भी उपलब्ध होंगे।



पुरानी इमारत



नवनिर्मित पारिवारिक न्यायालय भवन



रिकॉर्ड कक्ष



जिला न्यायाधीश ब्लॉक



सीजेएम ब्लॉक



एफटीसी भवन



वीसी कक्ष

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	11
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	09	09
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	24	22
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	5	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	84636	128493	213129	7827	42120	49947	15727	39221	54948	76736	131392	208128
2025	76736	131392	208128	8519	47261	55780	20443	39148	59591	64812	139505	204317

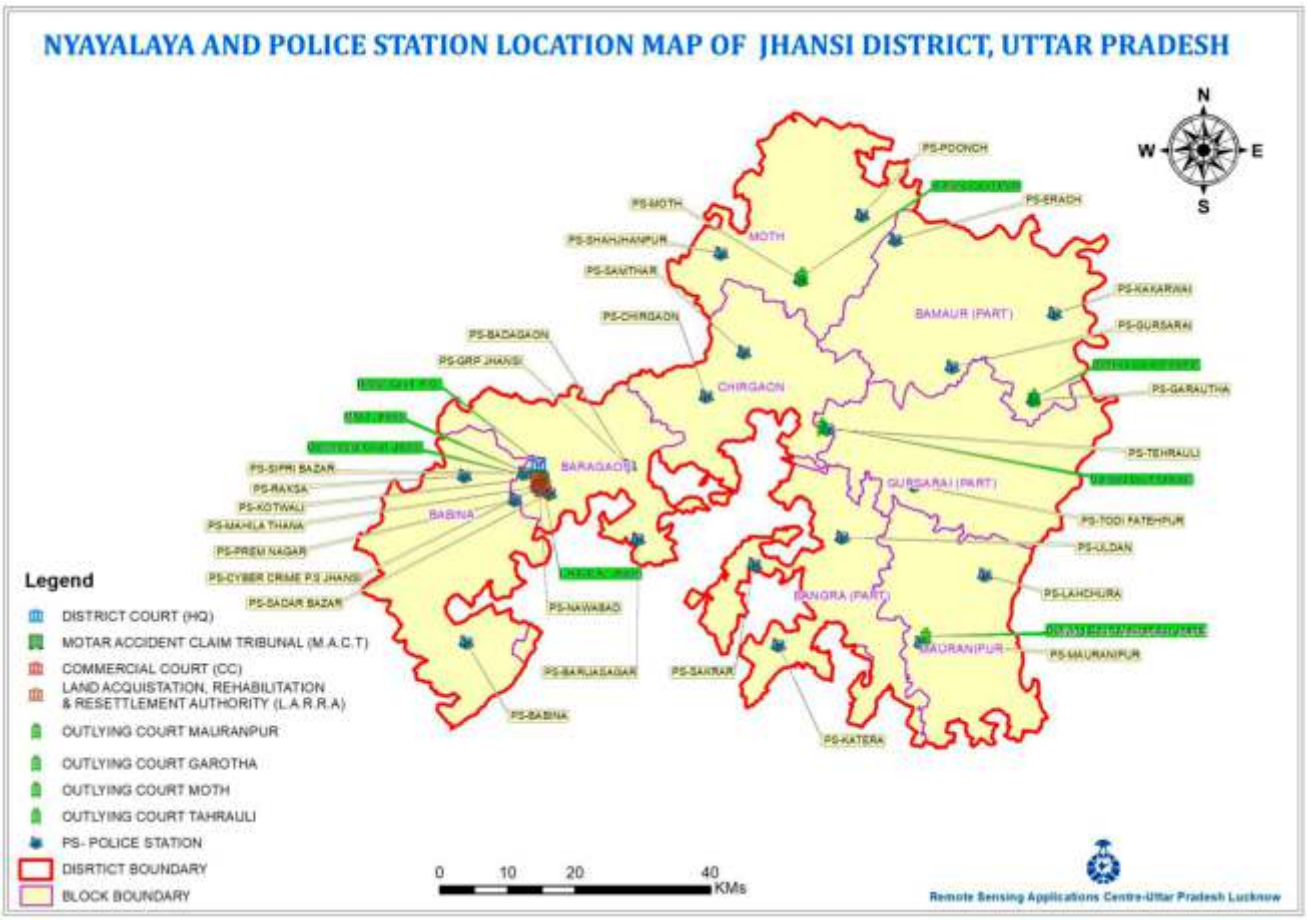
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2891	5052	7917	2976	4147	7123	2994	4072	7066	2873	5101	7974
2025	2873	5101	7974	2764	3961	6725	2650	3811	6461	2987	5251	8238

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3175	931	598	3508
2025	3508	1591	1116	3983

जनपद न्यायालय झाँसी



जिला न्यायालय का इतिहास

1909 में, झाँसी के न्यायिक न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, झाँसी के अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, झाँसी और ललितपुर के मुंसिफों के न्यायालय, साथ ही छावनी मजिस्ट्रेट का न्यायालय (जिनके पास लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ थीं), छह तहसीलदारों के न्यायालय और झाँसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र रखने वाले द्वितीय श्रेणी की शक्तियों वाले मानद मजिस्ट्रेटों की एक पीठ शामिल थी।

यह स्पष्ट है कि झाँसी जिले का जिला न्यायाधीशों के मामले में एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा हैय शुरुआती दौर में पहले जिला न्यायाधीश श्री एच. जे. बेल (1913–1923) थे, और उनके साथ–साथ कुछ अन्य जिला न्यायाधीश भी उस समय के प्रतिष्ठित 'इंडियन सिविल सर्विसेज' (ICS) कैडर से संबंधित थे। पहले भारतीय ICS न्यायाधीश श्री आर. एल. श्रीवास्तव थे, जिन्होंने 1933–1934 के दौरान कार्य किया। इसके अलावा, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कुछ जिला न्यायाधीशों को पदोन्नत करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ में भी भेजा गया, जिसे न्याय का एक महान केंद्र माना जाता है। श्री जग मोहन लाल सिन्हा, श्री एच. सी. मित्तल, श्री तेज शंकर, श्री वेद पाल, श्री ए. के. रूपनवाल, श्री एम. सी. जैन, श्री उमेशवर पांडे, श्री आलोक कुमार सिंह, श्री बच्चू लाल, श्री वीरेंद्र विक्रम सिंह और श्री हर्ष कुमार ऐसे ही कुछ नाम हैं। झाँसी न्याय–क्षेत्र के लिए यह भी बड़े गर्व की बात है कि श्री जग मोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, ने 10.11.1963 से 04.08.1965 की अवधि के दौरान झाँसी में जिला न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था।

भवन और अन्य बुनियादी ढाँचा :

झाँसी मुख्यालय पर स्थित भवनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

मुख्यालय पर स्थित सबसे पुराना भवन वर्ष 1895

का है, जिसमें वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय संचालित हो रहा है। इस भवन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 'विरासत भवन' (Heritage Building) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दस कक्षीय न्यायालय भवन परिसर की आधारशिला, तत्कालीन जिला न्यायाधीश श्री हरि हर शरण के कार्यकाल के दौरान, 25.11.1977 को झाँसी न्यायक्षेत्र के तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधीश श्री महेश नारायण शुक्ल द्वारा रखी गई थीय तथा इस भवन का उद्घाटन, तत्कालीन जिला न्यायाधीश (झाँसी) श्री हरि हर शुक्ल के कार्यकाल के दौरान, 23.09.1979 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र द्वारा किया गया था।

आठ कक्षीय न्यायालय भवन परिसर की आधारशिला 07.12.2002 को तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश श्री राम प्रकाश मिश्रा द्वारा रखी गई थी, और इसका उद्घाटन 26.07.2003 को तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश श्री राम प्रकाश मिश्रा द्वारा ही किया गया था।

फास्ट ट्रैक न्यायालयों के कामकाज के लिए निर्मित 'तीन कक्षीय न्यायालय भवन' सबसे नवीन है, और इस भवन की आधारशिला तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश श्री आई.एम. कुद्दुसी द्वारा 10.12.2001 को रखी गई थी।

मऊरानीपुर, गरौठा और मोठ में स्थित बाह्य न्यायालय क्रमशः 18.02.1984, 15.02.1988 और 22.05. 1999 को कार्यशील हो गए।

इसके अलावा, मुख्यालय में A.D.R. केंद्र और मऊरानीपुर तथा गरौठा में दो–दो कोर्ट रूम भवन बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री गोविंद माथुर द्वारा 05.06. 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

तहसील टहरौली में स्थित ग्राम न्यायालय, टहरौली बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए एक भवन में संचालित है। इस भवन का नवीनीकरण किया गया और 03.12.2024 को झांसी के जिला न्यायाधीश द्वारा इसका उद्घाटन किया गयाय यह 01.02.2025 से पूरी तरह से कार्यशील हो गया।

न्यायालय

मुख्यालय में

वर्तमान में, झांसी जिले में जिला न्यायाधीश संवर्ग के 5 न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय, पीठासीन अधिकारी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, झांसी शामिल हैं।

मुख्यालय के लिए 15 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायालय, परिवार न्यायालय के एक अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश का न्यायालय, 10 सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) संवर्ग के न्यायालय, 12 सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के न्यायालय, N.I. अधिनियम के तहत एक अतिरिक्त न्यायालय, और 02 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद स्वीकृत हैंय इनमें से कुल 26 न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं।

बाह्य न्यायालय– मुख्यालय में स्थित उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त, गरौठा, मऊरानीपुर और मोठ में 03 बाह्य न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

गरौठा स्थित बाह्य न्यायालय– उपरोक्त स्थान पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का एक न्यायालय, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) का एक न्यायालय, और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/न्यायिक मजिस्ट्रेट–I संवर्ग का एक न्यायालय स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

मऊरानीपुर स्थित बाह्य न्यायालय– उपरोक्त स्थान पर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/न्यायिक मजिस्ट्रेट–I संवर्ग का एक न्यायालय स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

मोठ में बाह्य न्यायालय – उपरोक्त स्थान पर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/न्यायिक मजिस्ट्रेट–I कैडर का एक न्यायालय स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

टहरौली में ग्राम न्यायालय – उपरोक्त स्थान पर ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी का एक न्यायालय स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

बार एसोसिएशन

जिला बार एसोसिएशन, झाँसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह स्पष्ट है कि झाँसी न्याय–क्षेत्र के बार (अधिवक्ता संघ) की एक समृद्ध विरासत रही है। झाँसी में अधिवक्ताओं का पहला संघ वर्ष 1914 में गठित किया गया था, और उसके बाद वर्ष 1916 में। बार एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक, प्रख्यात अधिवक्ता श्री शंकर सहाय को विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया था। श्री शंकर सहाय के अलावा, झाँसी के कुछ अन्य प्रख्यात अधिवक्ताओं में श्री बाबू वृंदालाल वर्मा और श्री बाबू रघुनाथ विनायक धुलेकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

एक अधिवक्ता होने के साथ–साथ, पद्मभूषण डॉ.

वृंदावनलाल वर्मा एक प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। उनके नाम कई उपलब्धियाँ और सम्मान दर्ज हैं। 09 जनवरी, 1957 को, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा श्री वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। वकील डॉ. रघुनाथ विनायक धुलेकर न केवल अपने वकालत के पेशे के प्रति समर्पित थे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और प्रसिद्ध 'भुसावल बम विस्फोट मामले' में डॉ. भगवान दास माहौर और सदा शिव राव मलकापुरकर का बचाव करने के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान कीं।

अगस्त 1914 के महीने में, इस उद्देश्य के लिए थसिल्वर्ट क्लबथ (जो अब 'झाँसी क्लब' के नाम से प्रसिद्ध है) में एक बैठक बुलाई गई। वकीलों के सर्वसम्मत निर्णय से 'जिला बार एसोसिएशन, झाँसी' का गठन किया गया और राय साहब शंकर सहाय को इसका संस्थापक सदस्य मनोनीत किया गया।

जॉन लैंग, रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद, जॉन लैंग ने रानी लक्ष्मीबाई की ओर से वकालत की।

कंप्यूटरीकरण

1. वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों (litigants) को उनके मामलों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, एक ऑनलाइन सूचना प्रणाली विकसित की गई है और लगभग सभी लंबित मामले ई–कोर्ट्स वेबसाइट पर पंजीकृत कर दिए गए हैं। निपटाए गए मामलों की जानकारी भी नियमित रूप से वेबसाइट पर डाली जाती है और विभिन्न अदालतों द्वारा सुनाए गए फैसले/आदेश भी नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इस पहल का लोकप्रिय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार भी किया गया है। मामलों की जानकारी मोबाइल एप्लिकेशन पर भी उपलब्ध है।

2. वर्ष 2016 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जिला न्यायालय झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, और कैदियों की न्यायिक हिरासत रिमांड से संबंधित मामलों की सुनवाई नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

मुकदमों से जुड़े लोगों के लिए सुविधाएं:

1. वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों को उनके मामलों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, एक ऑनलाइन सूचना प्रणाली विकसित की गई है और लगभग सभी लंबित मामले ई–कोर्ट्स वेबसाइट पर पंजीकृत कर दिए गए हैं। निपटाए गए मामलों की जानकारी भी नियमित रूप से वेबसाइट पर डाली जाती है और विभिन्न अदालतों द्वारा सुनाए गए फैसले/आदेश भी नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इस पहल का लोकप्रिय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार भी किया गया है। मामलों की जानकारी मोबाइल एप्लिकेशन पर भी उपलब्ध है।

2. अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही वकीलों तथा न्यायालय के कर्मचारियों के बीच अच्छे स्वास्थ्य के संदेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 में झांसी न्यायक्षेत्र (Judgeship) में एक औषधालय (डिस्पेंसरी) स्थापित किया गया है। इसमें जिला अस्पताल, झांसी के डॉक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी के नियंत्रण में, अंशकालिक आधार पर नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

3. मुकदमों से जुड़े लोगों, वकीलों और न्यायालय के कर्मचारियों की तत्काल नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष 2016 में जिला न्यायालय परिसर में पंजाब नेशनल बैंक का एक ATM भी स्थापित किया गया है।

विवरण

झांसी न्यायक्षेत्र का एक गौरवशाली इतिहास है और यह देश के सबसे पुराने न्यायक्षेत्रों में से एक है, जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 1857 की क्रांति से जुड़े मामलों में कुछ ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए थे। यह न्यायक्षेत्र झांसी शहर के मध्य में स्थित है, और इसके तीन बाह्य न्यायालय (Outlying Courts) तहसील मोठ, मऊरानीपुर और गरौठा में स्थित हैं, तथा एक अलग A.C.J.M. (रेलवे) न्यायालय भी है। रेलवे कोर्ट, मुकदमों से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए, न्याय को उनके दरवाजे तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

जिला न्यायालय, झाँसी और इसके बाह्य न्यायालय, नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाओं से लैस हैं, जैसे–ऑनलाइन केस स्टेटस, ऑनलाइन फैसले/आदेश, जानकारी देने वाले कियोस्क, वर्चुअल कोर्ट्स, डिस्प्ले मॉनिटर्स, वकीलों/मुकदमेदारों के लिए SMS सुविधा, मेडिकल डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस सुविधा, बैंक ATM, आधुनिक पब्लिक टॉयलेट्स, R.O. के साथ वॉटर कूलर की सुविधा, और खास तौर पर मदद के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क आदि।

इस साल, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ADR बिल्डिंग और दो न्यायालय भवन (एक–एक) मऊरानीपुर और गरौठा में जोड़ी गई हैं।

यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि झाँसी न्यायिक अधिष्ठान राज्य की पहली ऐसी न्यायिक अधिष्ठान है, जिसे ब्व्टप्क–19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, माननीय श्री न्यायमूर्ति गोविंद माथुर (मुख्य

न्यायाधीश, माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद) द्वारा 9 नई इमारतों का ई–उद्घाटन करवाने का सम्मान मिला है।

इस न्यायिक अधिष्ठान की जिला बार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें श्री जॉन लैंग जैसे जाने–माने वकील शामिल हैं, जिन्होंने महान रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ा था। इन जाने–माने वकीलों की खूबियों को बार द्वारा आज भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जो अपनी समृद्ध विरासत, नैतिकता और आदर्शों को आज भी सँजोए हुए है।

रिकॉर्ड रूम

इस न्यायिक अधिष्ठान का रिकॉर्ड रूम, जो मुख्यालय में स्थित सबसे पुरानी इमारत में बनाया गया था, 1850 के दशक का है। इस इमारत को तोड़कर एक नई G+8 (जमीन के ऊपर 8 मंजिला) मल्टी–स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है। इसलिए, M.A.C.T. कोर्ट्स से जुड़े रिकॉर्ड्स को संबंधित कोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है, और बाकी रिकॉर्ड्स को माननीय हाई कोर्ट की जानकारी और अनुमति से इस कैंपस के सेंट्रल हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी रिकॉर्ड्स को पूरी सुरक्षा के साथ सँभालकर रखा गया है।

न्यायालय का पुस्तकालय

इस न्यायिक अधिष्ठान में पुस्तकालय मुख्यालय में सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है। इस पुस्तकालय में नीचे उल्लिखित जर्नल उपलब्ध हैं–

1. ऑल इंडिया रिपोर्टर
2. क्रिमिनल लॉ जर्नल्स
3. लखनऊ लॉ टाइम्स
4. इलाहाबाद लॉ जर्नल्स
5. इलाहाबाद क्रिमिनल केसेज
6. सुप्रीम कोर्ट केसेज वीकली
7. इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट्स
8. इलाहाबाद रेंट केसेज



सीजेएम कोर्ट बिल्डिंग (हेरिटेज कोर्ट)



8 कोर्टरूम वाली बिल्डिंग



10 कोर्टरूम वाली बिल्डिंग



एफटीसी बिल्डिंग



गरौथा स्थित बाह्य कोर्ट बिल्डिंग



मौरानिपुर स्थित बाह्य कोर्ट बिल्डिंग

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	17	11
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	10
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	9
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	2	2

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	14428	87946	102374	7570	104065	111635	7552	109835	117387	14446	82176	96622
2025	14446	82176	96622	8030	156165	164195	8126	150497	158623	14350	87844	102194

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1854	3199	5053	1998	2523	4521	2275	3039	5314	1577	2683	4260
2025	1577	2683	4260	2415	3019	5164	2127	3068	5195	1595	2634	4229

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	283	206	340	149
2025	149	118	206	61

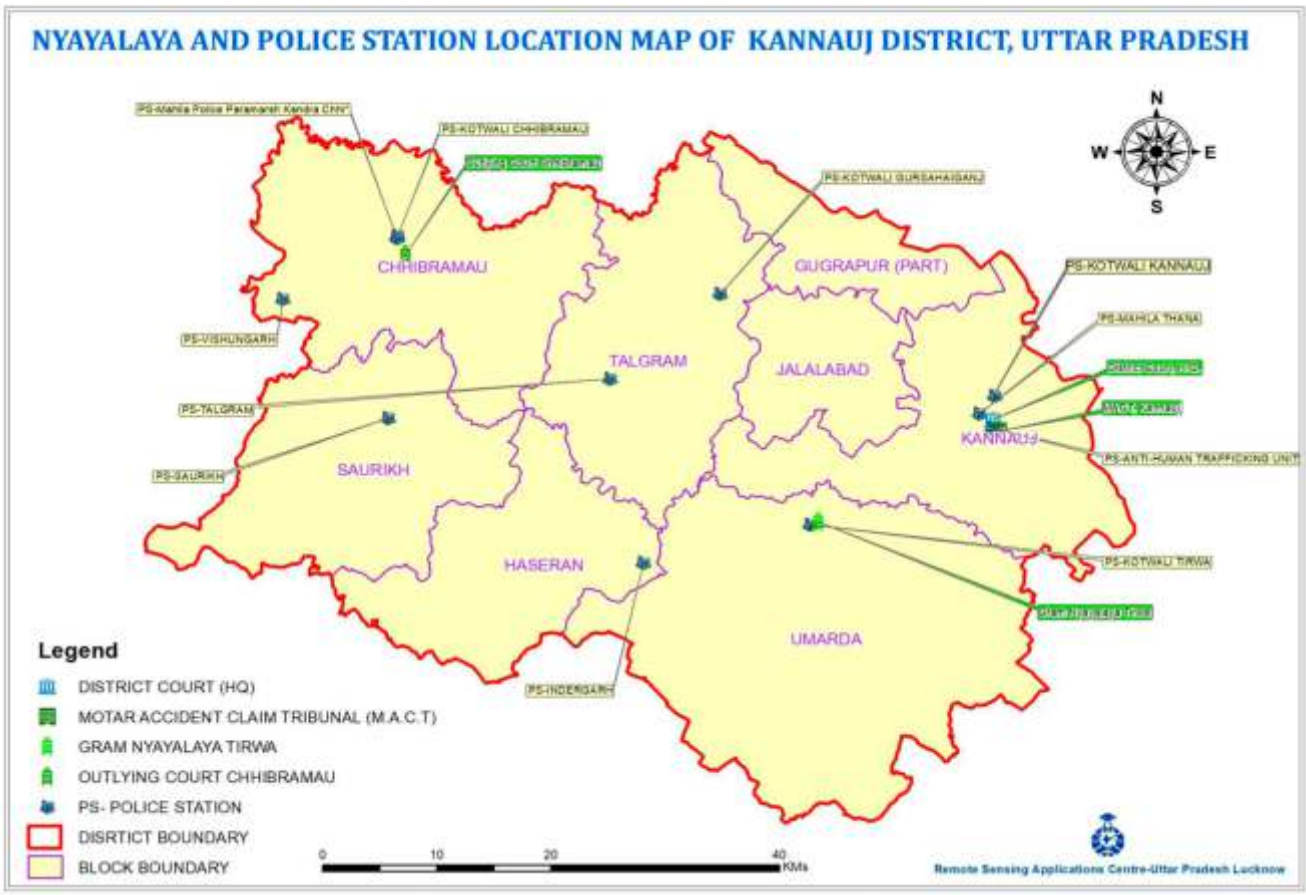
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	4298	977	917	4358
2025	4358	1147	861	4644

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	264	06	13	257
2025	257	19	76	200

जनपद न्यायालय कन्नौज



एक संक्षिप्त परिचय

कन्नौज, जिसे अक्सर ''भारत की इत्र राजधानी'' के रूप में सराहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसका ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक समृद्धि बहुत गहरी है। पवित्र गंगा और काली नदियों के तट पर स्थित, यह एक ऐसा प्रशासनिक केंद्र है, जो भारत की प्राचीन शाही शान और उसके सुगंधित वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। कई मायनों में, कन्नौज का इतिहास ही उत्तरी भारत की संप्रभुता का इतिहास है। प्राचीन काल में 'कान्यकुब्ज' (''कूबड़ वाली कन्याओं का शहर'') और 'महोदय' (''महान समृद्धि'') के नाम से जाना जाने वाला यह जिला, भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली के प्रमुखता में आने से पहले, कन्नौज ही उपमहाद्वीप का भू–राजनीतिक केंद्र था–वह पुरस्कार जिसके लिए साम्राज्य आपस में टकराते थे, और वह गद्दी जहाँ से सदियों तक न्याय और कानून का शासन चलता था।

कन्नौज की उत्पत्ति भारत के पवित्र भूगोल में गहराई से जुड़ी हुई है। पुरातात्विक खुदाई से ऐसे बस्तियों के प्रमाण मिले हैं जो 'पेंटेड ग्रे वेयर' संस्कृति (लगभग 1200 ईसा पूर्व) जितनी पुरानी हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में, इस शहर का वर्णन एक समृद्ध शहरी केंद्र के रूप में किया गया है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित होने के कारण, इस शहर को अपनी रणनीतिक स्थिति का दोहरा लाभ मिला–कृषि समृद्धि और 'दोआब' (दो नदियों के बीच का क्षेत्र) के महत्वपूर्ण नदी–व्यापार मार्गों पर नियंत्रण।

कन्नौज ने 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन (606–647 ईस्वी) के शासनकाल में अपना ''स्वर्ण युग'' देखा। हर्ष ने उत्तरी भारत को एकजुट किया और कन्नौज को शाही राजधानी का दर्जा दिया। इस युग के दौरान, कन्नौज एक अत्यंत परिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था। चीनी विद्वान–भिक्षु ह्वेनसांग (Xuanzang) ने इसी काल में इस शहर की यात्रा की थी। उनके वृत्तांतों में एक ऐसे शहर का वर्णन मिलता है जो अत्यंत भव्य था, मजबूत किलेबंदियों से सुरक्षित था, सैकड़ों बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों से सुसज्जित था, और एक परोपकारी न्यायिक प्रणाली द्वारा शासित होता था।

हर्ष साम्राज्य के पतन के बाद, कन्नौज प्रसिद्ध 'त्रिपक्षीय संघर्ष' (8वीं–10वीं शताब्दी) का मुख्य केंद्र बन

गया। तीन महान राजवंशों–पूर्व के पाल, उत्तर के प्रतिहार, और दक्षिण के राष्ट्रकूट– ने इस शहर पर नियंत्रण पाने के लिए सदियों तक चले युद्ध में भाग लिया। उस युग का एक सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत यह था कि ''जो कन्नौज पर नियंत्रण रखता है, वही गंगा घाटी पर भी नियंत्रण रखता है।'' गुर्जर–प्रतिहारों ने अंततः इस नगर पर अधिकार कर लिया और लगभग एक शताब्दी तक इसे अपनी राजधानी बनाए रखा।

11वीं और 12वीं शताब्दी में, यह शहर गाहड़वाल वंश के शासनकाल में खूब फला–फूला। कन्नौज के अंतिम महान हिंदू सम्राट, राजा जयचंद ने चंदावर के युद्ध (1194 ईस्वी) तक इसी गद्दी से शासन किया। इस युद्ध में मिली हार भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिसने दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के लिए रास्ते खोल दिए। मुगलों के शासनकाल में, कन्नौज एक महत्वपूर्ण 'सरकार' (प्रशासनिक प्रभाग) बना रहा। शहर की शासन व्यवस्था में समय के साथ बदलाव आए, और अंततः यह ब्रिटिश राज के दौरान औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे में शामिल हो गया, जहाँ यह फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत एक प्रमुख तहसील बन गया।

आजादी के बाद के दौर में, बेहतर शासन और न्यायिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। 18 सितंबर, 1997 को कन्नौज को फर्रुखाबाद जिले से अलग करके एक स्वतंत्र राजस्व जिला बना दिया गया। आज, कन्नौज न केवल 'भारत की इत्र राजधानी' के रूप में जाना जाता है–जहाँ जल–आसवन की प्राचीन 'देग–भपका' विधि को आज भी संरक्षित रखा गया है–बल्कि यह एक ऐसे जिले के रूप में भी अपनी पहचान रखता है जो हजारों साल पुरानी विरासत को अपने कंधों पर सँजोए हुए है। एक शाही राजधानी से आधुनिक प्रशासनिक जिले के रूप में इसका यह सफर, उत्तर प्रदेश के कानूनी और सांस्कृतिक ताने–बाने में इस क्षेत्र के लचीलेपन और चिरस्थायी महत्व को बखूबी दर्शाता है।

कन्नौज जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

कन्नौज का जिला और सत्र न्यायालय कन्नौज जिले के केंद्र में स्थित है। यह मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है जो अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। आम तौर पर, मामलों की सुनवाई एक ही न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जबकि पुनरीक्षण याचिकाएँ माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की जाती हैं, और आगे की अपीलें इलाहाबाद स्थित माननीय उच्च न्यायालय में की जाती हैं।

कन्नौज का न्यायिक इतिहास केवल प्रशासनिक अधिसूचनाओं का एक रिकॉर्ड मात्र नहीं है; यह एक ऐसी कानूनी विरासत की निरंतरता है जो भारतीय सभ्यता के चरमोत्कर्ष के समय से चली आ रही है। आज जब कन्नौज का जिला न्यायाधीश कार्यालय इस ऐतिहासिक क्षेत्र के नागरिकों की सेवा कर रहा है, तो यह उन नींवों पर खड़ा है जिन्हें प्राचीन सम्राटों और औपनिवेशिक सुधारकों ने रखा थाय यह सदियों के दौरान विकसित होते हुए आम आदमी के द्वार तक न्याय पहुँचाने का कार्य कर रहा है।

ऐतिहासिक रूप से, कन्नौज (प्राचीन नामः कान्यकुब्ज) उत्तरी भारत की वास्तविक राजधानी था। सम्राट हर्षवर्धन (606–647 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान, यह शहर 'महासंधिविग्रहिक' (न्याय और शांति के सर्वोच्च मंत्री) का केंद्र था। कन्नौज का शाही दरबार गंगा के मैदानी इलाकों में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता था, जहाँ धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित भव्य सभाओं (सभों) में विवादों का निपटारा किया जाता था। इस शहर के कानूनी आदेश विशाल क्षेत्रों में बाध्यकारी होते थे, जिसने इसे उपमहाद्वीप में कानून के प्राथमिक स्रोत के रूप में स्थापित किया।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन के साथ, इस क्षेत्र के न्यायिक प्रशासन को 'बंगाल विनियमों' (Bengal Regulations) के तहत औपचारिक रूप दिया गया।

मुंसिफ न्यायालयः कन्नौज के वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, ब्रिटिश प्रशासन ने 19वीं शताब्दी के दौरान इस शहर में एक 'मुंसिफ न्यायालय' की स्थापना की। सीमित दीवानी क्षेत्राधिकार से संपन्न यह न्यायालय, फर्रुखाबाद के जिला न्यायाधीश के अपीलीय पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता था। लगभग एक शताब्दी तक, कन्नौज और छिबरामऊ ''बाह्य न्यायालयों'' (Outlying Courts) के रूप में कार्य करते रहे। जहाँ ये न्यायालय निचले स्तर के दीवानी मुकदमों को संभालते थे, वहीं कन्नौज के लोगों को सत्र मुकदमों और अपीलीय उपचारों के लिए जिला मुख्यालय फर्रुखाबाद तक यात्रा करने की भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। न्याय की तलाश अक्सर अत्यंत कठिन होती थी, जो दूरी और आवागमन की व्यवस्थाओं से जुड़ी रहती थी।

न्यायिक स्वायत्तता की लंबे समय से चली आ रही मांग भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में पूरी हुई। 18 सितंबर, 1997 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्रुखाबाद से अलग करके कन्नौज को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राजस्व जिले के रूप में गठित किया। इस प्रशासनिक

विभाजन ने एक अलग न्यायिक पहचान की नींव रखी। राजस्व जिले के निर्माण के परिणामस्वरूप, कन्नौज की जिला न्यायपालिका (District Judgeship) की स्थापना की गई।

आज, कन्नौज का जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य न्यायपालिका के एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है। राजा हर्ष के शाही फरमानों से लेकर आज के संवैधानिक आदेश तक, इस न्यायपालिका की यात्रा कानून के शासन के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह अपने प्राथमिक मिशन के प्रति समर्पित है– ''इत्र की राजधानी'' के नागरिकों को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गरिमामय पर्यवेक्षण के तहत, कन्नौज की जिला न्यायपालिका, माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता (प्रशासनिक न्यायाधीश) के गहन मार्गदर्शन और श्री नरेंद्र कुमार झा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के नेतृत्व में न्याय के उद्देश्य के प्रति समर्पित है।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

वर्ष 1975 में, पुराने न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन कन्नौज के पास, अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका उद्घाटन समारोह 7 जनवरी, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति कुंवर बहादुर अस्थाना द्वारा संपन्न किया गया था।

12 न्यायालय कक्षों वाला भवन

12 न्यायालय कक्षों वाले भवन की आधारशिला वर्ष 2009 में कन्नौज जिले के तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा रखी गई थी। इस भवन का उद्घाटन 23 अगस्त, 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया। वर्तमान में, इस भवन में 14 पूरी तरह से कार्यरत न्यायालय कक्ष हैं, जिनके साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयों जैसी अन्य संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। न्यायालय भूतल और प्रथम तल पर संचालित होते हैं, जबकि पुस्तकालय, प्रतिलिपि अनुभाग (Copying Section), कंप्यूटर अनुभाग, अभिलेख कक्ष (Record Room), नजारत अनुभाग और प्रशासनिक कार्यालय जैसे विभिन्न अनुभाग भी भूतल पर ही कार्यरत हैं। भवन का प्रथम तल एक बैठक कक्ष (Meeting Hall) और एक अन्य कक्ष से सुसज्जित है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन के लिए किया जाता है। इस भवन में कार्यरत न्यायालयों में शामिल हैंरू जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय (अध्यक्षताः श्री नरेंद्र कुमार झा), ADJ–1 का न्यायालय (अध्यक्षताः श्री हरि प्रसाद), विशेष न्यायाधीश SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का न्यायालय (अध्यक्षताः श्रीमती पूर्णिमा पाठक), विशेष न्यायाधीश POCSO का न्यायालय (अध्यक्षताः श्री हरेंद्र नाथ), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय (अध्यक्षताः श्री राजेंद्र कुमार सिंह), सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग का न्यायालय (अध्यक्षताः श्रीमती श्रद्धा भारतीय), अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय (अध्यक्षताः श्रीमती ज्योत्सना यादव), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग का न्यायालय (अध्यक्षताः श्री विपिन यादव), सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ प्रभाग का न्यायालय (अध्यक्षताः श्रीमती विजय लक्ष्मी), न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय (अध्यक्षताः श्री अंकित कौशिक), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय (अध्यक्षताः सुश्री मीनाक्षी वर्मा), और सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ प्रभाग FTC (14वां वित्त आयोग) का न्यायालय (अध्यक्षताः सुश्री मंजू)।

प्राचीन न्यायालय भवन

कन्नौज न्यायक्षेत्र के लिए प्राचीन न्यायालय भवन, कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास स्थित पुराने न्यायालय परिसर में स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन 7 जनवरी, 1975 को हुआ था। यह परिसर 9 न्यायालय कक्षों के संचालन की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में, यहाँ 3 न्यायालय कक्ष कार्यरत हैं। यह परिसर न्यायालय कक्षों के साथ–साथ संबंधित सुविधाओं से भी सुसज्जित है, जैसे कि पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों का कमरा और अन्य संबंधित कार्यालय।

वर्तमान में इस परिसर में कार्यरत न्यायालयों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट (श्रीमती पोमेला श्रीवास्तव द्वारा पीठासीन), प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) का न्यायालय (श्री फूल चंद पटेल द्वारा पीठासीन), और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (कुमारी इंदु द्विवेदी द्वारा पीठासीन) शामिल हैं।

अन्य भवन और सुविधाएँ

12–कोर्ट रूम वाले इस परिसर में कई अन्य संस्थान और सहायक भवन भी शामिल हैं, जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज (जिसकी अध्यक्षता श्रीमती स्नेहा करती हैं), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष (जिसे सिविल जज FTC–महिलाओं के विरुद्ध अपराध – के लिए कोर्ट रूम के रूप में उपयोग किया जाता है; इसकी अध्यक्षता सुश्री खुशबू शर्मा करती हैं) जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, और अधिवक्ताओं के लिए चैंबर्स सहित कन्नौज बार एसोसिएशन का भवन। इसके अतिरिक्त, इस परिसर में

SBI बैंक का ATM, भारतीय डाक सुविधा केंद्र, शिशु स्तनपान केंद्र और किशोर न्याय बोर्ड भी स्थित हैं।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में, न्यायाधीश जिला कन्नौज में एक बाह्य न्यायालय है, जो 29 मई, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रशासनिक न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कन्नौज) और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नौज, श्री चंद्रोदय कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में उद्घाटित, तीन न्यायालय कक्षों वाले नए भवन से संचालित हो रहा है।

तीन न्यायालय कक्षों वाला यह भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि विशाल न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारियों के लिए चैंबर, और सभी संबद्ध कार्यालयों के लिए पर्याप्त स्थानय साथ ही, अधिकारियों, वादियों और अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

तीन नवीन नयायालय कक्ष भवन में वर्तमान में निम्नलिखित न्यायालय संचालित हैं : अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय (जिसकी अध्यक्षता श्री अनुपम कुशवाहा कर रहे हैं), सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय (जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नंदिनी उपाध्याय कर रही हैं), और अपर सिविल न्यायाधीश का न्यायालय (जिसकी अध्यक्षता श्री अंकुश श्रीवास्तव कर रहे हैं)।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित ऐसे न्यायालय हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण भारत में त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय प्रदान करना, नियमित न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करना और न्याय को ग्रामीण लोगों के द्वार तक पहुँचाना है। जनपद कन्नौज के न्याय–क्षेत्र में ग्राम न्यायालय 20 जून, 2021 से तहसील परिसर, तहसील तिर्वा में कार्यरत है। वर्तमान में, इसकी अध्यक्षता श्री अंकित तिवारी कर रहे हैं। यह न्यायालय तहसील परिसर के प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों से संचालित होता है।

कन्नौज न्यायक्षेत्र में 2024–2025 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

कन्नौज न्यायक्षेत्र ने पिछले दो वर्षों में विकास के एक अभूतपूर्व दौर का अनुभव किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में, इस जिले ने तेजी से हो रहे बुनियादी ढाँचे के विकास और विवादों के वैकल्पिक समाधान (ADR) व पर्यावरणीय दायित्वों के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाया है।

आवासीय बुनियादी ढाँचा – कन्नौज ट्रांजिट हॉस्टल

न्यायिक प्रशासन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, कन्नौज मुख्यालय में नए ट्रांजिट हॉस्टल का कब्जा 29 जनवरी, 2025 को लिया गया। इस सुविधा का उद्घाटन 29 मार्च, 2025 को एक ई–समारोह के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता (अध्यक्ष, इंफ्रा–सेल समिति), माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (प्रशासनिक न्यायाधीश, कन्नौज), और माननीय जिला न्यायाधीश श्री चंद्रोदय कुमार भी उपस्थित थे। इस आधुनिक तीन–मंजिला हॉस्टल में 08 शानदार सुइट हैं, जिनमें भूतल पर 02 VIP सुइट, पहली मंजिल पर 04 और दूसरी मंजिल पर 02 सुइट शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता को सुगम बनाने के लिए, इस भवन में एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक साझा भोजन कक्ष और ऊपरी मंजिलों पर विशेष बैठक कक्ष बनाए गए हैं। यह भवन लिफ्ट, 24×7 बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर, और सहायक कर्मचारियों (देखभाल करने वाले, हाउसकीपिंग और ड्राइवर) के लिए विशेष आवासों से पूरी तरह सुसज्जित है।

छिबरामऊ में नवीन न्यायालय भवन

दूर–दराज के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से, छिबरामऊ में एक अत्याधुनिक न्यायिक भवन का निर्माण किया गया। 22 मई, 2025 को भवन का कब्जा प्राप्त किया गया, जिसके बाद 25 मई, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस भवन में 03 कोर्टरूम (प्रत्येक मंजिल पर एक) और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक मीटिंग हॉल है, जिसके साथ एक VIP प्रतीक्षा कक्ष भी जुड़ा हुआ है। यह भवन नजरात अनुभाग, प्रशासनिक कार्यालयों और स्टोर रूम को एक ही स्थान पर केंद्रित करता है, जिससे कामकाज सुचारू रूप से चलता है। इस सुविधा केंद्र में समावेशी डिजाइन को प्राथमिकता दी गई हैय यहाँ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप की व्यवस्था है और चार लिफ्टों का एक सिस्टम है (जिन्हें आम जनता और न्यायिक अधिकारियों के प्रवेश के लिए अलग–अलग रखा गया है)। अग्निशमन प्रणालियों, पावर बैकअप और प्रत्येक मंजिल पर विशाल प्रतीक्षा कक्षों की व्यवस्था करके सुरक्षा और सुविधा को और भी मजबूत बनाया गया है।

वादी कल्याणः महिला शेड और शिशु पोषण केंद्र

लैंगिक–संवेदनशील बुनियादी ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, न्यायपालिका ने 24

मई, 2025 को मुख्यालय में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक 'महिला वादी शेड' और 'शिशु पोषण केंद्र' का उद्घाटन किया। इस शेड में 40 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है, जिसमें मनोरंजन के लिए 43 इंच का LED TV और 'कॉज लिस्ट' (मुकदमा सूची) की वास्तविक समय पर जानकारी के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले यूनिट लगाई गई है। शिशु स्तनपान केंद्र में 05 बिस्तर, मुलायम खिलौने और बच्चों के खेलने के लिए एक विशेष स्थान (प्ले एरिया) उपलब्ध है। स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए, यहाँ सैनिटरी पैड वेंडिंग और निस्तारण मशीनें, तथा RO जल शीतलन प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं।

एकीकृत परिसर सुविधाएँः वित्तीय और डाक सेवाएँ

वादियों और विधि व्यवसायियों को आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से, कन्नौज मुख्यालय ने आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं को सीधे परिसर के वातावरण में ही एकीकृत कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों (पत्र संख्या 743/Infra) का पालन करते हुए, 21 मई, 2025 को एक नए 'यूटिलिटी ब्लॉक' (सुविधा खंड) का सशर्त आधिपत्य प्राप्त किया गया। 24 मई, 2025 को, माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता ने निम्नलिखित सुविधाओं का उद्घाटन किया :

बैंकिंग एवं वित्तः न्यायिक भुगतानों और व्यक्तिगत बैंकिंग कार्यों को तत्काल सुगम बनाने के लिए एक समर्पित बैंक शाखा और ATM कक्ष।

डाक सेवाएँः समन और कानूनी पत्राचार को तेजी से भेजने के लिए कैंपस के अंदर ही एक डाकघर की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि समन, नोटिस और न्यायिक आदेश, अदालत द्वारा जारी किए जाते ही तुरंत भेज दिए जाएँ; जिससे कैंपस के बाहर से भेजने में आमतौर पर होने वाली 24–48 घंटे की देरी से बचा जा सके।

कैंटीन सुविधाएँः बार और आम जनता को स्वच्छ भोजन और जलपान उपलब्ध कराने के लिए एक आधुनिक कैंटीन।

पर्यावरण संरक्षणः ''एक पेड़ माँ के नाम''

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक चुनौतियों के जवाब में, कन्नौज न्यायपालिका ने ष्एक पेड़ माँ के नामष् वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शुरू की गई यह पहल न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को अपनी माताओं और ''धरती माँ'' के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। न्यायालय परिसर और छिबरामऊ तथा कन्नौज की आवासीय कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए गए। इस प्रयास का उद्देश्य एक ''हरित न्यायालय'' (Green Court) पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो राज्य के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता में योगदान देगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्याय–क्षेत्र ने तिमाही राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को लगातार प्राथमिकता दी है, जिससे लंबित और मुकदमे–पूर्व (Pre-Litigation) दोनों तरह के मामलों के निपटारे की दर काफी ऊँची रही है। इन आयोजनों में राजस्व, बैंक वसूली, श्रम और समझौता–योग्य आपराधिक मामलों से जुड़े हजारों मामलों का निपटारा किया गया, जिससे न्यायिक बोझ में काफी कमी आई है।

2024–2025 की अवधि कन्नौज न्याय–क्षेत्र के एक आधुनिक, वादी–केंद्रित और पर्यावरण के प्रति जागरूक न्यायिक केंद्र के रूप में हो रहे बदलाव को दर्शाती है। बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करके और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देकर, यह न्याय–क्षेत्र सभी के लिए सुलभ और कुशल न्याय के सिद्धांतों को लगातार बनाए रखे हुए है।



12 कोर्ट रूम बिल्डिंग


बाह्य कोर्ट रूम



पारिवारिक न्यायालय भवन



एमसीटी कोर्ट बिल्डिंग



बाह्य कोर्ट रूम छिब्रमाऊ बिल्डिंग



एक पेड़ माँ के नाम अभियान

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	11	4
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	06	06
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	08
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	13490	48244	61734	7374	73744	81118	6801	70399	77200	14063	51589	65652
2025	14063	51589	65652	6493	50592	57085	6483	40685	47168	14073	61856	75929

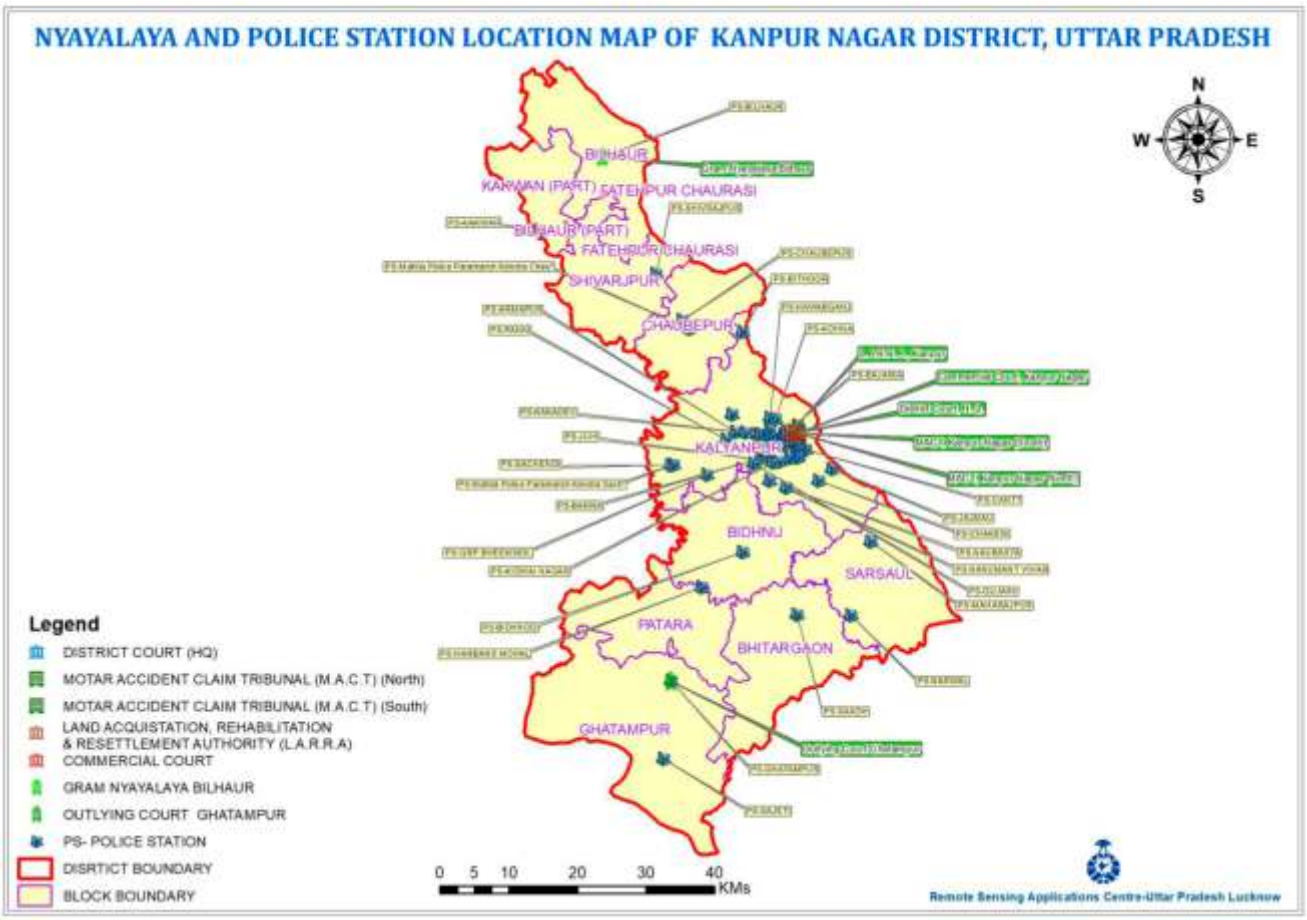
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1387	2406	3793	806	1029	1835	764	1056	1820	1429	2379	3808
2025	1429	2379	3808	887	2098	2985	1063	1961	3024	1253	3769	3769

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1255	870	925	1200
2025	1200	974	1071	1103

जनपद न्यायालय कानपुर नगर



कानपुर नगर जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

कानपुर को 24 मार्च 1803 में जिला घोषित किया गया था। श्री अबराहम वेलैंड इस जिले के प्रथम कलेक्टर, न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट थे। सिविल मामलों के निस्तारण हेतु दो सदर अमीन नियुक्त किए गए–एक 'मुफ्ती' कहलाता था, जो मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय करता था, तथा दूसरा 'पंडित' कहलाता था, जो हिंदू कानून के अनुसार निर्णय करता था। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 16 परगनों तक विस्तृत था तथा अपीलीय न्यायालय बरेली में स्थित था।

वर्ष 1807 में जिले में मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1811 में न्यायालय को बिठूर स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1813 में कलेक्टर का पद अलग कर दिया गया था, परंतु न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट का पद संयुक्त रहा। वर्ष 1816 में पुनः न्यायालय एवं कारागार की स्थापना कानपुर नगर में की गई थी। वर्ष 1817 में कन्नौज, औरय्या, सिकंदरा एवं तठिया के लिए नया मुंसिफ न्यायालय स्थापित किया गया था। वर्ष 1827 में न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट के पद अलग कर दिए गए और श्री बीकन प्रथम न्यायाधीश बने। वर्ष 1839 में न्यायालय की भाषा उर्दू कर दी गई थी।

वर्ष 1836 में बाबू ईश्वरी प्रसाद एवं लाला दरगाही लाल प्रथम विधि स्नातक बने। वर्ष 1857 तक केवल 8 अन्य वकीलों को प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र दिया गया।

वर्ष 1846 में पाँच नए मुंसिफ न्यायालय स्थापित किए गए–

(क) सिटी एवं छावनी

(ख) जाजमऊ एवं बिठूर

(ग) अकबरपुर, घाटमपुर, साढ़ एवं सलेमपुर

(घ) भोगनीपुर, सिकंदरा एवं डेरापुर

(ङ) रसूलाबाद, बिल्हौर एवं शिवराजपुर

25 मार्च 1861 को न्यायालय ने सरसैया घाट के निकट नव–निर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया। उस समय न्यायालय परिसर में तीन कोर्ट बिल्डिंग हुआ करती थीं। उसी वर्ष जिला जज का पद सृजित हुआ और श्री पियर्सन कानपुर के प्रथम जिला जज बने।

प्रथम बार एसोसिएशन का गठन वर्ष 1895 में श्री

पृथ्वीनाथ चक के प्रयासों से हुआ। श्री टी.ई. स्ट्रेची इसके प्रथम अध्यक्ष तथा श्री ए.ई. फोर्ब्स सचिव बने। उस समय इसमें केवल 23 अधिवक्ता सदस्य थे।

कानपुर नगर जिला न्यायालय का वर्तमान क्षेत्राधिकार – न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानपुर सदर तहसील तक विस्तृत है तथा इसमें 44 पुलिस थाने शामिल हैं।

न्यायालय भवन

जजशिप में प्रारंभ में तीन पुराने भवन थे, जिनमें से एक को ध्वस्त कर उसके स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाया गया। इस भवन का उद्घाटन वर्ष 1985 में हुआ था, जिसमें 6 मंजिलें एवं बेसमेंट पार्किंग है। इसमें 58 न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष, स्टेनो कक्ष, कार्यालय, नजारत, कॉपींग रूम, कंप्यूटर केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, ई–सेवा केंद्र एवं सी.सी.टी.वी कैमरे नियंत्रण कक्ष उपलब्ध हैं।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पुराना भवन वर्ष 1955 में उद्घाटित हुआ। इस भवन में चार कोर्टरूम हैं। विशेष एम.एम. न्यायालय भवन वर्ष 1972 में बना था। वर्तमान में एन.आई. एक्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अदालतें यहां संचालित हैं। सबसे पुराना भवन वर्ष 1915 का है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत है तथा रिकॉर्ड रूम भी स्थित है।

कानपुर देहात जजशिप का पूर्व न्यायालय भवन वर्ष 2013 में कानपुर नगर जजशिप को हस्तांतरित हुआ था, जिसमें 23 न्यायालय कक्ष हैं। इसमें एम.ए.सी.टी. न्यायालय (उत्तर एवं दक्षिण) तथा वाणिज्यिक न्यायालय भी संचालित हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन वर्ष 2001 में उद्घाटित हुआ था जिसमें पांच न्यायालय कक्ष हैं। पृथक ए.डी.आर भवन वर्ष 2021 में उद्घाटित हुआ।

हाल के सुधार

- सभी न्यायालयों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण
- कोर्ट स्टाफ के लिये नवीन कंप्यूटर सिस्टम की स्थापना
- लैन हेतु अंडरग्राउंड केबलिंग
- सुरक्षा उपकरणों का प्रतिस्थापन कराया गया (40 सी.सी.टी.वी कैमरे, एक बैगेज स्कैनर, 10 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर तथा 10 हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर)
- न्यायालय परिसर की सुरक्षा हेतु 25 होमगार्ड एवं 140 शस्त्र जवानों एस.एस.एफ की तैनाती
- पृथक मध्यस्थता केंद्र की स्थापना
- केंद्रीकृत फाइलिंग प्रणाली
- चिकित्सीय सुविधा हेतु डिस्पेंसरी
- वर्ष 2024 में बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल में मीटिंग रूम का निर्माण
- वर्ष 2025 में अतिसंवेदनशील गवाह कक्ष की स्थापना

डिजिटल पहल

- ई–कोर्ट्स का पहला चरण 2009 में शुरू हुआ था और सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
- प्रथम चरण के अंतर्गत, एक सर्वर रूम की स्थापना की गई और 7 अगस्त 2017 को इसका उद्घाटन किया गया।
- एक एकीकृत राष्ट्रीय कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर – केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) उपयोग की जा रही है।
- सभी वादों की विस्तृत जानकारी एनजेडीजी पर दर्ज की जाती है और अब सारे वाद इंटरनेट के माध्यम से 24×7 उपलब्ध है।
- मुकदमे के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं को ई–एसएमएस सुविधा भी प्रदान की गई है।
- न्यायालय के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और वे सीआईएस के उपयोग और उस पर काम करने में अच्छी तरह से पारंगत हैं।
- एनजेडीजी पर निर्णयों और आदेशों को नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।
- जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पूरी तरह से कार्यरत है और उस पर विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध है।
- ई–कोर्ट का दूसरा चरण प्रगति पर है। क्लाउड कंप्यूटिंग सहित उन्नत पद्धतियों को अपनाया जाता है।
- एंड्रॉइड ऐप ई–कोर्ट सर्विसेज विकसित कर ली गई है और यह सभी के लिए उपलब्ध है।
- जुलाई 2011 से न्यायपालिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा कार्यरत है।
- सभी भुगतान डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- ई–सेवा केंद्र अक्टूबर 2021 से कार्यरत हो गया है।

कानपुर नगर न्यायपालिका में लंबित मामले, अभिनियोजन एवं निपटान

कानपुर नगर न्यायपालिका में 31.12.2025 तक लंबित मामलों की संख्या 5,63,788 है, जिनमें से 46,019 दीवानी मामले और 5,17,769 आपराधिक मामले हैं। पिछले वर्ष के दौरान कुल 2,62,845 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 9,234 दीवानी मामले और 2,53,611 आपराधिक मामले शामिल हैं।

कानपुर नगर न्यायपालिका की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या

कानपुर नगर न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या– अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीश सहित) के 31 पद, सिविल न्यायाधीश (एस.डी.)/ए.सी.जे.एम. के 20 पद और सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)/जे.एम. के 26 पद हैं।

यहां 6 पारिवारिक न्यायालय, 2 एम.ए.सी.टी. न्यायालय, 1 वाणिज्यिक न्यायालय और 1 एल.ए.आर. आर.ए. न्यायालय हैं।

कानपुर नगर न्यायपालिका में वर्ष 2024 में कार्यरत पदों की संख्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीश सहित) के 28 पद, सिविल न्यायाधीश (एस.डी.)ध्ए.सी.जे.एम. के 13 पद और सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)ध्जे.एम. के 20 पद थे।

कानपुर नगर न्यायपालिका में वर्ष 2025 में कार्यरत पदों की संख्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीश सहित) के 23 पद, सिविल न्यायाधीश (एस.डी.)/ए.सी.जे.एम. के 14 पद और सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)/जे.एम. के 24 पद थे।

कानपुर नगर न्यायपालिका में वर्तमान कार्यरत संख्या (13.02.2026 तक) अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीश सहित) के 20 पद, सिविल न्यायाधीश (एस.डी.)/ए.सी.जे.एम. के 20 पद और सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)/जे.एम. के 18 पद थे।



मुख्य न्यायालय भवन



नया बैठक कक्ष – कानपुर नगर न्यायपालिका



ब्रिटिश काल की पुस्तक अलमारी – कानपुर नगर न्यायपालिका



ब्रिटिश काल का दर्पण – कानपुर नगर न्यायपालिका



न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान



ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता की पुस्तक – कानपुर नगर न्यायपालिका



कमजोर गवाहों के बयान कक्ष का उद्घाटन – कानपुर नगर न्यायपालिका



नए बैठक कक्ष का उद्घाटन – कानपुर नगर न्यायपालिका

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	31	20
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	20	20
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	26	18
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	6	4
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	2	2
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	46093	577964	624057	7321	201863	209184	6596	224939	231535	46818	554888	601706
2025	46818	554888	601706	8435	216492	224927	9234	253611	262845	46019	517769	563788

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	6544	6487	13031	7049	4349	11398	6592	3913	10505	7001	6923	13924
2025	7001	6923	13924	7064	4852	11916	6832	4354	11186	7233	7421	14654

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2367	757	2886	238
2025	238	186	231	193

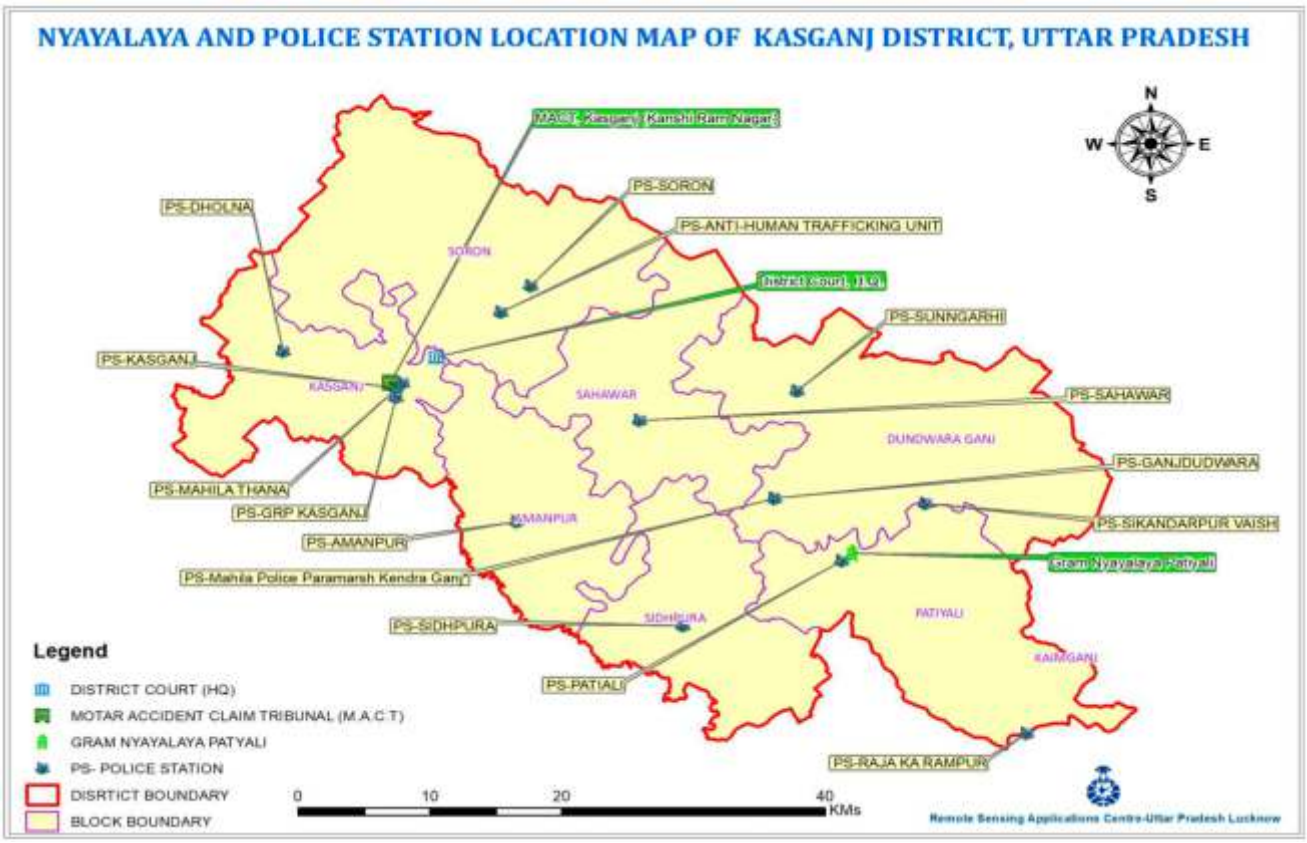
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	9196	2446	1947	9695
2025	9695	2710	2482	9923

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	393	1532	779	1146
2025	1146	137	212	1071

जनपद न्यायालय कासगंज



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

कासगंज को कांशीराम नगर नाम से जिला बनाया गया था। 30 जुलाई, 2012 को कांशीराम नगर के स्थान पर कासगंज जिले को अधिसूचित किया गया। कासगंज जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश के कासगंज शहर के केंद्र में स्थित है। यह मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है जो अपनी सीमा के भीतर दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करता है। मामलों की सुनवाई आम तौर पर एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और जिला न्यायालय से अपील या पुनरीक्षण इलाहाबाद स्थित माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जाते हैं। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की सहायता से कार्य करता है।

ब्रिटिश काल में, कासगंज में एक मुंसिफ न्यायालय था। कासगंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। कासगंज के मुंसिफ न्यायालय के समक्ष अपीलें अलीगढ़ के न्यायाधीश द्वारा सुनी जाती थीं। 1951 में एटा में जिला न्यायालय की स्थापना के बाद, कासगंज का मुंसिफ न्यायालय एटा जिले का बाह्य न्यायालय बन गया। 2003 तक, कासगंज के बाह्य न्यायालय में एक मुंसिफ न्यायालय, दो अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय और एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय थे।

शासनादेश संख्या–239/सात–न्याय–2–2003–201/81 दिनांकित 21–02–2003, द्वारा कासगंज में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय सृजित किया गया। इस प्रकार, 2003 में कासगंज में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हुई, यद्यपि कासगंज के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रशासनिक नियंत्रण एटा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीन था।

2008 में जिले की स्थापना के बाद, पूर्ण प्रशासनिक शक्तियों के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की गई। सरकारी आदेश संख्या–2641/सात न्याय–2–2008–202(18)/76 दिनांक 18–09–2008 द्वारा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सी०डी०), न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज (जू०डि०) के एक–एक न्यायालय का सृजन किया गया। ये न्यायालय 24 दिसंबर, 2008 से कार्यरत हो गए। कासगंज के प्रथम जिला न्यायाधीश श्री आदित्य नाथ मित्तल थे। जिला

न्यायालय की स्थापना के बाद, कासगंज में न्यायिक संरचना का विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ–

2010–शासनादेश संख्या–3560/60–1–10–1/13 (59)/04 दिनांकित 16.08.2010, द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया।

2011–शासनादेश संख्या–318/सात–न्याय–2–2011–40G/2001 दिनांकित 12.07.2011, द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तीन न्यायालयों का गठन किया गया।

2013–शासनादेश संख्या–896/सात–न्याय–2–2013–58G/2001 दिनांकित 27.05.2013, द्वारा परिवार न्यायालय का गठन किया गया।

2014– शासनादेश संख्या–1532/सात–न्याय–2–2013–216G/2007 दिनांकित 17.02.2014, द्वारा कासगंज की पटियाली तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई।

2014– शासनादेश संख्या–1037/सात–न्याय–2–2014–16G/2013 दिनांकित 01.09.2014, द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैडर में एक त्वरित न्यायालय की स्थापना की गई।

2016– शासनादेश संख्या–197/सात–न्याय–2–2016–173G/15TC दिनांकित 15.02.2016, द्वारा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैडर, सिविल जज (सी०डी०) कैडर और सिविल जज (जू०डि०) कैडर में एक–एक त्वरित न्यायालय की स्थापना की गई।

2019–शासनादेश संख्या–06/2019/545/सात–न्याय–2–2019–36G/2013 TC दिनांकित 08.03.2019, द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफटीसी का सृजित किया गया। सरकारी आदेश संख्या–09/2019/1093/सात–न्याय–2–2019–147G/2007 दिनांकित 29.04.2016, द्वारा विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) का सृजित किया गया।

2020–शासनादेश संख्या–02/2020/221/सात–न्याय–2–2020–62G दिनांकित 25.01.2020, द्वारा पॉक्सो अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय और एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैडर का सृजित किया गया।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1646/2014/एडमिन G–1 दिनांकित 30.01.2014 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के गठन का प्रावधान है। लेकिन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को अभी तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया है।

मौजूदा न्यायालय परिसर

वर्तमान में इस भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दीवानी एवं आपराधिक अभिलेख कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, विधेयक अनुभाग, नजरात अनुभाग, पुस्तकालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय और कंप्यूटर अनुभाग स्थित हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्यों को पूरा करते हैं। कासगंज में तीन अलग–अलग न्यायालय भवन हैं। सबसे पुराना न्यायालय भवन तहसील रोड पर स्थित है। ब्रिटिश काल में, जब केवल एक ही मुंसिफ न्यायालय था, तब मुंसिफ तहसील रोड स्थित न्यायालय भवन में बैठते थे। तहसील रोड स्थित न्यायालय भवन में दो पुराने न्यायालय कक्ष, एक नया न्यायालय कक्ष, एक अभिलेख कक्ष और स्टेनोग्राफरों एवं अधिवक्ताओं के लिए कक्ष हैं। नए न्यायालय कक्ष का उद्घाटन 4 सितंबर, 1984 को और अभिलेख कक्ष का उद्घाटन 13 अप्रैल, 2004 को हुआ था। तहसील रोड स्थित भवन में स्थान की कमी के कारण, माननीय न्यायमूर्ति वशिष्ठ कुमार चतुर्वेदी द्वारा दुर्गा कॉलोनी में 6 न्यायालय कक्षों वाले भवन का उद्घाटन 3 अक्टूबर, 2000 को किया गया था। कासगंज की अदालतें अक्टूबर 2017 तक दुर्गा कॉलोनी में लगती रहीं, जब अदालत को मामो स्थित नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।

न्यायालय भवनों और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

18 न्यायालय भवन (न्याय भवन)

न्याय भवन के नाम से मशहूर 18 न्यायालय कक्षों वाली यह इमारत एक G+1 संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 2017 में शुरू हुआ और औपचारिक रूप से 28.10.2017 को पूरा हुआ। वर्तमान में इस इमारत में 18 पूरी तरह से कार्यरत न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारी कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष और सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ जैसी संबद्ध सुविधाएँ भी हैं। भूतल पर न्यायालय कक्ष, प्रशासनिक अनुभाग, बिल अनुभाग और नजारत कार्यालय कार्यरत हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर पुस्तकालय, प्रतिलिपि अनुभाग, अभिलेख कक्ष और विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष और कार्यालय स्थित हैं। छत पर स्थापित 200 किलोवाट का सौर ऊर्जा पैनल सतत ऊर्जा उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम को दर्शाता है। यह इमारत 8 वर्ष पुरानी है। इस इमारत में कार्यरत न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश (एफटीसी), अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश (पॉक्सो), अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश (एससी/एसटी), अन्य अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीश न्यायालय, सिविल न्यायाधीश (सी०डि), सिविल न्यायाधीश (जू०डि०), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक

मजिस्ट्रेट शामिल हैं।

3.2 परिवार न्यायालय भवन

एक ऊंचे स्तंभ पर बने दो पारिवारिक न्यायालय भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका हैय सौंपने की प्रक्रिया अभी बाकी है। इस भवन में दो न्यायालय कक्षों के साथ–साथ संबंधित इकाइयां जैसे कि अधिकारी कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष, न्यायालय कार्यालय, मध्यस्थता कक्ष, शिशुगृह और पारिवारिक न्यायालयों का अभिलेख कक्ष भी शामिल हैं। इस भवन का मुख्य रूप से पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए उपयोग किया जाएगा।

06 न्यायालय कक्ष भवन

यह नवनिर्मित (G+1) भवन छह आधुनिक न्यायालय कक्षों और संबंधित सुविधाओं से सुसज्जित है, जिनमें अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और न्यायालय कार्यालय शामिल हैं। यह भवन न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने और अन्य न्यायालय परिसरों पर बोझ कम करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैय हस्तांतरण प्रक्रिया अभी बाकी है।

ग्राम न्यायालय

पटियाली और कासगंज तहसीलों में ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। पटियाली का ग्राम न्यायालय जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए एक पुराने भवन में स्थित है और इसमें अभिलेख कक्ष की सुविधा नहीं है।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

ए) वर्चुअल कोर्ट– वर्तमान में जिला न्यायालयों में वर्चुअल कोर्ट कार्यरत नहीं है।

ख) ई–सेवा केंद्र– कासगंज जिला न्यायालय में ई–सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। इससे वादियों को मामले की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने और निर्णयों एवं आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इसमें दो डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक हाई–स्पीड स्कैनर, स्पीकर और माइक्रोफोन सहित एक वेबकैम लगा हुआ है। ई–सेवा केंद्र के संचालन के लिए एक न्यायालय कर्मचारी भी तैनात किया गया है।

ग) वी.सी. केबिन :– अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।

घ) ई–फाइलिंग सुविधाः– अभी तक शुरू नहीं हुई है।

ई) अभिलेख कक्षः जिला न्यायालय के आपराधिक और दीवानी अभिलेखों को रखने के लिए एक केंद्रीकृत अभिलेख कक्ष है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जिला न्यायालय के वर्तमान अभिलेख कक्ष का उपयोग पारिवारिक न्यायालय और एम.ए.सी.टी. न्यायालय के अभिलेखों को रखने के लिए भी किया जाता है।

च) अन्य प्रमुख विशेषताएं, जिन्हें महत्वपूर्ण समझा जाए।



18 कोर्ट रूम भवन



पारिवारिक न्यायालय भवन



6 कोर्ट भवन



ग्राम न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	11	06
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	05	05
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	09	07
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	01	01
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5124	47950	53074	1301	15015	52316	965	51043	52008	5460	47922	53382
2025	5460	47920	53382	1500	32125	33625	1395	32183	33578	5565	47864	53429

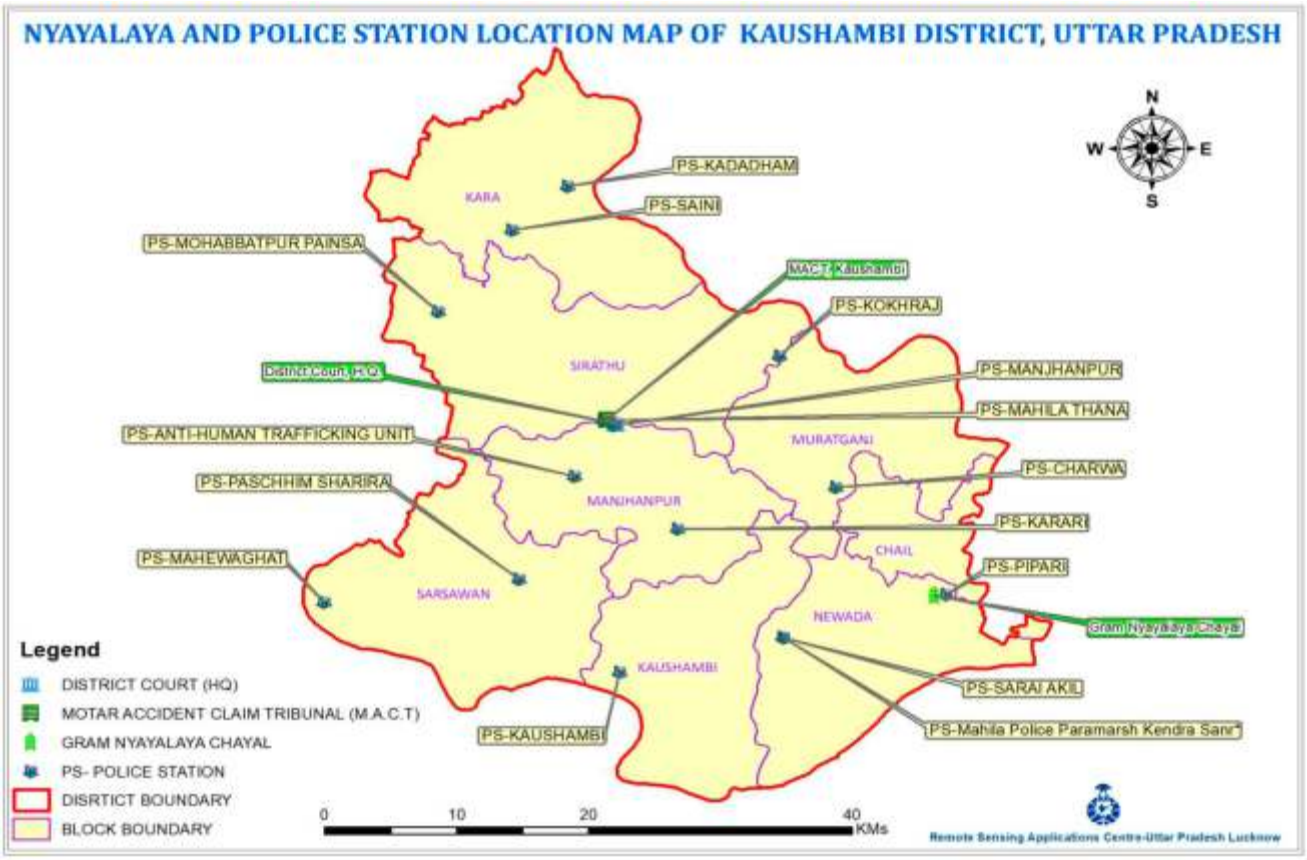
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	778	1584	2362	681	918	1599	686	1047	1733	773	1455	2228
2025	773	1455	2228	702	908	1610	538	756	1294	937	1607	2544

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	904	172	269	807
2025	807	252	180	879

जनपद न्यायालय कौशाम्बी



कौशाम्बी जिले का संक्षिप्त इतिहास।

कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक मशहूर जिला है, जिसे पहले प्रयागराज (इलाहाबाद) जिले से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया था। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबरः 985/1–5–1997–128, तारीख : 04–04–1997 को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मजबूत करने के लिए जारी किया गया था। यह प्रयागराज डिवीजन का हिस्सा है और ज्यूडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही मामलों में इसका महत्व है।

इसे पहले कौशांबी के नाम से जाना जाता था, यह जिला पुराने वत्स महाजनपद की राजधानी था और भगवान बुद्ध से बहुत जुड़ा हुआ है, माना जाता है कि वे इस इलाके में आए थे। यहां मौजूद आर्कियोलॉजिकल अवशेष इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दिखाते हैं।

ज्योग्राफिकली, कौशाम्बी गंगा और यमुना नदियों के किनारों के बीच बसा है और पूरब में प्रयागराज जिले, पश्चिम में फतेहपुर, दक्षिण में चित्रकूट और उत्तर में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है। उपजाऊ जलोढ़ जमीन से चलने वाली खेती यहां के लोगों का मुख्य काम है।

कौशांबी की ज्यूडिशियल संस्था कानून का राज बनाए रखने और लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के संवैधानिक अधिकार का समर्थन करते हुए समय पर और सही न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है।

एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, जिले को 03 तहसीलों और 08 डेवलपमेंट ब्लॉक में बांटा गया है ताकि अच्छा शासन और सरकारी स्कीमों और वेलफेयर प्रोग्राम को अच्छे से लागू किया जा सके। जिला एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने और कानून–व्यवस्था बनाए रखने में एक्टिव रूप से लगा हुआ है।

जिला प्रशासन और न्यायपालिका शासन, जनता की भलाई और न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कौशाम्बी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए लगातार तरक्की कर रहा है।

जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

कौशांबी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौशांबी डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौशांबी को डिस्ट्रिक्ट

हेडक्वार्टर मंझनपुर में 13–10–2000 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोर्ट के कामकाज के लिए दी गई आंगनबाड़ी बिल्डिंग में बनाया गया था। इसका उद्घाटन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, माननीय श्री श्यामल कुमार सेन ने माननीय जस्टिस श्री विनोद कुमार राय, एडमिनिस्ट्रेटिव जज, सेशंस डिवीजन, कौशांबी की मौजूदगी में किया था।

नए कोर्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का शिलान्यास 20–03–2010 को कौशांबी जजशिप के एडमिनिस्ट्रेटिव जज माननीय जस्टिस श्री एसके त्रिपाठी ने किया था। पूरा होने के बाद, बिल्डिंग का उद्घाटन 14–03–2014 को कौशांबी जजशिप के सेशंस डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव जज माननीय जस्टिस श्री ताहिर हुसैन ने किया था। इसके बाद, नए कोर्ट बिल्डिंग के पहले फ्लोर का शिलान्यास 21–02–2015 को कौशांबी जजशिप के सेशंस डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव जज माननीय जस्टिस श्री एमसी त्रिपाठी ने किया था। नए कोर्ट बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर सात कोर्ट रूम का उद्घाटन 15–10–2021 को कौशांबी जजशिप के एडमिनिस्ट्रेटिव जज माननीय जस्टिस श्री शेखर कुमार यादव ने किया था। अभी नए कोर्ट बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के कोर्ट समेत 14 कोर्ट और उससे जुड़े ऑफिस चल रहे हैं।

साल 2000 में कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने के बाद, "48 खंबा" डिस्ट्रिक्ट बार की नींव डॉ. यज्ञ दत्त शर्मा, मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उत्तर प्रदेश ने रखी थी। जिसे बाद में साल 2007 में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, कौशाम्बी के तौर पर रजिस्टर किया गया।

कोर्ट की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरव्यू

जिला न्यायालय भवन

14 कोर्टरूम वाली बिल्डिंग को न्यू कोर्ट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ळ1 स्ट्रक्चर है और इसमें डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट. 06 कोर्टरूम, कॉपीइंग सेक्शन, मीटिंग हॉल के साथ–साथ ग्राउंड फ्लोर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, नजारत जैसे जुड़े हुए ऑफिस और फर्स्ट फ्लोर पर 07 कोर्टरूम, लाइब्रेरी और जुड़े हुए ऑफिस हैं। यह बिल्डिंग 12 साल पुरानी है और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए छत पर 75 KW का सोलर पावर पैनल भी लगाया गया है। नई बिल्डिंग का डिजाइन बौद्ध आर्किटेक्चर से प्रेरित है। इसमें खूबसूरती से बने गुंबद हैं जो पारंपरिक रूप से बौद्ध आर्किटेक्चरल फिलॉसफी से जुड़े तालमेल, शांति और आध्यात्मिक संतुलन के सिद्धांतों को दिखाते हैं। बाह्य दीवारों पर स्टोन क्लैडिंग लगाई गई है, जो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी, विजुअल एलिगेंस और टाइमलेस अपील को बढ़ाती है।

संबद्ध इमारतें

कैंपस के ग्राउंड फ्लोर पर सात कोर्टरूम बनाने के प्रोजेक्ट के तहत, एक एलाइड बिल्डिंग भी बनाई गई है। इस एलाइड फैसिलिटी में छह दुकानें, एक बैंक, एक पोस्ट ऑफिस, लिटिगेंट्स शेड, एक कैंटीन और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग टॉयलेट की सुविधा है, जिससे लिटिगेंट्स, वकीलों और विजिटर्स को जरूरी सुविधाएँ मिलती हैं। इस बिल्डिंग का पजेशन 21–07–2023 को लिया गया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष

कोर्ट की कार्रवाई को आसान बनाने और तेजी से पूरा करने के मकसद से, कैंपस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी बनाया गया है। बिल्डिंग में एक हॉल, एक कमरा, टॉयलेट की सुविधा और एक बरामदा है। इस बिल्डिंग का कब्जा जेल सुपरिटेंडेंट को 10–03–2016 को ऑफिशियली सौंप दिया गया और मिल गया।

एडीआर भवन

घरेलू झगड़ों को आपसी सहमति से सुलझाने के मकसद से, कैंपस में एक ADR सेंटर बनाया गया है। यह बिल्डिंग G+1 स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक कोर्ट हॉल, तीन कमरे और टॉयलेट की सुविधा है, जबकि पहली मंजिल पर दो कमरे, एक मीडिएशन हॉल, दो क्यूबिकल और टॉयलेट की सुविधा है। इस बिल्डिंग का कब्जा 26–09–2020 को लिया गया था।

पारिवारिक न्यायालय भवन

अभी दो फैमिली कोर्टरूम और चार और कोर्टरूम बनाने का काम चल रहा है। प्रस्तावित बिल्डिंग एक स्टिल्ट. 3 स्ट्रक्चर है और इसे नई कोर्ट बिल्डिंग के सामने बनाया जा रहा है। इस फैसिलिटी में दो लिफ्ट होंगी ताकि आसानी से सीधा पहुँचा जा सके।

अधिवक्ताओं का चौंबर

वकीलों के चौंबर बनाने के लिए, कोर्ट कैंपस में 2,851 स्क्वायर मीटर जमीन दी गई है। इस जमीन पर अभी एक स्टिल्ट. 7 स्ट्रक्चर बन रहा है। इस बिल्डिंग में 125 वकीलों के चौंबर होंगे और इसमें एक मीटिंग हॉल, एक लाइब्रेरी, पार्किंग की सुविधा, हर मंजिल पर टॉयलेट की सुविधा और लिफ्ट की सुविधाएँ होंगी।

ग्राम न्यायालय

कौशाम्बी के चायल तहसील में ग्राम न्यायालय की बिल्डिंग बन गई है और फर्नीचर, स-ाछ का काम, कंप्यूटर, रेत भरने, एयर कंडीशनर, सोलर पावर वगैरह के लिए राज्य सरकार से रिवाइज्ड एस्टीमेट मांगा जा रहा है। ग्राम न्यायालय के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी बनाई जानी है और उसका एस्टीमेट पहले ही सरकार

को भेज दिया गया है।

अन्य इमारतें और सुविधाएं

कोर्ट कैंपस में कई दूसरी बिल्डिंग भी हैं, जैसे कंप्यूटर रूम, लॉक अप रूम, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, जिनकी तस्वीरें इस रिपोर्ट के साथ भेजी जा रही हैं।



न्यायालय भवन



मुख्य न्यायालय कक्ष भवन



एडीआर भवन



वीसी कक्ष



वकीलों का कक्ष



संबद्ध भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	14	7
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	3
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	6
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	7256	60979	68235	2113	36439	38552	1857	37104	38961	7512	60314	67826
2025	7512	60314	67826	2244	22389	24633	2188	22610	24798	7568	60093	67661

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1215	1965	3180	784	935	1719	780	962	1742	1219	1938	3157
2025	1219	1938	3157	867	1023	1890	814	921	1735	1272	2040	3312

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1237	539	467	1309
2025	1309	623	565	1367

जनपद न्यायालय कुशीनगर (पडरौना)



जिला न्यायालय स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जिला न्यायालय, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के पडरौना में स्थित है। यह अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सिविल और आपराधिक मामलों से निपटने वाले मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है। मामलों की सुनवाई आम तौर पर एक ही न्यायाधीश द्वारा की जाती है और जिला न्यायालय से अपील या निगरानी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में होते हैं। जिला न्यायालय निष्पक्ष और तटस्थ न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से कार्य करती है।

कुशीनगर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है जो राज्य के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से कुशीनगर भगवान राम के साथ–साथ भगवान बुद्ध के सबसे छोटे पुत्र कुश के नाम से जुड़ा हुआ है और आधुनिक युग में 19वीं शताब्दी में भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता ए. कनिंघम द्वारा की गई पुरातात्विक खुदाई के साथ प्रमुखता में आया। भगवान बुद्ध के 'महापरिनिर्वाण स्थल' के नाम पर रखा गया जिला कुशीनगर 13 मई, 1994 को जिला देवरिया से पृथक होकर उत्तर प्रदेश के एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय जिला कुशीनगर के पडरौना में रवींद्र नगर धूस पर स्थित है। श्री पी.के. चटर्जी ने 21.10.1994 को ओएसडी, पडरौना के रूप में कार्यभार संभाला और 17.03.1998 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर के रूप में पदासीन हुए। 19.03. 1998 को बाह्य न्यायालय कसया के न्यायिक अधिकारीगण ने कुशीनगर के जिला न्यायाधीश के अधीन कार्यभार ग्रहण किया। जिला न्यायालय कुशीनगर की स्थापना से पहले, एक बाह्य न्यायालय जिला न्यायालय, देवरिया के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कसिया में स्थित था और बाह्य न्यायालय कसया में छः अदालतें, एक ए०सी०जे०एम० की अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक अदालत, सिविल जज (जू०डि०) की एक अदालत और अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०) की तीन अदालतें कार्यरत थीं। मुख्यालय पर जिला न्यायालय के नए भवन की नींव 09 मई, 2004 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय श्री न्यायमूर्ति तरूण चटर्जी द्वारा रखी गई थी और इसका उद्घाटन 11 फरवरी, 2008 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति हेमंत लक्ष्मण गोखले द्वारा किया गया था। कानूनविद, माननीय श्री न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और स्वर्गीय श्री राज मंगल पांडे, पूर्व। भारत के कैबिनेट मंत्री का सम्बन्ध जनपद कुशीनगर से रहा है।

मौजूदा न्यायालय परिसर

वर्तमान में मुख्य इमारत में जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत, सिविल और आपराधिक रिकॉर्ड रूम, अंग्रेजी कार्यालय, पुस्तकालय, बिल अनुभाग, नजारत अनुभाग, कंप्यूटर अनुभाग और सीसीटीवी सिस्टम नियंत्रण कक्ष हैं, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्य किये जाते हैं।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

10 न्यायालय कक्ष भवन (मुख्य भवन)

10 कोर्ट रूम बिल्डिंग, जिसे मुख्य कोर्ट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, एक G+1 संरचना है। 10 कोर्ट रूम में से 06 कोर्ट रूम वर्ष 2004 में निर्मित हुए और औपचारिक रूप से 11.02.2008 को पूरे हुए और 04 कोर्ट रूम वर्ष 2012 में निर्मित हुए और औपचारिक रूप से 21.10.2016 को पूरे हुए। इमारत में वर्तमान में पीठासीन अधिकारीगण के कक्ष, आशुलिपिक के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयों जैसी संबद्ध सुविधाओं के साथ 10 पूरी तरह कार्यात्मक अदालत कक्ष हैं। लाइब्रेरी, नकल अनुभाग, कंप्यूटर अनुभाग, रिकॉर्ड रूम (सिविल) और रिकॉर्ड रूम (आपराधिक) और विभिन्न अदालत कार्यालयों सहित भूतल और पहली मंजिल पर कोर्ट रूम हैं। छत पर 63 किलोवाट सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना टिकाऊ ऊर्जा उपयोग की दिशा में बढ़ते कदम को दर्शाती है। वर्तमान में, इस भवन में कार्यरत न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय शामिल हैं। (कोर्ट संख्या 01), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट संख्या 02) और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशधविशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी–द्वितीय), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी.–I- इस भवन में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय एक कार्यालय कक्ष में से चल रहा है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग

फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग एक जी+1 संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 2003 में किया गया था और 09.05. 2004 को पूरा हुआ। भवन में चार न्यायालय कक्षों का प्रावधान है, जिसमें अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, एडीजे (कोर्ट संख्या 04), एडीजे

(एफटीसी–I) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफटीसी के न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं। पीठासीन अधिकारी के कक्ष, आशुलिपिक के कक्ष और न्यायालय कार्यालय भी इस भवन के भीतर स्थित हैं। इमारत की लगभग 21 वर्ष पुरानी है।

अन्य भवन और सुविधाएं

न्यायालय परिसर में कई सहायक भवन भी शामिल हैं जैसे एडीआर केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, लॉक–अप, डाकघर, जिला न्यायालय कुशीनगर बार एसोसिएशन पुस्तकालय भवन और अधिवक्ता कक्ष।

बाह्य न्यायालय

वर्तमान में, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), जे.एम. की अदालतें और अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की 03 अदालतें आउटलाइंग कोर्ट, कसया, कुशीनगर में कार्यरत हैं।

ग्राम न्यायालय

जनपद–कुशीनगर की तहसील–तमकुहीराज एवं हाटा में ग्राम न्यायालय संचालित हैं। ये ग्राम न्यायालय संबंधित तहसीलों के संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों से कार्य करते हैं, जिससे सामान्य जनमानस को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होती है।



जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कुशीनगर



पडराउना स्थित कुशीनगर मुख्यालय का मुख्य भवन



पडराउना स्थित कुशीनगर मुख्यालय का मुख्य भवन



पडराउना स्थित कुशीनगर मुख्यालय के मुख्य भवन का पार्श्व दृश्य



10 न्यायालय कक्षों वाला भवन (मुख्य भवन)



बाह्य न्यायालय, कसिया



ग्राम न्यायालय, तमकुहिराज

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	15	8
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	19	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	42531	131199	173730	4367	44976	49343	6356	46474	52830	40542	129701	170243
2025	40542	129701	170243	4433	48369	52802	5278	46264	51542	39697	131806	171503

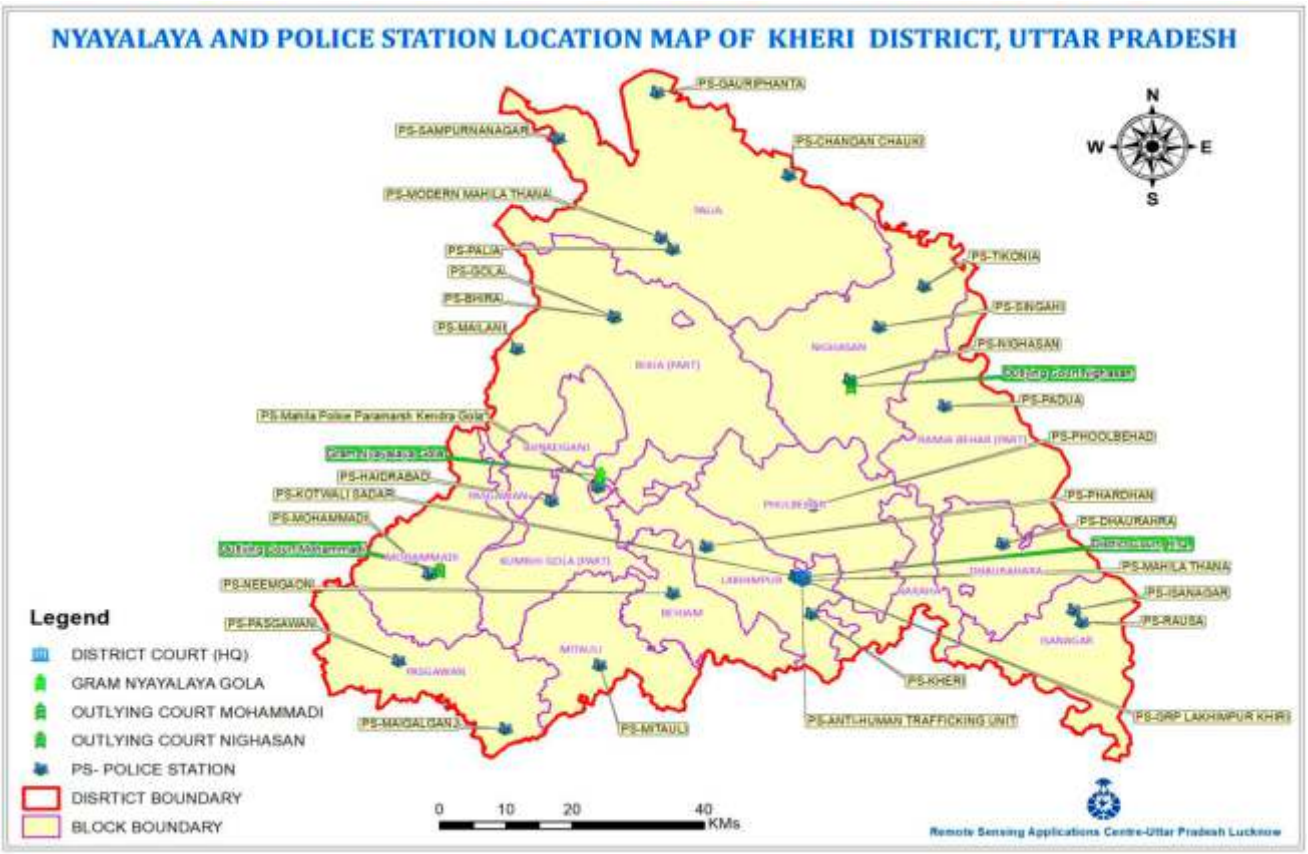
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1974	3292	5266	1933	2317	4250	1969	2475	4444	1938	3134	5072
2025	1938	3134	5072	1433	1896	3329	1800	2182	3982	1571	2848	4419

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2672	1008	1130	2550
2025	2550	795	745	2600

जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

नवाबों के शासनकाल के दौरान न्यायिक प्रक्रिया इस्लामी पद्धति पर आधारित थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया शुरू की। 1879 में, अवध सिविल कोर्ट अधिनियम के तहत, दीवानी, फौजदारी और राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों के अलग–अलग न्यायालय स्थापित किए गए। बाद में, अवध न्यायालय अधिनियम, 1925 के तहत, न्यायिक आयुक्त के न्यायालय (नई न्यायालय भवन, लखीमपुर) को अवध के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में बदल दिया गया।

लखीमपुर खीरी न्यायाधीश क्षेत्र (Judgeship) की स्थापना 13 सितंबर, 1956 को हुई थी। श्री डी.पी. महरोत्रा लखीमपुर खीरी के पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। 1955 से पहले, यह सीतापुर सत्र प्रभाग के अंतर्गत आता था। सीतापुर सत्र प्रभाग में सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले शामिल थे। खीरी में दो न्यायालय स्थायी रूप से कार्यरत थे – सिविल एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और मुंसिफ का न्यायालय (जिसे वर्तमान में सिविल न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है)। जिले में जब भी दीवानी और फौजदारी कार्य में वृद्धि होती थी, तब एक अतिरिक्त न्यायालय के संचालन की व्यवस्था भी की जाती थी।

लखीमपुर खीरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश का वर्तमान आवास, पहले सीतापुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश का शिविर कार्यालय (camp office) हुआ करता था। खीरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय भवन का निर्माण 1898 में किया गया था, जिसमें पाँच न्यायालय कक्ष, नजारत, अभिलेख कक्ष (Record Room), अंग्रेजी कार्यालय, पुस्तकालय और अन्य संबंधित कार्यालय शामिल थे।

मौजूदा न्यायालय परिसर

डिस्ट्रिक्ट जज हेरिटेज ब्लॉक एक वास्तुकला और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारत है, जो जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। इस इमारत में वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज का कोर्ट, 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट रूम, एक मीटिंग हॉल, सिविल रिकॉर्ड रूम, इंग्लिश ऑफिस, बिल सेक्शन, नजरत सेक्शन और प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं; इस प्रकार यह न्यायिक और प्रशासनिक, दोनों तरह के कार्यों को पूरा करती है। वर्ष 1898 में निर्मित यह इमारत औपनिवेशिक काल की न्यायिक वास्तुकला का एक जीता–जागता प्रमाण है, और डेढ़ सदी से भी अधिक समय से न्याय प्रशासन के लिए लगातार

उपयोग में है। अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के कारण, इस इमारत को एक 'हेरिटेज बिल्डिंग' (विरासत इमारत) के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने के साथ–साथ, आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2017 में इसका नवीनीकरण और संरक्षण कार्य किया गया। इसकी छत पर स्थापित 35KVA का सोलर पैनल सिस्टम, सतत ऊर्जा (sustainable energy) के उपयोग की दिशा में उठाए गए कदम को दर्शाता है। हेरिटेज कोर्ट की इमारत के आधे हिस्से का नवीनीकरण कार्य वर्ष 2017 में पूरा कर लिया गया था, जबकि शेष आधे हिस्से का कार्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सरकार की ओर से इसके लिए आवश्यक शेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी।

न्यायालय भवन और अवसंरचना का अवलोकन

12 न्यायालय कक्षीय ऑर्बिटल (CJM भवन)

यह कोर्ट रूम G+2 संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 1980 में किया गया था। इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर 12 पूरी तरह से कार्यरत कोर्ट रूम हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के चौंबर और स्टेनोग्राफर के कमरों जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। इन 12 पूरी तरह से कार्यरत कोर्ट रूम के कार्यालय इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित हैं, ताकि उनके संबंधित कोर्ट से जुड़े सभी मामलों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

FTC भवनः

यह न्यायालय कक्ष G+2 संरचना वाला भवन है, जिसका निर्माण वर्ष 2005 में किया गया था। इस भवन में 05 पूर्णतः कार्यरत न्यायालय कक्षों के साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष और सहायक न्यायालय कार्यालयों जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

24 कोर्ट रूम वाली इमारत (ब्लॉक–A और ब्लॉक–B)

24 कोर्ट रूम वाली इमारत, जिसे ब्लॉक–A और ब्लॉक–B के नाम से जाना जाता है, एक G+3 (ग्राउंड फ्लोर + 3 मंजिल) ढाँचा है। ब्लॉक–A इमारत का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया था। इस इमारत में 12 पूरी तरह से काम करने वाले कोर्ट रूम हैं, साथ ही इससे जुड़ी अन्य सुविधाएँ भी हैं, जैसे कि पीठासीन अधिकारियों के चैंबर, स्टेनोग्राफर के कमरे और सहायक कोर्ट कार्यालय। MACT कोर्ट रूम इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित है। न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए इस इमारत में दो लिफ्ट लगाई गई हैं।

ब्लॉक–B इमारत का निर्माण वर्ष 2023 में किया गया था। इस इमारत में 12 पूरी तरह से काम करने वाले कोर्ट रूम हैं, साथ ही इससे जुड़ी अन्य सुविधाएँ भी हैं, जैसे कि पीठासीन अधिकारियों के चौंबर, स्टेनोग्राफर के कमरे और सहायक कोर्ट कार्यालय। इस इमारत में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का कोर्ट, और तीन अतिरिक्त परिवार न्यायाधीशों के कोर्ट संचालित हैं। न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए इस इमारत में दो लिफ्ट लगाई गई हैं।

अन्य भवन और सुविधाएँः

न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगी भवन भी शामिल हैं, जैसे कि कंप्यूटर सेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, कॉपी अनुभाग, पुस्तकालय कक्ष, 33KVA स्वतंत्र पावर फीडर, CCTV नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, कैंटीन भवन, लॉक–अप, बैठक कक्ष, आपराधिक अभिलेख कक्ष, लखीमपुर बार एसोसिएशन भवन, अधिवक्ता कल्याण संघ भवन और अधिवक्ताओं के कक्ष।

बाह्य न्यायालय – मोहम्मदी

सिविल जज (J.D) के दो न्यायालयों की स्थापना 28 नवंबर, 1993 को की गई थी। वर्तमान में, 21 नवंबर, 2015 को नवनिर्मित न्यायालय परिसर में 4 कोर्ट रूम पूरी तरह से कार्यरत हैं। इस समय ADJ, सिविल जज (S.D), सिविल जज (J.D) और अतिरिक्त सिविल जज (J.D) के न्यायालय, सहायक कार्यालयों के साथ–साथ लॉकअप सुविधाओं और सार्वजनिक शौचालयों सहित कार्यरत हैं।

बाह्य न्यायालय – निघासन

सिविल जज (J.D) का एकमात्र न्यायालय 15 अक्टूबर, 2022 को नव–निर्मित किया गया था। वर्तमान में, सिविल जज (J.D) का न्यायालय पूरी तरह से कार्यरत है, जिसमें कोर्ट रूम के साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के चौंबर, स्टेनोग्राफर कक्ष और सहायक कार्यालयों जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

बाह्य न्यायालय – पालिया

वर्तमान में, तहसील पालिया, जिला लखीमपुर–खीरी में बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में सिविल न्यायाधीश (J.D.) का न्यायालय कार्यरत है। यह न्यायालय वर्ष 2025 से सिविल क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है।

ग्राम न्यायालय गोला

ग्राम न्यायालय गोला वर्ष 2024 से कार्यरत है। इसके लिए भवन जिला प्रशासन द्वारा उप–कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है, जिसका गोला गोकरण नाथ तहसील (जिला खीरी) परिसर में स्थित ग्राम न्यायालय हेतु जीर्णोद्धार किया गया था।



12 कोर्ट भवन (ब्लॉक–ए)



सीजेएम 12 कोर्ट रूम भवन



सिविल जज (जे.डी.) कोर्ट रूम भवन का विवरण (निघासन)



बार संघ भवन



सिविल जज (जे.डी.) कोर्ट रूम भवन का विवरण (पालिया)



ग्राम न्यायालय गोला

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	14
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	9
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	18	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	21939	159008	180947	5365	59724	65089	6476	67818	74294	20828	150914	171742
2025	20828	150914	171742	2226	74963	77189	6215	74534	80749	16839	151343	168182

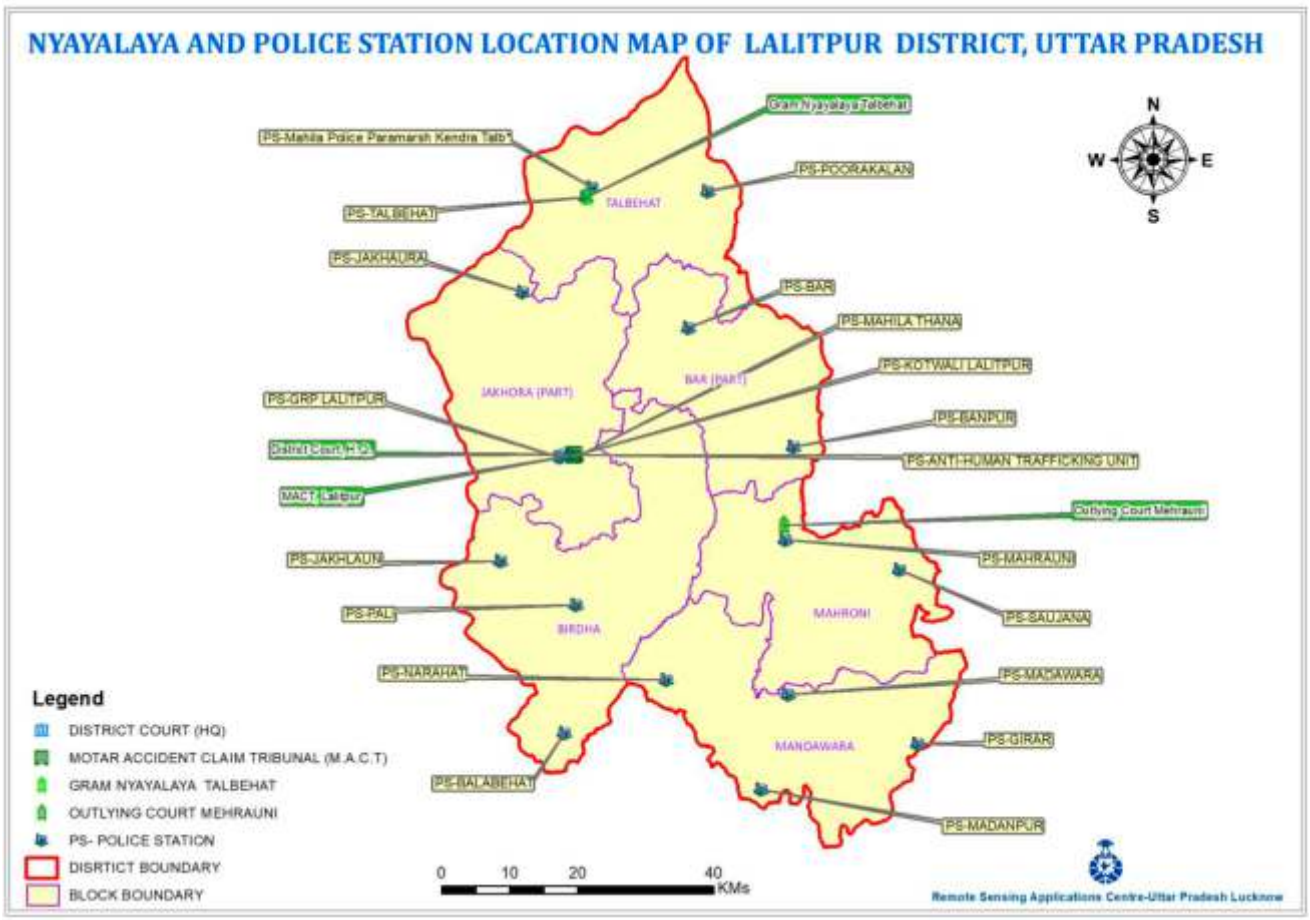
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1733	2134	3867	2657	2366	5023	2619	2292	4911	1771	2208	3979
2025	1771	2208	3979	3148	3009	6157	2363	1384	3747	2556	3833	6389

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2709	1529	1944	2294
2025	2294	2076	1725	2645

जनपद न्यायालय ललितपुर



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

ललितपुर का जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के केंद्र में स्थित है। जिला न्यायालय रेलवे स्टेशन से केवल 1.5 किलोमीटर और बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की सुविधाजनक दूरी पर स्थित है जिससे यह आम जनता के लिए आसानी से पहुँचा जा सकने वाला स्थान बन जाता है। यह कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित है। जिला न्यायालय ललितपुर के अधिकार क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी मामले आते हैं और जिला न्यायपालिका से संबंधित इसकी अपीलें या पुनरीक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यह न्यायालय निष्पक्ष और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से कार्य करता है।

ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान ललितपुर झाँसी जिले का एक तहसील मुख्यालय था। उस समय के ललितपुर तहसील मुख्यालय में एक मुंसिफ–मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई थी। जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1974 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री एच. एन. बहुगुणा द्वारा ललितपुर को जिला मुख्यालय घोषित किया गया। ललितपुर न्यायपीठ की स्थापना 01.03.976 को हुई थी और इसने एक निजी किराए के भवन में कार्य करना प्रारंभ किया। श्री रमा शंकर मिश्र प्रथम न्यायिक अधिकारी थे, जिन्होंने जनपद न्यायाधीश के न्यायालय की अध्यक्षता की। न्यायपीठ को चार न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हुई, जिनका निर्माण 22.02.1981 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश श्री एन. ओझा द्वारा न्यायालय भवन के उद्घाटन के पश्चात् किया गया।

वर्तमान न्यायालय परिसर

हेरिटेज ब्लॉक में स्थित जिला न्यायालय की पुरानी इमारत वास्तुकला और ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो जिले के न्यायिक बुनियादी ढांचे में अहम भूमिका निभाती है। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय जैसे विभिन्न आवश्यक विभाग साथ ही रिकॉर्ड रूम प्रशासनिक कार्यालय, बिल अनुभाग, नजारत अनुभाग, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, पुस्तकालय और प्रतिलिपि अनुभाग जैसे प्रशासनिक विभाग भी स्थित हैं, जो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह के कार्यों का निर्वहन करते हैं। वर्ष 2023 में इमारत की संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए एक नवीनीकरण और रूपांतरण परियोजना शुरू की गई थी। यह नवीनीकरण कार्य 23 मार्च 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विशेष रूप से न्यायालय भवन की छत पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो 22 किलोबाट बिजली उत्पन्न करता है और पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादियों के लिए पूरी इमारत में आवागमन को सुगम बनाने हेतु एक लिफ्ट स्थापित करने का प्रस्ताव भी है।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचा

04 न्यायालय कक्षों वाला नवीन न्याय भवन

चार कोर्ट रूम वाली यह इमारत जिसे आमतौर पर नवीन न्याय भवन के नाम से जाना जाता है वर्ष 2004 में बनाई गई थी। इसमें वर्तमान में चार पूरी तरह से कार्यरत कोर्ट रूम हैं, जिनके साथ साथ पीठासीन अधिकारियों के चौंबर, स्टेनोग्राफरों के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयों जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। इस इमारत में संचालित होने वाले न्यायालयों में परिवार न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शामिल हैं।

पारिवारिक न्यायालय भवन

परिवार न्यायालय अभी नवीन न्याय भवन में एक अस्थायी न्यायालय कक्ष में संचालित हो रहा है। इस अस्थायी जगह पर जरूरी सुविधाएँ मौजूद हैं, जिनमें अधिकारियों के चैंबर, स्टेनोग्राफरों के लिए कमरे और कोर्ट के अलग–अलग दफतर शामिल हैं, ताकि न्यायिक कार्य बिना किसी रुकावट के चलता रहे। फैमिली कोर्ट की स्थायी बिल्डिंग के लिए एक जगह को चिन्हित कर लिया गया है। इस बारे में एक पूरी योजना जिसमें अनुमानित खर्च और समय–सीमा का ब्योरा देने वाले विस्तृत अनुमान भी शामिल हैं, माननीय उच्च न्यायालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। उम्मीद है कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे हम एक पूरी तरह से काम करने वाले फैमिली कोर्ट को स्थापित करने के और करीब पहुँच जाएँगे जो जनता की बेहतर सेवा करेगा।

अन्य भवन और सुविधाए

कोर्ट परिसर एक अच्छी तरह से सुसज्जित सुविधा केंद्र है, जिसमें कई सहायक और सपोर्ट करने वाली इमारतें शामिल हैं। इन्हें परिसर की काम करने की क्षमता को बढ़ाने और सभी तरह की सेवाएँ देने के लिए डिजाइन किया गया है। इन जरूरी इमारतों में कप्यूटरध्सर्वर रूम भी शामिल है, जहाँ डाटा के प्रबंधन और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी तकनीकी ढाँचा मौजूद है। वैकल्पिक विवाद समाधान ADR Center पारंपरिक कोर्ट की कार्यवाही से बाहर विवादों को सुलझाने के लिए एक

खास जगह देता है, जिससे आपसी सहमति से समाधान को बढ़ावा मिलता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल नई तकनीक से लैस है, जिससे अन्य जनपदो की गवाही एवं साक्ष्य– सुनवाई की जाती है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो स्वयं वहाँ मौजूद नहीं हो सकते। VWDC Center कमजोर गवाह बयान केंद्र को गवाहों के लिए एक सुरक्षित और मददगार माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के गवाही दे सकें। अन्य सुविधाओं में मीटिंग हॉल शामिल है, जो अलग–अलग तरह की सभाओं और चर्चाओं के लिए उपयुक्त है और बाल मित्र कक्ष भी है जो कोर्ट की कार्यवाही में शामिल परिवारों के बच्चों के लिए अनुकूल जगह देता है। पिंक टॉयलेट और नर्सिंग रूमय जो फैमिली कोर्ट के पास है, जो खास तौर पर महिलाओं के आराम और निजता के लिए डिजाइन किया गया है। यह परिसर में सभी के लिए पहुँच को आसान बनाने की पहलों में एक अहम हिस्सा है। लाक–अप सुविधा यह पक्का करती है कि जरूरत पड़ने पर हिरासत में लिए गए लोगों को सुरक्षित रूप से रखा जाए। जबकि ई–सेवा केंद्र की इमारत इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के केंद्र के तौर पर काम करती है, जिससे आम लोगों के लिए अलग–अलग प्रशासनिक प्रक्रियाएँ आसान हो जाती हैं। एक भरोसेमंद पावर बैकअप सुविधा, यह गारंटी देती है कि सभी सेवाएँ लगातार चलती रहें खासकर बिजली चले जाने पर भी। इसके अलावा परिसर में वादकारियों, कर्मचारियों एंव अधिवक्तागणों के लिए भी कई सुविधाजनक सुविधाएँ मौजूद हैं, जिनमें एक ATM मशीन और एक कैंटीन की इमारत शामिल है जो मुख्य गेट के पास ही बनाई गई हैं।

बाहय न्यायालय

वर्तमान में सिविल जज, जूनियर डिवीजन और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अपनी स्वयं की इमारत में संचालित हैं, जिसका निर्माण वर्ष 2020 में किया गया था और जो 26–11–2020 को बनकर तैयार हुई थी।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय भवन तहसील तालबेहट में संचालित है। यह न्यायालय संबंधित तहसील के बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन मे संचालित है, जिससे ग्राम स्तर पर न्याय की सुलभता सुनिश्चित होती है।



हेरिटेज ब्लॉक में स्थित पुरानी इमारत



4 कोर्ट रूम वाली इमारत, जिसे नवीन न्याय भवन के नाम से जाना जाता है



तहसील तलबेहा में ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं



सीजेएम 12 कोर्ट रूम वाली इमारत

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	10	07
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	05	04
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	06	04
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	01	01
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	00	00
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	00	00

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	7020	55146	62166	4186	57002	61188	4123	57460	61583	7083	54688	61771
2025	7083	54688	61771	2851	69830	72681	2927	68606	71533	7007	55912	62919

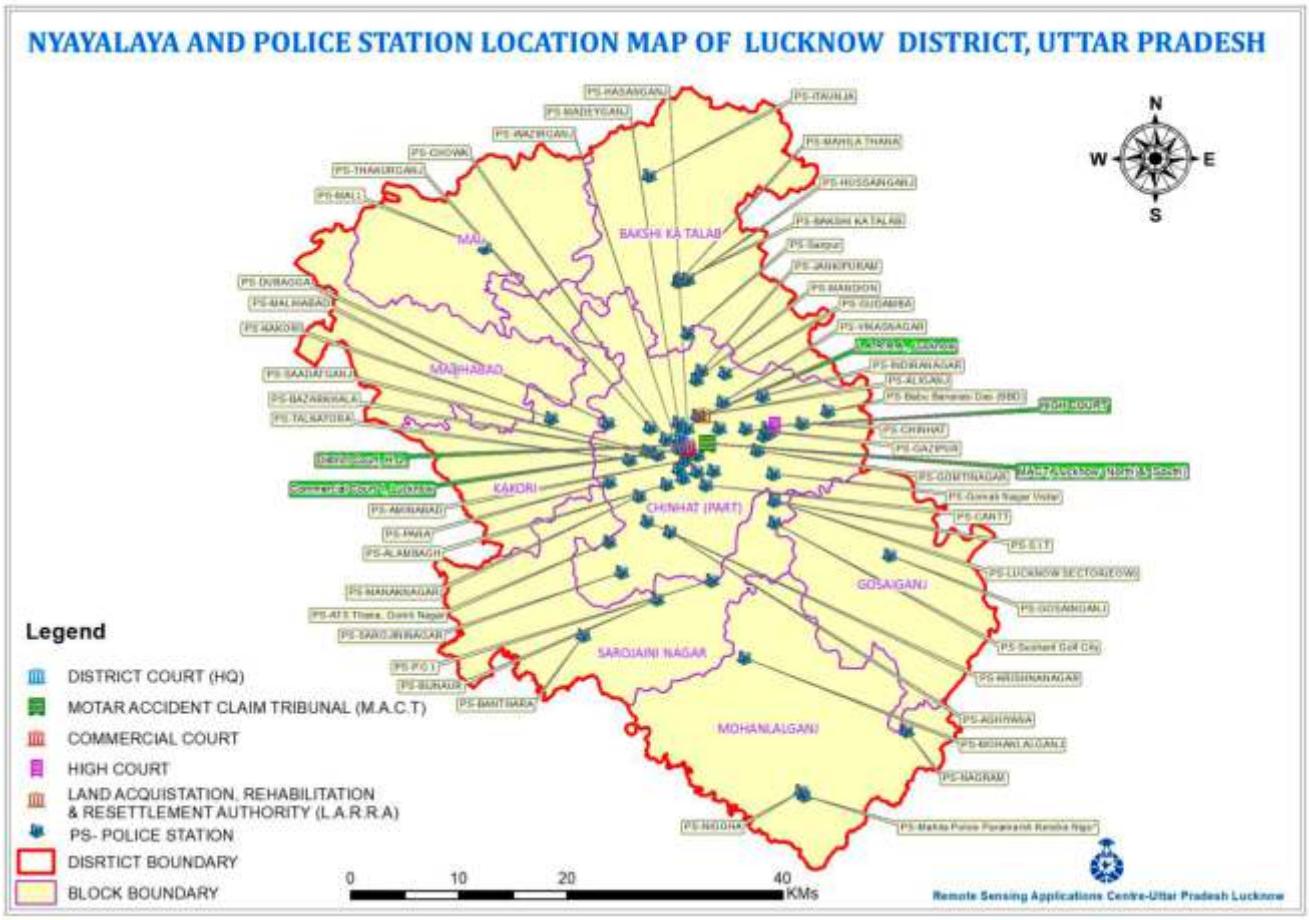
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	523	1451	1974	446	861	1307	411	908	1319	558	1404	1962
2025	558	1404	1962	445	842	1287	509	980	1489	494	1266	1760

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	871	504	467	908
2025	908	506	465	949

जनपद न्यायालय लखनऊ



लखनऊ कोर्ट का संक्षिप्त इतिहास

1856 में विलय से पहले, राजा ज्यूडिशियरी के आखिरी हेड थे, लेकिन अपील कोर्ट की शक्तियां मुजतहिद–उल–असर के पास थीं, जो सिविल अधिकार क्षेत्र के साथ–साथ धार्मिक मामलों के निपटारे के लिए सबसे बड़ी कोर्ट थी। सबसे बड़ी ट्रायल कोर्ट, यानी अदालत– ए– आलिया। इसकी अध्यक्षता मुसीफ –उद – दौला करते थे, जिन्हें सीधे शिकायतें लेने और उन्हें निपटाने का अधिकार था। सिविल मामलों के लिए अलग–अलग कोर्ट और छोटे मामलों की कोर्ट की अध्यक्षता मुसाहिब–उस–सुल्तान करते थे। सिटी पुलिस का हेड कोतवाल था, जो इसकी भी अध्यक्षता करता था। चीफ क्रिमिनल कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट के तौर पर।

ब्रिटिश कब्जे के बाद, सिविल और क्रिमिनल केस के निपटारे के लिए 1856 में लखनऊ में कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 ने अवध का एक चीफ कोर्ट बनाया जिसमें 5 जज थे: एक चीफ जज और 4 छोटे जज। अवध सिविल कोर्ट्स एक्ट के तहत 1871 में कोर्ट को फिर से बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट जज का ऑफिस 1879 में बना। राज्य सरकार ने जुलाई 1950 में मजिस्ट्रेट के न्यायिक कामों को उनके एग्जीक्यूटिव कामों से अलग करने के लिए एक स्कीम बनाई। न्याय पंचायत को 1956 में मान्यता दी गई।

जिला न्यायालय भवन की संरचना

1876 में एक मंजिला आर्च शेप की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई थी। 1974 में, इस कोर्ट बिल्डिंग को गिरा दिया गया और कोर्ट को कुछ समय के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। 1976–77 में, सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉक बनाए गए, जहाँ पुरानी बिल्डिंग को गिरा दिया गया था। 1974 में, ब्श्रड और दो श्रड की कोर्ट को कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट कर दिया गया और 1987 तक वहीं रहीं। 1998–99 में आठ मंजिल वाली मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई गई। 1974 में डिस्ट्रिक्ट जज और सब–डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की कोर्ट कोर्ट परिसर में चलती थी। बाद में 1977 में, सब–डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की कोर्ट को कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट कर दिया गया।

बार एसोसिएशनों का विकास

- अवध बार एसोसिएशन, सबसे पुराना बार एसोसिएशन है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में है। इसकी स्थापना 19 मई 1901 को हुई थी , और बार में लगभग 6655 सदस्य थे।
- सेंट्रल बार एसोसिएशन की स्थापना जून, 1908 में हुई थी। अभी इसके लगभग 5000 सदस्य हैं।
- लखनऊ बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट ऑफिस में है और इसकी ब्रांच लखनऊ जजशिप कैंपस में है। 1969 में शुरू हुआ था, जिसके अभी लगभग 10000 सदस्य हैं।
- डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की स्थापना 1935 में हुई थी। एसोसिएशन की गतिविधियां अन्य बार एसोसिएशनों के समान हैं।
- लखनऊ लॉयर्स एसोसिएशन 1928 में रजिस्टर हुई थी, जो कलेक्ट्रेट कंपाउंड में है। इस एसोसिएशन के तहत क्रिमिनल और रेवेन्यू साइड के प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हैं।

वर्तमान में न्यायाधीश पद (जिला न्यायालय)

लखनऊ जजशिप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जजशिप है, जहाँ कुल स्वीकृत न्यायालयों की संख्या 122 है। वर्तमान में कुल 95 न्यायालय कार्यरत हैं (जिला जज और एडीजे –33, सिविल जज–एसडी–22, सिविल जज–जेडी–23, अतिरिक्त न्यायालय / एनआईएक्ट–11 और विशेष एनआई एक्ट–1, वाणिज्यिक न्यायालय–1) और 27 न्यायालय खाली पड़े हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी और रौशनउद्दौला में फैमिली कोर्ट चल रहा है, जिसमें 1 प्रिंसिपल जज और 10 एडिशनल प्रिंसिपल जज हैं। रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट (NR और NER) लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर चल रहे हैं। लखनऊ के मोहन रोड पर जुवेनाइल के लिए एक अलग कोर्ट भी है।

राजस्व न्यायालयों का योगदान

रेवेन्यू कोर्ट राज्य के लैंड रेवेन्यू के मामलों को देखते हैं। जिले का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। 1831 में इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। 1856 में अवध इलाके में एक ज्यूडिशियल कमिश्नर और एक फाइनेंशियल कमिश्नर नियुक्त किए गए। लैंड रेवेन्यू के मामलों में, फाइनेंशियल कमिश्नर अवध रेवेन्यू कोर्ट एक्ट 1865 के सेक्शन 2 और 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम करते थे। लेकिन 1871 में फाइनेंशियल कमिश्नर का पद खत्म कर दिया गया और ऐसे सभी काम ज्यूडिशियल कमिश्नर को सौंप दिए गए। 2 नवंबर 1929 को अवध ज्यूडिशियल कमिश्नर कोर्ट की जगह लखनऊ में अवध चीफ कोर्ट बनाया गया। 1947–48 में आजादी के बाद, बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशियल काम अलग कर दिए गए और बोर्ड का ज्यूडिशियल विंग इलाहाबाद में काम करता रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें चेयरमैन, कमिश्नर, सेक्रेटरी और मेंबर ज्यूडिशियल के कोर्ट बने। 1949 में राज्य में UPZA और LR एक्ट के नियमों को लागू करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर का पद बनाया गया। 1954 में, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का काम भी लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर को सौंप दिया गया। यह व्यवस्था 1956–57 तक जारी रही, जब लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर का पद खत्म कर दिया गया और उनके सभी काम बोर्ड को सौंप दिए गए। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशियल, दोनों तरह के चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार और असिस्टेंट तहसीलदारों की कोर्ट काम करती हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने तहत आने वाली सभी निचली रेवेन्यू कोर्ट के खिलाफ आखिरी अपील सुनता है।



पुराना उच्च न्यायालय भवन



पुराना उच्च न्यायालय भवन



उत्तरी भवन



बहुमंजिला भवन



परिवार न्यायालय



वीसी कक्ष

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	52	39
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	41	32
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	29	18
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	11	9
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	2	2
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	2	2
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	2	2

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	56395	431538	487933	11120	168423	179543	12133	137846	149979	55382	462115	517497
2025	55382	462115	517497	11736	193350	205086	13560	206178	219738	53558	449287	502845

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	11997	7845	19842	5956	2577	8533	6668	2529	9197	11285	7893	19178
2025	11285	7893	19178	5343	2781	8124	5620	2128	7748	11008	8546	19554

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3944	1361	2660	2645
2025	2645	451	1323	1773

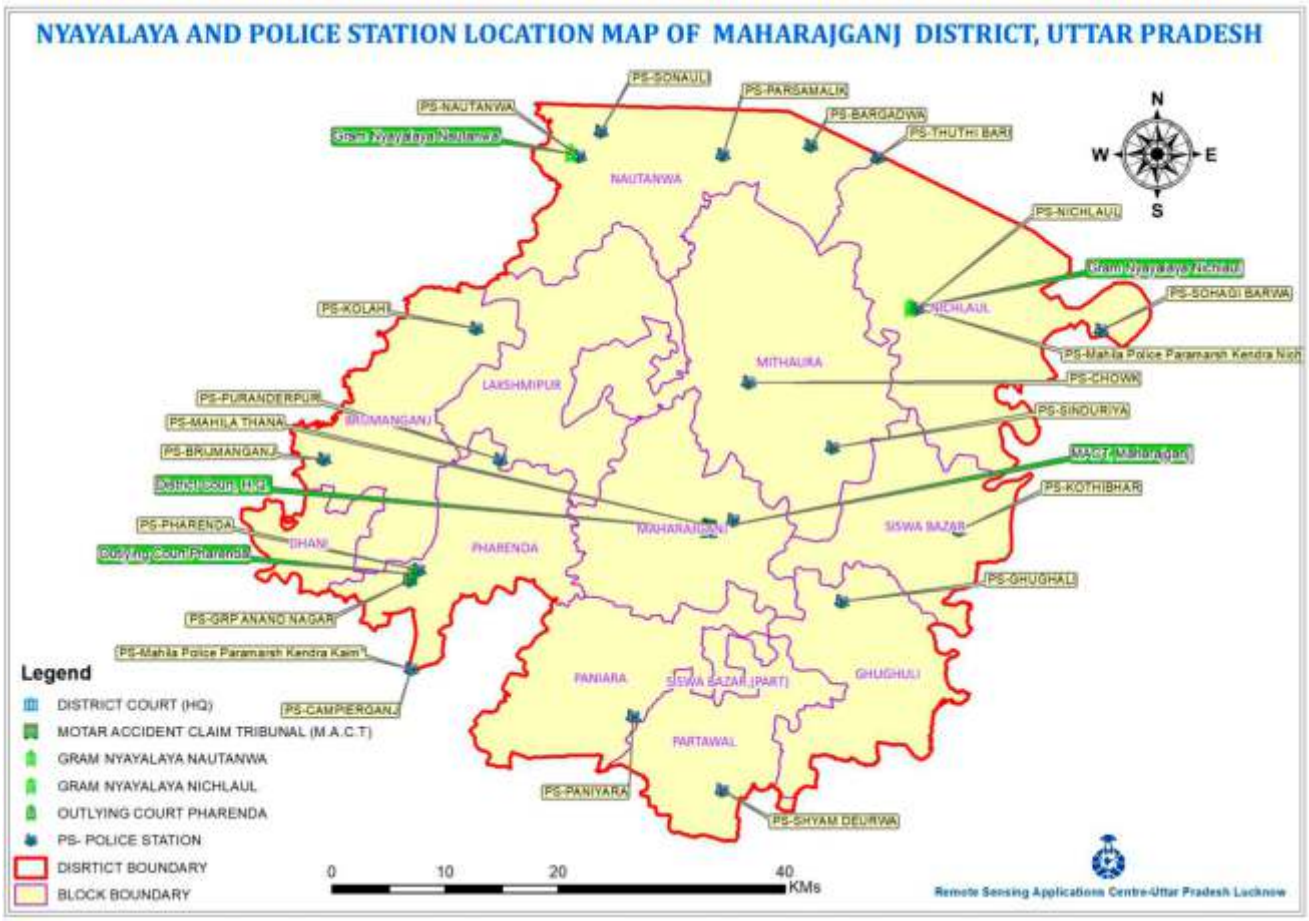
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	5614	2040	1548	6106
2025	6106	1896	1299	6703

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1777	1389	307	2859
2025	2859	556	356	3059

जनपद न्यायालय महाराजगंज



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जिला न्यायालय, महराजगंज 2 नवंबर, 1990 को अस्तित्व में आया । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या– 5823/सात–ए न्याय–217/89 लखनऊ, दिनांक 12.01.1990 के माध्यम से जिला न्यायालय, महराजगंज को एक न्यायिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इस शासनादेश के द्वारा 05 न्यायालयों–यथा जिला न्यायाधीश (District Judge), सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला न्यायालय 16 फरवरी, 2007 को अपने निजी भवन में स्थानांतरित हुआ। वाह्य न्यायालय, फरेन्दा उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1366/सात–ए न्याय–202(24)/76 न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग लखनऊ, दिनांक 01.04.1989 द्वारा अस्तित्व में आया। इस शासनादेश द्वारा जिला न्यायालय, गोरखपुर के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का 01 न्यायालय स्वीकृत किया गया था। जिला न्यायालय, महराजगंज के सृजन के पश्चात, वाह्य न्यायालय फरेन्दा को जिला न्यायालय, महराजगंज के वाह्य न्यायालय के रूप में जोड़ दिया गया। वाह्य न्यायालय फरेन्दा अपने निजी भवन में फरेन्दा–बृजमनगंज मार्ग पर स्थित है।

ग्राम न्यायालय, नौतनवा और ग्राम न्यायालय, निचलौल उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 25/2015/1462/सात–न्याय–2–2015–216जी/2007, दिनांक 24.11.2015 द्वारा अस्तित्व में आए। ग्राम न्यायालय, नौतनवा तहसील–नौतनवा के बार भवन में तथा ग्राम न्यायालय, निचलौल तहसील–निचलौल के पुराने भवन में संचालित है। यद्यपि जिला न्यायालय, महराजगंज की स्थापना 05 न्यायालयों के साथ हुई थी, वर्तमान में यहाँ कुल 32 स्वीकृत न्यायालय हैं (जिनमें 03 परिवार न्यायालय और 01 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामिल हैं)। इनमें से 19 न्यायालय (01 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहित) वर्तमान में कार्यरत हैं। अन्य सुविधाएँ जैसे ई–सेवा केंद्र, वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम, अभिलेखागार, पुस्तकालय, ए.डी.आर.सेंटर, विधिक सहायता सेवाएँ और वुलनरेबल विटनेस डिपोजीसन सेंटर (VWDC) आदि उपलब्ध एवं क्रियाशील हैं।

परिवार न्यायालय और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) जिला न्यायालय, महराजगंज के परिसर में ही संचालित हैं। जिला महराजगंज में वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court) और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (LARRA) स्वीकृत नहीं हैं।

वर्तमान न्यायालय परिसर

जिला न्यायालय, महराजगंज में 22 न्याय कक्ष (जिनमें 04 अस्थायी कक्ष) निर्मित हैं। परिसर में अधिवक्ता भवन, ए.डी.आर. भवन, हवालात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, सी.सी.टी.वी. नियंत्रण कक्ष, महिला वादकारी भवन उपलब्ध है। न्यायिक अधिकारियों हेतु आवासीय परिसर में 06 अदद टाइप–IV और 07 अदद टाइप–V आवास निर्मित हैं। जिला न्यायाधीश का आवास न्यायालय परिसर से 01 किमी की दूरी पर स्थित है।

सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ 23 सी.सी.टी.वी. कैमरे, 10 मेटल डिटेक्टर (05 डी.एफ.एम.डी. और 05 एच.एच.एम.डी.) और 01 बैगेज स्कैनर स्थापित हैं। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 18 पी.ए.सी. कर्मी, 06 सशस्त्र गार्ड, 31 यू.पी. पुलिस कर्मी और 15 होमगार्ड तैनात हैं।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचे का विवरण

11 न्याय कक्ष भवन

यह G+2 (तीन मंजिला) भवन है, जिसका निर्माण 06 नवंबर, 2020 को औपचारिक रूप से पूर्ण हुआ। इसमें वर्तमान में 11 क्रियाशील न्याय कक्षों के साथ पीठासीन अधिकारी विश्राम कक्ष, आशुलिपिक कक्ष और प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। भूतल पर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीशगण के न्यायालय सहित न्यायालय प्रबंधक कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय व नजारत अनुभाग संचालित हैं, प्रथम तल पर अन्य न्यायालय, द्वितीय तल पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और स्कैनिंग व डिजिटाईजेशन सेंटर संचालित हैं। भवन में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादकारियों हेतु दो लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

07 न्याय कक्ष भवन

07 न्याय कक्षों वाला यह भवन G+1 (दो मंजिल) है, जिसका निर्माण 16 फरवरी 2007 को पूर्ण हुआ। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफ.टी.सी. और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के न्यायालयों के साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिक कक्ष और न्यायालय–कार्यालय, अभिलेखागार एवं प्रतिलिपिक अनुभाग हैं।

अन्य भवन और सुविधाएँ

जिला न्यायालय परिसर में कई अन्य सहायक भवन भी शामिल हैं, जैसे ए.डी.आर. सेंटर, केंद्रीय कंप्यूटर अनुभाग सह फाइलिंग काउंटर, वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष सह वुलनरेबल विटनेस डिपोजीसन सेंटर (VWDC), कैंटीन, हवालात और बार एसोसिएशन भवन (32 अधिवक्ता चौंबर)।

वाह्य न्यायालय

वाह्य न्यायालय, फरेन्दा में 02 न्याय कक्षों वाले निर्मित भवन में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय संचालित है।

ग्राम न्यायालय

तहसील–निचलौल और तहसील–नौतनवा में ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं। ये न्यायालय संबंधित तहसीलों द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर न्याय की पहुँच सुनिश्चित हो सके।



07 न्यायालय भवन (पुराना न्यायालय भवन)



पुराना उच्च न्यायालय भवन



एडीआर भवन



बाह्य न्यायालय फारेन्दा न्यायालय भवन



ग्राम न्यायालय नौतनवा



ग्राम न्यायालय निचलौल

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	12	04
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	04	03
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	03	01
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	21140	82605	103745	12695	80837	93532	13622	79923	93545	20213	83519	103732
2025	20213	83519	103732	17680	89906	107586	17929	84743	102672	19964	88682	108646

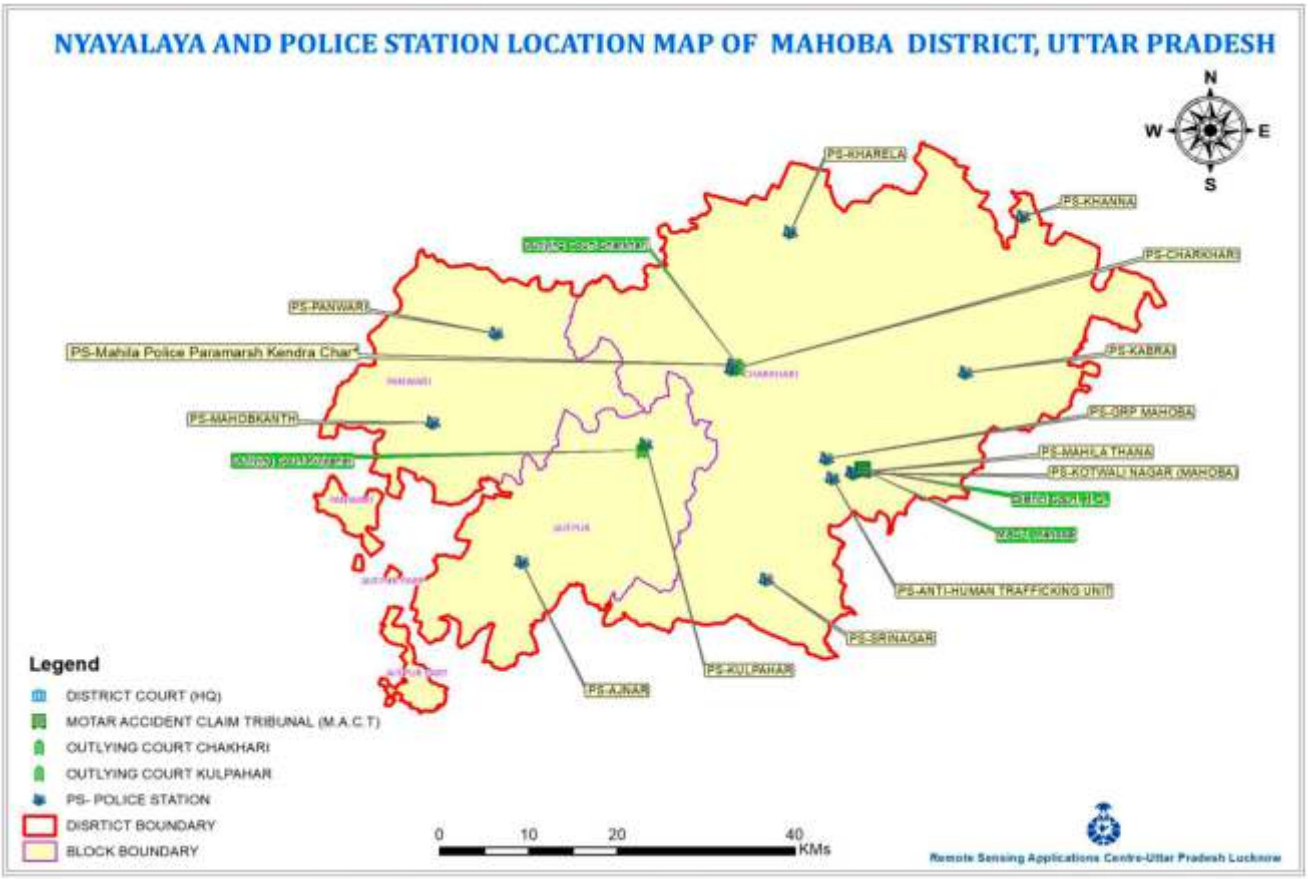
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1989	3890	5879	833	1339	2172	409	738	1147	2413	4491	6904
2025	2413	4491	6904	945	1161	2106	587	962	1549	2771	4690	7461

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1624	574	320	1878
2025	1878	654	542	1990

जनपद न्यायालय महोबा



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

जिला महोबा को 11 फरवरी 1995 को तत्कालीन हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया थाय इसके लिए हमीरपुर से तत्कालीन महोबा तहसील को अलग किया गया था। इसे 'महोत्सव–नगर' के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है 'त्योहारों का शहर'। महोबा दो प्रसिद्ध योद्धाओं–आल्हा और ऊदल–के लिए जाना जाता है। इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, और आल्हा–ऊदल के अदम्य साहस के कारण, जिस सेना का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। महोबा को जिला घोषित किए जाने से पूर्व, यह हमीरपुर न्याय–क्षेत्र (Judgeship) के अंतर्गत एक 'बाह्य न्यायालय' (Outlying Court) के रूप में कार्य करता था। उस समय यहाँ तीन बाह्य न्यायालय कार्यरत थेः एक 'अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश' का न्यायालय, और एक 'सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)' का न्यायालय। शासनादेश (G.O.) संख्या 2010/7–नया–2–104B/1994, नया अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय), दिनांक 19.09.1995 के तहतय यहाँ एक 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश' का न्यायालय, एक 'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट' का न्यायालय, एक 'सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)' का न्यायालय, तथा 'न्यायिक मजिस्ट्रेट' और 'मुंसिफ मजिस्ट्रेट' के न्यायालयों की स्थापना की गई। ज्ञापन (Memorandum) संख्या 322/DR(S)/57, दिनांक 4 अप्रैल 1997 के माध्यम से, श्री रघुनाथ प्रसाद (H.J.S.) को महोबा न्याय–क्षेत्र का प्रथम 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश' नियुक्त किया गया।

वर्तमान न्यायालय परिसर

जिला न्यायालय परिसर में वर्तमान में 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश' का न्यायालय, सिविल अभिलेख कक्ष (Civil Record Room), बिल अनुभाग, नजारत कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, तथा सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित CCTV कैमरों का नियंत्रण कक्ष स्थित है। इसी परिसर से सटे हुए एक अन्य भाग में 'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट' (CJM) का न्यायालय और अन्य 'अपर जिला न्यायाधीश' (ADJ) के न्यायालय भी स्थापित हैं। वर्तमान में, श्री राम नगीना यादव यहाँ के शजिला

न्यायाधीश हैं; उन्होंने दिनांक 07.10.2025 को अपना कार्यभार ग्रहण किया।

नवीन एकीकृत न्यायालय परिसर भवन की अवसंरचना का अवलोकन

नवीन एकीकृत न्यायालय परिसर भवन का निर्माण महोबा जिले के ग्राम रहलिया में प्रस्तावित है। इस एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 21.002 हेक्टेयर भूमि क्रय की जा चुकी है। इस भूमि को दो भागों में विभाजित किया गया है: 'भाग–A' में गैर–आवासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जबकि 'भाग–B' में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी आदेश (G.O.) जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 287.42 करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर 37 कोर्ट रूम और वकीलों के चैंबर बनाए जाएंगे, और न्यायिक अधिकारियों के लिए 36 आवास (रेजिडेंस), जिसमें जिला न्यायाधीश का बंगला भी शामिल है, बनाए जाएंगे। इमारत का एक प्रोटोटाइप इसके साथ संलग्न है।

बाह्य कोर्ट चरखारी

जिला कोर्ट महोबा की बाह्य कोर्ट, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चरखारी, की स्थापना 2003 में हुई थी। वर्तमान में, श्री विजय शंकर गौतम इस कोर्ट में पीठासीन अधिकारी हैं। इस कोर्ट की इमारत का नवीनीकरण 2024–25 में किया गया है।

अन्य कोर्ट की इमारतें और सुविधाएं

जिला कोर्ट महोबा के कोर्ट परिसर में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें M.A.C.T. कोर्ट और फैमिली कोर्ट शामिल हैं, ये दोनों कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही हैं। अन्य सुविधाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर अनुभाग (जिसमें eSeva केंद्र शामिल है), कैंटीन की सुविधा, मीटिंग हॉल और पास के परिसर में स्थित अधिवक्ता भवन शामिल हैं। MACT कोर्ट की स्थापना जिला महोबा में 23.05.2020 को हुई थी। वर्तमान में, श्री विपिन कुमार MACT कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हैं।

जिला कोर्ट महोबा में फैमिली कोर्ट कार्यरत है। वर्तमान में, श्री अशोक कुमार यादव फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं।

जिला कोर्ट महोबा में ग्राम न्यायालय कार्यरत नहीं है।



महोबा जिला न्यायालय



मुख्य न्यायाधीश न्यायालय परिसर



जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय



कुलपहाड़, महोबा



महोबा जिला न्यायालय



चरखारी बाह्य न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	10	6
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	2
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	4295	35206	39501	1152	18809	19961	728	15356	16084	4719	38659	43378
2025	4719	38659	43378	1200	18981	20181	976	16196	17172	4943	41444	46387

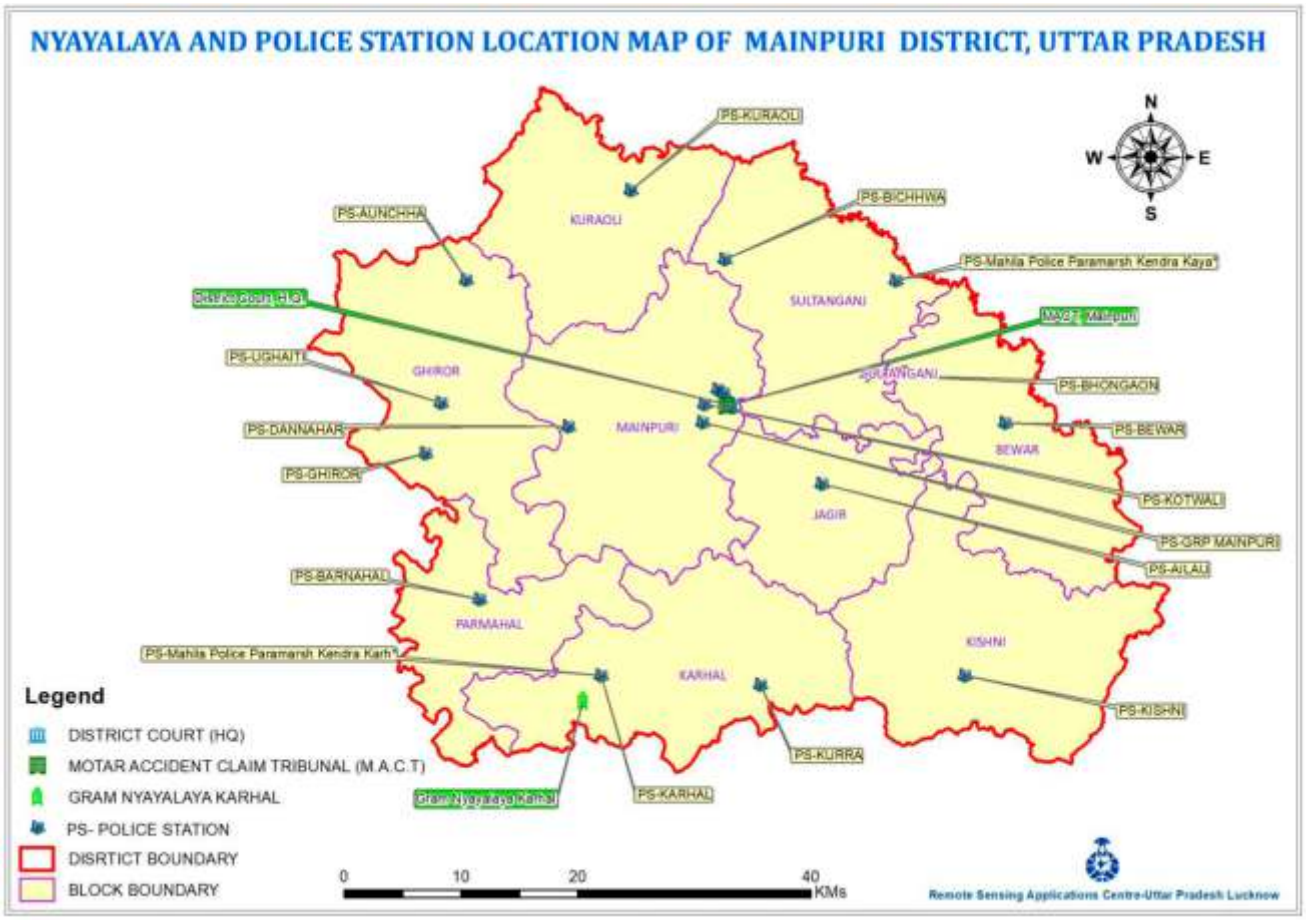
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	603	836	1439	423	472	895	156	305	401	370	1003	1873
2025	870	1103	1973	422	520	942	521	665	1186	771	958	1729

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	445	188	169	464
2025	464	189	193	460

जनपद न्यायालय मैनपुरी



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन कार्यरत मैनपुरी जिला एवं सत्र न्यायालय का इतिहास 19वीं सदी का है। शुरू में यह न्यायालय मैनपुरी, एटा और इटावा के संयुक्त अधिकार क्षेत्र का संचालन करता था। वर्ष 1985 में इटावा जिले के अलग होने के बाद यह एक स्वतंत्र समर्पित जजशिप बन गया, जो पहले संयुक्त न्यायिक–प्रशासनिक केंद्र से अलग होकर एकल जिला एवं सत्र न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ।

मुख्य ऐतिहासिक विकास

प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र – 1800 के दशक के मध्य में मैनपुरी के जिला जज एटा और इटावा सहित बड़े क्षेत्र का न्यायिक प्रबंधन संभालते थे।

पुनर्गठन – 18वीं सदी के अंत में एटा को अलग किया गया। इसके बाद 1 अगस्त 1958 को इटावा को अलग कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप मैनपुरी जजशिप को केवल अपने जिले का न्यायिक प्रबंधन करना पड़ा।

कोर्ट की स्थापना – सिविल जज (अवर वर्ग) की कोर्ट वर्ष 1902 में तथा सिविल जज (प्रवर वर्ग) की कोर्ट वर्ष 1926 में स्थापित की गई।

आधुनिकीकरण – नई दंड प्रक्रिया संहिता (01.04.1974) लागू होने के बाद मई 1974 में सिविल एवं सेशन जजों के कैडर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

मौजूदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स

मैनपुरी जजशिप का कोर्ट कैंपस विभिन्न प्रकार के मामलों को समाहित करता है। इसमें 8 कोर्ट रूम बिल्डिंग, 11 कोर्ट रूम बिल्डिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफ. टी.सी.) ब्लॉक, ए.डी.आर. सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तथा अन्य कई कार्यालय भवन शामिल हैं। पूरा कोर्ट परिसर सी.सी.टी.वी. कैमरों से पूर्णतः सुरक्षित है तथा 10 कोर्ट रूम बिल्डिंग की छत पर 91 किलोवाट का सोलर पावर पैनल स्थापित है।

कोर्ट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का अवलोकन

10 न्यायालय भवन

यह भवन 'न्याय भवन' के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1982 में निर्मित यह जी+1 संरचना है। इसमें 10 कोर्ट रूम, पीठासीन अधिकारियों के चैंबर, स्टेनोग्राफर रूम तथा समर्थन प्रशासनिक इकाइयाँ उपलब्ध हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर कोर्ट रूम कार्यरत हैं जबकि सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी, प्रशासनिक सेक्शन और अन्य कार्यालय स्थित हैं। इस भवन में निम्न न्यायालय कार्यरत हैं: ● जिला जज न्यायालय ● अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ● एस.सी./एस.टी. एक्ट न्यायालय ● दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ● ई.सी. एक्ट न्यायालय ● पोक्सो कोर्ट न्यायालय ● अन्य अपर सत्र एवं जिला न्यायालय कक्ष

ग्यारह कक्षीय भवन

यह नवनिर्मित जी+2 भवन है। इसमें कोर्ट रूम के साथ अधिकारियों के चौंबर, स्टेनोग्राफर कक्ष तथा कार्यालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भवन दो ब्लॉकों में विभक्त है – ब्लॉक (ए) और ब्लॉक (बी)। ● ब्लॉक (ए) – 8 न्यायालय कक्ष एवं संबंधित कार्यालय ● ब्लॉक (बी) – 3 न्यायालय कक्ष एवं संबंधित कार्यालय तथा अन्य सुविधाएँ

त्वरित न्यायालय कक्ष

त्वरित न्यायालय कोर्ट ब्लॉक में दो न्यायालय कक्ष, उनके कार्यालय, लाइब्रेरी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

आठ कक्षीय न्यायालय भवन

यह जी+1 संरचना वर्ष 2003 में निर्मित हुई है। इसमें आठ न्यायालय कक्ष हैं। इस भवन में निम्न न्यायालय कार्यरत हैं: ● अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ● त्वरित न्यायालय ● 14वें वित्तीय आयोग (अवर वर्ग) ● महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि न्यायालय

अन्य इमारतें और सुविधाएँ

कोर्ट परिसर में कई सहायक एवं समर्थन भवन उपलब्ध हैं, जैसे ए.डी.आर. सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लॉक–अप, पोस्ट ऑफिस, बार एसोसिएशन भवन तथा वकीलों के लिए चैंबर आदि।



8 कोर्ट रूम बिल्डिंग



10 कोर्ट रूम बिल्डिंग



11 कोर्ट रूम बिल्डिंग



एडीआर बिल्डिंग



एफटीसी बिल्डिंग



वीसी रूम

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	17	12
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	6
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	15	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17260	89736	106995	5886	61906	67792	8276	62979	71255	14870	88663	103533
2025	14870	88663	103533	8959	86449	95408	8605	86924	95529	15224	88188	103412

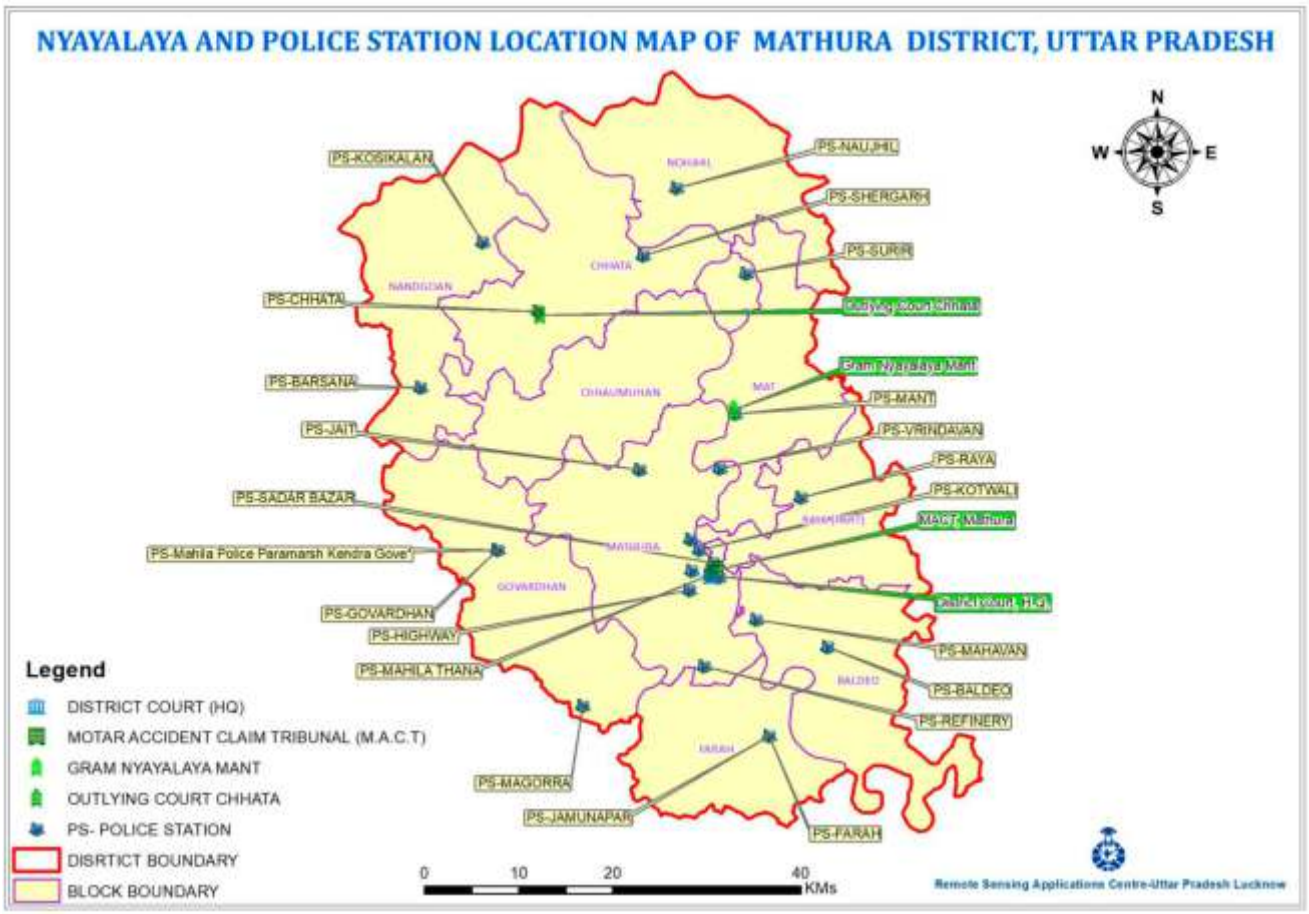
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1974	2518	4492	1840	1414	3254	1603	1564	3167	2211	2368	4579
2025	2211	2368	4579	1468	1511	2979	1479	1430	2909	2200	2449	4649

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2437	465	418	2484
2025	2484	492	323	2653

जनपद न्यायालय मथुरा



जिला न्यायालय मथुरा का इतिहास

ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक व्यवस्था वर्ष 1803 में लागू की गई जब यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आया। उस समय जिला मथुरा में एक जज–मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जो दीवानी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था तथा फौजदारी मामलों का निर्णय मजिस्ट्रेट के रूप में करता था। वर्ष 1803 में ही हस्तांतरित क्षेत्रों के लिए बरेली मुख्यालय पर अपील एवं सर्किट न्यायालय स्थापित किया गया, जहाँ मथुरा के जज–मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जाती थीं। यह न्यायालय फोर्ट विलियम, कलकत्ता स्थित सदर दीवानी अदालत (दीवानी न्यायालय) एवं सदर निजामत अदालत (फौजदारी न्यायालय) के अधीन था। इसे वर्ष 1829 में समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 1831 में इलाहाबाद में स्वतंत्र सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई और मथुरा के जज–मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें इन न्यायालयों में की जाने लगीं। उसी वर्ष मथुरा के जज–मजिस्ट्रेट को सत्र मामलों की सुनवाई के पूर्ण अधिकार भी प्रदान किए गए। "प्रिंसिपल सदर अमीन" का एक नया पद सृजित किया गया (जिस पर एक भारतीय की नियुक्ति होती थी), जिसे 5,000 रुपये तक के मामलों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें अंग्रेज न्यायाधीशों के समक्ष की जाती थीं। वर्ष 1833 के विनियम–II के अंतर्गत अपील एवं सर्किट न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और सभी लंबित मामलों को इलाहाबाद की सदर दीवानी अदालत को स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1843 में सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत को आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1859 में एक सामान्य न्याय संहिता लागू की गई।

वर्ष 1866 में सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत को समाप्त कर दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मथुरा के न्यायालयों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाया गया और यह व्यवस्था आज तक

जारी है।

उस समय न्यायिक संरचना में आगरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा के अधीनस्थ न्यायाधीश तथा मथुरा एवं महावन के मुंसिफ शामिल थे। मथुरा के मुंसिफ के अधिकार क्षेत्र में मथुरा एवं छाता तहसीलें थीं, जबकि महावन के मुंसिफ के अधिकार क्षेत्र में मांट, महावन एवं सादाबाद तहसीलें थीं। मथुरा न्यायाधीशीय क्षेत्र से संबंधित सत्र वादों की सुनवाई सामान्यतः आगरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मथुरा में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एवं नवंबर के तीसरे सोमवार को की जाती थी।

पूर्व में मथुरा, आगरा न्यायाधीशीय क्षेत्र का बाह्य न्यायालय था। मथुरा का पहला मुंसिफ न्यायालय जिला सिविल अस्पताल (वर्तमान विकास मार्केट) के पास स्थित था। प्रारंभिक चरण में यह एकमात्र स्वीकृत न्यायालय था। वर्ष 1902 में इस न्यायालय को नए भवन में स्थानांतरित किया गया, जिसे "ओल्ड मुंसिफी कंपाउंड" के नाम से जाना जाता है, जो जजेस कॉलोनी में जिला न्यायालय परिसर के सामने स्थित है।

वर्ष 1951 से पूर्व मथुरा में जिला न्यायाधीश का कोई न्यायालय नहीं था। आगरा के जिला न्यायाधीश को प्रोबेट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 (सार्वजनिक न्यास), धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम 1863, चौरिटेबल एंडोमेंट्स अधिनियम 1890, चौरिटेबल एंड रिलिजियस ट्रस्ट अधिनियम 1920 तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 से संबंधित मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त था। आगरा के जिला न्यायाधीश मथुरा न्यायाधीशीय क्षेत्र के सभी प्रशासनिक कार्यों, जैसे अधिकारियों का स्थानांतरण, माननीय उच्च न्यायालय से पत्राचार आदि का नियंत्रण रखते थे। सिविल जज के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें उच्च न्यायालय में सुनी जाती थीं, न कि आगरा के जिला न्यायाधीश द्वारा। उस समय मथुरा में तीन न्यायालय थेकृसिविल एवं सत्र न्यायाधीश, मुंसिफ मथुरा एवं मुंसिफ महावन।

वर्ष 1951 में न्यायिक अधिकार क्षेत्र के लिए मथुरा को आगरा से अलग कर दिया गया और एक जिला न्यायाधीश, मथुरा की नियुक्ति की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे जिले पर था।

मथुरा सत्र प्रभाग की स्थापना भी वर्ष 1951 में हुई। श्री गिरिश चंद्र श्रीवास्तव को मथुरा न्यायाधीशीय क्षेत्र के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 25.09.1951 को कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1951 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा जिले के दीवानी एवं फौजदारी न्यायिक कार्यों के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिए एक स्थायी सिविल जज, एक अस्थायी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, एक अतिरिक्त सिविल जज, दो मुंसिफ तथा आवश्यकता अनुसार एक अतिरिक्त मुंसिफ नियुक्त किए जाते थे। इस न्यायाधीशीय क्षेत्र को यह गौरव प्राप्त है कि यहाँ के कई जिला न्यायाधीश बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए।

जिला मथुरा में 5 तहसीलें हैं–सदर, छाता, मांट, महावन एवं गोवर्धन। वर्तमान में तहसील छाता में एक बाह्य न्यायालय 22.12.1997 से राजस्व विभाग एवं बार भवन में संचालित है तथा तहसील मांट में एक ग्राम न्यायालय 19.09.2019 से बार एसोसिएशन मांट द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में संचालित है।

अन्य सुविधाएं

न्यायिक सेवा केंद्रः वर्ष 2010 में स्थापित न्यायिक सेवा केंद्र (JSC) में वादकारियों/अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र एवं आवेदन दाखिल करने हेतु तीन खिड़कियां उपलब्ध हैं।

कंप्यूटर सर्वर कक्षः वर्ष 2010 में स्थापित कंप्यूटर सर्वर कक्ष (CSR) केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ सर्वर स्थापित है तथा लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के माध्यम से सभी न्यायालयों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है।

सूचना कियोस्कः मथुरा न्यायाधीशीय क्षेत्र में टच–स्क्रीन कियोस्क स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वादकारी/अधिवक्ता CIS में दर्ज मामलों की स्थिति एवं आदेशों की जानकारी बिना न्यायालय कर्मचारियों के पास जाए प्राप्त कर सकते हैं।

ई–सेवा केंद्रः न्यायालय परिसर में एक प्री–फैब्रिकेटेड ई–सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, जो वादकारियोंध्अधिवक्ताओं को उनके मामलों की स्थिति एवं आदेशों की जानकारी प्रदान करता है।

डिस्प्ले बोर्डः जिला न्यायालय मथुरा के 41 न्यायालय कक्षों के बाहर तथा छाता स्थित बाह्य न्यायालय के 2 कक्षों के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर न्यायालय के अंदर की कार्यवाही प्रदर्शित होती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः जिला न्यायालय मथुरा में 26 नवंबर 2013 को डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारंभ की गई। वर्ष 2017 में जेल रिमांड एवं अन्य कार्यों हेतु अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किया गया, जिसका दैनिक उपयोग किया जा रहा है।

ऑनलाइन वाद स्थितिः सभी वादों की जानकारी प्रतिदिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के NJDG सर्वर पर अपडेट की जाती है, जिससे दुनिया के किसी भी स्थान से वाद की स्थिति, वाद सूची एवं आदेशों को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

एसएमएस सुविधाः इस न्यायाधीशीय क्षेत्र में एसएमएस सेवा सफलतापूर्वक संचालित है। प्रतिदिन वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को एसएमएस भेजे जाते हैं तथा उनके मोबाइल नंबर बै में दर्ज किए जाते हैं।

वादकारियों/जनसामान्य हेतु सुविधाएंः वादकारियों के लिए गवाह शेड उपलब्ध हैं। अधिकांश न्यायालयों में बैठने के लिए कुर्सियां एवं बेंच हैं। प्रत्येक न्यायालय कक्ष के बाहर प्रतीक्षा हेतु कुर्सियां, बेंच एवं पंखे लगाए गए हैं। पुरुष, महिला एवं दिव्यांग वादकारियों के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध हैं तथा महिला वादकारियों के लिए पिंक टॉयलेट भी उपलब्ध हैं। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था है। गर्मी से राहत हेतु परिसर में पानी के कूलर लगाए गए हैं, जिससे प्रतिदिन आने वाले हजारों वादकारियों/ अधिवक्ताओं को पेयजल उपलब्ध हो सके।

अभिलेख कक्षः अभिलेख कक्ष भवन का निर्माण वर्ष 1902 में हुआ था। इसमें दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के अभिलेख रखे जाते हैं। भवन एक ही है, परंतु दीवानी एवं फौजदारी अभिलेख कक्ष के प्रवेश द्वार अलग–अलग हैं। अभिलेख कक्ष में सुरक्षित सबसे पुरानी फाइल मूल वाद संख्या 33/1931 से संबंधित है, जो निष्पादन वाद संख्या 19/1964 से जुड़ी है। अभिलेखों की सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र स्थापित किए गए हैं।

न्यायालय पुस्तकालयः न्यायाधीशीय क्षेत्र में एक पुस्तकालय है, जो न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए कार्य समय में खुला रहता है। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 15,442 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे पुरानी AIR 1958 है। इसमें AIR, SCC, ADJ, ACJ, CRLJ, AWC, प्रयाग निर्णय प्रकाशिका, ALT आदि मासिक विधि पत्रिकाएं, टीकाएं, बेयर एक्ट आदि उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय से न्यायपीठ एवं अधिवक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं।



न्याय भवन भवन



नई 8 कोर्ट रूम बिल्डिंग



न्याय निकेतन बिल्डिंग



एडीआर बिल्डिंग



ग्राम न्यायालय मांट



बाह्य न्यायालय छाता

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	19	14
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	14	14
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	18	11
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	02	02
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	19811	143396	163207	10549	290180	300729	10308	292009	302317	20052	141567	161619
2025	20052	141567	161619	12537	288093	300630	11621	281156	292777	20968	148504	169472

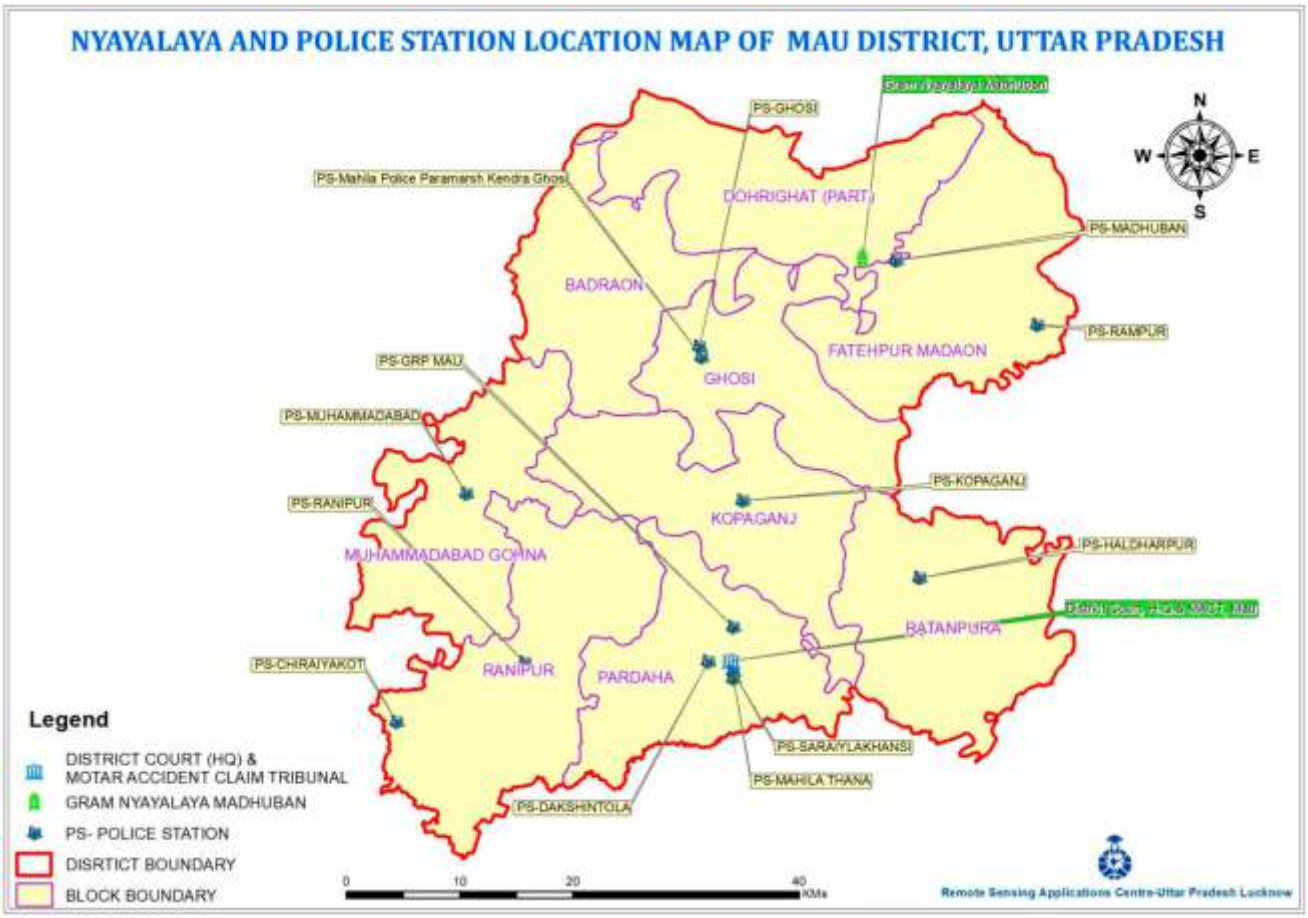
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2863	2634	5497	1650	1051	2701	1723	1009	2732	2790	2676	5466
2025	2790	2676	5466	4307	3422	7729	4313	3337	7650	2784	2761	5545

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3131	1172	803	3500
2025	3500	1298	1018	3780

जनपद न्यायालय मऊ



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहासः—

जनपद मऊ 83.170 पूर्वी देशांतर और 24.470 से 26.170 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और उत्तर में श्घाघराश् नदी, दक्षिण में गाजीपुर जिला पूर्व में बलिया जिला और पश्चिम में आजमगढ़ जिला से घिरा हुआ है।

19 नवम्बर 1988 का दिन ऐतिहासिक था, जब आजमगढ़ क्षेत्र में मऊनाथ भंजन क्षेत्र को अलग करके एक नये राजस्व जिले के रूप में स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गयी, जिसे 'मऊ' जिले के नाम से जाना जाता है।

इस क्षेत्र में न्याय प्रशासन के लिए एक पृथक राजस्व जिला, पृथक सत्र प्रभाग का गठन और दीवानी न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य हो गयी थी। तद्नुसार, सरकार ने जिले के लिए पृथक सत्र प्रभाग बनाये जाने में देर न करते हुए दिनांक 21.10.1989 को सरकारी अधिसूचना सं०—110/सात—न्याय व्यय. नि 204/89 दिनांक 21.10.1989 के द्वारा जिले के लिए दीवानी और सत्र न्यायालय की स्थापना की गई।

प्रारम्भ में, नव अधिसूचित सिविल न्यायालयों हेतु कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं था, इसलिए माता पोखरा इलाके में स्थित श्री महेश चन्द्र सर्राफ उर्फ बच्चा बाबू के स्वामित्व वाली एक निजी भवन को सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए किराये पर लिया गया। नये जनपद न्यायालय की अधिसूचना के बाद, अगली आवश्यकता माननीय उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश को प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप नामित करना था, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायालय, मऊ के लिए प्रथम प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में माननीय श्री न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव को नामित किया गया।

नए जिला एवं सत्र न्यायालय के गठन और नवगठित जिले के लिए सिविल न्यायालयों की स्थापना के पश्चात् अगली आवश्यकता निःसंदेह न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। वास्तव में नवगठित जनपद न्यायाधीश पद का प्रथम जनपद न्यायाधीश होना किसी भी अधिकारी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। यह सम्मान एच०जे०एस० कैडर के श्री रति राम जाटव को प्राप्त हुआ। उन्हें मऊ जिले के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद इस

पद पर 32 जनपद न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है। वर्तमान में मऊ जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव–III, इस पद की अध्यक्षता कर रहे है।

वर्तमान न्यायालय परिसर

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर मऊ में पुराना मुख्य न्यायालय भवन, 08 कक्षीय न्यायालय भवन, एफ०टी०सी० न्यायालय भवन और अन्य सहायक भवन शामिल है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

पुराना मुख्य न्यायालय भवन

वर्तमान में पुराने मुख्य न्यायालय भवन के प्रथम तल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. 01 का न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनयम) का न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का न्यायालय सहित कार्यालय व विश्राम कक्ष स्थापित है। साथ ही प्रशासनिक कार्यालय व कम्प्यूटर कक्ष भी प्रथम तल पर स्थित है।

इस भवन में विभिन्न अनुभाग (जैसे नजारत, नकल) और डीजीसी (सिविल) व डीजीसी (फौजदारी) के कक्ष भी है। इसके अलावा, इस भवन में एक पुस्तकालय व एक सभाकक्ष भी है।

भवन के निम्नतल में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए दो–दो रिकार्ड रूम है। भूतल पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जू०डि०) सदर, अपर जनपद न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो) और वाह्य न्यायालय (मोहम्मदाबाद गोहना) स्थित है।

08 कक्षीय न्यायालय भवन

इस नवनिर्मित भवन में आठ न्यायालय कक्षों के साथ–साथ कार्यालय, विश्राम कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष आदि जैसी सम्बन्धित सुविधाएं भी सम्मिलित है।

वर्तमान में इस भवन में मोटर दुर्घटना बीमा अभिकरण न्यायालय और उससे सम्बन्धित सुविधाएं भी कार्यरत है। इस भवन में सिविल जज (सी०डि०), सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं.–02, के न्यायालय संचालित है। वर्तमान में अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट सं.–02 के न्यायालय, कार्यालय भी स्थित है, जो वर्तमान में स्थित है।

त्वरित न्यायालय भवन

इस भवन में दो न्यायालय कक्षों के साथ–साथ अधिकारीगण के विश्राम कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष व कार्यालय सहित सम्बन्धित सुविधाएं भी शामिल है।

वर्तमान में सिविल जज(जू०डि०/महिलाओं के विरूद्ध अपराध) की न्यायालय कार्यरत है, जबकि सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं. 01 का न्यायालय रिक्त है।

निर्माणाधीन 04 नग परिवार न्यायालय

न्यायालय परिसर के पूर्वी हिस्से में निर्माणाधीन 04 नग परिवार न्यायालय भवन स्थित है, जिससे नये मानक आकार के न्यायालय कक्ष, कार्यालय, विश्राम कक्ष व स्टेनोग्राफर कक्ष संचालित है।

कार्यदायी संस्था उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

ग्राम न्यायालय

जनपद मऊ के तहसील मधुबन में ग्राम न्यायालय संचालित है। यह न्यायालय जिला प्रशासन, मऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये किराये के भवन में संचालित है, जिसमें मूलभूत स्तर पर न्याय होता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन का निर्माण (जी–1) प्लान के साथ किया गया है।भूतल पर स्थायी लोकअदालत, विश्राम कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष व एक रिकार्ड रूम स्थित है, साथ ही न्यायालय परिसर में सभी के लिए चिकित्सा सुविधाओं हेतु एक कक्ष उपलब्ध है। भवन के प्रथम तल पर मध्यस्थता कक्ष अधिवक्ताओं हेतु कक्ष, सचिव हेतु कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष,कार्यालय कक्ष के साथ एक अन्य कक्ष भी उपलब्ध है।

अन्य भवन एवं सुविधाएं

न्यायालय परिसर में वीडियो काफ्रेंसिंग कक्ष, सी. सी.टी.वी. नियंत्रण कक्ष, सर्वर कक्ष, सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन भवन, लाक–अप और मालखाना (गोदाम) जैसी कई सहायक और सहयोगात्मक भवन सम्मिलित है।



पुराना न्यायालय भवन



आठवां न्यायालय भवन



एडीआर केंद्र भवन



आठवें न्यायालय भवन में एमसीटी न्यायालय कक्ष



एफटीसी न्यायालय भवन



ग्राम न्यायालय, मधुबन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	12	6
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	30866	76735	107601	9221	69224	78445	9104	68567	77671	30983	77392	108375
2025	30983	77392	108375	7658	68155	75813	11599	70782	82381	27042	74765	101807

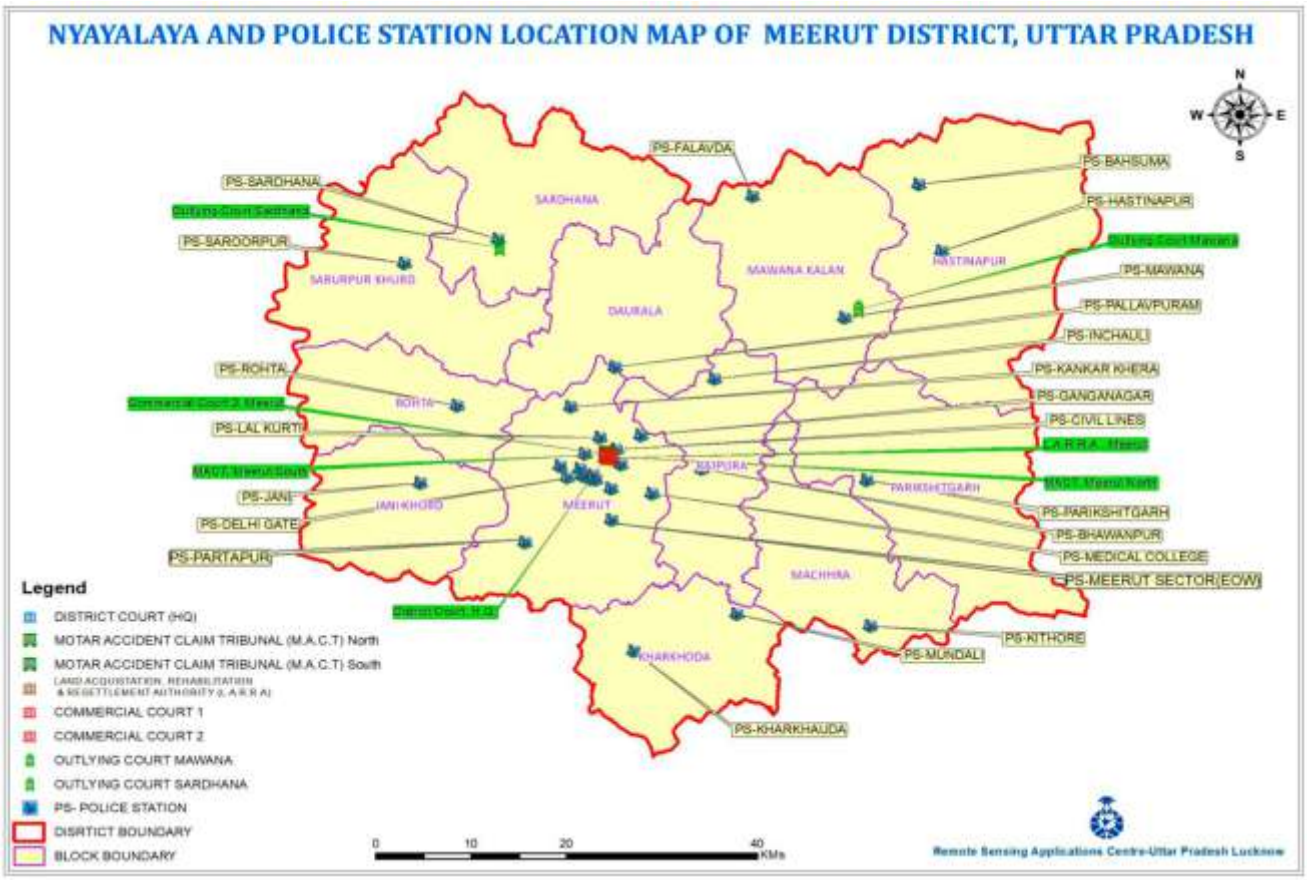
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1257	1947	3204	1870	3071	4941	1434	2154	3588	1693	2864	4557
2025	1693	2864	4557	1294	1765	3059	685	1204	1889	2302	3425	5727

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	940	277	431	786
2025	786	323	296	813

जनपद न्यायालय, मेरठ



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश शासन के आरंभिक काल में परगना काजी अपने अधिकार क्षेत्र में (जो थाना दार के अधिकार क्षेत्र के साथ ही समाप्त होता था) दीवानी न्याय प्रदान करते थे और उन्हें "देशी आयुक्त" और बाद में मुंसिफ के नाम से जाना जाता था। 1822–1823 में जिले में न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार और काजी की अदालतें कार्यरत थीं। आपराधिक मामलों का निर्णय आमतौर पर कोतवाल की रिपोर्ट पर किया जाता था। 1829 में अपील और परिपथ न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और राजस्व आयुक्तों को परिपथ न्यायाधीश बना दिया गया। उन्हें सदर निजामत अदालत की देखरेख में काम करना पड़ता था और राजस्व मामलों में राजस्व बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता था। 1831 में ऊपरी प्रांतों के लिए इलाहाबाद में अलग–अलग सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गईं, जहाँ मेरठ के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की जा सकती थी। उसी वर्ष जिला न्यायाधीश को कार्यभार के दबाव में

सत्र मामलों की सुनवाई करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए। वर्तमान में प्रचलित मुंसिफ प्रणाली की स्थापना 1832 में हुई थी। 1832 में सिविल न्यायाधीशों (जिन्हें सदर अमीन और सदर–उस–सदर के नाम से जाना जाता था) की नियुक्ति भी मुंसिफों के साथ ही हुई थी। 1835 में आयुक्त की सभी आपराधिक शक्तियां न्यायाधीश को हस्तांतरित कर दी गईं,जिससे वे सिविल और सत्र न्यायाधीश दोनों बन गए। न्यायाधीश की मजिस्ट्रेट शक्तियां कलेक्टर को हस्तांतरित कर दी गईं, जो बाद में कलेक्टर–मजिस्ट्रेट बन गए। 1866 में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों को समाप्त कर दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में (भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत) की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र में मेरठ की अदालतें शामिल की गईं और तब से वे वहीं बनी हुई हैं। मानद मजिस्ट्रेटों और नहर अधिकारियों की अदालतों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने की शक्तियां प्रदान की गईं। 1875–76 में मेरठ में बंदोबस्ती अधिकारी की एक अस्थायी अदालत भी थी। मेरठ के सिविल न्यायाधीश के पास अपीलीय सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार था और उन्होंने इस जिले के साथ–साथ बुलंदशहर जिले के लिए भी सत्र न्यायालय का गठन किया। 1904 से जिले में दीवानी और आपराधिक न्यायपालिका के प्रमुख मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। उन्हें मेरठ के अधीनस्थ न्यायाधीश, दो मुंसिफ और दो अतिरिक्त मुंसिफों का सहयोग प्राप्त था। उन्होंने 1894 तक मेरठ और बुलंदशहर जिलों पर दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, लेकिन उसी वर्ष कार्यभार का पुनर्वितरण किया गया और बुलंदशहर की तीन तहसीलों को अलीगढ़ न्यायपालिका में स्थानांतरित कर दिया गया। 1904 में उनका क्षेत्राधिकार पूरे मेरठ जिले और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील पर भी था, लेकिन अप्रैल 1924 में सिकंदराबाद तहसील को बुलंदशहर न्यायपालिका में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने 1955 तक मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों पर दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में एक अलग न्यायपालिका का गठन हुआ। बाद में गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत जिलों को भी अलग करके बनाया गया और अब वे इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं।

मौजूदा न्यायालय परिसर

जिला एवं सत्र न्यायालय शहर के केंद्र में स्थित है। यह सबसे व्यस्त न्यायालय परिसरों में से एक है, जो मेरठ की जनसंख्या और वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। मेरठ का जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी, आपराधिक, पारिवारिक, वाणिज्यिक और प्रशासनिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का निपटारा करता है। जिला न्यायपालिका की संरचना में दीवानी न्यायाधीश (जूनियर और सीनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और पारिवारिक मामलों, मोटर दुर्घटना दावों और कानून के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशेष न्यायालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी हैं जो पीओसीएसओ अधिनियम, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, ईसी अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि जैसे विशेष कानूनों से संबंधित मामलों को देखते हैं और मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। आपराधिक मामलों में, मजिस्ट्रेटों के प्रमुख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों द्वारा उन मामलों में सहायता प्रदान की जाती है जिन पर मजिस्ट्रेटों द्वारा विचार किया जा सकता है। जहां तक दीवानी पक्ष का संबंध है, लघु वाद न्यायालय, दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) और दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दीवानी मामलों का निपटारा करते हैं। समय के साथ, मेरठ की न्यायपालिका आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढल गई है। बेहतर बुनियादी ढांचा, अभिलेखों का डिजिटलीकरण और ई–न्यायालय सेवाओं ने कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने में मदद की है। 1850 के दशक में, मेरठ न्यायालय मेरठ शहर के जाली कोठी क्षेत्र (मेरठ शहर के बाह्य इलाके) में कार्यरत था। 1857 के विद्रोह में, क्रांतिकारियों ने न्यायालय को आग लगा दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद, न्यायालय को ओल्ड हाउस हॉस्टल (अब डॉ. भोपाल सिंह हॉस्टल), मेरठ विधि महाविद्यालय, मेरठ में स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 1860 में, मेरठ शहर में न्यायाधीश न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई, जहां वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत हैं। वर्ष 1864 में, जिला न्यायाधीश न्यायालय भवन का निर्माण उसके वर्तमान स्थान पर किया गया था (अब इस भवन को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 300/इन्फ्रा सेल, इलाहाबाद दिनांक 24–5–2011 के माध्यम से विरासत भवन घोषित किया जा चुका है)। उस समय इसमें जिला न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष और एक सदर मुंसिफ सहित केवल 8 कमरे थे।

मेरठ में अन्य न्यायिक प्रतिष्ठान निम्नलिखित हैं:

1. पारिवारिक न्यायालयः जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों द्वारा संचालित।
2. वाणिज्यिक न्यायालयः जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों द्वारा संचालित।
3. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम–ए–सी–टी): जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों

द्वारा संचालित।

4. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण (एल–ए–आर–ए): जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों द्वारा संचालित।
5. किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी): न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित।
6. मवाना बाह्य न्यायालयः कनिष्ठ प्रभाग संवर्ग के अधिकारियों द्वारा संचालित।
7. सरधना बाह्य न्यायालयः कनिष्ठ प्रभाग संवर्ग के अधिकारियों द्वारा संचालित।

न्यायालयों की इमारतों और बुनियादी ढांचे का अवलोकन

मुख्य न्यायालय भवन (विरासत भवन)

इस न्यायालय भवन में 10 न्यायालय कक्ष हैं। इनमें एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और 9 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय शामिल हैं। स्थायी लोक अदालत कक्ष भी इसमें शामिल है। इस भवन का निर्माण वर्ष 1868 में हुआ था। इस भवन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 300/ इन्फ्रा सेल, इलाहाबाद दिनांक 24–5–2011 द्वारा विरासत भवन घोषित किया गया था। विरासत भवन घोषित होने के बाद,इस भवन का जीर्णोद्धार किया गया, जो वर्ष 2016 में पूरा हुआ। वर्तमान में, मध्यस्थता केंद्र भी इस विरासत भवन से संचालित हो रहा है।

छह न्यायालय भवन

इस भवन में 6 न्यायालय कक्ष हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों/फास्ट ट्रैक न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के न्यायालय इस भवन में संचालित होते हैं। इस भवन का निर्माण 25–05–1980 को पूरा हुआ था और इसका नवीनीकरण वर्ष 2023 में किया गया था।

बारह न्यायालय भवन

इस भवन में 12 न्यायालय कक्ष हैं। इनमें न्यायिक लघु वाद न्यायालय, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी, नगर एवं हवाई) और कुछ अन्य अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) न्यायालय शामिल हैं। इस भवन में न्यायालय संचालित होते हैं। इस भवन का निर्माण 1–7–1985 को पूर्ण हुआ था। और भवन के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है।

तेरह न्यायालय भवन

इस भवन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय सहित 13 न्यायालय कक्ष हैं। इस भवन में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी कार्यरत हैं। इस भवन का निर्माण 29–03–2003 को पूरा हुआ था। भवन में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन मरम्मत और रखरखाव के कारण लिफ्ट बंद है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग

इस बिल्डिंग में 5 कोर्टरूम हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालतें इसी बिल्डिंग में चल रही हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य 31–07–2004 को पूरा हुआ था और इसके नवीनीकरण का काम चल रहा है।

धर्मशाला/पियाऊ भवन

इस भवन में 4 न्यायालय कक्ष हैं। भवन की जर्जर स्थिति के कारण, वर्तमान में कोई न्यायालय कार्यरत नहीं है। इस भवन का निर्माण वर्ष 1936 में हुआ था।

पारिवारिक न्यायालय भवन

इस भवन में 4 न्यायालय कक्ष हैं। प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय और अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय संख्या 1) के न्यायालय इसी भवन में संचालित होते थे, लेकिन भवन की जर्जर स्थिति के कारण इसे ध्वस्त किया जाना है और 8 मंजिल के भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसी भवन में एक असुरक्षित गवाहों के बयान लेने का केंद्र भी प्रस्तावित है।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

यह कलेक्ट्रेट भवन के निकट स्थित है। यहाँ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय संचालित होता है। यह भवन जर्जर अवस्था में है।

चौदह न्यायालय भवन

इस भवन में 7 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर 2 न्यायालय कक्ष हैं। इस प्रकार कुल 14 न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। वर्तमान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय यहाँ कार्यरत हैं। इस भवन का निर्माण वर्ष 2019 में पूरा हुआ था। इस भवन में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय भी इसी भवन में स्थित है।

किशोर न्याय बोर्ड

किशोर न्याय बोर्ड (जे–जे–बी) एक विशेष जिला स्तरीय अर्ध–न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत कानून से संघर्षरत बच्चों के मामलों को संभालने के लिए की गई है। यह बोर्ड 2010 से सूरजखंड क्षेत्र में स्थित है, मुख्य न्यायालय परिसर से दूर, ताकि बाल–हितैषी न्यायनिर्णय सुनिश्चित किया जा सके और पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

ई–सेवा केंद्र

यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र है जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करना है। इसे मुवक्किलों और वकीलों को डिजिटल, नागरिक–केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, ई–फाइलिंग, दस्तावेज स्कैनिंग और निर्णयों की प्रतियां प्राप्त करना है। इसका हाल ही में 16.01.2026 को उद्घाटन किया गया है।

गवाह कक्ष

गवाह कक्षों को गवाहों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने और आरामदायक गवाही देने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका हाल ही में 16.01.2026 को उद्घाटन किया गया है।

कैफे डे कोर्ट

कैफे डे कोर्ट का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय द्वारा 13.02.2025 को किया गया। यह शांत और अनौपचारिक वातावरण में उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण कॉफी, चाय और हल्के–फुल्के नाश्ते उपलब्ध कराता है।

मवाना बाह्य न्यायालय

यह मेरठ जिले की मवाना तहसील में स्थित एक अधीनस्थ न्यायिक सुविधा है। यह मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है। यह दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए एक स्थानीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है और मवाना क्षेत्र के निवासियों को न्याय तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में मवाना न्यायालय परिसर का नवनिर्मित निर्माण किया गया है, जिसमें चार न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायालय कर्मचारियों के लिए आवास के साथ–साथ सभी सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।

सरधना बाह्य न्यायालय

यह मेरठ जिले की सरधना तहसील में स्थित एक अधीनस्थ न्यायिक इकाई है। यह मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है। यह मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र के दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। इसका नेतृत्व दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

ऊपर दिए गए कोर्ट रूम के अलावा, मीटिंग हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और केस फाइल करने के लिए काउंटर भी हैं। स्टाफ, केस लड़ने वालों और वकीलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोर्ट परिसर में एक ओवर हेड वॉटर टैंक भी बनाया गया है। कोर्ट को आग से बचाने के लिए कोर्ट परिसर में एक पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए पूरे कोर्ट परिसर में एक ब्ज्ट कैमरा लगाया गया है। अभी 05 अलग पुरुषों के पब्लिक टॉयलेट, 05 अलग महिलाओं के टॉयलेट और 03 अलग विकलांग टॉयलेट ठीक से काम कर रहे हैं और पिंक टॉयलेट बनाने का भी प्रस्ताव है।



मुख्य न्यायालय भवन (अब विरासत भवन कहलाता है)



छह न्यायालय कक्ष वाला भवन



बारह न्यायालय कक्ष वाला भवन



ई–सेवा केंद्र



फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन



चौदह न्यायालय कक्ष वाला भवन



तेरह न्यायालय कक्ष वाला भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	32	20
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	27	26
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	10
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	2	2
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	2	2
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	23032	291879	314911	6648	284553	291201	8041	246385	254426	21639	330047	351686
2025	21639	330047	351686	6472	164372	170844	6812	276041	282853	21299	218378	239677

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5804	4258	10062	5025	2596	7621	5447	2361	7808	5382	4493	9875
2025	5382	4493	9875	5566	3810	9376	5392	3211	8603	5558	5092	10648

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2227	466	1586	1107
2025	1107	512	451	1168

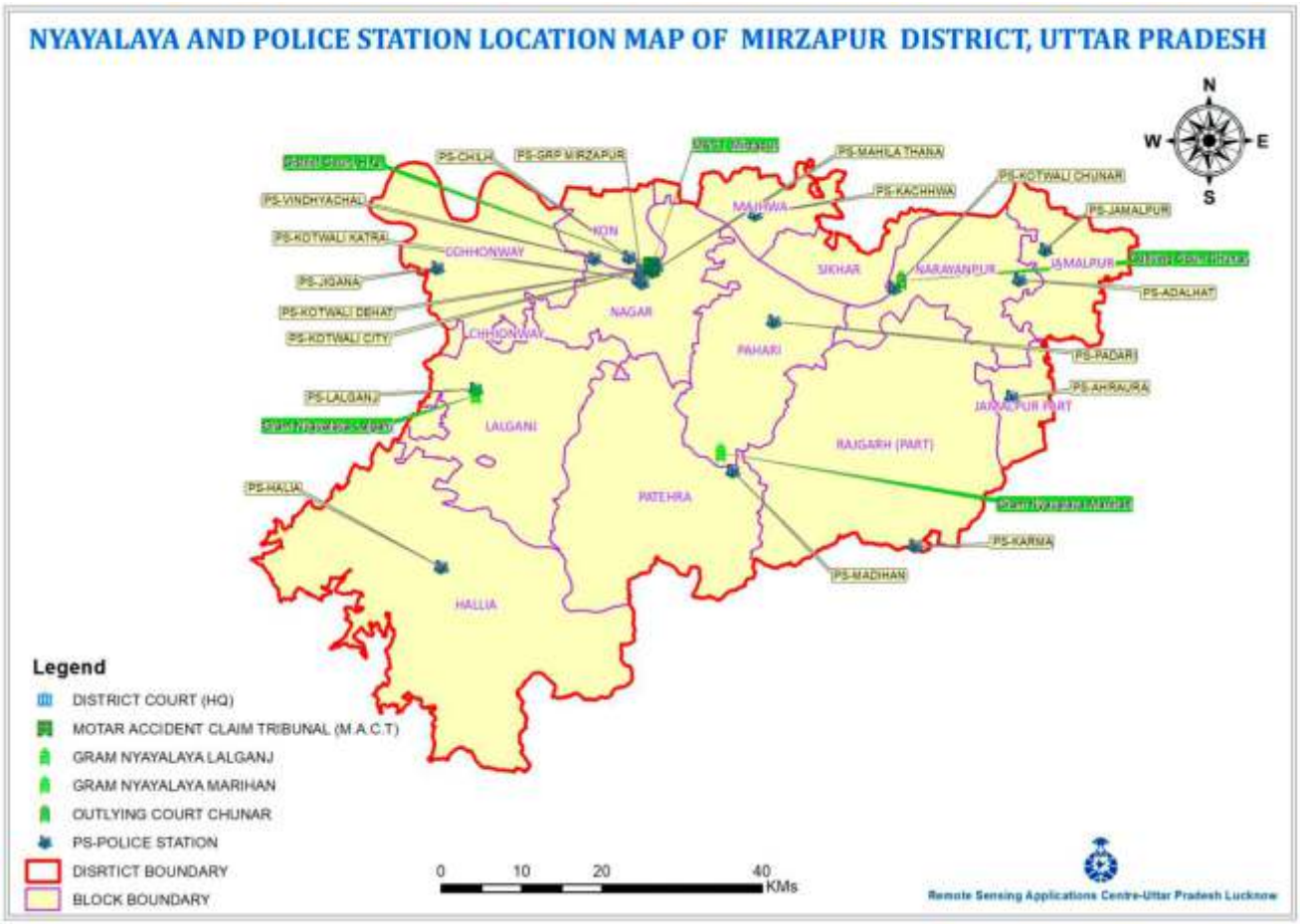
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	5733	2736	2127	6342
2025	6342	2451	2383	6410

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1374	134	471	1037
2025	1037	352	417	972

जनपद न्यायालय मिर्जापुर



मिर्जापुर जिला न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश शासनकाल में मिर्जापुर एक विशाल प्रशासनिक इकाई था। न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु 1905 में मुंसिफ, सब–जज एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1906 में इनके लिए एक संयुक्त न्यायालय भवन का निर्माण किया गया, जिसमें न्यायालय कक्ष, कार्यालय, वकीलों के कक्ष तथा मुवक्किलों के लिए प्रतीक्षालय बनाए गए।

मिर्जापुर जिला न्यायालय का भौगोलिक स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह विंध्य पर्वतमाला के बीच पवित्र गंगा नदी के तट के निकट स्थित है।

स्वतंत्रता के पश्चात न्यायिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 के लागू होने से प्रशासनिक एवं न्यायिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला।

मिर्जापुर के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रेम नारायण गोयल थे, जिन्होंने 1967 से 1969 तक कार्य किया। 28 नवंबर 1981 को नए न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया।

वर्तमान में श्री अरविंद कुमार मिश्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

भवन एवं अवसंरचना

जिला एवं सत्र न्यायालय मिर्जापुर में वर्तमान में छह पृथक न्यायालय भवन संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है–

- जिला न्यायाधीश न्यायालय भवन
- फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) भवन
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ब्लॉक
- मुंसिफ न्यायालय भवन
- मजिस्ट्रेट न्यायालय भवन
- स्थायी लोक अदालत भवन

वर्तमान में इन भवनों में कुल 22 न्यायालय कार्यरत हैं, जो विभिन्न प्रकार के वादों के निस्तारण में संलग्न हैं।

न्यायालय परिसर में हरे–भरे वृक्षों एवं पुष्पों से युक्त एक सुसज्जित उद्यान विकसित किया गया है, जो परिसर को शांत एवं सौम्य वातावरण प्रदान करता है। वादकारियों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु एक पृथक साइकिल स्टैंड की व्यवस्था की गई है। स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए हाल ही में एक नवीन सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण एवं उद्घाटन किया गया है।

प्रशासनिक एवं न्यायिक बैठकों के आयोजन हेतु एक सुसज्जित बैठक कक्ष उपलब्ध है। आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक पूर्णतः क्रियाशील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से वर्चुअल सुनवाई सुगमता से संपन्न की जाती है।

इसके अतिरिक्त, वादकारियों को न्यायालय संबंधी सेवाएं त्वरित एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छह कार्यरत काउंटरों सहित एक समर्पित न्यायिक सेवा केंद्र भी संचालित है।

बार एसोसिएशन

मिर्जापुर में न्यायिक संस्थाओं के विकास के साथ–साथ अधिवक्ताओं के संगठन की आवश्यकता भी अनुभव की गई। वर्ष 1905 में मुंसिफ, सब–जज एवं अतिरिक्त दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया तथा 1906 में उनके संचालन हेतु एक समेकित न्यायालय भवन का निर्माण किया गया। इस भवन के पश्चिमी भाग में अधिवक्ताओं के लिए कक्ष तथा दक्षिणी भाग में वादकारियों के लिए एक प्रतीक्षालय (शेड) का निर्माण किया गया।

समय के साथ अधिवक्ताओं के लिए एक साझा स्थान की आवश्यकता अनुभव की गई, जहाँ वे एकत्र होकर न्यायिक कार्य में सहयोग कर सकें। इस उद्देश्य से अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायाधीश से संपर्क कर न्यायालय परिसर के समीप 'बार एसोसिएशन' के लिए पृथक भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई।

फलस्वरूप, वर्ष 1907 में मिर्जापुर जिला बार एसोसिएशन का भवन अधिवक्ताओं के सहयोग एवं योगदान से निर्मित किया गया।

जिला बार एसोसिएशन की प्रथम कार्यकारिणी समिति का गठन वर्ष 1972 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद गुप्ता तथा प्रथम सचिव श्री छैल बिहारी लाल श्रीवास्तव थे।

बाह्य कोर्ट, चुनार

चुनार, जिला मिर्जापुर में स्थित आउटलाइंग कोर्ट की स्थापना, चुनार और आस–पास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वादियों को सुलभ न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। मिर्जापुर मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय से कई गाँवों की दूरी को देखते हुए, स्थानीय स्तर पर त्वरित और सुविधाजनक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस आउटलाइंग कोर्ट का गठन किया गया था।

यह न्यायालय मुख्य रूप से अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, और मिर्जापुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। वादियों, अधिवक्ताओं और गवाहों को लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता को कम करके, यह आउटलाइंग कोर्ट जमीनी स्तर पर न्याय वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पिछले कुछ वर्षों में, इसने जिला मुख्यालय पर मुकदमों के बोझ को कम करने और स्थानीय आबादी के लिए न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

चुनार स्थित बाह्य कोर्ट के लिए नए बुनियादी ढाँचे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस निर्माण कार्य में दो न्यायालय–कक्षों वाला एक भवन, टाइप–II श्रेणी के छह आवासीय मकान, टाइप–ण्ण् श्रेणी के बारह आवासीय मकान और टाइप–V श्रेणी के दो आवासीय मकान शामिल हैं।

वर्तमान में, श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आउटलाइंग

कोर्ट, चुनार (मिर्जापुर) में पीठासीन अधिकारी के पद पर तैनात हैं।

ग्राम न्यायालय, लालगंज, मिर्जापुर

ग्राम न्यायालय, लालगंज, मिर्जापुर जिले (उत्तर प्रदेश) के लालगंज ब्लॉक (विकास खंड) में कार्यरत ऐसे ही एक ग्राम न्यायालय का उदाहरण है। यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे–मोटे दीवानी विवादों और आपराधिक मामलों को सुलझाने का कार्य करता है; इसके माध्यम से लोगों को–विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को–उच्च न्यायालयों तक लंबी दूरी तय किए बिना, अपने घरों के निकट ही न्याय प्रणाली तक पहुँचने में सहायता मिलती है।

'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के प्रावधानों के अनुरूप, राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत अपनी स्थापना के समय से ही, लालगंज स्थित यह ग्राम न्यायालय जमीनी स्तर पर न्याय प्रदान करने के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है, इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय समय–समय पर 'लोक अदालत' जैसे विशेष सत्रों का भी आयोजन करता रहता है।

वर्तमान में, सुश्री जीनत परवीन ग्राम न्यायालय, लालगंज (मिर्जापुर) में 'न्यायाधिकारी' के पद पर तैनात हैं।

ग्राम न्यायालय, मड़िहान, मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की मड़िहान तहसील में स्थित ग्राम न्यायालय, मड़िहान, की स्थापना इस पहल के तहत की गई थी ताकि न्याय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेय इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मुकदमों के लिए निवासियों को जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय न करनी पड़े। ग्राम न्यायालयों के ढांचे के अनुरूप जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं और न्यायिक नियुक्तियों के बाद इस न्यायालय ने कार्य करना शुरू किया, और इसके कामकाज की देखरेख के लिए एक 'न्यायाधिकारी' की नियुक्ति की गई। ऐसी ही एक नियुक्ति की अधिसूचना जुलाई 2020 में जारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी आदेश संख्या 25/2015/1462 के तहत मड़िहान में ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई।

ग्राम न्यायालय, मड़िहान तहसील न्यायालय परिसर से संचालित होता है और अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दीवानी (सिविल) और फौजदारी (आपराधिक) मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले समय–समय पर निरीक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि अभिलेखों का उचित रखरखाव हो, मामलों का निपटारा समय पर हो, और न्यायालय के बुनियादी ढांचे का समुचित रखरखाव किया जाए। वर्तमान में, सुश्री प्रीति–II ग्राम न्यायालय, मड़िहान, मिर्जापुर में न्यायाधिकारी के पद पर तैनात हैं।



जिला एवं सत्र न्यायालय मिर्जापुर मुख्य भवन



पुरानी मुंसिफ बिल्डिंग



डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर



ग्राम न्यायालय लालगंज

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	14	7
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	6
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	18747	76105	94852	4189	24192	28381	3798	23484	27282	19138	76813	95951
2025	19138	76813	95951	3956	21168	25124	5050	23219	28269	18044	74762	92806

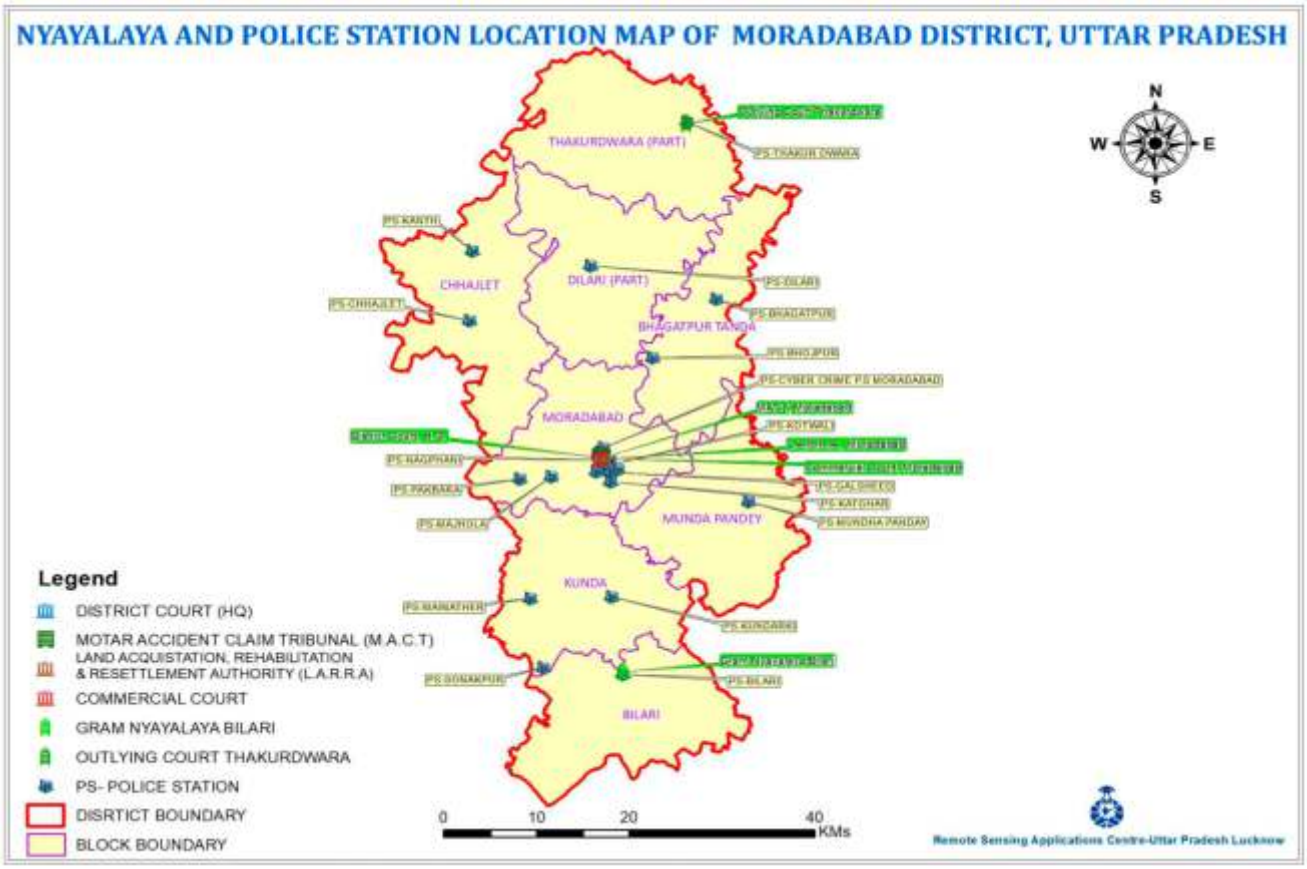
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2051	2675	4726	923	1034	1957	1029	1002	2031	1945	2707	4652
2025	1945	2707	4652	875	837	1712	1027	1142	2169	1793	2402	4195

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1762	894	883	1773
2025	1773	902	846	1829

जनपद न्यायालय मुरादाबाद



जिला न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास

जिला एवं सत्र न्यायालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, जिले का मुख्य दीवानी और फौजदारी न्यायालय है। यह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करता है, जो मुरादाबाद जिला न्यायालय के लिए अपीलीय न्यायालय भी है।

जिला न्यायालय मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है और इसका परिसर लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में, जिला न्यायालय का एक बाह्य न्यायालय तहसील ठाकुरद्वारा में है और दो ग्राम न्यायालय, अर्थात् ग्राम न्यायालय कांठ और ग्राम न्यायालय बिलारी, अपने संबंधित तहसील मुख्यालयों में कार्यरत हैं।

मुरादाबाद क्षेत्र की प्राचीन न्यायिक प्रणाली विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के दौरान उत्तर भारत के प्रचलित कानूनी और न्यायिक ढांचे के अनुरूप थी। प्राचीन भारत में, यह प्रणाली मुख्य रूप से 'धर्म' द्वारा निर्देशित थी, जिसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी होते थे और उनसे धर्म के अनुसार न्याय बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। मुगल काल के दौरान, न्यायिक प्रणाली इस्लामी कानून (शरिया) द्वारा शासित थी, जिसमें सम्राट (सुल्तान) सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक प्रणाली को जिले में वर्ष 1801 में पेश किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक जज–मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जज–मैजिस्ट्रेट दीवानी मामलों में सिविल जज के रूप में और आपराधिक मामलों में मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते थे। उनकी सहायता के लिए एक अधिकारी होता था जिसे 'रजिस्टर' (बाद में रजिस्ट्रार) कहा जाता था, जिसे निर्णय के लिए 200 रुपये से कम मूल्य के मामले भेजे जा सकते थे। जज की सहायता के लिए सदर अमीन, अमीन और मुंसिफ जैसे भारतीय न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी।

वर्ष 1827 तक, मुंसिफ और सदर अमीन को क्रमशः 50 रुपये और 1,000 रुपये तक के मामलों का फैसला करने का अधिकार दिया गया था।

1803 में, बरेली मुख्यालय के साथ 'हस्तांतरित क्षेत्रों' के लिए एक अपील और सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। मुरादाबाद के जज–मैजिस्ट्रेट के आदेशों के खिलाफ अपील इसी अदालत में की जाती थी, जो

सदर दीवानी अदालत (उच्चतम दीवानी न्यायालय) और सदर निजामत अदालत (उच्चतम आपराधिक न्यायालय) फोर्ट विलियम, कलकत्ता में स्थित के अधिकार क्षेत्र में थी। इस अदालत को 1829 में समाप्त कर दिया गया था, और राजस्व आयुक्तों को सर्किट जज के रूप में नियुक्त किया गया था। राजस्व मामलों में, वे कलकत्ता में कार्यरत राजस्व बोर्ड द्वारा निर्देशित होते थे।

1831 में, इलाहाबाद में स्वतंत्र सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई, जहाँ इसके बाद मुरादाबाद के जज–मैजिस्ट्रेट की अपीलें की जाने लगीं। उसी वर्ष, जज–मैजिस्ट्रेट को सत्र मामलों की सुनवाई के लिए पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गईं। 'प्रिंसिपल सदर अमीन' का एक नया पद भी बनाया गया, जिसे एक भारतीय अधिकारी द्वारा संभाला जाना था, जो 5,000 रुपये तक के मामलों का फैसला करने के लिए सशक्त था, जिसकी अपील ब्रिटिश न्यायाधीशों के पास होती थी।

1833 के विनियमन II के परिणामस्वरूप अपील और सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया गया और सभी लंबित मामले इलाहाबाद की सदर दीवानी अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए। पुलिस प्रशासन से संबंधित शक्तियों को छोड़कर, आयुक्त की सभी आपराधिक शक्तियां जज को हस्तांतरित कर दी गईं, जिससे वह दीवानी और सत्र न्यायाधीश दोनों बन गए।

इसके बाद, जज की मजिस्ट्रेट शक्तियों को कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने तब कलेक्टर–मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। 1843 में, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों को आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। 1859 में, 1859 के अधिनियम VIII के तहत न्याय की एक सामान्य संहिता अपनाई गई।

वर्ष 1866 में, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों को समाप्त कर दिया गया और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अनुसार इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुरादाबाद की अदालतों को इसके अधिकार क्षेत्र में लाया गया, जो व्यवस्था आज तक जारी है। प्रारंभ में, नैनीताल (अब उत्तराखंड में), बिजनौर, बदायूं, अमरोहा और संभल (उत्तर प्रदेश) जिले मुरादाबाद न्यायिक क्षेत्र का हिस्सा थे।

जिले में दीवानी और आपराधिक न्यायपालिका के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, जो पूरे जिले पर भौगोलिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। श्री सी. ए. शेरिंग, एक आईसीएस अधिकारी, मुरादाबाद के पहले जिला न्यायाधीश थे और उन्होंने 1896 से 1899 तक सेवा की। भारतीय मूल के पहले जिला न्यायाधीश श्री एस. मोहम्मद अली थे, जिन्हें वर्ष 1909 में नियुक्त किया गया था।

वर्तमान न्यायालय परिसर

मुख्यालय मुरादाबाद में जिला न्यायालय परिसर में मुख्य रूप से सात इमारतें/खण्ड शामिल हैं, जिनके नाम हैं:

- जिला न्यायाधीश खण्ड
- बारह न्यायालय कक्ष भवन
- दस न्यायालय कक्ष भवन
- सिविल जज खण्ड
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पांच अपर जिला जज न्यायालय खण्ड
- एफटीसी भवन
- एडीआर भवन

जिला न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगात्मक सुविधाएं भी शामिल हैं जैसे कि नया अभिलेखागार कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, पुलिस लॉक–अप, पार्क, उपभोक्ता अदालतें, एमएसीटी न्यायालय, पिंक टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय आदि। एमएसीटी न्यायालय वर्तमान में पुरानी रजिस्ट्री बिल्डिंग में चल रहा है, जिसे कुछ साल पहले न्यायालय परिसर से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।

न्यायालय भवन

जिला न्यायाधीश न्यायालय भवन / खण्ड

जिला न्यायाधीश न्यायालय भवन एक पुरानी संरचना है, जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। इसका वास्तुशिल्प डिजाइन ब्रिटिश युग को दर्शाता है, जिसमें मेहराबदार छतें और चूना–सुर्खी का प्लास्टर है। इस इमारत में जिला न्यायाधीश न्यायालय, एन.आई. एक्ट कोर्ट, पुराना अभिलेखागार कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, लेखा कार्यालय और डीजीसी (सिविल) व डीजीसी (क्रिमिनल) के कार्यालय स्थित हैं।

बारह न्यायालय कक्ष भवन

बारह न्यायालय कक्ष भवन एक G+2 (तीन मंजिला) संरचना है जिसका निर्माण लगभग 30–35 वर्ष पहले किया गया था। इस भवन में न्यायालयों के लिए कक्षों, स्टेनो कक्ष और कार्यालयों के साथ बारह अदालत कक्ष शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय और अतिरिक्त परिवार न्यायालय इसी भवन में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, पॉक्सो कोर्ट और अपर जिला जज न्यायालय भी यहाँ स्थित हैं। इन न्यायालयों के कार्यालय दूसरी (ऊपरी) मंजिल पर स्थित हैं।

दस न्यायालय कक्ष भवन

दस न्यायालय कक्ष भवन एक G+2 संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 1985 में किया गया था। इसमें अपर जिला जज संवर्ग के लिए दस अदालत कक्ष, उनके चौंबर, स्टेनो कक्ष और प्रत्येक अदालत के लिए कार्यालय शामिल हैं। इस भवन में एक सभागार, कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी, निरीक्षण कक्ष, औषधालय, गवाह प्रतीक्षा कक्ष और सार्वजनिक शौचालय भी हैं।

सिविल जज न्यायालय भवन / खण्ड

सिविल जज न्यायालय भवन भी एक पुरानी संरचना है, जो 100 साल से अधिक पुरानी है, और मेहराबदार छतों और चूना–सुर्खी प्लास्टर के साथ ब्रिटिश युग की वास्तुकला को दर्शाती है। इस इमारत में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालतें स्थित हैं। संबंधित न्यायालयों के साथ चौंबर और स्टेनो कक्ष जुड़े हुए हैं।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पांच अपर जिला जज न्यायालय खण्ड

यह एक भूतल संरचना है जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पांच अन्य अदालत कक्ष स्थित हैं। न्यायालयों को चैंबर, स्टेनो कक्ष और कार्यालय प्रदान किए गए हैं। मुरादाबाद जिले का वाणिज्यिक न्यायालय भी इसी खण्ड में कार्यरत है।

एफटीसी भवन

एफटीसी न्यायालय कक्ष भवन एक G+1 संरचना है जिसका उद्घाटन वर्ष 2002 में हुआ था। इस भवन में कार्यरत न्यायालयों के लिए स्टेनो कक्ष और कार्यालयों के साथ पांच अदालत कक्ष हैं।

एडीआर भवन

वैकल्पिक विवाद समाधान भवन मुख्यालय में जिला न्यायालय परिसर के भीतर स्थित है। यह एक G+1 संरचना है और वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया। भूतल पर स्थायी लोक अदालत का न्यायालय, उसके चैंबर, स्टेनो कक्ष और कार्यालय स्थित हैं। पहली मंजिल पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का चौंबर, मध्यस्थता केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय हैं।

ठाकुरद्वारा स्थित बाह्य न्यायालय

ठाकुरद्वारा स्थित बाह्य न्यायालय मुरादाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर तहसील परिसर में स्थित है। यह न्यायालय पट्टे पर ली गई एक सरकारी इमारत में चल रहा है। इस इमारत का उपयोग पहले शिफाखाना / महिला अस्पताल के रूप में किया जाता था और यह एक पुरानी संरचना है। इसमें एक अदालत कक्ष, चैंबर, स्टेनो कक्ष और कार्यालयों के प्रावधान हैं। इस न्यायालय की अध्यक्षता एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा की जाती है।

ग्राम न्यायालय, बिलारी

तहसील बिलारी स्थित ग्राम न्यायालय वर्तमान में मुरादाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर तहसील परिसर के भीतर एक सरकारी स्वामित्व वाली इमारत में कार्य कर रहा है। इस इमारत का नवीनीकरण किया गया और इसे अप्रैल 2023 में क्रियाशील किया गया। इस न्यायालय की अध्यक्षता एक ग्राम न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है और इसमें एक अदालत कक्ष, चैंबर, स्टेनो कक्ष और कार्यालय शामिल हैं।

ग्राम न्यायालय, कांठ

तहसील कांठ स्थित ग्राम न्यायालय मुरादाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर तहसील परिसर के भीतर एक सरकारी स्वामित्व वाली इमारत में कार्य कर रहा है। इस इमारत का नवीनीकरण किया गया और इसे अक्टूबर 2023 में क्रियाशील किया गया। इस न्यायालय की अध्यक्षता एक ग्राम न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है और इसमें एक अदालत कक्ष, चैंबर, स्टेनो कक्ष और कार्यालय शामिल हैं।



जिला न्यायाधीश ब्लॉक भवन



जिला न्यायालय मुरादाबाद का मुख्य प्रवेश द्वार



सिविल न्यायाधीश ब्लॉक, बगिया भवन, जिला मुरादाबाद



बारह कोर्ट बिल्डिंग, जिला मुरादाबाद



एफ.टी.सी. न्यायालय भवन, जिला मुरादाबाद



दस न्यायालय भवन, जिला मुरादाबाद



नया अभिलेख कक्ष भवन, जिला मुरादाबाद



ग्राम न्यायालय बिलारी भवन



ग्राम न्यायालय कंठ भवन



बाह्य न्यायालय ठाकुरद्वारा भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	23	20
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	15	11
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	20	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	14547	143290	157837	12760	136625	149385	13197	139048	152245	14110	140867	154977
2025	14110	140867	154977	10391	249596	259987	11177	250169	261346	13324	140294	153618

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1731	1922	3653	1641	1131	2772	1339	775	2114	2033	2278	4311
2025	2033	2278	4311	1728	1178	2906	1276	950	2226	2485	2506	4991

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	139	69	79	129
2025	129	46	121	54

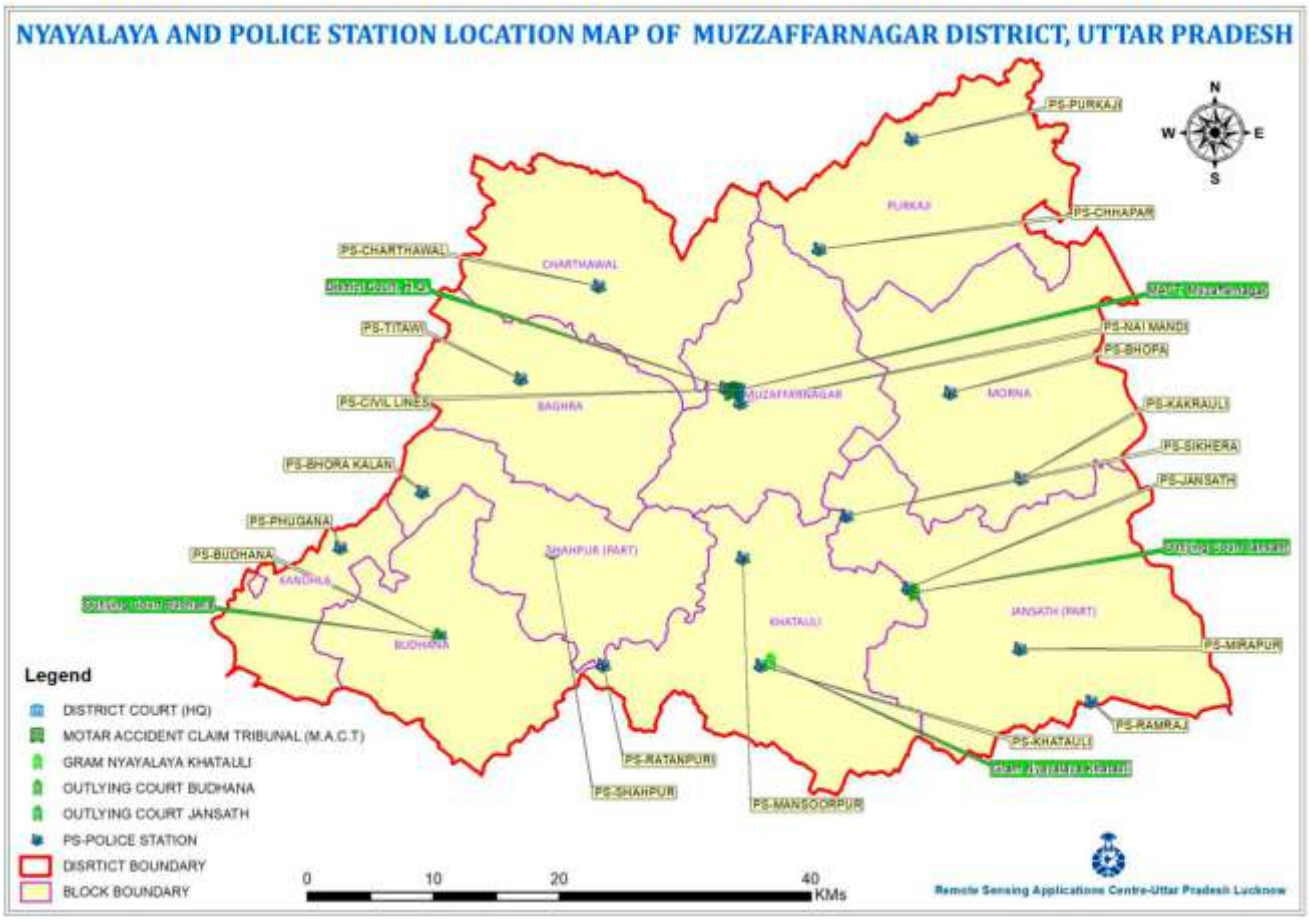
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1626	592	649	1569
2025	1569	678	627	1668

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	709	76	167	618
2025	618	212	497	333

जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

मुजफ्फरनगर जनपद न्यायालय की स्थापना वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश में, न्यायिक जिलों के पुनर्गठन के दौरान, मुजफ्फरनगर जिले को मेरठ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से अलग कर एक स्वतंत्र पहचान दी गई। स्थापना के समय, श्री एम. चंद्रा ने मुजफ्फरनगर के पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। शुरुआत में यह न्यायाधिकरण सीमित न्यायिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे के साथ कार्य कर रहा था, लेकिन वर्ष 1958 में इसे औपचारिक रूप से स्थायी कर दिया गया।

अपने शुरुआती वर्षों में, न्यायालय में तीन अस्थायी सत्र न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो न्यायिक मजिस्ट्रेट तैनात थे। इसके साथ ही, आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ दो मुंसिफ और एक अतिरिक्त मुंसिफ की नियुक्ति की गई थी। इसी ढांचे ने जिले में दीवानी और फौजदारी, दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए एक व्यापक न्यायिक प्रणाली की नींव रखी।

बढ़ती जनसंख्या और मुकदमों के बोझ को देखते हुए, मुजफ्फरनगर का न्यायिक प्रशासन लगातार विकसित हुआ है। वर्ष 1959 में पहली स्थायी अदालत की इमारत का निर्माण किया गया, जो जिले की न्यायपालिका के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। समय के साथ बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया गया, जिसमें 1987 में 'दस कोर्ट भवन', 2001 में 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' और 2013 में 'गंगा भवन' का निर्माण शामिल है।

मुजफ्फरनगर जिले की कानूनी विरासत अत्यंत समृद्ध है। जिला मुख्यालय पर 'बार एसोसिएशन' की स्थापना 1908 में हुई थी, जबकि 'सिविल बार एसोसिएशन' का गठन 1923 में किया गया। इस जिले ने कई दिग्गज कानूनी हस्तियां दी हैं, जिनमें लियाकत अली खान प्रमुख हैं, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने।

वर्तमान में, मुजफ्फरनगर जनपद न्यायालय दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना और विशेष मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में कार्य

करता है। यहाँ के निर्णयों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। डिजिटल पहलों और बुनियादी ढांचे के विस्तार के माध्यम से निरंतर आधुनिकीकरण के साथ, जिला न्यायालय मुजफ्फरनगर जनता को कुशल, पारदर्शी और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान न्यायालय परिसर

मुजफ्फरनगर जनपद न्यायालय शहर के मुख्य केंद्र में स्थित है, जिससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को यहाँ पहुँचने में सुगमता होती है। इस परिसर में कई इमारतें हैं, जिन्हें बढ़ती जरूरतों के अनुसार अलग–अलग समय पर बनाया गया है। यहाँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अदालतें, पारिवारिक न्यायालय और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सहित विभिन्न प्रशासनिक विभाग कार्यरत हैं।

भवनों और बुनियादी ढांचे का विवरण

नवीन न्यायालय भवन

नवीन न्यायालय भवन की इमारत का निर्माण 1959 में किया गया था और यह जिला अदालत परिसर का मुख्य केंद्र है। इसमें कई अदालतें, न्यायिक कक्ष, रिकॉर्ड रूम, प्रशासनिक कार्यालय, कंप्यूटर अनुभाग, लेखा अनुभाग और नजरात अनुभाग स्थित हैं, जो रोजमर्रा के न्यायिक कामकाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

दस न्यायालय भवन

वर्ष 1987 में निर्मित दस न्यायालय भवन का विकास, अदालतों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें कई दीवानी और फौजदारी अदालतों के साथ–साथ पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कमरे और अदालत के कार्यालय भी स्थित हैं।

फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन

वर्ष 2001 में निर्मित फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन की स्थापना, मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ–साथ आवश्यक संबद्ध सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

गंगा भवन

वर्ष 2013 में निर्मित गंगा भवन, एक आधुनिक संरचना है जिसे समकालीन न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अतिरिक्त न्यायालय और प्रशासनिक इकाइयाँ स्थित हैं, और यह बेहतर बुनियादी ढाँचा सुविधाओं से सुसज्जित है।

आउटलाइंग / बाह्य न्यायालय

मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना और जानसठ में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के दो आउटलाइंग न्यायालय कार्यरत हैं।

ग्राम न्यायालय

मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कस्बे में एक ग्राम न्यायालय कार्यरत है, जो बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन से संचालित है तथा यह जमीनी स्तर पर न्याय की सुलभता सुनिश्चित करता है।



गंगा भवन भवन, जिसका निर्माण 2013 में हुआ था, एक आधुनिक संरचना है। यह समकालीन न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है।



नया न्यायालय भवन



दस न्यायालय भवन



फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	24	16
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	6
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	18	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	12286	127641	139927	3500	54387	57887	4398	47693	52091	11388	134335	145723
2025	11388	134335	145723	3525	61045	64570	3285	55689	58974	11628	139691	151319

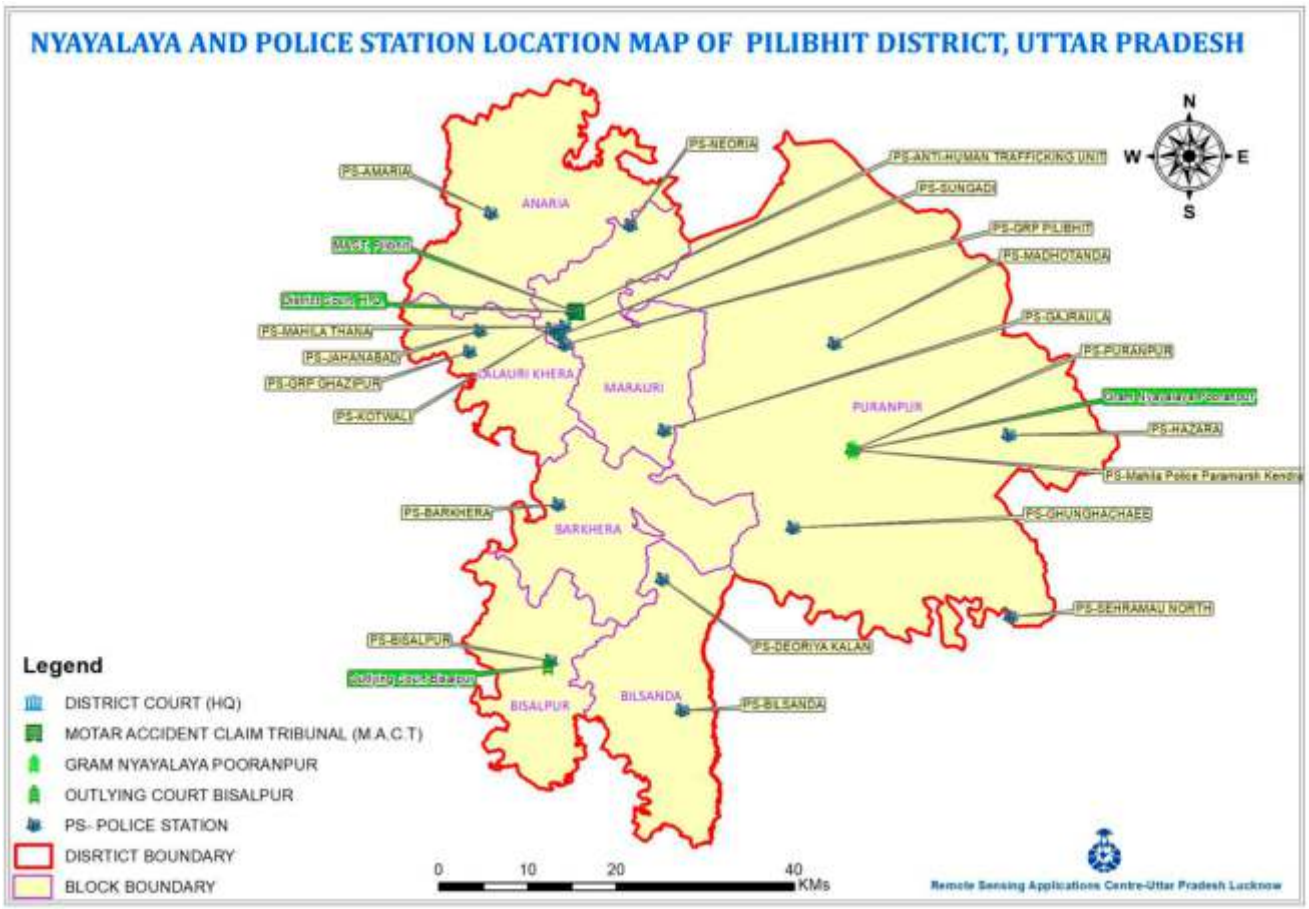
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2534	2792	5326	2354	2071	4425	2695	2022	4717	2193	2841	5034
2025	2193	2841	5034	2343	2202	4545	2372	1954	4326	2164	3089	5253

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2006	1236	1109	2133
2025	2133	1193	1029	2297

जनपद न्यायालय पीलीभीत



संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पीलीभीत क्षेत्र का पहला उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में मिलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीलीभीत पर प्राचीन राजा मयूरध्वज या मोरेध्वज या वेणु का शासन था, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त और आर्युन के निष्ठावान मित्र थे।

दसवीं शताब्दी के अंत में, छिंदा परिवार के राजकुमारों ने जिले के उत्तर में शासन किया, जैसा कि देवल के पास मिले शिलालेखों और उनके द्वारा निर्मित नहर से दर्ज है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, पीलीभीत को कभी हाफिज खान के नाम पर हाफिजबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम पास के एक गांव से लिया गया। मुगल काल में, पीलीभीत बरेली सूबे के अधीन एक प्रशासनिक इकाई थी और सुरक्षा कारणों से मुगल सूबेदार अली मोहम्मद खान ने 1734 ईस्वी में प्रशासनिक भवन के चारों ओर चार भव्य द्वार बनवाए थे। इन दरवाजों के पश्चिम में बरेली का दरवाजा, पूर्व में हुसैनी दरवाजा, उत्तर में जहानाबादी दरवाजा और दक्षिण में दक्खिनी दरवाजा नाम दिया गया था।

1801 में, जब रोहिलखंड अंग्रेजों को सौंपा गया, तब पीलीभीत बरेली जिले का एक परगना था। 1871 में, पीलीभीत को जहानाबाद, पीलीभीत और पूरनपुर को मिलाकर एक उपखंड बनाया गया और नवंबर 1879 में, इसे अंततः एक अलग जिले में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में, पीलीभीत, जहानाबाद और बिसालपुर के परगनों को अलग–अलग तहसीलों में विभाजित किया गया था। 1871 में, पूरनपुर पीलीभीत के अधीन एक उप–तहसील बन गया। 1879 में पूरनपुर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया, जबकि बिसालपुर हमेशा एक अलग उपखंड बना रहा। इस प्रकार, यह क्षेत्र अब तीन तहसीलों और चार परगनों में विभाजित है। पूरनपुर और बीसलपुर में अलग–अलग तहसीलें और परगने हैं और पीलीभीत की तहसील में पीलीभीत और जहानाबाद के परगने शामिल हैं। 2015 में कलीनगर और अमरिया नाम से दो नई तहसीलें बनाई गईं।

भवन एवं अन्य अवसंरचना

वर्ष 1914–15 में पहली बार इस जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और मुंसिफ न्यायालय के तीन दीवानी न्यायालय बरेली

जिला एवं सत्र न्यायालयों के बाह्य न्यायालय के रूप में स्थापित किए गए थे, जो वर्तमान में धरोहर भवन है। पीलीभीत सत्र न्यायालय की स्थापना वर्ष 1971 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिसूचना द्वारा की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के लागू होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए तीन नए न्यायालय कक्षों का निर्माण किया गया।

बाद में, न्यायालय परिसर में 1980 के दशक में दस न्यायालय कक्षों वाला भवन, 2002 में तीन न्यायालय कक्षों वाला त्वरित न्यायालय भवन, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, 2014 में एडीआर केंद्र और 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पीओसीएसओ न्यायालय और दीवानी एवं आपराधिक मामलों के अभिलेख कक्ष सहित छह न्यायालय कक्षों वाली एक नई इमारत 2021 में बनकर तैयार हुई। बिसालपुर में दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन/जेएम) का बाह्य न्यायालय कार्यरत है। तहसील पूरनपुर में एक ग्राम न्यायालय भी कार्यरत है।

सत्र न्यायालय को आपराधिक न्यायालयों द्वारा गठित सत्र न्यायालयों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त, इसी जिला न्यायालय परिसर में एमसीटी न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय भी कार्यरत हैं। यहाँ विशेष न्यायालय भी हैं, जैसे विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), पीओसीएसओ न्यायालय और विशेष न्यायालय (ई.सी. अधिनियम)। मजिस्ट्रेट स्तर पर, आपराधिक मामलों के लिए एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, दो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। दीवानी क्षेत्राधिकार में, जिले में दो मुख्य न्यायालय हैं, एक दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) का और एक दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) का। इन न्यायालयों के अतिरिक्त, चार अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालय हैं। बीसलपुर में दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) का एक बाह्य न्यायालय और पूरनपुर के ग्राम न्यायालय में एक न्यायालय है। वरिष्ठ और कनिष्ठ श्रेणी स्तर पर त्वरित न्यायालय और एक महिला संरक्षण न्यायालय भी इसी परिसर में मौजूद हैं। यहाँ एक प्रधान न्यायाधीश का न्यायालय और एक अतिरिक्त न्यायाधीश का न्यायालय भी है। पारिवारिक मामलों के लिए पीलीभीत न्यायपालिका में 01 एमसीटी न्यायालय है।

जहाँ तक आवासीय परिसरों का संबंध है, कोर्ट परिसर से सटा हुआ एक सेशन हाउस, एक पुरानी जज कॉलोनी (जिसमें 6 आवास हैं) और एक नई जज कॉलोनी (जिसमें 13 आवास हैं) भी स्थित हैं। कोर्ट और आवासीय इमारतों की वास्तुकला आधुनिक है।

वर्चुअल कोर्ट एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य कोर्ट में वादी या वकील की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करना और मामलों का निपटारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करना है। इस अवधारणा को कोर्ट के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और वादियों को छोटे–मोटे विवादों को निपटाने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। वे छोटे–मोटे विवाद (ई–चालान) जो वर्चुअल कोर्ट में नहीं सुलझ पाते, एक निर्धारित समय के बाद अपने आप उस न्यायक्षेत्र के CJM कोर्ट में स्थानांतरित हो जाते हैं।

ई–सेवा केंद्र अभी अस्थायी रूप से कंप्यूटर कक्ष में संचालित हो रहा है। यह ई–सेवा केंद्र विद्वान अधिवक्ताओं और वादियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन (VC केबिन) ऐसा स्थान होगा, जहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई सुचारू रूप से की जा सकेगी। जिला कोर्ट पीलीभीत में कुल 03 VC केबिन बनाए जाने की योजना है। पीलीभीत जिले के सभी कोर्ट में ई–फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह सेवा विद्वान अधिवक्ताओं को ई–फाइलिंग पोर्टल्स के माध्यम से नए मामले दर्ज करने में सहायता प्रदान करती है।

न्यायालय, कार्यालय और कर्मचारी,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

1. **स्टाफ**

   स्टाफ में एक कोर्ट मैनेजर, एक सिस्टम ऑफिसर, 88 क्लास III कर्मचारी और 64 क्लास IV कर्मचारी शामिल हैं।

2. **राजस्व न्यायालय, पीलीभीत**

   पीलीभीत जिले में कुल 46 राजस्व न्यायालय हैं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारियों के न्यायालय शामिल हैं।

बार एसोसिएशन

पीलीभीत जजी में तीन बार एसोसिएशन हैं, जिनके नाम हैं– संयुक्त बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन और केंद्रीय बार एसोसिएशन। इनमें लगभग 1500 वकील सदस्य हैं। इस जजी को इस क्षेत्र के कुछ बहुत ही जाने–माने और विद्वान वकीलों का साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने मुकदमों में न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इनमें प्रमुख नाम हैं– स्वर्गीय रक्षपाल सिंह, हरीश चंद्र सक्सेना, हर गोपाल अग्रवाल, शांति स्वरूप सक्सेना, सुरेंद्र सहाय, राम बहादुर सक्सेना और शिव स्वरूप मिश्रा।

ऐतिहासिक फैसले

1971 से अब तक पीलीभीत के न्यायालयों ने कई बेहतरीन फैसले सुनाए हैं। पीलीभीत जजी द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक फैसला 23 जनवरी 2004 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) श्री बृजेंद्र सिंह द्वारा सुनाई गई मौत की सजा का फैसला था। यह फैसला सत्र मुकदमा संख्या– 212/2002, अपराध संख्या– 96/2001, राज्य बनाम रामस्वरूप और अन्य, पुलिस थाना– बरखेड़ा, जिला पीलीभीत के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 506, 436, 307, 364, 302 और 7वें आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के तहत सुनाया गया था।

कंप्यूटरीकरण

पीलीभीत जिले में कंप्यूटरीकरण प्रणाली 16.03.2012 को लागू हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत, जजी के सभी न्यायालय और कार्यालय अब केंद्रीय कंप्यूटर कक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं। सभी नए मामले 'केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (CIS) के तहत दर्ज किए जा रहे हैं, और केस की पहचान व उसे ट्रैक करने के लिए हर केस का एक यूनिक 'केस नंबर रिकॉर्ड' (CNR) होता है। आम जनता की मदद के लिए, सभी आदेशों और फैसलों को सिस्टम में दर्ज करने और डिजिटल हस्ताक्षर के बाद उन्हें तुरंत अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पूरे सिविल और क्रिमिनल रिकॉर्ड रूम का कंप्यूटरीकरण भी चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाने और LED, माइक व अन्य जरूरी सामान लगाने से, विचाराधीन कैदियों की रिमांड की प्रक्रिया अब ज़्यादा किफायती और आसान हो गई है।

मुकदमा लड़ने वाली जनता के लिए सुविधाएँ

डिजिटलीकरण की वजह से, मुक़दमा लड़ने वालों के लिए अपने केस का स्टेटस और तारीखें ऑनलाइन देखना अब काफी सुविधाजनक हो गया है। अदालतों की नियमित रूप से सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाता है। परिसर में बैठने के लिए काफी संख्या में बेंचें, पीने के पानी के लिए RO की सुविधा, सार्वजनिक शौचालय और कूड़ेदान लगाए गए हैं। एक मेडिकल अधिकारी की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई गई है।

रिकॉर्ड रूम

रिकॉर्ड रूम पुरानी इमारत में स्थित है, जिसे सिविल और क्रिमिनल डिवीजन में बांटा गया है। रिकॉर्ड रूम में आग से सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। हाल ही में, कुछ रिकॉर्ड को छह कोर्ट वाली इमारत में बने नए रिकॉर्ड रूम में शिफ्ट कर दिया गया है।
10. आर्काइव्ज – जिला कोर्ट की इमारत में कोई कलाकृति/ऐतिहासिक सामग्री मौजूद नहीं है। जिला कोर्ट की ताजा तस्वीरों के लिए, कृपया एनेक्सर देखें।

कोर्ट की लाइब्रेरी

जिला कोर्ट में काफी समय से एक लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन 20 दिसंबर 2010 को इसे एक नई बनी लाइब्रेरी की इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। लाइब्रेरी में रोशनी की उचित व्यवस्था है और बैठने तथा पढ़ने के लिए काफी जगह और फर्नीचर मौजूद है। किताबें अलमारियों में सेक्शन के हिसाब से ठीक से रखी गई हैं और पाठकों के लिए लगभग पाँच हजार क़ानूनी किताबें और रेडी रेफरेंस उपलब्ध हैं। माननीय हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई क़ानूनी किताबें और 'ऑल इंडिया रिपोर्टर', 'सुप्रीम कोर्ट केसेज', 'इलाहाबाद डेली जजमेंट', 'लखनऊ लॉ टाइम्स', 'इलाहाबाद वीकली केसेज', 'क्रिमिनल लॉ जर्नल' और 'इलाहाबाद रेंट केसेज' समय–समय पर लाइब्रेरी में आती रहती हैं। लाइब्रेरी में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने का यंत्र) मौजूद है और किताबों को सुरक्षित रखने के लिए समय–समय पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है।



10 न्यायालय कक्ष भवन पीलीभीत


प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीलीभीत



एडीआर बिल्डिंग पीलीभीत



सिविल जज न्यायालय पीलीभीत

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	13	10
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	5
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	10	6
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	7757	75889	83646	2085	37225	39310	1793	30142	32205	8049	82133	90182
2025	8049	82133	90182	2232	34822	37054	2043	35415	37458	8238	81540	89778

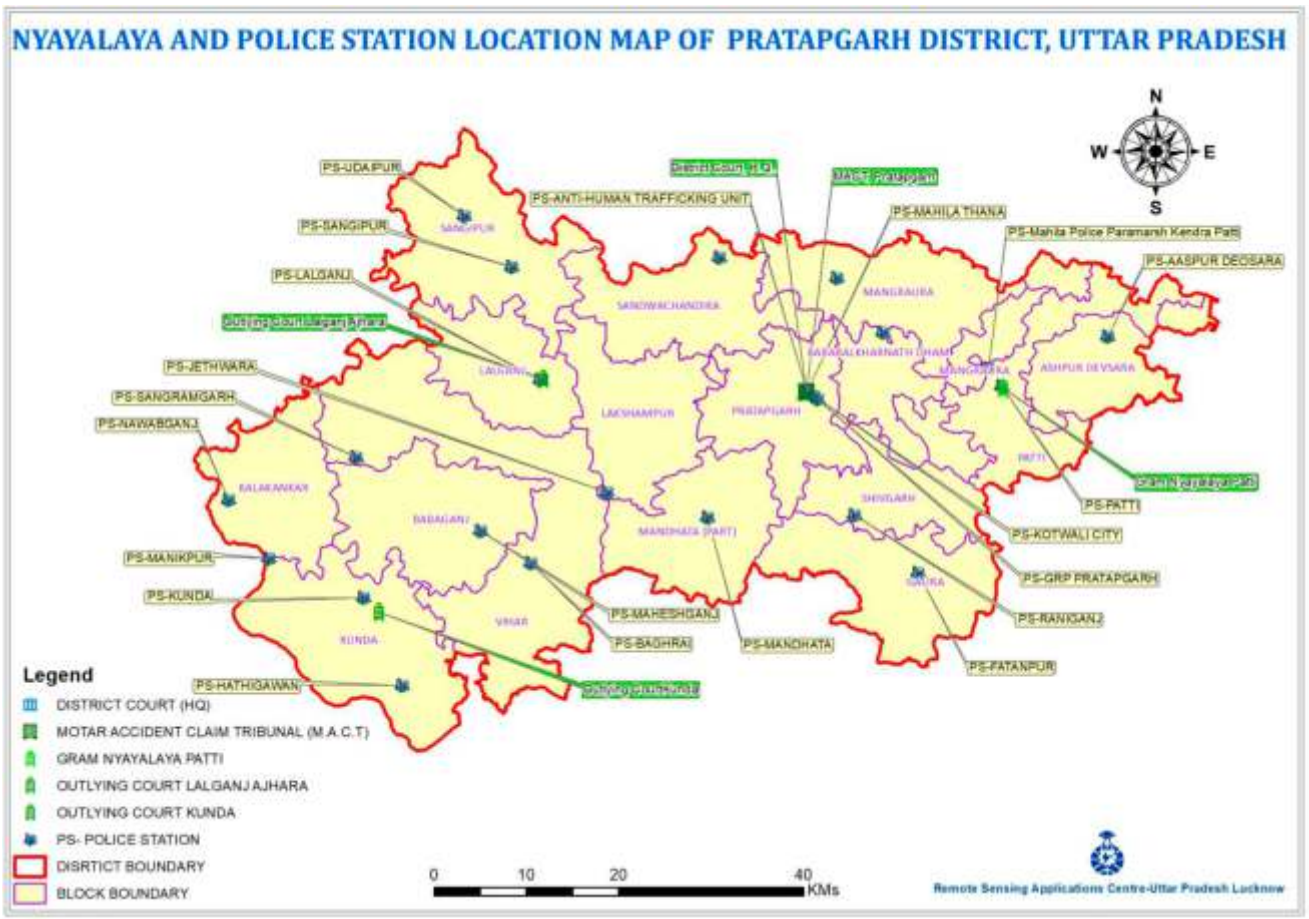
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1249	2587	3936	723	1145	1868	722	965	1687	1250	2767	4017
2025	1250	2767	4017	793	1365	2158	1022	1534	2556	1021	2598	3619

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1155	868	764	1259
2025	1259	973	953	1279

जनपद न्यायालय प्रतापगढ़



संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पीलीभीत क्षेत्र का पहला उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में मिलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीलीभीत पर प्राचीन राजा मयूरध्वज या मोरेध्वज या वेणु का शासन था, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त और आर्युन के निष्ठावान मित्र थे।

दसवीं शताब्दी के अंत में, छिंदा परिवार के राजकुमारों ने जिले के उत्तर में शासन किया, जैसा कि देवल के पास मिले शिलालेखों और उनके द्वारा निर्मित नहर से दर्ज है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, पीलीभीत को कभी हाफिज खान के नाम पर हाफिजबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम पास के एक गांव से लिया गया। मुगल काल में, पीलीभीत बरेली सूबे के अधीन एक प्रशासनिक इकाई थी और सुरक्षा कारणों से मुगल सूबेदार अली मोहम्मद खान ने 1734 ईस्वी में प्रशासनिक भवन के चारों ओर चार भव्य द्वार बनवाए थे। इन दरवाजों के पश्चिम में बरेली का दरवाजा, पूर्व में हुसैनी दरवाजा, उत्तर में जहानाबादी दरवाजा और दक्षिण में दक्खिनी दरवाजा नाम दिया गया था।

1801 में, जब रोहिलखंड अंग्रेजों को सौंपा गया, तब पीलीभीत बरेली जिले का एक परगना था। 1871 में, पीलीभीत को जहानाबाद, पीलीभीत और पूरनपुर को मिलाकर एक उपखंड बनाया गया और नवंबर 1879 में, इसे अंततः एक अलग जिले में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में, पीलीभीत, जहानाबाद और बिसालपुर के परगनों को अलग–अलग तहसीलों में विभाजित किया गया था। 1871 में, पूरनपुर पीलीभीत के अधीन एक उप–तहसील बन गया। 1879 में पूरनपुर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया, जबकि बिसालपुर हमेशा एक अलग उपखंड बना रहा। इस प्रकार, यह क्षेत्र अब तीन तहसीलों और चार परगनों में विभाजित है। पूरनपुर और बीसलपुर में अलग–अलग तहसीलें और परगने हैं और पीलीभीत की तहसील में पीलीभीत और जहानाबाद के परगने शामिल हैं। 2015 में कलीनगर और अमरिया नाम से दो नई तहसीलें बनाई गईं।

भवन एवं अन्य अवसंरचना

वर्ष 1914–15 में पहली बार इस जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और मुंसिफ न्यायालय के तीन दीवानी न्यायालय बरेली जिला एवं सत्र न्यायालयों के बाह्य न्यायालय के रूप में स्थापित किए गए थे, जो वर्तमान में धरोहर भवन है। पीलीभीत सत्र न्यायालय की स्थापना वर्ष 1971 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिसूचना द्वारा की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के लागू होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए तीन नए न्यायालय कक्षों का निर्माण किया गया।

बाद में, न्यायालय परिसर में 1980 के दशक में दस न्यायालय कक्षों वाला भवन, 2002 में तीन न्यायालय कक्षों वाला त्वरित न्यायालय भवन, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, 2014 में एडीआर केंद्र और 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पीओसीएसओ न्यायालय और दीवानी एवं आपराधिक मामलों के अभिलेख कक्ष सहित छह न्यायालय कक्षों वाली एक नई इमारत 2021 में बनकर तैयार हुई। बिसालपुर में दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन/जेएम) का बाह्य न्यायालय कार्यरत है। तहसील पूरनपुर में एक ग्राम न्यायालय भी कार्यरत है।

सत्र न्यायालय को आपराधिक न्यायालयों द्वारा गठित सत्र न्यायालयों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त, इसी जिला न्यायालय परिसर में एमसीटी न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय भी कार्यरत हैं। यहाँ विशेष न्यायालय भी हैं, जैसे विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), पीओसीएसओ न्यायालय और विशेष न्यायालय (ई.सी. अधिनियम)। मजिस्ट्रेट स्तर पर, आपराधिक मामलों के लिए एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, दो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। दीवानी क्षेत्राधिकार में, जिले में दो मुख्य न्यायालय हैं, एक दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) का और एक दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) का। इन न्यायालयों के अतिरिक्त, चार अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालय हैं। बीसलपुर में दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) का एक बाह्य न्यायालय और पूरनपुर के ग्राम न्यायालय में एक न्यायालय है। वरिष्ठ और कनिष्ठ श्रेणी स्तर पर त्वरित न्यायालय और एक महिला संरक्षण न्यायालय भी इसी परिसर में मौजूद हैं। यहाँ एक प्रधान न्यायाधीश का न्यायालय और एक अतिरिक्त न्यायाधीश का न्यायालय भी है। पारिवारिक मामलों के लिए पीलीभीत न्यायपालिका में 01 एमसीटी न्यायालय है।

जहाँ तक आवासीय परिसरों का संबंध है, कोर्ट परिसर से सटा हुआ एक सेशन हाउस, एक पुरानी जज कॉलोनी (जिसमें 6 आवास हैं) और एक नई जज कॉलोनी (जिसमें 13 आवास हैं) भी स्थित हैं। कोर्ट और आवासीय इमारतों की वास्तुकला आधुनिक है।

वर्चुअल कोर्ट एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य कोर्ट में वादी या वकील की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करना और मामलों का निपटारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करना है। इस अवधारणा को कोर्ट के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और वादियों को छोटे–मोटे विवादों को निपटाने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। वे छोटे–मोटे विवाद (ई–चालान) जो वर्चुअल कोर्ट में नहीं सुलझ पाते, एक निर्धारित समय के बाद अपने आप उस न्यायक्षेत्र के CJM कोर्ट में स्थानांतरित हो जाते हैं।

ई–सेवा केंद्र अभी अस्थायी रूप से कंप्यूटर कक्ष में संचालित हो रहा है। यह ई–सेवा केंद्र विद्वान अधिवक्ताओं और वादियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन (VC केबिन) ऐसा स्थान होगा, जहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई सुचारू रूप से की जा सकेगी। जिला कोर्ट पीलीभीत में कुल 03 VC केबिन बनाए जाने की योजना है। पीलीभीत जिले के सभी कोर्ट में ई–फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह सेवा विद्वान अधिवक्ताओं को ई–फाइलिंग पोर्टल्स के माध्यम से नए मामले दर्ज करने में सहायता प्रदान करती है।

न्यायालय, कार्यालय और कर्मचारी,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

1– स्टाफ

स्टाफ में एक कोर्ट मैनेजर, एक सिस्टम ऑफिसर, 88 क्लास III कर्मचारी और 64 क्लास IV कर्मचारी शामिल हैं।

2. राजस्व न्यायालय, पीलीभीत

पीलीभीत जिले में कुल 46 राजस्व न्यायालय हैं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला

मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारियों के न्यायालय शामिल हैं।

बार एसोसिएशन

पीलीभीत जजी में तीन बार एसोसिएशन हैं, जिनके नाम हैं– संयुक्त बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन और केंद्रीय बार एसोसिएशन। इनमें लगभग 1500 वकील सदस्य हैं। इस जजी को इस क्षेत्र के कुछ बहुत ही जाने–माने और विद्वान वकीलों का साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने मुकदमों में न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इनमें प्रमुख नाम हैं– स्वर्गीय रक्षपाल सिंह, हरीश चंद्र सक्सेना, हर गोपाल अग्रवाल, शांति स्वरूप सक्सेना, सुरेंद्र सहाय, राम बहादुर सक्सेना और शिव स्वरूप मिश्रा।

ऐतिहासिक फैसले

1971 से अब तक पीलीभीत के न्यायालयों ने कई बेहतरीन फैसले सुनाए हैं। पीलीभीत जजी द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक फैसला 23 जनवरी 2004 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) श्री बृजेंद्र सिंह द्वारा सुनाई गई मौत की सजा का फैसला था। यह फैसला सत्र मुकदमा संख्या– 212/2002, अपराध संख्या– 96/2001, राज्य बनाम रामस्वरूप और अन्य, पुलिस थाना– बरखेड़ा, जिला पीलीभीत के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 506, 436, 307, 364, 302 और 7वें आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के तहत सुनाया गया था।

कंप्यूटरीकरण

पीलीभीत जिले में कंप्यूटरीकरण प्रणाली 16.03.2012 को लागू हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत, जजी के सभी न्यायालय और कार्यालय अब केंद्रीय कंप्यूटर कक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं। सभी नए मामले 'केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (CIS) के तहत दर्ज किए जा रहे हैं, और केस की पहचान व उसे ट्रैक करने के लिए हर केस का एक यूनिक 'केस नंबर रिकॉर्ड' (CNR) होता है। आम जनता की मदद के लिए, सभी आदेशों और फैसलों को सिस्टम में दर्ज करने और डिजिटल हस्ताक्षर के बाद उन्हें तुरंत अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पूरे सिविल और क्रिमिनल रिकॉर्ड रूम का कंप्यूटरीकरण भी चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाने और LED, माइक व अन्य जरूरी सामान लगाने से, विचाराधीन कैदियों की रिमांड की प्रक्रिया अब ज़्यादा किफायती और आसान हो गई है।

मुकदमा लड़ने वाली जनता के लिए सुविधाएँ

डिजिटलीकरण की वजह से, मुक़दमा लड़ने वालों के लिए अपने केस का स्टेटस और तारीखें ऑनलाइन देखना अब काफी सुविधाजनक हो गया है। अदालतों की नियमित रूप से सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाता है। परिसर में बैठने के लिए काफी संख्या में बेंचें, पीने के पानी के लिए RO की सुविधा, सार्वजनिक शौचालय और कूड़ेदान लगाए गए हैं। एक मेडिकल अधिकारी की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई गई है।

रिकॉर्ड रूम

रिकॉर्ड रूम पुरानी इमारत में स्थित है, जिसे सिविल और क्रिमिनल डिवीजन में बांटा गया है। रिकॉर्ड रूम में आग से सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। हाल ही में, कुछ रिकॉर्ड को छह कोर्ट वाली इमारत में बने नए रिकॉर्ड रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। 10. आर्काइव्ज – जिला कोर्ट की इमारत में कोई कलाकृति/ऐतिहासिक सामग्री मौजूद नहीं है। जिला कोर्ट की ताजा तस्वीरों के लिए, कृपया एनेक्सर देखें।

कोर्ट की लाइब्रेरी

जिला कोर्ट में काफी समय से एक लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन 20 दिसंबर 2010 को इसे एक नई बनी लाइब्रेरी की इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। लाइब्रेरी में रोशनी की उचित व्यवस्था है और बैठने तथा पढ़ने के लिए काफी जगह और फर्नीचर मौजूद है। किताबें अलमारियों में सेक्शन के हिसाब से ठीक से रखी गई हैं और पाठकों के लिए लगभग पाँच हजार क़ानूनी किताबें और रेडी रेफरेंस उपलब्ध हैं। माननीय हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई क़ानूनी किताबें और 'ऑल इंडिया रिपोर्टर', 'सुप्रीम कोर्ट केसेज', 'इलाहाबाद डेली जजमेंट', 'लखनऊ लॉ टाइम्स', 'इलाहाबाद वीकली केसेज', 'क्रिमिनल लॉ जर्नल' और 'इलाहाबाद रेंट केसेज' समय–समय पर लाइब्रेरी में आती रहती हैं। लाइब्रेरी में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने का यंत्र) मौजूद है और किताबों को सुरक्षित रखने के लिए समय–समय पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है।



जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्लॉक



18 न्यायालय भवन



12 न्यायालय भवन



फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन



कुंडा स्थित बाह्य न्यायालय



लालगंज अजहरा स्थित बाह्य न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	07
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	07	07
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	27	18
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	03	02
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	52024	120164	172188	6296	42929	49225	6269	41993	48262	52051	121100	173151
2025	52051	121100	173151	8252	66841	75093	6050	40943	46993	54253	146998	201251

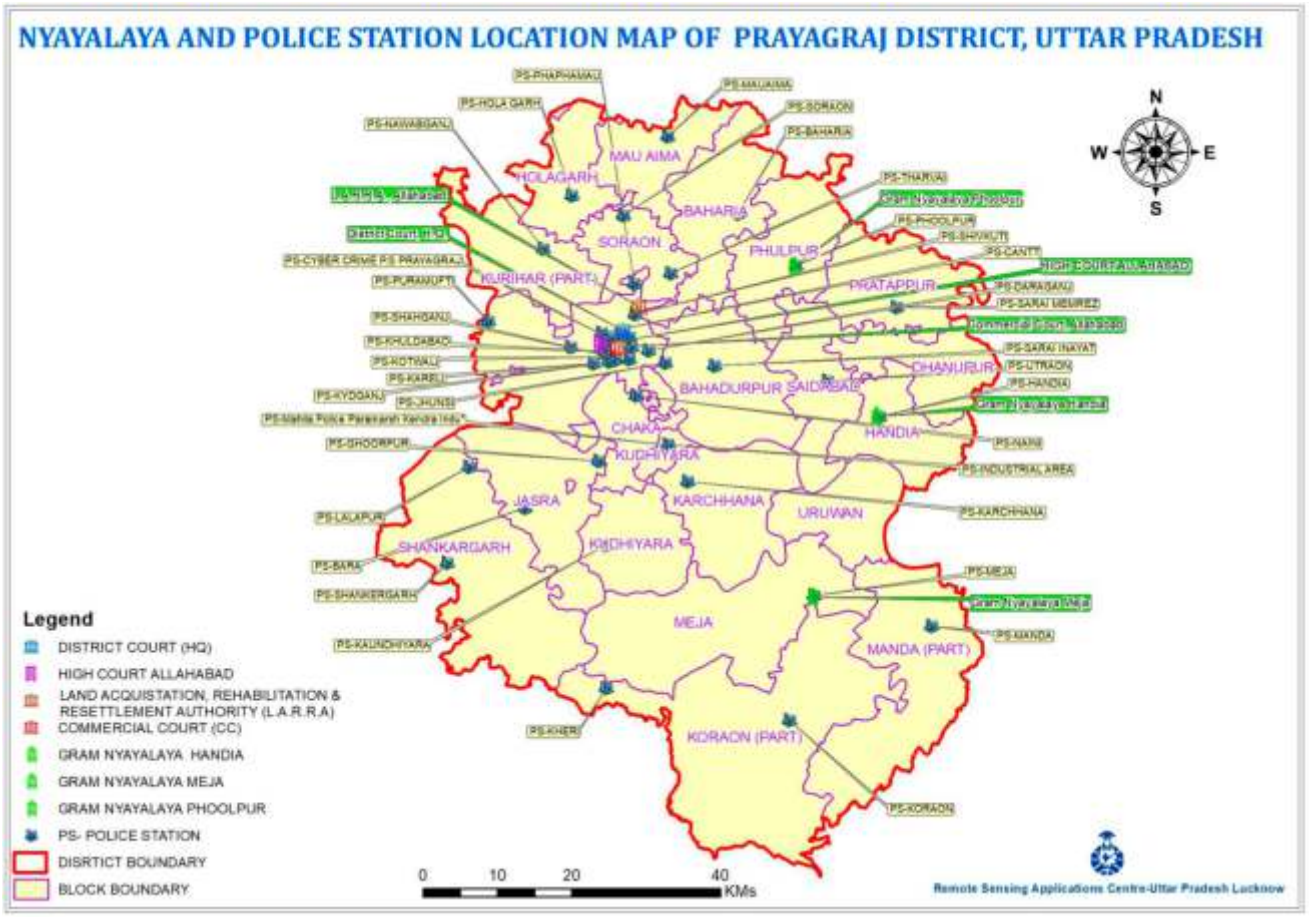
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2569	2795	5364	1380	1078	2458	1246	974	2220	2703	2899	5602
2025	2703	2899	5602	1427	1109	2536	1523	1284	2807	2607	2724	5331

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2395	286	239	2442
2025	2442	302	134	2610

जनपद न्यायालय प्रयागराज



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

प्रयागराज जिला, जिसे पहले इलाहाबाद जिला कहा जाता था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। यह जिला 24°47 से 25°47 उत्तरी अक्षांश तथा 81° से 82°21 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 170 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई लगभग 101 किलोमीटर है। इलाहाबाद की उत्तरी सीमा प्रतापगढ़ और जौनपुर जिलों से मिलती है, जिनमें से प्रतापगढ़ गंगा नदी द्वारा लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर अलग होता है। इसके पूर्व में वाराणसी, दक्षिण–पूर्व में मिर्जापुर, दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य, दक्षिण–पश्चिम में बांदा तथा पश्चिम में फतेहपुर जिला स्थित है। वर्तमान कौशांबी जिला 4 अप्रैल 1997 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश द्वारा इलाहाबाद जिले से अलग किया गया। जनपद न्यायालय इलाहाबाद अब जनपद न्यायालय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज शहर इस जिले का मुख्यालय है। यह जिला तहसीलों के अंतर्गत ब्लॉकों में विभाजित है। वर्ष 2011 के अनुसार, आठ तहसीलों में कुल 20 ब्लॉक हैं। प्रयागराज मंडल में प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी और प्रयागराज जिले शामिल हैं, साथ ही कुछ पश्चिमी भाग जो पहले इलाहाबाद जिले का हिस्सा थे। प्रशासनिक विभाजन फूलपुर, कोरांव, मेजा, सदर, सोरांव, हंडिया, बारा, श्रृंगवेरपुर और करछना हैं।

मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राज्य को अपने अधीन कर लिया, जिसका हिस्सा करा था। उसने करा–मानिकपुर सूबा स्थापित किया, जिसमें वर्तमान जिले का अधिकांश क्षेत्र शामिल था, और करा को उसकी राजधानी बनाया गया। खिलजी और तुगलक काल में मानिकपुर अलग हो गया और करा उसी नाम के सूबे की राजधानी बना रहा। अकबर के समय में वर्तमान जिले का अधिकांश भाग इलाहाबाद और करा सरकारों में था, सिवाय करछना तहसील के बारा परगना के, जो भटघोरा या किसी अन्य पहाड़ी क्षेत्र (जो अब मध्य प्रदेश में है) का हिस्सा था। जब ये क्षेत्र 1801 में ब्रिटिश शासन के अधीन आए, तब इलाहाबाद 26 परगनों वाले एक जिले का मुख्यालय बना। 1823 में फतेहपुर जिले के गठन के लिए 14 परगने अलग कर दिए गए और 1840 तक केवल 9 परगने शेष रह गए।

यह प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है–जो राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तथा भारत का 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है–और प्रयागराज मंडल का भी मुख्यालय है। यह शहर उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। वर्ष 2011 के अनुसार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सातवां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, उत्तर भारत का तेरहवां और पूरे भारत में छत्तीसवां स्थान रखता है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 15.3 लाख है। 2011 में इसे विश्व के 40 सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में भी स्थान मिला। 2016 में इलाहाबाद को राज्य में (नोएडा और लखनऊ के बाद) तीसरा सबसे रहने योग्य शहरी क्षेत्र तथा देश में सोलहवां स्थान प्राप्त हुआ। इस शहर में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

वर्तमान न्यायालय परिसर

जनपद न्यायालय प्रयागराज में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश की अदालतें स्थित हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पश्चिम एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पूर्व पूरे जिले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पश्चिम इलाहाबाद शहर (सदर तहसील) में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पूर्व करछना, कोरांव, फूलपुर, बारा, मेजा, सोरांव एवं हंडिया तहसीलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं।

वर्तमान में यहां जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, 19 अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिनमें 1 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), 1 विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), 4 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), 2 अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक न्यायालय, तथा 1 विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1 लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश, 15 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) / एसीजेएम, 1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 1 विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 1 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), 1 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, 18 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड (जिसमें 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट शामिल है), 5 ग्राम न्यायालय (करछना, मेजा, कोरांव, फूलपुर, हंडिया), 1 अतिरिक्त न्यायालय (एन.आई. अधिनियम), तथा 2 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं। जिला न्यायालय परिसर में सिविल रिकॉर्ड कक्ष, आपराधिक रिकॉर्ड कक्ष, अंग्रेजी कार्यालय, बिल अनुभाग, नजरात कार्यालय, कंप्यूटर अनुभाग, पुस्तकालय, ई–सेवा केंद्र, पंजाब नेशनल बैंक,

एक औषधालय (डिस्पेंसरी), वी.सी. केबिन, ई–फाइलिंग सुविधा, अधिवक्ता चैंबर ब्लॉक–बी तथा बार एसोसिएशन भवन उपलब्ध हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 1990 एवं 2018 में क्रमशः प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तथा 5 अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के पद सृजित किए। वर्ष 2015 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद सृजित किया गया, जो 2 मार्च 2019 से कार्यशील है। वर्ष 2020 में वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद भी सृजित किया गया, जो 6 जुलाई 2020 से कार्यरत है। इसी वर्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (उत्तर एवं दक्षिण) के पीठासीन अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए, जिनमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (उत्तर) 19.05. 2020 से तथा (दक्षिण) 05.11.2020 से कार्यशील हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यातायात चालान हेतु एक विशेष वर्चुअल न्यायालय का भी उद्घाटन किया गया है, जो यातायात चालानों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है तथा आवेदकों पर डिजिटल रूप से जुर्माना लगाता है, जिसे वे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं

जनपद न्यायालय के अभिलेखों के अनुसार, जनपद न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना वर्ष 1803 में यमुना क्रिश्चियन कॉलेज के निकट हुई थी। वर्तमान न्यायालय परिसर की स्थापना वर्ष 1870 में हुई, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना (1868) के दो वर्ष बाद बनी, और वर्ष 1985 में इसका पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण किया गया। वर्ष 1880 में श्री एच. लूसिंगटन जिला इलाहाबाद के जनपद न्यायाधीश थे, जिनके बाद श्री विलियम टाइरेल ने यह पद संभाला। वर्तमान में श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी दिनांक 07.10.2025 से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने दिनांक 03. 08.2025 से अब तक सत्र प्रभाग प्रयागराज के लिए माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में शेखर बी. शराफ को नामित किया है।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

24 — न्यायालयकक्ष भवन

24 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन एक नवीन निर्मित G+4 संरचना है, जो अगस्त 2019 से कार्यशील है। वर्तमान में इस भवन में जनपद न्यायाधीश एवं अपर जनपद न्यायाधीशों (ए.डी.जे) के लिए 24 पूर्णतः संचालित न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं, साथ ही संबंधित सुविधाएं जैसे न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, संलग्न शौचालय सहित विश्राम कक्ष, स्टेनोग्राफर कक्ष, कार्यालय तथा सहायक प्रशासनिक इकाइयाँ– नजारत, बिल अनुभाग, प्रशासनिक कार्यालय, अभिलेख कक्ष, बैठक कक्ष एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण– भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा भी है। भवन में आवागमन की सुविधा हेतु कुल 4 लिफ्ट (2 अधिकारियों के लिए तथा 2 आम जनता के लिए) स्थापित हैं। प्रत्येक मंजिल पर पुरुष एवं महिला के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था है तथा पीने के पानी हेतु वाटर कूलर भी उपलब्ध हैं।

25—न्यायालय कक्ष भवन

25 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन एक नवीन निर्मित G+4 संरचना है, जो 23 मार्च 2017 से कार्यशील है। वर्तमान में इस भवन में ACJM एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए 25 पूर्णतः संचालित न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। इसके साथ ही संबंधित सुविधाएँ जैसे न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारी का कक्ष (संलग्न शौचालय सहित), स्टेनोग्राफर कक्ष, कार्यालय, नकल अनुभाग (Copying Section) एवं JSC काउंटर भी उपलब्ध हैं।भवन में आवागमन की सुविधा हेतु 3 लिफ्ट (1 अधिकारियों के लिए तथा 2 आम जनता के लिए) स्थापित हैं। प्रत्येक मंजिल पर पुरुष एवं महिला के लिए पृथक शौचालय तथा पेयजल हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था उपलब्ध है।

31—न्यायालय कक्ष भवन

31 न्यायालय कक्षों वाला यह भवन एक G+4 संरचना है, जो 02 अगस्त 1985 से कार्यशील है। वर्तमान में इस भवन में परिवार न्यायालय, एम.ए.सी.टी, सी.जे. एम. तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के लिए 31 पूर्णतः संचालित न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित सुविधाएँ जैसे न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारियों के कक्ष (संलग्न शौचालय सहित), स्टेनोग्राफर कक्ष एवं कार्यालय उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इस भवन में वल्नरेबल विटनेस सेंटर, कंप्यूटर अनुभाग, पुस्तकालय, PNB बैंक, अभिलेख कक्ष एवं बेसमेंट भी शामिल हैं। भवन में 4 लिफ्ट (1 अधिकारियों के लिए तथा 3 आम जनता के लिए) स्थापित हैं। इस भवन में रैंप की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक मंजिल पर पुरुष एवं महिला के लिए पृथक शौचालय तथा पेयजल हेतु वाटर कूलर उपलब्ध हैं।

06 परिवार न्यायालय (निर्माणाधीन)

06 परिवार न्यायालयों का भवन G+2 मंजिल का निर्माणाधीन परिसर है, जिसमें न्यायालय कक्ष, संलग्न

शौचालय सहित कक्ष, स्टेनो कक्ष, कार्यालय, अभिलेख कक्ष, बैठक कक्ष, बेसमेंट पार्किंग, पुरुष एवं महिला के लिए अलग प्रतीक्षा कक्ष, गार्ड कक्ष तथा प्रत्येक मंजिल पर पुरुष एवं महिला के लिए पृथक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होगी।

ए.डी.आर भवन (निर्माणाधीन)

ADR भवन एक G+1 मंजिल का निर्माणाधीन परिसर है, जिसमें न्यायालय कक्ष, संलग्न शौचालय सहित कक्ष, अलग केबिन सहित मध्यस्थता कक्ष, कार्यालय, अभिलेख कक्ष तथा पुरुष एवं महिला के लिए पृथक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होगी।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय वर्तमान में करछना, मेजा, कोरांव, फूलपुर एवं हंडिया में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। ये न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में कार्यरत हैं।

जनपद न्यायालय प्रयागराज में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ

जनपद न्यायालय का कंप्यूटरीकरण

ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना (MMP) की परिकल्पना भारतीय न्यायपालिका को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। इसका लक्ष्य पूरे देश में स्वचालित निर्णय एवं निर्णय–सहायक प्रणालियों का विकास, स्थापना एवं क्रियान्वयन करना है।

ई–कोर्ट परियोजना के अंतर्गत प्रमुख पहलें:

वाद प्रबंधन प्रक्रियाओं का स्वचालन

वाद दाखिला, पंजीकरण, आवंटन, कार्यवाही, विवरण प्रविष्टि, निस्तारण एवं पुर्नस्थापन, वाद स्थानांतरण, आदेश/निर्णय अपलोड आदि ।

ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता:

डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश एवं निर्णय, वाद की स्थिति, कारण सूची, संस्थान रजिस्टर एवं न्यायालय डायरी।

लंबित वादों की निगरानी:

ई–कोर्ट परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से जिला न्यायालयों को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क (LAN), इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा मानक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की स्थापना एवं मौजूदा ICT अवसंरचना का उन्नयन शामिल है। इसमें न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप एवं लेजर प्रिंटर उपलब्ध कराना तथा उन्हें ICT प्रशिक्षण प्रदान करना भी सम्मिलित है। ICT अवसंरचना के लिए डीजल जनरेटर सेट (DG Sets) एवं UPS के माध्यम से विद्युत बैकअप की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त, जिला न्यायालय में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सहायता प्रदान करने हेतु सिस्टम ऑफिसर/तकनीकी स्टाफ की भी तैनाती की गई है।

कंप्यूटरीकरण (ई–कोर्ट) के लाभ

ई–कोर्ट परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपलब्ध कराना है, ताकि न्यायालय न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ एवं किफायती बना सकें। इससे न्यायालय की प्रक्रियाओं में सुधार होगा तथा नागरिक–केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।

ई–कोर्ट्स का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाना है।

ई–कोर्ट में संपूर्ण कार्य डिजिटल रूप से किया जाता है, जिसमें साझा की जाने वाली और उत्पन्न होने वाली जानकारी को डेटाबेस के रूप में संग्रहीत किया जाता है तथा उसे एक विशेष सॉफ्टवेयर से सिंक किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर तक वादकारी, न्यायाधीश और अधिवक्ता सभी पहुँच सकते हैं।

ई–कोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य कागजी दाखिलों को सीमित करके न्याय वितरण प्रणाली को किफायती, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयों की स्थापना के प्रमुख लाभ यह हैं कि इससे एक ऐसा न्याय प्रणाली तंत्र विकसित होता है जो पारदर्शी, कुशल, किफायती और समय की बचत करने वाला होता है। यह गवाहों के हितों की सुरक्षा करता है, लंबित मामलों के बोझ को कम करता है तथा सबसे महत्वपूर्ण रूप से अनुचित/अनैतिक गतिविधियों में कमी लाता है।

एसएमएस सुविधा अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कंप्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय प्रयागराज

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि हेतु

न्यूजलेटर तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

ई–सेवा केंद्रः ई–सेवा केंद्र माननीय उच्च न्यायालयों तथा प्रत्येक राज्य के एक जिला न्यायालय में पायलट आधार पर स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र वादकारियों को वाद की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने तथा निर्णय एवं आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ये केंद्र ई–फाइलिंग में भी सहायता प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था आम नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच के अधिकार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला न्यायालय प्रयागराज में ई–सेवा केंद्र न्यायालय परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के पास वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए स्थापित किया गया है और यह अक्टूबर 2021 से कार्यरत है।

वर्चुअल कोर्टः वर्चुअल कोर्ट को ई–कोर्ट परियोजना के अंतर्गत छोटे यातायात अपराधों के मामलों के निस्तारण हेतु शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में भीड़ को कम करना है, जिसके लिए अपराधी या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी जाती है। जिला न्यायालय प्रयागराज में वर्चुअल कोर्ट 21 फरवरी 2021 से कार्यरत है।

वी.सी. केबिन (V.C. Cabin): वी.सी. केबिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही संचालित की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, इस प्रकार की सुविधाएँ शीघ्र ही जनपद न्यायालय में शुरू की जाएंगी।.

ई–फाइलिंग सुविधाः ई–फाइलिंग प्रणाली एक संपूर्ण एंड–टू–एंड समाधान है, जिसे वाद पत्र, लिखित कथन, उत्तर तथा मामलों से संबंधित विभिन्न आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने हेतु विकसित किया गया है। इसके माध्यम से देश के किसी भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के मामले दाखिल किए जा सकते हैं। यह प्रणाली द्विभाषी (अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा) में विकसित की गई है, जिससे अधिवक्ताओं एवं वादकारियों का व्यापक वर्ग इससे लाभान्वित हो सके। जिला न्यायालय प्रयागराज में ई–फाइलिंग वर्जन 3.0 की सुविधा CIS सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इसे शीघ्र पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

वादकारियों/जनता के लिए सुविधाएँः

शौचालय सुविधाः जिला न्यायालय, प्रयागराज में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त एवं पृथक शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं।.

पेयजल सुविधाः जिला न्यायालय, प्रयागराज में वाटर कूलर स्थापित/उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक मंजिल पर जल शुद्धिकरण यंत्र (प्यूरिफायर) भी लगाए गए हैं।.

वादकारी शेडः जिला न्यायालय में महिलाओं के लिए एक वादकारी शेड उपलब्ध है।

बैठने की सुविधाः न्यायालयों में वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के बैठने हेतु पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था उपलब्ध है।

अभिलेख कक्ष (रिकॉर्ड रूम)

जनपद न्यायालय, प्रयागराज में सिविल एवं आपराधिक अभिलेख कक्ष अलग–अलग उपलब्ध हैं। सिविल अभिलेख कक्ष में सुरक्षा हेतु अग्निशमन उपकरण (फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स) लगाए गए हैं तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए पर्याप्त विद्युत प्रणाली उपलब्ध है। निस्तारित/निर्णीत फाइलों को समय–समय पर अभिलेख कक्ष में जमा किया जाता है।

आपराधिक अभिलेख कक्ष में प्रकाश व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से रखी गई है। सभी निस्तारित/निर्णीत फाइलों को संबंधित थानों के अनुसार सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेख कक्ष में अग्निशमन उपकरण (फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स) तथा बाल्टियों में पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है।

न्यायालय पुस्तकालय

पुस्तकालय न्यायालय भवन की पाँचवीं मंजिल पर स्थित है।

पुस्तकालय में शुद्ध वायु के लिए दो खिड़कियाँ तथा आवागमन के लिए दो द्वार उपलब्ध हैं। अध्ययन हेतु पर्याप्त बैठने की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में पुस्तकालय के संचालन हेतु 3 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें एक लाइब्रेरियन, एक स्टेनोग्राफर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुस्तकालय में तैनात हैं।

पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार का ज्ञान एवं जानकारी संग्रहीत की जाती है। जिला न्यायालय के पुस्तकालय में लगभग 11,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में सबसे पुराना जर्नल A.I.R. 1958, वॉल्यूम 45 भी उपलब्ध है। सभी पुस्तकें ज्ञान एवं जानकारी से परिपूर्ण हैं।

नियमों/विधियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष पुस्तकें एवं जर्नल्स खरीदे जाते हैं।



25—न्यायालय कक्ष भवन



परिवार न्यायालय



एडीआर बिल्डिंग



नई बिल्डिंग का पार्श्व दृश्य



ग्राम न्यायालय कोरांव



ग्राम न्यायालय मेजा

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	33	20
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	24	20
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	33	18
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	6	5
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	2	2
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	70705	265406	336111	9936	114754	124690	11924	100039	111963	68717	280121	348838
2025	68717	280121	348838	9077	91200	100277	12304	88649	100953	65490	282672	348162

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	7216	5728	12944	2829	2332	5161	3224	2067	5291	6821	5993	12814
2025	6821	5993	12814	3347	2118	5465	2768	1808	4572	7400	6303	13703

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1307	183	560	930
2025	930	126	566	490

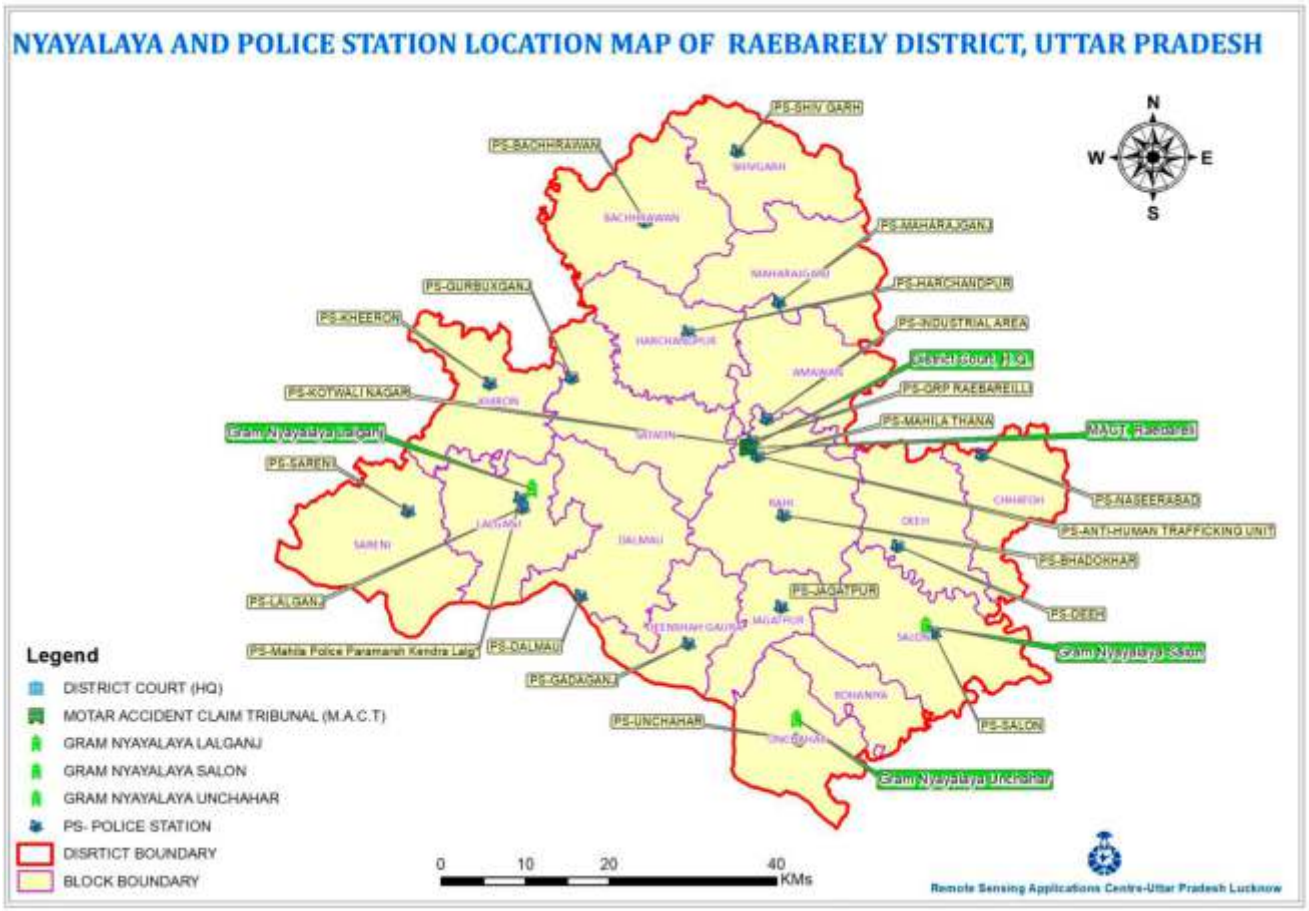
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	11367	2739	2540	11566
2025	11566	2925	2562	11929

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	643	466	300	767
2025	767	217	308	678

जनपद न्यायालय रायबरेली



जनपद न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

रायबरेली जिला वर्ष 1858 में अस्तित्व में आया। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के लागू होने के साथ ही रायबरेली सत्र प्रभाग (Sessions Division) की स्थापना हुई। जिला, दीवानी क्षेत्राधिकार के लिए एक जनपद न्यायाधीश के अधीन था, जिनकी सहायता के लिए एक सिविल जज होते थे, जिन्हें आमतौर पर अधीनस्थ न्यायाधीश (Subordinate Judge) कहा जाता था। फौजदारी पक्ष पर, अधीनस्थ न्यायाधीश सहायक सत्र न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करते थे। उस समय रायबरेली और डलमऊ में मुख्यालय वाले दो मुंसिफ थे। डलमऊ के मुंसिफ की अदालत को बाद में रायबरेली स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ चार मानद मुंसिफ भी थे, जिनके निर्णयों के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायाधीश के पास की जाती थी। बाद में मानद मुंसिफों की इन अदालतों को समाप्त कर दिया गया।

जिले की फौजदारी व्यवस्था में तीन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा डिप्टी कमिश्नर शामिल थे, जो जिला मजिस्ट्रेट भी थे। रायबरेली में मानद मजिस्ट्रेटों की एक पीठ भी थी जो शहर में द्वितीय श्रेणी की मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग करती थी। उस समय जिला न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ अवध चीफ कोर्ट के अधीन थी। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ पीठ के समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था।

स्वतंत्रता के बाद रायबरेली के प्रथम जनपद न्यायाधीश श्री सैय्यद अब्दुल कासिम जैदी थे (17.07.1948 से 17.10.1948 तक)। न्यायमूर्ति सैयद महमूद ने 1887 से 1893 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान इतिहास रचा, जो ब्रिटिश भारत सरकार में किसी ''भारतीय'' के लिए सर्वोच्च पद था। वह इलाहाबाद बार के पहले गैर–यूरोपीय सदस्य होने के साथ–साथ भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय और पहले उत्तर भारतीय थे। 1879में उन्हें रायबरेली में जनपद न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और तीन साल के भीतर ही उन्हें बत्तीस वर्ष की अल्पायु में उच्च न्यायालय

की पीठ के लिए चुना गया।

भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. वांचू पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी पृष्ठभूमि आई.सी.एस. (ICS) की थी और उनके पास कानून की कोई डिग्री या वकील के रूप में अनुभव नहीं था। उनका जन्म 25 फरवरी 1903 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। 1933 से 1936 के दौरान वह रायबरेली में जनपद न्यायाधीश रहे। 1947 में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए और अंततः 1967 में भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने।

वर्तमान न्यायालय परिसर

न्यायालय भवन में वर्तमान में 3 नई संरचनाएं शामिल हैं जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष/चेंबर और लगभग 52 निर्धारित न्यायिक अधिकारियों के लिए कक्ष, कार्यालय, सिविल रिकॉर्ड रूम, प्रशासनिक कार्यालय, लेखा अनुभाग, नजारत अनुभाग और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।

1858 से पूर्व निर्मित हेरिटेज बिल्डिंग (विरासत भवन), जो वर्तमान में नवीनीकरण के अधीन है, ब्रिटिश काल का एक कीर्तिमान है। इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के कारण इसे विरासत भवन के रूप में मान्यता दी गई है। इसके ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु 2023 में संरक्षण कार्य शुरू किया गया, जो अभी भी जारी है।

वर्ष 2024–2025 की उल्लेखनीय उपलब्धियां और पहल :

NIOS केंद्रः जिला जेल, रायबरेली में कैदियों के लिए औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक एनआईओएस केंद्र स्थापित किया गया। इसके माध्यम से 32 कैदियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है।

LSUC पहलः 'बालिका आश्रय गृह' में रहने वाले बच्चों के लिए कानूनी सहायता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 15 बच्चों का उनके परिवारों से सफल पुनर्मिलन हुआ।

'मनोनय' योजनाः जिला जेल में बंद मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई। इसके माध्यम से कैदियों का उपचार कराया जाता है और सड़कों पर घूमते पाये गये 8 मानसिक रूप से अस्वस्थ अनाथ बच्चों को रिटेंशन सेंटरों में आवास उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2024–2025 के दौरान उद्घाटन :

ग्राम न्यायालय ऊँचाहारः 01.02.2024 को इसका उद्घाटन हुआ। लालगंज और सलोन के ग्राम न्यायालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

पिंक टॉयलेटः महिलाओं के लिए दस सीटों वाला पिंक टॉयलेट 95 प्रतिशत पूर्ण है और जल्द ही यह कारदायी संस्था द्वारा न्यायालय प्रशासन को सौंप दिया जाएगा।

औषधालय (Dispensary) : न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 01.04.2025 से एक औषधालय क्रियाशील है।

न्यायालय भवन और बुनियादी ढांचा अवलोकन

वर्तमान में रायबरेली जनपद न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (10), विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), POCSO अदालतें (4), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटध्अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायिक मजिस्ट्रेट (17 न्यायालय), ग्राम न्यायालय (सलोन, लालगंज व ऊंचाहार) (03 न्यायालय), विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सम्मन विचारणीय मामले) व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक पद क्रियाशील हैं। उपरोक्त जनपद न्यायालय, रायबरेली के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में छह तहसीलें (सदर, महाराजगंज, सलोन, डलमऊ, लालगंज, ऊँचाहार) और अमेठी जिले की तिलोई तहसील शामिल है।

जनपद न्यायालय, रायबरेली की लाइब्रेरी अत्यंत समृद्ध है, जिसमें 1859 के जिला न्यायालयों के निर्णय (उत्तर–पश्चिम प्रान्त के), 1891 से इलाहाबाद सीरीज की इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (बाम्बे, कलकत्ता व मद्रास संस्करण के), वर्तमान में प्रभावी केन्द्रीय कानूनों की मूलप्रतियाँ और 1904 से इलाहाबाद लॉ जर्नल का संग्रह व अखिल भारतीय रिपोर्टर का 1958 से संग्रह उपलब्ध है।

ब्लॉक नंबर 1 (विरासत भवन) : रायबरेली जनपद न्यायालय में एक विरासत भवन (Heritage Building) भी है, जिसका निर्माण 160 वर्ष से भी अधिक समय पहले किया गया था। इस भवन में तीन न्यायालय कक्ष शामिल हैं, जिनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष और चौंबर, साथ ही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष स्थित हैं। इसमें प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कार्यालय और एक रिकॉर्ड रूम भी है। वर्तमान में इस भवन का नवीनीकरण (renovation) कार्य चल रहा है।

ब्लॉक नंबर 2 (18कोर्ट रूम बिल्डिंग) वर्ष 2020 में

निर्मित यह जी़2 (तीन मंजिला) भवन अठारह आधुनिक न्यायालय कक्षों और उससे जुड़ी सुविधाओं से सुसज्जित है, जिनमें न्यायिक अधिकारियों के चौंबर, आशुलिपिक कक्ष और न्यायालय कार्यालय शामिल हैं। इस भवन का विकास न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और पुराने न्यायालय परिसरों के बोझ को कम करने के लिए किया गया है।

वर्तमान में इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रायबरेली) के न्यायालय के साथ–साथ 11 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रायबरेली) का न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन का न्यायालय और 4 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय संचालित हैं। इस भवन में एक 'अध्ययन हॉल' भी है, जो आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से लैस है और यहाँ अधिकारियों की सामान्य बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

ब्लॉक नंबर 3 (12कोर्ट रूम बिल्डिंग): 1986 में निर्मित यह जी़2 (तीन मंजिला) भवन बारह न्यायालय कक्षों और उनसे जुड़ी सुविधाओं से सुसज्जित है, जिनमें अधिकारियों के चैंबर, आशुलिपिक कक्ष और न्यायालय कार्यालय शामिल हैं। वर्तमान में इस भवन की सभी अदालतों में सीनियर डिवीजन (दो न्यायालय) और जूनियर डिवीजन (9 न्यायालय) कैडर के न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं।

ब्लॉक नंबर 4 (नई 12कोर्ट रूम बिल्डिंग): 2007 में निर्मित इस नए जी़2 (तीन मंजिला) भवन में बारह न्यायालय कक्ष और उनसे जुड़ी सुविधाएं जैसे अधिकारियों के चैंबर, आशुलिपिक कक्ष और न्यायालय कार्यालय शामिल हैं। इस भवन में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 4 न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय (Family Court) स्थापना की अदालतें संचालित हैं।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) : मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), रायबरेली का न्यायालय 'न्यू 12 कोर्ट रूम बिल्डिंग' (ब्लॉक नंबर 4) के भूतल पर ही संचालित है, जो दुर्घटना सम्बन्धी मामलों में न्याय प्रदान करता है।

पारिवारिक न्यायालय स्थापना

जनपद न्यायालय के नवीन 12 कोर्ट रूम बिल्डिंग (ब्लॉक नंबर 4) के भीतर स्थित परिवार न्यायालय स्थापना में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (1 न्यायालय) और अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (3 न्यायालय) शामिल हैं। परिवार न्यायालय स्थापना में कुल स्वीकृत संख्या 4 न्यायालयों की है, जिनमें से वर्तमान में केवल 3 न्यायालय ही क्रियाशील हैं। इस स्थापना में उपयोग के लिए अभी तीन न्यायालय कक्षों के साथ–साथ संबद्ध इकाइयाँ जैसे अधिकारियों के चौंबर, आशुलिपिक कक्ष, न्यायालय कार्यालय और परिवार न्यायालयों का रिकॉर्ड रूम उपलब्ध है। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का कोर्ट और अपर परिवार न्यायाधीशों के दो कोर्ट इसी भवन में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समानांतर संचालित हो रहे हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट (ब्लॉक नंबर 5)

5 कोर्ट रूम वाला यह भवन जी़1 (दो मंजिला) आधुनिक संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 2005 में किया गया था। इसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के कार्यालयों के साथ–साथ एक हॉल भी स्थित है।

बाहय् न्यायालय

डलमऊ के बाहय् न्यायालय की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत वर्तमान में मुख्यालय से ही कार्यरत है।

अन्य सुविधाएं

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन, कैंटीन भवन, हवालात और पुलिस चौकी, रिकॉर्ड रूम, सेंट्रल बार एसोसिएशन भवन (रायबरेली), औषधालय, पिंक टॉयलेट, जिला बार एसोसिएशन भवन (रायबरेली) और 50 अधिवक्ता चैंबर (th+2) भवन।

वैक्लपिक विवाद समाधान (ADR) भवन

यह भवन जनपद न्यायालय परिसर से 4 किमी दूर लखनऊ–इलाहाबाद राजमार्ग पर स्थित है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव के साथ–साथ अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, रायबरेली का कार्यालय भी शामिल है। इस भवन में मध्यस्थता (Mediation) की कार्यवाही के लिए 'एयर कूल्ड' क्यूबिकल्स (वातानुकूलित कक्ष) बने हुए हैं।

किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

बच्चों के अनुकूल वातावरण (Child Friendly Atmosphere) से सुसज्जित किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board), त्रिपुला पावर हाउस के पास, सरस्वती नगर, रायबरेली में किराए के परिसर में संचालित है। इसका कार्यभार प्रधान मजिस्ट्रेट (Principal Magistrate), जे.जे.बी. रायबरेली और बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा संभाला जाता है।

ग्राम न्यायालय

जिला रायबरेली में निम्नलिखित ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं–

ग्राम न्यायालय सलोन

ग्राम न्यायालय सलोन की स्थापना शासनादेश संख्या 25/2015/1462/VII–न्याय–2–2015–216ळ/2007T.C.–IIIए दिनांक 24.11.2015 के माध्यम से की गई थी, जो 22.08.2023 से कार्यशील है। यह तहसील सलोन में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अस्थायी व्यवस्था के तहत स्थापित है।

ग्राम न्यायालय लालगंज

ग्राम न्यायालय लालगंज की स्थापना शासनादेश संख्या 33/2023/603/VII–न्याय–2–2023–216G/2007T.C.–III लखनऊ; दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से की गई थी, जो 18.07.2023 से कार्यशील है। यह तहसील लालगंज में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अस्थायी व्यवस्था के तहत स्थापित है।

ग्राम न्यायालय ऊँचाहार

ग्राम न्यायालय ऊँचाहार की स्थापना शासनादेश संख्या 2/2024/43/VII–न्याय–2–2024–216ळ/2007T.C.–II, लखनऊय दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से की गई थी, जो 01.02.2024 से कार्यशील है। यह तहसील ऊँचाहार में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अस्थायी व्यवस्था के तहत स्थापित है।



12 कोर्ट रूम वाली इमारत



अठारह कोर्ट रूम वाली इमारत



बार की विरासत इमारत



ग्राम नायला सैलून

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	11
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	9	09
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	17	15
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	04	03
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	34589	139427	174016	23051	82955	106006	21641	81377	103018	35999	141005	177004
2025	35999	141005	177004	37246	70537	107783	40650	76097	116747	35595	135445	168040

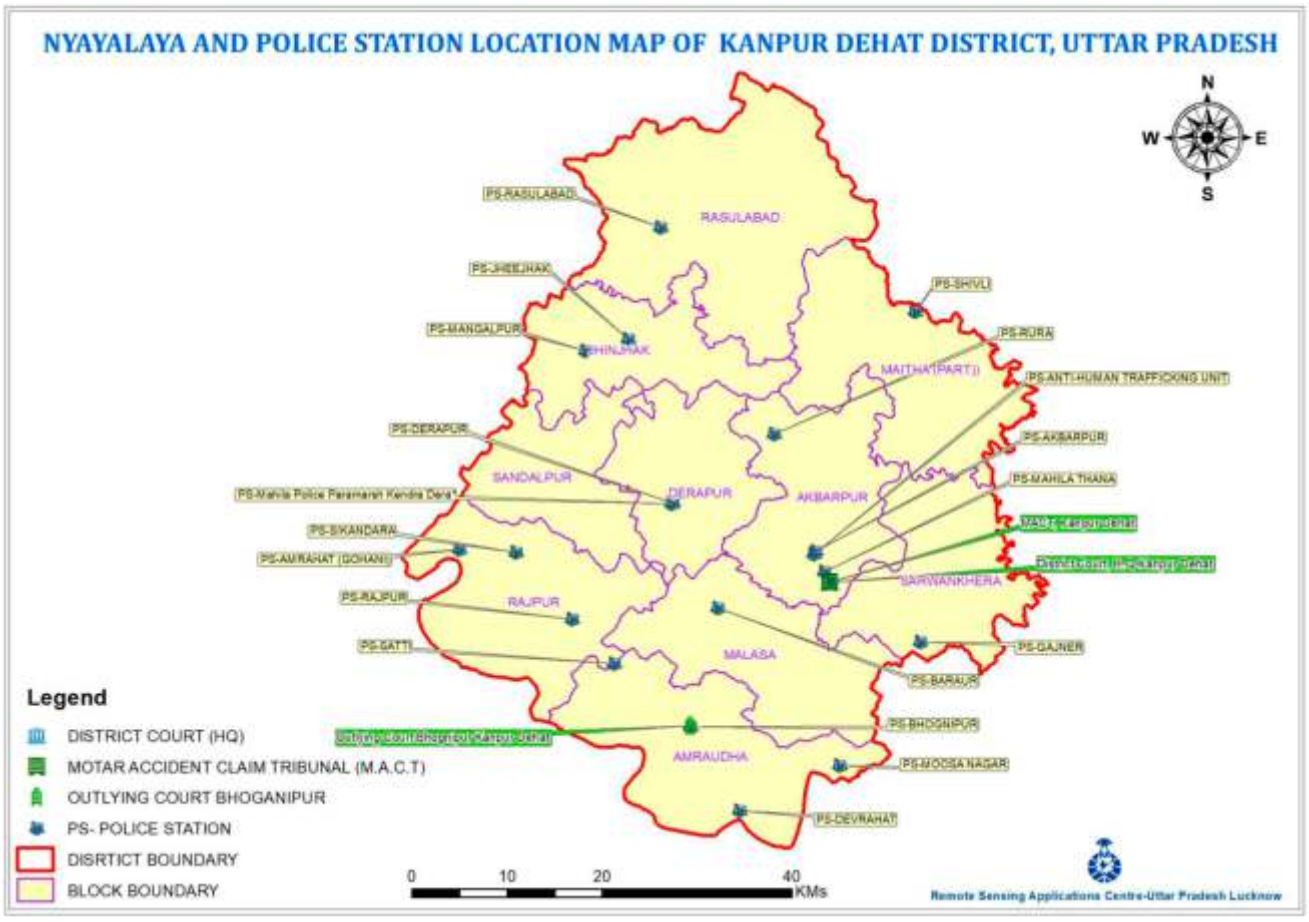
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2612	2921	5533	2093	2216	4309	1878	1598	3476	2827	3539	6366
2025	2827	3539	6366	2154	2295	4449	2275	1992	4267	2706	3842	6548

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1882	865	707	2040
2025	2040	891	536	2395

जनपद न्यायालय रमाबाई नगर (कानपुर देहात)



जनपद न्यायालय संस्थान का संक्षिप्त परिचय

जनपद कानपुर देहात का प्रशासनिक मुख्यालय अकबरपुर, माती में स्थित है। यह कानपुर मंडल का एक भाग है। दिनांक 09.06.1976 को कानपुर का विभाजन कानपुर नगर और कानपुर देहात के दो जिलों के रूप में किया गया था, पुनः इनका सम्मिलन दिनांक 12.07.1977 को तथा पुनः दिनांक 23.04.1981 को यह दोनों जिले अलग किए गए थे।

जनपद कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर नोटिफिकेशन नंबर–1857/1–5–2010–114–2010–RAO–5 दिनांक 01.07.2010 के द्वारा किया गया था, पुनः जनपद रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात नोटिफिकेशन नंबर–946/1–5–2012–123/2012–Rev–5 दिनांक 30 जुलाई 2012 के माध्यम से किया गया।

जनपद न्यायालय, कानपुर नगर से नोटिफिकेशन नंबर–510/11D/Admin (A) दिनांक 01.10. 1985 के द्वारा नये जजशिप कानपुर देहात स्थित कानपुर नगर का सृजन किया गया। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी०के० अग्रवाल द्वारा दिनांक 26.11.1985 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तब से जनपद न्यायालय, कानपुर देहात वहीं पर स्थित था। बाद में जनपद न्यायालय, कानपुर देहात अपने मुख्यालय माती अकबरपुर, कानपुर देहात में दिनांक 19 जुलाई 2013 को नए न्यायालय भवन में स्थानांतरित हुआ।

वर्तमान न्यायालय परिसर

वर्तमान में जनपद न्यायालय भवन माती कानपुर देहात में स्थित है, जिसमें 34 कोर्ट रूम, उनके संबद्ध कार्यालय, स्टेनो कक्ष एवं पीठासीन अधिकारी के चैंबर्स स्थित हैं।

जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के दो वाह्यस्थित न्यायालय भोगनीपुर कानपुर देहात में एवं घाटमपुर कानपुर नगर में तथा एक ग्राम न्यायालय बिल्हौर कानपुर नगर में स्थित है।

जनपद न्यायालय परिसर, कानपुर देहात में निम्नलिखित भवन स्थित हैं,

1. एक सुलह समझौता केन्द्र/मध्यस्थता केन्द्र भवन।
2. एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष।
3. ई सेवा केंद्र।
4. ई फाइलिंग सुविधा कानपुर देहात जनपद न्यायालय में स्थित है।
5. वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर कानपुर देहात जनपद न्यायालय में क्रियाशील है।
6. डिस्पेंसरी की सुविधा कानपुर देहात न्यायालय परिसर में स्थित है।
7. पोस्ट ऑफिस की सुविधा भी न्यायालय परिसर में स्थित है।
8. सिविल रिकॉर्ड रूम एवं क्रिमिनल रिकॉर्ड रूम जनपद न्यायालय भवन में स्थित है।
9. सत्यापित प्रतिलिपि के लिए नकल अनुभाग कक्ष की सुविधा उपलब्ध है।
10. वर्चुअल कोर्ट की सुविधा भी न्यायालय परिसर में है।
11. एक मीटिंग हाल एवं पुस्तकालय कक्ष भी जनपद न्यायालय भवन में स्थित है।
12. लॉकअप भवन एवं सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी न्यायालय परिसर में स्थापित है।

परिवार न्यायालय भवन

प्रमुख सचिव (न्याय) उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ द्वारा परिवार न्यायालय भवन निर्माण हेतु दो न्यायालय कक्ष, कार्यालय कक्ष, स्टेनो कक्ष तथा अन्य सुविधाओं हेतु शासनादेश संख्या–294/2024/2052/सात न्याय–9 (बजट)–2024–800(69)/2022 दिनांक 01.10.2024 द्वारा स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, इकाई 10, कानपुर को निर्माणकारी संस्था के रूप में नामांकित किया गया है। कार्यदायी संस्था को जुलाई 2026 तक अपना कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम इशेपुर, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर में 1.219 अर्थात 3.011 एकड़ भूमि का हस्तांतरण ग्राम न्यायालय के लिए किया गया है। ग्राम न्यायालय, बिल्हौर कानपुर नगर के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जबकि न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कानपुर देहात में है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दो कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्राप्त कर चाहरदीवारी के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में ग्राम न्यायालय पुराने तहसील बिल्डिंग बिल्हौर में वैकल्पिक रूप से वर्ष 2019 से क्रियाशील है।

वाह्य न्यायालय

भोगनीपुर

वर्तमान में जिला प्रशासन कानपुर देहात द्वारा वाह्य न्यायालय भोगनीपुर हेतु प्रदत्त भूमि मानक से कम है (अर्थात 5 से 8 एकड़ नहीं है)। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से यह संपर्क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ी हुई नहीं है तथा गांव के काफी अंदर स्थित है।

जिलाधिकारी कानपुर देहात से अवशेष भूमि की उपलब्धता हेतु अनुरोध किया गया है जो भूमि मुख्य राजमार्ग से भली भांति संपर्क मार्ग से जुड़ी हुई हो।

इसके साथ ही अवगत कराना है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त भवन मिलन केंद्र,नगर पालिका परिषद, पुखरायां को वाह्य न्यायालय हेतु चिन्हित किया गया है एवं वैकल्पिक रूप से वाह्य न्यायालय हेतु क्रियाशील किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 4559/57ठ/Admin(A–3) दिनांक 13.04.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन संख्या 5/2022/1736/VII–न्याय–2–2022–711ध्88 ज्ब लखनऊ दिनांक 16.03.2022 द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भोगनीपुर को मुख्यालय माती, कानपुर देहात से मिलन केंद्र, नगर पालिका परिषद, पुखरायां स्थित भवन में क्रियाशील करने हेतु नोटिफिकेशन किया गया। वाह्य न्यायालय दिनांक 25.4.2022 से इसी भवन में क्रियाशील है।

घाटमपुर

वर्तमान में वाह्य न्यायालय घाटमपुर, जिला कानपुर नगर के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार कानपुर देहात में है। वाह्य न्यायालय घाटमपुर, बार एसोसिएशन घाटमपुर द्वारा प्रदत्त बार भवन में संचालित है। न्यायालय भवन की चारदीवारी के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव की मांग की गई है।



जिला न्यायालय भवन 1



जिला न्यायालय भवन 2



बाह्य न्यायालय भोगनीपुर



बाह्य न्यायालय घाटमपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	13
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	09	07
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	15
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	02	02
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	13539	114736	128275	2394	21937	24331	1314	13359	14673	14619	123314	137933
2025	14619	123314	137933	1186	16634	17820	973	14311	15284	14832	125637	140469

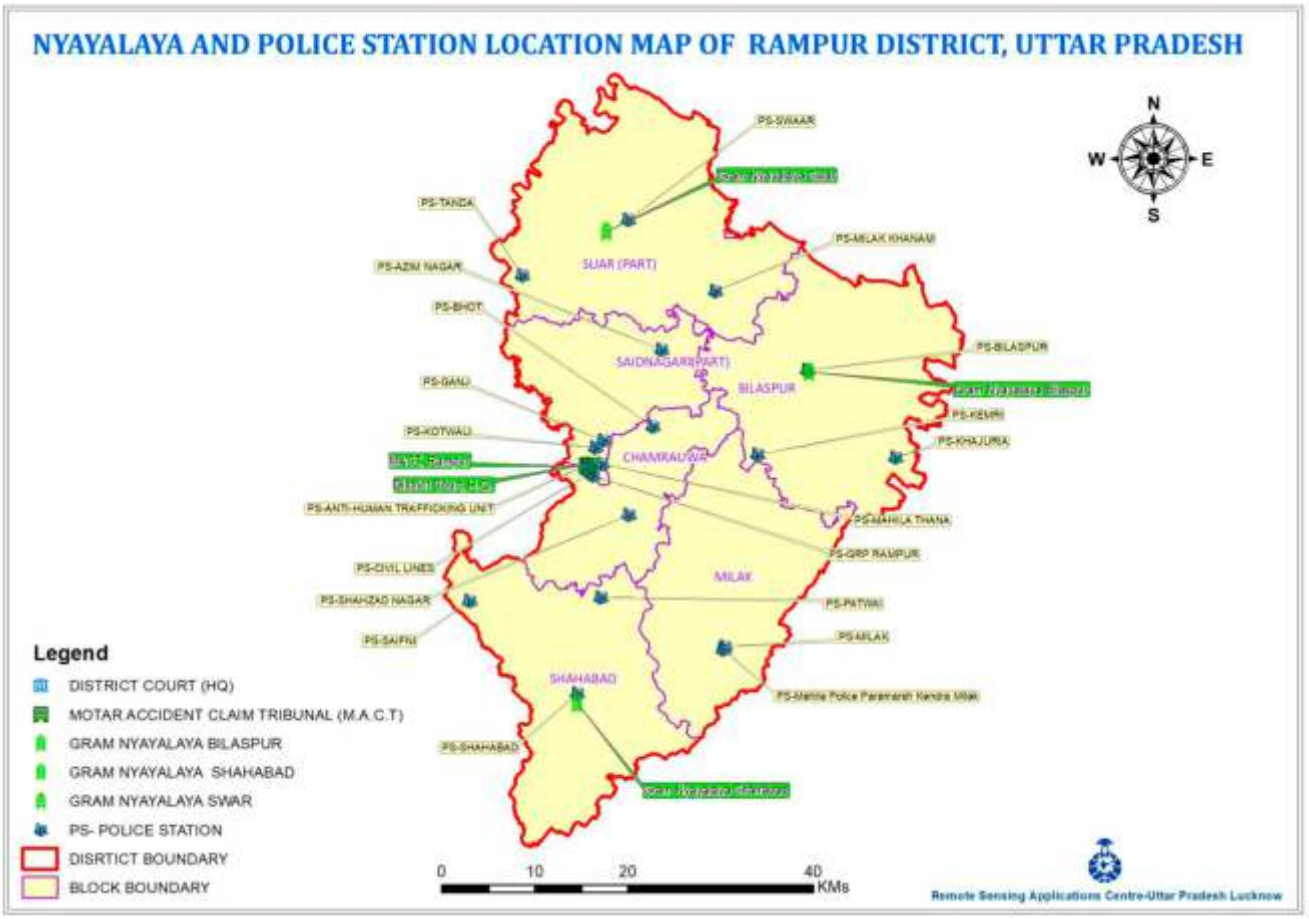
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3049	2734	5783	1691	1447	3138	1688	1144	2832	3052	3037	6089
2025	3052	3037	6089	1636	1335	2971	1589	1229	2818	3099	3143	6242

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2170	1088	689	2569
2025	2569	1075	624	3020

जनपद न्यायालय रामपुर



जिला रामपुर का संक्षिप्त परिचय

जिला रामपुर 78–0–54 एवं 69–0–28 पूर्वी देशांतर तथा 28–25 एवं 29–10 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसके उत्तर में जिला उधम सिंह नगर, पूर्व में बरेली, पश्चिम में मुरादाबाद तथा दक्षिण में बदायूँ स्थित है। समुद्र तल से ऊँचाई उत्तर में 192 मीटर तथा दक्षिण में 166.4 मीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित है। राज्य की राजधानी पूर्व में 302 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजधानी पश्चिम में 185 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेलवे एवं सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 2,367 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश (भारत) के मुरादाबाद मंडल में आता है। 2011 में इसकी जनसंख्या 23,35,398 थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

रामपुर जिला स्वतंत्र भारत से पूर्व एक स्वतंत्र रियासत थी। रामपुर राज्य की स्थापना नवाब अली मोहम्मद खान ने की थी, जो सरदार दाऊद खान (रोहिल्ला सरदार) के दत्तक पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। उन्हें 1737 में मुहम्मद शाह सम्राट से 'काठेर' नामक क्षेत्र प्राप्त हुआ, किंतु 1746 में अवध के नवाब वजीर से संघर्ष में उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। दो वर्ष बाद उन्होंने अहमद शाह दुर्रानी की भारत पर आक्रमण में सहायता की और पुरस्कार स्वरूप अपने सभी पूर्ववर्ती क्षेत्र पुनः प्राप्त किए। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बाँट दी। उनके दूसरे पुत्र फैजुल्लाह खान को रामपुर एवं चचौत का क्षेत्र मिला। 7 अक्टूबर 1774 को अवध के साथ संधि द्वारा उन्हें उनके अधिकारों की पुष्टि की गई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मान्यता दी। इसके बाद रोहिल्ला सरदारों एवं उनके अनुयायियों को शांति से बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया और यह क्षेत्र 'रामपुर राज्य' कहलाया। रामपुर के नवाब राज्य के शासक थे और प्रशासन उनके हाथों में था।

रामपुर ने 1947 में भारत संघ में विलय किया और 1950 में संयुक्त प्रांत में सम्मिलित हो गया। रामपुर जिला न्यायालय की स्थापना 1.12.1949 को हुई। यह न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन है। श्री आर. के. चौधरी ने प्रथम जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और 5.9.1950 तक इस पद पर रहे। प्रारंभ में इस न्यायालय में केवल तीन न्यायालय थे – जिला न्यायाधीश न्यायालय, सिविल एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय तथा मुंसिफ न्यायालय। वर्तमान में इस न्यायालय में कुल 30 न्यायालय हैं, जिनमें जिला न्यायाधीश न्यायालय भी सम्मिलित है।

रामपुर जिला न्यायालय–अधोसंरचना का विवरण

पुराना भवन

रामपुर का पुराना न्यायालय भवन एक धरोहर संरचना है, जो आज भी न्यायिक प्रशासन का केंद्रीय केंद्र है। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष तथा प्रशासनिक अनुभाग, नजरात एवं बिल अनुभाग स्थित हैं। यह भवन औपनिवेशिक कालीन न्यायिक वास्तुकला का उदाहरण है, जिसे समय–समय पर संरक्षित एवं आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।

बारह न्यायालय कक्ष भवन

यह जी2 संरचना मजिस्ट्रेट न्यायालयों के बढ़ते कार्यभार को संभालने हेतु निर्मित की गई है। इसमें 12 पूर्ण रूप से कार्यशील न्यायालय कक्ष हैं, जो मुख्यतः न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए हैं। इसमें अध्यक्ष अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष एवं सहायक कार्यालय सम्मिलित हैं।

आठ न्यायालय कक्ष भवन (परिवार एवं एडीजे न्यायालय)

यह आधुनिक th+2 भवन परिवार न्यायालयों एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालयों हेतु निर्मित है। इसमें 08 न्यायालय कक्ष, एक बैठक कक्ष, अभिलेख कक्ष एवं अन्य सुविधाएँ हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) भवन

यह जी1 संरचना त्वरित मामलों के निस्तारण हेतु बनाई गई है। इसमें 03 न्यायालय कक्ष हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही इसमें सिविल एवं आपराधिक अभिलेख कक्ष भी हैं।

145 वर्ष पुराना कार्यशील फव्वारा

रामपुर, उत्तर प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में एक 145 वर्ष पुराना कार्यशील फव्वारा स्थित है। यह फव्वारा नवाबी एवं औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक है। इसे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित माना जाता है। यह केवल सजावटी तत्व नहीं बल्कि रामपुर की स्थापत्य, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक धरोहर का जीवंत प्रमाण है।



पुराना सत्र न्यायालय भवन



08 न्यायालय भवन



12 न्यायालय भवन



144 वर्ष पुराना कार्यरत फव्वारा

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	13	8
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	8
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	12	9
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5588	82386	87974	3018	41074	44092	3276	44647	47923	5330	78813	84143
2025	5330	78813	84143	2699	42800	45499	2601	45973	48574	5428	75640	81068

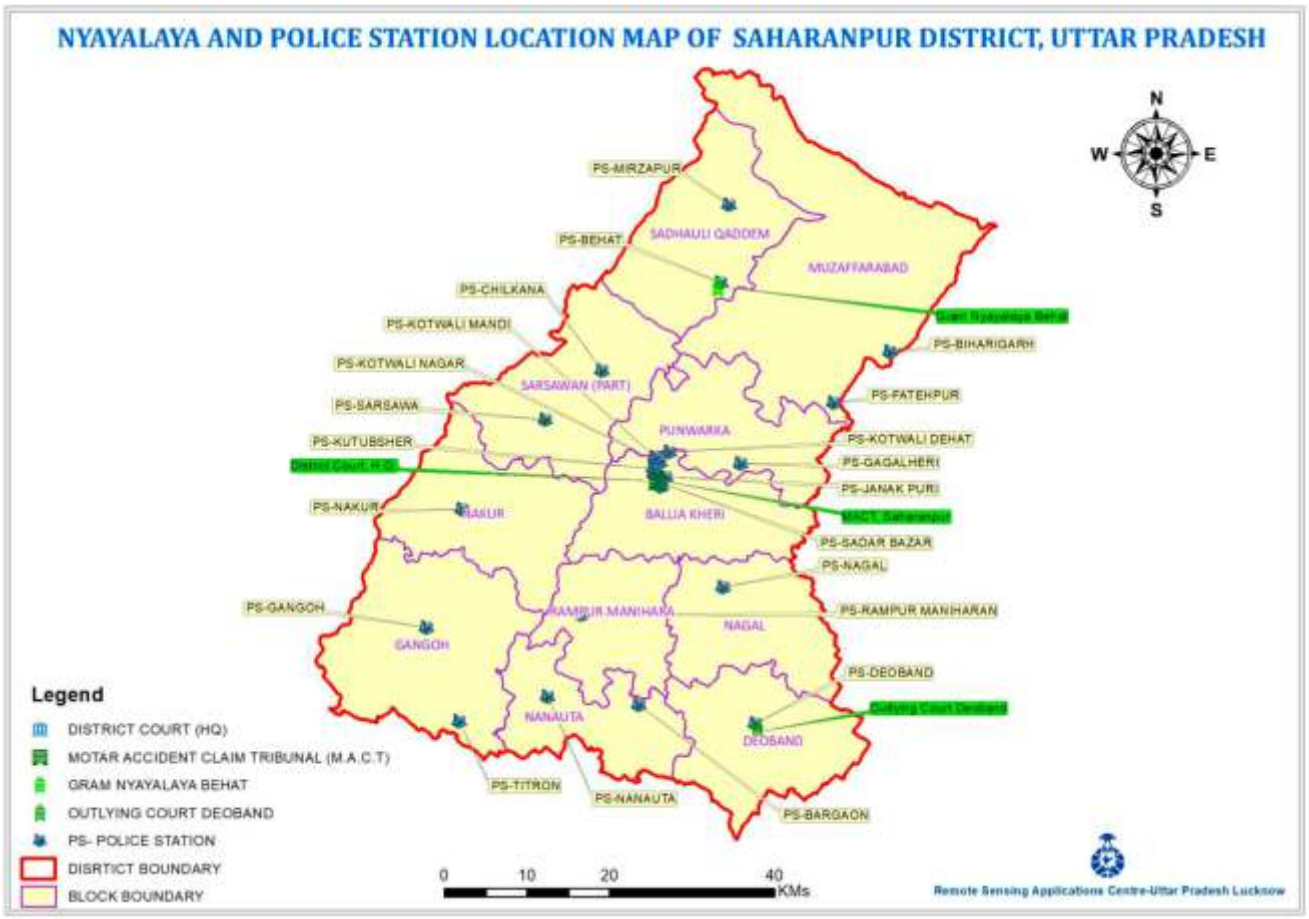
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1178	1244	2422	823	870	1693	849	778	1627	1152	1336	2488
2025	1152	1336	2488	863	966	1829	943	785	1728	1072	1517	2589

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	901	1170	1036	1035
2025	1035	1344	1255	1124

जनपद न्यायालय सहारनपुर



न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष 1803 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित जिला सहारनपुर प्रारंभ में एक विशाल क्षेत्र का हिस्सा था और इसमें देहरादून, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर जिले शामिल थे।

सहारनपुर स्थित जिलान्यायालय सबसे पुराने न्यायालयों में से एक है और इसने गौरवशाली 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी और श्री एम.बी.टी. हिल इसके प्रथम जिला न्यायाधीश थे। सत्र प्रभाग का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वर्तमान जिला मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून और रुड़की सहित एक विशाल क्षेत्र पर था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में देवबंद स्थित मुंसिफी को भी सहारनपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में शामिल किया गया था। वर्तमान में सहारनपुर सत्र मंडल के अधिकार क्षेत्र में सहारनपुर जिला, देवबंद स्थित बाह्य न्यायालय और बेहट स्थित ग्राम न्यायालय शामिल हैं। सहारनपुर जिला न्यायाधीश के न्यायालय की अध्यक्षता कई प्रख्यात न्यायाधीशों ने की है। श्री एम.बी.टी. हिल (1867) सहारनपुर के पहले जिला न्यायाधीश थे।

मौजूदा न्यायालय परिसर

सहारनपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर 150 वर्ष पुराना परिसर है जिसमें विभिन्न भवन खंड शामिल हैं जैसे कि 12 कोर्ट बिल्डिंग, डीजे ब्लॉक, ब्लॉक–बी, ब्लॉक–बी1, एफटीसी–ब्लॉक, ओल्ड मुनसफी ब्लॉक और रजिस्ट्री ब्लॉक आदि। इन न्यायालय खंडों के अलावा, न्यायिक अधिकारियों के लिए बैठक कक्ष,

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्र, एडीआर केंद्र और रिकॉर्ड रूम (सिविल) एवं (फौजदारी) भी सहारनपुर जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत हैं।

देवबंद स्थित बाह्य न्यायालय भी अपने परिसर में दो भवन खंडों के साथ कार्यरत है, जबकि बेहट स्थित ग्राम न्यायालय तहसील बेहट के बार भवन में कार्यरत है।

मौजूदा बुनियादी ढांचे का विवरण

12 कोर्ट रूम बिल्डिंग

12 कोर्ट रूम वाली यह इमारत एक जी+2 संरचना है जिसका निर्माण वर्ष 1982 में शुरू हुआ और औपचारिक रूप से 14.12.1982 को पूरा हुआ। वर्तमान में इस इमारत में 12 पूरी तरह से कार्यरत कोर्ट रूम हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयां जैसी संबद्ध सुविधाएं भी हैं। भूतल और प्रथमतल पर कोर्ट रूम कार्यरत हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर कॉपिंग सेक्शन और विभिन्न कोर्ट कार्यालय स्थित हैं। छत पर लगा 40 किलोवाट का सौर ऊर्जा पैनल सतत ऊर्जा उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम को दर्शाता है। यह इमारत लगभग 44 वर्ष पुरानी है और इसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए पीछे से और कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वादियों के लिए आगे से सुगम आवागमन के लिए अलग–अलग प्रवेश द्वार हैं। वर्तमान में इस इमारत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अतिरिक्त परिवार न्यायालय, आठ अतिरिक्त न्यायिक न्यायाधीशों और दो सहायक न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कार्यरत हैं। 12 न्यायालयों के अलावा, दूसरी मंजिल पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का अस्थायी न्यायालय भी कार्यरत है।

डीजे ब्लॉक

यह भवन 150 वर्ष से अधिक पुराना है और इसमें जिला न्यायाधीश न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण अदालतें कार्यरत हैं। इन अदालतों के अलावा, रिकॉर्ड रूम (सिविल) भी इसी भवन में कार्यरत है।

ब्लॉक–बी भवनः –2007 में निर्मित इस जी+2 भवन में चार आधुनिक न्यायालय कक्षों के साथ–साथ अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और न्यायालय कार्यालयों जैसी संबद्ध सुविधाएं भी शामिल हैं। इस भवन का विकास न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने और पुराने न्यायालय परिसरों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

ब्लॉक बी 1 भवनः– 2007 में निर्मित इस जी1 भवन में दो आधुनिक न्यायालय कक्षों के साथ–साथ अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कक्ष और न्यायालय कार्यालयों सहित अन्य संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं। इस भवन का निर्माण न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उस समय के पुराने न्यायालय परिसरों पर बोझ कम करने के लिए किया गया था।

एफटीसी ब्लॉकः– 2007 में निर्मित इस जी1 भवन में 5 आधुनिक न्यायालय कक्षों के साथ–साथ अधिकारियों के कक्ष, स्टेनोग्राफरों के कमरे और न्यायालय कार्यालयों सहित संबंधित सुविधाएं शामिल हैं।

पुराना मुनसफी भवनः –यह इमारत 150 वर्ष से अधिक पुरानी है और भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इस इमारत में न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जे0डी0) स्तर की आठ अदालतें हैं।

एडवोकेट पार्किंग ब्लॉकः–इस ब्लॉक में एनआई एक्ट की एक अदालत है, जो 50 साल से अधिक पुरानी इमारत है, जबकि इसी परिसर में संयुक्त निदेशक (अभियोजन) का कार्यालय है, जो 150 साल से अधिक पुरानी इमारत है, साथ ही इसमें दस सीटों वाला शौचालय और अधिवक्ताओं के लिए वाहन स्टैंड भी है।

ए0डी0आर0 बिल्डिंगः – यह भवन स्थायी लोक अदालत और एडीआर केंद्र को समर्पित है। इस भवन का निर्माण 2016 में पूरा हुआ था और तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र प्रभाग, सहारनपुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।

बैठक कक्षः –यह भवन सहारनपुर न्यायपालिका की नियमित बैठकों के लिए समर्पित है। इस भवन का निर्माण 1992 में पूरा हुआ था और बाद में 2021 में इसका जीर्णोद्धार किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवनः इस भवन का निर्माण 2016में पूरा हुआ था। यह भवन सहारनपुर न्यायपालिका के नियमित वी0सी0 को समर्पित है,जो प्रदान करता है। यह एक संचार विधि है जो ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन–शेयरिंग टूल का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर मौजूद दो या दो से अधिक लोगों को जोड़ती है।

कंप्यूटर केंद्र भवनः – इस भवन में न्यायालय प्रबंधक का कार्यालय, कंप्यूटर अनुभाग और सर्वर कक्ष शामिल हैं, जो कि 25 साल से अधिक पुरानी इमारत है।

बार एसोसिएशन भवनः –सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन भवन का निर्माण 1901 में हुआ था। इसमें पुस्तकालय, बैठक कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, कैंटीन और बार एसोसिएशन कार्यालय के साथ–साथ महिला

अधिवक्ताओं के लिए साझा कक्ष भी हैं।

बाह्य न्यायालय, देवबंद भवन

देवबंद भारत की सबसे पुरानी अदालतों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवबंद में मुगल काल से ही अदालतें मौजूद हैं। देवबंद का बाह्य न्यायालय परिसर मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। इस परिसर में दो इमारतें और पांच न्यायालय कक्ष हैं, जिनमें एक अपरजिलाजज, एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल न्यायाधीशय एस0डी0, न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जजय जे0डी0 स्तर के दो न्यायालय, एक अभिलेख कक्ष, संबद्ध कार्यालय, नजरात अनुभाग और कंप्यूटर केंद्र शामिल हैं। हाल ही में एक नए कोर्ट रूम वाले भवन का उद्घाटन किया गया है, साथ ही एक नए टाइप–5 आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया गया है।

ग्राम न्यायालय बेहट

ग्राम न्यायालय, बेहट की स्थापना 2020 में हुई थी, वर्तमान न्यायालय बेहट तहसील के बार एसोसिएशन भवन में कार्यरत है।

एम०ए०सी०टी० कोर्ट, बिल्डिंग

एम०ए०सी०टी०कोर्ट की स्थापना 2021 में सहारनपुर में परिसर के बाहर की गई थी, जबकि वर्तमान में यह जिला न्यायालय परिसर के पुराने रजिस्ट्री ब्लॉक में कार्यरत है। श्री अंबर रावत वर्तमान में सहारनपुर स्थित एम०ए०सी०टी० कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। यह भवन भी 150 वर्ष से अधिक पुराना है।

परिवार न्यायालय, सहारनपुर

सहारनपुर में प्रधान न्यायाधीश/अतिरिक्त परिवार न्यायालय की स्थापना 2020 में हुई थी। यह वर्तमान जिला न्यायालय परिसर के 12 कोर्ट रूम वाले भवन में कार्यरत है। श्री देवेंद्र सिंह वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के रूप में और श्रीमती सपना शुक्ला अतिरिक्त न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर के रूप में कार्यरत हैं।

अन्य भवन एवं सुविधाएं

अदालत परिसर में कई सहायक और सहयोगात्मक इमारतें भी शामिल हैं जैसे कि समन सेल ब्लॉक, पुराना रजिस्ट्री ब्लॉक, लॉक–अप, स्कैनिंग सेंटर, आपराधिक/नागरिक रिकॉर्ड कक्ष, अधिवक्ताओं के कक्ष और दो पांच सीटों वाले, एक सात सीटों वाले और एक दस सीटों वाले शौचालय ब्लॉक।



12 कोर्ट बिल्डिंग



फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग



नया कोर्ट ब्लॉक देवबंद



मीटिंग हॉल



बाह्य कोर्ट देवबंद



ग्राम न्यायालय बेहट

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	20	15
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	13	12
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	17	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	02	02
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	01	01
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	15281	198019	213300	11373	204692	216065	11248	152921	164169	15406	249790	265196
2025	15406	249790	265196	12871	331038	343909	12366	300419	312785	15911	280409	296320

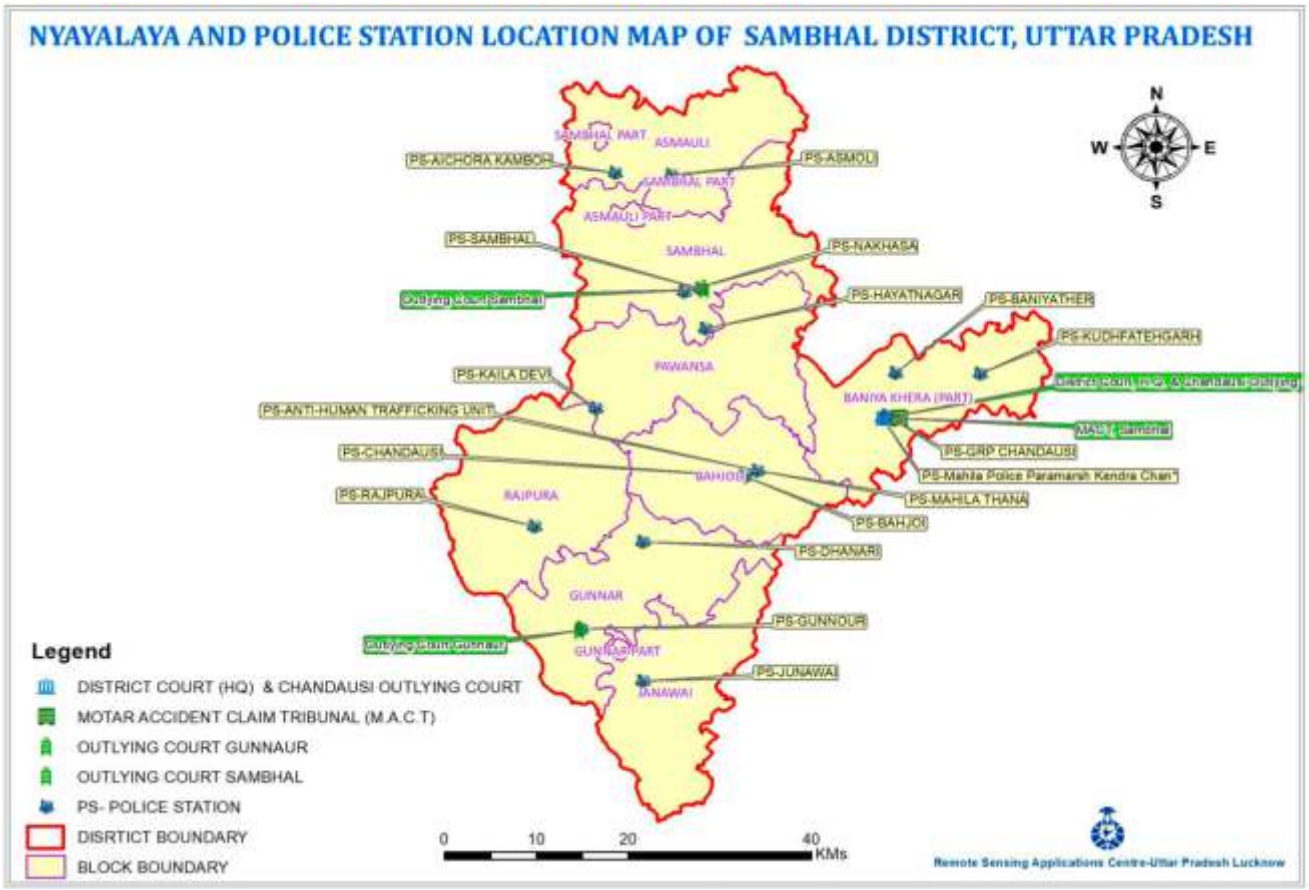
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2350	3661	6011	3054	7093	10147	2196	5510	7706	3208	5244	8452
2025	3206	4640	7846	3354	3928	7282	2815	1544	4359	3745	7024	9291

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	812	347	328	831
2025	831	355	485	701

जनपद न्यायालय संभल



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

05 सितंबर 2017 को सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि संभल जिले के लिए जिला और सत्र न्यायालय चंदौसी में स्थापित किए जाएँगे। साथ ही, संभल जिले का जिला प्रशासनिक मुख्यालय वर्तमान में चंदौसी तहसील के बहजोई कस्बे में स्थित है।

संभल में मुंसिफ न्यायालय 130 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। गुन्नौर में न्यायालय 2006 में जिला बदायूँ के बाह्य न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। संभल जिला वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया, जब मुरादाबाद जिले से संभल और चंदौसी उप–मंडलों को तथा बदायूँ जिले से गुन्नौर उप–मंडल को अलग करके इसे बनाया गया। जिले में जिला न्यायपालिका की स्थापना से पहले, संभल और चंदौसी उप–मंडल जिला बदायूँ के बाह्य न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे थे। सितंबर 2017 में U.P. सरकार की अधिसूचना के बाद, संभल जिले में जिला न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय चंदौसी में रखा गया। संभल, चंदौसी और गुन्नौर को चंदौसी स्थित संभल जिला न्यायपालिका के बाह्य न्यायालय घोषित किया गया। बाद में, माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 35/Admin (Services)/2018 दिनांकः इलाहाबादः 6 फरवरी, 2018 के माध्यम से, श्री कौटिल्य गौर को चंदौसी स्थित संभल के नव–निर्मित सत्र प्रभाग का पहला जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उच्च न्यायालय की एक अन्य अधिसूचना के द्वारा, 6 फरवरी, 2018 को उन न्यायालयों में अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई, जिन्हें U.P. सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 5 सितंबर, 2017 के माध्यम से गठित किया था।

चंदौसी, संभल जिले में स्थित एक शहर और नगर पालिका बोर्ड है। इस शहर का मूल नाम ''चाँद सी'' था, जिसका अर्थ है 'चाँद जैसा'। चंदौसी भारत में षमिनी और एसेंशियल ऑयल (सुगंधित तेल) उत्पादन क्षेत्रष का केंद्र है और यह अपने मेंथॉल तथा एसेंशियल ऑयल की फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। चंदौसी में सबसे पुराना (और उत्तरी भारत का एकमात्र) रेलवे प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। चंदौसी में कई मंदिर हैंय सीता आश्रम खेल के मैदान के पास स्थित ''बड़ा हनुमानगढ़ी'' इनमें से एक है। यह हनुमान जी का मंदिर है, जो 400 साल पुराना है। यह शहर अपने घी और

पारंपरिक गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए भी जाना जाता है।

संभल स्थानीय रूप से कल्कि मंदिर, सूरज कुंड मंदिर, मनोकामना मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और सिंहपुर तीर्थ, शाही जामा मस्जिद, चक्की का पाट और तोता–मैना की कब्र (लगभग 476 साल पुरानी) के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला मेंथॉल उत्पादन और उसके उप–उत्पादों के लिए भी मशहूर है। इसके उप–शहर सरायतरीन में सींगों से बनी हस्तशिल्प वस्तुएँ बनाई जाती हैं और विभिन्न देशों में निर्यात की जाती हैं। संभल अपने मौजूदा जिला न्यायालय मुख्यालय के लिए भी जाना जाता है, जो चंदौसी परिसर में स्थित है।

चन्दौसी परिसर में मौजूद जिला न्यायालय मुख्यालय

संभल जिला न्यायालय का मुख्यालय चंदौसी में स्थापित किया गया है, जो पहले चंदौसी के बाह्य न्यायालय का एक हिस्सा था। चंदौसी न्यायालय में पहले से ही 6 कोर्ट रूम वाली इमारत मौजूद है। चंदौसी मुख्यालय का कुल क्षेत्रफल 8225.085 वर्ग मीटर है।

वर्तमान में, संभल में जिला न्यायाधीश पद के लिए माननीय न्यायालय द्वारा 21 न्यायिक अधिकारियों के पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) शामिल हैं। चंदौसी स्थित संभल जिला न्यायालय, चंदौसी के बाह्य न्यायालय परिसर में काम कर रहा है। यहाँ 6 कोर्ट रूम वाली इमारत है, जिसमें से एक कोर्ट रूम में पारिवारिक न्यायालय संचालित हो रहा है। इसलिए, जिला न्यायालयों के सुचारू संचालन के लिए कोर्ट रूम और कार्यालयों की कमी है। न्यायिक अधिकारी मौजूदा कोर्ट रूम वाली इमारतों में ही काम कर रहे हैं, और 2 अधिकारी कार्यालय कक्षों में बैठते हैं, जिन्हें कोर्ट रूम के रूप में संशोधित किया गया है।

बाह्य न्यायालय संभल परिसर :

संभल के बाह्य न्यायालय परिसर में स्थित इमारतों की वास्तुकला शैली इंडो–कोनिकल (भारतीय–शंक्वाकार) है। संभल में मुंसिफ न्यायालय लगभग 130 वर्षों से कार्यरत है। बाह्य न्यायालय संभल में, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) कैडर के न्यायिक अधिकारियों के लिए तीन कोर्ट रूम स्थापित हैं, और न्यायिक अधिकारियों के लिए चार आवासीय क्वार्टर उपलब्ध हैं। संभल के बाह्य न्यायालय का कुल क्षेत्रफल 3521.918 वर्ग मीटर है।

बाह्य न्यायालय गुन्नौर परिसर :

गुन्नौर का बाह्य न्यायालय, गुन्नौर के SDM कार्यालय की इमारत में संचालित हो रहा है। गुन्नौर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित एक तहसील और नगर पंचायत है। नरौरा, सहसवान, चंदौसी और संभल, गुन्नौर के निकटवर्ती शहर हैं। गुन्नौर के दक्षिण में गंगा नदी बहती है। गुन्नौर तहसील, बबराला में स्थित 'टाटा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री' के लिए भी प्रसिद्ध हैय इस फैक्ट्री का अधिग्रहण अब श्यारा इंटरनेशनल ASA' (YARA) द्वारा कर लिया गया है, जो खनिज उर्वरकों का विश्व का अग्रणी आपूर्तिकर्ता है। 'श्री हरि बाबा धाम' इस तहसील के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहाँ वर्ष के विभिन्न समयों में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

अन्य भवन और सुविधाएँ :

न्यायालय परिसर में कई सहायक और सहयोगी भवन भी शामिल हैं, जैसेः कंप्यूटर कक्ष, मध्यस्थता केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, लॉक–अप और पुलिस चौकी, आपराधिक एवं दीवानी अभिलेख कक्ष, डाक रजिस्ट्री का कलैक्शन की सुविधा, संभल बार एसोसिएशन भवन, अधिवक्ता कल्याण संघ भवन और अधिवक्ताओं के कक्ष।

वर्चुअल कोर्ट, ई–सेवा केंद्र, V.C. केबिन, ई–फाइलिंग सुविधा–

चन्दौसी स्थित संभल जिला न्यायालय में एक सर्वर कक्ष उपलब्ध है जिसमें 2 सर्वर कार्यरत हैं। सर्वर कक्ष में CIS 3.2 संस्करण चल रहा है जो NJDG से जुड़ा है। केस फाइल करने के लिए WAN कनेक्शन चालू है। सभी कोर्ट रूम LAN से जुड़े हैं ताकि केसों का उचित पंजीकरण और अग्रेषण सुनिश्चित हो सके। अग्रेषण की सूचना वादियों और अधिवक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। वादियों और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए एक कियोस्क मशीन भी उपलब्ध है, जहाँ वे सुनवाई की तिथि/कारण सूची देख सकते हैं। तकनीकी कार्यों के लिए चन्दौसी और संभल में एक–एक सिस्टम सहायक और 2 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं।

चन्दौसी स्थित जिला न्यायालय के मुख्यालय में 2019 में डेस्कटॉप आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किया गया था। मुरादाबाद जेल में विचाराधीन कैदियों की रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है। 8 मई 2019 से शुरू हुआ।

सम्भल और गुन्नौर स्थित दूरस्थ न्यायालयों में, अदालत कक्षों में LAN कनेक्शन उपलब्ध है, ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जा सके। अगली तारीख की जानकारी भी वादियों और अधिवक्ताओं के साथ एसएमएस सेवा के माध्यम से साझा की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्तमान वर्चुअल कोर्ट न्यायपालिका में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। न्यायपालिका में ई–सेवा केंद्र संचालित है। अधिवक्ताओं और वादियों को आवश्यक

जानकारी प्रदान कर दी गई है। वर्चुअल कोर्ट सभी प्रकार की कार्यवाही (बयान दर्ज करना और ऑनलाइन बैठक आदि) के लिए कार्यरत है। फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि अनुभाग भी कार्यरत हैं। वर्तमान मे संभल के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद, ए.आई. उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जिला न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाह्य न्यायालय सम्भल में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। परिसर का सौंदर्यीकरण वृक्षारोपण द्वारा किया गया है। चंदौसी स्थित संभल जिला न्यायालय को बहजोई में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे जिला मुख्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिविल न्यायालय भवन के निर्माण के लिए फतेहपुर शरीफ नगर गांव में भूमि विक्रय हो चुकी है। चंदौसी तहसील के फतेहपुर शरीफ नगर गांव में संभल जिला न्यायालय के लिए एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 29.24157 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। पत्र संख्या 1813/इंफ्रा.सेल, इलाहाबाद दिनांक 16.12.2025 द्वारा फतेहपुर शरीफ नगर ग्राम, तहसील चंदौसी, संभल (बहजोई) में 29.24157 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 9,20,32,100/– रुपये (नौ करोड़ बीस लाख बत्तीस हजार एक सौ रुपये मात्र) की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसका उद्देश्य संभल जिला न्यायालय (एकीकृत न्यायालय परिसर) का मुख्यालय बनाना है।



जिला न्यायालय संभल (गेट)


चंदौसी में जिला न्यायालय संभल

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	6	4
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	10	4
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	22960	62733	85693	3077	48228	51305	3613	46514	50127	22424	64447	86871
2025	22424	64447	86871	4295	61957	66252	4565	55253	59818	22154	71151	93305

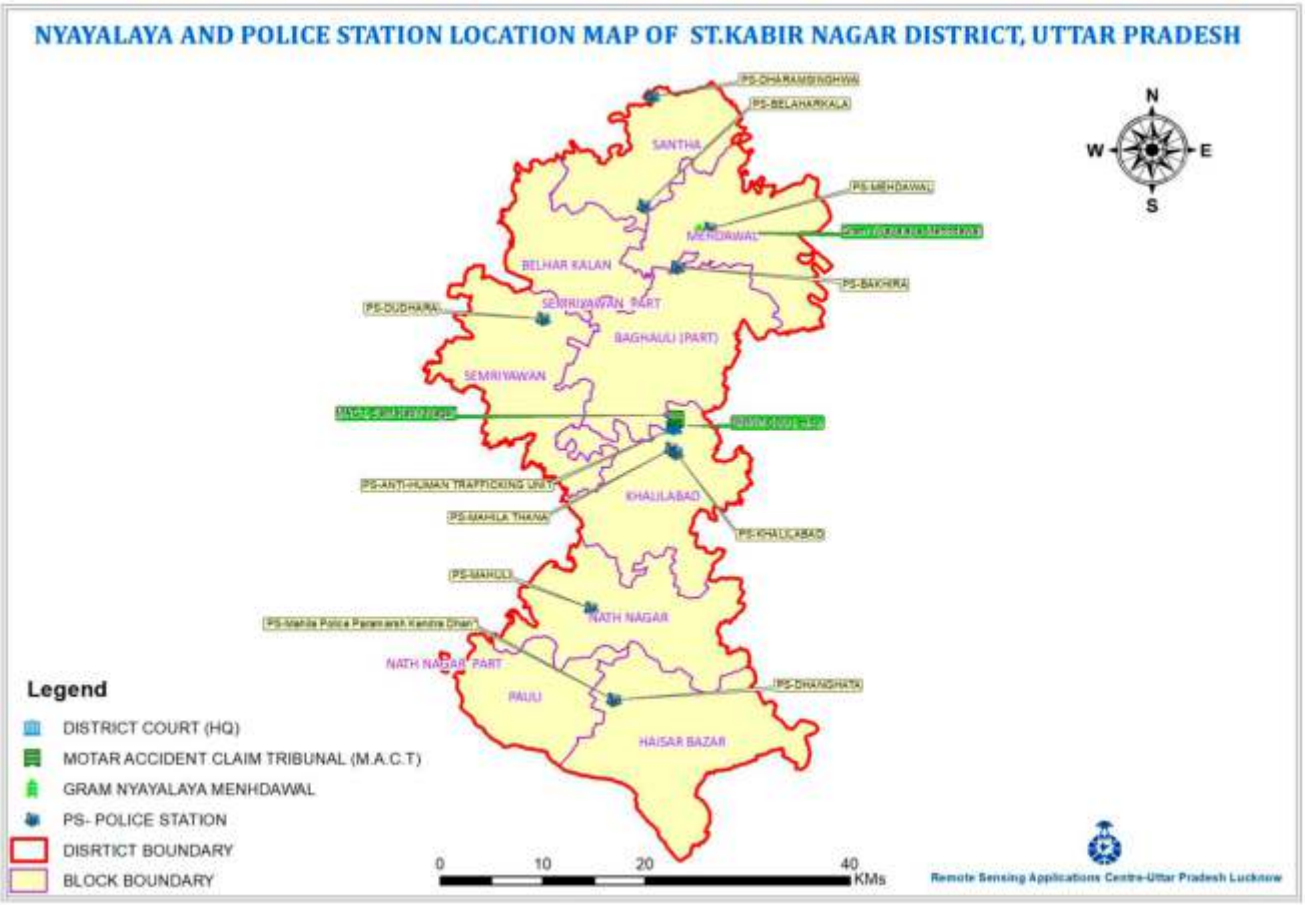
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	668	1094	1762	657	1253	1910	661	915	1576	664	1432	2096
2025	664	1432	2096	739	1356	2095	595	1028	1623	808	1760	2568

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	914	454	577	791
2025	791	586	612	765

जनपद न्यायालय संत कबीर नगर



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

संत कबीर नगर का न्यायालय उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत नया न्यायालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में शासनादेश संख्या 2166/VII/Nyay/2–98–34 दिनांक 25.06.1998 के द्वारा की गई थी, जिसे बस्ती न्यायालय के कुछ भाग तथा आंशिक रूप से सिद्धार्थनगर न्यायालय से पृथक करके गठित किया गया। जिले का नाम संत कबीर दास के नाम पर रखा गया है, जिनकी मजार और समाधि मगहर में स्थित है, जो जिला मुख्यालय खलीलाबाद से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। खलीलाबाद, जो पहले बस्ती जिले का एक तहसील मुख्यालय था, को जिला मुख्यालय घोषित किया गया और बाद में न्यायिक अधिष्ठान संत कबीर नगर का मुख्यालय भी बना। न्यायालय की भौगोलिक सीमाएँ पूर्व में गोरखपुर, पश्चिम में बस्ती, उत्तर में सिद्धार्थनगर और दक्षिण में

अंबेडकर नगर से लगती हैं।

प्रारंभ में शासन की अधिसूचना दिनांक 20.02.2007 द्वारा पाँच न्यायालय स्वीकृत किए गए, अर्थात् जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल जज (प्रवर खण्ड), मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिविल जज (अवर खण्ड) और न्यायिक दण्डाधिकारी। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2008 को की गई। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बस्ती और गोरखपुर न्यायालयों से स्थानांतरित कर दिनांक 23.01.2008 को कार्यभार ग्रहण कराया गया। उसी दिन संत कबीर नगर न्यायालय का विधिवत उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री शिव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, द्वारा किया गया और न्यायालय दिनांक 23.01.2008 से अस्तित्व में आया। बस्ती से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.01.2008 से न्यायिक कार्य प्रारंभ हुआ।

प्रारंभ में समस्त न्यायालय खलीलाबाद स्थित तहसील परिसर में जिला प्रशासन और बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में संचालित था। दिनांक 29.04.2017 को नए न्यायालय भवन के उद्घाटन के पश्चात दिनांक 01.05.2017 से सभी न्यायालय नए न्यायालय भवन में कार्य करने लगे।

वर्तमान न्यायालय परिसर का इतिहास

संत कबीर नगर में जिला न्यायालय परिसर की स्थापना के लिए जिला चिकित्सालय के निकट 30 एकड़ भूमि अर्जित की गई। न्यायालय परिसर में दो परस्पर जुड़े हुए खंड हैं, जिनमें क्रमशः पाँच और छः न्यायालय कक्ष हैं। पाँच न्यायालय वाले खंड की आधारशिला दिनांक 26.05.2012 को माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.के. उपाध्याय, तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, द्वारा रखी गई। छः न्यायालय वाले खंड की आधारशिला दिनांक 13.01.2013 को माननीय न्यायमूर्ति श्री शिवकीर्ति सिंह, तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, द्वारा रखी गई। न्यायालय परिसर के निर्माण में कुल रुपये 3655.03 लाख व्यय हुए। निर्मित भवन का उद्घाटन दिनांक 29.04.2017 को माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. शुक्ला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीशों की उपस्थिति में किया गया।

न्यायालय भवन एवं अवसंरचना का अवलोकन

दस कक्षीय न्यायालय भवन (निर्माणाधीन)

जिला न्यायालय परिसर में वर्तमान में एक दस न्यायालय कक्षों वाला भूतल. 3 भवन निर्माणाधीन है। पूर्ण होने पर यह आधुनिक न्यायालय कक्षों के साथ–साथ अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कमरे और न्यायालय का कार्यालय उपलब्ध कराएगा, जिससे न्यायिक अवसंरचना सुदृढ़ होगी और कार्य दशाओं में सुधार होगा।

परिवार न्यायालय भवन (निर्माणाधीन)

न्यायालय परिसर में एक पृथक भूतल. 2 परिवार न्यायालय भवन भी निर्माणाधीन है। इस भवन में चार न्यायालय कक्षों के साथ–साथ विश्राम कक्ष, न्यायालय का कार्यालय, अभिलेखागार कक्ष और पारिवारिक विवाद समाधान को सुगम बनाने हेतु एक परामर्श कक्ष भी होगा।

अन्य भवन एवं सुविधाएँ

न्यायालय परिसर में सहायक अवसंरचना भी सम्मिलित हैं, जैसे कि एडीआर भवन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, लॉक–अप, पुलिस चौकी, लिटिगेंट शेड, विटनेस शेड और अन्य आवश्यक सुविधाएँ।

ग्राम न्यायालय

तहसील में हदावल में ग्राम न्यायालय क्रियाशील है और बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त भवन में संचालित होता है, जिससे धरातल स्तर पर न्याय की पहुँच सुनिश्चित होती है।



मुख्य न्यायालय (मौजूदा 11 कोर्टरूम वाली इमारत)



निर्माणाधीन 10 कोर्टरूम वाली इमारत



निर्माणाधीन पारिवारिक न्यायालय भवन



ग्राम न्यायालय बेहट

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	9	4
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	3
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	7	7
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	10275	1461	1144	60447	26865	18560	70722	28326	19704	10592	68752	79344
2025	10592	1720	1710	68752	24668	25624	79344	26388	27334	10602	67796	78398

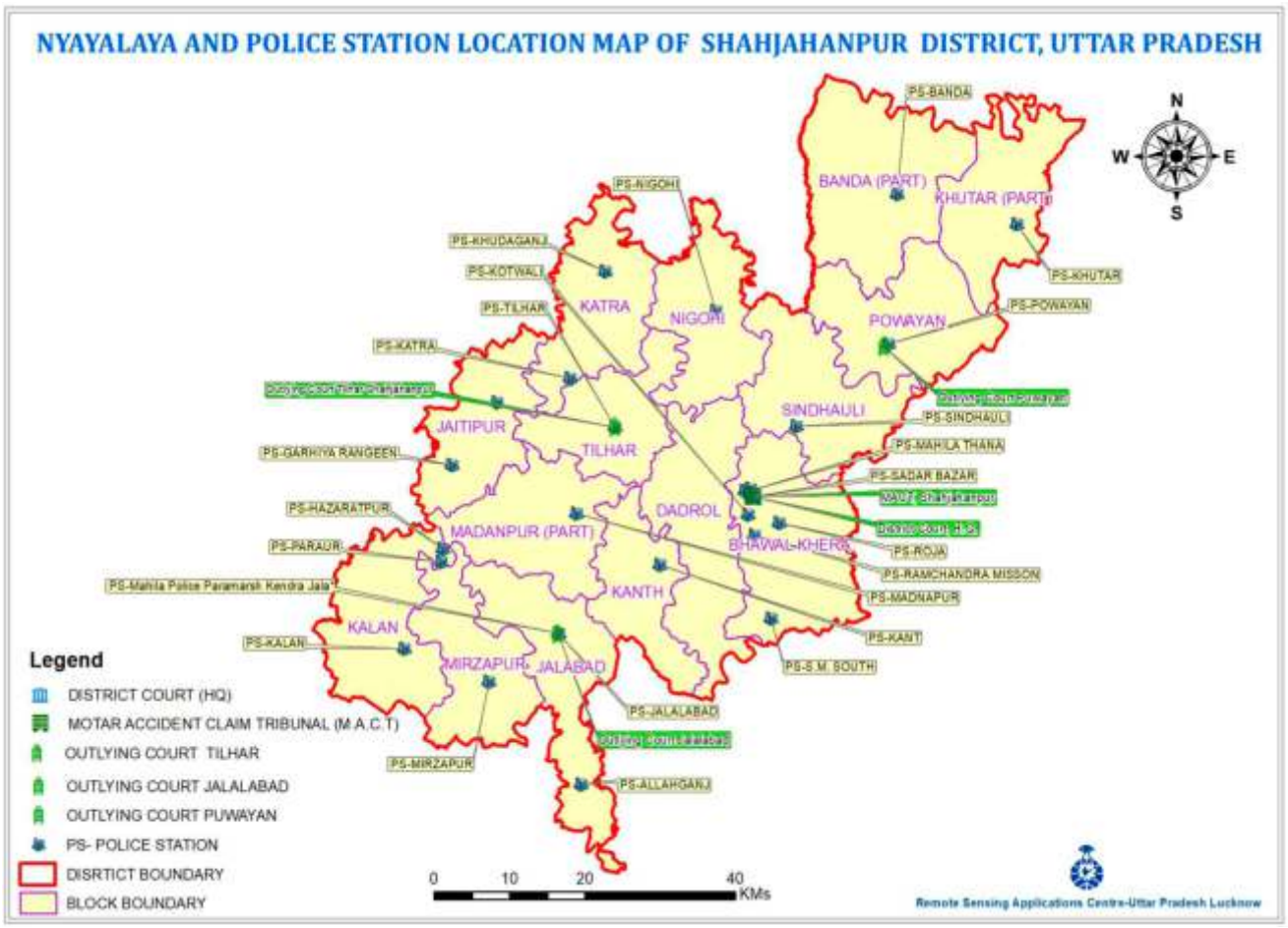
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1080	1184	2264	730	525	1255	348	536	884	1462	1173	2635
2025	1462	1173	2635	758	436	1195	644	459	1103	1576	1150	2726

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	416	257	259	414
2025	414	314	229	499

जनपद न्यायालय शाहजहांपुर



जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

शाहजहांपुर का मौजूदा इलाका उत्तरी पांचाल राज का एक खुशहाल हिस्सा था और तब बना, जब दो भाइयों बहादुर खान और दिलेर खान ने उस समय के बादशाह शाहजहां को खुश करने के लिए इसे शाहजहांपुर नाम दिया। ब्रिटिश राज आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1801 में इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे बरेली जिले का हिस्सा बना दिया। इसे ब्रिटिश सरकार ने साल 1813 में एक सही जिले के तौर पर बनाया था। 15 मार्च, 1931 को उस समय के कलेक्टर आर.सी. हावर्थ ने कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया था। 1840 में, इंसाफ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज और 3 मुंसिफ नियुक्त किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की "म्यूटिनी नैरेटिव्स" में चर्च के पास कचहरी के बारे में बताया गया है, जिसके गेट के पास क्रांतिकारियों ने क्लर्क स्मिथ की हत्या कर दी थी।

मौजूदा न्यायालय परिसर

शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शहर के बीच में, गाटा नंबर 1735/1.65 Hec. (पुराना कैंपस) और 1734/0.543 Hec. (नया खरीदा हुआ PWD गेस्ट हाउस) पर है। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बढ़ाने के लिए, पास की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन बिल्डिंग को हाल ही में खरीदा गया है।

कोर्ट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरव्यू

विरासत / पुरानी इमारत

शाहजहांपुर में हेरिटेज / पुरानी इमारत कोर्ट भवन का निर्माण वर्ष 1885 में किया गया था। इस सिविल कोर्ट भवन का वास्तुकार रोमन कैथोलिक शैली पर आधारित है, जिसमें मेहराबदार बरामदे, प्रकाश के लिए कांच की खिड़कियों के साथ ऊंची छतें, हवा और प्रकाश के लिए बड़े दरवाजे तथा ऊंची दीवारें, वेंटिलेटर के साथ लंबी और मोटी दीवारें हैं, जिनमें सौंदर्यपूर्ण नक्काशी, मेहराब और डिजाइन हैं।

12 कोर्टरूम बिल्डिंग :

उक्त 12 कोर्टरूम बिल्डिंग एक G+2 संरचना है, जिसका निर्माण वर्ष 1982 में किया गया था। इस बिल्डिंग में वर्तमान में 12 पूरी तरह कार्यात्मक कोर्टरूम हैं, साथ ही संबद्ध सुविधाएं जैसे कि पीठासीन अधिकारी, चैंबर, स्टेनोग्राफर रूम आदि GF और FF पर चालू हैं, जबकि SF में पुस्तकालय और विभिन्न कोर्ट कार्यालय हैं।

छह कोर्टरूम बिल्डिंग

इस सिंगल फ्लोर बिल्डिंग में 5 पुराने कोर्टरूम के साथ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए एक कंबाइंड चैंबर और दो कोर्ट ऑफिस हैं। इसके अलावा, इस बिल्डिंग का एक कमरा CCTV कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट इसी पुरानी कोर्ट बिल्डिंग में काम कर रहे हैं।

सीजेएम कॉम्प्लेक्स :

CJM कॉम्प्लेक्स एक पुरानी इमारत है, जिसे 1974 में बनाया गया था और साल 2018 में इसकी मरम्मत की गई थी। इस बिल्डिंग में अभी चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और तीन एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हैं, साथ ही उनके चैंबर और स्टेनो रूम भी हैं।

एफटीसी बिल्डिंग :

05 कोर्टरूम्स FTC बिल्डिंग एक G+1 स्ट्रक्चर है, जिसे साल 2002 में बनाया गया था। इस बिल्डिंग में अभी 05 पूरी तरह काम करने वाले कोर्टरूम हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारियों, चौंबर्स और सपोर्टिंग ऑफिस रूम जैसी दूसरी सुविधाएं भी हैं।

नया PWD गेस्ट हाउस परिसर :

शाहजहांपुर जिला न्यायालय के विस्तार हेतु वर्तमान जिला न्यायालय परिसर से सटे लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का सम्पूर्ण 5430 वर्गमीटर क्षेत्र दिनांक 05.03.2025 को शाहजहांपुर जिला न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

अन्य इमारतें और सुविधाएँ :

कोर्ट कैंपस में कई सहायक और सपोर्ट बिल्डिंग भी हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर, ADR सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लॉक–अप, शाहजहांपुर बार एसोसिएशन बिल्डिंग और एडवोकेट्स चैंबर। इसके अलावा, पिंक टॉयलेट एवं पब्लिक टॉयलेट बिल्डिंग भी हैं।

बाह्य न्यायालय :

न्याय तक आसान पहुँच के लिए, जिले की 4 में से 3 तहसीलों में सिविल जज (JD) कैडर के आउटलाइनिंग कोर्ट हैं। तिलहर का आउटलाइनिंग कोर्ट 2 अक्टूबर 1986 को, पवायन का 17 जुलाई 2002 को और जलालाबाद का 27 जुलाई 2012 को बनाया गया था।



मुख्य द्वार शाहजहाँपुर



विरासत–पुराना–2 शाहजहाँपुर



विरासत–पुराना–1 शाहजहाँपुर



12 न्यायालय कक्ष शाहजहाँपुर

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	18	16
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	8	8
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	20	18
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	2
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	12035	119462	131497	3083	163106	166189	3224	146601	149825	11894	135967	147861
2025	11894	135967	147861	3527	78449	81976	3727	68240	71967	11694	146176	157870

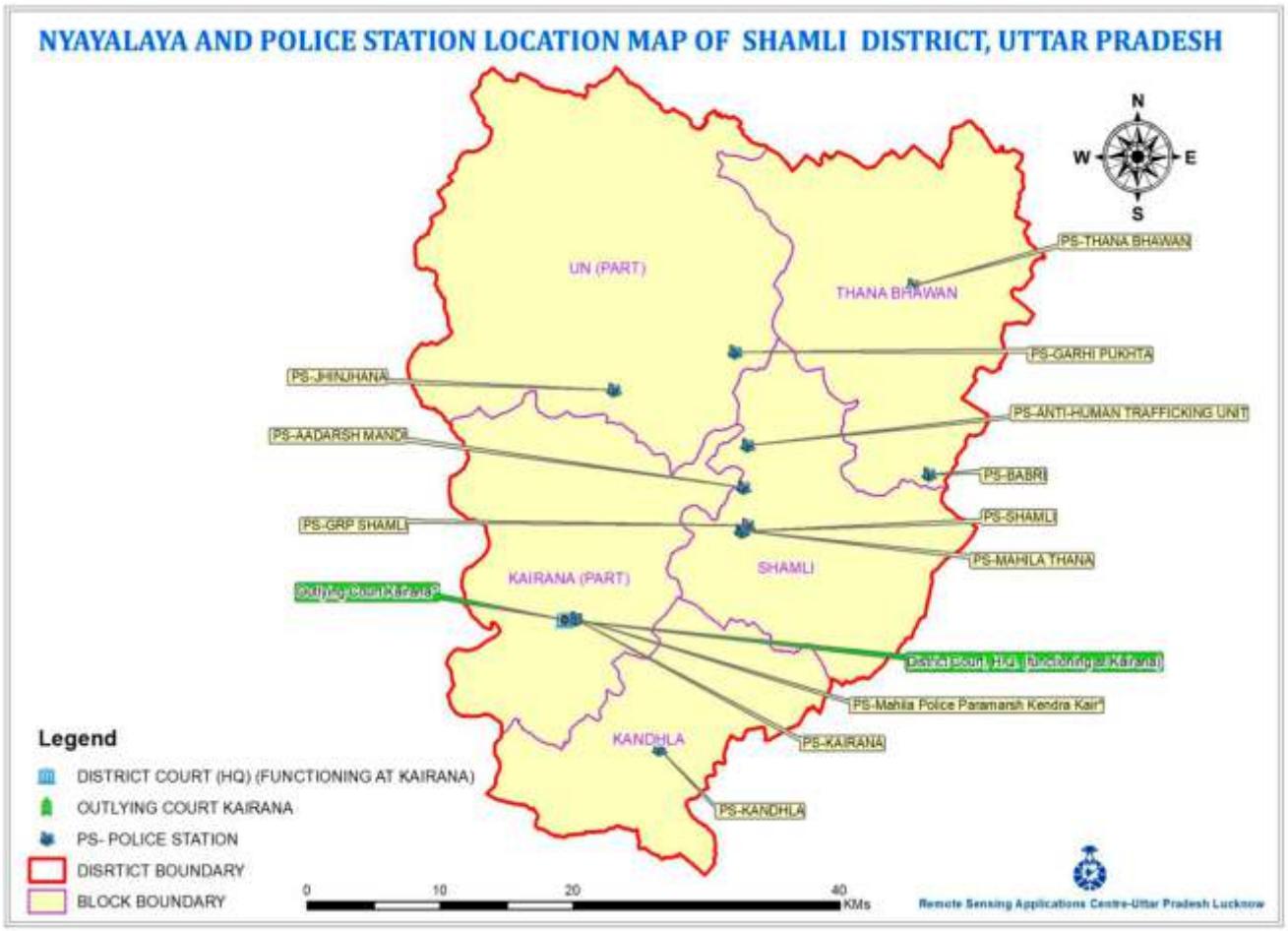
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2285	2481	4766	2153	1889	4042	2405	1813	4218	2033	2557	4590
2025	2033	2557	4590	2121	2515	4636	1965	2236	4201	2189	2836	5025

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	3414	1604	1026	3992
2025	3992	1663	1013	4642

जनपद न्यायालय शामली



शामली, जिसे पहले 'प्रबुद्ध नगर' जिले के नाम से जाना जाता था, 28 सितंबर, 2011 को मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके बनाया गया था। 2012 में इसका नाम बदलकर 'शामली' जिला कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से इसे ''श्यामवली'' और 'श्यामा नगरी' के नाम से जाना जाता था। इससे पहले, यह मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आता था और मुजफ्फरनगर जिले की एक जानी–मानी तहसील थी। शामली दिल्ली–सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709B, मेरठ–करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 709। और पानीपत–खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 709 AD पर स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आता है। इसमें तीन तहसीलें हैं : शामली, कैराना और ऊन। इस स्थान का पौराणिक महत्व भी है। यह सर्वविदित है कि शामली वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को टालने के लिए शांति–समझौते के अपने अंतिम प्रयास पर जाते समय एक रात विश्राम किया था। भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, मराठा योद्धाओं ने इसे एक छावनी (Cantonment) क्षेत्र के रूप में विकसित किया था और बाद में इसे एक सैन्य–अड्डे (Garrison) के रूप में इस्तेमाल कियाय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से छिपने के लिए इसे सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता था। शामली 'हनुमान टीला' के लिए प्रसिद्ध है, जो महाभारत काल के महान योद्धा 'भीम' द्वारा निर्मित एक मंदिर है। शामली चीनी और गुड़ के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। शामली की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, जिसने इस स्थान को समृद्ध और विकसित बनाया है।

जिला न्यायालय, शामली स्थित कैराना की स्थापना और उसका गठन

1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्पन्न उथल–पुथल से भयभीत होकर, 1887 में ब्रिटिश शासन के अधीन 'संयुक्त

प्रांत' (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के गवर्नर ने शामली तहसील को कैराना स्थानांतरित कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैराना महाभारत काल के राजा 'कर्ण' की राजधानी थी। दो वर्ष बाद, 1889 में, शामली के मुंसिफ न्यायालय को भी कैराना स्थानांतरित कर दिया गया। कैराना उन चार मुंसिफ अदालतों में से एक थी, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत (पूर्ववर्ती यूनाइटेड प्रोविंस) की सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। पुरानी तहसील कैराना और तहसील बुढ़ाना के परगना कांधला को मुंसिफ कैराना के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था, जो उस समय सहारनपुर जिले के अंतर्गत आता था। पहले, मुंसिफ कैराना का अधिकार क्षेत्र केवल दीवानी (सिविल) मामलों तक ही सीमित था। मामलों की बढ़ती संख्या (पेंडेंसी) को देखते हुए, समय–समय पर अस्थायी आधार पर कैराना में अतिरिक्त मुंसिफ की अदालत स्थापित की जाती रही। वर्ष 1975 के आसपास, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कैराना में अतिरिक्त मुंसिफ की अदालत को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया। इस अदालत की आधारशिला 9 मार्च, 1978 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हृदयनाथ सेठ द्वारा रखी गई थी। बाद में, 6 मई, 1991 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और 4 जनवरी, 1993 को सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) की अदालत कैराना में स्थापित की गई। इसके बाद, 1 नवंबर, 2001 को यहाँ दो श्फास्ट ट्रैक कोर्टश भी स्थापित किए गए, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों द्वारा की जाती थी। 2 अप्रैल, 2011 को कैराना में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की एक नियमित अदालत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान द्वारा किया गया।

10 अगस्त, 2018 को, कैराना स्थित जिला न्यायालय शामली ने एक पृथक 'सत्र प्रभाग' (Sessions Division) के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व, कैराना, जिला न्यायालय मुजफ्फरनगर की एक 'बाह्य अदालत' (Outlying Court) के रूप में कार्य करता था, जिसमें कुल छह अदालतें शामिल थीं।

अदालत का बुनियादी ढाँचा

वर्तमान में, जिला न्यायालय शामली, कैराना में कार्यरत है। इसका परिसर ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित किया गया था, जिसमें अदालतों के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालतों के साथ ही संलग्न 'रिटायरिंग रूम' (विश्राम कक्ष) की व्यवस्था भी की गई है। अदालती मामलों की 'वर्चुअल सुनवाई' (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) हेतु एक 'V.C. कक्ष' (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष) भी स्थापित किया गया है। सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अदालत परिसर में विभिन्न स्थानों पर ब्ज्ट कैमरे भी लगाए गए हैं। कैंपस में जलभराव से बचने के लिए एक जल संचयन प्रणाली (Water harvesting system) भी बनाई गई है। कैंपस को पेड़–पौधे लगाकर सुंदर बनाया गया है। कैंपस में वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मुख्यालय शामली में एक नई जिला न्यायालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा हैय इसके लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है और उसके चारों ओर चारदीवारी बना दी गई है।

राजस्व न्यायालयों का योगदान

वर्तमान में, जिला शामली में कुल आठ राजस्व न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों के न्यायालय शामिल हैं। ये राजस्व न्यायालय उन मामलों का निपटारा करते हैं जो 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006' और 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950' से संबंधित हैं। 'राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली' (Revenue Courts Computerised Management System) NIC, उत्तर प्रदेश राज्य इकाई द्वारा विकसित एक वेबसाइट है, जिसका उपयोग राजस्व न्यायालयों के दैनिक कामकाज के लिए किया जाता है।

विशिष्ट व्यक्तित्व

माननीय न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान, जो शामली जिले के जसाला गाँव के मूल निवासी हैं, मई 2009 से जुलाई 2014 तक भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। उन्हें 5 अप्रैल, 1995 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और भारत के विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष भी रहे। इससे पहले, उन्होंने जुलाई 2008 से मई 2009 तक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

माननीय न्यायमूर्ति महावीर सिंह, जो शामली जिले के ऐलम गाँव के मूल निवासी हैं, को 17 नवंबर, 1977 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 14 सितंबर, 1982 तक न्यायाधीश के पद पर रहे।



जिला न्यायाधीश न्यायालय भवन



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय भवन



अधीक्षक न्यायाधीश (पीओसीएसओ) का न्यायालय



अधीक्षक एससी एसटी शामली का न्यायालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	6	4
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	4
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	6	5
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	0	0
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

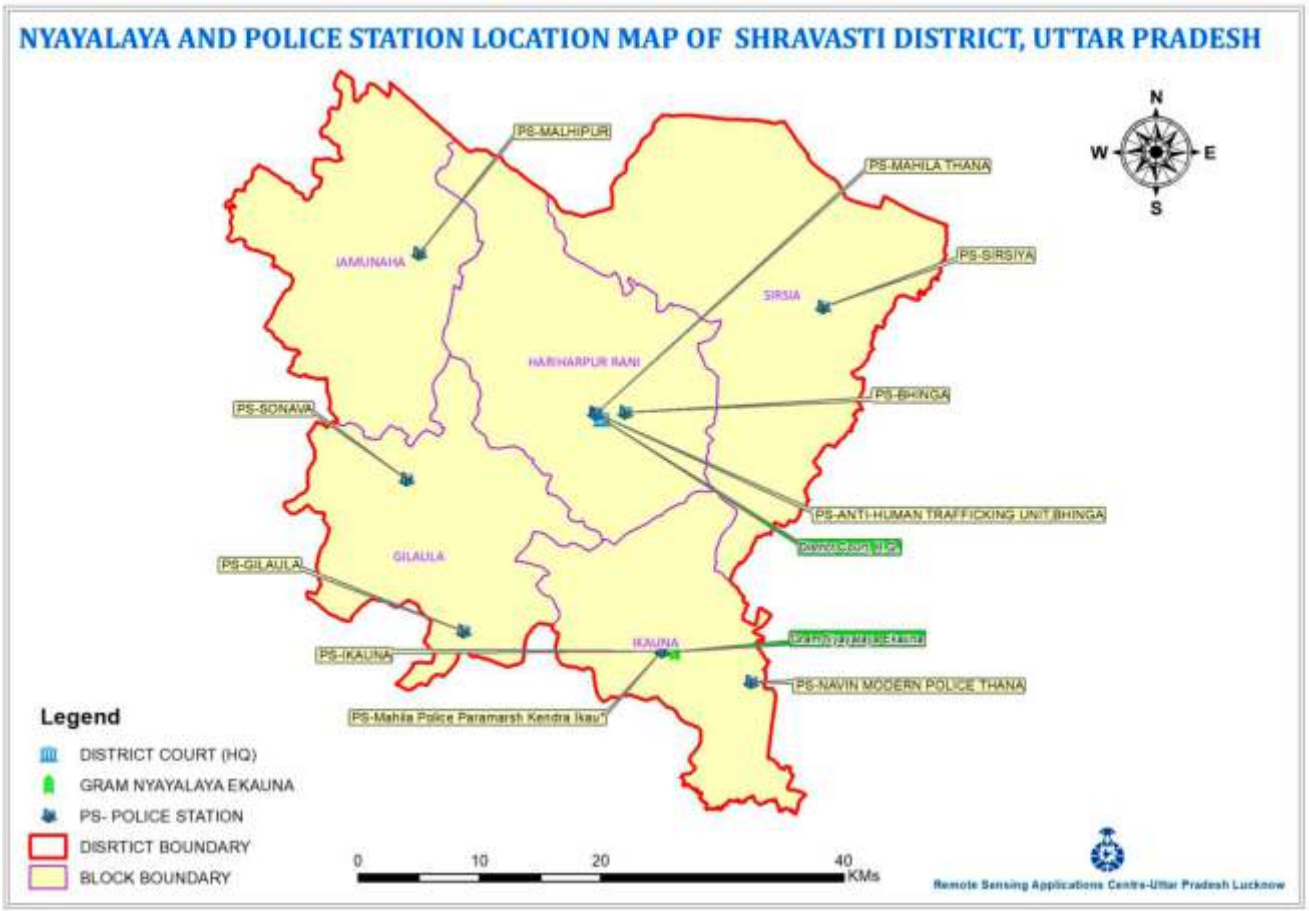
जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	4422	53514	57936	1189	27481	28670	908	26967	27875	4703	54028	58731
2025	4703	54028	58731	1546	36085	37631	1417	33860	35277	4832	56253	61085

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	668	746	1414	668	683	1351	723	561	1284	613	868	1481
2025	613	868	1481	692	727	1419	617	534	1151	688	1061	1749

जनपद न्यायालय श्रावस्ती (भिन्गा)



जनपद न्यायालय श्रावस्ती का संक्षिप्त इतिहास

जनपद न्यायालय श्रावस्ती की स्थापना शासनादेश संख्या 4661/सात–न्याय–2–97–114 जी दिनांकित 19 दिसंबर 1997 के अनुक्रम में की गई थी। जनपद न्यायालय श्रावस्ती में न्यायिक कार्य दिनांक 22 मार्च 1999 से प्रारंभ हुआ। स्थापना के समय, इस जजशिप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (प्र०ख०), सिविल जज (अ०ख०), और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय क्रियाशील हुए थे। इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 883/सात–न्याय–2–2013–58जी–2001 दिनांक 23 मई 2013 के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का गठन किया गया। तहसील स्तर पर न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 6/2016/53/सात–न्याय–2– 2016–216जी/2017 दिनांकित 16 फरवरी 2017 के माध्यम से तहसील इकौना में एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में, 01 जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, 06 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, 04 सिविल जज (प्र०ख०) संवर्ग के न्यायालय और 05 सिविल जज (अ०ख०) संवर्ग के न्यायालय (जिसमें न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय इकौना, श्रावस्ती का न्यायालय भी शामिल है) सृजित हैं।

न्यायिक अधिष्ठान के प्रारंभिक चरण में दिनांक 28 फरवरी 1998 से दिनांक 22 मार्च 1999 तक, श्री मुनीन्द्र कुमार मित्तल विशेष कार्याधिकारी/जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती के रूप में कार्यरत रहें। इसके बाद, उन्होंने 22 मार्च 1999 से 25 अप्रैल 1999 तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक कार्य संपादित किया। वर्तमान में, इस जजशिप का कुशल नेतृत्व श्री राकेश धर दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा किया जा रहा है।

अपने प्रारंभिक वर्षों में, जनपद न्यायालय,श्रावस्ती किराए के भवन और जिला प्रशासन द्वारा तहसील परिसर में द्वारा आवंटित न्यायालय कक्षों में संचालित होता था। दिनांक 13 मई 2022 से जनपद न्यायालय श्रावस्ती,16 कक्षीय न्यायालय भवन में संचालित है।

मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर

जनपद न्यायालय श्रावस्ती परिसर लगभग 42 एकड़ भूमि में स्थापित हुआ है। न्यायालय परिसर के मुख्य भवन में 16 न्यायालय कक्ष हैं, जिनका निर्माण दो चरणों में किया गया। प्रथम चरण में 10 कक्षीय भवन का निर्माण किया गया। जिसके उपरान्त इसके प्रथम तल पर 06 अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण किया गया। इस भवन में न्यायालय कक्ष, प्रशासनिक एवं अन्य अनुभाग हेतु कक्ष निर्मित है। भवन के कारीडोर में प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में वादकारियों हेतु बेंच स्थापित की गयी है। न्यायालय भवन का आर्किटेक्चरल डिजाइन काम करने की सुविधा और देखने में सुंदरता का एक अच्छा संगम है, जो इस संस्था की गरिमा को प्रदर्शित करता है।

न्यायालय परिसर में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए,बैंक, ए०टी०एम०, पोस्ट ऑफिस भवन और कैंटीन निर्मित है जो वर्तमान में संचालित है, जिससे अधिवक्तागणों एवं वादकारियों को सुविधा मिलती है। अवस्थापना सुविधाओं में विस्तार हेतु परिवार न्यायालय भवन और अधिवक्तागणों हेतु चैंबर का निर्माण किया जा रहा है।

न्यायालय परिसर में आधुनिक तकनीकी को अपनाते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष संचालित है। यह कक्ष जिला कारागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा कारागार में निरूद्ध बंदियो की न्यायालय में पेशी/सुनवाई व सुरक्षा के दृष्टिगत में सहायक होता है।

न्यायालय परिसर में विधि पुस्तको एवं जर्नल से सुसज्जित लाइब्रेरी भी है, जो न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण के लिए न्यायिक कार्य के संपादन में सहायक है।

जनपद न्यायालय परिसर, श्रावस्ती में एक ई–सेवा केंद्र बनाया है, जो वादकारियों एवं अधिवक्तागणों को कई प्रकार की डिजिटल सेवाएँ देता है। मुख्य न्यायालय भवन में स्थापित अभिलेखागार, निस्तारित किए गये मुकदमों की पत्रावलियों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराता है, जिससे न्यायिक कार्य त्वरित गति से निस्तारित हो पाता है। न्यायालय परिसर में वादकारियों एवं अधिवक्तागणों को अपने वाहन सुरक्षित खड़ा करने के लिए वाहन पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

परिवार न्यायालय भवन

परिवार न्यायालय के संचालन हेतु परिवार न्यायालय भवन निर्माणाधीन है। जिसमें भूतल पर स्टिल्ट फ्लोर तथा प्रथम व द्वितीय तल पर न्यायालय कक्ष एवं अन्य कक्ष निर्मित किए गये है। इस भवन में 04न्यायालय कक्ष होंगे इसके अतिरिक्त काउंसलिंग रूम, एक क्रेच (बच्चों की देखभाल की जगह), मीटिंग हॉल और रिकॉर्ड रूम शामिल होंगे। निर्माण कार्य, भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन के अनुरूप किया जा रहा है,जिसमें सभी के लिए सुगमता सुनिश्चित करने हेतु रैंप एवं लिफ्ट लगाने के प्रावधान भी शामिल हैं।

पारिवारिक न्यायालय भवन के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 242–2021–1085 सात–न्याय–9 (बजट)–2021–800 (46) दिनांकित 24.08.2021 के माध्यम से दी गयी जिसकी लागत 1,670.16 लाख रुपये है। इस निर्माण कार्य को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, बहराइच द्वारा किया जा रहा है।

अधिवक्तागण हेतु 144 नग चेंबर का निर्माण

जनपद न्यायालय, श्रावस्ती के अधिवक्तागणों के लिए 'बार बिल्डिंग' का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। यह एक 04 मंजिला भवन है जिसमें अधिवक्तागणों के लिए कुल 144 चैंबर बनाए जा रहे हैं। ये चैंबर खुले एवं हवादार हैं तथा इनमें पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आ सके इसका भी ध्यान रखा गया है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए इनमें चौड़े गलियारे भी बनाए गए हैं। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। भवन के अंदर आवागमन को सुगम्य बनाने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई हैं।

144 नग अधिवक्ता चेंबर के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 366/2021/1487/सात–न्याय –9 (बजट)/2021–800(38) दिनांकित 03.12.2021, के माध्यम से दी गयी जिसकी लागत 1,941.23 लाख रुपये है। इस निर्माण कार्य को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, बहराइच द्वारा किया जा रहा है।

ग्राम न्यायालय

वर्तमान समय में ग्राम न्यायालय इकौना श्रावस्ती का संचालन जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में किया जा रहा है।



16 कोर्ट रूम बिल्डिंग



जजों के चौंबर तक जाने वाला गलियारा



पारिवारिक न्यायालय भवन (निर्माणाधीन)



वकील चौंबर भवन (निर्माणाधीन)

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	7	5
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	4	3
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	5	2
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	0	0
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

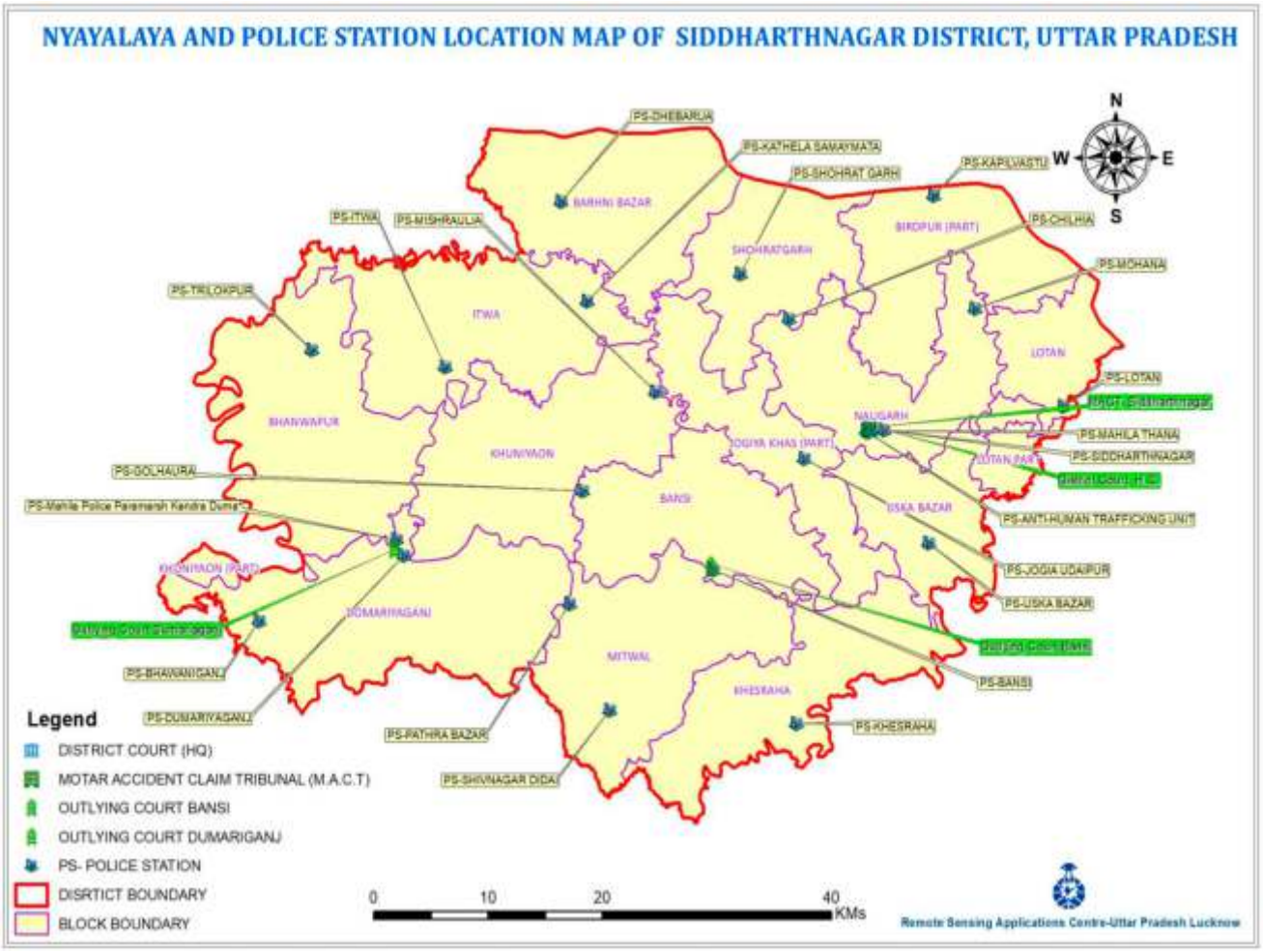
जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	7576	35675	43251	3920	26690	30610	4640	30845	35485	6856	31520	38376
2025	6856	31520	38376	1690	38944	40634	1528	37607	39135	7018	32857	39875

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	682	860	1542	587	651	1238	563	527	1090	706	984	1690
2025	706	984	1690	514	556	1070	394	433	827	826	1107	1933

जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर



जिला सिद्धार्थनगर न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास

आजादी से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर का अधिकार क्षेत्र मुंसिफी, बांसी तक था। बाद में 1866 में बस्ती एक अलग जनपद/सेशंस डिवीजन बना। सिद्धार्थनगर जिला बनने से पहले, बांसी में 01 मुंसिफ न्यायालय, 01 अपर मुंसिफ प्रथम न्यायालय और 01 अपर मुंसिफ–द्वितीय के न्यायालय क्रियाशील थे तथा 01 मुंसिफ न्यायालय व 01 अपर मुंसिफ न्यायालय नौगढ़ में क्रियाशील थे। वर्तमान में नौगढ़ ही जनपद सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है। साल 1989 में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जनपद एवं सत्र न्यायालय, सिद्धार्थनगर सृजित हुआ। वर्तमान में सिद्धार्थनगर में सदर, शोहरतगढ़, इटवा, बांसी और डुमरियागंज नाम की कुल 05 तहसीलें हैं। बाह्य न्यायालय, डुमरियागंज में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय दिनांक 28.01.2008 को अस्तित्व में आया।

30 मार्च, 1990 को जनपद सिद्धार्थनगर की न्यायाधीशता, मुंसिफ न्यायालय परिसर, नौगढ़ में शुरू हुई। मजिस्ट्रेट और सिविल जज (जू.डि.) के न्यायालय उसका रोड पर एक किराये के भवन में स्थापित किया गया। उसके बाद, सरकार ने न्यायालय भवन व न्यायालय कक्ष बनाने के लिए कुल 17.7 एकड़ जमीन जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर को अधिकृत/नामित किया। वर्तमान में मुख्यालय पर कुल 13 न्यायालय, बाह्य न्यायालय, बांसी में 03 न्यायालय तथा बाह्य न्यायालय, डुमरियागंज में 01 न्यायालय है। मुख्यालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए अलग भवन (ए.डी.आर.) और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी निर्मित है।

जनपद न्यायालय में सिविल और क्रिमिनल अभिलेखागार, मुख्यालय भवन के बेसमेंट में स्थित है। इनमें साल 1991 से निपटाई गई फाइलों का रिकॉर्ड रखा गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि

सिद्धार्थनगर कोर्ट नया बना है, इस वजह से कोर्ट में ऐतिहासिक महत्व का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

जनपद न्यायालय भवन

इस जनपद की न्यायाधीशता ने 30 मार्च, 1990 को नौगढ़ में मुंसिफ कोर्ट के परिसर में अपना काम शुरू किया। मजिस्ट्रेट और सिविल जज की कोर्ट उसका रोड पर एक किराये की बिल्डिंग में बनाई गई थीं। इसके बाद, सरकार ने न्यायालय भवन व न्यायालय कक्ष बनाने के लिए कुल 17.7 एकड़ जमीन जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर को अधिकृत/नामित किया। जिस पर 4 फेज में 33 कोर्टरूम बनाने थे। पहले फेज में 11 कोर्टरूम, दूसरे फेज में 2 कोर्टरूम, तीसरे फेज में 16 कोर्टरूम और चौथे फेज में 4 फैमिली कोर्ट बनने थे। वर्तमान में जनपद न्यायालय 4 भवनों में स्थापित है।

परिसर में बने भवनों में अलग–अलग हिस्सों तक आसानी से जाने के लिए पर्याप्त रास्ते, गैलरी और सीढ़ियां हैं। मुख्यालय परिसर में पार्किंग की काफी जगह है।

निर्माणाधीन 16 कक्षीय न्यायालय भवन

जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर के मुख्यालय परिसर में 16 कक्षीय न्यायालय भवन का निर्माण कार्य अंतिम स्तर पर है। जिस G+2 बिल्डिंग में 16 आधुनिक न्यायालय कक्षों के साथ अधिकारीगण के चौंबर, स्टेनोग्राफर्स कक्ष और न्यायालयों के कार्यालय जैसी अन्य सुविधाएं हैं। इस भवन में एयर कंडीशनर, डेटा नेटवर्किंग, कॉन्फ्रेंस सिस्टम, सोलर सिस्टम, CCTV कैमरा इत्यादि के प्राविधान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आगणन प्रेषित किया गया है।

निर्माणाधीन 04 कक्षीय परिवार न्यायालय भवन

मुख्यालय परिसर में 04 कक्षीय परिवार न्यायालय भवन का निर्माण कार्य अंतिम स्तर पर है। इस नई बनी G+2 भवन में भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था है, प्रथम व द्वितीय तल पर कुल 04 आधुनिक न्यायालय के साथ–साथ अधिकारीगण का चैंबर, स्टेनोग्राफर्स कक्ष और न्यायालय के कार्यालय जैसी दूसरी सुविधाएं हैं। इस बिल्डिंग में एयर कंडीशनर, डेटा नेटवर्किंग, कॉन्फ्रेंस सिस्टम, CCTV कैमरा इत्यादि का प्राविधान किये जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आगणन प्रेषित किया गया है।

बाह्य न्यायालय, बांसी, सिद्धार्थनगर

बाह्य न्यायालय, बांसी, मुख्यालय से 26 किलोमीटर, बस्ती से 52 किलोमीटर और गोरखपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सिद्धार्थनगर जिले का पहला विकसित शहर था। नौगढ़ (सिद्धार्थनगर) को जिला घोषित करने से पहले यह तीन जिलों–बस्ती, संतकबीरनगर और गोरखपुर क्षेत्र–के लिए एक ऑल–पर्पस केन्द्र के तौर पर काम करता था। बांसी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है और यहां जाने–माने स्कूल और कॉलेज हैं जैसे रतन सेन इंटर और डिग्री कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, श्रछट बसंतपुर इत्यादि। नौगढ़ में न्यायाधीशता बनने से पहले, बांसी जिले का मुख्य न्यायिक हेडक्वार्टर था। बांसी का मुंसिफ कोर्ट साल 1907 में बनाया गया था और अभी वहां पर 03 कोर्ट चल रहे हैं। बाह्य न्यायालय, बांसी का आवासीय परिसर, न्यायालय परिसर से सटा हुआ है जिसमें न्यायिक अधिकारीगण के प्रयोगार्थ कुल 04 आवास निर्मित हैं।

बाह्य न्यायालय, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर

डुमरियागंज नगर पंचायत 2001 की जनगणना के बाद बनाई गई है। इस इलाके का एक ऐतिहासिक अतीत है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, उपन्यासकार और लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कुछ समय के लिए पुराने मॉडर्न स्कूल (जिसे अब गर्ल्स कॉलेज में बदल दिया गया है) में शिक्षक के तौर पर काम किया था। भारत भारी, हल्लौर और वासा दरगाह (सैयद मखदूम शाह हिसामुद्दीन की दरगाह) जैसी मशहूर धार्मिक जगहें भी शहर से कुछ ही मील दूर हैं। गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुंबिनी (कपिलवस्तु) इस इलाके से 80 मील दूर है। वर्तमान में डुमरियागंज में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर का एक न्यायालय सृजित व क्रियाशील है, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरी डुमरियागंज तहसील है। आवासीय/अनावासीय भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

ग्राम न्यायालय, इटवा

ग्राम न्यायालय, इटवा जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर के मुख्यालय से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। इटवा सिद्धार्थनगर जिले की एक तहसील है। जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 01 ग्राम न्यायालय स्वीकृत है, जो इटवा में है। जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम न्यायालय इटवा दिनांक 30.08.2024 से क्रियाशील है।



जिला न्यायालय परिसर का मुख्य द्वार



जिला न्यायालय भवन दृश्य 1



निर्माणाधीन 04 पारिवारिक न्यायालय भवन दृश्य 1



निर्माणाधीन 16 न्यायालय कक्ष भवन दृश्य 1



बाह्य न्यायालय बंसी भवन



बाह्य न्यायालय डुमरियागंज भवन

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	11	5
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	3	3
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	16	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	2	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	24796	73908	98704	21074	52665	73739	22546	51262	73808	23324	75311	98635
2025	23324	75311	98635	14218	63131	77349	14813	58220	73033	22729	80222	102951

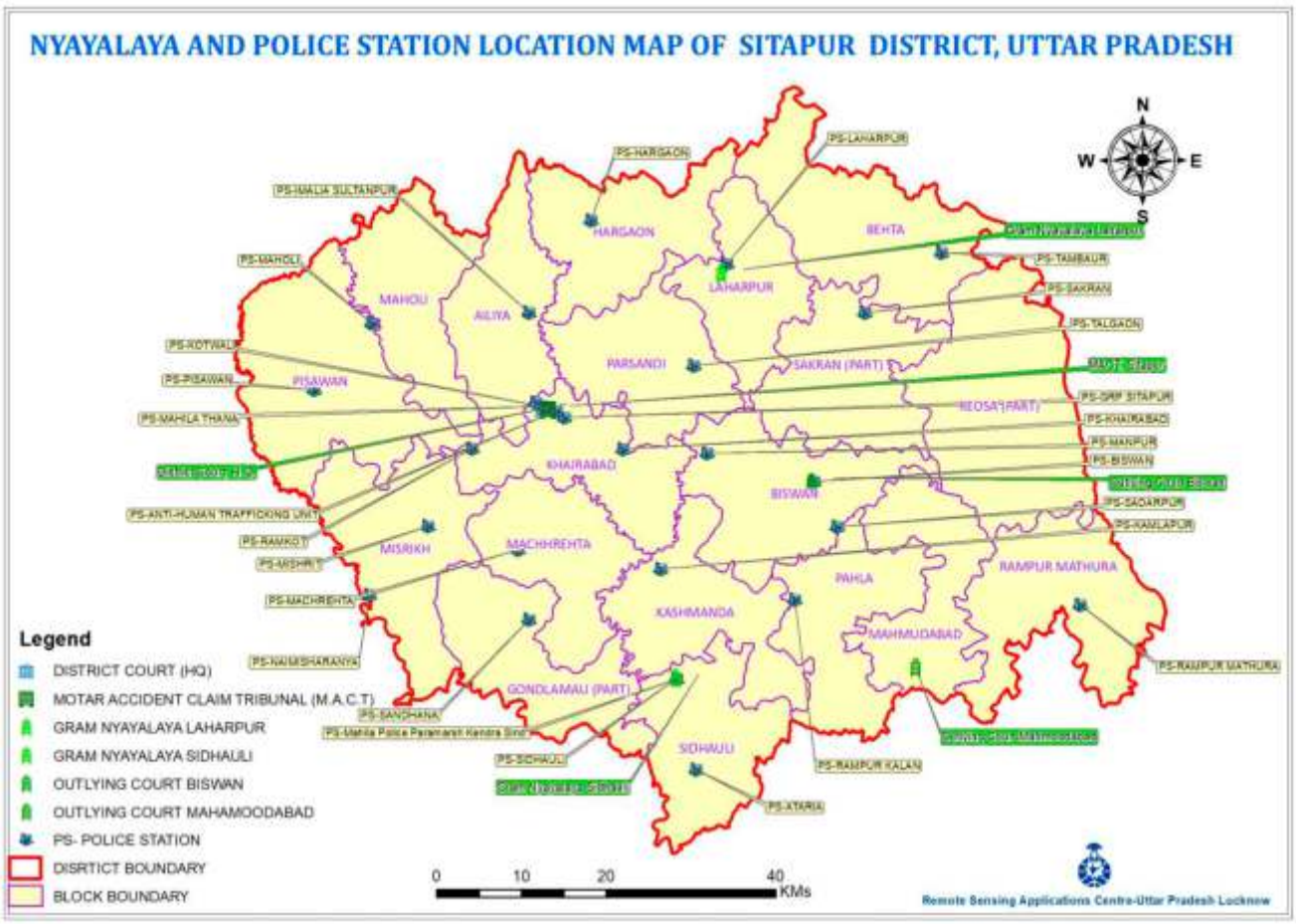
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1045	1778	2823	970	1277	2247	486	727	1213	1529	2328	3857
2025	1529	2328	3857	841	934	1775	751	971	1722	1619	2291	3910

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	737	370	316	791
2025	791	461	445	807

जनपद न्यायालय सीतापुर



जनपद न्यायालय सीतापुर में निर्मित आठ (08) न्यायालय कक्षों सहित हेरिटेज भवन

सीतापुर जजशिप के सत्र न्यायालय की स्थापना 1876 में हुई थी, तब से यह हेरिटेज बिल्डिंग में कार्यरत है। हेरिटेज बिल्डिंग में कुल 8 कोर्ट रूम स्थापित हैं। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयधविभाग जैसे प्रशासनिक कार्यालय, कोर्ट मैनेजर कार्यालय, नजारत, खाता/बिल अनुभाग, विवरण कार्यालय। मुख्य रूप से यह उल्लेख करना है कि दो सुंदर बगीचे भी हेरिटेज भवन का एक हिस्सा हैं। इन बगीचों में ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां और समुद्र के औसत स्तर को मापने के लिए मानक बेंच मार्क के रूप में एक पत्थर की संरचना स्थापित की गई है।

जनपद न्यायालय सीतापुर में दस (10) न्यायालय कक्षों सहित निर्मित भवन

दस (10) कक्षीय न्यायालय भवन एक जी+2 संरचना है, जिसका निर्माण, पूर्ण और स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। इस इमारत में वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयों जैसी संबद्ध सुविधाओं के साथ 10 पूरी तरह कार्यात्मक न्यायालय भवन हैं। भू–तल और प्रथम तल पर न्यायालय संचालित हैं, जबकि दूसरे तल पर पुस्तकालय, नकल अनुभाग और विभिन्न कार्यालय हैं। छत पर 75 किलोवाट सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना टिकाऊ ऊर्जा उपयोग की दिशा में बढ़ते कदम को दर्शाती है। यह इमारत करीब 33 साल पुरानी है।

जनपद न्यायालय सीतापुर में आठ (08) न्यायालय कक्षों सहित निर्मित भवन

आठ (08) कक्षीय न्यायालय भवन एक जी+2 संरचना है, जिसका निर्माण, पूर्ण और स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। इस इमारत में वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कमरे और सहायक प्रशासनिक इकाइयों जैसी संबद्ध सुविधाओं के साथ 08 पूरी तरह कार्यात्मक भवन हैं। भूतल और प्रथम तल पर न्यायालय कक्ष संचालित हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय हैं। यह इमारत करीब 22 साल पुरानी है।

जनपद न्यायालय सीतापुर में सात (07) न्यायालय कक्षों सहित निर्मित भवन

फास्ट ट्रैक न्यायालय भवन एक एकल मंजिल की संरचना है, जिसका निर्माण, पूर्ण और स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। वर्तमान में इमारत में पीठासीन अधिकारियों के कक्ष, आशुलिपिकों के कमरे और सहायक न्यायालय कार्यालयों जैसी संबद्ध सुविधाओं के साथ 07 पूरी तरह कार्यात्मक न्यायालय भवन हैं। यह इमारत करीब 23 साल पुरानी है।

कंप्यूटर सेंटर

कंप्यूटर सेंटर वर्ष 2010 में स्थापित किया गया है। केंद्र वादों को केंद्रीकृत रूप से फाइल करने, वेब साइट अपडेशन, सीआईएस डेटा मॉनिटरिंग और सर्वर और अन्य कंप्यूटर उपकरणों के रखरखाव के लिए हब का काम करता है।

एडीआर भवन

यह भवन वर्ष 2025 में स्थापित किया गया है। भवन एक जी+2 संरचना है जिसका निर्माण, पूर्ण और वर्ष 2025 में स्थापित किया गया है। भवन में वर्तमान में डीएलएसए सचिव का कक्ष, स्थायी लोक अदालत का कक्ष और न्यायालय, प्रत्येक मंजिल पर कार्यालय कक्ष और मध्यस्थता कक्ष जैसी प्रशासनिक इकाइयों जैसी सुविधाएं हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। न्यायालय और जेल प्रशासन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।

सीतापुर बार एसोसिएशन भवन

बार एसोसिएशन भवन की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। यह एक मंजिल की इमारत है। इसमें वकीलों के लिए एक बड़ा हॉल, कार्यालय और बार के दैनिक कामकाज के लिए अपनी पुस्तकालय है।



8 न्यायालय कक्षों वाली ऐतिहासिक इमारत



आठ (08) न्यायालय कक्षों वाली इमारत (पिछला भाग)



फास्ट ट्रैक न्यायालय कक्षों वाली इमारत



एडीआर इमारत



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष



बार एसोसिएशन इमारत

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	22	13
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	10	10
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	18	15
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	17279	180544	197823	4145	57181	61326	3923	55759	59682	17501	181966	199467
2025	17501	181966	199467	4477	70641	75118	4096	66845	70941	17882	185762	203644

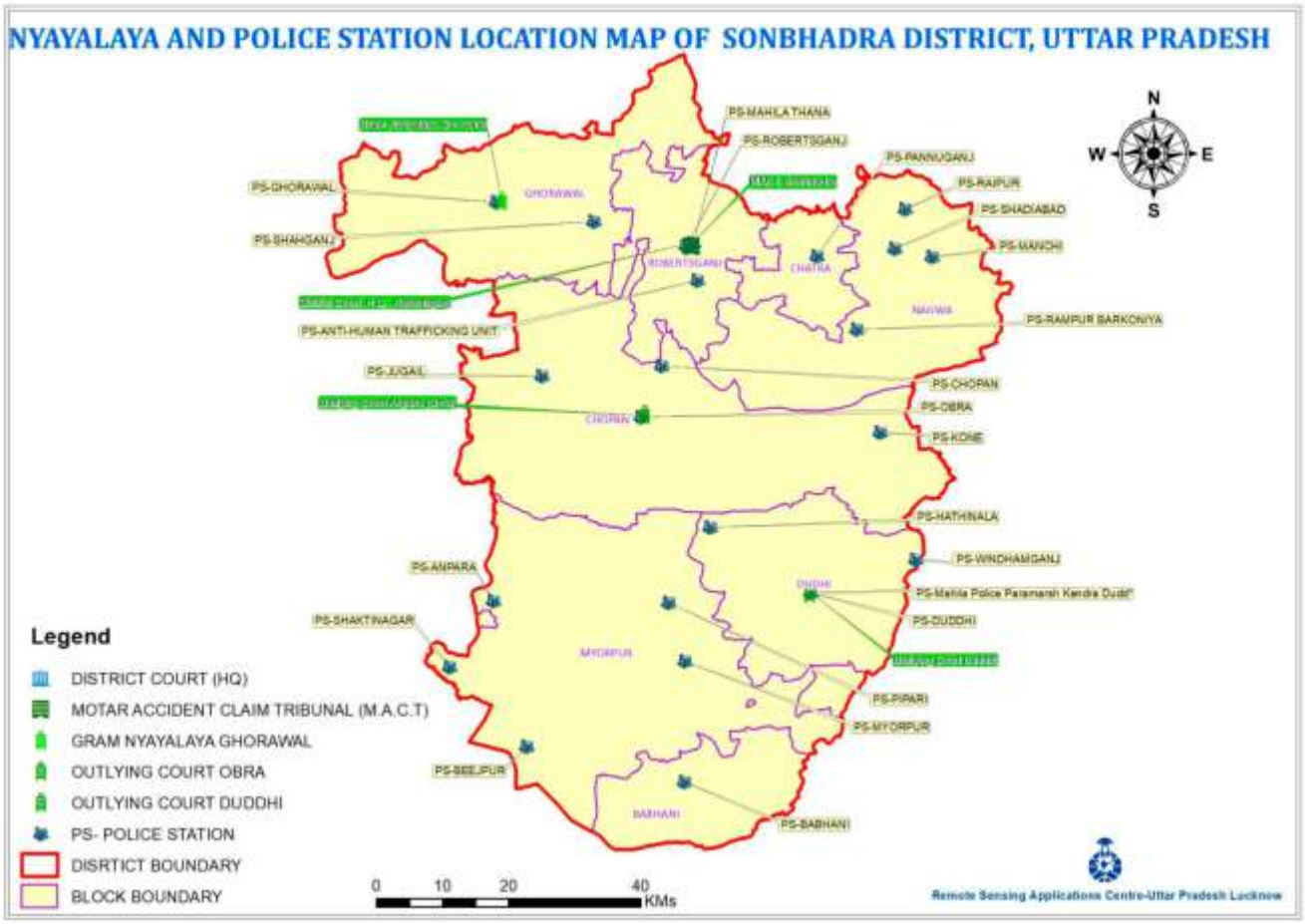
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2948	3514	6462	2134	1909	4043	2042	1793	3835	3040	3630	6670
2025	3040	3630	6670	2240	1872	4112	2123	1420	3543	3157	4082	7239

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1383	389	468	1304
2025	1304	585	419	1470

जनपद न्यायालय सोनभद्र



सोनभद्र जिला न्यायालय की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में न्यायिक संस्थान 30 मार्च, 1990 को आधिकारिक तौर पर शुरू हुई थी। 21 अक्टूबर, 1989 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें चार टेम्पररी कोर्ट (जिला एवं सत्र, सिविल जज, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) बनाए गए थे। ये कोर्ट 15 अक्टूबर, 1994 को स्थायी हो गई, और इस सिस्टम में 32 से ज्यादा कोर्ट और दुद्धी, अनपरा और घोरावल बाह्य न्यायलय हो गईं।

यह एक मूल न्यायाधिकार वाला कोर्ट है जो अपनी सीमा के अंदर दीवनी और फौजदारी मामलों को देखता है। केस आमतौर पर एक ही जज सुनते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी से अपील इलाहाबाद में माननीय हाई कोर्ट में होते हैं। कोर्ट ज्यूडिशियल अधिकारियों और स्टाफ की मदद से काम करता है ताकि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके।

1834 और 1861 के बीच, भारत में न्याय राजा की अदालतों और कंपनी की अदालतों, दोनों के जरिए होता था। 1864 में माननीय जस्टिस कैंपबेल की सिफारिशों के बाद, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 (24 और 25 विक्ट., C-104) के तहत इलाहाबाद में हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर बनाया गया, जिसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र में सोनभद्र का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है।

1989 में मिर्जापुर जिले से अलग होकर सोनभद्र जिला बनाया गया और उसके बाद 1990 से सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग से काम कर रहा है।

प्रमुख ऐतिहासिक और न्यायिक उपलब्धियाँ

स्थापना (1990) : जिला एवं सत्र न्यायालय का अनावरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय प्रशासनिक न्यायामूर्ति डॉ. जगदीश नारायण दूबे द्वारा किया गया था।

प्रारंभिक व्यवस्था (1989–1994) : प्रारंभ में, नवगठित सोनभद्र सत्र प्रभाग को संभालने के लिए चार प्रमुख न्यायालय बनाए गए थे, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ड्यूटी अधिकारी (ओ.एस.डी.) के रूप में कार्य करते थे।

स्थायी स्थिति (1994) : अस्थायी अदालतों को स्थायी बनाया गया, जिससे क्षेत्र में न्यायिक बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ।

विस्तार और बाह्य न्यायालयः विशेष रूप से जिले के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच में सुधार करने के लिए, दुद्धी, ओबरा स्थित अनपरा और घोरावल में बाह्य न्यायालय स्थापित किए गए।

स्पेशल कोर्टः न्यायपालिका में स्पेशल कोर्ट शामिल हैं, जैसे स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा भी न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाता है।

वर्तमान संरचना

सोनभद्र में जिला एवं सत्र न्यायालय कई तरह के सिविल और फौजदारी मामले देखता है।

2026 की शुरुआत से, जजशिप इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में काम करना जारी रखेगी।

इस सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट के हाई–पावर इंडस्ट्री और ग्रामीण, अक्सर आदिवासी आबादी वाले जमीन के मामलों को संभालने के लिए अलग–अलग लेवल के मजिस्ट्रेट और सिविल कोर्ट शामिल हैं।

सोनभद्र ज्यूडिशियल सिस्टम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जैसे खास अधिकारी शामिल हैं।

कोर्ट बिल्डिंग और आधारभूत संरचना

डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट बिल्डिंग

अभी बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट और ADJ कोर्ट के साथ–साथ पीठासीन अधिकारी के चैंबर, स्टेनोग्राफर के कमरे हैं। इस बिल्डिंग में एडमिन सेक्शन (इंग्लिश ऑफिस), बिल सेक्शन और नजारत भी है। ये कोर्ट रूम तहसील परिसर में चलते हैं।

परिवार न्यायालय भवनः

फैमिली कोर्ट बिल्डिंग एक G+1 स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में परिवार न्यायालय के साथ–साथ ADJ कोर्ट और MACT कोर्ट जैसे कई दूसरे कोर्ट और उनके पीठासीन अधिकारी के चौंबर और कार्यालय हैं। इसमें CCTV सिस्टम कंट्रोल रूम भी है।

ADR Hkou: ADR भवन G+1 संरचना का भवन है। इस भवन में मध्यस्ता केंद्र है।

दूसरे मौजूदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स

DJ कोर्ट बिल्डिंग और फैमिली कोर्ट बिल्डिंग के अलावा कई और कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें मुंसफ खंड जैसे कई कोर्ट चल रहे हैं। मुंसफ खंड में CJM कोर्ट, ADJ कोर्ट, जूनियर डिवीजन कोर्ट, सीनियर डिवीजन कोर्ट और कुछ स्पेशल कोर्ट के साथ–साथ पीठासीन अधिकारी के चैंबर, स्टेनोग्राफर कक्ष और उनके कार्यालय हैं। इस ब्लॉक में काफी संख्या में एडवोकेट के चैंबर, समन सेल और एक कैंटीन भी है।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेडक्वार्टर–

न्यायालय भवन– सोनभद्र जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है।

बाह्य न्यायलय – सोनभद्र जिले में दो बाह्य न्यायलय हैं–

1). बाह्य न्यायलय दुद्धी–
2). बाह्य न्यायलय ओबरा–

बाह्य न्यायलय दुद्धी– अभी सिविल जज जूनियर डिवीजन और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोर्ट तहसील परिसर में चल रहा है।

बाह्य न्यायलय ओबरा– अभी ADJ ओबरा का कोर्ट अपनी बिल्डिंग में चल रहा है, जिसे साल 2024 में बनाया गया था और साल 2025 में माननीय एडमिनिस्ट्रेटिव जज श्री सौरभ श्रीवास्तव ने इसका उद्घाटन किया था।

दूसरी बिल्डिंग्स और सुविधाएं:– कोर्ट कैंपस में कई सहायक और सपोर्ट बिल्डिंग्स भी हैं जैसे कंप्यूटर सेक्शन, ADR सेंटर, V.C. बिल्डिंग, ई–सेवा केंद्र, कैंटीन, रिकॉर्ड रूम, लॉकअप और पोस्ट ऑफिस, सोनभद्र बार एसोसिएशन भवन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भवन, एडवोकेट्स चैंबर्स आदि।

ग्राम न्यायालय – ग्राम न्यायालय घोरावल तहसील में चल रहा है। बिल्डिंग तहसील ने दी है, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय मिलना संभव हो पाता है।



जिला एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र



न्यायालय भवन



वी.सी. सोनभद्र



न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश



कम्प्यूटर कक्ष



मुनशीफ



बार एसोसिएशन सोनभद्र



प्रतिलिपि विभाग सोनभद्र

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	11	6
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	5	3
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	13	8
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	1	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	8563	56235	64798	2776	23355	26131	3671	25424	29095	7668	54166	61834
2025	7668	54166	61834	2520	25297	27817	2691	23714	26405	7497	55749	63246

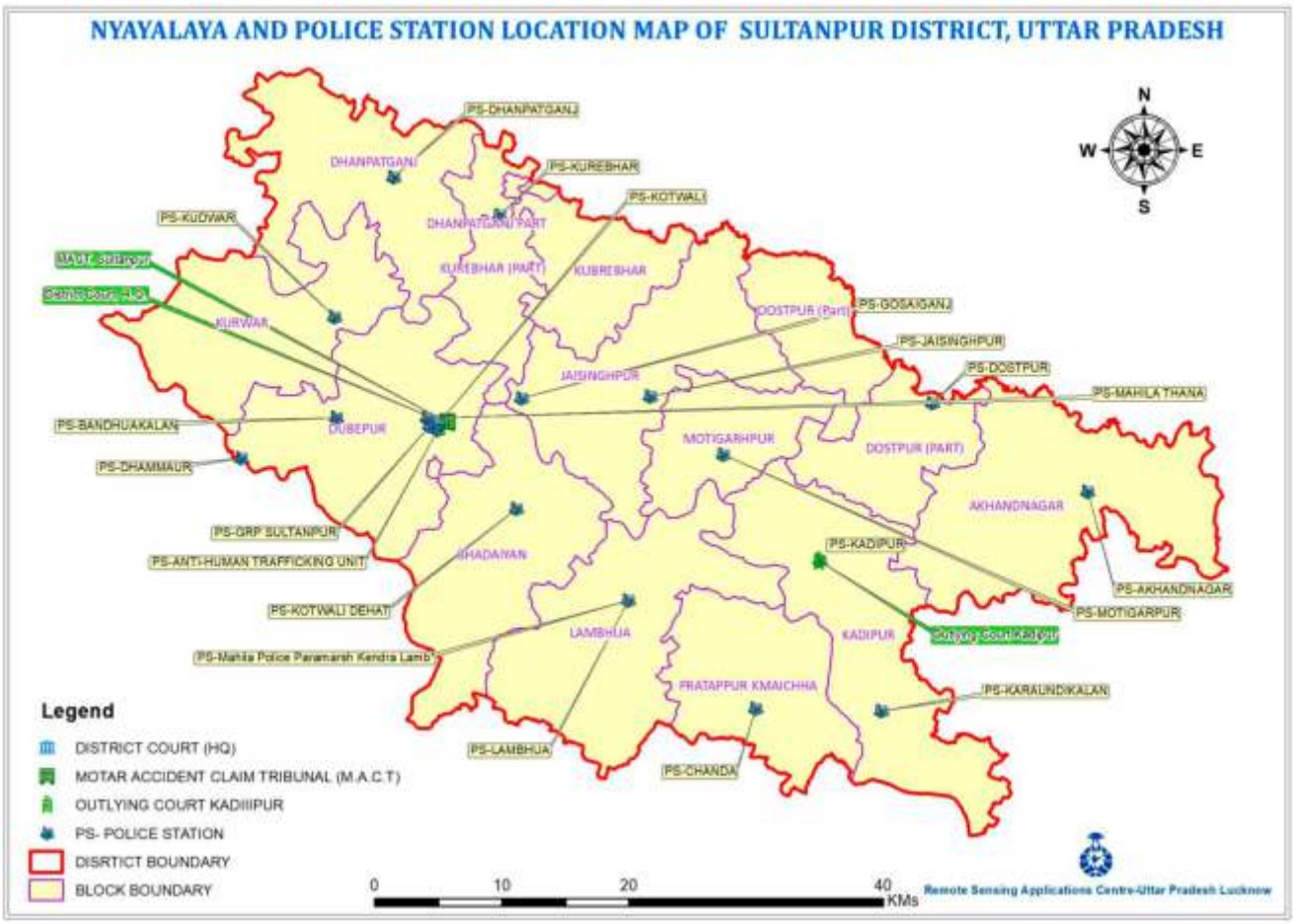
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	1093	1538	2631	586	764	1350	828	1016	1844	851	1286	2137
2025	851	1286	2137	574	587	1161	453	474	927	972	1399	2371

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2185	554	521	2218
2025	2218	603	535	2235

जनपद न्यायालय सुल्तानपुर



जिला न्यायालय स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

सुलतानपुर शहर गोमती नदी के किनारे बसा है और राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर पूरब में है। भौगोलिक रूप से सुलतानपुर जिला उत्तर में अयोध्या जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में बाराबंकी और रायबरेली जिले, और पूरब में आजमगढ़, अंबेडकरनगर और जौनपुर जिले से घिरा है। जिले में पाँच तहसीलें हैं, जिनके नाम हैं सुलतानपुर सदर, कादीपुर, लम्भुआ, बल्दीराय और जयसिंहपुर।

ब्रिटिश राज के दौरान, जब तहसील और परगना बनाए गए, तो सुलतानपुर के डिप्टी कमिश्नर, लेफ्टिनेंट जे. पार्किंस ने शहर का काफी विकास किया। 1868 में, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बनी और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस काम करने लगा। उसी वर्ष, नगर पालिका भी बनी। 1925 तक, चार तहसील और तेरह पुलिस स्टेशन अस्तित्व में थे। सुलतानपुर जिले का पुर्नगठन किया गया और 1869 में इसने अपना मौजूदा स्वरूप लिया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट, 1947 के तहत, 1949 में सुलतानपुर में छोटे–मोटे मामलों पर फैसला करने और उन्हें निपटाने के लिए पंचायती कोर्ट बनाए गए।

सुलतानपुर जिले का न्यायिक कार्य रायबरेली जिले की दीवानी जजी और फैजाबाद जिले के सत्र मण्डल के तहत होता था। इसके बाद, सुलतानपुर जजी को फैजाबाद जजी से पृथक कर दिया गया तथा 11 मार्च 1956 को शासकीय आदेश संख्या 1749/VI–708/55, लखनऊ के जरिए अस्तित्व में आया।

शुरुआत के समय, सुलतानपुर में कोर्ट की स्वीकृत संख्या में जनपद और सत्र न्यायालय, मुंसिफ कोर्ट (उत्तरी), और मुंसिफ कोर्ट (दक्षिणी) शामिल थे। पहले जनपद न्यायाधीश, श्री तारा चंद कपूर ने 28 जुलाई 1956 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनपदीय न्यायपालिका को मजबूत किया।

इसके बाद, बदलती जरूरतों के हिसाब से, कोर्ट की संख्या धीरे–धीरे बढ़ाई गई। अभी, सुलतानपुर जजी

में न्यायाधीशों की कुल मंजूर संख्या 56 है (कुटम्ब न्यायालय को सम्मिलित करते हुए)। जनपद न्यायालय में 51 जजों की स्वीकृत संख्या है, जिसमें एक जिला और सत्र न्यायालय, सोलह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (विशिष्ट क्षेत्राकिधरी वाले न्यायालय सहित), प्रवर–खण्ड संवर्ग के ग्यारह न्यायालय और अवर खण्ड संवर्ग के तेईस न्यायालय शामिल हैं। इसके अलावा, कुटुम्ब न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश तथा चार अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश हैं।

ऐतिहासिक निर्णय और योगदान

सुलतानपुर के जनपद न्यायालय के अभिलेखागार में कुछ प्राचीनतम वादों के अभिलेख तिथिवार रखे हैं। प्राचीनतम पत्रावली वाद संख्या–337 वर्ष 1864, सैयद मोहम्मद खान बहादुर रईस बनाम नीमर और सूरज दील हलवाईयन और अन्य है। दूसरी मशहूर पुरानी केस फाइलों में मूल वाद संख्या–221 वर्ष 1864, दुर्गा बनाम लाटू, जिसका फैसला 27 जून, 1864 ई. को हुआ, सत्र परीक्षण संख्या–54 वर्ष 1950, स्टेट बनाम रामदास, धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन मुसाफिरखाना, जिसका फैसला 12 मार्च 1951 को हुआ, जिसमें उम्रकैद की सजा सुनाई गई और सत्र परीक्षण संख्या–46 वष 1950, स्टेट बनाम माता बक्स सिंह और अन्य, धारा–302/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन अमेठी, जिसका फैसला 14 मार्च 1951 को हुआ, जिसमें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

इनके अलावा, न्यायालय न्यायालय के पास ऐतिहासिक महत्व की एक वस्तु है, यानी माननीय सत्र न्यायाधीश का गाउन स्टैंड, जिसे माननीय उच्च न्यायालय को उसकी 150वीं प्रदर्शनी में नुमाईश के लिए भेजा गया था।

न्यायालय भवन तथा आधारभूत संरचना का सिंहावलोकन।

सुलतानपुर के जनपद न्यायालय में आजादी के बाद बनी आधुनिक भवन और आजादी से पहले के स्थापत्य स्मारक दोनों शामिल हैं। कुछ विशिष्ट भवनों का विवरण इस प्रकार है।

पुराना भवन

जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में निर्मित एक पुरानी विरासत वाली इमारत है। पश्चिम की ओर मुख करके यह इमारत न्यायालय परिसर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और इसके दो विस्तार हैंः उत्तर की ओर अभिलेख कक्ष और दक्षिण की ओर न्यायाधीशों के न्यायालय कक्ष, जो चारों तरफ खंभों वाले बरामदों से संलग्न हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सारनाथ अंचल की एक टीम ने 27.10.2017 को विरासत वाली इमारत का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम ने पाया कि इस इमारत का निर्माण स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, हालांकि निर्माण की सही तारीख दर्ज नहीं है। संरचना (U)यू–आकार की है और प्रथम श्रेणी की ईंटों से निर्मित है। इमारत पकी हुई ईंटों से संरचित है, जिन्हें चूने के मोर्टार में रखा गया है और चूने के प्लास्टर से तैयार किया गया है। बलुआ पत्थर का उपयोग नींव और खिड़कियों और पंखो के छज्जे तक सीमित है। वर्तमान में, इस इमारत में जिला और सत्र न्यायाधीश, प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. की अदालतें हैं। (P.A.)एक्ट के साथ–साथ रिकॉर्ड रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लाइब्रेरी, नजारत, जॉइंट ऑफिस और अकाउंट्स सेक्शन भी हैं। न्यायालय के दक्षिणी पक्ष में लंबे बरामदों वाले सात कमरे हैं। इसमें सिविल जज (दक्षिणी), सिविल जज (उत्तरी), अतिरिक्त सिविल जज (अवर खण्ड) और संबंधित कोर्ट के जॉइंट ऑफिस हैं।

12 कक्षीय न्यायालय भवन

12 कक्षीय न्यायालय भवन, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवन के नाम से जाना जाता है, एक भूतल+2 संरचना है, जिसे वर्ष 1982 में बनाया गया था। इस इमारत में अभी 12 पूर्ण रूपेण संचालित न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारी के कक्ष और आशुलिपिक के कक्ष जैसी दूसरी सुविधाएं भी हैं। न्यायालय कक्ष भूतल और प्रथम तल पर चल रहे हैं, जबकि द्वितीय तल पर दीवानी नकल अनुभाग और अलग–अलग न्यायालय के कार्यालय हैं।

14 कक्षीय न्यायालय भवन

14 कक्षीय न्यायालय भवन, जिसे कुटुम्ब न्यायालय भवन के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2008 में बनी एक भूतल+2 बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में अभी 14 पूर्ण रूपेण संचालित न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारी के कक्ष और आशुलिपिक के कक्ष जैसी दूसरी सुविधाएं भी हैं। न्यायालय कक्ष भूतल और प्रथम तल पर चल रहे हैं, जबकि द्वितीय तल पर कई न्यायालय के कार्यालय हैं। भवन की छत पर 65 किलोवाट का सोलर ऊर्जा पैनल लगाया गया है, जो सतत ऊर्जा अनुप्रयोग दर्शाता है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन

फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन एक भूतल+1 संरचना है, जिसे वर्ष 2004 में बनाया गया था। भवन में अभी पांच पूर्ण रूपेण संचालित न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही पीठासीन अधिकारी के कक्ष और अलग–अलग न्यायालय के कार्यालय जैसी दूसरी सुविधाएं भी हैं। तीन न्यायालय कक्ष भूतल पर चल रहे हैं, जबकि दो न्यायालय कक्ष प्रथम तल पर हैं।

वाह्य न्यायालय, कादीपुर

वाह्य न्यायालय, कादीपुर, वर्ष 2018 में बना एक भूतल+1 भवन है। भवन में भूतल पर पूर्ण रूपेण कार्यात्मक न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही इसमें पीठासीन अधिकारी के कक्ष, आशुलिपिक के कक्ष, न्यायालय के कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, कॉन्फ्रेंस रूम, कैंटीन, पुरुष और महिला कैदियों के लिए अलग–अलग हवालात की सुविधाएं, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य टॉयलेट और एक लिटिगेंट्स हॉल जैसी दूसरी सुविधाएं भी हैं। पहली मंजिल पर नजारत, लाइब्रेरी और अभिलेखागार इत्यादि जैसे कार्यालय हैं। वाह्य न्यायालय, कादीपुर में दो न्यायालय कक्ष हैं, जिनमें से सिविल जज (अवर खण्ड), कादीपुर अपने भवन में काम कर रहे हैं, जबकि सिविल जज (प्रवन खण्ड), कादीपुर बार एसोसिएशन इमारत में कार्य पद्धति व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। हालांकि कादीपुर में वाह्य न्यायालय ने 03.11.2018 को एक नई बनी न्यायालय भवन में काम करना शुरू कर दिया था। कादीपुर में सिविल जज (प्रवर खण्ड) की नए न्यायालय ने भी 25.07.2023 से काम करना शुरू कर दिया है।

वाह्य न्यायालय, मुसाफिरखाना

वाह्य न्यायालय, मुसाफिरखाना, वर्ष 2021 में बना एक भूतल+1 संरचना है। भवन में भूतल पर दो न्यायालय कक्ष हैं, साथ ही इसमें पीठासीन अधिकारी के कक्ष, आशुलिपिक के कक्ष, कार्यालय, एक कैंटीन, पुरुष और महिला कैदियों के लिए अलग–अलग हवालात सुविधाएं, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य टॉयलेट, एक लिटिगेंट्स हॉल और एक मीटिंग हॉल इत्यादि जैसी दूसरी सुविधाएं भी हैं। सिविल जज (अवर खण्ड), मुसाफिरखाना 26.03.2021 से एक नई बनी न्यायालय भवन में काम कर रहे हैं।

ग्राम न्यायालय अमेठी

ग्राम न्यायालय तहसील अमेठी, जिला अमेठी में चल रहा है। न्यायालय, जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा दी गयी कार्य पद्धाति के तहत, भूमि संरक्षण केंद्र, अमेठी से काम कर रहा है। तहसील अमेठी में ग्राम न्यायालय 03.10.2024 से काम कर रहा है।

ग्राम न्यायालय गौरीगंज

ग्राम न्यायालय तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी में चल रहा है। न्यायालय बेसिक शिक्षक अधिकारी कार्यालय भवन, गौरीगंज से चल रहा है, जिसे जिलाधिकारी, अमेठी ने अस्थायी व्यवस्था दी है। तहसील गौरीगंज में ग्राम न्यायालय 07.10.2024 से चल रहा है।

पारिवारिक न्यायालय

कुटुम्ब न्यायालय, जनपद न्यायालय परिसर में 14 कक्षीय न्यायालय भवन में है और 2013 से काम कर रहा है। कुटुम्ब न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और चार अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश हैं। कुटुम्ब न्यायालय की कोई अलग भवन नहीं है और संबंधित न्यायालय की सभी बेसिक जरूरतें जनपद न्यायालय, सुलतानपुर पूरी करता है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सुलतानपुर, कल्प वृक्ष परिसर, सिविल लाइंस, जनपद सुलतानपुर के मुख्यालय में है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य में PIL4215/2018 (ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कैडर में वैकेंसी के संबंध में बनाम चेयरमैन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य) में 27.11.2018 को जारी निर्देशों पर बनाया गया था। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के कामकाज के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शासकीय पत्र संख्या–8710/Main-B/MACT/Admin(A–3) दिनांक–05.07.2019 जारी किया गया है। अभी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण परिषद सुलतानपुर के पास जनपद सुलतानपुर और जनपद अमेठी के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामलों पर अपना मूल क्षेत्राधिकार है।

अन्य भवन और सुविधाएं

न्यायालय परिसर में कई दूसरी और सहायक भवन भी हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस भवन, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर रूम, सी.सी.टी.वी. कंट्रोल रूम, लाइब्रेरी, अभिलेखागार, कैंटीन इमारत, लॉक–अप, मीटिंग हॉल, पोस्ट ऑफिस, पुराना बार एसोसिएशन भवन और नया बार एसोसिएशन भवन। मुकदमा लड़ने वालों की सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में पीने के पानी की सुविधा, एक कैंटीन, बैठने की बेंच और टॉयलेट (जिनमें दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं) जैसी जरूरी सुविधाएं दी गई हैं।



पुरानी इमारत (हेरिटेज ब्लॉक)



फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग



12 कोर्ट रूम वाली इमारत, जिसे आमतौर पर सीजेएम बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है



14 कोर्ट रूम वाली इमारत, जिसे आमतौर पर फैमिली कोर्ट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है



वीडियो–कॉन्फ्रेंस रूम



बार एसोसिएशन, सुल्तानपुर



बाह्य कोर्ट, कादीपुर



ग्राम न्यायालय तहसील अमेठी में कार्यरत है



बाहरी कोर्ट, मुसाफिरखाना



ग्राम न्यायालय तहसील गौरीगंज में कार्यरत है

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	17	8
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	9
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	23	16
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	5	3
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	67559	158439	225998	7604	50228	57832	4124	37924	42048	71039	170743	241782
2025	71039	170743	241782	8284	57293	65577	8166	48028	56194	71157	180008	251165

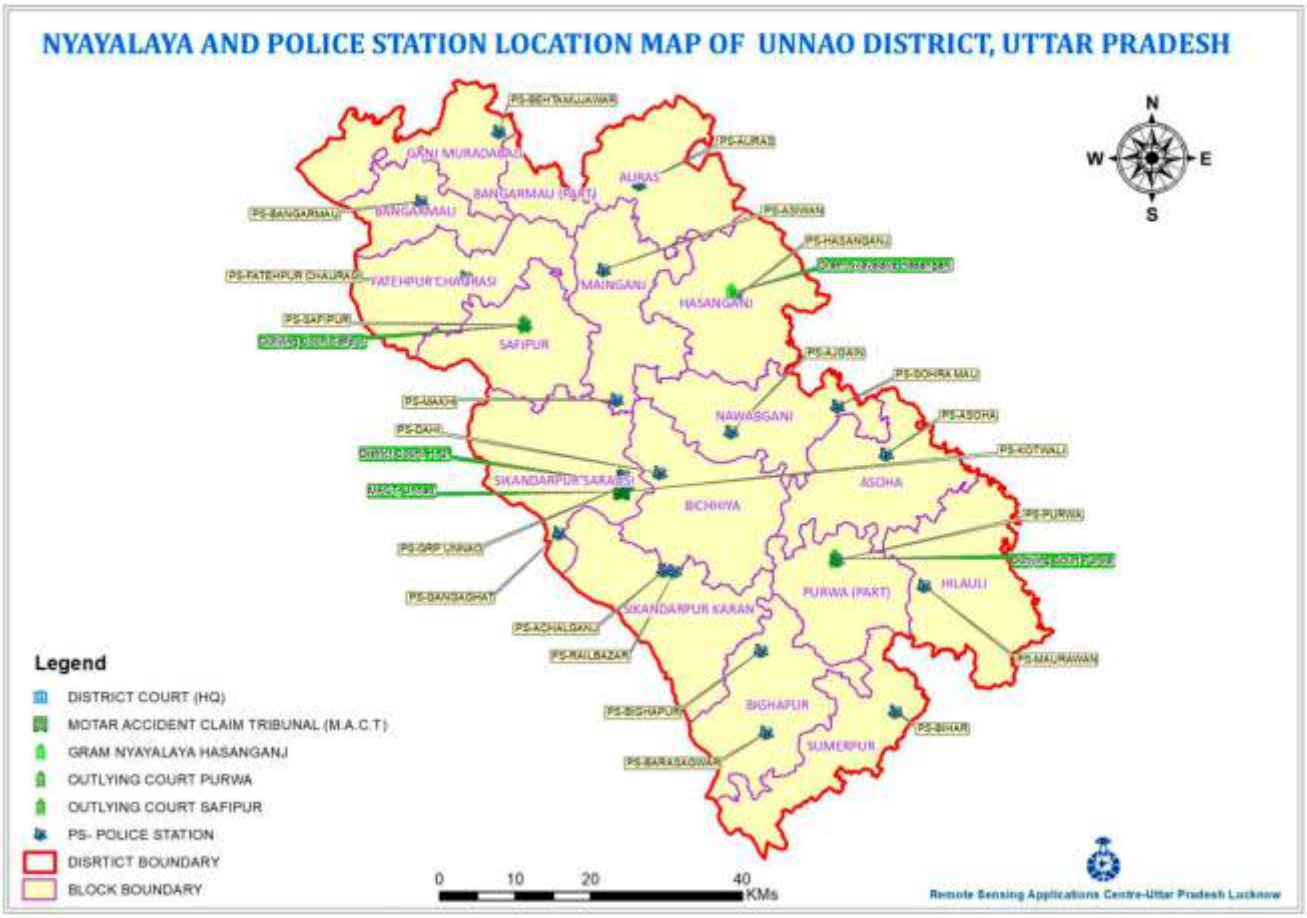
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	2350	3209	5559	3304	4092	7396	2782	3151	5933	2872	4150	7022
2025	2875	4133	7008	3178	3220	6398	3198	3225	6423	2855	4128	6983

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	2633	1041	740	2934
2025	2934	1094	1152	2876

जनपद न्यायालय उन्नाव



जनपद उन्नावः एक ऐतिहासिक परिचय

1857–1858 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जब सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हुआ, तब क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल होने पर नागरिक प्रशासन की नए सिरे से स्थापना की गई। इसी क्रम में उन्नाव जनपद का गठन हुआ और इसका मुख्यालय उन्नाव शहर में बनाया गया। यद्यपि 1869 तक इस जिले का स्वरूप काफी छोटा था, किंतु इसी वर्ष हुए भौगोलिक विस्तार के बाद इसने अपना वर्तमान आकार ग्रहण किया। इसी समय उन्नाव शहर को नगरपालिका का दर्जा भी प्राप्त हुआ।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह भूभाग अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र प्रसिद्ध 'कोशल' महाजनपद का हिस्सा था, जो कालांतर में अवध सूबे का अभिन्न अंग बना। यहाँ के विभिन्न स्थलों पर मिले अवशेष और प्राचीन चिन्ह इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से ही एक सभ्य और व्यवस्थित समाज निवास करता था। चीनी यात्री ह्वेन सांग के विवरणों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। 636 ईस्वी में कन्नौज प्रवास के दौरान उन्होंने गंगा के पूर्वी तट पर स्थित 'नवदेवकुल' (ना–फो–ति–पो–कु–लो) नामक शहर की यात्रा की थी, जो अपनी भव्यता, मंदिरों और बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध था।

जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों में बांगरमऊ के निकट स्थित 'नवल' का विशेष स्थान है, जिसे कुछ विद्वान उसी प्राचीन शहर का अवशेष मानते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार, 13वीं शताब्दी में किसी संत के श्राप के कारण यह समृद्ध नगर उलट गया था, जिसके कारण इसे आज भी 'औंधा खेड़ा' या 'लौटा शहर' के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित प्राचीन दरगाह जिले के सबसे पुराने स्मारकों में से एक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, तहसील सफीपुर के ग्राम रामकोट में स्थित 'संचानकोट' (सुजानकोट) भी जिले का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है।

प्रशासनिक विकासक्रम पर दृष्टि डालें तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में यह क्षेत्र लखनऊ

सरकार के अंतर्गत आता था। अवध के नवाबों के समय में जिले के विभिन्न हिस्से पुरवा, रसूलाबाद और सफीपुर जैसे चकलों में विभाजित थे। 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, तब 'पुरवा' नाम से जिले का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय बाद में उन्नाव लाया गया। 1869 के पुनार्गठन के दौरान रायबरेली और लखनऊ जिलों के कुछ परगनों को इसमें शामिल किया गया, जिससे जनपद की सीमाओं का विस्तार हुआ। प्रशासनिक सुगमता के लिए समय–समय पर तहसील मुख्यालयों में भी परिवर्तन किए गए, जिनमें मोहन और हसनगंज प्रमुख रहे हैं।



उन्नाव जिला न्यायालय


10 कोर्ट रूम


8 कोर्ट बिल्डिंग


सीजेएम ब्लॉक


मुंसिफ ब्लॉक


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम


कंप्यूटर रूम


गुलाबी शौचालय

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	16	13
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	9	9
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	15	9
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	3	1
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	0	0
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	0	0

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	20432	84695	105127	12763	80802	93565	11999	79965	91964	21196	85532	106728
2025	21196	85532	106728	8316	64580	72896	8849	57510	66359	20663	92602	113265

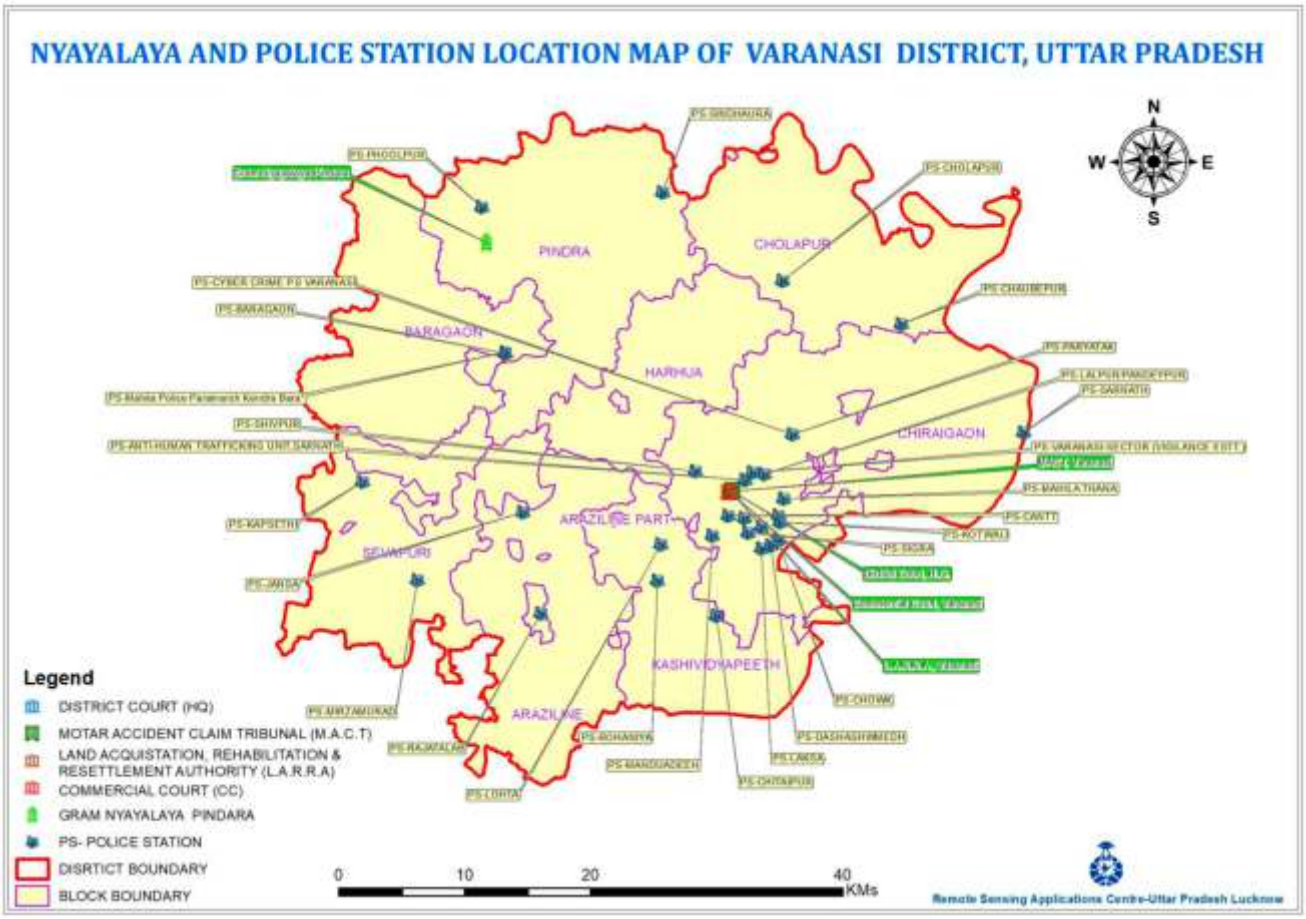
पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	3705	3525	7240	1801	1911	3712	2293	1941	4234	3213	3495	6706
2025	3213	3495	9708	2070	2071	4141	2514	1957	2769	2769	3609	6378

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1722	453	696	1479
2025	1479	626	462	1643

जनपद न्यायालय वाराणसी



1857– वाराणसी जिला (जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है।) का नामकरण शहर का मुख्यालय बनने पर रखा गया है, जो पवित्र गंगा नदी के बाये किनारे पर स्थित है और इसे प्राचीन काल से हिंदुओं का पवित्र शहर माना जाता है। यह शहर अत्यन्त प्राचीन है और पुराण और अथर्वेद के अनुसार,यह नाम वाराणसी वरुणा और अस्सी नदियों के नाम से मिलकर बना है, जिनके मध्य यह प्राचीन शहर बसा है। रामायण और महाभारत काल में भी इसका उल्लेख काशी के नाम मिलता है। जैन, बौद्ध और संस्कृति साहित्य में भी इस प्राचीन शहर का उल्लेख मिलता है।

ऋग्वेद के उद्धरणों के अनुसार, इसे काशी कहा गया है, जो संस्कृत शब्द कास जिसका तत्पर्य प्रकाशमान है। इस कारण इसे 'प्रकाश का शहर' भी कहा गया है।

हिंदू पौराणिक कथा

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, वाराणसी की स्थापना भगवान शिव के द्वारा की गयी थी। एक कथा के अनुसार भगवान शिव व ब्रह्मा जी के युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा जी के पाँच सिरो में एक सिर यहां गिरा और अदृश्य हो गया, जिसके पश्चात् से वाराणसी को अत्यन्त पवित्र शहर माना गया।

महाभारत के अनुसार, पांडवों का भी कुरूक्षेत्र युद्ध के पश्चात् अपने ब्रह्महत्या के पाप के निवारण व प्रायश्चित करने के लिए इस शहर में आगमन हुआ था। वाराणसी उन सात पवित्र शहरों (अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवन्ति एवं द्वारिका) में से एक है, जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है।

पुरातात्विक साक्ष्य

2014 में उत्खनन से 800ईसा पूर्व की कलाकृतियों की खोज हुई। शहर के आसपास के दो स्थलों, अकथा और रामनगर में आगे की गई खुदाई में 1800ईसा पूर्व की कलाकृतियाँ मिलीं, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं कि यह क्षेत्र उस समय भी बसा हुआ था।

वाराणसी में न्यायिक प्रणाली का विकास

ब्रिटिश युग के आगमन से पहले, राजा दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में न्याय करते थे, जो आम

तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर न्याय देने के लिए अपनी शक्तियाँ आमिलों को सौंप देते थे। कभी–कभी उन्हें काजियों, मुफ्तियों और कानूनगो द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी जो 1786तक मामलों की सुनवाई के लिए एकमात्र संस्थायें थी। आपराधिक मामलों में अधिकार क्षेत्र शहर के लिये कोतवाल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आमिलों के पास थे। पहला सिटी मजिस्ट्रेट 1781में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा नियुक्त किया गया था, जिन्होंने सिविल और आपराधिक अदालतें स्थापित की, जहां न्यायाधीश भारतीय थे, जिनका क्षेत्राधिकार केवल शहर में था। 1786में एक मुल्की अदालत की स्थापना की गई, जिसे प्रांत के बाह्य परगना के मामलों से संबंधित मामलों (निवासियों द्वारा उसे सौंपे गए) की सुनवाई के लिए राजा के अधीन रखा गया था। 1797में इस अदालत को दो अलग–अलग अदालतों में विभाजित कर दिया गया– एक आपराधिक और दूसरी दीवानी मामलों की सुनवाई करती थी। अपीलीय क्षेत्राधिकार अब शहर के मुख्य अधिकारी(रेजिडेंट) में निहित हो गया था और शहर की अदालतों तक विस्तारित हो गया।

19सितंबर, 1794 को बंगाल और बिहार में प्रचलित कॉर्नवालिस की न्याय प्रणाली को वाराणसी में भी लागू किया गया। कलेक्टर का राजस्व न्यायालय समाप्त कर दिया गया और वह मजिस्ट्रेट नहीं रहा। 1795 में, उनकी सभी न्यायिक शक्तियाँ एक जज मजिस्ट्रेट में निहित कर दी गईं, जिन्हें जिले के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी अदालत को दीवानी अदालत के रूप में जाना जाता था। उसी समय, वाराणसी के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालतों से अपील सुनने के लिए पटना में अपील और सर्किट की एक प्रांतीय अदालत भी स्थापित की गई थी। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अंग्रेज थे और वाराणसी का क्षेत्राधिकार उस समय के जिले पर था, जिसमें बनारस राज्य के हिस्से शामिल नहीं थे, बरह, बढ़वल, मझवार और नरवन के परगने जो गाजीपुर के अंतर्गत थे और पन्द्रह तथाकोलअसला के परगने जौनपुर के अंतर्गत थे। जज मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ तीन वर्गों के भारतीय न्यायिक अधिकारी होते थे, जो मुंसिफ, सदर अमीन और अमीन कहलाते थे। इन अधीनस्थ अधिकारियों का संस्थापन कोई नई प्रणाली नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति अब नियमित कर दी गई थी। इससे दीवानी न्यायपालिका की पूरी प्रणाली को पहली बार समन्वित किया गया और सुनिश्चित नियंत्रण में लाया गया। जहां तक आपराधिक न्याय का संबंध है, 1797में आपराधिक मामलों की सुनवाई में जज मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति की गई और कालान्तर में संयुक्त और सहायक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई।

1804 में, जिले में सदर–उल–सदर के नाम से जाना जाने वाला अधीनस्थ न्यायाधीश का एक न्यायालय स्थापित किया गया था। 1826 के विनियमन VII द्वारा गंगापुर तहसील (जो बनारस के महाराजा के पारिवारिक डोमेन का एक हिस्सा था) में दीवानी न्याय प्रशासन के लिए नियम निर्धारित किए गए थे, लेकिन 1843 में दीवानी कार्य एक न्यायाधीश को सौंप दिया गया था। 1822 से 1829 की अवधि के दौरान मुंसिफ शहर की अदालत कार्य करती थी जिसे 1829 के बाद समाप्त कर दिया गया। 1828 में चार मुंसिफ अदालतें (मुंसिफ तेलियानाला, मुंसिफ मंडुआडीह, मुंसिफ सिकरौर और मुंसिफ जगतगंज) अस्तित्व में आ चुकी थी।

1829 में दो और मुंसिफ नियुक्त किए गए, एक सराय मुगल के लिए और दूसरा चांदनी चौक के लिए। उसी वर्ष बेंटिक ने अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालत को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर राजस्व आयुक्त को नियुक्त किया, जो राजस्व कलेक्टर और पुलिस के काम के अलावा पर्यवेक्षण करते हुए, न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर्तव्यों का पालन करता था। उन्हें आपराधिक और राजस्व कार्यों के लिए क्रमशः सदर निजामत अदालत और राजस्व बोर्ड के नियंत्रण में रखा गया था। वे मजिस्ट्रेटों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सुनते थे।

1830 में दो और मुंसिफ नियुक्त किये गये, एक को मुंसिफ दशाश्वमेध और दूसरे को मुंसिफ औसानगंज के नाम से जाना जाता था। 1832 में इलाहाबाद में अलग–अलग सदर दीवानी और सदर निजामल अदालतें स्थापित की गईं, जिनमें सभी स्थानीय न्यायाधीशों की ओर से अपील की जाती थी और अब उन्हें कलकत्ता की अदालत में नहीं भेजा जाता था। उस वर्ष जिला न्यायाधीश को मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया और मुंसिफ गंगापुर की अदालत अस्तित्व में आई। यही वह समय था जब फारसी को अदालती भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया था।

1835 में पुलिस से संबंधित शक्तियों को छोड़कर आयुक्त की सभी आपराधिक शक्तियां न्यायाधीशों को हस्तांतरित कर दी गईं, जो अब सिविल और सत्र न्यायाधीश बन गए। मजिस्ट्रेट–संबंधी कर्तव्य भी उनसे छीन कर कलेक्टर को सौंप दिए गए, जिन्हें अब कलेक्टर मजिस्ट्रेट कहा जाता था। 1836 में मुंसिफ चौबेपुर की अदालत, 1839 में मुंसिफ सभईपुर की अदालत और 1841 में मुंसिफ रामपुर और मुंसिफ घीहट्टा की अदालतें अस्तित्व में आईं लेकिन 1842 में तेलिया नाला और चौबेपुर के मुंसिफों की अदालतें और 1842 में

मुंसिफ सभईपुर की अदालतें समाप्त कर दी गईं और 1843 में डिप्टी मजिस्ट्रेट बनने लगे। नियुक्त किया जाए. 1844 में मुंसिफ मंडुआडीह, 1860 में मुंसिफ सिकरौर, मुंसिफ जगतगंज और मुंसिफ सराय मुगल और 1861 में मुंसिफ चांदनी चौक की अदालतें समाप्त कर दी गईं। 1862 में लघु वाद न्यायाधीश की अदालत अस्तित्व में आई और 1863 में मुंसिफ औसानगंज की अदालत को समाप्त कर दिया गया।

1866 में, 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाराणसी के न्यायालयों को लाया गया था और तब से यह जारी है। 1870 में, वाराणसी में मुंसिफ अदालत अस्तित्व में आई और 1923 में, इसे दो अदालतों, मुंसिफ शहर और मुंसिफ हवाली में विभाजित कर दिया गया।

1911 में, बनारस राज्य में न्यायिक प्रशासन के लिए महाराजा की अपनी राजस्व, दीवानी और फौजदारी अदालतें थीं। रामनगर, चकिया और ज्ञानपुर में एक तहसीलदार की अदालत और एक कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की अदालत थी, लेकिन कसवार राजा का परगना (जो 1911 तक महाराजा का था) आपराधिक न्याय के लिए ब्रिटिश प्रशासन के अधीन था। हालाँकि, तहसील भदोही में दो तहसीलदार थे – एक ज्ञानपुर पश्चिम के लिए और दूसरा ज्ञानपुर पूर्व के लिए, जिनके पास सहायक कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ थीं। कुछ नायब तहसीलदारों को तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गईं। भारतीय दंड संहिता और वन अधिनियम के तहत आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक वरिष्ठ नायब तहसीलदार (तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट शक्तियों के साथ) को नौगढ़ के पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था, जिसका मुख्यालय नौगढ़ में था। ज्ञानपुर में एक मुंसिफ, एक सिविल जज और एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालतें थीं। रामनगर के कलेक्टर को एक अधीनस्थ न्यायाधीश की शक्तियाँ भी सौंपी गईं। इन सभी अदालतों के लिए अपीलीय अदालत एक ही मुख्य न्यायाधीश के साथ रामनगर की मुख्य अदालत थी। राज्य में आपराधिक, दीवानी और राजस्व कानून लगभग प्रांत के समान ही थे (जैसा कि तब नामित किया गया था)। सर्वोच्च शक्ति ग्वालियर राज्य के ब्रिटिश रेजिडेंट के पास थी, जिसे कुछ वरिष्ठ वकीलों की गठित न्यायिक समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। 1949 में बनारस राज्य के उत्तर प्रदेश में विलय के बाद इन सभी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और एक उप–विभागीय अधिकारी और एक मजिस्ट्रेट की अदालत क्रमशः चकिया और ज्ञानपुर में स्थापित की गई और एक मुंसिफ की अदालत और एक सिविल और सत्र न्यायाधीश की अदालत ज्ञानपुर में स्थापित की गई

वाराणसी जजशिप का आधुनिक इतिहास 1913से खोजा जा सकता है

जब वरुणा नदी के किनारे सिविल कोर्ट का निर्माण हुआ। उस समय, वाराणसी जजशिप का नेतृत्व जिला न्यायाधीश करते थे। सिविल न्यायाधीश और न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय अन्य अदालतें थीं। वर्ष 1923में वाराणसी में मुंसिफ सिटी और मुंसिफ हवाली की अदालत की स्थापना की गई। उन न्यायालयों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पूरे वाराणसी पर था जिसमें संपूर्ण जिला शामिल था। वाराणसी जजशिप में उस समय दो आउटलाइन (जिले से बाहर की) अदालतें थीं, एक ज्ञानपुर (अब संत रविदासनगर) में और दूसरी चकिया (अब जिला चंदौली) में थी। वाराणसी की सभी अदालतें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियंत्रण में थीं। उस समय जिला न्यायाधीश के पास दीवानी और आपराधिक मामलों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण था। जिला न्यायाधीश और सिविल जज का मौद्रिक क्षेत्राधिकार असीमित था लेकिन क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल वाराणसी जिले तक ही सीमित था।

वर्ष 1994 में जिला वाराणसी से अलग कर नया जिला संत रविदास नगर (भदोही) बनाया गया। आगे चलकर वर्ष 1998में वाराणसी जिले से अलग करके नया जिला चंदौली बनाया गया।

अदालती कार्यवाही में उपयोग की जाने वाली विभिन्न मुहरें

अब, 2011की जनगणना के अनुसार वाराणसी जिले का कुल क्षेत्रफल और वाराणसी जिले की कुल जनसंख्या क्रमशः 1,535वर्ग किलोमीटर और 36,82,194 है। वाराणसी जिले में 32 पुलिस थाने हैं। वर्तमान में वाराणसी जजशिप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित 75 न्यायालय हैं। जजशिप में एक जिला और सत्र न्यायाधीश, चौदह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और दस अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अर्थात् विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम, विशेष न्यायाधीश ईसी अधिनियम और पांच विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक, चार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, तीन अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), एक न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय और एक अतिरिक्त न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बारह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं, जिनमें दो एसीजेएम रेलवे, एक सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत

और चार अपर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालतें शामिल हैं। एक सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सिविल जज जूनियर डिवीजन (सिटी और हवाली) की दो अदालतें, अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की बारह अदालतें, तीनसिविल जज जूनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) और तीन न्यायिक मजिस्ट्रेट।

इसके अतिरिक्त वाराणसी जिले में परिवारिक मामलों के निस्तारण हेतु चार परिवार न्यायालय, वाणिज्यिक मामलों का निपटारा करने के लिए एक वाणिज्य न्यायालय, मोटर दुर्घटना मामलों का निपटारा करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण तथा भूमि अर्जन संबंधी विवादों के निपटारे हेतु भूमिअर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण न्यायालय भी कार्यरत है।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

1. जिला न्यायाधीश संपूर्ण जिला न्यायपालिका पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण रखता है

a) जिला न्यायाधीश वाराणसी के पूरे क्षेत्र में सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं, जहां मुकदमे का मूल्यांकन 25,00,000/—रुपये तक का होता है।.

b) इसके अलावा, जिला न्यायाधीश विभिन्न अधिनियमों जैसे भारतीय तलाक अधिनियम 1869, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912, प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920और प्रोबेट और प्रशासन पत्र आदि से संबंधित मामलों में मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रधान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

c) जिला न्यायाधीश एक न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग करता है, जहां मुकदमे का मूल्यांकन जजशिप में स्थापित लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश के आर्थिक क्षेत्राधिकार से अधिक है।

2. आपराधिक पक्ष में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, उन आपराधिक शक्तियों का प्रयोग करता है जिनकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है और वह उस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील भी सुनता है जहां दी गई सजा 7साल तक है और कुछ मामलों में बरी होने के खिलाफ अपील भी सुनता है।

3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अतिरिक्त बाल यौन अपराध की रोकथाम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की कुछ विशेष अदालतें हैं। वे सीधे संज्ञान लेने की शक्ति के साथ मूल अदालतों के रूप में कार्य करते हैं।

4. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत का आर्थिक क्षेत्राधिकार पूरे शहर तक इसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के साथ असीमित है।

5. 1,00,000 रुपये के मूल्य तक के मनी सूट में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायाधीश लघु वाद के दो न्यायालय हैं।

6. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रैंक के कई न्यायालय हैं। जजशिप में दो संस्था न्यायालय हैं, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – सिटी और दूसरे सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हवाली हैं। दोनों न्यायालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अच्छी तरह से परिभाषित हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का आर्थिक क्षेत्राधिकार रु. 5,00,000/— (अधिकतम) बशर्ते कि माननीय न्यायालय ने अधिकारी को ऐसा आर्थिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया हो।

7. आपराधिक पक्ष में, मजिस्ट्रेट का नेतृत्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। सत्र न्यायाधीश की समग्र निगरानी के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक नियंत्रण में कई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक आदेश द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। अलावाय सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामलों से निपटने और निर्णय लेने के लिए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक अदालत है। रेलवे के अपराधों के निपटारे हेतु अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर एवं पुर्वोत्तर रेलवे की दो अदालते हैं।

वाराणसी में न्यायालयों का निर्माण

न्यायालय स्थापना का पुराना इतिहास

वाराणसी में न्यायिक व्यवस्था के आरंभ में न्यायालय दालमंडी से लेकर दशाश्वमेध तक स्थित था और 20बीघे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। इस संपत्ति पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था।

पुरानी अदालत की इमारत और दारा–शिकोह

मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र 'दारा–शिकोह' पंडित करुणापति त्रिपाठी से संस्कृत सीखने के लिए पुरानी अदालत की इमारत में रहते थे।

पुराना दरबार और मिर्जा–गालिब

पुराने दरबार का कुछ हिस्सा 'बारादरी' के नाम

से जाना जाता था जो किसी समय मिर्जा–गालिब का निवास स्थान भी था। ब्रिटिश काल में, यह बारादरी मुंसिफ कोर्ट की जगह थी जिसे वर्ष 2014 में ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद, 1857 अदालतों को उस परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया जहां वर्तमान में पीडब्ल्यूडी अधिकारी स्थित हैं। 1913 में वर्तमान न्यायालय अस्तित्व में आया और तब से लगातार इसी भवन में न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

जिला न्यायालय,वाराणसी का मुख्य भवन

मुख्य भवन–'जिला न्यायालय की पहचान' का निर्माण वर्ष 1913 में किया गया था और तभी से यहां न्यायिक कार्य शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण बीजान्टिन वास्तुकला पर आधारित था और भारत सरकार द्वारा इसे 'विरासत भवन' घोषित किया गया था। प्रत्येक अदालत कक्ष की इमारत में उचित वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी होती है।

इस लाल इमारत में जिस अनोखे प्रकार की वास्तुकला का उपयोग किया गया है वह केवल वाराणसी और अलीगढ में ही मौजूद है।

सिविल न्यायालय परिसर में अन्य भवन :–

सी.जे.एम– ब्लॉक– 19.11.1954 में निर्मित और यह एक मंजिला इमारत है।

कंप्यूटर ब्लॉकः–23.11.1974 में निर्मित और यह एक दो मंजिला इमारत है, जिसमें कंप्यूटर सेंटर, आपराधिक रिकॉर्ड रूम और पहली मंजिल पर 4कोर्ट रूम हैं।

पुरानी 12कोर्ट रूम बिल्डिंगः–11/02/1984 में निर्मित और यह एक तीन मंजिला इमारत है, जिसमें भूतल पर 6कोर्ट रूम और पहली मंजिल पर 6कोर्ट रूम हैं। न्यायालय कार्यालय तीसरी मंजिल पर स्थित हैं।

नई 12कोर्ट रूम बिल्डिंगरू–09/09/2001 में निर्मित और यह एक तीन मंजिला इमारत है, जिसमें भूतल पर 6कोर्ट रूम और पहली मंजिल पर 6कोर्ट रूम हैं। न्यायालय कार्यालय तीसरी मंजिल पर स्थित हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंगरू–25/10/2001 में निर्मित यह भी एक तीन मंजिला इमारत है, जिसमें क्रमशः 5कोर्ट रूम और उनके कोर्ट कार्यालय हैं।

मनोरंजन हॉलः–न्यायालय परिसर के उत्तर पूर्वी कोने पर एक बहुउद्देश्यीय बड़ा मनोरंजन हॉल स्थित है। इसके प्रथम तल पर एडीआर सेंटर बनाया गया है।

16कोर्ट रूम बिल्डिंगः–2022में निर्मित और यह 8मंजिला इमारत है, जिसमें क्रमशः कोर्ट रूम और उनके कार्यालय हैं

राजस्व न्यायालयों का योगदान

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रारंभ में, हिंदू राजा भूमि पर स्वामित्व का दावा करते थे और उपज का लगभग छठा हिस्सा सीधे किसानों से लेते थे और बदले में उनसे अपनी प्रजा को शांति और सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती थी। उसके बाद मुस्लिम शासन काल में वाराणसी क्षेत्र में राज्यपाल नियुक्त किये गये। प्रारंभ में, यह शर्की साम्राज्य का हिस्सा था, फिर, बाबर ने वाराणसी पर विजय प्राप्त की और धीरे–धीरे शेरशाह से होता हुआ, यह 1559में अकबर के हाथों में आ गया। 1584में, यह इलाहाबाद के सूबे में एक अलग सरकार बन गया। अकबर ने भू–राजस्व की अपनी प्रणाली को मोटे तौर पर भूमि की सही माप, खेती योग्य क्षेत्र, मिट्टी के वर्गीकरण आदि पर आधारित किया।

भू–राजस्व सामान्यतः उपज का एक–तिहाई होता था। यह व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक जारी रही जब वाराणसी की सरकारें अवध के नवाब के शासन का हिस्सा थीं। 1764में बक्सर की लड़ाई के बाद और 1765में इलाहाबाद की संधि के बाद, बनारस जिला बलवंत सिंह के कब्जे में आ गया जिन्होंने वार्षिक राजस्व के प्रावधान के संबंध में अंग्रेजों के साथ संधि की। पूरे जिले पर नियंत्रण के एवज में 22,48,449/– रु. वार्षिक राजस्व निर्धारित हुआ। धीरे–धीरे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और क्षेत्र के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन, कमोबेश, लगभग पिछली प्रणाली को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अपेक्षाओं के साथ अपनाया था।

बनारस स्थायी निपटान विनियमन, 1795 द्वारा, इसके पूरक और बनारस राज्य के फैमिली डोमेन्स विनियमन,1795 के साथ, यह निर्णय लिया गया कि यह पट्टा धारक के जीवन काल के दौरान अपरिवर्तित रहेगा और निपटान स्थायी और अपरिवर्तनीय हो गया, लेकिन, यह स्थायी बंदोबस्त असमान था और केवल राजस्व का आकलन था, न कि भूमि का नियमित बंदोबस्त।

इसमें एक दोष यह भी था कि मूल्यांकन गाँवों के समूह के साथ होता था लेकिन गाँवों और महलों के इन समूहों का प्रतिनिधित्व केवल एक या दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता था।

वर्ष 1882 में, समझौते के कुछ पहलुओं को संशोधित किया गया और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। लेकिन पूरी व्यवस्था लगभग 1938–39तक यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक अप्रभावित रही।

कांग्रेस सत्ता में आई और किरायेदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1939 का संयुक्त प्रांत किरायेदारी अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम लगान की निश्चित दरें प्रदान करता था, बेगार और नजराना

निषिद्ध था आदि। बनारस इसका हिस्सा था। हालाँकि, गुजर जाने तक यू.पी. कृषि किरायेदार (विशेषाधिकारों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1949, बयान वही रहता है। इस अधिनियम ने होल्डिंग के किराए का 10 गुना भुगतान करने पर बेदखली से छूट प्रदान की।

यूपी का अगला कदम जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (यू.पी. अधिनियम संख्या 1, 1951) जिसने काश्तकारों की बहुलता को केवल तीन प्रकार के काश्तकारों यानी भूमिधर, सीरदार और असामी में बदल दिया। यह अधिनियम जिले में कानून के विकास की प्रक्रिया की परिणति का प्रतीक है।

भू–राजस्व का संग्रहण

अब, भू–राजस्व संग्रह सीधे सरकार द्वारा और जिले में अभिन्न संग्रह योजना के तहत किया जाता है। 164अमीन हैं जिनके काम की देखरेख 14नायब–तहसीलदार, 4नियमित तहसीलदार और 6नियमित नायब–तहसीलदार करते हैं। भू–राजस्व एकत्र करने की अंतिम जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर की है।



सिविल न्यायालय वाराणसी



सिविल कोर्ट, वाराणसी



दक्षिण–पश्चिम दिशा से मुख्य भवन का दृश्य



पीछे की ओर का बरामदा – जिला न्यायाधीश का कक्ष



मुख्य भवन का मुख्य प्रवेश द्वार

न्यायिक अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों की संख्या (वरिष्ठता क्रम के अनुसार)	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1	जिला न्यायाधीश सहित अपर जिला न्यायाधीश	31	19
2	सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	24	21
3	सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट	22	13
4	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सहित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश	4	4
5	पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय	1	1
6	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	1	1
7	पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	1	1

वाद सांख्यिकी (निम्नलिखित सारणियों के अनुसार):

जिला न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	51396	404682	456078	8145	107548	115693	7317	77706	85023	52224	434524	486748
2025	52224	434524	486748	8404	140630	149034	7063	293473	300536	53565	281681	335246

पारिवारिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			दायर वाद			निस्तारित वाद			अंतिम शेष		
	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल	दीवानी	फौजदारी	कुल
2024	5625	4230	9855	5209	3876	9085	5015	3830	8845	5819	4276	10095
2025	5819	4276	10095	5258	3507	8765	5891	3595	9486	5186	4188	9374

वाणिज्यिक न्यायालय

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1559	408	310	1657
2025	1657	156	150	1663

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	1270	718	796	1192
2025	1192	729	772	1149

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	दायर वाद	निस्तारित वाद	अंतिम शेष
2024	885	275	412	748
2025	748	200	221	727

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ

वर्ष 2024 एवं 2025 हेतु संस्थान के कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण

संक्षिप्त विवरण

संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्तधसितम्बर, 1985 में नई दिल्ली में आयोजित उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुपालन में की गई। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री भी सम्मिलित हुए थे, जिसमें देश के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को संस्थागत स्तर पर आधारभूत (Induction) एवं सेवाकालीन (in-service) प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

राज्य सरकार की इस पहल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान की स्थापना हुई और इसने 25 अप्रैल, 1987 से माननीय न्यायमूर्ति के०एन० गोयल के मानद निदेशन में कार्यारम्भ किया। वर्तमान में सुश्री रेखा अग्निहोत्री, एच.जे.एस., संस्थान की निदेशक हैं।

संस्थान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन तथा उनके दृष्टिकोण में यथोचित संवेदनशीलता एवं व्यावसायिकता का विकास करना है, ताकि वे राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वाद अध्ययन, विचार–विमर्श सत्र, अभ्यास एवं गतिविधि–आधारित अध्ययन पद्धति का व्यापक उपयोग किया जाता है। प्रभावी चर्चा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभागियों को पूर्व में ही संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय–निर्माण कौशल तथा आदेशधनिर्णय लेखन की दक्षता में वृद्धि होती है।

"स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है" इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संस्थान में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित व्यायामशाला स्थापित की गई है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण को अनिवार्य अंग बनाया गया है। यह सुविधा प्रशिक्षु अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों दोनों के लिए उपलब्ध है।

संस्थान अधिकारियों की सतत खेल गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे तनाव का निवारण एवं शारीरिक सुदृढ़ता सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य से वॉलीबॉल, कैरम, बैडमिंटन कोर्ट एवं टेबल–टेनिस जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। संस्थान का छात्रावास पूर्णतः सुसज्जित है तथा उत्कृष्ट आवासीय एवं आतिथ्य सेवाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 150 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक विशाल वातानुकूलित भोजन कक्ष भी उपलब्ध है, जो छात्रावास परिसर में ही स्थित है।

न्यायिक तर्कशीलता एक कला एवं विज्ञान दोनों है, जिसका विकास अध्ययन, चिंतन एवं सतत अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। इस दिशा में संस्थान का पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध एवं सुव्यवस्थित है, जो 'प्रशिक्षण विंग' में दो विशाल वातानुकूलित कक्षों में स्थित है। एक कक्ष में विधि संबंधी ग्रंथ, विधि–संग्रह, विश्वकोश, टीकाएँ, एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तकें (जैसे– क्लासिक्स, जीवनी, साहित्य, दर्शन, इतिहास, राजनीति, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास आदि) उपलब्ध हैं, जबकि दूसरा कक्ष विशेष रूप से विधि पत्रिकाओं के लिए समर्पित है।

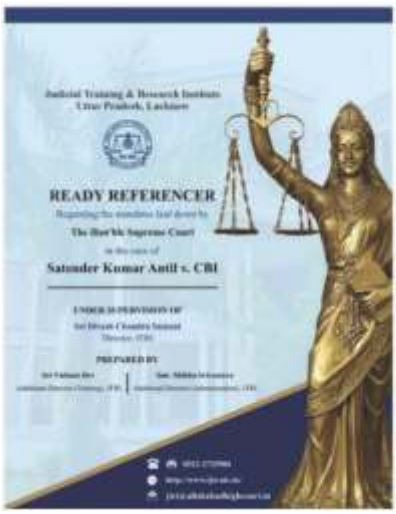
इस ज्ञान केंद्र में 25,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। संस्थान 15 विभिन्न विधि पत्रिकाओं, 7 समाचार पत्रों एवं 4 पत्रिकाओं की सदस्यता रखता है।

पुस्तकालय में All England Law Reports (1936–2014), Halsbury's Laws of India (2004–2008), Halsbury's Laws of England (1973–1987), Corpus Juris Secundum (Vol. 1 से 101A), Canadian Law Reports, American Law Reports Annotated तथा भारत विधि आयोग की रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। संस्थान निकट भविष्य में ई–ज्ञान केंद्र एवं ई–लाइब्रेरी विकसित करने की दिशा में कार्यरत है।

संस्थान में अनुसंधान कार्य हेतु 'ए.आई.आर. कैफे' की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान का उद्देश्य केवल न्यायिक शिक्षा एवं कौशल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों को उनके दैनिक कार्यों में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान प्रदान करना भी है। इस उद्देश्य से 'न्यायिक हेल्पलाइन' संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से न्यायिक अधिकारी दूरभाष, मोबाइल, फैक्स या ई–मेल द्वारा अपनी समस्याएँ संस्थान तक पहुँचा सकते हैं। इन समस्याओं का लिखित समाधान 72 घंटे के भीतर प्रदान किया जाता है।

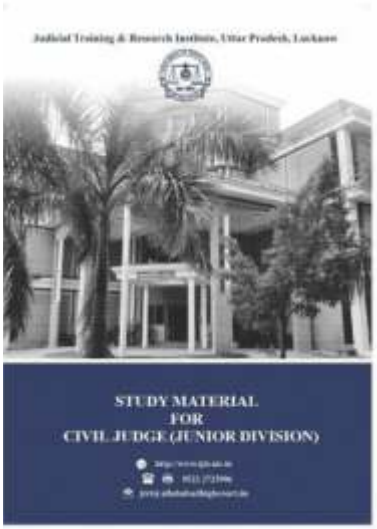
संस्थान द्वारा एक मासिक न्यूजलेटर, एक त्रैमासिक डाइजेस्ट तथा एक वार्षिक जर्नल प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान संस्थान ने विभिन्न विशिष्ट विधिक विषयों पर पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं तथा इंडक्शन एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान नवीनतम विधिक विकासों से संबंधित सामग्री नियमित रूप से वितरित की।

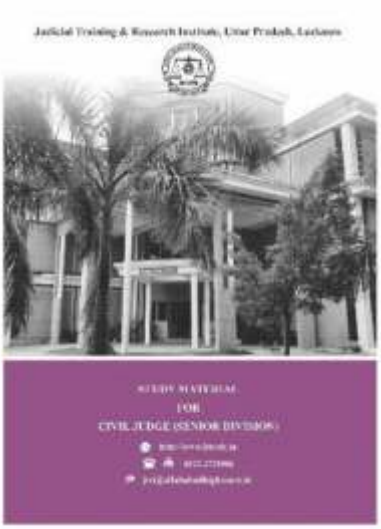
विशेष रूप से, संस्थान ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. में निर्धारित दिशानिर्देशों पर आधारित एक रेडी रेफरेंसर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, 2013 पर एक संदर्भ पुस्तिका तथा मध्यस्थता (Arbitration) विधि पर एक रेडी रेकनर प्रकाशित किया, जो न्यायिक अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

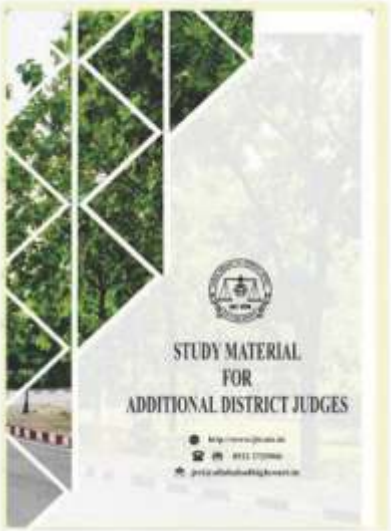












प्रशिक्षण कार्यक्रम

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने विजन वक्तव्य में निहित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत, गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2024 एवं 2025 (अर्थात् जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :

सम्मेलन/कार्यशालाएँ एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम

I. उत्तर क्षेत्र–II : समकालीन न्यायिक विकास एवं विधि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय सुदृढ़ीकरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सहयोग से दिनांक **16 एवं 17 मार्च, 2024** को संस्थान में दो दिवसीय "उत्तर क्षेत्र–II : समकालीन न्यायिक विकास एवं विधि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय सुदृढ़ीकरण" विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस सम्मेलन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के लगभग 21 माननीय न्यायाधीशों एवं लगभग 81 न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की।

उक्त सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य सहभागी माननीय न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों को समकालीन न्यायिक विकासों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के प्रति प्रेरित करना था। इस परिप्रेक्ष्य में न्याय तक सुगम पहुँच, कार्यकुशलता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देने हेतु ई–फाइलिंग प्रणाली, ऑनलाइन विवाद निवारण मंच, वर्चुअल सुनवाई तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विधिक विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष विचार–विमर्श किया गया।

यह भी रेखांकित किया गया कि प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के वर्तमान युग में नीति–निर्माताओं, विधि विशेषज्ञों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के मध्य समन्वय अत्यंत आवश्यक है, ताकि इन नवाचारों का उपयोग न्याय एवं विधि के शासन के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र दिनांक **16 मार्च, 2024** को प्रातः 09:30 बजे से 10:30 बजे तक जे.टी.आर.आई. के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर **माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया**, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस गरिमामय अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारतय माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालयय माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर. आई.य तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल, निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल की विशिष्ट उपस्थिति रही।



मंचासीन गणमान्य अतिथिगण



दीप प्रज्जवलन

सम्मेलन के मुख्य अतिथि, माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि सम्मेलन के विषय व्यापक एवं समग्र हैं, जिन पर दो दिवसीय आयोजन के विभिन्न तकनीकी सत्रों में विस्तार से विचार–विमर्श किया जाएगा। उन्होंने यह भी बल दिया कि अधिवक्ताओं, विधि शोधकर्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों को परस्पर विचारों के आदान–प्रदान हेतु राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल का अवश्य भ्रमण करना चाहिए।

मुख्य अतिथि ने यह भी व्यक्त किया कि "उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ में इस सम्मेलन का आयोजन होना हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।" उन्होंने कहा कि लखनऊ भारत की बौद्धिक परंपरा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ कला एवं काव्य की समृद्ध परंपरा ने सदैव समालोचनात्मक चिंतन एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी दो दिनों में होने वाले विचार–विमर्श से प्रतिभागियों की शैक्षणिक एवं बौद्धिक क्षमता में और अधिक परिष्कार होगा।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रोफेसर राजीव भार्गव द्वारा रचित पुस्तक "Between Hope and Despair" अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें राष्ट्र की अवधारणा तथा मानव जीवन में आत्मविश्वास के महत्व को प्रभावी रूप से प्रतिपादित किया गया है। उन्होंने 'बैंगलोर घोषणा' का उदाहरण देते हुए उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला तथा सहभागी माननीय न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि इस सम्मेलन के निष्कर्ष इतने सार्थक हों कि इसे 'लखनऊ घोषणा' के रूप में भी अभिहित किया जा सके।

माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के निदेशक को इस सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु बधाई दी तथा यह उल्लेख किया कि इस प्रकार के सम्मेलनों का उद्देश्य समाज को सार्थक योगदान प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें सतत सीखने की प्रक्रिया में संलग्न रहना चाहिए तथा अपनी बौद्धिक क्षमताओं को सशक्त बनाना चाहिए। आत्मविश्वास के विकास के माध्यम से ही त्वरित, प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण न्याय की दिशा में सार्थक प्रगति संभव है।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय



माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत ने गरिमामय सभा को संबोधित करते हुए वादों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया तथा यह प्रतिपादित किया कि इस दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने विभिन्न आँकड़ों के माध्यम से विलंब की समस्याओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया और यह अभिमत व्यक्त किया कि वास्तविक एवं सकारात्मक परिवर्तन न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली एवं मानसिकता में परिवर्तन से ही संभव है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह अभिमत व्यक्त किया कि "भविष्य में अपेक्षित परिवर्तनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए वर्तमान प्रणाली की सम्यक समझ अत्यंत आवश्यक है।" उन्होंने आगे कहा कि नवीन प्रौद्योगिकी एवं उभरते विकासों के अनुरूप स्वयं को ढालने हेतु दृष्टिकोण में परिवर्तन अनिवार्य है तथा उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण एवं शत–प्रतिशत प्रयास अपेक्षित हैं।

कार्यक्रम का परिचयात्मक विवरण राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के निदेशक माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजॉय

पॉल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने सहभागी माननीय न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्यों से अवगत कराया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल, निदेशक, एनजेए, भोपाल और माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जेटीआरआई



माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई. द्वारा उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं अन्य प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के निदेशक के प्रति भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन हेतु जे.टी.आर.आई. को अवसर प्रदान किया।

उद्घाटन सत्र के उपरांत प्रथम तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय था– **"संवैधानिक नैतिकता एवं समकालीन संवैधानिक प्रवृत्तियाँ"**। इस सत्र में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के विकास का सामाजिक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में विशद् विश्लेषण किया गया, साथ ही न्यायिक दृष्टिकोण, संवैधानिक विश्वास के संदर्भ में न्यायिक नवाचार (Judicial Innovation vis-à-vis Constitutional Trust), न्यायिक सक्रियता एवं अतिक्रमण (Activism cuke Overreach) तथा सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार–विमर्श किया गया।

इस सत्र में वक्ता के रूप में माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं श्री एन. वेंकटरमण, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार उपस्थित रहे। सत्र का संचालन डॉ. हुमायूं रशीद खान, अपर निदेशक (अनुसंधान), जे.टी.आर.आई., उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय



श्री एन. वेंकटरमन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

द्वितीय तकनीकी सत्र का विषय **"न्यायिक आचरण के तत्व"** था, जिसमें नैतिक मानदंडों, न्यायिक मर्यादाओं एवं न्यायाधीशों के आचरण, निर्णय–निर्माण में वस्तुनिष्ठता, न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु ईमानदारी एवं निष्पक्षता, संप्रेषण कौशल तथा न्यायिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं एवं उनके संभावित समाधानों पर समग्र रूप से विचार–विमर्श किया गया। इस सत्र में वक्ता के रूप में माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत तथा माननीय डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत उपस्थित रहे। सत्र का संचालन श्री निशांत देव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ, जो जे.टी.आर.आई., उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध हैं, द्वारा किया गया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायधीश एवं माननीय डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय



माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

प्रथम दिवस के तृतीय एवं अंतिम तकनीकी सत्र का विषय **"निर्णय लेखन के उपकरण"** रहा, जिसमें भाषा एवं विधि के अंतर्संबंध के अंतर्गत संक्षिप्त एवं सुसंगत लेखन, निर्णय लेखन के मूलभूत सिद्धांत–विधिक विश्लेषण से लेकर वाक्य संरचना एवं संपादन तक, स्पष्ट एवं सुबोध निर्णयों के माध्यम से पारदर्शिता को प्रोत्साहन एवं जन–विश्वास की वृद्धि, तथा निर्णयों में संवेदनशीलता–विशेषतः लैंगिक संवेदनशीलता, पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों एवं पक्षपात के उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण आयामों पर विचार किया गया। इस सत्र के वक्ता माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत तथा माननीय डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान रहे। सत्र का संचालन श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, अपर निदेशक (प्रशासन), जे.टी.आर.आई. द्वारा किया गया।

सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर आयोजित चतुर्थ तकनीकी सत्र में **"ई–कोर्ट्स परियोजना का अवलोकन"** तथा इसके तृतीय चरण (Phase III), विभिन्न उच्च न्यायालयों में सी.आई.एस. (Case Information System) में नवाचार, तथा नवीन सॉफ्टवेयर एवं अनुप्रयोगों के विकास जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस सत्र में वक्ता के रूप में माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत तथा माननीय न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय उपस्थित रहे। सत्र का संचालन श्री अनुराग पंवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ, जो जे.टी.आर.आई., उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध हैं, द्वारा किया गया।

सम्मेलन का पाँचवाँ एवं समापन तकनीकी सत्र **"प्रभावी न्यायिक शासन हेतु उभरती एवं भावी प्रौद्योगिकियाँ"** विषय पर केंद्रित रहा, जिसमें न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग तथा नवीनतम तकनीकी प्रगतियों पर व्यापक विमर्श किया गया। इस सत्र में वक्ता के रूप में माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय तथा माननीय न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय उपस्थित रहे। सत्र का संचालन श्री निशांत देव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ, जो जे.टी.आर.आई., उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध हैं, द्वारा किया गया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायधीश एवं माननीय डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय



माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए। इसके अतिरिक्त माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई., तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, माननीय श्री न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति ओ.पी. शुक्ला, सदस्यगण, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई. भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के रजिस्ट्रार (प्रशासन) श्री विजय चंद्र तथा कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सोनम जैन, शोध फेलो एवं श्री प्रसिध राज सिंह, विधि सहयोगी भी उपस्थित रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबन्धक श्री राजीव भारती, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (विधि) एवं विधि परामर्शदाता श्री विनोद सिंह रावत तथा लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ निबन्धक श्री विवेक भी सम्मेलन में उपस्थित रहे। संस्थान की ओर से समग्र समन्वय का दायित्व प्रभारी निदेशक श्री कुशलपाल द्वारा निर्वहन किया गया। सम्मेलन हेतु जे.टी.आर.आई. के नोडल अधिकारी डॉ. हुमायूं रशीद खान एवं श्री निशांत देव रहे। संकाय सदस्यों–श्री इरफान अहमद, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव एवं श्री अनुराग पंवार–द्वारा उद्घाटन सत्र एवं तकनीकी सत्रों के दौरान समुचित समन्वय किया गया।

II. नवीन आपराधिक विधियों पर द्वि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिला न्यायाधीशों, सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम. हेतु)

संस्थान द्वारा दिनांक 11 एवं 12 मई, 2024 को नवीन आपराधिक विधियों, 2023 {अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)} पर द्वि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM/ACJM) ने सहभागिता की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सहभागी न्यायिक अधिकारियों को नवीन आपराधिक विधियों, 2023 के संबंध में संवेदनशील एवं अभिज्ञ करना था, ताकि वे 01 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले इन विधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समुचित रूप से सामना करने के लिए समय रहते पूर्णतः तैयार हो सकें।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र दिनांक 11 मई, 2024 को जे.टी.आर.आई. के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (वर्चुअल माध्यम से), माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ (वर्चुअल माध्यम से), माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई., तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सदस्य, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई. द्वारा किया गया।



माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,
मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
{वर्चुअल मोड द्वारा}



दीप प्रज्ज्वलन माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जेटीआरआई तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सदस्य, पर्यवेक्षण समिति, जेटीआरआई।

मुख्य अतिथि, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने उद्घाटन संबोधन में न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित इस द्वि–दिवसीय कार्यशाला की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के न्यायिक अधिकारियों को वर्तमान आपराधिक विधियों से नवीन आपराधिक विधियों की ओर सुगम संक्रमण में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने यह भी बल दिया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है तथा तीनों नवीन आपराधिक विधियों के गहन ज्ञान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक विधियाँ अपराध के परिवर्तित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं तथा इनमें आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को समाहित किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम राज्य के न्यायिक अधिकारियों को नवीन विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्साह एवं दक्षता प्रदान करेगा, जिससे विधायिका द्वारा अधिनियमित इन नवीन प्रावधानों का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने उद्बोधन में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह एक शताब्दी से अधिक पुराने आपराधिक विधियों में हुए व्यापक परिवर्तनों के कारण अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया संबंधी विधियों में परिवर्तन से निचली न्यायालयों के कार्यप्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, अतः यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय इन नवीन आपराधिक विधियों, 2023 द्वारा किए गए परिवर्तनों से समय रहते पूर्णतः अवगत हों। उन्होंने राज्य के न्यायिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक न्यायिक कार्य में प्रभावी रूप से लागू करें।



माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ख्वर्चुअल मोड द्वारा,



माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जेटीआरआई।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई. ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि नवीन आपराधिक विधियाँ पीड़ित–केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित हैं तथा इनमें विधि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को समाहित किया गया है, जिससे समाज में हो रहे तकनीकी विकास के साथ न्यायिक प्रणाली सामंजस्य स्थापित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रशिक्षण राज्य के न्यायिक अधिकारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि नवीन विधियों के शीघ्र क्रियान्वयन के समय वे किसी प्रकार की कठिनाई या अपर्याप्तता का सामना न करें।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सदस्य, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई. ने तीनों नवीन आपराधिक विधियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह रेखांकित किया कि इन विधियों के अधिनियमन के समय विधायिका ने संवैधानिक न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों एवं बाध्यकारी विधिव्यवस्थाओं के माध्यम से विकसित न्यायिक बुद्धिमत्ता तथा संविधानोत्तर अनुभवों को समाहित किया है। नवीन आपराधिक विधियों का उद्देश्य वर्तमान विधियों की उन कमियों को दूर करना भी है, जो समय के साथ अप्रासंगिक एवं क्रियान्वयन में कठिन हो गई थीं। जिन विधिक प्रावधानों का अपेक्षित उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पा रहा था, उन्हें विधि–पुस्तक से विलोपित कर दिया गया है तथा समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन प्रावधानों को समाहित किया गया है।

यह द्वि–दिवसीय सम्मेलन नवीन अधिनियमित आपराधिक विधियों के विविध आयामों पर आधारित 12 से अधिक तकनीकी सत्रों से युक्त था, जिनकी अध्यक्षता एवं संचालन देशभर से आमंत्रित विभिन्न विशेषज्ञों–माननीय न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीशों, शिक्षाविदों, शासकीय प्रतिनिधियों एवं विषय–विशेषज्ञों–द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुक्त विचार–विमर्श (ओपन हाउस) सत्र भी सम्मिलित थे तथा इस पर विशेष बल दिया गया कि नवीन आपराधिक विधियों को प्रभावी रूप से आगे कैसे बढ़ाया जाए एवं उनके प्रावधानों को वास्तविक अर्थों एवं भावना (letter and spirit) में कैसे लागू किया जाए।



मंचासीन गणमान्य अतिथिगण और जेटीआरआई के निदेशक



प्रतिभागी जनपद न्यायाधीश

श्री दिवेश चन्द्र सामंत, निदेशक, जे.टी.आर.आई. ने मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा अन्य माननीय न्यायाधीशों का स्वागत किया। अपने स्वागत उद्‌बोधन में उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नवीन अधिनियमित आपराधिक विधियों, 2023 पर आयोजित इस द्वि–दिवसीय सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार–विमर्श एवं सत्र जिला न्यायालयों में इनके सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

III. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय परामर्श (विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों पर केंद्रित)

माननीय उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में तथा यूनिसेफ, लखनऊ के समन्वय से "किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों पर केंद्रित" विषयक राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन दिनांक 18 अगस्त, 2024 को जे.टी.आर.आई., उत्तर प्रदेश, गोमती नगर, लखनऊ में किया गया।

इस परामर्श कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त जिला न्यायाधीशों, पॉक्सो न्यायालयों के न्यायाधीशों, 32 जनपदों के प्रधान मजिस्ट्रेटों तथा अन्य हितधारकों, जिनमें विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित थे, ने सक्रिय सहभागिता की।

इस परामर्श का उद्घाटन सत्र दिनांक 18 अगस्त, 2024 को प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक जे.टी.आर.आई. के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती लीना जौहरी, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ तथा डॉ. जकारी एडम, प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय, यूनिसेफ भी मंचासीन रहे।



मंचासीन गणमान्य अतिथिगण



दीप प्रज्वलन

परामर्श के मुख्य अतिथि, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने उद्बोधन में इस बात पर बल दिया कि यह परामर्श बाल न्याय प्रणाली को दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हमारा प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों का संरक्षण एवं सशक्तिकरण होना चाहिए, जो राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं तथा देश के उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आगे बल देते हुए कहा कि बाल न्याय प्रणाली को अधिक समग्र (holistic), बाल–मित्र (child-friendly) एवं सुव्यवस्थित बनाया जाना आवश्यक है, ताकि वह दिव्यांग बच्चों से संबंधित जटिल समस्याओं–विशेषतः यौन शोषण के शिकार बच्चों के मामलों–का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके।



माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ



माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने उद्‌बोधन में सर्वप्रथम इस तथ्य पर बल दिया कि व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो, उसके पास सकारात्मक परिवर्तन लाने की सदैव पर्याप्त संभावनाएँ होती हैं। उन्होंने न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए संसाधनों के वितरण एवं उनके उपयोग में पारदर्शिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि यह परामर्श विचार–विमर्श का अंतिम चरण न होकर, सतत् एवं निरंतर संवाद की दिशा में प्रेरणा प्रदान करने वाला होना चाहिए। 'देखभाल' (Care) एवं 'संरक्षण' (Protection) के दो महत्वपूर्ण आयामों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका व्यापक एवं समग्र होनी चाहिए, जिसमें न्यायिक निर्णय के साथ–साथ संवेदनशीलता के माध्यम से संरक्षणात्मक वातावरण का सृजन भी सम्मिलित हो।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति ने अपने वक्तव्य में कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति इस परामर्श के महत्व को रेखांकित करती है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि बच्चों का हित वह साझा उद्देश्य है, जिसके लिए सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होकर समन्वित प्रयास करना आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के यौन शोषण जैसे संवेदनशील विषयों से निपटने में सहानुभूति (Empathy) को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस परामर्श का वास्तविक उद्देश्य दिव्यांग एवं संवेदनशील वर्ग के व्यक्तियों की आवाज को सुनना एवं उसे नीति एवं क्रियान्वयन में समुचित स्थान देना है।

श्रीमती लीना जौहरी, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय परामर्श के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इन संवेदनशील बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 'मिशन वात्सल्य' सहित विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

डॉ. जकारी एडम, प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय, यूनिसेफ ने अपने संबोधन में कहा कि यूनिसेफ के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने के अनुभव ने इन बच्चों के दैनिक जीवन की चुनौतियों एवं संघर्षों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सामुदायिक सहभागिता एवं स्वस्थ संवाद इन बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण सुनिश्चित करने में अत्यंत प्रभावी साधन सिद्ध हो सकते हैं।



माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

श्री दिवेश चन्द्र सामंत, निदेशक, जे.टी.आर.आई. ने माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा अपने उद्‌बोधन में विचाराधीन विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

श्री मयंक त्रिपाठी, निबन्धक (न्यायिक) (डिजिटाइजेशन), इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

IV. "जिला न्यायपालिका के समक्ष मुद्दे एवं चुनौतियाँ" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन

"जिला न्यायपालिका के समक्ष मुद्दे एवं चुनौतियाँ" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 24 नवम्बर, 2024 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में राज्य के समस्त जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश, नव–नियुक्त सिविल न्यायाधीश, जनपद लखनऊ में पदस्थ

न्यायिक अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर लखनऊ में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की।

यह सम्मेलन जे.टी.आर.आई. के सभागार में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सम्मेलन में माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालयय माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठय तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर. आई. की उपस्थिति रही। इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अन्य माननीय न्यायाधीशगण भी उपस्थित रहे।



माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ, माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जेटीआरआई तथा श्री दिवेश चंद्र सामंत, निदेशक, जेटीआरआई।



दीप प्रज्ज्वलन माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय पूर्व में भी उत्कृष्ट रहे हैं और वर्तमान में भी अपनी उत्कृष्टता को बनाए हुए हैं। उन्होंने उन दस गुणों पर विशेष बल दिया, जो प्रत्येक न्यायाधीश में निहित होने चाहिए, जिनमें निष्पक्षता, ईमानदारी, ज्ञान, धैर्य, निर्णयक्षमता, सहानुभूति एवं दृढ़ता प्रमुख हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिला न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों को उदाहरण प्रस्तुत कर नेतृत्व करना चाहिए तथा नव–नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को वरिष्ठों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को आत्मसात करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नव–नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को न्याय वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए तथा ऐसी किसी भी अवांछित प्रवृत्ति से बचना चाहिए, जो उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हो। प्रभावी न्यायिक प्रशासन हेतु उन्होंने समयपालन, अनुशासन एवं कार्यकाल के दौरान पीठ के साथ स्वस्थ कार्य–संबंध बनाए रखने पर बल दिया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय सभा को संबोधित करते हुए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति जॉन मार्शल के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायपालिका की शक्ति न तो केवल निर्णय देने में निहित है और न ही दंड प्रदान करने में, बल्कि यह आमजन के विश्वास एवं आस्था में निहित होती है। इस संदर्भ में उन्होंने बल दिया कि न्याय सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, विशेषकर समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लंबित प्राचीन वादों के त्वरित निस्तारण हेतु वर्तमान में लागू कार्ययोजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। साथ ही उन्होंने वर्चुअल सुनवाई एवं ई–सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के प्रति सम्मेलन में सहभागिता हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला हैं तथा सामान्य नागरिक का प्रथम संपर्क इन्हीं न्यायालयों से होता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि लंबित वादों एवं जनशक्ति की कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जनशक्ति एवं अवसंरचना से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास जारी हैं तथा डॉकेट प्रबंधन, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिससे न्यायालयों की कार्यक्षमता में और वृद्धि हो सके।

माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) ने अपने संबोधन में कहा कि जिला न्यायपालिका संपूर्ण न्यायिक प्रणाली का प्रतिबिंब है, क्योंकि यह आमजन के लिए न्याय प्राप्ति का प्रथम माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अधीनस्थ न्यायालयों को सुदृढ़ दिशा एवं प्रेरणा प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली प्रतिद्वंद्वी (Adversarial) प्रकृति की है, जिसमें वाद के परिणाम की परवाह किए बिना दोनों पक्षों को संतुष्ट करना एक सतत चुनौती है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय न्यायिक अधिकारी की दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, पर्यवेक्षण समिति, जे.टी.आर.आई. ने माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के प्रति इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सम्मेलन में सहभागिता हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने न्यायपालिका के उस दायित्व पर बल दिया, जिसके अंतर्गत उसे आमजन के दुःख–दर्द को दूर करते हुए उनकी न्याय की अपेक्षाओं को संतुष्ट करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायाधीशों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का सतत विकास आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को बाह्य प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

श्री दिवेश चन्द्र सामंत, निदेशक, जे.टी.आर.आई. द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया तथा उन्होंने सभी विशिष्ट अतिथियों के प्रति इस अवसर को गरिमामय बनाने हेतु आभार व्यक्त किया।

V. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों हेतु एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम

दिनांक 18 जनवरी, 2025 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जे.टी.आर.आई.) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य

विधिक सेवा प्राधिकरण (यू.पी.एस.एल.एस.ए.) के सहयोग से राज्य की विधिक सेवा व्यवस्था से संबद्ध न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति भूषण आर. गवई, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारतय माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालयय माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गरिमामयी उपस्थिति रही।



माननीय श्री न्यायमूर्ति भूषण आर. गवई, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय



माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, आधारभूत प्रशिक्षण बैच के न्यायिक अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउन्सेल, उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता तथा विधि के छात्र–छात्राओं ने सहभागिता की।

यह पहल न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जे.टी.आर.आई.) के उन सतत प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य न्यायपालिका एवं उससे संबद्ध कार्मिकों की क्षमता एवं संवेदनशीलता को सुदृढ़ करना है, ताकि वे प्रभावी विधिक सेवाओं के प्रदाय में अधिक उत्तरदायी बन सकें।

कार्यक्रम में विधिक सहायता में प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियों, समयबद्ध न्याय की अनिवार्यता तथा न्यायालय में विभिन्न भूमिकाओंकृजैसे पीड़ित, साक्षी, याचिकाकर्ता एवं अभियुक्त–में उपस्थित व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, बंदियों को उपलब्ध विधिक संरक्षणों की सम्यक समझ तथा Arnesh Kumar v. State of Bihar जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों के प्रभावों पर भी विचार–विमर्श किया गया, जो गिरफ्तारी एवं निरोध की प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करते हैं।

यह संवेदनशीलता कार्यक्रम जे.टी.आर.आई. के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को अभिमुखीकरण एवं सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी दक्षता में वृद्धि करना तथा उन्हें न्याय के प्रति अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाना शामिल है। समकालीन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हुए तथा निष्पक्ष विचारण एवं मानवाधिकारों के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हुए, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में एक अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावी विधिक तंत्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है।

VI. उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों हेतु पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक दिवसीय संवेदनशीलता सह कार्यशाला

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 16.02.2025 को जे.टी.आर.आई., उत्तर प्रदेश में राज्य के समस्त जनपदों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों एवं अन्य हितधारकों के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक दिवसीय संवेदनशीलता सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की प्रगति की निगरानी हेतु गठित माननीय समिति की

अध्यक्षाय श्री पार्थ सारथी सेनशर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासनय तथा डॉ. सुषमा सिंह, महानिदेशक (परिवार कल्याण)/अध्यक्ष, राज्य उपयुक्त प्राधिकरण, पीसीपीएनडीटी अधिनियम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की गरिमामयी उपस्थिति रही।



माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता चंद्र, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ, श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० सरकार, डॉ. सुषमा सिंह, अध्यक्ष, राज्य उपयुक्त प्राधिकरण, पीसीपीएएनडीटी अधिनियम, उ०प्र० और श्री दिवेश चंद्र सामंत, निदेशक, जेटीआरआई



माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता चंद्र, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ, सभा को संबोधित करते हुए

कार्यक्रम में लिंगानुपात के असंतुलन तथा भारत में कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 का समग्र अवलोकन, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध, कंपनी द्वारा किए गए अपराध एवं उनके संज्ञान से संबंधित प्रावधान, शासनादेश, अधिसूचनाएँ तथा अधिनियम से संबंधित नवीनतम विधिक एवं प्रशासनिक विकास जैसे प्रमुख विषयों पर विशेष रूप से विचार–विमर्श किया गया।

VII. "Vulnerable Witness Deposition Centre (VWDC) हेतु वर्तमान न्यायालय कक्षों के रूपांतरण/परिवर्तन" विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संरक्षण में तथा माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 'Vulnerable Witness Committee' के मार्गदर्शन में, दिनांक 2 मार्च, 2025 (रविवार) को जे.टी.आर.आई., लखनऊ स्थित नालंदा सभागार में "वर्तमान न्यायालय कक्षों को वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर (VWDC) में रूपांतरित करने" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय गीता मित्तल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 'Vulnerable Witness Committee' की अध्यक्ष द्वारा की गई, जिसका गठन Smruti Tukaram Badade v. State of Maharashtra वाद में किया गया था।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायाधीशों एवं अन्य संबंधित हितधारकोंकृजैसे विधिक सेवा अधिवक्ता, आर्किटेक्ट एवं अभियंता–के लिए आयोजित किया गया, जो न्यायालय भवनों के निर्माण एवं रूपांतरण से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, ताकि उन्हें वल्नरेबल गवाहों के अनुकूल न्यायालयी अवसंरचना के विकास हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।



माननीय न्यायमूर्ति गीता मित्तल



प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी न्यायाधीश

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 432 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की, जिनमें जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), पीठासीन अधिकारी–मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन प्राधिकरण (LARRA), वाणिज्यिक न्यायालय, विधिक सहायता अधिवक्ता, लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अभियंता एवं आर्किटेक्ट सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य न्यायिक अधिकारी एवं हितधारकगण इस कार्यक्रम से आभासी माध्यम के द्वारा जुड़े।

अपने स्वागत भाषण में श्री दिवेश चन्द्र सामंत, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ ने वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर (VWDC) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें संवेदनशील प्रकृति के साक्षियों हेतु सुरक्षित स्थल के रूप में रेखांकित किया, जहाँ वे बिना किसी भय एवं दबाव के अपने कथन प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने यह भी बल दिया कि वर्तमान न्यायालयीन अवसंरचना का पुनर्संरचना एवं उन्नयन अत्यावश्यक है, ताकि उन्हें वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर के रूप में रूपांतरित किया जा सके तथा न्यायालय कक्षों में उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता माननीय सुश्री न्यायमूर्ति गीता मित्तल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, वल्नरेबल विटनेस समिति द्वारा की गई। उन्होंने न्यायालय कक्षों को वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर में रूपांतरित करने के विषय में व्यापक एवं व्यावहारिक व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया गया कि इस प्रकार का रूपांतरण किस प्रकार संभव है तथा इससे संवेदनशील साक्षियों के कथनों की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कक्ष की संकल्पना एवं संचालन पारंपरिक न्यायालय कक्षों में विद्यमान बाधाओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, तथा इस कार्यक्रम की सफलता न्यायिक नेतृत्व एवं न्यायिक हस्तक्षेप पर निर्भर करती है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि निर्धारित दिशानिर्देश अन्वेषण से लेकर निर्णय तक की विभिन्न अवस्थाओं को समाहित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवेदनशील साक्षी अपने कथन के दौरान सुरक्षित एवं सहज अनुभव करें। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि न्यायालयों में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना आवश्यक है जो संवेदनशील साक्षियों के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हो, ताकि उन्हें उनके निवास स्थान से लेकर वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन परिसर तक हर स्तर पर संवेदनशीलता के साथ संबोधित एवं व्यवहार किया जा सके।

इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, अपर निदेशक (प्रशासन), जे.टी.आर.आई., उ.प्र., लखनऊ द्वारा किया गया।

आभार ज्ञापन में श्री चंद्रोदय कुमार, जनपद न्यायाधीश, कन्नौज ने साक्षियों को न्याय प्रणाली के अनिवार्य अंग तथा उसकी "आँख एवं कान" के रूप में वर्णित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी हितधारकों को संवेदनशील साक्षियों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं उनकी संवेदनशीलता के प्रति सक्रिय एवं प्रभावी रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, तथा इस दिशा में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति गीता मित्तल, निदेशक, जे.टी.आर.आई., सहभागी न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य सभी हितधारकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किया गया। अंततः, कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय



प्रतिभागी अधिकारीगण

VIII. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 तथा "न्यायोचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" विषयक द्विदिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के वाणिज्यिक न्यायालयों एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण (LARRA) के पीठासीन अधिकारियों के लिए दिनांक 17.05.2025 से 18.05.2025 तक एक द्विदिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक सत्र सम्मिलित थे, जो मुख्यतः वाणिज्यिक वादों एवं संबंधित विधिक विषयों पर केंद्रित थे। इन सत्रों में मध्यस्थता के माध्यम से समझौते को प्रोत्साहित करना, पूर्व–संस्थापन मध्यस्थता (Pre-Institution Mediation) की प्रक्रिया, वाणिज्यिक मध्यस्थता में धारा 12A के प्रभाव, वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व–संस्थापन मध्यस्थता एवं समझौता) नियम, 2018, संदर्भ न्यायाधीश की भूमिका एवं मध्यस्थता अधिनियम, 2023, मध्यस्थता समझौते का निष्पादन एवं उसके प्रभाव, न्यायिक लेखन की संरचनाकृशैली एवं भाषा, निर्णय लेखन के आवश्यक तत्व जैसे संक्षिप्तता, सरलता, सुसंगति एवं स्पष्टता, निष्कर्ष, तर्क एवं विश्लेषण, शब्दों का दक्षतापूर्ण प्रयोग आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक विवाद एवं मध्यस्थता के मध्य विधिक समन्वय, वाणिज्यिक विवादों एवं मध्यस्थता के क्षेत्र, उद्देश्यों एवं नवीन न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में विधि के विकास, पक्षकारों द्वारा क्षेत्राधिकार का चयन (मूल अथवा आर्थिक), वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 7 के अंतर्गत वादों का स्थानांतरण, वाणिज्यिक विवादों एवं मध्यस्थता में दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता, साइबर चुनौतियाँ एवं डिजिटल साक्ष्य का प्रबंधन, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के उद्देश्य, क्षेत्राधिकार एवं व्यापार सुगमता के संदर्भ में इसकी भूमिका, वादों के लिए निर्दिष्ट मूल्य (Specified Value), पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, संस्थागत पंचाट, धारा 34 (पंचाट निर्णय को निरस्त करना) तथा धारा 36 (पंचाट निर्णय का प्रवर्तन), प्रमुख न्यायिक निर्णय, तथा न्यायोचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पुनर्वास एवं क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न, संदर्भ की प्रक्रिया, प्रतिकर का निर्धारण, अवार्ड एवं पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण वादों में व्यवहार एवं प्रक्रिया, तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, RFCTLARRA, 2013 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित निस्तारण में आने वाली बाधाएँ एवं चुनौतियाँ आदि विषयों पर भी व्यापक विचार–विमर्श किया गया। कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक सत्र एवं प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया (फीडबैक) के साथ किया गया।

IX. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं पोक्सो अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श (बालिका सुरक्षा पर विशेष ध्यान सहित): उत्तर प्रदेश में उसके लिए सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण की दिशा में

"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015" तथा "पोक्सो अधिनियम, 2012" के प्रभावी क्रियान्वयन पर, बालिका की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए "उत्तर प्रदेश में उसके लिए सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण" विषयक राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श का आयोजन, माननीय उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के संरक्षण में तथा यूनिसेफ, लखनऊ के सहयोग से, दिनांक 07 सितम्बर 2025 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ में किया गया। इस परामर्श में उत्तर प्रदेश के सभी जनपद न्यायाधीश, पोक्सो न्यायाधीश, 31 जनपदों के किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रधान मजिस्ट्रेट, अन्य हितधारक तथा बाल देखरेख संस्थानों से आए बच्चों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्रीमती लीना जौहरी, आईएएस, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ तथा डॉ. जकारी आदम, प्रमुख, फील्ड कार्यालय, यूनिसेफ भी मंचासीन रहे।



मंचासीन गणमान्य अतिथिगण



माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं परामर्श सत्र के मुख्य अतिथि

परामर्श के मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने उद्बोधन का प्रारम्भ महात्मा गांधी के मार्मिक कथन–**"यदि हमें इस विश्व में वास्तविक शांति प्राप्त करनी है, तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी"**–के साथ किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर विशेष बल दिया कि बालिका संरक्षण केवल परोपकार का विषय नहीं है, अपितु यह एक न्यायपूर्ण एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना का अनिवार्य आधार है। महिलाओं के उत्थान हेतु विधिक एवं शासकीय स्तर पर किए गए विविध प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस परामर्श की महत्ता को रेखांकित किया, जिसने विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच पर संगठित किया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बालिका के विरुद्ध व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण जड़ एवं स्थिर सामाजिक मानसिकता है। उन्होंने वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों के संवर्धन की आवश्यकता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक दायित्वों के मध्य संतुलन बनाए रखने की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि केवल विधि का अस्तित्व पर्याप्त नहीं हैय यदि उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। अतः उन्होंने सभी से अपने आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने का आह्वान किया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ



माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा अध्यक्ष, किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय

माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, माननीय उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति ने परामर्श की महत्ता एवं बच्चों के जीवन में इसके दूरगामी परिवर्तनकारी प्रभावों को रेखांकित किया। उन्होंने बाल अधिकारों के क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं नई गति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) के सहयोग से विकसित बाल शिक्षा की एक नवीन शिक्षण–पद्धति (पेडागॉजी) पर प्रकाश डाला, जो शिक्षा को बाल विकास के साथ समेकित करती है।

श्रीमती लीना जौहरी, आईएएस, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय परामर्श के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बालिका की देखभाल एवं संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पहलों एवं योजनाओं, जैसे मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति, का उल्लेख करते हुए उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला।

डॉ. जकारी आदम, प्रमुख, फील्ड कार्यालय, यूनिसेफ ने इस परामर्श को एक सहभागी प्रक्रिया के रूप में सराहा, जिसका उद्देश्य प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श करना तथा विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने इस दिशा में जोखिमों की पहचान, बाल–अनुकूल प्रक्रियाओं का निर्माण एवं उत्तरदायित्व की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण उपायों को रेखांकित किया।

कार्यक्रम के दौरान "नई राहें, नए सपने" नामक एक दृश्य प्रस्तुति भी प्रदर्शित की गई, जिसमें बाल देखभाल संस्थानों में योग, कंप्यूटर शिक्षा, ध्यान, बागवानी, बाह्य गतिविधियाँ, संगीत, कला, रंगमंच एवं अन्य जीवन–कौशलों के समावेशन के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की गई।

यह परामर्श विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के शुभारम्भ हेतु एक सशक्त मंच के रूप में भी उभरा, जिनमें 'उड़ान' के द्वितीय संस्करण का विमोचन, किशोर न्याय समिति की वेबसाइट का शुभारम्भ, तथा राज्य के 32 जनपदों में स्थित बाल देखभाल संस्थानों में 52 पुस्तकालयों का उद्घाटन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ विश्वविद्यालय, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण–पद्धति के विकास की दिशा में पहल करते हुए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, समूह गतिविधियों एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बाल देखभाल संस्थानों के साथ सक्रिय सहभागिता स्थापित की जा रही है, जिससे बच्चों के समाज में पुनर्समावेशन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री दिवेश चन्द्र सामंत, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ ने माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए विचाराधीन विषय की प्रासंगिकता एवं महत्ता को रेखांकित किया।

श्री मयंक त्रिपाठी, रजिस्ट्रार (डिजिटाइजेशन), इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

X. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों हेतु लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशाला

माननीय परिवार न्यायालय विषयक संवेदनशीलता समिति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर, 2025 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ में **"लैंगिक संवेदनशीलता"** विषय पर द्विदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश शासन, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ.प्र. तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की।

इस कार्यशाला का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को **'लैंगिकता'** (Gender) की अवधारणा से परिचित कराना, उन्हें लैंगिक रूढ़ियों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना, तथा उन्हें अपने घर एवं कार्यस्थल पर लैंगिक भूमिकाओं के प्रभाव को समझने में सक्षम बनाना था।

कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 को **माननीय श्री न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह**, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं सदस्य, परिवार न्यायालय विषयक संवेदनशीलता समिति द्वारा किया गया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सदस्य, परिवार न्यायालय मामलों के प्रति संवेदनशीलता समिति (दीप प्रज्वलित करते हुए)



माननीय श्री न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सदस्य, पारिवारिक न्यायालय मामलों के प्रति संवेदनशीलता समिति (सभा को सम्बोधित करते हुए)

माननीय श्री न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रहों–विशेषकर लैंगिक पूर्वाग्रहों–से मुक्त होने के लिए **"सीखे हुए को भूलने"** (Unlearn) की प्रक्रिया को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि न्यायाधीशों द्वारा वादों का निस्तारण मात्र औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह न्याय का वितरण है, जो एक उच्च एवं नैतिक दायित्व (दैवीय कर्तव्य) के समान है। लॉरेंस सैंडर्स एवं रॉबिन कुक के साहित्यिक कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने मानव मनोविज्ञान की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है और जितना अधिक व्यक्ति जानता है, उतना ही उसे अपनी अज्ञानता का बोध होता है। अतः नवीन विचारों के प्रति ग्रहणशीलता ही लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने की कुंजी है। उन्होंने Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) का उल्लेख करते हुए लैंगिक पहचान एवं सामाजिक मान्यताओं के विकसित होते विमर्श को स्पष्ट किया।

कार्यशाला के विभिन्न सत्र लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रो. रोली मिश्रा, डॉ. प्रशांत शुक्ला एवं डॉ. सोनाली रॉय चौधरी द्वारा संचालित किए गए। कार्यशाला का प्रारूप सहभागितापरक एवं विमर्श–आधारित रखा गया, जिसका उद्देश्य लैंगिकता से संबंधित दृष्टिकोणों में सकारात्मक परिवर्तन लाना था।

प्रो. रोली मिश्रा ने द्विदिवसीय कार्यशाला की संरचना एवं उद्देश्यों का परिचय देते हुए परिवार न्यायालय विषयक संवेदनशीलता समिति के सतत प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो लैंगिक मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करने एवं

रूढ़ियों को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने संरचनात्मक असमानताओं (systemic inequalities) तथा समाज में निहित सामाजिक पूर्वाग्रहों की ओर संकेत करते हुए इस बात पर बल दिया कि समानता केवल एक आदर्श न रहकर वास्तविक जीवन में अनुभव की जाने वाली स्थिति बननी चाहिए।

डॉ. प्रशांत शुक्ला ने उद्घाटन सत्र में "Setting the Tone" विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुस्तकों पर चर्चा का उद्देश्य यह समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सुकरात के कथन–"ज्ञान ही सद्गुण है"–का उल्लेख करते हुए कार्यशाला की दिशा निर्धारित की तथा लैंगिक अपेक्षाओं के साथ–साथ अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की पहचान एवं उनके निराकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

इसके उपरांत प्रो. रोली मिश्रा, डॉ. प्रशांत शुक्ला एवं डॉ. सोनाली रॉय चौधरी द्वारा एक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें विभिन्न मीडिया उदाहरणों के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया कि किस प्रकार लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में परिलक्षित होती है। यह सत्र पूर्णतः सहभागितापरक था, जिसमें प्रतिभागी न्यायिक अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से अपने विचार व्यक्त किए।

द्वितीय दिवस पर "लैंगिक संवेदनशीलता" विषय पर प्राचीन भारत, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में चर्चा की गई। इसके पश्चात् एक अन्य सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मीडिया क्लिप्स के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता के विविध आयामों पर प्रकाश डाला गया।



माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, परिवार न्यायालय मामलों के प्रति संवेदनशीलता समिति (सभा को सम्बोधित करते हुए)



प्रो० रोली मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए)

समापन सत्र की गरिमा माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं अध्यक्ष, परिवार न्यायालय विषयक संवेदनशीलता समिति की उपस्थिति से बढ़ी।

समापन सत्र में माननीय न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा द्वारा समापन भाषण प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरांत धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने Aparna Bhat v. State of Madhya Pradesh (2021) के निर्णय का उल्लेख करते हुए न्यायिक आदेशों एवं निर्णयों में लैंगिक संवेदनशीलता की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रसिद्ध कथन–"मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन इस आधार पर करता हूँ कि उसमें महिलाओं ने कितनी प्रगति की है"–का उद्धरण देते हुए यह रेखांकित किया कि हमारा लक्ष्य ऐसा समाज स्थापित करना होना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत मानवीय गरिमा प्राप्त हो तथा अंतर्निहित पूर्वाग्रहों का उन्मूलन हो। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला से प्राप्त शिक्षाएँ भविष्य में न्यायिक अधिकारियों के आचरण एवं कार्यप्रणाली में परिलक्षित होंगी।

XI. सम्मेलन 'संकल्प' – विधिक सहायता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में अवरोधों का निवारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा **"विधिक सहायता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में अवरोधों का निवारण"** विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ में किया गया, जिसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की उपस्थिति भी रही।

यह कार्यक्रम माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं प्रधान संरक्षक, UPSLSA; माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, UPSLSA; माननीय श्री न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद; तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति, लखनऊ खंडपीठ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्य कान्त, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का स्वागत करते हुए माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय



गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलित करते हुए

अपने उद्बोधन में माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के संवैधानिक दायित्व को रेखांकित करते हुए महिलाओं के अधिकारों के प्रति न्याय प्रणाली की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा संचालित विभिन्न पहलों, विशेषतः एआई–आधारित चैटबॉट 'न्याय मार्ग', की सराहना की।

माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का उद्धरण देते हुए महिलाओं की प्रगति और समग्र सामाजिक विकास के मध्य गहरे संबंध को रेखांकित किया तथा "संकल्प" जागरूकता अभियान की प्रशंसा की।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधिक सहायता की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल पहुँच (Digital Outreach) एवं समावेशी उपलब्धता (Inclusive Access) के महत्व पर बल दिया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लैंगिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित बहुआयामी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उद्घाटन सत्र का समापन माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा की गई। इस सत्र में मनोचिकित्सा, जनस्वास्थ्य, विधि–प्रवर्तन एजेंसियों तथा महिला अधिकार संगठनों के विशेषज्ञों ने सहभागिता की और प्रजनन स्वायत्तता, गर्भसमापन संबंधी विधिक प्रावधानों (MTPAct) तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श किया गया।

कार्यक्रम का समापन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) की सदस्य सचिव, डॉ. (श्रीमती) मनु कालिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ।



माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्य कान्त, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसाय माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समितिय माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं प्रधान संरक्षक, उ०प्र० सालसाय माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, उ०प्र० सालसाय माननीय श्री न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबादय तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप–समिति, लखनऊ पीठ, के साथ जेटीआरआई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की टीम (नेतृत्वः सुश्री रेखा अग्निहोत्री) एवं उ०प्र० सालसा की टीम (नेतृत्वः सुश्री मनु कालिया)।

पुनश्चर्या/संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुनश्चर्या/संस्थागत अथवा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी प्रगतिशील सेवा का निरंतर एवं अभिन्न अंग होते हैं। इसी दृष्टि से संस्थान द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्तरों के न्यायिक अधिकारियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, ताकि वे उच्चतर न्यायालयों के नवीन एवं मार्गदर्शक निर्णयों के साथ–साथ नवीनतम विधियों एवं प्रक्रियाओं से अपने ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन कर सकें।



पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले न्यायिक अधिकारीगण



सिविल जज (जू.डी.) 2022 बैच (समूह 1) के 15.01.2024 से 12.04.2024 तक के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीगण

इसी क्रम में, संस्थान द्वारा जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पुनश्चर्या/संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

क्रम सं०	कार्यक्रम	अवधि
1	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पदोन्नति द्वारा) हेतु एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.01.2024 से 02.02.2024
2	नव नियुक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 बैच (समूह 1) हेतु 3 माह का प्रथम चरण संस्थागत प्रशिक्षण	15.01.2024 से 12.04.2024
3	नव पदोन्नत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण	05.02.2024 से 09.02.2024
4	नव पदोन्नत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण	19.02.2024 से 23.02.2024
5	नव पदोन्नत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण	15.04.2024 से 19.04.2024
6	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 बैच (समूह 2) हेतु 3 माह का प्रथम चरण प्रशिक्षण	22.04.2024 से 20.07.2024
7	नव नियुक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हेतु आधारभूत प्रशिक्षण	29.07.2024 से 26.10.2024
8	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेतु 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण	22.07.2024 से 26.07.2024
9	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 (समूह–4) हेतु प्रथम चरण आधारभूत प्रशिक्षण	09.09.2024 से 06.12.2024
10	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 बैच हेतु तृतीय चरण संस्थागत प्रशिक्षण (समूह–1)	11.11.2024 से 08.02.2025

क्रम सं०	कार्यक्रम	अवधि
11	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 बैच (समूह –1) हेतु तृतीय चरण अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	11.11.2024 से 08.02.2025
12	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 बैच (समूह–2) हेतु तृतीय चरण आधारभूत प्रशिक्षण	24.02.2025 से 24.05.2025
13	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 बैच (समूह–3) हेतु तृतीय चरण आधारभूत प्रशिक्षण	02.06.2025 से 30.08.2025
14	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2022 हेतु तृतीय चरण आधारभूत प्रशिक्षण	02.06.2025 से 30.08.2025
15	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – 2016 एवं 2018 बैच हेतु प्रथम चरण प्रशिक्षण	04.08.2025 से 14.08.2025
16	सिविल जज (JD) – 2016 एवं 2018 बैच (शेष) हेतु तृतीय चरण प्रशिक्षण	15.09.2025 से 26.09.2025
17	सिविल जज (JD) – 2022 बैच (शेष) हेतु प्रथम चरण प्रशिक्षण	04.08.2025 से 01.11.2025
18	सिविल एवं आपराधिक विषयों पर 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण (ई–कोर्ट एवं संवेदनशील साक्षी योजना सहित)	01.12.2025 से 05.12.2025
19	सिविल एवं आपराधिक विषयों पर 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण (ई–कोर्ट एवं संवेदनशील साक्षी योजना सहित)	15.12.2025 से 19.12.2025

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने क्षमता–निर्माण के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को इस विषय के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अपने कर्तव्यों का अधिक प्रभावी और कुशल ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाना है।

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	लक्षित समूह	प्रतिभागी
1	उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2024 के अनुपालन में ऑनलाइन प्रशिक्षण	04.04.2024	एचजेएस कैडर के न्यायिक अधिकारी	सभी
2	उच्च न्यायालय आदेश (05.04.2024) के अनुपालन में प्रशिक्षण	05.04.2024	किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट	75
3	आपराधिक रिट याचिका सं. 5948 सन् 2024 – सोने लाल एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन में ऑनलाइन संगोष्ठी	17.05.2024	मजिस्ट्रेटीय शक्तियों वाले न्यायिक अधिकारी	मजिस्ट्रेटीय शक्तियों वाले सभी न्यायिक अधिकारी
4	आपराधिक अपील सं. 4393 सन् 2012 – शंकर एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 27–05–2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट हेतु ऑनलाइन संगोष्ठी	16.07.2024	उत्तर प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट	उत्तर प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	लक्षित समूह	प्रतिभागी
5	नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण	19.07.2024	सिविल जज (JD/SD)	लगभग 1500
6	नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण	20.07.2024	एचजेएस अधिकारी	लगभग 1200
7	नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण	23.07.2024	डीजीसी / एडीजीसी	लगभग 250
8	नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण	25.07.2024	विधिक सहायता अधिवक्ता	लगभग 250
9	ICC के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु ऑनलाइन संवेदनशीलता कार्यक्रम	24.07.2024	न्यायिक अधिकारी जो ICC के सदस्य	लगभग 300
10	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 सं. 32881 सन् 2024 – सचिन बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 18–12–2024 के अनुपालन में NSTEP की प्रक्रिया व क्रियान्वयन एवं ICJS प्रक्रिया पर ऑनलाइन सेमिनार	31.05.2024	सभी न्यायिक अधिकारी	सभी न्यायिक अधिकारी
11	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 सं. 37741 सन् 2024 – साकेत बिहारी बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 के अनुपालन में NI Act की प्रक्रिया पर ऑनलाइन सेमिनार	06.06.2024	NI Act के वादों की अधिकारिता वाले न्यायिक अधिकारी	NI Act के वादों की अधिकारिता वाले सभी न्यायिक अधिकारी
12	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 सं. 32881 सन् 2024 – सचिन बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 31–01–2025 के अनुपालन में आपराधिक न्यायालयों में NSTEP की प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन, तथा ICJS के कार्यान्वयन, जिसमें विशेष रूप से न्यायालय के आदेशों को 'जेल पोर्टल' पर अपलोड करने, 'कैदी प्रवेश दस्तावेज' (Prisoner Induction Document) और 'प्री–ट्रायल नंबर' पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ऑनलाइन सेमिनार	14.06.2024	सभी न्यायिक अधिकारी	सभी न्यायिक अधिकारी
13	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 सं. 32881 सन् 2024 – सचिन बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 07–03–2025 के अनुपालन में NSTEP की प्रक्रिया व क्रियान्वयन एवं ICJS प्रक्रिया पर ऑनलाइन सेमिनार	19.06.2024	उत्तर प्रदेश के सभी सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी तथा डीजीसी (क्रिमिनल)	उत्तर प्रदेश के सभी सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी तथा डीजीसी (क्रिमिनल)

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	लक्षित समूह	प्रतिभागी
14	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी०बी०आई० में दिये गये निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.12.2024	सभी न्यायिक अधिकारी	उत्तर प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी
15	POSH अधिनियम पर ICC के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु ऑनलाइन संवेदनशील कार्यक्रम	22.01.2025	सभी न्यायिक अधिकारी जो ICC के सदस्य हैं	लगभग 300



PoSH Act पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उ०प्र० के जनपद न्यायालयों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, आईसीसी



PoSH Act पर सुश्री रेखा अग्निहोत्री, निदेशक, तथा संकाय अधिकारीगण ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्बोधन देते हुए

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप	अवधि	लक्षित समूह / प्रतिभागी	प्रतिभागियों की संख्या
1	परिवार न्यायालय, उ.प्र. के काउंसलरों हेतु एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम	25.02.2024	काउंसलर, परिवार न्यायालय	80
2	परिवार न्यायालय, उ.प्र. के काउंसलरों हेतु एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम	07.04.2024	काउंसलर, परिवार न्यायालय	90
3	जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.02.2024 से 01.03.2024	जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष	71
4	विधि एवं प्रक्रिया पर तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	01.05.2024 से 03.05.2024	नव नियुक्त उप जिलाधिकारी	39
5	MCPC का तीन दिवसीय मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.06.2024 से 22.06.2024	जिला न्यायालयों के अधिवक्ता मध्यस्थ	37
6	डब्ब्ब का तीन दिवसीय मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.07.2024 से 26.07.2024	जिला न्यायालयों के अधिवक्ता मध्यस्थ	47
7	नव नियुक्त डीएसपी हेतु तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	01.08.2024 से 03.08.2024	नव नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक	73

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप	अवधि	लक्षित समूह / प्रतिभागी	प्रतिभागियों की संख्या
8	उप मुख्य विधिक सहायता डिफेंस अधिवक्ताओं हेतु तीन दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण	18.09.2024 से 20.09.2024	मुख्य एवं उप विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता	80
9	सहायक विधिक सहायता डिफेंस अधिवक्ताओं हेतु तीन दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण	23.09.2024 से 25.09.2024	उप एवं सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता	73
10	सहायक विधिक सहायता डिफेंस अधिवक्ताओं हेतु तीन दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण	03.10.2024 से 05.10.2024	सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता	78
11	विधि एवं प्रक्रिया पर पाँच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.10.2024 से 25.10.2024	प्रांतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी	38
12	अनुशासनात्मक कार्यवाही, न्यायालयीन वाद एवं अन्य विधिक विषयों पर पाठ्यक्रम	27.11.2024 से 29.11.2024	राष्ट्रीय रक्षा वित्त प्रबंधन अकादमी के अधिकारी	20
13	नव नियुक्त डीएसपी हेतु तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	09.12.2024 से 11.12.2024	नव नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक	34
14	वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण	15.12.2024 से 16.12.2024	वाणिज्यिक न्यायालय, LARRA एवं MCPC के पीठासीन अधिकारी	90
15	विधि एवं प्रक्रिया पर तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.12.2024 से 20.12.2024	प्रांतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी	66
16	उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार हेतु साढ़े चार माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.01.2025 से 31.01.2025	संयुक्त रजिस्ट्रार	40
17	आगरा क्लस्टर हेतु दो दिवसीय लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशाला	26.04.2025 से 27.04.2025	परिवार न्यायालय के न्यायाधीश	23
18	40 घंटे का MCPC प्रशिक्षण (न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मध्यस्थ)	05.05.2025 से 09.05.2025	न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मध्यस्थ	60
19	वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम एवं LARRA पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण	17.05.2025 से 18.05.2025	पीठासीन अधिकारी, LARRA एवं वाणिज्यिक न्यायालय	26
20	राज्य सिविल सेवा अधिकारियों हेतु विधि एवं प्रक्रिया प्रशिक्षण	26.05.2025 से 28.05.2025	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी	50
21	गौतम बुद्ध नगर क्लस्टर हेतु दो दिवसीय लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशाला	12.07.2025 से 13.07.2025	परिवार न्यायालय के न्यायाधीश	21
22	राज्य सिविल सेवा अधिकारियों हेतु विधि एवं प्रक्रिया प्रशिक्षण	18.08.2025 से 22.08.2025	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी	40

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप	अवधि	लक्षित समूह / प्रतिभागी	प्रतिभागियों की संख्या
23	40 घंटे का MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	06.10.2025 से 10.10.2025	अधिवक्ता मध्यस्थ	60
24	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों हेतु दो दिवसीय लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशाला	11.10.2025 से 12.10.2025	न्यायिक अधिकारी	51
25	40 घंटे का MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	13.10.2025 से 17.10.2025	अधिवक्ता मध्यस्थ	60
26	40 घंटे का MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	28.10.2025 से 01.11.2025	अधिवक्ता मध्यस्थ	60
27	'प्रजनन स्वायत्तता में बाधाओं को हटाना' विषय पर संवेदनशीलता कार्यक्रम	02.11.2025	जिला न्यायाधीश, DLSA सचिव, विशेष न्यायाधीश (POCSO), CJM, DPO, चिकित्सक एवं नागरिक समाज सदस्य	468
28	40 घंटे का MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	10.11.2025 से 14.11.2025	अधिवक्ता मध्यस्थ	60
29	40 घंटे का MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	24.11.2025 से 28.11.2025	अधिवक्ता मध्यस्थ	60
30	विधि एवं प्रक्रिया पर तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण (85वाँ आधारभूत प्रशिक्षण)	17.11.2025 से 19.11.2025	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी	48
31	परिवार न्यायालय काउंसलरों हेतु एक दिवसीय लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम	07.12.2025	काउंसलर	82
32	40 घंटे MCPC प्रशिक्षण का प्रथम रोल प्ले (न्यायिक अधिकारी)	07.12.2025	न्यायिक अधिकारी	104
33	परिवार न्यायालय काउंसलरों हेतु एक दिवसीय लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम	14.12.2025	काउंसलर	84
34	40 घंटे MCPC प्रशिक्षण का द्वितीय रोल प्ले (न्यायिक अधिकारी)	21.12.2025	न्यायिक अधिकारी	104
35	40 घंटे MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	22.12.2025 से 26.12.2025	अधिवक्ता मध्यस्थ	60
36	40 घंटे MCPC प्रशिक्षण (अधिवक्ता मध्यस्थ)	29.12.2025 से 02.01.2026	अधिवक्ता मध्यस्थ	60

प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों हेतु तीन दिवसीय "विधि एवं प्रक्रिया" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा समय–समय पर उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के लिए "विधि एवं प्रक्रिया" विषय पर त्रिदिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों को विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की सम्यक् समझ प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक प्रभावी एवं विधिसम्मत ढंग से कर सकें।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक एवं प्रशासनिक विषयों पर केंद्रित सत्र सम्मिलित थे। इन सत्रों में न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, संरचना एवं कार्यप्रणाली, लोक कार्यवाही का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) एवं जनहित याचिका, विधि का शासन (Rule of Law) एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, न्यायालयीन शिष्टाचार, माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थिति, वेशभूषा संहिता, प्रार्थना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं सामान्य प्रोटोकॉल, दीवानी प्रक्रिया संहिता का अवलोकन, निष्पादन कार्यवाही एवं दीवानी न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन, संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से संबंधित विधि, लोक सेवकों के अभियोजन से संरक्षण एवं अभियोजन स्वीकृति से संबंधित विधि, न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन एवं अनुपालन न होने के प्रभाव, अवमानना–नागरिक एवं दंडात्मक अवमानना, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंध एवं समन्वय, विभिन्न न्यायालयों एवं अधिकरणों में सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध वादों की प्रभावी पैरवी, पैरावार टिप्पणियाँ, रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया, अनुपूरक/प्रत्युत्तर/संक्षिप्त हलफनामों का दाखिला, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका, तलाशी एवं जब्ती से संबंधित विधि, कीटनाशक अधिनियम तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

अधिवक्ता मध्यस्थों हेतु 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा वर्ष 2025 में लगभग 600 अधिवक्ता मध्यस्थों के लिए 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 5–5 दिवस के 10 चरणों (स्लॉट्स) में संपन्न किया गया।



विशेषज्ञ प्रशिक्षक, MCPC



प्रतिभागी अधिवक्तागण

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य मध्यस्थता के मूलभूत सिद्धांतों, प्रभावी संप्रेषण तकनीकों, आचार–संहिता, वार्ता (Negotiation) की विधियों तथा मध्यस्थता सत्रों के सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यावहारिक कौशलों का सम्यक् प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रतिभागियों को अनुभवी वरिष्ठ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में व्यापक भूमिका–अभिनय (Role-play), अनुकरण (Simulation) एवं समूह–चर्चाओं में सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनके व्यावहारिक कौशलों का सुदृढ़ीकरण हुआ।

कार्यक्रम को प्रतिभागियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा इसने विवादों के वैकल्पिक समाधान के रूप में मध्यस्थता की बढ़ती प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करते हुए संस्थान की उस महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया, जिसके माध्यम से वादों की संख्या में कमी लाने एवं सहमति–आधारित विवाद निस्तारण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।



मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का समूह चित्र



सुश्री रेखा अग्निहोत्री, निदेशक, जेटीआरआई, प्रमाण पत्र वितरित करते हुए



उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

निरीक्षण

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल निरीक्षण

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, कार्यपालक अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा दिनांक 04.05.2024 को केंद्रीय कारागार, नैनी तथा जिला कारागार, प्रयागराज का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ सदस्य सचिव, UPSLSA, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) प्रयागराज, सचिव, DLSA प्रयागराज तथा UPSLSA के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष ने जेल में निरुद्ध प्रत्येक बंदी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं संतुष्टि की जानकारी प्राप्त की तथा यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक विचाराधीन बंदी (Under Trial Prisoner) का न्यायालय में समुचित रूप से प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं। उन्होंने जेल में स्थापित विधिक सहायता क्लिनिक का भी निरीक्षण किया तथा विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ताओं (Legal Aid Defense Counsels) द्वारा तैयार की गई फाइलों की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिया कि विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता नियमित रूप से जेल का भ्रमण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी विचाराधीन बंदियों को उनके मामलों की नवीनतम स्थिति की जानकारी हो। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन बंदियों को जमानत मिल चुकी है, उन्हें जमानत मुचलके (bail bonds) उपलब्ध न होने के कारण अधिक समय तक जेल में न रखा जाए, तथा आवश्यक मामलों में जमानत शर्तों में शिथिलता हेतु संबंधित न्यायालय से समन्वय स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष ने जेल की रसोई का निरीक्षण कर जेल प्रशासन को स्वच्छता बनाए रखने एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया तथा वहां भर्ती बंदियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की जानकारी प्राप्त की।





उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा तहसीलों का निरीक्षण (प्रयागराज)

सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा प्रयागराज जनपद की समस्त तहसीलों यथा करछना, कोरांव, फूलपुर, बारा, मेजा, सदर, सोरांव एवं हंडिया का दौरा कर तहसील/तहसील स्तर पर विधिक सेवा गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के साथ बैठक आयोजित की गई तथा तहसील विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता संबंधी पोस्टर एवं बैनर लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

सदस्य सचिव के निर्देशों के अनुपालन में सभी तहसीलों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिक हेतु पृथक कक्ष उपलब्ध

कराया गया तथा आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे पोस्टर एवं बैनर स्थापित किए गए, जिससे ग्रामीण एवं आम जनमानस में विधिक जागरूकता को बढ़ावा मिल सके।

इसके अतिरिक्त, सदस्य सचिव द्वारा प्रयागराज जनपद स्थित हंडिया, फूलपुर एवं मेजा के तीनों ग्राम न्यायालयों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनसामान्य को सुलभ विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी ग्राम न्यायालयों में लीगल एड हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के अनुपालन में हंडिया, फूलपुर एवं मेजा स्थित ग्राम न्यायालयों में विधिक सहायता हेल्प डेस्क स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर न्याय एवं विधिक सेवाओं की पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार मेरठ का आकस्मिक निरीक्षण

दिनांक 01.12.2024 को माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा जिला कारागार, मेरठ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने महिला बैरक का भ्रमण किया तथा महिला बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष ने इन उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए महिला बंदियों को उनके उत्कृष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाले कार्य हेतु प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया।

इस अवसर पर माननीय कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा जेल परिसर में गौशाला का उद्घाटन किया गया तथा परिसर में पवित्र रुद्राक्ष वृक्ष का रोपण भी किया गया। उन्होंने जेल में क्रिकेट खेल रहे पुरुष बंदियों को भी प्रोत्साहित किया तथा मैच के उपरांत उन्हें सम्मानित किया।

इसके अतिरिक्त, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष ने जेल के अस्पताल बैरक, रसोईघर, विधिक सहायता क्लिनिक, कौशल विकास कक्ष तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा जेल में उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की।





अभियान

अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) विशेष अभियान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, NALSA के मार्गदर्शन में "अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) विशेष अभियान" प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों (UTRCS) के नियमित कार्य को गति प्रदान करना तथा सभी पात्र विचाराधीन बंदियों (Under Trial Prisoners & UTPS) की समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित करना था। इसका प्रमुख लक्ष्य NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार ऐसे बंदियों की पहचान करना एवं उनकी रिहाई हेतु आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाना था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA)

द्वारा इस अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया तथा जेलों में निरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करते हुए उनकी जमानत याचिकाएँ दाखिल कराने में सहयोग किया गया। इस अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में बंदियों को रिहाई का लाभ प्राप्त हुआ, जो UPSLSA के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है।

इस अभियान के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	जमानत/रिहाई हेतु अनुशंसित विचाराधीन बंदी/दोषसिद्ध व्यक्ति की संख्या	UTRC की अनुशंसाओं के अनुसार रिहा किए गए बंदी की संख्या
2024	5336	2895
2025	3313	3249

"Restoring the Youth: पैन इंडिया अभियान (2024) – जेलों में किशोरों की पहचान एवं विधिक सहायता"

"Restoring the Youth: पैन इंडिया अभियान" का शुभारंभ 25 जनवरी 2024 को किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना था जो वर्तमान में कारागारों में निरुद्ध हैं, परंतु अपराध के समय संभवतः नाबालिग (minor) थे। ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष किशोरत्व (juvenility) का दावा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक आवेदन दाखिल कराने में सहायता प्रदान करना तथा उपयुक्त मामलों में उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions) में स्थानांतरित कराना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा इस अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा समाज के अत्यंत कमजोर वर्ग, विशेषकर 'कानून के साथ संघर्षरत बालक (Children in Conflict with LAW)' को विधिक सहायता प्रदान की गई।

इस अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAS) के सचिवों को संवेदनशील बनाते हुए जेलों में निरुद्ध संभावित किशोरों की पहचान कर उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

इस अभियान के अंतर्गत कुल **46 किशोरों को सुरक्षित स्थान या बाल देखभाल संस्थानों में स्थानांतरित किया गया तथा 22 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया।**

वृद्ध एवं असाध्य रोग से ग्रसित बंदियों हेतु विशेष अभियान

वृद्ध बंदियों तथा गंभीर/असाध्य (terminally ill) रोग से ग्रसित बंदियों को जेल वातावरण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हें नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष आहार, तथा परिवार एवं परिजनों से बार–बार मिलने की आवश्यकता होती है। ऐसे बंदियों को विशेष देखभाल एवं व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है, जो जेल प्रशासन द्वारा सीमित संसाधनों के कारण पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा माननीय अध्यक्ष, NALSA के अनुमोदन से "वृद्ध एवं असाध्य रोग से ग्रसित बंदियों हेतु विशेष अभियान" का संचालन दिनांक 10 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वृद्ध एवं गंभीर रोग से पीड़ित बंदियों की पहचान करना, ऐसे बंदियों जिनकी रिहाई संभव नहीं है उनके लिए आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना तथा रिहाई योग्य मामलों में उनके सामाजिक पुनर्वास (reintegration) में सहायता प्रदान करना था।

इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित बंदियों के मामलों की समीक्षा कर उनके स्वास्थ्य एवं विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिससे संवेदनशील बंदियों को राहत एवं उचित देखभाल उपलब्ध कराई जा सके।

विवरण	70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के बंदी / अंतिम अवस्था के गंभीर रूप से बीमार बंदी	दाखिल आवेदन की संख्या	निस्तारित आवेदन की संख्या	रिहा किए गए बंदी की संख्या
वृद्ध बंदी (Old Age Prisoners)	1337	885	252	123
अंतिम अवस्था के गंभीर रूप से बीमार बंदी Terminally Ill Prisoners	192	190	78	30

उद्घाटन समारोह

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज में लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन

दिनांक 29 अगस्त 2024 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज के लीगल एड क्लिनिक एवं मूट कोर्ट हॉल में लीगल एड क्लिनिक तथा 03 दिवसीय पैरालीगल वालंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रो. उषा टंडन, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री संजय सिंह, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रो. उषा टंडन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की विधिक सहायता एवं सामुदायिक सेवा में भूमिका पर प्रकाश डाला तथा उद्घाटन संबोधन दिया।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने मुख्य भाषण में पैरालीगल वालंटियर्स तथा लीगल एड क्लिनिक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य समाज के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने विद्यार्थियों को विधिक सहायता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने का आह्वान किया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने विस्तृत अनुभव के माध्यम से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित





किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लीगल एड क्लिनिक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को अमूल्य विधिक सहायता प्रदान करना है।

उन्होंने आगे पैरालीगल वालंटियर्स की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक विधिक शिक्षा को भी सुदृढ़ बनाते हैं।

माननीय न्यायमूर्ति ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे विधिक सहायता कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा समाज के वंचित एवं हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाएँ।

---

03 दिवसीय पैरा लीगल वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम
(30.08.2024 से 01.09.2024 तक)

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सक्षम मार्गदर्शन में, 03 दिवसीय पैरा लीगल वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज के मूट कोर्ट हॉल में किया गया। 03 दिवसीय पैरा लीगल वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभिन्न विधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं, प्रथाओं तथा क्लाइंट काउंसलिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया, जैसे कि परिवार कानून (विवाह कानून, दत्तक ग्रहण, भरण–पोषण, अभिरक्षा एवं संरक्षकता, न्यायिक पृथक्करण एवं तलाक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005) – यह प्रशिक्षण सुश्री रश्मि सिंह, अपर प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, प्रयागराज द्वारा दिया गया। PLVs का उद्देश्य एवं भूमिका, मूलभूत श्रवण, संप्रेषण एवं अवलोकन कौशल तथा आचार एवं व्यवहार मानक कृ इस विषय पर डॉ. इशान्या राज (काउंसलर) एवं श्री सुरजन सिंह, विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

आपराधिक कानून (B.N.S., B.N.S.S. विशेष रूप से जमानत, गिरफ्तारी, मुआवजा आदि) तथा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार – इस विषय पर श्री दिनेश गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मध्यस्थता का अवलोकन एवं गतिविधि – रोल प्ले का संचालन श्री सुरजन सिंह, विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया।

बाल अधिकारों से संबंधित कानून, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा गुमशुदा बच्चों के विषय में सुश्री प्रियंवदा प्रियदर्शिनी, प्रधान मजिस्ट्रेट, Juvenile Justice Board एवं सुश्री महिमा मौर्या, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय एवं सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण योजनाएं (केंद्र एवं राज्य सरकार की) तथा पीड़ित मुआवजा योजनाएं – इस विषय पर श्री अभिषेक सिंह, एस.डी.एम. सदर, प्रयागराज एवं डी.पी.ओ., प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कैदियों के अधिकार एवं कैदियों के कल्याण से संबंधित विधियां एवं न्यायिक निर्णय – इस विषय पर श्री आर. बी. पटेल, अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न प्रकार की विधिक सहायता से संबंधित आवेदन तैयार करने की गतिविधि श्री विकास गुप्ता, चीफ LADC एवं श्री गौरव सिंह, डिप्टी चीफ LADC द्वारा कराई गई।

प्रतिभागियों ने केंद्रीय कारागार एवं न्यायालय परिसर का भ्रमण भी किया ताकि वे विधिक प्रक्रियाओं एवं वंचित समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझ सकें। मूट कोर्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा विजेताओं के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया।





उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन

माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, / कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 18.01.2025 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन शिलापट्ट का अनावरण एवं फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात, कारागार मुख्यालय द्वारा प्रदर्शित "वन जेल वन प्रोडक्ट" स्टॉल का निरीक्षण करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई ने कैदियों के पुनर्वास कार्यक्रमों के संचालन हेतु कारागार विभाग के प्रयासों की सराहना भी की। माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।

इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयय माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणय माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा, (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / तत्कालीन अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबादय माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ / अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप–समिति, लखनऊ तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं लखनऊ खंडपीठ के अन्य माननीय न्यायाधीशगण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।









उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) के सभागार का दिनांक 02.11.2025 को उद्घाटन

UPSLSA के सभागार "स्पंदन" का उद्घाटन 02.11.2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा किया गया, जो विधिक जागरूकता एवं न्याय प्रदान प्रणाली की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों एवं न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति रही, जो न्याय तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

"स्पंदन" नामक यह सभागार संवेदनशीलता, त्वरित प्रतिक्रिया एवं जन–केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है। आधुनिक

सुविधाओं से सुसज्जित यह सभागार विधिक सहायता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनारों एवं जन–जागरूकता गतिविधियों के लिए एक जीवंत मंच के रूप में परिकल्पित है, जिससे विधिक साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज के साथ सार्थक सहभागिता सुनिश्चित होगी।





मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनी कार्य योजना (Action Plan) तैयार की गई है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को मेगा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

जनपद कानपुर नगर

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा 30.11.2024 को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार, सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर नगर में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 04 पूर्व विधिक सहायता शिविरों के उपरांत यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस शिविर के माध्यम से आम जनमानस को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, एनआरएलएम, श्रम विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला अनुसूचित जाति कल्याण विभाग आदि विभागों की सहभागिता रही, जिनके द्वारा लोगों को आवास, सैनिटरी पैड, आयुष्मान कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

इस प्रकार आयोजित शिविर में लगभग 1587 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।





जनपद मेरठ

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा 23.03.2025 को ब्रहस्पति सभागार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में मेगा विधिक साक्षरता शिविर/सेवाएँ शिविर का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्र (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) मुख्य अतिथि के रूप में तथा श्री संजय सिंह–I, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री राजत सिंह जैन, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ, डॉ. वी.के. सिंह, जिलाधिकारी, मेरठ एवं श्रीमती नूपुर गोयल, मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ भी मंच पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मेरठ जनपद के न्यायिक अधिकारीगण तथा न्यायालय का स्टाफ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती को पुष्प अर्पित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत न्यायालय के अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्र (सेवानिवृत्त) द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन रिबन काटकर किया गया तथा उन्हें आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी कराया गया।

विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष, यूनानी एवं होम्योपैथी, NEDA, ICDS, NRLM, मनरेगा, बैंकिंग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, नगर निगम, पंचायती राज, औद्योगिक विकास विभाग तथा महिला आश्रय गृह आदि के स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से आमजन को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में खिलाड़ियों द्वारा फेंसिंग एवं ताइक्वांडो का प्रदर्शन भी किया गया। लाभार्थियों को व्हीलचेयर, आवास एवं ऋण के चेक भी वितरित किए गए।









कानूनी जागरूकता, साक्षरता एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

महिला क्लब, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के सहयोग से दिनांक 15.09.2024 को ग्राम बाँका, जलालपुर, मौआइमा, तहसील सोरांव, प्रयागराज में एक विधिक साक्षरता एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री संजय सिंह–I, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिला क्लब, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उप–जिलाधिकारी, सोरांव, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, कर्मचारीगण एवं आमजन उपस्थित रहे।

श्री सुरजन सिंह, अधिकारी (विशेष कार्याधिकारी), उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जनता को कार्यक्रम के उद्देश्य तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में जानकारी दी गई। श्री दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं, महिला अधिकारों तथा मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में जनता को अवगत कराया गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। सामाजिक सहायता कार्यक्रम में महिला क्लब, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सुश्री वंदना गुप्ता, सुश्री निधि बिड़ला, सुश्री आभा तिवारी एवं सुश्री सारिका उपस्थित रहीं। महिलाओं एवं बच्चों को वस्त्र एवं अन्य सामग्री वितरित की गई।

सुश्री ज्योत्सना त्रिपाठी, उप प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में प्राप्त 09 पेंशन संबंधी आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा सभी 09 व्यक्तियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से स्वीकृत/लागू की गई।

कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सामान्य चिकित्सक एवं बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं दंत चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परीक्षण कर सभी को औषधियाँ वितरित की गईं। इस चिकित्सा शिविर का 300 से अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया।

जिला खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा 15 दिवसीय फल एवं सब्जी प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एक माह का बेकरी एवं कन्फेक्शनरी कुकरी कोर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।





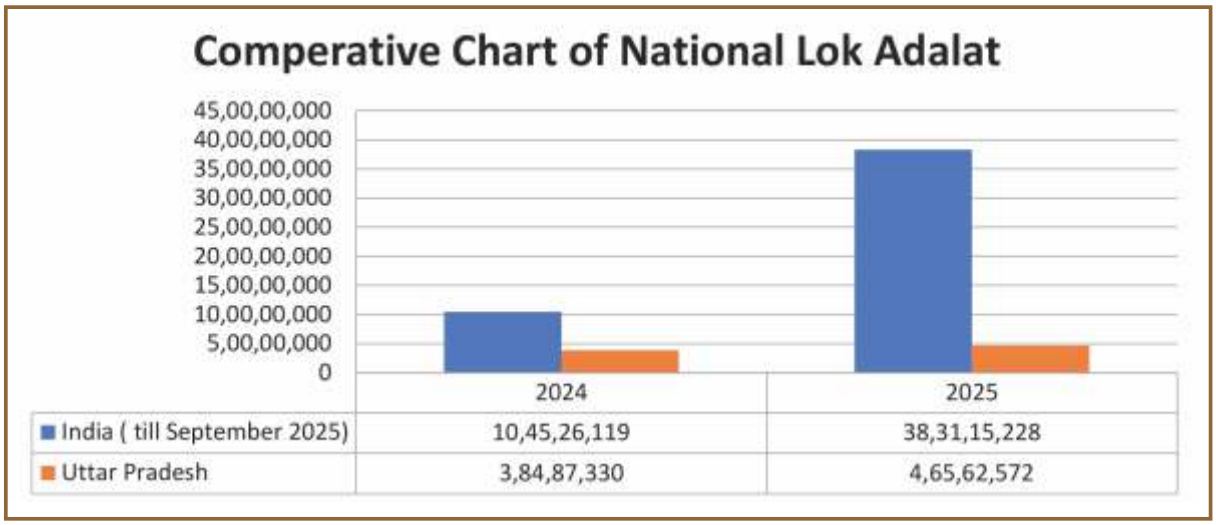
लोक अदालतों का आयोजन



राष्ट्रीय लोक अदालतः–

NALSA के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2024 एवं 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों का विवरण निम्नवत् हैः–

दिनांक	प्री–लिटिगेशन	न्यायालयों में लंबित	निस्तारित कुल वाद
09.03.2024	8488213	994795	9483008
13.07.2024	8418631	1173338	9591969
14.09.2024	8122631	1060856	9183487
14.12.2024	9106526	1122340	10228866
08.03.2025	9692433	1146870	10839303
10.05.2025	9402259	1078698	10480957
13.09.2025	10749649	1451894	12201543
13.12.2025	11624886	1415883	13040769



मध्यस्थता (Arbitration) मामलों के निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालतः–

माननीय मुख्य संरक्षकएवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशों तथा विशेष एरियर समिति की पहल पर, उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों में लंबित मध्यस्थता (Arbitration) मामलों के निष्पादन से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस संबंध में वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं तथा विशेष लोक अदालत के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया गया।

मध्यस्थता (Arbitration) मामलों के निष्पादन हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत में मामलों के निस्तारण का विवरण निम्नवत् हैः–

दिनांक	चिन्हित वाद	निस्तारित वाद
09.03.2024	5018	1181
13.07.2024	4026	776
14.09.2024	3654	589
14.12.2024	3343	636
08.03.2025	2786	558
10.05.2025	1358	224
13.09.2025	1700	298
13.12.2025	1425	398

आपराधिक शमनीय/लघु अपराधों हेतु विशेष लोक अदालत

माननीय मुख्य संरक्षक एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में आपराधिक शमनीय (Criminal Compoundable) एवं लघु अपराधों से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।

अधिकतम संख्या में आपराधिक शमनीय मामलों के निस्तारण हेतु जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रभावशाली

व्यक्तियों की सेवाएँ भी प्राप्त की गईं। इस उद्देश्य के लिए माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देश पर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए, ताकि अधिक से अधिक वादकारियों को लाभान्वित किया जा सके।

दिनांक	चिन्हित वाद	निस्तारित वाद
05.03.2024 से 07.03.2024	186780	59883
10.07.2024 से 12.07.2024	145313	57339
11.09.2024 से 13.09.2024	110212	41622
11.12.2024 से 13.12.2024	99397	56861
05.03.2025 से 07.03.2025	90703	46929
26.04.2025	30391	19806
10.09.2025 से 12.09.2025	159919	98464
10.12.2025 से 12.12.2025	154829	99088

विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन

माननीय मुख्य संरक्षकएवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशानुसार विशेष जेल लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें मामलों के निस्तारण का विवरण निम्नवत् है:–

लोक अदालत का दिनांक	निस्तारित वाद
27.05.2024 से 29.05.2024	1096
28.08.2024 से 30.08.2024	609

धारा 138 एन.आई. अधिनियम (NI Act) के अंतर्गत मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत

माननीय मुख्य संरक्षकएवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशानुसार धारा 138 एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें मामलों के निस्तारण का विवरण निम्नवत् है:–

लोक अदालत का दिनांक	निस्तारित वाद
22.01.2024 से 24.01.2024	3552
11.12.2025 से 13.12.2025	5331

विद्युत अधिनियम मामलों हेतु विशेष लोक अदालत

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशानुसार, विद्युत अधिनियम (Electricity Act) से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु राज्यभर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें मामलों के निस्तारण का विवरण निम्नवत् है:–

विवाह / वैवाहिक विवादों हेतु पूर्व–वाद (Pre-Litigation) विशेष लोक अदालत का आयोजन

परिवार न्यायालय मामलों के संवेदनशीलता (Sensitization of Family Court Matters) हेतु गठित समिति के निर्देशों के क्रम में, उत्तर प्रदेश राज्य में वैवाहिक विवादों के पूर्व–वाद स्तर पर निस्तारण की एक नवीन पहल अपनाई गई। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतींकर दिवाकर, तत्कालीन कार्यपालक अध्यक्ष, न्च्ैै। द्वारा विशेष लोक अदालत आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पारिवारिक विवादों से संबंधित आवेदन प्राप्त करने हेतु समस्त दीवानी न्यायालय परिसरों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए तथा सभी विधिक सहायता क्लीनिकों में आवेदन पेटियाँ लगाई गईं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पम्फलेट्स का व्यापक वितरण किया गया।

भारत में प्रथम बार, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मध्यस्थों (Mediators) एवं परिवार न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से युक्त खंडपीठों का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पूर्व–वाद स्तर पर वैवाहिक विवादों का प्रभावी निस्तारण करना था।

पारिवारिक विवादों हेतु विशेष लोक अदालत की तिथि	निस्तारित कुल वाद
09.03.2024	918
13.07.2024	1094
14.09.2024	934
14.12.2024	1050
08.03.2025	971
10.05.2025	761
13.09.2025	1581
13.12.2025	2365

विवादित मामलों हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशानुसार, राज्यभर में विवादित मामलों (Contentious Cases) के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें मामलों के निस्तारण का विवरण निम्नवत् हैः–

लोक अदालत का दिनांक	निस्तारित वाद
11.12.2025 से 13.12.2025	88807

माननीय सर्वोच्च न्यायालय हेतु विशेष लोक अदालत (29.07.2024 से 03.08.2024 तक)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त विशेष लोक अदालत हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 1000 मामलों को सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया था।

उक्त लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकतम मामलों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के सक्षम मार्गदर्शन में एक कार्य योजना (Action Plan) तैयार की गई। इसके सफल संचालन हेतु मामलों की पहचान, केस फाइलों एवं नोटिसों की तैयारी, नोटिसों की तामील, हितधारकों के साथ बैठकें, प्रक्रिया एवं कार्यविधि का अनुपालन, पश्चात् प्रक्रिया एवं व्यापक प्रचार–प्रसार आदि कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने हेतु गंभीर एवं सतत प्रयास किए गए।

निरंतर प्रयासों एवं सहयोग के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत के अंतर्गत कुल 131 मामलों का जिला न्यायालय स्तर पर सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इन निस्तारित मामलों का विवरण निम्नवत् हैः–

जिला स्तर पर निस्तारित एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में निस्तारित (विशेष लोक अदालत) वाद	83
जिला स्तर पर निस्तारित एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में नियमित न्यायालय में निस्तारित वाद	19
जिला स्तर पर निस्तारित किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थगित (Deferred) वाद	29

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

मध्यस्थों (डमकपंजवते) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) , माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के तत्वावधान में UPSLSA द्वारा 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 22.07.2024 से 26.07.2024, 05.05.2025 से 09.05.2025, 06.10.2025 से 10.10.2025, 13.10.2025 से 17.10.2025, 28.10.2025 से 01.11.2025, 10.11.2025 से 14.11.2025, 24.11.2025 से 28.11.2025 तथा 22.12.2025 से 26.12.2025 तक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर में न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मध्यस्थों हेतु आयोजित किया गया।

प्रतिभागियों को MCPC के वरिष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे ग्राउंड रूल्स, लर्निंग एवं ट्रेनिंग, संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), मध्यस्थता प्रक्रिया, अधिवक्ताओं की भूमिका, मध्यस्थता एवं सुलह नियम, संप्रेषण एवं वार्ता कौशल, नेगोशिएशन, इम्पास (Impasse), इम्पास के चरण एवं मध्यस्थों के अनुभव, प्रबंधन एवं रणनीतियाँ, तथा व्यावसायिक नैतिकता आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थों की संख्या
22.07.2024 से 26.07.2024	45
05.05.2025 से 09.05.2025	40
06.10.2025 से 10.10.2025	54
13.10.2025 से 17.10.2025	57
28.10.2025 से 01.11.2025	57

प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थों की संख्या
10.11.2025 से 14.11.2025	57
24.11.2025 से 28.11.2025	55
22.12.2025 से 26.12.2025	54

परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं (Family Court Counselors) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिवार न्यायालय के परामर्शदाताओं हेतु संवेदनशीलता (Sensitization) कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 25.02.2024 एवं 07.04.2024 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर में किया गया। उक्त कार्यक्रम के पश्चात मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा 03 तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए।

परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं हेतु यह एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम प्रतिभागियों को परिवार न्यायालय मामलों के संदर्भ में मध्यस्थता एवं परामर्श के प्रति संवेदनशील बनाने, मध्यस्थता का अवलोकन, मध्यस्थता उपकरणों एवं तकनीकों के उपयोग तथा परामर्श एवं मध्यस्थता तकनीकों के प्रयोग से योजना विकसित करने जैसे विषयों पर केंद्रित रहा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् हैः–

प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षित फैमिली कोर्ट काउंसलर्स की संख्या
25.02.2024	85
07.04.2024	85





चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट विधिक सहायता रक्षा परामर्शदाता (LADC) हेतु 03 दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, NALSA के निर्देशानुसार, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट विधिक सहायता रक्षा परामर्शदाताओं (Chief, Deputy & Assistant Legal Aid Defense Counsels) हेतु 03 दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20.06.2024 से 22.06.2024, 18.09.2024 से 20.09.2024, 23.09.2024 से 25.09.2024 तथा 03.10.2024 से 05.10.2024 तक किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 74 जनपदों के चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट LADC द्वारा प्रतिभाग किया गया। श्री दिवेश चंद्र सामंत, निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तथा श्री संजय सिंह–I, सदस्य सचिव, UPSLSA द्वारा

प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव एवं ज्ञान को साझा किया गया तथा उन्हें समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों की सहायता हेतु प्रेरित किया गया।

प्रशिक्षण सत्र NALSA द्वारा निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार संचालित किए गए। चीफ, एवं डिप्टी LADC हेतु विषयों में मुख्यतः उनकी भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व, प्रथम प्रस्तुतिकरण एवं पुनः रिमांड पर अधिकार, जमानत आवेदन, अभियुक्त के कथनों की ग्राह्यता एवं साक्ष्य प्रस्तुति, चार्जशीट की आपूर्ति, प्ली बार्गेनिंग, अपराधों का शमन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958, आयु निर्धारण (अभियुक्त/पीड़ित), केस प्रबंधन प्रणाली तथा NALSA के LSMS एवं LACMS पोर्टल, सहमति आधारित संबंधों पर न्यायिक निर्णय, POCSO Act, 2012, NDPS Act, 1985 एवं अन्य लघु आपराधिक कानून, जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, कमजोर वर्गों के लिए विशेष विधिक प्रतिनिधित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन, संदिग्ध एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार तथा अवैध हिरासत के लिए क्षतिपूर्ति आदि शामिल रहे।

असिस्टेंट LADC को भी विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जमानत आवेदन, अभियुक्त के कथनों की ग्राह्यता, केस प्रबंधन प्रणाली (LSMS एवं LSCMS पोर्टल), क्लाइंट संप्रेषण कौशल, चार्जशीट की आपूर्ति, प्रशासन एवं प्रबंधन, आयु निर्धारण, संदिग्ध/गिरफ्तार/रिमांड पर व्यक्तियों के अधिकार, प्ली बार्गेनिंग, अपराधों का शमन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1985, कमजोर वर्गों के लिए विशेष विधिक प्रतिनिधित्व, जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, सहायक LADC की भूमिका, अवैध हिरासत के लिए क्षतिपूर्ति, ट्रायल एडवोकेसी कौशल, मॉक ट्रायल एवं कौशल प्रदर्शन आदि विषय सम्मिलित रहे।





न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर में एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.01.2025 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत / कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयय माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणय माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणय माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सेवानिवृत्त) / तत्कालीन अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबादय माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.आर. मसूदी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ / अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप–समिति, लखनऊ तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं लखनऊ खंडपीठ के अन्य माननीय न्यायाधीशगण भी उपस्थित रहे।

निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रमुख सचिव विधि, सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, UPSLSA के अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारी, श्री नायक समरेंद्र पी., निदेशक, राष्ट्रीय विधिक सेवा

प्राधिकरण, नई दिल्ली, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, नव नियुक्त सिविल जज, राज्य के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, चीफ एवं डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसल, मध्यस्थ, पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर, निकटवर्ती विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र–छात्राएँ आदि ने इस एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA द्वारा स्वागत भाषण में अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया तथा लोक अदालतों के माध्यम से अधिकतम मामलों के निस्तारण एवं जनसामान्य को लाभ पहुँचाने की दिशा में प्रगति का उल्लेख किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बंदियों के मानवाधिकार एवं गरिमा के अनुरूप उनके अधिकारों की रक्षा तथा राज्य में 74 जनपदों में Legal Aid Defense Counsel System के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की गई।

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ द्वारा जिला स्तर पर गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की भूमिका तथा किशोर अपराधियों के पुनर्वास एवं आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष बल दिया गया।

उद्घाटन सत्र के पश्चात, श्री पी.एन. पांडे, डीआईजी (जेल) एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ तथा श्री आशीष तिवारी द्वारा बंदियों को उपलब्ध विधिक सहायता एवं विभिन्न कानूनों पर प्रतिभागियों को संबोधित किया गया। प्रो. ओंकार नाथ तिवारी, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, POCSO अधिनियम एवं बाल अधिकारों के संदर्भ में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका पर व्याख्यान दिया गया। तकनीकी सत्र अत्यंत संवादात्मक रहे, जिससे सभी प्रतिभागियों को लाभ प्राप्त हुआ।

अंत में माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.आर. मसूदी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।





परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं (Family Court Counselors) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के "परिवार न्यायालय मामलों के संवेदनशीलता हेतु समिति" के तत्वावधान में, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर में दिनांक 08.03.2025 एवं 09.03.2025 को "संप्रेषण एवं वार्ता कौशल (Advance Skills of Communication & Negotiation)" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम के पश्चात मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC), माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा 04 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें निम्न विषय शामिल थे–सत्र–I: "मध्यस्थता तकनीकों" पर चरण–I एवं चरण–II कार्यशालाओं का विमर्श तथा मध्यस्थता उपकरणों के प्रयोग में परामर्शदाता की उन्नत कौशल क्षमता। सत्र–II: संप्रेषण कौशल–सक्रिय श्रवण (Active Listening), बॉडी लैंग्वेज, प्रश्न पूछने की तकनीक, सहानुभूति एवं निष्पक्षता (Neutrality)। सत्र–III: गतिरोध (Impasse) को दूर करने की रणनीतियाँकृरियलिटी टेस्टिंग, रोल रिवर्सल, लैटरल थिंकिंग एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग। सत्र–IV: वार्ता (Negotiation)–इसके कौशल एवं शैली तथा इंटरएक्टिव सत्र।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् हैः–

प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षित फैमिली कोर्ट काउंसलर्स की संख्या
08.03.2025	84
09.03.2025	85





न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मध्यस्थों (Judge & Advocate Mediators) हेतु 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के निर्देशानुसार, "मध्यस्थता के सिद्धांत एवं तकनीक (Concept – Techniques of Mediation)" विषय पर 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 05.05.2025 से 09.05.2025 तक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर में न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मध्यस्थों हेतु आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को MCPC, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें ग्राउंड रूल्स, लर्निंग एवं ट्रेनिंग, संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), मध्यस्थता प्रक्रिया, अधिवक्ताओं की भूमिका, मध्यस्थता एवं सुलह नियम, संप्रेषण एवं वार्ता कौशल, नेगोशिएशन, इम्पास (Impasse), इम्पास के चरण एवं मध्यस्थों के अनुभव, प्रबंधन एवं रणनीतियाँ तथा व्यावसायिक नैतिकता आदि शामिल रहे।

प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षित न्यायिक मध्यस्थों की संख्या	प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थों की संख्या
05.05.2025 से 09.05.2025	08	40









दिनांक 02.11.2025 को आयोजित एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा दिनांक 02.11.2025 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ में "विधिक सहायता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में बाधाओं को दूर करना (Removing Barriers to Reproductive Autonomy through Legal Aid)" विषय पर एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रतिष्ठित गणमान्य न्यायमूर्तिगण की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया।









कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत एवं अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।





कार्यक्रम का आयोजन माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मुख्य संरक्षक, UPSLSA; माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA; माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, HCLSC, इलाहाबाद; तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन रॉय, अध्यक्ष, HCLSSC] लखनऊ खंडपीठ की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.के. उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा की गई। इस सत्र में मनोचिकित्सा (NIMHANS), विधि प्रवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य (NHM), महिला अधिकारों की वकालत (AALI) तथा मातृ स्वास्थ्य देखभाल (टंजेंसलं) के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सहभागिता करते हुए बाध्य मातृत्व के मामलों में मनोवैज्ञानिक सहायता, पुलिस, चिकित्सक एवं न्यायालयों के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियाँ, प्रजनन संबंधी निर्णयों में विधिक सहायता की भूमिका एवं समर्थन प्रणाली, तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के चिकित्सकीय एवं विधिक पहलुओं पर विचार–विमर्श किया।

कार्यक्रम के दौरान विधि, स्वास्थ्य, मनोचिकित्सा, पुलिसिंग एवं महिला अधिकारों के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने प्रजनन स्वायत्तता, सुरक्षित चिकित्सकीय गर्भसमापन तक पहुँच, पीड़ितों हेतु मनोसामाजिक सहायता तंत्र तथा संस्थागत समन्वित प्रतिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

इंटरएक्टिव चर्चा में पीड़ितों हेतु विधिक सहायता को सुदृढ़ करने, समय पर चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करने तथा संकटग्रस्त महिलाओं एवं बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली प्रक्रियात्मक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर विशेष बल दिया गया।

विधिक सेवा दिवस का आयोजन

वर्ष 2024

देशभर में प्रत्येक वर्ष 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस (Legal Services Day) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित कराने हेतु जागरूकता का प्रसार करना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा दिनांक 09 नवम्बर, 2024 को नई दिल्ली में विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं अन्य विधिक सेवा संस्थानों ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को 09 नवम्बर, 2024 को विधिक सेवा दिवस के रूप में आयोजन करने के निर्देश प्रदान किए गए। इस आयोजन का उद्देश्य न्याय तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में विधिक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना तथा विधिक साक्षरता को बढ़ावा देना है।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान करना है, जिससे राज्य में विधिक साक्षरता का विस्तार हो सके। इसके लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं

जागरूकता अभियानों का आयोजन कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित किया गया।

विधिक सेवा दिवस के आयोजन की प्रमुख कार्यविधियाँ निम्नवत् थीं:–

- जिला, ब्लॉक, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर सरकारी विभागों के सहयोग से विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन।
- आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, लेखपाल, स्वयं सहायता समूह एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के सहयोग से दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन।
- जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर रैलियों का आयोजन।
- सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर का प्रदर्शन।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हितधारकों के योगदान को मान्यता एवं सम्मान प्रदान करना।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर राज्य के सभी जनपदों में विभिन्न विधिक जागरूकता एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

जागरूकता शिविरों का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में जनसामान्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा विधिक सेवा दिवस के महत्व से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तर पर लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर राज्यव्यापी लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है:–

विषय	शिविरों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
विधिक सेवा जागरूकता शिविर	15,643	7,60,298





रैलियों का आयोजन

उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रभात फेरी एवं रैलियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य विधिक सेवा दिवस के विषय में आम जनता को जागरूक करना था। इन प्रभात फेरियों एवं रैलियों का आयोजन प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं तथा शिक्षकों द्वारा किया

गया।

इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा विधिक सेवाओं से संबंधित संदेशों वाले प्लेकार्ड प्रदर्शित किए गए तथा विधिक सेवाओं से जुड़े नारे लगाए गए। एनसीसी कैडेट्स, न्यायालय कर्मचारी, महाविद्यालय के छात्र–छात्राएँ एवं शिक्षकगण भी प्रभात फेरी एवं रैलियों में सक्रिय रूप से शामिल हुए।

विधिक सेवा दिवस के आयोजन के माध्यम से प्रतिभागियों एवं लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् हैः–

रैलियों की संख्या	प्रतिभागियों / लाभार्थियों की संख्या
11,581	7,90,771





आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, लेखपाल, स्वयं सहायता समूह तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा पूरे राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे समूहों के माध्यम से विधिक जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया गया।

इन कार्यकर्ताओं ने अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीण जनता को विधिक सेवाओं एवं कानूनों की जानकारी प्रदान की, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण एवं वंचित वर्गों तक विधिक सहायता की पहुँच सुनिश्चित करना तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

उक्त कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् हैः–

हितधारकों का विवरण	योगदानकर्ताओं की संख्या	आयोजनों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, लेखपाल, स्वयं सहायता समूह एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVS)	54,708	48,113	5,13,378





डी.एल.एस.ए. के हितधारकों के योगदान की मान्यता एवं सम्मान

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सेवा संस्थाओं के विभिन्न हितधारकों, जैसे पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स तथा विधिक सहायता क्लीनिकों के योगदान को सराहा गया एवं उन्हें सम्मानित किया गया।

यह सम्मान उनके द्वारा विधिक सेवाओं के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों तक न्याय पहुँचाने में दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मानित हितधारकों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम संख्या	हितधारक विवरण	सम्मानित व्यक्तियों की संख्या
1	पैनल अधिवक्ता	1,593
2	पैरा लीगल वॉलंटियर्स	203
3	विधिक सहायता क्लीनिक	108
4	विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता	122

विधिक सेवा दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर UPSLSA द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 16,05,171 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2025

प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष एवं न्यायसंगत न्याय प्रणाली सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 09 नवम्बर को पूरे देश में विधिक सेवा दिवस (Legal Services Day) का आयोजन कर विधिक जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

इस संबंध में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 09 नवम्बर, 2025 को विधिक सेवा दिवस का आयोजन करें।

"न्याय सबके लिए (Justice for All)" थीम के अंतर्गत विधिक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य विधिक जागरूकता का प्रसार करना तथा पैनल अधिवक्ताओं (सिविल, आपराधिक, वैवाहिक आदि), पैरा लीगल वॉलंटियर्स (छात्र, बंदी, महाविद्यालय एवं विद्यालय), विधिक सेवा संस्थानों एवं उनके द्वारा किए गए योगदान और उपलब्धियों को सराहना एवं मान्यता प्रदान करना है, जिन्होंने विधिक सेवा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

NALSA द्वारा विधिक सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, NALSA द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि विधिक सेवा दिवस के अवसर पर समाचार पत्रों, मीडिया एवं अन्य मंचों के माध्यम से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाए।

सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित गतिविधियाँ

इस अवसर पर राज्य के सभी जनपदों में विभिन्न विधिक जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित किए गए।

इन शिविरों के माध्यम से राज्य की बड़ी जनसंख्या को विधिक सेवा दिवस के महत्व से अवगत कराया गया तथा उन्हें उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

विषय	शिविरों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
विधिक जागरूकता शिविर	4,293	6,33,434









---

2. रैलियों का आयोजन

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जन–जागरूकता फैलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सभी जनपदों में प्रभात फेरी एवं रैलियों का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों में प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं तथा शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। रैलियों के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विधिक सेवाओं से संबंधित संदेशों वाले प्लेकार्ड प्रदर्शित किए गए तथा विधिक जागरूकता से संबंधित नारे लगाए गए।

रैलियों की संख्या	प्रतिभागियों / लाभार्थियों की संख्या
2,287	1,19,636









---

3. पैनल अधिवक्ताओं, पैरा–लीगल वॉलंटियर्स एवं विधिक सहायता क्लीनिकों का सम्मान एवं सराहना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पैनल अधिवक्ताओं, पैरा–लीगल वॉलंटियर्स (समुदाय, छात्र एवं जेल श्रेणी), तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संचालित विधिक सहायता क्लीनिकों की सेवाओं एवं उपलब्धियों की सराहना एवं मान्यता की जाए।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पैनल अधिवक्ताओं, पैरा–लीगल वॉलंटियर्स तथा विधिक सहायता क्लीनिकों को सम्मानित किया गया तथा उनके योगदान को प्रोत्साहित किया गया।

क्रम संख्या	श्रेणी	सम्मानित व्यक्तियों की संख्या
1	सर्वश्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता	62
2	सर्वश्रेष्ठ पैरा–लीगल वॉलंटियर्स	142
3	सर्वश्रेष्ठ विधिक सहायता क्लीनिक	81









4. आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

कार्ययोजना के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में छोटे–छोटे समूहों के माध्यम से विधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इन कार्यकर्ताओं द्वारा अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं कानूनों से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार किया गया, जिससे व्यापक स्तर पर आमजन को लाभ प्राप्त हुआ।

क्रम संख्या	श्रेणी	कार्यकर्ताओं की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थी
1	आशा कार्यकर्ता	10,639	4,570	73,387
2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	19,209	18,966	3,98,124





सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा इस अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविरों, रैलियों एवं प्रभात फेरियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य भर में कुल 12,24,581 प्रतिभागियों एवं लाभार्थियों को आच्छादित किया गया।

अन्य गतिविधियाँ

बाल गृह, प्रयागराज में वस्त्र एवं सामग्री का वितरण

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेडीज क्लब, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सहयोग से बाल गृह, प्रयागराज में निवासरत बच्चों को वस्त्र, खिलौने एवं चप्पल आदि का वितरण किया गया। यह पहल माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, UPSLSA के मार्गदर्शन में की गई।

इस अवसर पर श्री सुरजन सिंह, ओ.एस.डी., UPSLSA; श्री निश्चल शुक्ला, उप सचिव, UPSLSA; श्री दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराजय तथा श्री सर्वजीत सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रयागराज उपस्थित रहे।





जिला जेल, नैनी, प्रयागराज में सामग्री वितरण

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में, रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के माध्यम से दिनांक 26.05.2024 को जिला जेल, प्रयागराज में निरुद्ध बंदियों को भोजन, वस्त्र, चप्पल आदि आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। यह पहल माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल, प्रयागराज के भ्रमण के उपरांत उन बंदियों के प्रति व्यक्त की गई चिंता के फलस्वरूप की गई, जिनके पास वस्त्र एवं चप्पल जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ उपलब्ध नहीं थीं। इस अवसर पर श्री संजय सिंह–I, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणय श्री संतोष कुमार–II, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणय तथा श्री दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज उपस्थित रहे।





नव नियुक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का UPSLSA कार्यालय भवन का भ्रमण

दिनांक 01 मई, 2025 को 150 नव नियुक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के एक बैच द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के कार्यालय भवन का भ्रमण किया गया। यह भ्रमण उनके इंडक्शन एवं एक्सपोजर कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य उन्हें विधिक सहायता संरचना, सेवाओं, न्यायिक आउटरीच तंत्र तथा न्यैै। की संगठनात्मक संरचना से अवगत कराना था, जो राज्य स्तर से लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील समितियों तक कार्यरत है।

भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों, मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs), केस प्रबंधन मानकों तथा राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच समन्वय के संबंध में जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों को लोक अदालतों में उनकी भूमिका, सिविल एवं न्यायिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों तथा न्यायिक संवेदनशीलता बढ़ाने की रणनीतियों पर इंटरएक्टिव सत्रों के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की गई।






विधि छात्रों की इंटर्नशिप (Internship of Law Students)

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा प्रत्येक वर्ष जून माह में विधि छात्रों हेतु ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2024 में आयोजित किया गया तथा वर्ष 2025 में भी पुनः आयोजित किया जा रहा है। देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि छात्रों का चयन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आयोजित टेलीफोनिक साक्षात्कार के आधार पर किया गया।

इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर कानून विशेषज्ञों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कारागार विभाग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, चिकित्सकों तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को अपने ज्ञान एवं अनुभवों से समृद्ध किया गया।

इसके अतिरिक्त, विधि छात्रों के लिए जिला जेल, लखनऊ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कार्यालय तथा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के भ्रमण की भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा की गई, जिससे उन्हें न्यायिक प्रणाली एवं विधिक सहायता तंत्र की व्यावहारिक समझ प्राप्त हो सके।








उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों के क्लस्टर स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा भी विधि छात्रों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024 के अवसर पर सदस्य सचिव, UPSLSA द्वारा जिला जेल, लखनऊ में बंदियों के साथ योग दिवस मनाया गया। UPSLSA के अधिकारियों एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा भी जेल बंदियों के साथ जिला जेल, लखनऊ में योगाभ्यास किया गया।

इसी प्रकार संबंधित जनपदों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों द्वारा भी जिला जेलों में बंदियों के साथ योगाभ्यास किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024 की थीम "योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी (Yoga for Self and Society)" थी।





इसके पश्चात वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सभी विधिक सेवा संस्थानों में मनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित कार्यालय भवन में योगाभ्यास किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2025 की थीम "योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ (Yoga for One Earth] One Health)" थी।









विधिक सेवा एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक 27 नवम्बर 2025 (गुरुवार) को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में महिला क्लब, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बाबा लाल प्रताप सिंह लॉ कॉलेज, मुंगारी, करछना में एक विधिक सेवा एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।









कार्यक्रम का उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को विधिक सहायता प्रदान करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण विभाग, आयुर्वेद विभाग, जिला उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिला आपूर्ति विभाग आदि

विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया तथा चिकित्सा शिविर एवं अन्य सेवा स्टॉल्स लगाए गए।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वास्थ्य कियोस्क मशीनों के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त पेंशन योजनाओं एवं अन्य राजस्व संबंधी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।









कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 पुरुषों, महिलाओं, बालकों एवं बालिकाओं को चिकित्सा सेवाओं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया।

विश्व एड्स दिवस

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को विश्व एड्स दिवस का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तहसील विधिक सेवा समितियों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक समूहों तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता एवं आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य HIV/AIDS से प्रभावित व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाना था, जो कि HIV एवं एड्स (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत संरक्षित हैं।

ग्राम, ब्लॉक, विद्यालय, विधि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं द्वारा रैलियाँ निकाली गईं तथा HIV/AIDS की रोकथाम एवं उपचार से संबंधित पोस्टरों के माध्यम से जागरूकता का प्रसार किया गया।

इस अवसर पर कुल 602 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 25,481 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।









अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, दिनांक 03 दिसम्बर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विधिक सहायता क्लीनिकों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं विधिक संस्थानों को उपयुक्त जागरूकता एवं आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों, समावेशन (Inclusion) एवं सामाजिक सहभागिता को व्यापक रूप से बढ़ावा देना था।

इस अवसर पर सदस्य सचिव, UPSLSA की अध्यक्षता में एक ई–वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजन समावेशन, विधिक अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें सभी जिला सचिव, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित हुए।

राज्यभर में डोर–टू–डोर अभियान, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, सार्वजनिक संस्थानों में जागरूकता गतिविधियाँ, रैलियाँ, विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम तथा बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र एवं व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे दिव्यांगजनों के स्वतंत्र जीवन एवं सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिला।

इस अवसर पर कुल 1,673 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 26,502 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।









विश्व मानवाधिकार दिवस

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राज्य के समस्त जनपदों में दिनांक 10 दिसम्बर 2025 को विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2025 की थीम "Our Daily Needs: Public Services for All and Dignity" थी।

राज्यभर में ग्राम, ब्लॉक, विद्यालय, विधि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, जनपद कारागार तथा पुलिस थानों में विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र योजना आदि के बारे में जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित कर विधिक सहायता एवं जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

इस अवसर पर कुल 2,672 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 1,72,352 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।









जनपद कारागार, लखनऊ में मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक 10 दिसम्बर 2025 को जनपद कारागार, लखनऊ में मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य सचिव, UPSLSA द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति एवं न्याय का अधिकार प्राप्त है।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक, जिला जेल, लखनऊ; श्री सुरजन सिंह, ओ.एस.डी., UPSLSA; तथा सुश्री मीनाक्षी सोनकर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ उपस्थित रहे।

सुश्री मीनाक्षी सोनकर ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों का पालन भी समान रूप से आवश्यक है, जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके जहाँ कमजोर एवं वंचित वर्ग भी सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें।

कार्यक्रम के दौरान मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सभी को शपथ भी दिलाई गई।









विश्व सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, दिनांक 12 दिसम्बर 2025 को विश्व सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का आयोजन किया गया।

जिला एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए व्यापक विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना (कार्ड लिंकिंग, पात्रता सत्यापन), निःशुल्क दवाएँ, डायग्नोस्टिक्स एवं उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए गए।

अस्पतालों में विधिक सहायता हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किए गए, जहाँ आयुष्मान भारत क्लेम, निःशुल्क दवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा टीबी उपचार आदि से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच सुनिश्चित करने हेतु "संजीवनी" टेली–मेडिसिन सेवाओं का प्रदर्शन भी किया गया।

इस अवसर पर कुल 16,064 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 9,00,310 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।









"उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों हेतु मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावहारिक अनुभव एवं समग्र कल्याण हेतु हाइब्रिड मोड में रोल–प्ले सत्र"

माननीय मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC), माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से नामित 104 न्यायिक अधिकारियों हेतु मध्यस्थता प्रशिक्षण हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में दिनांक 07 दिसम्बर 2025 एवं 21 दिसम्बर 2025 को रोल–प्ले सत्र आयोजित किए गए। यह सत्र माननीय मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किए गए।

इन सत्रों में देश के विभिन्न राज्यों से नामित माननीय समिति द्वारा चयनित कुशल मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा न्यायिक अधिकारियों को रोल–प्ले अभ्यास के माध्यम से मध्यस्थता की बारीकियों तथा मध्यस्थता प्रक्रिया की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया गया।






Victoria by the Grace of God



